सहीह बुख़ारी

मय तर्जुमा व तफ़्सीर

जिल्द दोम (दूसरी)

मुरत्तिब

अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष़ सैयदुल फ़ुक़्हा हज़रत इमाम अबू अब्दुल्लाह

मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)

उर्दू तर्जुमा व तशरीह

हज़रत मौलाना मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)

हिन्दी तर्जुमा

सलीम ख़िलजी

प्रकाशक : शो'बा नश्रो इशाअत

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

नाम किताब : स़ह़ीह़ बुख़ारी (हिन्दी तर्जुमा व तफ़्स़ीर)
मुरत्तिब (अ़रबी) : अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)
उर्दू तर्जुमा व शरह : अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.)
हिन्दी तर्जुमा व नज़रे-ष़ानी : सलीम ख़िलजी
तस़्ह़ीह़ (Proof Checking) : जमशेद आ़लम सलफ़ी

कम्प्यूटराइज़ेशन, डिज़ाइनिंग एवं लेज़र टाइपसेटिंग : ख़लीज मीडिया, जोधपुर (राज.)
khaleejmedia78@yahoo.in #91-98293-46786
हिन्दी टाइपिंग : मुहम्मद अकबर
ले-आउट व कवर डिज़ाइन : मुहम्मद निसार खिलजी, बिलाल ख़िलजी
मार्केटिंग एक्ज़ीक्यूटिव : फ़ैस़ल मोदी

ता'दाद पेज (जिल्द-2) : 640 पेज
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) : शाबान 1432 हिजरी (जुलाई 2011 ईस्वी)
ता'दाद (प्रथम संस्करण) : 2400
क़ीमत (जिल्द-2) : ₹450/-
प्रिण्टिंग : अनमोल प्रिण्ट्स, जोधपुर (0291-2742426)
प्रकाशक : जमीयत अहले ह़दीष़ जोधपुर (राज.)

मिलने के पते

मुहम्मदी एण्टरप्राइजेज़
तेलियों की मस्जिद के पीछे, सोजती गेट के अन्दर, जोधपुर-1
(फ़ोन): 99296-77000, 92521-83249,
93523-63678, 90241-30861

अल किताब इण्टरनेशल
जामिया नगर, नई दिल्ली-25
(फ़ोन): 011-6986973
93125-08762

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

किताबुल जुम्अः

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नं.

किताब सुजूदुल क़ुर्आन

किताब तक़्सीरुस्सलात

किताबुत् तहज्जुद

4

5

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

किताबुज़्ज़कात

5

6

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

6

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

फ़ेहरिस्त तशरीहे-मज़ामीन

अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइन्तहा शुक्र व एहसान है कि उसने जमीअत अहले ह़दीष़ जोधपुर-राजस्थान को इस बात की तौफ़ीक़ बख़्शी कि जमाअ़ती कारकर्दगियों के तहत जिस बात की ज़रूरत एक लम्बे अ़र्से से महसूस की जा रही थी, या'नी **बुख़ारी शरीफ़** के हिन्दी तर्जुमे व तशरीह की, वो अ़ज़ीमुश्शान अ़मल और कारे-नुमायाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस्तिआ़नत (मदद) और अहबाबे-जमाअ़त की दुआओं से अंजाम पिज़ीर हुआ है।

कुतुबे अह़ादीष़ की सरदार, अस् सह़ीहुल कुतुब **बुख़ारी शरीफ़** के हिन्दी तर्जुमे की अ़वाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए सादा, सलीस व आ़म-फ़हम ज़बान में शरीअ़त की ता'लीमात को आ़म करने के ज़िम्न में यह एक मुस्तहसन क़दम है क्योंकि क़ुर्आन व ह़दीष़ ये दो ही चीज़ें इन्सान की फ़लाह व बहबूद, दुनियवी और उख़रवी नजात की ज़ामिन है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़र्मान है, **'जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त की उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।'** (सूरह अल अहज़ाब) और जैसा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) का इर्शाद है, **' अद् दीनु युस्रुन'** या'नी **दीन आसान है।** इसकी आसानी की दलील यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़्तन-फ़वक़्तन हर ज़माने में, हर हालात में अपने बन्दों के ज़रिये से ही बन्दों की रुश्दो-हिदायत व दीन को समझाने के लिये सहूलियात मुहैया फ़र्माता रहता है। चुनाँचे आज जो ये **बुख़ारी शरीफ़** का जो हिन्दी नुस्ख़ा आपके हाथों में है, वो अरबाबे-जमाअ़त की एक ह़क़ीर कोशिश थी जो अल्लाह की मदद ही से मुकम्मल हो सकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि उसने हमारी सहूलत के लिये दीन को आसान बनाया। जमाअ़त का एक बहुत बड़ा तबक़ा जो अ़रबी-उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, वह भी अब इल्म व हिदायत के इस नूरानी सरचश्मे से फ़ैज़याब हो सकता है।

अख़ीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ व दरख़्वास्त है कि ऐ बारे-इलाहा! इस मुक़द्दस किताब के हिन्दी तर्जुमे में जिन हज़रात की जिस क़िस्म का भी तआ़वुन रहा है; ऐ अल्लाह! तू उसे क़ुबूल फ़र्मा। मअ़न तमाम मुस्लिमों को इस पर अ़मल-दरामद करने की तौफ़ीक़ अता फ़र्मा। ऐ अल्लाह! तमाम अहबाबे-जमाअ़त को इस कारे-ख़ैर की बरकतों से फ़ैज़याब फ़र्मा और इसे दुनिया व आख़िरत की भलाई का ज़रिया बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह भी दुआ है कि **बुख़ारी शरीफ़** का ये हिन्दी नुस्ख़ा तमाम मुसलमानों के नजात का ज़रिया बने और इसके ज़रिये हमारे मुआशरे की इस्लाह हो। आमीन! तक़ब्बल या रब्बल आलमीन!!

ख़ैर-अन्देश व त़ालिबे-दुआ,

अ़ब्दुर्रहीम ख़ताई

वल्द **मौलाना अ़ब्दुल क़य्यूम ख़ताई रहमानी** (गुफ़िरइल मन्नान)

अ़र्ज़े-मुतर्जिम

(अनुवादक की गुज़ारिशात)

क़ारेईने किराम! अल्लाह रब्बुल–इ़ज़्ज़त के फ़ज़्ल व एहसानो–करम से स़हीह़ बुख़ारी (शरह मुहम्मद दाऊद राज़ रह.) की तीसरी जिल्द आपके हाथों में सौंपी जा रही है। पहली व दूसरी जिल्द से यक़ीनन आपने फ़ैज़ ह़ासिल किया होगा। इस तीसरी जिल्द में आप बहुत सारे ऐसे अनछुए मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, जिनकी हमारी ज़िन्दगी में बड़ी अहमियत है। पहली जिल्द के पेज नं. 23-24 पर इसी कॉलम में काफ़ी-कुछ वज़ाहत की जा चुकी है चन्द अहम व ज़रूरी बातें इसलिये दोहराई जा रही है ताकि शुरूआती दो जिल्द पढ़ चुके क़ारेईन व मुअ़तरिज़ीन के सवालात के तसल्लीबख़्श जवाब मिल सके।

01. **बेहद सावधानी के साथ इसकी तस़्हीह व नज़रे–ष़ानी की गई है ताकि ग़लती की कम से कम गुंजाइश रहे, इसके लिये अ़रबी के माहिर आ़लिम मौलाना जमशेद आ़लम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है। कुछ हज़रात ने अ़रबी हर्फ़ (ث) के लिये हिन्दी अक्षर 'ष़' इस्ते'माल पर ए'तिराज़ जताया है, स़हीह़ बुख़ारी की आठों जिल्दों के कवर पेज पर ह़दीष़ 'इन्नमल अअ़मालु बिन्नियात' छपी है जिसका मा'नी है, 'अ़मल का दारोमदार निय्यत पर है।' हमारी निय्यत यह है कि अ़रबी-उर्दू का हर हर्फ़ अलग नज़र आए। रहा सवाल उच्चारण का तो उसके लिये हमारी गुज़ारिश है कि नीचे लिखी इबारत का ग़ौर से मुतालअ़ा करें।**

02. **इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास़ हर्फ़ों को अलग तरह से लिखा गया ह** मिष़ाल के तौर पर :– (ا) के लिये अ, (ع) के लिये अ़; (ث) के लिये ष़, (س) के लिये **स**, (ش) के लिये **श**, (ص) के लिये **स़**; (ح) के लिये **ह़**, (ہ) के लिये **ह**, (خ) के लिये **ख़**, (غ) के लिये **ग़**, (ف) के लिये **फ़**, (ك) के लिये **क**, (ق) के लिये **क़** लिखा गया है। (ج) के लिये **ज** का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ ज़ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हर्फ़ों के लिये स़हीह़ विकल्प हमें नज़र नहीं आया। आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़्ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; **असीर**, अलिफ़ (ا)–सीन (س) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **क़ैदी**। **अष़ीर**, अलिफ़ (ا) ष़े (ث) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **ख़ालिस़**। **अ़सीर** अ़ेन (ع) सीन (س) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **मुश्किल**। **अ़स़ीर** अ़ेन (ع) स़ाद (ص) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **अंगूर की चाशनी (शीरा)**। **अ़ष़ीर** अ़ेन (ع) ष़े (ث) ये (ی) रे (ر), जिसका मतलब होता है **धूल**। कहने का मतलब ये है कि इस किताब में स़हीह़ तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) के लिये हद–दर्जा कोशिश की गई है।

03. **मैं एक बार फिर ये दोहराना मुनासिब समझता हूँ कि यह किताब अ़ल्लामा मुहम्मद दाऊद राज़ (रह.) की शरह का हिन्दी रूपान्तरण है। इसमें न कुछ घटाया गया है, न बढ़ाया गया है और न ही अनुवादक द्वारा किसी मैटर की एडीटिंग की गई है। लिहाज़ा हर तशरीह (व्याख्या) से अनुवादक सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है।**

इस किताब की कम्पोज़िंग, तस़्हीह़ (त्रुटि संशोधन) और कवर डिज़ाइनिंग में मेरे जिन साथियों की मेहनत जुड़ी हैं, उन सब पर अल्लाह की रहमतें, बरकतें व सलामती नाज़िल हों। **ऐ अल्लाह! मेरे वालिद–वालदा को अपने अ़र्श के साये तले, अपनी रहमत की पनाह नस़ीब फ़र्मा जिनकी दुआ़ओं के बदले तूने मुझे दीने–इस्लाम का फ़हम अ़ता किया। ऐ अल्लाह! हमारी ख़त़ाओं और कोताहियों से दरगुज़र फ़र्माते हुए तू हमसे राज़ी हो जा और हमें रोज़े आख़िरत वो नेअ़मतें अ़ता फ़र्मा, जिनका तूने अपने बन्दों से वा'दा फ़र्माया है।** आमीन! तक़ब्बल या रब्बल आ़लमीन!!

व स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़ला नबिय्यिना व अ़ला आलिही व अस़्ह़ाबिही व अत्बाइ़हि व बारिक व सल्लिम.

सलीम ख़िलजी.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

चौथा पारा

बाब 132 : कपड़ों में गिरह लगाना और बाँध लेना कैसा है? और जो शख़्स शर्मगाह के खुल जाने के ख़ौफ़ से कपड़े को जिस्म से लपेट ले तो क्या हुक्म है?

١٣٦- بَابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّ هَوَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ انْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

814. हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार के वास्ते से ख़बर दी, उन्होंने सहल बिन सअ़द से, उन्होंने कहा कि कुछ लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ तहबंद छोटे होने की वजह से उन्हें गर्दनों से बाँध कर नमाज़ पढ़ते थे और औरतों से कह दिया गया था कि जब तक मर्द अच्छी तरह बैठ न जाएं तब तक तुम अपने सरों को (सज्दे से) न उठाओ। (राजेअ़ : 362)

٨١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

[راجع: ٣٦٢]

तश्रीह : ये इस्लाम का इब्तिदाई (शुरूआती) दौर था। स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) हर त़रह़ से तंगियों का शिकार थे। कुछ लोगों के पास तन ढाँकने के लिये सिर्फ़ एक ही तह्बन्द होता था। कई बार वो भी नाकाफ़ी होता इसलिये औरतों को जो जमाअ़त में शिर्कत करती थीं, उन्हें ये हुक्म दिया गया। इससे ग़र्ज़ ये थी कि औरतों की निगाह मर्दों के सतर पर न पड़े। ऐसी तंग ह़ालत में भी औरतों को नमाज़ बाजमाअ़त में पर्दे के साथ शिर्कत करना ज़माने-ए-नबवी (ﷺ) में मामूली मसला था यही मसला आज भी है। अल्लाह नेक समझ दे और अ़मले ख़ैर की मुसलमानों को तौफ़ीक़ दे, आमीन!

बाब 137 : इस बारे में कि नमाज़ी (सज्दे में) बालों को न समेटे

١٣٧- بَابُ لاَ يَكُفُّ شَعَرًا

815. हमसे अबुन नोअ़मान बिन फ़ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, अ़म्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने ताऊस से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से, आप ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) को हुक्म था कि सात

٨١٥- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أُمِرَ

النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثَوبَهُ)).

[راجع: ٨٠٩]

हड्डियों पर सज्दा करें और बाल और कपड़े न समेटें। (राजेअ : 809)

तशरीह : शारिहीन लिखते हैं कि **व मुनासबतु हाज़िहित्तर्जुमति लिअहकामिस्सुजूदि मिन जिहतिन अन्नश्शअ़र यस्जुदु मअ़र्रासि इज़ा लम यकुफ़ औ यलिफ़** या'नी बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त ये है कि जब बालों को लपेटा न जाए तो वो भी सर के साथ सज्दा करते हैं जैसे दूसरी रिवायत में है सुनन अबू दाऊद में मर्फ़ूअ़न रिवायत है कि बालों के जोड़े पर शैतान बैठ जाता है। सात अअ़ज़ा जिनका सज्दे में ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है। उनकी तफ़्सीली बयान तीसरे पारे में गुज़र चुका है।

١٣٨ - بَابُ لاَ يَكُفَّ ثَوبَهُ فِي الصَّلاَةِ

बाब 138 : इस बयान में कि नमाज़ में कपड़ा न समेटना चाहिये

٨١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لاَ أَكُفُّ شَعَرًا وَلاَ ثَوبًا)). [راجع: ٨٠٩]

816. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अ़वाना वज़ाह़ ने, अ़म्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने ताऊस से, उन्होंने ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास से, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे सात हड्डियों पर इस तरह सज्दा करने का हुक्म हुआ है कि न बाल समेटूं और न कपड़े। (राजेअ : 809)

तशरीह : मत़लब ये है कि नमाज़ पूरे इन्हिमाक (यकसू होकर) और इस्तिग़राक़ (तल्लीनता) के साथ पढ़ी जाए। सर के बाल अगर इतने बड़े हैं कि सज्दे के वक़्त ज़मीन पर पड़ जाएँ या नमाज़ पढ़ते वक़्त कपड़े गर्द आलूद हो जाएँ तो कपड़े और बालों को गर्दो–गुबार से बचाने के लिये समेटना न चाहिये कि ये नमाज़ में ख़ुशूअ़ और इस्तिग़राक़ के ख़िलाफ़ है। और नमाज़ की असल रूह ख़ुशूअ़–ख़ुज़ूअ़ है जैसा कि क़ुर्आन शरीफ़ में है, **'अल्लज़ीन हुम फ़ी स़लातिहिम ख़ाशिऊन'** या'नी मोमिन वो हैं जो ख़ुशूअ़ के साथ दिल लगाकर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरी आयत **'ह़ाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन'** का भी यही तक़ाज़ा है या'नी नमाज़ों की ह़िफ़ाज़त करो ख़ास त़ौर से दरम्यान वाली नमाज़ की और अल्लाह के लिये फ़र्मांबरदार बन्दे बनकर खड़े हो जाओ। यहाँ भी क़ुनूत से ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ मुराद है।

١٣٩ - بَابُ التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

बाब 139 : सज्दे में तस्बीह और दुआ़ का बयान

٨١٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: ((سُبْحَانَكَ

817. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद क़त्तान ने, सुफ़यान ष़ौरी से, उन्होंने कहा कि मुझसे मन्ज़ूर बिन मुअ़तमिर ने मुस्लिम बिन स़बीह से बयान किया, उन्होंने मस्रूक़ से, उनसे ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) सज्दा और रुकूअ़ में अक्षर ये पढ़ा करते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللّٰهُ اغْفِرْ لِيْ)). يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. [راجع: ٧٩٤]

अल्लाहुम्मग़्फ़िरली (इस दुआ को पढ़कर) आप क़ुर्आन के हुक्म पर अमल करते थे। (राजेअ : 714)

तश्रीह : सूरह **'इज़ा जाअ नस्रूल्लाहि'** में है, **'फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़्फ़िर्हु'** (अपने रब की पाकी बयान करो और उससे बख़्शिश मांगो); इस हुक्म की रोशनी में आप (ﷺ) सज्दा और रुकूअ में ज़िक्र की गई दुआ पढ़ा करते थे। जिसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह! मैं तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करता हूँ। या अल्लाह! तू मुझको बख़्श दे। इस दुआ में तस्बीह और तह्मीद और इस्तिग़्फ़ार तीनों मौजूद हैं, इसलिये रुकूअ और सज्दा में इसका पढ़ना अफ़ज़ल है इसके अलावा रुकूअ में **सुब्हान रब्बियल्अज़ीम** और सज्दा में **सुब्हान रब्बियल्आला** मसनूना दुआएँ भी आयाते क़ुर्आनिया ही की ता'मील हैं जैसा कि मुख़्तलिफ़ आयात में हुक्म है। एक रिवायत में है कि सूरह **'इज़ा जाआ नस्रूल्लाह'** के नुज़ूल के बाद आप (ﷺ) हमेशा रुकूअ और सज्दों में इस दुआ को पढ़ते रहे। या'नी **सुब्हानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मग़्फ़िरली** अल्लामा इमाम शौकानी (रह.) इसका मतलब यूँ बयान फ़र्माते हैं कि **बितौफ़ीक़ि ली व हिदायतिक व फ़ज़्लिक अलय्या सुब्हानक ला बिहौली व क़ुव्वती** या'नी या अल्लाह! मैं सिर्फ़ तेरी तौफ़ीक़ और हिदायत और फ़ज़्ल से तेरी पाकी बयान करता हूँ। अपनी तरफ़ से इस कारे अज़ीम के लिये मुझमें कोई ताक़त नहीं है। कुछ रिवायात में रुकूअ और सज्दों में ये दुआ पढ़नी भी आँहज़रत (ﷺ) से षाबित है, **'सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह'** (अहमद, मुस्लिम वग़ैरह) या'नी मेरा रुकूअ या सज्दा उस ज़ाते वाहिद के लिये है जो तमाम नुक़्सों और शरीकों से पाक है वो मुक़द्दस है वो फ़रिश्तों का और जिब्रईल का भी रब है।

١٤٠– بَابُ الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब 140 : दोनों सज्दों के बीच ठहरना

٨١٨– حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ- قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِيْنِ صَلاَةٍ - فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً -ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا - قَالَ أَيُّوبُ: كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ، كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. [راجع: ٦٧٧]

(818) हमसे अबुन नोअमान मुहम्मद बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने अय्यूब सुख़ितयानी से बयान किया, उन्होंने अबू क़िलाबा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से, कि मालिक बिन हुवैरिष (रज़ि.) ने अपने साथियों से कहा कि मैं तुम्हें नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ क्यों न सिखा दूँ। अबू क़तादा ने कहा ये नमाज़ का वक़्त नहीं था (मगर आप हमें सिखाने के लिये) खड़े हुए। फिर रुकूअ किया और तकबीर कही फिर सर उठाया और थोड़ी देर खड़े रहे। फिर सज्दा किया और थोड़ी देर के लिये सज्दे से सर उठाया और फिर सज्दा किया और सज्दे से थोड़ी देर के लिये सर उठाया। उन्होंने हमारे शैख़ उमर बिन सलमा नमाज़ में एक ऐसी चीज़ किया करते थे कि दूसरे लोगों को इसी तरह करते मैंने नहीं देखा। आप तीसरी या चौथी रकअत पर (सज्दे से फ़ारिग़ होकर खड़े होने से पहले) बैठते थे (या'नी जल्सा-ए-इस्तिराहत करते थे फिर नमाज़ सिखलाने के बाद) (राजेह : 688)

٨١٩– فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ

(819) (मालिक बिन हुवैरिष़ ने बयान किया कि) हम नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आप (ﷺ) के यहाँ ठहरे रहे आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (बेहतर है) तुम अपने घरों को वापस जाओ, देखो! ये नमाज़ फलाँ वक़्त और ये नमाज़ फलाँ वक़्त पर पढ़ना। जब नमाज़ का वक़्त हो जाए तो एक शख़्स तुम में से अज़ान दे और जो तुम में बड़ा हो वो नमाज़ पढ़ाए। (राजेअ : 628)

((لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)).

[راجع: ٦٢٨]

तश्रीह : मुराद जल्स-ए-इस्तिराहत है जो पहली और तीसरी रकअत के ख़ात्मे पर सज्दा से उठते हुए थोड़ी देर बैठ लेने को कहते हैं। कुछ नुस्ख़ों में ये इबारत **षुम्म सजद षुम्म रफ़अ रासहू हनिया** एक ही बार है चुनाँचे नुस्ख़-ए-क़स्तलानी में भी ये इबारत एक ही बार है और यही सही मा'लूम होता है। अगर दो बार हो फिर भी मतलब यही होगा कि दूसरा सज्दा करके ज़रा बैठ गये, जल्स-ए-इस्तिराहत किया, फिर खड़े हुए। ये जल्स-ए-इस्तिराहत मुस्तहब है और इस हदीष़ से ष़ाबित है कि शारेहीन लिखते हैं कि '**बिज़ालिक अख़जल्इमामुश्शाफ़िइ व ताइफतुम्मिन अहलिल हदीष़ि व ज़हबू इला सुन्नति जल्सतिल्इस्तिराहति**' या'नी इस हदीष़ की बिना पर इमाम शाफ़िई और जमाअते अहले हदीष़ ने जल्स-ए-इस्तिराहत को सुन्नत तस्लीम किया है। कुछ अइम्मा इसके क़ाइल नहीं है। कुछ सहाबा से भी इसका तर्क (छोड़ना) मन्क़ूल है जिसका मतलब ये है कि ये जलसा फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है मगर उसके सुन्नत और मुस्तहब होने से इंकार करना भी सही नहीं है।

(820) हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम स़ाएक़ा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अहमद मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह ज़ुबैरी ने कहा कि हमसे मिस्अर बिन कुदाम ने हकम उतैबा कूफ़ी से उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से उन्होंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) का सज्दा, रुकूअ और दोनों के दरम्यान बैठने की मिक़्दार तक़रीबन बराबर होती थी। (राजेअ : 892)

٨٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

[راجع: ٧٩٢]

तश्रीह : क़स्तलानी ने कहा ये जमाअत की नमाज़ का ज़िक्र है अकेले आदमी को इख़्तियार है कि वो ए'तिदाल और क़ोमा से रुकूअ और सज्दे दो गुना करे हदीष़ की मुताबक़त बाब के तर्जुमा से ज़ाहिर है।

(821) हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन यज़ीद ने ष़ाबित से बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने जिस तरह नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते देखा था बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों को नमाज़ पढ़ाने में किसी क़िस्म की कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ। ष़ाबित ने बयान किया कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) एक ऐसा अमल करते थे जैसे मैं तुम्हें करते नहीं देखता। जब वो रुकूअ से सर उठाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि देखने वाला

٨٢١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بِنَا - قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ - كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ

السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.
[راجع: ٨٠٠]

समझता कि भूल गये हैं और इसी तरह दोनों सज्दों के दरम्यान इतनी देर तक बैठे रहते कि देखने वाला समझता कि भूल गये हैं। (राजेअ : 800)

तश्रीह : हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम फ़र्माते हैं कि हमारे इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने इसी पर अमल किया है और दोनों सज्दों के बीच में बार-बार '**रब्बिग़्फ़िरली**' कहना मुस्तहब जाना है जैसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की हदीष में वारिद है कि हाफ़िज़ (रह.) ने कहा इस हदीष से मा'लूम होता है कि जिन लोगों से षाबित ने ये बातचीत की वो दोनों सज्दों के बीच न बैठते होंगे; लेकिन हदीष पर चलने वाला जब हदीष सही हो जाए तो किसी के विरोध की परवाह नहीं करता। हज़रत अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, '**व क़द तरकन्नासु हाज़िहिस्सुन्नत्तष्षाबितत बिल्अहादीषिस्सहीहति मुहद्दिषुहुम व फ़क़ीहुम व मुज्तहिदुहुम व मुक़ल्लिदुहुम फ़ लैतशिअ़री मल्लज़ी अवौव अ़लैहि ज़ालिक वल्लाहुल्मुस्तआन**' या'नी सद अफ़सोस कि लोगों ने इस सुन्नत को जो अहादीषे सहीहा से षाबित है, छोड़ रखा है यहाँ तक कि उनके मुहद्दिष और फ़क़ीह और मुज्तहिद और मुक़ल्लिद सब ही इस सुन्नत के छोड़ने वाले नज़र आते हैं मुझे नहीं मा'लूम कि इसके लिये उन लोगों ने कौनसा बहाना तलाश किया है और अल्लाह ही मददगार है।

दोनों सज्दों के बीच ये दुआ भी मसनून है, '**अल्लाहुम्मग़्फ़िरली वहम्नी वज्बुर्नी वहदिनी वर्ज़ुक्नी।**

बाब 141 : इस बारे में कि नमाज़ी सज्दे में अपने दोनों बाज़ुओं को (जानवर की तरह) ज़मीन पर न बिछाए और हुमैद ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने सज्दा किया और दोनों हाथ ज़मीन पर रखे बाज़ू नहीं बिछाए, न उनको पहलू से मिलाया

١٤١- بَابُ لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ
وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَضَعَ يَدَيهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضَهُمَا.

٨٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)). [راجع: ٦٤١]

(822) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने क़तादा से सुना, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सज्दे में ए'तिदाल को मल्हूज़ रखे और अपने बाज़ू कुत्तों की तरह न फैलाया करो। (राजेअ : 691)

तश्रीह : क्योंकि इस तरह बाज़ू बिछा देना सुस्ती और काहिली की निशानी है। कुत्ते के साथ तश्बीह (तुलना करना) और भी मुजम्मत की बात है। उसका पूरा लिहाज़ रखना चाहिये। इमाम क़स्तलानी ने कहा कि अगर कोई ऐसा करे तो नमाज़ मकरूहे तंजीही होगी।

बाब 142 : उस शख़्स के बारे में जो शख़्स नमाज़ की ताक़ रकअ़त (पहली और तीसरी) में थोड़ी देर बैठे और उठ जाए

١٤٢- بَابُ مَنِ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

٨٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ

(823) हमसे मुहम्मद बिन सब्बाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हुशैम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा ख़ालिद हज़्ज़ा ने ख़बर दी, अबू क़तादा से, उन्होंने बयान किया कि मुझे मालिक बिन हुवैरिष

लैष़ी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आपने नबी करीम (ﷺ) को नमाज़ पढ़ते देखा, आप (ﷺ) जब ताक़ रकअ़त में होते, उस वक़्त तक न उठते जब तक थोड़ी देर बैठ न लेते।

اللَّيْثِيُّ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا).

ताक़ रकअ़तों के बाद या'नी पहली और तीसरी रकअ़त के दूसरे सज्दे से जब उठे तो थोड़ी देर बैठकर फिर उठना; इसको जल्स-ए-इस्तिराहृत कहते हैं जो सुन्नते सहीहा से षाबित है।

बाब 143 : इस बारे में कि रकअ़त से उठते वक़्त ज़मीन का किस तरह से सहारा लें

١٤٣- بَابُ كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ

(824) हमसे मअ़ली बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उन्होंने अय्यूब सुख़्तियानी से, उन्होंने अबू क़तादा से, उन्होंने बयान किया कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिष़ (रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई। आपने फ़र्माया कि मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी निय्यत किसी फ़र्ज़ की अदायगी नहीं है बल्कि मैं सिर्फ़ तुम को ये दिखाना चाहता हूँ कि नबी करीम (ﷺ) किस तरह नमाज़ पढ़ा करते थे। अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया कि मैंने अबू क़तादा से पूछा कि मालिक (रज़ि) किस तरह नमाज़ पढ़ते थे? तो उन्होंने फ़र्माया कि हमारे शैख़ अ़म्र बिन सलमा की तरह। अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया कि शैख़ तमाम तकबीरात कहते थे और जब दूसरे सज्दे से सर उठाते तो थोड़ी देर बैठते और ज़मीन का सहारा लेकर फिर उठते। (राजेअ़ : 688)

٨٢٤- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيْدُ الصَّلاَةَ، لَكِنْ أُرِيْدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ - قَالَ أَيُّوبُ : وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ. [راجع: ٦٧٧]

तशरीह़ : या'नी जलस-ए-इस्तिराहृत करके फिर दोनों हाथ ज़मीन पर टेककर उठते जैसे बूढ़ा शख़्स दोनों हाथों पर आटा गूंधने में टेका देता है। हन्फ़िया ने जो इसके ख़िलाफ़ तिर्मिज़ी की हृदीष़ से दलील ली कि आँहृज़रत (ﷺ) अपने पांव की उँगलियों पर खड़े होते थे; ये हृदीष़ ज़ईफ़ है। इसके अलावा इससे ये निकलता है कि कभी आप (ﷺ) ने जलस-ए-इस्तिराहृत किया और कभी नहीं किया। अहले हृदीष़ का यही मज़हब है और जलस-ए-इस्तिराहृत को मुस्तहृब कहते हैं। और इसकी कोई दलील नहीं है कि आँहृज़रत (ﷺ) ने कमज़ोरी या बीमारी की वजह से ऐसा किया और ये कहना कि नमाज़ का मौज़ूअ इस्तिराहृत नहीं है क़यास है, बमुक़ाबले दलील और वो फ़ासिद है। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ)

बाब 144 : जब दो रकअ़त पढ़कर उठ तो तकबीर कहे और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) तीसरी रकअ़त के लिये उठते वक़्त तकबीर कहा करते थे

١٤٤- بَابُ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

(825) हमसे यह्या बिन स़ालेह ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने, उन्होंने सईद बिन ह़ारिष़ से, उन्होंने कहा कि हमें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई और जब उन्होंने सज्दे से सर उठाया तो पुकार कर तकबीर कही फिर जब सज्दा किया तो ऐसा ही किया फिर सज्दे से सर उठाया तो भी ऐसा ही किया इसी त़रह जब दो रकअ़त पढ़कर खड़े हुए उस वक़्त भी आपने बुलन्द आवाज़ से तकबीर कही और फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को इसी त़रह करते देखा।

٨٢٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ، فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

(826) हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ग़ीलान बिन जरीर ने बयान किया, उन्होंने मुत़रफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने कहा कि मैंने और इमरान बिन हुस़ैन (रज़ि.) ने अ़ली बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। आपने जब सज्दा किया, सज्दे से सर उठाया दो रकअ़त के बाद खड़े हुए तो हर मर्तबा तकबीर कही। जब आपने सलाम फेर दिया तो इमरान बिन हुस़ैन ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा कि उन्होंने वाक़ई हमें ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) की त़रह नमाज़ पढ़ाई है या ये कहा कि मुझे उन्होंने ह़ज़रत मुहम्मद (ﷺ) की नमाज़ याद दिला दी। (राजेअ़ : 783)

٨٢٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ. فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ- أَوْ قَالَ - لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. [راجع: ٧٨٣]

तशरीह : कुछ अइम्म-ए-बनी उमय्या ने बाआवाज़े बुलन्द इस तरह तक्बीर कहना छोड़ दिया था जो कि उस्व-ए-नबवी (ﷺ) के ख़िलाफ़ था। इस वाक़िआ से ये भी ज़ाहिर हुआ कि दौरे सलफ़ में मुसलमानों को उस्व-ए-रसूल (ﷺ) की इत़ाअ़त का बेह़द इश्तियाक़ (शौक़) रहता था। ख़ास़ त़ौर पर नमाज़ के बारे में उनकी कोशिश होती कि वो ऐन सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुत़ाबिक़ नमाज़ अदा कर सकें। इस दौरे अख़ीर में सिर्फ़ अपने—अपने फ़र्ज़ी इमामों की तक़्लीद का जज़्बा बाक़ी रह गया है। हालाँकि एक मुसलमान का अव्वलीन मक़्सद सुन्नते नबवी की तलाश होना चाहिये। इमाम अबू ह़नीफ़ा ने स़ाफ़ फ़र्मा दिया है कि हर वक़्त स़ह़ीह़ ह़दीष़ की तलाश में रहो। अगर मेरा कोई मसला ह़दीष़ के ख़िलाफ़ नज़र आए तो उसे छोड़ दो और स़ह़ीह़ ह़दीषे नबवी (ﷺ) पर अ़मल करो। ह़ज़रत इमाम की इस पाकीज़ा वसिय्यत पर अ़मल करनेवाले आज कितने है? ये हर समझदार मुसलमान को ग़ौर करने की चीज़ है। यूँ ही लकीर के फ़क़ीर होकर रस्मी नमाज़ें अदा करते रहना सुन्नते नबवी को तलाश न करना किसी बा-बस़ीरत मुसलमान का काम नहीं, **वफ़्फ़क़नल्लाहु लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा।**

बाब 145 : तशह्हुद में बैठने का मसनून तरीक़ा!

١٤٥- بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ

ह़ज़रत उम्मे दर्दा (रज़ि.) फ़क़ीहा थीं और वो नमाज़ में (ववक़्ते

وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا

جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيْهَةً

तशह्हुद) मर्दों की तरह बैठती थीं।

٨٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ : إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ : إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي.

(827) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक (रह.) से, उन्होंने अ़ब्दुर्रह्मान बिन क़ासिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह से उन्होंने ख़बर दी कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को हमेशा देखते कि आप नमाज़ में चार ज़ानू बैठते हैं। मैं अभी नौउ़म्र था, मैंने भी इसी त़रह करना शुरू कर दिया। लेकिन ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने इससे रोका और फ़र्माया कि नमाज़ में सुन्नत ये है कि (तशह्हुद में) दायाँ पाँव खड़ा रखे और बायाँ पाँव फैला दे, मैंने कहा कि आप तो इसी (मेरी) त़रह करते हैं। आप बोले कि (कमज़ोरी की वजह से) मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठा पाते।

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) आख़िर में कमज़ोरी की वजह से तशह्हुद में चार ज़ानू बैठते थे ये सिर्फ़ उ़ज़्र की वजह से था वरना मसनून त़रीक़ा यही है कि दायाँ पांव खड़ा रहे और बाएँ को फैलाकर उस पर बैठा जाए इसे तवर्रुक कहते हैं औ़रतों के लिये भी यही मसनून है। बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है।

٨٢٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ح قَالَ. وَحَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ وَيَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: ((أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى

(828) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने ख़ालिद से बयान किया, उनसे सईद ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़म्र ह़ल्ह़ला ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़त़ा ने बयान किया (दूसरी सनद) और कहा कि मुझ से लैष़ ने बयान किया, और उनसे यज़ीद बिन अबी ह़बीब और यज़ीद बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़म्र बिन ह़ल्ह़ला ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़म्र बिन अ़ता ने बयान किया कि वो नबी करीम (ﷺ) के चन्द स़हाबा (रज़ि.) के साथ बैठे हुए थे कि नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ का ज़िक्र होने लगा तो अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) ने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ तुम सबसे ज़्यादा याद है, मैंने आपको देखा कि जब आप तकबीर कहते तो अपने हाथों को कन्धों तक ले जाते, जब आप रुकूअ़ करते तो घुटनों को अपने हाथों से पूरी त़रह पकड़ लेते और पीठ को झुका देते। फिर जब रुकूअ़ से सर उठाते तो इस त़रह सीधे खड़े हो जाते कि तमाम जोड़ सीधे हो जाते।

يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) وَسَمِعَ اللَّيْثُ يَزِيْدَ بْنَ أَبِي حَبِيْبٍ، وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلْحَلَةَ، وَابْنُ حَلْحَلَةَ مِنْ ابْنِ عَطَاءٍ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: كُلُّ فَقَارٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ حَدَّثَهُ (كُلُّ فَقَارٍ).

जब आप सज्दा करते तो आप अपने हाथों को (ज़मीन पर) इस तरह रखते कि न बिल्कुल फैले हुए होते और न सिमटे हुए; पाँव की अंगुलियों के मुँह क़िब्ला की तरफ़ रखते। जब आप (ﷺ) दो रकअ़त के बाद बैठते तो बाएँ पाँव पर बैठते और दायाँ पाँव खड़ा रखते और जब आख़िरी रकअ़त में बैठते तो बाएँ पाँव को आगे कर लेते और दाएँ को खड़ा कर देते फिर मक़्अद पर बैठते। लैष़ ने यज़ीद बिन हबीब से और यज़ीद बिन मुहम्मद बिन हल्हला से सुना और मुहम्मद बिन हल्हला ने इब्ने अ़ताअ से, और अबू सालेह ने लैष़ से कुल्लू फ़क़ारिन मकानहु नक़ल किया है और इब्ने मुबारक ने यह्या बिन अय्यूब से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझ से यज़ीद बिन अबी हबीब ने बयान किया कि मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हल्हला ने उनसे हदीष़ में कुल्लू फ़क़ारिन बयान किया।

तश्रीह : स़ह़ीह़ इब्ने ख़ुज़ैमा में दस बैठने वाले अस्ह़ाबे किराम (रज़ि.) में सहल बिन सईद और अबू हुमैद साइदी और मुहम्मद बिन मुस्लिमा और अबू हुरैरह और अबू क़तादा (रज़ि.) के नाम बतलाए गए हैं। बाक़ी के नाम मा'लूम नहीं हो सके। ये ह़दीष़ मुख़्तलिफ़ सनदों के साथ कहीं मुज्मल और कहीं मुफ़स्सल मरवी है। इसमें दूसरे क़ायदे में तो इसका ज़िक्र है या'नी सुरीन (कूल्हों) पर बैठना। दाएँ पांव को खड़ा करना और बाएँ को आगे करके तले से दाएँ तरफ़ बाहर निकालना और दोनों सुरीन ज़मीन में मिलाकर बाएँ रान पर बैठना ये तवर्रुक चार रकअ़त वाली नमाज़ में और नमाज़े फ़ज्र की आख़िरी रकअ़त में करना चाहिये। इमाम शाफ़िई, इमाम अह़मद बिन हंबल का यही मसलक है आख़िर ह़दीष़ में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक की जो रिवायत है उसे फ़र्याबी और जौज़नी और इब्राहीम ह़र्बी ने मिलाया है। सुनन नमाज़ के सिलसिले में ये ह़दीष़ एक उसूली तफ़्सीली बयान की हैष़ियत रखती है।

١٤٦ – بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلَ وَاجِبًا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ

बाब 146 : उस शख़्स की दलील जो पहले तशह्हुद को (चार रकअ़त या तीन रकअ़त नमाज़ में) वाजिब नहीं जानता (या'नी फ़र्ज़) क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) दो रकअ़त पढ़कर खड़े हो गये और बैठे नहीं

बावजूद ये है कि लोगों ने सुब्ह़ानल्लाह कहा लेकिन आप न बैठे; अगर तशह्हुदे-अव्वल फ़र्ज़ होता तो ज़रूर बैठ जाते जैसे कोई रुकूअ या सज्दा भूल जाए और याद आए तो उसी वक़्त लौटना ज़रूरी है। इमाम अह़मद बिन हंबल (रह़.) ने कहा कि ये तशह्हुद वाजिब है क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसको हमेशा किया और भूल गए तो सज्द-ए-सह्व से उसका तदारुक किया। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

(829) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि शुऐब ने हमें ख़बर दी, उन्होंने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने बयान किया जो मौला बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (या मौला रबीआ़ बिन हारिष़) थे, कि अ़ब्दुल्लाह बिन बुहैना (रज़ि.) जो सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) और बनू अ़ब्दे मनाफ़ के हलीफ़ क़बीले अज़्दे-शनूआ से ता'ल्लुक़ रखते थे, ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअ़त पर बैठने के बजाय खड़े हो गए, चुनाँचे सारे लोग भी उनके साथ खड़े हो गये। जब नमाज़ ख़त्म होने वाली थी और लोग आपके सलाम फेरने का इन्तिज़ार कर रहे थे तो आप ने अल्लाहु अक्बर कहा और सलाम फेरने से पहले दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा। (दीग़र मक़ामात : 830, 1229, 1225, 1230, 668)

٨٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - وَقَالَ مَرَّةً : مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ! فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[أطرافه في : ٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠].

तश्रीह : अ़ल्लामा शौकानी (रह.) ने इस मसले पर यूँ बाब मुनअ़क़िद फ़र्माया है **बाबुन अल्अम्रू बित्तशह्हुदिल अव्वलि व सुक़ूतुहू बिस्सहवि** या'नी तशह्हुदे अव्वल के लिये हुक्म है और वो भूल से रह जाए तो सज्द-ए-सह्व से साक़ित हो जाता है। हदीष़े इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) में जो लफ़्ज़ **फक़ूला अत्तहिय्यातु** वारिद हुए हैं उस पर अ़ल्लामा फ़र्माते हैं कि **फीहि दलीलुन लिमन क़ाल बिवुजूबित्तशह्हुदिल्औसति वहुव अह़मद फिल्मशहूदि अय्यनहू वल्लैषु व इस्हाक़ व हुव क़ौलुश्शाफिइ व इलैहि ज़हब दाउद अबू षौर व रहावुन्नववी अन जुम्हूरिल्मुहद्दिषीन** या'नी उसमें उन हज़रात की दलील है जो दरम्यानी तशह्हुद को वाजिब कहते हैं इमाम अह़मद से भी यही मन्क़ूल है और दीगर अइम्म-ए-मज़्कूरीन से भी बल्कि इमाम नववी (रह.) ने उसे जुम्हूरे मुहद्दिषीने किराम (रह.) से नक़ल किया है।

हदीष़े मज़्कूर से इमाम बुख़ारी (रह.) ने यही ष़ाबित फ़र्माया है कि तशह्हुदे अव्वल अगर फ़र्ज़ होता तो आप उसे ज़रूर लौटाते मगर ये ऐसा ही कि अगर रह जाए तो सज्द-ए-सह्व से उसकी तलाफ़ी (भरपाई) हो जाती है। रिवायत में अ़ब्दुल्लाह बिन बुहैना के हलीफ़ होने का ज़िक्र है **जाहिलियत के ज़माने में जब कोई शख़्स या क़बीला किसी दूसरे से ये अ़हद कर लेता कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन तो उसे उस क़ौम का हलीफ़ कहा जाता था सहाबी मज़्कूर बनी अ़ब्दे मुनाफ़ के हलीफ़ थे।**

बाब 147 : पहले क़अ़दे में तशह्हुद पढ़ना

١٤٧- بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الأُوْلَى

(830) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे बकर बिन मुज़िर ने जा'फ़र बिन रबीआ़ से बयान किया, उन्होंने अअ़रज़ से बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) ने, कहा कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े-ज़ुहर

٨٣٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: (صَلَّى

بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ). [راجع: ٨٢٩]

पढ़ाई। आपको चाहिये था बैठना लेकिन आप (भूल कर) खड़े हो गये फिर नमाज़ के आख़िर में बैठे ही बैठे दो सज्दे किये।

(राजेअ : 829)

और तशह्हुद नहीं पढ़ा। ह़दीष़ में **अलैहिल जुलूस** के अल्फ़ाज़ बतलाते हैं कि आपको बैठना चाहिये था मगर आप भूल गए जुलूस से तशह्हुद मुराद है। बाब के तर्जुमे की मुताबक़त ज़ाहिर है।

١٤٨ - بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الآخِرَةِ

बाब 148 : आख़िरी क़अदे में तशह्हुद पढ़ना

٨٣١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ. فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ - فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)).

[أطرافه في : ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠، ٦٢٦٥، ٦٣٢٨، ٧٣٨١].

(831) हमसे अबू नुऐम फ़ुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने शक़ीक़ बिन सलमा से बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब हम नबी करीम (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते तो कहते (तर्जुमा) सलाम हो जिब्रईल और मीकाईल पर और फलाँ पर (अल्लाह पर सलाम) नबी करीम (ﷺ) एक रोज़ हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया, अल्लाह तो खुद सलाम है (तुम क्या अल्लाह को सलाम करते हो) इसलिये जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो ये कहे (तर्जुमा) तमाम आदाबे-बन्दगी, तमाम इबादात और तमाम बेहतरीन ता'रीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, आप (ﷺ) पर सलाम और अल्लाह के तमाम स़ालेहीन बन्दों पर सलाम। जब तुम ये कहोगे तो तुम्हारा सलाम आसमान व ज़मीन में जहाँ कोई अल्लाह का नेक बन्दा है, उसको पहुँच जाएगा। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और गवाही देता हूं कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं।

(दीग़र मक़ामात : 830, 1202, 623, 6250, 6328, 7381)

तश्रीह : ये क़ायदे की दुआ़ है जिसे तशह्हुद कहते हैं। बन्दा पहले कहता है कि **'तह़िय्यात स़लावात और तय्यिबात'** अल्लाह तआ़ला के लिये हैं। ये तीन अल्फ़ाज़ क़ौलो– फ़ेअ़ल की तमाम मह़ासिन को शामिल है या'नी तमाम ख़ैर और भलाई अल्लाह तआ़ला के लिये ष़ाबित है और उसी की त़रफ़ से है। फिर नबी करीम (ﷺ) पर दरूद भेजा गया और उसमें ख़ित़ाब की ज़मीर इख़्तियार की गई क्योंकि स़ह़ाबा को ये दुआ़ सिखाई गई थी और आप (ﷺ) उस वक़्त मौजूद थे। अब जिन अल्फ़ाज़ के साथ हमें ये दुआ़ पहुँची है उसी त़रह़ पढ़नी चाहिये (तफ़्हीमुल बुख़ारी) सलाम दरह़क़ीक़त दुआ़ है। या'नी तुम सलामत रहो अल्लाह को ऐसी दुआ़ देने की ह़ाजत नहीं क्योंकि वो हर एक आफ़त और तग़य्युर (बदलाव) से पाक है। वो अज़ली अबदी है उसमें कोई ऐ़ब और नुक़्स नहीं। वो सारी कायनात को ख़ुद सलामती बख़्शने वाला और सबकी परवरिश करने वाला है। इसीलिये उसका नाम सलाम हुआ। इसी दुआ़ में लफ़्ज़े अत्तह़िय्यात और स़लावात और त़य्यिबात वारिद होते हैं। तह़िय्यात के मा'नी सलामती, बक़ा, अ़ज़मत हर नुक़्स से पाकी हर क़िस्म की ता'ज़ीम मुराद है। ये इबादाते क़ौली पर

सलावात इबादाते फ़ेअली पर और तय्यिबात इबादाते माली पर भी बोला गया है। (फ़त्हुल बारी)

पस ये तीनों क़िस्म की इबादतें एक अल्लाह के लिये मख़्सूस हैं जो लोग इन इबादात में किसी ग़ैरूल्लाह को शरीक करते हैं चाहे वो फरिश्ते हों या इंसान या और कुछ; **जो ख़ालिक़ का हक़ छीनकर मख़्लूक़ को देते हैं; यही वो ज़ुल्मे अ़ज़ीम है जिसे क़ुर्आन मजीद में शिर्क कहा गया है** जिसके बारे में अल्लाह का इर्शाद है, '**व मय्युंश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अ़लैहिल्जन्नत व मावाहुन्नार**' या'नी शिर्क करनेवालों पर जन्नत हराम है और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। इबादाते क़ौली में ज़ुबान से उठते–बैठते, चलते–फिरते उसका नाम लेना, इबादाते फेअली में रुकूअ़, सज्दा, क़याम, इबादाते माली में हर क़िस्म का सदक़ा, ख़ैरात और न्याज़ो–नज़्र वग़ैरह वग़ैरह मुराद है।

बाब 149 : (तशह्हुद के बाद) सलाम फेरने से पहले की दुआ

١٤٩– بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلاَمِ

(833) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें अम्र बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, उन्हें नबी करीम (ﷺ) की जोज़ः मुतह्हरा हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में ये दुआ पढ़ते थे (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! क़ब्र के अ़ज़ाब से मैं तेरी पनाह माँगता हूँ, ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्नों से तेरी पनाह माँगता हूँ। दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ और ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ गुनाहों से और क़र्ज़ से। किसी (या'नी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि आप (ﷺ) तो क़र्ज़ से बहुत ही ज़्यादा पनाह माँगते हैं! इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई मक़रूज़ हो जाए तो वो झूठ बोलता है और वा'दाख़िलाफ़ी करता है।

(दीगर मक़ामात : 833, 2397, 6368, 6280, 6386, 6388, 8129)

٨٣٢– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ)). فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ)).

[أطرافه في : ٨٣٣، ٢٣٩٧، ٦٣٦٨، ٦٢٧٥، ٦٣٧٦، ٦٣٧٧، ٧١٢٩].

(833) और इसी सनद के साथ ज़ुहरी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ में दज्जाल के फ़ित्ने से पनाह माँगते सुना। (राजेअ़ : 832)

٨٣٢– وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ)). [راجع: ٨٣٢]

वइज़ा वअ़द अख़्लफ़ के बाद कुछ नुस्ख़ों में ये इबारत ज़ाइद है, व क़ाल मुहम्मदुब्नु यूसुफ़ समिअ़तु ख़लफब्नि आमिरिन यक़ूलु फिल्मसीहि लैस बैनहुमा फ़र्क़ुन व हुमा वाहिदुन अहदुहुमा ईसा अ़लैहिस्सलाम वल्आख़रू अद्दज्जाल या'नी मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने कहा इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा मैंने ख़ल्फ़ बिन आमिर से सुना 'मसीह़' और मसीह' में कुछ फ़र्क़ नहीं दोनों एक हैं हज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) को मसीह़ कहते हैं और दज्जाल को भी मसीह़ कहते हैं।

(834) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने यज़ीद बिन अबी हबीब से बयान किया, उनसे अबुल ख़ैर मुर्शिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने, उनसे अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) ने कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि आप मुझे ऐसी दुआ सिखा दीजिए जिसे मैं नमाज़ में पढ़ा करूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये दुआ पढ़ा करो (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! मैं अपनी जान पर (गुनाह करके) बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया, पस गुनाहों को तेरे सिवा कोई दूसरा मुआफ़ करने वाला नहीं, मुझे अपने पास से भरपूर अता फ़र्मा और मुझ पर रहम कर कि मग़्फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला बेशक व शुब्हा तू ही है।

(दीगर मक़ामात : 6326, 7388)

٨٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي. قَالَ: ((قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ)).

[طرفاه في : ٦٣٢٦، ٧٣٨٨].

बाब 150 : बाब तशह्हुद के बाद जो दुआ इख़्तियार की जाती है उसका बयान और ये बयान कि इस दुआ का पढ़ना कुछ वाजिब नहीं है

١٥٠- بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

(835) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हम से यह्या बिन सईद क़त्तान ने आ'मश से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे शक़ीक़ ने अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया कि (पहले) जब हम नबी करीम (ﷺ) के साथ पढ़ते तो हम (क़अ़दे में) ये कहा करते थे कि उसके बन्दों की तरफ़ से अल्लाह पर सलाम हो और फ़लाँ पर और फ़लाँ पर सलाम हो। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये न कहो कि अल्लाह पर सलाम हो, क्योंकि अल्लाह तो ख़ुद सलाम है, बल्कि ये कहो (तर्जुमा) आदाबे-बन्दगी और तमाम इबादत और तमाम पाकीज़ा ख़ैरातें अल्लाह ही के लिये हैं आप पर ऐ नबी सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो हम पर और अल्लाह के स़ालेह बन्दों पर सलाम हो और जब तुम ये कहोगे तो आसमान पर अल्लाह के तमाम बन्दों पर पहुँचेगा। आप (ﷺ) ने ये फ़र्माया कि आसमान और ज़मीन के दरम्यान तमाम बन्दों को पहुँचेगा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और

٨٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيْقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ! فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ثُمَّ

يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو))

[راجع: ٨٣١]

रसूल हैं। इसके बाद दुआ का इख़्तियार है जो उसे पसन्द हो करे।
(राजेअ : 831)

तश्रीह : ये लफ़्ज़ आम है दीन और दुनिया के बारे में हर एक किस्म की दुआ मांग सकता है और मुझको हैरत है कि हन्फ़िया ने कैसे कहा है कि फ़लाँ क़िस्म की दुआ नमाज़ में मांग सकता है फ़लाँ क़िस्म की नहीं मांग सकता। नमाज़ में अपने बन्दे को मालिक की बारगाह में बारयाबी का शर्फ़ हासिल होता है फिर अपनी अपनी लियाक़त और हौसले के मुवाफ़िक़ हर बन्दा अपने मालिक से मअ़रूज़ा (गुज़ारिश, अनुरोध) करता है और मालिक अपने करम और रहम से इनायत फ़र्माता है। अगर सिर्फ़ दीन के बारे में ही दुआ मांगना नमाज़ में जाइज़ हों और दुआएँ जाइज़ न हो तो दूसरे मतलब किस से मांगे किसी सहीह हदीष़ में है कि अल्लाह से अपनी सब हाजते मांगो यहाँ तक कि जूती का तस्मा भी टूट जाए या हाण्डी में नमक न हो तो भी अल्लाह से कहो। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम) मुतर्जिम का कहना है कि दुआए माषूरा हमारे बेशतर मक़ासिद व मतालिब पर आधारित मौजूद हैं इनका पढ़ना बरकत का कारण होगा। हदीष़ नम्बर 832,833,834 में जामेअ़ दुआएँ और आख़िर में सब मक़ासिद पर मुश्तमिल पाकीज़ा दुआ ये काफ़ी है, **रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतव्वं फ़िल्आख़िरति हसनतव्वं वक़िना अ़ज़ाबन्नार।**

١٥١- بَابُ مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْ لاَ يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلاَةِ.

बाब 151 : अगर नमाज़ में पेशानी या नाक से मिट्टी लग जाए तो न पोंछें जब तक नमाज़ से फ़ारिग़ न हो। इमाम बुख़ारी ने कहा मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हुमैदी को देखा कि वो इसी हदीष़ से ये दलील लेते थे कि नमाज़ में अपनी पेशानी न पोंछे

٨٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ فِي جَبْهَتِهِ.

[راجع: ٦٦٩]

(836) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, तो आपने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कीचड़ में सज्दा करते हुए देखा। मिट्टी का अष़र आप (ﷺ) की पेशानी पर साफ़ ज़ाहिर था।
(राजेअ : 669)

मा'लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी पेशानी मुबारक से पानी और कीचड़ के निशानात को साफ़ नहीं फ़र्माया था। इमाम हुमैदी के इस्तिदलाल की बुनियाद यही है।

١٥٢- بَابُ التَّسْلِيْمِ

बाब 152 : सलाम फेरने का बयान

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ

(837) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने हिन्द बिन्त हारिष़ से हदीष़ बयान की

سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ مُكْثَهُ لِكَيْ تَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ.

[طرفاه في : ٨٤٩، ٨٥٠].

कि (उम्मुल मोमिनीन हज़रत) उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (नमाज़ से) सलाम फेरते तो सलाम के ख़त्म होते ही औरतें खड़ी हो जाती (बाहर आने के लिये) और आप (ﷺ) खड़े होने से पहले थोड़ी देर ठहरे रहते थे। इब्ने शिहाब (रह.) ने कहा मैं समझता हूँ और पूरा इल्म तो अल्लाह ही को है, आप इसलिये ठहर जाते थे कि औरतें जल्दी चली जाएँ और मर्द नमाज़ से फ़ारिग़ होकर उनको न पाएँ।

(दीगर मक़ामात : 839, 850)

तश्रीह : सलाम फेरना इमाम अहमद और इमाम शाफिई और इमाम मालिक और जुम्हूर उलमा और अहले हदीष़ के नज़दीक फ़र्ज़ और नमाज़ का एक रुक्न है लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) लफ़्ज़ सलाम को फ़र्ज़ नहीं जानते बल्कि नमाज़ के ख़िलाफ़ कोई काम करके नमाज़ से निकलना फ़र्ज़ जानते हैं और हमारी दलील ये है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हमेशा सलाम फेरा और फ़र्माया कि नमाज़ से निकलना सलाम फेरना है। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

١٥٣- بَابُ يُسَلِّمُ حِيْنَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

बाब 153 : इस बारे में कि इमाम के सलाम फेरते ही मुक़्तदी को भी सलाम फेरना चाहिये और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) इस बात को मुस्तहब जानते थे कि मुक़्तदी भी उसी वक़्त सलाम फेरे जब इमाम सलाम फेरे

٨٣٨- حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ). [راجع: ٤٢٤]

(836) हमसे हिब्बान बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें मअमर बिन राशिद ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्हें महमूद बिन रबीअ अन्सारी ने, उन्हें इत्बान बिन मालिक (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी, फिर जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। (राजेअ : 424)

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब ये है कि मुक़्तदियों को सलाम फेरने में देर न करनी चाहिये बल्कि इमाम के साथ ही साथ वो भी सलाम फेर दें।

١٥٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلاَمِ عَلَى الإِمَامِ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيْمِ الصَّلاَةِ

बाब 154 : इस बारे में कि इमाम को सलाम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ नमाज़ के दो सलाम काफ़ी है

ये बात लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने मालिकिया का रद्द किया है जो कहते हैं कि मुक़्तदी इमाम को भी सलाम करे।

٨٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ

(839) हमसे अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमें

अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहाकि हमें मअ़मर ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे महमूद बिन रबीअ़ ने ख़बर दी, वो कहते थे कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) पूरी तरह याद हैं और आप का मेरे घर के डोल से कुल्ली करना भी याद है (जो आपने मेरे मुँह पर डाली थी) (राजेअ़ : 88)

اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ. [راجع: ٧٧]

(840) उन्होंने बयान किया कि मैंने इत्बान बिन मालिक अन्सारी से सुना, फिर बनू सालिम के एक शख़्स से इसकी मज़ीद तस्दीक़ हुई। इत्बान (रज़ि.) ने कहा कि मैं अपनी क़ौम बनू सालिम की इमामत किया करता था। मैंने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया कि हुज़ूर मेरी आँख ख़राब हो गई है और (बरसात में) पानी से भरे हुए नाले मेरे और मेरी क़ौम की मस्जिद के बीच रुकावट बन जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ लाकर किसी एक जगह नमाज़ अदा फ़र्माएँ ताकि मैं उसे अपनी नमाज़ के लिये मुक़र्रर कर लूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ख़्वाहिश पूरी करूँगा। सुबह को जब दिन चढ़ गया तो नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए। अबूबक्र (रज़ि.) आपके साथ थे। आपने (अन्दर आने की) इजाज़त चाही और मैंने दे दी। आप बैठे नहीं बल्कि पूछा कि घर के किस हिस्से में नमाज़ पढ़ना चाहते हो। एक जगह की तरफ़ जिसे मैंने नमाज़ पढ़ने के लिये पसन्द किया था, इशारा किया। आप (नमाज़ के लिये) खड़े हुए और हमने आपके पीछे सफ़ बनाई। फिर आपने सलाम फेरा और जब आपने सलाम फेरा तो हमने भी फेरा। (राजेअ़ : 424)

٨٤٠- قَالَ : سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ - قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِيْ بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي، فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ: ((أَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ)). فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ : ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحَبَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْهِ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ. [راجع: ٤٢٤]

तश्रीह : जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक नमाज़ में दो सलाम हैं। लेकिन इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक अकेले नमाज़ पढ़नेवाले के लिये सिर्फ़ एक सलाम काफ़ी है और नमाज़ बाजमाअ़त हो रही हो तो दो सलाम होने चाहिये। इमाम के लिये भी और मुक़्तदी के लिये भी लेकिन अगर मुक़्तदी इमाम के बिलकुल पीछे है या'नी न दाएँ तरफ़ न बाएँ तरफ़ तो उसे तीन सलाम फेरने पड़ेंगे। एक दाएँ तरफ़ के नमाज़ियों के लिये दूसरा बाएँ तरफ़ के नमाज़ियों के लिये और तीसरा इमाम के लिये। गोया इस सलाम में भी उन्होंने मुलाक़ात के सलाम के आदाब का लिहाज़ रखा है। इमाम बुख़ारी (रह.) जुम्हूर के मसलक की तर्जुमानी कर रहे हैं (तफ़्हीमुल बुख़ारी)। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इस हदीष़ को कई जगह लाएँ हैं और इससे अनेक मसाइल का इस्तिंबात फ़र्माया है यहाँ इस हदीष़ से बाब का मतलब यूँ निकाला कि ज़ाहिर ये है कि मुक़्तदियों का सलाम भी आँहज़रत (ﷺ) के सलाम की तरह था और अगर मुक़्तदियों ने कोई तीसरा सलाम कहा होता तो उसको ज़रूर बयान करते। ये भी हदीष़ से निकला कि मा'ज़ूरीन (असमर्थों) के लिये और नवाफ़िल के लिये घर के किसी हिस्से में नमाज़ की जगह तय कर दी जाए तो इसकी इजाज़त है। ये भी ष़ाबित है कि किसी वाक़ई अहलुल्लाह बुज़ुर्ग से इस क़िस्म की दरख़्वास्त जाइज़ है।

बाब 155 : नमाज़ के बाद ज़िक्रे इलाही करना

١٥٥- بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

(841) हमसे इस्हाक़ बिन नस्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हमाम ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल मलिक बिन जुरैज ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझको अम्र बिन दीनार ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के गुलाम अबू मअबद ने उन्हें ख़बर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी कि बुलन्द आवाज़ से ज़िक्र, फ़र्ज़ नमाज़ से फ़ारिग़ होने पर नबी करीम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में जारी था।

इब्ने अब्बास ने फ़र्माया कि मैं ज़िक्र सुनकर लोगों की नमाज़ से फ़राग़त को समझ जाता था।

٨٤١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: (أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ - حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ - كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ)).
[طرفه في : ٨٤٢].

(842) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़्यान बिन उयैना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मुझे अबू मअबद ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ख़बर दी कि आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) की नमाज़ ख़त्म होने को तकबीर की वजह से समझ जाता था। अली बिन मदीनी ने कहा कि हमसे सुफ़्यान ने अम्र के हवाले से बयान किया कि अबू मअबद इब्ने अब्बास के गुलामों में सबसे ज़्यादा क़ाबिले ए'तिमाद थे। अली बिन मदीनी ने बतया कि उनका नाम नाफ़िज़ था। (राजेअ 841)

٨٤٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ)). قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ أَبُو مَعْبَدٍ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ عَلِيٌّ وَاسْمُهُ نَافِذٌ. [راجع: ٨٤١]

(843) हमसे मुहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे सुमय ने बयान किया, उनसे अबू सालेह ज़क्वान ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नादार लोग नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अमीर व रईस लोग बुलन्द दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके, हालाँकि जिस तरह हम नमाज़ें पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी

٨٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ

रखते हैं, लेकिन माल व दौलत की वजह से उन्हें हम पर फ़ौक़ियत (श्रेष्ठता) हासिल है कि उसकी वजह से वो हज्ज करते हैं, उम्रह करते हैं, जिहाद करते हैं और सदक़े देते हैं (और हम मुहताजी की वजह से इन कामों को नहीं कर पाते) इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम उसकी पाबन्दी करोगे तो जो लोग तुम से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें तुम पा लोगे और तुम्हारे मर्तबे तक फिर कोई नहीं पहुँच सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे, सिवा उनके जो यही अमल शुरू कर दे, हर नमाज़ के बाद तैंतीस-तैंतीस मर्तबा तस्बीह (सुब्हानल्लाह) तह्मीद (अल्हम्दुलिल्लाह) तकबीर (अल्लाहु अक्बर) कहा करो। फिर हममें इख़्तिलाफ़ हो गया, किसी ने कहा कि हम तस्बीह तैंतीस मर्तबा, तह्मीद तैंतीस मर्तबा और तक्बीर चौंतीस मर्तबा कहेंगे। मैंने इस पर आप (ﷺ) से दोबारा मा'लूम किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अक्बर कहो, ताकि हर एक इनमें से तैंतीस मर्तबा हो जाए।

(दीगर मक़ामात : 6329)

فَضْلُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. فَقَالَ: ((أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِمَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ: تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ)). فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا: فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ((تَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ)).

[طرفه في : ٦٣٢٩].

(844) हमसे मुहम्मद बिन यसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़्यान ष़ौरी ने अ़ब्दुल मलिक बिन उमैर से बयान किया, उनसे मुग़ीरा बिन शुअ़बा के कातिब वर्राद ने, उन्होंने बयान किया कि मुझसे मुग़ीरा बिन शअ़बा (रज़ि.) ने मुआविया (रज़ि.) को एक ख़त में लिखवाया कि नबी करीम (ﷺ) हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ते थे (तर्जुमा) अल्लाह के सिवा कोई लायक़े-इबादत नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है और तमाम ता'रीफ़ उसी के लिये है। वो हर चीज़ पर क़ादिर है। ऐ अल्लाह! जिसे तू दे उससे रोकने वाला कोई नहीं और किसी मालदार को उसकी दौलत व माल तेरी बारगाह में कोई नफ़ा न पहुँचा सकेगी। शुअ़बा ने भी अ़ब्दुल मलिक से इसी तरह रिवायत की है। हसन ने फ़र्माया कि (हदीष़ में लफ़्ज़) जद के मा'नी मालदारी है और हकीम, क़ासिम बिन मुख़ैमरह से वो वर्राद के वास्ते से इसी तरह रिवायत करते हैं।

٨٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ: ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ: جَدٌّ غِنًى وَعَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ بِهَذَا.

(दीगर मक़ामात : 1488, 2408, 5980, 6330, 6473, 6610, 7262)

[أطرافه في : ١٤٧٧، ٢٤٠٨، ٥٩٧٥، ٦٣٣٠، ٦٤٧٣، ٦٦١٠، ٧٢٩٢].

बाब 156 : इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ़ मुँह करे

١٥٦ - بَابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ

(845) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुरैज बिन आ़ज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू रजाअ इमरान बिन तमीम ने समुरह बिन जुन्दब (रज़ि.) से नक़ल किया, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़े (फ़र्ज़) पढ़ा चुकते तो हमारी तरफ़ मुँह करते।

٨٤٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(दीगर मक़ामात : 1143, 1386, 2080, 2791, 3336, 3354, 4673)

[أطرافه في : ١١٤٣، ١٣٨٦، ٢٠٨٥، ٢٧٩١، ٣٣٣٦، ٣٣٥٤، ٤٦٧٤

तश्रीह : इससे साफ़ मा'लूम हुआ कि नमाज़े फ़र्ज़ के बाद सुन्नत तरीक़ा यही है कि सलाम फेरने के बाद इमाम दाएँ या बाएँ मुँह फेरकर मुक़्तदियों की तरफ़ मुँह करके बैठे। मगर सद अफ़सोस कि एक देवबन्दी साहबे मुतर्जिम शारेह बुख़ारी फ़र्माते हैं आजकल दाएँ या बाएँ तरफ़ रुख़ करके बैठने का आ़म रिवाज है इसकी कोई अस़ल नहीं न ये सुन्नत है न मुस्तहब जाइज़ ज़रूर है (तफ़्हीमुल बुख़ारी पारा नं. 4 पेज नं. 22) फिर ह़दीष़े मज़्कूरा मुनाक़िदा बाब का मफ़हूम क्या है? इसका जवाब फ़ाज़िल मौसूफ़ ये देते हैं कि मुसन्निफ़ (रह़.) ये बताना चाहते हैं कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद अगर इमाम अपने घर जाना चाहता है तो घर चला जाए लेकिन अगर मस्जिद में बैठना चाहता है तो सुन्नत ये है कि दूसरे मौजूदा लोगों की तरफ़ रुख करके बैठे (ह़वाला मज़्कूर) नाज़िरीन ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ाज़िल शारेह बुख़ारी के दोनों बयानात में किस क़दर तज़ाद (विरोधाभास) है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) के बाब और ह़दीष़ का मफ़हूम ज़ाहिर है।

(846) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अनबी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने स़ालेह बिन कैसान से बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़तैबा बिन मस्ऊ़द ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी, नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आपने लोगों की तरफ़ मुँह किया और फ़र्माया मा'लूम है तुम्हारे रब ने क्या फ़र्माया है। लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ख़ूब जानते हैं (आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि) तुम्हारे रब का इर्शाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बन्दे मुझ पर ईमान लाए और कुछ मेरे मुन्किर हुए, जिसने कहा कि

٨٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ - عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ

عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)).

[أطرافه في : ١٠٣٨، ٤١٤٧، ٤٥٠٣].

अल्लाह के फ़ज़्ल और उसकी रहमत से तुम्हारे लिये बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है और सितारों का मुन्किर और जिसने कहा कि फलाँ तारे की फलानी जगह पर आने से बारिश हुई तो मेरा मुन्किर है और सितारों का मोमिन।

(दीगर मक़ामात : 1037, 4147, 4503)

कुफ़्र से हक़ीक़ी कुफ़्र मुराद है मा'लूम हुआ कि जो कोई सितारों को मुअष्षिर (प्रभावशाली) जाने वो ह़दीष़ की रू से काफ़िर है। पानी बरसाना अल्लाह का काम है सितारे क्या कर सकते हैं।

٨٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ)).

[راجع: ٥٧٢]

(847) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने यज़ीद बिन हारून से सुना, उन्हें हुमैद ज़ैली ने ख़बर दी और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात (इशा की) नमाज़ में देर फ़र्माई तक़रीबन आधी रात तक। फिर आख़िर हुज्रे से बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज़ के बाद हमारी त़रफ़ मुँह किया और फ़र्माया कि दूसरे लोग नमाज़ पढ़ कर सो चुके, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज़ का इन्तज़ार करते रहे गोया नमाज़ ही में रहे (या'नी तुमको नमाज़ का ष़वाब मिलता रहा)

(राजेअ़ : 572)

इन तमाम रिवायतों से ज़ाहिर हुआ कि सलाम फेरने के बाद इमाम मुक़्तदियों की त़रफ़ मुतवज्जह होकर बैठे, फिर तस्बीह़ तह्लील करे या लोगों को मसले–मसाइल बतलाए या फिर उठकर चला जाए।

١٥٧- بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ السَّلاَمِ

बाब 157 : सलाम के बाद इमाम उसी जगह ठहरकर (नफ़्ल वग़ैरह) पढ़ सकता है

٨٤٨- وَقَالَ لَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ الْفَرِيْضَةَ، وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : لاَ يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ. وَلَمْ يَصِحَّ.

(848) और हमसे आदम बिन अबी अयास ने कहा कि उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने, फ़र्माया कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) (नफ़्ल) उसी जगह पढ़ते थे जिस जगह फ़र्ज़ पढ़ते थे और क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर ने भी इसी त़रह किया है और अबू हुरैरह (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न रिवायत है कि इमाम अपनी (फ़र्ज़ पढ़ने की जगह) पर नफ़्ल न पढ़े और ये स़ह़ीह़ नहीं।

٨٤٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا

(849) हमसे अबुल वलीद हिशाम बिन अ़ब्दुल मलिक ने

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِكَيْ يَنفُذَ مِنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ)). [راجع: ٨٧٣]

बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुहरी ने हिन्द बिन हारिष़ से बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) जब सलाम फेरते तो कुछ देर अपनी जगह बैठे रहते।
(राजेअ़ : 873)

٨٥٠- وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ قَالَ : حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ- وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا - قَالَتْ: (كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ). [راجع: ٨٣٧]

(850) और अबू सईद बिन अबी मरयम ने कहा कि हमें नाफ़ेअ़ बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीअ़ा ने बयान किया कि इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने उन्हें लिख भेजा कि मुझसे हिन्द बिन्त हारिष़ फ़रासिया ने बयान किया और उनसे नबी करीम (ﷺ) की पाक बीवी उम्मे सलमा (रज़ि.) ने (हिन्द उनकी सुह्बत में रहती थीं) उन्होंने फ़र्माया कि जब नबी करीम (ﷺ) सलाम फेरते तो औरतें लौट कर जाने लगतीं और नबी करीम (ﷺ) के उठने से पहले अपने घरों में दाख़िल हो चुकी होतीं।
(राजेअ़ : 838)

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ الْفِرَاسِيَّةُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ - وَكَانَتْ تَحْتَ مَعْبَدِ بْنِ الْمِقْدَادِ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ- وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتْنِي هِنْدُ الْقُرَشِيَّةُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ الْفِرَاسِيَّةِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ حَدَّثَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

और इब्ने वुहैब ने यूनुस के वास्ते से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया और उन्हें हिन्द बिन्त हारिष़ कुरशिया ने ख़बर दी और उ़ष्मान बिन उ़मर ने कहा कि हमें यूनुस ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे हिन्द कुरशिया ने बयान किया, मुहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी ने कहा कि मुझको ज़ुहरी ने ख़बर दी कि हिन्द बिन हारिष़ा कुरशिया ने उन्हें ख़बर दी। और वो बनू ज़हैर के हलीफ़ मअ़बद बिन मिक़्दाद की बीवी थीं और नबी करीम (ﷺ) की अज़वाजे-मुतह्हरात की ख़िदमत में हाज़िर हुआ करती थी और शुऐ़ब ने ज़ुहरी से इस ह़दीष़ को रिवायत किया, उन्होंने कहा, मुझसे हिन्द कुरशिया ने ह़दीष़ बयान की, और इब्ने अबी अ़तीक़ ने ज़ुहरी के वास्ते से बयान किया और उनसे हिन्द फ़रासिया ने बयान किया। लैष़ ने कहा कि मुझसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया और उनसे क़ुरैश की एक औरत ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करके बयान किया।

तश्रीह : इन सनदों के बयान करने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि हिन्द की निस्बत का इख़्तिलाफ़ षाबित करें किसी ने उनको फ़रासिया कहा किसी ने क़ुरशिया और रद्द किया उस शख़्स पर जिसने क़ुरशिया को तस्हीफ़ क़रार दिया क्योंकि लैष की रिवायत में उसके क़ुरशिया होने की तस्रीह है मगर लैष की रिवायत मौसूल नहीं है इसलिये कि हिन्द फ़रासिया या क़ुरशिया ने आँहज़रत से नहीं सुना मक़्सदे बाब व हदीष ज़ाहिर है कि जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी गई हो वहाँ नफ़्ल भी पढ़ी जा सकती है मगर दीगर रिवायात की बिना पर ज़रा जगह बदल ली जाए या कुछ कलाम कर लिया जाए ताकि फ़र्ज़ और नफ़्ल नमाज़ों में इख़्तिलात का वहम न हो सके।

बाब 158 : अगर इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ाकर किसी काम का ख़याल करे और ठहरे नहीं बल्कि लोगों की गर्दनें फाँदता चला जाए तो क्या है

١٥٨- بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

(851) हमसे मुहम्मद बिन उबैद ने बयान किया, कहा कि हमसे ईसा बिन यूनुस ने उमर बिन सईद से ये हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि मुझे इब्ने अबी मुलैका ने ख़बर दी, उनसे उक़्बा बिन हारिष (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने मदीना में नबी करीम (ﷺ) की इक़्तिदा में एक मर्तबा अस्र की नमाज़ पढ़ी। सलाम फेरने के बाद आप (ﷺ) जल्दी से उठ खड़े हुए और सफ़ों को चीरते हुए आप अपनी किसी बीवी के हुज्रे में गये। लोग आप (ﷺ) की तेज़ी की वजह से घबरा गए। फिर जब आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और जल्दी की वजह से लोगों के तअज्जुब को महसूस फ़र्माया तो फ़र्माया कि हमारे पास एक सोने का डला (तक़्सीम करने से) बच गया था मुझे उसमें दिल लगा रहना बुरा मा'लूम हुआ, मैंने उसे बाँट देने का हुक्म दिया।

(दीगर मक़ामात : 1221, 1430, 6270)

٨٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)).

[أطرافه في : ١٢٢١، ١٤٣٠، ٦٢٧٥].

तश्रीह : इस हदीष से मा'लूम हुआ कि फ़र्ज़ के बाद इमाम को अगर कोई फ़ौरी ज़रूरत मा'लूम हो जाए तो वो खड़ा होकर जा सकता है क्योंकि फ़र्ज़ों के सलाम के बाद इमाम को ख़्वाह—मख़्वाह अपनी जगह ठहरे रहना कुछ लाज़िम या वाजिब नहीं है। इस वाक़िओ से ये भी मा'लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) को अपनी पैग़म्बराना ज़िम्मेदारियों का किस शिद्दत से एहसास रहता था कि सोने का एक तौला भी घर में सिर्फ़ बतौरे अमानत ही एक रात के लिये रख लेना नागवार मा'लूम हुआ। फिर उन मुआनिदीन (निन्दा करने वालों) पर फटकार हो जो ऐसे पाक पैग़म्बर फ़िदा अबी व उम्मी की शान में गुस्ताख़ी करते हैं और नऊज़ुबिल्लाह आप (ﷺ) पर दुनियादारी का ग़लत इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। 'हदाहुमुल्लाह'

बाब 159 : नमाज़ पढ़कर दायें या बाएँ दोनों तरफ़ फिर बैठना या पलटना दुरुस्त है

١٥٩- بَابُ الإِنْفِتَالِ وَ الإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشِّمَالِ

और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) दायें और बाएँ दोनों तरफ़

وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ،

وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى - أَوْ مَنْ يَعْمِدُ - الإِنْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.

मुड़ते थे, और अगर कोई दायें तरफ़ ख़्वामख़्वाह क़स्द करके मुड़ता तो इस पर आप ए'तिराज़ करते थे।

٨٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

(852) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने सुलैमान से बयान किया, उनसे अ़म्मार बिन उ़मैर ने, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि कोई शख़्स अपनी नमाज़ में से कुछ भी शैतान का हिस्सा न लगाए, इस त़रह की दाहिनी त़रफ़ ही लौटना अपने लिये ज़रूरी क़रार दे ले। मैंने नबी करीम (ﷺ) को अक्सर बाएँ तरफ़ से लौटते देखा।

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि किसी मुबाह़ या मुस्तहब काम को लाज़िम या वाजिब कर लेना शैतान की अगवाई है। इब्ने मुनीर ने कहा मुस्तह़ब काम को अगर कोई लाज़िम क़रार दे तो वो मकरूह हो जाता है। जब मुबाह़ काम को लाज़िम क़रार देने से शैतान का ह़िस्सा समझा जाए तो जो काम मकरूह या बिदअ़त है उसको कोई लाज़िम क़रार दे ले और उसके न करने पर अल्लाह के बन्दों को सताए या उनका ऐ़ब करे तो उस पर शैतान का क्या तसल्लुत़ (प्रभुत्व, ग़लबा) है समझ लेना चाहिये। हमारे ज़माने में ये बला बहुत फैली हुई है। बेअस़ल कामों को अवाम क्या बल्कि ख़ास़ ने लाज़िम क़रार दे लिया है। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ) तीजा, फ़ातिह़ा, चहल्लुम वग़ैरह सब इसी क़िस्म के काम हैं।

١٦٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّيءِ وَالبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

बाब 160 : लह्सुन, प्याज़ और गंदने के मुता'ल्लिक़ जो रिवायात आई हैं उनका बयान

وَقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)).

और नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि जिस ने लह्सुन या प्याज़ भूख या इसके अलावा किसी वजह से खाई हो वो हमारी मस्जिद के पास न फटके।

٨٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)).

[أطرافه في : ٤٢١٥، ٤٢١٧، ٤٢١٨،

(853) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उ़बैदुल्लाह बुकैरी से बयान किया, कहा कि मुझसे नाफ़ेअ़ ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जंगे-ख़ैबर के मौक़े पर कहा था कि जो शख़्स इस पेड़ या'नी लह्सुन को खाए हुए हो, उसे हमारी मस्जिद में न आना चाहिये (कच्चा लह्सुन या प्याज़ मुराद है कि इससे मुँह में बदबू पैदा हो जाती है)।

(दीगर मक़ामात : 4210, 4217, 4218, 5521, 5522)

٨٥٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ:

(854) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया,

कहा कि हमसे अबू आसिम बिन ज़िहाक बिन मुख़ल्लद ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रिबाह ने ख़बर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स ये पेड़ खाए (आप ﷺ की मुराद लह्सुन थी) तो वो हमारी मस्जिद में न आए। अता ने कहा, मैंने जाबिर से पूछा कि आपकी मुराद इससे क्या थी? उन्होंने जवाब दिया कि आप की मुराद सिर्फ़ कच्चे लह्सुन से थी। मुख़ल्लद बिन यज़ीद ने इब्ने जुरैज के वास्ते से (अलअन्या के बजाय) इल्ला नतनहू नक़ल किया है। (या'नी आपकी मुराद सिर्फ़ लह्सुन की बदबू से थी) (दीगर मक़ामात : 700, 5452, 7359)

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيْدُ الثُّومَ - فَلاَ يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا)). قُلْتُ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَعْنِي إِلاَّ نِيئَهُ. وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: إِلاَّ نَتْنَهُ.
[أطرافه في : ٨٥٥، ٥٤٥٢، ٧٣٥٩].

तश्रीह : किसी भी बदबूदार चीज़ को मस्जिद में ले जाना या उसके खाने के बाद मस्जिद में जाना बुरा है। वजह ज़ाहिर है कि लोग उसकी बदबू की वजह से तकलीफ़ महसूस करेंगे और फिर मस्जिद एक पाक और मुक़द्दस जगह है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है। आजकल बीड़ी, सिगरेट वालों के लिये भी लाज़िम है कि मुँह साफ़ करके बदबू दूर करके मिस्वाक से मुँह को रगड़–रगड़कर मस्जिद में आएँ अगर नमाज़ियों को उनकी बदबू से तकलीफ़ हुई तो ज़ाहिर है कि ये कितना गुनाह होगा। कच्चा लह्सुन, प्याज़ और सिगरेट बीड़ी वग़ैरह बदबूदार चीज़ों का एक ही हुक्म है इतना फ़र्क़ ज़रूर है कि प्याज़, लह्सुन की बू अगर दूर की जा सके तो उनका इस्ते'माल जाइज़ है जैसा कि पकाकर उनकी बू को दफ़ा कर दिया जाता है।

(855) हमसे सईद बिन उफ़ैर ने, कहा कि हमसे इब्ने वुहैब ने यूनुस से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने कि अता जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो लह्सुन या प्याज़ खाए हुए हो तो वो हमसे दूर रहे या (ये कहा कि उसे) हमारी मस्जिद से दूर रहना चाहिये या उसे अपने घर में ही बैठना चाहिये। नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक हाण्डी लाई गई, जिसमें कई क़िस्म की हरी तरकारियाँ थीं। (प्याज़ या गन्दना भी) आप (ﷺ) ने उसमें बू महसूस की और उसके मुता'ल्लिक़ दरयाफ़्त किया। इस सालन में जितनी तरकारियाँ डाली गई थी वो आप को बता दी गई। वहाँ एक सहाबी मौजूद थे आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसकी तरफ़ ये सालन बढ़ा दो। आप (ﷺ) ने उसे खाना पसन्द नहीं फ़र्माया और फ़र्माया कि तुम लोग खालो। मेरी जिनसे सरगोशी रहती है, तुम्हारी नहीं रहती और अहमद बिन सालेह ने इब्ने वुहैब से यूँ नक़ल किया कि थाल आप (ﷺ) की ख़िदमत में लाई गई थी। इब्ने वुहैब ने कहा कि तबक़ जिसमें हरी तरकारियाँ थी और लैष और अबू सफ़वान ने यूनुस से

٨٥٥- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)). وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ: ((قَرِّبُوهَا)) - إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: ((كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي)). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (أُتِيَ بِبَدْرٍ) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : يَعْنِي طَبَقًا فِيْهِ خَضِرَاتٌ. وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ

रिवायत में हाण्डी नहीं बयान किया है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने (या सईद या इब्ने वुहैब ने कहा) मैं नहीं कह सकता कि ये ख़ुद ज़ुहरी का क़ौल है या हदीष़ में दाख़िल है। (राजेअ : 804)

قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيْثِ. [راجع: ٨٠٤]

856. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल वारिष़ बिन सईद ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया कि हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा कि आपने नबी करीम (ﷺ) से लहसुन के बारे में क्या सुना है। उन्होंने बताया कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स इस पेड़ को खाए वो हमारे क़रीब न आए, हमारे साथ नमाज़ न पढ़े। (दीगर मक़ामात : 5451)

٨٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا: مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا)).

[طرفه في : ٥٤٥١].

मक़सद यही है कि इन चीज़ों को कच्चा खाने से मुँह में बदबू हो जाती है वो दूसरे साथियों के लिये तकलीफ़देह है लिहाज़ा इन चीज़ों के खाने वालों को चाहिये कि जिस तौर पर मुम्किन हो उनकी बदबू का इज़ाला (निवारण) करके मस्जिद में आएँ। बीड़ी–सिगरेट के लिये भी यही हुक्म है।

बाब 161 : इस बारे में कि बच्चों के लिये वुज़ू और उन पर गुस्ल और वुज़ू और जमाअ़त, ईदैन, जनाज़ों में उनकी हाज़िरी और उनकी सफ़ों में शिरकत कब ज़रूरी होगी और क्योंकर होगी

١٦١- بَابُ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ؟ وَ حُضُورِهِمُ الْجَمَاعَةَ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْـجَنَائِزَ وَصُفُوفِهِمْ

857. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, उसने शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मुझसे एक ऐसे शख़्स ने ख़बर दी जो (एक मर्तबा) नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अकेली अलग-थलग टूटी हुई क़ब्र पर से गुज़र रहे थे, वहाँ आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई और लोग आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बाँधे हुए थे। सुलैमान ने कहा कि मैंने शुअ़बी से पूछा कि अबू अ़म्र आपसे ये किसने बयान किया तो उन्होंने कहा कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने।

(दीगर मक़ामात : 1247, 1319, 1321, 1322, 1326, 1336, 1340)

٨٥٧- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: (سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوا عَلَيْهِ. فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ).

[أطرافه في : ١٢٤٧، ١٣١٩، ١٣٢١، ١٣٢٢، ١٣٢٦، ١٣٣٦، ١٣٤٠].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ से ये षाबित किया है कि बच्चे अगरचे नाबालिग़ हों मगर 8–10 साल की उम्र में जब वो नमाज़ पढ़ने लगें तो उनको वुज़ू करना होगा और वो जमाअ़त व ईदैन व जनाइज़ में भी शिर्कत कर सकते हैं जैसाकि यहाँ इस रिवायत में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का ज़िक्र है जो अभी नाबालिग़ थे मगर यहाँ उनका सफ़ में शामिल होना षाबित है पस अगरचे बच्चे बालिग़ होने पर ही मुकल्लफ़ होंगे मगर आदत डालने के लिये नाबालिग़ी के

ज़माने ही से उनको इन बातों पर अमल कराना चाहिये हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़माँ साहब मरहूम फ़र्माते हैं कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) ने साफ़ यूँ नहीं कहा कि लड़कों पर वुज़ू वाजिब है या नहीं क्योंकि सूरते षानी में लड़कों की नमाज़ बेवुज़ू दुरुस्त होती और सूरते ऊला में लड़कों को वुज़ू और नमाज़ के छोड़ने पर अज़ाब लाज़िम आता सिर्फ़ इस क़दर बयान कर दिया जितना ह़दीषों से मा'लूम होता है कि लड़के आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में नमाज़ वग़ैरह में शरीक होते और ये उनकी कमाले एह़तियात है। अहले ह़दीष की शान यही होनी चाहिये कि आयते करीमा **ला तुक़द्दिमु बैन यदइल्लाहि व रसूलिही** (अल हुजरात : 1) अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो; के तह़त सिर्फ़ उसी पर इक्तिफ़ा करें जो क़ुर्आन व ह़दीष में वारिद हो आगे बेजा राय, क़यास, तावीले फ़ासिद से काम न लें ख़ुसूसन नस्स के मुक़ाबले पर क़यास करना इबलीस का काम है।

858. हमसे अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़्यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सफ़वान बिन सुलैम ने अ़ताअ से बयान किया, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्आ के दिन हर बालिग़ के लिये ग़ुस्ल ज़रूरी है।

(दीगर मक़ामात : 879, 880, 890, 2665)

٨٥٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((الْغُسْلُ يَومَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

[أطرافه في: ٨٧٩، ٨٨٠، ٨٩٥، ٢٦٦٥].

तशरीह : मा'लूम हुआ कि ग़ुस्ल वाजिब उस वक़्त होता है जबकि बच्चे बालिग़ हो जाएँ वो भी बसूरते एह़तिलाम ग़ुस्ल वाजिब होगा और ग़ुस्ले जुम्आ के बारे में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि लोगों के पास शुरू इस्लाम में कपड़े बहुत कम थे इसलिये काम करने में पसीना से कपड़ों में बदबू पैदा हो जाती थी और इसलिये उस वक़्त जुम्आ के दिन ग़ुस्ल करना वाजिब था। फिर जब अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को फ़राख़ी दी तो ये वुजूब बाक़ी नहीं रहा। अब भी ऐसे लोगों पर ग़ुस्ल ज़रूरी है जिनके पसीने की बदबू से लोग तकलीफ़ महसूस करें। ग़ुस्ल सिर्फ़ बालिग़ पर वाजिब होता है उसी को बयान करने के लिये हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) ये ह़दीष यहाँ लाए हैं । इमाम मालिक (रह़.) के नज़दीक जुम्आ का ग़ुस्ल वाजिब है।

859. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़्यान बिन उ़यैना ने अ़म्र बिन दीनार से बयान किया, कहा कि मुझे कुरैब ने ख़बर दी इब्ने अ़ब्बास से, उन्होंने बयान किया कि एक रात मैं अपनी ख़ाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोया था और रसूले-करीम (ﷺ) भी वहाँ सो गये। फिर रात का एक हिस्सा जब गुज़र गया, आप खड़े हुए और लटकी हुई मश्क से हल्का सा वुज़ू किया। अ़म्र (ह़दीष के रावी ने) इस वुज़ू को बहुत ही हल्का बतलाया। (या'नी इसमें आप ﷺ ने बहुत कम पानी इस्ते'माल फ़र्माया) फिर आप (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े हुए, उसके बाद मैंने भी उठकर उसी तरह वुज़ू किया जैसे आप (ﷺ)

٨٥٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيْفًا- يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا

مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ. فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يَأْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). قُلْنَا لِعَمْرٍو: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: (إِنَّ رُؤْيَا الأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾. [راجع: ١١٧]

ने किया था, फिर मैं आप (ﷺ) के बाएँ तरफ़ खड़ा हो गया। लेकिन आप (ﷺ) ने मुझे दाहिनी तरफ़ फेर दिया। फिर अल्लाह तआला ने जितना चाहा आपने नमाज़ पढ़ी फिर आप लेट गये फिर सो गये। यहाँ तक कि आप ख़र्राटे लेने लगे। आख़िर मोअज़्ज़िन ने आकर आपको नमाज़ की ख़बर दी और आप उसके साथ नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गए और नमाज़ पढ़ाई मगर (नया) वुज़ू नहीं किया। सुफ़्यान ने कहा, हमने अ़म्र बिन दीनार से कहा कि लोग कहते हैं कि (सोते वक़्त) आप (ﷺ) की (सिर्फ़) आँखें सोती थीं लेकिन दिल नहीं सोता था। अ़म्र बिन दीनार ने जवाब दिया कि मैंने उ़बैद बिन उ़मैर से सुना, वो कहते थे कि अंबिया का ख़्वाब भी वह्य होता है। फिर उ़बैद ने इस आयत की तिलावत की (तर्जुमा) मैंने ख़्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िब्ह कर रहा हूँ। (राजेअ़ : 117)

तश्रीह : बाब का तर्जुमा इससे निकला कि ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने वुज़ू किया और नमाज़ में शरीक हुए हालाँकि उस वक़्त वो नाबालिग़ लड़के थे आयते मज़कूरा सूरह साफ़्फ़ात में है ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपने बेटे ह़ज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम से कहा था कि मैंने ख़्वाब में देखा कि तुझे ज़िबह़ कर रहा हूँ। यहाँ ख़्वाब बमा'नी वह्य है साहिबे ख़ैर जारी लिखते हैं, **वलम्मा कानत वह्यन लम यकुन नौमुहुम नौम ग़फ़्लतिन मुदियतुन इलल्ह़दषि बल नौमु तनब्बुहिन वयत्तकुजिन व इन्तिबाहिन व इन्तिज़ारिन लिल्वह़्यि'** का ख़्वाब भी वह्य है तो उनका सोना न ऐसी ग़फ़लत का सोना जिससे वुज़ू करना फ़र्ज़ लाज़िम आए बल्कि वो सोना मह़ज़ होशियार होना और वह्य का इंतिज़ार करने का सोना है।

٨٦٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ: ((قُومُوا فَلأُصَلِّيَ بِكُمْ)). فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ). [راجع: ٣٨٠]

860. हमसे इस्माईल बिन उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी त़ल्हा से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि (उनकी माँ) इस्हाक़ की दादी मुलैका (रज़ि.) ने रसूल (ﷺ) को खाने पर बुलाया जिसे उन्होंने आप (ﷺ) के लिये बत़ौरे-ज़ियाफ़त तैयार किया था। आप (ﷺ) ने खाना खाया फिर फ़र्माया चलो मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ा दूँ। हमारे यहाँ एक बोरिया था जो पुराना होने की वजह से स्याह (काला) हो गया था। मैंने उसे पानी से साफ़ किया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए और (पीछे) मेरे साथ यतीम लड़का (ज़ुमैरा बिन सअ़द) खड़ा हुआ। मेरी बूढ़ी दादी (मुलैका उम्मे सुलैम) हमारे पीछे खड़ी हुईं। फिर आप (ﷺ) ने हमें दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ़ : 380)

तश्रीह : यहाँ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि यतीम लफ़्ज़ से बचपन समझ में आता है क्योंकि बालिग़ को यतीम नहीं कहते। गोया एक बच्चा जमाअ़त में शरीक हुआ और नबी करीम (ﷺ) ने उस पर नापसंदीदगी का इज़्हार नहीं फ़र्माया। इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि दिन को नफ़्ल नमाज़ ऐसे मौक़ों पर जमाअ़त से भी पढ़ी जा सकती है और

ये भी मा'लूम हुआ कि मकान पर नफ़्ल वग़ैरह नमाज़ों के लिये कोई जगह ख़ास कर लेना भी सही है। सहीह यही है कि हज़रत उम्मे मुलैका इस्हाक़ की दादी हैं, **'जज़म बिही जमाअतुन व सह्हहुन्नववी'** कुछ लोगों ने उन्हें अनस (रज़ि.) की दादी क़रार दिया है, इब्ने हजर का यही क़ौल है।

861. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़तैबा ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि मैं एक गधी पर सवार होकर आया। अभी मैं जवानी के क़रीब था (लेकिन बालिग़ न था) और आँहज़रत (ﷺ) मिना में लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप के सामने दीवार वग़ैरह (आड़) न थी। मैं सफ़ के एक हिस्से के आगे से गुज़र कर उतरा। गधी चरने के लिये छोड़ दी और ख़ुद सफ़ में शामिल हो गया। किसी ने मुझ पर ए'तिराज़ नहीं किया (हालाँकि मैं बालिग़ न था) (राजेअ़ : 76)

٨٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : (أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ). [راجع: ٧٦]

तश्रीह : इस ह़दीष़ से भी इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का मतलब ष़ाबित किया है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) उस वक़्त नाबालिग़ थे, उनका सफ़ में शरीक होना और वुज़ू करना नमाज़ पढ़ना ष़ाबित हुआ। ये भी मा'लूम हुआ कि बुलूग़त (जवान होने) से पहले भी लड़को को ज़रूर, ज़रूर नमाज़ की आदत डलवानी चाहिये। इसीलिये सात साल की उ़म्र से नमाज़ का हुक्म करना ज़रूरी है और दस साल की उ़म्र होने पर उनको धमकाकर भी नमाज़ का आदी बनाना चाहिये।

862. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐ़ब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक रात इशा में देर की और अ़याश ने हमसे अ़ब्दुल अअ़ला से बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मअ़मर ने ज़ुहरी से बयान किया, उनसे उ़र्वा ने, और उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा में एक मर्तबा देर की, यहाँ तक कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने आवाज़ दी कि औरतें और बच्चे सो गये। उन्होंने फ़र्माया कि फिर नबी करीम (ﷺ) बाहर आए और फ़र्माया कि (इस वक़्त) रुए-ज़मीन पर तुम्हारे सिवा और कोई इस नमाज़ को नहीं पढ़ता, उस ज़माने में मदीना वालों के सिवा और कोई नमाज़ नहीं पढ़ता था। (राजेअ़ : 566)

٨٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ. .). قَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : (أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ. وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّي غَيْرَ

أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ)). [راجع: ٥٦٦]

इसलिये कि इस्लाम सिर्फ़ मदीना तक ही महदूद था, ख़ास तौर से बा-जमाअत का सिलसिला मदीना ही में था।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ से बाब का मतलब यूँ निकाला कि उस वक़्त इशा की नमाज़ पढ़ने के लिये बच्चे भी आते रहते होंगे, तभी तो ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि औरतें और बच्चे सो गए। पस जमाअत में औरतों का बच्चों के साथ शरीक होना भी ष़ाबित हुआ, **'वज़्ज़ाहिरू मिन कलामि उमर अन्नहू शाहदन्निसाअल्लाती ह़ज़र्न फिलमस्जिदि क़द निम्न व स़िब्यानुहुन्न मअहुन्न.'** (हाशिया बुख़ारी) या'नी ज़ाहिरे कलामे उमर से यही है कि उन्होंने उन औरतों का मुशाहिदा किया जो मस्जिद में अपने बच्चों समेत नमाज़े इशा के लिये आई थीं और वो सो गईं जबकि उनके बच्चे भी उनके साथ थे।

863. हमसे उमर बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़्यान ष़ौरी ने बयान किया, कहा कि मुझ से अब्दुर्रह़्मान बिन आबिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना और उनसे एक शख़्स ने ये पूछा था कि क्या तुमने (औरतों का) निकलना ईद के दिन आँह़ज़रत (ﷺ) के साथ देखा है? उन्होंने कहा हाँ, देखा है। अगर मैं आप का रिश्तेदार-अज़ीज़ न होता तो कभी न देखता। (या'नी मेरी कमसिनी और क़राबत की वजह से आँह़ज़रत मुझ को अपने साथ रखते थे) कष़ीर बिन स़ल्त के मकान के पास जो निशान हैं, पहले वहाँ आप (ﷺ) तशरीफ़ लाए, वहाँ आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा सुनाया फिर आप औरतों के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें भी वा'ज़ व नस़ीहत की। आप (ﷺ) ने उनसे ख़ैरात करने के लिये कहा। चुनाँचे औरतों ने अपने छल्ले और अंगूठियाँ उतार-उतार कर बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डालनी शुरू कर दी। आख़िर आप (ﷺ) बिलाल (रज़ि.) के साथ घर तशरीफ़ लाए। (राजेअ़ : 98)

٨٦٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - ((الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلاَلٌ الْبَيْتَ)).

[راجع: ٩٨]

तशरीह़ : ह़ज़रत इब्ने अब्बास कमसिन थे, बावजूद उसके ईद में शरीक हुए यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है और उससे औरतों का ईदगाह में जाना भी ष़ाबित हुआ। चुनाँचे अह़नाफ़ के यहाँ ईदगाह में औरतों का जाना जाइज़ नहीं है, इसीलिये एक बुख़ारी शरीफ़ के देवबन्दी नुस्ख़े में तर्जुमा ही बदल दिया गया है। चुनाँचे वो तर्जुमा यूँ करते हैं कि 'उनसे एक शख़्स ने यूँ पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) के साथ आप ईदगाह गए थे। हालाँकि पूछा ये जा रहा था कि क्या तुमने ईद के दिन नबी करीम (ﷺ) के साथ औरतों का निकलना देखा है, उन्होंने कहा कि हाँ ज़रूर देखा है। ये बदला हुआ तर्जुमा देवबन्दी तफ़्हीमुल बुख़ारी पारा नं. 4 पेज नं. 32 पर देखा जा सकता है। ग़ालिबन ऐसे ही ह़ज़रात के लिये कहा गया है कि ख़ुद बदलते नहीं क़ुर्आन को बदल देते हैं। **वफ़्फ़क़नल्लाहु लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा आमीन।**

बाब 162 : औरतों का रात में और (सुबह के वक़्त) अंधेरे में मस्जिद में जाना

١٦٢ - بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ

864. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा बिन यज़ीद ने आइशा (रज़ि.) से बयान किया, आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा इशा की नमाज़ में इतनी देरी की कि उमर (रज़ि.) को कहना पड़ा कि औरतें और बच्चे सो गये। फिर नबी करीम (ﷺ) (हुज्रे से) बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि देखो रूए-ज़मीन पर इस नमाज़ का (इस वक़्त) तुम्हारे सिवा और कोई इन्तिज़ार नहीं कर रहा है। उन दिनों मदीना के सिवा और कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी और लोग इशा की नमाज़ शफ़क़ डूबने के बाद से रात की पहली तिहाई गुज़रने तक पढ़ा करते थे।

(राजेअ : 566)

٨٦٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ)). وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.

[راجع: ٥٦٦]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि औरतें भी नमाज़ के लिये हाज़िर थीं, तभी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये जुम्ला बाआवाज़े बुलन्द फ़र्माया ताकि आप (ﷺ) तशरीफ़ लाएँ और नमाज़ पढ़ाएँ। बाब का तर्जुमा इसी से निकलता है कि औरतें और बच्चे सो गए क्योंकि इससे मा'लूम होता है कि औरतें भी रात को नमाज़े इशा के लिये मस्जिद में आया करती थीं। उसके बाद जो ह़दीष़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने बयान की उससे भी यही निकलता है कि रात को औरत मस्जिद में जा सकती है। दूसरी ह़दीष़ में है कि अल्लाह की बन्दियों को मस्जिद में जाने से न रोको, ये ह़दीषें इसको ख़ास करती हैं या'नी रात को रोकना मना है। अब औरतों का जमाअत में आना मुस्तह़ब है या मुबाह़ इसमें इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने कहा जवान औरत को मुबाह़ है और बूढ़ी को मुस्तह़ब है। ह़दीष़ से ये भी निकला कि औरतें ज़रूरत के लिये बाहर निकल सकती हैं। इमाम अबू ह़नीफ़ा ने कहा कि मैं औरतों का जुम्अे में आना मकरूह जानता हूँ और बुढ़िया इशा और फ़ज्र की जमाअत में आ सकती है और नमाज़ों में न आए और अबू यूसुफ़ ने कहा बुढ़िया हर एक नमाज़ के लिये मस्जिद में आ सकती है और जवान का आना मकरूह है। क़स्तलानी (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम) ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) का क़ौल ख़िलाफ़े ह़दीष़ होने की वजह से हुज्जत नहीं जैसा कि ख़ुद ह़ज़रत इमाम की वसिय्यत है कि मेरा क़ौल ख़िलाफ़े ह़दीष़ हो तो छोड़ दो।

865. हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने हन्ज़ला बिन अबी सुफ़्यान से बयान किया, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने, उनसे उनके बाप इब्ने उमर (रज़ि.) ने, वो नबी करीम (ﷺ) से रिवायत करते थे कि आपने फ़र्माया कि अगर तुम्हारी बीवियाँ तुमसे रात में मस्जिद आने की इजाज़त माँगे तो तुम लोग उन्हें इसकी इजाज़त दे दिया करो।

उबैदुल्लाह के साथ इस ह़दीष़ को शुअ़बा ने भी आ'मश से रिवायत किया, उन्होंने मुजाहिद से, उन्होंने इब्ने उमर (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ामात : 873, 899, 900, 5238)

٨٦٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ)).

تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[أطرافه في : ٨٧٣، ٨٩٩، ٩٠٠،

.[٥٢٣٨

बाब 163 : लोगों का नमाज़ के बाद इमाम के उठने का इन्तिज़ार करना

١٦٣ - بَابُ انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ الْعَالِمِ

866. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उ़ष्मान बिन उ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें यूनुस बिन यज़ीद ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे हिन्द बिन्त हारिष ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजः मुतहहरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में औरतें फ़र्ज़ नमाज़ से सलाम फेरने के फौरन बाद (बाहर आने के लिये) उठ जाती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) और मर्द नमाज़ के बाद अपनी जगह बैठे रहते। जब तक अल्लाह को मन्ज़ूर होता। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उठते तो दूसरे मर्द भी खड़े हो जाते।

٨٦٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا ((أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ)).

इस हदीष़ से भी औरतों का जमाअ़त में शरीक होना ष़ाबित हुआ।

867. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक (रह.) से बयान किया। (दूसरी सनद) और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक (रह.) ने यह्या बिन सईद अन्सारी से ख़बर दी, उन्हें उ़मरा बिन्त अ़ब्दुर्रहमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़ लेते फिर औरतें चादर में लिपट कर (अपने घरों को) वापस हो जाती थी। अंधेरे से उनकी पहचान न हो सकती।

(राजेअ़ : 372)

٨٦٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ)).

[راجع: ٣٧٢]

868. हमसे मुहम्मद बिन मिस्कीन ने बयान किया, कहा कि हमसे बिश्र बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अन्सारी ने, उनसे उनके वालिद अबू क़तादा अन्सारी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ, मेरा इरादा ये होता है कि नमाज़ लम्बी करूँ लेकिन किसी बच्चे के

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ

وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)). [راجع: ٧٠٧]

रोने की आवाज़ सुनकर नमाज़ को मुख़्तसर (छोटी) कर देता हूँ कि मुझे उसकी माँ को तकलीफ़ देना बुरा मा'लूम होता है।
(राजेअ : 707)

फ़तजव्वज़ु अय फ़ख़फ़्फ़ुफ़ क़ाल इब्नु साबित अत्तजव्वुज़ हाहुना युरादु बिही तक्लीलुल क़िराति वद्दलीलु अलैहि मा रवाहु इब्नु अबी शैबत अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) क़रअ फ़िर्रक्अतिल बिसूरतिन नहवसित्तीन आयतन फ़समिअ बुकाअ सबिय्यिन फ़क़रअ फ़िष़्षानिय्यति बिष़लाष़ि आयातिन व मुताबक़तुल हदीष़ि लित्तर्जुमति तुफ़्हमु मिन क़ौलिही कराहियतुन अन अशक़्क़ु अला उम्मतिन लिअन्नहू यदुल्लु अला हुज़ूरिन्निसाइ इलल मसाजिदि मअन्नबिय्यि (ﷺ) व हुव अअम्मु मिन अंय्यकून बिल्लैलि औ बिन्नहारि क़ालहुल ऐनी. (हाशिया बुख़ारी शरीफ़, पेज़ नं. 120) या'नी यहाँ तख़फ़ीफ़ (कमी) करने से क़िरअत में तख़फ़ीफ़ मुराद है जैसा कि इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने पहली रकअत में तक़रीबन साठ आयतें पढ़ीं थी जब किसी बच्चे का रोना मा'लूम हुआ तो दूसरी रकअत में आपने सिर्फ़ तीन आयतों पर इक्तिफ़ा फ़र्माया और बाब व हदीष़ में मुताबक़त इससे ये है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं औरतों की तकलीफ़ को मकरूह जानता हूँ। मा'लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) के साथ औरतें मसाजिद में आया करती थीं। रात हो या दिन ये आम है।

٨٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ)). قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

869. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने यह्या बिन सईद से ख़बर दी, उनसे अ़म्रा बिन्त अ़ब्दुर्रहमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि आज औरतों में जो नई बात पैदा हो गई है, अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें देख लेते तो उनको मस्जिद में आने से रोक देते, जिस तरह बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था। मैंने पूछा क्या बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था? आपने फ़र्माया कि हाँ।

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि इससे ये नहीं निकलता है कि हमारे ज़माने में औरतों का मस्जिद में जाना मना है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने न ये ज़माना पाया न मना किया और शरीअत के अह़काम किसी के क़यास और राय से नहीं बदल सकते। मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम फ़र्माते हैं कि ये उम्मुल मोमिनीन की राय थी कि अगर आँहज़रत (ﷺ) ये ज़माना पाते तो ऐसा करते और शायद उनके नज़दीक औरतों का मस्जिद में जाना मना होगा। इसलिये बेहतर ये है कि फ़साद और फ़ित्ने का ख़्याल रखा जाए और इससे परहेज़ किया जाए क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने भी ख़ुश्बू लगाकर और ज़ीनत करके औरतों को निकलने से मना किया। इसी तरह रात की क़ैद भी लगाई और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने जब ये हदीष़ बयान की कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से न रोको तो उनके बेटे वाक़िद या बिलाल ने कहा कि हम तो रोकेंगे। अ़ब्दुल्लाह ने उनको एक घूंसा लगाया और सख़्त सुस्त कहा और एक रिवायत में यूँ है कि मरने तक बात न की और यही सज़ा है उस नालायक़ की जो आँहज़रत (ﷺ) की हदीष़ सुनकर सर न झुकाए और अदब के साथ तस्लीम न करे। वकीअ ने कहा कि शिआर या'नी कुर्बानी के ऊँट का कोहान चीरकर ख़ून निकाल देना सुन्नत है। एक शख़्स बोला अबू हनीफ़ा तो इसको मुष़ला कहते हैं। वकीअ ने कहा तू इस लायक़ है कि क़ैद रहे जब तक तू तौबा न करे, मैं तो आँहज़रत (ﷺ) की हदीष़ बयान करता हूँ और तू अबू हनीफ़ा का क़ौल लाता है। इस रिवायत से मुक़ल्लिदीने बेइंसाफ़ को सबक़ लेना चाहिये। अगर उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) ज़िन्दा होते और उनके सामने कोई हदीष़ के ख़िलाफ़ किसी मुज्तहिद का क़ौल लाता तो गर्दन मारने का हुक्म देते अरे लोगों! हाय ख़राबी!! ये ईमान है या कुफ़्र कि पैग़म्बर का फ़र्मूदा सुनकर फिर दूसरों की राय और क़यास को उसके ख़िलाफ़

मंज़ूर करते हो तुम जानो अपने पैग़म्बर को जो जवाब क़यामत के दिन देना हो वो दे लेना। **वमा अलैना इल्लल बलाग़** (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ)

बाब 164 : औरतों का मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ना

١٦٤- بَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

870. हमसे यह्या बिन क़ज़ुआ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअद ने बयान किया, उन्होंने ज़ुहरी से बयान किया, उनसे हिन्द बिन्त हारिष़ ने बयान किया, उनसे उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम फेरते तो आपके सलाम फेरते ही औरतें जाने के लिये उठ जाती थीं और आँहज़रत (ﷺ) थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े न होते। ज़ुहरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिये था ताकि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएँ।

٨٧٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ : نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالِ.

871. हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़्यान इब्ने उयैयना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (मेरी माँ) उम्मे सुलैम के घर में नमाज़ पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए और उम्मे सुलैम (रज़ि.) हमारी पीछे थीं। (राजेअ : 380)

٨٧١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ. وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا). [راجع: ٣٨٠]

बाब 165 : सुबह की नमाज़ पढ़कर औरतों का जल्दी से चला जाना और मस्जिद में कम ठहरना

١٦٥- بَابُ سُرْعَةِ انْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ وَقِلَّةِ مُقَامِهِنَّ فِي الْمَسْجِدِ

872. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन मन्सूर ने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैज बिन सुलैमान ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से बयान किया, उनसे उन के बाप (क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बकर) ने उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सुबह की नमाज़ मुँह अंधेरे पढ़ते थे। मुसलमानों की औरतें जब (नमाज़ पढ़कर) वापस होतीं तो अंधेरे की वजह से उनकी पहचान न होती या वो एक दूसरे को न

٨٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ، أَوْ

पहचान सकतीं। (राजेअ : 382)

لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا)). [راجع: ٣٧٢]

तश्रीह : नमाज़ ख़त्म होते ही औरतें वापस हो जाती थीं इसलिये उनकी वापसी के वक़्त भी इतना अँधेरा रहता था कि एक–दूसरी को पहचान नहीं सकती थी। लेकिन मर्द फ़ज्र के बाद आम तौर से नमाज़ के बाद मस्जिद में कुछ देर के लिये ठहरते थे। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) को अल्लाह पाक ने इज्तिहाद का दर्ज-ए-कामिल अ़ता फ़र्माया था। इसी आधार पर आपने अपनी जामिउस्सह़ीह़ में एक–एक ह़दीष़ से बहुत से मसाइल का इस्तिख़राज फ़र्माया है। ह़दीष़े मज़कूर पीछे भी कई बार ज़िक्र हो चुकी है। ह़ज़रत इमाम ने इससे फ़ज्र की नमाज़ अव्वले वक़्त ग़लस (अंधेरे) में पढ़ने का इष़्बात फ़र्माया है और यहाँ औरतों का शरीके जमाअ़त होना और सलाम के बाद उनका फ़ौरन मस्जिद से चले जाना वग़ैरह मसाइल बयान फ़र्माएँ हैं। ता'ज्जुब है उन अ़क़्ल के दुश्मनों पर जो ह़ज़रत इमाम जैसे मुज्तहिदे मुत्लक़ की दिरायत का इंकार करते हैं और आपको सिर्फ़ रिवायात का इमाम तस्लीम करते हैं। हालाँकि रिवायत और दिरायत दोनों में आपकी महारते ताम्मा ष़ाबित है और मज़ीद ख़ूबी ये है कि आपकी दिरायत व तफ़क़्क़ुह की बुनियाद सिर्फ़ क़ुर्आन और ह़दीष़ पर है, राय और क़यास पर नहीं। जैसा कि दूसरे अइम्म-ए-मुज्तहिदीन में से कुछ ह़ज़रात का ह़ाल है जिनके तफ़क़्क़ुह की बुनियाद सिर्फ़ राय और क़यास पर है। ह़ज़रत इमामे बुख़ारी (रह़.) को अल्लाह ने जो मुक़ाम अ़ता फ़र्माया था वो उम्मत में बहुत कम लोगों के ह़िस्से में आया है। अल्लाह ने आपको पैदा ही इसलिये फ़र्माया था कि शरीअ़ते मुह़म्मदिया को क़ुर्आनो–सुन्नत की बुनियाद पर इस दर्जा मुंज़बित फ़र्माएं कि क़यामत के लिये उम्मत इससे बेनियाज़ होकर बेधड़क शरीअ़त पर अ़मल करती रहे। आयते शरीफ़ा, **'व आख़रीन मिन्हुम लम्मा यलह़क़ू बिहिम'** (अल जुम्आ 3) की मिस्दाक़ बेशक व शुब्हा इन्हीं मुह़द्दिष़ीने किराम (रह़.) अज्मईन की जमाअ़त है।

बाब 166 : औरत मस्जिद में जाने के लिये अपने ख़ाविन्द से इजाज़त ले

١٦٦ - بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

873. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, उनसे मअ़मर ने, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने, उनसे उनके बाप ने, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया कि जब तुम में से किसी की बीवी (नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद में आने की) उससे इजाज़त माँगे तो शौहर को चाहिये कि उसको न रोके। (राजेअ : 865)

٨٧٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا)).

[راجع: ٨٦٥]

तश्रीह : इजाज़त दे इसलिये कि बीवी कोई हमारी लौण्डी नहीं है हमारी त़रह वो भी आज़ाद है सिर्फ़ निकाह के मुआहिदे की वजह से वो हमारे मातह़त है। शरीअ़ते मुह़म्मदी में औरत और मर्द के (इन्सानी) ह़ुक़ूक़ बराबर तस्लीम किये गए हैं। अब अगर इस ज़माने के मुसलमान अपनी शरीअ़त के बरख़िलाफ़ औरतों को क़ैदी और लौण्डी बनाकर रखें तो उसका इल्ज़ाम उन पर है न कि शरीअ़ते मुह़म्मदी पर। जिन पादरियों ने शरीअ़ते मुह़म्मदी को बदनाम किया कि इस शरीअ़त में औरतों को मुत्लक आज़ादी नहीं, उनकी नादानी है। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम)

ह़न्फ़िया के यहाँ मसाजिद में नमाज़ के लिये औरतों का आना दुरुस्त नहीं है इस सिलसिले में उनकी बड़ी दलील ह़ज़रते आइशा (रज़ि.) की ह़दीष़ है जिनके अल्फ़ाज़ ये हैं **क़ालत लौ अदरकन्नबिय्यु (ﷺ) मा अह़दष़न्निसाउ लमनअ़हुन्नल्मस्जिद कमा मुनिअ़त निसाउ बनी इस्राईल अख़रजहुश्शैख़ानि** या'नी ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) उन चीज़ों को पा लेते जो आज औरतों ने नई ईजाद कर ली है तो आप उनको मसाजिद आने से मना फ़र्मा देते जैसा कि बनी इस्राईल की औरतों को रोक दिया गया था। इसके जवाब में अल मुह़द्दिषुल कबीर अल्लामा अ़ब्दुर्रह़मान मुबारकपुरी (रह़.) अपनी मशहूर किताब

इब्कारुल मिनन फ़ी तन्क़ीदि आष़ारिस्सुनन पेज नं. 101 पर फ़र्माते हैं, **ला यतरत्तबु अला ज़ालिक तगय्युरिल हुक्मि लिअन्नहा अल क्कतुहू अला शर्ति लम यूजद बिनाअन अला जन्निन जन्नतहू फ़क़ालत लौ राअ लमनअ फ़युक़ालु लम यरा व लम यमनअ़ फ़स्तमर्रलहुक्मु हत्ता अन्न आइशत लम तुसरिंह बिन मनइ व इन कान कलामुहा युश्इरु बिअन्नहा कानत तरा अल्मन्‌अ व अयज़न फ़क़द अलिमुल्लाहु सुब्हानहू मा सयदिष़्न फ़मा औहा इला नबिय्यिही बिमन्इहिन्न व लौ कान मा अहदष़्न यस्तल्ज़िमु मनअहुन्न मिनल मसाजिद लकान मनअहुन्न मिन ग़ैरिहा कल्अस्वाक़ औला व अयज़न फ़ल्अहदाषु इन्नम वक़अ मिन बअ़ज़िन्निसाइ ला मिन जमीइहिन्न फ़इन्न तअ़य्युनल मनइ फ़ल्यकुन लम अहदषतक़ालुहुल हाफ़िज़ फ़ी फ़तहिल्बारी (जिल्द 1 स. 471) व क़ाल फ़ीहि वल्औला अंय्यन्ज़ुर इला मा यख़्शा मिन्हुल फ़साद फ़यज्तनिबु लिइशारति ﷺ इला ज़ालिक बिमनइत्ततयुब्बि वज़्ज़ीनति व कज़ालिकत्तक़ईदि बिल्लैलि इन्तिहा.** इस इबारत का ख़ुलासा ये है कि इस क़ौले आइशा (रज़ि.) के आधार पर मसाजिद में औरतों की हाज़िरी का हुक्म नहीं बदल सकता। इसलिये कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसे जिस शर्त के साथ मुअल्लक़ फ़र्माया वो पाई नहीं गई। उन्होंने ये गुमान किया कि अगर आँहज़रत (ﷺ) देखते तो मना फ़र्मा देते, पस कहा जा सकता है न आपने देखा न मना फ़र्माया। पस हुक्मे नबवी अपनी हालत में ज़ारी रहा। यहाँ तक कि ख़ुद हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी मना की सराहत नहीं फ़र्माई। अगरचे उनके कलाम से मना के लिये इशारा निकलता है और ये भी है कि अल्लाह पाक को ज़रूर मा'लूम था कि आइन्दा औरतों में क्या-क्या नए उमूर पैदा होंगे मगर फिर भी अल्लाह पाक ने अपने रसूले करीम (ﷺ) की तरफ़ औरतों को मसाजिद से रोकने के बारे में वह्य नाज़िल नहीं फ़र्माई। और अगर औरतों की नई—नई बातों की ईजाद पर उनको मसाजिद से रोकना लाज़िम आता तो मसाजिद के अलावा दूसरे मुक़ामात बाज़ार वग़ैरह से भी उनको ज़रूर—ज़रूर मना किया जाता। और ये भी है कि नए नए उमूर का इह्दास कुछ औरतों से वक़ूअ में आया न कि सब औरतों की तरफ़ से। पस अगर मना करना ही मुतअय्यिन होता तो सिर्फ़ उन्हीं औरतों के लिये होना था जो इह्दास की मुर्तकिब होती हों। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह़.) ने फ़त्हुल बारी में ऐसा फ़र्माया है और ये भी कहा है कि बेहतर ये है कि इन उमूर पर ग़ौर किया जाए जिनसे फ़साद का डर हो। पस इनसे परहेज़ किया जाए जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) का इर्शाद है कि औरतों के लिये ख़ुश्बू लगा करके या ज़ेबो—ज़ीनत करके निकलना मना है। इसी तरह रात की भी क़ैद लगाई गई। मक़्सद ये है कि हन्फ़िया का क़ौले आइशा (रज़ि.) के आधार पर औरतों को मसाजिद से रोकना दुरुस्त नहीं है और औरतें शरई क़ायदों के तहत मसाजिद में जाकर नमाज़ बा-जमाअत में शिर्कत कर सकती है। ईदगाह में उनकी हाज़िरी के लिये ख़ुसूसी ताक़ीद की है जैसा कि अपने मुक़ाम पर मुफ़स्सल (विस्तारपूर्वक) बयान किया गया है।

बनी इस्राईल की औरतों की मुख़ालफ़त के बारे में हज़रत मौलाना मरहूम फ़र्माते हैं, **'कुल्तु मुनिअन्निसाउल्मसाजिद कान फ़ी बनी इस्राईल षुम्म अबाहल्लाहु लहुन्नल्ख़ुरूज इलल्मसाजिदि लिउम्मति मुहम्मद (ﷺ) बिबअ़िज़ल्क़ुयूदि कमा क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ)'** (हवाला मज़्कूर) या'नी मैं कहता हूँ कि औरतों को बनी इस्राईल के दौर में मसाजिद से रोक दिया गया था। फिर उम्मते मुहम्मदी (ﷺ) में उसे कुछ पाबन्दियों के साथ मुबाह कर दिया गया जैसा कि फ़र्माने रिसालत है कि रात में जब औरतें तुमसे मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगे तो तुम उनको इजाज़त दे दो। और फ़र्माया कि अल्लाह की मसाजिद से अल्लाह की बन्दियों को मना न करो जैसा कि यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) ने सराहत के साथ बयान किया है।

बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की मरवियात बकष़रत आई है इसलिये मुनासिब होगा कि क़ारेईने किराम को इन बुज़ुर्गों के मुख़्तसर हालाते ज़िंदगी से वाक़िफ़ कर दिया जाए ताकि इन हज़रात की ज़िंदगी हमारे लिये भी मश्अ़ले राह बन सके। यहाँ भी अनेक अहादीष़ इन हज़रात से मरवी हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) :

हुज़ूर नबी-ए-करीम (ﷺ) के चचाज़ाद भाई थे। वालिदा गिरामी का नाम उम्मे फ़ज़्ल लुबाबा और बाप का नाम हज़रत अब्बास था। हिजरत से पहले सिर्फ़ तीन साल पहले उस इहाता में पैदा हुए जहाँ हुज़ूर नबी-ए-करीम अपने तमाम ख़ानदान वालों के साथ क़ैदे मिह्न में महसूर थे। आपकी वालिदा गिरामी बहुत पहले ईमान ला चुकी थीं और गौ आपका इस्लाम लाना फ़त्हे मक्का के बाद का वाक़िआ बताया जाता है। ताहम एक मुस्लिम माँ की आग़ोश में आप इस्लाम से पूरी तरह मानूस (परिचित)

हो चुके थे और पैदा होते ही हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) का लुआबे दहन आपके मुँह में पड़ चुका था। बचपन ही से आपको हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) से इस्तिफ़ाज़ा व सोहबत का मौक़ा मिला और अपनी ख़ाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के यहाँ आते और हुज़ूर (ﷺ) की दुआएँ लेते रहे। उसी उम्र में कई बार हुज़ूर (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ने का भी इत्तिफ़ाक़ हुआ।

अभी तेरह ही साल के थे हुज़ूर (ﷺ) ने रह्लत फ़र्माई। अहदे फ़ारूक़ी में सिन्ने शबाब (जवानी) को पहुँचकर उस दौर की इल्मी सुहबतों में शरीक हुए और अपने जौहरे दिमाग़ का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) करने लगे। हज़रत उमर (रज़ि.) आपको शुयूख़े बद्र के साथ बिठाया करते थे और बराबर हिम्मत अफ़ज़ाई करते। पेचीदा मसाइल हल कराते और ज़िहानत की दाद देते थे। 17 हिज्री में ये आलम हो गया था कि जब मुहिमे मिस्र में शाहे अफ़्रीक़ा जर्जिया से मुक़ालमा (Debate) हुआ तो वो आपकी क़ाबिलियते इल्मी देखकर हैरान रह गया था। 25 हिज्री में आप अमीरुल हज्ज बनाकर मक्का मुअज़्ज़मा भेजे गए और आपकी ग़ैर मौजूदगी ही में हज़रत उष्मान (रज़ि.) की शहादत का वाक़िआ हाइला पेश आ गया।

इल्मो फ़ज़्ल में आपका मर्तबा बहुत बुलन्द है। एक वहीदुल अस्र और यगाना रोज़गार हस्ती थे। क़ुर्आन, तफ़्सीर, हदीष, फ़िक़ह, अदब, शाइरी आयते क़ुर्आनी के शाने नुज़ूल और नासिख़ व मन्सूख़ में अपनी नज़ीर न रखते थे। एक बार शक़ीक़ ताबेई के बयान के मुताबिक़ हज्ज के मौक़े पर सूरह नूर की तफ़्सीर जो बयान की वो इतनी बेहतर थी कि अगर उसे फ़ारस और रोम के लोग सुन लेते तो यक़ीनन इस्लाम ले आते। (मुस्तदरके हाकिम)

क़ुर्आने करीम की फ़हम में बड़े–बड़े सहाबा से बाज़ी ले जाते थे। तफ़्सीर में आप हमेशा जामेअ और क़राइने अक़्ल मफ़्हूम को इख़्तियार किया करते थे। सूरह कौषर में लफ़्ज़े कौषर की मुख़्तलिफ़ तफ़ासीर की गई मगर आपने उसे ख़ैरे–कषीर से ता'बीर किया। क़ुर्आने करीम की आयते पाक, **ला तह्सबन्नल्लज़ीन यफ़्रहून बिमा अतव** (आले इमरान, 188) अल्ख़ या'नी **'जो लोग अपने किये पर ख़ुश होते हैं और जो नहीं किया है उस पर ता'रीफ़ चाहते हैं ऐसे लोगों की निस्बत हर्गिज़ ये ख़्याल न करो कि वो अज़ाब से बच जाएँगे बल्कि उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है।'** ये चीज़ फ़ितरते इंसानी के ख़िलाफ़ है और बहुत ही कम लोग इस जज़्बे से खाली नज़र आते हैं। मुसलमान इस पर परेशान थे आख़िर मरवान ने आपको बुलाकर पूछा कि हममें से कौन है जो इस जज़्बे से खाली है। फ़र्माया हम लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं; नीज़ बताया ये उन अहले किताब के बारे में है जिनसे हुज़ूरे करीम (ﷺ) ने किसी अम्र के बारे में इस्तिफ़्सार किया उन्होंने असल बात को जो उनकी किताब में थी छिपाकर एक फ़र्ज़ी जवाब दे दिया और उस पर खुशनुदी के तालिब हुए और अपने इस चालाकी पर मसरूर (ख़ुश) हुए। हमारे नज़दीक आम तौर पर इसका ये मा'ना भी हो सकते हैं कि जो लोग ख़ुफ़िया तौर पर दरपे आज़ाद रहते हैं। बज़ाहिर हमदर्द बनकर जड़ें काटते रहते हैं और मुँह पर ये कहते हैं कि हमने फ़लाँ ख़िदमत की, फ़लाँ एहसान किया और उस पर शुक्रिये के तालिब होते हैं और अपनी चालाकी पर ख़ुश होते हैं और दिल में कहते हैं कि ख़ूब बेवक़ूफ़ बनाया। वो लोग अज़ाबे इलाही से हर्गिज़ नहीं बच सकते कि ये एक फ़रेब है।

इल्मे हदीष के भी असातीन समझे जाते थे। 1660 अहादीष आपसे मरवी है। अरब के गोशा–गोशा में पहुँचकर ख़ुर्मने इल्म का ढेर लगा लिया। फ़िक़्हो–फ़राइज़ में भी यगाना हैषियत हासिल थी। अबूबक्र मुहम्मद बिन मूसा (ख़लीफ़ा मामून रशीद के पोते) ने आपके फ़तावा भी जिल्दों में जमा किये थे। इल्मे फ़राइज़ और हिसाब में भी मुमताज़ (श्रेष्ठ) थे। अरबों में शाइरी लाज़िमे-शराफ़त समझी जाती थी बिल ख़ुसूस क़ुरैश की आतिश बयानी तो मशहूर थी। आप शे'र गोई के साथ फ़सीह भी थे। तक़रीर इतनी शीरीं होती थी कि लोगों की ज़ुबान से बेसाख़्ता मरहबा निकल जाता था। ग़र्ज़ ये कि आप इस अहद के तमाम उलूम के मुंतही और फ़ाज़िले अजल थे।

आपका मदरसा या हल्क–ए–दर्स बहुत वसीअ और मशहूर था और दूर–दूर से लोग आते थे और अपने दिलचस्पी और मज़ाक़ के मुताबिक़ मुख़्तलिफ़ उलूम की तह्सील करते। मकान के सामने इतना मजमा होता था कि आना–जाना बन्द हो जाता था। अबू सालेह ताबेई का बयान है कि आपकी इल्मी मज्लिस वो मज्लिस थी कि अगर सारा क़ुरैश इस पर फ़ख़्र करे तो जाइज़ है। हर फ़न के तालिब व साइल बारी-बारी आते और आपसे तसल्लीबख़्श जवाब पाकर वापस लौटते। वाजेह रहे कि उस वक़्त तक किताबी ता'लीम का रिवाज न था और न किताबें मौजूद थीं। उलूमो–फ़ुनून का इंहिसार सिर्फ़ हाफ़ज़ा

(याद्दाश्त) पर था। अल्लाह ने उस ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक़ लोगों के हाफ़ज़े भी इतने क़वी (मज़बूत) कर दिये थे कि आज उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक–एक शख़्स को दस–दस, बीस–बीस हज़ार अहादीष़ और अशआर का याद कर लेना तो एक आम्मतुल उरूद वाक़िआ था। सात–सात और आठ–आठ लाख अहादीष़ के हाफ़िज़ मौजूद थे जिन्हें हाफ़ज़े के साथ फ़हमो–जहानत से भी हिस्सा मिला था। वो मतलअ़े अनवार बन जाते थे। आज दो हज़ार अहादीष़ का हाफ़िज़ भी बमुश्किल ही से कहीं नज़र आते हैं और हमें उस ज़माने के बुज़ुर्गों के हाफ़िज़े की दास्तानें अफ़साना (क़िस्से–कहानियाँ) मा'लूम होती है। सफ़रो–हज़र हर हालत में फ़ैज़ रसानी का सिलसिला ज़ारी था और तालिबाने हुजूम का एक सैलाब उमड़ा रहता था।

नौ मुसलमानों की ता'लीम व तल्क़ीन के लिये आपने मख़्सूस तर्जुमान (प्रतिनिधि) मुक़र्रर कर रखे थे ताकि उन्हें अपने सवाल में ज़हमत न हो। ईरान व रोम तक से लोग ज़ूक़-दर-ज़ूक़ चले आते थे, शागिर्दों की ता'दाद हज़ारों तक पहुँच चुकी थी और उनमें कष़रत उन बुज़ुर्गों की थी जो हाफ़ज़ा के साथ साथ फ़हमो–फ़रासत और ज़िहानत के हामिल थे। इल्मी मुज़ाकरों के दिन मुक़र्रर थे। किसी रोज़ लड़ाइयों के वाक़िआत का तज़्किरा करते। किसी दिन शे'रो–शाइरी का चर्चा होता। किसी दिन तफ़्सीरे क़ुर्आन पर रोशनी डालते। किसी रोज़ फ़िक़ह का दर्स देते। किसी दिन अय्याम अरब की दास्तान सुनाते। बड़े से बड़ा आलिम भी आपकी सुह्बत में बैठता, उसकी गर्दन भी आपके कमाले इल्म के सामने झुक जाती।

तमाम जलीलुल क़द्र सहाबा किराम (रज़ि.) को आपकी कमसिनी के बावजूद आपके फ़ज़्लो इल्म का ए'तिराफ़ था। हज़रत फ़ारूक़े आज़म आपके ज़हन-रसा की ता'रीफ़ में हमेशा रत्बुल्लिसान रहे। हज़रत ताऊस यमानी फ़र्माया करते थे कि मैंने पाँचों सहाबा को देखा। उनमें जब किसी मसले पर इख़्तिलाफ़ हुआ तो आख़री फ़ैसला आप ही की राय पर हुआ। हज़रत क़ासिम बिन मुहम्मद का बयान है कि आप से ज़्यादा किसी का फ़त्वा सुन्नते नबवी के मुशाबेह नहीं देखा। हज़रत मुजाहिद ताबेई कहा करते थे कि हमने आपके फ़त्वा से बेहतर किसी शख़्स का फ़त्वा नहीं देखा। एक बुज़ुर्ग ताबेई का बयान है कि मैंने आपसे ज़्यादा सुन्नत का आलिम साइबुर्राय और बड़ा दक़ीक़ुन नज़र किसी को नहीं पाया। हज़रत उबई इब्ने कअ़ब भी बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने इब्तिदा ही में आपकी ज़िहानत व तबाई देखकर फ़र्मा दिया था कि एक दिन यह शख़्स उम्मत का ज़बरदस्त आलिम और फ़ाज़िल होगा।

तमाम मुआस्सिरीन (समकालीन लोग) आपकी हद दर्जा इज़्ज़त करते थे। एक बार आप सवार होने लगे तो हज़रत ज़ैद बिन षाबित ने पहले तो आपकी रक़ाब थाम ली और फिर बढ़कर हाथ चूमे।

नबी करीम (ﷺ) की ज़ाते करीम से ग़ैर मामूली शैफ़तगी व गरवीदगी हासिल थी। हुज़ूर की बीमारी की कर्ब और वफ़ात की हालत याद होती तो बेक़रार हो जाते। रोते और कई बार इस क़दर रोते कि रीशे मुबारक (दाढ़ी) आंसुओं से तर हो जाती। बचपन ही से ख़िदमते नबवी (ﷺ) में मसर्रत हासिल होने लगी और ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) भी आपसे ख़िदमत लिया करते थे। एह्तिराम की ये हालत थी कि कमसिनी के बावजूद नमाज़ में भी आपके बराबर खड़ा होना गुस्ताख़ी तसव्वुर करते थे और बेहद अदब मलहूज़ रखते थे। उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) के साथ भी इज़्ज़त व तकरीम के साथ पेश आते रहते थे। रसूले करीम (ﷺ) ने दुआ दी थी कि अल्लाह तआला इब्ने अब्बास (रज़ि.) को दीन की समझ और क़ुर्आन की तफ़्सीर का इल्म अता फ़र्मा। एक बार आपके अदब से ख़ुश होकर आपके लिये फ़हमो–फ़रासत की दुआ अता फ़र्माई। ये उसी का नतीजा था कि आप जवान होकर सर आमद रोज़गार बन गए और मतलअ़े अख़्लाक़ रोशन हो गया। सहाबा के आख़िर ज़माने में नौ मुस्लिम अज्मियों के ज़रिये से ख़ैरो–शर और क़ज़ा और क़द्र की बहष़ इराक़ में पैदा हो चुकी थी। आप नाबीना हो चुके थे। मगर जब मा'लूम हुआ कि एक शख़्स तक़्दीर का मुन्किर है तो आपने फ़र्माया मुझे उसके पास ले चलो। पूछा गया कि क्या करोगे? फ़र्माया कि नाक काट लूँगा और गर्दन हाथ में आएगी तो उसे तोड़ दूँगा क्योंकि मैंने हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) से सुना कि तक़्दीर का इंकार इस उम्मत का पहला शिर्क है। मैं उस ज़ात की क़सम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि ऐसे लोगों की बुरी राय यहीं तक महदूद न रहेगी बल्कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह को शर की तक़दीर से मुअत्तल कर दिया उसी तरह उसकी ख़ैर की तक़्दीर से भी मुंकिर हो जाएँगे।

यूँ तो आपकी ज़िंदगी का हर शो'बा अहम व दिलकश है लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है वो ये है कि किसी

की तरफ़ से बुराई व मुख़ासिमत का ज़ुहूर उसकी हक़ीक़ी अ़ज़्मत और ख़ूबियों के ए'तिराफ़ में मानेअ़ नहीं होता था।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़िलाफ़त का दा'वा किया और आपको भी अपनी बेअ़त पर मजबूर करने की कोशिश की। इस ज़ोर व शोर के साथ कि जब आपने इससे इंकार किया तो यही नहीं कि आपको ज़िन्दा आग में जला डालने की धमकी दी बल्कि आपके काशानाए मुअ़ल्ला (घर) के आसपास सूखी लकड़ियों के अंबार भी इसी मक़्सद से लगवा दिए और बमुश्किल आपकी जान बच सकी। इससे भी ज़्यादा ये कि उन्हीं की बदौलत जवारे हरम छोड़कर आपको ताइफ़ जाना पड़ा ज़ाहिर है कि ये ज़्यादतियाँ थीं और आपको उनके हाथ से बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। लेकिन जब इब्ने मुलैका ने आपसे कहा कि लोगों ने इब्ने ज़ुबैर के हाथ पर बेअ़त शुरू कर दी है समझ में नहीं आता कि उनके अंदर आख़िर वो कौनसी ख़ूबियाँ और मफ़ाख़िर हैं जिनके आधार पर उन्हें ख़िलाफ़त का दा'वा करने की ज़ुरअत हुई है और इतने बड़े हौसले से काम लिया है। फ़र्माया, ये तुमने क्या कहा? इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) से ज़्यादा मफ़ाख़िर का हामिल कौन हो सकता है। बाप वो हैं जो हवारी-ए-रसूल (ﷺ) के मुअ़ज़्ज़ज़ लक़ब से मुलक़्क़ब थे। माँ अस्मा-ज़ातुन्निताक़ थीं। नाना वो हैं जिनका इस्मे गिरामी अबूबक्र (रज़ि.) और लक़ब रफ़ीक़े-गार है। उनकी ख़ाला हुज़ूर (ﷺ) की महबूबतरीन ज़ोजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) थीं और उनके वालिदे मुहतरम की फूफ़ी उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीवी ख़दीजा (रज़ि.) हरमे मुहतरमे रसूले करीम (ﷺ) थीं और दादी हज़रत सफ़िया (रज़ि.) ख़ुद हुज़ूर नबी करीम (ﷺ) की फूफ़ी थीं। ये तो हैं इनके खानदानी मफ़ाख़िर। ज़ाती हैषियत से बहुत बुलन्द है और बेहद मुम्ताज़ हैं। क़ारी-ए-कुर्आन हैं, बेमिष्ल बहादुर और अदीमुन्नज़ीर मुदब्बिर हैं, रुवातुल अ़रब में से हैं। बहुत पाकबाज़ हैं। उनकी नमाज़ें पूरे ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ की नमाज़ें हैं। फिर उनसे ज़्यादा ख़िलाफ़त का मुस्तहिक़ और कौन हो सकता है। वो खड़े हुए हैं और बजा तौर पर खड़े हुए हैं। उनका बेअ़त लेना बजा है। अल्लाह की क़सम! अगर वो मेरे साथ कोई एहसान करेंगे तो ये एक अज़ीज़ाना एहसान होगा और मेरी परवरिश करेंगे तो ये अपने एक हमसर मुहतरम की परवरिश होगी। 68 हिज्री में आपने वफ़ात पाई। इंतिक़ाल के वक़्त आयते करीमा 'या अय्यतुहन्नफ़्सुल मुत्मइन्ना' (अल फ़ज्र: 27) के मिस्दाक़ हुए (रज़ि. व रज़ाह)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) :

हज़रत फ़ारूक़े आ'ज़म के यगाना-ए-रोज़गार साहबज़ादे और अपने अहद के ज़माने के ज़बरदस्त जय्यिद आलिम थे। बाप के इस्लाम लाने के वक़्त आपकी उम्र सिर्फ़ पाँच साल थी। ज़मान-ए-बेअ़षत के दूसरे साल कत्मे अदम से पर्द-ए-वजूद पर जलवा अफ़रोज़ हुए। होश सम्भाला तो घर के दरो–दीवार इस्लाम की शुआओं (किरणों) से मुनव्वर थे। बाप के साथ ग़ैर शऊरी तौर पर इस्लाम क़ुबूल किया। चूँकि मक्का में ज़ुल्मो-तुग़यान की गर्ज बराबर बढ़ती जा रही थी इसलिये अपने ख़ानदान वालों के साथ आप भी हिजरत कर गए। तेरह साल ही की उम्र थी कि ग़ज़्व-ए-बद्र में शिर्कत के लिये बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए और कमसिनी की वजह से वापस कर दिये गये। अगले साल ग़ज़्व-ए-उहद में भी इसी आधार पर शरीक न किये गए। अलबत्ता 15 साल की उम्र हो जाने पर ग़ज़्व-ए-अहज़ाब में ज़रूर शरीक हुए जो 5 हिज्री में वाक़ेअ़ हुआ था। 6 हिज्री में बैअ़ते रिज़्वान का भी शर्फ़ हासिल किया। ग़ज़्व-ए-ख़ैबर में भी बड़ी जांबाज़ी के साथ लड़े। इसी सफ़र में हलालो–हराम के बारे में जो अहकाम दरबारे रिसालत से सादिर हुए थे आप उनके रावी हैं। उसके बाद फ़तहे मक्का ग़ज़्व-ए-हुनैन और मुहासिरा-ए-ताइफ़ में भी शरीक हुए। ग़ज़्व-ए-तबूक में जा रहे थे कि हुज़ूरे नबी करीम (ﷺ) ने हजर की तरफ़ से गुज़रते हुए, जहाँ क़दीम आ़द समूद की आबादियों के खंडहरात थे, फ़र्माया कि :–

'उन लोगों के मसाकिन में दाख़िल न हो जिन्होंने अल्लाह की नाफ़र्मानी करके अपने ऊपर ज़ुल्म किया कि मुबादा तुम भी इस अ़ज़ाब में मुब्तला हो जाओ जिसमें वो मुब्तला हो गए थे और अगर गुज़रना ही है तो ये करो कि डर और ख़शिय्यते इलाही से रोते हुए गुज़र जाओ।'

जोशे जिहाद! अहदे फ़ारूक़ी में जो फ़ुतूहात (जीतें) हुईं उसमें आप सिपाहियाना हैषियत से बराबर लड़ते रहे, जंगे नहावन्द में बीमार हुए तो आपने अज़ख़ुद ये किया 'प्याज़ को दवा में पकाते थे और जब उसमें प्याज़ का मज़ा आ जाता था तो उसे निकाल कर दवा पी लेते थे। ग़ालिबन पेचिस की बीमारी हो गई होगी। शाम व मिस्र की फ़ुतूहात में भी मुजाहिदाना हिस्से लेते रहे लेकिन इंतिज़ामी

उमूर में हिस्से लेने का कोई मौक़ा न मिला कि हज़रत फ़ारूके आ'ज़म अपने ख़ानदान व क़बीला के अफ़राद को अलग रखते रहे। अहदे उष्मानी में आपकी क़ाबिलियत के मद्देनज़र आपको अहदे क़ज़ा पेश किया गया (क़ाज़ी बनाने की पेशकश की गई) लेकिन आपने ये फ़र्माकर इंकार कर दिया कि क़ाज़ी तीन क़िस्म के होते हैं जाहिल, आलिमे मसाइल अलद्दुनिया (दुनियवी मसाइल के आलिम) कि ये दोनों जहन्नमी है। तीसरे वो हैं जो सहीह इज्तिहाद करते हैं उन्हें न अज़ाब है न षवाब और साफ़ कह दिया कि मुझे कहीं का आमिल न बनाइए। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने भी इसरार न किया अलबत्ता उस अहद के जिहाद के मोर्चों में ज़रूर शरीक रहे। ट्यूनिश, अल जज़ाइर (अल्जीरिया), मराकश, ख़ुरासान और तब्रिस्मान के युद्धों में लड़े। जिस क़दर मनासिब (पदों) और ओहदों की क़ुबूलयित से घबराते थे, जिहादों में उसी क़दर ज़ोश–ख़रोश और शौक़ व दिल बस्तगी के साथ हिस्सा लेते थे।

आख़िर ज़मान-ए-उष्मानी में जो फ़ित्ने रूनुमा (प्रकट) हुए आप उनसे बिल्कुल किनाराकश रहे। उनकी शहादत के बाद आपकी ख़िदमत में ख़िलाफ़त का ए'ज़ाज़ पेश किया और अदमे क़ुबूलियत के सिलसिले में क़त्ल की धमकी दी गई लेकिन आपने फ़ित्नों (उपद्रवों) को देखते हुए इस अज़ीमुश्शान ए'ज़ाज़ से भी इंकार कर दिया और कोई इअतिनाअ न की। उसके बाद आपने इस शर्त पर हज़रत अली (रज़ि.) के हाथ पर बेअ़त कर ली कि वो ख़ाना–जंगियों (गृहयुद्धों) में कोई हिस्सा न लेंगे। चुनाँचे जंगे जमल व सिफ़्फ़ीन में शिर्कत न की। ताहम अफ़सोस करने वाले थे और कहा करते थे कि :–

'गो मैंने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की तरफ़ से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता लेकिन हक़ पर मुक़ाबला भी अफ़ज़ल है।' (मुस्तदरक)

फ़ैसला षालिषी सुनने के लिये दूमतुल जन्दाल में तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली करमुल्लाह वज्हू के बाद अमीर मुआविया (रज़ि.) के हाथ पर बेअ़त कर ली और शौक़े जिहाद में उस अहद के तमाम मअरकों में नीज़ मुहिमे क़ुस्तुन्तुनिया में शामिल हुए। यज़ीद के हाथ पर फ़ित्न-ए-इख़्तिलाफ़े उम्मत से दामन बचाए रखने के लिये बिला तामील बेअ़त कर ली और फ़र्माया कि ये ख़ैर है तो हम इस पर राज़ी हैं और अगर ये शर है तो हमने सब्र किया। आजकल लोग फ़ित्नों से बचना तो दरकिनार अपने ज़ाती मक़ासिद के लिये फ़ित्ने पैदा करते हैं और अल्लाह के ख़ौफ़ से उनके जिस्म पर लरज़ा तारी नहीं होता। फिर ये बेअ़त हक़ीक़तन न किसी डर के आधार पर थी और न आप किसी लालच में आए थे। तनतना और हक़परस्ती का ये आलम था कि अम्रे हक़ के मुक़ाबले में किसी बड़ी से बड़ी शख़्सियत को भी ख़ातिर में नहीं लाते थे।

बाब 167 : औरतों का मर्दों के पीछे नमाज़ पढ़ना

١٦٧– بَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ

874. हमसे अबू नुऐम फ़ुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़्यान इब्ने उ़ययना ने बयान किया, उनसे इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तल्हा ने, उनसे हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने (मेरी माँ) उम्मे सुलैम के घर में नमाज़ पढ़ाई। मैं और यतीम मिलकर आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए और उम्मे सुलैम (रज़ि.) हमारे पीछे थीं।

٨٧٤–حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ. وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا).

875. हमसे यह्या बिन क़ज़आ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने ज़ुहरी से बयान किया, उनसे हिन्द बिन्त हारिष ने बयान किया, उनसे उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम फेरते तो आपके सलाम फेरते ही औरतें जाने के लिये उठ जाती थीं

٨٧٥– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ

يَقْضِي تَسْلِيْمَهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ. قَالَتْ نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ.

[راجع: ٣٨٠]

और आँहज़रत (ﷺ) थोड़ी देर ठहरे रहते, खड़े न होते। ज़ुहरी ने कहा कि हम ये समझते हैं, आगे अल्लाह जाने, ये इसलिये था कि औरतें मर्दों से पहले निकल जाएँ।

(राजेअ : 380)

11. किताबुल जुमुआ

किताब जुम्आ के बयान में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तशरीह : लफ़्ज़े जुम्आ मीम के साकिन के साथ और जुम्आ मीम की फ़तह के साथ दोनों तरह से बोला गया। अ़ल्लामा शौकानी फ़र्माते हैं, **'क़ाल फिल्फतहि कदिख़्तुलिफ फी तस्मिय्यतिल्यौमि बिलजुम्अति मअ़ल्इत्तिफ़ाक़ि अ़लाअन्नहू कान लयुसम्मा फिल्जाहिलिय्यति वल्अरूबति बिफत्हिल्ऐनि व ज़म्मिर्राइ व बिल्वहदति अल्ख़'** या'नी जुम्अे की वजहे तस्मिया में इख़्तिलाफ़ है इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अ़हदे जाहिलियत में उसको यौमे अ़रूबा कहा करते थे। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया है कि उस दिन मख़्लूक़ की ख़िल्क़त तक्मील को पहुँची इसलिये उसे जुम्आ कहा गया। कुछ लोग कहते हैं कि तख़्लीक़े आदम की तक्मील इसी दिन हुई इसलिये इसे जुम्आ कहा गया। इब्ने हुमैद में सनदे सहीह से मरवी है कि हज़रत असद बिन ज़रारह के साथ अंसार ने जमा होकर नमाज़ अदा की और हज़रत असद बिन ज़रारह ने उनको वा'ज़ फ़र्माया। पस उसका नाम उन्होंने जुम्आ रख दिया क्योंकि वो सब इसमें जमा हुए। ये भी है कि कअ़ब बिन लवी उस दिन अपनी क़ौम को हरमे शरीफ़ में जमा करके उनको वा'ज़ किया करता था और कहा करता था कि इस हरम से एक नबी का ज़ुहूर होने वाला है। यौमे अ़रूबा का नाम सबसे पहले यौमे जुम्आ कअ़ब बिन लवी ही ने रखा। ये दिन बड़ी फ़ज़ीलत रखता है। इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो नेक दुआ की जाए क़ुबूल होती है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपने रविश के मुताबिक़ नमाज़े जुम्आ की फ़र्ज़ियत के लिये आयते क़ुर्आनी से इस्तिदलाल फ़र्माया जैसा कि नीचे के बाब से ज़ाहिर है कि हज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष़ मुबारक पुरी फ़र्माते हैं, **'व ज़कर इब्नुल क़य्यिम फिल्हुदा सफ़ा 102, 118 जिल्द-01 लियौमिल्जुम्अति षलाषव्व षलाषीन ख़ुसूसिय्यतन ज़कर बअ़्ज़हल्हाफ़िज़ु फिल्फतहि मुलख़्ख़िसम्मिन अहब्बिल्वुक़ूफ़ि अलैहा फल्यर्जिअ़ इलैहिमा'** (मिर्आत जिल्द नं. 2, पेज नं. 272) या'नी जुम्अे के दिन 33 ख़ुसूसियात हैं जैसा कि अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़िक्र किया है कुछ उनमें से हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में भी नक़ल की हैं। तफ़्सीलात का शौक़ रखनेवाले उन किताबों की तरफ़ रुजूअ़ फ़र्माएँ।

बाब 1 : जुम्अे की नमाज़ फ़र्ज़ है

١ - بَابُ فَرْضِ الْجُمُعَةِ

अल्लाह तआ़ला के इस फ़र्मान की वजह से कि 'जुम्अे के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए तो तुम अल्लाह की याद के लिये चल खड़े हो और ख़रीदो–फ़रोख़्त छोड़ दो कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है अगर तुम कुछ जानते हो।' (आयत में) फ़सऔ फ़म्ज़ू के मा'नी में है (या'नी चल खड़े हो)

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فَاسْعَوْا:

तश्रीह : एक बार ऐसा हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ख़ुत्ब-ए-जुम्आ दे रहे थे। अचानक तिजारती क़ाफ़िला तिजारत का माल लेकर मदीना में आ गया और ख़बर पाकर लोग उस क़ाफ़िले से माल ख़रीदने के लिये जुम्अे का ख़ुत्बा और नमाज़ छोड़कर चले गए। आँहज़रत (ﷺ) के साथ सिर्फ़ 12 आदमी रह गए। उस वक़्त इताब (ग़ज़बनाकी) के लिये अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर ये 12 नमाज़ी भी मस्जिद में न रह जाते तो मदीना वालों पर ये वादी आग बनकर भड़क उठती।' न जाने वालों में हज़रात शैख़ैन भी थे (इब्ने कष़ीर)। इस वाक़िआ के आधार पर ख़रीदो–फ़रोख़्त छोड़ने का बयान एक इत्तिफ़ाक़ी चीज़ है जो शाने नुज़ूल के ए'तिबार से सामने आई। इससे ये इस्तिदलाल कि जुम्आ सिर्फ़ वहाँ फ़र्ज़ है जहाँ लेन–देन होता हो। ये इस्तिदलाल सही नहीं बल्कि सही यही है कि जहाँ मुसलमानों की जमाअ़त मौजूद हों वहाँ जुम्आ फ़र्ज़ है वो जगह शहर हो या देहात तफ़्सील आगे आ रही है।

876. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबुज़िनाद ने बयान किया, उनसे रबीआ़ बिन हारिष़ के गुलाम अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अअ़रज ने बयान किया कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना और आप (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया कि हम दुनिया में तमाम उम्मतों के बाद होने के बावजूद क़यामत में सबसे आगे रहेंगे फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि किताब उन्हें हमसे पहले दी गई थी। यही (जुम्आ) उनका भी दिन था जो तुम पर फ़र्ज़ हुआ है। लेकिन उनका उसके बारे में इख़ितलाफ़ हुआ और अल्लाह तआ़ला ने हमें ये दिन बता दिया इसलिये लोग इसमें हमारे ताबेअ़ होंगे। यहूद दूसरे दिन होंगे और नसारा तीसरे दिन। (राजेअ़ : 238)

٨٧٦– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ)). [راجع: ٢٣٨]

बाब 2 : जुम्अे के दिन नहाने की फ़ज़ीलत और इस बारे में बच्चों और औरतों पर जुम्अे की नमाज़ के लिये आना फ़र्ज़ है या नहीं?

٢– بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ عَلَى النِّسَاءِ؟

(877) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

٨٧٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से ख़बर दी और उनको हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से जब कोई शख़्स जुम्अे की नमाज़ के लिये आना चाहे तो उसे ग़ुस्ल कर लेना चाहिये। (दीगर मक़ाम : 896, 919)

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)). [طرفاه في : ٨٩٤، ٩١٩].

(878) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अस्माअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुवैरिया बिन अस्माअ ने इमाम मालिक से बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जुम्अे के दिन खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे कि इतने में नबी अकरम (ﷺ) के अगले सहाबा मुहाजिरीन में से एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए (या'नी हज़रत उष्मान रज़ि.) उमर (रज़ि.) ने उनसे कहा कि भला ये कौनसा वक़्त है तो उन्होंने कहा कि मैं मशग़ूल हो गया था और घर वापस आते ही अज़ान की आवाज़ सुनी, इसलिये मैं वुज़ू से ज़्यादा और कुछ (ग़ुस्ल) न कर सका। हज़रत उमर (रज़ि .) ने फ़र्माया कि अच्छा वुज़ू भी। हालाँकि आपको मा'लूम है कि नबी करीम (ﷺ) ग़ुस्ल के लिये कहते थे।

(दीगर मक़ाम : 882)

٨٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ. قَالَ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ)).

[طرفه في : ٨٨٢].

तश्रीह : या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने उन्हें देर से आने पर टोका आपने उज़्र बयान करते हुए फ़र्माया कि मैं ग़ुस्ल भी नहीं कर सका बल्कि सिर्फ़ वुज़ू करके चला आया हूँ। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि गोया आप (ﷺ) ने सिर्फ़ देर में आने पर ही इक्तिफ़ा नहीं किया बल्कि एक दूसरी फ़ज़ीलत ग़ुस्ल को भी छोड़ आए हैं। इस मौक़े पर क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इनसे ग़ुस्ल के लिये फिर नहीं कहा वरना अगर जुम्अे के दिन ग़ुस्ल फ़र्ज़ या वाजिब होता तो हज़रत उमर (रज़ि.) को ज़रूर कहना चाहिये था और यही वजह थी कि दूसरे बुज़ुर्ग सहाबी जिनका नाम दूसरी रिवायतों में हज़रत उष्मान (रज़ि.) आता है, उन्होंने भी ग़ुस्ल को ज़रूरी ना समझकर सिर्फ़ वुज़ू पर इक्तिफ़ा किया था। हम इससे पहले भी जुम्अे के दिन ग़ुस्ल पर एक नोट लिख आए हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) के तर्ज़े अमल से ये भी मा'लूम होता है कि ख़ुत्बा के दौरान इमाम अम्रो—नहीं कर सकता है (अच्छे—बुरे के लिये टोक सकता है) लेकिन आम लोगों को इसकी इजाज़त नहीं है। बल्कि उन्हें ख़ामोशी और इत्मीनान के साथ ख़ुत्बा सुनना चाहिये। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

(879) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने हदीष बयान की। उन्होंने कहा कि हमें मालिक ने सफ़वान बिन सुलैम के वास्ते से ख़बर दी, उन्हें अता बिन यसार ने, उन्हें हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्अे के दिन हर बालिग़ के

٨٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

लिये ग़ुस्ल ज़रूरी है। (राजेअ : 857)

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)). [راجع: ٨٥٨]

बाब 3 : जुम्अे के दिन नमाज़ के लिये ख़ुश्बू लगाना

٣- بَابُ الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

(880) हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हम हरमी बिन अम्मारा ने ख़बर दी उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा बिन हिजाज ने अबूबक्र बिन मुंकदिर से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अम्र बिन सुलैम अंसारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं गवाह हूँ कि अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि मैं गवाह हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्अे के दिन हर जवान पर ग़ुस्ल, मिस्वाक और ख़ुश्बू लगाना अगर मयस्सर हो, ज़रूरी है। अम्र बिन सुलैम ने कहा कि ग़ुस्ल के बारे में तो मैं गवाही देता हूँ कि वो वाजिब है लेकिन मिस्वाक और ख़ुश्बू का इल्म अल्लाह तआला को ज़्यादा है कि वो भी वाजिब हैं या नहीं। लेकिन हदीष़ में इसी त़रह है। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) ने फ़र्माया कि अबूबक्र बिन मुंकदिर मुहम्मद बिन मुंकदिर के भाई थे और उनका नाम मा'लूम नहीं (अबूबक्र उनकी कुन्नियत थी) बुकैर बिन अशज्ज। सईद बिन अबी हिलाल और बहुत से लोग उनसे रिवायत करते हैं। और मुहम्मद बिन मुंकदिर उनके भाई की कुन्नियत अबूबक्र और अबू अब्दुल्लाह भी थी। (राजेअ : 858)

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ)). قَالَ عَمْرٌو : أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الإِسْتِنَانُ وَالطِّيْبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ، وَلَكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيْثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَلَمْ يُسَمَّ أَبُوبَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ. [راجع: ٨٥٨]

बाब 4 : जुम्आ की नमाज़ को जाने की फ़ज़ीलत

٤- بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

(881) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान के ग़ुलाम सुमय से ख़बर दी, जिन्हें अबू स़ालेह सिमान ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स जुम्अे के दिन ग़ुस्ले जनाबत करके नमाज़ पढ़ने जाए तो गोया उसने एक ऊँट की क़ुर्बानी दी (अगर पहले वक़्त मस्जिद में पहुँचा) और अगर बाद में गया तो गोया एक गाय की क़ुर्बानी दी और जो तीसरे नम्बर पर गया तो गोया उसने एक सींग वाले मेंढे की क़ुर्बानी दी

٨٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً،

وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)).

और जो कोई चौथे नम्बर पर गया तो उसने गोया एक मुर्ग़ी की क़ुर्बानी दी और जो कोई पाँचवें नम्बर पर गया उसने गोया अण्डा अल्लाह की राह में दिया। लेकिन जब इमाम ख़ुत्बे के लिये बाहर आ जाता है तो मलाइका (फ़रिश्ते) ख़ुत्बा सुनने में मशग़ूल हो जाते हैं।

इस हदीष़ में ष़वाब के 5 दर्जे बयान किये गए हैं। जुम्अे में हाज़िरी का वक़्त सुबह ही से शुरू हो जाता है और सबसे पहला ष़वाब उसी को मिलेगा जो अव्वल वक़्त जुम्आ के लिये मस्जिद में आ जाए। सलफ़े उम्मत का इसी पर अमल था कि वो जुम्आ के दिन सुबह सवेरे मस्जिद में चले जाते और नमाज़ के बाद घर जाते। फिर खाना खाते और क़ैलूला करते। दूसरी अहादीष़ में है कि जब इमाम ख़ुत्बा के लिये निकलता है तो ष़वाब लिखने वाले फ़रिश्ते भी मस्जिद में आ जाते हैं और ख़ुत्बा सुनने में मशग़ूल हो जाते हैं। मुर्ग़ के साथ अण्डे का भी ज़िक्र है। उसे हक़ीक़त पर महमूल किया जाए तो अण्डे की भी हक़ीक़ी क़ुर्बानी जाइज़ होगी जिसका कोई भी क़ायल नहीं। ष़ाबित हुआ कि यहाँ मजाज़न क़ुर्बानी का लफ़्ज़ बोला गया है जो तक़र्रुब इलल्लाह के मा'नी में है (कमा सयाती)।

बाब 5 :

٨٨٢– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ عُمَرَ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ. فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَا فَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)).

[راجع: ٨٧٨]

(882) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान बिन अब्दुर्रहमान ने यह्या बिन अबी कष़ीर से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) जुम्अे कि दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक बुज़ुर्ग (उष़्मान रज़ि.) दाख़िल हुए। उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप लोग नमाज़ के लिये आने में क्यूँ देर करते हैं। (अव्वल वक़्त क्यों नहीं आते) आने वाले बुज़ुर्ग ने फ़र्माया कि देर सिर्फ़ इतनी हुई कि अज़ान सुनते ही मैंने वुज़ू किया (और फिर हाज़िर हुआ) आपने फ़र्माया कि क्या आप लोगों ने नबी करीम (ﷺ) से ये हदीष़ नहीं सुनी है कि जब कोई जुम्आ के लिये जाए तो ग़ुस्ल कर लेना चाहिये। (राजेअ : 878)

तश्रीह : इस हदीष़ की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यूँ है कि हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत उष़्मान (रज़ि.) जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी पर ख़फ़ा हुए अगर जुम्अे की नमाज़ फ़ज़ीलत वाली न होती तो नाराज़गी की ज़रूरत क्या थी? पस जुम्अे की नमाज़ की फ़ज़ीलत ष़ाबित हुई और यही बाब का तर्जुमा है। कुछ ने कहा कि और नमाज़ों के लिये क़ुर्आन शरीफ़ में ये हुक्म हुआ, **इज़ा क़ुम तुम इलस्सलाति फ़ग़्सिलू वुजूहकुम** (अल माइदा: 6) या'नी वुज़ू करो और जुम्अे की नमाज़ के लिये आँहज़रत ने ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया तो मा'लूम हुआ कि जुम्अे की नमाज़ का दर्जा और नमाज़ों से बढ़कर है और दूसरी नमाज़ों पर उसकी फ़ज़ीलत ष़ाबित हुई। यही बाब का तर्जुमा है। (वहीदी)

यहाँ अदना ताम्मुल से मा'लूम हो सकता है कि हज़रत सय्यिदुल मुहद्दिषीन इमाम बुख़ारी (रह.) को अल्लाह पाक ने हदीष नबवी के मतालिब पर किस क़दर गहरी नज़र अ़ता फ़र्माई थी। इसीलिये हज़रत अ़ल्लामा अ़ब्दुल क़ुद्दूस बिन हमाम अपने चंद मशाइख़ से नक़ल करते हैं कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी किताब के फ़िक़्ही तराजिम व अबवाब भी मस्जिदे नबवी के उस हिस्से में बैठकर लिखते हैं जिसको आँहज़रत (ﷺ) ने जन्नत की एक क्यारी बतलाया है। उस ख़ानकाही और रियाज़त के साथ सोलह साल की मुद्दत में ये अ़दीमुन्नज़ीर किताब मुकम्मल हुई जिसका लक़ब बग़ैर किसी तरद्दुद के **'अस़ह्हुल कुतुब बअ़द किताबिल्लाह'** क़रार पाया उम्मत के लाखों करोड़ों मुहद्दिषीन और उ़लमा ने सख़्त से सख़्त कसौटी पर उसे कसा मगर जो लक़ब इस तस्नीफ़ का मशहूर हो चुका था वो पत्थर की लकीर था, न मिटना था न मिटा। इस हक़ीक़त बाहिरा के बावजूद उन सतही नाक़िदीने ज़माना (आलोचकों) पर सख़्त अफ़्सोस है जो आज क़लम हाथ में लेकर हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) और उनकी अ़दीमुल मिष़ाल किताब पर तन्क़ीद करने के लिये गुस्ताख़ी करते हैं और अपनी कम अ़क़्ली को ज़ाहिर करते हैं। देवबन्द से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात हों या किसी और जगह से, उन पर वाजेह होना चाहिये कि उनकी ये बेकार सी कोशिश हज़रत इमाम बुख़ारी और उनकी जलीलुल क़द्र किताब की ज़र्रा बराबर भी शान न घटा सकेगी। हाँ! ये ज़रूर है कि जो कोई आसमान की तरफ़ थूके तो उसका थूक उलटा उसके मुँह पर ही आएगा कि क़ानूने क़ुदरत यही है। बुख़ारी शरीफ़ की इल्मी ख़ुसूसियात के लिये एक मुस्तक़िल तस्नीफ़ और एक रोशनतरीन फ़ाज़िलाना दिमाग़ की ज़रूरत है। ये किताब सिर्फ़ अहादीषे सहीहा ही का मज्मूआ नहीं बल्कि उसूलो अक़ाइद, इबादात व मुआमलात, ग़ज़्वात व सियर, इस्लामी मुआशरत व तमद्दुन, मसाइल सियासत व सल्तनत की एक जामेअ़ एनसाइक्लोपीडिया है। आज के नौजवान रोशनदिमाग़ मुसलमानों को इस किताब से जो कुछ तशफ़्फ़ी हासिल हो सकती है वो किसी दूसरी जगह न मिलेगी। इस हदीष से ये भी षाबित है कि बड़े लोगों को चाहिये कि नेक कामों का हुक्म फ़र्माते रहें और इस बारे में किसी का लिहाज़ न करें। जिनको नसीहत की जाए उनका भी फ़र्ज़ है कि तस्लीम करने में किसी क़िस्म का दरेग़ (आपत्ति) न करें और बिला चूँ चरा नेक कामों के लिये सरेख़म तस्लीम कर दें। हज़रत उ़मर (रज़ि.) की दानाई देखिये कि हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) का जवाब सुनते ही ताड़ गए आप बग़ैर ग़ुस्ल के जुम्आ के लिये आ गए हैं। उससे ग़ुस्ले जुम्आ की अहमियत भी षाबित हुई।

बाब 6 : जुम्अे की नमाज़ के लिये बालों में तेल का इस्ते'माल

٦- بَابُ الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ

(883) हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने सईद मक़्बरी से बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप अबू सईद मक़्बरी ने अ़ब्दुल्लाह बिन वदीआ से ख़बर दी, उनसे हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स जुम्अे के दिन ग़ुस्ल करे और ख़ूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्ते'माल करे या घर में जो ख़ुश्बू मयस्सर हो इस्ते'माल करे फिर नमाज़ के लिये निकले और मस्जिद में पहुँचकर दो आदमियों के बीच न घुसे, फिर जितनी हो सके नफ़्ल नमाज़ पढ़े और जब इमाम ख़ुत्बा शुरू करे तो ख़ामोश सुनता रहे तो उसके जुम्अे से लेकर दूसरे जुम्अे तक सारे गुनाह मुआफ़ कर दिये जाते हैं। (दीगर मक़ाम : 910)

٨٨٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى)). [طرفه في : ٩١٠].

मा'लूम हुआ कि जुम्आ का दिन एक सच्चे मुसलमान के लिये ज़ाहिर व बातिन हर क़िस्म की मुकम्मल पाकी हासिल करने का दिन है।

(884) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें

٨٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا

शुऐ़ब ने ज़ुह्‌री से ख़बर दी कि त़ाऊस बिन कैसान ने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि जुम्अ़े के दिन अगरचे जनाबत न हो लेकिन ग़ुस्ल करो और अपने सर धोया करो और ख़ुश्बू लगाया करो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि ग़ुस्ल का हुक्म तो ठीक है लेकिन ख़ुश्बू के बारे में मुझे इल्म नहीं।
(दीगर मक़ाम : 885)

شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسٌ : قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيْبُوا مِنَ الطِّيْبِ)). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ أَدْرِيْ.
[طرفه في : ٨٨٥].

(885) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी, कि उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे इब्राहीम बिन मैसरा ने त़ाऊस से ख़बर दी और उन्हें ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने, आपने जुम्अ़े के दिन ग़ुस्ल के बारे में नबी करीम (ﷺ) की ह़दीष़ का ज़िक्र किया तो मैंने कहा कि क्या तेल और ख़ुश्बू का इस्ते'माल भी ज़रूरी है? आपने फ़र्माया कि मुझे मा'लूम नहीं। (राजेअ़ : 886)

٨٨٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَيَمَسُّ طِيْبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ).
[راجع: ٨٨٤]

तेल और ख़ुश्बू के बारे में ह़ज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) की जो ह़दीष़ ऊपर ज़िक्र हुई है ग़ालिबन ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को उसका इल्म न हो सका।

बाब 7 : जुम्अ़े के दिन उ़म्दा से उ़म्दा कपड़े पहने जो उसको मिल सके

٧- بَابُ يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

(886) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमें इमाम मालिक ने नाफ़ेअ़ से ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने (रेशम का) धारीदार जोड़ा मस्जिदे नबवी के दरवाज़े पर लटका देखा तो कहने लगे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! बेहतर हो अगर आप इसे ख़रीद लें और जुम्अ़े के दिन और वफ़ूद (प्रतिनिधि मण्डल) जब आपके पास आएँ तो उनकी मुलाक़ात के लिये आप उसे पहना करें। इस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसे तो वही पहन सकता है जिसका आख़िरत में कोई ह़िस्सा न हो। उसके बाद

٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)). ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ

रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसी तरह के कुछ जोड़े आए तो उसमें से एक जोड़ा आपने उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को अता फ़र्माया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मुझे ये जोड़ा पहना रहे हैं हालाँकि उससे पहले उतारिद के जोड़े के बारे में आपने कुछ ऐसा फ़र्माया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने उसे तुम्हें ख़ुद पहनने के लिये नहीं दिया है, चुनाँचे हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे अपने एक मुश्रिक भाई को पहना दिया जो मक्के में रहता था। (दीगर मक़ाम : 938, 2104, 2612, 2619, 3054, 5841, 5981, 6081)

اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا)). فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

[أطرافه في: ٩٣٨، ٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٣٠٥٤، ٥٨٤١، ٥٩٨١، ٦٠٨١].

तशरीह : उतारिद बिन हाजिब बिन ज़रारह तमीमी (रज़ि.) कपड़े के व्यापारी थे। ये चादरें बेच रहे थे इसलिये उसको उनकी तरफ़ मन्सूब किया गया। ये वफ़्द बनी तमीम में आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इस्लाम क़ुबूल किया। बाब का तर्जुमा यहाँ से निकलता है कि आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमते शरीफ़ में हज़रत उमर (रज़ि.) ने जुम्अे के दिन उम्दा कपड़े पहनने की दरख़्वास्त पेश की। आँहज़रत (ﷺ) ने उस जोड़े को इसलिये नापसंद फ़र्माया कि वो रेशमी था और मर्द के लिये ख़ालिस़ रेशम का इस्ते'माल करना हराम है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने मुश्रिक भाई को उसे बतौरे हदिया दे दिया। इससे पता चला कि काफ़िर, मुश्रिक जब तक इस्लाम क़ुबूल न करें वो फ़ुरूआते इस्लाम के मुकल्लफ़ नहीं होते। ये भी मा'लूम हुआ कि अपने मुश्रिक, काफ़िरों, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने-सुलूक करना मना नहीं है बल्कि मुम्किन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिये ताकि उनको इस्लाम में रग़बत पैदा हो।

बाब 8 : जुम्अे के दिन मिस्वाक करना

٨- بَابُ السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

और अबू सईद (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है कि मिस्वाक करनी चाहिये।

وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَسْتَنُّ.

(887) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने अबुज़्ज़िनाद से ख़बर दी, उनसे अअ़रज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख़याल न होता तो मैं हर नमाज़ के लिये उनको मिस्वाक का हुक्म देता। (दीगर मक़ाम : 7240)

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ)). [طرفه في : ٧٢٤٠].

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी (रह.) अपनी मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में रिवायत की गई अहादीषे मिस्वाक के बारे में फ़र्माते हैं, '**अक़ूलु मअ़नाहू लौ ला ख़ौफ़ल हरज लजअ़ल्तुस्सिवाक शर्तन लिस़्स़लाति कल्वुज़ुइ व क़द वरद बिहाज़ल्उस्लूबि अहादीषु कष़ीरन जिद्दा व हिय दलाइलुन वाज़िहतुन अ़ला अन्न इज्तिहादन्नबिय्यि**

(ﷺ) मदख़लन फ़िल्हुदूदिश्शरइय्यति व अन्नहा मनूततुन बिल्मक़ासिदि व अन्न रफ़अल्खुरूजि मिनल उसूलिल्लती बुनिय अलैहिश्शराइउ कौलर्रावी फी सिफ़ति तसव्वुकिही (ﷺ) आ आ कअन्नहू यतहव्वउ उकूलु यम्बसी लिल्इन्सानि अय्यबलुग बिस्सवाकि अक़ासिल्फ़मि कयुख़्रिजल्हल्क बस्सदर वल्इस्तिस्काअ फ़िस्सवाकि युज्हिबु' (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पेज नं. 949, 450)

या'नी जो हुज़ूर करीम (ﷺ) का इर्शाद है अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार न जानता तो उनको हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता। उसके बारे में मैं कहता हूँ कि इसके मा'नी ये हैं कि अगर तंगी का डर न होता तो मिस्वाक करने को वुज़ू की तरह नमाज़ की सिह्हत के लिये शर्त क़रार दे देता और इस तरह की बहुत सी अहादीष़ वारिद है। जो इस अम्र की साफ़ दलालत करती है कि नबी करीम (ﷺ) के इज्तिहाद को हुदूदे शरईया में दख़ल है और हुदूदे शरईया मक़ासिद पर मब्नी है और उम्मत से तंगी का रफ़ा करना मिन्जुम्ला इन उसूलों के है जिन पर अहकामे शरईया मब्नी है। नबी करीम (ﷺ) के मिस्वाक करने की कैफ़ियत के बारे में जो रावी का बयान है कि आप मिस्वाक करते वक़्त अअ अअ की आवाज़ निकालते जैसे कोई क़ै करते वक़्त करता है। इसके बारे में मैं कहता हूँ कि इंसान को मुनासिब है कि अच्छी तरह से मुँह के अंदर मिस्वाक करे और हलक और सीने का बलग़म निकाले और मुँह में ख़ूब अंदर तक मिस्वाक करने से मर्ज़े क़ला दूर हो जाता है और आवाज़ साफ़ हो जाती है और मुँह ख़ुश्बूदार हो जाता है। **क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) अश्रुम्मिनल फ़ित्रति क़स्सुश्शवारिब व इफ़ाउल्लिहया वस्सिवाक अल्ख़** या'नी आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया दस बातें फ़ितरत में से हैं मूँछों का तरशवाना, दाढ़ी का बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी डालना, नाख़ून कतरवाना, उंगलियों के जोड़ों का धोना, बग़ल के बाल उखाड़ना, ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करना, पानी से इस्तिंजा करना। रावी कहता है कि दसवीं बात मुझको याद नहीं रही वो ग़ालिबन कुल्ली करना है। मैं कहता हूँ कि ये तहारतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मन्क़ूल हैं और तमाम उममे हनीफ़िया में बराबर जारी रही हैं और उनके दिलों में पेवस्त हैं। इसी वजह से उनका नाम फ़ितरत रखा गया (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द नं. 1 पेज नं. 447)

٨٨٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ)).

(888) हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे शुऐब बिन हबहाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुमसे मिस्वाक के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ।

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ)).

[راجع: ٢٤٥]

(889) हमसे मुहम्मद बिन क़ष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमें सुफ़यान ष़ौरी ने मंसूर बिन मअमर और हुसैन बिन अब्दुर्रहमान से ख़बर दी, उन्हें अबू वाइल ने, उन्हें हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब रात को उठते तो मुँह को मिस्वाक से ख़ूब साफ़ करते। (राजेअ : 245)

इन तमाम अहादीष़ से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि जुम्अे की नमाज़ के लिये भी मिस्वाक करना चाहिये। जब आँहज़रत (ﷺ) ने हर नमाज़ के लिये मिस्वाक की ताईद फ़र्माई तो जुम्अे की नमाज़ के लिये भी इसकी ताईद ष़ाबित हुई इसलिये भी कि जुम्आ ज़्यादा लोगों का इज्तिमा होता है इसलिये मुँह का साफ़ करना ज़रूरी है ताकि मुँह की बदबू से लोगों को तकलीफ़ न हो।

बाब 9 : जो शख़्स दूसरे की मिस्वाक इस्ते'माल करे

(890) हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुलैमान बिन हिलाल ने बयान किया कि हिशाम बिन उर्वा ने कहा कि मुझे मेरे बाप उर्वा बिन ज़ुबैर ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से ख़बर दी। उन्होंने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (एक बार) आए। उनके हाथ में मिस्वाक थी जिसे वो इस्ते'माल किया करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बीमारी की हालत में उनसे कहा अब्दुर्रहमान! ये मिस्वाक मुझे दे दे, उन्होंने दे दी। मैंने उसे सिरे को पहले तोड़ा या'नी इतनी लकड़ी निकाल दी जो अब्दुर्रहमान अपने मुँह में लगाया करते थे, फिर उसे चबाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) को दे दिया। आँहज़रत (ﷺ) ने उससे दाँत साफ़ किये और आप (ﷺ) उस वक़्त मेरे सीने पर टेक लगाए हुए थे।

(दीगर मक़ाम : 1389, 3100, 3774, 4438, 4446, 4449, 4450, 4451, 5217, 6510)

٩- بَابُ مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

٨٩٠- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ، فَقَصَمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي)).

[أطرافه في : ١٣٨٩، ٣١٠٠، ٣٧٧٤، ٤٤٣٨، ٤٤٤٦، ٤٤٤٩، ٤٤٥٠، ٤٤٥١، ٥٢١٧، ٦٥١٠].

तश्रीह : इस हदीष़ से ष़ाबित हुआ कि दूसरे की मिस्वाक उससे लेकर इस्ते'माल की जा सकती है और ये भी ष़ाबित हुआ कि दूसरा आदमी मिस्वाक को अपने मुँह से चबाकर अपने भाई को दे सकता है और ये भी ष़ाबित हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत अपने किसी भाई से जिन पर हमको भरोसा व ए'तिमाद हो कोई ज़रूरत की चीज़ उससे तलब कर सकते हैं, तआवुने बाहमी (आपसी सहयोग) का यही मफ़हूम है। इस हदीष़ से हज़रत आइशा (रज़ि.) की फ़ज़ीलत भी ष़ाबित हुई कि मर्ज़ुल मौत में उनको आँहज़रत (ﷺ) की ख़ुसूसी ख़िदमात करने का शरफ (श्रेय) हासिल हुआ। अल्लाह की मार उन बुरे शाइरों पर जो हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) की शाने अक़्दस में कलिमाते गुस्ताख़ी इस्ते'माल करके अपनी आक़िबत ख़राब करते हैं।

बाब 10 : जुम्अे के दिन नमाज़े फ़ज्र में कौनसी सूरह पढ़ी जाए?

(891) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान षौरी ने सअद बिन इब्राहीम के वास्ते से बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ ने, उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन फ़ज्र की नमाज़ में 'अलिफ़ लाम मीम तंज़ीलुल और हलअता अलल इंसान' पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1068)

١٠- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَومَ الْجُمُعَةِ

٨٩١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - ابْنُ هُرْمُزَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَومَ الْجُمُعَةِ ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾)).

[طرفه في : ١٠٦٨].

तबरानी की रिवायत है कि आप हमेशा ऐसा किया करते थे। उन सूरतों में इंसान की पैदाइश और क़यामत वग़ैरह का ज़िक्र है और ये जुम्आ के दिन ही वाक़ेअ होगी। इस ह़दीष से मालिकिया का रद्द हुआ जो नमाज़ में सज्दे वाली सूरत पढ़ना मकरूह जानते हैं। अबू दाऊद की रिवायत है कि नमाज़ में भी सज्दे की सूरत पढ़ी और सज्दा किया। (वह़ीदी) अल्लामा शौकानी इस बारे में कई अह़ादीष नक़ल करने के बाद फ़र्माते हैं, **'व हाज़िहिल्अह़ादीषु फीहा मश्रूइय्यतु किराति तन्ज़ीलिस्सज्दति व हल अता अलल्इन्सानि क़ालल्इराक़ी व मिम्मन कान यफ़अलुहू मिनस्सहाबति अ़ब्दुल्लाहिब्नि अ़ब्बास व मिनत्ताबिईन इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ व हुव मज़्हबश्शाफ़िई व अहमद व अस्हाबुल्अह़ादीष'** (नैलुल औतार) या'नी इन अह़ादीष से षाबित हुआ कि जुम्अे के दिन फ़ज्र की नमाज़ की पहली रकअ़त में अलिफ़ लाम तंज़ील सज्दा दूसरी में हल अता अ़लल इंसान पढ़ना अफ़ज़ल है। स़ह़ाबा में से ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) और ताबेई में से इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान का यही अ़मल था और इमाम शाफ़िई और इमाम अह़मद और अहले ह़दीष का यही मज़हब है।

अ़ल्लामा क़स्तलानी फ़र्माते हैं कि **'वत्तअ्बीरू बिकान यश्उरू बिमवाज़बतिही अ़लैहिस्सलाम अलल्किराति बिहिमा फीहा'** या'नी ह़दीषे मज़्कूर में लफ़्ज़े काना बतला रहा है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने जुम्अे के दिन फ़ज्र की नमाज़ में इन सूरतों पर मवाज़बत या'नी हमेशगी फ़र्माई है। अगरचे कुछ उ़लमा मवाज़बत को नहीं मानते मगर तबरानी में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से **'युदीमु बिज़ालिक'** लफ़्ज़ मौजूद है। या'नी आप (ﷺ) ने इस अ़मल पर मुदावमत फ़र्माई (क़स्तलानी) कुछ लोगों ने दा'वा किया था कि अहले मदीना ने ये अ़मल छोड़ दिया था, इसका जवाब अ़ल्लामा इब्ने ह़जर (रह़.) इन लफ़्ज़ों में दिया है, **'व अम्मा दअ्वाहू अन्ननास तरकुल्अमल बिही फ़ बातिलतुन लिअम्मन अक्षर अहलिल्इल्मि मिनस्सहाबति वत्ताबिईन क़द क़ालू बिही कमा नक़लहुब्नुल्मुन्ज़िर व गैरहू हत्ता अन्नहू षाबितुन अ़न इब्राहीम इब्नि औ़फ़ वल्अस्अद व हुव मिन किबारित्ताबिईन मिन अहलिल्मदीनति अन्नहू अम्मन्नास बिल्मदीनति बिहिमा फिल्फज्रि यौमल्जुम्अ़ति अख़रजहू इब्नु अबी शैबत बिइस्नादिन सह़ीहिन'** अल्ख़ (फ़त्हुल बारी) या'नी ये दा'वा कि लोगों ने इस पर अ़मल करना छोड़ दिया था झूठ है। इसलिये कि अक्षर अहले इल्म स़ह़ाबा व ताबेईन इसके क़ाइल हैं जैसा कि इब्ने मुंज़िर वग़ैरह ने नक़ल किया है यहाँ तक कि इब्राहीम इब्ने औ़फ़ से भी षाबित है जो मदीना के बड़े ताबेईन में से हैं कि उन्होंने जुम्अे के दिन लोगों को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई और इन्हीं दो सूरतों को पढ़ा। इब्ने अबी शैबा ने इसे सह़ीह़ सनद से रिवायत किया है।

बाब 11 : गांव और शहर दोनों जगह जुम्आ दुरुस्त है

١١- بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ

(892) हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू आमिर अ़क़दी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन त़ह्मान ने बयान किया, उनसे अबू जम्रह नज़्र बिन अ़ब्दुर्रहमान ज़ब्ई ने, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) की मस्जिद के बाद सबसे पहला जुम्आ बनू क़ैस की मस्जिद में हुआ जो बेहरीन के मुल्क जुवाषी में थी।
(दीगर मक़ाम : 4371)

٨٩٢- حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ - بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ- فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ)).
[طرفه في : ٤٣٧١].

(893) हमसे बिश्र बिन मुहम्मद मर्वज़ी ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें यूनुस बिन

٨٩٣- حَدَّثَنِيْ بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ)). وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ- وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى - : هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ؟ وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّوْدَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ - وَأَنَا أَسْمَعُ - يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: ((وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

[أطرافه في : ٢٤٠٩، ٢٥٥٤، ٢٧٥١،

यज़ीद ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्हें सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने इब्ने आमिर से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि तुममें से हर शख़्स निगहबान है और लैष़ ने इसमें ये ज़्यादती की कि यूनुस ने बयान किया कि रुज़ैक़ बिन ह़कीम ने इब्ने शिहाब को लिखा। उन दिनों मैं भी वादिउल क़ुरा में इब्ने शिहाब के पास ही था कि क्या मैं जुम्आ पढ़ सकता हूँ। रुज़ैक़ (ऐला के आसपास) एक ज़मीन काश्त करवा रहे थे। वहाँ ह़ब्शा वग़ैरह के कुछ लोग मौजूद थे। उस ज़माने में रुज़ैक़ ऐला में (ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की त़रफ़ से) ह़ाकिम थे। इब्ने शिहाब (रह़.) ने उन्हें लिखवाया, मैं वहीं सुन रहा था कि रुज़ैक़ जुम्आ पढ़ाएँ। इब्ने शिहाब रुज़ैक़ को ये ख़बर दे रहे थे कि सालिम ने उनसे ह़दीष़ बयान की कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। आपने फ़र्माया कि तुममें से हर एक निगराँ हैं और उसके मातह़तों के बारे में उससे सवाल होगा। इमाम निगराँ हैं और उससे सवाल उसकी रिआ़या के बारे में होगा। इंसान अपने घर का निगराँ हैं और उससे उसकी रइयत (प्रजा) के बारे में सवाल होगा। औ़रत अपने शौहर के घर की निगराँ हैं और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा। ख़ादिम अपने आक़ा के माल का निगराँ है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया कि इंसान अपने बाप के माल का निगराँ है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा और तुममें से हर शख़्स निगराँ हैं और सबसे उसकी रइयत के बारे में सवाल होगा।

(दीगर मक़ाम : 2409, 2554, 2751)

तश्रीह : मुज्तहिदे मुत्लक़ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) ने उन लोगों का रद्द फ़र्माया है जो जुम्अ़े की स़िह़त के लिये शहर और ह़ाकिम वग़ैरह की क़ुयूद लगाते हैं और गांव में जुम्अ़े के लिये इंकार करते हैं। ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ स़ाह़ब शारेह़े बुख़ारी फ़र्माते हैं कि इससे इमाम बुख़ारी (रह़.) ने उन लोगों का रद्द किया जो जुम्अ़े के लिये शहर की क़ैद करते हैं। अहले ह़दीष़ का मज़हब ये है कि जुम्अ़े की शर्तें जो ह़न्फ़ियों ने लगाई हैं वो सब बेदलील हैं और जुम्आ दूसरी नमाज़ों की त़रह़ है सिर्फ़ जमाअ़त इसमें शर्त है। इमाम के सिवा एक आदमी और होना और नमाज़ से पहले दो ख़ुत्बे पढ़ना सुन्नत है बाक़ी

कोई शर्त नहीं है। दारुल ह़रब और काफ़िरों के मुल्क में भी ह़ज़रत इमाम ने बाब में लफ़्ज़े क़ुरा और मुद्दन इस्ते'माल किया क़ुरा क़र्या की जमा है जो उमूमन गांव ही पर बोला जाता है और मुदुन मदीना की जमा है जिसका इत्लाक़ शहर पर होता है।

अल्लामा ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं, **'फ़ी हाज़िहित्तर्जमति इशारतुन इला ख़िलाफ़िम्मन ख़स्सल्जुम्अत बिल्मुदुनि दुनल्कुरा'** या'नी इस बाब में ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) ने उन लोगों के ख़िलाफ़ इशारा फ़र्माया है जो जुम्ओ को शहरों के साथ ख़ास करके देहात में इक़ामते जुम्आ का इंकार करते हैं। आपने इस ह़दीष़ को बतौरे दलील पेश किया कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में मस्जिदे नबवी के बाद पहला जुम्आ अ़ब्दुल क़ैस नामी क़बीले की मस्जिद में क़ायम किया गया जो जुवाष़ी नाम गांव में थी और वो गांव बहरीन के इलाक़े में वाक़ेअ था। ज़ाहिर है कि ये जुम्आ आँह़ज़रत (ﷺ) की इजाज़त ही से क़ायम किया गया। स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) की मजाल न थी कि आँह़ज़रत (ﷺ) की इजाज़त के बग़ैर वो कोई काम कर सकें। जुवाष़ी उस वक़्त एक गांव था मगर ह़नफ़ी ह़ज़रात फ़र्माते हैं कि वो शहर था हालाँकि ह़दीष़े मज़्कूर से उसका गाँव होना ज़ाहिर है जैसा कि वक़ीअ की रिवायत में स़ाफ़ मौजूद है, **'अन्नहा क़र्यतुम्मिन क़ुरा लबहरैन'** या'नी जवाष़ी बह़रीन के देहात में एक गांव था। कुछ रिवायतों में क़ुरा अ़ब्दुल क़ैस भी आया है कि वो क़बीला अ़ब्दुल क़ैस का एक गाँव था। (क़स्तलानी)

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं कि मुम्किन है कि बाद में इसकी आबादी बढ़ गई हो और वो शहर हो गया हो मगर इक़ामते जुम्आ के वक़्त वो गांव ही था। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) ने मज़ीद वज़ाह़त के लिये ह़ज़रत इब्ने शिहाब (रह़.) का फ़र्मान ज़िक्र किया कि उन्होंने रुज़ैक़ नामी एक बुज़ुर्ग को जो ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की त़रफ़ से ऐला के गवर्नर थे और एक गांव में जहाँ उनकी ज़मींदारी थी, रहते थे। उनको उस गांव में जुम्आ क़ायम करने के लिये इजाज़त नामा लिखा।

इमाम क़स्तलानी (रह़.) फ़र्माते हैं कि **अम्लाहु इब्नु शिहाब मिन कातिबिही फ़समिअहू यूनुस मिन्हु** या'नी इब्ने शिहाब ज़ुहरी ने अपने कातिब से उस इजाज़तनामे को लिखवाया और यूनुस ने उनसे उस वक़्त उसे सुना और इब्ने शिहाब ने ये ह़दीष़ पेश करके उनको बतलाया कि वो गांव और देहात ही में है लेकिन उसको जुम्आ पढ़ना चाहिये क्योंकि वो अपने रिआ़या का जो वहाँ रहती है। इस त़रह़ अपने नौकर–चाकरों का निगाहबान है जैसे बादशाह निगाहबान होता है तो बादशाह की त़रह़ उसको भी अह़कामे शरइया क़ायम करना चाहिये जिनमें से एक इक़ामते जुम्आ भी है। इब्ने शिहाब ज़ुहरी वादी-ए-क़ुरा में थे जो मदीना मुनव्वरा के पास एक गांव हैं जिसे आँह़ज़रत (ﷺ) ने सात हिजरी जमादिल आख़िर में फ़तह़ किया था। फ़त्हुल बारी में है कि ज़ैन बिन मुनीर ने कहा कि इस वाक़िआ से ष़ाबित होता है कि जुम्आ बादशाह की इजाज़त के बग़ैर भी क़ायम हो जाता है। जब कोई जुम्आ क़ायम करने के क़ाबिल इमाम ख़त़ीब वहाँ मौजूद हों और इससे गांव में भी जुम्ओ का होना ष़ाबित हुआ।

गांव में जुम्ओ की स़ेह़त के लिये सबसे बड़ी दलील क़ुर्आने पाक की आयते करीमा है जिसमें फ़र्माया **'या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नुदिय लिस़्स़लाति मिंय्यौमिल जुम्अति फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रूल्बैअ'** (आयत अल जुम्आ, 9) 'ऐ ईमानवालों! जब जुम्ओ के दिन नमाज़े जुम्आ के लिये अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र के लिये चलो और ख़रीदो–फ़रोख़्त छोड़ दो।' इस आयते करीमा में ईमानवाले आ़म हैं वो शहरी हों या देहाती। सब इसमें दाख़िल हैं जैसा कि आँह़ज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि **'अल्जुम्अतु हक़्क़ुन वाजिबुन अ़ला कुल्लि मुस्लिमिन फी जमाअ़तिन इल्ला अर्बअ़तुन अ़ब्दुम मम्लूकुन औ इम्रातुन औ स़बिय्युन औ मरीज़ुन'** (रवाहु अबू दाऊद वल ह़ाकिम) या'नी जुम्आ हर मुसलमान पर ह़क़ और वाजिब है कि वो जमाअ़त के साथ अदा करे मगर ग़ुलाम औ़रत और बच्चे और मरीज़ पर जुम्आ फ़र्ज़ नहीं। एक और ह़दीष़ में है, **'मन कान यूमिनु बिल्लाहि वल्यौमिल्आख़िरी फ अलैहिल्जुम्अतु इल्ला मरीज़ुन औ मुसाफ़िरुन औ इम्रातुन औ सबिय्युन औ मम्लूकुन फ मनिस्तगना बिलहविन औ तिजारतिन इस्तग़नल्लाहु अन्हु वल्लाहु ग़निय्युन हमीद'** (रवाहु दारे क़ुत्नी) या'नी जो शख़्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर यक़ीन रखता है उस पर जुम्आ फ़र्ज़ है मगर मरीज़, मुसाफ़िर, ग़ुलाम और बच्चे और औ़रत पर जुम्आ फ़र्ज़ नहीं है। पर जो कोई खेल–तमाशा या तिजारत की वजह से बेपरवाही करे तो अल्लाह पाक भी उससे बेपरवाही करेगा क्योंकि अल्लाह बेनियाज़ और मह़मूद है।

आयते शरीफ़ा में ख़रीदो–फ़रोख़्त के ज़िक्र से कुछ दिमाग़ों से जुम्अे का शहर होना निकाला है हालाँकि ये इस्तिदलाल बिलकुल ग़लत है। आयते शरीफ़ा में ख़रीदो–फ़रोख़्त का इसीलिये ज़िक्र आया कि नुज़ूले आयत के वक़्त ऐसा वाक़िआ पेश आया था कि मुसलमान एक तिजारती काफ़िले के आ जाने से जुम्आ छोड़कर ख़रीद–फ़रोख़्त के लिये दौड़ पड़े थे इसलिये आयत में ख़रीदो–फ़रोख़्त छोड़ने का ज़िक्र आ गया और अगर उसको इसी तरह मान लिया जाए तो कौनसा गांव आज ऐसा है जहाँ कमो–बेश ख़रीदो–फ़रोख़्त का सिलसिला ज़ारी न रहता हो। पस इस आयत से जुम्अे के लिये शहर का ख़ास करना बिल्कुल ऐसा है जैसा कि कोई डूबनेवाला तिनके का सहारा हासिल करे।

एक हदीष़ में साफ़ गांव का लफ़्ज़ मौजूद है। चुनाँचे आहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं, **'अल्जुम्अतु वाजिबतुन अला कुल्लि कर्यतिन फीहा इमामुन इल्लम यकूनू इल्ला अर्बअतुन'** (रवाहु दारे क़ुत्नी, पेज नं. 26) या'नी हर ऐसे गांव वालों पर जिसमे नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम मौजूद हों जुम्आ वाजिब है अगरचे चार ही आदमी हों। ये रिवायत भले ही कमज़ोर है मगर पहली रिवायतों की ताईद व तक़वियत उसे हासिल है। लिहाज़ा इससे भी इस्तिदलाल दुरुस्त है। इसमें उन लोगों का भी रद्द है जो सेहते जुम्आ के लिये कम–अज़्कम 40 आदमियों का शर्त होना क़रार देते हैं।

अकाबिरे सहाबा से भी गांव में जुम्आ पढ़ना ष़ाबित है। चुनाँचे हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का इर्शाद है कि तुम जहाँ कहीं हो जुम्आ पढ़ लिया करो। अता इब्ने मैमून अबू राफ़ेअ से रिवायत करते हैं कि **'अन्न अबा हुरैरत कतब इला उमर यस्अलुहू अनिल्जुम्अति व हुव बिल्बहरैनि फ़क़तब इलैहिम अन तज्मिऊ हैषु मा कुन्तुम अख़्रजहु इब्नु ख़ुज़ैमत व सह्हहू व इब्नु अबी शैबत वल्बैहक़ी व क़ाल हाज़ल्अषरु इस्नादुहू सहीहुन'** (फ़त्हुल बारी, पेज नं. 486) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बहरीन से हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के पास ख़त लिखकर पूछा था कि बहरीन में जुम्आ पढ़ें या न पढ़ें तो हज़रते उमर (रज़ि.) ने जवाब में लिखा था कि तुम जहाँ कहीं भी हो जुम्आ पढ़ लिया करो।

इसका मतलब हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) बयान फ़र्माते हैं, **'क़ालश्शाफ़िइ मअनाहू फी अय्यि कर्यतिन कुन्तुम लिअन्न मकामहुम बिल्बहरैनि इन्नमा कान फिल्कुरा'** (अत्तअलीकुलमुग़नी अलद्दार क़ुत्नी) कि ये मा'नी है कि तुम जिस गांव में भी मौजूद हों (जुम्आ पढ़ लिया करो) क्योंकि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) (सवाल करने वाले) गांव में ही मुक़ीम थे और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) बयान करते हैं कि **'व हाज़ा मा यश्तमिलुल्मुदुन वल्कुरा'** (फ़त्हुल बारी, पेज नं.486) फ़ारूक़ी हुक्म शहरों और देहातों को बराबर शामिल हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ख़ुद गांव में जुम्आ पढ़ने के न सिर्फ़ क़ाइल थे बल्कि सबको हुक्म देते थे। चुनाँचे लैष़ बिन सअद (रह.) फ़र्माते हैं, **'इन्न अहलल्इस्कन्दरियति व मदाइनि मिस्र व मदाइनि सवाहिलिहा कानू यज्मऊनल्जुम्अत अला अहदि उमरब्निल्खत्ताबि व उष़्मानब्नि अफ़्फ़ान बिअम्रिहिमा व फीहिमा रिजालुम्मिनस्सहाबति'** (अत्तअलीमुल्मुग़नी अलद्दार क़ुत्नी, जिल्द नं. 1, पेज नं. 166) इस्कंदरिया और मिस्र के आसपास वाले हज़रत उमर व उष़्मान (रज़ि.) के ज़माने में इन दोनों की इर्शाद से जुम्आ पढ़ा करते थे। हालाँकि वहाँ सहाबा किराम (रिज़.) की एक जमाअत भी मौजूद थी और वलीद बिन मुस्लिम फ़र्माते हैं कि **'सअल्तुल्लैष़ब्न सअदिन (अय अनित्तज्मीइ फिल्कुरा) फ़क़ाल कुल्लु मदीनतिन औ कर्यतिन फ़ीहा जमाअतुन उमिरू बिल्जुम्अति फइन्न अहल मिस्र व सवाहिलिहा कानू यज्मऊनल्जुम्अ त अला अहदि उमर व उष़्मान बिअम्रिहिमा व फीहिमा रिजालुम्मिनस्सहाबति'** दारे क़ुत्नी पेज नं. 166, फ़त्हुल बारी, पेज नं. 486)

नीज़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी गांव और शहर के बाहर रहनेवालों पर जुम्अे की नमाज़ फ़र्ज़ होने के क़ाइल थे। चुनाँचे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने सहीह सनद के साथ हज़रत इब्ने उमर से रिवायत की है कि **'इन्नहू कान यरा अहलल्मियाहि बैन मक्कत वल्मदीनति यज्मऊन फला यईबु अलैहिम'** (फ़त्हुल बारी, जिल्द नं. 1,पेज नं. 486 वत्तालीकुल मुग़्नी अलद्दारिल क़ुत्नी, पेज नं. 166) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मक्का और मदीना के दरम्यान पानी के पास उतरते हुए वहाँ के देहाती लोगों को जुम्आ पढ़ते देखते तो भी उनको न मना करते और न उनको बुरा कहते और वलीद बिन मुस्लिम रिवायत करते हैं कि **'युर्वा अन शैबान अन मौला लाल सईदिब्निल्आसि अन्नहू सअलब्न उमर अनिल्कुरल्लती बैन मक्कत वल्मदीनति मा तरा ल्जिुम्अति क़ाल नअम इज़ा कान अलैहिम अमीरुन फल्यज्मअ'** (रवाहुल बैहक़ी वत्तअलीक़, पेज नं. 166)

सईद बिन आस़ के मौला ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से उनके गांव के बारे में पूछा जो मक्का और मदीना के दरम्यान

में हैं कि उन गांवों में जुम्आ है या नहीं तो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हाँ! जब कोई अमीर (इमाम नमाज़ पढ़ाने वाला) हो तो जुम्आ उनको पढ़ाए।

नीज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) भी देहात में जुम्आ पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। चुनाँचे जा'फ़र बिन बुर्क़ान (रह.) रिवायत करते हैं कि **'कतब उमरुब्नु अब्दिलअज़ीज़ इला अदी बिन अदी अल्किन्दी उन्ज़ुर कुल्ल क़र्यतिन अहलु क़ुरारिन लैसू हुम बिअहलि उमूदिन यन्तक़िलून फ़अम्मिर अलैहिम अमीरन षुम्म मुर्हु फल्यज्मअबिहिम'** (रवाहुल्बैहक़ी फ़िल मअरिफ़ह वत्तालीक़ुल मुग़नी अलद्दारुल क़ुत्नी, पेज नं. 166) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अदी इब्ने अदी अलकुन्दी के पास लिखकर भेजा कि हर ऐसे गांव को देखो जहाँ के लोग उसी जगह मुस्तक़िल तौर पर नमाज़ पढ़ते हैं। सुतून वालों (खानाबदोशों) की तरह इधर-उधर फिरते व मुंतक़िल नहीं होते। उस गांववालों पर एक अमीर (इमाम) मुक़र्रर कर दो कि उनको जुम्आ पढ़ाता रहे।

हज़रत अबू ज़र (सहाबी रज़ि.) रब्ज़ा गांव में रहने के बावजूद वहीं चंद सहाबा के साथ बराबर जुम्आ पढ़ते थे। चुनाँचे इब्ने हजर (रह.) मुहल्ला में फ़र्माते हैं कि **'सहीहुन अन्नहू कान बिउष्मान अब्दुन अस्वदु अमीरुन लहू अलरब्जति युसल्ली ख़ल्फ़हू अबू ज़र (रज़ि.) मिनस्सहाबति अल्जुम्अत व ग़ैरहा'** (कुबैरि शर्हु मुनीह, पेज नं. 512) सहीह सनद से ये षाबित है कि हज़रत उष्मान (रज़ि.) का एक सियाह फ़ाम ग़ुलाम रब्ज़ा में हुकूमत की तरफ़ से अमीर (इमाम) था। हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) और दीगर सहाबा किराम (रिज़.) उसके पीछे जुम्आ पढ़ा करते थे।

नीज़ हज़रत अनस (रज़ि.) शहरे बसरा के पास मौज़अे ज़ाविया में रहते थे। कभी तो जुम्आ की नमाज़ पढ़ने के लिये बसरा आते थे और कभी जुम्अे की नमाज़ मौज़अे ज़ाविया ही में पढ़ लेते थे। बुख़ारी शरीफ़, जिल्द नं. 1, पेज नं. 123 में है **'व कान अनसुन फी क़स्रिन अहयानन यज्मउ व अहयान ला यज्मउ व हुव बिज़्ज़ावियति अला फर्सखैनि'** इस इबारत का मुख़्तसर मतलब ये है कि हज़रत अनस (रज़ि.) जुम्अे की नमाज़ कभी ज़ाविया ही में पढ़ लेते थे और कभी ज़ाविया में भी नहीं पढ़ते थे बल्कि बसरा में आकर के जुम्आ पढ़ते थे।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में यही मतलब बयान करते हैं, **'क़ौलुहू यज्मउ अय युसल्ली अल्जुम्अत बिमन मअहू व यशहदुल्जुम्अतल्बस्रत'** या'नी कभी जुम्अे की नमाज़ (ज़ाविया में) अपने साथियों को पढ़ाते या जुम्अे के लिये बसरा तशरीफ़ लाते और यही मतलब अल्लामा ऐनी (रह.) ने उम्दा क़ारी, सफ़ा नं. 274, जिल्द नं. 3 में फ़र्माते हैं।

हज़रत अनस (रज़ि.) ईद की नमाज़ भी इसी ज़ाविया में पढ़ लिया करते थे। चुनाँचे बुख़ारी शरीफ़, पेज नं. 134 में है कि, **' वअमर अनसुब्नु मालिक मौलाहुब्न अबी उत्बत बिज़्ज़ावियति फजमअ अहलहू व बनीहि व सल्ला कसलातिल्मिस्रि व तक्बीरिहिम'** हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने अपने आज़ादकर्दा ग़ुलाम इब्ने उतैबा को ज़ाविया में हुक्म दिया और अपने तमाम घरवालों बेटों वग़ैरह को जमा करके शहरवालों की तरह ईद की नमाज़ पढ़ी। अल्लामा ऐनी (रह.) ने भी उम्दतुल क़ारी, पेज नं. 400/जिल्द नं. 3में इसी तरह बयान किया है। इन आष़ार से साफ़ मा'लूम होता है कि सहाबा किराम (रज़ि.) जुम्आ और ईदैन की नमाज़ शहरवालों की तरह गांव में भी पढ़ा करते थे।

नबी (ﷺ) ने ख़ुद गांव में जुम्आ पढ़ा है:

रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके म दीना तय्यिबा तशरीफ़ ले गए थे तो बनी मालिक के गांव में जुम्अे की नमाज़ पढ़ी थी। इब्ने हज़्म (रह.) मुहल्ला में फ़र्माते हैं कि **'व मिन आज़मिल्बुर्हानि अला सिह्हतिहा फिल्कुरा अन्नन्नबिय्य (ﷺ)अतल्मदीनत व इन्नमा हिय क़र्यतुन सिगारुन मुतफर्रिक़तुन फ़बना मस्जिदहू फी बनी मालिक बिन नज्जार व जमअ फीहि फ़ी क़र्यतिन लैसत बिल्कबीरति हुनालिक'** (औनुल्माबूद शरह अबू दाऊद, जिल्द नं. 1, पेज नं. 414) देहात व गांव में जुम्आ पढ़ने की सेहत पर सबसे बड़ी दलील ये है कि नबी करीम (ﷺ) जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त मदीने के छोटे–छोटे अलग–अलग गांव बसे हुए थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी मालिक बिन नज्जार में मस्जिद बनाई और उसी गांव में जुम्आ पढ़ा जो न तो शहर था और न बड़ा गांव ही था।

और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने तल्ख़ीसुल हबीर, पेज नं. 132 में फ़र्माते हैं कि **'व रवल्बैहक़ी फिल्मअरिफति**

अन मुगाज़िब्नि इस्हाक़ व मूसब्न उक़्बत उन्नन्नबिय्यि (ﷺ) हीन रकिब मिन बनी अमरिब्नि औफ़ फी हिज्रतिही इलल्मुदीनति मर्र अला बनी सालिम व हिय क़र्यतुन बैन क़ुबा वल्मदीनति फअदरकल्हुल्जुम्अतु फ़सल्ला बिहिमल्जुम्अत व कानत अव्वलु जुम्अतिन सल्लाह हीन कदिम' इमामे बैहक़ी (रह.) ने अल मअ़रिफ़ा में इब्ने इस्हाक़ व मूसा बिन उक़्बा के मग़ाज़ी से रिवायत किया है कि हिजरत के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) जिस वक़्त बनी अम्र बिन औफ़ (क़ुबा) से सवार होकर मदीना की तरफ़ रवाना हुए तो बनी सालिम के पास से आपका गुज़र हुआ वो क़ुबा व मदीना के बीच एक गांव था तो उसी जगह जुम्आ ने आपको पा लिया या'नी जुम्अे का वक़्त हो गया तो सबके साथ (उसी गांव में) जुम्अे की नमाज़ पढ़ी। मदीना तशरीफ़ लाने के वक़्त सबसे पहला यही जुम्आ आपने पढ़ा है।

ख़ुलासतुल वफ़ाअ पेज नं. 196 में है, **'व लि इब्नि इस्हाक़ फअदरकत्हुल्जुम्अतु फी बनी सालिमिब्नि औफ़ फ़सल्लाहा फी बत्निल्वादी वादी जी रानूना फकानत अव्वलु जुम्अतिन सल्लाहा बिल्मदीनति'** और सीरते इब्ने हिशाम में है कि **'फअदकत्रसूल्लाहि (ﷺ) अल्जुम्अतु फ़ी बनी सालिम बिन औफ़ फसल्लाहा फिल्मस्जिदिल्लज़ी फी बत्निल वादी रानूना'** या'नी वादी (मैदान) रानूना की मस्जिद में आपने जुम्अे की नमाज़ पढ़ी।

और आप के हिजरत करने से पहले कुछ सहाबा किराम जो पहले हिजरत करके मदीना तय्यिबा तशरीफ़ ला चुके थे वो अपने इज्तिहाद से कुछ गांव में जुम्आ पढ़ते थे फिर हुज़ूर (ﷺ) ने उनको मना नहीं किया जैसे असअ़द बिन ज़ुरारह (रज़ि.) ने हज़्मुन नबीत (गांव) में जुम्आ पढ़ाया। अबू दाऊद शरीफ़ में है, **'लिअन्नहू अव्वलु मन जमअ बिना फी हजमिन्नबीत मिन हर्रा बनी बयाजा फी नक़ीइन युक़ालु नकीउल्ख़ज़मात अल्हदीष'** (अल हदीष) हुर्रा बनी बयाज़ह एक गांव का नाम था जो मदीना तय्यिबा से एक मील की दूरी पर आबाद था।

हाफ़िज़ इब्ने हजर तल्ख़ीसुल हबीर, पेज नं. 133 में फ़र्माते हैं, **'हर्रतु बनी बयाजा क़र्यतुन अला मीलिम्मिनल मदीनति'** और ख़ुलासतुल वफ़ाअ में है, **'वस्सवाबु अन्नहू बिहज़मिन्नबीति मिन हर्रति बनी बयाज़ा सलमत व लिज़ा कालन्नववी अन्नहू क़र्यतुन यक़रबुल्मदीनत अला मीलिम्मिम्नाज़िलि बनी सलमत कालहुल्इमामु अहमद कमा नक़लहुश्शैबु'** इस इबारत का मतलब ये है कि हर्रा बनी बयाज़ा मदीने के पास एक मील की दूरी पर एक गांव है उसी गांव में असअ़द बिन ज़ुरारह (रज़ि.) ने जुम्अे की नमाज़ पढ़ाई थी।

इसीलिये इमामे ख़त्ताबी (रह.) शरह अबी दाऊद में फ़र्माते हैं कि **व मिनल हदीषि मिनल्फिक़्हि अन्नल्जुम्अत जवाज़ुहा फिल्कुरा कजवाज़िहा फिल्मुदुनि वल्अम्सारि** इस हदीष से ये समझा जाता है कि देहात में जुम्आ पढ़ना जाइज़ है जैसे कि शहरों में जाइज़ है।

इन अहादीष व आषार से साफ़ तौर पर मा'लूम हो गया कि सहाबा किराम (रज़ि.) देहात में हमेशा जुम्आ पढ़ा करते थे और अज़ ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) ने पढ़ाया और पढ़ने का हुक्म दिया है कि **अल्जुम्अतु वाजिबतुन अला कुल्लि क़र्यतिन** (दारे क़ुत्नी, पेज नं. 165) हर गांव वालों पर जुम्आ फ़र्ज़ है।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने भी अपनी ख़िलाफ़त के दौर में देहात में जुम्आ पढ़ने का हुक्म दिया और हज़रत उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) के दौर में भी सहाबा किराम (रज़ि.) गांव में जुम्आ पढ़ा करते थे। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने भी देहात में जुम्आ पढ़ने का हुक्म दिया।

इन तमाम अहादीष व आषार के होते हुए कुछ लोग देहात में जुम्आ बन्द कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। हालाँकि जुम्आ तमाम मुसलमानों के लिये ईद है। ख़्वाह शहरी हों या देहाती। तर्ग़ीब व तरहीब, पेज नं. 195/ जिल्द नं. 1 में है कि **अन अनसिब्नि मालिक (रज़ि.) क़ाल उरिजतिल्जुम्अतु अला रसूलिल्लाहि (ﷺ) जाअ बिहा जिब्राइलु अलैहिस्सलाम फी कल्मिर्अतिल्बैज़ाई फी वस्तिहा कन्नुक्ततिस्सौदाइ फक़ाल मा हाज़ा या जिब्रील क़ाल हाज़िहिल्जुम्अतु यअ्रिज़ुहा अलैक रब्बुक लितकून लक ईदन व लिक़ौमिक मिम्बअ्दिक अल्हदीष रवाहुत्तबरानी फिल्औस्ति बिइस्नादिन जय्यिदिन** हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जुम्अे को सफ़ेद आइने की तरह एक पल्ले में लाकर पेश फ़र्माया। उसके बीच में एक स्याह नुक्ता सा था। नबी करीम (ﷺ) ने पूछा कि ऐ जिब्राईल! ये क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जवाब दिया कि ये वो जुम्आ है जिसको आपका रब आपके सामने पेश करता है ताकि आपके और आपकी उम्मत के वास्ते ये ईद होकर रहे।

इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि जुम्आ तमाम उम्मते मुह़म्मदिया के लिये ईद है, उसमें शहरी व देहाती की कोई तख़्सीस़ नहीं है। अब देहातियों को इस ईद (जुम्आ) से मह़रूम रखना इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है। ईमान, नमाज़, रोज़ा, ह़ज्ज, ज़कात वग़ैरह जैसे देहाती पर बराबर फ़र्ज़ हैं। इसी त़रह़ जुम्आ भी देहाती व ग़ैर देहाती पर बराबर फ़र्ज़ है। अगर गांव वालों पर जुम्आ फ़र्ज़ न होता तो अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (ﷺ) अलग करके ख़ारिज कर देते जैसे मुसाफ़िरों, मरीज़ वग़ैरह को अलग किया गया है हालाँकि किसी आयत या ह़दीष़े मर्फ़ूअ सह़ीह़ में इसका इस्तिष़्नाअ नहीं किया गया।

मानेईने जुम्आ (जुम्आ से मना करने वालों) की दलील:–

ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) का अष़र (क़ौल) **'ला जुम्अ़त व ला तश्रीक इल्ला फी मिस्र जामिअ'** मानेईन की सबसे बड़ी दलील है मगर ये क़ौल मज़्कूरा बाला अह़ादीष़ व आष़ार के मुआरिज़ व मुख़ालिफ़ होने के अलावा उनका ज़ाती इज्तिहाद है और हुर्मत और वुजूबे इज्तिहाद से ष़ाबित नहीं होते क्योंकि उसके लिये नस्से क़त़ई होना शर्त है। चुनाँचे मज्मउल अन्हार, पेज नं. 109 में इस अष़र के बाद लिखा है, **'लाकिन हाज़ा मुश्किलुन जिद्दा लिअन्नश्शर्त हुव फ़र्ज़ुन ला यष्बुतु इल्ला बिक़तइय्यिन।'**

फिर मिस्र जामेअ़ की ता'रीफ़ में इस क़दर इख़्तिलाफ़ है कि अगर उसको मोतबर समझा जाए तो देहात तो देहात ही है आजकल हिन्दुस्तान के बड़े–बड़े शहरों में भी जुम्आ पढ़ा जाना नाजाइज़ हो जाएगा क्योंकि मिस्र जामेअ़ की ता'रीफ़ में अमीर व क़ाज़ी व अह़कामे शरई का निफ़ाज़ और हुदूद का ज़ारी हो जाना शर्त है। हालाँकि इस वक़्त हिन्दुस्तान में न कोई शरई ह़ाकिम व क़ाज़ी है, न हुदूद ही का इज्राअ है और न हो सकता है। बल्कि अकष़र इस्लामी मुल्कों में भी हुदूद का निफ़ाज़ नहीं है तो उस क़ौल के मुताबिक़ शहरों में भी न होना चाहिये और उन शर्तों का षुबूत न क़ुर्आन मजीद से है और न सह़ीह़ ह़दीष़ों से है।

और **ला जुमुअ़त** में **ला नफ़ी** कमाल का भी हो सकता है या'नी कामिल जुम्आ शहर ही में होता है क्योंकि वहाँ जमाअ़त ज़्यादा होती है और शहर के ए'तिबार से देहात में जमाअ़त कम होती है। इसलिये शहर की ह़ैष़ियत से देहात में ष़वाब कम मिलेगा। जैसे जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस दर्जे ज़्यादा ष़वाब मिलता है और अलग पढ़ने से इतना ष़वाब नहीं मिलता तो **ला जुम्अ़ता अल्ख़** में कमाल और ज़्यादती ष़वाब की नफ़ी है फ़र्ज़ियत की नफ़ी नहीं है।

अगर बिल फ़र्ज़ उस तौजीह को तस्लीम न किया जाए तो देहातियों के लिये क़ुर्बानी और बक़र ईद के दिनों की तक्बीरें वग़ैरह भी नाजाइज़ होनी चाहिये क्योंकि क़ुर्बानी नमाज़े ईद के ताबेअ़ व मातह़त है और जब मत्बूअ़ (नमाज़े ईद) ही नहीं तो ताबेअ़ (क़ुर्बानी) कैसे जाइज़ हो सकती है? जो लोग देहात में जुम्आ पढ़ने से रोकते हैं उनको चाहिये कि देहातियों को क़ुर्बानी से भी रोक दें।

और अष़र मज़्कूर पर उनका ख़ुद भी अमल नहीं क्योंकि तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर इमाम के हुक्म से गांव में मस्जिद बनाई जाए तो उसी के हुक्म से गांव में जुम्आ भी पढ़ सकते हैं। चुनाँचे दुर्रे मुख़्तार, जिल्द: अव्वल / पेज नं. 537 में हैं कि **इज़ा बुनिय मस्जिदुन फ़िर्रस्ताकि बिअम्रिल्इमामि फहुव अमर बिल्जुम्अति इत्तिफ़ाकन अला मा क़ालहुस्सरख़सी वर्रस्ताक़ कमा फिल्कामूस** जब गांव में इमाम के हुक्म से मस्जिद बनाई जाए तो वहाँ बइत्तिफ़ाक़ फ़ुक़हा जुम्अ़े की नमाज़ पढ़ी जाएगी।

इससे साफ़ मा'लूम होता है कि जुम्अ़े के लिये मिस्र (शहर) होना ज़रूरी नहीं बल्कि देहात में भी जुम्आ हो सकता है। इमाम मुह़म्मद (रह़.) भी इसी त़रह़ फ़र्माते हैं। **'हत्ता लौ बुइष़ इला क़र्यतिन नाइबन लिइकामतिल्हुदूदि वल्क़िस़ासि तस़ीरू मिस्रन फइज़ा उज़िलुहू तल्हक़ु बिल्कुरा'** (ऐनी शरह़ बुख़ारी, पेज नं. 26 व कुबैरी शरह़ मुनिह, पेज नं. 514) अगर किसी नाईब को हुदूदो–क़िस़ास़ जाइज़ करने के लिये किसी गांव में भेजे तो वो गांव (शहर) हो जाएगा जब नाइब को मअ़ज़ूल (अलग–अलग) कर देगा तो वो गांव के साथ मिल जाएगा या'नी फिर गांव हो जाएगा।

बहरकेफ़ जुम्आ के लिये मिस्र होना (शरअ़न) शर्त नहीं है बल्कि आबादी व बस्ती व जमाअ़त होना ज़रूरी है और हो सकता है कि ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के क़ौल फ़ी मिस्रे जामेअ़ से बस्ती ही मुराद हो क्योंकि बस्ती शहर व देहात दोनों को

शामिल है इसलिये लफ़्ज़े क़र्या से कभी शहर और कभी गांव मुराद लेते हैं। लेकिन इसके अ़सली मा'नी वही बस्ती के हैं।

अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह़.) शरह़ बुख़ारी, जिल्द नं. 2, पेज नं. 138 में लिखते हैं, **'वल्क़र्यतु वाहिदतुल्कुरा कुल्लु मकानिन इत्तसलत फीहिल्अब्नियतु वत्तख़ज़ क़रारन व यक़उ ज़ालिक अलल्मुदुनि व गैरहा'** (और लिसानुल अ़रब, पेज नं. 637 जिल्द में है, **'वल्क़र्यतु मिनल्मसाकिनि वल्अब्नियति व वज़्ज़ियाइ व क़द तुत्लकु अलल्मुदुनि व फिल्हदीष़ि उमिरत बिकर्यतिन ताकुलुल्कुरा व हिय मदीनतुर्रसूलि (ﷺ) अयज़न व जाअ फी कुल्लि क़ारिन व बादिन बादिल्लज़ी यन्ज़िलुलक़र्यत वल्बादी।'**

इन इबारतों से मा'लूम होता है कि क़रिआ के मा'नी मुत्लक़ बस्ती के हैं और मिस्र जामेअ़ का मा'नी भी बस्ती के हैं क्योंकि अहले लुग़त ने क़रिआ की तफ़्सीर में लफ़्ज़े मिस्रे जामेअ़ इख़्तियार किया है।

चुनाँचे इसी लिसानुल अ़रब में है, **'क़ाल इब्नु सय्यिदा अल्कर्यतु वल्क़र्यतु लुगतानि अल्मिस्रुलजामिअ़ अत्तहज़ीबुल्मक्सूरतु यमानिया वमिन षम्मा इज्तमअ़ अललक़ुरा'** और क़ामूस, पेज नं. 285, **'अल्क़र्यतुल्मिस्र अल्मिस्रुल्जामिअ़'** और अल मुंजिद, पेज नं. 661 में है, **'अल्क़र्यतु वल्क़र्यतुज्जैअतु अल्मिस्रुल्जामिअ़।'**

इन इबारतों से स़ाफ़ मा'लूम होता है कि क़रिआ और मिस्रे जामेअ़ दोनों एक ही चीज़ हैं और क़रिआ के मा'नी बस्ती के हैं तो मिस्रे जामेअ़ के मा'ना भी बस्ती के हैं और बस्ती शहर और गांव दोनों को शामिल है। पस ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के अष़र का मत़लब ये हुआ कि जुम्आ बस्ती में होना चाहिये या'नी शहर व देहात दोनों जगह होना चाहिये।

मुनासिब होगा इस बह़ष़ को ख़त्म करते हुए ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब शैख़ुल ह़दीष़ मुबारकपुरी मद्दज़िल्लुहुल आ़ली का फ़ाज़िलाना तब्स़रा (आपकी क़ाबिले क़द्र किताब, मिर्आ़त, जिल्द नं. 2, पेज नं. 288 से) शाएक़ीन के सामने पेश कर दिया जाए। ह़ज़रत मौस़ूफ़ फ़र्माते हैं, **'वख़्तलफ़ू अयज़न फी महल्लि इक़ामतिल्जुम्अति फक़ाल अबू ह़नीफ़त व अस़्ह़ाबुहू ला तसिह़्हु इल्ला फी मिस्र जामिअ़ व जहबल्अइम्मतुष़्षलाष़तु इला जवाज़िहा व स़िह़्ह़तिहा फ़िल्मुदुनि वल्कुरा जमीअ़न वस्तदल्ल अबू ह़नीफ़त बिमा रुविय अन अ़लिय्यिन मर्फ़ूअ़न ला जुम्अत व ला तश्रीक इल्ला फी मिस्र जामिअ़ व कद ज़अ़्अ़फ़ अह़मदु व गैरहू रफअ़हू व स़ह़्ह़ह इब्नु ह़ज़्म वग़ैरहू वक़्फ़हू व लिल्इज्तिहादि फीहि फला युन्तहज़ु लिल्इहतिजाजि बिही फ़ज़्लन अन अय्युख़स़्सिस़ बिही उमूलुल्आयति औ युक़य्यदु बिही इल्लाकुहा मअ़ अन्नल्हनफिय्यत कद फी तहदीदिमिस्रिल्जामिअ़ व जब्तुहू इला अक़्वालिन कष़ीरतिन मुतबायनतिन व मुतनाक़ज़तिन मुतख़ालफतिन जिद्दा कमा ला यख़्फी अ़ला मन त़ालअ़ कुतुब फुरूइहिम व हाज़ा यदुल्लु अ़ला अन्नहू लम यतअ़य्यन इन्दहुम मअ़्नल्हदीष़ि वर्राजिहु इन्दना मा जहब इलैहिल्अइम्मतुष़्षलाष़तु मिन अ़दमि इश्तिरातिल्मिस्रि व जवाज़िहा फिल्कुरा लिउ़मूमिल्आयति व इतलाकिहा व अ़दमि वुजूदि मा यदुल्लु अ़ला तख़्स़ीस़िहा वला बुद्दलिमय्युक़य्यिद ज़ालिक बिल्मिस्रिल्जामिइ अय्यांतिय बिदलीलिन क़ातिइन मिन किताबिन औ सुन्नतिन मुतवातरतिन और खबरुन मश्हूरुन बिल्मअ़नल्मुस्तहिली इन्दल्मुहद्दिषीन व अलत्तन्ज़ीलि बिख़बरिन वाहिदिन मर्फ़ूइन स़रीह़िन स़ह़ीह़िन यदुल्लु अ़लत्तख़्स़ीस़ि बिल्मिस्रिल्जामिअ़'।**

ख़ुलास़ा इस इबारत का ये है कि उ़लमा ने महल्ले इक़ामते जुम्आ में इख़्तिलाफ़ किया है चुनाँचे ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) और आपके अस़्ह़ाब का क़ौल है कि जुम्आ स़िर्फ़ मिस्रे जामेअ़ ही में सही है और तीनों इमाम ह़ज़रत इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अ़ह़मद (रह़.) फ़र्माते हैं कि शहरों के अ़लावा गांव—बस्तियों में भी जुम्आ हर जगह सही और दुरुस्त है। ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) ने इस ह़दीष़ से दलील ली है जो मर्फ़ूअ़न ह़ज़रत अ़ली से मरवी है कि जुम्आ और ईद सही नहीं मगर मिस्रे जामेअ़ में। इमाम अह़मद वग़ैरह ने इस रिवायत के मर्फ़ूअ़ होने को ज़ईफ़ कहा है और अ़ल्लामा इब्ने ह़ज़्म वग़ैरह ने इसका मौक़ूफ़ होना सही तस्लीम किया है। चूँकि ये मौक़ूफ़ है और इसमें इज्तिहाद के लिये काफ़ी गुंजाइश है इसलिये ये इहतिजाज के क़ाबिल नहीं है और इस वजह से भी कि इससे क़ुर्आने पाक की आयत **'इज़ा नूदिय लिस़्स़लाति मिंय्यौमिल्जुम्अति फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि'** जो मुत्लक़ है। इसका मुक़य्यिद होना लाज़िम आता है। फिर ह़न्फ़िया ख़ुद मिस्र की ता'रीफ़ में भी मुख़्तलिफ़ हैं। जबकि इनके यहाँ बसिलसिल-ए-ता'रीफ़ मिस्रे जामेअ़ अक़्वाल बेहद मुताज़ाद (विरोधाभाषी) और मुतनाक़िज़ नीज़ मुतबाइन है जैसा कि उनकी कुतुबे फ़ुरूअ़ के मुतालआ करनेवाले ह़ज़रात पर मख़्फ़ी नहीं है। ये दलील है कि फ़िल ह़क़ीक़त इस ह़दीष़ के कोई सही मा'नी उनके यहाँ भी मुतअ़य्यिन (निर्धारित) नहीं है। पस हमारे

नज़दीक यही राजेह है कि तीनों इमाम जिधर गए हैं कि जुम्अे के लिये मिस्र शर्त नहीं है और जुम्आ शहर की तरह गांव–बस्तियों में भी जाइज़ है और यही फ़त्वा सही है। क्योंकि कुर्आन मजीद की आयते मज़्कूर जिससे जुम्अे की फ़र्ज़ियत हर मुसलमान पर षाबित होती है (सिवाए उनके जिनको शारेअ ने अलग कर दिया है) ये आयत आम है जो शहरो–देहाती जुम्ला मुसलमान को शामिल है और मिस्रे जामेअ की शर्त के लिये जो आयत के उमूम को ख़ास करे कोई दलीले क़तेअ कुर्आनो–हदीष से मुतावातिर या ख़बरे मशहूर जो मुहद्दिषीन के नज़दीक क़ाबिले कुबूल और लायक़े इस्तिदलाल हो, नहीं है। नीज़ कोई ख़बरे वाहिद, मर्फ़ूअ, सरीह, सहीह भी ऐसी नहीं है जो आयत को मिस्रे जामेअ के साथ ख़ास कर सके।

ता'दाद के बारे में हज़रत मौलाना शैख़ुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं कि '**वर्राजिह इन्दी मा ज़हब इलैहि अहलुज़्ज़ाहिरि अन्नहू तसिह्हुल्जुम्अतु बिष्नैनि लिअन्नहू लम यकुम दलीलुन अला इश्तिराति अदनिन मख़्सूसिन व क़द सह्हतिल्जमाअतु फी साइरिस्सलवाति बिष्नैनि व ला फरक़ बैनहुमा व बैनल्जुम्अति फी ज़ालिक व लम याति नस्सुन मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) बिअन्नलजुम्अत ला तुन्अक़दु इल्ला बिकज़ा अल्ख़**' (मिर्आत, जिल्द नं. 2, पेज नं. 288) या'नी इस बारे में कि जुम्अे के लिये नमाज़ियों की कितनी ता'दाद ज़रूरी है। मेरे नज़दीक इसको तर्जीह हासिल है जो अहले ज़ाहिर का फ़त्वा है कि बिला शक जुम्आ दो नमाज़ियों के साथ भी सही है इसलिये कि अददे मख़्सूस के शर्त होने के बारे में कोई दलील नहीं हो सकती और दूसरी नमाज़ों के जमाअत भी दो नमाज़ियों के साथ सही है और पंज वक़्ता नमाज़ और जुम्आ में इस बारे में कोई फ़र्क़ नहीं है और न कोई नस्से सरीह रसूले करीम (ﷺ) से इस बारे में वारिद हुई है कि जुम्अे का इन्अिक़ाद इतनी ता'दाद के बग़ैर सही नहीं। इस बारे में कोई हदीषे सहीह मर्फ़ूअ रसूलुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल नहीं है।

इस मक़ाला को इसलिये लम्बा दिया गया कि हालाते मौजूदा में उलेम-ए-किराम ग़ौर करें और जहाँ भी मुसलमान की जमाअत मौजूद हों वो क़स्बा हो या शहर या गांव हर जगह जुम्आ क़ायम कराएँ क्योंकि शाने–इस्लाम इसके क़ायम करने में है और जुम्आ छोड़ने में बहुत से नुक़्सानात हैं जबकि इमामाने हिदायत में से तीनों इमाम इमामे शाफ़िई , इमामे मालिक और इमामे अहमद बिन हंबल (रह.) भी गांव में जुम्अे के हक़ में है फिर इसके छोड़ने पर ज़ोर देकर अपनी तक़्लीदे जामिद का षुबूत देना कोई अक़्लमन्दी नहीं है। **वल्लाहु यह्दी मय्यंशाउ इला सिरातिम् मुस्तक़ीम**

बाब 12 : जो लोग जुम्अे की नमाज़ के लिये न आएँ जैसे औरतें बच्चे, मुसाफ़िर और मा'ज़ूर वग़ैरह उन पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है

١٢- بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةِ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟

और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा ग़ुस्ल उसी को वाजिब है जिस पर जुम्आ वाजिब है।

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

894. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने (अपने वालिद) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना फ़र्माते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि तुममें से जो शख़्स जुम्आ पढ़ने आए तो ग़ुस्ल करे। (राजेअ : 877)

٨٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)). [راجع: ٨٧٧]

895. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे सफ़वान बिन सुलैम

٨٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

ने, उनसे अता बिन यसार ने, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर बालिग़ के ऊपर जुम्अे के दिन ग़ुस्ल वाजिब है। (राजेअ : 858)

يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).

[راجع: ٨٥٨]

896. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ताऊस ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया हम (दुनिया में) तो बाद में आए लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे होंगे, फ़र्क़ सिर्फ़ ये है किताब यहूद और नसारा को हमसे पहले दी गई और हमें बाद में। तो ये दिन (जुम्आ) वो है जिसके बारे में अहले किताब ने इख़्तिलाफ़ किया। अल्लाह तआ़ला ने हमें ये दिन बतला दिया (उसके बाद) दूसरा दिन (हफ़्ता) यहूद का दिन था और तीसरा दिन (इतवार) नसारा का। आप फिर ख़ामोश हो गए। (राजेअ : 238)

٨٩٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهِ فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى)) فَسَكَتَ.

[راجع: ٢٣٨]

897. इस हदीष़ की रिवायत अबान बिन सालेह ने मुजाहिद से की है, उनसे ताऊस ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला का हर मुसलमान पर हक़ है कि हर सात दिन में एक दिन (जुम्अे में) ग़ुस्ल करे। (दीगर मक़ाम : 898, 3487)

٨٩٧- ثُمَّ قَالَ: ((حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)).

[طرفاه في: ٨٩٨، ٣٤٨٧].

898. इस हदीष़ की रिवायत अबान बिन सालेह ने मुजाहिद से की है, उसने ताऊस ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला का हर मुसलमान पर हक़ है, हर सात दिन में एक दिन (जुम्अे में) ग़ुस्ल करे। (राजेअ : 897)

٨٩٨- رواه أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((للهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا)).

[راجع: ٨٩٧]

तश्रीह : या'नी ये दिन जुम्अे का वो दिन है जिसकी ता'ज़ीम इबादते इलाही के लिये फ़र्ज़ की गई थी। अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने चंद आषार ज़िक्र किये हैं जिनसे ष़ाबित होता है कि मूसा अ़लैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ख़ास दिन अल्लाह की इबादत के लिये मुक़र्रर किया था और वो जुम्आ का दिन था लेकिन नाफ़र्मानी की वजह से अपने इज्तिहाद को दख़ल देकर उसे छोड़ दिया और कहने लगे कि हफ़्ते (शनिवार) का दिन ऐसा है कि उसमें अल्लाह ने तमाम दुनिया की ख़िलक़त (रचना) करने के बाद आराम फ़र्माया था पस हमको भी मुनासिब है कि हम हफ़्ते को इबादत का दिन मुक़र्रर करें। और नसारा कहने लगे कि इतवार के दिन अल्लाह ने मख़्लूक़ की ख़िलक़त (रचना) शुरू की, मुनासिब है कि उसको हम अपनी इबादत का दिन ठहरा लें। पस इन लोगों ने इसमें इख़्तिलाफ़ किया और हमको अल्लाह ने सराहतन बतला दिया कि जुम्अे का ही दिन बेहतर है।

इब्ने सीरीन से मरवी है कि मदीने के लोग आँहज़रत (ﷺ) के आने से पहले जबकि अभी सूरह जुम्आ भी नाज़िल नहीं हुई थी एक दिन जमा हुए और कहने लगे कि यहूद और नसारा ने एक दिन जमा होकर इबादत के लिये मुक़र्रर किये हुए हैं क्यूँ न हम भी एक दिन मुक़र्रर करके अल्लाह की इबादत किया करें। सो उन्होंने अरूबा का दिन मुक़र्रर किया और असअद बिन ज़रारह को इमाम बनाया और जुम्आ अदा किया। उस दिन ये आयत नाज़िल हुई, '**इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिंय्यौमिल जुम्अति फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि**' (अल जुम्आ, आयत नं. 9) इसको अल्लामा इब्ने हजर ने सहीह सनद के साथ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से नक़ल फ़र्माया और कहा है कि इसका शाहिद इस्नाद हसन के साथ अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा ने निकाला।

उस्ताज़ुना व मौलाना हज़रत मुहद्दिष अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं कि '**सुम्मियतिल्जुम्अतु लिइज्तिमाइन्नासि फीहा व कान यौमल्जुम्अति युसम्मल्अरूबा**' या'नी जुम्आ इसलिये नाम पड़ा कि लोग इसमें जमा होते हैं और ज़मान-ए-जाहिलियत में इसका नाम यौमे अरूबा था। इसकी फ़ज़ीलत के बारे में इमामे तिर्मिज़ी (रह.) हदीष लाए हैं, '**अन अबी हुरैरत अनिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ाल खैरु यौमिन तलअत फीहिश्शम्सु यौमल्जुम्अति फीहि खुलिक आदमु व फीहि उदखिलल्जन्नत व फीहि उख्रेज मिन्हा व ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फी यौमिल्जुम्अति**' 'या'नी तमाम दिनों में बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है वो जुम्अे का दिन है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन में जन्नत में दाख़िल किये गए और इस दिन उनका जन्नत से निकलना हुआ और क़यामत भी इस दिन क़ायम होगी।'

फ़ज़ाइले जुम्आ पर मुस्तक़िल किताबें लिखी गई हैं। ये उम्मत की हफ़्तावारी ईद है मगर सद अफ़सोस कि जिन हज़रात ने देहात में जुम्आ बन्द कराने की तहरीक चलाई इससे कितने ही देहात के मुसलमान जुम्आ से इस दर्जा ग़ाफ़िल हो गए कि उनको ये भी ख़बर नहीं कि आज जुम्अे का दिन है। इसकी ज़िम्मेदारी उन उलमा पर आइद होती है। काश! ये लोग हालाते मौजूदा का जाइज़ा लेकर मफ़ादे उम्मत पर ग़ौर कर सकते।

बाब 13 :

١٣- بَابٌ

(899) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे वरक़ा बिन अम्र ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि औरतों को रात के वक़्त मस्जिदों में आने की इजाज़त दे दिया करो। (राजेअ : 865)

٨٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ)). [راجع: ٨٦٥]

(900) हमसे यूसुफ़ बिन मूसा ने बयान किया, कहा हमसे अबू उसामा ने बयान किया कि कहा हमसे उबैदुल्लाह इब्ने उमर ने बयान किया। उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) की एक बीवी थीं जो सुबह और इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ने के लिये मस्जिद में आया करती थीं। उनसे कहा गया कि बावजूद यह जानते हुए कि हज़रत उमर (रज़ि.) इस बात को मकरूह जानते हैं और वो ग़ैरत महसूस करते हैं फिर आप मस्जिद में क्यूँ जाती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि

٩٠٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ. فَقِيْلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ:

फिर वो मुझे मना क्यूँ नहीं कर देते। लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की उस ह़दीष़ की वजह से कि अल्लाह की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से न रोको। (राजेअ़ : 865)

يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ)). [راجع: ٨٦٥]

बाब 14 : अगर बारिश हो रही हो तो जुम्अ़े में ह़ाज़िर होना वाजिब नहीं

١٤- بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

(901) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अ़लिया ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें स़ाहिबुज़्ज़ियादी अ़ब्दुल ह़मीद ने ख़बर दी, कहा कि हमसे मुह़म्मद बिन सीरीन के चचाज़ाद भाई अ़ब्दुल्लाह बिन ह़ारिष़ ने बयान किया, कि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने अपने मुअज़्ज़िन को एक बार बारिश के दिन कहा कि 'अश्हदुअन्ना मुह़म्मदुर्रसूलुल्लाह' के बाद ह़य्या अलस़्स़लाह (नमाज़ की त़रफ़ आओ) न कहना बल्कि ये कहना 'स़ल्लू फ़ी बुयुतिकुम' (अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो) लोगों ने इस बात पर ता'ज्जुब किया तो आपने फ़र्माया कि इसी त़रह़ मुझसे बेहतर इंसान (रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। बेशक जुम्आ फ़र्ज़ है और मैं मकरूह जानता हूँ कि तुम्हें घरों से बाहर निकालकर मिट्टी और कीचड़ फिसलान में चलाऊँ। (राजेअ़ : 616)

٩٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيْرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلاَ تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، فَقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ.

[راجع: ٦١٦]

तश्रीह : ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का ये मत़लब था कि बेशक जुम्आ फ़र्ज़ है मगर ह़ालते बारिश में ये अ़ज़ीमत रुख़्स़त से बदल जाती है। लिहाज़ा क्यूँ न इस रुख़्स़त से तुमको फ़ायदा पहुँचाऊँ कि तुम कीचड़ में फिसलने और बारिश में भीगने से बच जाओ।

बाब 15 : जुम्अ़े के लिये कितनी दूर वालों को आना चाहिये और किन लोगों पर जुम्आ वाजिब है?

١٥- بَابُ مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟

क्योंकि अल्लाह तआला का (सूरह जुम्आ में) इर्शाद है 'जब जुम्अ़े के दिन नमाज़ के लिये अज़ान हो (तो अल्लाह का ज़िक्र की त़रफ़ दौड़ो) अ़त़ा बिन रिबाह़ ने कहा कि जब तुम ऐसी बस्ती में हो जहाँ जुम्आ हो रहा हो और जुम्अ़े के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए तो तुम्हारे लिये जुम्अ़े की नमाज़ पढ़ने आना वाजिब है। अज़ान सुनी हो या न सुनी हो। और ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.)

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [سُورَةُ الْجُمُعَةِ : ٩]. وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا، سَمِعْتَ النِّدَاءَ أَوْ لَمْ

تَسْمَعْهُ. وَكَانَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمِّعُ، وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمِّعُ، وَهُوَ بِالزَّاوِيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ.

(बस़रा से) छ: मील दूर मुक़ाम ज़ाविया में रहते थे, आप यहाँ कभी अपने घर में जुम्आ पढ़ लेते और कभी यहाँ जुम्आ नहीं पढ़ते।

तश्रीह : आयते मज़्कूरा सूरह जुम्आ से जुम्हूरे उ़लमा ने ये ष़ाबित किया है कि जहाँ तक अज़ान पहुँच सकती हो वहाँ तक के लोगों को जुम्आ में ह़ाज़िर होना फ़र्ज़ है। इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा कि आवाज़ पहुँचने से ये मुराद है कि मुअज़्ज़िन आवाज़ बुलन्द हो और कोई शोर न हो। ऐसी ह़ालत में जितनी दूर तक भी आवाज़ पहुँचे। अबू दाऊद में ह़दीष़ है कि जुम्आ हर उस शख़्स पर वाजिब है जो अज़ान सुने। इससे ये भी ष़ाबित हुआ कि शहर हो या देहात। जहाँ भी मुसलमान रहते हों और अज़ान होती हो, वहाँ जुम्अे की अदायगी ज़रूरी है। (वह़ीदी) अज़ान का सुनना बत़ौरे शर्त नहीं है। क़ुर्आन में लफ़्ज़ 'इज़ा नूदियाहि फ़तफ़क्कर.'

٩٠٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ - وَهُوَ عِنْدِي - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا)).

(902) हमसे अह़मद बिन स़ालेह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अ़म्र बिन ह़ारिष़ ने ख़बर दी, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अबी जा'फ़र ने कि मुह़म्मद बिन जा'फ़र बिन ज़ुबैर ने उनसे बयान किया, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा ने, आपने कहा कि लोग जुम्अे की नमाज़ पढ़ने अपने घरों से और मदीना के पास गांव से (मस्जिदे नबवी में) बारी-बारी आया करते थे। लोग गर्दो-गुबार में चले आते, गर्द में अटे हुए और पसीने में सराबोर। इस क़दर पसीना होता कि थमता नहीं था। उसी ह़ालत में एक आदमी रसूले करीम (ﷺ) के पास आया। आपने फ़र्माया कि तुम लोग इस दिन (जुम्अे में) ग़ुस्ल कर लिया करते तो बेहतर होता।

तश्रीह : जुम्अे के दिन ग़ुस्ल करना मूजिबे अज्रो-ष़वाब है मगर ये ग़ुस्ल वाजिब है या मुस्तह़ब, इसमें इख़्तिलाफ़ है। कुछ अह़ादीष़ में इसके लिये लफ़्ज़े वाजिब इस्ते'माल हुआ है और कुछ में सैग़ा-ए-अम्र भी है जिससे उसका वाजिब होना ष़ाबित होता है। मगर एक रिवायत में समुरा इब्ने जुंदब (रज़ि.) से इन जुम्लों में भी मरवी है, **'अन्न नबियल्लाहि (ﷺ) क़ाल मन तवज़्ज़अ लिल्जुम्अति फबिहा व निअ़्मत व मनिगतसल फ़ज़ालिक अफ़्ज़लु'** (रवाहुल्ख़म्सतु इल्लब्नु माजा) या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया है कि जिसने जुम्आ के लिये वुज़ू किया पस अच्छा किया और बहुत ही अच्छा किया और जिसने ग़ुस्ल भी कर लिया। पस ये ग़ुस्ल अफ़्ज़ल है। इस ह़दीष़ को तिर्मिज़ी ने ह़सन कहा है। इसी आधार पर अल्लामा शौकानी (रह़.) फ़र्माते हैं, **'क़ालन्नववी फहुकियवुजूबुहु अन ताइफतिम्मिस्सलफ़ि हकौहू अन बअ़्ज़िस्स़ह़ाबति व बिही क़ाल अहलुज़्ज़ाहिर'** (ह़दीष़े बुख़ारी के तह़त) सलफ़ में से एक जमाअ़त से ग़ुस्ले जुम्आ का वुजूब नक़ल हुआ है। कुछ स़ह़ाबा से भी ये मन्क़ूल है और अहले ज़ाहिर का यही फ़त्वा है।

मगर दूसरी रिवायत के आधार पर ह़ज़रत अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) फ़र्माते हैं, **व ज़हब जुम्हूरुल उ़लमा मिनस्सलफ़ि वल्ख़लफ़ि व फ़ुक़हाउल अम्सारि इला अन्नहा मुस्तहब्बुन** (नैल) या'नी सल्फ़ और ख़ल्फ़ से जुम्हूर उ़लमा, फ़ुक़हा-ए-अम्सार इस त़रफ़ गए हैं कि ये मुस्तह़ब है जिन रिवायत में ह़क़ और वाजिब का लफ़्ज़ आया है उससे मुराद ताकीद है और वो वुजूब मुराद नहीं है जिनके छोड़ने से गुनाह लाज़िम आए। हाँ जिन लोगों का ये ह़ाल हो वो ह़फ़्ता भर न नहाते

हों और उनके जिस्मो–लिबास से बदबू आ रही हो उनके लिये ग़ुस्ले जुम्आ ज़रूरी है और अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, **'कुल्तु क़द जाअ फी हाज़ल्बाबि अहादीषुन मुख़्तलिफ़तुन बअ़्ज़ुहा अ़ला अन्नल्गुस्ल यौमल्जुम्अ़ति वाजिबुन व बअ़्ज़ुहा यदुल्लु अन्नहु मुस्तहब्बुन वज़्ज़ाहिरू इन्दी अन्नहू सुन्नतुन मुअक्कदतुन व बिहाज़ा यहसुलुल्जमउ़ बैनल्अहादीषिल्मुख़्तलिफति वल्लाहु तआ़ला आलमु'** (तोहफ़तुल अह्वज़ी) या'नी मैं कहता हूँ कि इस मसले में मुख़्तलिफ़ अहादीष आई हैं। कुछ से वुजूबे ग़ुस्ल षाबित होता है और कुछ से सिर्फ़ इस्तिह्बाब और मेरे नज़दीक ज़ाहिरे मसला ये है कि ग़ुस्ले जुम्आ सुन्नते मुअक्कदा है और इसी तरह मुख़्तलिफ़ अहादीषे वारिदा में तत्बीक़ दी जा सकती है। अहादीषे मज़्कूरा से ये भी ज़ाहिर है कि अहले देहात जुम्अ़े के लिये ज़रूर हाज़िर हुआ करते थे क्योंकि नबी करीम(ﷺ) की इक़्तिदा उनके लिये बाइ़षे सद फ़ख़्र थी और वो अहले देहात भी ऐसे कि ऊँट और बकरियों के चरानेवाले, ग़रीबी की ज़िंदगी गुज़ारनेवाले, कुछ दफ़ा ग़ुस्ल के लिये मौक़ा भी नहीं मिलता और बदन के पसीनों की बू आती रहती थी।

अगर इस्लाम में अहले देहात के लिये जुम्आ की अदायगी मुआ़फ़ होती तो ज़रूर कभी न कभी आँहज़रत (ﷺ) उनसे फ़र्मा देते कि तुम लोग इस क़दर मेहनत और मशक़्क़त क्यों उठाते हो, तुम्हारे लिये जुम्अ़े की हाज़री फ़र्ज़ नहीं है मगर आप (ﷺ) ने एक बार भी कभी ऐसा नहीं कहा जिससे साफ़ ज़ाहिर है कि जुम्आ हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है हाँ जिनको ख़ुद साहिबे शरीअ़त ने अलग कर दिया उन पर फ़र्ज़ नहीं है। इससे ये भी ज़ाहिर है कि ग़ुस्ले जुम्आ बहरहाल होना चाहिये क्योंकि इस्लाम में सफ़ाई–सुथराई की बड़ी ताक़ीद है।

क़ुर्आन मजीद में अल्लाह पाक ने फ़र्माया, **'इन्नल्लाह युहिब्बुत्तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन'** (अल बक़रः, 222) 'बेशक अल्लाह पाक तौबा करनेवालों और पाकी हासिल करने वालों को दोस्त रखता है।' ग़ुस्ल भी पाकी हासिल करने का अहम ज़रिया है, इस्लाम में ये उसूल मुक़र्रर किया गया कि बग़ैर पाकी हासिल किये नमाज़ ही दुरुस्त न होगी जिसमें बवक़्ते ज़रूरत इस्तिंजा, ग़ुस्ल, वुज़ू सब तरीक़े दाख़िल हैं।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देह्लवी फ़र्माते है, **'क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) अत्तुहूरु शतरुल्ईमानि अक़ूलु अल्मुरादु बिल्ईमानि हाहुना हयअतुन नफ़्सानिय्यतुन मुरक्कबतुन मिन नूरित्तहारति वल्अख़्बाति वल्इह्सानि औज़हु मिन्हु फी हाज़ल्मक़ना वला शक्क अन्नत्तुहूर शतरुहू'** (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा) या'नी नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तहारत आधा ईमान है, मैं कहता हूँ कि यहाँ ईमान से एक ऐसी हैयते नफ़्सानियाँ मुराद है जो नूर तहारत और ख़ुशूअ़ से मुरक्कब है और लफ़्ज़े एहसान इस मा'नी में ईमान से ज़्यादा वाज़ेह है और इसमें कोई शक नहीं कि तहारत इसका आधा है।

ख़ुलासतुल मराम ये है कि जुम्अ़े के दिन ख़ास तौर पर नहा–धोकर ख़ूब पाक–साफ़ होकर नमाज़े जुम्आ की अदायगी के लिये जाना मौजिबे सद अज्रो–षवाब है और नहाने–धोने से सफ़ाई–सुथराई का हुसूल सेहते जिस्मानी के लिये भी मुफ़ीद है। जो लोग रोज़ाना ग़ुस्ल के आदी हैं उनका तो ज़िक्र ही क्या है मगर जो लोग किसी वजह से रोज़ाना ग़ुस्ल नहीं कर सकते। कम–अज़ कम जुम्अ़े के दिन वो ज़रूर–ज़रूर ग़ुस्ल करके सफ़ाई हासिल करें। जुम्अ़े के दिन ग़ुस्ल के अलावा ब वक़्ते जनाबत मर्दो–औरत दोनों के लिये ग़ुस्ल वाजिब है। ये मसला अपनी जगह पर तफ़्सील से आ चुका है।

बाब 16 : जुम्अ़े का वक़्त सूरज ढलने से शुरू होता ह

١٦ – بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَلِكَ يُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

और हज़रत उ़मर और हज़रत अ़ली और नोअ़मान बिन बशीर और अ़म्र बिन हुरैष (रज़ि.) से इसी तरह मरवी है।

(903) हमसे अ़ब्दान अ़ब्दुल्लाह बिन उ़ष्मान ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें

٩٠٣ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ

यह्या बिन सईद ने ख़बर दी किउन्होंने अम्रह बिन्ते अब्दुर्रहमान से जुम्अे के दिन गुस्ल के बारे में पूछा। उन्होंने बयान किया हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती थीं कि लोग अपने कामों में मशग़ूल रहते और जुम्अे के लिये उसी हालत (मैल—कुचैल) में चले आते, इसलिये उनसे कहा गया कि काश! तुम लोग (कभी) गुस्ल कर लिया करते। (दीगर मक़ाम : 2071)

عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (كَانَ النَّاسُ مَهَنَةَ أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيْلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ). [طرفه في : ٢٠٧١]

तश्रीह : बाब और हदीष़ में मुताबक़त लफ़्ज़े हदीष़ **'नुबक्किरु बिल्जुम्अति'** से है। अल्लामा ऐनी फ़र्माते हैं, **लिअन्नर्रवाह ला यकूनु इल्ला बअदज़्ज़वाल** इमाम बुख़ारी (रह.) ने इससे ष़ाबित फ़र्माया कि सहाबा किराम जुम्अे की नमाज़ के लिये ज़वाल के बाद आया करते थे। मा'लूम हुआ कि जुम्अे का वक़्त बादे ज़वाल होता है।

(904) हमसे सुरैज बिन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे उ़ष्मान इब्ने अब्दुर्रहमान बिन उ़ष्मान तेमी ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्अे की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता।

٩٠٤ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ).

(905) हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें हुमैद तवील ने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से ख़बर दी। आपने फ़र्माया कि हम जुम्आ सवेरे पढ़ लिया करते और जुम्अे के बाद आराम करते थे। (दीगर मक़ाम : 940)

٩٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ). [طرفه في : ٩٤٠].

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने वही मज़हब इख़्तियार किया जो जुम्हूर का है कि जुम्अे का वक़्त ज़वाले आफ़ताब से शुरू होता है क्योंकि वो ज़ुहर का क़ायमे मुक़ाम है कुछ अहादीष़ से जुम्आ ज़वाल से पहले भी जाइज़ मा'लूम होता है; यहाँ लफ़्ज़ **नुबक्किरु बिल जुमुअति** या'नी सहाबा कहते हैं कि हम जुम्आ की नमाज़ के लिये जल्दी जाया करते थे (इससे ज़वाल से पहले गुँजाइश निकलती है) उसके बारे में अल्लामा इमाम शौकानी मरहूम (रह.) फ़र्माते हैं, **ज़ाहिरु ज़ालिक अन्नहुम कानू युसल्लूनल्जुम्अत बाकिरन्नहारि क़ालल्हाफ़िज़ु लाकिन तरीक़ल्जम्इ औला मिन दअ़वत्तआरुज़ि व क़द तकर्रूरून अन्नत्तक्बीर युत्लकु अ़ला फ़िअ़लिश्शैइ फी अव्वलि वक़्तिही औ तक़्दीमिही अ़ला ग़ैरिही व हुवल्मुरादु हाहुनल्मअ़ना अन्नहुम कानू यब्दऊन बिस्सलाति क़ब्लल्क़ैलूलति बिख़िलाफ़िम्मा जरत बिही आदतुहुम फी सलातिज़्ज़ुहरि फ़िल्हर्रि फइन्नहुम कानू यक़ीलून षुम्म युसल्लून लिमश्रूइय्यतिल्इब्रादि**

या'नी हदीष़े बाला से ज़ाहिर होता है कि वो जुम्आ अव्वले दिन में अदा कर लिया करते थे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि दोनों अहादीष़ में तआरुज़ पैदा करने से बेहतर ये है कि उनमें तत्बीक़ दी जाए। ये अम्रे मुहक़्क़क़ है कि तक्बीर का लफ़्ज़ किसी काम का अव्वले वक़्त में करने पर बोला जाता है या उसका ग़ैर पर मुक़द्दम करना यहाँ यही मुराद है। मा'नी ये हुआ कि वो क़ैलूला से पहले जुम्अे की नमाज़ पढ़ लिया करते थे। बख़िलाफ़े ज़ुहर के क्योंकि गर्मियों में उनकी आदत ये थी कि पहले कैलूला करते और फिर ज़ुहर की नमाज़ अदा करते ताकि ठण्डा वक़्त करने की मशरुइय्यत पर अमल हो।

मगर लफ़्ज़ **हीन तमीलुश्शम्सु** (या'नी आँहज़रत ﷺ सूरज ढलने पर जुम्आ अदा फ़र्माया करते थे) पर अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **फीहि बिमुवाज़बतिही अला सलातिल्जुम्अति इज़ा ज़ालतिश्शम्सु** या'नी इससे ज़ाहिर होता है कि आप हमेशा ज़वाले शम्श के बाद नमाज़े जुम्आ पढ़ा करते थे इमामे बुख़ारी (रह.) और जुम्हूर का मसला यही है, अगरचे कुछ सहाबा और सल्फ़ से ज़वाल से पहले भी जुम्आ का जवाज़ मन्क़ूल है मगर इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक तर्जीह इसी मसलक को हासिल है। ऐसा ही अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, '**वज़्ज़ाहिरुल अल्मअ़्मूल अ़लैहि हुव मा ज़हब इलैहिल्जुम्हूरू मिन अन्नहू ला तजूज़ुल्जम्अतु इल्ला बअ़्द ज़वालिश्शम्सि व अम्मा मा ज़हब इलैहि बअ़्ज़ुहुम मिन अन्नहा तजूज़ु कब्लज़्ज़वालि फलैस फीहि हदीषुन सहीहुन सरीहुन वल्लाहु आलमु**' (तोहफ़तुल अहवज़ी)

बाब 17 : जब जुम्आ सख़्त गर्मी में आ पड़े

١٧- بَابُ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(906) हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मक़्दमी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हरमी बिन अम्मारा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ख़लदः जिनका नाम ख़ालिद बिन दीनार है, ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि .) से सुना, आपने फ़र्माया कि अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती तो नबी करीम (ﷺ) नमाज़ सवेरे पढ़ लेते। लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती तो ठण्डे वक़्त में नमाज़ पढ़ते। आपकी मुराद जुम्अे की नमाज़ से थी। यूनुस बिन बुकैर ने कहा कि हमें अबू ख़लदः ने ख़बर दी। उन्होंने सिर्फ़ नमाज़ कहा। जुम्अे का ज़िक्र नहीं किया और बिश्र बिन षाबित ने कहा कि हमसे अबू ख़लदः ने बयान किया कि अमीर ने हमें जुम्अे की नमाज़ पढ़ाई। फिर हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ किस वक़्त पढ़ते थे।

٩٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ - هُوَ خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ. وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ) يَعْنِي الْجُمُعَةَ. قَالَ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ : أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ وَقَالَ: (بِالصَّلاَةِ) وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: (صَلَّى بِنَا أَمِيرٌ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لأَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ؟).

तश्रीह : अमीर से हकम बिन अबू अक़ील षक़्फ़ी मुराद हैं जो हज्जाज बिन यूसुफ़ की तरफ़ से नाईब थे। '**इस्तदल्ल बिही इब्नु बत्ताल अला अन्न वक़्तल्जुम्अति वक़्तुज़्ज़ुहरि लिअन्न अनसन सवा बैनहुमा फ़ी जवाबिही लिल्हुक्मिल्मज़्कूरि हीन क़ील कैफ़ कानन्नबिय्यु (ﷺ) युसल्लिज़्ज़ुहर**' (या'नी) इससे इब्ने बत्ताल ने इस्तिदलाल किया कि जुम्आ और ज़ुहर का वक़्त एक ही है क्योंकि हज़रत अनस (रज़ि.) ने जवाब में जुम्आ और ज़ुहर को बराबर किया; जबकि उनसे पूछा गया कि हुज़ूर (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ किस वक़्त पढ़ा करते थे?

बाब 18 : जुम्अे की नमाज़ के लिये चलने का बयान

١٨- بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ،

और अल्लाह तआला ने (सूरह जुम्आ) में फ़र्माया कि 'अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ तेज़ी के साथ चलो' और इसकी तफ़्सीर जिसने ये कहा कि 'सई' के मा'नी अमल करना और चलना जैसे सूरह बनी

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ وَمَنْ قَالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ وَالذَّهَابُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِذٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

इस्राईल में है 'सआ लहा सअयहा' यहाँ सई के यही मा'नी हैं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि ख़रीदो–फ़रोख़्त जुम्अ़े की अज़ान होते ही ह़राम हो जाती है। अ़ता ने कहा कि तमाम कारोबार उस वक़्त ह़राम हो जाते हैं। इब्राहीम बिन सअ़द ने ज़ुह्री का ये क़ौल नक़ल किया कि जुम्अ़े के दिन जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो मुसाफ़िर भी शिर्कत करे।

तश्रीह : यहाँ सई के मा'नी अ़मल के हैं। या'नी जिसने अ़मल किया आख़िरत के लिये वो अ़मल जो दरकार है इब्ने मुनीर ने कहा कि जब सई का हुक्म हुआ और बेअ़ मना हुई तो मा'लूम हुआ कि सई से वो मह़ल मुराद है जिसमें अल्लाह की इबादत हो। मत़्लूब आयत का ये है कि जब जुम्आ की अज़ान हो तो अल्लाह का काम करो दुनिया का काम छोड़ दो।

٩٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: أَدْرَكَنِي أَبُو عَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ)).

[طرفه في : ٢٨١١].

(907) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़बाया बिन रिफ़ाअ़ बिन राफ़ेअ़ बिन ख़दीज ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मैं जुम्अ़े के लिये जा रहा था। रास्ते में अबू अ़ब्स (रज़ि.) से मेरी मुलाक़ात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जिसके क़दम अल्लाह की राह में ग़ुबार आलूद हो गए अल्लाह तआ़ला उसे दोज़ख़ पर ह़राम कर देगा।

(दीगर मक़ाम : 2811)

तश्रीह : ह़दीष़ और तर्जुमा में मुत़ाबक़त लफ़्ज़े **फ़ी सबीलिल्लाह** से होती है इसलिये जुम्अ़े के लिये चलना **फ़ी सबीलिल्लाह** ही में चलना है। गोया ह़ज़रत अबू अबस अ़ब्दुर्रह़मान अंसारी बद्री स़ह़ाबी मशहूर ने जुम्आ को भी जिहाद के हुक्म में दाख़िल फ़र्माया। फिर अफ़सोस है उन ह़ज़रात पर जिन्होंने कितने ही देहात में जुम्आ न होने का फ़त्वा देकर देहाती मुसलमानों को जुम्अ़े के ष़वाब से मह़रूम कर दिया। देहात में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शहरों में जुम्आ अदा करने के लिये जाएँ। वो नमाज़ पंज वक़्ता तक में सुस्ती करते हैं नमाज़े जुम्आ के लिये इन ह़ज़रात उ़लमा ने छूट दे दी जिससे उनको काफ़ी सहारा मिल गया। इन्नालिल्लाह!

٩٠٨- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

(908) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुह्री ने सईद और अबू सलमा से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने (दूसरी सनद से बयान किया) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने और उन्हें अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने ख़बर दी, वो अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि जब

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا)).
[راجع: ٦٣٦]

नमाज़ के लिये तक्बीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ बल्कि (अपनी मामूली रफ़्तार से) आओ और पूरे इत्मीनान के साथ फिर नमाज़ का जो हिस्सा (इमाम के साथ) पा लो उसे पढ़ लो और जो रह जाए तो उसे बाद में पूरा कर लो।

(राजेअ : 636)

यहीं से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि जुम्अे की नमाज़ भी एक नमाज़ है और उसके लिये दौड़ना मना होकर मामूली चाल से चलने का हुक्म हुआ। यही बाब का तर्जुमा है।

٩٠٩- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ. [راجع: ٦٣٧]

(909) हमसे अम्र बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू कुतैबा बिन क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अली बिन मुबारक ने यह्या बिन अबी कषीर से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने——(इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि मुझे यक़ीन है कि) अब्दुल्लाह ने अपने बाप अबू क़तादा से रिवायत की है, वो नबी करीम (ﷺ) से रावी हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब तक मुझे देख न लो सफ़बन्दी के लिये खड़े न हुआ करो और आहिस्तगी से चलना लाज़िम कर लो। (राजेअ : 637)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने एहतियात की राह से उसमें शक किया कि ये हदीष अबू क़तादा के बेटे अब्दुल्लाह ने अपने बाप से मौसूलन रिवायत की या अब्दुल्लाह ने उसको मुर्सलन रिवायत किया। शायद ये हदीष उन्होंने इस किताब में अपनी याद से लिखी। इस वजह से उनको शक रहा लेकिन इस्माईली ने इसी सनद से उसको निकाला। इसमें शक नहीं है अब्दुल्लाह से उन्होंने अबू क़तादा से रिवायत की। मौसूलन ऐसे बहुत से बयानात से वाज़ेह है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) रिवायते हदीष में इंतिहाई एहतियात मलहूज़ रखते थे। फिर अफ़सोस है उन लोगों पर जो सहीह मर्फ़ूअ अहादीष का इंकार करते हैं। हदाहुमुल्लाह

١٩- بَابُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब 19 : जुम्अे के दिन जहाँ दो आदमी बैठे हों उनके बीच में न दाख़िल हो

٩١٠- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ وَدِيْعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ

(910) हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी उन्होंने कहा कि हमें इब्ने अबी ज़िब ने ख़बर दी, उन्हें सईद मक़्बरी ने, उन्हें उनके बाप अबू सईद ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन वदीआ ने, उन्हें सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने जुम्अे के दिन गुस्ल किया और ख़ूब पाकी हासिल की और तेल या ख़ुश्बू इस्ते'माल की, फिर जुम्आ के लिये चला और दो आदमियों के बीच न घुसा

طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى)). [راجع: ٨٨٣]

और जितनी उसकी क़िस्मत में थी, नमाज़ पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और ख़ुत्बा शुरू किया तो ख़ामोश हो गया, उसके उस जुम्अे में से दूसरे जुम्अे तक के तमाम गुनाह बख़्श दिए जाएँगे। (राजेअ : 883)

तश्रीह : आदाबे जुम्आ में से ज़रूरी अदब है कि आने वाला निहायत ही अदब व मतानत के साथ जहाँ जगह पाए बैठ जाए। किसी की गर्दन फलाँगकर आगे न बढ़े क्योंकि ये शरअन मम्नूअ और मअयूब है। इससे ये भी वाज़ेह हो गया कि शरीअते इस्लामी में किसी को तकलीफ़ देना ख़्वाह वो तकलीफ़ बनाम इबादते नमाज़ ही में क्यूँ न हों। वो अल्लाह के नज़दीक गुनाह है। इसी मज़्मून की अगली हदीष़ में मज़ीद तफ़्सील आ रही है।

٢٠- بَابُ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

बाब 20 : जुम्अे के दिन किसी मुसलमान भाई को उसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ न बैठे

٩١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ)). قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا. [طرفاه في : ٦٢٦٩، ٦٢٧٠].

(911) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी (रह.) ने बयान किया, कहा कि हमें मुख़्लद बिन यज़ीद ने ख़बर दी, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मैंने नाफ़ेअ से सुना, उन्होंने कहा मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना किया है कि कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई को उठाकर उसकी जगह ख़ुद बैठ जाए। मैंने नाफ़ेअ से पूछा कि क्या ये जुम्अे के लिये है तो उन्हों ने जवाब दिया कि जुम्अे और ग़ैर जुम्आ सबके लिये यही हुक्म है। (दीगर मक़ाम : 6269, 6270)

ता'ज्जुब है उन लोगों पर जो अल्लाह की मसाजिद यहाँ तक कि का'बा मुअज्जमा और मदीनतुल मुनव्वरा में ष़वाब के लिये दौड़ते हैं और दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर उनकी जगह पर क़ब्ज़ा करते हैं। बल्कि कुछ मर्तबा झगड़ा—फ़साद तक नौबत पहुँचाकर फिर वहाँ नमाज़ पढ़ते और अपने नफ़्स को ख़ुश करते हैं कि वो इबादते इलाही कर रहे हैं। उनको मा'लूम होना चाहिये कि उन्होंने इबादत का सही मफ़हूम नहीं समझा बल्कि कुछ नमाज़ी तो ऐसे हैं कि उनको हक़ीक़ते इबादत का पता नहीं है। **'अल्लाहुम्मर्हम अला उम्मति हबीबिक (ﷺ)'**

यहाँ मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम फ़र्माते हैं कि मस्जिद अल्लाह की है। किसी के बाबा—दादा की मिल्कियत नहीं जो नमाज़ी पहले आया और किसी जगह बैठ गया वही उसी जगह का हक़दार है। अब बादशाह या वज़ीर भी आए तो उसको उठाने का हक़ नहीं रखता। (वहीदी)

٢١- بَابُ الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब 21 : जुम्अे के दिन अज़ान का बयान

٩١٢- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا

(912) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने ज़ुह्री के वास्ते से बयान किया, उनसे साइब बिन यज़ीद ने कि नबी करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र और हज़रत

جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَكَثُرَ النَّاسُ - زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ. [أطرافه في: ٩١٣، ٩١٥، ٩١٦].

ड़मर (रज़ि.) के ज़माने में जुम्अे की पहली अज़ान उस वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर ख़ुत्बा के लिये बैठते लेकिन हज़रत ड़ष्मान (रज़ि.) के ज़माने में जब मुसलमानों की कष़रत हो गई तो वो मुक़ामे ज़ौरा से एक और अज़ान दिलवाने लगे। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं कि ज़ौरा मदीना के बाज़ार में एक जगह है। (दीगर मक़ाम : 913, 915, 916)

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि असल अज़ाने जुम्आ वही थी जो आँहज़रत (ﷺ) और शैख़ैन के मुबारक ज़मानों में इमाम के मिम्बर पर आने के वक़्त दी जाती थी। बाद में हज़रत ड़ष्मान ग़नी (रज़ि.) ने लोगों को आगाह करने के लिये बाज़ार में एक अज़ान का और इज़ाफ़ा कर दिया ताकि वक़्त से लोग जुम्आ के लिये तैयार हो सकें। हज़रत ड़ष्मान (रज़ि.) की तरह बवक़्ते ज़रूरत मस्जिद से बाहर किसी मुनासिब जगह पर ये अज़ान अगर अब भी दी जाए तो जाइज़ है मगर जहाँ ज़रूरत न हो वहाँ सुन्नत के मुताबिक़ सिर्फ़ ख़ुत्बा ही के वक़्त ख़ूब आवाज़ से एक ही अज़ान देनी चाहिये।

٢٢- بَابُ الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब 22 : जुम्अे के लिये एक मुअज़्ज़िन मुक़र्रर करना

٩١٣- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ : (أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- حِينَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ - وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ) يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ.

[راجع: ٩١٢]

(913) हमसे अबू नुऐम फ़ज़ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबू सलमा माजिशून ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे साइब बिन यज़ीद ने कि जुम्अे में तीसरी अज़ान हज़रत ड़ष्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) ने बढ़ाई जबकि मदीना में लोग ज़्यादा हो गए थे जबकि नबी करीम (ﷺ) के एक ही मुअज़्ज़िन थे। (आप (ﷺ) के दौर में) जुम्अे की अज़ान उस वक़्त दी जाती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता।

(राजेअ़ : 912)

इससे उन लोगों का रद्द हुआ जो कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) जब मिम्बर पर जाते तो तीन मुअज़्ज़िन एक के बाद एक अज़ान देते। एक मुअज़्ज़िन का मतलब ये है कि जुम्अे की अज़ान ख़ास, एक मुअज़्ज़िन हज़रत बिलाल (रज़ि.) ही दिया करते थे वरना वैसे तो ज़मान-ए-नबवी में कई मुअज़्ज़िन मुक़र्रर थे जो बारी-बारी अपने वक़्तों पर अज़ान दिया करते थे।

٢٣- بَابُ يُجِيبُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ

बाब 23 : इमाम मिम्बर पर बैठे बैठे अज़ान सुनकर उसका जवाब दे

٩١٤- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا

(914) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने

कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें अबूबक्र बिन उ़ष्मान बिन सहल बिन ह़नीफ़ ने ख़बर दी, उन्हें अबू उमामा बिन सहल बिन ह़नीफ़ ने, उन्होंने कहा मैंने मुआ़विया बिन अबी सुफ़यान (रज़ि.) को देखा आप मिम्बर पर बैठे, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी 'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' मुआ़विया (रज़ि.) ने जवाब दिया 'अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर' मुअज़्ज़िन ने कहा 'अश्हदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह' मुआ़विया (रज़ि.) ने जवाब दिया व अना और मैं भी तौहीद की गवाही देता हूँ मुअज़्ज़िन ने कहा 'अश्हदु अन्ना मुह़म्मदुर्रसूलल्लाह' मुआ़विया (रज़ि.) ने जवाब दिया 'व अना' मैं भी गवाही देता हूँ मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत की' जब मुअज़्ज़िन अज़ान कह चुका तो आपने कहा ह़ाज़िरीन! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना उस जगह या'नी मिम्बर पर आप बैठे थे मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी तो आप यही फ़र्मा रहे थे जो तुमने मुझको कहते हुए सुना।

(राजेअ़ : 612)

أَبُوبَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا. فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ- حِيْنَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ - يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي. [راجع: ٦١٢]

अज़ान के जवाब में सुनने वाले वही अल्फ़ाज़ कहते जाएँ जो मुअज़्ज़िन से सुनते हैं। इस त़रह़ उनको वही ष़वाब मिलेगा जो मुअज़्ज़िन को मिलता है।

बाब 24 : जुम्आ की अज़ान ख़त्म होने तक इमाम मिम्बर पर बैठा रहे

٢٤- بَابُ الْجُلُوسِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِيْنِ

(915) हमसे यह़्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने अ़क़ील के वास्ते से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने कि साइब बिन यज़ीद ने उन्हें ख़बर दी कि जुम्अे की दूसरी अज़ान का हुक्म ह़ज़रत उ़ष्मान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) ने उस वक़्त दिया जब नमाज़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे और जुम्अे के दिन अज़ान उस वक़्त होती जब इमाम मिम्बर पर बैठा करता था। (राजेअ़ : 912)

٩١٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ أَخْبَرَهُ (أَنَّ التَّأْذِيْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ - حِيْنَ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ - وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الإِمَامُ). [راجع: ٩١٢]

स़ाह़िबे तफ़्हीमुल बुख़ारी ह़नफ़ी, देवबन्दी कहते हैं कि मत़लब ये है कि जुम्आ की अज़ान का त़रीक़ा पंजवक़्ता अज़ान से अलग था और दोनों में अज़ान नमाज़ से कुछ पहले दी जाती थी लेकिन जुम्अे की अज़ान के साथ ही ख़ुत्बा शुरू हो जाता था और उसके बाद फ़ौरन नमाज़ शुरू कर दी जाती। याद रहे कि आजकल जुम्आ का ख़ुत्बा शुरू होने पर इमाम के सामने धीरे से मुअज़्ज़िन जो अज़ान देते हैं वो ख़िलाफ़े सुन्नत है। ख़ुत्बा की अज़ान भी बुलन्द जगह पर बुलन्द आवाज़ से होनी चाहिये। इब्ने मुनीर कहते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह़.) ने इस ह़दीष़ से कूफ़ा वालों का रद्द किया जो कहते हैं कि ख़ुत्बा से पहले मिम्बर पर बैठना मशरूअ़ नहीं है।

बाब 25 : जुम्अे की अज़ान ख़ुत्बा के वक़्त देना

٢٥- بَابُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ

(916) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमको यूनुस बिन यज़ीद ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने साइब बिन यज़ीद (रज़ि.) से ये सुना था कि जुम्अ की पहली अज़ान रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में उस वक़्त होती थी जब इमाम मिम्बर पर बैठता। जब हज़रत उ़्स्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) का दौर आया और नमाज़ियों की ता'दाद बढ़ गई तो आपने जुम्अे के दिन एक तीसरी अज़ान का हुक्म दिया, ये अज़ान मुक़ामे ज़ौरा पर दी गई और बाद में यही दस्तूर क़ायम रहा।

٩١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ((إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَثُرُوا - أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ)). [راجع: ٩١٢]

तश्रीह : तीसरी उसको इसलिये कहा कि तक्बीर भी अज़ान है। हज़रत उ़्स्मान (रज़ि.) के बाद से फिर यही तरीक़ा ज़ारी हो गया कि जुम्आ में एक पहली अज़ान होती है फिर जब इमाम मिम्बर पर जाता है तो दूसरी अज़ान देते हैं। फिर नमाज़ शुरू करते वक़्त तीसरी अज़ान या'नी तक्बीर कहते हैं। गो हज़रत उ़्स्मान (रज़ि.) का काम बिदअत नहीं हो सकता इसलिये कि वो ख़ुलाफ़-ए-राशिदीन में है मगर उन्होंने ये अज़ान एक ज़रूरत से बढ़ाई कि मदीना की आबादी दूर-दूर तक पहुँच गई थी और ख़ुत्बा की अज़ान सबके जमा होने के लिये काफ़ी न थी। आते-आते ही नमाज़ ख़त्म हो जाती थी। मगर जहाँ ये ज़रूरत न हो तो वहाँ ब-मौजिबे सुन्नते नबवी (ﷺ) सिर्फ़ ख़ुत्बा ही की अज़ान देना चाहिये और ख़ूब बुलन्द आवाज़ से न कि जैसा कि जाहिल लोग ख़ुत्बा के वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता अज़ान देते हैं, इसकी कोई दलील नहीं है। इब्ने अबी शैबा ने इब्ने उमर से निकाला तीसरी अज़ान बिदअत है या'नी एक नई बात है जो आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में न थी। अब इस सुन्नते नबवी को सिवाय अहले ह़दीष़ के और कोई बजा नहीं लाते जहाँ देखो सुन्नते उ़्स्मानी का रिवाज़ है। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जो इसे बिदअत कहा उसकी तौजीह में हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, '**फयहतमिलु अंय्यकून ज़ालिक अला सबीलिल्इन्कारि व यहतमिलु अंय्युरीद अन्नहू लम्यकुन फी ज़मनिन्नबिय्य (ﷺ) व कुल्लु मा लम्यकुन फी ज़मनिही युसम्मा बिदअतुन।**' (नैनुल औतार)

या'नी एहतिमाल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने इंकार के तौर पर ऐसा कहा हो और ये भी अन्देशा है कि उनकी मुराद ये हो कि ये अज़ान रसूले करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में न थी और जो आपके ज़माने में न हो उसको (लुग़्वी हैषियत से) बिदअत या'नी नई चीज़ कहा जाता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि '**बलगनी अन्न अहलल्मगरिबिल्अदना अल्आन ला ताज़ीन इन्दहुम सिव मर्रतिन**' या'नी मुझे ख़बर पहुँची है कि पश्चिम वालों का अमल अब भी सिर्फ़ सुन्नते नबवी (ﷺ) या'नी एक ही अज़ान पर है।

जुम्हूर उलम-ए-अहले ह़दीष़ का मसलक भी यही है कि सुन्नते नबवी पर अमल बेहतर है और अगर हज़रत उ़्स्मान (रज़ि.) के ज़माने में जैसी ज़रूरत महसूस हो तो मस्जिद से बाहर किसी मुनासिब जगह पर ये अज़ान कह दी जाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है।

जिन लोगों ने अज़ाने उ़्स्मानी को भी मसनून क़रार दिया उनका क़ौल महल्ले नज़र है। चुनाँचे हज़रत मौलाना

अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) ने बड़ी तफ़्सील से इस अम्र पर रोशनी डाली। आख़िर में आप फ़र्माते हैं, 'अन्नल्इस्तिदलाल अला कौनिल्अजानिष़्षालिष़ि हुव मिम मुज्तहिदाति उ़ष़्मान अम्रन मस्नूनन लैस बितामि्मन अला तरा अन्नब्न उमर क़ालल्अज़ानुल्अव्वलु यौमल्जुम्अति बिदअतुन फलौ कान हाज़ल्इस्तिदलालु ताम्मन व कानल्अज़ानुष़्षालिष़ु अम्रन मस्नून लम युत्लक़ अ़लैहि लफ़्ज़ुलबिदअति ला अ़ला सबीलिल्इन्कारि व ला सबीलि ग़ैरिल्इन्कारि फइन्नल्अम्रल्मस्नून ला यजूज़ु अंय्युत्लक अलैहि लफ़्ज़ुल्बिदअ़ति बिअय्यि मअ़नन कान फतफक्कर।' (तोह़फतुल अहवज़ी)

बाब 26 : ख़ुत्बा मिम्बर पर पढ़ना

٢٦- بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

और हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने मिम्बर पर ख़ुत्बा पढ़ा।

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ.

(917) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल क़ारी क़ुरशी इस्कंदरानी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ह़ाज़िम बिन दीनार ने बयान किया कुछ लोग ह़ज़रत सहल बिन सअ़द साएदी (रज़ि.) के पास आए। उनका आपस में इस पर इख़्तिलाफ़ था कि मिम्बरे नबवी अ़ला स़ाहिबिहस्सलातु वस्सलाम की लकड़ी किस पेड़ की थी। इसलिये सअ़द (रज़ि.) से उसके बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया अल्लाह गवाह है मैं जानता हूँ कि मिम्बरे नबवी किस लकड़ी का था। पहले दिन जब वो रखा गया और सबसे पहले जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे तो मैं उसको भी जानता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंसार की फ़लाँ औरत के पास जिनका ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) ने नाम भी बताया था। आदमी भेजा कि वो अपने बढ़ई ग़ुलाम से मेरे लिये लकड़ी जोड़ देने के लिये कहें। ताकि जब मुझे लोगों से कुछ कहना हो तो उस पर बैठा करूँ चुनाँचे उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा और वो ग़ाबा के झाऊ की लकड़ी से उसे बनाकर लाया। अंसारी ख़ातून ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दिया। आँहुज़ूर (ﷺ) ने उसे यहाँ रखवाया मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसी पर (खड़े होकर) नमाज़ पढ़ाई। उसी पर खड़े-खड़े तक्बीर कही। उसी पर रुकूअ़ किया। फिर उलटे पांव लौटे और मिम्बर की जड़ में सज्दा किया और फिर दोबारा उसी तरह किया जब आप (ﷺ) नमाज़ से

٩١٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ: أَنَّ رِجَالاً أَتَوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَقَدِ امْتَرَوا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللهِ لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فُلاَنَةَ - امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ - مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا. ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ. ثُمَّ عَادَ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا

النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي)). [راجع: ٣٧٧]

फ़ारिग़ हुए तो लोगों को ख़िताब फ़र्माया। लोगों! मैंने ये इसलिये किया कि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी तरह नमाज़ पढ़ना सीख लो। (राजेअ : 377)

तश्रीह : या'नी खड़े-खड़े उन लकड़ियों पर वा'ज़ कहा करो जब बैठने की ज़रूरत हो तो उन पर बैठ जाओ। पस बाब का तर्जुमा निकल आया। कुछ ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ह़दीष़ लाकर उसके दूसरे त़रीक़ की त़रफ़ इशारा किया जिसको तबरानी ने निकाला कि आपने इस मिम्बर पर ख़ुत्बा पढ़ा। ग़ाबा नामी एक गांव मदीने के क़रीब था। वहाँ झाऊ के पेड़ बहुत थे। आप (ﷺ) इसलिये उलटे पांव उतरे ताकि मुँह क़िब्ला ही की त़रफ़ रहे।

٩١٨- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ)). قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ سَمِعَ جَابِرًا. [راجع: ٤٤٩]

(918) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझे यह्या बिन सईद ने ख़बर दी, कहा कि मुझे ह़फ़्स बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी, उन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना कि एक खजूर का तना था जिस पर नबी करीम (ﷺ) टेक लगाकर खड़े हुआ करते थे। जब आपके लिये मिम्बर बन गया (आपने उस तने पर टेक नहीं लगाया) तो हमने उससे रोने की आवाज़ सुनी जैसे दस महीने की गाभिन ऊँटनी आवाज़ करती है। नबी करीम (ﷺ) ने मिम्बर से उतरकर अपना हाथ उस पर रखा (तब वो आवाज़ मौक़ूफ़ हुई) और सुलैमान ने यह्या से यूँ ह़दीष़ बयान की कि मुझे ह़फ़्स बिन उ़बैदुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हों ने जाबिर से सुना। (राजेअ : 449)

तश्रीह : सुलैमान की रिवायत को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने अ़लमातुन्नबुव्वा में निकाला। इस ह़दीष़ में अनस के बेटे का नाम मज़्कूर है। ये लकड़ी आँह़ज़रत (ﷺ) की जुदाई में रोने लगीं। जब आपने अपना दस्ते मुबारक उस पर रखा तो उसको तसल्ली हो गई। क्या मोमिनों को इस लकड़ी के बराबर भी आँह़ज़रत (ﷺ) से मुह़ब्बत नहीं जो आपके कलाम पर दूसरों की राय क़यास को मुक़द्दम समझते हैं। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम) आँह़ज़रत (ﷺ) की जुदाई में उसे लकड़ी का रोना ये मोअजिज़ाते नबविया में से है।

٩١٩- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)). [راجع: ٨٧٧]

(919) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके बाप ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) ने मिम्बर पर ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि जो जुम्आ के लिये आए वो पहले ग़ुस्ल कर लिया करे।

(राजेअ : 877)

(इस ह़दीष़ से मिम्बर ष़ाबित हुआ)

٢٧- بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

बाब 27 : ख़ुत्बा खड़े होकर पढ़ना

وَقَالَ أَنَسٌ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا.

और ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर

ख़ुत्बा दे रहे थे।

(920) हमसे इबैदुल्लाह बिन इमर क़वारीरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन हारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इबैदुल्लाह बिन इमर ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा देते थे, फिर बैठ जाते और फिर खड़े होते जैसे तुम लोग भी आजकल करते हो।

(दीगर मक़ाम : 928)

٩٢٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا يَفْعَلُونَ الآنَ.

[طرفه في : ٩٢٨].

शाफ़िइया ने कहा कि क़याम ख़ुत्बा की शर्त है क्योंकि कुर्आन शरीफ़ **वतरकूका क़ाइमा** (अल जुमुआ : 11) और हदीषों से ये षाबित है कि आपने हमेशा खड़े होकर ख़ुत्बा पढ़ा। अब्दुर्रहमान बिन अबिल हकम बैठकर ख़ुत्बा पढ़ रहा था तो कअब बिन उज्रा सहाबी (रज़ि.) ने इस पर ए'तिराज़ किया।

बाब 28 : इमाम जब ख़ुत्बा दे तो लोग

इमाम की तरफ़ मुँह कर लें और अब्दुल्लाह बिन इमर और अनस (रज़ि .) ने ख़ुत्बा में इमाम की तरफ़ मुँह किया।

٢٨- بَابُ يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ، وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ. وَاسْتَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الإِمَامَ

(921) हमसे मुआज़ बिन फ़ुज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या बिन अबी कषीर से बयान किया, उनसे हिलाल बिन अबी मैमूना ने, उन्होंने कहा हमसे अता बिन यसार ने बयान किया, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए और हम सब आप (ﷺ) के आसपास बैठ गए। (दीगर मक़ाम : 1465, 2842, 6427)

٩٢١- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ.

[أطرافه في : ١٤٦٥، ٢٨٤٢، ٦٤٢٧].

और सबने आप (ﷺ) की तरफ़ मुँह किया। बाब का यही मतलब है। ख़ुत्बा का अव्वलीन मक़्सद इमाम के ख़िताब को पूरी तवज्जह से सुनना और दिल में जगह देना और उस पर अमल करने का अज़्म करना है, इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि इमाम का ख़िताब इस तौर पर हो कि सुननेवाले उसे समझ लें। उसी से सुननेवालों की मादरी ज़ुबान में ख़ुत्बा होना षाबित होता है या'नी आयात व अहादीष पढ़—पढ़कर सुननेवालों की मादरी ज़बान में समझाई जाएँ और सुननेवाला इमाम की तरफ़ मुँह करके पूरी तवज्जह से सुने।

बाब 29 : ख़ुत्बा में अल्लाह की हम्दो—षना के बाद अम्मा बअद कहना इसको इक्रिमा ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से

٢٩- بَابُ مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ : أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

(922) और महमूद बिन ग़ैलान (इमाम बुख़ारी के उस्ताज़) ने कहा

٩٢٢- وَقَالَ مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا - أَيْ نَعَمْ - قَالَتْ : فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جِدًّا حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ وَإِلَى جَنْبِي قِرْبَةٌ فِيهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ)). قَالَتْ: وَلَغَطَ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لأُسَكِّتَهُنَّ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا قَالَ؟ قَالَتْ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ. وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبَ مِنْ - فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوْ قَالَ: الْمُوقِنُ، شَكَّ هِشَامٌ - فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ، هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَأَجَبْنَا، وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوْ قَالَ : الْمُرْتَابُ، شَكَّ هِشَامٌ - فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا

कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया, कि मुझे फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर ने ख़बर दी, उनसे अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि मैं आइशा (रज़ि.) के पास गई। लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने (उस बेवक़्त नमाज़ पर ता'ज्जुब से पूछा कि) ये क्या है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने सिर से आसमान की तरफ़ इशारा किया। मैंने पूछा क्या कोई निशानी है? उन्होंने सर के इशारे से हाँ कहा (क्योंकि सूरज गहन हो गया था) अस्मा ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) देर तक नमाज़ पढ़ते रहे। यहाँ तक कि मुझको ग़शी आने लगी। क़रीब ही एक मश्क में पानी भरा रखा था। मैं उसे खोलकर अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर जब सूरज साफ़ हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ ख़त्म कर दी। उसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया, पहले अल्लाह तआला की उसकी शान के मुनासिब ता'रीफ़ बयान की। उसके बाद फ़र्माया अम्मा बअ़द! इतना फ़र्माना था कि कुछ अंसारी औरतें शोर करने लगीं। इसलिये मैं उनकी तरफ़ बढ़ी ताकि उन्हें चुप कराऊँ (ताकि रसूलुल्लाह ﷺ की बात अच्छी तरह सुन सकूँ मगर मैं आपका कलाम न सुन सकी) तो पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क्या फ़र्माया? उन्होंने बताया कि आपने फ़र्माया कि बहुत सी चीज़ें जो मैंने इससे पहले नहीं देखी थीं, आज अपनी इस जगह से मैंने उसको देखा लिया। यहाँ तक कि जन्नत और जहन्नम तक मैंने आज देखी। मुझे वह्य के ज़रिये ये भी बताया गया कि क़ब्रों में तुम्हारी ऐसी आज़माइश होगी जैसे काने दज्जाल के सामने या उसके क़रीब क़रीब। तुममें से हर एक के पास फ़रिश्ता आएगा और पूछेगा कि तू उस शख़्स के बारे में क्या ए'तिक़ाद (यक़ीन) रखता था? मोमिन या ये कहा कि यक़ीन रखनेवाला (हिशाम को शक था) कहेगा कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह हैं, हमारे पास हिदायत और वाज़ेह दलाइल लेकर आए, इसलिये हम उन पर ईमान लाए, उनकी दा'वत क़ुबूल की, उनकी इत्तिबा की और उनकी तस्दीक़ की। अब उससे कहा जाएगा कि तू तो सालेह है, आराम से सो जा। हम पहले ही जानते थे कि तेरा उन पर ईमान है। हिशाम ने शक के इज़्हार के साथ कहा कि रहा मुनाफ़िक़ या शक करने वाला तो जब उससे पूछा जाएगा कि तू उस शख़्स के बारे में क्या कहता है तो वो

الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ)). قَالَ هِشَامٌ: فَلَقَدْ قَالَتْ لِيْ فَاطِمَةُ فَأَوْعَيْتُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ. [راجع: ٨٦]

जवाब देगा कि मुझे नहीं मा'लूम मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना उसी के मुताबिक़ मैंने भी कहा। हिशाम ने बयान किया कि फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर ने जो कुछ कहा था। मैंने वो सब याद रखा। लेकिन उन्होंने क़ब्र में मुनाफ़िक़ों पर सख़्त अ़ज़ाब के बारे में जो कुछ कहा वो मुझे याद नहीं रहा। (राजेअ़ : 86)

ये ह़दीष़ यहाँ इसलिये लाई गई है कि इसमें ये ज़िक्र है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपने ख़ुत्बा में अम्मा बअ़द का लफ़्ज़ इस्ते'माल किया। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) बताना चाहते हैं कि ख़ुत्बा में अम्मा बअ़द कहना सुन्नत है। कहा जाता है कि सबसे पहले ह़ज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम ने ये कहा था। आपका फ़स़्लि ख़िताब भी यही है पहले अल्लाह पाक की ह़म्दो—ष़ना फिर नबी करीम (ﷺ) पर स़लातो—सलाम भेजा गया और अम्मा बअ़द ने उस तम्हीद को अस़ल ख़िताब से जुदा कर दिया। अम्मा बअ़द का मत़लब ये है कि ह़म्दो—स़लात के बाद अब अस़ल ख़ुत्बा शुरू होगा।

٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِمَالٍ - أَوْ سَبْيٍ - فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً. فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ والذي أَدَعُ أَحبُّ إِلَيَّ مِنَ الذي أُعطي، ولكنْ أُعطي أَقوامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقوامًا إِلَى مَا جعلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ الغِنى وَالْخَيْرِ، فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ)). فَوَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ.

[طرفاه في : ٣١٤٥، ٧٥٣٥].

(923) हमसे मुहम्मद बिन मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आ़स़िम ने जरीर बिन ह़ाज़िम से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमाम हसन बस़री से सुना, उन्होंने बयान किया कि हमने अ़म्र बिन तग़्लिब (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ माल आया या कोई चीज़ आई। आपने कुछ स़ह़ाबा को उसमें से अ़ता किया और कुछ को नहीं दिया। फिर आप (ﷺ) को मा'लूम हुआ कि जिन लोगों को आपने नहीं दिया था उन्हें उसका रंज हुआ, इसलिये आप (ﷺ) ने अल्लाह की ह़म्दो—ष़ना की फिर फ़र्माया अम्मा बअ़द! अल्लाह की क़सम! मैं कुछ लोगों को देता हूँ और कुछ को नहीं देता लेकिन मैं जिसको नहीं देता वो मेरे नज़दीक उनसे ज़्यादा मह़बूब हैं जिनको मैं देता हूँ। मैं तो उन लोगों को देता हूँ जिनके दिलों में बेस़ब्री और लालच पाता हूँ लेकिन जिनके दिल अल्लाह तआ़ला ने ख़ैर और बेनियाज़ बनाए हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूँ। अ़म्र बिन तग़्लिब भी उन्हीं लोगों में से हैं। अल्लाह की क़सम! मेरे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये एक कलिमा सुर्ख़ ऊँटों से ज़्यादा मह़बूब है।

(दीगर मक़ाम : 3145, 7535)

तश्रीह : सुब्ह़ानल्लाह स़ह़ाबा (रज़ि.) के नज़दीक आँह़ज़रत (ﷺ) का एक हुक्म फ़र्माना जिससे आपकी रज़ामन्दी हो सारी दुनिया का माल व दौलत मिलने से ज़्यादा पसंद था। इस ह़दीष़ से आँह़ज़रत (ﷺ) का कमाले ख़ु ल्क़ ष़ाबित हुआ कि आप किसी की नाराज़गी पसंद नहीं फ़र्माते थे। न किसी की दिल शिकनी। आप (ﷺ) ने ऐसा ख़ुत्बा सुनाया कि जिन लोगों को नहीं दिया था वो उनसे भी ज़्यादा ख़ुश हुए जिनको दिया था। (वह़ीदी) आप (ﷺ) ने यहाँ भी लफ़्ज़े अम्मा बअ़द! इस्ते'माल फ़र्माया। यही मक़्सूदे बाब है।

(924) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ ने अक़ील से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्हों ने कहा कि मुझे उर्वा ने ख़बर दी कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के वक़्त उठकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और चंद सहाबा भी आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। सुबह को उन सहाबा (रज़ि.) ने दूसरे लोगों से इसका ज़िक्र किया चुनाँचे (दूसरे दिन) उससे भी ज़्यादा जमा हो गए और आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। दोपहरी सुबह को उसका चर्चा और ज़्यादा हुआ फिर क्या था तीसरे रात बड़ी ता'दाद में लोग जमा हो गए और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उठे तो सहाबा (रज़ि.) ने आपके पीछे नमाज़ शुरू कर दी। चौथी रात जो आई तो मस्जिद में नमाज़ियों की कष़रत की वजह से तिल रखने की जगह नहीं था। लेकिन आज रात नबी करीम (ﷺ) ने ये नमाज़ न पढ़ाई और फ़ज्र की नमाज़ के बाद लोगों से फ़र्माया, पहले आप (ﷺ) ने कलिम-ए-शहादत पढ़ा फिर फ़र्माया। अम्मा बअ़द! मुझे तुम्हारी उस हाज़िरी से कोई डर नहीं लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए, फिर तुमसे ये अदा न हो सके। इस रिवायत की मुताबअ़त यूनुस ने की है।

(राजेअ़ : 729)

٩٢٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَصَلَّوا بِصَلاَتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لَكِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا)). تَابَعَهُ يُونُسُ.

[راجع: ٧٢٩]

ये हदीष़ कई जगह आई है यहाँ इस मक़्सद के तहत लाई गई है कि आँहज़रत (ﷺ) ने वा'ज़ में लफ़्ज़े अम्मा बअ़द इस्ते'माल फ़र्माया।

(925) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा ने अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) से ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़े इशा के बाद खड़े हुए। पहले आपने कलिम-ए-शहादत पढ़ा, फिर अल्लाह तआ़ला के लायक़ उसकी ता'रीफ़ की, फिर फ़र्माया अम्मा बअ़द! ज़ुहरी के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त अबू मुआ़विया और अबू उसामा ने हिशाम दस्तवाई से की, उन्हों ने अपने वालिद उर्वा से इसकी रिवायत की, उन्होंने अबू हुमैद से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया अम्मा बअ़द! और अबुल यमान के साथ इस हदीष़ को मुहम्मद बिन यह्या ने भी सुफ़यान से रिवायत किया, उसमें सिर्फ़ अम्मा बअ़द है।

٩٢٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ فِي ((أَمَّا بَعْدُ)).

(दीगर मक़ाम : 1500, 2597, 6636, 6979, 7174, 7197)

[أطرافه في : ١٥٠٠، ٢٥٩٧، ٦٦٣٦، ٦٩٧٩، ٧١٧٤، ٧١٩٧].

ये एक लम्बी हदीष़ का टुकड़ा है जिसे ख़ुद हज़रत इमाम (रह.) ने ईमान और नुज़ूर में निकाला है। हुआ ये कि आँहज़रत (ﷺ) ने इब्नुल बतिया नामी एक सहाबी को ज़कात वसूल करने के लिये भेजा था जब वो ज़कात का माल लाया गया तो कुछ चीज़ों की निस्बत कहने लगा कि ये मुझको बतौरे तोहफ़ा मिली हैं, उस वक़्त आपने इशा के बाद ये ख़ुत्बा सुनाया और बताया कि इस तरह सरकारी सफ़र में तुमको ज़ाती तोहफ़े लेने का हक़ नहीं है जो भी मिला है वो सब बैतुलमाल में दाख़िल करना होगा।

(926) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझसे अली बिन हुसैन ने मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) से हदीष़ बयान की कि नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए। मैंने सुना कि कलिम-ए-शहादत के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया अम्मा बअ़द! शुऐब के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त मुहम्मद बिन वलीद ज़ुबैदी ने ज़ुहरी से की है।

(दीगर मक़ाम : 3110, 3714, 3729, 3767, 5230, 5278)

٩٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ وَ يَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ)). تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

[أطرافه في : ٣١١٠، ٣٧١٤، ٣٧٢٩، ٣٧٦٧، ٥٢٣٠، ٥٢٧٨].

ज़ुबैदी की रिवायत को तबरानी ने शामियों की सनद में वस्ल (मिलान) किया है।

(927) हमसे इस्माईल बिन अबान ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमसे इब्ने ग़सील अ़ब्दुर्रहमान बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इक्रिमा ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ लाए। मिम्बर पर ये आप (ﷺ) की आख़िरी बैठक थी। आप (ﷺ) दोनों शानों से चादर लपेटे हुए थे और सरे मुबारक पर एक पट्टी बाँध रखी थी। आपने हम्दो-ष़ना के बाद फ़र्माया लोगों! मेरी बात सुनो। चुनाँचे लोग आप (ﷺ) की तरफ़ कलामे मुबारक सुनने के लिये मुतवज्जह हो गए। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अम्मा बअ़द! ये क़बीला अंसार के लोग (आनेवाले दौर में) ता'दाद में बहुत कम हो जाएँगे पस मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत का जो शख़्स भी हाकिम हुआ और उसे नफ़ा व नुक़्सान पहुँचाने की ताक़त हो तो अंसार के नेक लोगों की नेकी क़ुबूल करे और उनके बुरे की बुराई से दरगुज़र करे।

٩٢٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَسِيْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ)). فَثَابُوا إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ. فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيْهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ

(दीगर मक़ाम : 3628, 3700)

مُسِيئِهِمْ)).[طرفاه في: ٣٦٢٨، ٣٨٠٠]

तश्रीह : ये आपका मस्जिदे नबवी में आख़िरी ख़ुत्बा था। आपकी इस पेशीनगोई के मुताबिक़ अंसार अब दुनिया में कमी में ही मिलते हैं। दूसरे शुयूख़े अरब की नस्लें तमाम आलमे इस्लामी में फैली हुई है। इस शाने करीमी पर क़ुर्बान जाईए। इस एहसान के बदले में कि अंसार ने आप (ﷺ) की और इस्लाम की कसमपुर्सी और मुसीबत के वक़्त मदद की थी। आप (ﷺ) अपनी तमाम उम्मत को इसकी तल्क़ीन फ़र्मा रहे हैं कि अंसार को अपना मुहसिन समझो उनमें जो अच्छे हों उनके साथ हुस्ने मुआमलात बढ़—चढ़कर करो और बुरों से दरगुज़र करो कि उनके आबा (पूर्वजों) ने इस्लाम की बड़ी कसमपुर्सी के आलम में मदद की थी। इस बाब में जितनी हदीषें आई हैं यहाँ इनका ज़िक्र सिर्फ़ इसी वजह से हुआ है कि किसी ख़ुत्बा वग़ैरह के मौक़े पर अम्मा बअद का उसमें ज़िक्र है। क़स्तलानी ने कहा कि हदीष का मतलब ये नहीं है कि अंसार पर से हुदूदे शरइया उठा दी जाएँ। हुदूद तो आँहज़रत (ﷺ) ने हर अमीर—ग़रीब सब पर क़ायम करने की ताक़ीद फ़र्माई है। यहाँ अंसार की ख़फ़ीफ़ गलतियाँ मुराद हैं कि उनसे दरगुज़र किया जाए।

हज़रत इमामुल अइम्मा इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब के तहत मुख़्तलिफ़ अहादीष रिवायत की है। इन सबमें बाब का तर्जुमा लफ़्ज़े अम्मा बअद से निकाला है। आँहज़रत (ﷺ) अपने हर ख़िताब में अल्लाह की हम्दो—षना के बाद लफ़्ज़े अम्मा बअद का इस्ते'माल किया करते थे। गुज़िश्ता से पेवस्ता हदीष में इशा के बाद आपके एक ख़िताबे आम का ज़िक्र है जिसमें आपने लफ़्ज़ अम्मा बअद इस्ते'माल किया। आपने इब्ने बतिय्या को ज़कात वसूल करने लिये भेजा था। जब वो ज़कात का माल लेकर वापस हुए तो कुछ चीज़ों के बारे में वो कहने लगे कि ये मुझको बतौरे तोहफ़ा मिली हैं। उस वक़्त आप (ﷺ) ने इशा के बाद ये वा'ज़ फ़र्माया और उस पर सख़्त इज़्हारे नाराज़गी फ़र्माया कि कोई शख़्स सरकारी तौर पर तहसीले ज़कात के लिये जाए तो उसका क्या हक़ है कि वो इस सफ़र में अपनी ज़ात के लिये तोहफ़े कुबूल करे। हालाँकि उसको जो भी मिलेगा वो सब इस्लामी बैतुलमाल का हक़ है। इस हदीष को इमाम बुख़ारी (रह.) ने ईमान व नुज़ूर में पूरे तौर पर नक़ल किया है।

गुज़िश्ता हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) के एक आख़िरी और बिलकुल आख़िरी ख़िताबे आम का तज़्किरा है जो आपने मर्ज़ुल मौत की हालत में पेश फ़र्माया और जिसमें आपने हम्दो—षना के बाद लफ़्ज़े अम्मा बअद इस्ते'माल किया फिर अंसार के बारे में वसिय्यत फ़र्माई कि मुस्तक़्बिल में मुसलमान इक़्तिदार वाले लोगों का फ़र्ज़ होगा कि वो अंसार के हुक़ूक़ का ख़ास ख़याल रखें। उनमें अच्छे लोगों को निगाहे एहतिराम से देखें और बुरे लोगों से दरगुज़र करें। फ़िल वाक़ेअ अंसार क़यामत तक के लिये उम्मते मुस्लिमा में अपनी ख़ास तारीख़ के मालिक हैं जिसको इस्लाम का सुनहरी दौर कहा जा सकता है। ये अंसार ही का इतिहास है। पस अंसार की इज़्ज़तो—एहतिराम हर मुसलमान का मज़हबी फ़रीज़ा है।

बाब 30 : जुम्आ के दिन दोनों ख़ुत्बों के बीच में बैठना

٣٠- بَابُ الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(928) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह उमरी ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) (जुम्अे के दिन) दो ख़ुत्बे देते और दोनों के बीच में बैठते थे।

(ख़ुत्बए जुम्आ के बीच में ये बैठना भी मसनून तरीक़ा है)

٩٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا)).

[راجع: ٩٢٠]

बाब 31 : जुम्अे के दिन ख़ुत्बा

٣١- بَابُ الاسْتِمَاعِ إِلَى الْخُطْبَةِ

कान लगाकर सुनना

يَومَ الْجُمُعَةِ

(929) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने, उनसे अबू अ़ब्दुल्लाह सुलैमान अग़र ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब जुम्अे का दिन आता है तो फ़रिश्ते जामा मस्जिद के दरवाज़े पर आने वालों के नाम लिखते हैं, सबसे पहले आनेवाले को ऊँट की क़ुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है। उसके बाद आने वाला गाय की क़ुर्बानी देनेवाले की तरह फिर मेंढे की क़ुर्बानी का ष़वाब रहता है, उसके बाद मुर्ग़ी का, उसके बाद अण्डे का। लेकिन जब इमाम (ख़ुत्बा देने के लिये) बाहर आ जाता है तो ये फ़रिश्ते अपने दफ़ातिर बन्द कर देते हैं और ख़ुत्बा सुनने में मशग़ूल हो जाते हैं।

(दीगर मक़ाम : 3211)

٩٢٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ. وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ)).

[طرفه في : ٣٢١١].

तश्रीह : इस ह़दीष़ में सिलसिलेवार ज़िक्रे ष़वाब मुख़्तलिफ़ जानवरों के साथ मुर्ग़ी और अण्डे का भी ज़िक्र है। इसके बारे में ह़ज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीष़ उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, **'वल्मुश्किलु जिक्रुद्दजाजति वल्बैज़ ति लिअन्नल्हदय ला यकूनु मिन्हुमा वाजिबुन बिअन्नहू मिन बाबिल्मुशाकलति अय मिन तस्मिय्यतिश्शैइ बिस्मि करीनिही वल्मुरादु बिल्अहदादि हुना अत्तसद्दुक़ लिमा दल्ल अ़लैहि लफ़्ज़ु क़र्रब फी रिवायतिन उख़रा व हुव यजूज़ु बिहिमा'** (मिर्आत, जिल्द 2, पेज नं. 293) या'नी मुर्ग़ी और अण्डे का भी ज़िक्र आया है ह़ालाँकि उनकी क़ुर्बानी नहीं होती। इसका जवाब दिया गया कि ये ज़िक्र बाबे मुशकिला में है। या'नी किसी चीज़ का ऐसा नाम रख देना जो उसके क़रीना का नाम हो। यहाँ क़ुर्बानी से मुराद स़दक़ा करना है जिस पर कुछ रिवायात में हैं कि आमदा लफ़्ज़ क़र्रब–दलालत करता है और क़ुर्बत में रज़ा-ए-इलाही ह़ासिल करने के लिये इन दोनों चीज़ों को भी ख़ैरात में दिया जा सकता है। ह़ज़रत इमामुल मुहद्दिष़ीन ने इस ह़दीष़ से ये ष़ाबित किया कि नमाज़ियों को ख़ुत्बा कान लगाकर के सुनना चाहिये क्योंकि फ़रिश्ते भी कान लगाकर सुनते हैं। शाफ़िइया के नज़दीक ख़ुत्बे की ह़ालत में कलाम करना मकरूह है लेकिन ह़राम नहीं है। ह़न्फ़िया के नज़दीक ख़ुत्बे के वक़्त नमाज़ और कलाम दोनों मना है। कुछ ने कहा कि दुनिया का बेकार कलाम मना है। मगर ज़िक्र या दुआ मना नहीं है और इमाम अह़मद का ये क़ौल है कि जो ख़ुत्बा सुनता हो या'नी ख़ुत्बा की आवाज़ उसको पहुँचती हो उसको मना है और जो न सुनता हो उसको मना नहीं। शौकानी (रह़.) ने अहले ह़दीष़ का मज़हब ये लिखा है कि ख़ुत्बे के वक़्त ख़ामोश रहें। सय्यद अ़ल्लामा ने कहा कि तहिय्यतुल मस्जिद मुस्तष़्ना (अलग) है। जो शख़्स मस्जिद में आए और ख़ुत्बा हो रहा हो तो दो रकअ़त तहिय्यतुल मस्जिद ही पढ़ ले। इसी त़रह़ इमाम का किसी ज़रूरत से बात करना जैसे स़ह़ीह़ अह़ादीष़ में वारिद है। मुस्लिम की रिवायत में ये ज़्यादा है कि (तहिय्यतुल मस्जिद) की हल्की–फुल्की दो रकअ़तें पढ़ ले। यही अहले ह़दीष़ और इमाम अह़मद की दलील है कि ख़ुत्बे की ह़ालत में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ लेना चाहिये। ह़दीष़ से ये निकला कि इमाम ख़ुत्बे की ह़ालत में ज़रूरत से बात कर सकता है और यही बाब का तर्जुमा है। हल्की–फुल्की का मत़लब ये है कि क़िरअत को लम्बा न करे। ये मत़लब नहीं कि जल्दी–जल्दी पढ़ ले।

बाब 32 : इमाम ख़ुत्बा की ह़ालत में किसी शख़्स को जो आए दो रकअ़त तहिय्यतुल

٣٢- بَابُ إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلاً جَاءَ وَهُوَ يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ

मस्जिद पढ़ने का हुक्म दे सकता है

رَكْعَتَيْنِ

(930) हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स आया नबी करीम (ﷺ) जुम्अे का ख़ुत्बा दे रहे थे। आप (ﷺ) ने पूछा कि ऐ फ़लाँ! क्या तुमने (तहिय्यतुल मस्जिद की) नमाज़ पढ़ ली? उसने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छा उठ और दो रकअत नमाज़ पढ़ ले।

(दीगर मक़ाम : 931, 1162)

٩٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟)) فَقَالَ: لاَ. قَالَ: ((قُمْ فَارْكَعْ)).

[طرفاه في : ٩٣١، ١١٦٢].

बाब 33 : जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो और कोई मस्जिद में आए तो हल्की सी दो रकअत नमाज़ पढ़ ले

٣٣- بَابُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ

(931) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयय्ना ने अम्र से बयान किया, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से सुना कि एक शख़्स जुम्अे के दिन मस्जिद में आया। नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा पढ़ रहे थे। आप (ﷺ) ने उससे पूछा कि क्या तुमने (तहिय्यतुल मस्जिद की) नमाज़ पढ़ ली? आने वाले ने जवाब दिया कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उठो और दो रकअत नमाज़ (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ लो। (राजेअ : 930)

٩٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((أَصَلَّيْتَ؟)) قَالَ: لاَ. قَالَ: قُمْ ((فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).

[راجع: ٩٣٠]

तश्रीह : जुम्अे के दिन हालते ख़ुत्बा में कोई शख़्स आए तो उसे ख़ुत्बा ही की हालत में दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़े बग़ैर नहीं बैठना चाहिये। ये एक ऐसा मसला है जो हदीषे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से जिसे हज़रत इमामुल मुहद्दिषीन ने यहाँ नक़ल फ़र्माया है। रोज़े रोशन की तरह षाबित है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने **'बाबुन फ़िर्रक्अतैनि इज़ा जाअर्रजुलु वल्इमामु यख़्तुबु'** के तहत इसी हदीष को नक़ल फ़र्माया है। आख़िर में फ़र्माते हैं कि **हाज़ा हदीषुन हसनुन सहीहुन** ये हदीष बिलकुल हसन सहीह है। इसमें साफ़ बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुत्बा की ही हालत में एक आने वाले शख़्स (सुलैक ग़त्फ़ानी नामी) को दो रकअत पढ़ने का हुक्म फ़र्माया था। कुछ ज़ईफ़ रिवायतों में मज़्कूर है कि जिस हालत में उस शख़्स ने दो रकअत पढ़ी आँहज़रत (ﷺ) ने अपना ख़ुत्बा बन्द कर दिया था। ये रिवायत सनद के ए'तिबार से लायक़े हुज्जत नहीं है और बुख़ारी शरीफ़ की मज़्कूरा हदीष हसन सहीह है। जिसमें आँहज़रत (ﷺ) की हालते ख़ुत्बा ही में उसके दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है। लिहाज़ा उसके मुक़ाबले पर ये रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं।

देवबन्दी हज़रात कहते हैं कि आने वाले शख़्स को आँहज़रत (ﷺ) ने दो रकअत नमाज़ का हुक्म बेशक फ़र्माया मगर अभी आपने ख़ुत्बा शुरू ही नहीं किया था। इसका ये मतलब है कि रावी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) जो साफ़ लफ़्ज़ों में **'अन्नन नबिय्य (ﷺ) यख़्तुबुन्नास यौमल्जुम्अति'** (या'नी आँहज़रत ﷺ लोगों को ख़ुत्बा सुना रहे थे) नक़ल फ़र्मा रहे हैं नऊज़ुबिल्लाह! उनका ये बयान ग़लत है और अभी आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुत्बा शुरू ही नहीं फ़र्माया था ये किस क़दर जुर्अत है कि एक सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) को ग़लतबयानी का मुर्तकिब समझा जाए और कुछ ज़ईफ़ रिवायत का सहारा लेकर

मुहद्दिषीने किराम की फ़ुक़ाहते हदीष और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) के बयान की निहायत बेबाक़ी के साथ तग़लीत़ की जाए। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस सिलसिले की दूसरी हदीष अब्दुल्लाह बिन अबी मुसह्ह से यूँ नक़ल फ़र्माई है, **'अन्न अबा सईदिल्ख़ुदरी दखल यौमल्जुम्अति व मर्वानु यख़्तुबु फ़क़ाम युसल्ली फजाअल्हरसु लियज्लिसूहु फ अबा हत्ता सल्ल फ़लम्मा इन्सरफ़ आतैनाहू फ़कुल्ना रहिमकल्लाहु इन्न कादू लयक़ऊ बिक मा कुन्तु लिअत्रुकहुमा बअ्द शैइन राइतुहू मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) षुम्म ज़कर अन्न रजुलन जाअ यौमल्जुम्अति फी हैयअतिन बन्नबिय्यु (ﷺ) यख़्तुबु यौमल्जुम्अति फअमरहू फ़सल्ल रकअतैनि वन्नबिय्यु (ﷺ) यख़्तुबु'** या'नी अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) सहाबी रसूल (ﷺ) जुम्अे के दिन मस्जिद में इस हालत में आए कि मरवान ख़ुत्बा दे रहा था। ये नमाज़ (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ने खड़े हुए ये देखकर सिपाही आए और उनको ज़बरदस्ती नमाज़ से रोकना चाहा मगर ये न माने और पढ़कर ही सलाम फेरा। अब्दुल्लाह बिन अबी मुसहद कहते हैं कि नमाज़ के बाद हमने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से मुलाक़ात की और कहा कि वो सिपाही आप पर हमलावर होना ही चाहते थे। आपने फ़र्माया कि मैं भी इन दो रकअतों को छोड़नेवाला ही नहीं था, ख़्वाह सिपाही लोग कुछ भी करते क्योंकि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है आप (ﷺ) जुम्अे के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक आदमी परेशान शक्ल में मस्जिद में आया। आँहज़रत (ﷺ) ने उसको उसी हालत में दो रकअत पढ़ लेने का हुक्म फ़र्माया। वो नमाज़ पढ़ता रहा और आँहज़रत (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे।

दो आदिल गवाह! हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) दोनों आदिल गवाहों का बयान क़ारेईन के सामने है। इसके बाद मुख़्तलिफ़ तावीलात या कमज़ोर रिवायात का सहारा लेकर उन दोनों सहाबियों की तग़लीत के दर पे होना किसी भी अहले इल्म की शान के ख़िलाफ़ है। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) आगे फ़र्माते हैं कि हज़रत इब्ने उयैना (रज़ि.) और हज़रत अबू अब्दुर्रहमान मुक़री (रज़ि.) दोनों बुज़ुर्गों का यही मामूल था कि वो इस हालते मज़्कूरा में उन दोनों रकअतों को नहीं छोड़ा करते थे। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस सिलसिले की दीगर रिवायात की तरफ़ भी इशारा किया है जिनमें हज़रत जाबिर (रज़ि.) की एक और रिवायत तबरानी में यूँ मज़्कूर है, **'अन जाबिरिन क़ाल दखलन्नुअमानिब्नि नौफ़ल व रसूलुल्लहि (ﷺ) अलल्मिम्बरि यख़्तुबु यौमल्जुम्अति फ़क़ाल लहुन्नबिय्यु (ﷺ) सल्ल रकअतैनि व तजव्वज़ फीहिमा फइजा अता अहदुकुम यौमल्जुम्अति वल्इमामु यख़्तुबु फलियुसल्लि रकअतैनि व लियुखफ्फिहुमा कज़ा फ़ी कूतिल्मुअ्तज़ी व तुहफतिल्अह्वज़ी'** (जिल्द नं.2, पेजनं. 264) या'नी एक बुज़ुर्ग नोअमान बिन नौफ़ल नामी मस्जिद में आए और नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहे थे। आप (ﷺ) ने उनको हुक्म फ़र्माया कि उठकर दो रकअत पढ़कर बैठे और उनको हल्का करके पढ़े और जब भी कोई तुममें से इस हालत में मस्जिद में आए कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो वो हल्की दो रकअतें पढ़कर ही बैठे और उनको हल्का पढ़े। हज़रत अल्लामा नववी शारेह मुस्लिम फ़र्माते हैं, **'हाज़िहिल्अहादीषु कुल्लुहा यअ्नी अल्लती रवाहा मुस्लिम सरीहतुन फिद्दलालति लिमज्हबिश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ व फ़ुक़हाइल्मुहद्दिषीन अन्नहू इज़ा दखलल्जामिअ यौमुल्जुम्अति वल्इमामु यख़्तुबु यस्तहिब्बु लहू अय्युंसल्लिय रकअतैनि तहिय्यतल्मस्जिद व यक्रहल्जुलूस क़ब्ल अय्युंसल्लियहुमा व अन्नहू यस्तहिब्बु अंय्यतजव्वज़ फीहिमा यस्मउ बअ्दहुमा अल्ख़ुत्बत व हुकिय हाजल्मज्हबु अनिल्हसनिल्बस्री व गैरहू मिनल्मुतक़द्दिमीन'** (तोहफ़तुल अहवज़ी) या'नी इन सारी अहादीष से सराहत के साथ षाबित है कि इमाम जब ख़ुत्ब-ए-जुम्आ दे रहा हो और कोई आने वाला आए तो उसे चाहिये कि दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद अदा करके ही बैठे। बग़ैर इन दोनों रकअतों के उसका बैठना मकरूह है और मुस्तहब है कि हल्का पढ़े ताकि फिर ख़ुत्बा सुन सके। यही मसलक इमामे हसन बसरी वग़ैरह मुतक़द्दिमीन का है। हज़रत इमामे तिर्मिज़ी (रह.) ने दूसरे हज़रात का मसलक भी ज़िक्र किया है जो इन दो रकअतों के क़ाइल नहीं है। फिर हज़रत इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने अपना फ़ैसला इन लफ़्ज़ों में दिया है, **वल्क़ौलु अव्वलु असह्हु** या'नी इन्हीं हज़रात का मसलक सही है जो इन दो रकअतों के पढ़ने के क़ाइल हैं। इस तफ़्सील के बाद भी अगर कोई शख़्स इन दो रकअतों को नाजाइज़ तसव्वुर करे तो ये ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी है।

आख़िर में हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिष देहलवी (रह.) का इर्शाद भी सुन लीजिए, आप फ़र्माते हैं, **'फइज़ा जाअ वल्इमामु यख़्तुबु फल्यर्कअ रकअतैनि वल्यतजव्वज़ फीहिमा रिआयतन**

लिसुन्नतिर्रातिबति व अदबिल्ख़ुत्बति जमीअन बिक़दरिल्इम्कानि व ला तग़तर फी हाज़िहिल्मस्अलति बिमा यल्हजु बिही अहलु बलदिक फइन्नल्हदीष़ सहीहुन वाजिबुन इत्तिबाउहू' (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा : जिल्द नं. 2, पेज नं. 101) या'नी जब कोई नमाज़ी ऐसे हाल में मस्जिद में आए कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो दो हल्की रकअत पढ़ ले ताकि सुन्नते रातिबा और अदबे ख़ुत्बा दोनों की रिआयत हो सके और इस मसले के बारे में तुम्हारे शहर के लोग जो शोर करते हैं (और इन रकअतों के पढ़ने से रोकते हैं, उनके धोखे में न आना क्योंकि इस मसले के हक़ में हदीषे सहीह वारिद है जिसकी इत्तेबा (पैरवी) वाजिब है, वबिल्लाहित्तौफ़ीक़।

बाब 34 : ख़ुत्बा में दोनों हाथ उठाकर दुआ माँगना

٣٤– بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ

(932) हमसे मुसद्दद बिन मुसहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, (दूसरी सनद) और हम्माद ने यूनुस से भी रिवायत की अब्दुल अज़ीज़ और यूनुस दोनों ने ष़ाबित से, उन्होंने अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे का ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक शख़्स खड़ा हो गया और कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मवेशी और बकरियाँ हलाक हो गईं (बारिश न होने की वजह से) आप (ﷺ) दुआ फ़र्माएँ कि अल्लाह तआला बारिश बरसाए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने दोनों हाथ फैलाए और दुआ की।

(दीगर मक़ाम : 933, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1029, 1033, 3582, 6093, 6342)

٩٣٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا)).

[أطرافه في : ٩٣٣، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢١، ١٠٢٩، ١٠٣٣، ٣٥٨٢، ٦٠٩٣، ٦٣٤٢].

बाब 35 : जुम्अे के ख़ुत्बे में बारिश के लिये दुआ करना

٣٥– بَابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

933. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम अबू अम्र औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में क़हत (अकाल) पड़ा, आप (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जानवर मर गये और अहलो–अयाल दानों को तरस गये। आप हमारे लिये अल्लाह तआला से दुआ फ़र्माएँ। आप (ﷺ) ने दोनों

٩٣٣– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا. ((فَرَفَعَ

يَدَيْهِ)) - وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً - فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ﷺ. فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ، وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

हाथ उठाए, बादल का एक टुकड़ा भी आसमान पर नज़र नहीं आ रहा था। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है, अभी आप (ﷺ) ने हाथों को नीचे भी नहीं किया था कि पहाड़ों की तरह घटा उमड़ आई और आप (ﷺ) अभी मिम्बर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आप (ﷺ) की रीशे मुबारक से टपक रहा था। उस दिन उसके बाद और लगातार अगले जुम्अे तक बारिश होती रही।

فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ - أَوْ قَالَ غَيْرُهُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلاَّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ. وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِيءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ)).

[راجع: ٩٣٢]

(दूसरे जुम्अे को) यही देहाती फिर खड़ा हुआ या कहा कि कोई दूसरा शख़्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! इमारतें मुनहदिम हो गईं और जानवर डूब गए। आप (ﷺ) हमारे लिये अल्लाह से दुआ कीजिए। आप (ﷺ) ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह! अब दूसरी तरफ़ बारिश बरसा और हमसे रोक दे। आप (ﷺ) हाथ से बादल के लिये जिस तरफ़ इशारा करते, उधर मतलअ साफ़ हो जाता। सारा मदीना तालाब की तरह बन गया था और क़नात का नाला महीना भर बहता रहा और आसपास से आने वाले भी अपने यहाँ भरपूर बारिश की ख़बर देते रहे। (राजेअ : 932)

तशरीह : बाब और नक़लकर्दा ह़दीष़ से ज़ाहिर है कि इमाम बवक़्ते ज़रूरत जुम्अे के ख़ुत्बा में भी बारिश के लिये दुआ कर सकता है और ये भी ष़ाबित हुआ कि किसी ऐसी अवामी ज़रूरत के लिये दुआ करने की दरख़्वास्त बह़ालते ख़ुत्बा इमाम से की जा सकती है और ये भी कि इमाम ऐसी दरख़्वास्त पर ख़ुत्बा ही में तवज्जह कर सकता है। जिन ह़ज़रात ने ख़ुत्बा को नमाज़ का दर्जा देकर उसमें बवक़्ते ज़रूरत तकल्लुम को भी मना बतलाया है। इस ह़दीष़ से ज़ाहिर है कि उनका ये ख़्याल स़ह़ी नहीं है।

अ़ल्लामा शौकानी (रह.) इस वाक़िअे पर लिखते हैं, '**व फ़िल्हदीषि फ़वाइदुम्मिन्हा जवाज़ुल्मुकालमति मिनल्ख़तीबि हालल्ख़ुत्बति व तक्रारहुआइ व इदख़ालल्इस्तिस्काइ फ़ी ख़ुत्बतिन वहुआउ बिही अलल्मिम्बरि व तर्कु तहवीलिरिंदाई वल्इस्तिक़बालि वल्इज्तिज़ाइ बिस़लातिल्जुम्अति अन स़लातिल्इस्तिस्काइ कमा तक़द्दम व फ़ीहि इल्मुम्मिन अलामिन्नुबुव्वति फ़ीहि इजाबतुल्लाहि तआ़ला दुआअ नबिय्यिही व इम्तिषालस्सहाबि अम्मरहू कमा वक़अ कष़ीरुम्मिनर्रिवायाति व ग़ैर ज़ालिक मिनल्फ़वाइदि**' (नैलुल औतार) या'नी इस ह़दीष़ से बहुत से मसाइल निकलते हैं मष़लन ह़ालते ख़ुत्बा में ख़त़ीब से बात करने का जवाज़ नीज़ दुआ करना (और उसके लिये हाथों को उठाकर दुआ करना) और ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में इस्तिस्क़ाअ की दुआ और इस्तिस्क़ाअ के लिये ऐसे मौक़े पर चादर उलटने-पलटने को छोड़ देना और का'बा की ओर रुख़ भी न होना और नमाज़े जुम्आ को नमाज़े इस्तिस्क़ाअ के बदले में काफ़ी समझना। और उसमें आपकी नुबुव्वत की एक अहम दलील भी है कि अल्लाह ने आपकी दुआ क़ुबूल फ़र्माई और बादलों को आपका फ़र्मान तस्लीम करने पर मामूर फ़र्मा दिया और भी बहुत से फ़वाइद हैं। आपने किन लफ़्ज़ों में दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ की। इस बारे में भी कई रिवायात हैं जिनमें जामेअ दुआएँ ये है, '**अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीनर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलुल्लाहु मा युरीदु अल्लाहुम्मा अन्त अल्लाह ला इलाहा इल्लाअन्त अन्तल्ग़नी व नहनुल्फ़ुक़राउ अन्ज़िल अलैनल्ग़ैष़ मा अन्ज़ल्त लना क़ुव्वतन व बलाग़न इला हीन**

अल्लाहुम्मस्किना गैषन मुग़ीषन मरीअन मरीअन तबक़न गदकन आज़िलन ग़ैर राइष़िन अल्लाहुम्म अस्क़ी इबादक व बहाइमक वन्शुर रहमतक वहइ बलदकल्मय्यत' ये भी मशरूअ अम्र है कि ऐसे मौक़ों पर अपने में से किसी नेक बुज़ुर्ग को दुआ के लिये आगे किया जाए और वो अल्लाह से रो-रोकर दुआ करे और लोग पीछे से आमीन-आमीन कहकर गिरया व ज़ारी के साथ अल्लाह से पानी का सवाल करें।

बाब 36 : जुम्अे के दिन ख़ुत्बा के वक़्त चुप रहना

٣٦- بَابُ الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

और ये भी लग़्व हरकत है कि अपने पास बैठे हुए शख़्स से कोई कहे कि 'चुप रह' सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया कि इमाम जब ख़ुत्बा शुरू करे तो ख़ामोश हो जाना चाहिये।

وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا. وَقَالَ سَلْمَانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يَنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ)).

(934) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअद ने अक़ील से बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो और तू अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि 'चुप रह' तो तूने ख़ुद एक लग़्व हरकत की।

٩٣٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ - وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - فَقَدْ لَغَوْتَ)).

बाब 37 : जुम्अे के दिन वो घड़ी जिसमें दुआ क़ुबूल होती है

٣٧- بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

(935) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने इमाम मालिक (रह.) से बयान किया, उनसे अबुज़िनाद ने, उनसे अब्दुर्रहमान अअरज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि .) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुम्अे के ज़िक्र में एक बार फ़र्माया कि इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान बन्दा खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई चीज़ अल्लाह पाक से मांग रहा हो तो अल्लाह पाक उसे वो चीज़ ज़रूर देता है। हाथ के इशारे से आपने बतलाया कि वो साअत बहुत थोड़ी सी है। (दीगर मक़ाम : 5294, 6400)

٩٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: ((فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ)) وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

[طرفاه في : ٥٢٩٤، ٦٤٠٠].

तश्रीह : इस घड़ी की तअय्युन (निर्धारण) में इख़्तिलाफ़ है कि ये घड़ी किस वक़्त आती है कुछ रिवायत में इसके लिये वो वक़्त बतलाया गया है जब इमाम नमाज़े जुम्आ शुरू करता है। गोया नमाज़ ख़त्म होने तक बीच में ये घड़ी आती है कुछ रिवायात में तुलूअे फ़ज्र से उसका वक़्त बतलाया गया है। कुछ रिवायात में अस्र से मग़्रिब तक का वक़्त बतलाया गया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में बहुत तफ़्सील के साथ इन सारी रिवायात पर रोशनी डाली है और इस बारे

में उलमा-ए-इस्लाम व फ़ुक़हा-ए-इज़ाम के 43 अक़्वाल नक़ल किये हैं। इमाम शौकानी (रह.) ने अल्लामा इब्ने मुनीर का ख़्याल इन लफ़्ज़ों में नक़ल फ़र्माया है, **'क़ालब्नुल्मुनीर इज़ाउलिम अन्न फ़ाइदतल्इब्हामि लिहाज़िहिस्साअति व लैलतिल्क़द्रि बअ़षुहवाई अलल्इक्षारि मिनस़्सलाति वद्दुआइ व लौ वक़अल्बयानु लत्तकलन्नासु अला ज़ालिक व तरकू मा अदाहा फ़ल्अजब बअ़्द ज़ालिक मिम्मय्यंत्तकिलु फ़ी तलबि तह़दीहिहा व क़ाल फ़ी मौज़इन आखर युहसिनु जम्अ़ल्अक़्वालि फ़तकूनु साअ़ तुल्इजाबति वाहिदतन मिन्हा ला युअ़य्यनुहा फ़युसादिफ़ुहा मनिज्तहद फ़ी जमीइहा'** (नैनुल अवतार) या'नी इस घड़ी के पोशीदा रखने में और इसी तरह लैलतुल क़द्र के पोशीदा रखने में फ़ायदा ये है कि उनकी तलाश के लिये बकष़रत नमाज़े नफ़्ल अदा की जाए और दुआएँ की जाएँ, इस सूरत में वो ज़रूर--ज़रूर घड़ी किसी न किसी साअ़त में उसे ह़ासिल होगी। अगर इनको ज़ाहिर कर दिया जाता तो लोग भरोसा करके बैठ जाते और सिर्फ़ उस घड़ी में इबादत करते। पस ता'ज्जुब उस शख़्स पर जो इसे महदूद वक़्त में पा लेने पर भरोसा किये हुए हैं। बेहतर है कि मज़्कूरा बाला अक़्वाल को बईं सूरत (उसी तरह) जमा किया जाए कि इजाबत (क़ुबूल करने) की घड़ी वो एक ही साअ़त है जिसे मुतअ़य्यिन नहीं किया जा सकता। पस जो तमाम औक़ात में उसके लिये कोशिश करेगा वो ज़रूर उसे किसी न किसी वक़्त में पा लेगा। इमाम शौकानी (रह.) ने अपना फ़ैसला इन लफ़्ज़ों में दिया है, **'वल्क़ौलु बिअन्नहा आखिर साअ़तिम्मिनल्यौमि हुव अर्जहुल्अक़्वालि व इलैहि ज़हबल्जुम्हूरू'** अल्ख़ इस बारे में राजेह़ क़ौल यही है कि वो घड़ी आख़िर दिन में बादे अ़स्र तक आती है और जुम्हूरे स़ह़ाबा व ताबेईन व अइम्म-ए-दीन का यही ख़याल है।

बाब 38 : अगर जुम्अे की नमाज़ में कुछ लोग इमाम को छोड़कर चले जाएँ तो इमाम और बाक़ी नमाज़ियों की नमाज़ स़ह़ीह़ हो जाएगी

٣٨- بَابُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَصَلاَةُ الإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ

(936) हमसे मुआविया बिन अ़म्र ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ाइदा ने हुसैन से बयान किया, उनसे सालिम बिन अबी ज़अ़दि ने, उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया हम नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने में अनाज लादे हुए एक तिजारती क़ाफ़िला उधर से गुज़रा। लोग ख़ुत्बा छोड़कर उधर चल दिये। नबी करीम (ﷺ) के साथ कुल बारह आदमी रह गए। उस वक़्त सूरह जुम्आ की ये आयत उतरी, (तर्जुमा) 'और जब ये लोग तिजारत और खेल देखते हैं तो उस तरफ़ दौड़ पड़ते हैं और आपको खड़ा छोड़ देते हैं।'

(दीगर मक़ाम : 2058, 2064, 4899)

٩٣٦- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.

[أطرافه في: ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩].

तश्रीह : एक मरतबा मदीने में ग़ल्ले (अनाज) की सख़्त कमी थी कि एक तिजारती काफ़िला अनाज लेकर मदीना आया उसकी ख़बर सुनकर कुछ लोग जुम्अे के दिन ऐन ख़ुत्बे के ह़ालात में बाहर निकल गए। इस पर ये आयते करीमा नाज़िल हुई। ह़ज़रत इमाम ने इस वाक़िअे से ये ष़ाबित फ़र्माया कि अह़नाफ़ और शवाफ़िअ़ जुम्अे की स़ेह़त के लिये जो ख़ास़ क़ैद लगाते हैं वो सही नहीं है। इतनी ता'दाद ज़रूर हो जिसे जमाअ़त कहा जा सके। आँह़ज़रत (ﷺ) के साथ से अकष़र लोग चले गए फिर भी आपने नमाज़े जुम्आ अदा की। यहाँ ये ए'तिराज़ होता है कि स़ह़ाबा की शान ख़ुद क़ुर्आन में यूँ है, रिजालुल

लातुल्हीहिम तिजारतुन अल्ख़ (अन्नूर, 37) या'नी मेरे बन्दे तिजारत वग़ैरह में ग़ाफ़िल होकर मेरी याद कभी न छोड़ते। सो इसका जवाब है कि ये वाक़िया इस आयत से नुज़ूल के पहले का है बाद में वो हज़रात अपने कामों से रुक गए और सही मा'नों में इस आयत के मिस्दाक़ बन गए थे। **रिज़्वानुल्लाहि अज्मईन व अरज़ाहुम** (आमीन)

बाब 39 : जुम्अे के बाद और उससे पहले सुन्नत पढ़ना

٣٩- بَابُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا

938. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने नाफ़ेअ़ से ख़बर दी, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर से पहले दो रकअ़त, उसके बाद दो रकअ़त और मग़्रिब के बाद दो रकअ़त अपने घर में पढ़ते और इशा के बाद दो रकअ़तें पढ़ते औ जुम्अ़े के बाद दो रकअ़तें जब घर वापस होते तब पढ़ा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1165, 1172, 1180)

٩٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)).

[أطرافه في : ١١٦٥، ١١٧٢، ١١٨٠].

क्योंकि ज़ुहर की जगह जुम्अ़े की नमाज़ है इसलिये ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इर्शाद फ़र्माया कि जो सुन्नते ज़ुहर से पहले और पीछे मसनून है वही जुम्आ के पहले और पीछे भी मसनून हैं , कुछ दूसरी ह़दीष़ में इन सुन्नतों का ज़िक्र भी आया है जुम्अ़े के बाद की सुन्नतें अकष़र आप (ﷺ) घर में पढ़ा करते थे।

बाब 40 : अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल का (सूरह जुम्अ़े में) ये फ़र्माना कि जब जुम्अ़े की नमाज़ ख़त्म हो जाए तो अपने काम काज के लिये ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल (रिज़्क़ या इल्म) को ढूंढो

٤٠- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ﴾

(938) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ग़स्सान मुहम्मद बिन मत़र मदनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार ने सहल बिन सअ़द के वास्ते से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि हमारे यहाँ एक औरत थी जो नालों पर अपने एक खेत में चुक़ंदर बोती। जुम्अ़े का दिन आता तो वो चुक़न्दर उखाड़ लाती और उसे एक हाण्डी में पकातीं फिर ऊपर से एक मुट्ठी जौ का आटा छिड़क देतीं। इस त़रह ये चुक़न्दर गोश्त की त़रह हो जाते। जुम्अ़े से वापसी

٩٣٨- حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا فَتَكُونُ

أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَةٌ. وَكُنَّا نَنصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.
[أطرافه في : ٩٣٩، ٩٤١، ٢٣٤٩، ٥٣٠٤، ٦٢٤٨، ٦٢٧٩].

में हम उन्हें सलाम करने के लिये हाज़िर होते तो यही पकवान हमारे आगे कर देती और हम उसे चाट जाते। हम लोग हर जुम्अे को उनके उस खाने के आरज़ूमंद रहा करते थे।

(दीगर मक़ाम : 939, 941, 2349, 5304, 6248, 6279)

तश्रीह : बाब की मुनासबत इस तरह है कि सहाबा किराम जुम्अे की नमाज़ के बाद रिज़्क़ की तलाश में निकलते और उस औरत के घर पर इस उम्मीद पर आते कि वहाँ खाना मिलेगा। अल्लाहु अकबर! आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में भी सहाबा ने कैसी तकलीफ़ उठाई कि चुकन्दर की जड़ें और मुट्ठी भर जौ का आटा ग़नीमत समझते और उसी पर क़नाअत करते। **रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन।**

٩٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا وَقَالَ : مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [راجع: ٩٣٨]

(939) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, अपने बाप से और उनसे सहल बिन सअ़द ने यही बयान किया और फ़र्माया कि दोपहर का सोना और दोपहर का खाना जुम्आ की नमाज़ के बाद रखते थे। (राजेअ़ : 938)

बाब 41 : जुम्अ़े की नमाज़ के बाद सोना

٤١- بَابُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ. [راجع: ٩٠٥]

(940)हमसे मुहम्मद बिन उ़क़्बा शैबानी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू इस्हाक़ फ़ज़ारी इब्राहीम बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे हुमैद तवील ने, उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना। आप फ़र्माते थे कि हम जुम्आ सवेरे पढ़ते, उसके बाद दोपहर की नींद लेते थे। (राजेअ़ : 905)

٩٤١- حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ. [راجع: ٩٣٨]

(941) हमसे सईद बिन बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ग़स्सान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़िम ने सहल बिन सअ़द (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने बतलाया कि हम नबी करीम (ﷺ) के साथ जुम्अ़ पढ़ते, फिर दोपहर की नींद लिया करते थे। (राजेअ़ : 938)

तश्रीह : हज़रत इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, 'व ज़ाहिरु ज़ालिक अन्नहुम कानू युसल्लूनल्जुमुअ़त बाकिरन्नहारि कालल्हाफ़िज़ु लाकिन तरीकुल्जम्इ औला मिन दअ़्वत्तआरुज़ि व क़द तक़र्रुरुन व अन्नत्तब्कीर मुतलक़ु अ ला ज़अ़्लिश्शैइ फी अव्वलि वक़्तिही व तक़्दीमिही अ़ला ग़ैरिही व हुवल्मुरादु हाहुना अन्नहुम कानू यब्दऊनस्सलात क़ब्लल्क़ैलूलति बिखिलाफ़िम्माजरत बिही आ़दतुहुम फी सलातिज़्ज़ुहरि फिल्हर्रि कानू यक़ीलून सुम्म युसल्लून लिमश्रूइय्यतिल्इब्रादि वल्मुरादु बिल्क़ाइलतिल्मज़्कूरति फिल्हदीसि नौमु

निस्फ़िन्नहारि' (नैनुल औतार) या'नी ज़ाहिर ये है कि वो सहाबा किराम जुम्अे की नमाज़ चढ़ते हुए दिन में अदा कर लेते थे हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि तआरुज़ पैदा करने से बेहतर है कि दोनों क़िस्म की अहादीष में तत्बीक़ दी जाए और ये मुक़र्रर हो चुका है कि तब्कीर का लफ़्ज़ किसी काम को उसका अव्वल वक़्त में करने या ग़ैर पर उसे मुक़द्दम करने पर बोला जाता है। और यहाँ यही मुराद है वो सहाबा किराम (रज़ि.) जुम्अे की नमाज़ रोज़ाना की आदत क़ैलूला के अव्वल वक़्त में पढ़ लिया करते थे। हालाँकि गर्मियों में उनकी आदत थी कि वो ठण्डे के ख़्याल से पहले कैलूला करते और बाद में ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते। मगर जुम्अे की नमाज़ कुछ मर्तबा ख़िलाफ़े आदत क़ैलूला से पहले ही पढ़ लिया करते थे। क़ैलूला दोपहर के सोने पर बोला जाता है। ख़ुलासा ये है कि जुम्अे को बादे ज़वाल अव्वल वक़्त पर पढ़ना इन रिवायात का मतलब और मंशा है। इस तरह जुम्आ अव्वल वक़्त और आख़िर वक़्त दोनों में पढ़ा जा सकता है। कुछ हज़रात ज़वाल से पहले भी जुम्आ के क़ाइल हैं। मगर तर्जीह ज़वाल के बाद ही को है और यही इमाम बुख़ारी (रह.) का मसलक मा'लूम होता है। एक लम्बी तफ़्सील के बाद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मद्द फ़ुयूज़ुहुम फ़र्माते हैं, **'व क़द ज़हर बिमा ज़कर्ना अन्नहू लैस फी सलातिल्जुम्अति क़ब्लज़्ज़वालि हदीषुन सहीहुन सरीहुन फल्क़ौलुर्राजिहु हुव मा क़ाल बिहील्जुम्हूरू क़ाल शैख़ुना फी शर्हित्तिर्मिज़ी वज्जाहिरू अल्मा'मूलु अलैहि हुव मा ज़हब इलैहिल्जुम्हूरू मिन अन्नहू ला तज़ुज़ुल्जुम्अतु इल्ला बअद ज़वालिश्शम्सि व अम्मा मा ज़हब इलैहि बअ्ज़ुहुम मन तजव्वुज़ क़ब्ल ज़वालिन फलैस फीहि हदीषुन सहीहुन सरीहुन इन्तिहा'** (मिर्आत, जिल्द नं.2, पेज नं. 203) ख़ुलासा ये है कि जुम्आ ज़वाल से पहले दुरुस्त नहीं उसी क़ौल को तर्जीह हासिल है। ज़वाल से पहले जुम्आ के बाद सहीह होने में कोई हदीष सहीह सरीह वारिद नहीं हुई पस जुम्हूर ही का मसलक सहीह है। **वल्लाहु अअ्लम बिस्सवाब.**

12. किताबुल ख़ौफ़

ख़ौफ़ का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : ख़ौफ़ की नमाज़ का बयान

١ - بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

और अल्लाह पाक ने (सूरह निसा) में फ़र्माया और जब तुम मुसाफ़िर हो तो तुम पर गुनाह नहीं अगर नमाज़ कम कर दो। फ़र्माने इलाही (अज़ाबुम्महीना) तक। (सूरह निसा : 101-102)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَى قوله عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٠١-١٠٢].

तशरीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) अपनी रविश के मुताबिक़ सलाते ख़ौफ़ के इष्बात के लिये आयते क़ुर्आनी को नक़ल फ़र्माकर इशारा किया कि आगे आने वाली अहादीष को इस आयत की तफ़्सीर समझना चाहिये।

ख़ौफ़ की नमाज़ उसको कहते हैं जो हालते जिहाद में अदा की जाती है। जब इस्लाम और दुश्मनाने इस्लाम की जंग हो रही हो और फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त आ जाए और डर हो कि अगर हम नमाज़ में खड़े होंगे तो दुश्मन पीछे से हमलावर हो जाएगा

ऐसी हालत में ख़ौफ़ की नमाज़ अदा करना जाइज़ है और इसका जवाज़ किताबो–सुन्नत दोनों से षाबित है। अगर मुक़ाबले का वक़्त हो तो उसकी सूरत ये है कि फ़ौज़ दो हिस्सों में तक्सीम हो जाए। मुजाहिदीन का हर हिस्सा नमाज़ में इमाम के साथ शरीक हों और आधी नमाज़ अलग से पढ़ लें। जब तक दूसरी जमाअत दुश्मन के मुक़ाबले पर रहे और इस हालते नमाज़ में आमदो–रफ़्त मुआफ़ है और हथियार और ज़िरह और सिपर साथ रखें और अगर इतनी भी फ़ुर्सत न हो तो जमाअत मौक़ूफ़ करें, तन्हा पढ़ लें, प्यादा (पैदल सैनिक) पढ़ लें या सवार (सैनिक); शिद्दते जंग हों तो इशारे से पढ़ ले अगर ये भी फ़ुर्सत न मिलें तो तवक़्क़ुफ़ करें जब तक जंग ख़त्म हो।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, '**फ़रज़ल्लाहुस्सलात अला नबिय्यिकुम फ़िल्हज़्रि अर्बअन फ़िस्सफ़रि रक्अतैनि व फ़िल्ख़ौफ़ि रक्अतन**' (रवाहु अहमद व मुस्लिम व अबू दाऊद व निसाई) या'नी अल्लाह ने हमारे नबी (ﷺ) पर हज़र में चार रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की और सफ़र में दो रकअत और ख़ौफ़ में सिर्फ़ एक रकअत।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के मुनअक़िदा बाब में वारिद पूरी आयत ये हैं, **व इज़ा ज़रब्तुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैस अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अय्यंफ़्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू इन्नल काफ़िरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीन. व इज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह** (अन निसा : 101, 102) या'नी जब तुम ज़मीन में सफ़र करने को जाओ तो तुम्हें नमाज़ का क़स्र (कम) करना जाइज़ है। अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुमको सताएँगे वाक़ई काफ़िर लोग तुम्हारे सरीह दुश्मन हैं। और जब ऐ नबी! आप उनमें हो और नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ने लगो तो चाहिये कि उन हाज़िरीन में से एक जमाअत आपके साथ खड़ी हो जाए और अपने हथियार साथ लिये रहें फिर जब पहली रकअत का दूसरा सज्दा कर चुके तो तुमसे पहली जमाअत पीछे चली जाए और दूसरी जमाअत वाले जिन्होंने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी वो आ जाएँ और आपके साथ एक रकअत पढ़ लें और अपना बचाव और हथियार साथ ही रखें। काफ़िरों की ये दिली आरज़ू है कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और सामान से ग़ाफ़िल हो जाओ तो तुम पर वो एक ही दफ़ा टूट पड़ें। आख़िर आयत तक।

नमाज़े ख़ौफ़, हदीषों में पाँच छ: तरह से आई हैं जिस वक़्त जैसा मौक़ा मिले पढ़ लेनी चाहिये। आगे हदीषों में उन सूरतों का बयान आ रहा है। मौलाना वहीदुज़्ज़माँ फ़र्माते हैं कि अकषर उलमा के नज़दीक ये आयत क़स्रे सफ़र के बारे में है। कुछ ने कहा ख़ौफ़ की नमाज़ के बाब में है, इमामे बुख़ारी (रह.) ने इसको इख़्तियार किया है। चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा गया कि हम ख़ौफ़ की क़स्र तो अल्लाह की किताब में देखते हैं, मगर सफ़र की क़स्र नहीं पाते। उन्होंने कहा हमने अपने नबी (ﷺ) को जैसा करते देखा वैसा ही हम भी करते हैं; या'नी गोया ये हुक्म अल्लाह की किताब में न सही पर हदीष में तो है और हदीष भी क़ुर्आन की तरह वाजिबुल अमल है।

हज़रत इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में नमाज़े ख़ौफ़ की जुम्ला तज़िया करने के बाद लिखा है कि उनसे नमाज़ छ: तरीक़े के साथ अदा करना मा'लूम होता है। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) फ़र्माते हैं जिस तरीक़े पर चाहें और जैसा मौक़ा हो ये नमाज़ उस तरह पढ़ी जा सकती है।

कुछ हज़रात ने ये भी कहा कि ये नमाज़े ख़ौफ़ आँहज़रत (ﷺ) के बाद मंसूख़ हो गई मगर ये ग़लत है। जुम्हूर उलमा-ए-इस्लाम का उसकी मशरूईयत पर इत्तिफ़ाक़ है। आपके बाद भी सहाबा मुजाहिदीन में कितनी बार मैदाने जंग में ये नमाज़ अदा की है।

शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना अब्दुल्लाह साहब मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, '**फ़इन्नस्सहाबत अज्मऊ अला सलातिल्ख़ौफ़ि फ़रूविय अन्न अलिय्यन सल्ला मअ रसूलिल्लाहि (ﷺ) सलातल्ख़ौफ़ि लैलत्हरीरि व सल्लाहा मुसल्अश्अरी बिअस्फ़हान बिअस्हाबिही रूविय अन्न सईदब्नल्आसि कान अमीरन अलल्जैशि बितब्रिस्तान फ़क़ाल अय्युकुम सल्ला मअ रसूलिल्लाहि (ﷺ) सलातल्ख़ौफ़ि फ़क़ाल हुजैफ़तु अना फ़क़द्दमहू फ़सल्ला बिहिम कालज़्ज़ैलई दलीलुल्जुम्हूरि वुजूबुल्इत्तिबाइ वत्तासी बिन्नबिय्यि (ﷺ) व क़ौलुहू सल्लू कमा राइतुमूनी उसल्ली अल्ख़**' (मिर्आत, जिल्द नं. 2, पेज नं. 318) या'नी सलाते ख़ौफ़ पर सहाबा का इज्माअ है जैसाकि मरवी है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने लैलतुल हरीरा में ख़ौफ़ की नमाज़ अदा की और अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने अस्फ़हान की जंग में

अपने साथियों के साथ ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ी और हज़रत सईद बिन आस़ ने जो जंगे तब्रिस्तान में अमीरे लश्कर थे, फ़ौजियों से कहा कि तुममें कोई ऐसा बुज़ुर्ग है जिसने आँहज़रत (ﷺ) के साथ ख़ौफ़ कीनमाज़ अदा की हो। चुनाँचे हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हाँ मैं मौजूद हूँ। पस उन्हीं को आगे बढ़ाकर नमाज़ अदा की गई। ज़ेलई ने कहा कि सलाते ख़ौफ़ पर जुम्हूर की दलील यही है कि आँहज़रत (ﷺ) की इत्तिबा और इक़्तिदा वाजिब है। आपने फ़र्माया है कि जैसे तुमने मुझको नमाज़ अदा करते देखा है वैसे ही तुम भी अदा करो पस उन लोगों का क़ौल ग़लत है जो सलाते ख़ौफ़ को अब मंसूख़ कहते हैं।

मतलब ये है कि अव्वल सबने आँहज़रत (ﷺ) के साथ नमाज़ की निय्यत बाँधी, दो सफ़ हो गए। एक सफ़ तो आँहज़रत (ﷺ) के मुत्तसिल, दूसरी सफ़ उनके पीछे और ये इस हालत में है जब दुश्मन क़िब्ले की जानिब हो और सबका मुँह क़िब्ले ही की तरफ़ हो, ख़ैर अब पहली सफ़ वालों ने आपके साथ रुकूअ और सज्दा किया और दूसरी सफ़ वाले खड़े-खड़े उनकी हिफ़ाज़त करते रहे, उसके बाद पहली सफ़ वाले रुकूअ और सज्दा करके दूसरी सफ़ वालों की जगह पर हिफ़ाज़त के लिये खड़े रहे और दूसरी सफ़ वाले उनकी जगह पर आकर रुकूअ और सज्दा में गए। रुकूअ और सज्दा करके क़याम में आँहज़रत (ﷺ) के साथ शरीक हो गए और दूसरी रकअत का रुकूअ और सज्दा आँहज़रत (ﷺ) के साथ किया जब आप (ﷺ) अत्तहिय्यात पढ़ने लगे तो पहली सफ़ वाले रुकूअ व सज्दा में गए फिर सबने एक साथ सलाम फेरा जैसे एक साथ निय्यत बाँधी थी। (शरह वहीदी)

٩٤٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - يَعْنِي صَلاَةَ الْخَوْفِ - قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)).

[أطرافه في: ٩٤٣، ٤١٣٢، ٤١٣٢، ٤٥٣٥].

(942) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने ज़ुह्री से पूछा क्या नबी करीम (ﷺ) ने सलाते ख़ौफ़ पढ़ी थी? इस पर उन्होंने फ़र्माया कि हमें सालिम ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बतलाया कि मैं नजद की तरफ़ नबी करीम (ﷺ) के साथ ग़ज़्वा (ज़ातुर्रिक़ाअ) में शरीक था। दुश्मन से मुक़ाबले के वक़्त हमने सफ़ें बाँधीं, उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ौफ़ की नमाज़ पढ़ाई (तो हममें से) एक जमाअ़त आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ने में शरीक हो गई और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहा। फिर रसूले करीम (ﷺ) ने अपनी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़नेवालों के साथ एक रुकूअ और दो सज्दे किये। फिर ये लोग लौटकर उस जमाअ़त की जगह आ गए जिसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी थी। अब दूसरी जमाअ़त आई। उनके साथ भी आपने एक रुकूअ और दो सज्दे किये। फिर आप (ﷺ) ने सलाम फेर दिया। उस गिरोह में से हर शख़्स खड़ा हुआ और उसने अकेले अकेले एक रुकूअ किया और दो सज्दे अदा किये।

(दीगर मक़ाम : 943, 4132, 4535)

तश्रीह : नजद लुग़त में बुलन्दी को कहते हैं और अ़रब में ये इलाक़े वो हैं जो तेहामा और यमन से लेकर इराक़ और शाम तक फैला हुआ है जिहादे मज़्कूरा सात हिज्री में बनी ग़त्फ़ान के काफ़िरों से हुआ था। इस रिवायत से मा'लूम

होता है कि फ़ौज के दो हिस्से किये गये और हर हिस्से ने रसूले करीम (ﷺ) के साथ एक-एक रकअत बारी-बारी अदा की फिर दूसरी रकअत उन्होंने अकेले-अकेले अदा की। कुछ रिवायतों में यूँ है कि हर हिस्सा एक रकअत पढ़कर चला गया और जब दूसरा गिरोह पूरी नमाज़ पढ़ गया तो ये गिरोह दोबारा आया और एक रकअत अकेले-अकेले पढ़कर सलाम फेरा।

फुटपट हो जाएँ या'नी भिड़ जाएँ सफ़ बाँधने का मौक़ा न मिले तो जो जहाँ खड़ा हो वहीं नमाज़ पढ़ लें। कुछ ने कहा क़यामा का लफ़्ज़ यहाँ (रावी की तरफ़ से) ग़लत है सहीह क़ायम है और पूरी इबारत यूँ है, '**इज़ख़्तलतू क़ाइमन फइन्नमा हुवज़्ज़िक्रू वल्इशारतु बिर्रासि**' या'नी जब काफ़िर और मुसलमान लड़ाई में ख़लत-मलत हो जाएँ तो सिर्फ़ ज़ुबान से क़िरअत और रुकूअ सज्दे के बदल सर से इशारे करना काफ़ी है। (शरह वहीदी)

क़ाल इब्नु क़ुदामा यजूज़ु अय्युसल्लिय सलातल्ख़ौफ़ि अला कुल्लि सिफ़तिन सल्लाहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) क़ाल अहमदु कुल्लु हदीषिन युर्वा फी अब्वाबि सलातिल्ख़ौफ़ि फल्अमलु बिही जाइज़ुन व क़ाल सित्तत औजहिन औ सब्आ युर्वा फीहा कुल्लुहा जाइज़ुन' (मिर्आतुल मसाबेह, जिल्द नं. 2, पेज नं. 319) या'नी इब्ने क़ुदामा ने कहा कि जिन-जिन तरीक़ों से ख़ौफ़ की नमाज़ आँहज़रत (ﷺ) से नक़ल हुई है इन सबके मुताबिक़ जैसा हो ख़ौफ़ की नमाज़ अदा करना जाइज़ है। इमाम अहमद ने भी ऐसा ही कहा है और ये फ़र्माया है कि नमाज़ छः सात तरीक़ों से जाइज़ है जो मुख़्तलिफ़ अहादीष में मरवी हैं, '**क़ालब्नु अब्बासिन वल्हसनुल्बसरी व अता व ताउस व मुजाहिद वल्हकमुब्नु उतैबा व क़तादा व इस्हाक़ वज़्ज़ह्हाक़ वष्षौरी अन्नहा रक्अतुन इन्द शिद्दतिल्क़िताल यूमी ईमाउ**' (हवाला मज़्कूर) या'नी मज़्कूरा जुम्ला अकाबिरे इस्लाम कहते हैं कि शिद्दते क़िताल के वक़्त एक रकअत बल्कि महज़ इशारों से भी अदा कर लेना जाइज़ है।

बाब ख़ौफ़ की नमाज़ पैदल और सवार होकर पढ़ना

٢- بَابُ صَلاَةِ الْخَوفِ رِجَالاً

क़ुर्आन शरीफ़ में 'रिजालन राजिल' की जमाअ है
(या'नी प्यादा/पैदल चलने वाला)

وَرُكْبَانًا رَاجِلٌ : قَائِمٌ

तश्रीह : या'नी क़ुर्आनी आयते करीमा '**फ़इन ख़िफ़्तुम फ़ रिजालन अव रुक्बाना**' में लफ़्ज़े रिजालन राजिलुन की जमा है न कि रजुलुन की। राजिल के मा'नी पैदल चलने वाला और रजुलुन के मा'नी मर्द। इसी फ़र्क़ को ज़ाहिर करने के लिये इमाम ने बतलाया कि आयते शरीफ़ा में रिजालन राजिलुन की जमा है या'नी पैदल चलनेवाले रजुलुन बमा'नी मर्द की जमा नहीं है।

(943) हमसे सईद बिन यह्या बिन सईद क़ुरशी ने बयान किया, कहा कि मुझसे से मेरे बाप यह्या ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़्बा ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने मुजाहिद के क़ौल की तरह बयान किया कि जब जंग में लोग एक-दूसरे से गठ जाएँ तो खड़े खड़े नमाज़ पढ़ लें और इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा और किया है कि अगर काफ़िर बहुत सारे हों कि मुसलमानों को दम न लेने दें तो खड़े खड़े और सवार रहकर (जिस तौर मुम्किन हो) इशारों से ही सही मगर नमाज़ पढ़ लें। (राजेअ : 942)

٩٤٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا)).

[راجع: ٩٤٢]

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, '**क़ील मक्सूदुहु अन्नस्सलात ला तस्कुतु इन्दल्इज़्ज़ि अनिन्नुज़ूलि**

अनिल्अराबति वला तुअख़्ख़रू अन वक़्तिहा बल तुसल्ला अला अय्यि वज्हिन हसलतिल्कुदरतु अलैहि बिदलीलिल्आयति' (फ़त्हुल बारी) या'नी मक़्सूद ये है कि नमाज़ उस वक़्त भी साक़ित नहीं होती जबकि नमाज़ी सवारी से उतरने से आजिज़ हों और न वो वक़्त से मुअख़्ख़र (देर से) की जा सकती है बल्कि हर हालत में अपनी कुदरत के मुताबिक़ उसे पढ़ना ही होगा जैसा कि आयते बाला उस पर दलील है।

ज़मान-ए-हाज़िरा (वर्तमान) में रेलों–मोटरों, हवाई जहाजों में बहुत से ऐसे ही मौक़े आ जाते हैं कि उनसे उतरना नामुम्किन हो जाता है। बहरहाल नमाज़ जिस तौर पर भी मुम्किन हो वक़्ते मुक़र्रर पर पढ़ लेनी चाहिये। ऐसी ही दुश्वारियों के पेशेनज़र शारेह अलैहिर्रहमा ने दो नमाज़ों को एक वक़्त में जमा करके अदा करना जाइज़ क़रार दिया है। और सफ़र में क़स्र और बवक़्ते जिहाद और भी मज़ीद रियायत कर दी गई। मगर नमाज़ को मुआफ़ नहीं किया गया।

बाब 3 : ख़ौफ़ की नमाज़ में नमाज़ी एक–दूसरे की हिफ़ाज़त करते हैं

٣- بَابُ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلاَةِ الْخَوفِ

या'नी एक गिरोह नमाज़ पढ़े और दूसरा उनकी हिफ़ाज़त करे फिर वो गिरोह नमाज़ पढ़े और पहला गिरोह उनकी जगह आ जाए।

(944) हमसे हयवह बिन शुरैह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन हर्ब ने ज़ुबैदी से बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मसऊद (रज़ि.) ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए और दूसरे लोग भी आप (ﷺ) की इक़्तिदा में खड़े हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने तक्बीर कही तो लोगों ने भी तक्बीर कही। आप (ﷺ) ने रुकूअ किया तो लोगों ने आपके साथ रुकूअ और सज्दा कर लिया था वो खड़े खड़े अपने भाइयों की निगरानी करते रहे। और दूसरा गिरोह आया। (जो अब तक हिफ़ाज़त के लिये दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहा बाद में) उसने भी रुकूअ और सज्दे किये। सब लोग नमाज़ में थे लेकिन लोग एक दूसरे की हिफ़ाज़त कर रहे थे।

٩٤٤- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ. ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِيْنَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

बाब 4 : इस बारे में कि उस वक़्त (जब दुश्मन के) क़िलों की फ़तह के इम्कानात रोशन हों और जब दुश्मन से मुठभेड़ हो रही हो तो उस वक़्त नमाज़ पढ़े या नहीं

٤- بَابُ الصَّلاَةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاءِ الْعَدُوِّ

और इमाम औज़ाई ने कहा कि जब फ़तह सामने हो और नमाज़ पढ़नी मुम्किन न रहे तो इशारे से नमाज़ पढ़ लें। हर शख़्स अकेले अकेले अगर इशारा भी न कर सकें तो लड़ाई के ख़त्म होने तक या अमन होने तक नमाज़ मौक़ूफ़ रखें, उसके बाद दो रकअतें पढ़ लें।

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ صَلَّوا إِيْمَاءً كُلُّ امْرِىءٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى

अगर दो रकअ़त न पढ़ सकें तो एक ही रुकूअ़ और दो सज्दे कर लें अगर ये भी न हो सके तो सिर्फ़ तक्बीरे तहरीमा काफ़ी नहीं है, अमन होने तक नमाज़ में देर करें. मक्हूल ताबेई का यही क़ौल है.

الإِيْمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا لاَ يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيْرُ، وَيُؤَخِّرُونَهَا حَتَّى يَأْمَنُوا. بِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.

और हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि सुबह रोशनी में तुस्तर के क़िले पर जब चढ़ाई हो रही थी उस वक़्त मैं मौजूद था। लड़ाई की आग ख़ूब भड़क रही थी तो लोग नमाज़ न पढ़ सके। जब दिन चढ़ गया उस वक़्त सुबह की नमाज़ पढ़ी गई। अबू मूसा अशअ़री भी साथ थे फिर क़िला फ़तह हो गया। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि उस दिन जो नमाज़ हमने पढ़ी (गो वो सूरज निकलने के बाद पढ़ी) उससे इतनी ख़ुशी हुई कि सारी दुनिया मिलने से इतनी ख़ुशी न होगी।

وَقَالَ أَنَسٌ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ - وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ - فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلاَةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلاَّ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى،فَفُتِحَ لَنَا.قَالَ أَنَسٌ وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلاَةِ الدُّنْيَاوَمَا فِيْهَا.

तुस्तर अह्वाज़ के शहरों में से एक शहर है। वहाँ का क़िला सख़्त जंग के बाद ज़मान-ए-फ़ारूक़ी, बीस हिजरी में जीता गया। इस तअ़लीक़ को इब्ने सअ़द और इब्ने अबी शैबा ने वस्ल (मिलान) किया। अबू मूसा अशअ़री उस फ़ौज के अफ़सर थे। जिसने इस क़िले पर चढ़ाई की थी। इस नमाज़ की ख़ुशी हुई थी कि ये मुजाहिदों की नमाज़ थी। न आजकल के बुज़दिल मुसलमानों की नमाज़। कुछ ने कहा कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने नमाज़ फ़ौत होने पर अफ़सोस किया। या'नी अगर ये नमाज़ वक़्त पर पढ़ लेते तो सारी दुनिया के मिलने से ज़्यादा मुझको ख़ुशी होती। मगर पहले मा'नी को तर्जीह है।

(945) हमसे यह्या इब्ने जा'फ़र ने बयान किया कि हमसे वकीअ़ ने अ़ली बिन मुबारक से बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने, उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) ने कि हज़रत उमर (रज़ि.) ग़ज़्व-ए-ख़ंदक के दिन कुफ़्फ़ार को बुरा–भला कहते हुए आए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! सूरज डूबने ही को है और मैंने तो अब तक अ़स्र की नमाज़ नहीं पढ़ी, इस पर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ी। उन्होंने बयान किया कि फिर आप बुत्हान की तरफ़ गए (जो मदीना में एक मैदान था) और वुज़ू करके आपने वहाँ सूरज डूबने के बाद अ़स्र की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद नमाज़े मग़्रिब पढ़ी।

(राजेअ़ : 596)

٩٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ. فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: ((وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ)). قَالَ: فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا).

[راجع: ٥٩٦]

तश्रीह : बाब का तर्जुमा इस हदीष़ से ये निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) को लड़ाई में मस़रूफ़ रहने से बिलकुल नमाज़ की

फ़ुर्सत न मिली तो आपने नमाज़ में देर की। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि मुम्किन है कि उस वक़्त तक ख़ौफ़ की नमाज़ का हुक्म नहीं उतरा होगा या नमाज़ का आपको ख़्याल न रहा होगा या ख़्याल होगा मगर तहारत करने का मौक़ा न मिला होगा।

'क़ील अख़्ख़रहा अमदन लिअन्नहू कानत क़ब्ल नुज़ूलि सलातिल्ख़ौफि ज़हब इलैहिल्जुम्हूरू कमा क़ाल इब्नु रुश्द व जज़िम इब्नुल्क़य्यिम फिल्हुदा वल्हाफ़िज़ु फिल्फतहि वल्क़ुर्तुबी फी शर्हि मुस्लिम व अयाज़ फफिश्शिफा वज़्ज़ैलई फी नस्बिर्राया वब्नुल्कस्सार व हाज़ा हुवर्राजिह इन्दना' (मिर्आतुल्मफ़ातीह, जिल्द नं. 2, पेज नं. 318) या'नी कहा गया कि (शिद्दते जंग की वजह से) आप (ﷺ) ने अमदन (जान–बूझकर) नमाज़े अस्र को मुअख़्ख़र फ़र्माया इसलिये कि उस वक़्त तक सलाते ख़ौफ़ का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। बक़ौले इब्ने रुश्द जुम्हूर का यही क़ौल है और अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने ज़ादुल मआद में इस ख़्याल पर जज़्म किया है और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में और क़ुर्तुबी ने शरह मुस्लिम, अल क़ाज़ी अयाज़ ने शिफ़ा में और ज़ेलई ने नस्बुर्राया में, इब्ने क़स्सार ने इसी ख़्याल को तर्जीह दी है और हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुअल्लिफ़ मिर्आतुल मफ़ातीह फ़र्माते हैं कि हमारे नज़दीक भी इसी ख़्याल को तर्जीह हासिल है।

बाब 5 : जो दुश्मन के पीछे लगा हो या दुश्मन उसके पीछे लगा हो वो सवार रहकर इशारे ही से नमाज़ पढ़ ले

٥- بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيْمَاءً

और वलीद बिन मुस्लिम ने कहा मैंने इमाम औज़ाई से शुर्हबील बिन सम्त और उनके साथियों की नमाज़ का ज़िक्र किया कि उन्होंने सवारी पर ही नमाज़ पढ़ ली, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी यही मज़हब है जब नमाज़ के क़ज़ा होने का डर हो। और वलीद ने आँहज़रत (ﷺ) के इस इशारे से दलील ली कि कोई तुममें से अस्र की नमाज़ न पढ़े मगर बनी क़ुरैज़ा के पास पहुँचकर।

وَقَالَ الْوَلِيْدُ: ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ صَلاَةَ شَرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ فَقَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوتُ. وَاحْتَجَّ الْوَلِيْدُ بِقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)).

(946) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अस्मा ने बयान किया, कहा कि हमसे जुवैरिया बिन अस्मा ने नाफ़ेअ से, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि जब नबी करीम (ﷺ) ग़ज़्व-ए-ख़ंदक़ से फ़ारिग़ हुए तो (अबू सुफ़यान लौटा) हमसे आपने फ़र्माया कोई शख़्स बनू क़ुरैज़ा के मुहल्ले में पहुँचने से पहले नमाज़े अस्र न पढ़े। लेकिन जब अस्र का वक़्त आया तो कुछ सहाबा (रज़ि.) ने रास्ते में ही नमाज़ पढ़ ली और कुछ सहाबा (रज़ि.) ने कहा कि हम बनू क़ुरैज़ा के मुहल्ले में पहुँचने पर नमाज़े अस्र पढ़ेंगे और कुछ हज़रात का ख़्याल ये हुआ कि हमें नमाज़ पढ़ लेनी चाहिये क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) का मक़्सद ये नहीं था कि नमाज़ क़ज़ा कर लें। फिर जब आपसे उसका ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) ने किसी पर भी मलामत नहीं फ़र्माई। (दीगर मक़ाम : 4119)

٩٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: ((لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ)) فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا مِنْهُمْ.

[أطرافه في: ٤١١٩].

तशरीह : तालिब या'नी दुश्मन की तलाश में निकलने वाले; मत्लूब या'नी जिसकी तलाश में दुश्मन लगा हो। ये उस वक़्त का वाक़िया है जब ग़ज़्व-ए-अह्ज़ाब ख़त्म हो गया और कुफ़्फ़ार नाकाम होकर चले गए तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़ौरन ही मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि इसी हालत में बनू कुरैज़ा के मुहल्ले में चलें जहाँ मदीना के यहूदी रहते थे। जब आँहज़रत (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाए तो उन यहूदियों ने एक मुआहिदे के तहत एक–दूसरे के ख़िलाफ़ किसी जंगी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का अहद किया था। मगर ख़ुफ़िया तौर पर यहूदी पहले भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और उस मौक़ा पर तो उन्होंने खुलकर कुफ़्फ़ार का साथ दिया। यहूद ने ये समझकर भी इसमें शिर्कत की थी कि ये आख़िरी और फ़ैसलाकुन लड़ाई थी और मुसलमानों की शिकस्त (हार) इसमें यक़ीनी है। मुआहिदे की रू से यहूदियों की इस जंग में शिर्कत एक संगीन जुर्म था इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने चाहा कि बग़ैर किसी मुह्लत के उन पर हमला किया जाए और इसीलिये आपने फ़र्माया था कि नमाज़े अ़स्र बनू कुरैज़ा में जाकर पढ़ी जाए क्योंकि रास्ते में अगर कहीं नमाज़ के लिये ठहरते तो देर हो जाती। चुनाँचे कुछ सहाबा (रज़ि.) ने भी इससे यही समझा कि आपका मक़्सद सिर्फ़ जल्द से जल्द बनू कुरैज़ा पहुँचना था। इससे ये षाबित हुआ कि बहालते मजबूरी तालिब और मत्लूब दोनों सवारी पर नमाज़ इशारे से पढ़ सकते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मज़हब है और इमाम शाफ़िई और इमाम अह्मद के नज़दीक जिसके पीछे दुश्मन लगा हो वो तो अपने बचाव के लिये सवारी पर इशारे ही से नमाज़ पढ़ सकता है और जो ख़ुद दुश्मन के पीछे लगा हो तो उसको दुरुस्त नहीं और इमाम मालिक (रह.) ने कहा कि उसको उस वक़्त दुरुस्त है जब दुश्मन के निकल जाने का डर हो। वलीद ने इमामे औज़ाई (रह.) के मज़हब पर हदीष **'ला युसल्लियन्न अहदुल अल्अ़स्र'** से दलील ली कि सहाबा बनू कुरैज़ा के तालिब थे। या'नी उनके पीछे और बनू कुरैज़ा मत्लूब थे और आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ क़ज़ा हो जाने की उनके लिये परवाह न की। जब तालिब को नमाज़ क़ज़ा करना दुरुस्त हुआ तो इशारे से सवारी पर पढ़ लेना बतरीक़े औला दुरुस्त होगा हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के इस्तिदलाल इसीलिये इस हदीष से सही है। बनू कुरैज़ा पहुँचने वाले सहाबा (रज़ि.) में से हर एक ने अपने इज्तिहाद और राय पर अ़मल किया। कुछ ने ये ख़्याल किया कि आँहज़रत (ﷺ) का हुक्म का ये मतलब है कि जल्द जाओ बीच में ठहरो नहीं तो हम नमाज़ क्यूँ क़ज़ा करें। उन्होंने सवारी पर पढ़ ली। कुछ ने ख़्याल किया कि हुक्म बजा लाना ज़रूरी है, नमाज़ भी अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की रज़ामन्दी के लिये पढ़ते हैं तो आपके हुक्म की ता'मील में अगर नमाज़ में देर हो जाएगी तो हम कुछ गुनाहगार न होंगे। (अल ग़र्ज़) फ़रीक़ैन की निय्यत बख़ैर थी इसलिये कोई मलामत के लायक़ न ठहरा। मा'लूम हुआ कि अगर मुज्तहिद ग़ौर करें और फिर उसके इज्तिहाद में ग़लती हो जाए तो उसके मुआख़ज़ा (पकड़) न होगी। अ़ल्लामा नववी (रह.) ने कहा इस पर इत्तिफ़ाक़ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर मुज्तहिद सवाब पर है।

बाब 6 : हमला करने से पहले सुबह की नमाज़ अँधेरे में जल्दी पढ़ लेना चाहिये इसी तरह लड़ाई में (तुलूअ़े फ़ज्र के बाद फ़ौरन अदा कर लेना चाहिये)

(947) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब और षाबित बिनानी ने बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ अँधेरे ही में पढ़ा दी, फिर सवार हुए (फिर आप ख़ैबर पहुँच गए और वहाँ के यहूदियों को आपके आने की इत्तिला हो गई) और फ़र्माया अल्लाहु अकबर ख़ैबर पर बर्बादी आ गई। हम तो जब किसी क़ौम के आंगन में उतर जाएँ तो डराए हुए लोगों की

٦- بَابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ، وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

٩٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ)). فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ:

सुबह मन्हूस होगी। उस वक़्त ख़ैबर के यहूदी गलियों में ये कहते हुए भाग रहे थे कि मुहम्मद (ﷺ) लश्कर समेत आ गए। रावी ने कहा कि (रिवायत में) लफ़्ज़ ख़मीस लश्कर के मा'नी में है। आख़िर रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़तह हुई। लड़ने वाले जवान क़त्ल कर दिये गए, औरतें और बच्चे क़ैद हुए। इत्तिफ़ाक़ से सफ़िया दह्या क़ल्बी के हिस्से में आईं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिलीं और आप (ﷺ) ने उनसे निकाह किया और आज़ादी उनका महर क़रार पाया। अब्दुल अज़ीज़ ने षाबित से पूछा अबू मुहम्मद! क्या तुमने अनस (रज़ि.) से पूछा था कि हज़रत सफ़िया का महर आपने मुक़र्रर क्या था उन्होंने जवाब दिया कि ख़ुद उन्हीं को उनके महर में दे दिया था। कहा कि अबू मुहम्मद इस पर मुस्कुराए। (राजेअ : 371)

مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ - فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِيَّ، فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا. فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنْتَ سَأَلْتَ أَنَسًا مَا أَمْهَرَهَا؟ فَقَالَ: أَمْهَرَهَا نَفْسَهَا. قَالَ فَتَبَسَّمَ. بِعَوْنِهِ تَعَالَى تَمَّ الْجُزْءُ الأَوَّلُ وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ كِتَابُ الْعِيدَيْنِ. [راجع: ٣٧١]

तशरीह : बाब का तर्जुमा इससे ये निकलता है कि आप (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ सवेरे अँधेरे में पढ़ ली और सवार होते वक़्त नारा-ए-तक्बीर बुलन्द किया। ख़मीस़ लश्कर को इसलिये कहते हैं कि पाँच टुकड़ियाँ होती हैं मुक़द्दमा, साक़ा, मैमना, मैसरह, क़ल्ब। सफ़िया शहज़ादी थीं, आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी दिलजोई और ख़ानदानी शराफ़त के आधार पर उन्हें अपने हरम में ले लिया और आज़ाद फ़र्मा दिया उन्हीं को उनके महर में देने का मतलब उनको आज़ाद कर देना है, बाद में ये ख़ातून एक बेहतरीन वफ़ादार षाबित हुईं। उम्महातुल मोमिनीन में उनका भी बड़ा मुक़ाम है। (रज़ि.)। अल्लामा ख़तीब बग़दादी लिखते हैं कि हज़रत सफ़िया हुय्यि बिन अख़्तब की बेटी हैं जो बनी इस्राईल में से थे और हारून इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम के नवासे थे। ये सफ़िया किनाना बिन अबी अल हक़ीक़ की बीवी थीं जो जंगे ख़ैबर में ब-माहे मुहर्रम सात हिज्री क़त्ल किया गया और ये क़ैद हो गईं तो इनकी शराफ़ते नस्बी की वजह से आँहज़रत (ﷺ) ने इनको अपने हरम में दाख़िल कर लिया। पहले दहिय्या बिन ख़लीफ़ा कल्बी के हिस्सा-ए-ग़नीमत में लगा दी गई थीं। बाद में आँहज़रत (ﷺ) ने उनका हाल मा'लूम फ़र्माकर सात ग़ुलामों के बदले उनको दहिय्या कल्बी से हासिल कर लिया। उसके बाद ये ब-रज़ा व रग़बत (ख़ुशी-ख़ुशी) इस्लाम ले आईं और आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी ज़ोजियत से मुशर्रफ़ फ़र्माया और उनको आज़ाद कर दिया और उनकी आज़ादी ही को उनका मेहर मुक़र्रर फ़र्माया। हज़रत सफ़िया ने पचास हिजरी में वफ़ात पाई और जन्नतुल बक़ी में सुपुर्दे ख़ाक की गईं। उनसे हज़रत अनस और इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं हुय्य में याये मुह्मला का पेश और नीचे दो लफ़्ज़ों वाली याअ का ज़बर और दूसरी याअ पर तशदीद है।

सलाते ख़ौफ़ के बारे में अल्लामा शौकानी ने बहुत काफ़ी तफ़्सीलात पेश की हैं और छः सात तरीक़ों से उसके पढ़ने का ज़िक्र किया है। अल्लामा फ़र्माते हैं, '**व क़दिख़्तुलिफ़ फ़ी अददिल्अन्वाइल्वारिदति फी सलातिल्ख़ौफि फक़ालब्नु क़स्सार अल्मालिकी अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सल्लाहा फी अशरति मवातिन व क़ालन्नववी अन्नहू यब्लुगुमज्मूअ अन्वाई सलातिल्ख़ौफ़ि सित्तत अशर वज्हन कुल्लुहा जाइज़तुन व क़ालल्ख़त्ताबी सलातुल्ख़ौफ़ि अन्वाउन सल्लाहन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ी अय्यामिन मुख़्तलिफतिन व अश्कालिन मुतबायनतिन यतहर्रा मा हुव अहवतु लिस्सलाति व अब्लगु फिल्हिरासति.**' (नैलुल औतार)

या'नी सलाते ख़ौफ़ की क़िस्मों में इख़्तिलाफ़ है इब्ने क़स्सार मालिकी ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसे दस जगह पढ़ा है और नववी कहते हैं कि उस नमाज़ की तमाम क़िस्में सोलह तक पहुँची हैं और वो सब जाइज़ हैं। ख़त्ताबी ने कहा कि सलातुल ख़ौफ़ को आँहज़रत (ﷺ) ने अय्यामे मुख़्तलिफ़ा में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से अदा फ़र्माया है। इसमें ज़्यादा क़ाबिले ग़ौर चीज़ यही रही है कि नमाज़ के लिये भी हर मुम्किन एहतियात से काम लिया जाए और उसका भी ख़याल रखा जाए कि

हिफ़ाज़त और निगाहबानी में भी फ़र्क़ न आने पाए। अल्लामा इब्ने हज़्म ने इसके चौदह तरीक़े बतलाए हैं और एक मुस्तक़िल रिसाले में इन सबका ज़िक्र फ़र्माया है।

अल हम्दुलिल्लाह कि अवाख़िरे मुहर्रम 1389 हिज्री में किताब सलातुल ख़ौफ़ की तबीज़ से फ़राग़त हासिल हुई, अल्लाह तआला उन लग़्ज़िशों को मुआफ़ फ़र्माए जो इस मुबारक किताब का तर्जुमा लिखने और तशरीहात पेश करने में मुतर्जिम से हुई होंगी। वो ग़लतियाँ यक़ीनन मेरी तरफ़ से हैं। अल्लाह के हबीब (ﷺ) के फ़रामीने आलिया का मुक़ाम बुलन्द व बरतर है, आपकी शान **ऊतीतु जवामिउल कलिम** है। अल्लाह से मुकर्रर दुआ है कि वो मेरी लग़्ज़िशों को मुआफ़ फ़र्माकर अपने दामने रहमत में ढांप ले और उस मुबारक किताब के तमाम क़द्रदानों को बरकाते दारेन से नवाज़े, आमीन या रब्बल आलमीन।

13. किताबुल ईदैन

किताब ईदैन के मसाइल के बयान में

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तशरीह : ईद की वजहे तस्मिया के बारे में हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी दाम फ़ैज़ुहू फ़र्माते हैं, **'व अस्लुल्ईदि ऊदुन लिअन्नहू मुश्तक्कुन मिन आद यऊदु ऊदुनव हुवरूजूअ कुल्लिबतिल्वावु याअ लिसुकूनिहा वल्कस्रू मा कब्लहा कमा फिल्मीज़ानि वल्मीक़ाति व जम्उहू आयादुन लुज़ूमुल्याई फिल्वाहिदि व लिल्फ़र्क़ि बैनहू व बैन आवादिल्खश्बि सुम्मिया ईदैनि लिकष्रति अवाइदिल्लाहि तआला फीहिमा औ लिअन्नहुम यऊदुन इलैहिमा मर्रतन बअद उख़्रा औ लितकर्रूरिहिमा व ऊदिहिमा लिकुल्लि आमिन औ लिऊदिस्सुरूरि बिऊदिहिमा काल फिल्अज़्हार कुल्लु इज्तिमाइन लिस्सुरूरि फहुव इन्दल्अरबि ईदुन यऊदुस्सुरू बिऊदिय व क़ील इन्नल्लाह तआला यऊदु अलल्अयादि बिल्मग़फ़िरति वर्रहमति व क़ील तिफालन बिऊदिही अला मन अदरकहू कमा सुम्मियतल्क़ाफिलतु तुफावलन लिरूजूइहा व क़ील लिऊदिही बअज़ुल्मबाहाति फीहिमा वाजिबन कल्फ़ित्रि व क़ील लिअन्नहू युआदु फीहिमत्तक्बीरात वल्लाहु तआला आलम'** (मिर्आत, जिल्द : 2/327)

या'नी ईद की असल लफ़्ज़ ऊद है जो आद यऊद से मुश्तक़ है जिसके मा'नी रुजूअ करने के हैं, ऊद का वाव याअ से बदल गया है इसलिये कि वो साकिन है और माक़ब्ल इसके कसरा है जैसा कि लफ़्ज़े मीज़ान और मीक़ात में वाव याअ से बदल गया है ईद की जमा आयाद है। इसलिये कि वाहिद में लफ़्ज़ 'याअ' का लुज़ूम है या लफ़्ज़े ऊद ब-मा'नी लकड़ी की जमा आवाद से फ़र्क़ ज़ाहिर करना मक़्सूद है। उनका ईदैन नाम इसलिये रखा गया कि उन दोनों में इनायाते इलाही बेपायाँ होती हैं या इसलिये उनको ईदैन कहा गया कि मुसलमान हर साल इन दिनों की तरफ़ लौटते रहते हैं या ये कि ये दोनों दिन हर साल लौट–लौटकर मुकर्रर आते रहते हैं या ये कि उनके लौटने से मुसर्रत लौटती है। अरबों की इस्तिलाह में हर वो इज्तिमाअ जो ख़ुशी और मुसर्रत का इज्तिमाअ हो ईद कहलाता था, इसलिये उन दिनों को भी जो मुसलमान के लिये इंतिहाई ख़ुशी के दिन

हैं ईदैन कहा गया। या ये भी कि उन दिनों में अपने बन्दों पर अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतों का इआदा फ़र्माता है या इसलिये कि जिस तरह बतौरे नेक फ़ाल जाने वाले गिरोह को क़ाफ़िला कहते है जिसके लफ़्ज़ी मा'नी आने वाले के हैं या इसलिये भी कि उनमें कुछ मुबाह काम वुजूब की तरफ़ लौट जाते हैं जैसे कि उस दिन ईदुल फ़ित्र में रोज़ा रखना वाजिब तौर पर न रखने की तरफ़ लौट गया है या इसलिये कि इन दिनों में तक्बीरात को बार–बार लौटा–लौटा कर कहा जाता है इसलिये इनको लफ़्ज़ ईदैन से ता'बीर किया गया है इन दिनों के मुक़र्रर करने में क्या-क्या फ़वाइद और मसालेह हैं, इसी मज़मून में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी ने अपनी मशहूर किताब हज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में बड़ी तफ़्सील के साथ अहसन तौर पर बयान फ़र्माया है। इसको वहाँ मुलाहिज़ा किया जा सकता है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने नमाज़े ईदैन के बारे में तक्बीरात की बाबत कुछ नहीं बतलाया, अगरचे इस बारे में अकषर अहादीष व अक़्वाले सहाबा मौजूद हैं मगर वो हज़रत इमाम की शराइत पर नहीं थे। इसलिये आपने उनमें से किसी का भी ज़िक्र नहीं किया। इमाम शौकानी (रह.) ने नैलुल औतार में इस सिलसिले के दस क़ौल नक़ल किये हैं जिनमें से जिसे तर्जीह हासिल हैं वो ये है, **'अहदुहा अन्नहू युकब्बिरू फिल्ऊला सब्अन कब्लल्क़िराति व फ़िष्षानियति ख़म्सन क़ब्लल्किराति क़ालल्इराक़ी व हुव क़ौलु अक्षरि अहलिल्इल्मि मिनस्सहाबति वत्ताबिईन वल्अइम्मति क़ाल व हुव मर्वियुन अन उमर व अलिय्यिन व अबी हुरैरत व अबी सईदिन अल्ख'** या'नी पहला क़ौल ये है कि पहली रकअत में क़िरअत से पहले सात तक्बीरें और दूसरी रकअत में क़िरअत से पहले पाँच तक्बीरें कही जाएँ। सहाबा और ताबेईन और अइम्म-ए-किराम में से अकषरे अहले इल्म का यही मसलक है, इस बारे में जो अहादीष मरवी हैं उनमें से चंद ये हैं।

'अन अम्रिब्नि शुऐबिन अन अबीहि अन जद्दिही अन्ननन्नबिय्य कब्बर फी ईदिन षनतय अश्रत तक्बीरतन सब्अन फिल्ऊला व खम्सन फिल्आख़िरति व लम युसल्लि कब्लहा व ला बअदहा' (रवाहु अहमद वब्नु माजा क़ाल अहमद अना अज़्हबु इला हाज़ा)

या'नी हज़रत अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से, उन्होंने अपनने दादा से रिवायत किया कि नबी (ﷺ) ने ईद में बारह तक्बीरों से नमाज़ पढ़ाई पहली रकअत में आप (ﷺ) ने सात तक्बीरें कहीं और दूसरी रकअत में पाँच तक्बीरें कहीं। इमाम अहमद फ़र्माते हैं कि मेरा अमल भी यही है।

'व अन अम्रिब्नि औफ़िल्मुज़नी (रज़ि.) अन्नन्नबिय्य कब्बर फिल्ईदैनि फिल्ऊला सब्अन क़ब्लल्क़िराति व फ़िष्षानियति खम्सन कब्लल्क़िराति रवाहुत्तिर्मिज़ी व क़ाल हुव अहसनु शैइन फी हाज़ल्बाबि अनिन्नबिय्यि (ﷺ)'

या'नी अम्र बिन औफ़ मज़्नी से रिवायत है कि बेशक नबी करीम (ﷺ) ने ईदैन की पहली रकअत में क़िरअत से पहले सात तक्बीरें कहीं और दूसरी रकअत में किरअत से पहले पांच तक्बीरें। इमाम तिर्मिज़ी फ़र्माते हैं कि इस मसले के बारे में ये बेहतरीन हदीष है जो नबी करीम (ﷺ) से मरवी है।

अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने किताब **अल इललुल मुफ़रदह** में फ़र्माया, **सअल्तु मुहम्मदब्न इस्माईल (अल बुख़ारी) अन हाज़ल्हदीषि फ़क़ाल लैस फी हाज़ल्बाबि शैउन अस्सहहु मिन्हु व बिही अक़ूलु इन्तिहा'**

यानी सहीह हदीष के बारे में मैंने हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) से पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि इस मसले के बारे में उससे ज़्यादा कोई हदीष सहीह नहीं है और मेरा भी यही मज़हब है, इस बारे में और भी कई अहादीष मरवी है।

हन्फ़िया का मसलक इस बारे में ये है कि पहली रकअत में तक्बीरे तहरीमा के बाद क़िरअत से पहले तीन तक्बीरें कही जाएँ और दूसरी रकअत में क़िरअत के बाद तीन तक्बीरें। कुछ सहाबा से ये मसलक भी नक़ल किया गया है कि जैसा कि नैलुल औतार, पेज नं. 299 पर मन्क़ूल है मगर इस बारे की रिवायत ज़ुअफ़ से खाली नहीं हैं जैसा कि अल्लामा शौकानी (रह.) ने तसरीह फ़र्माई है, **'फ़मन शाअ फल्यर्जिअ इलैहि'** हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, **'व अम्मा मा ज़हब इलैहि अहलुल्कूफ़ति फलम यरिद फीहि हदीषुन मर्फ़ुइन गैर हदीषि अबू मूसा अल्अश्अरी व क़द अरफ़्तु अन्नहू ला यस्लुहू लिल्इहतिजाजि'** (तोहफ़तुल अहवज़ी) या'नी कूफ़ा वालों के मसलक के षुबूत में कोई

हदीष़ मर्फ़ूअ वारिद नहीं हुई, सिर्फ़ हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) से रिवायत की गई है जो क़ाबिले हुज्जत नहीं है।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष़ देहलवी (रह.) ने इस बारे में बहुत ही बेहतर फ़ैसला दिया है। चुनाँचे आपके अल्फ़ाज़े मुबारक ये हैं, **'युकब्बिरू फिल्ऊला सब्अन क़ब्लल्क़िराति वष़्ष़ानियति ख़म्सन क़ब्लल्क़िराति व अमलुल्कूफ़िय्यिन अय्युंकब्बिर अर्बअ़न कतक्बीरिल्जनाइज़ि फिल्ऊला कब्लल्क़िराति व फिष़्ष़ानियति बअ़दहा व हुमा सुन्नतानि व अ़मलुल्हरमैनि अर्जुहू'** (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द: 2/ पेज नं. 106) या'नी पहली रकअ़त में क़िरअत से पहले सात तक्बीरें और दूसरी रकअ़त में क़िरअत से पहले पांच तक्बीरें कहनी चाहिये मगर कूफ़ावालों का अ़मल ये है कि पहली रकअ़त में तक्बीरात जनाज़ा की तरह क़िरअत से पहले चार तक्बीरें कही जाएँ और दूसरी रकअ़त में क़िरअत के बाद ये दोनों तरीक़े सुन्नत हैं। मगर हरमेन शरीफ़ेन या'नी कि मदीना वालों का अ़मल जो पहले बयान किया गया है, तर्जीह उसको हासिल है (कूफ़ावालों का अ़मल मरजूह है)।

ईद की नमाज़ फ़र्ज़ है या सुन्नत इस बारे में उ़लमा मुख़्तलिफ़ हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जिन पर जुम्आ फ़र्ज़ है उन पर ईदैन की नमाज़ फ़र्ज़ है। इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) इसे सुन्नते मुअक्किदा क़रार देते हैं। इस पर हज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाहब शैख़ुल हदीष़ मुबारकपुरी फ़र्माते हैं, **'वर्राजिहु इन्दी मा ज़हब इलैहि अबू हनीफ़त मिन अन्नहा वाजिबतुन अलल्आयानि लिक़ौलिही तआला फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर वल्अम्रू यक़्तजिल्वुजूब व लिमुदावमतिन्नबिय्यि (ﷺ) अ़ला फ़िअ़लिहा मिन ग़ैरि तर्किन व लिअन्नहा मिन आलामिद्दीनिज़्ज़ाहिरति फकानत वाजिबतुन अल्ख़'** (मिर्आत, जिल्द नं. 3/ पेज नं. 327) या'नी मेरे नज़दीक तर्जीह उसी ख़्याल को हासिल है जिसकी तरफ़ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) गये हैं कि ये आयान पर वाजिब है जैसा कि अल्लाह पाक ने क़ुर्आन में बसैग़ा अम्र फ़र्माया, **फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर** (अल कौष़र : 2) 'अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ और क़ुर्बानी कर।' सैग़-ए-अम्र वुजूब को चाहता है और इसलिये भी कि नबी करीम (ﷺ) ने इस पर हमेशगी फ़र्माई और ये दीन के ज़ाहिर निशानों में से एक अहमतरीन निशान है।

बाब 01 : दोनों ईदों का बयान और उनमें ज़ेबो-ज़ीनत करने का बयान

١ – بَابُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيْهِمَا

948. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐ़ब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) एक मोटे रेशमी कपड़े का चोग़ा लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए जो बाज़ार में बिक रहा था। कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ) आप इसे ख़रीद लीजिए और ईद और वुफ़ूद की पज़ीराई के लिये इसे पहन कर ज़ीनत फ़र्माया कीजिए। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तो वो पहनेगा जिसका (आख़िरत में) कोई हिस़्सा नहीं। इसके बाद जब तक अल्लाह ने चाहा उ़म्र रही, फिर एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ुद उनके पास एक रेशमी चोग़ा तोहफ़े में भेजा हज़रत उ़मर (रज़ि.) उसे लिये हुए आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने तो ये फ़र्माया कि इसको वही पहनेगा जिसका आख़िरत में कोई हिस़्सा नहीं। फिर आप (ﷺ) ने ये मेरे

٩٤٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)). فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ قُلْتَ هَذِهِ

لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الْجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تَبِيعُهَا وَ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ)).

[راجع: ٨٨٦]

पास क्यों भेजा? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने इसे तेरे पहनने को नहीं भेजा बल्कि इसलिये कि तुम इसे बेचकर इसकी क़ीमत अपने काम में लाओ। (राजेअ : 886)

तश्रीह : इस ह़दीष़ में है कि आँह़ज़रत (ﷺ) से ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि ये जुब्बा आप ईद के दिन पहना कीजिए, इसी त़रह़ वुफ़ूद (प्रतिनिधि मण्डल) आते रहते हैं उनसे मुलाक़ात के लिये भी आप (ﷺ) इसका इस्ते'माल कीजिए। लेकिन वो जुब्बा रेशमी था इसलिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने उससे इंकार कर दिया कि रेशम मर्दों के लिये ह़राम है। इससे मा'लूम हुआ कि ईद के दिन जाइज़ लिबासों के साथ आराइश करनी चाहिये इस सिलसिले में दूसरी अह़ादीष़ भी आई हैं।

मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ इस ह़दीष़ के ज़ेल में फ़र्माते हैं कि सुब्ह़ानल्लाह! इस्लाम की भी क्या उ़म्दा ता'लीम है कि मर्दों को छोटा– मोटा सूती ऊनी कपड़ा काफ़ी है रेशमी और बारीक कपड़े ये औरतों को सजावार (शोभनीय) हैं। इस्लाम ने मुसलमानों को मज़बूत, मेह़नती, ज़फ़ाकश सिपाही बनने की ता'लीम दी है न कि औरतों की त़रह़ बनाव–सिंगार करने और नाज़ुक बदन बनने की। **इस्लाम ने ऐशो–इशरत का नाजाइज़ अस्बाब मष़लन शराबख़ोरी वग़ैरह बिलकुल बन्द कर दिया लेकिन मुसलमान अपने पैग़म्बर की ता'लीम को छोड़कर नशा और अय्याशी में मशग़ूल हैं और औरतों की त़रह़ चिकन और मलमल और गोटा किनारी के कपड़े पहनने लगे। हाथों में कड़े और पांव में मेहन्दी, आख़िर अल्लाह तआ़ला ने उनसे हुकूमत छीन ली और दूसरी मर्दाना क़ौम को अ़त़ा कर दी। ऐसे ज़नाने मुसलमानों को डूबकर मर जाना चाहिये, बेग़ैरत! बेह़या!! कमबख़्त।** (वह़ीदी) मौलाना का इशारा उन मुग़ल शहज़ादों की त़रफ़ है जो ऐशो–आराम में पड़कर ज़वाल (पतन) का सबब बने, आजकल मुसलमानों के कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवानों का क्या ह़ाल है, जो ज़नाना बनने में शायद मुग़ल शहज़ादों से भी आगे बढ़ने की कोशिशों में मसरूफ़ (व्यस्त) है जिनका ह़ाल ये है,

न पढ़ते तो खाते सौ त़रह़ कमाकर
वो खोए गए उलटे ता'लीम पाकर

٢- بَابُ الْحِرَابِ وَالدَّرَقِ يَوْمَ الْعِيْدِ

बाब 02 : ईद के दिन बरछियों और ढालों से खेलना

٩٤٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. وَدَخَلَ أَبُوبَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ! فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ

949. हमसे अह़मद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझे उ़मर बिन ह़ारिष़ ने ख़बर दी कि मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़्मान असदी ने उनसे बयान किया, उनसे उ़र्वा ने, उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने, उन्होंने बतलाया कि एक दिन नबी करीम (ﷺ) मेरे घर तशरीफ़ लाए, उस वक़्त मेरे पास (अन्सार की) दो लड़कियाँ जंगे-बआ़ष़ के क़िस्सों की नज़्में पढ़ रही थीं। आप (ﷺ) बिस्तर पर लेट गये और अपना चेहरा दूसरी त़रफ़ फेर लिया। इसके बाद ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) आए और मुझे डाँटा और फ़र्माया कि ये शैतानी बाजा नबी करीम (ﷺ) की मौजूदगी में? आख़िर नबी करीम (ﷺ)

اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا)). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا».

उनकी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया कि जाने दो, ख़ामोश रहो। फिर जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) दूसरे काम में लग गये तो मैंने उन्हें इशारा किया और वो चली गईं।

[أطرافه في : ٩٥٢، ٩٨٧، ٢٩٠٧، ٢٩٠٨، ٣٥٣٠، ٣٩٣١].

(दीगर मक़ामात : 952, 987, 2907, 2908, 3530, 3931)

٩٥٠ - وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ: ((أَتَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَ أَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((دُوْنَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ)). حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: ((حَسْبُكِ؟)) قُلْتُ:

950. और ये ईद का दिन था। हब्शा से कुछ लोग ढालों और बरछियों से खेल रहे थे। अब या ख़ुद मैंने कहा या नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्या तुम ये खेल देखोगी? मैंने कहा, जी हाँ। फिर आप (ﷺ) ने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुख़सार आपके रुख़सार पर था और आप फ़र्मा रहे थे, खेलो-खेलो ऐ बनू (अरफ़िदा)! ये हब्शा के लोगों का लक़ब था। फिर जब मैं थक गई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस! मैंने कहा, जी हाँ! आप (ﷺ) ने फ़र्माया जाओ।

कुछ लोगों ने कहा कि हदीष़ और बाब के तर्जुमे में मुताबक़त नहीं, **'व अजाब इब्नुल्मुनीर फिल्हाशियति बिअन्न मुरादल्बुख़ारी अल्इस्तिदलालु अला अन्नल्ईद यन्तज़िर फीहि मिनल्इम्बिसाति मा ला यन्तज़िरु फ़ी गैरिही व लैस फित्तर्जुमति अयज़न तक्यिदुहू।'** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इब्ने मुनीर ने ये जवाब दिया कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का इस्तिदलाल इस अम्र के लिये है कि ईद में इस क़दर मुसर्रत होती है जो उसके ग़ैर (या'नी अन्य दिनों) में नहीं होती। और तर्जुमा में हब्शियों के खेल का ज़िक्र ईद से पहले के लिये नहीं है बल्कि ज़ाहिर है कि हब्शियों का ये खेल ईदगाह से वापसी पर था क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) शुरू दिन ही में नमाज़े ईद के लिये निकल जाया करते थे।

٣- بَابُ سُنَّةِ الْعِيْدَيْنِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ (الدُّعَاءُ فِي الْعِيْدِ)

बाब 3 : इस बारे में कि मुसलमानों के लिये ईद के दिन पहली सुन्नत क्या है

٩٥١- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا)).

951. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्हें ज़ुबैद बिन हारिष़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने शुअबी से सुना, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना। आप (ﷺ) ने ईद के दिन ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि पहला काम जो हम आज के दिन (ईदुल अज़्हा में) करते हैं, ये कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर वापस आकर क़ुर्बानी करें। जिसने इस तरह किया वो हमारे तरीक़े पर चला।

[أطرافه في : ٩٥٥، ٩٦٥، ٩٦٨، ٩٧٦، ٩٨٣، ٥٥٤٥، ٥٥٥٦، ٥٥٥٧،

(दीगर मक़ामात : 955, 965, 968, 976, 983, 5545, 5556, 5557, 5560, 5563, 6673)

.[٥٥٦٠، ٥٥٦٣، ٦٦٧٣]

952. हमसे उबैद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके बाप (उर्वा बिन यज़ीद) ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने, आपने बतलाया कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) तशरीफ़ लाए तो मेरे पास अन्सार की दो लड़कियाँ वो अश्आर गा रही थी जो अन्सार ने बुआष की जंग के मौक़े पर कहे थे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि ये (पेशेवर) गानेवालियाँ नहीं थीं। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के घर में ये शैतानी बाजे? और ये ईद का दिन था। आख़िर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र से फ़र्माया, ऐ अबूबक्र! हर क़ौम की ईद होती है और आज हमारी ईद है।

(राजेअ : 949)

٩٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ أَبُوبَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ. فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: أَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَهَذَا عِيْدُنَا)). [راجع: ٩٤٩]

'क़ालल्ख़त्ताबी यौमु बुआषिन यौमुन मश्हूदुन मिन अय्यामिल्अरबि कानत फीहि मक़्तलतुन अज़ीमतुन लिल्औसि वल्ख़ज़्रजि व लक़्रियतिल्हरबतु क़ाइमतन मिअतव्वंइश्रीन सनतन इलल्इस्लामि अला मा ज़करं इब्नु इस्हाक़' या'नी ख़त्ताबी ने कहा कि यौमे बुआष तारीख़े अरब में एक अज़ीम लड़ाई के नाम से मशहूर है। जिसमें औस और ख़जरज के दो बड़े क़बीलों की जंग हुई थी जिसका सिलसिला नस्ल दर नस्ल एक सौ बीस साल तक जारी रहा, यहाँ तक कि इस्लाम का दौर आया और ये क़बीले मुसलमान हुए।

दूसरी रिवायत में है कि ये गाना दुफ़ के साथ हो रहा था। बुआष एक क़िला है जिस पर औस और ख़जरज की जंग एक सौ बीस साल से ज़ारी थी। इस्लाम की बरकत से ये जंग ख़त्म हो गई और दोनों क़बीलों में उल्फ़त पैदा हो गई। इस जंग की मज़्लूम रूदाद थी जो ये बच्चियाँ गा रही थीं। जिनमें एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) की लड़की थी और दूसरी हस्सान बिन षाबित की लड़की थी। (फ़त्हुल बारी)

इस हदीष से मा'लूम ये हुआ कि ईद के दिन ऐसे गाने में मुज़ाइक़ा (आपत्ति) नहीं क्योंकि ये दिन शरअन ख़ुशी का दिन है। फिर अगर छोटी लड़कियाँ किसी की ता'रीफ़ या किसी की बहादुरी के अशआर अच्छी आवाज़ से पढ़ें तो जाइज़ हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने इसकी रुख़्सत (छूट) दी। लेकिन इसमें भी शर्त ये है कि गाने वाली जवान औरत न हो और उसका मज़्मून शरऐ-शरीफ़ के ख़िलाफ़ न हों और सूफ़ियों ने जो इस बाब में ख़ुराफ़ात और बिदअत निकाली हैं उनकी हुर्मत में भी किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है और नुफ़ूसे शह्वानियाँ बहुत से सूफ़ियों पर ग़ालिब आ गए। यहाँ तक कि बहुत सूफ़ी दीवानों और बच्चों की तरह नाचते हैं और उनको तक़र्रुब इलल्लाह का वसीला जानते हैं और नेक काम समझते हैं। और ये बिला शक व शुब्हा ज़िनादिक़ा की अलामत है और बेहूदा लोगों का क़ौल, वल्लाहुल मुस्तआनु. (तस्हीलुल क़ारी, पारा नं. 4, पेज नं. 362-39)

बनू अफ़िदा हब्शियों का लक़ब है। आप (ﷺ) ने बर्छों और ढालों से उनके जंगी करतबों का मुलाहज़ा फ़र्माया और उन पर ख़ुशी का इज़हार किया। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब यही है कि ईद के दिन अगर ऐसे जंगी करतब दिखलाए जाएँ तो जाइज़ है। इस हदीष से और भी बहुत सी बातों का षुबूत मिलता है। मषलन ये कि शौहर की मौजूदगी में बाप अपनी बेटी को अदब की बात बतला सकता है, ये भी मा'लूम हुआ कि अपने बड़ों के सामने बात करने में शर्म करना मुनासिब है, ये भी ज़ाहिर हुआ कि शागिर्द अगर उस्ताज़ के पास कोई अम्रे मक्रूहा देखे तो वो अज़्राहे अदब नेक निय्यती से इस्लाह का मश्वरा दे सकता है और भी कई उमूर पर इस हदीष से रोशनी पड़ती है जो मामूली ग़ौरो-फ़िक्र से वाज़ेह हो सकते हैं।

बाब 4 : ईदुल फ़ितर में नमाज़ के लिये जाने से पहले कुछ खा लेना

٤- بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ

953. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया कि हम को सईद बिन सुलैमान ने ख़बर दी कि हमें हुशैम बिन बशीर ने ख़बर दी, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन अनस ने ख़बर दी और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, आपने बतलाया कि रसूले-करीम (ﷺ) ईदुल-फ़ितर के दिन न निकलते जब तक कि आप (ﷺ) चन्द खजूर न खा लेते और मुरजी बिन रजाअ ने कहा कि मुझ से उबैदुल्लाह बिन अबीबक्र ने बयान किया, कहा कि मुझ से अनस (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से, फिर यही हदीष़ बयान की कि आप ताक़ अदद खजूरें खाते थे।

٩٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ)). وَقَالَ مُرَجًّا بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا)).

मा'लूम हुआ कि ईदुल फ़ित्र में नमाज़ के लिये निकलने से पहले चंद खजूरें अगर मयस्सर हों तो खा लेना सुन्नत है।

बाब 5 : बक़र ईद के दिन खाना

٥ - بَابُ الأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

इस बाब में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने वो साफ़ हदीष़ न ला सके जो इमाम अहमद व तिर्मिज़ी (रह.) ने रिवायत की है कि बक़र ईद के दिन आप(ﷺ) लौटकर अपनी क़ुर्बानी में से खाते। वो हदीष़ भी थी मगर उन शराइत के मुताबिक़ न थी जो हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के शराइत हैं, इसलिये आप (रह.) उसको न ला सके।

945. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अ़ला ने अय्यूब सुख़ितयानी से, उन्होंने मुहम्मद बिन सीरीन से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स नमाज़ से पहले क़ुर्बानी कर दे उसे दोबारा क़ुर्बानी करनी चाहिये। इस पर एक शख़्स (अबू बुर्दा) ने खड़े होकर कहा कि ये ऐसा दिन है जिस दिन गोश्त की ख़्वाहिश ज़्यादा होती है और उसने अपने पड़ौसियों की तंगी का बयान किया। नबी करीम (ﷺ) ने उसको सच्चा समझा, उस शख़्स ने कहा कि मेरे पास एक साल की पठिया है जो गोश्त की दो बकरियों से भी मुझे ज़्यादा प्यारी है। नबी करीम (ﷺ) ने इस पर उसे इजाज़त दे दी कि वही क़ुर्बानी करे। अब मुझे मा'लूम नहीं कि ये इजाज़त दूसरों के लिये भी है या नहीं।

(दीगर मक़ामात : 984, 5546, 5549, 5561)

٩٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ، وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلاَ أَدْرِي أَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ.

[أطرافه في: ٩٨٤، ٥٥٤٦، ٥٥٤٩، ٥٥٦١].

ये इजाज़त ख़ास अबू बुर्दा (रज़ि.) के लिये थी जैसा कि आगे आ रहा है। हज़रत अनस (रज़ि.) को उनकी ख़बर नहीं हुई इसलिये उन्होंने ऐसा कहा।

955. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे शुअ़बी ने, उनसे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल अज़्हा की नमाज़ के बाद ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि जिस शख़्स ने हमारी नमाज़ की सी नमाज़ पढ़ी और हमारी क़ुर्बानी की त़रह क़ुर्बानी की उसकी क़ुर्बानी स़हीह़ हुई। लेकिन जो शख़्स नमाज़ से पहले क़ुर्बानी करे, वो नमाज़ से पहले ही गोश्त खाता है मगर वो क़ुर्बानी नहीं। बराअ के मामूं अबू बुर्दा बिन नियार ये सुनकर बोले कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपनी बकरी की क़ुर्बानी नमाज़ से पहले कर दी, मैंने सोचा कि ये खाने-पीने का दिन है। मेरी बकरी अगर घर पर पहला ज़बीहा बने तो बहुत अच्छा हो। इस ख़्याल से मैंने बकरी ज़िब्ह कर दी और नमाज़ से पहले ही उसका गोश्त भी खा लिया। इस पर आपने फ़र्माया कि फिर तुम्हारी बकरी गोश्त की बकरी हुई। अबू बुर्दा बिन नियार ने अ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक साल की पठिया है और वो मुझे गोश्त की दो बकरियों से भी अ़ज़ीज़ है। क्या उससे मेरी क़ुर्बानी हो जाएगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ, लेकिन तुम्हारे बाद किसी की क़ुर्बानी इस उ़म्र के नीचे से नाकाफ़ी होगी।

(राजेअ : 951)

٩٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُوْنَ شَاتِي أَوَّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاَةَ. قَالَ: ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ)). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)).

[راجع: ٩٥١]

तशरीह : क्योंकि क़ुर्बानी में मुसन्ना बकरी ज़रूरी है जो दूसरे साल में हो और दाँत निकाल चुकी हो। बग़ैर दाँत निकाले बकरी क़ुर्बानी के लायक़ नहीं होती। अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) नैलुल औतार में इस ह़दीष़ की शरह़ में फ़र्माते हैं, **'क़ौलुहू अल्मुसन्नतु कालल्उलमाउ अल्मुसुन्नतु हियष़्ष़निय्यतु मिन कुल्लि शैइन मिनल्इबिलि वल्बक़रि वल्गनमि फमा फौक़हा'** मस्जिद में है, **'अष़्ष़नियतु जम्उहू षनाया वहिय इस्नानि मुक़द्दमुल्फमि षनतानि मिन फौक़िन व षनतानि मिन अस्फल'** या'नी ष़नाया के सामने के ऊपर–नीचे के दाँत को कहते हैं। इस लिहाज़ से ह़दीष़ के ये मा'नी होते हैं दाँत वाले जानवरों को क़ुर्बानी करो। इससे लाज़िम यही नतीजा निकला कि ख़ीरे की क़ुर्बानी न करो इसलिये एक रिवायत में है, **'युन्फा मिनज़्ज़हाया अल्लती लम तुसन्निन'** क़ुर्बानी के जानवरों में से वो जानवर निकाल डाला जाएगा जिसके दाँत न उगे होंगे, अगर मजबूरी की ह़ालत में मुसन्ना न मिले मुश्किल व दुश्वार हो तो **जिज़्अतुम मिनज़्ज़ान** भी कर सकते हैं। जैसा कि इसी ह़दीष़ के आख़िर में आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **'इल्ला अय्यअ़स्रि अलैकुम फतज़्बहू जिज़्अतम्मिनज़्ज़ानि लुगातुल्हदीष़'** में लिखा है कि पांचवें बरस में जो ऊँट लगा हो और दूसरे बरस में जो गाय–बकरी लगी हो और चौथे बरस में जो घोड़ा लगा हो। कुछ ने कहा जो गाय तीसरे बरस में लगी हो, जो भेड़ एक बरस की हो गई। जैसा कि ह़दीष़ में है,

'ज़हैना मिन रसूलिल्लाहि (ﷺ) बिल्जिज़्इ मिनज़्ज़ानि वष़्ष़निय्यि मिनलमअ़ज़ि' हमने आँह़ज़रत (ﷺ) के साथ एक बरस की भेड़ और दो बरस की (जो तीसरे में लगी हैं) बकरी क़ुर्बानी की और तफ़्सीर इब्ने कष़ीर में है कि बकरी ष़न्ना वो है कि जो दो साल गुज़ार चुकी हो और जिज़्आ उसको कहते हैं जो साल भर का हो गया हो।

बाब 6 : ईदगाह में खाली जाना मिम्बर न ले जाना

٦- بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

956 : हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सरह ने, उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल-फ़ितर और ईदुल अज़्हा के दिन (मदीने के बाहर) ईदगाह तशरीफ़ ले जाते तो सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ाते, नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) लोगों के सामने खड़े होते। तमाम लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते। आप (ﷺ) उन्हें वा'ज़ व नसीहत फ़र्माते, अच्छी बातों का हुक्म देते। अगर जिहाद के लिये कहीं लश्कर भेजने का इरादा होता तो उसको अलग करते, किसी और बात का हुक्म देना होता तो वो हुक्म देते। उसके बाद शहर को वापस तशरीफ़ लाते। अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया लोग बराबर इसी सुन्नत पर क़ायम रहे, लेकिन मुआविया के ज़माने में मरवान जो मदीना का हाकिम था, फिर मैं उसके साथ ईदुल-फ़ितर या ईदुल-अज़्हा की नमाज़ के लिये निकला, हम जब ईदगाह पहुँचे तो वहाँ मैंने कषीर बिन सल्त का बना हुआ एक मिम्बर देखा। जाते ही मरवान ने चाहा कि इस पर नमाज़ से पहले (ख़ुत्बा देने के लिये चढ़े) इसलिये मैंने उनका दामन पकड़कर खींचा और लेकिन वो झटक ऊपर चढ़ गया और नमाज़ से पहले ख़ुत्बा दिया। मैंने इससे कहा कि वल्लाह! तुमने (नबी करीम ﷺ की सुन्नत को) बदल दिया। मरवान ने कहा कि ऐ अबू सअद! अब वो ज़माना गुज़र गया जिसको तुम जानते हो। अबू सअद ने कहा कि अल्लाह की क़सम मैं जिस ज़माने को जानता हूँ, उस ज़माने से बेहतर है जो मैं नहीं जानता। मरवान ने कहा कि हमारे दौर में लोग नमाज़ के बाद नहीं बैठते, इसलिये मैंने नमाज़ से पहले ख़ुत्बा को कर दिया।

٩٥٦- حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ، وَيُوصِيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ. فَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ)). فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ : فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ - فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ أَعْلَمُ. فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ.

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब ये बतलाना है कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ईदगाह में मिम्बर नहीं रखा जाता था और नमाज़ के लिये कोई ख़ास इमारत न थी। मैदान में ईदुल फ़ित्र और बक़र ईद की नमाज़ें पढ़ी जाती थीं। मरवान जब मदीना का हाकिम हुआ तो उसने ईदगाह में ख़ुत्बे के लिये मिम्बर भिजवाया और ईदैन में ख़ुत्बा

नमाज़ के बाद में देना चाहिये था लेकिन मरवान ने सुन्नत के ख़िलाफ़ पहले ही ख़ुत्बा शुरू कर दिया। सद अफ़सोस कि इस्लाम की फ़ितरी सादगी जल्दी ही बदल गई फिर उनमें दिन ब दिन इज़ाफ़े होते रहे। उलम-ए-अहनाफ़ ने आजकल नया इज़ाफ़ा कर डाला कि नमाज़ और ख़ुत्बे से पहले कुछ वा'ज़ करते हैं और घण्टा आधा घण्टा ख़र्च करने के बाद में नमाज़ और ख़ुत्बा सिर्फ़ रस्मी तौर पर चंद मिनटों में ख़त्म कर दिया जाता है। आज कोई कष़ीर बिन सल्त नहीं जो इन इख़्तिरालत पर नोटिस ले।

बाब 7 : नमाज़े-ईद के लिये पैदल या सवार होकर जाना और नमाज़ का ख़ुत्बे से पहले अज़ान और इक़ामत के बग़ैर होना

٧- بَابُ الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

957. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िर हज़ामी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन उमर से बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पहले पढ़ते और ख़ुत्बा नमाज़ के बाद में देते थे। (दीगर मकाम : 963)

٩٥٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ)). [طرفه في: ٩٦٣].

तश्रीह : बाब की हदीषों में से नहीं निकलता कि ईद की नमाज़ के लिये सवारी पर जाना या पैदल जाना। मगर इमामे बुख़ारी (रह.) ने सवारी पर जाने की मुमानअत मज़्कूर न होने से ये निकाला कि सवारी पर भी जाना मना नहीं है। गो पैदल जाना अफ़ज़ल है। शाफ़िई ने कहा कि हमें ज़ुह्री से पहुँचा कि आँहज़रत (ﷺ) ईद में या जनाज़े में कभी सवार होकर नहीं गए और तिर्मिज़ी ने हज़रत अली (रज़ि.) से निकाला कि ईद की नमाज़ के लिये पैदल जाना सुन्नत है। (वहीदी)

इस बाब की रिवायात में न पैदल चलने का ज़िक्र है और सवारी पर चलने की मुमानअत है। जिसे इमाम बुख़ारी (रह.) ने इशारा किया कि दोनों तरह से ईदगाह जाना सही है अगरचे पैदल चलना सुन्नत है और उसी में ज़्यादा ष़वाब है क्योंकि ज़मीन पर जिस क़दर भी नक़्शे—क़दम होंगे हर क़दम के बदले दस—दस नेकियों का ष़वाब मिलेगा लेकिन अगर कोई मा'ज़ूर हो या ईदगाह दूर हो तो सवारी पर जाना भी जाइज़ है। कुछ शारेहीन ने आँहज़रत (ﷺ) के बिलाल (रज़ि.) पर तकिया लगाने से सवारी का जवाज़ ष़ाबित किया है। वल्लाहु अअ़लम!!

958. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हिशाम ने ख़बर दी कि इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अताअ बिन अबी रबाह ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से ख़बर दी कि आपको मैंने ये कहते हुए सुना कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले गये और पहले नमाज़ पढ़ाई और फिर ख़ुत्बा सुनाया।

(दीगर मक़ामात : 961, 978)

٩٥٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[طرفاه في : ٩٦١، ٩٧٨].

959. फिर इब्ने जुरैज ने कहा कि मुझे अताअ ने ख़बर दी कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के पास एक शख़्स को उस ज़माने में भेजा, जब (शुरू-शुरू उनकी ख़िलाफ़त का ज़माना

٩٥٩- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا

था, आपने कहलाया कि) ईदुल फ़ित्र की नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती थी और ख़ुत्बा नमाज़ के बाद होता था।

يُرِيعَ لَهُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَإِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ.

960. और मुझे अ़ता ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) के वास्ते से ख़बर दी कि ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़्हा की नमाज़ के लिये नबी करीम (ﷺ) और ख़ुल्फ़-ए-राशिदीन के अ़हद में अ़जान नहीं दी जाती थी।

٩٦٠ – وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الأَضْحَى.

961. और जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि (ईद के दिन) नबी करीम (ﷺ) खड़े हुए, पहले आपने नमाज़ पढ़ी फिर ख़ुत्बा दिया, उससे फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) औरतों की तरफ़ गये और उन्हें नसीहत की। आप (ﷺ) बिलाल (रज़ि.) के हाथ का सहारा लिये हुए थे और बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला रखा था, औरतें इसमें ख़ैरात डाल रही थीं। मैंने इस पर अ़ताअ से पूछा कि क्या इस ज़माने में भी इमाम पर ये हक़ समझते हैं कि नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद वो औरतों के पास आकर उन्हें नसीहत करे। उन्होंने फ़र्माया कि बेशक! ये उन पर हक़ है और सबब क्या जो वो ऐसा न करें। (राजेअ़ : 957)

٩٦١ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً)) قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا؟. [راجع: ٩٥٨]

तश्रीह : यज़ीद बिन मुआ़विया की वफ़ात के बाद 62 हिज्री में अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की बेअ़त की गई। इसलिये कुछ ने ये निकाला कि इमामे बुख़ारी (रह.) का तर्जुम-ए-बाब यूँ षाबित होता है कि हज़रत (ﷺ) ने बिलाल (रज़ि.) पर टेक दिया। मा'लूम हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत ईद में सवार होकर भी जाना सही है। रिवायत में औरतों को अलग वा'ज़ भी मज़्कूर है। लिहाज़ा इमाम को चाहिये कि ईद में मर्दों को वा'ज़ सुनाकर औरतों को भी दीन की बातें समझाएँ और नेक कामों की रग़्बत दिलाए।

बाब 8 : ईद में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा पढ़ना

٨– بَابُ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيْدِ

962. हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे हसन बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, उन्हें ताऊस ने, उन्हें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि मैं ईद के दिन नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र, उमर और उ़ष्मान (रज़ि.) सबके साथ गया हूँ, ये लोग पहले नमाज़ पढ़ते, फिर ख़ुत्बा दिया करते थे।
(राजेअ़ : 98)

٩٦٢– حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).
[راجع: ٩٨]

963. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा

٩٦٣– حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

कि हमसे अबू उसामा हम्माद बिन अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह ने नाफ़ेअ़ से बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईदैन की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ा करते थे।

(राजेअ़ : 957)

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)).

[راجع: ٩٥٧]

964. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने, उन्होंने अ़दी बिन ष़ाबित से, उन्होंने सईद बिन जुबैर से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से कि आँहज़रत (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र के दिन दो रकअ़तें पढ़ीं न उनसे पहले कोई नफ़्ल पढ़ा न उनके बाद, फिर (ख़ुत्बा पढ़कर) आप औ़रतों के पास आए और बिलाल आप के साथ थे। आपने औ़रतों से फ़र्माया, ख़ैरात करो। वो ख़ैरात देने लगीं, कोई अपनी बाली पेश करने लगी कोई अपना हार देने लगी।

(राजेअ़ : 98)

٩٦٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا)).

[راجع: ٩٨]

965. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ैद ने बयान किया, कहा कि मैंने शुअ़बी से सुना, उनसे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हम इस दिन पहले नमाज़ पढ़ेंगे फिर ख़ुत्बा देने के बाद वापस होकर क़ुर्बानी करेंगे। जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ अमल किया और जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की तो उसका ज़बीहा गोश्त का जानवर है, जिसे वो घरवालों के लिये लाया है। क़ुर्बानी से उसका कोई भी ता'ल्लुक़ नहीं। एक अन्सारी (रज़ि.) जिनका नाम अबू बुर्दा बिन नियार था, बोले कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने तो (नमाज़ से पहले ही) क़ुर्बानी करदी लेकिन मेरे पास एक साल की पठिया है जो दूँदी हुई बकरी से भी अच्छी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया अच्छा इसी को बकरी के बदले में क़ुर्बानी कर लो और तुम्हारे बाद ये किसी और के लिये काफ़ी न होगी।

(राजेअ़ : 901)

٩٦٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: ((اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ - أَوْ تَجْزِيَ - عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). [راجع: ٩٥١]

तश्रीह : रिवायत में लफ़्ज़े अव्वल **मा नब्दउ फ़ी यौमिना हाज़ा** से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि जब पहला काम नमाज़ हुआ तो मा'लूम हुआ कि नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़नी चाहिये।

बाब 9 : ईदैन के दिन और हरम के अन्दर हथियार बाँधना मकरूह है

٩- بَابُ مَا يُكْرَهُ مَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيْدِ وَالْحَرَمِ

और इमाम हसन बसरी (रह.) ने फ़र्माया कि ईद के दिन हथियार ले जाने की मुमानअत थी मगर जब दुश्मन का ख़ौफ़ होता

وَقَالَ الْحَسَنُ: نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلاَحَ يَومَ عِيْدٍ، إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا.

966. हमसे ज़ियाद बिन यह्या अबू सुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान महारबी ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन सोक़ा ने सईद बिन जुबैर से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैं (हज्ज) के दिन इब्ने उ़मर (रज़ि.) के साथ था, जब नेज़े की आनी आपके तलवों में चुभ गई, जिसकी वजह से आपका पाँव रकाब से चिपक गया। तब मैंने उतरकर उसे निकाला, ये वाक़िया मिना में पेश आया था। जब हज्जाज को मा'लूम हुआ जो उस ज़माने में इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के क़त्ल के बाद हिजाज़ का अमीर था तो बीमारपुर्सी के लिये आया। हज्जाज ने कहा कि काश! हमें मा'लूम हो जाता कि किसने आपको ज़ख़्मी किया है। इस पर इब्ने उ़मर ने फ़र्माया कि तूने ही तो मुझको नेज़ा मारा है। हज्जाज ने पूछा कि वो कैसे? आपने फ़र्माया कि तुम उस दिन हथियार अपने साथ लाए जिस दिन पहले कभी हथियार साथ नहीं लाया जाता था। (ईदैन के दिन) तुम हथियार हरम में लाए हालाँकि हरम में हथियार नहीं लाया जाता था।

(दीगर मक़ाम : 967)

٩٦٦- حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا. وَذَلِكَ بِمِنًى - فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ. فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاَحَ فِي يَومٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيْهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ)). [طرفه في : ٩٦٧].

967. हमसे अहमद बिन यअ़क़ूब ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन सईद बिन उ़मर बिन सईद बिन आ़स ने अपने बाप से बयान किया, उन्होंने कहा कि हज्जाज अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के पास आया मैं भी आपकी ख़िदमत में मौजूद था। हज्जाज ने मिज़ाज पूछा, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अच्छा हूँ। उसने पूछा कि आपको ये बरछा किसने मारा? इब्ने उ़मर ने फ़र्माया कि मुझे उस शख़्स ने मारा है जिसने उस दिन हथियार साथ ले जाने की इजाज़त दी, जिस दिन हथियार साथ नहीं ले जाया जाता था। आपकी मुराद हज्जाज ही से थी।

(राजेअ़ : 966)

٩٦٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِي عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَومٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ)) يَعْنِي الْحَجَّاجَ. [راجع: ٩٦٦]

तश्रीह : हज्जाज ज़ालिम ने दिल में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से दुश्मनी रखता था क्योंकि उन्होंने उसको का'बा पर मुन्जनीक़ लगाने और अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के क़त्ल करने पर मलामत की थी। दूसरे अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान

ने जो ख़लीफ़-ए-वक़्त था, ने हज्जाज को ये कहला भेजा था कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की इताअ़त करता रहे। ये अम्र उस मरदूद पर शाक गुज़रा और उसने चुपके से एक शख़्स को इशारा कर दिया। उसने ज़हर आलूद बर्छा अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के पांव में घुसेड़ दिया। ख़ुद ही तो ये शरारत की और ख़ुद ही क्या मिस्कीन बनकर अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की इ़यादत को आया? वाह रे मक्कार! अल्लाह को क्या जवाब देगा। आख़िर अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने जो अल्लाह के बड़े मक़्बूल बन्दे और बड़े आ़लिम और आ़बिद और ज़ाहिद और सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) थे, उनका फ़रेब पहचान लिया और फ़र्माया कि तुमने ही तो मारा है और तू ही कहता है हम मुजरिम को पा लें तो उसको सख़्त सज़ा दें,

जफ़ा कर दी वो ख़ुदकश्ती ब तेग़े ज़ुल्म मारा
बहाना में बराए पुरशिसे बीमारी आई

(मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनियादार मुसलमानों ने किस–किस त़रह से उ़लम-ए-इस्लाम को तकलीफ़ दी है फिर भी वो मर्दाने ह़क़–परस्त अम्रे ह़क़ की दा'वत देते रहे, आज भी उ़लमा को इन बुज़ुर्गों की इक़्तिदा लाज़िमी है।

बाब 10 : ईद की नमाज़ के लिये सवेरे जाना

١٠ - بَابُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

और अ़ब्दुल्लाह बिन बुस्र सहाबी ने (मुल्के शाम में इमाम के देर से निकलने पर ए'तिराज़ किया) फ़र्माया कि हम तो नमाज़ से इस वक़्त फ़ारिग़ हो जाया करते थे। या'नी जिस वक़्त नफ़्ल नमाज़ पढ़ना दुरुस्त होता है।

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ بُسْرٍ : إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ. وَذَلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ.

तश्रीह : या'नी इश्राक़ की नमाज़ मतलब ये है कि सूरज एक नेज़ा या दो नेज़ा हो जाए। बस यही ईद की नमाज़ का अफ़ज़ल वक़्त है और जो लोग ईद की नमाज़ में देर करते हैं वो बिदअ़ती हैं ख़ुसूसन ईदुल अज़्हा की नमाज़ और जल्द पढ़नी चाहिये ताकि लोग क़ुर्बानी वग़ैरह से जल्दी फ़ारिग़ हो जाएँ और सुन्नत के मुवाफ़िक़ क़ुर्बानी में से खाएँ। ह़दीष़ में है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ईदुल फ़ित्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज दो नेज़े बलन्द होता और ईदुल अज़्हा की नमाज़ जब एक नेज़ा बलन्द होता। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

968. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने ज़ैद से बयान किया, उनसे शुअ़बी ने, उनसे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन ख़ुत्बा दिया और आपने फ़र्माया कि इस दिन सबसे पहले हमें नमाज़ पढ़नी चाहिये, फिर (ख़ुत्बे के बाद) वापस आकर क़ुर्बानी करनी चाहिये, जिसने इस त़रह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ किया और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर दिया तो ये एक ऐसा गोश्त होगा जिसे उसने अपने घरवालों के लिये जल्दी से तैयार कर लिया है। ये क़ुर्बानी क़त्अ़न नहीं। इस पर मेरे मामू अबू बुर्दा बिन नियार ने खड़े होकर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने तो नमाज़ के पढ़ने से पहले ही ज़िब्ह कर दिया। अल्बत्ता मेरे पास एक साल की एक पठिया है, जो दाँत निकली हुई बकरी से भी ज़्यादा बेहतर है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसके बदले में इसे समझ लो या ये फ़र्माया कि इसे ज़िब्ह कर लो और तुम्हारे बाद ये

٩٦٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ خَالِي أَبُوبُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا))

एक साल की पठिया किसी के लिये काफ़ी नहीं होगी।
(राजेअ : 951)

-أَوْ قَالَ: ((اذْبَحْهَا - وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). [راجع: ٩٥١]

तश्रीह : इस ह़दीष़ की मुत़ाबक़त बाब के तर्जुमा से यूँ है कि आपने फ़र्माया कि उस दिन पहले जो काम हम करते हैं वो नमाज़ है। इससे ये निकला कि ईद की नमाज़ सुबह़ सवेरे पढ़ना चाहिये क्योंकि जो कोई देर करके पढ़ेगा और वो नमाज़ से पहले दूसरे काम करेगा तो पहला काम उसका उस दिन नमाज़ न होगा। ये इस्तिम्बात ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह़.) की गहरी बस़ीरत की दलील है। (रहिमहुल्लाह)

इस सूरत में आपने ख़ास़ उन्हीं अबू बुर्दा बिन नियार नामी स़ह़ाबी के लिये जिज़्आ की क़ुर्बानी की इजाज़त बख़्शी। साथ ही ये भी फ़र्मा दिया कि तेरे बाद ये किसी और के लिये काफ़ी न होगी। यहाँ जिज़्आ से एक साल की बकरी मुराद है। लफ़्ज़े जिज़्आ एक साल की भेड़–बकरी पर बोला जाता है। ह़ज़रत अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) फ़र्माते हैं, **'अल जिज़्अतु मिनज़्ज़ानि मा लहू सनतुन ताम्मतुन हाज़ा हुवल अश्हरू अन अहलिल लुग़ति व जुम्हूरि अहलिल इल्मि मिन ग़ैरिहिम'** या'नी जिज़्आ वो है जिसकी उम्र पर पूरा एक साल गुज़र चुका हो। अहले सुन्नत और जुम्हूर अहले इल्म से यही मन्क़ूल है। कुछ छः और आठ और दस माह की बकरी पर भी जिज़्आ बोलते हैं।

देवबन्दी तराजिमे बुख़ारी में इस मुक़ाम पर जगह–जगह जिज़्आ का तर्जुमा चार महीने की बकरी का किया गया है तफ़्हीमुल बुख़ारी में एक जगह नहीं बल्कि बहुत से मुक़ामात पर चार महीने की बकरी लिखा हुआ मौजूद है। अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) की ऊपर लिखी तशरीह़ के मुताबिक़ ये ग़लत है। इसलिये अहले ह़दीष़ तराजिमे बुख़ारी में हर जगह एक साल की बकरी के साथ तर्जुमा किया गया है।

लफ़्ज़े ज़िज़्आ का इत़्लाक़ मसलके ह़न्फ़ी में भी छः माह की बकरी पर किया गया है। देखो तस्हीलुल क़ारी, पारा नं. 4, पेज नं. 400) मगर चार माह की बकरी पर लफ़्ज़े जिज़्आ ये ख़ुद मसलके ह़न्फ़ी के भी ख़िलाफ़ है। क़स्तलानी (रह़.) ने शरह बुख़ारी, पेज नं. 117 मत़्बूआ नवल किश्वर में है, **'जिज़्अतुम्मिनल्मअ़ज़ि ज़ात सनतिन'** या'नी जिज़्आ एक साल की बकरी को कहा जाता है।

बाब 11 : अय्यामे-तश्रीक़ में अ़मल करने की फ़ज़ीलत का बयान

١١- بَابُ فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (इस आयत) और अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र मा'लूम दिनों में करो। में अय्यामे-मा'लूमात से मुराद ज़िल्हिज्जा के दस दिन हैं और अय्यामे-मअ़दूदात से मुराद अय्यामे-तश्रीक़ हैं। इब्ने उ़मर और अबू हुरैरह (रज़ि.) इन दस दिनों में बाज़ार की त़रफ़ निकल जाते और लोग इन बुज़ुर्गों की तकबीरात सुनकर तकबीर कहते और मुह़म्मद बिन बाक़िर (रज़ि.) नफ़्ल नमाज़ों के बाद भी तकबीर कहते थे।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَذَكَرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾. أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ : أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوهُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِهِمَا وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ خَلْفَ النَّافِلَةِ.

969. हमसे मुह़म्मद बिन अ़रअ़रा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने सुलैमान के वास्ते से बयान किया, उनसे

٩٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ

الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ)). قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ : ((وَلاَ الْجِهَادُ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ)).

मुस्लिम अल बतीन ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अयास (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उन दिनों के अ़मल से ज़्यादा किसी दिन के अ़मल में फ़ज़ीलत नहीं। लोगों ने पूछा और जिहाद भी नहीं। आपने फ़र्माया कि हाँ जिहाद भी नहीं, सिवा उस शख़्स के जो अपनी जान व माल ख़त़रे में डालकर निकला और वापस आया तो साथ कुछ भी न लाया। (सब कुछ अल्लाह की राह में क़ुर्बान कर दिया)

तश्रीह : और एक ह़न्फ़ी फ़त्वा! ज़िलहिज्जा के पहले अशरा में इबादतें साल के तमाम दिनों की इबादतों से बेहतर है। कहा गया है कि ज़िलहिज्जा के दिन तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है और रमज़ान की रातों में से सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है। ज़िलहिज्जा के इन दस दिनों की ख़ास़ इबादत जिस पर सलफ़ का अ़मल था तक्बीर कहना और रोज़े रखना है। इस उ़न्वान की तशरीहात में है कि अबू हुरैरह (रज़ि.) और इब्ने उ़मर (रज़ि.) जब तक्बीर कहते तो आ़म लोग भी उनके साथ तक्बीर कहते थे और तक्बीरों में मत्लूब भी यही है कि जब किसी कहते हुए को सुने तो आसपास जो भी आदमी हों सब बुलन्द आवाज़ से तक्बीर कहें। (तफ़्हीमुल बुख़ारी) आ़म तौर पर बिरादराने अह़नाफ़ नवीं तारीख़ से तक्बीर शुरू करते हैं उनको मा'लूम होना चाहिये कि ख़ुद उनके उ़लमा की तह़क़ीक़ के मुत़ाबिक़ उनका ये तर्ज़े अ़मल सलफ़ के अ़मल के ख़िलाफ़ है जैसा कि यहाँ स़ाह़िबे तफ़्हीमुल बुख़ारी देवबन्दी, ह़नफ़ी ने स़ाफ़ लिखा है कि ज़िलहिज्जा के उन दस दिनों में तक्बीर कहना सलफ़ का अ़मल था (अल्लाह नेक तौफ़ीक़ दे, आमीन) बल्कि तक्बीरों का सिलसिला अय्यामे तशरीक़ में भी ज़ारी ही रहना चाहिये। जो ग्यारह से तेरह तारीख़ तक के दिन हैं। तक्बीर के अल्फ़ाज़ ये हैं, **अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लाह; वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल ह़म्द** और यूँ भी मरवी हैं **अल्लाहु अकबर कबीरा वल ह़म्दुलिल्लाहि कष़ीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतंव्वअस़ीला**

١٢– بَابُ التَّكْبِيْرِ فِي أَيَّامِ مِنًى، وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَ

बाब 12 : तकबीर-मिना के दिनों में और जब नवीं तारीख़ को अ़रफ़ात में जाए

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيْرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى تِلْكَ الأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاهُ تِلْكَ الأَيَّامَ جَمِيْعًا. وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَيَالِيَ التَّشْرِيْقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ.

और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) मिना में अपने डेरे में तकबीर कहते तो मस्जिद में मौजूद लोग उसे सुनते और वो भी तकबीर कहने लगते फिर बाज़ार में मौजूद लोग भी तकबीर कहने लगते और सारा मिना तकबीर से गूँज उठता। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) मिना में उन दिनों में नमाज़ों के बाद, बिस्तर पर, ख़ेमे में, मजलिस में, रास्ते में और दिन के तमाम ही ह़िस़्सों में तकबीर कहते थे और उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत मैमूना (रज़ि.) दसवीं तारीख़ में तकबीर कहती थी और औरतें आबान बिन उ़ष़्मान और अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के पीछे मस्जिद में मर्दों के साथ तकबीर कहा करती थीं।

980. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन अबीबक्र ष़क़फ़ी ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से तल्बिया के मुता'ल्लिक़ दरयाफ़्त किया कि आप लोग हज़रत नबी करीम (ﷺ) के अहद में उसे किस तरह कहते थे। उस वक़्त हम मिना से अरफ़ात की तरफ़ जा रहे थे। उन्होंने फ़र्माया कि तल्बिया कहने वाले तल्बिया कहते और तकबीर कहने वाले तकबीर। उस पर कोई ए'तिराज़ न करता।

(दीगर मक़ाम : 1609)

٩٧٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا - وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ - عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

[طرفه في : ١٦٥٩].

तश्रीह : लफ़्ज़े मिना की तहक़ीक़ हज़रत अल्लामा क़स्तलानी (रह.) शारेह बुख़ारी के लफ़्ज़ों में ये है, **'मिना बिकस्रिल्मीमि युज़क्करू व युअन्नषु फ़इन्न कस्दल्मौज़इ फ़मुज़क्करुन व युक्तबु बिल्अलिफ़ व यन्सरिफ़ु व इन कस्दल्बुक़्अति फमुअन्नषुन व ला यन्सरिफ़ु व युक्तबु बिल्याइ वल्मुख़्तारु तज़्कीरुहू'** या'नी लफ़्ज़ मिना मीम के ज़ेर के साथ अगर उससे मिना मौज़ाअ मुराद लिया जाए तो ये मज़्कूर है और मुन्सरिफ़ है और ये अलिफ़ के साथ मिना लिखा जाएगा और अगर इससे मुराद बुक़्आ (खास़ मुक़ाम) लिया जाए तो फिर ये मुअन्नष़ है और याअ के साथ मिना लिखा जाएगा मगर मुख़्तार यही है कि ये मुज़क्कर है और मिना के साथ उसकी किताबत बेहतर है। फिर फ़र्माते हैं, **'व सुम्मिय मिना लिमा युम्ना फ़ीहि अय युराक़ु मिनद्दिमाइ'** या'नी ये मुक़ाम लफ़्ज़ मिना से इसलिये मौसूम हुआ कि यहाँ ख़ून बहाने का क़स्द होता है।

971. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे उ़मर बिन हफ़्स़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने आ़स़िम बिन सुलैमान से बयान किया, उनसे हफ़्स़ा बिन्त सीरीन ने, उनसे उम्मे अ़तिया ने, उन्होंने फ़र्माया कि (आँहज़रत के ज़माने) हमें ईद के दिन ईदगाह में जाने का हुक्म था। कुँआरी लड़कियाँ और हाइज़ा भी पर्दे में बाहर आती थीं। ये सब मर्दों के पीछे पर्दे में रहतीं। जब मर्द तकबीर कहते तो ये भी कहतीं और जब वो दुआ़ करते तो ये भी करतीं। इस दिन की बरकत और पाकीज़गी हास़िल करने की उम्मीद रखतीं। (राजेअ़ : 324)

٩٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَومِ وَطُهْرَتَهُ. [راجع: ٣٢٤]

तश्रीह : बाब की मुताबक़त इससे हुई कि ईद के दिन औरतें भी तक्बीरें कहती थीं और मुसलमानों के साथ दुआओं में भी शरीक होतीं। दरहक़ीक़त ईदैन की रूह ही बुलन्द आवाज़ से तक्बीर कहने में मुज़्मर है ताकि दुनियावालों को अल्लाह पाक की बड़ाई और बुज़ुर्गी सुनाई जाए और उसकी अ़ज़्मत का सिक्का दिल में बिठाया जाए। आज भी हर मुसलमान के लिये नारा-ए-तक्बीर की रूह को हासिल करना ज़रूरी है। मुर्दा दिलों में ज़िन्दगी पैदा होगी। तक्बीर के अल्फ़ाज़ ये हैं, **अल्लाहु अकबर कबीरा वल हम्दुलिल्लाहि कष़ीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतंव्वअस़ीला** या यूँ कहिए **अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लाह; वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द**

बाब 13 : ईद के दिन बरछी को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ना

١٣ - بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْحَرْبَةِ

972. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के सामने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ के लिये बरछी आगे-आगे उठाई जाती और वो ईदगाह में आपके सामने गाड़ दी जाती। आप उसी की आड़ में नमाज़ पढ़ते। (राजेअ़ : 494)

٩٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي. [راجع: ٤٩٤]

तश्रीह : क्योंकि ईद मैदान में पढ़ी जाती थी और मैदान में नमाज़ पढ़ने के लिये सुत्रा ज़रूरी है इसलिये छोटा सा नेज़ा ले लेते थे जो सुत्रा के लिये काफ़ी हो सके और उसे आँहुज़ूर (ﷺ) के सामने गाड़ देते थे। नेज़ा इसलिये लेते थे कि उसे गाड़ने में आसानी होती थी। इमाम बुख़ारी (रह़.) इससे पहले लिख आएँ हैं कि ईदगाह में हथियार न ले जाना चाहिये। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि ज़रूरत हो तो ले जाने में कोई मुज़ायक़ा नहीं कि ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) के सुत्रे के लिये नेज़ा ले जाया जाता था। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

बाब 14 : इमाम के आगे-आगे ईद के दिन अ़न्ज़ा या ह़रबा लेकर चलना

١٤- بَابُ حَمْلِ الْعَنَزَةِ – أَوِ الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيْدِ

973. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िद ह़ज़ामी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उ़मर औ़ज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे नाफ़ेअ़ ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से बयान किया, उन्होंने फ़र्माया नबी करीम (ﷺ) ईदगाह जाते तो बरछा (डण्डा जिसके नीचे लोहे का फल लगा हुआ हो) आप (ﷺ) के आगे-आगे ले जाया जाता था, फिर ये ईदगाह में आप (ﷺ) के सामने गाड़ दिया जाता और आप (ﷺ) उसकी आड़ में नमाज़ पढ़ते। (राजेअ़ :494)

٩٧٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. [راجع: ٤٩٤]

तश्रीह : ऊपर गुज़र चुकी है। इससे ये भी षाबित हुआ कि आँह़ज़रत (ﷺ) ईदैन की नमाज़ जंगल (मैदान) में पढ़ा करते थे। पस मसनून यही है जो लोग बिला उ़ज्र बारिश वग़ैरह के मस्जिद में ईदैन की नमाज़ पढ़ते हैं वो सुन्नत के षवाब से महरूम रहते हैं।

बाब 15 : औ़रतों और ह़ैज़ वालियों का ईदगाह में जाना

١٥- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى

974. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, उनसे मुहम्मद ने, उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि हमें हुक्म था कि पर्दा वाली दो शैज़ाओं को ईदगाह के लिये निकालें और अय्यूब सुख़ितयानी ने ह़फ़्सा (रज़ि.) से भी इसी त़रह रिवायत की है। ह़फ़्सा (रज़ि.) की

٩٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ فِي حَدِيْثِ

حَفْصَةَ قَالَ: أَوْ قَالَتْ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى .

[راجع: ٣٢٤]

हदीष में ये ज़्यादती है कि दोशीज़ाएँ (लड़कियाँ) और पर्देवालियाँ ज़रूर (ईदगाह जाएँ) और हाइज़ा नमाज़ की जगह से अलग रहें।

(राजेअ : 324)

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने औरतों के ईदैन में शिर्कत करने के बारे में तफ़्सील से सहीह अहादीष को नक़ल किया है जिनमें कुछ क़ीलो-क़ाल की गुंजाइश नहीं। अनेक रिवायतों में मौजूद है कि आँहज़रत (ﷺ) अपनी तमाम बीवियों और साहिबज़ादियों को ईदैन के लिये निकालते थे यहाँ तक कि फ़र्मा दिया कि हैज़ वाली भी निकलें और वो नमाज़ से दूर रहकर मुसलमानों की दुआओं में शिर्कत करें और वो भी निकलें जिनके पास चादर न हों। चाहिये कि उनकी हमजोलियाँ उनको अपनी चादर या दुपट्टा दे दें। बहरहाल औरतों का ईदगाह में शिर्कत करना एक अहमतरीन सुन्नत और इस्लामी शिआर है जिससे शौकते इस्लाम का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) होता है और मर्द-औरत और बच्चे मैदाने ईदगाह में अल्लाह के सामने सज्दा-रेज़ होकर दुआएँ करते हैं जिनमें से किसी एक की भी दुआ अगर क़ुबूलियत का दर्जा हासिल कर ले तो आम हाज़िरीन के लिये बाइषे सद बरकत हो सकती है।

इस बारे में कुछ लोगों ने फ़र्ज़ी शुकूक व शुब्हात और मफ़रूज़ा ख़तरात की बिना पर औरतों का ईदगाह में जाना मकरूह क़रार दिया है मगर ये सारी मफ़रूज़ा (फ़र्ज़ी) बातें हैं जिनकी शरअन कोई असल नहीं है। ईदगाह के मुंतज़िमीन का फ़र्ज़ है कि वो पर्दे का इंतिज़ाम करें और हर फ़साद व ख़तरात के इंसेदाद (रोकने) के लिये पहले ही से बन्दोबस्त कर ले।

हज़रत अल्लामा शौकानी (रह.) ने इस बारे में मुफ़स्सल व मुदल्लल बहष के बाद फ़र्माया है, **'अम्मा फ़ी मअनाहू मिनल्अहादीषि क़ाज़ियतुन बिमश्रूइय्यति ख़ुरुजिन्निसाइ फ़िल्इदैनि इलल्मुसल्ला मिन ग़ैरि फ़र्क़िन बैनल्बिक्रि वष्षय्यिबि वश्शाब्बति वल्अजूज़ि वल्हाइज़ि व ग़ैरहा मालम तकुन मुअतद्दतुन औ कान फ़ी ख़ुरुजिहा फ़ितनतुन औ कान लहा उज़्रुन'** या'नी अहादीष इसमें फ़ैसला दे रही हैं कि औरतों को ईदैन में मर्दों के साथ ईदगाह में शिर्कत करना मश्रूअ है। और इस बारे में शादीशुदा और कुँवारी और बूढ़ी और जवान और हाइज़ा वग़ैरह का कोई इम्तियाज़ नहीं है जब तक उनमें से कोई इद्दत में न हो या उनके निकलने में कोई फ़ित्ने का डर न हो या कोई और उज़्र न हो तो बिला शक तमाम मुसलमान औरतों को ईदगाह में जाना मश्रूअ हैं। फिर फ़र्माते हैं, **'वल्क़ौलु बिकराहिय्यतिल्ख़ुरूजि अलल्इत्तलाक़ि रद्दुन लिल्अहादीषिस्सहीहति बिल्अराइल्फ़ासिदति'** या'नी मुत्लक़न औरतों के लिये ईदगाह में जाने को मकरूह क़रार देना या अपनी फ़ासिद रायों की बिना पर अहादीष सहीहा को रद्द करना है।

आजकल के जो उलमा ईदैन में औरतों की शिर्कत को नाजाइज़ क़रार देते हैं उनको इतना ग़ौर करने की तौफ़ीक़ नहीं होती कि यही मुसलमान औरतें बेतहाशा बाज़ारों में आती-जाती हैं; मेलों-उर्सों में शरीक होतीं हैं और बहुत सी ग़रीब औरतें जो मेहनत मज़दूरी करती हैं। जब उन सारे हालात में ये मफ़ासिदे मफ़रूज़ा से बालातर हैं तो ईदगाह की शिर्कत में जबकि वहाँ जाने के लिये बापर्दा और बाअदब होना ज़रूरी है कौनसे फ़र्ज़ी ख़तरात का तसव्वुर करके उनके लिये अदमे-जवाज़ का फ़त्वा लगाया जा सकता है।

शैख़ुल हदीष हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब मुबारकपुरी दामत फ़ैज़ुहू फ़र्माते हैं, औरतों का ईदगाह में ईद की नमाज़ के लिये जाना सुन्नत है। शादीशुदा हों या कुँवारी, जवान हो या अधेड़ हो या बूढ़ी। **'अन उम्मि अतिय्यत अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) कान युख़्रिजुल अब्कार वल्अवातिक़ व ज़वातिल्ख़ुदूरि वल्हुय्यज़ु फ़िल्इदैनि फ़अम्मल्हुय्यज़ु लयअतज़िल्नल मुसल्ला व यशहदन दअवतल मुस्लिमीन क़ालत इह्दाहुन्न या रसूलल्लाहि इल्लम यकुल्लहा जल्बाबुन क़ाल फ़लितुल्बिसहा उख़्तहा मिन जल्बाबिहा'** (सहीहैन वग़ैरह) आँहज़रत (ﷺ) ईदैन में दोशीज़ा, जवान कुँवारी, हैज़वाली औरतों को ईदगाह जाने का हुक्म देते थे। हैज़वाली औरतें नमाज़ से अलग रहतीं और मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहती। एक औरत ने कहा कि अगर किसी औरत के पास चादर न हो तो आपने फ़र्माया कि उसकी मुसलमान बहन

अपनी चादर में ले जाए। जो लोग कराहत के क़ायल हैं या जवान या बूढ़ी के बीच फ़र्क़ करते हैं दरअसल वो सहीह हदीष को अपनी फ़ासिद और बातिल रायों से रद्द करते हैं। हाफ़िज इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में और इब्ने हज़म ने अपनी मुहल्ला में बित्तफ़्सील मुख़ालिफ़ीन के जवाबात ज़िक्र किये हैं। औरतों को ईदगाह में सख़्त पर्दा के साथ बग़ैर किसी क़िस्म की ख़ुश्बू लगाए और बग़ैर बजने वाले ज़ेवर और ज़ीनत के लिबास के जाना चाहिये ताकि फ़ित्ने का सबब न बनें। **'क़ाल शैख़ुना फ़ी शर्हित्तिर्मिज़ी अला मनइल्ख़ुरूजि इलल्ईदि लिश्शवाब्बि मअल्अम्नि मिनल्मफ़ासिदि मिम्मा हद्दष्न फ़ी हाज़ज़्ज़मानि बल हुव मश्रूउन लहुन्न व हुवल्क़ौलुर्राजिह इन्तिहा'** या'नी अम्न की हालत में जवान औरतों को शिर्कते ईदैन से रोकना उसके बारे में मानेईन (मना करने वालों) के पास कोई दलील नहीं है बल्कि वो मश्रूअ है और क़ौले राजेह यही है।

बाब 16 : बच्चों का ईदगाह जाना

١٦- بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى

975. हमसे उमर बिन अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़्यान ष़ौरी ने अ़ब्दुर्रहमान बिन आ़बिस से बयान किया, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने ईदुल फ़ित्र या ईदुल अज़्हा के दिन नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ने के बाद ख़ुत्बा दिया फिर औरतों की तरफ़ आए और उन्हें नसीहत फ़र्माई और सदक़े के लिये हुक्म फ़र्माया। (राजेअ : 98)

٩٧٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى الْعِيْدَ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ. [راجع: ٩٨]

बाब 17 : इमाम ईद के ख़ुत्बे में लोगों की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो

١٧- بَابُ اسْتِقْبَالِ الإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَةِ الْعِيْدِ

976. हमसे अबू नुऐम फ़ुज़ैल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन तल्हा ने बयान किया, उनसे ज़ैद ने, उनसे शुअ़बी ने, उनसे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल अज़्हा के दिन बक़ीअ़ की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और दो रकअ़त ईद की नमाज़ पढ़ाई। फिर हमारी तरफ़ चेहर-ए-मुबारक करके फ़र्माया कि सबसे मुक़द्दम इबादत हमारे इस दिन की ये है कि पहले हम नमाज़ पढ़ें, फिर (नमाज़ और ख़ुत्बे से लौट) कर क़ुर्बानी करें। इसलिये जिसने इस तरह किया उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक़ किया और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर दिया तो वो ऐसी चीज़ है जिसे उसने अपने घरवालों के खिलाने के लिये जल्दी से मुहैया कर दिया है और उसका क़ुर्बानी से कोई ता'ल्लुक़ नहीं। इस पर एक शख़्स ने खड़े होकर अ़र्ज किया कि

٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ فَصَلَّى الْعِيْدَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ

وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: ((اذْبَحْهَا، وَلاَ تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). [راجع: ٩٥١]

या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैंने तो पहले ही ज़िब्ह कर दिया लेकिन मेरे पास एक साल की पठिया है और वो दो-दंदी बकरी से ज़्यादा बेहतर है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ख़ैर तुम उसी को ज़िब्ह करलो लेकिन तुम्हारे बाद किसी की तरफ़ से ऐसी पठिया जाइज़ न होगी। (राजेअ : 951)

सवाल करने वाले अबू बुर्दा बिन नियार अंसारी थे। हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

١٨– بَابُ الْعَلَمِ الَّذِي بِالْمُصَلَّى

बाब 18 : ईदगाह में निशान लगाना

या'नी कोई ऊँची चीज़ जैसे लकड़ी वग़ैरह उससे ये ग़र्ज़ थी कि ईदगाह का मक़ाम मा'लूम रहे।

٩٧٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ: أَشَهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ، حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوبِ بِلاَلٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ إِلَى بَيْتِهِ. [راجع: ٩٨]

977. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने सुफ़्यान ष़ौरी से बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुर्रह़्मान बिन आ़बिस ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना। उनसे दरयाफ़्त किया गया था कि आप नबी करीम (ﷺ) के साथ ईदगाह गये थे? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! और अगर बावजूद कमउम्री के मेरी क़द्रो-मन्ज़िलत आपके यहाँ न होती तो मैं जा नहीं सकता था। आप उस निशान पर आए जो कष़ीर बिन स़ुल्त के घर के क़रीब है। आपने वहाँ नमाज़ पढ़ाई फिर ख़ुत्बा सुनाया। उसके बाद औरतों की तरफ़ आए, आप के साथ बिलाल (रज़ि.) भी थे। आप (ﷺ) ने उन्हें वा'ज़ और नसीहत की और स़दक़ा के लिये कहा। चुनाँचे मैंने देखा कि औरतें अपने हाथों से बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डाले जा रही थीं। फिर आँहज़रत (ﷺ) और बिलाल (रज़ि.) घर वापस हुए। (राजेअ : 98)

कष़ीर बिन स़ुल्त का मकान आँहज़रत (ﷺ) के बाद बनाया गया। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने लोगों को ईदगाह का मकान बताने के लिये उसका पता दिया।

١٩– بَابُ مَوْعِظَةِ الإِمَامِ النِّسَاءَ يَوْمَ الْعِيْدِ

बाब 19 : इमाम का ईद के दिन औरतों को नसीहत करना

٩٧٨ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: [قَامَ

978. हमसे इस्ह़ाक़ बिन इब्राहीम बिन नस़्र ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अ़ता ने ख़बर दी कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) को मैंने ये कहते सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल फ़ित़र की नमाज़ पढ़ी। पहले आपने नमाज़ पढ़ी उसके

बाद ख़ुत्बा दिया। जब आप ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हो गये तो उतरे और औरतों की तरफ़ आए। फिर उन्हें नसीहत फ़र्माई। आप (ﷺ) उस वक़्त बिलाल (रज़ि.) के हाथ का सहारा लिये हुए थे। बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला रखा था जिसमें औरतें सदक़ा डाल रही थीं, मैंने अता से पूछा क्या वे सदक़-ए-फ़ित्र दे रही थीं? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं बल्कि वो सदक़े के तौर पर दे रही थीं। उस वक़्त औरतें अपने छल्ले (वग़ैरह) बराबर डाल रही थीं। फिर मैंने अता से पूछा कि क्या आप अब भी इमाम पर इसका हक़ जानते हैं कि वो औरतों को नसीहत करे? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! उन पर ये हक़ है और क्या वजह है कि वो ऐसा नहीं करते।

(राजेअ : 958)

النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ. فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : زَكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِيْنَئِذٍ: تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَحِقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَهُ؟.

[راجع: ٩٥٨]

989. इब्ने जुरैज ने कहा कि हसन बिन मुस्लिम ने मुझे ख़बर दी, उन्हें ताऊस ने, उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र, उमर और उ़स्मान (रज़ि.) के साथ ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ने गया हूँ। ये सब हज़रात ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ते और बाद में ख़ुत्बा देते थे। नबी करीम (ﷺ) उठे, मेरी नज़रों के सामने वो मंज़र है, जब आप (ﷺ) लोगों को हाथ के इशारे से बिठा रहे थे। फिर आप सफ़ों से गुज़रते हुए औरतों की तरफ़ आए। आप के साथ बिलाल थे। आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई। ऐ नबी (ﷺ)! जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैअत के लिये आएँ अल्आया. फिर जब ख़ुत्बे से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया कि क्या तुम इन बातों पर क़ायम हो? एक औरत ने जवाब दिया कि हाँ! उनके अलावा कोई औरत न बोली, हसन को मा'लूम नहीं कि बोलने वाली ख़ातून कौन थी? आप (ﷺ) ने ख़ैरात के लिये हुक्म फ़र्माया और बिलाल (रज़ि.) ने अपना कपड़ा फैला दिया और कहा कि लाओ! तुम पर मेरे माँ-बाप फिदा हों। चुनाँचे औरतें छल्ले और अंगूठियाँ बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में डालने लगीं। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने कहा फ़त्ख़ बड़े छल्ले को कहते हैं, जिसका जहालत के ज़माने में इस्ते'माल होता

٩٧٩- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ. خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِيْنَ يُجَلِّسُ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: ((﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾)) الآيَةَ. ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا : ((آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟)) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ - لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا - : نَعَمْ. لاَ يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ. قَالَ: ((فَتَصَدَّقْنَ)) فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ، لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي. فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْفَتَخُ: الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ

था। (राजेअ : 57)

كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: ٥٧]

तश्रीह : अगरचे ज़मान-ए-नबवी में ईदगाह के लिये कोई इमारत नहीं थी और जहाँ ईदैन की नमाज़ पढ़ी जाती थीं वहाँ कोई मिम्बर भी नहीं था लेकिन इस लफ़्ज़ **फ़लम्मा फ़रज़ नज़लह** से मा'लूम होता है कि कोई बुलन्द जगह थी जिस पर आप (ﷺ) ख़ुत्बा देते थे।

आँहुज़ूर (ﷺ) मर्दों के सामने ख़ुत्बा दे चुके तो लोगों ने समझा कि अब ख़ुत्बा ख़त्म हो गया है और उसे वापस जाना चाहिये। चुनाँचे लोग वापसी के लिये उठे लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें हाथ के इशारे से रोका कि अभी बैठे रहें क्योंकि आप (ﷺ) औरतों को ख़ुत्बा देने जा रहे थे। दूसरी रिवायतों से मा'लूम होता है कि जवाब देने वाली ख़ातून अस्मा बिन्ते यज़ीद थीं जो अपनी फ़साहत व बलाग़त की वजह से ख़तीबतुन्निसा के नाम से मशहूर थीं। उन्हीं की एक रिवायत में है कि जब नबी करीम (ﷺ) औरतों की तरफ़ आए तो मैं भी उनमें मौजूद थी। आपने फ़र्माया कि औरतों तुम जहन्नम का ईंधन ज़्यादा बनोगी। मैंने आप (ﷺ) को पुकारकर कहा, क्योंकि मैं आपके बहुत क़रीब थी, क्यों या रसूलल्लाह! ऐसा क्यूँ होगा? आपने फ़र्माया इसलिये कि तुम लोग लान--तान बहुत ज़्यादा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो।

बाब 20 : अगर किसी औरत के पास ईद के दिन दुपट्टा (चादर) न हो

٢٠- بَابُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيْدِ

980. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब सुख़्तियानी ने ह़फ़्सा बिन्त सीरीन के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़कियों को ईदगाह जाने से मना करते थे। फिर एक ख़ातून बाहर से आई और क़स्रे बनू ख़लफ़ में उन्होंने क़याम किया कि उनकी बहन के शौहर नबी करीम (ﷺ) के साथ बारह लड़ाइयों में शरीक रहे और ख़ुद उनकी बहन अपने शौहर के साथ छह लड़ाइयों में शरीक हुई थीं। उनका बयान था कि हम मरीज़ों की ख़िदमत किया करते थे और ज़ख़्मियों की मरहम-पट्टी करते थे। उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम में से अगर किसी के पास चादर न हो और उसकी वजह से ईद के दिन (ईदगाह) न जा सकें तो कोई हर्ज है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसकी सहेली अपनी चादर का एक हिस़्सा उसे ओढ़ा दे और फिर वो ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों। ह़फ़्सा ने बयान किया कि फिर जब उम्मे अ़तिया यहाँ तशरीफ़ लाईं तो मैं उनकी ख़िदमत में भी हाज़िर हुई और दरयाफ़्त किया कि आपने फलाँ-

٩٨٠- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ: ((كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَومَ الْعِيْدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا، فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ - إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ - أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ)). قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا فَسَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟

فَقَالَتْ: نَعَمْ، بَأَبِي - وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي - قَالَ: ((لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوْ قَالَ: الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، شَكَّ أَيُّوبُ - وَالْحُيَّضُ، تَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ)). قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: آلْحُيَّضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟.

[راجع: ٣٢٤]

फलाँ बात सुनी है। उन्होंने फ़र्माया कि हाँ! मेरे माँ-बाप आप (ﷺ) पर फ़िदा हो। उम्मे अ़तिया (रज़ि.) जब भी नबी करीम (ﷺ) का ज़िक्र करती तो ये ज़रूर कहती कि मेरे माँ-बाप आप पर फिदा हो, हाँ! तो उन्होंने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जवान पर्देवाली या जवान और पर्दे वाली बाहर निकलें। शुब्हा अय्यूब को था। अलबत्ता हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलग होकर बैठें, उन्हें ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में ज़रूर शरीक होना चाहिये। हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने उम्मे अ़तिया (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हाइज़ा औरतें भी? उन्होंने फ़र्माया क्या हाइज़ा औरतें अरफ़ात नहीं जातीं और क्या वो फलाँ-फलाँ जगहों में शरीक नहीं होतीं। (फिर इज्तेमाओ-ईद ही की शिर्कत में कौनसी क़बाहत है)

(राजेअ़ : 324)

तश्रीह : हफ़्सा (रज़ि.) के सवाल की वजह ये थी कि जब हाइज़ा पर नमाज़ ही फ़र्ज़ नहीं और न वो नमाज़ पढ़ सकती है तो ईदगाह में उसकी शिर्कत से क्या फ़ायदा होगा? इस पर हज़रत उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने कहा कि जब हैज़ वाली अरफ़ात और दीगर मुक़ामाते मुक़द्दसा में जा सकती है और जाती हैं तो ईदगाह में क्यूँ न जाएँ? इस जवाब पर आजकल के उन हज़रात को ग़ौर करना चाहिये जो औरतों का ईदगाह में जाना नाजाइज़ क़रार देते हैं और उसके लिये सौ हीले और बहाने तलाशते हैं, हालाँकि मुसलमानों की औरतें मेलों में और फ़िस्क़ो-फ़ुजूर में धड़ल्ले से शरीक होती हैं।

ख़ुलासा ये है कि हैज़वाली औरतों को भी ईदगाह जाना चाहिये और वो नमाज़ से अलग रहें मगर दुआओं में शरीक हों। इससे मुसलमानों की इज्तिमाई दुआओं की अहमियत भी षाबित होती हैं। बिला शक दुआ मोमिन का हथियार है और जब मुसलमान मर्द-औरत मिलकर दुआ करें तो न मा'लूम किस की दुआ क़ुबूल होकर तमाम अहले इस्लाम के लिये बाइ़षे बरकत हो सकती है। बहालाते मौजूदा जबकि मुसलमान हर तरफ़ से मसाइब (परेशानियों) का शिकार हैं, बिज़्ज़रूर दुआओं का सहारा ज़रूरी है। इमामे ईद का फ़र्ज़ है कि ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के साथ इस्लाम की सरबुलन्दी के लिये दुआएँ करे। ख़ास़ तौर पर क़ुर्आनी दुआएँ ज़्यादा मुअष्षिर (प्रभावशाली) है; फिर अहादीष में भी बड़ी पाकीज़ा दुआएँ वारिद हुई हैं। उनके बाद सामेईन की मादरी ज़ुबान (मातृभाषा) में भी दुआएँ की जा सकती है। (वबिल्लाहित्तौफ़ीक़)

٢١- بَابُ اعْتِزَالِ الْحُيَّضِ بِالْمُصَلَّى

बाब 21 : हाइज़ा औरतें ईदगाह से अलग रहें

٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ

981. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन इब्राहीम इब्ने अबी अ़दी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन औ़न ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने कि उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमें हुक्म था कि हाइज़ा औरतों, दोशीज़ाओं और पर्देवालियों को ईदगाह ले जाएँ... इब्ने औ़न ने कहा कि या (हदीष) में पर्देवाली दोशीज़ाएँ है। अलबत्ता

हाइज़ा औरतें मुसलमानों की जमाअत और दुआओं में शरीक हो और (नमाज़ से) अलग रहें।
(राजेअ : 324)

ذَوَاتِ الْخُدُورِ - فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ. [راجع: ٣٢٤].

बाब 22 : ईदुल अज़्हा के दिन ईदगाह में नह्र और ज़िब्ह करना

٢٢- بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ

982. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, कहा कि मुझ से कष़ीर बिन फ़रक़द ने नाफ़ेअ से बयान किया, उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईदगाह ही में नह्र और ज़िब्ह किया करते।
(दीगर मक़ामात : 1710, 1711, 5551, 5552)

٩٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ - أَوْ يَذْبَحُ - بِالْمُصَلَّى)).
[أطرافه في : ١٧١٠، ١٧١١، ٥٥٥١، ٥٥٥٢].

नह्र ऊँट का होता है बाक़ी जानवरों को लिटाकर ज़िबह करते हैं। ऊँट को खड़े–खड़े उसके सीने में ख़ंज़र मार देते हैं। उसका नाम नह्र है। क़ुर्बानी शआइरे इस्लाम (इस्लाम की निशानियों) में से है। हस्बे मौक़ा व महल बिला शुबहा ईदगाह में भी नह्र और क़ुर्बानी मसनून है। मगर बहालाते मौजूदा अपने घरों या मुक़र्ररा मुक़ामात पर ये सुन्नत अदा करनी चाहिये। हालात की मुनासबत के लिये इस्लाम में गुंजाइश रखी गई है।

बाब 23 : ईद के ख़ुत्बे में इमाम का और लोगों का बातें करना

٢٣- بَابُ كَلاَمِ الإِمَامِ وَالنَّاسِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

और इमाम का जवाब देना जब ख़ुत्बे में उससे कुछ पूछा जाए

وَإِذَا سُئِلَ الإِمَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ يَخْطُبُ

983. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल अह्वस़ सलाम बिन सलीम ने बयान किया, कहा कि हमसे मन्सूर बिन मुअतमिर ने बयान किया कि उनसे आमिर शुअबी ने, उनसे बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने बक़र ईद के दिन नमाज़ के बाद ख़ुत्बा सुनाया और फ़र्माया कि जिसने हमारी तरह की नमाज़ पढ़ी और हमारी तरह की क़ुर्बानी की, उसकी क़ुर्बानी दुरुस्त हुई। लेकिन जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की तो वो ज़बीहा सिर्फ़ गोश्त खाने के लिये होगा। इस पर अबू बुर्दा बिन नियार ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) क़सम अल्लाह की! मैंने तो नमाज़ के लिये आने से पहले क़ुर्बानी कर ली, मैंने ये समझा कि आज का दिन खाने-पीने का दिन है,

٩٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ وَ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ. وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ)). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ

إِلَى الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيْرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ)). قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ لَهِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)) [راجع: ٩٥١].

इसलिये मैंने जल्दी की और ख़ुद भी खाया और घरवालों को और पड़ौसियों को भी खिलाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बहरहाल ये गोश्त (खाने का) हुआ (क़ुर्बानी नहीं) उन्होंने अ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक बकरी का सालभर का बच्चा है वो दो बकरियों के गोश्त से ज़्यादा बेहतर है। क्या मेरी (तरफ़ से उसकी) क़ुर्बानी दुरुस्त होगी? आपने फ़र्माया कि हाँ! मगर तुम्हारे बाद किसी की तरफ़ से ऐसे बच्चे की क़ुर्बानी काफ़ी न होगी।

(राजेअ़ : 951)

इससे ये षाबित फ़र्माया कि इमाम और लोग ईद के ख़ुत्बे में मसाइल की बात कर सकते हैं और आगे के फ़िक़रों से ये षाबित होता है कि ख़ुत्बे की हालत में अगर इमाम से कोई शख़्स मसला पूछे तो वो जवाब दे।

٩٨٤ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَنْ يُعِيْدَ ذَبْحَهُ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِيْرَانٌ لِي - إِمَّا قَالَ: بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ: بِهِمْ فَقْرٌ - وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِيْهَا)). [راجع: ٩٥٤]

984. हमसे हामिद बिन उ़मर ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, उनसे मुहम्मद ने, उनसे ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बक़र ईद के दिन नमाज़ पढ़कर ख़ुत्बा दिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस शख़्स ने नमाज़ से पहले जानवर ज़िब्ह कर लिया उसे दोबारा क़ुर्बानी करनी होगी। इस पर अन्सार में से एक स़हाबी उठे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे कुछ ग़रीब-भूखे पड़ौसी हैं या यूँ कहा कि वो मुह़्ताज हैं। इसलिये मैंने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर दिया अलबत्ता मेरे पास एक साल की एक पठिया है जो दो बकरियों के गोश्त से भी ज़्यादा मुझे पसन्द है। आप (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दे दी। (राजेअ़ : 954)

٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ وَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ)).[أطرافه في: ٥٥٠٠، ٥٥٦٢، ٦٦٧٤، ٧٤٠٠].

985. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अस्वद बिन क़ैस ने, उनसे जुन्दब ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने बक़र ईद के दिन नमाज़ पढ़ाने के बाद ख़ुत्बा दिया फिर क़ुर्बानी की। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह कर लिया हो तो उसे दूसरा जानवर बदले में क़ुर्बानी करना चाहिये और जिसने नमाज़ से पहले ज़िब्ह न किया हो वो अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह करे।

(दीगर मक़ामात : 5500, 5562, 6674, 7400)

बाब 24 : जो शख़्स ईदगाह को एक रास्ते में जाए वो घर को दूसरे रास्ते से आए

٢٤- بَابُ مَنْ خَالَفَ الطَّرِيْقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيْدِ

986. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने, उन्होंने कहा कि हमें अबू तुमैला यह्या बिन वाज़ेह ने ख़बर दी, उन्हें फुलैह बिन सुलैमान ने, उन्हें सईद बिन हारिष़ ने, उन्हें जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईद के दिन एक रास्ते से जाते फिर दूसरा रास्ता बदल कर आते। इस रिवायत की मुताबअ़त यूनुस बिन मुहम्मद ने फुलैह से, उनसे सईद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया लेकिन जाबिर की रिवायत ज़्यादा स़हीह़ है।

٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ)). تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ عَنْ سَعِيْدٍ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَحَدِيْثُ جَابِرٍ أَصَحُّ.

या'नी जो शख़्स सईद का शैख़ जाबिर (रज़ि.) को क़रार देता है उसकी रिवायत उससे ज़्यादा स़हीह़ है जो अबू हुरैरह (रज़ि.) को सईद का शैख़ कहता है। यूनुस की इस रिवायत को इस्माईल ने वस्ल (मिलान) किया है।

रास्ता बदलकर आना–जाना भी शरई मस्लहतों से खाली नहीं है जिसका मक़सद उलमा ने ये समझा कि दोनों रास्तों पर इबादते इलाही के लिये नमाज़ी के क़दम पड़ेंगे और दोनों रास्तों की ज़मीनें इन्दल्लाह उसके लिये गवाह होंगी। वल्लाहु अअ़लम!

बाब 25 : अगर किसी को जमाअ़त से ईद की नमाज़ न मिले तो फिर दो रकअ़त पढ़ ले

٢٥- بَابُ إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

और औरतें भी ऐसा ही करें और वो लोग भी जो घरों और देहातों वग़ैरह में हों और जमाअ़त में न आ सकें (वो भी ऐसा ही करें) क्योंकि नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि इस्लाम वालों! ये हमारी ईद है। अनस बिन मालिक (रज़ि.) के ग़ुलाम इब्ने अबी उ़तैबा ज़ाविया नामी गाँव में रहते थे। उन्हें आपने हुक्म दिया था कि वो अपने घरवालों और बच्चों को जमा करे शहर वालों की त़रह नमाज़े-ईद पढ़ें और तकबीर कहें। इक्रिमा ने शहर के क़रीब व जवार में आबाद लोगों के लिये फ़र्माया कि जिस त़रह इमाम करता है ये लोग भी ईद के दिन जमा होकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ें। अ़ता ने कहा कि अगर किसी की ईद की नमाज़ (जमाअ़त) छूट जाए तो वो दो रकअ़त (तन्हा) पढ़ ले।

وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هَذَا عِيْدُنَا يَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ)). وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلاَهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيْهِ وَصَلَّى كَصَلاَةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيْرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْعِيْدِ يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيْدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

इमाम बुख़ारी (रह़.) ने यहाँ ये ष़ाबित फ़र्माया है कि ईद की नमाज़ सबको पढ़ना चाहिये ख़्वाह गांव में हो या शहर में। इसकी तफ़्सील पहले गुज़र चुकी है। ज़ाविया बस़रा से छ: मील पर एक गांव था। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने अपना मकान वहाँ पर ही बनवाया था।

987. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि उनसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उर्वा ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अबूबक्र (रज़ि.) उनके यहाँ (मिना के दिनों में) तशरीफ़ लाए, उस वक़्त घर में दो लड़कियाँ दुफ़ बजा रही थी और बुआष की लड़ाई की नज़्में गा रही थी। नबी करीम (ﷺ) ने चेहर-ए-मुबारक पर कपड़ा डाले हुए तशरीफ़ फ़र्मा थे। अबूबक्र (रज़ि.) ने उन दोनों को डाँटा। इस पर आप (ﷺ) ने चेहर-ए-मुबारक से कपड़ा हटाकर फ़र्माया, ऐ अबूबक्र! जाने भी दो ये ईद का दिन है (और वो भी मिना में)। (राजेअ : 949)

٩٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ أَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ - وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ - فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوبَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: ((دَعْهُمَا يَا أَبَابَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ. وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى)).

[راجع: ٩٤٩]

988. और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैंने (एक दफ़ा) नबी करीम (ﷺ) को देखा कि आप (ﷺ) ने मुझे छुपा रखा था और मैं हब्शा के लोगों को देख रही थी जो मस्जिद में तीरों से खेल रहे थे। हज़रत उमर (ﷺ) ने उन्हें डाँटा लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जाने दो और उनसे फ़र्माया, ऐ बनू अरफ़िदा! तुम बेफिक्र होकर खेल दिखाओ। (राजेअ : 454)

٩٨٨ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((دَعْهُمْ. أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ)) يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ. [راجع: ٤٥٤]

शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ से बाब का मत़लब यूँ निकाला कि जब हर शख़्स के लिये ये दिन ख़ुशी के हुए तो हर एक को ईद की नमाज़ भी पढ़नी होगी। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ईदुल अज़्हा और बाद के अय्यामे तशरीक़ 11,12,13 सबको ईद के अय्याम फ़र्माया और इर्शाद हुआ कि एक तो ईद के दिन ख़ुशी के दिन हैं और फिर मिना में होने की और ख़ुशी है कि अल्लाह ने ह़ज्ज नसीब किया।

बाब 26 : ईदगाह में ईद की नमाज़ से पहले या उसके बाद नफ़्ल नमाज़ पढ़ना कैसा है?

٢٦- بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَبَعْدَهَا

और अबू मुअल्ला यह्या बिन मैमून ने कहा कि मैंने सईद से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि आप ईद से पहले नफ़्ल नमाज़ पढ़ना मकरूह जानते थे।

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى: سَمِعْتُ سَعِيْدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْعِيْدِ.

ह़ाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने कहा कि ये अष़र मुझको मौसूलन नहीं मिला और अबुल मुअल्ला से इस किताब में इसके सिवा और कोई रिवायत नहीं है।

989. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि मुझे अदी बिन ष़ाबित ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने सईद बिन जुबैर से सुना, वो इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन निकले और (ईदगाह) में दो रकअ़त नमाज़े-ईद पढ़ी।

٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى

आप (ﷺ) ने न इससे पहले नफ़्ल नमाज़ पढ़ी और न उसके बाद, आप (ﷺ) के साथ बिलाल (रज़ि.) भी थे।

رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَمَعَهُ بِلاَلٌ)).

तश्रीह : अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) फ़र्माते हैं, **क़ौलुहू लम युसल्लि क़ब्लहा व बअ़दहा फ़ीहि व फ़ी बक़िय्यति अहादीषिल्बाबि दलीलुन अ़ला कराहितिस्सलाति क़ब्ल सलातिल्ईदि व बअ़दहा इलैहि ज़हब अहमदुब्नु ह़ंबल क़ालुब्नु कुदामा व हुव मज्हबु इब्नि अ़ब्बास वब्नि उ़मर.** (नैलुल औतार)

या'नी इस ह़दीष़ और इस बारे में दीगर अह़ादीष़ से ष़ाबित हुआ कि ईद कीनमाज़ के प हले और बाद में नफ़्ली नमाज़ पढ़ना मकरूह है। इमाम अह़मद बिन ह़ंबल का भी यही मसलक है और बक़ौल इब्ने कुदामा ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) और ह़ज़रत अ़ली व ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) और बहुत से अकाबिर सह़ाब-ए-किराम व ताबेईन का भी यही मसलक है। इमाम ज़ुह्री (रह़.) फ़र्माते हैं, **लम अस्मअ अहदम्मिन उ़लमाइना यज़्कुर अन्न अहदन मिन सलफ़ि हाज़िल्उम्मति कान युसल्ली क़ब्ल तिल्कस्सलाति व ला बअ़दहा.** (नैलुल औतार)

या'नी अपने ज़माने के उ़लमा में मैंने किसी आ़लिम को ये कहते नहीं सुना कि सलफ़े उम्मत में से कोई भी ईद से पहले या बाद में कोई नफ़्ल नमाज़ पढ़ता हो। हाँ ईद की नमाज़ पढ़कर और वापस घर आकर घर में दो रकअ़त नफ़्ल पढ़ना ष़ाबित है जैसा कि इब्ने माजा में ह़ज़रत अबू सईद (रज़ि.)से ष़ाबित है। वो कहते हैं, **अनिन्नबिय्यि ﷺ अन्नहू कान ला युसल्ली क़ब्लल्ईदि शैअन फ़इज़ा रजअ़ इला मन्ज़िलिही सल्ला रक्अ़तैनि.** (रवाहुब्नु माजा व अह़मद बिमअ़नाहू) या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने ईद से पहले कोई नफ़्ल नमाज़ नहीं पढ़ी। जब आप (ﷺ) अपने घर वापस हुए तो आपने दो रकअ़तें अदा कीं। इसको इब्ने माजा और अह़मद ने भी उसके क़रीब-क़रीब रिवायत किया है। अ़ल्लामा शौकानी (रह़.) फ़र्माते हैं, **व ह़दीषु अबी सईदिन अख़्रजहू अयज़न अल्हाकिमु व सह्हहू व ह़स्सनहुल्हाफ़िज़ु फिल्फ़तहि व फ़ी इस्नादिही अ़ब्दुल्लिहिब्नु मुह़म्मदिब्नि अक़ील व फ़ीहि मक़ालुन व फ़िल्बाबि अ़न अ़ब्दिल्लाहिब्नि अ़म्रिब्निल्आ़स इन्द इब्नि माजा बिनहवि ह़दीष़िब्नि अ़ब्बास.** (नैलुल औतार)

या'नी अबू सईद वाली ह़दीष़ को ह़ाकिम ने भी रिवायत किया है और उसको सह़ीह़ बतलाया है और ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़.) ने फ़त्ह़ुल बारी में उसकी तह़सीन की है और उसकी सनद में अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद बिन अ़क़ील एक रावी है जिनके बारे में कुछ कहा गया है और इस मसले में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अल आ़स की भी एक रिवायत ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत के मानिन्द (समान) है।

ख़ुलास़ा ये कि ईदगाह में सिर्फ़ नमाज़े ईद और ख़ुत्बा, नीज़ दुआ़ करना मसनून है। ईदगाह, मज़ीद नफ़्ल नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। ये तो वो मुक़ाम है जिसकी ह़ाज़िरी ही अल्लाह को इस क़दर मह़बूब है कि वो अपने बन्दों और बन्दियों को मैदाने ईदगाह में देखकर इस क़दर ख़ुश होता है कि सारे ह़ालात जानने के बावजूद भी अपने फ़रिश्तों से पूछता है कि ये मेरे बन्दे और बन्दियाँ आज यहाँ क्यूँ जमा हुए हैं? फ़रिश्ते कहते है कि ये तेरे मज़दूर हैं जिन्होंने रमज़ान में तेरा फ़र्ज़ अदा किया है, तेरी रज़ामन्दी के लिये रोज़े रखे हैं और अब इस मैदान में तुझसे मज़दूरी मांगने आए हैं। अल्लाह फ़र्माता है कि ऐ फ़रिश्तों! गवाह रहो मैंने इनको बख़्श दिया और इनके रोज़ों को कुबूल किया और इनकी दुआ़ओं को भी शर्फ़े कुबूलियत क़यामत तक के लिये अ़ता किया। फिर अल्लाह की तरफ़ से निदा होती है कि मेरे बन्दों! जाओ इस ह़ाल में कि तुम बख़्श दिये गए हो।

ख़ुलास़ा ये कि ईदगाह में ईद की नमाज़ के अ़लावा कोई नमाज़ न पढ़ी जाए यही उस्व-ए-ह़स्ना है और इसी में अज्रो-ष़वाब है। **वल्लाहु आ़लमु व इल्मुहू अतम्मु**

14. किताबुल वित्र

नमाज़-वित्र के मसाइल का बयान

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

और वित्र के मा'नी ताक़ या'नी बेजोड़ के हैं। ये एक मुस्तक़िल नमाज़ है जो इशा के बाद से फ़ज्र तक रात के किसी हिस्से में पढ़ी जा सकती है। इस नमाज़ की कम से कम एक रकअ़त, फिर तीन, पाँच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह रकअ़त तक पढ़ी जा सकती हैं। अहले ह़दीष़ और इमाम अह़मद और शाफ़िई और सब उ़लमा के नज़दीक वित्र सुन्नत है और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) उसको वाजिब कहते हैं। हालाँकि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के कलाम से ये ष़ाबित होता है कि वित्र सुन्नत है लेकिन इस मसले में इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) ने इन दोनों सह़ाबियों का भी ख़िलाफ़ किया है।

बाब 1 : वित्र का बयान

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

990. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह़.) ने नाफ़ेअ़ और अ़ब्दुल्लाह इब्ने दीनार से ख़बर दी और उन्हें ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से रात में नमाज़ के मुता'ल्लिक़ मा'लूम किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रात की नमाज़ दो-दो रकअ़त है। फिर जब कोई सुबह हो जाने से डरे तो एक रकअ़त पढ़ ले, वो उसकी सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी।
(राजेअ़ : 472)

٩٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)). [راجع: ٤٧٢]

991. और उसी सनद के साथ नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) वित्र की जब तीन रकअ़तें पढ़ते तो दो रकअ़त पढ़कर सलाम फेरते यहाँ तक कि ज़रूरत से बात भी करते।

٩٩١ - وَعَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.

तश्रीह : इस ह़दीष़ से दो बातें निकली एक ये कि रात की नमाज़ दो रकअ़त करके पढ़ना चाहिये। या'नी दो रकअ़त के बाद सलाम फेरे, दूसरी बात ये कि वित्र की एक रकअ़त भी पढ़ सकता है और ह़न्फ़िया ने उसमें ख़िलाफ़ किया है और उनकी दलील ज़ईफ़ है। सह़ीह़ ह़दीष़ों से वित्र की एक रकअ़त पढ़ना ष़ाबित है और तफ़्सील इमाम मुह़म्मद बिन नस्र मरहूम की किताब अल वित्र वन्नवाफ़िल में है। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

992. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे से मख़रमा बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे कुरैब ने और उन्हें ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी कि आप एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोए। (आपने कहा कि) मैं बिस्तर के अ़र्ज़ (आड़े) में लेट गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी बीवी लम्बाई में लेटे। आप (ﷺ) सो गए, जब आधी रात गुज़र गई या उसके लगभग तो आप (ﷺ) बेदार हुए, नींद के अ़षर को चेहरे-मुबारक पर हाथ फेर कर आपने दूर किया। उसके बाद आले-इमरान की दस आयतें पढ़ीं। फिर एक पुरानी मश्क पानी की भरी हुई लटक रही थी, आप (ﷺ) उसके पास गये और अच्छी त़रह वुज़ू किया और नमाज़ के लिये खड़े हो गये। मैंने भी ऐसा ही किया। आप (ﷺ) प्यार से अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखकर और मेरा कान पकड़कर उसे मलने लगे। फिर आप (ﷺ) ने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त, फिर दो रकअ़त सब बारह रकअ़तें फिर एक रकअ़त वित्र पढ़कर आप (ﷺ) लेट गए, यहाँ तक कि मोअज़्ज़िन सुबह स़ादिक़ की इत्तिला देने आया तो आप (ﷺ) ने फिर खड़े होकर दो रकअ़त सुन्नत नमाज़ पढ़ी। फिर बाहर तशरीफ़ लाए और सुबह की नमाज़ पढ़ाई।

٩٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ - وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ)).

तश्रीह़ : कुछ मुहद्दिष़ीन ने लिखा है कि चूँकि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बच्चे थे इसलिये ला इल्मी (नावाकिफ़ होने) की वजह से बाईं त़रफ़ खड़े हो गए। आँह़ुज़ूर (ﷺ) ने उनका कान बाईं त़रफ़ से दाईं त़रफ़ करने के लिये पकड़ा था। इस तफ़्सील के साथ भी रिवायतों में ज़िक्र है। लेकिन एक दूसरी रिवायत में है कि मेरा कान पकड़कर आप (ﷺ) इसलिये मलने लगे थे ताकि रात की तारीकी में आपके दस्ते मुबारक से मैं मानूस (परिचित) हो जाऊँ और घबराहट न हो, उससे मा'लूम होता है कि दोनों रिवायतें अलग हैं। आप (ﷺ) ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का कान बाईं से दाएँ त़रफ़ करने के लिये भी पकड़ा था और फिर तारीकी में उन्हें मानूस कराने के लिये आप (रज़ि .) का कान मलने भी लगे थे। आपको आपके वालिद ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने ह़ुज़ूर (ﷺ) के घर सोने के लिये भेजा था ताकि आपकी रात के वक़्त की इबादत की तफ़्सील एक ऐनी शाहिद (चश्मदीद गवाह) के ज़रिये मा'लूम करें चूँकि आप बच्चे थे और फिर आँह़ुज़ूर (ﷺ) की उनके यहाँ सोने की बारी थी। आप बेतकल्लुफ़ी के साथ चले गए और वहीं रात भर रहे। बचपने के बावजूद इंतिहाई ज़की फ़हीम थे। इसलिये सारी तफ़्सीलात याद रखीं। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

ये तहज्जुद की नमाज़ थी जिसमें आप (ﷺ) ने दो-दो रकअ़त करके बारह रकअ़त की तक्मील फ़र्माई, फिर एक रकअ़त वित्र पढ़ा। इस त़रह आप (ﷺ) ने तहज्जुद की तेरह रकअ़तें अदा कीं। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के बयान के मुताबिक़ आपकी रात की नमाज़ ग्यारह और तेरह से कभी ज़्यादा नहीं हुई। रमज़ान शरीफ़ में उसको तरावीह़ की शक्ल में अदा किया गया, उसकी हमेशा आठ रकअ़त सुन्नत और तीन वित्र या'नी कुल ग्यारह रकअ़त का षुबूत है जैसा कि पारा में मुफ़स्सल गुज़र चुका है।

993. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें उ़मर बिन ह़ारिष़ ने ख़बर दी, उनसे अ़ब्दुर्रह्मान बिन क़ासिम ने अपने बाप क़ासिम से बयान किया और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रात की नमाज़ में दो-दो रकअ़तें हैं और जब तू ख़त्म करना चाहे तो एक रकअ़त वित्र पढ़ ले जो सारी नमाज़ को ताक़ बना देगी। क़ासिम बिन मुहम्मद ने बयान किया कि हमने बहुत से लोगों को तीन रकअ़त पढ़ते भी पाया है और तीन या एक सब जाइज़ है और मुझको उम्मीद है कि किसी में क़बाहत न होगी।
(राजेअ़ : 472)

٩٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَارِثٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ)). قَالَ الْقَاسِمُ : وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلاَثٍ، وَإِنَّ كُلاً لَوَاسِعٌ، أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ. [راجع: ٤٧٢]

तश्रीह : ये क़ासिम ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) के पोते थे। बड़े आ़लिम और फ़क़ीह थे। इनके कलाम से उस शख़्स की ग़लती मा'लूम हो गई जो एक रकअ़त वित्र को दुरुस्त नहीं जानता है और मुझको ह़ैरत है कि स़ह़ीह़ ह़दीष़ें देखकर फिर कोई मुसलमान ये कैसे कहेगा कि एक रकअ़त वित्र दुरुस्त नहीं है।

इस रिवायत से अगरचे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का तीन रकअ़तें वित्र पढ़ना ष़ाबित होता है, मगर ह़न्फ़िया के लिये कुछ भी मुफ़ीद नहीं क्योंकि इसमें ये नहीं है कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) हमेशा वित्र की तीन रकअ़तें पढ़ते थे। अलावा भी उसके दो सलाम से तीन रकअ़तें वित्र की ष़ाबित हैं और ह़न्फ़िया एक सलाम से कहते हैं (मौलाना वह़ीदी)। यही अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) हैं जिनसे स़ह़ीह़ मुस्लिम शरीफ़ पेज नं. 257 में स़राह़तन एक रकअ़त वित्र ष़ाबित है। **अन अ़ब्दिल्लाहिब्नि उ़मर क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ अल्वित्रु रक्अ़तुम्मिन आख़िरिल्लैलि.** (रवाहु मुस्लिम) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि वित्र पिछली रात में एक रकअ़त है। दूसरी ह़दीष़ में मज़ीद वज़ाह़त मौजूद है, **अन अय्यूब रज़ि. क़ाल, क़ाल रसूलुल्लाहि ﷺ अल्वित्रु ह़क़्क़ुन अ़ला कुल्लि मुस्लिमिन व मन अह़ब्बु अंय्यूतिर बिख़म्सिन फ़लियफ़्अ़ल व मन अह़ब्बु अंय्यूतिर बिष़लाष़िन फ़लियफ्अ़ल व मन अह़ब्बु अंय्यूतिर बिवाहिदतिन फ़लियफ़्अ़ल.** (रवाहु अबू दाऊद वन्नसाई वब्नु माजा) या'नी ह़ज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि वित्र की नमाज़ ह़क़ है जो हर मुस्लिम के लिये ज़रूरी है और जो चाहे पाँच रकआ़त वित्र पढ़ ले जो चाहे तीन रकआ़त और जो चाहे एक रकअ़त वित्र पढ़ ले। और भी इस क़िस्म की कई रिवायाते मुख़्तलिफ़ा कुतुबे अह़ादीष़ में है। इसीलिये ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह शैख़ुल ह़दीष़, इस ह़दीष़े ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) के लफ़्ज़ **व यूतिर बिवाहिदतिन** (आप ﷺ एक रकअ़त वित्र पढ़ते) के बारे में फ़र्माते हैं, **फ़ीहि अन्न अक़ल्लल्वित्रि रक्अ़तुन व अन्नर्रक्अ़तल्फ़र्दत स़लातुन स़ह़ीह़तुन व हुव मज़्हबुल्अइम्मतिष़्ष़लाष़ति व हुवल्ह़क़्क़ु व क़ाल अबू ह़नीफ़त ला यस़्लुहुल्ईतारु बिवाहिदतिन फ़ला तकूनुर्रक्अ़ल्वाहिदतु स़लातन कत्तु क़ालन्नववी वल्अह़ादीषुस़्स़ह़ीह़तु तरुद्दु अ़लैहि** (मिर्आ़त, जिल्द नं. 2/पेज नं. 158) या'नी इस ह़दीष़ में दलील है कि वित्र की कम अज़ कम एक रकअ़त है और ये कि एक रकअ़त पढ़ना भी नमाज़े स़ह़ीह़ है। अइम्म-ए-ष़लाष़ा का यही मज़हब है और यही ह़क़ है (अइम्म-ए-ष़लाष़ा से ह़ज़रत इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अह़मद बिन ह़ंबल रह़. मुराद हैं)। ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह़.) फ़र्माते हैं कि एक रकअ़त वित्र स़ह़ीह़ नहीं है क्योंकि एक रकअ़त नमाज़ ही नहीं होती। इमाम नववी फ़र्माते हैं कि अह़ादीषे स़ह़ीह़ा से ह़ज़रत इमाम के इस क़ौल की तर्दीद होती है।

वित्र के वाजिब फ़र्ज़ सुन्नत होने के बारे में भी इख़्तिलाफ़ है, इस बारे में हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी (रह.) फ़र्माते हैं कि **वल्हक़्क़ु अन्नल्वित्र सुन्नतुन हुव औकदुस्सुननि बय्यनहू अलिय्युन वब्नु उमर व उबादतब्निस्सामित रज़ि.** और हक़ ये है कि नमाज़े वित्र सुन्नत है और वो सब सुन्नतों से ज़्यादा मुअक्कद हैं। हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) ने ऐसा ही बयान किया है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द नं. 2/ पेज नं. 64)

वित्र तीन रकअत पढ़ने की सूरत में पहली रकअत में सूरह **सब्बिहिस्म रब्बिकल्आला** और दूसरी रकअत में **क़ुल या अय्युहल काफ़िरून** और तीसरी में **क़ुल हुवल्लाहु अहद** पढ़ना मसनून है। वित्र के बाद बआवाज़े बुलन्द तीन बार **सुब्हानल मलिकुल क़ुद्दूस** का लफ़्ज़ अदा करना भी मसनून है। एक रकअत वित्र के बारे में मज़ीद तफ़्सीलात हज़रत नवाब हसन साहब (रह.) की मशहूर किताब **हिदायतुस्साइल इला अदिल्लतिल्मसाइल** मत्बूआ भोपाल, पेज नं. 255 पर मुलाहज़ा की जा सकती है।

994. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझ से उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग्यारह रकअतें (वित्र और तहज्जुद की) पढ़ते थे, आप (ﷺ) की यही नमाज़ थी। मुराद उनकी रात की नमाज़ थी। आपका सज्दा उन रकअतों में इतना लम्बा होता था कि सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख़्स भी पचास आयतें पढ़ सकता और फ़ज्र की नमाज़े-फ़र्ज़ से पहले आप सुन्नत दो रकअत पढ़ते थे उसके बाद (ज़रा देर) दाहिने पहलू पर लेटे रहते यहाँ तक कि मोअज़्ज़िन बुलाने के लिये आप के पास आता।

(राजेअ: 626)

٩٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ)).

[راجع: ٦٢٦]

तश्रीह : पस ग्यारह रकअतें इंतिहा हैं। वित्र की दूसरी हदीष में है कि आँहज़रत (ﷺ) रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में कभी ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अब इब्ने अब्बास (रज़ि.) की हदीष में जो तेरह रकअतें मज़्कूर हैं तो उसकी रू से कुछ ने इंतिहा वित्र की तेरह रकअतें क़रार दी हैं। कुछ ने कहा उनमें दो रकअतें इशा की सुन्नत थीं तो वित्र की वही ग्यारह रकअतें हुई। ग़र्ज़ वित्र की एक रकअत से लेकर तीन, पांच, नौ, ग्यारह रकअतों तक मन्क़ूल है। कुछ कहते हैं कि उन ग्यारह रकअतों में आठ तहज्जुद की थीं और तीन रकअतें वित्र की और सहीह ये है कि तरावीह तहज्जुद वित्र सलातुल लैल सब एक ही हैं। (वहीदुज़्ज़माँ रह.)

बाब 2 : वित्र पढ़ने के अवक़ात का बयान

٢- بَابُ سَاعَاتِ الْوِتْرِ

और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ये वसिय्यत फ़र्माई कि सोने से पहले वित्र पढ़ लिया करो।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.

995. हमसे अबू नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा कि नमाज़े

٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ

سِيْرِيْنَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ)) قَالَ حَمَّادٌ : أَيْ بِسُرْعَةٍ.

[راجع: ٤٧٢]

सुबह से पहले की दो रकअतों के मुता'ल्लिक़ आपका क्या ख़याल है? क्या मैं उनमें लम्बी क़िरअत कर सकता हूँ? उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) तो रात की नमाज़ (तहज्जुद) दो-दो रकअत करके पढ़ते थे फिर दो रकअत (सुन्नते-फ़ज्र) तो इस तरह पढ़ते गोया, अज़ान (इक़ामत) की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है। हम्माद की इससे मुराद ये है कि आप (ﷺ) जल्दी पढ़ लेते।

(राजेअ : 472)

तश्रीह : इस सिलसिले की अहादीष़ का ख़ुलासा ये है कि इशा के बाद सारी रात वित्र के लिये है। तुलूअे सुबह सादिक़ से पहले जिस वक़्त भी चाहे पढ़ सकता है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का मामूल आख़िरी रात में सलातुल लैल के बाद उसे पढ़ने का था। अबूबक्र (रज़ि.) को आख़िर रात में उठने का पूरी तरह यक़ीन नहीं होता था, इसलिये वो इशा के बाद ही पढ़ लिया करते थे और उमर (रज़ि.) का मामूल आख़िर रात में पढ़ने का था।

इस हदीष़ के ज़ेल में अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **वल्हदीषु यदुल्लु अला मशरूइय्यतिल्ईतारि बिरकअतिन वाहिदतिन इन्द मख़ाफ़ति हुजूमिस्सुब्हि व सयाती मा यदुल्लु अला मशरूईय्यति ज़ालिक मिन ग़ैरि तक़ईदिन व क़द ज़हब इला ज़ालिक अल्जुम्हूरु क़ालल्इराक़ी व मिम्मन कान यूतिरु बिरकअतिन मिनस्सहाबति अल्ख़ुलफ़ाउल अर्बअतु** या'नी इस हदीष़ से एक रकअत वित्र मशरूअन ष़ाबित हुआ, जब सुबह की पौ फटने का डर हो और अन्क़रीब दूसरे दलाइल आ रहे हैं जिनसे उस क़ैद के बग़ैर ही एक रकअत वित्र की मशरूइयत ष़ाबित है और एक रकअत वित्र पढ़ना ख़ुल्फ़-ए-अरबअ (हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़, उमर, उष़्मान ग़नी, व अली मुर्तज़ा रज़ि.) और सअद बिन अबी वक़्क़ास बीस सहाबा किराम से ष़ाबित है। यहाँ अल्लामा शौकानी ने सबके नाम तहरीर फ़र्माए हैं और तक़रीबन बीस ही ताबेईन व तबअ ताबेईन व अइम्म-ए-दीन के नाम भी तहरीर फ़र्माए हैं जो एक रकअत वित्र पढ़ते थे।

हन्फ़िया के दलाइल :—अल्लामा ने हन्फ़िया के उन दलाइल का जवाब दिया है जो एक रकअत वित्र के क़ाइल नहीं जिनकी पहली दलील हदीष़ ये है, **अन मुहम्मदिब्नि कअबिन अन्नन नबिय्य ﷺ नहा अनिल्बतीरा** या'नी रसूले करीम (ﷺ) ने **बतीरा** नमाज़ से मना फ़र्माया लफ़्ज़ **बतीरा** दुमकटी नमाज़ को कहते हैं। इराक़ी ने कहा ये हदीष़ मुर्सल और ज़ईफ़ है। अल्लामा इब्ने हज़्म ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) से नमाज़ **बतीरा** की नह्य ष़ाबित नहीं और कहा कि मुहम्मद बिन कअब की हदीष़ बावजूद ये कि इस्तिदलाल के क़ाबिल नहीं मगर उसमें भी **बतीरा** का बयान नहीं है बल्कि हमने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से, उन्होंने सुफ़यान बिन उययना से, उन्होंने आ'मश से, उन्होंन सईद बिन जुबैर से, उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया कि **बतीरा** तीन रकअत वित्र भी **बतीरा** (या'नी दुमकटी) नमाज़ है **फ़आदल्बतीरा अलल्मुहतजि बिल्ख़बरिल्काज़िबि फ़ीहा।**

हन्फ़िया की दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का ये क़ौल है **अन्नहू क़ाल मा अज़्ज़अत रक्अतुन क़त्तु** या'नी एक रकअत नमाज़ कभी भी काफ़ी नहीं होती। इमाम नववी शरहे मुहज़्ज़ब में फ़र्माते हैं कि ये अष़र अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से ष़ाबित नहीं है अगर उसको दुरुस्त भी माना जाए तो उसका ता'ल्लुक़ हज़रत इब्ने अब्बास के उस क़ौल की तर्दीद करना था। आपने फ़र्माया था कि हालते ख़ौफ़ में चार फ़र्ज़ नमाज़ों में एक ही रकअत काफ़ी है। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि एक रकअत काफ़ी नहीं है। अल ग़र्ज़ इस क़ौल से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं और उसका ता'ल्लुक़ सलाते ख़ौफ़ की एक रकअत से है। इब्ने अबी शैबा में है एक बार वलीद बिन उक़्बा अमीरे मक्का के यहाँ हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) काफ़ी देर तक गुफ़्तगू करते रहे। जब वहाँ से वो निकले तो उन्हों ने वो नमाज़ (वित्र) एक एक रकअ त अदा की (नैलुल औतार)

बड़ी मुश्किल! यहाँ बुख़ारी शरीफ़ में जिन–जिन रिवायात में एक रकअ़त वित्र का ज़िक्र आया है एक रकअ़त वित्र के साथ उनका तर्जुमा करने में उन हन्फ़ी हज़रात को जो आजकल बुख़ारी शरीफ़ के तर्जुमे शाऐ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल पेश आई है और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि तर्जुमा इस तरह किया जाए कि एक रकअ़त वित्र पढ़ने का लफ़्ज़ ही न आने पाए इस तौर पर उससे एक रकअ़त वित्र का षुबूत हो सके इस कोशिश के लिये उनकी मेहनत क़ाबिले दाद है और अहले इल्म के मुतालेअ़ के क़ाबिल, मगर उन बुज़ुर्गों को मा'लूम होना चाहिये कि बनावटी व तकल्लुफ़ व इबारत आराई से हक़ीक़त पर पर्दा डालना कोई दानिशमन्दी नहीं है।

996. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुस्लिम बिन कैसान ने बयान किया, उनसे मसरूक़ ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात के हर हिस़्से में वित्र पढ़ी है और आख़िर में आपका वित्र सुबह के क़रीब पहुँचा।

٩٩٦ – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ)).

तशरीह : दूसरी रिवायतों में है कि वित्र आपने अव्वल शब में भी पढ़ी और बीच रात में भी और आख़िर रात में भी। गोया इशा की नमाज़ के बाद से सुबह़ स़ादिक़ के पहले तक वित्र पढ़ना आप (ﷺ) से ष़ाबित है। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह़.) ने लिखा है कि मुख़्तलिफ़ ह़ालात में आप (ﷺ) ने वित्र मुख़्तलिफ़ औक़ात में पढ़ी है। ग़ालिबन तकलीफ़ और मर्ज़ वग़ैरह में अव्वल रात में पढ़ते थे और मुसाफ़िरी की ह़ालत में बीच रात में लेकिन आ़म मामूल आप (ﷺ) का उसे आख़िर रात में पढ़ने का था (तफ़्हीमुल बुख़ारी)। रसूले करीम (ﷺ) ने उम्मत की आसानी के लिये इशा के बाद रात में जब भी मुम्किन हो वित्र पढ़ना जाइज़ क़रार दिया है।

बाब 3 : वित्र के लिये नबी करीम (ﷺ) का घरवालों को जगाना

٣– بَابُ إِيْقَاظِ النَّبِيِّ ﷺ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ

997. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, कहा कि मुझ से मेरे बाप ने आइशा (रज़ि.) से बयान किया कि आपने फ़र्माया नबी करीम ﷺ (तहज्जुद की) नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आप (ﷺ) के बिस्तर पर अ़र्ज़ में लेटी रहती। जब वित्र पढ़ने लगते तो मुझे भी जगा देते और मैं भी वित्र पढ़ लेती। (राजेअ़ : 372)

٩٩٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ)). [راجع: ٣٨٢]

बाब 4 : नमाज़े-वित्र रात की तमाम नमाज़ों के बाद पढ़ी जाए

٤– بَابُ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا

998. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने उनसे नाफ़ेअ़ ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से बयान किया और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि वित्र रात की तमाम नमाज़ों के बाद पढ़ा करो।

٩٩٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)).

बाब 5 : नमाज़े-वित्र सवारी पर पढ़ने का बयान

٥– بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

999. हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे

٩٩٩ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: ((كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَقَالَ سَعِيْدٌ : فَلَمَّا خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللهِ قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ)).

[أطرافه في : ١٠٠٠، ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥].

इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन उमर बिन अ़ब्दुर्रह्मान बिन उमर बिन ख़त्ताब से बयान किया और उनको सईद बिन यसार ने बतलाया कि मैं अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के साथ मक्का के रास्ते में था। सईद ने कहा कि जब रात में मुझे तुलुऐ-फ़ज्र का ख़तरा हुआ तो सवारी से उतर कर मैंने वित्र पढ़ लिया और फिर अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से जा मिला। आपने पूछा कि कहाँ रुक गये थे? मैंने कहा कि अब सुबह का वक़्त होने ही वाला था इसलिये मैं सवारी से उतर कर वित्र पढ़ने लगा। इस पर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने फ़र्माया कि क्या तुम्हारे लिये नबी करीम (ﷺ) का अ़मल अच्छा नमूना नहीं है। मैंने अ़र्ज़ किया बेशक! आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) तो ऊँट ही पर वित्र पढ़ लिया करते थे।

(दीगर मक़ामात : 1000, 1090, 1096, 1098, 1105)

मा'लूम हुआ कि रसूले करीम (ﷺ) का उस्व-ए-हस्ना ही बहरेहाल क़ाबिले इक़्तिदा और बाइ़षे सद बरकात है।

٦- بَابُ الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

बाब 6 : नमाज़े-वित्र सफ़र में भी पढ़ना

١٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِيءُ إِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ، وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ)).

[راجع: ٩٩٩]

1000. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे जुवेरिया बिन अस्मा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) सफ़र में अपनी सवारी ही पर रात की नमाज़ इशारों से पढ़ लेते थे, ख़्वाह सवारी का रुख़ किस तरफ़ हो जाता आप (ﷺ) इशारों से पढ़ते रहते मगर फ़राइज़ इस तरह नहीं पढ़ते थे और वित्र अपनी ऊँटनी पर पढ़ लेते थे। (राजेअ़ : 999)

٧- بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

बाब 7 : (वित्र और हर नमाज़ में) कुनूत रुकूअ़ से पहले और रुकूअ़ के बाद पढ़ सकते हैं

١٠٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

1001. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने उनसे मुहम्मद

बिन सीरीन ने, उन्होंने कहा कि अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा गया कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ा है? आपने फ़र्माया कि हाँ! फिर पूछा गया कि क्या रुकूअ से पहले? तो आपने फ़र्माया कि रुकूअ के बाद थोड़े दिनों तक।

(दीगर मक़ामात : 1002, 1003, 1300, 3801, 3814, 3064, 3170, 4088, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 6394, 7341)

((سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيْلَ لَهُ أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيْرًا)).

[أطرافه في: ١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٣٠٠، ٢٨٠١، ٢٨١٤، ٣٠٦٤، ٣١٧٠، ٤٠٨٨، ٤٠٩٠، ٤٠٩١، ٤٠٩٢، ٤٠٩٣، ٤٠٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦، ٦٣٩٤، ٧٣٤١].

सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ना शाफ़िइया के यहाँ ज़रूरी है। इसलिये वो उसके तर्क होने पर सज्द-ए-सह्व करते हैं। हन्फ़िया के यहाँ सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ना मकरूह है। अहले हदीष़ के यहाँ गाहे बगाहे कुनूत पढ़ लेना भी जाइज़ और तर्क करना भी जाइज़ है। इसीलिये मसलके अहले हदीष़ इफ़रात व तफ़रीत़ से हटकर एक सिराते मुस्तक़ीम का नाम है। अल्लाह पाक हमको सच्चा अहले हदीष़ बनाए। (आमीन)

1002. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे आ़स़िम बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से कुनूत के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया, दुआ–ए–कुनूत (हुज़ूरे-अकरम ﷺ के दौर में) पढ़ी जाती थी, मैंने पूछा कि रुकूअ से पहले या उसके बाद? आपने फ़र्माया कि रुकूअ से पहले। आ़स़िम ने कहा कि आप ही के हवाले से फलाँ शख़्स ने ख़बर दी है कि आपने रुकूअ के बाद फ़र्माया था। इसका जवाब हज़रत अनस (रज़ि.) ने ये दिया उन्होंने ग़लत समझा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रुकूअ के बाद सिर्फ़ एक महीना दुआ-ए-कुनूत पढ़ी थी। हुआ ये था कि आप (ﷺ) ने स़हाबा (रज़ि.) में से सत्तर क़ारियों के क़रीब मुश्रिकों की एक क़ौम (बनू आमिर) की तरफ़ से उनकी ता'लीम देने के लिये भेजे थे, ये लोग उनके सिवा थे जिन पर आपने बद-दुआ की थी। उनमें और आँहज़रत (ﷺ) के दरम्यान अ़हद था, लेकिन उन्होंने अ़हदशिकनी की (और क़ारियों को मार डाला) तो आँहज़रत (ﷺ) एक महीना तक (रुकूअ के बाद) कुनूत पढ़ते रहे, उन पर बद्दुआ करते रहे।

(राजेअ : 1001)

١٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ : كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِيْنَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ١٠٠١]

1003. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे

ज़ाएदा ने बयान किया, उनसे तैमी ने, उनसे अबू मिजलज़ ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक महीना तक दुआ–ए–कुनूत पढ़ी और उसमें क़बाइले रअल व ज़क्वान पर बद-दुआ की थी। (राजेअ : 1001)

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ)). [راجع: ١٠٠١]

1004. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमें इस्माईल बिन अलिया ने ख़बर दी, कहा कि हमें ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने ख़बर दी, उन्हें अबू क़िलाबा ने, उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने, आपने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) के अहद में कुनूत मग़रिब और फ़ज्र में पढ़ी जाती थी।

١٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ)).

मगर इन हदीषों में जो इमाम बुख़ारी इस बाब में लाए ख़ास वित्र में कुनूत पढ़ने का ज़िक्र नहीं है मगर जब फ़र्ज़ नमाज़ों में कुनूत पढ़ना जाइज़ हुआ तो वित्र में बतरीक़े औला जाइज़ होगा। कुछ ने कहा मग़रिब दिन का वित्र है जब उसमें कुनूत पढ़ना षाबित हुआ तो रात के वित्र में भी षाबित हुआ। हासिल ये है कि इमामे बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर उन लोगों का रद्द किया जो कुनूत को बिदअत कहते हैं। गुज़िश्ता हदीष के ज़ेल में मौलाना वहीदुज़्ज़माँ साहब (रह.) फ़र्माते है,

या'नी एक महीना तक अहले हदीष का मज़हब ये है कि कुनूत रुकूअ से पहले और रुकूअ के बाद दोनों तरह दुरुस्त है और सुबह की नमाज़ और इसी तरह हर नमाज़ में जब मुसलमानों पर कोई आफ़त आए कुनूत पढ़ना चाहिये। अब्दुर्रज़्ज़ाक़ और हाकिम ने ब-इस्नादे सहीह रिवायत किया है कि आँहज़रत (ﷺ) सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ते रहे यहाँ तक कि दुनिया से तशरीफ़ ले गए। शाफ़िई कहते हैं कि कुनूत हमेशा रुकूअ के बाद पढ़े और हन्फ़ी कहते हैं कि हमेशा रुकूअ से पहले पढ़ें। और अहले हदीष सब सुन्नतों का मज़ा लूटते हैं। गुज़िश्ता हदीष से ये भी मा'लूम हुआ कि काफ़िरों और ज़ालिमों पर नमाज़ में बद्दुआ करने से नमाज़ में कोई ख़लल नहीं आता। आपने उन क़ारियों को नजद वालों की तरफ़ भेजा था। राह में बीरे मऊना पर ये लोग उतरे तो आमिर बिन तुफ़ैल ने रअल और ज़क्वान और अस्बा के लोगों को लेकर उन पर हमला किया। हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) से और उनसे अहद था लेकिन उन्होंने दग़ा की। कुनूत की सहीह दुआ ये है जो हज़रत हसन (रज़ि.) वित्र में पढ़ा करते थे।

अल्लाहुम्मह्दिनी फ़ीमन हदैत, व आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत व क़िनी शर्रमा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़्ज़ी व ला युक़्ज़ा अलैक व इन्नहू ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन अआदैत तबारक्त रब्बना व तआलैत. नस्तग़फ़िरुक व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद

ये दुआ भी मन्क़ूल है, **अल्लाहुम्मग़फ़िर्लना व लिल्मूमिनीन वल्मूमिनाति वल्मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात. अल्लाहुम्म अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वन्सुरहुम अला अदुव्विक व अदुव्विहिम. अल्लाहुम्म अल्इनिल्लज़ीन यसुद्दुन अन सबीलिक व युक़ातिलून औलियाअक. अल्लाहुम्म ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़्दामहुम व अन्ज़िल बिहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दुहू अनिल्क़ौमिल मुज्रिमीन. अल्लाहुम्म अन्ज़िल मुस्तज़्अफ़ीन मिनल मूमिनीन. अल्लाहुम्मश्दुद वतातक अला फुलानिन वज्अल्ना अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ़.**

फ़ला की जगह उस शख़्स का या उस क़ौम का नाम ले जिस पर बद्दुआ करना मंज़ूर हो। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ)

15. किताबुल इस्तिस्क़ा

इस्तिस्क़ा या 'नी पानी मांगने के अबवाब

بسم الله الرحمن الرحيم

तशरीह : इस्तिस्क़ाअ की तशरीह में हज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष़ (रह.) फ़र्माते हैं, **व हुव लुगतन तलैबु सक़्ल्माइ मिनल्गैरि लिन्नफ़्सि औ लिगैरिन व शर्अन तलबुहू मिनल्लाहि इन्द हुसूलिल्जदबि अ़लल्वज्हिल्मुबय्यनि फिल्अहादीषि क़ालल्जज़्री फिन्निहायति हुव इस्तिफ़आलुम्मिन तलबिस्सुक़्या अय इन्ज़ालुल्गैबि अ़ल्बिलादि वलल्इबादि युक़ालू सकल्लाहु इबादहूल्गैष़ व अस्क़ाहुम वल्इस्मुस्सुक़्या बिज़्ज़म्मि वस्तक़ैतु फ़ुलानन इज़ा तलब्त मिन्हु अंय्यस्क़ीक इन्तिहा क़ालल्क़स्तलानी अल्इस्तिस्काउ षलाषत अन्वाईन अहदुहा व हुव (अदनाहा) अंय्यकून बिदुआइ मुत्लक़न अय मिन गैरिस़लातिन फ़रादा औ मुज्तमिईन व षानीहा व हुव अफ़्ज़ लु मिनल्अव्वलि अंय्यकून बिदुआइ खल्फ़स्सलवाति व लौ नाफिलतन कमा फिल्बयानि व गैरिही अनिल्अस्हाबि खिलाफ़न लिमा वक़अ फी शर्हि मुस्लिम मिन तक़्ईदिही बिल्फ़राइज़ि व फी खुत्बतिल्जुम्अति व षालिषुहा (वहुव अक्मलुहा व अफ़ज़लुहा) अय्यंकून बिस़लाति रक्अतैनि वलखुत्बतैनि क़ालन्नववी यताहबु क़ब्लहू लिसदक़तिन व स़ियामिन व तौबतिन व इक़्बालिन अलल्खैरि व मुजान बतिश्शर्रि व नहवि ज़ालिक मिन त़ाअतिल्लाहि कालश्शाह वलीउल्लाह अद्दिहल्वी कदिस्तस्कन्नबिय्यु (ﷺ) लिउम्मतिही मर्रातिन अ़ला अन्हाइन कषीरतिन लाकिन्नल्वज्हल्लज़ी सन्नहू लिउम्मतिही अन्न खरजन्नासु इलल्मुसल्ला मुब्तजिलन मुतवाज़िअन मुतज़र्रिअन फ़सल्ला बिहिम रक्अतैनि ज़हर फीहिमा बिल्किराति षुम्म खतब वस्तक़्बल फीहल्क़िब्लत यदऊ व यर्फ़उ यदैहि व हव्वल रिदाअहू व ज़ालिक लिअन्न लिइज्तिमाइल्मुस्लिमीन फी मकानिन वाहिदिन रागिबीन फी शैइन वाहिदिन बिअक़्सा हिममिहिम व इस्तिग़फ़ारिहिम व फ़िअलिहिमिल्खैरात अषरन फी इस्तिजाबतिदुआइ वस़्सलातु अक्रबु अह्वालल्अब्दि मिनल्लाहि व रफ़उल्यदैनि हिकायतन मिनत्तर्जरूइत्ताम्मि वल्इब्तिहालिल्अज़ीमि तनब्बुहुन्नफ़्सि अ़लत्तखश्शुइ व तहविलि रिदाइही हिकायतन अन तक़ल्लुबि अहवालिहिम कमा यफ़अलुल्लमुस्तगीषु बिहज़्रतिल्मुलूकि इन्तिहा.** (मिर्आत जिल्द 2, सफ़ा : 290)

ख़ुलासा इस इबारत का ये है कि इस्तिस्क़ाअ लुग़त में किसी से अपने लिये या किसी ग़ैर के लिये पानी मांगना और शरीअ़त में क़हत़साली (अकाल) के वक़्त अल्लाह से बारिश की दुआ़ करना। जिन-जिन त़रीक़ों से अहादीष़ में वारिद है।इमाम जज़्री (रह.) ने निहाया में कहा है कि शहरों और बन्दों के लिये अल्लाह से बारिश की दुआ करना। मुहावरा है अल्लाह अपने बन्दों को बारिश से सैराब फ़र्माए। क़स्तलानी ने कहा कि इस्तिस्क़ाअ शरई के तीन त़रीक़े हैं। अव्वल त़रीक़ा जो अदनातरीन है ये कि मुत्लक़न बारिश की दुआ की जाए इन लफ़्ज़ों में, **अल्लाहुम्म अस्क़ि इबादक व बहीमतक वन्शुर रहमतक वहयि बलदकल्मय्यत** या अल्लाह! अपने बन्दों को और अपने जानवरों को बारिश से सैराब कर दे और अपनी बाराने रहमत को फैला और मुर्दा खेतियों को हरा-भरा सरसब्ज़ व शादाब कर दे। ये दुआ नमाज़ों के बाद हो या बग़ैर नमाज़ों के। तन्हा दुआ की जाए या इज्तिमाई हालत में। बहरहाल पहली सूरत ये है दूसरी सूरत जो अव्वल से अफ़ज़ल है ये कि नफ़्ल और फ़र्ज़ नमाज़ों

के बाद और ख़ुत्ब-ए-जुम्आ में दुआ की जाए और तीसरी कामिलतरीन सूरत ये है कि इमाम तमाम मुसलमानों को हमराह लेकर मैदान में जाए और वहाँ दो रकअत और ख़ुत्बों से फ़ारिग़ होकर दुआ की जाए और मुनासिब है कि इससे पहले कुछ सदक़ा-ख़ैरात, तौबा और नेक काम किये जाएँ। हज़रत शाह वलीउल्लाह मरहूम फ़र्माते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत के लिये कई तरीक़ों से बारिश की दुआ की है। लेकिन जो तरीक़ा अपनी उम्मत के लिये मसनून क़रार दिया वो ये कि इमाम लोगों को साथ लेकर निहायत ही फ़क़ीरी-मिस्कीनी हालत में, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ की हालत में ईदगाह जाए। वहाँ दो रकअत जहरी पढ़ाए और ख़ुत्बा पढ़े, फिर क़िब्ला रुख़ होकर हाथों को बुलन्द उठाकर दुआ करे और चादर को उलटे। इस तरह मुसलमानों के जमा होने और इस्तिग़फ़ार वग़ैरह करने में क़ुबूलियत की दुआ के लिये एक ख़ास असर है और नमाज़ वो चीज़ है जिससे बन्दे को अल्लाह से हद दर्जा क़ुर्ब हासिल होता है और हाथों का उठाना तज़र्रूए ताम ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के लिये नफ़्स की होशियारी की दलील है और चादर का उलटाना हालात के तब्दील होने की दलील है जैसाकि फ़रियादी बादशाहों के सामने किया करते हैं। मज़ीद तफ़सीलात आगे आ रही हैं।

बाब 1: पानी माँगना और नबी करीम (ﷺ) का पानी के लिये (जंगल में) निकलना

١ - بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الإِسْتِسْقَاءِ

(1005) हमसे अबू नुऐम फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान स़ौरी ने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से बयान किया। उनसे अब्बाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि नबी करीम (ﷺ) पानी की दुआ करने के लिये तशरीफ़ ले गए और अपनी चादर उलटाई।

(दीगर मक़ाम : 1011, 1012, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 6343)

١٠٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ)).

[أطرافه في: ١٠١١، ١٠١٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ٦٣٤٣].

चादर उलटने की कैफ़ियत आगे आएगी और अहले हदीस़ और अकस़र फ़ुक़हा का ये क़ौल है कि इमाम इस्तिस्क़ाअ के लिये निकले तो दो रकअत नमाज़ पढ़े फिर दुआ और इस्तिग़फ़ार करे।

बाब 2 : नबी करीम (ﷺ) का क़ुरैश के काफ़िरों पर बद्दुआ करना कि इलाही उनके साल ऐसे कर दें जैसे यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के साल (क़हत) के गुज़रे हैं

٢- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ((اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ))

(1006) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुग़ीरह बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबुज़िनाद ने बयान किया, उनसे अअरज ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब सरे मुबारक आख़िरी रकअत (के रुकूअ) से उठाते तो यूँ फ़र्माया करते कि या अल्लाह! अय्याश बिन अबी रबीआ को छुड़वा दे। या अल्लाह! सलमा बिन हिशाम

١٠٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ

أَنجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، اللَّهُمَّ أَنجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ)). وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ)).

قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ. [راجع: ٧٩٧]

को छुड़वा दे। या अल्लाह! वलीद बिन वलीद को छुड़वा दे। या अल्लाह! बेबस नातवाँ मुसलमानों को छुड़वा दे। या अल्लाह! मुज़र के काफ़िरों को सख़्त पकड़। या अल्लाह! उनके साल यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के (ज़माने जैसे) साल कर दे। और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया ग़िफ़ार की क़ौम को अल्लाह ने बख़्श दिया और असलम की क़ौम को अल्लाह ने सलामत रखा।

इब्ने अबिज़्ज़िनाद ने अपने बाप से सुबह की नमाज़ में यही दुआ नक़ल की।

(राजेअ : 797)

١٠٠٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا قَالَ: ((اللَّهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوسُفَ)). فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ، وَيَنْظُرَ أَحَدُهُم إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ. فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ لَهُمْ. قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ﴾ - إِلَى قَوْلِهِ - ﴿عَائِدُونَ. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَآيَةُ الرُّوْمِ.

[أطرافه في : ١٠٢٠، ٤٦٩٣، ٤٧٦٧، ٤٧٧٤، ٤٨٠٩، ٤٨٢٠، ٤٨٢١،

(1007) हमसे इमाम हुमैदी (रह.) ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे सुलैमान आ'मश ने, उनसे अबुज़्ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द ने (दूसरी सनद) हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अ़ब्दुल हुमैद ने मंसूर बिन मसऊ़द बिन मुअ़तमिर से बयान किया और उनसे अबुज़्ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने, उन्होंने बयान किया कि हम अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की ख़िदमत में बैठे हुए थे। आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने जब कुफ़्फ़ारे क़ुरैश की सरकशी देखी तो आप (ﷺ) ने बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह! सात बरस का क़ह़त इन पर भेज जैसे यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के वक़्त में भेजा था चुनाँचे ऐसा क़ह़त पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मुरदार तक खा लिये। भूख की शिद्दत का ये आ़लम था कि आसमान की त़रफ़ नज़र उठाई जाती तो धुंए की त़रह मा'लूम होता था आख़िर मजबूर होकर अबू सुफ़यान ह़ाज़िरे ख़िदमत हुए और कहा कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! आप लोगों को अल्लाह की इत़ाअ़त और स़िलारहमी का हुक्म देते हैं। अब तो आप ही की क़ौम बर्बाद हो रही है, इसलिये आप (ﷺ) अल्लाह से उनके ह़क़ में दुआ कीजिए। अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि उस दिन का इंतिज़ार कर जब आसमान स़ाफ़ धुंआ नज़र आएगा; आयत 'इन्नकुम आ़इदून' तक (नीज़) जब मैं सख़्ती से उनकी गिरफ़्त करूंगा (कुफ़्फ़ार की) सख़्त गिरफ़्त बद्र की लड़ाई में हुई। धुंए का भी मामला गुज़र चुका (जब सख़्त क़ह़त पड़ा था) जिसमें पकड़ और क़ैद का ज़िक्र है वो सब हो चुके उसी

तरह सूरह रूम की आयत में जो ज़िक्र है वो भी हो चुका। (दीगर मक़ाम : 1020, 4693, 4767, 4774, 4809, 4820, 4821, 4822, 4823, 2824, 4825)

.[٤٨٢٢، ٤٨٢٣، ٢٨٢٤، ٤٨٢٥]

तशरीह : ये हिज्रत से पहले का वाक़िआ है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मक्का ही में थे। क़हत की शिद्दत का ये आलम था कि क़हतज़दा (अकालग्रस्त) इलाक़े वीराने बन गए थे। अबू सुफ़यान ने इस्लाम की अख़्लाक़ी ता'लीमात और सिलारहमी का वास्ता देकर रहम की दरख़्वास्त की। हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फिर दुआ फ़र्माई और क़हत ख़त्म हुआ। ये हदीष इमाम बुख़ारी (रह.) इस्तिस्क़ाअ में इसलिये लाए कि जैसे मुसलमानों के लिये बारिश की दुआ करना मसनून है वैसे ही काफ़िरों पर क़हत की बद्दुआ करना जाइज़ है। रिवायत में जिन मुसलमान मज़्लूमों का ज़िक्र है ये सब काफ़िरों की क़ैद में थे। आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने उनको छुड़वा दिया और वो मदीना में आपके पास आ गए। और सात साल तक हज़रत यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के ज़माने में क़हत पड़ा था जिसका ज़िक्र क़ुर्आन शरीफ़ में है। ग़िफ़ार और असलम ये दोनों क़ौमें मदीने के आसपास रहती थीं। ग़िफ़ार क़दीम से मुसलमान थे और असलम ने आप (ﷺ) से सुलह कर ली थी।

पूरी आयत का तर्जुमा ये है, **'उस दिन का इंतिज़ार कर जिस दिन आसमान खुला हुआ धुंआ लेकर आएगा, जो लोगों को घेर लेगा, यही तक्लीफ़ का अ़ज़ाब है, उस वक़्त लोग कहेंगे, मालिक हमारे! ये अ़ज़ाब हम पर से उठा दे, हम ईमान लाते हैं'** अख़ीर तक। यहाँ सूरह दुख़ान में बत़्श और दुख़ान का ज़िक्र है।

और सूरह फ़ुर्क़ान में **फ़सौफ़ा यकूनू लिज़ामा** (अल फ़ुर्क़ान : 77) लिज़ाम या'नी काफ़िरों के लिये क़ैद होने का ज़िक्र है। ये तीनों बातें आपके अ़हद में ही पूरी हो गई थी। दुख़ान से मुराद क़हत था जो अहले मक्का पर नाज़िल हुआ जिसमें भूख की वजह से आसमान धुंआ नज़र आता था और **बत़्शतुल कुबरा** (बड़ी पकड़) से काफ़िरों का जंगे बद्र में मारा जाना मुराद है और लिज़ाम उनका क़ैद होना। सूरह रूम की आयत में ये बयान है कि रूमी काफ़िर ईरानियों से हार गए लेकिन चंद साल में रूमी फिर ग़ालिब हो जाएँगे ये भी हो चुका। आइन्दा हदीष में शेअर **इस्तस्क़ल ग़माम अल्अख़** अबू ता़लिब के एक तवील क़सीदे का है जो क़सीदा एक सौ दस अशआर पर मुश्तमिल (आधारित) है जिसे अबू ता़लिब ने आँहज़रत (ﷺ) की शान में कहा था।

बाब 3 : क़हत़ के वक़्त लोग इमाम से पानी की दुआ करने के लिये कह सकते हैं

٣- بَابُ سُؤَالِ النَّاسِ الإِمَامَ الاِسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا

(1008) हमसे अ़म्र बिन अ़ली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने, उनसे उनके वालिद ने, कहा कि मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) को अबू ता़लिब का ये शे'र पढ़ते सुना था (तर्जुमा) गोरा उनका रंग उनके मुँह के वास्ते से बारिश की (अल्लाह से) दुआ की जाती है। यतीमों की पनाह और बेवाओं के सहारे।

(दीगर मक़ाम : 1009)

١٠٠٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ.

[طرفه في: ١٠٠٩].

(1009) और अम्र बिन हम्ज़ा ने बयान किया कि हमसे सालिम ने अपने वालिद से बयान किया वो कहा करते थे कि अकषर मुझे शाइर (अबू तालिब) का शे'र याद आ जाता है। मैं नबी करीम (ﷺ) के मुँह को देख रहा था कि आप दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ (मिम्बर पर) कर रहे थे और अभी (दुआ से फ़ारिग़ होकर) उतरे भी नहीं थे कि तमाम नाले लबरेज़ हो गए। (राजेअ : 1008)

١٠٠٩- وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ: وَ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ: وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلأَرَامِلِ هُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. [راجع: ١٠٠٨]

ये अबू तालिब का शे'र है जिसका तर्जुमा है कि गोरा रंग उनका, वो हामी यतीमों, बेवाओं के; लोग पानी मांगते हैं उनके मुँह के सदक़े से।

(1010) हमसे हसन बिन मुहम्मद बिन सबाह ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना अंसारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप अब्दुल्लाह बिन मुषन्ना ने बयान किया, उनसे षुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि जब कभी हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में क़हत पड़ता तो उमर (रज़ि.) हज़रत अब्बास (रज़ि.) बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) के वसीले से दुआ करते और फ़र्माते कि ऐ अल्लाह! पहले हम तेरे पास अपने नबी (ﷺ) का वसीला लाया करते थे तो तू पानी बरसाता था। अब हम अपने नबी करीम (ﷺ) के चचा को वसीला बनाते हैं तो तू हम पर पानी बरसा। अनस (रज़ि.) ने कहा कि चुनाँचे बारिश ख़ूब ही बरसती। (दीगर मक़ाम : 371)

١٠١٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوْنَ)). [طرفه في : ٣٧١].

तश्रीह : ख़ैरुल क़ुरून में दुआ का यही तरीक़ा था और सलफ़ का अमल भी इसी पर रहा कि मुर्दों को वसीला बनाकर वो दुआ नहीं करते थे कि उन्हें तो आम हालात में दुआ का शुऊर भी नहीं होता बल्कि किसी ज़िन्दा मुक़र्रब बारगाहे एज़्दी को आगे बढ़ा देते थे। आगे बढ़कर वो दुआ करते जाते थे और लोग उनकी दुआ पर आमीन कहते जाते।

हज़रत अब्बास (रज़ि.) के ज़रिये इस तरह तवस्सुल किया गया। इस हदीष से मा'लूम होता है कि ग़ैर मौजूद या मुर्दों को वसीला बनाने की कोई सूरत हज़रत उमर (रज़ि.) के सामने नहीं थी। सलफ़ का यही मा'मूल था और हज़रत उमर (रज़ि.) का तर्ज़े अमल इस मसले में बहुत ज़्यादा वाज़ेह है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने हज़रत अब्बास (रज़ि.) की दुआ भी नक़ल की है। आपने इस्तिस्क़ाअ की दुआ इस तरह की थी, या अल्लाह! आफ़त और मुसीबत बग़ैर गुनाह के नाज़िल नहीं होती और तौबा के बग़ैर नहीं छूटती। आपके नबी के यहाँ मेरी क़द्रो-मंज़िलत थी इसलिये क़ौम मुझे आगे बढ़ाकर तेरी बारगाह में हाज़िर हुई है; ये हमारे हाथ हैं जिनसे हमने गुनाह किये थे और तौबा के लिये हमारी पेशानियाँ सज्दा रेज़ हैं; बाराने रहमत से सैराब कर। दूसरी रिवायत में है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस मौक़े पर ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ ऐसा मामला था जैसे बेटे

का बाप के साथ होता है। पस लोगों रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा करो और अल्लाह की बारगाह में उनके चचा को वसीला बनाओ। चुनाँचे दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ के बाद इतने ज़ोर की बारिश हुई कि जहाँ नज़र गई पानी ही पानी था। (मुलख़्ख़स)

बाब 4 : इस्तिस्क़ाअ में चादर उलटना

٤- بَابُ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ

(1011) हमसे इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद बिन अबीबक्र ने, उन्हें अब्बाद बिन तमीम ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ की तो अपनी चादर को भी उलटा। (राजेअ : 1005)

١٠١١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ)). [راجع: ١٠٠٥]

(1012) हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयय्ना ने अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से बयान किया, उन्होंने अब्बाद बिन तमीम से सुना, वो अपने बाप से बयान करते थे कि उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ईदगाह गए। आपने वहाँ दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ क़िब्ला रुख़ होकर की और आपने चादर भी पलटी और दो रकअत नमाज़ पढ़ी। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) कहते हैं कि इब्ने उयय्ना कहते थे कि (हदीष़ के ये रावी अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) वही हैं जिन्होंने अज़ान ख़्वाब में देखी थी लेकिन ये उनकी ग़लती है क्योंकि ये अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद बिन आसिम माज़नी है जो अंसार के क़बी ला माज़िन से थे। (राजेअ : 1005)

١٠١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)). قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: هُوَ صَاحِبُ الأَذَانِ، وَلَكِنَّهُ وَهِمَ لأَنَّ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيُّ مَازِنُ الأَنْصَارِ. [راجع: ١٠٠٥]

तश्रीह : ये मज़्मून अहादीष़ की और किताबों में मौजूद है कि दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ में आँहज़रत (ﷺ) ने चादर का नीचे का कोना पकड़कर उसको उलटा और चादर को दाएँ जानिब से घुमाकर बाएँ जानिब डाल लिया। इसमें इशारा था कि अल्लाह अपने फ़ज़्ल से ऐसे ही क़हत की हालत को बदल देगा। अब भी दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ में अहले हदीष़ के यहाँ यही मसनून तरीक़ा मा'मूल है मगर अहनाफ़ इसके क़ाइल नहीं। इसी हदीष़ में इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ दो रकअत का भी ज़िक्र है। इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ भी नमाज़े ईद की तरह है।

बाब 5 : जब लोग अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों का ख़याल नहीं रखते तो अल्लाह तआला क़हत भेजकर उनसे बदला लेता है

٥- بَابُ انْتِقَامِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ خَلْقِهِ بِالْقَحْطِ إِذَا انْتُهِكَتْ مَحَارِمُ اللهِ

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब के तर्जुमे में कोई हदीष़ बयान नहीं की। शायद कोई हदीष़ यहाँ लिखना चाहते होंगे मगर

मौक़ा नहीं मिला। कुछ नुस्ख़ों में ये इबारत बिल्कुल नहीं है। बाब का मज़्मून उस ह़दीष़ से निकलता है जो ऊपर मज़्कूर हुई कि क़ुरैश के कुफ़्फ़ार पर आँह़ज़रत (ﷺ) की नाफ़र्मानी की वजह से अ़ज़ाब आया।

बाब 6-7 : जामेअ़ मस्जिद में इस्तिस्क़ाअ या'नी पानी की दुआ़ करना

٦٧ - بَابُ الاِسْتِسْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

(1013) हमसे मुह़म्मद बिन मरहूम बैकुन्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़म्रह अनस बिन अ़य्याज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नम्र ने बयान किया कि उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आपने एक शख़्स (कअ़ब बिन मुर्रह या अबू सुफ़यान) का ज़िक्र किया जो मिम्बर के सामने वाले दरवाज़े से जुम्अ़े के दिन मस्जिदे नबवी में आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए ख़ुत्बा दे रहे थे, उसने भी खड़े-खड़े रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! (बारिश न होने से) जानवर मर गए और रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह तआ़ला से बारिश की दुआ़ फ़र्माइये उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये कहते ही हाथ उठा दिये। आप (ﷺ) ने दुआ़ की, ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। अनस (रज़ि.) ने कहा अल्लाह की क़सम! कहीं दूर-दूर तक आसमान पर बादल का कोई टुकड़ा नज़र नहीं आता था और न कोई और चीज़ (हवा वग़ैरह जिससे मा'लूम हो कि बारिश आएगी) और हमारे और सिलअ़ पहाड़ के बीच कोई मकान भी न था (कि हम बादल होने के बावजूद न देख सकते हों) पहाड़ के पीछे से ढाल के बराबर बादल नमूदार हुआ और बीच आसमान तक पहुँचकर चारों तरफ़ फैल गया और बारिश शुरू हो गई। अल्लाह की क़सम! हमने सूरज को एक ह़फ़्ते तक नहीं देखा। फिर एक शख़्स दूसरे जुम्अ़े को उसी दरवाज़े से आया। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े खड़े ही मुख़ात़ब किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! (बारिश की कष़रत से) मालो—मनाल पर तबाही आ गई और रास्ते बन्द हो गए। अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए कि बारिश रोक दे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाथ उठाए और दुआ़ की कि या अल्लाह अब हमारे आसपास बारिश बरसा

١٠١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ يَذْكُرُ ((أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَومَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُغِيْثَنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا)). قَالَ: أَنَسٌ: فَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَلاَ شَيْئًا، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ - قَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ - فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يُمْسِكْهَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ

عَلَى الإِكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). قَالَ: فَانْقَطَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي؟ [راجع: ٩٣٢]

हमसे उसे रोक दे। टीलों पहाड़ों, पहाड़ियों, वादियों और बाग़ों को सैराब कर। उन्होंने कहा कि उस दुआ से बारिश ख़त्म हो गई और हम निकले तो धूप निकल चुकी थी। शरीक ने कहा कि मैंने अनस (रज़ि.) से पूछा कि ये वही पहला शख़्स था तो उन्होंने फ़र्माया कि मुझे मा'लूम नहीं। (राजेअ़ : 932)

सल्अ़ा मदीने का पहाड़ मत़लब ये है कि किसी बुलन्द मकान या घर की आड़ भी न थी कि अब्र (बादल) हो और हम उसे न देख सकें बल्कि आसमान शीशे की त़रह स़ाफ़ था। बरसात का कोई निशान न था। इस ह़दीष़ से ह़ज़रत इमाम स़ाह़ब ने ये ष़ाबित किया कि जुम्अ़े में भी इस्तिस्क़ाअ या'नी पानी की दुआ मांगना दुरुस्त है। नीज़ इस ह़दीष़ से अनेक मुअ़जज़ाते नबवी का षुबूत मिलता है कि आपने अल्लाह पाक से बारिश के लिये दुआ की तो वो फ़ौरन क़ुबूल हुई और बारिश शुरू हो गई। फिर जब कष़रते बाराँ (अतिवृष्टि, ज़्यादा बरसात) से नुक़्स़ान शुरू हुआ तो आपने बारिश बन्द होने की दुआ की और वो भी फ़ौरन क़ुबूल हुई। इससे आपके इन्दल्लाह दर्जा-ए-क़ुबूलियत व स़दाक़त पर रोशनी पड़ती है। (ﷺ)

٦ – بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

बाब 6 : जुम्अ़े का ख़ुत्बा पढ़ते वक़्त जब मुँह क़िब्ले की त़रफ़ न हो पानी के लिये दुआ करना

١٠١٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ((أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ – وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ – فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيْثُنَا. فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا)). قَالَ: أَنَسٌ: وَلاَ وَاللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةً، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ. وَ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا

(1014) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शरीक ने बयान किया, उनसे ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि एक शख़्स जुम्अ़े के दिन मस्जिद में दाख़िल हुआ। अब जहाँ दारुल क़ज़ा है उसी त़रफ़ के दरवाज़े से वो आया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुए ख़ुत्बा दे रहे थे, उसने भी खड़े-खड़े रसूलुल्लाह (ﷺ) मुख़ात़ब किया। कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! जानवर मर गए और रास्ते बन्द हो गए। अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि हम पर पानी बरसाए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों हाथ उठाकर दुआ फ़र्माई ऐ अल्लाह! हम पर पानी बरसा। ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। अनस (रज़ि.) ने कहा कि अल्लाह की क़सम! आसमान की त़रफ़ बादल का कहीं निशान भी न था और हमारे और सलअ़ पहाड़ के बीच में मकानात भी नहीं थे, इतने में पहाड़ के पीछे से बादल नमूदार हुआ, ढाल की त़रह और आसमान के बीच में पहुँचकर चारों त़रफ़ फैल गया और बरसने लगा। अल्लाह की क़सम! हमने एक ह़फ़्ते तक सूरज नहीं देखा। फिर दूसरे जुम्अ़े को एक शख़्स

الشَّمْسَ سِتًّا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ - فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا. قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي؟. [راجع: ٩٣٢]

उसी दरवाज़े से दाख़िल हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े ख़ुत्बा दे रहे थे, इसलिये उसने खड़े-खड़े कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! (कष़रते बारिश से) जानवर तबाह हो गए और रास्ते बन्द हो गए। अल्लाह तआला से दुआ कीजिए कि बारिश बन्द हो जाए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की ऐ अल्लाह! हमारे अतराफ़ में बारिश बरसा (जहाँ ज़रूरत है) हम पर न बरसा। ऐ अल्लाह! टीलों, पहाड़ियों, वादियों और बाग़ों को सैराब कर। चुनाँचे बारिश का सिलसिला बन्द हो गया और हम बाहर आए तो धूप निकल चुकी थी। शरीक ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि क्या ये पहला ही शख़्स था? उन्होंने जवाब दिया मुझे मा'लूम नहीं।

(राजेअ: 932)

तश्रीह: सल्आ मदीने का मशहूर पहाड़ है, उधर ही समुन्दर था। रावी ये कहना चाहते हैं कि बादल का कहीं नामो–निशान भी नहीं था। सल्आ की तरफ़ बादल का इम्कान हो सकता था लेकिन उस तरफ़ भी बादल नहीं था क्योंकि पहाड़ी साफ़ नज़र आ रही थी। बीच में मकानात वग़ैरह भी नहीं थे अगर बादल होते तो ज़रूर नज़र आते और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की दुआ के बाद बादल उधर ही से आए। दारुल क़ज़ा एक मकान था जो हज़रत उमर (रज़ि.) ने बनवाया था। जब हज़रत उमर (रज़ि.) का इंतिक़ाल होने लगा तो आपने वसिय्यत की कि ये मकान बेचकर मेरा क़र्ज़ अदा कर दिया जाए जो बैतुलमाल से मैंने लिया है। आपके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे मुआविया (रज़ि.) के हाथ बेचकर आपका क़र्ज़ अदा कर दिया। इस वजह से उस घर को दारुल क़ज़ा कहने लगे। या'नी वो मकान जिससे क़र्ज़ अदा किया गया। ये हाल था मुसलमानों के ख़लीफ़ा का कि दुनिया से जाते वक़्त उनके पास कोई सरमाया (सम्पत्ति, माल वग़ैरह) न था।

٨- بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ

बाब 8 : मिम्बर पर पानी के लिये दुआ करना

١٠١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَدَعَا، فَمُطِرْنَا، فَمَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ

(1015) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्अे के दिन ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक शख़्स आया और कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! पानी का क़हत पड़ गया है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें सैराब कर दे। आपने दुआ माँगी और बारिश इस तरह शुरू हुई कि घरों तक पहुँचना मुश्किल हो गया, दूसरे जुम्अे तक बराबर बारिश होती रही। अनस ने कहा कि फिर (दूसरे

الْمُقْبِلَةِ. قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ - أَوْ غَيْرُهُ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً، يُمْطَرُونَ وَلاَ يُمْطَرُ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ)).

[راجع: ٩٣٢]

जुम्अे में) वही शख़्स या कोई और खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला बारिश का रुख़ किसी और तरफ़ कर दे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई कि ऐ अल्लाह! हमारे आसपास बारिश बरसा हम पर न बरसा। अनस ने कहा कि मैंने देखा कि बादल टुकड़े–टुकड़े होकर दाएँ–बाएँ तरफ़ चले गए फिर वहाँ बारिश शुरू हो गई और मदीना में इसका सिलसिला बन्द हुआ। (राजेअ़ : 932)

तश्रीह : इस ह़दीष़ में बज़ाहिर मिम्बर का ज़िक्र नहीं है। आपके ख़ुत्ब-ए-जुम्आ का ज़िक्र है जो आप मिम्बर ही पर दिया करते थे कि उससे मिम्बर ष़ाबित हो गया।

٩- بَابُ مَنْ اكْتَفَى بِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ

बाब 9 : पानी की दुआ करने में जुम्अे की नमाज़ को काफ़ी समझना (या'नी अलग इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ न पढ़ना और उसकी निय्यत करना ये भी इस्तिस्क़ाअ की एक शक्ल है)

١٠١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَدَعَا، فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَامَ ﷺ: فَقَالَ ((اللَّهُمَّ عَلَى الإِكَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

[راجع: ٩٣٢]

(1016) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नम्र ने, उनको अनस (रज़ि.) ने बतलाया कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और कहा कि जानवर हलाक हो गए और रास्ते बन्द हो गए। आपने दुआ की और एक ह़फ़्ते तक बारिश होती रही फिर एक शख़्स आया और कहा कि (बारिश की कष़रत से) घर गिर गए रास्ते बन्द हो गए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने फिर खड़े होकर दुआ की कि ऐ अल्लाह! बारिश टीलों, पहाड़ियों, वादियों और बाग़ों में बरसा (दुआ के नतीजे में) बादल मदीना से इस तरह फट गए जैसे कपड़ा फट कर टुकड़े–टुकड़े हो जाता है। (राजेअ़ : 932)

١٠- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ الْمَطَرِ

बाब 10 : अगर बारिश की कष़रत से रास्ते बन्द हो जाएँ तो पानी थमने की दुआ कर सकते हैं

١٠١٧- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي

(1017) हमसे इस्माईल बिन अबी अय्यूब ने बयान किया,

مَالِكٌ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللهَ. فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَمُطِرُوا مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.

[راجع: ٩٣٢]

उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक रह. ने बयान किया, उन्होंने शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नम्र के वास्ते से बयान किया, उनसे हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मवेशी हलाक हो गए और रास्ते बन्द हो गए, आप अल्लाह तआ़ला से दुआ़ कीजिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई तो एक जुम्आ से दूसरे जुम्ओ तक बारिश होती रही फिर दूसरे जुम्ओ को एक शख़्स हाज़िरे ख़िदमत हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! (कष़रते बाराँ से बहुत से) मकानात गिर गए, रास्ते बन्द हो गए और मवेशी हलाक हो गए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़र्माई कि ऐ अल्लाह! पहाड़ों, टीलों, वादियों और बाग़ात की तरफ़ बारिश का रुख़ कर दे। (जहाँ बारिश की कमी है) चुनाँचे आप (ﷺ) की दुआ से बादल कपड़े की तरह फट गया। (राजेअ़ : 932)

और पानी परवरदिगार की रहमत है उसके बिलकुल बन्द हो जाने की दुआ़ नहीं फ़र्माई बल्कि यूँ फ़र्माया कि जहाँ मुफ़ीद है वहाँ बरसे।

١١- بَابُ مَا قِيْلَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब 11 : जब नबी करीम (ﷺ) ने जुम्ओ के दिन मस्जिद ही में पानी की दुआ की तो चादर नहीं उलटाई

١٠١٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ((أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ هَلاَكَ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ، فَدَعَا اللهَ يَسْتَسْقِي. وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)). [راجع: ٩٣٢]

(1018) हमसे हसन बिन बिश्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुआफ़ी बिन इमरान ने बयान किया कि उनसे इमाम औज़ाई ने, उनसे इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से (क़हत से) माल की बर्बादी और अहलो-अयाल की भूख की शिकायत की। चुनाँचे आप (ﷺ) ने दुआए इस्तिस्क़ाअ की। रावी ने इस मौक़े पर न चादर पलटने का ज़िक्र किया और न क़िब्ला की तरफ़ मुँह करने का। (राजेअ़ : 932)

मा'लूम हुआ कि चादर उलटाना उस इस्तिस्क़ाअ में सुन्नत है जो मैदान में निकलकर किया जाए और नमाज़ पढ़ी जाए।

١٢- بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعُوا إِلَى الإِمَامِ

बाब 12 : जब लोग इमाम से दुआ-ए-

इस्तिस्क़ाअ की दरख़्वास्त करें तो रद्द न करे

لِيَسْتَسْقِيَ لَهُمْ لَمْ يَرُدَّهُمْ

(1019) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नम्र के वास्ते से ख़बर दी और उन्हें अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! (क़हत से) जानवर हलाक हो गए और रास्ते बन्द हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए। चुनाँचे आप (ﷺ) ने दुआ की और एक जुम्अ़े से अगले जुम्अ़े तक एक हफ़्ता तक बारिश होती रही। फिर एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) (बारिश की कष़रत से) रास्ते बन्द हो गए और मवेशी हलाक हो गए। अब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! बारिश का रुख़ पहाड़ों, टीलों वादियों और बाग़ात की तरफ़ मोड़ दे, चुनाँचे बादल मदीना से इस तरह छंट गये जैसे कपड़ा फट जाया करता है।

١٠١٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ. فَدَعَا اللهَ فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ. إِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ)). فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوبِ.

बाब 13 : इस बारे में कि अगर क़हत में मुश्रिकीन मुसलमानों से दुआ की दरख़्वास्त करें?

١٣ – بَابُ إِذَا اسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ الْقَحْطِ

अगर क़हत पड़े और ग़ैर मुस्लिम, मुसलमानों से दुआ के तलबगार हों तो बिला दरेग़ दुआ करनी चाहिये क्योंकि किसी भी ग़ैर–मुस्लिम से इंसानी सलूक़ करना और उसके साथ नेक बर्ताव करना इस्लाम का ऐन मन्शा है और इस्लाम की इ़ज़्ज़त भी इसी में है।

(1020) हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ष़ौरी ने, उन्होंने बयान किया कि हमसे मंसूर और आ'मश ने बयान किया, उनसे अबुज़्ज़ुहा ने, उनसे मसरूक़ ने, आपने कहा कि मैं इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर था। आपने फ़र्माया कि क़ुरैश का इस्लाम से ऐराज बढ़ता गया तो नबी करीम (ﷺ) ने उनके हक़ में बद्दुआ की। उस बद्दुआ के नतीजे में ऐसा क़हत पड़ा कि कुफ़्फ़ार मरने लगे और मुरदार और हड्डियाँ खाने लगे। आख़िर अबू सुफ़यान आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा ऐ मुहम्मद (ﷺ)! आप स़िलारहमी का हुक्म देते हैं लेकिन आपकी क़ौम मर रही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ कीजिए। आपने इस आयत की

١٠٢٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِيْهَا، وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ. فَجَاءَهُ أَبُوسُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ

قَوْمَكَ هَلَكُوا، فَادْعُ اللهَ تَعَالَى. فَقَرَأَ: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى﴾ يَوْمَ بَدْرٍ- وَزَادَ أَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ-: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا. وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَأْسِهِ، فَسُقُوا النَّاسُ حَوْلَهُمْ. [راجع: ١٠٠٧]

तिलावत की (तर्जुमा) उस दिन का इंतिज़ार कर जब आसमान पर साफ़ खुला हुआ धुंआ नमूदार होगा इल्ला ये (ख़ैर आपने दुआ की, जिससे बारिश हुई क़हत जाता रहा) लेकिन वो फिर कुफ्र करने लगे इस पर अल्लाह पाक का ये फ़र्मान नाज़िल हुआ (तर्जुमा) जिस दिन मैं उन्हें सख़्ती के साथ पकडूंगा और ये पकड़ बद्र की लड़ाई में हुई। और अस्बात़ बिन मुहम्मद ने मंसूर से बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआए इस्तिस्क़ाअ की (मदीना में) जिसके नतीजे में ख़ूब बारिश हुई कि सात दिन तक वो बराबर जारी रही। आख़िर लोगों ने बारिश की ज़्यादती की शिकायत की तो हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमारे अत़राफ़ व जवानिब में बारिश बरसा, मदीना में बारिश का सिलसिला ख़त्म कर। चुनाँचे बादल आसमान से छट गया और मदीना के आसपास ख़ूब बारिश हुई। (राजेअ : 1007)

तशरीह : शुरू में जो वाक़िआ बयान हुआ उसका ता'ल्लुक़ मक्का से है। कुफ़्फ़ार की सरकशी और नाफ़र्मानी से आजिज़ आकर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने जब बद्दुआ की और उसके नतीजे में सख़्त क़हत़ पड़ा तो अबू सुफ़यान जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे हाज़िरे ख़िदमत हुए और कहा कि आप सिलारहमी का हुक्म देते हैं लेकिन ख़ुद अपनी क़ौम के हक़ में इतनी सख़्त बद्दुआ कर दी कि अब कम अज़्कम आपको दुआ करनी चाहिये कि क़ौम की ये परेशानी दूर हो। हदीष़ में इसकी तशरीह़ नहीं है कि आपने उनके हक़ में दोबारा दुआ फ़र्माई। लेकिन हदीष़ के अल्फ़ाज़ से मा'लूम होता है कि आपने दुआ की थी, तभी तो क़हत़ का सिलसिला ख़त्म हुआ। लेकिन क़ौम की सरकशी बराबर ज़ारी रही और फिर ये आयत नाज़िल हुई, **यौम नब्तिशु बत्शतल्कुब्रा** (अद् दुख़ान, 16) ये बत़शे कुबरा बद्र की लड़ाई में वक़ूअ पज़ीर (घटित) हुई। जब क़ुरैश के बेहतरीन अफ़राद लड़ाई में काम आए और उन्हें बुरी त़रह पस्पा होना पड़ा। दमयात़ी ने लिखा है कि सबसे पहले बद्दुआ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उस वक़्त की थी जब कुफ़्फ़ार ने ह़रम में सज्दे की हालत में आप पर ओझड़ी डाल दी थी और फिर ख़ूब इस कारनामे पर ख़ुश हुए और कहकहे लगाए थे। क़ौम की सरकशी हुई और फ़साद इस दर्ज़ा बढ़ गया तो हुज़ूर अकरम (ﷺ) जैसे ह़लीमुत्तबाअ और बुर्दबार और साबिर नबी की ज़ुबान से भी बद्दुआ निकल गई। जब ईमान लाने की किसी दर्जा में भी उम्मीद नहीं होती बल्कि क़ौम का वजूद दुनिया में सिर्फ़ शरो-फ़साद का सबब बनकर रह जाता है तो इस शर को ख़त्म करने की आख़िरी तदबीर बद्दुआ है।

हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ज़ुबाने मुबारक से फिर भी कभी भी ऐसी बद्दुआ नहीं निकली जो सारी क़ौम की तबाही का सबब होती क्योंकि अरब के अकष़र अफ़राद का ये ईमाने मुक़द्दर था। इस रिवायत में अस्बात के वास्ते से जो ह़िस्सा बयान हुआ है उसका रिश्ता मक्का से नहीं बल्कि मदीना से है।

अस्बात ने मंसूर के वास्ते से जो हदीष़ नक़ल की है उसकी तफ़्सील इससे पहले अनेक अब्वाब (अनेक अध्यायों) में गुज़र चुकी है। मुसन्निफ़ इमाम बुख़ारी (रह.) ने दो हदीष़ों को मिलाकर एक जगह बयान करदिया। ये ख़लत़ किसी रावी का नहीं बल्कि जैसा कि दमयात़ी ने कहा है ख़ुद मुसन्निफ़ (रह.) का है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

पैग़म्बरों की शख़्सियत बहुत ही अर्फ़ा व आला होती है। वो हर मुश्किल को हर दुख को हँसकर बर्दाश्त कर लेते हैं मगर जब क़ौम की सरकशी हद से गुज़रने लगे अगर वो उनकी हिदायत से मायूस हो जाएँ तो वो अपना आख़िरी हथियार बद्दुआ भी इस्ते'माल कर लेते हैं। क़ुर्आन मजीद में ऐसे मौक़ों पर बहुत से नबियों की दुआएँ मन्क़ूल हैं। हमारे सय्यिदना मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी मायूसकुन मौक़ों पर बद्दुआ की जिनके नतीजे भी फौरन ही ज़ाहिर हुए उन्हीं में से एक ये बयान किया गया वाक़िआ भी है। (वल्लाहु अअ़लम)

बाब 14 : जब बारिश हद से ज़्यादा हो तो इस बात की दुआ कि हमारे यहाँ बारिश बन्द हो जाए और इर्दगिर्द बरसे

١٤- بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ ((حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا))

(1021) मुझसे मुहम्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअतमिर बिन सुलैमान ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया, उनसे षाबित ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्अे के दिन ख़ुत्बा पढ़ रहे थे कि इतने में लोगों ने खड़े होकर गुल मचाया, कहने लगे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! बारिश के नाम बूँद भी नहीं दरख़्त सूख चुके (या'नी तमाम पत्ते सूखे हो गए) और जानवर तबाह हो रहे हैं, आप (ﷺ) अल्लाह तआ़ला से दुआ कीजिए कि हमें सैराब करे। आपने दुआ की ऐ अल्लाह! हमें सैराब कर। दो बार आपने इस तरह कहा। अल्लाह की क़सम! उस वक़्त आसमान पर बादल कहीं दूर-दूर तक नज़र नहीं आता था लेकिन दुआ के बाद अचानक एक बादल आया और बारिश शुरू हो गई। आप मिम्बर से उतरे और नमाज़ पढ़ाई जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो बारिश हो रही थी और दूसरे जुम्अे तक बारिश बराबर होती रही फिर जब हुज़ूर अकरम (ﷺ) दूसरे जुम्अे में ख़ुत्बा के लिये खड़े हुए तो लोगों ने बताया कि मकानात गिर गए और रास्ते बन्द हो गए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश बन्द कर दे। इस पर नबी करीम (ﷺ) मुस्कुराए और दुआ की ऐ अल्लाह! हमारे अतराफ़ में अब बारिश बरसा, मदीना में इस सिलसिले को बन्द कर। आप (ﷺ) की दुआ से मदीना से बादल छट गए और बारिश हमारे इर्द-गिर्द होने लगी। इस शान से कि अब मदीना में एक बूँद भी न पड़ती थी मैंने मदीना को देखा अब्र (बादल) ताज की तरह गिर्दागिर्द था और मदीना उसके बीच में। (राजेअ़ : 932)

١٠٢١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اسْقِنَا)) (مَرَّتَيْنِ). وَايْمُ اللهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ، فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَتْ، وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا. فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ: تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). وَ تَكَشَّطَتِ الْمَدِيْنَةُ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا، وَ مَا تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيْلِ)).[راجع: ٩٣٢]

बाब 15 : इस्तिस्क़ाअ में खड़े होकर ख़ुत्बे में दुआ मांगना

١٥- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ قَائِمًا

(1022) हमसे अबू नुऐम फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, उनसे ज़ुहैर ने, उनसे अबू इस्हाक़ ने कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद अंसारी (रज़ि.) इस्तिस्क़ाअ के लिये बाहर निकले। उनके साथ बराअ बिन आज़िब और ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) भी थे। उन्होंने पानी

١٠٢٢- وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ((خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ

के लिये दुआ की तो पांव पर खड़े रहे, मिम्बर न था। उसी तरह आपने दुआ की फिर दो रक्अत नमाज़ पढ़ी जिसमें क़िरअत बुलन्द आवाज़ से की, न अज़ान कही और न इक़ामत। अबू इस्हाक़ ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने नबी करीम (ﷺ) को देखा था।

وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ النَّبِيَّ ﷺ)).

वो सहाबी थे और उनका ये वाक़िआ 45 हिजरी से ता'ल्लुक़ रखता है, जबकि वो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तरफ़ से कूफ़ा के हाकिम थे।

(1023) हमसे अबुल यमान हकीम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अब्बाद बिन तमीम ने बयान किया कि उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने जो सहाबी थे, उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) लोगों को साथ लेकर इस्तिस्क़ाअ के लिये निकले और आप खड़े हुए और खड़े ही खड़े अल्लाह तआला से दुआ की, फिर क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके अपनी चादर पलटी चुनाँचे बारिश खूब हुई। (राजेअ : 1005)

١٠٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي لَهُمْ، فَقَامَ فَدَعَا اللهَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأُسْقُوا)). [راجع: ١٠٠٥]

बाब 16 : इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना

١٦- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ

(1024) हमसे अबू नुऐम फ़ज़्ल बिन दुकैन ने बयान किया, कहा कि हमसे अबी ज़िब ने ज़ुहरी से बयान किया, उनसे अब्बाद बिन तमीम ने और उनसे उनके चचा (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद) ने कि नबी करीम (ﷺ) इस्तिस्क़ाअ के लिये बाहर निकले तो क़िब्ला रुख़ होकर दुआ की। फिर अपनी चादर पलटी और दो रक्अत नमाज़ पढ़ी। नमाज़ में आपने क़िर्अते क़ुर्आन बुलन्द आवाज़ से की। (राजेअ : 1005)

١٠٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)). [راجع: ١٠٠٥]

बाब 17 : इस्तिस्क़ाअ में नबी करीम (ﷺ) ने लोगों की तरफ़ पुश्त मुबारक किस तरह मोड़ी थी?

١٧- بَابُ كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

(1025) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने ज़िब ने ज़ुहरी से बयान किया, उनसे अब्बाद बिन तमीम ने, उनसे उनके चचा अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को जब आप (ﷺ) इस्तिस्क़ाअ के लिये बाहर

١٠٢٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا خَرَجَ

يَسْتَسْقِي، قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)). [راجع: ١٠٠٥]

निकले, देखा था। उन्होंने बयान किया कि आपने अपनी पीठ सहाबा की तरफ़ कर दी और क़िब्ला रुख़ होकर दुआ की। फिर चादर पलटी और दो रकअत नमाज़ पढ़ाई जिसकी क़िरअते क़ुर्आन में आपने जहर किया था। (राजेअ : 1005)

١٨ - بَابُ صَلاَةِ الإِسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَيْنِ

बाब 18 : इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ दो रकअतें पढ़ना

١٠٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ)). [راجع: ١٠٠٥]

(1026) मुझसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने अ़ब्दुल्लाह बिन अबीबक्र से बयान किया, उनसे अ़ब्बाद बिन तमीम ने, उनसे उनके चचा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ की तो दो रकअत नमाज़ पढ़ी और चादर पलटी। (राजेअ : 1005)

तश्रीह : इस्तिस्क़ाअ की दो रकअत नमाज़ सुन्नत है। इमाम मालिक (रह.) इमामे शाफ़िई (रह.) इमाम अह़मद (रह.) और जुम्हूर का यही क़ौल है। ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) इस्तिस्क़ाअ के लिये नमाज़ ही तस्लीम नहीं करते मगर साह़िबैन ने इस बारे में ह़ज़रत इमाम की मुख़ालफ़त की है। सलाते इस्तिस्क़ाअ के सुन्नत होने का इक़रार किया है। साह़िबे अर्फ़ुश्शज़ी ने इस बारे में तफ़्सील से लिखा है। ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह साह़ब शैख़ुल ह़दीष़ (रह.) सारे इख़्तिलाफ़ की तशरीह़ के बाद फ़र्माते हैं, **व क़द अ़रफ़्त बिमा ज़कर्ना मिन वज्हि तख़ब्बुतिल्हनफ़िय्यति फी बयानि मज़्हबि इमामिहिम वहुव क़द नफ़स्सलात फिल्इस्तिस्काइ मुत्लक़न कमा मुसर्रहन फी कलामि अबी यूसुफ़ व मुहम्मद फी बयानि मज़्हबि अबी हनीफ़त व ला शक्क अन्न क़ौलहू हाज़ा मुख़ालिफ़ुन व मुनाबिज़ुन लिस्सुन्नतिस् स़ह़ीह़तिष् ष़ाबिततिस्सरीह़ति फ्त्तरबतिल्हनफ़िय्यतु लिज़ालिक व तख़ब्बत् फ़ी तशरीहि मज़्हबिही व तअ़्लीलिही हत्ता इज़्तर्र वअ़्ज़ुहुम इलल्इतराफि बिअन्नस्सलात फिल्इस्तिस्क़ाइ बिजमाअ़तिन सुन्नतुन व क़ाल लम युन्किर अबू ह़नीफत सुन्नतहा व इस्तिहबाबहा व इन्नमा अन्कर कौनहा सुन्नतुन मुअक्क़दतुन व हाज़ा कमा तरा मिन बाबि तौजीहिल्कलामि बिमा ला यर्ज़ा बिही क़ाइलुहू लिअन्नहू लौ कानल्अमरू कज़ालिक लम यकुन बैनहू व बैन स़ाहिबैहि खिलाफ़ुन मअ़ अन्नहू क़द स़र्रह जमीउ़श्शुर्राहि वग़ैरुहुम मिम्मन कतब फी इख़्तिलाफ़िल्अइम्मति बिल्ख़िलाफ़ि बैनहू व बैनल्जुम्हूरि फी हाज़िहिल्मस्अलति क़ाल शैख़ुना फी शर्हित्तिर्मिज़ी कौल्जुम्हूरि व हुवस्सवाब वल्हक़्क़ु लिअन्नहू क़द ष़बत सलातुहू (ﷺ) रकअ़तैनि फिल्इस्तिस्काइ मिन अह़ादीष़ि कष़ीरतुन स़ह़ीह़तिन.** (मिर्आत जिल्द 2, सफ़ा : 390)

ख़ुलासा ये है कि ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने मुतलक़न सलाते इस्तिस्क़ाअ का इंकार किया है। तुम पर वाज़ेह़ हो गया होगा कि इस बारे में ह़न्फ़िया को किस क़दर परेशान होना पड़ा है। हालाँकि ह़ज़रत इमाम यूसुफ़, इमाम मुह़म्मद के कलाम से सराह़तन ष़ाबित है कि ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा का यही मज़हब है और कोई शक नहीं कि आपका ये क़ौल सुन्नते स़ह़ीह़ा के सराह़तन ख़िलाफ़ है इसलिये इसकी तावील और तशरीह़ और तअलील बयान करने में उ़लम-ए-अह़नाफ़ को बड़ी मुश्किल पेश आई है। यहाँ तक कि कुछ ने ए'तिराफ़ किया है कि नमाज़े इस्तिस्क़ाअ जमाअ़त के साथ सुन्नत है और ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने सिर्फ़ सुन्नते मुअक्किदा होने का इंकार किया है। ये क़ाइल के क़ौल की ऐसी तौजीह़ है जो ख़ुद क़ाइल को भी पसंद नहीं है मगर ह़क़ीक़त यही होती तो साह़िबैन अपने इमाम से इख़्तिलाफ़ न करते। इख़्तिलाफ़ाते अइम्मा बयान करनेवालों ने अपनी किताबों में साफ़ लिखा

है कि सलाते इस्तिस्क़ाअ के बारे में हज़रत अबू हनीफ़ा (रह.) का क़ौल जुम्हूरे उम्मत के ख़िलाफ़ है। हमारे शैख़ हज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी फ़र्माते हैं कि जुम्हूर का क़ौल सही है और यही हक़ है कि नमाज़े इस्तिस्क़ाअ की दो रकअ़तें रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत है जैसा कि बहुत सी अहादीषे सहीहा से षाबित है। फिर हज़रत मौलाना मरहूम ने इस सिलसिले के बेशतर अहादीष को तफ़सील से ज़िक्र किया है। शौक रखने वाले हज़रात मज़ीद तहफ़तुल अहवज़ी का मुतालआ करें। हज़रत इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक इस्तिस्क़ाअ की दो रकअ़तें ईदैन की नमाज़ों की तरह ज़ाइद तक्बीरात के साथ अदा की जाएँ। मगर जुम्हूर के नज़दीक इस नमाज़ में ज़ाइद तक्बीर नहीं है बल्कि उनको इसी तरह अदा किया जाए जिस तरह दूसरी नमाज़ें अदा की जाती हैं। क़ौले जुम्हूर को यही तर्जीह हासिल है। नमाज़े इस्तिस्क़ाअ के ख़ुत्बे के लिये मिम्बर का इस्ते'माल भी जाइज़ है जैसा कि हदीषे आइशा (रज़ि.) में सराहत के साथ मौजूद है जैसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। उसमें साफ़ **फ़क़अद अलल्मिम्बर** के लफ़्ज़ मौजूद हैं।

बाब 19 : ईदगाह में बारिश की दुआ करना

١٩- بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ فِي الْـمُصَلَّى

(1027) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबीबक्र से बयान किया, उन्हों ने अ़ब्बाद बिन तमीम से सुना और अ़ब्बाद अपने चचा अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) से बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) दुआए इस्तिस्क़ाअ के लिये ईदगाह को निकले और क़िब्ला रुख़ होकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी फिर चादर पलटी। सुफ़यान षौरी ने कहा मुझे अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अबूबक्र के हवाले से ख़बर दी कि आपने चादर का दाहिना कोना बाएँ कँधे पर डाला। (राजेअ़ : 1005)

١٠٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ- قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ - جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ)). [راجع: ١٠٠٥]

अफ़ज़ल तो ये है कि जंगल मैदान में इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ पढ़े क्योंकि वहाँ सब आ सकते हैं और ईदगाह और मस्जिद में भी दुरुस्त है।

बाब 20 : इस्तिस्क़ाअ में क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना

٢٠- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ

(1028) हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल वह्हाब षक़्फ़ी ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें यह्या बिन सईद अंसारी ने हदीष बयान की, कहा कि मुझे अबूबक्र बिन मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हज़्म ने ख़बर दी कि अ़ब्बाद बिन तमीम ने उन्हें ख़बर दी और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी ने बताया कि नबी करीम (ﷺ) (इस्तिस्क़ाअ के लिये) ईदगाह की तरफ़ निकले वहाँ नमाज़ पढ़ने को जब दुआ करने लगे या रावी ने ये कहा दुआ का इरादा किया तो क़िब्ला रू होकर चादर मुबारक पलटी। अबू अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी हैं और उससे पहले

١٠٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْـمُصَلَّى يُصَلِّي، وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ - اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ابْنُ زَيْدٍ هَذَا

مَازِنِيٌّ، وَالأَوَّلُ كُوفِيٌّ هُوَ ابْنُ يَزِيْدَ.

[راجع: ١٠٠٥]

बाबुहुआ फ़िल इस्तिस्क़ाअ मे जिनका ज़िक्र गुज़रा वो अब्दुल्लाह बिन ज़ैद हैं कूफ़ा के रहनेवाले। (राजेअ : 1005)

٢١- بَابُ رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَ الإِمَامِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

बाब 21 : इस्तिस्क़ाअ में इमाम के साथ लोगों का भी हाथ उठाना।

١٠٢٩- قَالَ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ((أَتَى رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، هَلَكَ الْعِيَالُ، هَلَكَ النَّاسُ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ. قَالَ: فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا، فَمَا زِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الأُخْرَى، فَأَتَى الرَّجُلُ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ، وَمُنِعَ الطَّرِيْقُ)).

[راجع: ٩٣٢]

(1029) अय्यूब बिन सुलैमान ने कहा कि मुझसे अबूबक्र बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने सुलैमान बिन बिलाल से बयान किया कि यह्या बिन सईद ने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना उन्होंने कहा कि एक बदवी (गांव का रहने वाला) जुम्अे के दिन रसूलुल्लाह के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! भूख से मवेशी तबाह हो गए, अहलो–अयाल और तमाम लोग मर रहे हैं। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने हाथ उठाए, दुआ करने लगे। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि अभी हम मस्जिद से बाहर निकले ही न थे कि बारिश शुरू हो गई और एक हफ़्ता बराबर बारिश होती रही। दूसरे जुम्अे में फिर वही शख़्स आया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! (बारिश बहुत होने से) मुसाफ़िर घबरा गए और रास्ते बन्द हो गए (बशक़ल मुसाफ़िर बमअना मल्ल)

(राजेअ : 932)

١٠٣٠- وَقَالَ الأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَشَرِيْكٍ سَمِعَا أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ)).

(1030) अब्दुल अज़ीज़ उवैसी ने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद और शरीक ने, उन्होंने कहा कि हमने अनस (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) (ने इस्तिस्क़ाअ में दुआ करने के लिये) इस तरह हाथ उठाए कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देख ली।

٢٢- بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَهُ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

बाब 22 : इमाम का इस्तिस्क़ाअ में दुआ के लिये हाथ उठाना

١٠٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ

(1031) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान और मुहम्मद बिन इब्राहीम बिन अदी बिन अरूबा ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे क़तादा

और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ के सिवा और किसी दुआ के लिये हाथ (ज़्यादा) नहीं उठाते थे और इस्तिस्क़ाअ में हाथ इतना उठाते कि बग़लों की सफ़ेदी नज़र आ जाती। (दीगर मक़ाम : 4565, 6341)

قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ)).

[طرفاه في: ٤٥٦٥، ٦٣٤١].

तश्रीह : अबू दाऊद की मुर्सल रिवायतों में यही हदीष़ इसी तरह है कि इस्तिस्क़ाअ के सिवा पूरी तरह आप किसी दुआ में भी हाथ नहीं उठाते थे। इससे मा'लूम होता है कि बुख़ारी की इस रिवायत में हाथ उठाने के इंकार से मुराद ये है कि ब-मुबालग़ा हाथ नहीं उठाते। इस रिवायत से ये किसी भी तरह ष़ाबित नहीं हो सका कि आप दुआओं मे हाथ नहीं उठाते थे। ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुद्दअवात में इसके लिये एक बाब क़ायम किया है। मुस्लिम की रिवायत में है कि इस्तिस्क़ाअ की दुआ में आपने हथेली की पुश्त आसमान की तरफ़ की और शाफ़िई ने कहा कि क़हत वग़ैरह बलयात को दूर करने के लिये इस तरह दुआ करना सुन्नत है। (क़स्तलानी रह.) अ़ल्लामा नववी रह. फ़र्माते हैं कि **हाज़ल्हदीषु यूहिमु ज़ाहिरहूअन्नहू लमयर्फ़अ (ﷺ) इल्ला फिल्इस्तिस्क़ाइ व लैसल्अम्रू कज़ालिक बल षबत रफ़अ यदैहि (ﷺ) फ़ी मवातिन ग़ैरिल्इस्तिस्क़ाइ व हिय अक्षरु मिन अन्तुहस्सर व क़द जमअ़तु मिन्हा नहवम्मिन षलाषिन हदीषम्मिस्सहीहैन औ अहदिहिमा व ज़कर्तुहा फी अवाखिरी अब्वाबि सिफतिस्सलाति मन शर्हल्मुहज्जब यतअव्वलु हाजल्हदीष अला अन्नहू लम यर्फ़ईर्फ़अल बलीग बेहैषु तरा इब्तैहि इल्ला फिल्इस्तिस्क़ाइ व अम्मल्मुरादु लम अराहू रफ़अ व क़द राअ गैरुहू रफ़अ फयुक़द्दिमुल्मुष्बि फी मवाज़िअ कषीरतिन व जमाअ़तिन अ़ला वाहिदिन यहज़ुरू ज़ालिक वला बुद्द मिन तावीलिही कमा ज़कर्नाहु वल्लाहु आलमु** (नववी जिल्द 1, सफ़ा : 293)

ख़ुलासा ये है कि इस हदीष़ में उठाने से मुबालग़ा के साथ हाथ उठाना मुराद है। इस्तिस्क़ाअ के अ़लावा दीगर मुक़ामात पर भी हाथ उठाकर दुआ करना ष़ाबित है। मैंने इस बारे में तीस अहादीष़ जमा की हैं। दूसरी बात यह कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने सिर्फ़ अपनी रिवायत का ज़िक्र किया है जबकि उनके अ़लावा बहुत से सहाबा से ये ष़ाबित है।

बाब 23 : बारिश बरसते समय क्या कहे

٢٣- بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने (सूरह बक़र: में) 'कसय्यिबिम' (के लफ़्ज़ सय्यिब) से मेंह के मा'नी लिये हैं और दूसरे ने कहा है कि सय्यिब साब यसूब से मुश्तक़ है उसी से है असाब।

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿كَصَيِّبٍ﴾: الْمَطَرُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ.

तश्रीह : बाब की हदीष़ में सय्यिब का लफ़्ज़ आया है और क़ुर्आन शरीफ़ में भी ये लफ़्ज़ आया है इसलिये हज़रत इमाम ने अपनी आदत के मुवाफ़िक़ उसकी तफ़्सीर कर दी। इसको तबरानी ने अ़ली बिन अबी तलहा के तरीक़ से वस्ल (मिलान) किया, उन्हों ने इब्ने अ़ब्बास से जिनके क़ौल से आपने सय्यिब का मा'नी बयान कर दिये और दूसरों के अक़्वाल से सय्यिब का इश्तिक़ाक़ बयान किया कि ये कलिमा अजवफ़ वावी है इसका मुजर्रद साबा यसूबो और मज़ीद असाबा है।

(1032) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने नाफ़ेअ़ से ख़बर दी, उन्हें क़ासिम बिन मुहम्मद ने, उन्हें आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बारिश होती देखते तो ये दुआ करते ऐ अल्लाह! नफ़ा बख़्शने वाली बारिश

١٠٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ

बरसा।

قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعًا)).

इस रिवायत की मुताबअत क़ासिम बिन यह्या ने उबैदुल्लाह उमरी से की और इसकी रिवायत औज़ाई और अक़ील ने नाफ़ेअ से की है।

تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِعٍ.

बाब 24 : उस शख़्स के बारे में जो बारिश में क़स्दन इतनी देर ठहरा कि बारिश से उसकी दाढ़ी (भीग गई और उस) से पानी बहने लगा

٢٤- بَابُ مَنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطَرِ حَتَّى يَتَحَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ

(1033) हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अंसारी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लोगों पर एक बार क़हत पड़ा। उन्हीं दिनों आप (ﷺ) जुम्अे के दिन मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहे थे कि एक देहाती ने खड़े होकर कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! जानवर मर गए और बाल–बच्चे फ़ाक़े पर फ़ाक़े कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि पानी बरसाए। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर दुआ के लिये दोनों हाथ उठाए। आसमान पर दूर दूर तक बादल का पता तक न था। लेकिन (आपकी दुआ से) पहाड़ों के बराबर बादल गरजते हुए आ गए अभी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मिम्बर पर से उतरे भी नहीं थे कि मैंने देखा कि बारिश का पानी आपकी दाढ़ी से बह रहा है। अनस ने कहा कि उस रोज़ बारिश दिन भर होती रही। इस तरह दूसरा ज़ुम्आ आ गया। फिर यही देहाती या कोई दूसरा शख़्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! (कष़रते बारिश की वजह से) इमारतें गिर गईं और जानवर डूब गए, हमारे लिये अल्लाह तआला से दुआ कीजिए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फिर दोनों हाथ उठाए और दुआ की कि ऐ अल्लाह! हमारे अतराफ़ में बरसा और हम पर न बरसा। हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अपने हाथों स

١٠٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: ((أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِيَنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ. قَالَ: فَثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ. قَالَ: فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَفِي الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى. فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا)). قَالَ: فَمَا جَعَلَ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى

आसमान की जिस त़रफ़ भी इशारा करते बादल उधर से फट जाता, अब मदीना हौज़ की त़रह बन चुका था और उसी के बाद वादी क़नात का नाला एक महीने तक बहता रहा। ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि उसके बाद मदीना के आसपास से जो भी आया उसने ख़ूब सैराबी की ख़बर सुनाई। (राजेअ : 932)

نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلاَّ تَفَرَّجَتْ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ، حَتَّى سَالَ الْوَادِي - وَادِي قَنَاةَ - شَهْرًا، قَالَ: فَلَمْ يَجِيءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ)). [راجع: ٩٣٢]

तश्रीह़ : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने बाराने रह़मत का पानी अपनी रीशे मुबारक पर बहाया। मुस्लिम की एक ह़दीष़ में है कि एक बार आपने बारिश में अपना कपड़ा खोल दिया और ये पानी अपने जसदे अत़्हर (जिस्म) पर लगाया और फ़र्माया कि **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक ख़ैरहा व ख़ैर मा फीहा व अऊज़ुबिक मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व ख़ैरि मा अर्सलत बिही व शर्रि मा अर्सलत बिही** ये पानी अभी—अभी ताज़ा ब ताज़ा अपने परवरदिगार के य हाँ से आया है। मालुम हुआ कि बारिश का पानी इस ख़ याल से जिस्म पर लगाना सुन्नते नबवी है। इस ह़दीष़ से ख़ुत्बतुल जुम्आ में बारिश के लिये दुआ करना भी ष़ाबित हुआ।

बाब 25 : जब हवा चलती

٢٥- بَابُ إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ

(1034) हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुह़म्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे हुमैद त़वील ने ख़बर दी और उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना। उन्होंने बयान किया कि जब तेज़ हवा चलती तो हुज़ूर अकरम (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक पर डर मह़सूस होता था।

١٠٣٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((كَانَتِ الرِّيحُ الشَّدِيْدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ)).

तश्रीह़ : आँधी के बाद चूँकि अकष़र बारिश होती है इस मुनासबत से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ को यहाँ बयान किया, आ द पर आँधी का अ़ज़ाब आया था। इसलिये आँधी आने पर आप अ़ज़ाबे इलाही का तसव्वुर फ़र्माकर घबरा जाते थे। मुस्लिम की रिवायत में है कि जब आँधी चली जाती तो आप (ﷺ) इन लफ़्ज़ों में दुआ करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक ख़ैरहा व ख़ैर मा फीहा व अऊज़ुबिक मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व ख़ैरि मा अर्सलत बिही व शर्रि मा अर्सलत बिही** या'नी या अल्लाह! मैं इस आँधी में तुझसे ख़ैर का सवाल करता हूँ औरउसके न तीजे में भी ख़ैर ही चाहता हूँ और या अल्लाह! मैं तुझसे उसकी और उसके अंदर की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ और जो शर्र ये लेकर आई है उससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ।' इस रिवायत में है कि जब आप आँधी देखते तो दो ज़ानू होकर बैठ जाते और ये दुआ करते, **अल्लहम्मज्अलहा रियाहन व ला तज्अल्हा रीहन** या'नी या अल्लाह! इस हवा को फ़ायदे की हवा बना न कि अ़ज़ाब की हवा। लफ़ ज़ रियाह़ रह़मत की हवा है और रीह़ अ़ज़ाब की हवा पर बोला गया है जैसाकि क़ुर्आन मजीद की अनेक आयतों में वारिद हुआ है।

बाब 26 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान कि पुर्वा हवा के ज़रिये मुझे मदद पहुँचाई गई

٢٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((نُصِرْتُ بِالصَّبَا))

(1035) हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने ह़कम से बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ)

١٠٣٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأُهْلِكَتْ

عَادٌ بِالدَّبُورِ)).
[أطرافه في: ٣٢٠٥، ٣٣٤٣، ٤١٠٥].

ने फ़र्माया कि मुझे पुर्वा हवा के ज़रिये मदद की गई और क़ौमे आद पछुवा के ज़रिये हलाक कर दी गई थी। (दीगर मक़ाम : 3205, 3343, 4105)

तश्रीह : जंगे ख़ंदक़ में बारह हज़ार काफ़िरों ने मदीने को हर तरफ़ से घेर लिया था। आख़िर अल्लाह ने पुरवा हवा भेजी इस ज़ोर के साथ कि उनके डेरे उखड़ गए और आग बुझ गई, आँखों में ख़ाक घुस गई जिस पर काफ़िर परेशान होकर भाग खड़े हुए। आपका ये इशारा उसी हवा की तरफ़ है।

٢٧- بَابُ مَا قِيْلَ فِي الزَّلاَزِلِ وَالآيَاتِ

बाब 27 : भूचाल और क़यामत की निशानियों में

١٠٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ - وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ - حَتَّى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ)). [راجع: ٨٥]

(1036) हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद (अ़ब्दुल्लाह बिन ज़क्वान) ने बयान किया। उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़यामत उस वक़्त तक क़ायम न होगी जब तक इल्मे दीन न उठ जाएगा और ज़लज़लों की कष़रत न हो जाएगी और ज़माना जल्दी–जल्दी न गुज़रेगा और फ़ित्ने फ़साद फूट पड़ेंगे और 'हर्ज' की कष़रत हो जाएगी और हर्ज से मुराद क़त्ल है। क़त्ल और तुम्हारे बीच दौलत व माल की इतनी कष़रत होगी कि वो उबल पड़ेगा। (राजेअ़ : 85)

तश्रीह : सख़्त आँधी का ज़िक्र आया तो उसके साथ भूचाल का भी ज़िक्र कर दिया। दोनों आफ़तें हैं। भूचाल या ग़रज़ या आँधी या ज़मीन धंसने में हर शख़्स को दुआ और इस्तिग़्फ़ार करना चाहिये और ज़लज़ले में नमाज़ भी पढ़ना बेहतर है लेकिन अकेले–अकेले। जमाअ़त इसमें मसनून नहीं और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि ज़लज़ले में उन्होंने जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी तो ये स़ह़ीह़ नहीं है। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

١٠٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا)). قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا)) قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: قَالَ ((هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ

(1037) मुझसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हुसैन बिन ह़सन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन औ़न ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि .) ने फ़र्माया ऐ अल्लाह! हमारे शाम और यमन पर बरकत नाज़िल फ़र्मा। इस पर लोगों ने कहा और हमारे नजद के लिये भी बरकत की दुआ़ कीजिये लेकिन आपने फिर वही कहा, 'ऐ अल्लाह! हमारे शाम और यमन पर बरकत नाज़िल कर' फिर लोगों ने कहा और हमारे नजद में? तो आपने फ़र्माया कि वहाँ तो ज़लज़ले और फ़ित्ने होंगे और

शैतान का सींग वहीं से तुलूअ होगा। (दीगर मक़ाम : 7094)

الشَّيْطَانِ)).[طرفه في: ٧٠٩٤].

तशरीह : नजद अरब हिजाज से मश्रिक़ (पूर्व) की तरफ़ वाक़ेअ है ख़ास वो इलाक़ा मुराद नहीं है जो कि आजकल नजद कहलाता है बल्कि नजद से तमाम पूर्वी मुल्क मुराद हैं। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व हुव तिहामा व कुल्लुन कमा इर्तफ़अ मिन बिलादि तिहामा इला अर्जिल्इराक़ि** या'नी नजद से तेहामा का इलाक़ा मुराद है जो बिलादे तहामा से इराक़ की ज़मीन तक सतहे मुरतफ़अ में फैला हुआ है। दरहक़ीक़त ये नबवी इशारा इराक़ की धरती के लिये था जहाँ बड़े बड़े फ़ित्ने पैदा हुए। अगर बनज़रे इंसाफ़ देखा जाए तो उस इलाक़े से मुसलमानों का इफ़्तिराक़ व इंतिशार शुरू हुआ जो आज तक मौजूद है और शायद अभी अर्से तक ये इंतिशार बाक़ी रहेगा, ये सब इराक़ की ज़मीन की पैदावार है। ये रिवायत यहाँ मौक़ूफ़न बयान हुई है और दरहक़ीक़त मर्फ़ूअ है। अज़्हर समाँ ने इसको मर्फ़ूअन रिवायत किया है। इसी किताब के अल फ़ितन में ये हदीष़ आएगी और वहाँ उस पर मुफ़स्सल तब्सरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। साहिबे फ़ज़्लुल बारी तर्जुम-ए-बुख़ारी हन्फ़ी लिखते हैं कि शाम का मुल्क मदीना के उत्तर की तरफ़ है और यमन दक्षिण की तरफ़ और नजद का मुल्क पूरब की तरफ़ है। आपने शाम को अपनी तरफ़ उस वास्ते मन्सूब किया कि वो मक्का तहामा की ज़मीन है और तहामा यमन से मुता'ल्लिक़ है। आँहज़रत (ﷺ) ने ये हदीष़ उस वक़्त फ़र्माई थी कि अभी तक नजद के लोग मुसलमान नहीं हुए थे और आँहज़रत (ﷺ) के साथ फ़ित्ने और फ़साद में मशग़ूल थे जब वो लोग इस्लाम लाए और आपकी तरफ़ सदक़ा भेजा तो आपने सदक़ा को देखकर फ़र्माया **हाज़ा सदक़तु क़ौमी** ये मेरी क़ौम का सदक़ा है अगर ग़ौर से देखा जाए तो मा'लूम होता है कि क़ौमी निस्बत **शामुना व यमनुना** की निस्बत से क़वीतर है।

सींग शैतान से मुराद उसका गिरोह है, ये अल्फ़ाज़ आपने उसी वास्ते फ़र्माया कि वो हमेशा आपके साथ फ़साद किया करते थे और कहा कि कअब ने इराक़ से या'नी उस तरफ़ से दज्जाल निकलेगा (फ़ज़्लुल बारी, पेज नं. 353/पारा नं. 3)

इस दौरे आख़िर बदरुक़ा नजद से वो तहरीक उठी जिसने ज़मान-ए-रिसालत मआब (ﷺ) और अहदे ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन की याद को ताज़ा कर दिया जिससे मुजद्दिदे इस्लाम हज़रत शैख़ मुहम्मद बिन अब्दुल वह्हाब नजद (रह.) की तहरीक मुराद है जिन्होंने नये सिरे से मुसलमानों को असल इस्लाम की दा'वत दी और शिर्क व बिदआत के ख़िलाफ़ इल्मे जिहाद बुलन्द किया। नजदियों से पहले हिजाज की हालत जो कुछ थी वो इतिहास के पन्नों पर है। जिस दिन से वहाँ नजद की हुकूमत क़ायम हुई हर तरह का अमन व अमान क़ायम हुआ और आज तो हुकूमते सऊदिया नजदिया ने हरमैन शरीफ़ेन की ख़िदमात के सिलसिले में वो कारहाए नुमाया अंजाम दिये हैं जो सारी दुनिय-ए-इस्लाम में हमेशा याद रहेंगे। **अय्यदहुमुल्लाहु बिनस्रिल्अज़ीज़.** (आमीन)

बाब 28 : अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तशरीह (वतज्अलूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून)

या'नी तुम्हारा शुक्र यही है कि तुम अल्लाह को झुटलाते हो (या'नी तुम्हारे हिस्से में झुठलाने के सिवा और कुछ आया ही नहीं)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि हमारे रिज़्क़ से मुराद शुक्र है।

٢٨- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ:
﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾
[الواقعة: ٨٢]
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شُكْرَكُمْ.

तशरीह : इसको अब्द बिन मंसूर और इब्ने मर्दवैह ने निकाला मतलब ये है कि जब अल्लाह के फ़ज़्लो-करम से पानी बरसे तो तुमको उसका शुक्र अदा करना चाहिये लेकिन तुम तो शुक्र के बदले ये करते हो कि अल्लाह को तो झुठलाते हो जिसने पानी बरसाया और सितारों को मानते हो, कहते हो उनकी गर्दिश से पानी पड़ा। इस आयत की मुनासबत बाबे इस्तिस्क़ाअ से ज़ाहिर हो गई। अब ज़ैद बिन ख़ालिद की हदीष़ जो इस बाब में लाए वो भी बारिश के बारे में है। मुस्लिम की रिवायत में है कि आँहज़रत (ﷺ) के अहद में बारिश हुई। फिर आपने यही फ़र्माया जो हदीष़ में है। फिर सूरह वाक़िआ से ये

आयत पढ़ी, फ़ला उक़्सिमु बिमवाक़िइन्नुजूम से लेकर वतज्अलूना रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून. (वहीदी)

(1038) हमसे इस्माईल बिन अय्यूब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने स़ालेह़ बिन कैसान से बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने बयान किया उनसे ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हुदैबिया में हमको नमाज़ पढ़ाई। रात को बारिश हो रही थी नमाज़ के बाद आप (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुड़े और फ़र्माया, मा'लूम है तुम्हारे रब ने क्या फ़ैसला किया है? लोग बोले कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) ख़ूब जानते हैं । आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि परवरदिगार फ़र्माता है आज मेरे दो तरह के बन्दों ने सुबह की। एक मोमिन है एक काफ़िर। जिसने कहा कि अल्लाह के फ़ज़्लो—रहम से पानी बरसा वो तो मुझ पर ईमान लाया और सितारों का मुंकिर हुआ और जिसने कहा कि फ़लाँ तारे के फ़लाँ जगह आने से पानी बरसा उसने मेरा कुफ़्र किया, तारों पर ईमान लाया।

(राजेअ़ : 846)

١٠٣٨- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْـجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْـحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَال: ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟)) قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ)). [راجع: ٨٤٦]

बाब 29 : अल्लाह तआ़ला के सिवा और किसी को मा'लूम नहीं कि बारिश कब होगी

٢٩- بَابُ لاَ يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ

ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता।

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ)).

(1039) हमसे मुह़म्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान स़ौरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ग़ैब की पाँच कुंजियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला के सिवा और कोई नहीं जानता। किसी को नहीं मा'लूम कि कल क्या होगा? कोई नहीं जानता कि माँ के पेट में क्या है (लड़का या लड़की)? कल क्या करना होगा? उसका किसी को इल्म नहीं। न कोई ये

١٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ: لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

जानता है कि उसे मौत किस जगह आएगी? और न किसी को ये मा'लूम है कि बारिश कब होगी? (दीगर मक़ाम : 4628, 4697, 4778, 7379)

تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيْءُ الْمَطَرُ)).[أطرافه في: ٤٦٢٧، ٤٦٩٧، ٤٧٧٨، ٧٣٧٩].

तश्रीह : जब अल्लाह तआला ने साफ़ क़ुर्आन में और नबी करीम (ﷺ) ने ह़दीष़ में फ़र्मा दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को ये इल्म नहीं है कि बरसात कब पड़ेगी तो जिस शख़्स में ज़रा भी ईमान होगा वो उन धोतीबन्द पण्डितों की बात क्यूँ मानेगा और जो माने और उन पर ए'तिक़ाद (यक़ीन) रखे; मा'लूम हुआ वो दायरा-ए-ईमान से ख़ारिज हो गया और वो काफ़िर है। लुत्फ़ ये है कि रात दिन पण्डितों का झूठ और बेतुकापन देखते जाते हैं और फिर उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं अगर काफ़िर लोग ऐसा करें तो तअ़ज्जुब नहीं। ह़ैरत तो होती है कि इस्लाम का दा'वा करने के बावजूद मुसलमान बादशाह और अमीर नजूमियों की बातें सुनते हैं और आइन्दा होने वाले वाक़िआत पूछते हैं। मा'लूम नहीं है कि उन नाम के मुसलमानों की अ़क़्ल कहाँ तशरीफ़ ले गई है। सैंकड़ों मुसलमान बादशाहतें इन्हीं नजूमियों पर भरोसा रखने से तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं और अब भी मुसलमान बादशाह इस ह़रकत से बाज़ नहीं आते जो कुफ़्रे स़रीह़ है, **ला हौला व ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल्अ़ज़ीम.** (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

आयते करीमा में ग़ैब की पांच कुंजियों का बयान किया गया है जो ख़ास़ अल्लाह ही को मा'लूम है और इल्मे ग़ैब ख़ास़ अल्लाह ही को ह़ास़िल है। जो लोग अंबिया, औलिया के लिए ग़ैबदाँ होने का अ़क़ीदा रखते हैं, वो क़ुर्आन व ह़दीष़ की रू से स़रीह़ कुफ़्र का इर्तिकाब करते हैं।

पूरी आयते शरीफ़ा ये है, **इन्नल्लाह इन्दहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल्ग़ैष़ व यअ़्लमु फ़िल्अर्हामि व मा तदरी नफ़्सुम्माज़ा तक्सिबु ग़दन व मा तदरी नफ़्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूतु इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर.** (लुक़्मान : 34) या'नी 'बेशक क़यामत कब क़ायम होगी ये इल्म ख़ास़ अल्लाह पाक ही को है और वही बारिश उतारता है (किसी को स़ह़ीह़ इल्म नहीं कि बिज़् ज़रूर फ़लाँ वक़्त बारिश हो जाएगी) और सिर्फ़ वही जानता है कि मादा के पेट में नर है या मादा, और कोई नफ़्स नहीं जानता कि कल वो क्या काम करेगा और ये भी नहीं जानता कि वो कौनसी ज़मीन पर इंतिक़ाल करेगा, बेशक अल्लाह ही जाननेवाला और ख़बर रखनेवाला है, ये ग़ैब की पाँच कुंजियाँ हैं जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी और को ह़ास़िल नहीं है।'

क़यामत की अ़लामत तो अह़ादीष़ और क़ुर्आन में बहुत कुछ बतलाई गई हैं और उनमें से अकष़र निशानियाँ ज़ाहिर भी हो रही हैं मगर ख़ास़ दिन तारीख़ वक़्त ये इल्म ख़ास़ अल्लाह पाक ही को है। इसी त़रह़ बारिश के लिये बहुत सी अ़लामतें हैं जिनके ज़ुहूर के बाद अकष़र बारिश हो जाती है फिर भी ख़ास़ वक़्त नहीं बतलाया जा सकता। इसलिये कि कुछ दफ़ा बहुत सी अ़लामतों के बावजूद बारिश टल जाती है और माँ के पेट में नर है या मादा उसका स़ह़ीह़ इल्म भी किसी ह़कीम-डॉक्टर को नहीं ह़ास़िल है न किसी काहिन, नुजूमी, पण्डित या मुल्ला को; ये ख़ास़ अल्लाह पाक ही जानता है। इसी त़रह़ हम कल क्या काम करेंगे ये भी ख़ास़ अल्लाह ही को मा'लूम है जबकि हम रोज़ाना अपने कामों का नक़्शा बनाते हैं मगर बेशतर औक़ात वो तमाम नुक़्ते फ़ेल हो जाते हैं और ये भी किसी को मा'लूम नहीं कि उसकी क़ब्र कहाँ बननेवाली है? अल ग़र्ज़ इल्मे ग़ैब ज़ुज़्वी और कुल्ली त़ौर पर सिर्फ़ अल्लाह पाक ही को ह़ास़िल है; हाँ वो जिस क़दर चाहता है कभी–कभार अपने मह़बूब बन्दों को कुछ चीज़ों का इल्म अ़ता कर देता है मगर उसको ग़ैब नहीं कहा जा सकता ये तो अल्लाह का अ़तिया है वो जिस क़दर चाहे और जब चाहे और जिसे चाहे उसको बख़्श दे। उसको ग़ैबदानी कहना बिलकुल झूठ है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ बाब की मुनासबत से इस ह़दीष़ को नक़ल कर ष़ाबित फ़र्माया कि बारिश का होने का स़ह़ीह़ इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को ह़ास़िल है और कोई नहीं बतला सकता कि यक़ीनी त़ौर पर फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त बारिश हो जाएगी।

16. किताबुल कुसूफ़

सूरज ग्रहण के मुता'ल्लिक़ अबवाब

بسم الله الرحمن الرحيم

तशरीह : कुसूफ़ लुग़त (डिक्शनरी) में स्याह (काले) हो जाने को कहते हैं। जिस शख़्स की हालत **मुतग़य्यर (परिवर्तित)** हो जाए और मुँह पर स्याही आ जाए उसके लिये अरबी मुहावरा ये है **फ़ुलानुन कसफ़ वज्हुहू व हालुहू** फ़लाँ का चेहरा और उसकी हालत स्याह हो गई। और सूरज ग्रहण के वक़्त बोलते हैं, **कसफ़तिश्शम्सु** (सूरज स्याह हो गया) चाँद और सूरज के ज़ाहिरी अस्बाब कुछ भी हों मगर हक़ीक़त में ये ग़ाफ़िलों के लिये क़ुदरत की तरफ़ से तम्बीह है कि वो अल्लाह के अ़ज़ाब से निडर न हों। अल्लाह पाक जिस तरह चाँद और सूरज जैसे इज्रामे फ़लकी (आकाश के ग्रहों) को मुतग़य्यर कर देता है ऐसे ही गुनाहगारों के दिलों को भी काला कर देता है और उस पर भी तम्बीह है कि चाँद और सूरज अपनी ज़ात में ख़ुद मुख़्तार नहीं हैं बल्कि ये भी मख़्लूक़ हैं और अपने ख़ालिक़ (स्रष्टा) के ताबेअ़ (अधीन) हैं फिर भला ये इबादत के लायक़ कैसे हो सकते हैं? ग्रहण के वक़्त नमाज़ के मशरूअ़ होने पर तमाम उ़लम-ए-इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ है। जुम्हूर उसके सुन्नत होने के क़ाइल हैं और हन्फ़िया के फ़ाज़िलों ने उसे सुन्नत में शुमार किया है।

अ़ल्लामा अनवर शाह कश्मीरी (रह.) :– अह्नाफ़ का मसलक इस नमाज़ के बारे में ये है कि आ़म नमाज़ों की तरह पढ़ी जाएगी; मगर ये मसलक सहीह नहीं है जिसकी तफ़्सील अ़ल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी (रह.) के लफ़्ज़ों में ये है जिसे साहिबे तफ़्हीमुल बुख़ारी ने नक़ल किया है कि सूरज ग्रहण के बारे में रिवायतें बहुत सारी और मुख़्तलिफ़ हैं। कुछ रिवायतों में है कि आपने नमाज़ में भी आ़म नमाज़ों की तरह एक रुकूअ़ किया।

बहुत सी रिवायतों में हर रकअ़त में दो रुकूअ़ का ज़िक्र है और कुछ में तीन और पांच रुकूअ़ तक का बयान है। अ़ल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी (रह.) ने लिखा है कि इस बाब की तमाम हदीषों का जाइज़ा लेने के बाद सहीह रिवायत वही मा'लूम होती है जो बुख़ारी में मौजूद है या'नी आप (ﷺ) ने हर रकअ़त में दो रुकूअ़ किये थे। आगे चलकर साहिबे तफ़्हीमुल बुख़ारी ने अ़ल्लामा मरहूम की ये तफ़्सील नक़ल की है।

इंतिहाई नामुनासिब बात :– जिन रिवायतों में बहुत से रुकूअ़ का ज़िक्र है उसके बारे में कुछ अह्नाफ़ ने ये कहा है कि चूँकि आप ने तवील रुकूअ़ किया था और उसी वजह से सहाबा किराम (रज़ि.) रुकूअ़ से सर उठा–उठाकर ये देखते थे कि आँहुज़ूर (ﷺ) खड़े हो गए हैं या नहीं और इसी तरह कुछ सहाबा ने जो पीछे थे ये समझ लिया कि कई रुकूअ़ किये गये हैं। शाह साहब ने लिखा है कि ये बात इंतिहाई नामुनासिब और मुताख़िख़रीन (बाद वालों) की ईजाद है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी, पारा नं. 4, पेज नं. 125)

सहाब-ए-किराम (रज़ि.) की शान में ऐसा कहना उनकी इंतिहाई तख़्फ़ीफ़ है। भला वो मुसलमान, सहाबा किराम (रज़ि.) जो सरापा ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ से नमाज़ पढ़ा करते थे, उनके बारे में हाशा व कल्ला ऐसा गुमान किया जा सकता है

हर्गिज़ नहीं।

लफ़्ज़े कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ के बारे में अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **अल्कुसूफ़ हुवत्तगय्युरू इलस्सवादि व मिन्हू कसफ वज्हुहू इज़ा तगय्यर वल्ख़ुसूफ़ बिलखाइल्मुअ्जमति अन्नक़्सान क़ालहुलअस्मई वल्खस्फु अयज़न अज़्ज़िल्लु वल्जुम्हूरू अला अन्नहुमा यकूनानि लिज़हाबि ज़ौइश्शम्सि वल्क़मरि बिल्कुल्लियति व क़ील बिल्काफि फिल्इब्तिदाइ व बिल्खाइ फिल्इन्तिहाइ व ज़अम बअ्जु उलमाइल्हयअति अन्न कुसूफ़श्शम्सि ला हक़ीक़त लहू फइन्नहा ला ततगय्यरू फी नफ़्सिहा व इन्नमल्क़मर यहूलु बैनना व बैनहा व नुरूहा बाक़िन व अम्मा कुसूफ़ुल्क़मरि फ़हक़ीक़तुन फइन्न ज़ौअहू मिन ज़ौइश्शम्सि व कुसूफ़ुहू तक़ातुइ फला यब्क़ा फीहि ज़ौउल्बत्तति फखुसूफ़ुहू ज़िहाबु ज़ौइही हक़ीक़तन इन्तिहा.**

क़ालल्हाफ़िज़ अब्दुल्अज़ीज़ अल्मुन्ज़िरी व मन क़ब्लहू अल्क़ाज़ी अबूबक्र बिन अल्अरबी हदीथुल्कुसूफ़ि रवाहु अनिन्नबिय्यि (ﷺ) सब्अत अशर नफ़्सन रवाहु जमाअतुम्मिन्हुम बिल्काफ़ि व जमाअतुन बिल्खाइ व जमाअतुन बिल्लफ़्ज़ैनि जमीआ इन्तिहा वला रैब अन्न मदलूल्कुसूफ़ि लुगतन गैर मदलूलिल्खुसूफ़ि लिअन्नल्कुसूफ़ बिल्काफि अत्तगय्यरू इला सवादिन वल्ख़ुसूफ़ बिल्खाइ अन्नक़्सु वज़्ज़वालु. या'नी कुसूफ़ के मा'नी स्याही की तरफ़ मुतग़य्यर हो जाना है जब किसी का चेहरा मुतग़य्यर हो जाए तो लफ़्ज़ **कसफ़ वज्हहू** बोला करते हैं और ख़ुसूफ़ ख़ाए मुअ्जमा के साथ नुक़्सान को कहते हैं और लफ़्ज़े ख़सफ़ ज़िल्लत के मा'नी में बोला गया है ये भी कहा गया कि ग्रहण की इब्तिदाई हालत पर कुसूफ़ और इंतिहाई हालत पर ख़ुसूफ़ बोला गया है। कुछ उलम-ए-हियत का ऐसा ख़्याल है कि कुसूफ़े शम्स की कोई हक़ीक़त नहीं क्योंकि वो अपनी ज़ात में मुतग़य्यर नहीं होता चाँद उसके और हमारे बीच हाइल हो जाता है और उसका नूर बाक़ी रहता है (ये उलम-ए-हियत का ख़्याल है कि कोई शरई बात नहीं है हक़ीक़ते हाल से अल्लाह ही वाक़िफ़ है)।

कुसूफ़े क़मर की हक़ीक़त है उसकी रोशनी सूरज की रोशनी है जब ज़मीन उसके और चाँद के बीच हाइल हो जाती है तो उसमें रोशनी नहीं रहती।

हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम मुंज़री और क़ाज़ी अबूबक्र ने कहा कि हदीसे कुसूफ़ को आँहज़रत (ﷺ) से सत्रह सहाबियों ने रिवायत किया है। एक जमाअत ने उनमें से काफ़ के साथ या'नी लफ़्ज़े कुसूफ़ के साथ और एक जमाअत ने ख़ाअ के साथ और एक जमाअत ने दोनों लफ़्ज़ों के साथ। लग़्वी ए'तिबार से दोनों लफ़्ज़ों का मदलूल अलग-अलग है, कुसूफ़ स्याही की तरफ़ मुतग़य्यर होना और ख़सूफ़ नक़्स और ज़वाल की तरफ़ मुतग़य्यर होना। बहरहाल इस बारे में शारेअ (अलैहिस्सलाम) का जामेअ इर्शाद काफ़ी है कि दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं जिनके ज़रिये अल्लाह पाक अपने बन्दों को दिखाता है कि ये चाँद और सूरज भी उसके क़ब्ज़े में हैं और इबादत के लायक़ सिर्फ़ वही अल्लाह तबारक व तआला है जो लोग चाँद और सूरज की परस्तिश करते हैं वो भी इंतिहाई बेवक़ूफ़ी में मुब्तला हैं कि ख़ालिक़ को छोड़कर मख़्लूक़ को मअबूद बनाते हैं, सच है, **ला तस्जुदू लिश्शम्सि व ला लिल्क़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्न इन कुन्तुम इय्याहु तअ्बुदून** (फ़ुस्सिलत : 37) या'नी, 'चाँद और सूरज को सज्दा न करो बल्कि उस अल्लाह को सज्दा करो जिसने उनको पैदा किया है अगर तुम ख़ास उस अल्लाह की इबादत करते हो।' मा'लूम हुआ कि हर क़िस्म के सज्दे ख़ास अल्लाह ही के लिये करने ज़रूरी हैं।

बाब 1 : सूरज ग्रहण की नमाज़ का बयान

١ - بَابُ الصَّلاَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

(1040) हमसे अम्र बिन औन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने यूनुस से बयान किया, उनसे इमाम हसन बसरी ने बयान किया, उनसे अबूबक्र नफ़ीअ बिन

١٠٤٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُنْكَشَفَ مَا بِكُمْ)).[أطرافه في: ١٠٤٨، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ٥٧٨٥].

हारिष़ (रज़ि.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) के पास बैठे हुए थे कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। नबी करीम (ﷺ) (उठकर जल्दी में) चादर घसीटते हुए मस्जिद में गए। साथ ही हम भी गए, आप (ﷺ) ने हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई ताआँकि सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने फ़र्माया कि सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत व हलाकत से नहीं लगता लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो उस वक़्त नमाज़ और दुआ करते रहो जब तक कि ग्रहण खुल न जाए।

(दीगर मक़ाम : 1048, 1062, 1063, 5785)

١٠٤١- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَقُوْمُوا فَصَلُّوا)).

[طرفاه في: ١٠٥٧، ٣٢٠٤].

(1041) हमसे शिहाब बिन अ़ब्बाद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इब्राहीम बिन हुमैद ने ख़बर दी, उन्हें इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने, उन्हें क़ैस बिन अबी हाज़िम ने और उन्होंने कहा कि मैंने अबू मसऊ़द अंसारी (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया सूरज और चाँद में ग्रहण किसी शख़्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत की निशानियाँ हैं इसलिये इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो।

(दीगर मक़ाम : 1057, 2307)

तश्रीह : इस हदीष़ से मा'लूम हुआ कि ग्रहण की नमाज़ का वक़्त वही है जब ग्रहण लगे ख़्वाह वो किसी वक़्त हो और हन्फ़ियों ने औक़ाते मकरूहा को मुस्तष़्ना कर दिया है और इमाम अहमद से भी मशहूर रिवायत यही है और मालिकिया के नज़दीक उस वक़्त सूरज के निकलने से आफ़ताब के ढलने तक है और अहले हदीष़ ने अव्वल मज़हब को इख़्तियार किया है और वही राजेह है। (वहीदी)

١٠٤٢- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا

(1042) हमसे अस्बग़ बिन फ़र्रह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अ़म्र बिन हारिष़ ने अ़ब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से ख़बर दी, उन्हें उनके बाप क़ासिम बिन मुहम्मद ने और उन्हें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से ख़बर दी कि आपने फ़र्माया सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत व ज़िंदगी से नहीं लगता बल्कि ये अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, इसलिये जब तुम ये देखो तो नमाज़ पढ़ो।

(दीगर मक़ाम : 3201)

رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا)).

[أطرفه في: ٣٢٠١].

(1043) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हाशिम बिन क़ासिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने बयान किया, उनसे हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन (आप ﷺ के साहबज़ादे) हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) का इंतिक़ाल हुआ कुछ लोग कहने लगे कि ग्रहण हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात की वजह से लगा है। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता। बल्कि तुम जब उसे देखो तो नमाज़ पढ़ा करो और दुआ किया करो।

(दीगर मक़ाम : 1060, 6199)

١٠٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ)).

[طرفاه في: ١٠٦٠، ٦١٩٩].

तश्रीह : इत्तिफ़ाक़ से जब हज़रत इब्राहीम आँहज़रत (ﷺ) के बेटे गुज़र गए तो सूरज को ग्रहण लगा। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी मौत से ये ग्रहण लगा है, आप (ﷺ) ने इस ए'तिक़ाद (यक़ीन) का रद्द फ़र्माया। जाहिलियत के लोग सितारों की ताष़ीर ज़मीन पर पड़ने का ए'तिक़ाद (यक़ीन) रखते थे, हमारी शरीअ़त ने इसे बातिल क़रार दिया है। ह़दीष़े मज़्कूर से मा'लूम हुआ कि ग्रहण की नमाज़ का वक़्त वही है जब भी ग्रहण लगे ख़्वाह वो किसी भी वक़्त हो, यही मज़हब राजेह़ है। यहाँ ग्रहण को अल्लाह की निशानी क़रार दिया गया है। मुस्नद अह़मद और निसाई और इब्ने माजा वग़ैरह में इतना ज़्यादा मन्क़ूल है कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल जब किसी चीज़ पर तजल्ली करता है तो वो आजिज़ी से इताअ़त करती है। तजल्ली का अस़ल मफ़्हूम व मतलूब अल्लाह ही को मा'लूम है। ये ख़्याल कि ग्रहण हमेशा चाँद या ज़मीन के हाइल होने से होता है, ये उ़लम-ए-हियत का ख़्याल है और ये इल्म यक़ीनी नहीं है। हकीम देवजानिस कल्बी का ये हाल था कि जब उसके सामने कोई इल्मे हियत का मसला बयान करता तो वो कहता कि क्या आप आसमान से उतरे हैं। बहरहाल बक़ौल हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम उ़लम-ए-हियत जो कहते हैं कि ज़मीन या चाँद हाइल हो जाने से ग्रहण होता है, ये ह़दीष़ के ख़िलाफ़ नहीं है फिर भी ये आयते करीमा **मिन आयातिल्लाह** का इत्लाक़ इस पर स़ह़ीह़ है। रिवायत में जिस वाक़िअ़े का ज़िक्र है वो 10 हिजरी में बमाहे रबीउ़ल अव्वल या माहे रमज़ान में हुआ था। वल्लाहु अअ़लम बिस्सवाब।

स़ाह़िबे तस्हीलुल क़ारी लिखते हैं कि अगर ऐसा होता जैसे कुफ्फ़ार का ए'तिक़ाद (यक़ीन) था तो सूरज और चाँद का ग्रहण अपने मुक़र्ररा वक़्त पर न होता बल्कि जब भी दुनिया में किसी बड़े आदमी की मौत हो जाती या कोई बड़ा आदमी पैदा हो जाता तो ग्रहण लगा करता। हालाँकि अब कामिलीन इल्मे हियत ने सूरज और चाँद के ग्रहण के औक़ात ऐसे बताते हैं कि एक मिनट उनके आगे–पीछे ग्रहण नहीं होता और सालभर की बेशतर जंतरियों में लिख देते हैं कि इस साल सूरज ग्रहण फ़लाँ तारीख़ और फ़लाँ वक़्त होगा और चाँद ग्रहण फ़लाँ तारीख़ और फ़लाँ वक़्त में और ये भी लिख देते हैं कि सूरज व चाँद की टिक्की ग्रहण से कल छुप जाएगी या उनका इतना हिस्सा। और ये भी लिख देतें हैं कि किस मुल्क में किस क़दर ग्रहण लगेगा।

बहरहाल ये दोनों अल्लाह की क़ुदरत की अहम निशानियाँ है और क़ुर्आन पाक में अल्लाह ने फ़र्माया है, **वमा नुर्सिलु बिल्आयाति इल्ला तख़्वीफ़ा.** (बनी इस्राईल : 59) 'कि मैंअपनी क़ुदरत की कितनी ही निशानियाँ लोगों को डराने के लिये भेजता हूँ, जो अहले ईमान है वो उनसे अल्लाह के वजूदे बरहक़ पर दलील लेकर अपना ईमान मज़बूत करते हैं और जो इल्हाद व दहरियत (भौतिकतावाद) के शिकार हैं वो उनको माद्दी ऐनक (भौतिकतावादी चश्मे) से देखकर अपने इल्हाद व दोहरियत में तरक़्क़ी करते हैं। मगर हक़ीक़त यही है कि **व फी कुल्लि शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन .** या'नी कायनात की हर चीज़ में इस अम्र की निशानी मौजूद है कि अल्लाह पाक अकेला है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि **व फ़ी हाज़ल्हदीषि इब्त़ालुम्मा कान अहलुल्जाहिलिय्यति यअ्तक़िदूनहू मिन ताष़ीरिल्कवाकिबि क़ालल्ख़त्ताबी कानू फिल्जाहिलिय्यति यअ्तक़िदून अन्नल्कुसूफ़ यूजिबु हुदूष़ तगय्युरिल्अर्ज़ि मम्मौतिन व ज़ररिन फअ़ालमन्नबिय्यु (ﷺ) अन्नहू इतिक़ादुन बातिलुन व इन्नश्शम्स वल्क़मर ख़ल्क़ानि मुसख़्ख़रानि लिल्लाहि तआला लैस लहुमा सुल्तानुन फी गैरिहिमा व ला क़ुदरत अलद्दफ़्इ अन अन्फ़ुसिहिमा.** (नैलुल औतार) या'नी अहदे जाहिलियत वाले सितारों की ताष़ीर का जो ए'तिक़ाद (यक़ीन) रखते थे इस हदीष़ में उसका इब्ताल है। ख़त्ताबी ने कहा कि जाहिलियत के लोग ए'तिक़ाद रखते थे कि ग्रहण से ज़मीन पर मौत या किसी नुक़्सान का हादष़ा होता है। हुज़ूर (ﷺ) ने बतलाया कि ये ए'तिक़ाद (यक़ीन) बातिल है और सूरज और चाँद अल्लाह की दो मख़्लूक़ जो अल्लाह पाक के ही ताबेअ़ हैं उनको अपने ग़ैर में कोई इख़्तियार नहीं और न वो अपने ही नफ़्सों से किसी को दफ़ा कर सकते हैं।

आजकल भी अवामुन्नास जाहिलियत जैसा ही अक़ीदा रखती हैं, अहले इस्लाम को ऐसे ग़लत ख़्याल से बिल्कुल दूर रहना चाहिये और जानना चाहिये कि सितारों में कोई ताक़त नहीं है। हर क़िस्म की क़ुदरत सिर्फ़ अल्लाह पाक ही को हासिल है। (वल्लाहु अअ़लम)

बाब 2 : सूरज ग्रहण में सदक़ा—ख़ैरात करना

(1044) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया, उनसे उनके बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। पहले आप खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, क़याम के बाद रुकूअ़ किया और रुकूअ़ में बहुत देर तक रहे। फिर रुकूअ़ से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे लेकिन आपके पहले क़याम से कुछ कम। फिर रुकूअ़ किया तो बड़ी देर तक रुकूअ़ में रहे लेकिन पहले से कम, फिर सज्दे में गए और देर तक सज्दे की हालत में रहे। दूसरी रकअ़त में भी आप (ﷺ) ने इसी तरह किया। जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ हुए तो ग्रहण खुल चुका था। उसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया अल्लाह तआला की हम्दो—ष़ना के बाद फ़र्माया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह की निशानियाँ है और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह से दुआ करो तक्बीर कहो और नमाज़ पढ़ो और सदक़ा करो। फिर आपने फ़र्माया ऐ मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत

٢- بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

١٠٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ - وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ - ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي رَكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا

وَتَصَدَّقُوا)) ثُمَّ قَالَ: ((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا)).

[أطرافه في: ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٥٠، ١٠٥٦، ١٠٥٨، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦، ١٢١٢، ٣٢٠٣، ٤٦٢٤، ٥٢٢١، ٦٦٣١].

के लोगों! देखो इस बात पर अल्लाह तआला से ज़्यादा ग़ैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बन्दा या बन्दी ज़िना करे। ऐ उम्मते मुहम्मद (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! जो कुछ में जानता हूँ अगर तुम्हें मा'लूम हो जाए तो तुम हँसते कम और रोते ज़्यादा।

(दीगर मक़ाम : 1046, 1047, 1050, 1056, 1058, 1064, 1065, 1066, 1212, 3203, 4624, 5221, 6631)

तश्रीह : या'नी हर रकअत में दो-दो रुकूअ किये और दो-दो क़याम। अगरचे कुछ रिवायतों में तीन-तीन रुकूअ और कुछ में चार-चार, कुछ में पांच-पांच। हर रकअत में वारिद हुए हैं। मगर दो-दो रुकूअ की रिवायतें सेहत में बढ़कर हैं। और अहले हदीष़ और शाफ़िई का इस पर अमल है और हन्फ़िया के नज़दीक हर रकअत में एक ही रुकूअ करे। इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने कहा कि एक रुकूअ की रिवायतें सेहत में दो-दो रुकूअ की रिवायतों के बराबर नहीं है। अब जिन रिवायतों में दो रुकूअ से ज़्यादा मन्क़ूल हैं। या तो वो रावियों की ग़लती है या कुसूफ़ का वाक़िआ कई बार हुआ होगा। कुछ उलमा ने यही इख़्तियार किया है कि जिन-जिन तरीक़ों से कुसूफ़ की नमाज़ मन्क़ूल हैं उन सब तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। क़स्तलानी (रह.) ने पिछले मुतकल्लिमीन की तरह ग़ैरत की ता'वील की है और कहा है कि ग़ैरत ग़ुस्से के जोश को कहते हैं और अल्लाह तआला अपने तग़य्युरात से पाक है, अहले हदीष़ का ये तरीक़ नहीं। अहले हदीष़ अल्लाह की उन सब सिफ़ात को जो क़ुर्आन व हदीष़ में वारिद है अपने ज़ाहिरी मा'नी पर महमूल रखते हैं और उनमें ता'वील और तहरीफ़ नहीं करते। जब ग़ज़बे इलाही सिफ़ात में से है तो ग़ैरत भी उसकी सिफ़ात में से होगी। ग़ज़ब ज़्यादा और कम हो सकता है और तग़य्युर अल्लाह की ज़ातो-सिफ़ाते हक़ीक़िया में नहीं होता। लेकिन सिफ़ाते अफ़आल में तो तग़य्युर ज़रूरी है। मष़लन गुनाह करने से अल्लाह तआला नाराज़ होता है फिर तौबा करने से राज़ी हो जाता है। अल्लाह तआला कलाम करता और कभी कलाम नहीं करता। कभी उतरता है कभी चढ़ता है। ग़र्ज़ सिफ़ाते अफ़आलिया का हदष़ और तग़य्युर अहले हदीष़ के नज़दीक जाइज़ है। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

٣- بَابُ النِّدَاءِ بِالصَّلاَةِ جَامِعَةً فِي الْكُسُوفِ

बाब 3 : ग्रहण के वक़्त यूँ पुकारना कि नमाज़ के लिये इकट्ठे हो जाओ जमाअत से नमाज़ पढ़ो

١٠٤٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمِ بْنِ أَبِي سَلاَّمٍ الْحَبَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

(1045) हमसे इस्हाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमें यह्या बिन सालेह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे मुआविया बिन सलाम बिन अबी सलाम (रह.) हब्शी दमिश्क़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ज़ुहरी ने ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ ((بِالصَّلاَةُ جَامِعَةٌ)). [طرفه في: ١٠٥١].

लगा तो ये ऐलान किया गया कि नमाज़ होने वाली है।

(दीगर मक़ाम : 1051)

मक़्सदे बाब ये है कि ग्रहण की नमाज़ के लिये अज़ान नहीं दी जाती मगर लोगों में इस तौर पर ऐलान कराना कि नमाज़े ग्रहण जमाअ़त से अदा की जाने वाली है। लिहाज़ा लोगों शिर्कत के लिये तैयार हो जाओ। इस तरह ऐलान कराने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ऐसा ऐलान कराना बयान की गई हदीष़ से ष़ाबित है इससे ये भी मा'लूम हुआ कि ग्रहण की नमाज़ ख़ास एहतिमामे जमाअ़त के साथ पढ़नी चाहिये।

٤- بَابُ خُطْبَةِ الإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

बाब 4 : ग्रहण की नमाज़ में इमाम का ख़ुत्बा पढ़ना

और ह़ज़रत आइशा और अस्मा (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज ग्रहण में ख़ुत्बा सुनाया।

١٠٤٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَكَبَّرَ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَقِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ. ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى

(1046) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने (दूसरी सनद) और मुझसे अहमद बिन स़ालेह ने बयान किया कि हमसे अ़म्बष़ा बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे यूनुस बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझसे उ़र्वा ने नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुत़ह्हरा ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा, उसी वक़्त आप (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उन्होंने बयान किया कि लोगों ने ह़ुज़ूर अकरम (ﷺ) के पीछे स़फ़ बाँधी आपने तक्बीर कही और बहुत देर क़ुर्आन मजीद पढ़ते रहे फिर तक्बीर कही और बहुत लम्बा रुकूअ़ किया फिर समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा कहकर खड़े हो गये और सज्दा नहीं किया (रुकूअ़ से उठने के बाद) फिर बहुत देर तक क़ुर्आन पढ़ते रहे। लेकिन पहली क़िरअत से कम, फिर तक्बीर के साथ रुकूअ़ में चले गए और देर तक रुकूअ़ में रहे, ये रुकूअ़ भी पहले से कम था। अब समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह् और रब्बना लकल ह़म्द कहा फिर सज्दे में गए। आपने दूसरी रकअ़त में भी इसी त़रह़ किया (उन दोनों रकअ़तों में) पूरे चार रुकूअ़ और चार सज्दे किये। नमाज़ से फ़ारिग़ होने से पहले ही सूरज स़ाफ़ हो गया था। नमाज़ के बाद आप (ﷺ) ने खड़े होकर

ख़ुत्बा दिया और पहले अल्लाह तआला की उसकी शान के मुताबिक़ ता'रीफ़ की फिर फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह की दो निशानियाँ हैं उनमें ग्रहण किसी की मौत व ह़यात से नहीं लगता लेकिन जब तुम ग्रहण देखा करो तो फ़ौरन नमाज़ की तरफ़ लपको। ज़ुह्री ने कहा कि कष़ीर बिन अ़ब्बास अपने भाई अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत करते थे वो सूरज ग्रहण का क़िस्सा इस तरह बयान करते थे जैसे उ़र्वा ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया। ज़ुह्री ने कहा मैंने उ़र्वा से कहा तुम्हारे भाई अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने जिस दिन मदीना में सूरज ग्रहण हुआ सुबह की नमाज़ की तरह दो रकअ़त पढ़ी और कुछ ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ मगर वो सुन्नत के तरीक़ से चूक गए।

(राजेअ़ : 1044)

عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)) ثُمَّ قَالَ: ((هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ)). وَكَانَ يُحَدِّثُ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَومَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: إِنَّ أَخَاكَ يَومَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْمَدِيْنَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ، قَالَ: أَجَلْ، لأَنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ.

[راجع: ١٠٤٤]

तश्रीह : उनको ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ये ह़दीष़ न पहुँची होगी। हालाँकि अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर सह़ाबी (रज़ि.) थे और उ़र्वा ताबेई हैं। मगर उ़र्वा ने आँह़ज़रत (ﷺ) की ये ह़दीष़ नक़ल की और ह़दीष़ की पैरवी सब पर मुक़द्दम है। इस रिवायत से ये भी निकला कि बड़े-बड़े जलीलुल क़द्र सह़ाबी जैसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) हैं, इनसे भी ग़लती हो जाती थी तो और मुज्तहिदों से जैसे इमाम अबू ह़नीफ़ा और इमाम शाफ़िई हैं, उनसे ग़लती का होना कुछ बईद नहीं और अगर मुसन्निफ़ आदमी इमाम इब्ने क़य्यिम की ईलामुल मूक़िईन इंसाफ़ से देखे तो उसको इन मुज्तहिदों की ग़लतियाँ बख़ूबी मा'लूम हो सकती हैं। (वह़ीदी)

बाब 5 : सूरज ग्रहण का कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ दोनों कह सकते हैं

٥- بَابُ هَلْ يَقُولُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ؟

और अल्लाह तआला ने (सूरह क़ियामः में) फ़र्माया, 'व ख़सफ़ल क़मर'

وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ [القيامة : ٨]

तश्रीह : इस बाब से इमाम बुख़ारी (रह.) का मतलब ये है कि लफ़्ज़े कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ चाँद और सूरज दोनों के ग्रहण में मुस्तअ़मल (प्रयुक्त) होते हैं और जिन लोगों ने सूरज ग्रहण को कुसूफ़ या ख़ुसूफ़ कहने से मना किया है उनका क़ौल सही नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने चाँद ग्रहण को कुसूफ़ कहने से क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद सूरह क़ियामः में चाँद ग्रहण को ख़ुसूफ़ फ़र्माया (वह़ीदी)

(1047) हमसे सईद बिन उ़फ़ैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़क़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की बीवी मुतह्हरा ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि

١٠٤٧- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّ رَسُولَ

जिस दिन सूरज में ख़ुसूफ़ (ग्रहण) लगा तो नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई आप (ﷺ) खड़े हुए तक्बीर कही फिर देर तक नमाज़ पढ़ते रहे। लेकिन उसके बाद एक लम्बा रुकूअ किया। रुकूअ से सर उठाया तो कहा समिअल्लाहु लिमन हमिदह फिर आप पहले ही की तरह खड़े हो गये और देर तक कुर्आन मजीद पढ़ते रहे लेकिन इस बार की क़िरअत पहले से कुछ कम थी। फिर आप सज्दा में गए और बहुत देर तक सज्दे में रहे फिर दूसरी रकअत में भी आपने इसी तरह किया फिर जब आपने सलाम फेरा तो सूरज साफ़ हो चुका था। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और फ़र्माया कि सूरज और चाँद का 'कुसूफ़' (ग्रहण) अल्लाह तआला की एक निशानी है और उनमें 'खुसूफ़' (ग्रहण) किसी की मौत व हयात पर नहीं लगता। लेकिन जब तुम उसे देखो तो फ़ौरन नमाज़ के लिये लपको।

(राजेअ : 1044)

اللهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقَامَ كَمَا هُوَ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُوْلَى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيْلاً، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ – وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ – فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: ((إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ)). [راجع: ١٠٤٤]

दोनों के ग्रहण पर आपने कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ दोनों लफ़्ज़ इस्ते'माल किये हैं। बाब का मत़लब षाबित हुआ।

बाब 6 : नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान कि अल्लाह तआला अपने बन्दों को सूरज ग्रहण के ज़रिये डराता है

ये अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

(1048) हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे यूनुस बिन उबैद ने, उनसे इमाम हसन बसरी ने, उनसे अबूबक्र (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह तआला इसके ज़रिये अपने बन्दों को डराता है। अब्दुल वारिष़, शुअबा, ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह और हम्माद बिन सलमा इन सब हाफ़िज़ों ने यूनुस से ये जुम्ला, 'अल्लाह उनको ग्रहण करके अपने बन्दों को डराता है' बयान नहीं किया और यूनुस के साथ इस हदीष़ को मूसा ने मुबारक बिन फ़ज़ाला से, उन्होंने इमाम हसन बसरी से रिवायत किया। उसमें यूँ है कि अबूबक्र ने

٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُسُوفِ))

قَالَهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

١٠٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ)). لَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ: ((يُخَوِّفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ)). وَتَابَعَهُ مُوسَى

आहज़रत (ﷺ) से सुनकर मुझको ख़बर दी कि अल्लाह तआला उनको ग्रहण करके अपने बन्दों को डराता है और यूनुस के साथ इस हदीष़ को अशअष़ बिन अब्दुल्लाह ने भी इमाम हसन बस़री से रिवायत किया। (राजेअ : 1040)

عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ)). وَتَابَعَهُ الأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ. [راجع: ١٠٤٠]

तश्रीह : इसको ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने आगे चलकर वस्ल (मिलान) किया। भले ही कुसूफ़ या ख़ुसूफ़ ज़मीन या चाँद के हाइल होने से हो, जिसमें अब कुछ शक नहीं रहा। यहाँ तक कि मुंजिमीन और अहले हियते ख़ुसूफ़ और कुसूफ़ का ठीक वक़्त और ये कि वो किस मुल्क में कितना होगा पहले ही बता देते हैं। और तजुर्बे से वो बिलकुल ठीक निकलता है। इसमें बिल्कुल फ़र्क़ नहीं होता मगर इससे हदीष़ के मतलब में कोई ख़लल नहीं आया क्योंकि अल्लाह करीम अपनी क़ुदरत और ताक़त दिखलाता है कि चाँद और सूरज कैसे बड़े और रोशन इज्राम को वो दम भर में स्याह कर देता है। उसकी अज़्मत और ताक़त और हैयत से बन्दों को हर दम थर्राना चाहिये और जिसने चाँद और सूरज ग्रहण के आदी और हिसाबी होने का इंकार किया है वो उक़लाअ (अक्लमंदों) के नज़दीक हंसी के क़ाबिल है। (वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

बाब 7 : सूरज ग्रहण में अज़ाबे क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगना

٧- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ

(1049) हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे यह्या बिन सईद ने, उनसे अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की जोज़: मुतह्हरा आइशा (रज़ि.) ने कि एक यहूदी औरत उनके पास मांगने के लिये आई और उसने दुआ की कि अल्लाह तआला आपको क़ब्र के अज़ाब से बचाए। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या लोगों को क़ब्र में अज़ाब होगा? इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं अल्लाह तआला की उससे पनाह मांगता हूँ।

(दीगर मक़ाम : 1055, 1272, 6366)

١٠٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ)).

[أطرافه في: ١٠٥٥، ١٢٧٢، ٦٣٦٦].

(1050) फिर एक बार सुबह को (कहीं जाने के लिये) रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार हुए, उसके बाद सूरज ग्रहण लगा। आप (ﷺ) दिन चढ़े वापस हुए और अपनी बीवियों के हुज्रों से गुज़रते हुए (मस्जिद में) नमाज़ के लिये खड़े हो गए सहाबा (रज़ि.) ने भी आपकी इक़्तिदा में निय्यत बाँध ली। आप (ﷺ) ने बहुत लम्बा क़याम किया फिर रुकूअ भी बहुत लम्बा किया, उसके बाद खड़े

١٠٥٠ - ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى. فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَيْنَ ظَهْرَانَي الْحُجَرِ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ

الأوّل، ثُمّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوّلِ، ثُمّ رَفَعَ فَسَجَدَ، ثُمّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوّلِ، ثُمّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوّلِ، ثُمّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوّلِ، ثُمّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوّلِ، ثُمّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمّ قَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوّلِ ، ثُمّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأوّلِ، ثُمّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). [راجع: ١٠٤٤]

हुए और अब की दफ़ा क़याम फिर लम्बा किया लेकिन पहले स कुछ कम फिर रुकूअ़ किया और इस बार भी देर तक रुकूअ़ में रहे लेकिन पहले रुकूअ़ से कुछ कम, फिर रुकूअ़ से सर उठाया और सज्दा में गए। अब आप फिर दोबारा खड़े हुए और बहुत देर तक क़याम किया लेकिन पहले क़याम से थोड़ा कम। फिर एक लम्बा रुकूअ़ किया लेकिन पहले रुकूअ़ से कुछ कम, फिर रुकूअ़ से सर उठाया और क़याम में अब की बार भी बहुत देर तक रहे लेकिन पहले से कम देर तक (चौथी बार) फिर रुकूअ़ किया और बहुत देर तक रुकूअ़ में रहे लेकिन पहले से कम। रुकूअ़ से सर उठाया तो सज्दे में चले गए आख़िर आप (ﷺ) ने इस तरह नमाज़ पूरी कर ली, उसके बाद अल्लाह तआ़ला ने जो चाहा आपने फ़र्माया इसी ख़ुत्बा में आपने लोगों को हिदायत फ़र्माई कि अ़ज़ाबे क़ब्र से अल्लाह की पनाह माँगें। (राजेअ़ : 1044)

तश्रीह : कुछ रिवायतों में है कि जब यहूदी औरत ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से क़ब्र के अ़ज़ाब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा चलो क़ब्र का अ़ज़ाब यहूदियों को होगा। मुसलमानों का इससे क्या रिश्ता? लेकिन उस यहूदिया के ज़िक्र पर उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) से पूछा और आपने उसका ह़क़ होना बताया। इसी रिवायत में है कि आँह़ुज़ूर (ﷺ) ने स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) को अ़ज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगने की हिदायत फ़र्माई और ये नमाज़े कुसूफ़ के ख़ुत्बात का वाक़िआ नौ हिज्री में हुआ।

ह़दीष़ के आख़िरी जुम्ले से बाब का तर्जुमा निकलता है, उस यहूदन को शायद अपनी किताबों से क़ब्र का अ़ज़ाब मा'लूम हो गया होगा। इब्ने ह़िब्बान में से कि आयते करीमा में लफ़्ज़ **मईशतन ज़न्का** (त़ाहा: 124) इससे अ़ज़ाबे क़ब्र मुराद है और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा कि हमको अ़ज़ाबे क़ब्र की तह़क़ीक़ उस समय हुई जब आयते करीमा **हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर** (अत् तकाषुर : 2) नाज़िल हुई। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। और क़तादा और रबीअ़ ने आयत **सनुअज्जिबुहुम मर्रतैन** (तौबा : 101) की तफ़्सीर में कहा कि एक अ़ज़ाब दुनिया का और दूसरा अ़ज़ाब क़ब्र का मुराद है। अब इस ह़दीष़ में जो दूसरी रकअ़त में **दूनल क़ियामिल अव्वल** है, उसके मतलब में इख़्तिलाफ़ है कि दूसरी रकअ़त का क़यामे अव्वल मुराद है या अगले कुल क़याम मुराद है। कुछ ने कहा चार क़याम और चार रकआ़त हैं और हर एक क़याम और रुकूअ़ अपने मा-सबक़ से कम होता तो ष़ानी अव्वल से कम और ष़ालिष़ ष़ानी से कम और राबेअ़ ष़ालिष़ से कम। (वल्लाहु अअ़लम)

ये जो कुसूफ़ के वक़्त अ़ज़ाबे क़ब्र से डराया, उसकी मुनासबत ये है कि जैसे कुसूफ़ के वक़्त दुनिया में अँधेरा हो जाता है वैसे ही गुनाहगार की क़ब्र में जिस पर अ़ज़ाब होगा, अँधेरा छा जाएगा। अल्लाह तआ़ला पनाह में रखे। क़ब्र का अ़ज़ाब ह़क़ है, ह़दीष़ और क़ुर्आन से षाबित है जो लोग अ़ज़ाबे क़ब्र से इंकार करते हैं वो क़ुर्आन और ह़दीष़ का इंकार करते हैं। लिहाज़ा उनको अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करनी चाहिये।

٨- بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ

बाब 8 : ग्रहण की नमाज़ में लम्बा सज्दा करना

(1051) हमसे अबू नुऐम फ़ज़्ल बिन दुकैन कूफ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान बिन अ़ब्दुर्रहमान ने यह्या इब्ने अबी कष़ीर से बयान किया, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (रज़ि.) ने कि जब नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो ऐलान हुआ कि नमाज़ होने वाली है (उस नमाज़ में) नबी करीम (ﷺ) ने एक रकअ़त में दो रुकूअ़ किये और फिर दूसरी रकअ़त में भी दो रुकूअ़ किये, उसके बाद आप (ﷺ) बैठे रहे (क़अ़दे में) यहाँ तक कि सूरज स़ाफ़ हो गया। अ़ब्दुल्लाह ने कहा ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने उससे ज़्यादा लम्बा सज्दा और कभी नहीं किया। (राजेअ़ : 1045)

١٠٥١– حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ: إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ. فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ. قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا)). [راجع: ١٠٤٥]

सज्दे में बन्दा अल्लाह पाक के बहुत ही ज़्यादा क़रीब हो जाता है इसलिये उसमें जिस क़दर ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के साथ अल्लाह को याद कर लिया जाए और जो कुछ भी उससे मांगा जाए कम है। सज्दे में इस कैफ़ियत का ह़ासिल होना ख़ुशबख़्ती की दलील है।

बाब 9 : सूरज ग्रहण की नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा करना

٩– بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने ज़मज़म के चबूतरे में लोगों को ये नमाज़ पढ़ाई थी और अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने उसके लिये लोगों को जमा किया और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई।

وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ بِهِمْ فِي صُفَّةِ زَمْزَمَ. وَجَمَّعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ.

ये अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ताबेई हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के बेटे हैं और ख़ुल्फ़ा-ए-अ़ब्बासिया उन्हीं की औलाद हैं उनको सज्जाद कहते थे क्योंकि ये हर रोज़ हज़ार सज्दे किया करते थे जिस रात ह़ज़रत अ़ली मुर्तज़ा शहीद हुए उसी रात को ये पैदा हुए इसलिये उनका नाम बत़ौरे यादगार अ़ली ही रखा गया। इस रिवायत को इब्ने शैबा ने मौसूलन ज़िक्र किया। (क़स्तलानी रह.)

(1052) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अ़त़ा बिन यसार ने बयान किया, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी थी आप (ﷺ) ने इतना लम्बा क़ियाम किया कि इतनी देर में सूरह बक़र: पढ़ी जा सकती थी। फिर आप (ﷺ) ने रुकूअ़ लम्बा किया और उसके ब ाद खड़े हुए तो अब की बार भी क़ियाम बहुत लम्बा था लेकिन पहले से थोड़ा कम फिर एक दूसरा लम्बा रुकूअ़

١٠٥٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ،

ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ)). قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رأيناكَ كَعْكَعْتَ. قَالَ ﷺ: ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُودًا وَلَوْ أَصَبْتُه لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا. وَأُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)). قَالُوا: بِمَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((بِكُفْرِهِنَّ)). قِيْلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: ((يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ)).

किया जो पहले रुकूअ से कुछ कम था फिर आप (ﷺ) सज्दे में गए, सज्दे से उठकर फिर लम्बा क़याम किया लेकिन पहले क़याम के मुक़ाबले में कम था। रुकूअ से सर उठाने के बाद फिर आप (ﷺ) बहुत देर तक खड़े रहे और ये क़याम भी पहले से कम था। फिर (चौथा) रुकूअ किया ये भी बहुत लम्बा था लेकिन पहले से कुछ कम। फिर आप (ﷺ) ने सज्दा किया और नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो सूरज पूरी तरह साफ़ हो चुका था। उसके बाद आप (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया कि सूरज और चाँद दोनों अल्लाह तआ़ला की निशानियाँ हैं और किसी की मौत व हयात की वजह से उनमें ग्रहण नहीं लगता इसलिये जब तुमको मा'लूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करो। सहाबा (रज़ि.) ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने देखा कि (नमाज़ में) अपनी जगह से आप कुछ आगे बढ़े और फिर उसके बाद पीछे हट गए। आपने फ़र्माया कि मैंने जन्नत देखी और उसका एक ख़ोशा तोड़ना चाहा था अगर मैं उसे तोड़ सकता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते और मुझे जहन्नम दिखाई गई मैंने उससे ज़्यादा भयानक और ख़ौफ़नाक मंज़र कभी नहीं देखा। मैंने देखा उसमें औरतें ज़्यादा हैं। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसकी क्या वजह है? आपने फ़र्माया कि अपने कुफ़्र (इंकार) की वजह से। पूछा गया, क्या अल्लाह तआ़ला का कुफ़्र (इंकार) करती हैं? आपने फ़र्माया शौहर का और एहसान का कुफ़्र करती हैं । ज़िंदगी भर तुम किसी औरत के साथ हुस्ने सुलूक करो लेकिन कभी अगर कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हो गई तो फ़ौरन यही कहेगी कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी।

तश्रीह : ये हदीष़ इससे पहले भी गुज़र चुकी है, दोज़ख़ और जन्नत की तस्वीरें आपको दिखला दीं, इस हदीष़ में औरतों का भी ज़िक्र है जिसमें उनके कुफ़्र से नाशुक्री मुराद है। कुछ ने कहा कि आपने असल जन्नत और दोज़ख़ को देखा कि पर्दा बीच से उठ गया या ये मुराद है कि जहनम और जन्नत का एक एक टुकड़ा बतौरे नमूना आपको दिखलाया गया। बहरहाल ये आ़लमे बरज़ख़ की चीज़ें हैं जिस तरह हदीष़ में आ गया हमारा ईमान है, तफ़्सील में जाने की ज़रूरत नहीं। जन्नत के ख़ोशे के लिये आपने जो फ़र्माया वो इसलिये कि जन्नत और जन्नत की नेअ़मतें कभी फ़ना होने वाली नहीं है। इसलिये वो ख़ोशा अगर आ जाता तो वो यहाँ दुनिया के क़ायम रहने तक रहता मगर ये आ़लमे दुनिया उसका महल नहीं इसलिये उसका आपको मुआयना

कराया गया। इस रिवायत में भी आँहज़रत (ﷺ) का हर रकअत में दो रुकूअ करने का ज़िक्र है जिसके पेशेनज़र बिरादराने अहनाफ़ ने भी बहरहाल अपने मसलक के ख़िलाफ़ उस हक़ीक़त को तस्लीम किया है जो क़ाबिले तहसीन है। चुनाँचे साहिबे तफ़्हीमुल बुख़ारी के अल्फ़ाज़ मुलाहिज़ा हों; आप फ़र्माते हैं कि इस बाब की तमाम अहादीष में क़ाबिले ग़ौर बात ये है कि राविया़ें ने इस पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया है कि आप (ﷺ) ने हर रकअत में दो रुकूअ किये थे। चुनाँचे क़याम फिर रुकूअ फिर क़याम और फिर रुकूअ की कैफ़ियत पूरी तफ़्सील के साथ बयान करते हैं लेकिन सज्दे का ज़िक्र जब आया तो सिर्फ़ उसी पर इक्तिफ़ा किया कि आप (ﷺ) ने सज्दा किया था उसकी कोई तफ़्सील नहीं कि सज्दे कितने थे क्योंकि राविया़ें के पेशेनज़र उस नमाज़ के इम्तियाज़ को बयान करना है उससे भी यही समझ में आता है कि रुकूअ हर रकअत में आपने दो किये थे और जिनमें एक रुकूअ का ज़िक्र है उनमें इख़्तिसार से काम लिया गया है।

बाब 10 : सूरज ग्रहण में औरतों का मर्दों के साथ नमाज़ पढ़ना

١٠- بَابُ صَلاَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْكُسُوفِ

(1053) हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उर्वा ने, उन्हें उनकी बीवी फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर ने, उन्हें अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि जब सूरज को ग्रहण लगा तो मैं नबी करीम (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर आई। अचानक लोग खड़े हुए और नमाज़ पढ़ने लगे और आइशा (रज़ि.) भी नमाज़ पढ़ रही थी मैंने पूछा कि लोगों को बात क्या पेश आई? इस पर आपने आसमान की तरफ़ इशारा करके सुब्हानल्लाह कहा। फिर मैंने पूछा क्या कोई निशानी है? उसका आपने इशारे से हाँ में जवाब दिया। उन्होंने बयान किया कि फिर मैं भी खड़ी हो गई लेकिन मुझे चक्कर आ गया इसलिये मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो अल्लाह तआला की हम्दो-षना के बाद फ़र्माया कि वो चीज़ें जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी अब उन्हें मैंने अपनी इसी जगह से देख लिया। जन्नत और जहन्नम तक मैंने देखी और मुझे वह्य के ज़रिये बताया गया है कि तुम क़ब्र में दज्जाल के फ़ित्ने की तरह या (ये कहा कि) दज्जाल के फ़ितने के क़रीब एक फ़ित्ना में मुब्तला होओगे। मुझे याद नहीं कि अस्मा (रज़ि.) ने क्या कहा था आपने फ़र्माया कि तुम्हें लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि उस शख़्स (यानी नबी ﷺ) के बारे में तुम क्या जानते हो? मोमिन

١٠٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ- حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ - فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ. قَالَتْ : فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلاَّنِي الْغَشْيُ، فَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ - أَوْ قَرِيبًا مِنْ - فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ)، يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ

या ये कहा कि यक़ीन रखनेवाला (मुझे याद नहीं कि इन दोनों बातों में से हज़रत अस्मा रज़ि. ने कौनसी बात कही थी) तो कहेगा ये मुहम्मद (ﷺ) हैं, आपने हमारे सामने सही रास्ता और उसके दलाइल पेश किये और हम आप पर ईमान लाए थे और आपकी बात क़ुबूल की और आपकी इत्तिबा की थी। इस पर उससे कहा जाएगा कि तू नेक इन्सान है। पस आराम से सो जाओ हमें तो पहले ही पता था कि तू ईमान व यक़ीन वाला है। मुनाफ़िक़ या शक करने वाला (मुझे मा'लूम नहीं कि हज़रत अस्मा ने क्या कहा था) वो ये कहेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं मैंने लोगों से एक बात सुनी थी वही मैंने भी कही (आगे मुझको कुछ हक़ीक़त मा'लूम नहीं) (राजेअ : 86)

لَهُ : مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ - أَوِ قَالَ الْمُوقِنُ - (لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ : نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ - أَوِ الْمُرْتَابُ - (لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ) فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ)). [راجع: ٨٦]

तश्रीह : इस हदीष़ से बहुत से उमूर पर रोशनी पड़ती है जिनमें से सलाते कुसूफ़ में औरतों की शिर्कत का मसला भी है और उसमें अज़ाबे क़ब्र और इम्तिहाने क़ब्र की तफ़्सीलात भी शामिल हैं ये भी कि ईमान वाले क़ब्र में आँहज़रत (ﷺ) की रिसालत की तस्दीक़ और आपकी इत्तिबा का इज़्हार करेंगे और बेईमान लोग वहाँ चक्कर में पड़कर सहीह जवाब न दे सकेंगे और दोज़ख़ के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह हर मुसलमान को क़ब्र में ष़ाबितक़दमी अता फ़र्माए। (आमीन)

बाब 11 : जिसने सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करना पसंद किया (उसने अच्छा किया)

١١- بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

(1054) हमसे रबीआ बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ाइदा ने हिशाम से बयान किया, उनसे फ़ातिमा ने, उनसे अस्मा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण में गुलाम आज़ाद करने का हुक्म फ़र्माया। (राजेअ : 86)

١٠٥٤- حَدَّثَنَا رَبِيعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ)). [راجع: ٨٦]

बाब 12 : कुसूफ़ की नमाज़ मस्जिद में पढ़नी चाहिये

١٢- بَابُ صَلاَةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ

(1055) हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने यह्या बिन सईद अंसारी से बयान किया, उनसे अ़म्र बिन अ़ब्दुर्रहमान ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि एक यहूदी औरत उनके पास कुछ मांगने आई। उसने कहा कि आपको अल्लाह तआ़ला क़ब्र के अ़ज़ाब से बचाए, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि क्या क़ब्र

١٠٥٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ

عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ)). [راجع: ١٠٤٩]

में भी अज़ाब होगा? आँहुज़ूर (ﷺ) ने (ये सुनकर) फ़र्माया कि मैं अल्लाह की उससे पनाह माँगता हूँ। (राजेअ : 1049)

١٠٥٦- ((ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْحُجَرِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، أَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُونَ السُّجُودِ الأَوَّلِ. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)).

(1056) फिर आँहुज़ूर (ﷺ) एक दिन सुबह के वक़्त सवार हुए (कहीं जाने के लिये) इधर सूरज ग्रहण लग गया इसलिये आप (ﷺ) वापस आ गए, अभी चाश्त का वक़्त था। आँहुज़ूर (ﷺ) अपनी बीवियों के हुजरों से गुज़रे और (मस्जिद में) खड़े होकर नमाज़ शुरू कर दी सहाबा भी आप (ﷺ) की इक़्तिदा में सफ़ बाँधकर खड़े हो गए आपने क़याम बहुत लम्बा किया रुकूअ भी बहुत लम्बा किया। फिर रुकूअ से सर उठाने के बाद दोबारा लम्बा क़याम किया लेकिन पहले से कम उसके बाद रुकूअ बहुत लम्बा लेकिन पहले रुकूअ से कम। फिर रुकूअ से सर उठाकर आप सज्दे में गए और लम्बा सज्दा किया। फिर लम्बा क़याम किया और ये क़याम भी पहले से कम था। फिर लम्बा रुकूअ किया अगरचे ये रुकूअ भी पहले के मुक़ाबले में कम था। फिर आप (ﷺ) रुकूअ से खड़े हो गए और लम्बा क़याम किया लेकिन ये क़याम फिर पहले से कम था अब (चौथा) रुकूअ किया अगरचे ये रुकूअ पहले रुकूअ के मुक़ाबले में कम था। फिर सज्दा किया बहुत लम्बा लेकिन पहले सज्दे के मुक़ाबले में कम। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद जो कुछ अल्लाह तआला ने चाहा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया। फिर लोगों को समझाया कि क़ब्र के अ़ज़ाब से अल्लाह की पनाह माँगें।

तश्रीह : इस हदीष़ और दीगर अहादीष़ से षाबित होता है कि क़ब्र का अ़ज़ाब व षवाब बरहक़ है। इस मौक़े पर आँहज़रत (ﷺ) ने अ़ज़ाबे क़ब्र से पनाह मांगने का हुक्म फ़र्माया। इस बारे में शारेहीने बुख़ारी लिखते हैं, लिअज़्मि हौलिही व अयज़न फइन्न ज़ुल्मतल्कुसूफि इजा गमतिश्शम्सु तुनासिबु ज़ुल्मतुल्क़ब्रि वश्शयउ यज़्कुरू फयखाफु मिन हाज़ा कमा यखाफु मिन हाज़ा मिम्मा यस्तम्बितु मिन्हु अन्नहू यदुल्लु अ़ला अन्न अ़ज़ाबल्क़ब्रि बिही व ला युन्किरूहू इल्ला मुब्तदिउन (हाशिया बुख़ारी)

या'नी उसकी हौलनाक कैफ़ियत की वजह से आपने ऐसा फ़र्माया और इसलिये भी कि सूरज ग्रहण की कैफ़ियत जब उसकी रोशनी ग़ायब हो जाए, क़ब्र के अँधेरे से मुनासबत (समरूपता) रखती है। इसी तरह एक चीज़ का ज़िक्र दूसरी चीज़ के ज़िक्र की मुनासबत से किया जा सकता है और उससे डराया जाता है और इससे षाबित हुआ कि क़ब्र का अ़ज़ाब हक़ है और जुम्ला अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है जो अ़ज़ाबे क़ब्र का इंकार करे वो बिदअती है। (इन्तिहा)

बाब 13 : सूरज ग्रहण किसी के मरने या पैदा होने से नहीं लगता

١٣- بَابُ لاَ تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ

उसको अबूबक्र, मुग़ीरह, अबू मूसा अशअरी, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (रज़ि.) ने रिवायत किया है।

رَوَاهُ أَبُوبَكْرَةَ وَالْمُغِيْرَةُ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(1057) हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से बयान किया, कहा कि मुझसे क़ैस ने बयान किया, उनसे अबू मसऊद उक़्बा बिन आमिर अंसारी सहाबी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत की वजह से नहीं लगता अलबत्ता ये दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं, इसलिये जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज़ पढ़ो।
(राजेअ : 1041)

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا)).
[راجع: ١٠٤١]

(1058) हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मअमर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी और हिशाम बिन उर्वा ने, उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर ने, उन्हें हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप (ﷺ) खड़े हुए और लोगों के साथ नमाज़ में मशग़ूल हो गए। आप (ﷺ) ने लम्बी क़िरअत की, फिर रुकूअ किया और ये भी बहुत लम्बा था। फिर सर उठाया और इस बार भी देर तक क़िरअत की मगर पहली क़िरअत से कम। उसके बाद आप (ﷺ) ने (दूसरी बार) रुकूअ किया बहुत लम्बा लेकिन पहले के मुक़ाबले में कम फिर रुकूअ से सर उठाकर आप सज्दे में चले गए और दो सज्दे किये फिर खड़े हुए और दूसरी रकअत में भी उसी तरह किया जैसे पहली रकअत में कर चुके थे। उसके बाद फ़र्माया कि सूरज और चाँद में ग्रहण किसी की मौत व हयात से नहीं लगता। अलबत्ता ये दोनों अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआला अपने बन्दों को दिखाता है, इसलिये जब तुम उन्हें देखो तो फ़ौरन नमाज़ के लिये

١٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ فِي الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ الرُّكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيْهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا

दौड़ो। (राजेअ़ : 1044)

إِلَى الصَّلَاةِ)). [راجع: ١٠٤٤]

हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

बाब 14 : सूरज ग्रहण में अल्लाह को याद करना

١٤ - بَابُ الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ،

उसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने रिवायत किया

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(1059) हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे बुरैद बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे अबूबुर्दा ने, उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने कि एक दफ़ा सूरज ग्रहण हुआ तो नबी अकरम (ﷺ) बहुत घबराकर उठे इस डर से कि कहीं क़यामत न क़ायम हो जाए। आप (ﷺ) ने मस्जिद में आकर बहुत ही लम्बा क़याम रुकूअ और लम्बे सज्दों के साथ नमाज़ पढ़ी। मैंने कभी आप (ﷺ) को इस तरह करते नहीं देखा था। आप (ﷺ) ने नमाज़ के बाद फ़र्माया कि ये निशानियाँ हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला भेजता है ये किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं आतीं बल्कि अल्लाह तआ़ला उनके ज़रिये अपने बन्दों को डराता है इसलिये जब तुम इस तरह की कोई चीज़ देखो तो फ़ौरन अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र और उससे इस्तिग़फ़ार की तरफ़ लपको।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ: ((هَذِهِ الآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ)).

तश्रीह : क़यामत की कुछ अलामात (निशानियाँ) हैं जो पहले ज़ाहिर होंगी और फिर उसके बाद क़यामत बरपा होगी। इस हदीष़ में है कि आँहुज़ूर (ﷺ) अपनी हयात में ही क़यामत हो जाने से डरे हालाँकि उस वक़्त क़यामत की कोई अलामत नहीं पाई जा सकती थी। इसलिये इस हदीष़ के टुकड़े के बारे में ये कहा गया है कि आप उस तरह खड़े हुए जैसे अभी क़यामत आ जाएगी गोया उससे आप (ﷺ) की ख़शिय्यते इलाही व ख़ौफ़ की हालत को बताना मक़्सूद है। अल्लाह तआ़ला की निशानियों को देखकर एक ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ करने वाले की ये कैफ़ियत हो जाती है। हुज़ूर अकरम (ﷺ) अगर कभी घटा देखते या आँधी चल पड़ती तो आप (ﷺ) की उस वक़्त भी यही कैफ़ियत हो जाती थी। ये सहीह है कि क़यामत की अभी अलामतें ज़हूर-पज़ीर (नमूदार) नहीं हुई थीं लेकिन जो अल्लाह तआ़ला की शाने जलाली व क़ह्हारी में गुम होता है वो ऐसे मौक़ों पर ग़ौरो–फ़िक्र से काम नहीं ले सकता। हज़रत उ़मर (रज़ि.) को ख़ुद आँहुज़ूर (ﷺ) के ज़रिये जन्नत की बशारत दी गई थी लेकिन आप फ़र्माया करते थे अगर हश्र में मेरा मामला बराबर–सराबर ख़त्म हो जाए तो मैं उसी पर राज़ी हूँ। उसकी वजह भी यही थी अलग़र्ज़ ग़ौरो-तदब्बुर व इंसाफ़ की नज़र से अगर देखा जाए तो आपको मा'लूम हो जाएगा कि चाँद और सूरज ग्रहण की हक़ीक़त आप (ﷺ)ने ऐसे जामेअ़ लफ़्ज़ों में बयान कर दी कि साइन्स की मौजूदा मा'लूमात और आइन्दा की सारी मा'लूमात इसी एक जुम्ले के अंदर मुदग़म होकर रह गईं हैं। बिला शक व शुब्हा सारे इख़्तिराआते जदीद और ईजादाते मौजूदा (आधुनिक आविष्कार), मा'लूमाते साइन्सी सब अल्लाह पाक की क़ुदरत की निशानियाँ हैं। सबका अव्वलीन मौजिद (आविष्कारक) वही है जिसने इंसान को इन इजादात के लिये एक बेशक़ीमत दिमाग़ दिया **फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन वल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।**

कालल्किर्मानी हाज़ा तम्षीलुम्मिनर्रावी कअन्नहू फ़ज़अ कल्ख़ाशी अय्यंकूनल्क़यामतु व इल्ला फकानन्नबिय्यु (ﷺ) आलमिन बिअन्नस्साअ़त ला तक़ूमु व हुव बैन अज़्हुरिहिम व क़द वअ़दल्लाहु अअ़्लअ

दीनिही अलल्अदयानि कुल्लिहा व लम यबलुगिल्किताबु अजलहू या'नी किरमानी ने कहा कि ये तम्सील रावी की तरफ से है गोया आप (ﷺ) ऐसे घबराए जैसे कोई क़यामत के आने से डर रहा हो। वरना आँहज़रत (ﷺ) तो जानते थे कि आपकी मौजूदगी में क़यामत क़ायम नहीं होगी। अल्लाह ने आपसे वादा किया है कि क़यामत से पहले आपका दीन जुम्ला अदयान (अन्य सारे धर्मों) पर ग़ालिब आकर रहेगा और आपको ये भी मा'लूम था कि अभी क़यामत के बारे में अल्लाह का नविश्ताअपने वक़्त को नहीं पहुँचा है। **वल्लाहु आलमु बिस्सवाबि व मा अलैना इल्लल्बलाग़.**

बाब 15 : सूरज ग्रहण में दुआ करना

١٥- بَابُ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ

उसको अबू मूसा और आइशा (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है।

قَالَهُ أَبُو مُوسَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(1060) हमसे अबुल वलीद तियालिसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ाइद बिन क़ुदामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) से सुना कि उन्होंने कहा कि जिस दिन इब्राहीम (रज़ि.) की मौत हुई सूरज ग्रहण भी उसी दिन लगा। इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ग्रहण इब्राहीम (रज़ि.) (आँहुज़ूर ﷺ के साहबज़ादे) की वफ़ात की वजह से लगा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह तआला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। उनमें ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नहीं लगता। जब उसे देखो तो अल्लाह पाक से दुआ करो और नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो जाए। (राजेअ : 1043)

١٠٦٠- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ)).

[راجع: ١٠٤٣]

बाब 16 : ग्रहण के ख़ुत्बे में इमाम का अम्मा बअद कहना

١٦- بَابُ قَوْلِ الإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْكُسُوفِ: أَمَّا بَعْدُ.

(1061) और अबू उसामा ने बयान किया कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे फ़ातिमा बिन्ते मुंज़िर ने ख़बर दी, उनसे हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब सूरज साफ़ हो गया तो रसूलुल्लाह नमाज़ से फ़ारिग़ हुए और आपने ख़ुत्बा दिया। पहले अल्लाह तआला की शान के मुताबिक़ उसकी ता'रीफ़ की उसके बाद फ़र्माया, 'अम्मा बअद।' (राजेअ : 86)

١٠٦١- وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ((فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ)). [راجع: ٨٦]

बाब 17 : चाँद ग्रहण की नमाज़ पढ़ना

١٧- بَابُ الصَّلاَةِ فِي كُسُوفِ الْقَمَرِ

(1062) हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन आमिर ने बयान किया और उनसे शुअ़बा ने, उनसे यूनुस ने, उनसे इमाम ह़सन बस़री ने और उनसे अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा तो आप (ﷺ) ने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी थी। (राजेअ़: 1040)

١٠٦٢- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).

[راجع: ١٠٤٠]

तश्रीह : यहाँ से ए' तिराज़ हुआ है कि ये ह़दीष़ बाब के तर्जुमा से मुत़ाबक़त नहीं रखती; इसमें तो चाँद का ज़िक्र तक नहीं है और जवाब ये है कि ये रिवायत मुख़्तस़र है। उस रिवायत की, जो आगे आती है उसमें स़ाफ़ चाँद का ज़िक्र है और मक़्सूद वही दूसरी रिवायत है और उसको इसलिये ज़िक्र कर दिया कि मा' लूम हो जाए कि रिवायत मुख़्तसर भी मरवी हुई है। कुछ ने कहा स़ह़ीह़ बुख़ारी के एक नुस्ख़े में इस ह़दीष़ में यूँ है, **इन्कसफल्क़मरू** दूसरे मुम्किन है कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ के उस त़रीक़ की तरफ़ इशारा किया हो जिसको इब्ने अबी शैबा ने निकाला; उसमें यूँ है, **इन्कसफतिश्शम्सु वल्क़मरू** इमाम बुख़ारी (रह.) की आदत है कि एक ह़दीष़ बयान करके उसके दूसरे त़रीक़ की तरफ़ इशारा करते हैं और बाब का मत़लब उससे ये निकालते हैं। (वह़ीदी)

स़ीरते इब्ने ह़िब्बान में है कि पाँच हिजरी में भी चाँद ग्रहण भी हुआ था और आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसमें भी नमाज़ बा-जमाअ़त अदा की थी। मा' लूम हुआ कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण दोनों का एक ही हुक्म है मगर हमारे मुह़तरम बिरादराने अह़नाफ़ चाँद ग्रहण की नमाज़ के लिये नमाज़ बा-जमाअ़त के क़ाइल नहीं है। उसको अलग पढ़ने का फ़त्वा देते हैं। इस बाब में उनके पास बजुज़ राये क़ियास़ कोई दलील पुख़्ता नहीं है मगर उनको इस पर इस़रार है। लेकिन सुन्नते रसूल के शैदाइयों के लिये आँह़ज़रत (ﷺ) का त़ौर–त़रीक़ा ही सबसे बेहतर उ़म्दा चीज़ है। **अल्हम्दु लिल्लाहि अ़ला ज़ालिक.**

(1063) हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे इमाम ह़सन बस़री ने, उनसे अबूबक्र ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप अपनी चादर घसीटते हुए (बड़ी तेज़ी से) मस्जिद में पहुँचे। स़ह़ाबा भी जमा हो गये। फिर आपने उन्हें दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई, ग्रहण भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं और उनमें ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता इसलिये जब ग्रहण लगे तो उस वक़्त तक नमाज़ और दुआ में मशग़ूल रहो जब तक कि ये स़ाफ़ न हो जाए। ये आपने इसलिये फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के एक स़ाहबज़ादे इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात (उसी दिन) हुई

١٠٦٣- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ، وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ)). وَذَاكَ أَنَّ ابْنًا لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ

थी और कुछ लोग उनके बारे में कहने लगे थे (कि ग्रहण उनकी मौत पर लगा है)। (राजेअ : 1040)

لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَالِكَ)).
[راجع: ١٠٤٠]

इस हदीष़ में साफ़ चाँद ग्रहण का ज़िक्र मौजूद है और यही बाब का मक़्सद है।

बाब 17 : जब इमाम ग्रहण की नमाज़ में पहली रकअत लम्बी कर दे और कोई औरत अपने सर पर पानी डाले

بَابُ صَبِّ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ إِذَا طَالَ الإِمَامُ الْقِيَامَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى

इस बाब में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने कोई हदीष़ बयान नहीं की। कुछ नुस्ख़ों में ये बाब का तर्जुमा नहीं है तो शायद ऐसा हुआ कि ये बाब क़ायम करके इमाम बुख़ारी (रह.) इसमें कोई हदीष़ लिखनेवाले थे मगर उनको मौक़ा नहीं मिला या उनको ख़्याल न रहा और ऊपर जो हदीष़ हज़रत अस्मा (रज़ि.) की कई बार गुज़री इससे इस बाब का मतलब निकल आता है। (वहीदी)

बाब 18 : ग्रहण की नमाज़ में पहली रकअत का लम्बा करना

١٨- بَابُ الرَّكْعَةُ الأُوْلَى فِي الْكُسُوفِ أَطْوَلُ

(1064) हमसे महमूद बिन ग़ैलान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अहमद मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह ज़ुबैरी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद अंसारी ने, उनसे अ़म्र ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरज ग्रहण की दो रकअतों में चार रुकूअ किए और पहली रकअत दूसरी रकअत से लम्बी थी। (राजेअ : 1044)

١٠٦٤- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الأَوَّلُ وَالأَوَّلُ أَطْوَلُ)). [راجع: ١٠٤٤].

तश्रीह : सूरज और चाँद ग्रहण में नमाज़ बा-जमाअ़त मसनून है। मगर हन्फ़िया चाँद ग्रहण में नमाज़ बा-जमाअ़त के क़ाइल नहीं। अल्लाह जाने उनको ये फ़र्क़ करने की ज़रूरत कैसे महसूस हुई कि सूरज ग्रहण में तो नमाज़ बा-जमाअ़त जाइज़ हो और चाँद ग्रहण में नाजाइज़। इस फ़र्क़ के लिये कोई वाज़ेह दलील होनी चाहिये थी। बहरहाल ख़्याल अपना-अपना नज़र अपनी-अपनी।

बाब 19 : ग्रहण की नमाज़ में बुलन्द आवाज़ से क़िरअत करना

١٩- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ

(1065) हमसे मुहम्मद बिन मिहरान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन सलम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन नम्र ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब से सुना, उन्होंने उ़र्वा से और उ़र्वा ने (अपनी ख़ाला) हज़रत आइशा (रज़ि.) से, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने ग्रहण की नमाज़ में क़िरअत बुलन्द आवाज़ से की, क़िरअत से फ़ारिग़ होकर आप

١٠٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ

قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)). [راجع: ١٠٤٤]

(ﷺ) तक्बीर कहकर रुकूअ़ में चले गए जब रुकूअ़ से सर उठाया तो समिअ़ल्लाहु लिमन ह़मिदह रब्बना लकल ह़म्द कहा फिर दोबारा क़िरअत शुरू की। कहा ग्रहण की दो रकअ़तों में आपने चार रुकूअ़ और चार सज्दे किये।

(राजेअ़ : 1044)

١٠٦٦– وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ)). قَالَ الْوَلِيْدُ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ مَا صَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلَّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ إِذَا صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ. قَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ أَخْطَأَ السُّنَّةَ. تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ [راجع: ١٠٤٤]

(1066) और इमाम औज़ाई (रह.) ने कहा कि मैंने ज़ुह्री से सुना, उन्होंने ड़र्वा से और ड़र्वा ने आइशा (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) के अ़हद में सूरज ग्रहण लगा तो आपने एक आदमी से ऐलान करा दिया कि नमाज़ होने वाली है फिर आपने दो रकअ़तें चार रुकूअ़ और चार सज्दों के साथ पढ़ीं। वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया कि मुझे अ़ब्दुर्रह़मान बिन नम्र ने ख़बर दी और उन्होंने इब्ने शिहाब से सुना, उसी ह़दीष़ की त़रह ज़ुह्री (इब्ने शिहाब) ने बयान किया कि इस पर मैंने (ड़र्वा से) पूछा कि फिर तुम्हारे भाई अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने जब मदीना में कुसूफ़ की नमाज़ पढ़ाई तो क्यूँ न ऐसा किया कि जिस त़रह सुबह की नमाज़ पढ़ी जाती है, उसी त़रह से नमाज़े कुसूफ़ भी उन्होंने पढ़ाई। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ उन्होंने सुन्नत के ख़िलाफ़ किया। अ़ब्दुर्रह़मान बिन नम्र के साथ उस ह़दीष़ को सुलैमान बिन कष़ीर और सुफ़यान बिन ह़ुसैन ने भी ज़ुह्री से रिवायत किया, उसमें भी पुकारकर क़िरअत करने का बयान है। (राजेअ़ : 1044)

तश्रीह़ : या'नी सुन्नत ये थी कि ग्रहण की नमाज़ में हर रकअ़त में दो रुकूअ़ करते, दो क़याम मगर अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने जो सुबह की नमाज़ की त़रह इसमें हर रकअ़त में एक रुकूअ़ किया और एक ही क़याम; तो ये उनकी ग़लती है। वो चूक गए। त़रीक़-ए-सुन्नत के ख़िलाफ़ किया। अ़ब्दुर्रह़मान बिन नम्र के बारे में लोगों ने कलाम किया है गो ज़ुह्री वग़ैरह ने उसको सिक़ा कहा है मगर यह़्या बिन मुईन ने उनको ज़ईफ़ कहा है; तो इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस रिवायत का ज़ौफ़ रफ़अ़ (दूर) करने के लिये ये बयान फ़र्माकर कि अ़ब्दुर्रह़मान की मुताबअ़त सुलैमान बिन कष़ीर और सुफ़यान बिन ह़ुसैन ने भी की है। मगर मुताबअ़त से ह़दीष़ क़वी हो जाती है। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि उनके सिवा अ़क़ील और इस्ह़ाक़ बिन राशिद ने भी अ़ब्दुर्रह़मान बिन नम्र की मुताबअ़त की है। सुलैमान बिन कष़ीर की रिवायत को इमाम अह़मद ने और सुफ़यान बिन ह़ुसैन की रिवायत को तिर्मिज़ी और तह़ावी ने अ़क़ील की रिवायत को भी तह़ावी ने और इस्ह़ाक़ बिन राशिद की रिवायत को दारे क़ुत्नी ने वस्ल किया है। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम)

व क़द वरदलजहरु फ़ीहा अन अ़लिय्यिन मर्फ़ूअ़न अख़रजहुब्नु ख़ुज़ैमत व ग़ैरुहु व बिही क़ाल स़ाहिबा अबी ह़नीफ़त व अह़मद व इस्ह़ाक़ वब्न ख़ुज़ैमत वब्नलमुन्ज़िर व ग़ैरहुमा मिनश्शाफ़िइय्यति वब्निल्अ़रबी. (फ़त्हुल बारी)

या'नी कुसूफ़ में ज़ह्री क़िरअत के बारे में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से भी मर्फ़ूअ़न और मौक़ूफ़न इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत

की है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के दोनों शागिर्द इमाम मुहम्मद और इमाम यूसुफ़ भी इसी के क़ाइल हैं और अहमद और इस्हाक़ और इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने मुंज़िर और इब्ने अरबी वग़ैरह भी जहर के क़ाइल हैं। (वल्लाहु अअ़लम)

हदीषे आइशा (रज़ि.) **जहरन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ी सलातिल्ख़ुसूफ़ि बिक़िरातिही** के ज़ेल में हज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं, **हाज़ा नस्सुन फ़ी अन्न क़िरातहू (ﷺ) फ़ी सलाति कुसूफ़िश्शम्सि कानत जहरन ला सिर्रन व हुव यदुल्लु अ़ला अन्नस्सुन्नत फ़ी सलातिल्कुसूफ़ि हियल्जहरू बिल्क़िराति लल्इस्रारि व यदुल्लु लिज़ालिक अयज़न हदीषु अस्मा इन्दल्बुख़ारी कालज्जैलइ फी नसबिर्राया सफ़ा 232, जिल्द 2, अल्हाफ़िज़ फ़िद्दिराया, सफ़ा 137 वब्नुल्हुमाम फी फत्हिलक़दीर वल्अयनी फ़िन्निहायति व लिल्बुख़ारी मिन हदीषे अस्मा बिन्ति अबीबक्र क़ालत जहरन्नबिय्यु (ﷺ) फी सलातिल्कुसूफ़ि इन्तिहा व यदुल्लु लहू अयज़न लहू मा रवा इब्नु ख़ुज़ैमा वत्तहावी अ़न अलिय्यिन मर्फ़ूअन व मौक़ूफ़न मिनल्जहरि बिल्क़िराति फ़ी सलातिल्कुसूफ़ि कालत्तहावी बअ़्द रिवायतिल्हदीषि अन अलिय्यिन मौक़ूफ़न व लौ लम यज्हरिन्नबिय्यु (ﷺ) लिअन्नहू अलिम अन्नहुस्सुन्नतु फलम यतरूकिल्जहर वल्लाहु आलमु** (मिर्आत, जिल्द 2, सफ़ा : 375) या'नी ये हदीष इस अम्र पर नस्स है कि कुसूफ़े शम्स की नमाज़ में आँहज़रत (ﷺ) की क़िरअत जहरी थी, सिर्री न थी। और ये दलील है कि सलाते कुसूफ़ में जहरी क़िरअत सुन्नत है न कि सिर्री। और इस पर हज़रत अस्मा (रज़ि.) की ये हदीष भी दलील है। ज़ेल्अी ने अपनी किताब नस्बुर्राया, जिल्द नं. 2, पेज नं. 232 पर और हाफ़िज़ ने दिराया, पेज नं. 137 पर और इब्ने हुमाम ने फ़त्हुल क़दीर में और ऐनी ने निहाया में लिखा है कि इमाम बुख़ारी (रह.) के लिये हदीषे अस्मा बिन्ते अबीबक्र भी दलील है। जिसमें उनका बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने कुसूफ़ की नमाज़ में जहरी क़िरअत की थी और इब्ने ख़ुज़ैमा और तहावी में भी हज़रत अ़ली (रज़ि.) की सनद से मर्फ़ूअन और मौक़ूफ़न दोनों तरह से नमाज़े कुसूफ़ की नमाज़ में क़िरअत दलील है। हज़रत अ़ली (रज़ि.) की इस रिवायत को ज़िक्र करके इमाम तहावी ने फ़र्माया कि जिस वक़्त हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) के साथ कुसूफ़ की नमाज़ पढ़ी थी उस वक़्त अगर आँहज़रत (ﷺ) जहरी क़िरअत न फ़र्माते तो हज़रत अ़ली (रज़ि.) भी अपनी नमाज़ में जहरी क़िरअत न करते और बिला शक वे जानते थे कि जहरी सुन्नत है इसलिये उन्होंने उसे तर्क नहीं किया और सुन्नते नबवी के मुताबिक़ जहरी क़िरअत के साथ में उसे अदा फ़र्माया।

इस बारे में कुछ उ़लमा-ए-मुतक़द्दिमीन ने इख़्तिलाफ़ भी किये हैं मगर दलाइले क़विय्या की रू से तर्जीह जहरी क़िरअत ही को हासिल है। **व क़ाल फिस्सैलिल्जरारि रिवायतुल्जहरि असह्हु व अक्षरु व राविल्जहरि मुष्बितुन व हुव मुक़द्दमुन अलन्नाफ़ी व तअव्वल बअ़्जुल्हनफ़िय्यति हदीषु आइशत बिअन्नहू (ﷺ) जहर बिआयतिन औ आयतैनि क़ाल फिल्बदाइअ नहमिलु ज़ालिक अ़ला अन्नहू जहर बिबअ़्ज़िहा इत्तिफ़ाक़न कमा रूविय अन्नन्नबिय्य (ﷺ) कान युस्मिउल्आयत वल्आयतैनि फी सलातिज़्ज़ुहरि अहयानन इन्तिहा व हाज़ा तावीलुन बातिलुन लिअन्न आइशत कानत तुसल्ली फी हुज्रतिहा क़रीबम्मिनल्क़िब्लति व कज़ा उख़्तुहा अस्मा व मन कान कज़ालिक ला यख़्फ़ी अ़लैहि क़िरातुन्नबीय्यि (ﷺ) फलौ कान क़िरातुहू सिर्रंव व कान यजहरू बिआयतिन औ आयतैनि अहयानन कमा फअ़ल कज़ालिक फी सलातिज़्ज़ुहरि लमा अ़ब्बरत अन ज़ालिक बिअन्नहू कान यज्हरू बिल्क़िराति फी सलातिल्कुसूफ़ि कमा लम यक़ुल अहदुम्मिमन रवा क़िरातहू फि सलातिज़्ज़ुहरि अन्नहू जहर फीहा बिल्क़िराति.** (हवाला मज़्कूरा) या'नी सीले जरार में कहा कि जहर की रिवायत सहीह और अकषर है और जहर की रिवायत करने वाला रावी मुष्बत है जो नफ़ी करनेवाले पर उ़सूलन मुक़द्दम है। कुछ हन्फ़िया ने ये तावील की है कि आप (ﷺ) ने कुछ आयात को जहर (बा-आवाज़) से पढ़ लिया था जैसा कि आप (ﷺ) कुछ दफ़ा ज़ुहर की नमाज़ में भी कुछ आयात जहर से पढ़ लिया करते थे। पस हदीषे आइशा (रज़ि.) में जहरी से यही मुराद है और ये तावील बिलकुल बातिल है क्योंकि हज़रत आइशा (रज़ि.) और उनकी बहन अस्मा (रज़ि.) क़िब्ला के पास अपने हुज्रों में नमाज़ पढ़ती थीं और जो ऐसा हो उस पर आँहज़रत (ﷺ) की क़िरअत मख़्फ़ी रह सकती है। पस अगर आप (ﷺ) की क़िरअत कुसूफ़ की नमाज़ सिर्री होती और कभी-कभार कोई आयत ज़हर की तरह पढ़ दिया करते थे तो आइशा हज़रत अस्मा (रज़ि.) से जहरी क़िरअत से न ता'बीर करतीं। जैसा कि आपके नमाज़े ज़ुहर में कुछ आयात को जहरी पढ़ देने से किसी ने भी उसको जहरी क़िरअत पर महमूल नहीं किया।

17. किताब सुजूदुल क़ुर्आन

सुजूदे-क़ुर्आन के मसाइल

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : सज्द-ए-तिलावत और उसके सुन्नत होने का बयान

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا

तश्रीह : सज्द-ए-तिलावत अकषर अइम्मा के नज़दीक सुन्नत है और ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा के यहाँ वाजिब है। अहले ह़दीष़ के नज़दीक क़ुर्आन शरीफ़ में 15 जगह सज्द-ए-तिलावत है। सूरह ह़ज्ज में दो सज्दे हैं, इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक सूरह जिन्न में सज्दा नहीं है और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के नज़दीक सूरह ह़ज्ज में एक ही सज्दा है। हालाँकि स़ाफ़ रिवायत मौजूद है कि सूरह ह़ज्ज में दो सज्दे हैं जो ये दो सज्दे न करे वो इस सूरह को न पढ़े। बहरह़ाल अपना-अपना ख़्याल और अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी है। सज्द-ए-तिलावत में ये दुआ माष़ूर है। **सजद वज्हियलिल्लज़ी ख़लक़हू व शक़्क़ समअहू व बसरहू बिहौलिही व क़ुव्वतिही.**

(1067) हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुंदर मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया और उनसे अबू इस्ह़ाक़ ने उन्होंने कहा कि मैंने अस्वद से सुना उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से कि मक्का में नबी करीम (ﷺ) ने सूरह अन् नज्म की तिलावत की और सज्द-ए-तिलावत किया आपके पास जितने आदमी थे (मुस्लिम और काफ़िर) उन सबने भी आपके साथ सज्दा किया। अलबत्ता एक बूढ़ा शख़्स (उमय्या बिन ख़लफ़) अपने हाथ में कंकरी या मिट्टी उठाकर अपनी पेशानी तक ले गया और कहा मेरे लिये यही काफ़ी है मैंने देखा कि बाद में वो बूढ़ा काफ़िर ही रहकर मारा गया।
(दीगर मक़ाम : 1070, 3853, 3972, 4863)

١٠٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ : يَكْفِيْنِي هَذَا. فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا)).
[أطرافه في: ١٠٧٠، ٣٨٥٣، ٣٩٧٢، ٤٨٦٣].

तश्रीह : शाह वलीउल्लाह स़ाहब (रह.) ने लिखा है कि जब ह़ुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सूरह नज्म की तिलावत की तो मुश्रिकीन इस दर्जा मक़्हूर व मग़्लूब हो गए कि जब आप (ﷺ) ने आयते-सज्दा पर सज्दा किया तो मुसलमानों के साथ वो भी सज्दे में चले गए। इस बाब में ये तावील सबसे ज़्यादा मुनासिब और वाज़ेह़ है कि ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के साथ भी इसी त़रह़ का वाक़िआ पेश आया था। क़ुर्आन मजीद में है कि जब फ़िरऔन के बुलाए हुए जादूगरों के मुक़ाबले में आपका अ़स़ा (लाठी) सांप बन गया और उनके शोअ़बदों (जादू) की ह़क़ीक़त खुल गई तो सारे जादूगर सज्दे में पड़ गए। ये भी ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के मुअ़जज़े से मदहोश व मग़्लूब हो गए थे। उस वक़्त उन्हें अपने ऊपर क़ाबू न रहा था और

सब एक ज़ुबान होकर बोल उठे थे कि **आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून** यही कैफ़ियत मुश्रिकीने मक्का की हो गई थी।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की एक रिवायत में है कि आँहुज़ूर (ﷺ) जब आयते सज्दा पर पहुँचे तो आपने सज्दा किया और हमने सज्दा किया। दारे क़ुत्नी की रिवायत में है कि जिन्न व इंस तक ने सज्दा किया। जिस बूढ़े ने सज्दा नहीं किया था वो उमय्या बिन ख़लफ़ था।

अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि, **व अम्मल्मुसन्निफ़ु फ़ी रिवायते इस्राईल अन्नन्नज्मु अव्वलु सूरतिन उन्ज़िलत फीहा सजदतुन व हाज़ा हुवस्सिर्रू फी बदाअतिल्मुसन्निफ़ि फी हाज़िहिल्अबवाबि बिहाज़ल्हदीषि.** या'नी मुसन्निफ़ ने रिवायते इस्राईल में बताया कि सूरह नज्म पहली सूरत है जिसमें सज्दा नाज़िल हुआ यहाँ भी उन अब्वाब को इस हदीष से शुरू करने में यही भेद है यूँ तो सज्दा सूरह इक़रा मे उससे पहले भी नाज़िल हो चुका था आँहज़रत (ﷺ) ने जिसका खुलकर ऐलान फ़र्माया वो यही सूरह नज्म है औरउसमें ये सज्दा है, **अन्नल्मुराद अव्वलु सूरतिन फीहा सज्दतुन तलाहा जहरन अलल्मुश्रिकीन** (फ़त्हुल बारी)

बाब 2 : सूरह अलिफ़ लाम मीम तंज़ील में सज्दा करना

٢- بَابُ سَجْدَةِ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ

(1068) हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान षौरी ने बयान किया, उन्होंने सअ़द बिन इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ से बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अअ़रज ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अ़े के दिन फ़ज्र की नमाज़ में अलिफ़ लाम मीम तंज़ीलुल (अस्सज्दा) और हल अता अ़लल इंसान (सूरह दहर) पढ़ा करते थे। (राजेअ़ : 891)

١٠٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ ﴿الم تَنْزِيْلُ﴾ السَّجْدَةَ وَ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾)).

[راجع: ٨٩١]

तश्रीह : ये हदीष़ बाब के तर्जुमा के मुताबिक़ नहीं है मगर हज़रत इमाम (रह.) ने अपनी वुस्अ़ते नज़री की बिना पर इस हदीष़ के दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा कर दिया जिसे तबरानी ने मुअ़जम स़ग़ीर में निकाला है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम की तिलावत फ़र्माई और सज्द-ए-तिलावत किया ये रिवायत हज़रत इमाम के शराइत पर न थी। इसलिये यहाँ सिर्फ़ ये रिवायत लाए जिसमें ख़ाली पहली रकअ़त में अलिफ़ लाम मीम तंज़ील पढ़ने का ज़िक्र है इसमें भी ये इशारा है कि अगरचे अहादीष़ में सज्द-ए-तिलावत का ज़िक्र नहीं मगर इसमें सज्द-ए-तिलावत है लिहाज़ा ऐलानन आपने सज्दा भी किया होगा।

अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं **लम अर फी शैइन मिनत्तरीकित्तस्रीहि बिअन्नहू (ﷺ) सजद लम्मा क़रअ सूरतत्तन्ज़ील अस्सजदत फी हाज़ल्महल्लि इल्ला फी किताबिश्शरीअ़ति लिइब्नि अबी दाऊद मिन तरीक़िन उख़्रा अन सईदिब्नि जुबैरिन अनिब्नि अ़ब्बासिन क़ाल गदौतु अलन्नबिय्यि (ﷺ) यौमुल्जुम्अति फी स़लातिल्फज्रि फक़रअ फीहा सूरतन फीहा सजदतन फसजद अल्हदीषि व फी इस्नादिही मय्यंन्ज़ुरू फी हालिही व लित्तबरानी फिस्सगीर मिन हदीषि अ़लिय्यिन अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सजद फी स़लातिस्सुब्हि फी तन्जील अस्सजदः लाकिन्न फी इस्नादिही ज़ुअ़फ़ुन.** या'नी मैंने स़राहतन किसी रिवायत में ये नहीं पाया कि आँहज़रत (ﷺ) ने जब उस मुक़ाम पर (या'नी नमाज़े फ़ज्र में) सूरह अलिफ़ लाम मीम तंज़ील सज्दा को पढ़ा आपने यहाँ सज्दा किया हो। हाँ किताबुश्शरीआ़ इब्ने अबी दाऊद में इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि मैंने एक जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ आँहज़रत (ﷺ) के पीछे अदा की और आपने सज्दा वाली सूरह पढ़ी और सज्दा किया। तबरानी में हदीषे अली (रज़ि.) में ये वज़ाहत मौजूद है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ में ये सूरह पढ़ी और सज्दा किया। इन सूरतों के फ़ज्र की नमाज़ में जुम्आ के दिन बिला नाग़ा पढ़ने में भेद ये है कि उनमें पैदाइशे-आदम (अ़लैहिस्सलाम) फिर क़यामत के वाक़ेअ होने का ज़िक्र है। आदम

(अलैहिस्सलाम) की पैदाइश जुम्अे के दिन हुई और क़यामत भी जुम्आ ही के दिन क़ायम होगी। जुम्अे के दिन नमाज़े फ़ज्र मे उन दोनों सूरतों को हमेशगी के साथ पढ़ना आँहज़रत (ﷺ) से षाबित है और ये भी षाबितशुदा अम्र है कि अलिफ़ लाम मीम में सज्द-ए-तिलावत है। पस ये मुम्किन नहीं कि आँहज़रत (ﷺ) इस सूरह-ए-शरीफ़ा को पढ़ें और सज्द-ए-तिलावत न करें। फिर तबरानी वग़ैरह में सराहत के साथ उस अम्र का ज़िक्र भी मौजूद है। इस तफ़्सील के बाद अल्लामा इब्ने हजर ने जो नफ़ी फ़र्माई है वो इसी हक़ीक़त बयानकर्दा की रोशनी में मुतालआ करनी चाहिये।

बाब 3 : सूरह साद में सज्दा करना

٣- بَابُ سَجْدَةِ ص

(1069) हमसे सुलैमान बिन हर्ब और अबुन नोअमान बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उन दोनों ने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे इक्रमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सूरह साद का सज्दा कुछ ताकीदी सज्दों में से नहीं है और मैंने नबी करीम (ﷺ) को सज्दा करते हुए देखा। (दीगर मक़ाम : 3422)

١٠٦٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((ص لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا)). [طرفه في : ٣٤٢٢].

निसाई में है कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह साद में सज्दा किया और फ़र्माया कि ये सज्दा दाऊद (अलैहिस्सलाम) ने तौबा के लिये किया था, हम शुक्र के तौर पर ये सज्दा करते हैं। इस हदीष में **लैस मिन अज़ाइमिस्सुजूद** का भी यही मतलब है कि सज्दा तो दाऊद (अलैहिस्सलाम) का था और उन्हीं की सुन्नत पर हम भी शुक्र के लिये ये सज्दा करते हैं। अल्लाह तआला ने हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) की तौबा क़ुबूल की थी।

वल्मुरादु बिल्अज़ाइमि मा वरदतिल्अज़ीमतु अला फिअ्लिही कसीगतिल्अम्रि (फ़त्हुल बारी) या'नी अज़ाइम से मुराद वो जिनके लिये सैग़-ए-अम्र के साथ ताकीद वारिद हुई हो। सूरह साद का सज्दा ऐसा नहीं है; हाँ बतौरे शुक्र सुन्नत ज़रूर है।

बाब 4 : सूरह नज्म में सज्दा का बयान

٤- بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

इसको अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है।

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(1070) हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, अबू इस्हाक़ से बयान किया, उनसे अस्वद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह अन् नज्म की तिलावत की और उसमें सज्दा किया उस वक़्त क़ौम का कोई फ़र्द (मुसलमान और काफ़िर) भी ऐसा न था जिसने सज्दा न किया हो। अलबत्ता एक शख़्स ने हाथ में कंकरी या मिट्टी लेकर अपने चेहरे तक उठाई और कहा कि मेरे लिये यही काफ़ी है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने कहा कि बाद में मैंने देखा कि वो कुफ़्र की हालत ही में क़त्ल हुआ (ये उमय्या बिन ख़लफ़ था)। (राजेअ : 1067)

١٠٧٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِيْنِي هَذَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا)). [راجع: ١٠٦٧]

इस हदीष से सूरह अन् नज्म में सज्द-ए-तिलावत षाबित हुआ।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं **फलअ़ल्ल जमीअ मन वुफ़्फ़िक़ लिस्सुजूदि यौमइज़िन ख़ुतिम लहू बिल्हुस्ना अस्लम लिबर्कतिस्सुजूदि** या'नी जिन लोगों ने उस दिन आँह़ज़रत (ﷺ) के साथ सज्दा कर लिया (ख़्वाह उनमें से काफ़िरों की निय्यत कुछ भी हो बहरह़ाल) उनको सज्दे की बरकत से इस्लाम लाने की तौफ़ीक़ हुई और उनका ख़ात्मा इस्लाम पर हुआ। बाद के वाक़िआत से षाबित है कि कुफ़्फ़ारे मक्का बड़ी ता'दाद में मुसलमान हो गए थे जिनमें यक़ीनन उस मौक़े पर ये सज्दे करनेवाले भी शामिल हैं। मगर उमय्या बिन ख़लफ़ ने सज्दा नहीं किया बल्कि रस्मन मिट्टी को हाथ में लेकर सर से लगा लिया, उस तकब्बुर की वजह से उसको इस्लाम नसीब नहीं हुआ। आख़िर कुफ़्र की ही ह़ालत में वो मारा गया।

ख़ुलासा ये कि सूरह नज्म में भी सज्दा है और ये अ़ज़ाइमे सुजूद में शुमार कर लिया गया है, या'नी जिन सज्दों का अदा करना ज़रूरी है। **व अन अ़लिय्यिन मा वरदल्अम्रू फीहि बिस्सुजूदि अ़ज़ीमतुन** या'नी ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जिन आयात में सज्दा करने का हुक्म स़ादिर हुआ है वो सज्दे ज़रूरी हैं (फ़त्हुल बारी)। मगर ज़रूरी का मत़लब ये भी नहीं कि वो फ़र्ज़-वाजिब हों; जबकि सज्द-ए-तिलावत सुन्नत के दर्जे में हैं ये अम्र अलग है कि हर सुन्नते नबवी पर अ़मल करना हर एक मुसलमान के लिये सआ़दते दारैन का वाहिद वसीला है। वल्लाहु अअ़लम

बाब 5 : मुसलमानों का मुश्रिकों के साथ सज्दा करना हालाँकि मुश्रिक नापाक है

٥- بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِيْنَ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

उसको वुज़ू कहाँ से आया और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बेवुज़ू सज्दा किया करते थे.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

इसको इब्ने अबी शैबा ने निकाला है कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) सवारी से उतरकर इस्तिंजा करते फिर सवार होते और तिलावत का सज्दा बेवुज़ू करते। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि शुअ़बी के सिवा और कोई इब्ने उ़मर के साथ इस मसले में मुवाफ़िक़ नहीं हुआ। बहरह़ाल ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मसलक षाबित हुआ कि बग़ैर वुज़ू ये सज्दा कर सकते हैं। **इस्तदल्ल बिज़ालिक अ़ला जवाज़िस्सुजूदि बिला वुज़ूइन इन्द वुजूदिल्मुशक़्क़ति बिल्माइ बिल्वुज़ूइ** (फ़त्हुल बारी) या'नी जब वुज़ू करना मुश्किल हो तो ये सज्दा बग़ैर वुज़ू जाइज़ है।

(1071) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया, उनसे इकरिमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने सूरह अन् नज्म में सज्दा किया तो मुसलमानों, मुश्रिकों और जिन्न व इन्स सबने आपके साथ सज्दा किया। इस ह़दीष़ की रिवायत इब्राहीम बिन त़ह्मान ने भी अय्यूब सुख़्तियानी से की है। (दीगर मक़ाम : 4862)

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ)). وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ.

[طرفه في : ٤٨٦٢].

ज़ाहिर है कि मुसलमान भी उस वक़्त सब बावुज़ू न होंगे और मुश्रिकों के वुज़ू का तो कोई सवाल ही नही, लिहाज़ा बेवुज़ू सज्दा करने का जवाज़ निकला और इमाम बुख़ारी (रह.) का भी यही क़ौल है।

बाब 6 : सज्दा की आयत पढ़कर

٦- بَابُ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ

सज्दा न करना

يَسْجُدْ

(1072) हमसे सुलैमान बिन दाऊद अबुर्रबीआ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमें यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा ने ख़बर दी, उन्हें (यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह) इब्ने क़ुसैत़ ने, और उन्हें अ़त़ा बिन यसार ने कि उन्होंने ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) से सवाल किया। आपने यक़ीन के साथ उस अम्र का इज़हार किया कि नबी करीम (ﷺ) के सामने सूरह अन् नज्म की तिलावत आपने की थी और आँहुज़ूर (ﷺ) ने उसमें सज्दा नहीं किया। (दीगर मक़ाम : 1073)

١٠٧٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : ((أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا)). [طرفه في: ١٠٧٣].

आपकेसाथ उस वक़्त सज्दा न करने की कई वजहें हैं। अ़ल्लामा इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं, **औ तरक हीनइज़िन लिबयानिल जवाज़ि व हाज़ा अर्जल्हुल इहतिमालाति व बिही जज़्मश्शाफ़िइ** (फ़त्हुलबारी) या'नी आपने सज्दा इसलिये नहीं किया कि उसका तर्क (छोड़ना) भी जाइज़ है इसी तावील को तर्जीह़ ह़ासिल है इमाम शाफ़िई का यही ख़याल है।

(1073) हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन क़ुसैत़ ने बयान किया, उनसे अ़त़ा बिन यसार ने, उनसे ज़ैद बिन ष़ाबित (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सूरह अन् नज्म की तिलावत की और आप (ﷺ) ने उसमें सज्दा नहीं किया।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: ((قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّجْمِ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا)).

तश्रीह : इस बाब से इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ ये है कि कुछ सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं है। कुछ ने कहा कि उसका रद्द मंज़ूर है जो कहता है कि मुफ़स्सल सूरतों में सज्दा नही है क्योंकि सज्दा करना फ़ौरन वाजिब नहीं तो सज्दा तर्क करने से ये नहीं निकलता कि सूरह वन् नज्म में सज्दा नहीं है। जो लोग सज्द-ए-तिलावत को वाजिब कहते हैं वो भी फ़ौरन सज्दा करना ज़रूरी नहीं जानते। मुम्किन है आपने बाद में सज्दा कर लिया हो। बज़्ज़ार और दारे क़ुत़्नी ने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से निकाला है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने सज्द-ए-वन् नज्म में सज्दा किया और हमने भी आपके साथ सज्दा किया।

बाब 7 : सूरह इज़स्समाउन्नशक़्क़त में सज्दा करना

٧- بَابُ سَجْدَةِ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾

(1074) हमसे मुस्लिम इब्ने इब्राहीम और मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन अबी अ़ब्दुल्लाह दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को सूरह इज़स्समाउन्नशक़्क़त पढ़ते देखा। आपने उसमें सज्दा किया मैंने

١٠٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ

انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ بِهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ، لَمْ أَسْجُدْ)).

कहा कि या अबा हुरैरह! क्या मैंने आपको सज्दा करते हुए नहीं देखा है। आपने कहा कि अगर मैं नबी करीम (ﷺ) को सज्दा करते न देखता तो मैं भी न करता।

٨- بَابُ مَنْ سَجَدَ بِسُجُودِ الْقَارِىءِ

बाब 8 : सुनने वाला उसी वक़्त सज्दा करे जब पढ़ने वाला करे

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ - وَهُوَ غُلاَمٌ - فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ: اسْجُدْ، فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا.

और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने तमीम बिन हज़्लम से कहा—— कि वो लड़का था उसने सज्दे की आयत पढ़ी—— सज्दा कर। क्योंकि तू इस सज्दे में हमारा इमाम है।

मतलब ये है कि सुननेवाले को जब सज्दा करना चाहिये कि पढ़ने वाला भी करे अगर पढ़ने वाला सज्दा न करे तो सुननेवाले पर भी लाज़िम नहीं है। इमाम बुख़ारी (रह.) का शायद यही मज़हब है और जुम्हूर उ़लमा का ये क़ौल है कि सुननेवाले पर हर तरह सज्दा है अगरचे पढ़नेवाला बेवुज़ू या नाबालिग़ काफ़िर या औरत या तारिकुस्सलात हो या नमाज़ पढ़ा रहा हो। (वहीदी)

١٠٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ الَّتِي فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ)).

[طرفاه في: ١٠٧٦، ١٠٧٩].

(1075) हमसे मुसद्दद बिन मुसरहिद ने बयान किया कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने बयान किया कहा कि हमसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया, उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) हमारी मौजूदगी में आयते सज्दा पढ़ते और सज्दा करते तो हम भी आपके साथ (हुजूम की वजह से) इस त़रह सज्दा करते कि पेशानी रखने की जगह भी न मिलती जिस पर सज्दा करते। (दीगर मक़ाम : 1072, 1079)

٩- بَابُ ازْدِحَامِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ السَّجْدَةَ

बाब 9 : इमाम जब सज्दा की आयत पढ़े और लोग हुजूम करें तो बहरहाल सज्दा करना चाहिये

١٠٧٦- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ)).

[راجع: ١٩٧٥]

(1076) हमसे बिश्र बिन आदम ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ली बिन मुस्हर ने बयान किया, कहा कि हमें उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और नाफ़ेअ़ को इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) आयते सज्दा की तिलावत अगर हमारी मौजूदगी में करते तो आपके साथ हम भी सज्दा करते थे। उस वक़्त इतनी भीड़ होती कि सज्दे के लिये पेशानी रखने की जगह भी न मिलती जिस पर सज्दा करने वाला सज्दा कर सके। (राजेअ़ : 1975)

4. इसी ह़दीष़ से कुछ ने ये निकाला कि जब पढ़नेवाला सज्दा करे तो सुनने वाला भी करे गोया उस सज्दे में सुननेवाला मुक़्तदी है

और पढ़नेवाला इमाम है। बैहक़ी ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से रिवायत किया जब लोगों का बहुत हुजूम हो तो तुममें कोई अपने भाई की पुश्त पर भी सज्दा कर सकता है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा जब हुजूम की ह़ालत में फ़र्ज़ नमाज़ में पीठ पर सज्दा करना जाइज़ हुआ तो सज्द-ए-क़ुर्आन पाक ऐसी ह़ालत में बत़रीक़े औला जाइज़ है।

बाब 10 : उस शख़्स की दलील जिसके नज़दीक अल्लाह तआ़ला ने सज्द-ए-तिलावत को वाजिब नहीं किया

١٠- بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُوجِبِ السُّجُودَ

और इमरान बिन हुसैन स़ह़ाबी से एक शख़्स के बारे में पूछा गया जो आयते सज्दा सुनता है मगर वो सुनने की निय्यत से नहीं बैठता था तो क्या उस पर सज्दा वाजिब है। आपने उसके जवाब में फ़र्माया कि अगर वो इस निय्यत से बैठा भी हो तो क्या (गोया उन्होंने सज्द-ए-तिलावत को वाजिब नहीं समझा) सलमान फ़ारसी ने फ़र्माया कि हम सज्द-ए-तिलावत के लिये नहीं आए।

وَقِيْلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا. كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ سَلْمَانُ: مَا لِهَذَا غَدَوْنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ

हुआ ये कि ह़ज़रत सलमान फ़ारसी कुछ लोगों के पास से गुज़रे जो बैठे हुए थे उन्होंने सज्दा की आयत पढ़ी और सज्दा किया सलमान ने नहीं किया तो लोगों ने उसका सबब पूछा तो उन्होंने ये कहा। (रवाह अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़)

उ़ष्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि सज्दा उनके लिये ज़रूरी है जिन्होंने आयते सज्दा, क़स्द (इरादे) से सुनी हो। ज़ुह्री ने फ़र्माया कि सज्दा के लिये त़हारत ज़रूरी है अगर कोई सफ़र की ह़ालत में न हो बल्कि घर पर हो तो सज्दा क़िब्ला रू होकर किया जाएगा और सवारी पर क़िब्ला रू होना ज़रूरी नहीं जिधर भी रुख़ हो (उसी त़रफ़ सज्दा कर लेना चाहिये)

साइब बिन यज़ीद वाइ़ज़ों व क़िस्साख़्वानों के सज्दा करने पर सज्दा न करते।

اسْتَمَعَهَا. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، فَإِذَا سَجَدْتَ وَلاَ سَفَرٍ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلاَ عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ. وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ.

(1077) हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अबूबक्र बिन अबी मुलैका ने ख़बर दी, उन्हें उ़ष्मान बिन अ़ब्दुर्रह़मान तैमी ने और उन्हें रबीआ़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हुदैर तैमी ने कहा कि ——अबूबक्र बिन अबी मुलैका ने बयान किया कि रबीआ़ बहुत अच्छे लोगों में से थे— रबीआ़ ने वो ह़ाल बयान किया जो ह़ज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की मज्लिस में उन्होंने देखा। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने जुम्आ़ के दिन मिम्बर पर सूरह नहल पढ़ी जब सज्दा की आयत (वलिल्लाहि यस्जुदु माफ़िस्समावाति) आख़िर तक पहुँचे तो

١٠٧٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيْعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ رَبِيْعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)). وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ)).

मिम्बर पर से उतरे और सज्दा किया तो लोगों ने भी उनके साथ सज्दा किया। दूसरे जुम्अे को फिर यही सूरत पढ़ी जब सज्दा की आयत पर पहुँचे तो कहने लगे लोगों! हम सज्दे की आयत पढ़ते चले जाते हैं फिर जो कोई सज्दा करे उसने अच्छा किया और जो कोई न करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं और ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने सज्दा नहीं किया और नाफ़ेअ़ ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से नक़ल किया कि अल्लाह तआ़ला ने सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ नहीं किया हमारी ख़ुशी पर रखा।

अ़ल्लामा इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं **व अक़्वल्अदिल्लति अ़ला नफ़्यिल्वुजूबि ह़दीषु उमरल्मज़्कूर फी हाज़ल्बाबि** या'नी इस बात की क़वी दलील कि सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं ये ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ है जो यहाँ इस बाब में मज़्कूर हुई। अकष़र अइम्मा व फ़ुक़हा इसी के क़ाइल हैं कि सज्द-ए-तिलावत ज़रूरी नहीं बल्कि सिर्फ़ सुन्नत है। इमाम बुख़ारी (रह.) का भी यही मसलक है।

١١– بَابُ مَن قَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الصَّلاَةِ فَسَجَدَ بِهَا

बाब 11 : जिसने नमाज़ में आयते सज्द-ए-तिलावत की और नमाज़ ही में सज्दा किया

इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ इस बाब से मालिकिया पर रद्द करना है जो सज्दा की आयत नमाज़ में पढ़ना मकरूह जानते हैं।

١٠٧٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : ((صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ، فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ)).

(1078) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे मुअ़तमिर बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मैंने अपने बाप से सुना कहा कि हमसे बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मज़्नी ने बयान किया, उनसे अबू राफ़ेअ़ ने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) के साथ नमाज़े इशा पढ़ी। आपने 'इज़स्समाउन्नशक़्क़त' की तिलावत की और सज्दा किया। मैंने कहा कि आपने ये क्या किया? उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) की इक़्तिदा में सज्दा किया था और हमेशा सज्दा करता रहूँगा यहाँ तक कि आपसे जा मिलूँ।

١٢– بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسُّجُودِ مِنَ الزِّحَامِ

बाब 12 : जो शख़्स हुजूम की वजह से सज्द-ए-तिलावत की जगह न पाए

١٠٧٩– حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

(1079) हमसे स़दक़ा बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने, और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ)

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فِيْهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّى مَايَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ)). [راجع: ١٠٧٩]

किसी ऐसी सूरह की तिलावत करते जिसमें सज्दा होता फिर आप सज्दा करते और हम भी आपके साथ सज्दा करते यहाँ तक कि हममें से किसी को पेशानी रखने की जगह न मिलती। (राजेअ : 1079)

(मा'लूम हुआ कि ऐसी ह़ालत में सज्दा न किया जाए तो कोई ह़र्ज नहीं है। वल्लाहु अअ़लम)

१ - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيْرِ، وَكَمْ يُقِيْمُ حَتَّى يَقْصُرَ

बाब 1 : नमाज़ में क़स्र करने का बयान और इक़ामत की ह़ालत में कितनी मुद्दत तक क़स्र कर सकता है

तश्रीह : क़स्र के मा'नी कम करना; यहाँ ह़ालते सफ़र में चार रकअ़त वाली फ़र्ज़ नमाज़ को कम करके दो रकअ़त पढ़ना मुराद है। हिज्रत के चौथे साल क़स्र की इजाज़त नाज़िल हुई। मग़रिब और फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज़ों में क़स्र नहीं है और ऐसे सफ़र में क़स्र जाइज़ नहीं है जो सफ़र गुनाह की निय्यत से किया जाए कोई मुसलमान होकर चोरी करने के इरादे या ज़िना करने के लिये सफ़र करे तो उसके लिये क़स्र की इजाज़त नहीं है। इमाम शाफ़िई और इमाम अह़मद और इमाम मालिक (रह.) और उ़लमा-ए-दीन का यही फ़त्वा है; देखें तस्हीलुल क़ारी पेज नं. 678

क़ुर्आन मजीद में क़स्र नमाज़ का ज़िक्र इन लफ़्ज़ों में है **फलैस अलैकुम जुनाहुन अन्तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अंय्यफ़्तिनकुमुल्लज़ीन कफ़रू** या'नी अगर ह़ालते सफ़र में तुमको काफ़िरों की त़रफ़ से डर हो तो उस वक़्त नमाज़ क़स्र करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं। इसके बारे में ये रिवायत वज़ाह़त के लिये काफ़ी है, **अन यअ़लब्नि उमय्यत क़ाल कुल्तु लिउ़म्रिब्नि ख़त्ताब (रज़ि.) लैस अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अय्यंफ़्तिनकुमुल्लज़ीन कफरू फक़द अमनन्नासु अन ज़ालिक फक़ाल अजिब्तु मिम्मा अजिब्त मिन्हु फसअल्तु रसूलल्लाहि (ﷺ) फक़ाल सदक़तन तसद्दकल्लाहु अलैकुम फक़्बिलू सदक़तहू** (रवाहु मुस्लिम) या'नी यअ़ला इब्ने उमय्या कहते हैं कि मैंने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से इस आयते मज़्कूरा के बारे में कहा अब तो लोग अम्न में हैं फिर क़स्र का क्या मा'नी है? इस पर आपने बतलाया

कि मुझे भी तुम जैसा तरद्दुद हुआ था तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा था आपने फ़र्माया कि अब सफ़र में नमाज़ क़स्र करना ये अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे लिये सदक़ा है। लिहाज़ा मुनासिब है कि उसका सदक़ा क़ुबूल करो। इस हदीष़ से वाज़ेह हो गया कि अब सफ़र में नमाज़ क़स्र करने के लिये दुश्मन से डर की क़ैद नहीं है। आँहज़रत (ﷺ) ने कई बार हालते सफ़र में जबकि आपको अमन हासिल था नमाज़े फ़र्ज़ क़स्र करके पढ़ाई। पस इर्शादे बारी तआला है, **लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना** या'नी तुम्हारे लिये रसूले करीम (ﷺ) का अमल बेहतरीन नमूना है। नीज़ अल्लाह ने फ़र्माया, **युरीदुल्लाहु बिकुमुल्युस्र वला युरीदु बिकुमुल्उस्र** या'नी अल्लाह पाक तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है दुश्वारी नहीं चाहता।

इमाम नववी (रह.) शरहे मुस्लिम में फ़र्माते हैं कि सफ़र में नमाज़े क़स्र के वाजिब या सुन्नत होने में उलमा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़िई (रह.) और मालिक बिन अनस और अकष़र उलमा ने क़स्र करने और पूरी पढ़ने दोनों को जाइज़ क़रार दिया है; साथ ही ये भी कहते हैं कि क़स्र अफ़ज़ल है। उन हज़रात की दलील, बहुत सी मशहूर रिवायतें हैं जो सहीह मुस्लिम वग़ैरह में हैं जिनमें मज़्कूर है कि सहाबा किराम रसूले करीम (ﷺ) के साथ सफ़र करते उनमें कुछ लोग क़स्र करते कुछ नहीं करते कुछ उनमें रोज़ा रखते कुछ रोज़ा छोड़ देते और उनमें आपस में कोई एक दूसरे पर ए'तिराज़ नहीं करते। हज़रत उष़्मान (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) से भी सफ़र में पूरी नमाज़ अदा करना मन्क़ूल है।

कुछ उलमा क़स्र को वाजिब जानते हैं उनमें हज़रत उमर, हज़रत अली और जाबिर और इब्ने अब्बास दाख़िल हैं और हज़रत इमाम मालिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही क़ौल है। अल मुहद्दिष़ुल कबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी फ़र्माते हैं कुल्तु **मिन शानि मुत्तबिइस्सुन्ननिन्नबविय्यति व मुक़तज़इल्आष़ारिल मुस्तफ़्विय्यति अंय्युलाजिमुल्क़स्र फिस्सफ़्रि कमा लाज़महू (ﷺ) व लौ कानल्क़स्रू ग़ैर वाजिबिन फत्तिबाउस्सुन्नति फिल्क़स्रि फिस्सफ़रि हुवल्मुतअय्यनु व ला हाजत लहुम अय्युंतिम्मू फिस्सफरि व यतअव्वलू कमा तअव्वलत आइशतु व तअव्वल उष़्मानु (रज़ि.) हाज़ा मा इन्दी वल्लाहु आलम** (तुह्फ़तुल अहवज़ी, सफ़ा : 383)

या'नी सुनने नबवी के फ़िदाइयों के लिये ज़रूरी है कि सफ़र में क़स्र ही को लाज़िम पकड़ें। अगरचे ये ग़ैर-वाजिब है फिर भी इत्तिबाए सुन्नत का तक़ाज़ा यही है कि सफ़र में क़स्र किया जाए और इत्माम न किया जाए और कोई तावील इस बारे में मुनासिब नहीं है। जैसे हज़रत आइशा (रज़ि.) व हज़रत उष़्मान (रज़ि.) ने तावीलात की हैं। मेरा ख़्याल यही है।

ये भी एक लम्बी बहष़ है कि कितने मील का सफ़र हो जहाँ से क़स्र जाइज़ है इस सिलसिले में कुछ रिवायात में तीन मील का भी ज़िक्र आया है। **क़ालन्नववी इला अन्न अक़ल्ल मसाफतिल्क़स्रि ष़लाष़त अम्यालिन व कअन्नहुम इहतज्जू फी ज़ालिक बिमा रवाहु मुस्लिम व अबू दाऊद मिन हदीष़ि अनसिन क़ाल कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा खरज मसीरत ष़लाष़ति अम्यालिन औ फ़रासुखिन कस़्सरस़्सलात क़ालल्हाफ़िज़ व हुव असह्हु हदीष़िन वरद फी बयानि ज़ालिक व अस़्रहुहू व क़द हम्मलहू मन खालफ़हू अन्नल्मुराद बिहिल्मसाफतुल्लती यब्तदिउ मिन्हल्क़स्रू ला ग़ायतस्सफ़्रि यअ्नी अराद बिही इज़ा साफर सफ़रन तवीलन कस्सर इज़ा बलग ष़लाष़त अम्यालिन कमा क़ाल फी लफ़्ज़ि हिल्आख़र अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सल्ला बिल्मदीनति अर्बअन व बिज़िल्हलीफा रक्अतैनि** (मिर्आत, जिल्द 2, सफ़ा : 256)

या'नी इमाम नववी (रह.) ने कहा कि क़स्र की कम से कम मुद्दत तीन मील है उन्होंने हदीष़े अनस (रज़ि.) से दलील ली है। जिसमें है कि जब रसूले करीम (ﷺ) तीन मील या तीन फ़र्सख़ निकलते तो नमाज़ क़स्र करते।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि क़स्र के बारे में सहीहतरीन हदीष़ ये है कि जिन लोगों ने तीन मील को नहीं माना उन्होंने इस हदीष़ को ग़ायते सफ़र नहीं बल्कि इब्तिदा-ए-सफ़र पर महमूल किया है। या'नी ये मुराद है कि जब मुसाफ़िर का सफ़र लम्बी दूरी के लिये इरादा हो और वो तीन मील पहुँच जाए और नमाज़ का वक़्त आ जाए तो वो क़स्र कर ले जैसा कि हदीष़ में दूसरी जगह ये भी है कि रसूले करीम (ﷺ) जब सफ़रे हज्ज के लिये निकले तो आपने मदीना में चार रकअतें पढ़ीं और ज़ुलहुलैफ़ा में पहुँचकर आपने दो रकअत अदा की। इस बारे में लम्बी बहष़ के बाद आख़िरी फ़ैसला हज़रत शैख़ुल हदीष़ मौलाना उबैदुल्लाह साहब (रह.) के लफ़्ज़ों में ये है **वर्राजिह इन्दी मा ज़हब इलैहि अइम्मतुष़्ष़लाष़तु अन्नहू ला युक़स्सरूस्सलातु**

फी अक़ल्लि मिन ष़मानियतिव्वं अर्बईन मीलन बिल्हाशमी व ज़ालिक अर्बअ़तु बुर्दिन अय सित्तत अशर फर्सखन व हिय मसीरतु यौमिन व लैलतिन बिस्सैरिल्हषीषि व ज़हब अक्षरु उलमाइ अहलिल्हदीषि फी अस्रिना मसाफतुल्कस्रि ष़लाष़त फरासिखिन मुस्तदल्लीन लिज़ालिक हदीषु अनस अल्मुकद्दमु फी कलामिल्हाफ़िज़ (मिर्आत, जिल्द 2, सफ़ा : 256)

मेरे नज़दीक तर्जीह उसी को ह़ासिल है जो तीनों इमाम की है। वो ये कि अड़तालीस मील हाशमी से कम में क़स्र नहीं और ये चार बुर्द होते हैं या'नी सोलह फ़र्सख़ और रात और दिन के तेज़ सफ़र की यही ह़द होती है और हमारे ज़माने में अक्षर उ़लमा अहले ह़दीष़ उसी त़रफ़ गए हैं कि क़स्र की मसाफ़त तीन फ़र्सख़ हैं (जिसके अड़तालीस मील होते हैं)। उनकी दलील ह़ज़रत अनस (रज़ि.) की वही ह़दीष़ है जिसका पहले बयान हुआ और इब्ने क़ुदामा का रुज्ह़ाने ज़ाहिर ये है कि क़ौल की त़रफ़ है जो कहते हैं कि हर सफ़र ख़्वाह वो क़स्र या त़वील हो। उसमे क़स्र जाइज़ है, मगर इज्माअ़ के ये ख़िलाफ़ है (वल्लाहु अअ़लम)

(1080) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अ़वाना वज़ाह़ युश्करी ने बयान किया, उनसे आ़सिम अह़वाल और हुसैन सलमी ने, उनसे इकरिमा ने, और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) (मक्का में फ़तहे मक्का के मौक़े पर) उन्नीस दिन ठहरे और बराबर क़स्र करते रहे। इसलिये उन्नीस दिन के सफ़र में हम भी क़स्र करते रहते हैं और उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरी नमाज़ पढ़ते हैं। (दीगर मक़ाम : 4298, 4299)

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا)).

[طرفاه في: ٤٢٩٨، ٤٢٩٩].

तश्रीह : इस तर्जुमा में दो बातें बयान की गई हैं एक ये कि सफ़र में चार रकअ़त नमाज़ को क़स्र करे या'नी दो रकअ़तें पढ़ें दूसरे मुसाफ़िर अगर कहीं ठहरने की निय्यत कर ले तो जितने दिन तक ठहरने की निय्यत करे वो क़स्र कर सकता है।

इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम मालिक (रह.) का मज़हब ये है कि जब कहीं चार दिन ठहरने की निय्यत हो तो पूरी नमाज़ पढ़े। ह़न्फ़िया के नज़दीक 15 से कम में क़स्र करे। ज़्यादा की निय्यत हो तो नमाज़ पूरी पढ़े। इमाम अह़मद और अबू दाऊद का मज़हब है कि चार दिन से ज़्यादा दिन ठहरने का इरादा हो तो पूरी नमाज़ पढ़े। इस्ह़ाक़ बिन राहवै उन्नीस दिन से कम क़स्र बतलाते हैं और ज़्यादा की सूरत में नमाज़ पूरी पढ़ने का फ़त्वा देते हैं।

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का भी मज़हब यही मा'लूम होता है ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब मुबारकपुरी (रह.) ने इमाम अह़मद के मसलक को तर्जीह़ दी है। (मिर्आत, जिल्द नं. 2 पेज नं. 256)

(1081) हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यह्या बिन अबी इस्ह़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने अनस (रज़ि.) को ये कहते सुना कि हम मक्का के इरादे से मदीना से निकले तो बराबर नबी करीम (ﷺ) दो-दो रकअ़त पढ़ते रहे यहाँ तक कि हम मदीना वापस आए। मैंने पूछा कि आपका मक्का में कुछ दिन क़याम भी रहा था? तो उसका जवाब अनस (रज़ि.) ने ये दिया कि दस दिन तक हम वहाँ ठहरे थे।

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا)).

(दीगर मक़ाम : 4297)

[طرفه في : ٤٢٩٧].

बाब 2 : मिना में नमाज़ क़स्र करने का बयान

٢- بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

(1082) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया, कहा कि मुझे नाफ़ेअ ने ख़बर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने, कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) अबूबक्र और उमर (रज़ि.) के साथ मिना में दो रकअत (या'नी चार रकअत वाली नमाज़ों में) क़स्र पढ़ी। उष्मान (रज़ि.) के साथ भी उनके दौरे-ख़िलाफ़त के शुरू में ही दो रकअत पढ़ी थीं लेकिन बाद में आप (रज़ि.) ने पूरी पढ़ी थीं। (दीगर मक़ाम : 1655)

١٠٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا)). [طرفه في: ١٦٥٥].

(1083) हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमें अबू इस्हाक़ ने ख़बर दी, उन्होंने हारिषा से सुना और उन्होंने वहब (रज़ि.) से कि आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने मिना में हमें दो रकअत नमाज़ पढ़ाई थी। (दीगर मक़ाम : 1606)

١٠٨٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ)).

[طرفه في: ١٦٥٦].

(1084) हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम नख़ई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से सुना, वो कहते थे कि हमें उष्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) ने मिना में चार रकअत नमाज़ पढ़ाई थी, लेकिन जब उसका ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहने लगे मैंने तो नबी करीम (ﷺ) के साथ मिना में दो रकअत नमाज़ पढ़ी है और अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के साथ भी मैंने दो रकअत ही पढ़ी हैं और उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ भी दो ही रकअत पढ़ी थी काश मेरे हिस्से में उन चार रकअतों के बजाय दो मक़्बूल रकअतें होतीं।

١٠٨٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: ((صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيْلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ

(दीगर मक़ाम : 1657)

مُتَقَبَّلَتَانِ)). [طرفه في: ١٦٥٧].

तश्रीह : हुज़ूरे अकरम (ﷺ) और अबूबक्र व उमर (रज़ि.) की मिना में नमाज़ का ज़िक्र इस वजह से किया कि आप हज़रात हज्ज के इरादे से जाते और हज्ज के अरकान अदा करते हुए मिना में भी क़याम किया होता। यहाँ सफ़र की हालत में होते थे इसलिये क़स्र करते थे। हुज़ूर अकरम (ﷺ), अबूबक्र और उमर (रज़ि.) का हमेशा यही मा'मूल रहा कि मिना में क़स्र करते थे। उ़ष्मान (रज़ि.) ने भी इब्तिदाई दौरे ख़िलाफ़त में क़स्र किया लेकिन बाद में जब पूरी चार रकअतें आपने पढ़ी तो इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने इस पर सख़्त नागवारी का इज़्हार किया। दूसरी रिवायतों में है कि हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने भी पूरी चार रकअत पढ़ने का उ़ज्र बयान किया था जिसका ज़िक्र आगे आ रहा है।

बाब 3 : हज्ज के मौक़े पर नबी करीम (ﷺ) ने कितने दिन क़याम किया था?

٣- بَابُ كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّتِهِ؟

(1085) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे अबुल आलिया बराअ ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) सहाबा को साथ लेकर तल्बिया कहते हुए ज़िलहिज्ज की चौथी तारीख़ को (मक्का में) तशरीफ़ लाए फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिनके पास हदी नहीं है वो बजाय हज्ज के उ़म्रा की निय्यत कर लें और उ़मरह से फ़ारिग़ होकर हलाल हो जाएँ फिर हज्ज का एहराम बाँधें। इस हदीष की मुताबअत अ़ता ने जाबिर से की है।

(दीगर मक़ाम : 1564, 2505, 3832)

١٠٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ)). تَابَعَهُ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ.

[أطرافه في: ١٥٦٤، ٢٥٠٥، ٣٨٣٢].

तश्रीह : क्योंकि आप चौथी ज़िलहिज्ज को मक्का मुअज्ज़मा पहुँचे थे और 14वीं को मदीना को वापस हुए तो मुद्दते इक़ामत (ठहराव की अवधि) कुल दस दिन हुई और मक्का में सिर्फ़ चार दिन रहना हुआ बाक़ी दिन मिना वग़ैरह में सर्फ़ हुए। इसीलिये इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा कि जब मुसाफ़िर किसी मुक़ाम में चार दिन से ज़्यादा रहने की निय्यत करे तो पूरी नमाज़ पढ़े, चार दिन तक क़स्र करता रहे और इमाम अहमद ने कहा 21 नमाज़ों तक (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)। पिछली रिवायत जिसमें आपका क़याम 21 दिन मज़्कूर है उसमें ये क़याम फ़तहे मक्का से मुता'ल्लिक़ है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने मग़ाज़ी में दूसरे तरीक़ से इक़ामत का मुक़ाम मक्का बयान फ़र्माया है जहाँ आपने 19 दिन क़याम फ़र्माया और आप नमाज़ें क़स्र करते रहे। मा'लूम हुआ कि क़स्र के लिये ये आख़िरी हद है अगर उससे ज़्यादा ठहरने का फ़ैसला हो तो नमाज़ पूरी पढ़नी होगी और अगर कोई फ़ैसला न कर सके और तरद्दुद में आजकल आजकल करता रह जाए तो वो जब तक इस हालत में है क़स्र कर सकता है जैसा कि जादुल मआद में अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम ने बयान किया है, **व मिन्हा अन्नहू (ﷺ) अक़ाम बितबूक इश्रीन यौमन युक़स्सिरुस्सलात व लम यक़ुल लिल्उम्मति ला युक़स्सिरिंजुलुस्सलात इज़ा अक़ाम अक्षर मिन ज़ालिक व लाकिन अन्फ़क़ इक़ामतहू हाज़िल्मुद्दत व हाज़िल्इक़ामतु फी हालातिस्सफ़रि ला तख़रुजू अन हुक्मिस्सफ़रि सवाअन तालत औ कसुरत इज़ा कान गैर मुत्तवत्तिनिन व ला आज़िमिन अलल्इकामति बिज़ालिल्मौज़इ** . या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ) तबूक़ में बीस दिन तक मुक़ीम रहे और नमाज़ें क़स्र फ़र्माते रहे और आपने उम्मत के लिये नहीं फ़र्माया कि उम्मत में से अगर किसी का उससे भी ज़्यादा कहीं (हालते सफ़र में) इक़ामत का मौक़ा आ जाए तो वो क़स्र न करे। ऐसा आपने कहीं नहीं फ़र्माया पस जब कोई शख़्स सफ़र में किसी जगह बहैषियत वतन के न इक़ामत करे और न वहाँ इक़ामत का अ़ज़्म हो मगर आजकल में तरद्दुद रहे तो उसकी मुद्दते

इक़ामत कम हो या ज़्यादा वो बहरहाल सफ़र के हुक्म में है और नमाज़ क़स्र कर सकता है।

हाफ़िज़ ने कहा कि कुछ लोगों ने अहमद से इमाम अहमद बिन हंबल को समझा ये बिलकुल ग़लत है क्योंकि इमाम अहमद ने अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक से नहीं सुना। (वहीदी)

बाब 4 : नमाज़ कितनी मसाफ़त में क़स्र करनी चाहिये

٤- بَابُ فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ وَسَمَّى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَلَيْلَةً، سَفَرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا.

नबी करीम (ﷺ) ने एक दिन और एक रात की मसाफ़त को भी सफ़र कहा है और अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर और अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) चार बुर्द (तक़्रीबन अड़तालीस मील की मुसाफ़त) पर क़स्र करते और रोज़ा भी इफ़्तार करते थे। चार बुर्द में सोलह फ़र्सख़ होते हैं (और एक फ़र्सख़ में तीन मील)

तशरीह : इस तर्जुमे में दो बातें बयान की गई हैं। एक ये है कि सफ़र में चार रकअ़त नमाज़ को क़स्र करके यानी दो रकअ़त पढ़ें। दूसरे मुसाफ़िर अगर कहीं ज़्यादा ठहरने की निय्यत करे वो क़स्र कर सकता है। इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अहमद का ये मज़हब है कि जब कहीं चार दिन ठहरने की निय्यत करे तो नमाज़ पूरी पढ़े और चार दिन से कम ठहरने की निय्यत हो तो क़स्र करे और हन्फ़िया के नज़दीक 15 दिन से कम में क़स्र करे। 15 दिन या ज़्यादा ठहरने की निय्यत हो तो पूरी नमाज़ पढ़े और इस्हाक़ बिन राहवै का मज़हब ये है कि उन्नीस दिन से कम में क़स्र करता रहे। उन्नीस दिन या ज़्यादा ठहरने की निय्यत हो तो पूरी नमाज़ पढ़े। इमाम बुख़ारी (रह.) का भी यही मज़हब मा'लूम होता है।

इब्ने मुंज़िर (रह.) ने कहा कि मग़रिब और फ़ज्र की नमाज़ में क़स्र नहीं है। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम)

बाब के तर्जुमे में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) जो हदीषे सहीह लाए हैं उसमें हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ही के मसलक की ताईद होती है। गोया इमाम (रह.) का फ़त्वा इस हदीष पर है। यहाँ का उन्नीस रोज़ का क़याम फ़तहे मक्का के मौक़े पर हुआ था। बाज़ रावियों ने इस क़याम को सिर्फ़ सत्रह दिन बतलाया है। गोया उन्होंने आने और जाने के दो दिन छोड़कर सत्रह दिन का शुमार किया और जिन्होंने दोनों का शुमार किया उन्होंने उन्नीस दिन बतलाए। इससे इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि सफ़र के लिये कम से कम एक दिन और रात की ज़रूरत है। हन्फ़िया ने तीन दिन की दूरी को सफ़र कहा है। इस मसले में कोई बीस क़ौल है। इब्ने मुंज़िर ने इनको नक़ल किया है। सहीह और मुख़्तार मज़हब अहले हदीष का है हर सफ़र में क़स्र करना चाहिये जिसको उ़र्फ़ में सफ़र कहें उसकी कोई ह द मुक़र्रर नहीं। इमामे शाफ़िई, इमामे मालिक और इमाम औज़ाई का यही क़ौल है कि दो मंज़िल से कम में क़स्र जाइज़ नहीं। दो मंज़िल 48 मील होते हैं। एक मील छः हज़ार हाथ का। एक हाथ बीस उँगल छः जौ का (वहीदी) फ़त्हुल बारी में जुम्हूर का मज़हब ये नक़ल हुआ कि जब अपने शहर से बाहर हो जाए उसका क़स्र शुरू हो जाता है।

इमामे नववी (रह.) ने शरहे मुस्लिम में फ़ुक़हा-ए-अहले हदीष का भी यही मसलक नक़ल किया है कि सफ़र में दो मंज़िलों से कम में क़स्र जाइज़ नहीं और दो मंज़िलों के 48 मीले हाशमी होते हैं।

दाऊद ज़ाहिरी और दीगर अहले ज़ाहिर का मसलक ये है कि क़स्र करना बहरहाल जाइज़ है, सफ़र लम्बा हो कम। यहाँ तक कि अगर तीन मील का सफ़र हो तब भी ये हज़रात क़स्र को जाइज़ कहते हैं।

(1086) हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, उन्होंने अबू उसामा से, मैंने पूछा कि क्या आपसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने नाफ़ेअ़ से ये हदीष बयान की थी कि उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने

١٠٨٦- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ

नबी करीम (ﷺ) का ये फ़र्मान नक़ल किया था कि औरतें तीन दिन का सफ़र ज़ी-रहम महरम के बग़ैर न करें (अबू उसामा ने कहा हाँ) (दीगर मक़ाम : 1087)

ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). [طرفه في : ١٠٨٧].

ज़ी-रहम महरम से मुराद वो शख़्स है, जिनसे औरत के लिये निकाह हराम है अगर उनमें से कोई न हो तो औरत के लिये सफ़र करना जाइज़ नहीं। यहाँ तीन दिन की क़ैद का मतलब है कि इस मुद्दत पर लफ़्ज़े सफ़र का इत्लाक़ किया गया और एक दिन और रात को भी सफ़र कहा गया है। तक़रीबन 48 मील पर अकष़र इत्तिफ़ाक़ है।

(1087) हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उन्होंने उ़बैदुल्लाह उ़मरी से बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें नाफ़ेअ ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से ख़बर दी कि आपने फ़र्माया औरत तीन दिन का सफ़र उस वक़्त तक न करे। जब तक कि उसके साथ कोई महरम रिश्तेदार न हो। इस रिवायत की मुताबअ़त अहमद ने इब्ने मुबारक से की उनसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से। (राजेअ़ : 1087)

١٠٨٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذُو مَحْرَمٍ)). تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ١٠٨٧]

(1088) हमसे आदम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़िब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद मक़्बरी ने अपने बाप से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी ख़ातून के लिये जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हो, जाइज़ नहीं कि एक दिन—रात का सफ़र बग़ैर किसी ज़ी-रहम महरम के करे। इस रिवायत की मुताबअ़त यह्या बिन अबी कष़ीर, सुहैल और मालिक ने मक़्बरी से की। वो इस रिवायत को अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान करते थे।

١٠٨٨- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ)). تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ وَسُهَيْلٌ وَمَالِكٌ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

तश्रीह : औरत के लिये पहली अह़ादीष़ में तीन दिन के सफ़र की मुमानअ़त वारिद हुई है। जबकि उसके साथ कोई ज़ी महरम न हो और इस ह़दीष़ में एक दिन और एक रात की मुद्दत का ज़िक्र आया। दिन से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद लफ़्ज़े सफ़र कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ह़द बतलाना मक़्सूद है। या'नी एक दिन—रात की मुद्दत सफ़र को शरई सफ़र का इब्तिदाई ह़िस्सा और तीन दिन के सफ़र को आख़िरी ह़िस्सा क़रार दिया है। फिर इससे जिस क़दर भी ज़्यादा हो तो पहले बतलाया जा चुका है कि अहले ह़दीष़ के यहाँ क़स्र करना सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि क़स्र अल्लाह की त़रफ़ से एक सदक़ा है जिसे क़ुबूल करना ही मुनासिब है।

बाब 5 : जब आदमी सफ़र की निय्यत से अपनी

٥- بَابُ يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مِنْ

बस्ती से निकल जाए तो क़स्र करे

مَوْضِعِهِ
وَخَرَجَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الْكُوفَةُ قَالَ: لاَ، حَتَّى نَدْخُلَهَا.

और हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) (कूफ़ा से सफ़र के इरादे से) निकले तो नमाज़ क़स्र करनी उसी वक़्त से शुरू कर दी जब अभी कूफ़ा के मकानात दिखाई दे रहे थे और फिर वापसी के वक़्त भी जब आपको बताया गया कि ये कूफ़ा सामने है तो आप ने फ़र्माया कि जब तक हम शहर में दाख़िल न हो जाएँ नमाज़ पूरी नहीं पढ़ेंगे।

١٠٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ)).
[أطرافه في : ١٥٤٦، ١٥٤٧، ١٥٤٨].

(1089) हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने, मुहम्मद बिन मुंकदिर और इब्राहीम बिन मैसरा से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़ुह्र की चार रकअ़त पढ़ी और ज़ुल हुलैफ़ा में अस्र की दो रकअ़त पढ़ी। (दीगर मक़ाम : 1546, 1547, 1548)

तश्रीह : दीगर रिवायतों में है कि हज़रत अली (रज़ि.) शाम (सीरिया) जाने के इरादे से निकले थे। कूफ़ा छोड़ते ही आपने क़स्र शुरू कर दिया था। इसी तरह वापसी में कूफ़ा के मकानात दिखाई दे रहे थे लेकिन आपने उस वक़्त भी क़स्र किया। जब आपसे कहा गया कि अब तो कूफ़ा के पास आ गए तो फ़र्माया कि हम पूरी नमाज़ उस वक़्त न पढ़ेंगे जब तक कि हम कूफ़ा में दाख़िल न हो जाएँ। रसूले करीम (ﷺ) हज्ज के इरादे से मक्का जा रहे थे, ज़ुहर के वक़्त तक आप (ﷺ) मदीना में थे उसके बाद सफ़र शुरू हो गया। फिर आप जब ज़ुल हुलैफ़ा में पहुँचे तो अस्र का वक़्त हो गया था और वहाँ आपने अस्र चार रकअ़त की बजाय दो रकअ़त अदा की। ज़ुल हुलैफ़ा मदीना से छ: मील पर है।

इस हदीष़ से मा'लूम हुआ कि मुसाफ़िर जब अपने मुक़ाम से निकल जाए तो क़स्र शुरू कर दे। बाब का यही मतलब है।

١٠٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَانِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ)) قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَالَ: تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.

(1090) हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने ज़ुह्री से बयान किया, उनसे उ़र्वा ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि पहले नमाज़ दो रकअ़त फ़र्ज़ हुई थी बाद में सफ़र की नमाज़ तो अपनी उसी हालत पर रह गई अलबत्ता हज़र की नमाज़ पूरी (चार रकअ़त) कर दी गई। ज़ुह्री ने बयान किया कि मैंने उ़र्वा से पूछा कि फिर ख़ुद हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क्यूँ नमाज़ पूरी पढ़ी थी उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि उ़ष्मान (रज़ि.) ने उसकी जो तावील की थी वही उन्होंने भी की। (राजेअ़ : 350)

हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने जब मिना में पूरी नमाज़ पढ़ी तो फ़र्माया कि मैंने ये इसलिये किया कि बहुत से आम मुसलमान जमा हैं। ऐसा न हो कि वो नमाज़ की दो ही रकअत समझ लें। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी हज्ज के मौक़े पर नमाज़ पूरी पढ़ी और क़स्र नहीं किया। हालाँकि आप मुसाफ़िर थीं इसलिये आपको नमाज़ क़स्र करनी चाहिये थी। मगर आप सफ़र में पूरी नमाज़ पढ़ना बेहतर जानती थी और क़स्र को रुख़्सत समझती थीं।

बाब 6 : मग़्रिब की नमाज़ सफ़र में भी तीन ही रकअत हैं

٦- بَابُ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا فِي السَّفَرِ

(1091) हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, ज़ुह्री से उन्होंने कहा कि मुझे सालिम ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से ख़बर दी आपने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब सफ़र में चलने की जल्दी होती तो आप (ﷺ) मग़्रिब की नमाज़ देर से पढ़ते यहाँ तक कि मग़्रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते। सालिम ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को भी जब सफ़र में जल्दी होती तो इस तरह करते।
(दीगर मक़ाम : 1092, 1106, 1109, 1668, 1673, 1805, 3000)

١٠٩١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ)). قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.
[أطرافه في : ١٠٩٢، ١١٠٦، ١١٠٩، ١٦٦٨، ١٦٧٣، ١٨٠٥، ٣٠٠٠].

(1092) लैष़ बिन सअ़द ने इस रिवायत में इतना ज़्यादा किया कि मुझसे यूनुस ने इब्ने शिहाब से बयान किया, कि सालिम ने बयान किया कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) मुज़दलिफ़ा में मग़्रिब और इशा एक साथ जमा करके पढ़ते थे। सालिम ने कहा कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने मग़्रिब की नमाज़ उस दिन देर में पढ़ी थी जब उन्हें उनकी बीवी स़फ़िया बिन्ते अबी उ़बैद की सख़्त बीमारी की इत्तिला मिली थी। (चलते हुए) मैंने कहा कि नमाज़! (या'नी वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है) लेकिन आपने फ़र्माया कि चले चलो इस तरह जब हम दो या तीन मील निकल गए तो आप उतरे और नमाज़ पढ़ी फिर फ़र्माया कि मैंने ख़ुद देखा है कि जब नबी करीम (ﷺ) सफ़र में तेज़ी के साथ चलना चाहते तो उसी तरह करते थे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि .) ने ये भी फ़र्माया कि मैंने ख़ुद देखा कि जब नबी करीम (ﷺ) (मंज़िले मक़्सूद तक) जल्दी पहुँचना चाहते तो पहले मग़्रिब की तक्बीर कहलवाते और आप उसकी तीन रकअत पढ़ाकर सलाम फेरते। फिर थोड़ी देर ठहरकर इशा पढ़ाते और

١٠٩٢- وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ : (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ) قَالَ سَالِمٌ: (وَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ. فَقَالَ: سِرْ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةُ، فَقَالَ: سِرْ. حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: هكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ). وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا

ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)). [راجع: ١٠٩١]

उसकी दो ही रकअ़त पर सलाम फेरते। इशा के फ़र्ज़ के बाद आप सुन्नतें वग़ैरह नहीं पढ़ते थे आधी रात के बाद खड़े होकर नमाज़ पढ़ते। (राजेअ़ : 1091)

बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त जाहिर है। आप (ﷺ) ने सफ़र में मग़रिब की तीन रकअ़त फ़र्ज़ नमाज़ अदा की।

٧- بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ، وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ

बाब 7 : नफ़्ल नमाज़ सवारी पर, अगरचे सवारी का रुख़ किसी त़रफ़ हो

١٠٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ)).

[طرفاه في: ١٠٩٧، ١١٠٤].

(1093) हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमसे अ़ब्दुल आ़ला ने बयान किया, कहा कि हमसे मअ़मर ने ज़ुह्री से बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर ने और उनसे उनके बाप ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ते रहते ख़्वाह उसका मुँह किसी त़रफ़ हो। (दीगर मक़ाम : 1097, 1104)

ष़ाबित हुआ कि नफ़्ल सवारी पर दुरुस्त हैं, इसी त़रह़ वित्र भी। इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक और इमाम अह़मद और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है। इमाम अबू ह़नीफ़ा के नज़दीक वित्र सवारी पर पढ़ना दुरुस्त नहीं।

١٠٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ)). [راجع: ٤٠٠]

(1094) हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शैबान ने कहा, उनसे यह्या ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने बयान किया कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) नफ़्ल नमाज़ अपनी ऊँटनी पर ग़ैर क़िब्ला की त़रफ़ मुँह करके भी पढ़ते थे। (राजेअ़ : 400)

ये वाक़िआ ग़ज़्व-ए-अन्मार का है, क़िब्ला वहाँ जाने वालों के लिये बाएँ त़रफ़ रहता है। सवारी ऊँट और हर जानवर को शामिल है।

١٠٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا. وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ)). [راجع: ٩٩٩]

(1095) हमसे अ़ब्दुल आ़ला बिन ह़म्माद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) नफ़्ल नमाज़ सवारी पर पढ़ते थे, उसी त़रह़ वित्र भी। और फ़र्माते कि नबी (ﷺ) भी ऐसा करते थे। (राजेअ़ : 999)

बाब 8 : सवारी पर इशारे से नमाज़ पढ़ना

٨- بَابُ الإِيْمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ

(1096) हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) सफ़र में अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ते ख़्वाह उसका मुँह किसी तरफ़ होता। आप इशारों से नमाज़ पढ़ते। आपका बयान था कि नबी करीम (ﷺ) भी उसी तरह करते थे। (राजेअ : 999)

١٠٩٦- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: ((كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ)).

[راجع: ٩٩٩]

बाब 9 : नमाज़ी फ़र्ज़ के लिये सवारी से उतर जाए

٩- بَابُ يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ

(1097) हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे शिहाब ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ ने कि आमिर बिन रबीआ ने उन्हें ख़बर दी उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऊँटनी पर नमाज़े नफ़्ल पढ़ते देखा। आप (ﷺ) सर के इशारों से पढ़ रहे थे इसका ख़्याल किये बग़ैर कि सवारी का मुँह किधर होता है लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ों में आप इस तरह नहीं करते थे। (राजेअ : 1093)

١٠٩٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيْعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ)). [راجع: ١٠٩٣]

(1098) और लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया कि मुझसे यूनुस ने बयान किया, उन्होंने इब्ने शिहाब के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि सालिम ने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) सफ़र में रात के वक़्त अपने जानवर पर नमाज़ पढ़ते कुछ परवाह न करते कि उसका मुँह किस तरफ़ है। इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) भी ऊँटनी पर नफ़्ल नमाज़ पढ़ा करते चाहे उसका मुँह किधर ही हो और वित्र भी सवारी पर पढ़ लेते थे अलबत्ता फ़र्ज़ उस पर नहीं पढ़ते थे। (राजेअ : 999)

١٠٩٨- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

[راجع: ٩٩٩]

बाब का तर्जुमा इस फ़िक़रे से निकलता है। मा'लूम हुआ फ़र्ज़ नमाज़ के लिये जानवर से उतरते क्योंकि वो सवारी पर दुरुस्त नहीं। इस पर उलमा का इज्माअ है। सवारी से ऊँट, घोड़े और ख़च्चर वग़ैरह मुराद है। रेल में नमाज़ दुरुस्त है।

(1099) हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने यह्या से बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन ष़ौबान ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि मुझसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर मश्रिक़ की तरफ़ मुँह किये हुए नमाज़ पढ़ते थे और जब फ़र्ज़ पढ़ते तो सवारी से उतर जाते और फिर क़िब्ला की तरफ़ रुख़ करके पढ़ते। (राजेअ : 400)

١٠٩٩- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: ((حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ)).

[راجع: ٤٠٠]

इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि जो सवारी अपने इख़्तियार में हो बहरहाल उसे रोककर फ़र्ज़ नमाज़ नीचे ज़मीन पर ही पढ़नी चाहिये। (वल्लाहु अअ़लम)

ख़ातमा

लिल्लाहिल ह़म्दो वल मिन्नत कि शब व रोज़ मुसलसल सफ़र व हजर की मेहनते शाक़्क़ा के नतीजे में आज बुख़ारी शरीफ़ के पारा चार की तस्वीद से फ़राग़त ह़ासिल कर रहा हूँ। ये सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़्ल है कि मुझ जैसा नाचीज़ इंसान इस अ़ज़ीम इस्लामी मुक़द्दस किताब की ये ख़िदमत अंजाम देते हुए इसका बामुहावरा तर्जुमा और जामेअतरीन तशरीहात अपने क़द्रदानों की ख़िदमत में पेश कर रहा है। अपनी बे बज़ाअ़ती व हर कमज़ोरी की बिना पर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस सिलसिले में कहाँ-कहाँ क्या-क्या लग़्ज़िशें हुई होंगी। अल्लाह पाक मेरी इन तमाम लग़्ज़िशों को मुआफ़ फ़र्माए और इस ख़िदमत को क़ुबूल फ़र्माए और इसे न सिर्फ़ मेरे लिये बल्कि मेरे वालिदैन मरहूमीन व तमाम मुता'ल्लिक़ीन व मेरे तमाम असातिज़ा-ए-किराम, फिर जुम्ला क़द्रदानों के लिये जिनका मुझे दामे-दरमे-सुख़ने तआवुन ह़ासिल रहा। इन सबके लिये इसको वसीलाते नजाते-आख़िरत बनाए और तौफ़ीक़ दे कि हम सब मिलकर इस किताबे मुक़द्दस के तीस पारों की इशाअ़त इस नहज पर करके उर्दू-दाँ दीन पसंद तब्क़े के लिये एक बेहतरीन ज़ख़ीर-ए-मा'लूमाते दीन मुहय्या कर दें। इस सिलसिले में अपने असातिज़ा-ए-किराम और तमाम उ़लमा-ए-इ़ज़ाम से भी पुरज़ोर और पुरख़ुलूस़ अपील करूँगा कि तर्जुमा व तशरीहात में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पेशे –नज़र पूरे तौर पर मैंने हर मुम्किन तह़क़ीक़ की कोशिश की है। मसाइले ख़िलाफ़िया में हर मुम्किन तफ़्सीलात को काम में लाते हुए मुख़ालिफ़ीन व मुवाफ़िक़ीन सबको अच्छे लफ़्ज़ों में याद किया है और मसलके मुह़द्दिष़ीन (रह.) के बयान के लिये उ़म्दा से उ़म्दा अल्फ़ाज़ लाए गए हैं। फिर भी मुझको अपनी भूल—चूक पर नदामत है। अगर आप ह़ज़रात को कहीं भी इल्मी, अख़्लाक़ी कोई ख़ामी नज़र आए तो अल्लाह के वास्ते उस पर ख़ादिम को अज़ राहे इख़्लास़ आगाह फ़र्माएँ। शुक्रिया के साथ आपके मश्वरे पर तवज्जह दी जाएगी और तबए ष़ानी में हर मुम्किन इस्लाह़ की कोशिश की जाएगी। अपना मक़्सद ख़ालिसतन फ़रामीने रिसालत को उनके अस़ल मंशा के तह़त उर्दू ज़ुबान में मुंतक़िल करना है। इसके लिये ये किताब या'नी स़ह़ीह़ बुख़ारी मुस्तनद व मुअ़तमद किताब है जिसकी सिह़्ह़त पर बेशतर अकाबिरे उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है।

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी बिनिअ़मतिहिस्सालिहात वस्सलातु वस्सलामु अ़ला सय्यिदिल्मुर्सलीन व अ़ला आलिही व अस्हाबिही अज्मईन बिरहमतिक या अर्हमर्राहिमीन.

ये अल्फ़ाज़ अस़ल उर्दू किताब के मुसन्निफ़ अ़ल्लामा दाऊद राज़ (रह.) ने चौथे पारे की तशरीह मुकम्मल हो जाने के बाद 24 रमज़ान 1388 हिजरी में उस वक़्त लिखे थे जब वे बंगलौर में मुक़ीम थे। अल्लाह तआ़ला ने उनकी कोशिशों को शर्फ़े-क़ुबूलियत बख़्शा और अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त की तौफ़ीक़ से अ़ल्लामा दाऊद (राज़.) ने मुकम्मल तीस पारों की तशरीह मुकम्मल करके उर्दू-दाँ ह़ज़रात को नायाब तोह़फ़ा दिया। **आज वे हमारे बीच मौजूद नहीं है, अल्लाह तआ़ला उन्हें अज्रे-अ़ज़ीम से नवाज़े और जन्नतुल फ़िरदौस में आ़ला मक़ाम नसीब फ़र्माए, आमीन!**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

पाँचवां पारा

बाब 10 : नफ़्ल नमाज़ गधे पर बैठे हुए अदा करना

١٠- بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الْحِمَارِ

1100. हमसे अहमद बिन सअद ने बयान किया, कहा कि हमसे हब्बान बिन हिलाल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने बयान किया, कहा कि हमसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि अनस (रज़ि.) शाम से जब (हिजाज के ख़लीफ़ा से शिकायत करके) वापस हुए तो हम उन से अैनुत्तमर में मिले। मैंने देखा कि आप गधे पर सवार होकर नमाज़ पढ़ रहे थे और आपका मुँह क़िब्ला से बाएँ तरफ़ था। इस पर मैंने कहा कि मैंने आपको क़िब्ला के सिवा दूसरी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसा करते न देखता तो मैं भी न करता। इस रिवायत को इब्राहीम बिन तहमान ने भी हज्जाज से, उन्होंने अनस बिन सीरीन से, उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया है।

١١٠٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ - فَقُلْتُ: ((رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلْهُ)). وَرَوَاهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

तश्रीह : हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बसरा से शाम (वर्तमान देश सीरिया) में ख़लीफ़ा-ए-वक़्त अब्दुल मलिक बिन मरवान के यहाँ हज्जाज बिन यूसुफ़ ज़ालिम स़क़्फ़ी की शिकायत लेकर गए थे। जब लौटकर बसरा आए तो अनस बिन सीरीन आपके इस्तिक़बाल को गए और आपको देखा कि गधे पर अपनी नमाज़ इशारों से अदा कर रहे हैं और मुँह भी ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ है। आपसे इस बाबत पूछा गया। फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को भी सवारी पर नफ़्ल नमाज़ ऐसे ही पढ़ते देखा है। ये रिवायत मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से यूँ है, **राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ) युसल्ली अला हिमारिन व हुव मुतव्वजिहुन इला ख़ैबर** कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) को देखा, आप (ﷺ) (नफ़्ल नमाज़) गधे पर पढ़ रहे थे और आपका चेहर-ए-मुबारक ख़ैबर की तरफ़ था।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस रिवायत को इब्राहीम बिन तह्मान की सनद से नक़ल किया। हाफ़िज़ इब्ने (रह.)

हजर कहते हैं कि मुझको ये ह़दीष़ इब्राहीम बिन त़हमान के त़रीक़ से मौसूलन नहीं मिली। अलबत्ता सिराज ने अ़म्र बिन आ़मिर से, उन्होंने ह़ज्जाज से इस लफ़्ज़ से रिवायत किया है कि आँह़ज़रत (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ते चाहे जिधर वो मुँह करती जो ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने गधे पर नमाज़ पढ़ने को ऊँट के ऊपर पढ़ने पर क़यास़ किया। और सिराज ने यह़्या बिन सईद से रिवायत किया, उन्होंने ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से कि उन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) को गधे पर नमाज़ पढ़ते देखा और आप (ﷺ) ख़ैबर की त़रफ़ मुँह किये हुए थे। अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं कि नमाज़ में क़िब्ले की त़रफ़ मुँह करना बिल इज्माअ़ फ़र्ज़ है मगर जब आदमी आ़जिज़ हो या डर हो या नफ़्ल नमाज़ हो तो इन ह़ालात में ये फ़र्ज उठ जाता है। नफ़्ल नमाज़ के लिये भी ज़रूरी है कि शुरू करते वक़्त निय्यत बाँधने पर मुँह क़िब्ला रुख़ हो बाद में वो सवारी जिधर भी रुख़ करे नमाज़े नफ़्ल अदा करना जाइज़ है। ऐनुत्तमर एक गांव मुल्के शाम में इराक़ की त़रफ़ वाकेअ़ है।

इस रिवायत से ष़ाबित हुआ कि किसी ज़ालिम ह़ाकिम की शिकायत बड़े ह़ाकिम को पहुँचाना मअ़यूब (बुरा) नहीं है और ये कि किसी बुज़ुर्ग के इस्तिक़बाल के लिये चलकर जाना ऐन ष़वाब है और ये भी कि बड़े लोगों से छोटे आदमी मसाइल की तह़क़ीक़ कर सकते हैं और ये भी ष़ाबित हुआ कि दलील पेश करने में रसूले करीम (ﷺ) की ह़दीष़ बड़ी अह़मियत रखती है कि मोमिन के लिये उससे आगे गुंजाइश नहीं। इसलिये बिलकुल सच कहा गया है,

'अस़्ल दीन आमद कलामुल्लाह मुअ़ज़्ज़म दाशतन
पस ह़दीष़े मुस्त़फ़ा बरजाँ मुसल्लम दाशतन'

या'नी दीन की बुनियाद ही ये है कि कुर्आन मजीद को हद दर्ज़ा क़ाबिले ता'ज़ीम कहा जाए और अह़ादीष़े नबवी को दिलो-जान से तस्लीम किया जाए।

बाब 11 : सफ़र में जिसने फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और पीछे सुन्नतों को नहीं पढ़ा

١١- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبُرَ الصَّلاَةِ وَقَبْلَهَا

1101. हमसे यह़्या बिन सुलैमान कूफ़ी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझसे उ़मर बिन मुह़म्मद बिन यज़ीद ने बयान किया कि ह़फ़्स़ बिन आ़स़िम बिन उ़मर ने उनसे बयान किया कि मैंने सफ़र में सुन्नतों के मुता'ल्लिक़ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से पूछा, आपने फ़र्माया कि मैं नबी करीम (ﷺ) की सुह़्बत में रहा हूँ। मैंने आप (ﷺ) को सफ़र में कभी सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा और अल्लाह जल्ल ज़िक्रहू का इर्शाद है कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है।

(दीगर मक़ाम : 1102)

١١٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

[طرفه في: ١١٠٢].

मा'लूम हुआ कि सफ़र में ख़ाली फ़र्ज़ नमाज़ की दो रकअ़तें ज़ुहर और अ़स़र में काफ़ी है। सुन्नत न पढ़ना भी ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) की सुन्नत है।

1102. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे ईसा बिन ह़फ़्स़ बिन

١١٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:

आसिम ने, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को ये फ़र्माते सुना कि मैं रसूलुल्लाह की सुह्बत में रहा हूँ, आप (ﷺ) सफ़र में दो रकअ़त (फ़र्ज़) से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अबूबक्र, उ़मर और उ़ष्मान (रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे।

(राजेअ़ : 1101)

حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ)).

[راجع: ١١٠١]

तश्रीह : दूसरी रिवायत मुस्लिम शरीफ़ में यूँ है, **सहिब्तुब्न उ़मर फी तरीकि मक्कत फ़सल्ल बिना अज्जुहरा रक्अ़तैनि षुम्म अक्बल व अक्बलना मअ़हू हत्ता जाअ रिहलुहू व जलस्ना मअ़हू फाहनत मिन्हुत्तफातत फराअ नासन क़ियामन फक़ाल मा यस्नउ़ हाउलाइ कुल्तु युसब्बिहून क़ाल लौ कुन्तु मुसब्बिहन लअत्मम्तु** (क़स्तलानी रह.) ह़फ़्स बिन आसिम कहते हैं कि मैं मक्का शरीफ़ के सफ़र में ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के साथ था। आपने ज़ुहर की दो रकअ़त फ़र्ज नमाज़ पढ़ाई फिर कुछ लोगों को देखा कि वो सुन्नत पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि अगर मैं सुन्नत पढूँ तो फिर फ़र्ज़ ही क्यूँ न पूरी पढ़ लूँ। अगली रिवायत में मज़ीद वज़ाह़त मौजूद है कि रसूले करीम (ﷺ) और अबूबक्र और उ़मर और उ़ष्मान (रज़ि.) सबका यही अ़मल था कि वो सफ़र में नमाज़ क़स्र करते थे और उन दो रकअ़ते फ़र्ज के अ़लावा कोई सुन्नत नहीं पढ़ते थे। बहुत से नावाक़िफ़ भाईयों को देखा जाता है कि वो अहले ह़दीष़ के इस अ़मल पर तअ़ज्जुब किया करते हैं बल्कि कुछ तो इज़्हारे नफ़रत से भी नहीं चूकते और उन लोगों को ख़ुद अपनी नावाक़िफ़ी पर अफ़सोस करना चाहिये और मा'लूम होना चाहिये कि ह़ालाते सफ़र में जब फ़र्ज़ नमाज़ को क़स्र किया जा रहा है फिर सुन्नत नमाज़ों का ज़िक्र ही क्या है?

बाब 12 : फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद और अव्वल की सुन्नतों के अ़लावा और दूसरे नफ़्ल सफ़र में पढ़ना और नबी करीम (ﷺ) ने सफ़र में फ़र्ज़ की सुन्नतों को पढ़ा है

١٢- بَابُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَبْلَهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ

1103. हमसे ह़फ़्स बिन उ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे उ़मर बिन मुर्रा ने, उनसे इब्ने अबी लैला ने, उन्होंने कहा कि हमें किसी ने ये ख़बर नहीं दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन्होंने चाश्त की नमाज़ पढ़ते देखा, हाँ उम्मे हानी (रज़ि.) का बयान है कि फ़तहे मक्का के दिन नबी करीम (ﷺ) ने उनके घर ग़ुस्ल किया था और उसके बाद आप (ﷺ) ने आठ रकअ़त पढ़ी थीं। मैंने आप (ﷺ) को कभी इतनी हल्की-फुल्की नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता आप (ﷺ) रुकूअ़ और सज्दा पूरी त़रह करते थे।

(दीगर मक़ामात : 1176, 4292)

١١٠٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَنْبَأَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الضُّحَى، غَيْرُ أُمِّ هَانِىءٍ ذَكَرَتْ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)).

[طرفاه في: ١١٧٦، ٤٢٩٢].

1104. और लैष़ बिन सअ़द (रह.) ने कहा कि मुझसे यूनुस ने

١١٠٤- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ

बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर बिन रबीआ़ ने बयान किया कि उन्हें उनके बाप ने ख़बर दी कि उन्होंने ख़ुद देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रात में) सफ़र में नफ़्ल नमाज़ें सवारी पर पढ़ते थे, वो जिधर आप (ﷺ) को ले जाती उधर ही सही।

(राजेअ़ : 1093)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ)).

[راجع: ١٠٩٣]

इससे आँह़ज़रत (ﷺ) का सफ़र में नफ़्ल पढ़ना ष़ाबित हुआ। चाश्त की नमाज़ भी ष़ाबित हुई। अगर हुज़ूर (ﷺ) से उ़म्रभर कोई काम सिर्फ़ एक ही दफ़ा करना ष़ाबित हो तो वो भी उम्मत के लिये सुन्नत है और चाश्त के लिये तो और भी षुबूत मौजूद हैं। ह़ज़रत उम्मे हानी ने सिर्फ़ अपने देखने का ह़ाल बयान किया है। जाहिर है कि ह़ज़रत उम्मे हानी को हर वक़्त आप (ﷺ) के मा'मूलात देखने का इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ।

1105. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने और उन्हें सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने अपने बाप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि) से कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर ख़्वाह उसका मुँह किस त़रफ़ होता, नफ़्ल नमाज़ सर के इशारों से पढ़ते थे। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) भी इसी त़रह किया करते थे।

(राजेअ़ : 999)

١١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ)).

[راجع: ٩٩٩]

मत़लब इमाम बुख़ारी (रह.) का ये है कि सफ़र में आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्ज़ नमाज़ों के अव्वल और बाद की सुनने रातिबा नहीं पढ़ी है और हर क़िस्म के नवाफ़िल जैसे इश्राक़ वग़ैरह सफ़र में पढ़ना मन्क़ूल है और फ़ज्र की सुन्नतों का सफ़र में अदा करना भी ष़ाबित है।

क़ालब्नुल्क़य्यिम फ़िल्हुदा व कान मिन्हदयिही (ﷺ) फ़ी सफ़रिही अल्इक्तिसारू अ़लल्फ़र्जि वलम यहफ़ज अन्हु अन्नहू (ﷺ) स़ल्ला सुन्नतस़्स़लाति क़ब्लहा व बअ़्दहा इल्ला मा कान मिन सुन्नतिल्वितरि वल्फ़ज्रि फ़इन्नहू लम यकुन यदअ़हा ह़ज़रन वला सफरन इन्तिहा (नैलुल औतार) या'नी अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने अपनी मशहूर किताब ज़ादुल मआ़द में लिखा है कि आँह़ज़रत (ﷺ) की सीरते मुबारक से ये भी है कि हालते सफ़र में आप (ﷺ) सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ की क़स़्र रकअ़तों पर इक्तिफ़ा करते थे और आप (ﷺ) से ष़ाबित नहीं है कि आप (ﷺ) ने सफ़र में वित्र और फ़ज्र की सुन्नतों के सिवा और कोई नमाज़ अदा की हो। आप (ﷺ) उन दोनों को सफ़र और हजर में बराबर पढ़ा करते थे। फिर अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इन रिवायात पर रोशनी डाली है जिनसे आँह़ज़रत (ﷺ) का हालते सफ़र में नमाज़े नवाफ़िल पढ़ना ष़ाबित होता है।

व क़द सुइलल्इमामु अहमद अनित्ततव्वुइ फ़िस्सफ़रि फ़क़ाल अर्जू अंल्ला यकूनु बित्ततव्वुइ फ़िस्सफ़रि बास. या'नी इमाम अह़मद बिन ह़ंबल (रह.) से सफ़र में नवाफ़िल के बारे में पूछा गया तो आपने फ़र्माया कि मुझे उम्मीद है कि सफ़र में नवाफ़िल अदा करने में कोई बुराई नहीं है। मगर सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) पर अ़मल करना बेहतर और मुक़द्दम है। पस दोनों उमूर ष़ाबित हुए कि तर्क में भी कोई बुराई नहीं और अदायगी में भी कोई हर्ज़ नहीं। **व क़ालल्लाहु तआ़ला मा जअ़ल अलैकुम फ़िद्दीनि मिन हरजिन वल्हम्दु लिल्लाहि अ़ला नअ़माइहिल्कामिला.**

बाब 13 : सफ़र में मग़्रिब और इशा एक साथ

١٣ - بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ

मिलाकर पढ़ना

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

1106. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया उन्होंने कहा कि मैंने ज़ुह्री से सुना, उन्होंने सालिम से और उन्होंने अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उमर से कि नबी अकरम (ﷺ) को अगर सफ़र में जल्द चलना मंज़ूर होता तो मग़्रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते। (राजेअ 1091)

١١٠٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ)). [راجع: ١٠٩١]

1107. और इब्राहीम बिन तह्मान ने कहा कि उनसे हुसैन मुअल्लिम ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कषीर ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में ज़ुहर व अस्र की नमाज़ एक साथ मिलाकर पढ़ते। इसी तरह मग़्रिब और इशा की भी एक साथ मिलाकर पढ़ते थे।

١١٠٧- وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)).

1108. और इब्ने तह्मान ही ने बयान किया कि उनसे हुसैन ने, उनसे यह्या बिन अबी कषीर ने, उनसे हफ़्स बिन उबैदुल्लाह बिन अनस (रज़ि.) ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया नबी करीम (ﷺ) सफ़र में मग़्रिब और इशा एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। इस रिवायत की मुताबअत अली बिन मुबारक और हर्ब ने यह्या से की है। यह्या, हफ़्स से और हफ़्स, अनस (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने (मग़्रिब और इशा) एक साथ मिलाकर पढ़ी थीं।

(दीगर मक़ाम : 1110)

١١٠٨- حَدَّثَنَا وَعَنْ حُسَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ)).
وَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ ((جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ)).
[طرفه في: ١١١٠].

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) जमा का मसला क़स्र के अब्वाब में इसलिये लाए कि जमा भी गोया एक तरह का क़स्र ही है। सफ़र में ज़ुहर, अस्र और मग़्रिब-इशा का जमा करना अहले हदीष और इमाम अहमद, शाफ़िई, षौरी, इमाम इस्हाक़ (रह.) सबके नज़दीक जाइज़ है। ख़्वाह जमा तक़्दीम करें या'नी ज़ुहर के वक़्त, अस्र और मग़्रिब के वक़्त इशा पढ़ लें। ख़्वाह जमा ताख़ीर करे या'नी अस्र के वक़्त ज़ुहर और इशा के वक़्त मग़्रिब भी पढ़ लें। इस बारे में मज़ीद तफ़्सीर मन्दर्जा ज़ेल अहादीष से मा'लूम होती है,

अन मआजिब्नि जबलिन (रज़ि.) कानन्नबिय्यु (ﷺ) फी ग़ज़वति तबूक इज़ा ज़ागतिशशम्सु क़ब्ल अय्यर्तहिल जमअ बैनज्जुहरि वल्अस्रि व इनिर्तहल क़ब्ल अन तज़ीगश्शम्सु अख़्ख़रज़्ज़ुहर हत्ता यन्ज़िल लिल्अस्रि व फिल्मग़्रिबि मिष्ला ज़ालिक इज़ा गाबजिश्शम्सु क़ब्ल अय्यंर्तहिल जमअ बैनल्मग़्रिबि वल्इशाइ

व इन इर्तहल क़ब्ल अन तगीबश्शम्सु अख़्ख़रल्मग़रिब हत्ता यन्ज़िल लिल्इशाइ षुम्म यज्मउ बैनहुमा रवाहु अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीषुन हसनुन ग़रीब या'नी मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि ग़ज़्व-ए-तबूक में आँहज़रत (ﷺ) अगर किसी दिन कूच करने से पहले सूरज ढल जाता तो आप ज़ुहर और अ़स्र मिलाकर पढ़ लेते। (जिसे जमा तक़्दीम कहा जाता है) और अगर कभी आप (ﷺ) का सफ़र सूरज ढलने से पहले ही शुरू हो जाता तो ज़ुहर और अ़स्र मिलाकर पढ़ते (जिसे जमा ताख़ीर कहा जाता है)। मग़रिब में भी आप (ﷺ) का यही अ़मल था। अगर कूच करते वक़्त सूरज ग़ुरूब हो चुका होता तो आप (ﷺ) मग़रिब और इशा मिलाकर पढ़ लेते थे और अगर सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही सफ़र शुरू हो जाता तो फिर मग़रिब को देर करके इशा के साथ मिलाकर अदा करते थे। मुस्लिम शरीफ़ में भी यही रिवायत मुख़्तसर मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ग़ज़्व-ए-तबूक में ज़ुहर और अ़स्र और मग़रिब और इशा मिलाकर पढ़ लिया करते थे।

एक और हदीष़ हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है जिसमें मुत्लक़ सफ़र का ज़िक्र है और साथ ही हज़रत अनस (रज़ि.) ये भी बयान करते हैं **कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़र्तहल क़ब्ल अन तज़ीगश्शम्सु अख़्ख़रज़्ज़ुहर इला वक़्तिल्अ़स्रि अल्हदीष़** या'नी सफ़र में आँहज़रत (ﷺ) का यही मा'मूल था कि अगर सफ़र सूरज ढलने से पहले शुरू होता तो आप (ﷺ) ज़ुहर में अ़स्र को मिला लिया करते थे और अगर सूरज ढलने के बाद सफ़र शुरू होता तो आप (ﷺ) ज़ुहर को अ़स्र के साथ मिलाकर सफ़र शुरू करते थे।

मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से भी ऐसा ही मरवी है उसमें मज़ीद ये है कि **क़ाल सईदुन फ़क़ुल्तु लिइब्नि अ़ब्बास मा हम्मलहू अला ज़ालिक क़ाल अराद अल्ला युहर्रिज उम्मतहू** (रवाहु मुस्लिम, सफ़ा : 246) या'नी सईद ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा आप (ﷺ) ने ये इसलिये किया ताकि उम्मत तंगी में न पड़ जाए।

इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि इस बारे में हज़रत अ़ली और इब्ने उ़मर और अनस और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और हज़रत आ़इशा और इब्ने अ़ब्बास और उसामा बिन ज़ैद और जाबिर (रज़ि.) से भी मरवियात हैं। इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ राहवै यही कहते हैं कि सफ़र में दो नमाज़ों का जमा करना ख़्वाह जमा तक़्दीम हो या ताख़ीर बिला ख़ौफ़ो-ख़तर जाइज़ है।

अ़ल्लाम नववी (रह.) ने शरहे मुस्लिम में, इमाम शाफ़िई (रह.) और अकषर लोगों का क़ौल नक़ल किया है कि सफ़रे तवील में जो 48 मील हाशमी पर बोला जाता है, जमा तक़्दीम और जमा ताख़ीर दोनों तौर पर जमा करना जाइज़ है। और छोटे सफ़र के बारे में इमाम शाफ़िई (रह.) के दो क़ौल हैं और उनमें ज़्यादा सही क़ौल ये है कि जिस सफ़र में नमाज़ का क़स्र करना जाइज़ नहीं उसमें जमा भी जाइज़ नहीं है। अ़ल्लामा शौकानी (रह.) दुर्रुल बहिय्या में फ़र्माते हैं कि मुसाफ़िर के लिये जमा तक़्दीम व जमा ताख़ीर दोनों तौर पर जमा करना जाइज़ है। ख़्वाह अज़ान और इक़ामत से ज़ुहर में अ़स्र को मिलाए या अ़स्र के साथ ज़ुहर को मिलाए। इस तरह मग़रिब के साथ इशा पढ़े या इशा के साथ मग़रिब मिलाए। हन्फ़िया के यहाँ सफ़र में जमा करके पढ़ना जाइज़ नहीं है। उनकी दलील अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) वाली रिवायत है जिसे बुख़ारी और मुस्लिम और अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है कि मैंने मुज़दलिफ़ा के सिवा कहीं नहीं देखा कि आँहज़रत (ﷺ) ने दो नमाज़ें मिलाकर अदा की हों। इसका जवाब स़ाहिबे **मस्लकिल ख़िताम** ने यूँ दिया है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) का ये बयान हमारे मक़्सूद के लिये हर्गिज़ मुज़िर नहीं है कि यही अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) अपने इस बयान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं जैसा कि मुहद्दिष़ सलामुल्लाह ने मुहल्ला शरहे मुअत्ता इमाम मालिक ने मुस्नद अबी से नक़ल किया है कि अबू क़ैस अज़्दी कहते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) सफ़र में दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ा करते थे। अब इनके पहले बयान में नफ़ी है और इसमें इस्बात है और क़ाइदा-ए-मुक़र्ररा की रू से नफ़्ली पर इष्बात मुक़द्दम होता है। लिहाज़ा ष़ाबित हुआ कि इनका पहला बयान सिर्फ़ निस्यान की वजह से है। दूसरी दलील ये दी जाती है कि अल्लाह पाक ने क़ुर्आन मजीद में फ़र्माया, **इन्नस्सलात कानत अलल्मुअमिनीन किताबम्मौक़ूता** (अन् निसा : 103) या'नी मोमिनों पर वक़्ते मुक़र्ररा में फ़र्ज़ है। इसका जवाब ये है कि आँहज़रत (ﷺ) क़ुर्आन मजीद के मुफ़स्सिरे अव्वल हैं और आप (ﷺ) के अ़मल से नमाज़ में जमा ष़ाबित है। मा'लूम हुआ कि ये जमा भी वक़्ते मुवक़्क़त ही में दाख़िल है वरना आयत

को अगर मुत्लक़ माना जाए तो फिर मुज़दलिफ़ा में भी जमा करना जाइज़ नहीं होगा। हालाँकि वहाँ के जमा पर हनफ़ी, शाफ़िई और अहले हदीष़ सबका इत्तेफ़ाक़ है। बहरहाल अम्रे ष़ाबित यही है कि सफ़र में जमा तक़्दीम व ताख़ीर दोनों सूरतों में जाइज़ है।

व क़द रवा मुस्लिमुन अन जाबिरिन अन्नहू (ﷺ) जमअ़ बैनज़्ज़ुहरि वल्अ़स्रि बिअ़रफ़त फी वक़्तिज़्ज़ुहरि फ लौ लम यरिद मिन फ़िअ़्लिही इल्ला हाज़ा लकान अदुल्लु दलीलिन अ़ला जवाज़ि जम्इत्तक़्दीमि फिस्सफरि (क़स्तलानी जिल्द 2, सफ़ा : 249) या'नी इमाम मुस्लिम ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ों को अ़र्फ़ा में ज़ुहर के वक़्त में जमा करके अदा किया, पस अगर आँहज़रत (ﷺ) से सिर्फ़ इसी मौक़े पर सहीह रिवायत से जमा ष़ाबित हुआ। यही बहुत बड़ी दलील है कि जमा तक़्दीम सफ़र में जाइज़ है।

अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) ने इमामे ज़ुहरी का ये क़ौल नक़ल किया है कि उन्होंने सालिम से पूछा कि सफ़र में ज़ुहर और अ़स्र का जमा करना कैसा है? उन्होंने कहा कि बिला शक जाइज़ है, तुम देखते नहीं कि अ़रफ़ात में लोग ज़ुहर और अ़स्र मिलाकर पढ़ते हैं।

फिर अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं कि जमा तक़्दीम के लिये ज़रूरी है कि पहले अव्वल वाली नमाज़ पढ़ी जाए। मष़लन ज़ुहर और अ़स्र को मिलाना है तो पहले ज़ुहर अदा की जाए और ये भी ज़रूरी है कि निय्यत भी पहले ज़ुहर अदा करने की जाए और ये भी ज़रूरी है कि इन दोनों नमाज़ों को पे दर पे पढ़ा जाए। बीच में किसी सुन्नते रातिबा से फ़स्ल न हो। आँहज़रत (ﷺ) ने जब नमरा में ज़ुहर और अ़स्र को जमा किया तो **व इला बैनिहिमा व तरकर्रवातिब व अक़ामस्सलात बैनहुमा व रवाहुश्शैख़ान** आप (ﷺ) ने उनको मिलाकर पढ़ा बीच में कोई सुन्नत नमाज़ नहीं पढ़ी और दरम्यान में तक्बीर कही। इसे बुख़ारी, मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। (हवाला मज़्कूर)

इस बारे में अ़ल्लामा शौकानी (रह.) ने यूँ बाब मुनअ़क़िद किया है, **बाबुन : अल्जम्उ बिअज़ानिन व इक़ामतैनि मिन ग़ैरि ततव्वुइन बैनहुमा** या'नी नमाज़ को एक अज़ान दो इक़ामतों के साथ जमा करना और उनके बीच कोई नफ़्लि नमाज़ न पढ़ना फिर आप इस बारे में बतौरे दलील हदीष़े ज़ेल को लाए हैं,

अनिब्नि उ़मर अन्नन्नबिय्य (ﷺ) सल्ललम्मग़रिब वल्इशाअ बिल्मुज़्दलिफति जमीअन कुल्ल वाहिदतिम्मिन्हुमा बिइक़ामतिन व लम युसब्बिह बैनहुमा व ला अ़ला अ़ष़्रि वाहिदतिम्मिन्हुमा रवाहुल्बुख़ारी वन्नसईअनिब्नि उ़मर अन्नन्नबिय्यु (ﷺ) सल्ललम्मग़रिब वल्इशाअ बिल्मुज़्दलिफति जमीअन कुल्ल वाहिदतिम्मिन्हुमा बिइक़ामतिन व लम युसब्बिह बैनहुमा व ला अ़ला अ़ष़्रि वाहिदतिम्मिन्हुमा रवाहुल्बुख़ारी वन्नसई या'नी हज़रत इब्ने उ़मर से रिवायत है कि मुज़ दलिफ़ा में आँहज़रत (ﷺ) ने मग़्रिब और इशा को अलग–अलग इक़ामत के स ाथ जमा किया और न आप (ﷺ) ने इनके बीच कोई नफ़्ल नमाज़ अदा की और न उनके आगे–पीछे। जाबिर की रिवायत से मुस्लिम और अहमद और निसाई में इतना और ज़्यादा है, **ष़ुम्म इज़्तजअ हत्ता तलअल्फज्रु** फिर आप (ﷺ) लेट गए यहाँ तक कि फ़ज्र हो गई।

बाब 14 : मग़्रिब और इशा मिलाकर पढ़े तो क्या उनके लिये अज़ान व तक्बीर कही जाएगी

١٤– بَابُ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيْمُ، إِذَا جَـمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؟

1109. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, हमें शुऐ़ब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) को जब जल्दी सफ़र तय करना होता तो मग़्रिब की नमाज़ मुअख़्ख़र कर देते। फिर इशा के साथ मिलाकर पढ़ते थे। सालिम ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) भी अगर सफ़र सुरअ़त (तेज़ी) के साथ तय करना चाहते तो इसी तरह करते थे। मग़्रिब की तक्बीर पहले कही जाती और आप तीन रकअ़त मग़्रिब की नमाज़ पढ़कर सलाम फेर देते। फिर मा'मूली से तवक़्क़ुफ़ के

١١٠٩– حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ. قَالَ سَالِمٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ

السَّيْرُ، وَيُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلاَ يُسَبِّحُ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَةٍ وَلاَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)). [راجع:١٠٩١]

बाद इशा की तक्बीर कही जाती और आप उसकी दो रकअ़त पढ़कर सलाम फेर देते। दोनों नमाज़ों के दरम्यान एक रकअ़त भी सुन्नत वग़ैरह न पढ़ते और इसी तरह इशा के बाद भी नमाज़ नहीं पढ़ते थे। यहाँ तक कि दरम्याने-शब में आप उठते (और तहज्जुद अदा करते)।

(राजेअ़ : 1091)

١١١٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، يَعْنِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ)). [راجع: ١١٠٨]

1110. हमसे इस्हाक़ ने बयान क़िया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुस्समद बिन अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ह़र्ब बिन सद्दाद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ह़फ़्स़ बिन उ़बैदुल्लाह बिन अनस ने बयान किया कि अनस (रज़ि.) ने उनसे ये बयान किया कि रसूलुल्लाह इन दो नमाज़ों या'नी मग़रिब और इशा को सफ़र में एक साथ मिलाकर पढ़ा करते थे। (राजेअ़ : 1108)

١٥- بَابُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، فِيهِ عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 15 : मुसाफ़िर जब सूरज ढलने से पहले कूच करे तो ज़ुहर की नमाज़ में अ़स्र का वक़्त आने तक देर करे. इसको इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है

١١١١- حَدَّثَنَا حَسَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ)).

1111. हमसे ह़स्सान बिन वास्ती ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुफ़ज़्ज़ल बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) अगर सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ुहर की नमाज़ अ़स्र तक न पढ़ते फिर ज़ुहर और अ़स्र एक साथ पढ़ते और अगर सूरज ढल चुका होता तो पहले ज़ुहर पढ़ लेते फिर सवार होते।

١٦- بَابُ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ مَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

बाब 16 : सफ़र अगर सूरज ढलने के बाद शुरू हो तो पहले ज़ुहर पढ़ ले फिर सवार हो

١١١٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا

1112. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि

हमसे मुफ़ज़्ज़ल बिन फ़ज़ाला, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ुहर अस्र के वक़्त आने तक न पढ़ते। फिर कहीं (रास्ते में) ठहरते और ज़ुहर और अस्र मिलाकर पढ़ते लेकिन अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज ढल चुका होता तो पहले ज़ुहर पढ़ते फिर सवार होते।

الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ)).

बाब 18 : नमाज़ बैठकर पढ़ने का बयान

١٧ – بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ

1113. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके बाप उर्वा ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) बीमार थे इसलिये आप (ﷺ) ने अपने घर में बैठकर नमाज़ पढ़ाई, बाज़ लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े होकर पढ़ने लगे। लेकिन आप (ﷺ) ने उन्हें इशारा किया कि बैठ जाओ। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इमाम इसलिये है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिये जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ।

(राजेअ : 688)

١١١٣ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)).

[راجع: ٦٨٨]

1114. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने ज़ुह्री से बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) घोड़े से गिर पड़े और इसकी वजह से आपके दाएँ पहलू पर ज़ख़्म आ गए। हम मिज़ाजपुर्सी के लिये गये तो नमाज़ का वक़्त आ गया। आप (ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई। हमने भी बैठकर आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने इसी मौक़े पर फ़र्माया था कि इमाम इसलिये है ताकि उसकी पैरवी की जाए। इसलिये जब वो तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो, जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो, जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ और जब वो समिअ़ अल्लाहु लिमन हमिदह कहे तो तुम अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्द कहो।

(राजेअ : 387)

١١١٤ – حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَقَطَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ –أَوْ فَجُحِشَ– شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا وَقَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)). [راجع: ٣٧٨]

दोनों अहादीष़ में मुक़्तदियों के लिये बैठने का हुक्म पहले दिया गया था। बाद में आख़िरी नमाज़ मर्ज़ुल मौत में जो आप (ﷺ)

ने पढ़ाई उसमें आप (ﷺ) बैठे हुए थे और सहाबा आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए थे। इससे पहला हुक्म मन्सूख़ हो गया।

1115. हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें रवह बिन उबादा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें हुसैन ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उन्हें इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कि आपने नबी करीम (ﷺ) से पूछा (दूसरी सनद) और हमें इस्हाक़ बिन मन्सूर ने ख़बर दी, कहा कि हमें अब्दुस्समद ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अपने बाप अब्दुल वारिष़ से सुना, कहा कि हमसे हुसैन ने बयान किया और उनसे इब्ने बुरैदा ने कहा कि मुझसे इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने बयान किया, वो बवासीर के मरीज़ थे, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से किसी आदमी के बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि अफ़ज़ल यही है कि खड़े होकर पढ़े क्योंकि बैठकर पढ़ने वाले को खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा ष़वाब मिलता है और लेटे-लेटे पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा ष़वाब मिलता है।

(दीगर मक़ामात : 1116, 1117)

١١١٥ – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حسينٌ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ – وَكَانَ مَبْسُورًا – قَالَ : ((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ: ((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)). [طرفاه في ١١١٦، ١١١٧].

तश्रीह : इस ह़दीष़ में एक उसूल बताया गया है कि खड़े होकर बैठकर या लेटकर नमाज़ों के ष़वाब में क्या तफ़ावुत है। रही बात मसले की कि लेटकर नमाज़ पढ़ना जाइज़ भी है या नहीं उससे कोई बह़ष़ नहीं की गई है। इसलिये इस ह़दीष़ पर ये सवाल नहीं हो सकता कि जब लेटकर नमाज़ जाइज़ ही नहीं तो ह़दीष़ में उस पर ष़वाब का कैसे ज़िक्र हो रहा है? मुसन्निफ़ (रह.) ने भी इन अह़ादीष़ पर जो उन्वान लगाया है उसका मक़्सद उसी उसूल की वज़ाहत है। उसकी तफ़्सीलात दूसरे मौक़ों पर शारेअ से ख़ुद ष़ाबित है। इसलिये अमली ह़ुदूद में जवाज़ और अदमे जवाज़ का फ़ैसला उन्हीं तफ़्सीलात के पेशे-नज़र होगा। इस बाब की पहली दो अह़ादीष़ पर बह़ष़ पहले गुज़र चुकी है कि आँह़ज़रत (ﷺ) उज़्र की वजह से मस्जिद में नहीं जा सकते थे इसलिये आपने फ़र्ज़ नमाज़ अपनी क़यामगाह पर अदा की। सह़ाबा (रज़ि.) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर इयादत के लिये ह़ाज़िर हुए और जब आप (ﷺ) को नमाज़ पढ़ते देखा तो आप (ﷺ) के पीछे उन्होंने भी इक़्तिदा की निय्यत बाँध ली। सह़ाबा (रज़ि.) खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे, इसलिये आप (ﷺ) ने उन्हें मना कर दिया कि नफ़्लि नमाज़ में इमाम की ह़ालत के इस तरह ख़िलाफ़ मुक़्तदियों के लिये खड़ा होना मुनासिब नहीं है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी, पारा नं. 5, पेज नं. 13) जो मरीज़ बैठकर भी नमाज़ न पढ़ सके तो वो लेटकर पढ़ सकता है। जिसके जवाज़ में कोई शक नहीं। इमाम के साथ मुक़्तदियों का बैठकर नमाज़ पढ़ना बाद में मन्सूख़ हो गया।

बाब 18 : बैठकर इशारे से नमाज़ पढ़ना

١٨ – بَابُ صَلاَةِ الْقَاعِدِ بِالإِيْمَاءِ

1116. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन मुअ़ल्लिम ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने कि इमरान बिन हुसैन ने, जिन्हें बवासीर का मर्ज़ था। और कभी अबू मअ़मर ने यूँ कहा कि

١١١٦ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ

इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है, लेकिन अगर कोई बैठकर नमाज़ पढ़े तो खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा ष़वाब मिलेगा और लेटकर पढ़ने वाले को बैठकर पढ़ने वाले से आधा ष़वाब मिलेगा। अबू अ़ब्दुल्लाह (हज़रत इमाम बुख़ारी रह.) फ़र्माते हैं कि हदीष़ के अल्फ़ाज़ में नाइमुन मुज़्तज़िउन के मा'नी में है। या'नी लेटकर नमाज़ पढ़ने वाला।
(राजेअ़ : 1115)

حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُورًا. وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ مَرَّةً: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : نَائِمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَا هُنَا. [راجع: ١١١٥]

बाब 19 : जब बैठकर भी नमाज़ पढ़ने की त़ाक़त न हो तो करवट के बल लेट कर पढ़े

١٩- بَابُ إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ

और अ़ता (रह.) ने कहा कि अगर क़िब्ला रुख़ होने की भी ताक़त न हो तो जिस तरह का रुख़ हो उधर की नमाज़ पढ़ सकता है।

وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.

1117. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उनसे इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने, उनसे इब्राहीम बिन त़ह्मान ने, उन्होंने कहा कि मुझसे हुसैन मुक्तिब ने (जो बच्चों को लिखना सिखाता था) बयान किया, उनसे इब्ने बुरैदा ने और उनसे इमरान बिन हुस़ैन (रज़ि.) ने कहा कि मुझे बवासीर का मर्ज़ था। इसलिये मैंने नबी करीम (ﷺ) से नमाज़ के बारे में दरयाफ़्त किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करो अगर इसकी भी ताक़त न हो तो बैठकर और अगर इसकी भी न हो तो पहलू के बल लेटकर पढ़ लो। (राजेअ़ : 1115)

١١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)). [راجع: ١١١٥]

बाब 20 : अगर किसी शख़्स ने नमाज़ बैठकर शुरू की लेकिन दौराने नमाज़ में वो तन्दुरुस्त हो गया या मर्ज़ में कुछ कमी महसूस की तो बाक़ी नमाज़ खड़े होकर पूरी करे

٢٠- بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ

और इमाम हसन बस़री (रह.) ने कहा कि मरीज़ दो रकअ़त बैठकर और दो रकअ़त खड़े होकर पढ़ सकता है।

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ شَاءَ الْمَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَاعِدًا، وَرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا.

1118. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीशी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम

١١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

बिन उर्वा ने, उन्हें उनके बाप उर्वा बिन ज़ुबैर ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा ने कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी बैठकर नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, अलबत्ता जब आप (ﷺ) ज़ईफ़ हो गये तो क़िरअते क़ुर्आन नमाज़ में बैठकर करते थे, फिर जब रुकूअ का वक़्त आता तो खड़े हो जाते और फिर तक़रीबन तीस या चालीस आयतें पढ़कर रुकूअ करते।

(दीगर मक़ामात : 1119, 1148, 1161, 1168, 4837)

أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ((أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ)).

[أطرافه في : ١١١٩، ١١٤٨، ١١٦١، ١١٦٨، ٤٨٣٧].

1119. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने, अब्दुल्लाह बिन यज़ीद और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के ग़ुलाम अबू नज़र ने ख़बर दी, उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने, उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तहज्जुद की नमाज़ बैठकर पढ़ना चाहते तो क़िरअत बैठकर करते। जब तक़रीबन तीस-चालीस आयतें पढ़नी बाक़ी रह जाती तो आप उन्हें खड़े होकर पढ़ते। फिर रुकूअ और सज्दा करते फिर दूसरी रकअत में भी इसी तरह करते। नमाज़ से फ़ारिग़ होने पर देखते कि मैं जाग रही हूँ तो मुझसे बातें करते लेकिन अगर मैं सोती होती आप (ﷺ) भी लेट जाते।

(राजेअ : 1118)

١١١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً فَقَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلاَتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ)). [راجع: ١١١٨]

19. किताबुत् तहज्जुद

तहज्जुद का बयान

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : रात में तहज्जुद पढ़ना और अल्लाह अज्ज व ज़ल्ल ने (सूरह बनी इस्राईल में) फ़र्माया, और रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़, ये आप (ﷺ) के लिये ज़्यादा हुक्म है

١ - بَابُ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ، وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾

1120. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैयना ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैमान बिन अबी मुस्लिम ने बयान किया, उनसे ताऊस ने और उन्होंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रात में तहज्जुद के लिये खड़े होते तो ये दुआ पढ़ते। (जिसका तर्जुमा ये है) ऐ मेरे अल्लाह! हर तरह की ता'रीफ़ तेरे लिये ही ज़ेबा है, तू आसमान और ज़मीन और उनमे रहने वाली तमाम मख़्लूक़ का सम्भालने वाला है और हम्द तमाम की तमाम बस तेरे ही लिये मुनासिब है। आसमानो-ज़मीन और उनकी तमाम मख़्लूक़ात पर हुकूमत सिर्फ़ तेरे ही लिये है और ता'रीफ़ तेरे ही लिये है, तू आसमान और ज़मीन का नूर है और ता'रीफ़ तेरे ही लिये ज़ेबा है। तू सच्चा, तेरा वा'दा सच्चा, तेरी मुलाक़ात सच्ची, तेरा फ़र्मान सच्चा, जन्नत सच है, दोज़ख़ सच है अंबिया सच्चे हैं, मुहम्मद सच्चे हैं और क़यामत का होना सच है। ऐ मेरे अल्लाह! मैं तेरा ही फ़र्मांबरदार हूँ और तुझी पर ईमान रखता हूँ, तुझी पर भरोसा है, तेरी ही तरफ़ रुजूअ करता हूँ, तेरी ही अता किए हुए दलाइल के ज़रिये बहष़ करता हूँ और तुझी को हकम बनाता हूँ। पस, जो ख़ताएँ मुझसे पहले हुई हैं और जो बाद में होंगी उन सबकी मग़्फ़िरत फ़र्मा, ख़्वाह वो

١١٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

ज़ाहिर हो या पोशीदा। आगे करने वाला और पीछे रखने वाला तू ही है। मा'बूद स़िर्फ़ तू ही है। या (ये कहा कि) तेरे सिवा कोई मा'बूद नहीं। अबू सुफ़यान ने कहा कि अ़ब्दुल करीम अबू उमय्या ने इस दुआ़ में ये ज़्यादती की है, ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सुफ़यान ने बयान किया कि सुलैमान बिन मुस्लिम ने त़ाऊस से ये ह़दीष़ सुनी थी, उन्होंने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

(दीगर मक़ाम : 6317, 6318, 7380,7442, 7499)

أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةَ ((وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ)). قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ سَمِعَهُ مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[أطرافه في : ٦٣١٧، ٧٣٨٥، ٧٤٤٢، ٧٤٩٩].

तश्रीह : मसनून है कि तहज्जुद की नमाज़ के लिये उठनेवाले ख़ुशनसीब मुसलमान उठते ही पहले ये दुआ़ पढ़ लें। लफ़्ज़े तहज्जुद बाबे तफ़उ़्ल का मस़दर है इसका माद्दा हजूद है। अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **अस्लुहू तर्कुल्हुजूदि व हुवन्नौमु क़ाल इब्नु फ़ारिसि अल्मुज्तहिदु अल्मुस़ल्ली लैलन फतहज्जद बिही अय उतरूकिल्हुजूद लिस़्स़लाति** या'नी अस़ल इसका ये है कि रात को सोना नमाज़ के लिये तर्क कर दिया जाए। पस इस़्तिलाही मा'नी मुतहज्जिद के मुस़ल्ला (नमाज़ी) के हैं जो रात में अपनी नींद को ख़ैर-आबाद कहकर नमाज़ में मशग़ूल हो जाएँ। इस़्तिलाह़ में रात की नमाज़ को नमाज़े तहज्जुद से मौसूम किया गया। आयते शरीफ़ा के जुम्ले **नाफिलतल्लक** की तफ़्सीर में अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) लिखते हैं, **फरीजतुन ज़ाइदतुन लक अलस्सलवातिल्मफरूज़ति खस्सस्तु बिहा मिन बैनि उम्मतिक रवत्तब्रानी बिस्नादिन ज़ईफ़िन अनिब्नि अ़ब्बासिन अन्नन्नाफ़िलत लिन्नबिय्यि (ﷺ) लिअन्नहू अमर बिकियामिल्लैलति व कतब अ़लैहि दून उम्मतिही** या'नी तहज्जुद की नमाज़ आँह़ज़रत (ﷺ) के लिये नमाज़े पंजगाना के अ़लावा फ़र्ज़ की गई और आपको इस बारे में उम्मत से मुम्ताज़ क़रार दिया गया के उम्मत के लिये ये फ़र्ज़ नहीं मगर आप पर फ़र्ज़ है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने भी लफ़्ज़ **नाफिलतल्लक** की तफ़्सीर में फ़र्माया कि ये ख़ास़ तौर से आपके लिये एक फ़र्ज़ नमाज़ के है। आप (ﷺ) रात की नमाज़ के लिये मामूर किया गये और उम्मत के अ़लावा आप (ﷺ) पर उसे फ़र्ज़ क़रार दिया गया। लेकिन इमाम नववी (रह.) ने बयान किया कि बाद में आपके ऊपर से भी उसकी फ़र्ज़ियत को मन्सूख़ कर दिया गया था।

बहरहाल नमाज़े तहज्जुद फ़राइज़े पंजगाना के बाद बड़ी अहम नमाज़ है जो पिछली रात में अदा की जाती है और उसकी ग्यारह रकअ़तें होती हैं; जिनमें आठ रकअ़तें दो-दो करके सलाम से अदा की जाती हैं और आख़िर में तीन रकअ़तें वित्र पढ़ी जाती है। यही नमाज़ रमज़ान में तरावीह़ से मौसूम की गई।

बाब 2 : रात की नमाज़ की फ़ज़ीलत का बयान

٢- بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

1121. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुह़म्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन यूसुफ़ स़न्आ़नी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मअ़मर ने ह़दीष़ बयान की (दूसरी सनद) और मुझ से मह़मूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें सालिम ने, उन्हें उनके बाप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बताया कि नबी करीम (ﷺ) की

١١٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ح. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا

قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا فَأَقُصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ. قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ)). [راجع: ٤٤٠]

ज़िन्दगी में जब कोई ख़्वाब देखता तो आप (ﷺ) से बयान करता (आप ﷺ ताबीर देते) मेरे भी दिल में ये ख़्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी कोई ख़्वाब देखता और आप (ﷺ) से बयान करता। मैं अभी नौजवान था और आप (ﷺ) के ज़माने में मस्जिद में सोता था। चुनाँचे मैंने ख़्वाब में देखा कि दो फ़रिश्ते मुझे पकड़कर दोज़ख़ की तरफ़ ले गये। मैंने देखा कि दोज़ख़ पर कुओं की तरह बन्दिश है। (या'नी उस पर कुओं की सी मुण्डेर बनी हुई है) उसके दो जानिब थे। दोज़ख़ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्हें मैं पहचानता था। मैं कहने लगा, दोज़ख़ से अल्लाह की पनाह! उन्होंने बयान कि फिर हमको एक फ़रिश्ता मिला और उसने मुझे कहा डरो नहीं। (राजेअ : 440)

١١٢٢- فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَكَانَ بَعْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً.

[أطرافه في: ١١٥٧، ٣٧٣٩، ٣٧٥٧، ٣٧٤١، ٧٠١٦، ٧٠٢٩، ٧٠٣١].

1122. ये ख़्वाब मैंने (अपनी बहन) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) को सुनाया और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को। ताबीर में आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बहुत ख़ूब लड़का है। काश रात में नमाज़ पढ़ा करता। (रावी ने कहा कि आप ﷺ के इस फ़र्मान के बाद) अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रात में बहुत कम सोते थे (ज़्यादा इबादत ही करते रहते)।

(दीगर मक़ाम : 1158, 3839, 3808, 3841, 8016, 8029, 8031)

तश्रीह : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के उस ख़्वाब को आँहज़रत (ﷺ) ने उनकी रात में ग़फ़लत की नींद पर महमूल किया और इर्शाद फ़र्माया कि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं मगर इतनी कसर है कि रात को नमाज़े तहज्जुद नहीं पढ़ते। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नमाज़े तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का मा'मूल बना लिया, इससे मा'लूम हुआ कि नमाज़े तहज्जुद की बेहद फ़ज़ीलत है। इस बारे में कई अहादीष़ मरवी हैं। एक बार आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि, **अलैकुम बिक़ियामिल्लैलि फइन्नहू दाबुस्सालिहीन क़ब्लुकुम** या'नी अपने लिये नमाज़े तहज्जुद को लाज़िम कर लो ये तमाम सालेहीन नेकोकार बन्दों का तरीक़ा है। हदीष़ से ये भी निकलता है कि रात में तहज्जुद पढ़ना दोज़ख़ से नजात पाने का सबब है। हज़रत सुलैमान (अलैहिस्सलाम) को उनकी वालिदा ने नसीहत की थी कि रात बहुत सोना अच्छा नहीं जिससे आदमी क़यामत के दिन मुहताज होकर रह जाएगा।

٣- بَابُ طُولِ السُّجُودِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

बाब 3 : रात की नमाज़ में लम्बे सज्दे करना

١١٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ

1123. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उर्वा ने ख़बर

दी और उन्हें उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रात में) ग्यारह रकअ़त पढ़ते थे आप (ﷺ) की यही नमाज़ थी। लेकिन इसके सज्दे इतने लम्बे हुआ करते कि तुम से कोई नबी (ﷺ) के सर उठाने से पहले पचास आयतें पढ़ सकता था। (और तुलूअे-फ़ज्र होने पर) फ़ज्र की नमाज़ से पहले आप (ﷺ) दो रकअ़त सुन्नत पढ़ते। इसके बाद दाईं पहलू पर लेट जाते। आख़िर मुअज़्ज़िन आपको नमाज़ के लिये बुलाने आता।

(राजेअ: 626)

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُنَادِي لِلصَّلاَةِ)).[راجع: ٦٢٦]

तशरीह : फ़ज्र की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर के लिये दाहिनी करवट पर सो जाना आँह़ज़रत (ﷺ) का मा'मूल था। जिस क़द्र रिवायात फ़ज्र की सुन्नतों के बारे में मरवी हैं उनसे बेशतर में इस **इज़्तिजाअ़** का ज़िक्र मिलता है, इसलिये अहले ह़दीष़ का ये मा'मूल है कि वो आँह़ज़रत (ﷺ) की हर सुन्नत और आपकी हर मुबारक आ़दत को अपने लिये सरमाया-ए-नजात जानते हैं। पिछले कुछ मुतअख़्ख़िब व तशद्दुद क़िस्म के कुछ ह़नफ़ी उ़लमा ने इस लेटने को बिदअ़त क़रार दे दिया था; मगर आजकल संजीदगी का दौर है, इसमें कोई ऊट-पटाँग बात हाँक देना किसी अहले इ़ल्म के लिये ज़ेबा नहीं, इसीलिये आजकल के संजीदा उ़लमा-ए-अह़नाफ़ ने पहले तशद्दुद व ख़्याल वालों की तर्दीद की है और स़ाफ़ लफ़्ज़ों में आँह़ज़रत (ﷺ) के इस फ़ेअ़ल का इक़रार किया है। चुनाँचे स़ाह़बे तफ़्हीमुल बुख़ारी के यहाँ ये अल्फ़ाज़ हैं, 'इस ह़दीष़ से सुन्नते फ़ज्र के बाद लेटने का ज़िक्र है, अह़नाफ़ की त़रफ़ इस मसले की निस्बत ग़लत़ है कि उनके नज़दीक सुन्नते फ़ज्र के बाद लेटना बिदअ़त है। इसमें बिदअ़त का कोई सवाल ही नहीं। ये तो हुज़ूर (ﷺ) की आ़दत थी, इ़बादात से उसका कोई ता'ल्लुक़ ही नहीं अलबत्ता ज़रूरी समझकर फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेटना पसंदीदा नहीं ख़्याल किया जा सकता, इस ह़ैष़ियत से कि ये हुज़ूर (ﷺ) की एक आ़दत थी उसमें अगर आप (ﷺ) की इत्तिबाअ़ की जाए तो ज़रूर अज्रो-ष़वाब मिलेगा।'

फ़ाज़िल मौसूफ़ ने बहरह़ाल इस आ़दते नबवी पर अ़मल करनेवालों के लिये अज्रो-ष़वाब का फ़त्वा दिया है। बाक़ी ये कहना कि इ़बादात से उसका कोई ता'ल्लुक़ नहीं है ग़लत़ है, मौसूफ़ को मा'लूम होगा कि इ़बादत हर वो काम है जो आँह़ज़रत (ﷺ) ने दीनी उमूर में तक़र्रुबे इललल्लाह के लिये अंजाम दिया। आप (ﷺ) का ये लेटना भी तक़र्रुब इलल्लाह ही के लिये होता था क्योंकि दूसरी रिवायत में मौजूद है कि आप (ﷺ) उस वक़्त लेटकर ये दुआ पढ़ते थे, **अल्लाहुम्मज्अ़ल फ़ी क़ल्बी नूरन व फ़ी बसरी नूरन व फ़ी सम्ई नूरन व अंय्यमीनी नूरन व अंय्यसारी नूरन व फौक़ी नूरन व तहती नूरन व अमामी नूरन व खल्फ़ी नूरन वज्अ़ल ली नूरन व फ़ी लिसानी नूरन व फ़ी अ़स़बी नूरन व लहमी नूरन व दमी नूरन व शअ़री नूरन व बिशरी नूरन वज्अ़ल फ़ी नफ़्सी नूरन वअ़ज़म ली नूरन अल्लाहुम्म अअ़तिनी नूरन** (स़ह़ीह़ मुस्लिम) इस दुआ के बाद कौन ज़ी-अ़क़्ल ये कह सकता है कि आपका ये काम सिर्फ़ आ़दत ही से मुता'ल्लिक़ था और बिल फ़र्ज़ आप (ﷺ) की आ़दत ही सही बहरह़ाल आपके सच्चे फ़िदाइयों के लिये आप (ﷺ) की हर अदा, आप (ﷺ) की हर आ़दत, आपका हर त़ौर-त़रीक़-ए-ज़िंदगी, बाइ़ष़े स़द फ़ख़्र व मुबाहात है। अल्लाह अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन!

बा मुस्त़फ़ा बरसाँ ख़ुवैश रा कि दीन हमा ऊस्त
व गर बा व न रसीदी तमाम बूलहबी अस्त

आप (ﷺ) सज्दे में ये बार-बार कहा करते **सुब्हानक अल्लाहुम्म रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मग़फ़िर्ली** एक रिवायत में यूँ है, **सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अन्त** सलफ़ स़ालेह़ीन भी आँह़ज़रत (ﷺ) की पैरवी में लम्बा सज्दा करते। अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) इतनी देर तक सज्दे में रहते कि चिड़िया उतरकर उनकी पीठ पर बैठ जाती और समझती

कि ये कोई दीवार है। (वहीदी)

बाब 4 : मरीज़ बीमारी में तहज्जुद तर्क कर सकता है

٤- بَابُ تَرْكِ الْقِيَامِ لِلْمَرِيْضِ

1124. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़्यान ष़ौरी ने अस्वद बिन क़ैस से बयान किया, कहा कि मैंने जुन्दुब (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) बीमार हुए तो एक या दो रात तक (नमाज़ के लिये) न उठ सके। (दीगर मक़ाम : 1125, 4950, 4951, 4973)

١١٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ: ((اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ)).[أطرافه في : ١١٢٥، ٤٩٥٠، ٤٩٥١، ٤٩٨٣].

1125. हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें सुफ़यान ष़ौरी ने अस्वद बिन क़ैस से ख़बर दी, उनसे जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम (एक मर्तबा चन्द दिनों तक) नबी करीम (ﷺ) के पास (वह्य लेकर) नहीं आए तो क़ुरैश की एक औ़रत (उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी) ने कहा कि अब इसके शैतान इसके पास आने से देर लगाई। इस पर ये सूरत उतरी (वज़्ज़ुहा वल लैयलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला) (राजेअ : 1124)

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَاحْتَبَسَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَبْطَأَ عَلَيْهِ شَيْطَانُهُ))، فَنَزَلَتْ: ﴿وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾. [راجع: ١١٢٤]

तश्रीह : तर्जुमा ये है क़सम है चाश्त के वक़्त की और क़सम है रात की जब वो ढांप ले तेरे मालिक ने न तुझको छोड़ा न तुझसे गुस्सा हुआ। इस ह़दीष़ की मुनासबत बाब के तर्जुमे से मुश्किल है और अस़ल ये है कि ये ह़दीष़ अगली ह़दीष़ का ततिम्मा है। जब आप (ﷺ) बीमार हुए थे तो रात का क़याम छोड़ दिया था। उसी ज़माने में ह़ज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) ने भी आना मौक़ूफ़ (स्थगित) कर दिया और शैतान अबू लहब की बीवी (उम्मे जमील बिन्ते ह़र्ब उख़्ते अबी सुफ़यान इम्राते अबी लहब ह़म्मालतुल ह़त़ब) ने ये फ़िक़्रा कहा। चुनाँचे इब्ने अबी ह़ातिम ने जुंदब (रज़ि.) से रिवायत किया कि आप (ﷺ) की उँगली को पत्थर की मार लगी और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **हल अन्ति इस़्बइ़न दमैति व फी सबिलिल्लाहि मा लक़ीति** तू है क्या एक उँगली है अल्लाह की राह में तुझको मार लगी ख़ून-आलूदा हुई। उसी तकलीफ़ से आप (ﷺ) दो-तीन दिन तहज्जुद के लिये भी न उठ सके तो एक औ़रत (मज़्कूरा उम्मे जमील) कहने लगीं मैं समझती हूँ कि अब तेरे शैत़ान ने तुझको छोड़ दिया है। उस वक़्त ये सूरह उतरी **वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक व मा क़ला** (वज़्ज़ुहा, 1–3)। (वहीदी)

अह़ादीष़े गुज़िश्ता को बुख़ारी शरीफ़ के कुछ नुस्ख़ों में लफ़्ज़ ह़ से नक़ल करके दोनों को एक ही ह़दीष़ शुमार किया गया है।

बाब 5 : नबी करीम (ﷺ) का रात की नमाज़ और नवाफ़िल पढ़ने के लिये रग़बत दिलाना लेकिन वाजिब न करना. एक रात नबी करीम (ﷺ) ह़ज़रत फ़ातिमा और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि) के पास रात की

٥- بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ وَطَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَعَلِيًّا

नमाज़ के लिये जगाने आए थे

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً لِلصَّلَاةِ

1126. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें हिन्द बिन्त हारिष़ ने और उन्हें उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक रात जागे तो फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! आज रात क्या-क्या बलाएँ उतरी है और साथ ही (रहमत और इनायत के) कैसे ख़ज़ाने नाज़िल हुए हैं। इन हुज्रे वालों (अज़वाजे -मुतह्हरात रज़ि.) को कोई जगाने वाला है, अफ़सोस! दुनिया में बहुत सी कपड़े पहनने वाली औरतें आख़िरत में नंगी होंगी। (राजेअ़ : 115)

١١٢٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَا ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ.

[راجع: ١١٥]

1128. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुहरी से ख़बर दी, कहा कि मुझे हज़रत ज़ैनुल आबेदीन अ़ली बिन हुसैन ने ख़बर दी, उन्हें हज़रत हुसैन बिन अ़ली (रज़ि.) ने ख़बर दी कि अ़ली बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रात उनके और फ़ातिमा (रज़ि.) के पास आए, आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्या तुम लोग (तहज्जुद की) नमाज़ नहीं पढ़ोगे? मैंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ) हमारी रूहें अल्लाह के क़ब्ज़े में हैं, वो जब चाहेगा हमें उठा देगा। हमारी इस अ़र्ज़ पर आप वापस तशरीफ़ ले गए। आपने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन वापस जाते हुए मैंने सुना कि आप (ﷺ) रान पर हाथ मार कर (सूरह कहफ़ की ये आयत पढ़ रहे थे) आदमी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है।

(दीगर मक़ाम : 4724, 7348, 7465)

١١٢٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ: ((أَلاَ تُصَلِّيَانِ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا. فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾.

[أطرافه في: ٤٧٢٤، ٧٣٤٧، ٧٤٦٥].

तश्रीह : या'नी आप (ﷺ) ने हज़रत अ़ली (रज़ि.) और हज़रते फ़ातिमा (रज़ि.) को रात की नमाज़ की तरफ़ रग़बत दिलाई लेकिन हज़रत अ़ली (रज़ि.) का बहाना सुनकर आप चुप हो गये। अगर नमाज़ फ़र्ज़ होती तो हज़रत अ़ली (रज़ि.) का बहाना क़ाबिले क़ुबूल न होता। अलबत्ता जाते वक़्त अफ़सोस का इज़्हार ज़रूर कर दिया।

मौलाना वहीदुज़्ज़माँ (रह.) लिखते हैं कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) का जवाब हक़ीक़त में दुरुस्त था मगर उसका इस्ते'माल उस मौक़े पर दुरुस्त न था क्योंकि दुनियादार को तकलीफ़ है उसमें नफ़्स पर ज़ोर डालकर तमाम अवामिरे इलाही को बजा लाना चाहिये। तक़दीर पर तकिया कर लेना और इबादत से क़ासिर होकर बैठना (छोड़ देना) और जब कोई अच्छी

बात का हुक्म दे तो तक़दीर के हवाले करना कज-बहष़ी और झगड़ा है। तक़दीर का ए'तिक़ाद इसलिये नहीं है कि आदमी अपाहिज होकर बैठ जाए और तदब्बुर से ग़ाफ़िल हो जाए। बल्कि तक़दीर का मतलब ये है कि सब कुछ मेहनत और मशक़्क़त और अस्बाब हासिल करने में कोशिश करे मगर ये समझता रहे कि होगा वही जो अल्लाह ने क़िस्मत में लिखा है। चूँकि रात का वक़्त था और हज़रत अली (रज़ि.) आप (ﷺ) से छोटे थे और दामाद थे; लिहाज़ा आप (ﷺ) ने उस मौक़े पर लम्बी बहष़ और सवाल–जवाब को नामुनासिब समझकर कुछ जवाब न दिया मगर आप (ﷺ) को उस जवाब से अफ़सोस हुआ।

1128. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब ज़ुह्री से बयान किया, उनसे उ़र्वा ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक काम को छोड़ देते और और आप (ﷺ) को उसका करना नापसन्द होता। इस ख़्याल से तर्क कर देते कि दूसरे सहाबा (रज़ि.) भी इस पर (आप ﷺ को देखकर) अ़मल शुरू कर दें और इस तरह वो काम उन पर फ़र्ज़ हो जाए। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाश्त की नमाज़ कभी नहीं पढ़ी लेकिन मैं पढ़ती हूँ। (दीगर मक़ाम : 1188)

١١٢٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا)).

[طرفه في: ١١٧٧].

हज़रत आइशा (रज़ि.) को शायद वो क़िस्सा मा'लूम न होगा जिसको उम्मे हानी ने नक़ल किया कि आप (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन चाश्त की नमाज़ पढ़ी। बाब का मतलब हदीष़ से यूँ निकलता है कि चाश्त की नफ़्ल नमाज़ का पढ़ना आप (ﷺ) को पसंद था। जब पसंद हुआ तो गोया आप (ﷺ) ने उस पर तर्ग़ीब दिलाई और फिर उसको वाजिब न किया क्योंकि आप (ﷺ) ने ख़ुद उसको नहीं पढ़ा। कुछ ने कहा कि आपने कभी चाश्त की नमाज़ पढ़ी ही नहीं, उसका मतलब ये है कि आप (ﷺ) ने हमेशगी के साथ कभी नहीं पढ़ी क्योंकि दूसरी रिवायत से आपका ये नमाज़ पढ़ना ष़ाबित है।

1129. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ज़ुह्री ने, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने, उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, सहाबा ने भी आपके साथ ये नमाज़ पढ़ी, दूसरी रात भी आपने ये नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ियों की ता'दाद बहुत बढ़ गई। तीसरी या चौथी रात तो पूरा इज्तिमा ही हो गया था। लेकिन नबी करीम (ﷺ) उस रात नमाज़ पढ़ाने तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह के वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोग जितनी बड़ी ता'दाद में जमा हो गये थे मैंने उसे देखा लेकिन मुझे बाहर आने से इस ख़्याल ने रोका कि कहीं तुम पर ये नमाज़

١١٢٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: ((قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي

फ़र्ज़ न हो जाए। ये रमज़ान का वाक़िआ था। (राजेअ : 729)

رَمَضَانَ)). [راجع: ٧٢٩]

तशरीह : इस हदीष से ये षाबित हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ने चंद रातों मे रमज़ान की नफ़्ल नमाज़ सहाबा किराम (रज़ि.) को जमाअत से पढ़ाई, बाद में इस ख़्याल से कि कहीं ये नमाज़ फ़र्ज़ न हो जाए आप (ﷺ) ने जमाअत के एहतिमाम को तर्क कर दिया। इससे रमज़ान शरीफ़ में नमाज़ तरावीह बाजमाअत की मशरूइयत षाबित हुई। आप (ﷺ) ने नफ़्ल नमाज़ ग्यारह रकआत पढ़ाई थी। जैसा कि हज़रते आइशा (रज़ि.) का बयान है। चुनाँचे अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं,

व अम्मलअददुष्षाबितु अन्हु (ﷺ) फ़ी सलातिही फ़ी रमज़ान फअख़रजल्बुख़ारी व गैरहू अन आइशत अन्नहा क़ालत मा कानन्नबिय्यु (ﷺ) यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी गैरिही अला इह्दा अशरत रक्अतन व अख़रज्बनु हिब्बान फ़ी सहीहिन मिन हदीषि जाबिरिन अन्नहू (ﷺ) सल्ला बिहिम षमान रक्आतिन षुम्म औतर (नैलुल औतार) और रमज़ान की उस नमाज़ में जो आँहज़रत (ﷺ) से अदद सहीह सनद के साथ षाबित हैं वो ये कि हज़रत आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि आप (ﷺ) ने रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में उस नमाज़ को ग्यारह रकआत से ज़्यादा अदा नहीं करते और मुस्नद इब्ने हिब्बान में सहीह सनद के साथ मज़ीद वज़ाहत से मौजूद है कि आपने आठ रकअतें पढ़ाईं फिर तीन वित्र पढ़ाए।

पस षाबित हुआ कि आप (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को रमज़ान में तरावीह बाजमाअत ग्यारह पढ़ाई थीं और तरावीह व तहज्जुद में यही अदद मसनून है, बाक़ी तफ़्सीलात अपने मुक़ाम पर आएँगी। इंशाअल्लाह तआला।

बाब 6 : आँहज़रत (ﷺ) रात की नमाज़ में इतनी देर तक खड़े रहते कि पाँव सूज जाते

٦- بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप (ﷺ) के पाँव फट जाते थे। फ़तूर के मा'नी अरबी ज़बान में फटना और क़ुर्आन करीम में लफ़्ज़ इन्फ़तरत इसी से है या'नी आसमान फट जाए।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ: وَالْفُطُورُ: الشُّقُوقُ. انْفَطَرَتْ: انْشَقَّتْ.

1130. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे मिस्अर ने बयान किया, उनसे ज़ियाद बिन अलाक़ा ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) को ये कहते सुना कि नबी करीम (ﷺ) इतनी देर तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ते रहते कि आप (ﷺ) का क़दम या (ये कहा कि) पिण्डलियों पर वरम आ जाता, जब आप (ﷺ) से इसके मुता'ल्लिक़ कुछ अर्ज़ किया जाता तो फ़र्माते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ। (दीगर मक़ाम : 4836, 6481)

١١٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَقُومُ أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ - أَوْ سَاقَاهُ - فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: ((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)).

[طرفاه في: ٤٨٣٦، ٦٤٧١].

सूरह मुज़्ज़म्मिल के शुरू नुज़ूल के ज़माने में आप (ﷺ) का यही मा'मूल था कि रात के अकषर हिस्सों में आप इबादत में मशग़ूल रहते थे।

बाब 8 : जो शख़्स सहर के वक़्त सो गया

٧- بَابُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَرِ

1131. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया कि अम्र बिन औस ने उन्हें ख़बर दी

١١٣١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: ((أَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)).

[أطرافه في : ١١٥٢، ١١٥٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٨٠، ٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٤٢٠، ٥٠٥٢، ٥٠٥٣، ٥٠٥٤، ٥١٩٩، ٦١٣٤، ٦٢٧٧].

और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर बिन आ़स़ (रज़ि.) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि सब नमाज़ों में अल्लाह तआ़ला के नज़दीक पसन्दीदा नमाज़ दाऊद अ़लैहिस्सलाम की नमाज़ है और रोज़ों में भी दाऊद अ़लैहिस्सलाम ही का रोज़ा। आप आधी रात तक सोते, उसके बाद तिहाई रात नमाज़ पढ़ने में गुज़ारते फिर रात के छठे हिस़्से में सो जाते। इसी तरह आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ़्तार करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1152, 1153, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 3418, 3419, 3420, 5052, 5053, 5054, 519 6134, 6277)

रात के बारह घण्टे होते हैं तो पहले छः घण्टे में सो जाते, फिर चार घण्टे इबादत करते, फिर दो घण्टे सोए रहते। गोया सह़र के वक़्त सोते रहते यही बाब का तर्जुमा है।

١١٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَثَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ)). حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: ((إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى)).

[طرفاه في ٦٤٦١، ٦٤٦٢، ٦٤٦٣].

1132. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप उ़म्मान बिन जबला ने शुअ़बा से ख़बर दी, उन्हें अशअ़ष़ ने कहा कि मैंने अपने बाप (सुलेम बिन अस्वद) से सुना और मेरे बाप ने मसरूक़ से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने आ़इशा (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) को कौनसा अ़मल ज़्यादा पसन्द था? आपने जवाब दिया कि जिस पर हमेशगी की जाए (ख़्वाह वो कोई भी नेक काम हो) मैंने दरयाफ़्त किया कि आप (रात में नमाज़ के लिये) कब खड़े होते थे? आपने फ़र्माया कि जब मुर्ग़ की आवाज़ सुनते। हमसे मुह़म्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमें अबुल अहवस बिन सलाम बिन सुलैम ने ख़बर दी, उनसे अशअ़ष़ ने बयान किया कि मुर्ग़ की आवाज सुनते ही आप (ﷺ) खड़े हो जाते और नमाज़ पढ़ते। (दीगर मक़ाम : 6361, 6462, 6463)

तशरीह : कहते हैं कि पहले पहल मुर्ग़ आधी रात के वक़्त बांग देता है। अह़मद और अबू दाऊद में है कि मुर्ग़ को बुरा मत कहो वो नमाज़ के लिये जगाता है। मुर्ग़ की आ़दत है कि फ़ज्र तुलूअ़ होते ही और सूरज के ढलने पर बांग देता है। ये अल्लाह की क़ुदरत है। पहले ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ह़ज़रत दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) की शब बेदारी का ह़ाल बयान किया। फिर हमारे पैग़म्बर (ﷺ) का भी अ़मल उसके मुत़ाबिक़ ष़ाबित किया तो इन दोनों ह़दीष़ों से ये निकला कि आप

अव्वल शब में आधी रात तक सोते रहते और फिर मुर्ग़ की बांग के वक़्त या'नी आधी रात पर उठते। फिर आगे की ह़दीष़ से ये ष़ाबित किया सहर को आप सोते होते। पस आप (ﷺ) और ह़ज़रत दाऊद (अ़लैहिस्सलाम) का अ़मल यक्साँ हो गया। इराक़ी ने अपनी किताब सीरत में लिखा है कि आँह़ज़रत (ﷺ) के यहाँ एक सफ़ेद मुर्ग़ था। वल्लाहु अअ़लम।

1133. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, कहा कि मेरे बाप सअ़द बिन इब्राहीम ने अपने चचा अबू सलमा से बयान किया कि ह़ज़रत आ़इशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने बतलाया कि उन्होंने अपने यहाँ सहर के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) को हमेशा लेटे हुए पाया।

١١٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا)) تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

आ़दते मुबारका थी कि तहज्जुद से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) फ़ज्र के प हले सह़र के वक़्त थोड़ी देर आराम करते थे ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) यही बयान करती रही हैं।

बाब 8 : इस बारे में जो सहरी खाने के बाद सुबह की नमाज़ पढ़ने तक नहीं सोया

٨- بَابُ مَنْ تَسَحَّرَ فَلَمْ يَنَمْ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ

1134. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे रौह बिन उ़बादा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अ़रूबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) और ज़ैद बिन मालिक (रज़ि.) दोनों ने मिलकर सेहरी खाई, सेहरी से फ़ारिग़ होकर आप नमाज़ के लिये खड़े हो गये और दोनों ने नमाज़ पढ़ी। हमने अनस (रज़ि.) से पूछा कि सेहरी से फ़राग़त और नमाज़ शुरू करने के दरम्यान कितना फ़ासला रहा होगा? आपने जवाब दिया कि इतनी देर में एक आदमी पचास आयतें पढ़ सकता है।

(राजेअ़ : 576)

١١٣٤- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرَا. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كَقَدْرِ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً)).

[راجع: ٥٧٦]

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो अह़ादीष़ बयान हुई हैं, उनसे ष़ाबित होता है कि आप (ﷺ) तहज्जुद पढ़कर लेट जाया करते थे और फिर मुअज़्ज़िन सुबह़ की नमाज़ की ख़बर देने आता था लेकिन ये भी आप (ﷺ) से ष़ाबित है कि उस वक़्त लेटते नहीं थे बल्कि सुबह़ की नमाज़ पढ़ते थे। आप (ﷺ) का ये मा'मूल रमज़ान के महीने में था कि सह़री के बाद थोड़ा सा तवक़्क़ुफ़ फ़र्माते फिर फ़ज्र की नमाज़ अँधेरे में ही शुरू कर देते थे (तफ़्हीमुल बुख़ारी)। पस मा'लूम हुआ कि फ़ज्र की नमाज़ ग़लस (अंधेरे-अंधेरे) में पढ़ना सुन्नत है जो लोग इस सुन्नत का इंकार करते हैं और फ़ज्र की नमाज़ हमेशा सूरज निकलने के क़रीब पढ़ते हैं वो यक़ीनन सुन्नत के ख़िलाफ़ करते हैं।

बाब 9 : रात के क़याम में नमाज़ को लम्बा करना (या'नी क़िरअत बहुत करना)

٩- بَابُ طُول الصلاة فِي قِيامِ اللَّيْلِ

1135. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने आ'मश से बयान किया, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक मर्तबा रात की नमाज़ पढ़ी। आप (ﷺ) ने इतना लम्बा क़याम किया कि मेरे दिल में एक ग़लत ख़्याल पैदा हो गया। हमने पूछा वो ग़लत ख़्याल क्या था तो अपने बतलाया कि मैंने सोचा कि बैठ जाऊँ और नबी करीम (ﷺ) का साथ छोड़ दूँ।

١١٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ)).

ये एक वस्वसा था जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के दिल में आया था मगर वो फ़ौरन सम्भलकर उस वस्वसे से बाज़ आ गए। हदीष़ से ये निकला कि रात की नमाज़ में आप बहुत लम्बी क़िरअत करते थे।

1136. हमसे हफ़्स़ बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ने उनसे अबू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब रात में तहज्जुद के लिये खड़े होते तो पहले अपना मुँह मिस्वाक से खूब स़ाफ़ करते।
(राजेअ : 245)

١١٣٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ)).
[راجع: ٢٤٥]

तहज्जुद के लिये मिस्वाक का ख़ास़ एहतिमाम इसलिये था कि मिस्वाक कर लेने से नींद का ख़ुमार बख़ूबी उतर जाता है। आप (ﷺ) इस तरह नींद का ख़ुमार उतारकर लम्बा क़याम करने के लिये अपने को तैयार फ़र्माते। यहाँ इस हदीष़ और बाब में यही वजहे मुताबक़त है।

बाब 10 : नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ की क्या कैफ़ियत थी? और रात की नमाज़ क्योंकर पढ़नी चाहिये?

١٠- بَابُ كيف صلاة الليل و كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ؟

1138. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, कहा कि मुझे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया एक शख़्स ने दरयाफ़्त किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! रात की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया दो-दो रकअत और जब तुलूअ़े-सुबह होने का अन्देशा हो तो एक रकअ़त वित्र पढ़ कर अपनी सारी नमाज़ को ताक़ बना ले। (राजेअ : 482)

١١٣٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: ((مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). [راجع: ٤٧٢]

तश्रीह : रात की नमाज़ की कैफ़ियत बतलाई कि वो दो-दो रकआत पढ़ी जाएँ। इस तरह आख़िर में एक रकअत वित्र पढ़कर उसे ताक़ बना लिया जाए। इसी आधार पर रात की नमाज़ जिसका नाम रमज़ान के अलावा दिनों में तहज्जुद है, और रमज़ान में तरावीह, ग्यारह रकअत पढ़ना मसनून है जिसमें आठ रकअतें दो-दो रकअत के सलाम से पढ़ी जाएगी फिर आख़िर में तीन रकअत वित्र होगें या दस रकआत अदा करके आख़िर में एक रकअत वित्र पढ़ लिया जाए और अगर फ़ज्र क़रीब हो तो फिर जिस क़दर भी रकअतें पढ़ी जा चुकी हैं उन पर इक्तिफ़ा करते हुए एक रकअत वित्र पढ़कर उनको ताक़ बना लिया जाए। इस ह़दीष़ से साफ़ एक रकअत वित्र ष़ाबित है। मगर हनफ़ी ह़ज़रात एक रकअत वित्र का इंकार करते हैं।

इस ह़दीष़ के तहत अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व हुव हुज्जतुन लिश्शाफ़िइय्यति अ़ला जवाज़िल्ईतारि बिरक्अतिन वाहिदतिन क़ालन्नववी व हुव मज़्हबुल्जुम्हूरि व क़ाल अबू हनीफ़त ला यसिह्हु बिवाहिदतिन व ला तकूनुर्रक्अतुल्वाहिदतु सलातन क़त्तु वल्अहादीषुस्सहीहतु तरूद्दु अ़लैहि** या'नी इस ह़दीष़ से एक रकअत वित्र का सह़ीह़ होना ष़ाबित हो रहा है और जुम्हूर का यही मज़हब है। इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) इसका इंकार करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि एक रकअत कोई नमाज़ नहीं होती हालाँकि अह़ादीषे सह़ीह़ा उनके इस ख़्याल की तर्दीद कर रही है।

1138. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने कहा कि मुझसे अबू हम्ज़ा ने बयान किया और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ तेरह रकअत होती थी।

١١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِي بِاللَّيْلِ)).

1139. हमसे इस्ह़ाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें इस्राईल ने ख़बर दी, उन्हें अबू ह़ुसैन उ़ष़्मान बिन आ़सिम ने, उन्हें यह्या बिन वष़्ष़ाब ने, उन्हें मसरूक़ बिन अजदअ़ ने, आपने कहा कि मैंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) की रात की नमाज़ के मुता'ल्लिक़ पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि आप सात, नौ और ग्यारह तक रकअतें पढ़ते थे। फ़ज्र की सुन्नत इसके सिवा होती।

١١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ، سِوَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ)).

रात की नमाज़ से मुराद ग़ैर रमज़ान में नमाज़े तहज्जुद और रमज़ान में नमाज़े तरावीह़ है।

1140. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें हन्ज़ला बिन अबू सुफ़यान ने ख़बर दी, उन्हें क़ासिम बिन मुहम्मद ने और उन्हें ह़ज़रत आ़इशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने, आपने बतलाया कि नबी करीम (ﷺ) रात में तेरह रकअत पढ़ते थे। वित्र और फ़ज्र की दो रकअत सुन्नत इसी में होतीं।

١١٤٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ)).

तश्रीह : वित्र समेत या'नी दस रकअतें दो-दो करके तहज्जुद पढ़ते। फिर एक रकअत पढ़कर सबको ताक़ कर लेते। ये ग्यारह रकअतें तहज्जुद और वित्र की थीं और दो फ़ज्र की सुन्नतें मिलाकर तेरह रकअतें हुईं क्योंकि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ह़दीष़ में है कि आप (ﷺ) रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में कभी ग्यारह रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जिन रिवायात में आप (ﷺ) का बीस रकअतें तरावीह़ पढ़ना मज़्कूर है वो सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले एह़तिजाज हैं।

١١- بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَومِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

وَقَوله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيْلاً، نِصْفَهُ إِلَى قَوْلِهِ سَبْحًا طَوِيْلاً﴾. وَقَوْلِهِ: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، إِلى قوله وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْم﴾. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشَةِ. وَطَأً مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ، أَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. لِيُوَاطِئُوا: لِيُوَافِقُوا.

बाब 11 : आँह़ज़रत (ﷺ) की नमाज़ रात में और सो जाना और रात की नमाज़ में से जो मन्सूख़ हुआ (उसका बयान)

और अल्लाह तआला ने इसी बाब में (सूरह मुज़्ज़म्मिल में) फ़र्माया ऐ कपड़ा लपेटने वाले! रात को (नमाज़ में) खड़ा रह आधी रात या उससे कुछ कम सब्हन तवीला तक। और फ़र्माया अल्लाह पाक जानता है कि तुम रात की इतनी इबादत निबाह न सकोगे तो तुम को माफ़ कर दिया। वस्तग़्फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह ग़फ़ूर्रुहीम तक। ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि क़ुर्आन में जो लफ़्ज़ नाशिअतल्लैल है तो नशा के मा'नी ह़ब्शी ज़बान में खड़ा हुआ और वता के मा'नी मुवाफ़िक़ होना या'नी रात का क़ुर्आन कान और आँख और दिल को मिलाकर पढ़ा जाता है।

इसको भी अब्द बिन हुमैद ने वस्ल किया या'नी रात को सुकूत (ख़ामोशी) की वजह से और ख़ामोशी से क़ुर्आन पढ़ने में दिल और ज़ुबान और कान और आँख सब उसी की त़रफ़ मुतवज्जह रहते हैं। वरना दिन को आँख किसी त़रफ़ पड़ती है, कान किसी त़रफ़ लगता है, दिल कहीं और होता है।

١١٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا. وَكَانَ لاَ تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ)). تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ.

[أطرافه في: ١٩٧٢، ١٩٧٣، ٣٠٦١].

1141. हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मुह़म्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे हुमैद त़वील ने, उन्होंने अनस (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी महीने में रोज़ा न रखते तो ऐसा मा'लूम होता कि अब आप इस महीने में रोज़ा नहीं रखेंगे और अगर किसी महीने में रोज़ा रखना शुरू करते तो ये ख़्याल होता कि अब आपका इस महीने का एक दिन भी बग़ैर रोज़े के नहीं रह जाएगा और रात को नमाज़ तो ऐसी पढ़ते थे कि तुम जब चाहते आपको नमाज़ पढ़ते देख लेते और जब चाहते सोता देख लेते। मुह़म्मद बिन जा'फ़र के साथ इस ह़दीष़ को सुलैमान और अबू ख़ालिद ने भी हुमैद से रिवायत किया है।

(दीगर मक़ाम : 1972, 1973, 3061)

तश्रीह : इसका मतलब ये है कि आप (ﷺ) सारी रात सोते भी नहीं थे और सारी रात जागते और इबादत भी नहीं करते थे। हर रात में सोते और इबादत भी करते तो जो शख़्स आप (ﷺ) को जिस ह़ाल में देखना चाहता देख लेता

था। कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी रात जागना और इबादत करना या हमेशा रोज़े रखना आँहज़रत (ﷺ) की इबादत से बढ़कर है। उनको इतना शुऊर नहीं कि सारी रात जागते रहने से, हमेशा रोज़ा रखने से नफ़्स को आदत हो जाती है फिर उसको इबादत में कोई तकलीफ़ नहीं रहती है। मुश्किल यही है कि रात को सोने की आदत भी रहे उसी तरह दिन में खाने–पीने की आदत और फिर नफ़्स पर ज़ोर डालकर जब जी चाहे उसकी आदत तोड़े। मीठी नींद से मुँह मोड़े। पस जो आँहज़रत (ﷺ) ने किया वही अफ़ज़ल और वही आला और वही मुश्किल है। आप (ﷺ) की नौ बीवियाँ थीं आप (ﷺ) उनका हक़ भी अदा करते थे, कहिये उसके लिये कितना बड़ा दिल और जिगर चाहिये। एक सोंटा लेकर लंगोट बाँधकर अकेले दम बैठ रहना और बेफ़िक्री से एक तरफ़ के हो जाना ये नफ़्स पर बहुत आसान है।

बाब 12 : जब आदमी रात को नमाज़ न पढ़े तो शैतान का गुद्दी पर गिरह लगाना

١٢- بَابُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

1142. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअरज ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि शैतान आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक़्त तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर ये अफ़सूँ फूँक देता है कि सो जा अभी रात बहुत बाक़ी है। फिर अगर कोई बेदार होकर अल्लाह की याद करने लगता है तो एक गिरह खुल जाती है। फिर जब वुज़ू करता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है फिर अगर नमाज़ (फ़र्ज़ या नफ़्ल) पढ़े तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक़्त वुज़ू के वक़्त आदमी चाक़-चौबन्द ख़ुश मिज़ाज रहता है, वरना सुस्त और बदबातिन रहता है।

(दीगर मक़ाम : 3249)

١١٤٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ)). [طرفه في: ٣٢٦٩].

तश्रीह : हदीष़ में जो आया है वो बिलकुल ठीक है। हक़ीक़त में शैतान गिरहें लगाता है और ये गिरहें एक शैतानी धागे में होती है वो धागा गुद्दी पर रहता है। इमाम अहमद की रिवायत में साफ़ ये है कि एक रस्सी से गिरह लगाता है कुछ ने कहा गिरह लगाने से ये मक़्सूद है कि शैतान जादूगर की तरह उस पर अपना अफ़सूँ चलाता है और उसे नमाज़ से ग़ाफ़िल करने के लिये थपक–थपककर सुला देता है।

1143. हमसे मुअम्मल बिन हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया कहा कि हमसे औफ़ अअराबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू रजाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे समुरह बिन जुन्दुब जुन्दब (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे नबी करीम (ﷺ) ने ख़्वाब बयान करते

١١٤٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي

हुए फ़र्माया कि जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था वो कुर्आन का हाफ़िज़ था मगर वो क़ुर्आन से ग़ाफ़िल हो गया था और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े बग़ैर सो जाता था। (राजेअ : 845)

الرُّؤْيَا قَالَ : ((أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ)). [راجع: ٨٤٥]

या'नी इशा की नमाज़ न पढ़ता न फ़ज्र के लिये उठता हालाँकि उसने क़ुर्आन पढ़ा था मगर उस पर अमल नहीं किया बल्कि उसको झुठला दिया, आज दोज़ख़ में उसको ये सज़ा मिल रही है। ये हृदीष तफ़्सील के साथ आगे आएगी।

बाब 13 : जो शख़्स सोता रहे और (सुबह की) नमाज़ न पढ़े, मा'लूम हुआ कि शैतान ने उसके कानों में पेशाब कर दिया

١٣- بَابُ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ

1144. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबुल अहवस़ सलाम बिन सुलैम ने बयान किया, कहा कि हमसे मन्सूर बिन मुअतमिर ने अबू वाइल से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) के सामने एक शख़्स का ज़िक्र आया कि वो सुबह तक पड़ा सोता रहा और फ़र्ज़ नमाज़ के लिये भी नहीं उठा। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। (दीगर मक़ाम : 328)

١١٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ : مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: ((بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ)). [طرفه في: ٣٢٧٠].

जब शैतान खाता–पीता है तो पेशाब भी करता होगा। इसमें कोई अम्र क़यास के ख़िलाफ़ नहीं है। कुछ ने कहा पेशाब करने से ये मतलब है कि शैतान ने उसको अपना महकूम बना लिया और कान की तख़्सीस़ इस वजह से की है कि आदमी कान ही से आवाज़ सुनकर बेदार होता है। शैतान ने उसमें पेशाब करके उसके कान भर दिये। **क़ालल्कुर्तुबी व गैरूहू ला मानिअ मिन ज़ालिक इज़ ला इहालत फीहि लिअन्नहू ष़बत अन्नश्शैतान याकुलु व यशरअु व यन्कहु फला मानिअ मिन अंय्यबूल** (फ़त्हुल बारी) या'नी कुर्तबी वग़ैरह ने कहा कि उसमें कोई इश्काल नहीं है। जब ये बात ष़ाबित है कि शैतान खाता–पीता है और शादी भी करता है तो उसका ऐसे ग़ाफ़िल बेनमाज़ी आदमी के कान में पेशाब कर देना क्या बईद है।

बाब 14 : आख़िर रात में दुआ और नमाज़ का बयान और अल्लाह तआला ने (सूरह वज़्ज़ारियात में) फ़र्माया कि रात में वो बहुत कम सोते और सेहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते थे हुजूअ के मा'नी सोना

١٤- بَابُ الدُّعَاءِ وَالصَّلاَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:﴿كَانُوا قَلِيْلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ أَيْ مَا يَنَامُونَ ﴿وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

1145. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अबू सलमा अब्दुर्रहमान और अबू अब्दुल्लाह अग़र ने और उन दोनों हज़रात से अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हमारा परवरदिगार बलन्द बरकत वाला हर रात को

١١٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يَنْزِلُ رَبُّنَا

تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ)).

[طرفاه في: ٦٣٢١، ٧٤٩٤].

उस वक़्त आसमाने दुनिया पर आता है जब रात का आख़री तिहाई हिस्सा रह जाता है। वो कहता है कोई मुझसे दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ क़ुबूल करूँ, कोई मुझसे माँगने वाला है कि मैं उसे दूँ, कोई मुझसे बख़्शिश तलब करने वाला है कि मैं उसको बख़्श दूँ। (दीगर मक़ामात : 6321, 7394)

तश्रीह : बिला तावील व बिला तकईफ़ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का अर्शे मुअला से आसमाने दुनिया पर उतरना बरहक़ है। जिस तरह उसका अर्शे अज़ीम पर मुस्तवी होना बरहक़ है। अहले हदीष का शुरू से आख़िर तक यही अक़ीदा है। क़ुर्आन मजीद की सात आयात में अल्लाह का अर्श पर मुस्तवी होना बयान किया गया है। चूँकि आसमान भी सात ही हैं लिहाज़ा इन सातों के ऊपर अर्शे अज़ीम और उस पर अल्लाह का इस्तवा; इसीलिये सात आयात में मज़्कूर हुआ। पहली आयत सूरह अअराफ़ में है, **इन्न रब्बकुमुहुल्लाहल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल्अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन षुम्मस्तवा अलल्अर्शि** (अल आराफ़ : 54) 'तुम्हारा रब वो है जिसने छः दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ।' दूसरी आयत सूरह यूनुस में है, **इन्न रब्बुकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल्अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन षुम्मस्तवा अलल्अर्शि युदब्बिरुल्अम्र** (यूनुस : 3)बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने छः दिनों में ज़मीन और आसमान को पैदा किया फिर अर्श पर क़ायम हुआ। तीसरी आयत सूरह रअद में ये है, **अल्लाहु रफ़अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा षुम्मास्तवा अलल्अर्शि** (अर्रअद : 2) अल्लाह वो है जिसने बग़ैर सुतूनों के ऊँचे आसमान बनाए जिनको तुम देख रहे हो फिर वो अर्श पर क़ायम हुआ। चौथी आयत सूरह ताहा की है, **तन्ज़ीलम्मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल्अर्शिस्तवा** (ताहा : 19-20) या'नी इस क़ुर्आन का नाज़िल करना उसका काम है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया फिर रहमान अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ। पाँचवी आयत सूरह फ़ुर्क़ान में है **अल्लज़ी ख़लकस्समावाति वल्अर्ज़ व मा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन षुम्मस्तवा अलल्अर्शि** (अल फ़ुर्क़ान: 59) वो अल्लाह जिसने ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनके बीच में है सबको छः दिनों में पैदा किया फिर वो अर्श पर क़ायम हुआ। छठी आयत सूरह सज्दा की है, **अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल्अर्ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन षुम्मस्तवा अलल्अर्शि**(अस्सज्दा: 4) अल्लाह वो है जिसने ज़मीन व आसमान को और जो कुछ इनके बीच है छः दिनों में पैदा किया वो फिर अर्श पर क़ायम हुआ। सातवीं आयत सूरह हदीद की है, **हुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल्अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन षुम्मस्तवा अलल्अर्शि यअ्लमु मा यलिजु फिल्अर्ज़ि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा युन्ज़िलु मिनस्समाइ व मा यअ्रुजु फीहा व हुव मअकुम अयन मा कुन्तुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर** (अल हदीद: 4) या'नी अल्लाह वो ज़ात पाक है जिसने छः दिनों में ज़मीन व आसमानों को बनाया वो फिर अर्श पर क़ायम हुआ उन सब चीज़ों को जानता है जो ज़मीन में दाख़िल होती हैं और जो कुछ उससे बाहर निकलती हैं और जो चीज़ें आसमान से उतरती हैं और जो कुछ आसमान की तरफ़ चढ़ती हैं वो सबसे वाक़िफ़ है और वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ भी रहो और अल्लाह पाक तुम्हारे सारे कामों को देखने वाला है।

इन सात आयतों में सराहत के साथ अल्लाह पाक का अर्शे अज़ीम पर मुस्तवी होना मज़्कूर है। आयाते क़ुर्आनी के अलावा 15 अहादीषें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह पाक का आसमानों के ऊपर अर्शे अ ज़ीम पर होना मज़्कूर है और जिनसे इसके लिये जहते फ़ौक़ षाबित है। इस हक़ीक़त के बाद इस बारी तआला व तक़दुस का अर्शे अज़ीम से आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फ़र्माना ये भी बरहक़ है।

हज़रत अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने इस बारे में एक मुस्तक़िल किताब **नुज़ूलुर्रब्बि इलस्समाइद्दुनिया** नामी तहरीर फ़र्माई है जिसमें वाज़ेह दलीलों से उसका आसमाने दुनिया पर नाज़िल होना षाबित फ़र्माया है।

हज़रत अल्लामा वहीदुज़्ज़माँ साहब के लफ़्ज़ों में ख़ुलासा ये है या'नी वो ख़ुद अपनी ज़ात से उतरता है जैसे दूसरी

रिवायत में है **नज़ल बिज़ातिही** अब ये तावील करना की उसकी रहमत उतरती है, सिर्फ़ फ़ासिद है। अलावा उसके उसकी रहमत उतरकर आसमान तक रह जाने से हमको फ़ायदा ही क्या है, इस तरह ये तावील कि एक फ़रिश्ता उसका उतरता है ये भी फ़ासिद है क्योंकि फ़रिश्ता ये कैसे कह सकता है जो कोई मुझसे दुआ करे मैं क़ुबूल करूँगा, गुनाह बख़्श दूँगा। दुआ क़ुबूल करना या गुनाहों को बख़्श देना ख़ास परवरदिगार का काम है। अहले हदीष़ ने इस क़िस्म की हदीष़ों को जिनमें सिफ़ात इलाही का बयान है, दिल व जान से क़ुबूल किया है और उनके अपने ज़ाहिरी मा'नी पर महमूल रखा है। मगर ये ए'तिक़ाद रखते हैं कि उसकी सिफ़ात मख़्लूक़ की सिफ़ात के मुशाबेह नहीं हैं और हमारे अस्हाब में से शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) ने इस हदीष़ की शरह में एक किताब लिखी है जो पढ़ने के क़ाबिल है और मुख़ालिफ़ों के तमाम ए'तिराज़ों और शुब्हों का जवाब दिया है।

इस हदीष़ पर रोशनी डालते हुए अल मुहद्दिष़ुल कबीर हज़रत मौलाना अ़ब्दुर्रहमान स़ाहब मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, **व मिन्हुम मन अज्राहू अ़ला मा वरद मूमिनन बिही अला त़रीकिल्इज्मालि मुनज़्ज़हल्लाहि तआ़ला मिनल्कैफ़िय्यति वत्तश्बीहि व हुम जुम्हुरुस्सलफ़ि व नकलहुल्बैहक़ी व गैरहू अनिल्अइम्मतिल्अर्बअ़ति अस्सुफ़्यानैनि वल्हम्मादैनि वल्औज़ाई वल्लैष़ वग़ैरहुम व हाज़ल्कौलु हुवल्हक़्क़ुफ़अलैक इत्तिबाउ जुम्हूरिस्सलफ़ि व इय्याक अन तकून मिन अस्हाबित्तावीलि वल्लाहु तआ़ला आ़लमु** (तुहफ़तुल अहवज़ी) या'नी सलफ़ स़ालेहीन व अइम्मा-ए-अरबअ़ और बेशतर उ़लमा-ए-दीन, अस्लाफ़े किराम का यही अ़क़ीदा है कि वो बग़ैर तावील और कैफ़ियत और तश्बीह के कि अल्लाह उससे पाक है जिस तरह से ये सिफ़ाते बारी तआ़ला वारिद हुई हैं, उन पर ईमान रखते हैं और यही हक़ व स़वाब है। पस सलफ़ की इत्तिबाअ़ लाज़िम पकड़ ले और तावील वालों में से मत हो कि यही हक़ है। वल्लाहु अअ़लम।

बाब 15 : जो शख़्स रात के शुरू में सो जाए और अख़ीर में जागे

١٥– بَابُ مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَحْيَى آخِرَهُ

और हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) ने अबू दर्दा (रज़ि.) से फ़र्माया कि शुरू रात में सो जा और आख़िर रात में इबादत कर, नबी करीम (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया था कि सलमान ने बिल्कुल सच कहा।

وَقَالَ سَلْمَانُ لأَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ سَلْمَانُ)).

1146. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, (दूसरी सनद) और मुझसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ अ़म्र बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने, उन्हेंने बतलाया कि मैंने हज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) रात में नमाज़ क्योंकर पढ़ते थे? आप ने बतलाया कि शुरू रात में सो रहते और आख़िर रात में बेदार होकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते। इस के बाद बिस्तर पर आ जाते और जब मुअ़ज़्ज़िन अज़ान देता तो जल्दी से उठ बैठते। अगर ग़ुस्ल की ज़रूरत होती तो ग़ुस्ल करते वरना वुज़ू करके बाहर तशरीफ़ ले जाते।

١١٤٦– حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ –ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ – عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَيْفَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلاَّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ)).

मतलब ये कि न सारी रात सोते ही रहते और न सारी रात नमाज़ ही पढ़ते रहते बल्कि दरम्यानी रास्ता आप (ﷺ) को पसंद

था और यही मसनून है।

बाब 16 : नबी करीम (ﷺ) का रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में रात को नमाज़ पढ़ना

١٦- بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

1147. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें सईद बिन अबू सईद मक़्बरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) से उन्होंने पूछा कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान में (रात को) कितनी रकअ़तें पढ़ते थे। आपने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (रात में) ग्यारह रकअ़तों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ख़्वाह रमज़ान का महीना होता या कि कोई और, पहले आप (ﷺ) चार रकअ़त पढ़ते, उनकी ख़ूबी और लम्बाई का क्या पूछना फिर आप (ﷺ) चार रकअ़त और पढ़ते उनकी ख़ूबी और लम्बाई का क्या पूछना। फिर तीन रकअ़तें पढ़ते। आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप वित्र पढ़ने से पहले ही सो जाते हैं? इस पर आप (ﷺ) फ़र्माया कि आइशा, मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।

(दीगर मक़ाम : 2013, 3549)

١١٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي)).

[طرفاه في: ٢٠١٣، ٣٥٦٩].

तश्रीह : इन्हीं ग्यारह रकअ़तों को तरावीह़ क़रार दिया है और आँहज़रत (ﷺ) से रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में बरिवायत सह़ीह़ा यही ग्यारह रकअ़तें ष़ाबित हैं। रमज़ान शरीफ़ में ये नमाज़े तरावीह़ के नाम से मौसूम हुई और ग़ैर रमज़ान में तहज्जुद के नाम से पुकारी गई। पस सुन्नते नबवी (ﷺ) सिर्फ़ आठ रकअ़तें तरावीह़ इस तरह़ कुल ग्यारह रकअ़तें अदा करनी ष़ाबित है। जैसा कि नीचे लिखी अह़ादीष़ से मज़ीद वज़ाह़त होती है,

अ़न जाबिरिन (रज़ि.) क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी रमज़ान ष़मान रकआतिन वल्वित्र अ़ल्लामा मुह़म्मद बिन नस्र मरवज़ी ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको रमज़ान में आठ रकअ़त तरावीह़ और वित्र पढ़ा दिया (या'नी कुल ग्यारह रकआ़त)

नेज़ ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ह़दीष़ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) **मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी ग़ैरिही अला इह़दा अश्रत रकअ़तिन** रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकअ़त से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे।

कुछ लोगों को इससे ग़लतफ़हमी हो गई कि ये तहज्जुद के बारे में है तरावीह़ के बारे में नहीं। लिहाज़ा मा'लूम हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में तरावीह़ और तहज्जुद अलग दो नमाज़ें क़ायम नहीं कीं। वही क़यामे रमज़ान (तरावीह़) या दीगर लफ़्ज़ों में तहज्जुद; ग्यारह रकअ़त पढ़ते और क़यामे रमज़ान (तरावीह़) को ह़दीष़ शरीफ़ में क़यामुललैल (तहज्जुद) भी फ़र्माया।

रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को तरावीह पढ़ा कर फ़र्माया, 'मुझको डर हुआ कि तुम पर सलातुललैल (तहज्जुद) फ़र्ज़ न हो जाए।' देखिए आप (ﷺ) ने तरावीह को तहज्जुद फ़र्माया। इससे मा'लूम हुआ कि रमज़ान में क़यामे रमज़ान (तरावीह) और सलातुल्लैल (तहज्जुद) एक ही नमाज़ है।

तरावीह व तहज्जुद के एक होने की दूसरी दलील :

अन अबी ज़र्रिन क़ाल सुम्ना मअ रसूलिल्लाहि (ﷺ) रमज़ान फलम यक़ुम बिना शैअम्मिन्हु हत्ता बक़िय सब्अ लयालिन फ़क़ाम बिना लैलतस्साबिअति हत्ता मज़ा नहवु मिन षुलुषिल्लैलि षुम्म कानतिल्लैलतुस् सादिसतुल्लती तलीहा फलम यक़ुम बिना हत्ता कानत ख़ामिसतल्लती तलीहा क़ाम बिना हत्ता मज़ा नहवुम्मिन शतरिल्लैलि फक़ुल्तु या रसूलल्लाहि लौ नफ़ल्तुना बक़िय्यत लैलतिना हाज़िहि फ़क़ाल अन्नहू मन क़ाम मअल्इमामि हत्ता यन्सरिफ़ फ़इन्नहू यअदिलु क़ियामुल्लैलति षुम्म कानतिर्राबिअतुल्लती तलीहा फ़लम यक़ुम्हा हत्ता कानतिष्षालिषतुल्लती तलीहा क़ाल फजमअ निसाअहू व अहलहू वज्तमअन्नासु क़ाल फ़क़ाम बिना हत्ता ख़शीना अंय्यफ़ूतनल्फ़लाहु क़ीला व मल्फलाह क़ाल अस्सुहूरू षुम्म लम यक़ुम बिना शैअन मिम्बक़िय्यतिश् शहरि (रवाहु इब्ने माजा) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हमने रमज़ान के रोज़े रखे, आप (ﷺ) ने हमको आख़िर के हफ़्ते में तीन ताक़ रातों में तरावीह इस तर्तीब से पढ़ाई कि पहली रात को अव्वल वक़्त में, दूसरी रात को निस्फ़ शब में, और फिर निस्फ़े बक़िया से। सवाल हुआ कि और नमाज़ पढ़ाइये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो इमाम के साथ नमाज़ अदा करे उसका पूरी रात का क़याम होगा। फिर तीसरी रात को आख़िर शब में अपने अहले बैत को जमा करके सब लोगों की जमईयत में तरावीह पढ़ाई, यहाँ तक कि हम डरे कि जमाअत ही में सेहरी का वक़्त न चला जाए। इस हदीष को इब्ने माजा ने रिवायत किया है और बुख़ारी शरीफ़ में ये हदीष मुख़्तसर लफ़्ज़ों में कई जगह नक़ल हुई है।

इससे मा'लूम हुआ कि आप (ﷺ) ने उसी एक नमाज़े तरावीह को रात के तीन हिस्सों में पढ़ाया है और इस तरावीह का वक़्त इशा के बाद अख़ीर रात तक अपने फ़ेअल (उस्वा-ए-हसना) से बता दिया जिसमें तहज्जुद का वक़्त आ गया। पस फ़ेअले रसूलुल्लाह (ﷺ) से षाबित हो गया है कि इशा के बाद आख़िर रात तक एक ही नमाज़ है।

नीज़ इसकी ताईद हज़रत उमर (रज़ि.) के उस क़ौल से होती है जो आपने फ़र्माया **वल्लती तनामून अन्हा अफ़्ज़लु मिनल्लती तक़ूमून** ये तरावीह पिछली रात में कि जिसमें तुम सोते हो पढ़ना बेहतर है अव्वल वक़्त पढ़ने से।' मा'लूम हुआ कि नमाज़े तरावीह व तहज्जुद एक ही है और यही मतलब हज़रते आइशा (रज़ि.) वाली हदीष का है।

नीज़ हदीष पर इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब बाँधा है कि **बाबुन: फ़ज़्लुम्मन क़ाम रमज़ान** और इमाम बैहक़ी (रह.) ने हदीष मज़्कूर पर यूँ बाब मुनअक़िद किया है। **बाबुन मा रूविय फ़ी अददि रक्आतिल्क़ियामि फ़ी शहरि रमज़ान** और इसी तरह इमाम मुहम्मद (रह.) शागिर्द इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) ने **बाबु क़यामि शहरि रमज़ान** के तहत हदीषे मज़्कूर को नक़ल किया है। इन सब बुज़ुर्गों की मुराद भी हदीषे आइशा (रज़ि.) से तरावीह ही है और ऊपर मुफ़स्सल गुज़र चुका है कि अव्वल रात से आख़िर रात तक एक ही नमाज़ है। अब रहा कि इन तीनों रातों में कितनी रकअतें पढ़ाई थीं? सो अर्ज़ है कि अलावा वित्र आठ ही रकअतें पढ़ाई थीं। इसके षुबूत में कई रिवायाते सहीहा आई हैं जो दर्ज़ ज़ैल हैं,

उलमा व फ़ुक़हा-ए-हनफ़िया ने फ़र्मा दिया कि आठ रकअत तरावीह सुन्नते नबवी है:

(1) अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) उम्दतुलक़ारी (जिल्द : 3, पेज नं. 597) में फ़र्माते हैं, **फ़इन क़ुल्तु लम युबय्यिन फिर्रिवायातिल्मज़्कूरति अददुस्सलातिल्लती सल्लहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) फी तिल्कल्लयालि क़ुल्तु रवाहु इब्नु ख़ुज़ैमः व इब्नु हिब्बान मिन हदीषि जाबिरिन क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी रमज़ान षमान रक्आतिन षुम्म औतर** 'अगर तू सवाल करे कि जो नमाज़ आप (ﷺ) ने तीन रातों में पढ़ाई थी उसमें ता'दाद का ज़िक्र नहीं तो मैं उसके जवाब में कहूँगा कि इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अलावा वित्र के आठ रकअतें पढ़ाई थीं।'

(2) ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़त्हुल बारी (जिल्द: 1, पेज नं. 597) में फ़र्माते हैं, **लम अरा फ़ी शैइन मिन तुरुकिही बयानु अ़ददि सलातिही फ़ी तिल्कल्लयाली लाकिन खाहुब्नु ख़ुज़ैमा वब्नु हिब्बान मिन हदीषि जाबिरिन क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाहि (ﷺ) फ़ी रमज़ान ष़मान रक्आतिन षुम्म औतर** 'मैंने ह़दीषे मज़्कूरा बाला की किसी सनद में नहीं देखा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उन तीन रातों में कितनी रकअ़त पढ़ाई थीं। लेकिन इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने ह़िब्बान ने जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़लावा वित्र के आठ रकअ़त पढ़ाई थीं।

(3) अ़ल्लामा ज़ेलई ह़नफ़ी (रह.) ने नस्बुर्राया फ़ी तख़रीजे अह़ादीष अल हिदाया (जिल्द : 1, पेज नं. 293) में इस ह़दीष को नक़ल किया है कि **इन्दब्नि हिब्बान फ़ी स़ह़ीह़िही अन जाबिरिनब्नि अब्दिल्लाहि अन्नहू अलैहिस्सलाम सल्ला बिहिम ष़मान रक्आतिन वल्वित्र** इब्ने ह़िब्बान ने अपनी स़ह़ीह़ में जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़ह़ाबा (रज़ि.) को आठ रकअ़त और वित्र पढ़ाए या'नी कुल ग्यारह रकअ़त।

(4) इमाम मुह़म्मद, शागिर्द इमामे आज़म (रह.) अपनी किताब मौत़ा इमाम मुह़म्मद (पेज नं. 93) में बाबे तरावीह़ के तह़त फ़र्माते हैं **अन अबी सल्मतब्नि अब्दिर्रहमानि अन्नहू सअल आइशत कैफ़ कानत स़लातु रसूलिल्लाहि (ﷺ) क़ालत मा कान रसूलुल्लाहि यज़ीदु फ़ी रमज़ान व ला फ़ी गैरिही अ़ला इहदा अशरत रक्अतन** अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह़मान से मरवी है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ कैसी थी तो बतलाया कि रमज़ान व ग़ैर रमज़ान में आप ग्यारह रकअ़त से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। रमज़ान व ग़ैर रमजान की तह़क़ीक़ पहले गुज़र चुकी है। फिर इमाम मुह़म्मद (रह.) इस ह़दीष शरीफ़ को नक़ल करने के बाद फ़र्माते हैं **मुहम्मद व बिहाज़ा नाख़ुज़ुहू कुल्लहू** हमारा भी इन सब ह़दीषों पर अ़मल है, हम इन सब को लेते हैं।

(5) हिदाया जिल्द अव्वल के ह़ाशिये पर है, **अस्सुन्नतु मा वाज़ब अलैहिर्रसूलु (ﷺ) फहसबु फ़अला हाज़िहित्तअ़रीफ़ि यकूनुस्सुन्नतु हुव ज़ालिकल्कदरूल्मज़्कूरू व मा जाद अलैहि यकूनु मुस्तहब्बन** सुन्नत सिर्फ़ वही है जिसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमेशा किया हो। पस इस ता'रीफ़ के मुत़ाबिक़ सिर्फ़ मिक़्दार मज़्कूर (आठ रकअ़त ही) सुन्नत होगी और जो उससे ज़्यादा हो वो नमाज़ मुस्तह़ब होगी।

(6) इमाम इब्नुल हुमाम हनफ़ी (रह.) फ़त्हुल क़दीर शरह़ हिदाया में फ़र्माते हैं **फतहस्सल मिन हाज़ा कुल्लिही अन्न क़ियाम रमज़ान सुन्नतुन इहदा अशरत रक्अतन बिल्वित्र फ़ी जमाअ़तिन फ़अलहुन्नबिय्यु (ﷺ)** इन तमाम का ख़ुलास़ा ये है कि रमज़ान का क़याम (तरावीह़) सुन्नत मअ़ वित्र ग्यारह रकअ़त बाजमाअ़त रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअ़ल (उस्व-ए-ह़सना) से ष़ाबित है।

(7) अ़ल्लामा मुल्ला अ़ली क़ारी ह़नफ़ी (रह.) अपनी किताब मिरक़ात शरहे मिश्कात में फ़र्माते हैं, **अन्नत्तराहीव फ़िल्अस्लि इहदा अशरत रक्अतन फ़अलहु रसूलुल्लाहि (ﷺ) षुम्म तरकहू लिउज़्रिन** दरअस़ल तरावीह़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ेअ़ल से ग्यारह ही रकअ़त षाबित है। जिनको आप (ﷺ) ने पढ़ा बाद में उ़ज़्र की वजह से छोड़ दिया।

(8) मौलाना अ़ब्दुल ह़य्यि ह़नफ़ी लख़नवी (रह.) तअ़लीक़ुल मुम्जिद शरह़ मौत़ा इमाम मुह़म्मद (रह.) में फ़र्माते हैं **व अख़रजब्नु हिब्बान फ़ी स़ह़ीह़िही मिन हदीषि जाबिरिन अन्नहू स़ल्ला बिहिम ष़मान रक्आतिन षुम्म औतर व हाज़ा अस़ह़्हु** और इब्ने ह़िब्बान ने अपनी स़ह़ीह़ में जाबिर (रज़ि.) की ह़दीष से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सह़ाबा किराम (रज़ि.) को अ़लावा वित्र आठ रकअ़तें पढ़ाईं। ये ह़दीष बहुत स़ह़ीह़ है।

इन ह़दीषों से स़ाफ़ ष़ाबित हुआ कि रसूले अकरम (ﷺ) आठ रकअ़त तरावीह़ पढ़ते और पढ़ाते थे। जिन रिवायात में आप (ﷺ) का बीस रकआत पढ़ना मज़्कूर है वो सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले इस्तिदलाल हैं।

स़ह़ाबा (रज़ि.) और स़ह़ाबियात (रज़ि.) का हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में आठ रकअ़त तरावीह पढ़ना :

(9) इमाम मुह़म्मद बिन नस्र मरवज़ी (रह.) ने क़यामुललैल में ह़ज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत की है **जाअ उबय इब्नि कअ़बिन फ़ी रमज़ान फ़क़ाल या रसूलल्लाहि (ﷺ) कानल्लैलत शैउन क़ाल व मा ज़ाक या उबय क़ाल**

निस्वतुदारी क़ुल्न इन्ना ला नक़्रउल्क़ुर्आन फनुसल्ली ख़ल्फ़क बिस़लातिक फ़सल्लैतु बिहिन्न समान रक्आतिन वल्वित्र फसकत अन्हू शिब्हुर्रिज़ा उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) रमज़ान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और कहा कि आज रात को एक ख़ास़ बात हो गई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ उबय! वो क्या बात है? उन्होंने कहा कि मेरे घराने की औरतों ने कहा कि हम क़ुर्आन नहीं पढ़ती हैं इसलिये तुम्हारे पीछे नमाज़े (तरावीह) तुम्हारी इक़्तिदा में पढ़ेंगी तो मैंने उनको आठ रकअ़त और वित्र पढ़ा दिया। आँहज़रत (ﷺ) ने ये सुनकर सुकूत फ़र्माया। गोया इस बात को पसंद फ़र्माया, इस हदीस़ से स़ाबित हुआ कि स़हाबा (रज़ि.) आप (ﷺ) के ज़माने में आठ रकअ़त (तरावीह) पढ़ते थे।

हज़रत उमर ख़लीफ़-ए-स़ानी (रज़ि.) की नमाज़े तरावीह मय वित्र ग्यारह रकअ़त :

(10) **अन साइबिब्नि यज़ीदिन क़ाल अमर उमरु उबय इब्न कअ़बिन व तमीमद्दारी अंय्यक़ूमा लिन्नासि फ़ी रमज़ान इहदा अशरत रक्अतन** साइब बिन यज़ीद ने कहा कि उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने उबय बिन कअ़ब और तमीम दारी (रज़ि.) को हुक्म दिया कि रमज़ान शरीफ़ में लोगों को ग्यारह रकअ़त पढ़ाएँ। (मौता इमाम मालिक)

वाज़ेह हुआ कि आठ और ग्यारह में वित्र का फ़र्क़ है और अलावा आठ रकअ़त तरावीह के वित्र एक तीन पाँच पढ़ना हदीस़ शरीफ़ में आए हैं और बीस तरावीह की रिवायत हज़रत उमर (रज़ि.) से स़ाबित नहीं और जो रिवायत उनसे नक़ल की जाती है वो मुन्क़तअुस्सनद (सनद कटी हुई) है। इसलिये कि बीस का रावी यज़ीद बिन रुम्मान है। उसने हज़रत उमर (रज़ि.) का ज़माना नहीं पाया। चुनाँचे अ़ल्लामा ऐनी हनफ़ी व अ़ल्लामा ज़ेलअ़ी हनफ़ी (रह.) उम्दतुल क़ारी और नस़बुर्राया में फ़र्माते हैं कि **यज़ीदुब्नु रूमान लम युदरिक उमर** 'यज़ीद बिन रूम्मान ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) का ज़माना नहीं पाया।' और जिन लोगों ने सय्यिदना उमर (रज़ि.) को पाया है उनकी रिवायात बिल इत्तिफ़ाक़ ग्यारह रकअ़त की हैं, उनमें हज़रत साइब (रज़ि.) की रिवायत ऊपर गुज़र चुकी है।

और हज़रत अअ़रज हैं जो कहते हैं **कानल्क़ारी यक़्रउ सूरतल्बक़्रति फ़ी समानी रक्आतिन** क़ारी सूरह बक़रा आठ रकअ़त में ख़त्म करता था (मौता इमाम मालिक)। फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) ने उबय बिन कअ़ब व तमीम दारी और सुलैमान बिन अबी हस़्मा (रज़ि.) को साथ वित्र ग्यारह रकअ़त पढ़ाने का हुक्म दिया था (मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा)। ग़र्ज़ हज़रत उमर (रज़ि.) का ये हुक्म हदीस़े रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुवाफ़िक़ है। लिहाज़ा **अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल्ख़ुल्फ़ाइर्राशिदीन** से भी ग्यारह पर अमल करना स़ाबित हुआ।

फ़ुक़हा से आठ का सुबूत और बीस का ज़ुअ़फ़ :—

(11) अ़ल्लामा इब्नुल हमाम हनफ़ी (रह.) फ़तहुल क़दीर शरह हिदाया (जिल्द : 1, पेज नं. 205) में फ़र्माते हैं बीस रकअ़त तरावीह की हदीस़ ज़ईफ़ है। **अन्नहू मुख़ालिफ़ुल्लिल हदीस़िस्सहीहि अन अबी सलमतब्नि अ़ब्दिर्रहमानि अन्नहू सअल आइशत अल्हदीस़** अलावा बरीं ये (बीस की रिवायत) स़हीह हदीस़ के भी ख़िलाफ़ है जो अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान व ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकअ़त से ज़ाइद न पढ़ते थे।

(12) शैख़ अ़ब्दुल हक़ स़ाहब हनफ़ी मुहद्दिस़ देह्लवी (रह.) फ़त्हु सिर्रुल मन्नान में फ़र्माते हैं **वलम यस़्बुत रिवायतु इश्रीन मिन्हु (ﷺ) कमा हुवल्मुताअ़रफ़ु अल्आन इल्ला फ़ी रिवायतिब्नि अबी शैबत व हुव ज़ईफ़ुन व क़द आरज़हू हदीसु आइशत व हुव हदीसुन स़हीहुन** जो बीस तरावीह मशहूर व मअ़रूफ़ हैं और आँहज़रत (ﷺ) से स़ाबित नहीं और जो इब्ने अबी शैबा में बीस की रिवायत है वो ज़ईफ़ है और हज़रत आइशा (रज़ि.) की सहीह हदीस़ के भी मुख़ालिफ़ है (जिसमें मय वित्र ग्यारह रकअ़त स़ाबित हैं)।

(13) शैख़ अ़ब्दुल हक़ हनफ़ी मुहद्दिस़ देह्लवी (रह.) अपनी किताब **मा स़बत बिस्सुन्नह** (पेज नं. 217) में फ़र्माते हैं **वस़्सहीहु मा रवत्हु आइशतु अन्नहू (ﷺ) स़ल्ला इहदा अशरत रक्अतन कमा हुव आदतुहू फ़ी क़ियामिल्लैलि व रूविय अन्नहू कान बअ़्ज़ुस्सलफ़ि फ़ी अहदि उमरब्नि अ़ब्दिल्अ़ज़ीज़ि युस़ल्लून इहदा अश्रत रक्अतन कस़्दन तश्बीहन बिरसूलिल्लाहि (ﷺ)** स़हीह हदीस़ वो है जिसको हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि आप

(ﷺ) ग्यारह रकअत पढ़ते थे। जैसा कि आप (ﷺ) की क़यामुल्लैल की आदत थी और रिवायत है कि कुछ सलफ़ अमीरुल मोमिनीन उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के ज़मान-ए-ख़िलाफ़त में ग्यारह रकअ़त तरावीह़ पढ़ा करते थे ताकि आँह़ज़रत (ﷺ) की सुन्नत से मुशाबिहत पैदा करें।

इससे मा'लूम हुआ कि शैख़ साह़ब (रह.) ख़ुद आठ रकअ़त तरावीह़ के क़ाइल थे और सलफ़ सालेह़ीन में भी ये मशहूर था कि आठ रकअ़त तरावीह़ सुन्नते नबवी है और क्यूँ न हो जबकि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आठ रकअ़त तरावीह़ पढ़ीं और स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) को पढ़ाईं। नीज़ उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) ने औरतों को आठ रकअ़त तरावीह़ पढ़ाईं तो हुज़ूर (ﷺ) ने पसंद फ़र्माया। इसी त़रह़ ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के ज़माने में वित्र के साथ ग्यारह रकअ़त तरावीह़ पढ़ने का हुक्म था और लोग उस पर अ़मल करते थे। नीज़ ह़ज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के वक़्त में लोग आठ रकअ़त तरावीह़ पर सुन्नते रसूल (ﷺ) समझकर अ़मल करते थे और इमाम मालिक (रह.) ने भी मय वित्र ग्यारह रकअ़त ही को सुन्नत के मुत़ाबिक़ इख़्तियार किया है।

(14) अ़ल्लामा ऐ़नी ह़नफ़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि **इह़दा अशरत रकअ़तन व हुव इख़्वार मालिक लिनफ़्सिही** 'ग्यारह रकअ़त को इमाम मालिक (रह.) ने अपने लिये इख़्तियार किया है।'

इसी त़रह़ फ़ुक़हा व उ़लमा जैसे अ़ल्लामा ऐ़नी ह़नफ़ी, अ़ल्लामा ज़ेलई ह़नफ़ी, ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर, अ़ल्लामा मुह़म्मद बिन नस्र मरवज़ी, शैख़ अ़ब्दुल हई साह़ब ह़नफ़ी मुह़द्दिष़ देहलवी, मौलाना अ़ब्दुल ह़क़ ह़नफ़ी लखनवी (रह.) वग़ैरह ने अलावा वित्र के आठ रकअ़त तरावीह़ को सह़ीह़ और सुन्नते नबवी (ﷺ) फ़र्माया है जिनके ह़वाले पहले गुज़र चुके हैं। और इमाम मुह़म्मद शागिर्दे रशीद इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने तो फ़र्माया कि **व बिहाज़ा नाख़ुज़ु कुल्लहू** 'हम इन सब ह़दीष़ों को लेते हैं।' या'नी इन ग्यारह रकअ़त की ह़दीष़ों पर हमारा अ़मल है। फ़ल्ह़म्दुलिल्लाह कि वित्र के साथ ग्यारह रकअ़त तरावीह़ का मस्नून होना ष़ाबित हो गया।

इसके बाद सलफ़े उम्मत में कुछ ऐसे ह़ज़रात भी मिलते हैं जो बीस रकअ़त और तीस रकआ़त और चालीस रकआ़त बत़ौरे नफ़्ल नमाज़े तरावीह़ पढ़ा करते थे। लिहाज़ा ये दा'वा कि बीस रकअ़त पर इज्माअ़ हो गया, बात़िल है। अस़्ल सुन्नते नबवी आठ रकअ़त तरावीह़ तीन रकअ़त वित्र कुल ग्यारह रकअ़त हैं। नफ़्ल के लिये हर वक़्त इख़्तियार है कोई जिस क़दर चाहे पढ़ सकता है। जिन ह़ज़रात ने रमज़ान में आठ रकअ़त तरावीह़ को ख़िलाफ़े सुन्नत कहने का मश्ग़ला बना लिया है और ऐसा लिखना या कहना उनके ख़्याल में ज़रूरी है वो सख़्त ग़लत़ी में मुब्तला हैं बल्कि उसे भी एक त़रह़ से तल्बीसे इब्लीस कहा जा सकता है। अल्लाह तआ़ला सबको नेक समझ अ़ता करे, आमीन।

ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने जो रात के नवाफ़िल चार-चार रकआ़त मिलाकर पढ़ना अफ़ज़ल कहा है, वो उसी ह़दीष़ से दलील लेते हैं। हालाँकि उससे इस्तिदलाल स़ह़ीह़ नहीं क्योंकि उसमें ये तस़रीह़ नहीं है कि आप (ﷺ) चार-चार रकअ़त के बाद सलाम फेरते। मुम्किन है कि पहले आप (ﷺ) चार रकअ़त (दो सलाम के साथ) बहुत लम्बी पढ़ते हों फिर दूसरी चार रकअ़तें (दो सलाम के साथ) उनसे हल्की पढ़ते हों। ह़ज़रत आइशा(रज़ि.) ने इस त़रह़ इन चार-चार रकअ़तों को अलग-अलग ज़िक्र किया है और ये भी मुम्किन है कि चार रकअ़तों का एक सलाम के साथ पढ़ना मुराद हो। इसलिये अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते है कि **व अम्मा मा सबक मिन अन्नहू कान युस़ल्ली मष़्ना मष़्ना षुम्म वाह़िदतन फ़मह़मूलुन अ़ला वक़्तिन आख़र फल्अम्रानि जाइज़ानि** या'नी पिछली रिवायात में जो आप (ﷺ) की दो रकअ़त पढ़ना मज़्कूर हुआ है। फिर एक रकअ़त वित्र पढ़ना तो वो दूसरे वक़्त पर मह़मूल है और ये चार चार करके पढ़ना फिर तीन वित्र पढ़ना दूसरे वक़्त पर मह़मूल है इसलिये दोनों अम्र जाइज़ हैं।

1148. हमसे मुह़म्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, और उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने बयान किया कि मुझे मेरे बाप उ़र्वा ने ख़बर दी कि ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा ने

١١٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

बतलाया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को रात की किसी नमाज़ में बैठकर क़ुर्आन पढ़ते नहीं देखा। यहाँ तक कि आप (ﷺ) बूढ़े हो गए तो बैठ कर क़ुर्आन पढ़ते थे। लेकिन जब तीस-चालीस आयतें रह जाती तो खड़े हो जाते फिर उनको पढ़कर रुकूअ करते थे। (राजेअ : 1118)

قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلاَثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ)). [راجع: ١١١٨]

बाब 18 : दिन और रात में बावुज़ू रहने की फ़ज़ीलत और वुज़ू के बाद रात और दिन में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत का बयान

١٧- بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوَضُوءِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

1149. हमसे इस्हाक़ बिन नस्र ने बयान किया, उनसे अबू हय्यान यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे अबू ज़रआ ने बयान किया और उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से फ़ज्र के वक़्त पूछा कि ऐ बिलाल! मुझे अपना सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला नेक काम बताओ, जिसे तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की चाप सुनी है। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने अर्ज़ किया मैंने तो अपने नज़दीक इससे ज़्यादा उम्मीद का कोई काम नहीं किया कि जब मैंने रात या दिन में किसी वक़्त भी वुज़ू किया तो मैं उस वुज़ू से नफ़्ल नमाज़ पढ़ता रहता, जितनी मेरी तक़दीर में लिखी गई थी।

١١٤٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ: ((يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ)). قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : دَفَّ نَعْلَيْكَ، يَعْنِي تَحَرُّكَ.

तश्रीह : या'नी जैसे तू जन्नत में चल रहा है और तेरी जूतियों की आवाज़ निकल रही है। ये अल्लाह तआला ने आप (ﷺ) को दिखला दिया जो नज़र आया वो होने वाला था। उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि जन्नत में बेदारी के आलम में इस दुनिया में रहकर आँहज़रत (ﷺ) के सिवा और कोई नहीं गया, आप (ﷺ) मेअराज की शब में वहाँ तशरीफ़ ले गए। इसी तरह दोज़ख़ में और ये जो कुछ फ़ुक़रा से मन्क़ूल है कि उनका ख़ादिम हुक़्क़ा की आग लेने जहन्नम में गया ये महज़ ग़लत है। बिलाल (रज़ि.) दुनिया में भी बतौरे ख़ादिम के आँहज़रत (ﷺ) के आगे सामान वग़ैरह लेकर चला करते, वैसे ही अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर को दिखला दिया कि बहिश्त में भी होगा। इस हदीष़ से बिलाल (रज़ि.) की फ़ज़ीलत निकली और उनका जन्नती होना षाबित हुआ। (वह़ीदी)

बाब 18 : इबादत में बहुत सख़्ती उठाना मकरूह है

١٨- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

1150. हमसे अबू मअमर अब्दुल्लाह बिन अम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष़ बिन सअद ने बयान किया, कहा कि

١١٥٠- حَدَّثَنَا أَبُومَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا الْحَبْلُ؟)) قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لاَ، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ)).

हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रह.) ने कि नबी करीम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ ले गये, आपकी नज़र एक रस्सी पर पड़ी जो दो सुतूनों के दरम्यान तनी हुई थी, दरयाफ़्त फ़र्माया कि ये रस्सी कैसी है? लोगों ने अ़र्ज़ किया कि ये ह़ज़रत ज़ैनब ने बाँधी है, जब वो (नमाज़ में खड़ी-खड़ी) थक जाती है तो इससे लटकी रहती है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! ये रस्सी नहीं होनी चाहिये, इसे खोल डालो। तुममें हर शख़्स को चाहिये जब तक दिल लगे नमाज़ पढ़े, थक जाए तो बैठ जाए।

١١٥١ - قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: فُلاَنَةُ، لاَ تَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ - فَذُكِرَ مِنْ صَلاَتِهَا - فَقَالَ: ((مَهْ، عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُونَ مِنَ الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)).

[راجع: ٤٣]

1151. और इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, उनसे मालिक (रह.) उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उन के वालिद ने उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मेरे पास बनू असद की एक औ़रत बैठी हुई थी। नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो उनके मुता'ल्लिक़ पूछा कि ये कौन हैं? मैंने कहा कि फलाँ ख़ातून हैं जो रातभर नहीं सोतीं। उनकी नमाज़ का आप (ﷺ) के सामने ज़िक्र किया गया लेकिन आप (ﷺ) ने फ़र्माया बस तुम्हें सि़र्फ़ उतना ही अ़मल करना चाहिये, जितनी कि तुममें त़ाक़त हो। क्योंकि अल्लाह तआ़ला तो (स़वाब देने से) थकता नहीं तुम ही अ़मल करते-करते थक जाओगे। (राजेअ़ : 43)

तश्रीह : इसलिये ह़दीषे़ अनस (रज़ि.) और ह़दीषे़ आइशा (रज़ि.) में मरवी है कि इज़ा नअस अह़दुकुम फ़िस्सलाति फ़ल्यनुम हत्ता यअ़लम मा यक़्रउ या'नी जब नमाज़ में कोई सोने लगे तो उसे चाहिये कि पहले वो सो ले फिर नमाज़ पढ़े ताकि वो समझ ले कि क्या पढ़ रहा है। ये लफ़्ज़ भी हैं फ़ल्यरक़ुद हत्ता यज़्हब अन्हुन्नौमु (फ़त्हुल्बारी) या'नी सो जाए ताकि उससे नींद चली जाए।

١٩ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

बाब 19 : जो शख़्स रात को इबादत किया करता था वो अगर उसे छोड़ दे तो उसकी ये आ़दत मकरूह है

١١٥٢ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ

1152. हमसे अ़ब्बास बिन हुसैन ने बयान किया, कहा कि हमसें मुबश्शिर बिन इस्माईल जेलई ने, औज़ाई से बयान किया (दूसरी सनद) और मुझ से मुह़म्मद बिन मुक़ातिल अबुल ह़सन

ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें औज़ाई ने ख़बर दी, कहा कि हमसे यह्या इब्ने अबी कष़ीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह्मान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स (रज़ि.) ने बयान किया, कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया ऐ अ़ब्दुल्लाह! फलाँ की त़रह न हो जाना वो रात में इबादत किया करता था, फिर छोड़ दी। और हिशाम बिन अ़म्मार ने कहा कि हमसे अ़ब्दुल ह़मीद बिन अबुल इशरीन ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे यह्या ने बयान किया, उनसे उ़मर बिन ह़कम बिन ष़ौबान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह्मान ने, इसी त़रह फिर यही ह़दीष़ बयान की। इब्ने अबुल इशरीन की त़रह उ़मर बिन अबू सलमा ने भी इसको इमाम औज़ाई से रिवायत किया।

(राजेअ़ : 1131)

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)). وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ. [راجع: ١١٣١]

तशरीह : अ़ब्बास बिन हुसैन से इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस किताब में एक ये ह़दीष़ और एक जिहाद के बाब में रिवायत की, पस दो ही ह़दीष़ें। ये बग़दाद के रहने वाले थे। इब्ने अबी इशरीन से इमाम औज़ाई का मंशा था उसमें मुह़द्दिष़ीन ने कलाम किया है मगर इमाम बुख़ारी (रह.) उसकी रिवायत मुताबअ़तन लाए। अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह्मान की सनद को इमाम बुख़ारी (रह.) इसलिये लाए है कि उसमें यह्या बिन अबी क़ष़ीर और अबू सलमा में एक शख़्स का वास्ता है या'नी अ़म्र बिन ह़कम का और अगली सनद में यह्या कहते हैं कि मुझसे ख़ुद अबू सलमा ने बयान किया तो शायद यह्या ने ये ह़दीष़ अ़म्र के वास्ते से और बिलावास्ता दोनों त़रह अबू सलमा से सुनी (वह़ीदी)

1153. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने, उनसे अबुल अ़ब्बास साइब बिन फ़र्रूख़ ने कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि क्या ये ख़बर स़ह़ीह़ है कि तुम रातभर इबादत करते हो और फिर दिन में रोज़े रखते हो? मैंने कहा कि हाँ ह़ुज़ूर मैं ऐसा ही करता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आँखें (बेदारी की वजह से) बैठ जाएंगी और तेरी जान नातवाँ हो जाएगी। ये जान लो कि तुम पर तुम्हार नफ़्स का भी ह़क़ है और बीवी-बच्चों का भी। इसलिये कभी रोज़े भी रखो और कभी बिला रोज़े के भी रहो, इबादत भी

١١٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟)) قُلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: ((فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ، وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلأَهْلِكَ حَقٌّ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ)).

करो और सोओ भी। (राजेअ : 1131)

गोया आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसे सख़्त मुजाहदे से मना किया। अब जो लोग ऐसा करें वो आँहज़रत (ﷺ) की सुन्नत के ख़िलाफ़ चलते हैं, उससे नतीजा क्या? इबादत तो इसीलिये है कि अल्लाह और रसूल राज़ी हों।

बाब 21 : जिस शख़्स की रात को आँख खुले फिर वो नमाज़ पढ़े, उसकी फ़ज़ीलत

٢١- بَابُ فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

1154. हमसे सदक़ा बिन फ़ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमको वलीद बिन मुस्लिम ने इमाम औज़ाई से ख़बर दी, कहा कि मुझको अमीर बिन हानी ने बयान किया, कहा कि मुझसे जुनादा बिन अबी उमय्या ने बयान किया, कहा कि मुझसे उबादा बिन सामित ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स रात को बेदार होकर ये दुआ पढ़े (तर्जुमा) अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिये है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की मदद के बग़ैर न किसी को गुनाहों से बचने की ताक़त है न नेकी करने की हिम्मत। फिर ये पढ़े (तर्जुमा) ऐ अल्लाह! मेरी मग्फ़िरत फ़र्मा। या (ये कहा कि) कोई दुआ करे तो उसकी दुआ ज़रूर कुबूल होती है। फिर अगर उसने वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ भी मक़बूल होती है।

١١٥٤- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. الْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي- أَوْ دَعَا - اسْتُجِيْبَ. فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ)).

तश्रीह : इब्ने बत्ताल (रह.) ने इस हदीष़ पर फ़र्माया कि अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) की ज़ुबान पर ये वा'दा फ़र्माता है कि जो मुसलमान रात में इस तरह बेदार हो कि उसकी ज़ुबान अल्लाह तआला की तौहीद, उस पर ईमान व यक़ीन, उसकी किब्रियाई और सलतनत के सामने तस्लीम और बन्दगी, उसकी नेअमतों का ए'तिराफ़ और इस पर उसका शुक्र व हम्द और ज़ाते पाक की तंज़ीह व तक़्दीस से भरपूर कलिमात ज़ुबान पर ज़ारी हो जाएँ तो अल्लाह तआला उसकी दुआ को भी कुबूल करता है और उसकी नमाज़ भी बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में मक़्बूल होती है। इसलिये जिस शख़्स तक भी ये हदीष़ पहुँचे, उसे इस पर अमल को ग़नीमत समझना चाहिये और अपने रब के लिये तमाम अअमाल में निय्यते ख़ालिस़ पैदा करनी चाहिये कि सबसे पहली शर्त कुबूलियत की यही ख़ुलूस़ है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

1155. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझको हैष़म बिन अबी सिनान ने ख़बर दी कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना। आप अपने वा'ज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र कर रहे थे। फिर आप ने

١١٥٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَهُوَ

फ़र्माया कि तुम्हारे भाई ने (अपने नअ़तिया अशआ़र में) ये कोई ग़लत़ बात नहीं कही। आपकी मुराद अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) के अशआ़र से थी, जिनका तर्जुमा ये है, हममें अल्लाह के रसूल मौजूद है, जो उसकी किताब हमें उस वक़्त सुनाते हैं, जब फ़ज्र तुलूअ़ होती है। हम तो अन्धे थे आप (ﷺ) ने हमें गुमराही से निकाल कर सह़ीह़ रास्ता दिखाया। उनकी बातें इस क़दर यक़ीनी हैं जो हमारे दिलों के अन्दर जाकर बैठ जाती है और जो कुछ आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वो ज़रूर वाक़ेअ़ होगा। आप (ﷺ) रात बिस्तर से अपने को अलग करके गुज़ारते हैं, जबकि मुश्रिकों से उनके बिस्तर बोझिल हो रहे होते हैं।

यूनुस की त़रह इस ह़दीष़ को अ़क़ील ने भी ज़ुहरी से रिवायत किया और ज़ुबैदी ने यूँ कहा सईद बिन मुसय्यिब और अअ़रज से, उन्होंने ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से।

(दीगर मक़ाम : 6151)

يَقْصُصُ فِي قَصَصِهِ - وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ أَخاً لَكُمْ لاَ يَقُولُ الرَّفَثَ)). يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ: وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعٌ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، وَالأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[طرفه في : ٦١٥١].

तशरीह़ : ज़ुबैदी की रिवायत को इमाम बुख़ारी (रह.) ने तारीख़ में और त़बरानी ने मुअ़जम कबीर में निकाला। इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ इस बयान से ये है कि ज़ुह्री के शैख़ में रावियों का इख़्तिलाफ़ है। यूनुस और अ़क़ील ने हैशम बिन अबी सिनान कहा है और ज़ुबैदी ने सईद बिन मुसय्यिब और अअ़रज और मुम्किन है कि ज़ुह्री ने इन तीनों से इस ह़दीष़ को सुना हो। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक पहला त़रीक़ राजेह़ है क्योंकि यूनुस और अ़क़ील दोनों ने बिल इत्तेफ़ाक़ ज़ुह्री का शैख़ हैशम को क़रार दिया है। (वह़ीदी)

इस ह़दीष़ से ये ष़ाबित हुआ कि मजालिसे वा'ज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सीरते मुबारका का नज़्म व नष़्र में ज़िक्र करना दुरुस्त है। सीरत के सिलसिले में आप (ﷺ) की विलादत ब-सआ़दत और ह़याते त़य्यिबा के वाक़िआ़त का ज़िक्र करना बाइ़षे अज़्दयादे ईमान है। लेकिन मुरव्वजा मह़ाफ़िले मीलाद का इन्इ़क़ाद किसी शरई दलील से ष़ाबित नहीं। अ़हदे सह़ाबा व तबअ़ ताबेईन व अइम्म-ए-मुज्तहिदीन व जुम्ला मुह़द्दिष़ीने किराम में ऐसी मह़ाफ़िल का नामोनिशान भी नहीं मिलता। पूरे छः सौ साल गुज़र गए दुनिय-ए-इस्लाम मह़फ़िले मीलाद के नाम से भी आशना (परिचित) न थी। तारीख़ इब्ने ख़ल्कान मे ह कि इस मह़फ़िल का मौजिदे अव्वल एक बादशाह अबू सईद मुज़फ़्फ़रुद्दीन नामी था, जो नज़द मौसिल अरबल नामी शहर का ह़ाकिम था। उ़लमा-ए-रासिख़ीन ने उसी वक़्त से इस नौ-ईजाद मह़फ़िल की मुख़ालफ़त फ़र्माई। मगर स़द अफ़सोस कि नामोनिहाद फ़िदाइयाने रसूले करीम (ﷺ) आज भी बड़े तुन्तुना से ऐसी मह़ाफ़िल करते हैं जिनमें निहायत ग़लत़-सलत़ रिवायात बयान की जाती हैं, चिराग़ा और शीरीनी का ख़ास़ एहतिमाम होता है और इस अ़क़ीदे से क़याम करके सलाम पढ़ा जाता है कि आँह़ज़रत (ﷺ) की रूहे मुबारक ख़ुद इस मह़फ़िल में तशरीफ़ लाई है। ये जुम्ला उमूर ग़लत़ और बे-ष़ुबूत हैं जिनके करने से बिदअ़त का इर्तिकाब होता है। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने साफ़ फ़र्मा दिया था कि **मन अह़दष़ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फहुव रद्दुन** जो हमारे दीन में कोई नई बात ईजाद करे जिसका ष़ुबूत शरीअ़त से न हो वो मरदूद है।

1156. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ये ख़्वाब देखा कि गोया एक गाढ़े

١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ ((رَأَيْتُ

रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा मेरे हाथ है। जिससे मैं जन्नत में जिस जगह का भी इरादा करता हूँ तो ये उधर उड़ाकर मुझको ले जाता है और मैंने देखा कि जैसे दूसरे फ़रिश्ते मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दोज़ख़ की तरफ़ ले जाने का इरादा किया ही था कि एक फ़रिश्ता उनसे आकर मिला और (मुझसे) कहा कि डरो नहीं (और उनसे कहा कि) इसे छोड़ दो।

(राजेअ़ : 440)

عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ فَكَأَنِّي لاَ أُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ إِلَيْهِ. وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ فَقَالَ : لَمْ تُرَعْ، خَلِّيَا عَنْهُ)).

[راجع: ٤٤٠]

1157. मेरी बहन (उम्मुल मोमिनीन) ह़फ़्स़ा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मेरा एक ख़्वाब बयान किया तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अ़ब्दुल्लाह बड़ा ही अच्छा आदमी है, काश! रात में भी नमाज़ पढ़ा करता। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) इसके बाद हमेशा रात में नमाज़ पढ़ा करते थे।

(राजेअ़ : 1122)

١١٥٧-فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى رُؤْيَايَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ)). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. [راجع: ١١٢٢]

1158. बहुत से स़ह़ाबा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अपने ख़्वाब बयान किये कि शबे-क़द्र (रमज़ान की) सत्ताईसवीं रात है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं देख रहा हूँ कि तुम सब के ख़्वाब रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में (शबे-क़द्र के होने पर) मुत्तफ़िक़ हो गये हैं, इसलिये जिसे शबे-क़द्र की तलाश हो वो रमज़ान के आख़िरी अ़शरे में ढूँढे।

(दीगर मक़ाम : 2015, 6991)

١١٥٨- ((وَكَانُوا لاَ يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الرُّؤْيَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ)).

[طرفه في: ٢٠١٥، ٦٩٩١].

तश्रीह : ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) किताबुस्सयाम में बाब तहर्रा लैलतुल क़द्र के तह़त में फ़र्माते हैं फ़ी हाज़िहित्तर्जुमति इशारतुन इला रुज्हानि कौनि लैलतिल्क़द्रि मुन्ह़सिरतुन फ़ी रमज़ान षुम्म फिल्अशरील्अख़री मिन्हु षुम्म फ़ी औतारिही ला फ़ी लैलतिम्मिन्हा बिऐनिहा व हाज़ा हुवल्लज़ी यदुल्लु अ़लैहि मज्मूडल्अख़्बारिल् वारिदति (फ़त्हुल्क़दीर) या'नी लैलतुल क़द्र रमज़ान में मुन्ह़सिर है और वो आख़िरी अ़शरे की किसी एक ताक़ रात में होती है तमाम अह़ादीष़ जो इस बाब में वारिद हुई हैं उन सबसे यही षाबित होता है। बाक़ी तफ़्सील किताबुस्सियाम में आएगी। ताक़ रातों से 21, 23, 25, 27, 29 की रातें मुराद हैं। उनमें से वो किसी रात के साथ ख़ास नहीं है। अह़ादीष़ से यही ष़ाबित हुआ है।

बाब 22 : फ़ज्र की सुन्नतों को हमेशा पढ़ना

٢٢- بَابُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1159. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे इराक बिन मालिक

١١٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي

ने, उनसे अबू सलमा ने, उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर रात को उठकर आपने तहज्जुद की आठ रकअ़त पढ़ीं और दो रकअ़तें सुबह की अज़ान व इक़ामत के दरम्यान पढ़ी, जिनको आप कभी नहीं छोड़ते थे। (फ़ज्र की सुन्नतों पर मदावमत ष़ाबित हुई)
(राजेअ़ : 619)

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا)). [راجع: ٦١٩]

बाब 23 : फ़ज्र की सुन्नतें पढ़कर दाहिनी करवट पर लेटना

٢٣- بَابُ الضَّجْعَةِ عَلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

1160. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अय्यूब ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझसे अबुल अस्वद मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रह्मान ने बयान किया, उनसे उ़र्वा बिन यज़ीद (रज़ि.) ने और उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने, उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज्र की दो सुन्नत रकअ़तें पढ़ने के बाद दाहिनी करवट पर लेट जाते।
(राजेअ़ : 626)

١١٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ)).
[راجع: ٦٢٦]

तश्रीह़ : फ़ज्र की सुन्नत पढ़कर थोड़ी देर के लिये दाईं करवट पर लेटना मसनून है, इस बारे में कई जगह लिखा जा चुका है। यहाँ ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने उसके बारे में ये बाब बाँधा है और ह़दीषे आइशा (रज़ि.) से साफ़ जाहिर होता है कि आँह़ज़रत (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों के बाद थोड़ी देर के लिये दाईं करवट पर लेटा करते थे। अ़ल्लामा शौकानी (रह.) ने इस बारे में उ़लमा के छः क़ौल नक़ल किये हैं । अल मुह़द्दिषुल कबीर अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रह़मान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं,
अल्अव्वलु अन्नहू मश्रूउन अ़ला सबीलिलइस्तिहबाबि कमा हकाहुत्तिर्मिज़ी अन बअ़जि अहलिल्इल्मि व हुव कौलु अबी मूसा अल्अश्अरी व राफिइब्नि खदीज व अनसिब्नि मालिक व अबी हुरैरत क़ालल्हाफ़िज़ इब्नुल्क़य्यिम फ़ी ज़ादिल्मआद क़द ज़कर अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ फिल्मुसन्नफ़ि अन मअमरिन अन अय्यूब अनिब्नि सीरीन अन्न अबा मूसा व राफ़िअब्न ख़दीज व अनसब्न मालिक कानू यज्तज़िऊन बअद रक्अतल्फ़ज्रि व यामुरून बिज़ालिक व क़ालल्इराकी मिम्मन कान यफ़अलु औ युफ़्ती बिही मिनस्सहाबति अबू मूसा अल्अशअ़री व राफिउब्नु खदीज व अनसुब्नु मालिक व अबू हुरैरत इन्तिहा व मिम्मन क़ाल बिही मिनत्ताबिईन मुहम्मदुब्नु सीरीनव उर्वतुब्नुज्जुबैर कमा फ़ी शर्हिल्मुन्तकाव क़ाल अबू मुहम्मद अलिय्युब्नु ह़ज़्म फिल्मुहल्ला व ज़कर अब्दुर्रहमानुब्नु ज़ैदिन फ़ी किताबिस्सब्अति अन्नहुम यअनी सईदुब्नुल्मुसय्यिब वल्कासिमुब्नु मुहम्मदुब्नु अबी बक्र व उर्वतुब्नुज्जुबैरि व अबा बक्रिन हव इब्नु अ़ब्दिर्रहमान व खारिजतुब्नु ज़ैदिब्नि ष़ाबितिन व उबैदिल्लाहिब्नु अ़ब्दिल्लाहिब्नि उतबतब्नि सुलैमानब्नि यसारिन कानू यज्तजिऊन अ़ला अयमानिहिम बैन रक्अ़तइल्फ़ज्रि व स़लातिस्सुब्हि इन्तिहा व मिम्मन क़ाल बिही मिनल्अइम्मति मिनश्शाफ़िइ व अस्हाबिहि क़ालल्ऐनी फ़ी उम्दतिल्क़ारी ज़हबश्शाफ़िइ व अस्हाबुहू इला अन्नहू सुन्नतुन इन्तिहा (तोह़फ़तुल अह़वज़ी)

या'नी इस लेटने के बारे में इख़्तिलाफ़ ये है कि ये मुस्तहब है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी ने कुछ अहले इल्म का मसलक यही नक़ल किया है। और अबू मूसा अशअ़री और राफ़ेअ़ बिन ख़दीज और अनस बिन मालिक (रज़ि.) और अबू

हुरैरह (रज़ि.) का यही अ़मल था, ये सब सुन्नते फ़ज्र के बाद लेटा करते थे और लोगों को भी इसका हुक्म देते थे जैसा कि अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ने ज़ादुल मआ़द में नक़ल किया है और अ़ल्लामा इराक़ी ने उन तमाम मज़्कूर सहाबा किराम (रज़ि.) के नाम लिखे हैं कि ये उसके लिये फ़तवा दिया करते थे, ताबेईन में से मुहम्मद बिन सीरीन और उ़र्वा बिन जुबैर का भी यही अ़मल था। जैसा कि शरहे मुन्तक़ा में है और अ़ल्लामा इब्ने हज़्म ने मुहल्ला में नक़ल किया है कि सईद बिन मुसय्यिब, क़ासिम बिन मुहम्मद बिन अबी बक्र, उ़र्वा बिन जुबैर, अबूबक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान, ख़ारजा बिन ज़ैद बिन षाबित और उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन सुलैमान बिन यसार, इन सारे ताबेईन का यही मसलक था कि ये फ़ज्र की सुन्नतें पढ़कर दाईं करवट पर लेटा करते थे। इमाम शाफ़िई और उनके शागिर्दों का भी यही मसलक है कि ये लेटना सुन्नत है।

इस बारे में दूसरा क़ौल अ़ल्लामा इब्ने हज़्म का है जो इस लेटने को वाजिब कहते हैं। इस बारे में अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ुल्तु क़द अरफ़्तु अन्नल्अम्रल्वारिदत फ़ी हदीषि अबी हुरैरत महमूलुन अलल्इस्तिहबाबि लिअन्नहू (ﷺ) लम यकुन युदाविम अ़लल्इज्तिजाइ फ़ला यकूनु वाजिबन फ़ज़्लन अंय्यकून शर्तन लिसिह्हति सलातिस्सुब्हि** या'नी हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) में इस बारे में जो बसैग़ा अम्र वारिद हुआ है जो कोई शख़्स फ़ज्र की सुन्नतों को पढ़े उसको चाहिये कि अपनी दाईं करवट पर लेटे (रवाहुत्तिर्मिज़ी)। ये अम्र इस्तिहबाब के लिये है। इसलिये कि आँहज़रत (ﷺ) से इस पर मुदावमत मन्क़ूल नहीं है बल्कि तर्क भी मन्क़ूल है। पस ये पूरे तौर पर वाजिब न होगा कि नमाज़े फ़ज्र की सेहत के लिये ये शर्त हो।

कुछ बुज़ुर्गों से इसका इंकार भी षाबित है मगर सहीह हदीषों के मुक़ाबले पर ऐसे बुज़ुर्गों का क़ौल क़ाबिले हुज्जत नहीं है। इत्तिबाअ़े रसूले करीम (ﷺ) बहरहाल मुक़द्दम और मोजिबे अज्रो-षवाब है। पिछले सफ़्हात में अ़ल्लामा अनवर शाह साहब देवबन्दी मरहूम (रह.) का क़ौल भी इस बारे में नक़ल किया जा चुका है। बहष के ख़ातिमे पर अ़ल्लामा अ़ब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं। **वल्क़ौलुर्राजिहु अल्मअ़मूल अ़लैहि हुव अन्नल्इज्तिजाअ बअ़द सुन्नतिल्फ़ज्रि मशरूउन अ़ला तरीक़िल् इस्तिहबाबि वल्लाहु तआ़ला आ़लमु** या'नी क़ौले राजेह यही है कि ये लेटना बतौरे इस्तिहबाब मशरूअ़ है।

बाब 24 : फ़ज्र की सुन्नतें पढ़कर बातें करना और न लेटना

٢٤- بَابُ مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

1161. हमसे बिश्र बिन हकम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सालिम बिन अबुन नज़र ने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान से बयान किया और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ लेते तो अगर मैं जाग रही होती तो आप मझसे बातें करते वरना लेट जाते जब तक नमाज़ की अज़ान होती। (राजेअ़ : 1118)

١١٦١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ)).

[راجع: ١١١٨]

मा'लूम हुआ कि अगर लेटने का मौक़ा न मिले तो भी कोई हर्ज नहीं है। मगर इस लेटने को बुरा जानना फ़अ़ले नबवी की तन्क़ीस करना है।

बाब 25 : नफ़्ल नमाज़ें दो-दो रकअ़त करके पढ़ना

٢٥- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माया और अ़म्मार और अनस

قَالَ مُحَمَّدٌ وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي

(रज़ि.) सहाबियों से बयान किया, और जाबिर बिन यज़ीद, इक्रिमा और ज़ुहरी (रह.) ताबेईन से ऐसा ही मन्क़ूल है और यह्या बिन सईद अन्सारी (ताबेई) ने कहा कि मैंने अपने मुल्क (मदीना तैयबा) के आलिमों को यही देखा कि वो नवाफ़िल में (दिन को) हर दो रकअत के बाद सलाम फेरा करते थे।

ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاَّ يُسَلِّمُوْنَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.

तश्रीह : हाफ़िज़ ने कहा अम्मार और अबू ज़र (रज़ि.) की हदीषों को इब्ने अबी शैबा ने निकाला और अनस (रज़ि.) की हदीष तो इसी किताब में गुज़री कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनके घर जाकर दो-दो रकअतें नफ़्ल पढ़ीं और जाबिर बिन ज़ैद का अषर मुझको नहीं मिला और इक्रिमा का अषर इब्ने अबी शैबा ने निकाला और यह्या बिन सईद का अषर मुझको नहीं मिला। (वहीदी)

1162. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन अबुल मवाल ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तमाम मामलात में इस्तिख़ारा करने की इस तरह ता'लीम देते थे, जिस तरह क़ुर्आन की कोई सूरत सिखाते, आप (ﷺ) फ़र्माते कि जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज़ के अलावा दो रकअत नफ़्ल पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े (तर्जुमा) ऐ मेरे अल्लाह! मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत ख़ैर तलब करता हूँ और तेरी क़ुदरत की बदौलत तुझसे ताक़त माँगता हूँ और तेरे फ़ज़्ले-अज़ीम का तलबगार हूँ कि क़ुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई क़ुदरत नहीं । इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह! अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिये इस्तिख़ारा किया जा रहा है मेरे दीन, दुनिया और काम के अंजाम के ए'तिबार से मेरे लिये बेहतर है या (आप ﷺ ने ये फ़र्माया कि) मेरे लिये वक़्ती तौर पर और अंजाम के ए'तिबार से ये (ख़ैर है) तो इसे मेरे लिये नसीब कर और इसका हुसूल मेरे लिये आसान कर और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन, दुनिया और मेरे काम के अंजाम के ए'तिबार से

١١٦٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُوْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ: ((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ. ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ: وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)).

[طرفاه في: ٦٣٨٢، ٧٣٩٠].

बुरा है या (आप ﷺ ने ये कहा कि) मेरे मामले में वक़्ती तौर पर और अंजाम के ए'तिबार से (बुरा है) तो इसे मुझसे हटा दे और मुझे भी इससे हटा दे। फिर मेरे लिये ख़ैर मुक़द्दर फ़र्मा दे, जहाँ भी वो हो और उससे मेरे दिल को मुत्मईन भी कर दे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस काम की जगह उस काम का नाम लें।

(दीगर मक़ाम : 6372, 7390)

तश्रीह : इस्तिख़ारे से कामों में बरकत पैदा होती है, ये ज़रूरी नहीं कि इस्तिख़ारा करने के बाद कोई ख़्वाब भी देखा जाए या किसी दूसरे ज़रिये से ये मा'लूम हो जाए कि पेश आने वाला मुआमले में कौनसी रविश मुनासिब है। इस तरह ये भी ज़रूरी नहीं है कि तबई रुज्हान ही की हद तक कोई बात इस्तिख़ारा से दिल में पैदा हो जाए। हदीष़ में इस्तिख़ारा के ये फ़वाइद कहीं बयान नहीं हुए हैं और वाक़िआत से भी पता चलता है कि इस्तिख़ारा के बाद कुछ औक़ात उनमें से कोई चीज़ हासिल नहीं होती बल्कि इस्तिख़ारा का मक़्सद सिर्फ़ तलबे ख़ैर है। जिस काम का इरादा है या जिस मुआमले में आप उलझे हुए हैं गोया इस्तिख़ारा के ज़रिये आपने उसे अल्लाह के इल्म और क़ुदरत के हवाले कर दिया है और उसकी बारगाह में हाज़िर होकर पूरी तरह उस पर तवक्कल का वा'दा कर लिया। 'मैं तेरे इल्म के वास्ते से तुझसे ख़ैर तलब करता हूँ और तेरी क़ुदरत के वास्ते से तुझसे ताक़त माँगता हूँ और तेरे फ़ज़्ल का ख़्वास्तगार हूँ।' ये तवक्कल और तफ़्वीज़ नहीं तो और क्या है रज़ा बिल क़ज़ा की दुआ के आख़िरी अल्फ़ाज़ 'मेरे लिये ख़ैर मुक़द्दर फ़र्मा दीजिए जहाँ भी वो हो और इस पर मेरे दिल को मुत्मईन कर दे।' ये इत्मीनान की भी दुआ करता है कि दिल में अल्लाह के फ़ैसले के ख़िलाफ़ किसी क़िस्म का ख़तरा भी न पैदा हो। दरअसल इस्तिख़ारा की इस दुआ के ज़रिये बन्दा अव्वल तो तवक्कल का वा'दा करता है और फिर ष़ाबितक़दमी और रज़ा बिल क़ज़ा की दुआ करता है कि ख़्वाह मुआमले का फ़ैसला मेरी ख़्वाहिश के ख़िलाफ़ ही क्यूँ न हो, हो वो ख़ैर ही और मेरा दिल मुत्मईन और राज़ी हो जाए। अगर वाक़ई कोई ख़ालिस़ दिल से अल्लाह के हुज़ूर में ये दोनों बातें पेश कर दे तो उसके काम में अल्लाह तआला का फ़ज़्लो-करम से बरकत यक़ीनन होगी। इस्तिख़ारा का सिर्फ़ यही फ़ायदा है और उससे ज़्यादा और क्या चाहिये? (तफ़्हीमुल बुख़ारी) हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ इस हदीष़ को इसलिये लाए कि उसमें नफ़्ल नमाज़ दो रकअत पढ़ने का ज़िक्र है और यही बाब का तर्जुमा है।

١١٦٣- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيِّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)).[راجع: ٤٤٤]

1163. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन सईद ने, उनसे आमिर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उन्होंने अ़मर बिन सुलैम ज़रक़ी से, उन्होंने अबू क़तादा बिन रबई अन्सारी स़हाबी (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब कोई तुम में से मस्जिद में आए तो न बैठे जब तक दो रकअ़त (तहिय्यतुल मस्जिद) न पढ़ ले।

(राजेअ़ : 444)

١١٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

1164. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तल्हा ने और उन्हें अनस बिन मालिक

(रज़ि.) ने कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हमारे घर जब दा'वत में आए थे) दो रकअत नमाज़ पढ़ाई और फिर वापस तशरीफ़ ले गये। (राजेअ: 380)

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ)). [راجع: ٣٨٠]

1165. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने अक़ील से बयान किया, अक़ील से इब्ने शिहाब ने, उन्होंने कहा कि मुझे सालिम ने ख़बर दी और उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, आप ने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ज़ुहर से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ी और ज़ुहर के बाद दो रकअत और जुम्आ के बाद दो रकअत और मग़रिब के बाद दो रकअत और इशा के बाद भी दो रकअत (नमाज़े-सुन्नत) पढ़ी है। (राजेअ: 938)

١١٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ)). [راجع: ٩٣٧]

1166. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमें शुअबा ने ख़बर दी, उन्हें अम्र बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुम्आ का ख़ुत्बा देते हुए फ़र्माया कि जो शख़्स भी (मस्जिद में) आए और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो या ख़ुत्बा के लिये निकल चुका हो तो वो दो रकअत नमाज़ (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ ले। (राजेअ: 930)

١١٦٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ - أَوْ قَدْ خَرَجَ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)). [راجع: ٩٣٠]

1167. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सैफ़ बिन सुलैमान ने बयान किया कि मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) (मक्का शरीफ़ में) अपने घर आए, किसी ने कहा बैठे क्या हो, आँहज़रत (ﷺ) ये आ गये बल्कि का'बा के अन्दर भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं। अब्दुल्लाह ने कहा ये सुनकर मैं आया। देखा तो आँहज़रत (ﷺ) का'बा से बाहर निकल चुके हैं और बिलाल (रज़ि.) दरवाज़े पर खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा कि ऐ बिलाल! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने का'बा में नमाज़ पढ़ी? उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ी थी। मैंने पूछा कि कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने बताया कि यहाँ दो सुतूनों के दरम्यान, फिर आप बाहर तशरीफ़ लाए और दो रकअत का'बा

١١٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: ((أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ فَقِيْلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ. قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: يَا بِلاَلُ، أَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ؟ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ،

ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)). وَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْصَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِرَكْعَتَي الضُّحَى وَقَالَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ)).[راجع: ٣٩٧]

के दरवाज़े के सामने पढ़ीं और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने चाश्त की दो रकअ़तों की वसिय्यत की थी और इतबान ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और अबूबक्र और उ़मर (रज़ि.) सुबह दिन चढ़े मेरे घर तशरीफ़ लाए। हमने आप (ﷺ) के पीछे सफ़ बना ली और आँहज़रत (ﷺ) ने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई। (राजेअ़ : 397)

इन तमाम रिवायतों से इमाम बुख़ारी (रह.) ये बताना चाहते हैं कि नफ़्ल नमाज़ ख़्वाह दिन ही में क्यूँ न पढ़ी जाएँ, दो-दो रकअ़त करके पढ़ना अफ़ज़ल है। इमाम शाफ़िई (रह.) का भी यही मसलक है।

٢٦- بَابُ الْحَدِيْثِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

बाब 26 : फ़ज्र की सुन्नतों के बाद बातें करना

١١٦٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلاَّ اضْطَجَعَ)) قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ ذَاكَ.
[راجع: ١١١٨]

1168. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अबुन नज़र सालिम ने बयान किया कि मुझसे मेरे बाप अबू उमय्या ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब दो रकअ़त (फ़ज्र की सुन्नत) पढ़ लेते तो उस वक़्त अगर मैं जाग रही होती तो आप मुझसे बातें करते वरना लेट जाते। मैंने सुफ़यान से कहा कि बाज़ रावी फ़ज्र की दो रकअ़तें इसे बताते हैं तो उन्होंने फ़र्माया कि हाँ ये वही हैं।
(राजेअ़ : 1118)

उसैली के नुस्ख़े में यूँ है। क़ाल अबुन्नज्र हद्दषनी अन अबी सल्मत सुफ़यान ने कहा कि मुझको ये ह़दीष़ अबुन्नज़र ने अबू सलमा से बयान की। इस नुस्ख़े में गोया अबुन्नज़र के बाप का ज़िक्र नहीं है।

٢٧- بَابُ تَعَاهُدِ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

बाब 27 : फ़ज्र की सुन्नत की दो रकअ़तें हमेशा लाज़िम कर लेना और उनके सुन्नत होने की दलील

١١٦٩- حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمْ يَكُنِ

1169. हमसे बयान बिन अ़म्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे अ़ता ने बयान किया, उनसे उ़बैद बिन उ़मैर ने, उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) किसी नफ़्ल

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ)).

नमाज़ की फ़ज्र की दो रकअ़तों से ज़्यादा पाबन्दी नहीं करते थे।

तश्रीह : इस हदीष़ में ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़ज्र की सुन्नतों को भी लफ़्ज़े नफ़्ल ज़िक्र किया है। पस बाब और हदीष़ में मुताबक़त हो गई, ये भी मा'लूम हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) ने उन सुन्नतों पर मुदावमत फ़र्माई है। लिहाज़ा सफ़र व ह़ज़र कहीं भी इनका तर्क करना अच्छा नहीं है।

٢٨- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

बाब 28 : बाब फ़ज्र की सुन्नतों में क़िरअत कैसी करें?

١١٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)). [راجع: ٦٢٦]

1170. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उ़र्वा ने, उन्हें उनके बाप (उ़र्वा बिन ज़ुबैर) ने और उन्हें ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में तेरह रकअ़तें पढ़ते थे। फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो दो हल्की रकअ़तें (सुन्नते-फ़ज्र) पढ़ लेते।

(राजेअ़ : 626)

इस ह़दीष़ में इस त़रफ़ इशारा है कि फ़ज्र की सुन्नतों में छोटी-छोटी सूरतों को पढ़ना चाहिये, आप (ﷺ) के हल्का करने का यही मत़लब है।

١١٧١- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ)).

1171. मुझसे मुह़म्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुह़म्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़्मान ने, उनसे उनकी फ़ूफ़ी अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रह़्मान ने और उनसे ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (दूसरी सनद) और हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद अन्स़ारी ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़्मान ने, उनसे अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रह़्मान ने और उनसे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) सुबह की (फ़र्ज़) नमाज़ से पहले की दो (सुन्नत) रकअ़तों को बहुत मुख़्तस़र रखते थे। आप (ﷺ) ने उनमें सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी या नहीं मैं ये भी नहीं कह सकती।

ये मुबालग़ा है या'नी बहुत हल्की-फुल्की पढ़ते थे। इब्ने माजा में है कि आप (ﷺ) उनमें सूरह काफ़िरून और सूरह इख़्लास़ पढ़ा करते थे।

बाब 29 : फ़र्ज़ों के बाद सुन्नत का बयान

٢٩- بَابُ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

1172. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे नाफ़ेअ ने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ ज़ुहर से पहले दो रकअत, ज़ुहर के बाद दो रकअत सुन्नत, मग़रिब के बाद दो रकअत सुन्नत, इशा के बाद दो रकअत सुन्नत और जुम्आ के बाद दो रकअत सुन्नत पढ़ी है और मग़रिब और इशा की सुन्नतें आप घर में पढ़ते थे। अबुज़्ज़िनाद ने मूसा बिन उक़्बा के वास्ते से बयान किया और उनसे नाफ़ेअ ने कि इशा के बाद अपने घर में (सुन्नत पढ़ते थे) उनकी रिवायत की मुताबक़त कष़ीर बिन फ़रक़द और अय्यूब ने नाफ़ेअ के वास्ते से की है।

(राजेअ : 937)

١١٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ)). وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ((بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ)). تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ. [راجع: ٩٣٧]

1173. उनसे (इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि) मेरी बहन हफ़्सा ने मुझसे बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) फ़ज्र होने के बाद दो हल्की रकअतें (सुन्नते-फ़ज्र) पढ़ते थे और ये ऐसा वक़्त होता कि मैं नबी करीम (ﷺ) के पास नहीं जाती थी। उबैदुल्लाह के साथ इस हदीष़ को कष़ीर बिन फ़रक़द और अय्यूब ने भी नाफ़ेअ से रिवायत किया और इब्ने अबुज़्ज़िनाद ने इस हदीष़ को मूसा बिन उक़्बा से, उन्होंने नाफ़ेअ से रिवायत किया। इस में फ़ी बैतिही के बदले फ़ी अहलिही है।

(राजेअ : 618)

١١٧٣- وَحَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا)).
تَابَعَهُ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ ((بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أَهْلِهِ)).
[راجع: ٦١٨]

ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने इसलिये कहा कि फ़ज्र से पहले और इशा की नमाज़ के बाद और ठीक दोपहर को घर के कामकाजी लोगों को भी इजाज़त लेकर जाना चाहिये, उस वक़्त ग़ैर लोग आप (ﷺ) से कैसे मिल सकते। इसलिये इब्ने उमर (रज़ि.) ने उन सुन्नतों का हाल अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हफ़्सा (रज़ि.) से सुनकर मा'लूम किया।

बाब 30 : इस बारे में जिसने फ़र्ज़ के बाद सुन्नत नमाज़ नहीं पढ़ी

٣٠- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

1173. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया,

١١٧٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने अ़म्र बिन दीनार से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अबुश्शअ़शाअ बिन जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह से सुना। उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ आठ रकअ़त एक साथ (ज़ुहर और अ़स्र) और सात रकअ़त एक साथ (मग़्रिब और इशा मिलाकर) पढ़ी। (बीच में सुन्नत वगैरह कुछ नहीं) अबुश्शअ़शाअ से मैंने कहा मेरा ख़याल है कि आप (ﷺ) ने ज़ुहर आख़िर वक़्त में और अ़स्र अव्वल वक़्त में पढ़ी होगी, इस तरह मग़्रिब आख़िर वक़्त में पढ़ी होगी और इशा अव्वल वक़्त में। अबुश्शअ़शाअ ने कहा कि मेरा भी यही ख़याल है। (राजेअ़ : 573)

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ جَابِرًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا)) قُلْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ، أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّهُ.

[راجع: ٥٤٣]

ये अ़म्र बिन दीनार का ख़याल है वरना ये ह़दीष़ साफ़ है कि दो नमाज़ों का जमा करना जाइज़ है। दूसरी रिवायत में है कि ये वाक़िआ मदीना मुनव्वरा का है न वहाँ कोई ख़ौफ़ था न कोई बन्दिश थी। ऊपर गुज़र चुका है कि अहले ह़दीष़ के नज़दीक ये जाइज़ है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ से ये निकाला कि सुन्नतों का तर्क करना जाइज़ है और सुन्नत भी यही है कि जमा करे तो सुन्नतें न पढ़े। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

बाब 31 : सफ़र में चाश्त की नमाज़ पढ़ना

٣١- بَابُ صَلاَةِ الضُّحَى فِي السَّفَرِ

1175. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे शुअ़बा बिन हज्जाज ने, उनसे तौबा बिन कैसान ने, उनसे मुवर्रक़ बिन मश्मरख़ ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से पूछा कि क्या आप चाश्त की नमाज़ पढ़ते हैं? उन्होंने फ़र्माया कि नहीं! मैंने पूछा और उ़मर पढ़ते थे? आपने फ़र्माया नहीं! मैंने पूछा और अबूबक्र (रज़ि.)? फ़र्माया नहीं! मैंने पूछा और नबी करीम (ﷺ)? फ़र्माया नहीं! मेरा ख़याल यही है। (राजेअ़ : 77)

١١٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ: ((قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَأَبُوبَكْرٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ : لاَ إِخَالُهُ)).

[راجع: ٧٧]

तश्रीह़ : कुछ शारेह किराम का कहना है कि बज़ाहिर इस ह़दीष़ और बाब में मुत़ाबक़त नहीं है। अल्लामा क़स्त़लानी (रह.) फ़र्माते हैं **फ़हमलल्ख़त्ताबी अ़ला गलतिन्नाकिलि वब्नुल्मुनीर अन्नहू लम्मा तआरज़त इन्दहू अहादीषुहा नफ़्यन कहदीषिब्नि उ़मर हाज़ा व इष्बातन कअबी हुरैरत फिल्वसिय्यति बिहा नज़ल हदीषन्नफ़्यि अलस्सफ़रि व हदीष़ल्इष्बाति अलल्हज़्रि व युअय्यिदु ज़ालिक अन्नहू तरज्जम लिहदीषि अबी हुरैरत बिसलातिज़्ज़ुहा फिल्हज़्रि मअ़ मा यअज़ुदुहू मिन कौलिब्नि उ़मर लौ कुन्तु मुसब्बिहन लअत़मम्तु फिस्सफ़रि कालहू इब्नु हजर** या'नी ख़त्ताबी ने इस बाब को नाक़िल की ग़लती पर महमूल किया है और इब्ने मुनीर का कहना ये है कि ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक नफ़ी और इष्बात की अह़ादीष़ में तआरुज़ था, उसको उन्होंने इस तरह दूर किया कि ह़दीष़े इब्ने उ़मर (रज़ि.) को जिसमें नफ़ी है सफ़र पर महमूल किया और ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) को जिसमें वस़िय्यत का ज़िक्र है और जिससे इष्बात ष़ाबित हो रहा है, उसको हज़र पर महमूल किया। इस अम्र की उससे भी ताईद हो रही है कि ह़दीष़े अबू हुरैरह (रज़ि.) पर ह़ज़रत इमाम (रह.) ने **स़लातुज़्ज़ुहा फ़िल्हज़र** का बाब मुनअ़क़िद किया है और नफ़ी के बारे में ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) के इस क़ौल से भी ताईद होती है जो उन्होंने फ़र्माया कि अगर मैं सफ़र में नफ़्ल पढ़ता तो

नमाज़ों को ही पूरा क्यूँ न पढ़ लेता, पस मा'लूम हुआ कि नफ़ी से उनकी सफ़र में नफ़ी मुराद है और हज़राते शैख़ैन का फ़ेअल भी सफ़र से मुता'ल्लिक़ है कि वो हज़रात सफ़र में नफ़्ल नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे।

1176. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन मुर्रा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से सुना, वो कहते थे कि मुझ से उम्मे हानी (रज़ि.) के सिवा किसी (सहाबी) ने ये नहीं बयान किया कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को चाश्त की नमाज़ पढ़ते देखा है। सिर्फ़ उम्मे हानी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फ़तहे-मक्का के दिन आप (ﷺ) उनके घर तशरीफ़ लाए, आप (ﷺ) ने ग़ुस्ल किया और आठ रकअत (चाश्त की) नमाज़ पढ़ी। तो मैंने ऐसी हल्की-फुल्की नमाज़ कभी नहीं देखी अलबत्ता आप (ﷺ) रुकूअ और सज्दे पूरी तरह अदा करते थे। (राजेअ : 1103)

١١٧٦- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: مَا حَدَّثَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِىءٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلاَةً قَطُّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)). [راجع: ١١٠٣]

तश्रीह : हदीषे उम्मे हानी में है कि आँहज़रत (ﷺ) की जिस नमाज़ का ज़िक्र है। शारेहीन ने उसके बारे में इख़्तिलाफ़ किया है, कुछ ने उसे शुक्राना की नमाज़ क़रार दिया है। मगर हक़ीक़त यही है कि ये ज़ुहा की नमाज़ थी। अबू दाऊद में वज़ाहत है कि **सल्ला सुब्हतज्जुहा** या'नी आप (ﷺ) ने ज़ुहा के नफ़्ल अदा किये और मुस्लिम ने किताबुत्तहारत में नक़ल किया **सल्ला षमान रकआतिन सुब्हतज्जुहा** या'नी फिर आँहज़रत (ﷺ) ने ज़ुहा की आठ रकअत नफ़्ल अदा फ़र्माई और तम्हीदे इब्ने अब्दुल बर्र में है कि **क़ालत क़दिम अलैहिस्सलाम मक्कत फसल्ला षमान रक्आतिन फकुल्तु मा हाजिहिस्सलातु क़ाल हाजिही सलातुज्जुहा वशशम्सि व जुहाहा** हज़रत उम्मे हानी कहती हैं कि हुज़ूर मक्का शरीफ़ तशरीफ़ लाए और आप (ﷺ) ने आठ रकअत पढ़ीं। मैंने पूछा कि ये कैसी नमाज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये ज़ुहा की नमाज़ है। इमाम नववी (रह.) ने इस हदीष से दलील पकड़ी है कि सलातुज़्ज़ुहा का मसनून तरीक़ा आठ रकअत अदा करना है। यूँ रिवायात में कम व ज़्यादा भी आई हैं। कुछ रिवायात में कम से कम ता'दाद दो रकअत भी मज़्कूर है। बहरहाल बेहतर ये है कि सलातुज़्ज़ुहा पर मुदावमत की जाए क्योंकि तबरानी औसत में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की एक हदीष में मज़्कूर है कि जन्नत में एक दरवाज़े का नाम ही बाबुज़्ज़ुहा है जो लोग नमाज़े ज़ुहा पर मुदावमत करते हैं, उनको उस दरवाज़े से जन्नत में दाख़िल किया जाएगा। उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया था कि ज़ुहा की नमाज़ में सूरह **वशशम्सु वज़्ज़ुहाहा** और **वज़्ज़ुहा** पढ़ा करो। इस नमाज़ का वक़्त सूरज के बुलन्द होने से ज़वाल तक है। (क़स्तलानी रह.)

बाब 32 : चाश्त की नमाज़ पढ़ना और उसको ज़रूरी न समझना

٣٢- بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

1177. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने अबी ज़ुहैब ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर ने, उनसे हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को चाश्त की

١١٧٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي

नमाज़ पढ़ते नहीं देखा, मगर ख़ुद पढ़ती हूँ। (राजेअ : 1128)

لَأُسَبِّحُهَا)).[راجع: ١١٢٨]

तश्रीह : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने सिर्फ़ अपनी रुइयत की नफ़ी की है वरना बहुत सी रिवायात में आप (ﷺ) का ये नमाज़ पढ़ना मज़्कूर है। हज़रत आइशा (रज़ि.) के ख़ुद पढ़ने का मत़लब ये है कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से उस नमाज़ के फ़ज़ाइल सुने होंगे। पस मा'लूम हुआ कि इस नमाज़ की अदायगी बाइ़षे अज्रो–षवाब है।

इस लफ़्ज़ से कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को पढ़ते नहीं देखा, बाब का मत़लब निकलता है क्योंकि उसका पढ़ना ज़रूरी होता तो वो आँहज़रत (ﷺ) को हर रोज़ पढ़ते देखतीं। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के न देखने से चाश्त की नमाज़ की नफ़ी नहीं होती। एक जमाअ़ते स़ह़ाबा ने उसको रिवायत किया है। जैसे अनस, अबू हुरैरह, अबू ज़र, अबू उसामा, उ़क़्बा बिन अ़ब्द, इब्ने अबी औफ़ा, अबू सईद, ज़ैद बिन अरक़म, इब्ने अ़ब्बास, जुबैर बिन मुत़इम, हुज़ैफ़ा, इब्ने उ़मर, अबू मूसा, इत्बान, उ़क़्बा बिन आ़मिर, अ़ली, मुआज़ बिन अनस, अबूबक्र और अबू मुर्रह (रज़ि.) वग़ैरह ने इतबान बिन मालिक की ह़दीष़ ऊपर कई बार इस किताब में गुज़र चुकी है और इमाम अहमद ने इसको इस लफ़्ज़ में निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने उनके घर में चाश्त के नफ़्ल पढ़े। सब लोग आप (ﷺ) के पीछे खड़े हुए और आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी।(वह़ीदी)

बाब 33 : चाश्त की नमाज़ अपने शहर में पढ़े, ये इत्बान बिन मालिक ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है

٣٣- بَابُ صَلاَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ، قَالَهُ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1178. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें शुअ़बा ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमसे अ़यास जरीरी ने जो फ़र्रूख़ के बेटे थे, बयान किया, उनसे उ़ष्मान नह्दी ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे मेरी जानी दोस्त (नबी करीम ﷺ) ने तीन चीज़ों की वस़िय्यत की है कि मौत से पहले उनको न छोड़ो। हर महीने में तीन दिन रोज़े, चाश्त की नमाज़ और वित्र पढ़कर सोना।

(दीगर मक़ाम : 1981)

١١٧٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ هُوَ الْجُرَيْرِيُّ هُوَ ابْنُ فَرُّوخَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ)).[طرفه في: ١٩٨١].

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद ये है कि जिन रिवायात में स़लाते ज़ुह़ा की नफ़ी वारिद हुई है वो नफ़ी सफ़र की ह़ालत में है फिर भी उसमें भी वुस्अ़त है और जिन रिवायात में इस नमाज़ के लिये इष़्बात आया है वहाँ ह़ालते ह़ज़र मुराद है। हर माह में तीन दिन के रोज़े से अय्यामे बीज़ या'नी 13, 14, 15 तारीख़ों के रोज़े मुराद है।

1179. हमसे अ़ली बिन जअ़द ने बयान किया कि हमको शुअ़बा ने ख़बर दी, उनसे अनस बिन सीरीन ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक अन्स़ारी (रज़ि.) से सुना कि अन्स़ार में से एक शख़्स (इत्बान बिन मालिक रज़ि.) ने जो बहुत मोटे आदमी थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि मैं

١١٧٩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ قَالَ:

((قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - وَكَانَ ضَخْمًا - لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ. فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ الْجَارُوْدِ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ)).

[راجع: ٦٧٠]

आपके साथ नमाज़ पढ़ने की ताक़त नहीं रखता (मुझको घर पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए तो) उन्होंने अपने घर नबी करीम (ﷺ) के लिये खाना पकवाया और आप (ﷺ) को अपने घर बुलाया और एक चटाई के किनारे को आप (ﷺ) के लिये पानी से साफ़ किया। आप (ﷺ) ने उस पर दो रकअत नमाज़ पढ़ी और फलाँ बिन फलाँ बिन जारूद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा कि नबी करीम (ﷺ) चाश्त की नमाज़ पढ़ा करते थे, तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने इस दिन के सिवा आपको कभी ये नमाज़ पढ़ते नहीं देखा।

(राजेअ: 680)

तश्रीह: हज़रत इमाम (रह.) ने मुख़्तलिफ़ मक़ासिद के तहत इस हदीष को कई जगह रिवायत फ़र्माया है। यहाँ आपका मक़्सद उससे ज़ुहा की नमाज़ की हालते हज़र में पढ़ना और कुछ मौक़ों पर जमाअत से भी पढ़ने का जवाज़ षाबित करना है। बिल फ़र्ज़ बक़ौल हज़रत अनस (रज़ि.) के सिर्फ़ उसी मौक़े पर आप (ﷺ) ने ये नमाज़ पढ़ी तो षुबूत मुद्दआ के लिये आप (ﷺ) का एक बार काम को कर लेना भी काफ़ी वाफ़ी है। यूँ कई मौक़ों पर आप से उस नमाज़ के पढ़ने का षुबूत मौजूद है। मुम्किन है हज़रत अनस (रज़ि.) को उस दौरान आप (ﷺ) के साथ होने का मौक़ा न मिला हो।

٣٤- بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

बाब 39 : ज़ुहर से पहले दो रकअत सुन्नत पढ़ना

١١٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا)). [راجع: ٩٣٧]

1180. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि मुझे नबी करीम (ﷺ) से दस रकअत सुन्नतें याद है। दो रकअत सुन्नत ज़ुहर से पहले, दो रकअत सुन्नत ज़ुहर के बाद, दो रकअत सुन्नत मग़िरब के बाद, दो रकअत सुन्नत इशा के बाद अपने घर में और दो रकअत सुन्नत सुबह की नमाज़ से पहले और ये वो वक़्त होता था, जब आप (ﷺ) के पास कोई नहीं जाता था।

(राजेअ: 937)

١١٨١- حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)). [راجع: ٦١٨]

1181. मुझको उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने बतलाया कि मुअज़्ज़िन जब अज़ान देता और फ़ज्र हो जाती तो आप (ﷺ) दो रकअत पढ़ते। (राजेअ: 617)

١١٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى

1182. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, कहा कि

हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, कहा कि हमसे शुअ़बा ने, उनसे इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने, उनसे उनके बाप मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर से पहले चार रकअ़त सुन्नत और सुबह की नमाज़ से पहले दो रकअ़त सुन्नत नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ते थे यह्या के साथ इस हदीष़ को इब्ने अबी अ़दी और अ़म्र बिन मरज़ूक़ ने शुअ़बा से रिवायत किया है।

قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.

ये हदीष़ बाब के मुताबिक़ नहीं क्योंकि बाब में दो रकअ़तें ज़ुहर से पहले पढ़ने का ज़िक्र है और शायद बाब के तर्जुमा का ये मत़लब हो कि ज़ुहर से पहले दो ही रकअ़तें पढ़ना ज़रूरी नहीं, चार भी पढ़ सकता है।

बाब 35 : मग़्रिब से पहले सुन्नत पढ़ना

٣٥- بَابُ الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

1173. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उनसे हुसैन मुअ़मल ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी (रज़ि.) ने बयान किया, उनसे नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि मग़्रिब के फ़र्ज़ से पहले (सुन्नत की दो रकअ़त) पढ़ा करो। तीसरी मर्तबा आपने यूँ फ़र्माया कि जिसका जी चाहे क्योंकि आपको ये बात पसन्द न थी कि लोग इसे लाज़मी समझ बैठें। (दीगर मक़ाम : 7368)

١١٨٣- حَدَّثَنَا أَبُومَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ)) - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ:- ((لِمَنْ شَاءَ)). كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. [طرفه في: ٧٣٦٨].

हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है कि मग़रिब की जमाअ़त से पहले इन दो रकअ़तों को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकता है।

1184. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, कहा कि मुझसे यज़ीद बिन अबी हबीब से बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मरष़द बिन अ़ब्दुल्लाह यज़नी से सुना कि मैं उ़क़्बा बिन आ़मिर जुहनी सहाबी (रज़ि.) के पास आया और अ़र्ज़ किया आप को अबू तमीम अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक पर ता'ज्जुब नहीं आया कि वो मग़्रिब की नमाज़े-फ़र्ज़ से पहले दो रकअ़त नफ़्ल पढते हैं। इस पर उ़क़्बा ने फ़र्माया कि हम भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इसे पढ़ते थे। मैंने कहा फिर अब इसके छोड़ने की क्या वजह है? उन्होंने फ़र्माया कि दुनिया का कारोबार मानेअ़ है।

١١٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ: ((أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيْمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. فَقَالَ عُقْبَةُ : إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قُلْتُ : فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ)).

तश्रीह : दोनों अहादीष़ से ष़ाबित हुआ कि अब भी मौक़ा मिलने पर मग़्रिब से पहले उन दो रकअ़तों को पढ़ा जा सकता है, अगरचे पढ़ना ज़रूरी नहीं मगर कोई पढ़ ले तो यक़ीनन मोजिबे अज्रो—ष़वाब होगा। कुछ लोगों ने कहा कि

बाद में उनके पढ़ने से रोक दिया गया। ये बात बिलकुल ग़लत है पिछले सफ़्हात में उन दो रकअतों के इस्तिह़बाब पर रोशनी डाली जा चुकी है। अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक जष़ानी ये ताबेई मुख़ज़्रम था या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) के ज़माने में मौजूद था, पर आपसे नहीं मिला। ये मिस्र में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) के ज़माने में आया था फिर वहीं रह गया। एक जमाअ़त ने उनको स़ह़ाबा में गिना। इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि मग़रिब का वक़्त लम्बा है और जिसने इसको थोड़ा क़रार दिया उसका क़ौल बेदलील है। मगर ये रकअ़तें जमाअ़त खड़ी होने से पहले पढ़ लेना मुस्तह़ब है। (वह़ीदी)

बाब 36 : नफ़्ल नमाज़ें जमाअ़त से पढ़ना, इसका ज़िक्र अनस (रज़ि.) और आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से किया है

٣٦- بَابُ صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً، ذَكَرَهُ أَنَسٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

तश्रीह़ : इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब के मतलब पर अनस (रज़ि.) की ह़दीष़ से दलील ली जो ऊपर गुज़र चुकी है और ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ह़दीष़ भी बाब क़यामुल्लैल में गुज़र चुकी है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की ह़दीष़ से मुराद कुसूफ़ की ह़दीष़ है। जिसमें आप (ﷺ) ने जमाअ़त से नमाज़ पढ़ी। इन अह़ादीष़ से नफ़्ल नमाज़ों में जमाअ़त का जवाज़ ष़ाबित होता है और कुछ ने तदाई या'नी बुलाने के साथ उनमें इमामत मकरूह रखी है। अगर ख़ुद बख़ुद कुछ आदमी जमा हो जाएँ तो इमामत मकरूह नहीं है। (वह़ीदी)

1185. हमसे इस्ह़ाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे हमारे बाप इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने कहा कि मुझे महमूद बिन रबीअ़ अन्सारी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उन्हें नबी करीम (ﷺ) याद हैं और आप (ﷺ) की वो कुल्ली भी याद है जो आप (ﷺ) ने उनके घर के कुएँ से पानी लेकर उनके मुँह में की थी।

١١٨٥- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ ((أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ)).

1186. महमूद ने कहा कि मैंने इत्बान बिन मालिक अन्सारी (रज़ि.) से सुना जो बद्र की लड़ाई में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ शरीक थे, वो कहते थे कि मैंने अपनी क़ौम बनी सालिम को नमाज़ पढ़ाया करता था, मेरे (घर) और क़ौम की मस्जिद के बीच में एक नाला था, और जब बारिश होती तो उसे पार करके मस्जिद तक पहुँचाना मेरे लिये मुश्किल हो जाता था। चुनाँचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे मैंने कहा कि मेरी आँखें ख़राब हो गई है और एक नाला है जो मेरे और मेरी क़ौम के दरम्यान पड़ता है, वो बारिश के दिनों में बहने लग जाता है और मेरे लिये उसका पार करना मुश्किल हो जाता है। मेरी ये ख़्वाहिश है कि आप तशरीफ़ लाकर मेरे घर किसी जगह नमाज़ पढ़ दें ताकि मैं उसे अपने लिये नमाज़ पढ़ने की जगह

١١٨٦- فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ- يَقُولُ ((كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بِبَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ. فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ

تَأْتِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((سَأَفْعَلُ)). فَغَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجَالُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لاَ أَرَاهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟)) فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، أَمَّا نَحْنُ فَوَ اللهِ لاَ نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيثَهُ إِلاَّ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ)). قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - فِي غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ بِأَرْضِ الرُّومِ - فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ. فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيَّ، فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ سَلَّمَنِي حَتَّى أَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ

मुक़र्रर कर लूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारी ये ख़्वाहिश जल्दी ही पूरी करूँगा। फिर दूसरे ही दिन आप (ﷺ) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को साथ लेकर सुबह तशरीफ़ ले आए और आपने इजाज़त चाही, मैंने इजाज़त दे दी। आप (ﷺ) तशरीफ़ लाकर बैठे भी नहीं बल्कि पूछा कि तुम अपने घर में किस जगह मेरे लिये नमाज़ पढ़ना पसन्द करोगे। मैं जिस जगह को नमाज़ के लिये पसन्द कर चुका था, उसकी तरफ़ मैंने इशारा कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहाँ खड़े होकर तकबीरे-तह्रीमा कही और हम सबने आपके पीछे सफ़ बाँध ली। आप (ﷺ) ने हमें दो रकअ़त पढ़ाई फिर सलाम फेरा। हमने भी आप (ﷺ) के साथ सलाम फेरा। मैंने हलीम खाने के लिये आप (ﷺ) को रोक लिया, जो तैयार हो रहा था। मुहल्ले वालों ने जो सुना कि आप (ﷺ) मेरे घर तशरीफ़ फ़र्मा हैं तो लोग जल्दी-जल्दी जमा होने शुरू हो गए और घर में एक ख़ासा मज़मा हो गया। उनमें से एक शख़्स बोला, मालिक को क्या हो गया है? यहाँ दिखाई नहीं देता। इस पर दूसरा बोला वो तो मुनाफ़िक़ है, उसे अल्लाह और रसूल से मुहब्बत नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया, ऐसा मत कहो! देखते नहीं कि वो लाइलाह इलल्लाह पढ़ता है और इससे उसका मक़सद अल्लाह तआ़ला की खुशनूदी है। तब वो कहने लगा कि (अ़सल हाल) तो अल्लाह और रसूल ही को मा'लूम है। लेकिन वल्लाह! हम तो उनकी बातचीत और मेलजोल ज़ाहिर में मुनाफ़िक़ों ही से देखते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, लेकिन अल्लाह तआ़ला ने हर उस आदमी पर दोज़ख़ हराम कर दी है, जिसने ला इलाह इलल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के लिये कह लिया। मह्मूद बिन रबीअ़ ने बयान किया कि मैंने ये हदीष़ एक ऐसी जगह में बयान की जिसमें आँहज़रत (ﷺ) के मशहूर सहाबी हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) भी मौजूद थे। ये रूम के उस जिहाद का ज़िक्र है, जिसमें आपकी मौत वाक़ेअ़ हुई थी। फौज का सरदार यज़ीद बिन मुआ़विया था। अबू अय्यूब ने इस हदीष़ से इन्कार किया और फ़र्माया कि अल्लाह

وَجَدْتُهُ حَيًّا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ - أَوْ بِعُمْرَةٍ - ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَيْتُ بَنِي سَالِمٍ، فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ أَعْمَى يُصَلِّي لِقَوْمِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَخْبَرْتُهُ مَنْ أَنَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيْثِ، فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.

[راجع:٤٢٤]

की क़सम! मैं नहीं समझता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी बात कभी भी कही हो। आपकी गुफ़्तगू मुझको बहुत नागवार गुज़री और मैंने अल्लाह तआला की मन्नत मानी कि अगर मैं इस जिहाद से सलामती के साथ लौटा तो वापसी पर इस ह़दीष़ के बारे में इत्बान बिन मालिक (रज़ि.) से ज़रूर पूछूँगा, अगर मैंने उन्हें उनकी क़ौम की मस्जिद में ज़िन्दा पाया। आख़िर मैं जिहाद से वापस हुआ। पहले तो मैंने ह़ज्ज व उ़म्रह का एहराम बाँधा फिर जब मदीना वापसी हुई तो मैं क़बीला बनू सालिम में आया। ह़ज़रत इत्बान (रज़ि.) जो बूढ़े और नाबीना हो गये थे, अपनी क़ौम को नमाज़ पढ़ाते हुए मिले। सलाम फेरने के बाद मैंने हाज़िर होकर आपको सलाम किया और बतलाया कि मैं फलाँ हूँ। फिर मैंने इस ह़दीष़ के मुता'ल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आपने मुझ से इस मर्तबा भी उसी त़रह ये ह़दीष़ बयान की, जिस त़रह पहले बयान की थी। (राजेअ : 424)

तश्रीह : यह 50 हिज्री का वाक़िआ़ है। जब ह़ज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) ने क़ुस्तुन्तुनिया पर फ़ौज भेजी थी और उसका मुह़ासरा (घेराव) कर लिया था। इस लश्कर के अमीर मुआविया (रज़ि.) का बेटा यज़ीद था। जो बाद में ह़ादष-ए-करबला की वजह से तारीख़े इस्लाम में मलऊन हुआ। इस फ़ौज में अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) भी शामिल थे जो आँह़ज़रत (ﷺ) की मदीना में तशरीफ़ आवरी पर अव्वलीन मेज़बान हैं। उनकी मौत उसी मौक़े पर हुई और क़ुस्तुन्तुनिया के क़िले की दीवार के नीचे दफ़न हुए। बाब का तर्जुमा इस ह़दीष़ से यूँ निकला कि आँह़ज़रत (ﷺ) खड़े हुए और ह़ाज़िरीने ख़ाना ने आप (ﷺ) के पीछे स़फ़ बाँधी और ये नफ़्ल नमाज़ जमाअ़त से अदा की गई क्योंकि दूसरी ह़दीष़ में मौजूद है कि आदमी की नफ़्ल नमाज़ घर ही में बेहतर है और फ़र्ज़ नमाज़ का मस्जिद में बाजमाअ़त अदा करना ज़रूरी है। ह़ज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रह.) को इस ह़दीष़ पर शुबहा इसलिये हुआ कि उसमें अअ़माल के बग़ैर सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेने पर जन्नत की बशारत दी गई है। मगर ये ह़दीष़ इस बारे में मुजमल है दीगर अह़ादीष़ में तफ़्सील मौजूद है कि कलिमा तय्यिबा बेशक जन्नत की कुँजी है, मगर हर कुँजी के लिये दँदाने ज़रूरी है। इसी त़रह़ कलिमा तय्यिबा के दंदाने फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करना है। सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेना और उसके मुत़ाबिक़ अमल न करना बेनतीजा है।

ह़ज़रत अमीरे मुह़द्दिष़ीन इमाम बुख़ारी (रह.) अगरचे इस त़वील ह़दीष़ को यहाँ अपने मक़्सदे बाब के तह़त लाए हैं कि नफ़्ल नमाज़ ऐसी ह़ालत में बाजमाअ़त पढ़ी जा सकती है। मगर उसके अलावा भी और बहुत से मसाइल इससे ष़ाबित होते हैं मष़लन मा'ज़ूर लोग अगर जमाअ़त में आने की सकत न रखते हों तो वो अपने घर ही में एक जगह मुक़र्रर करके वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं और ये भी ष़ाबित हुआ कि मेहमाने ख़ुसूसी को उ़म्दा से उ़म्दा खाना खिलाना मुनासिब है और ये भी मा'लूम हुआ कि बग़ैर सोचे समझे किसी पर निफ़ाक़ या कुफ़्र का फ़त्वा लगा देना जाइज़ नहीं। लोगों ने आँह़ज़रत (ﷺ) के सामने उस शख़्स मालिक नामी का ज़िक्र बुरे लफ़्ज़ों में किया जो आपको नागवार गुज़रा और आपने फ़र्माया कि वो कलिमा पढ़नेवाला है उसे तुम लोग मुनाफ़िक़ कैसे कह सकते हो। आप (ﷺ) को ये भी मा'लूम था कि वो सिर्फ़ रस्मी रिवाजी कलिमा-गो नहीं है बल्कि कलिमा पढ़ने से अल्लाह की ख़ुशनूदी उसके मद्देनज़र है। फिर उसे कैसे मुनाफ़िक़ कहा जा सकता है। उससे ये भी निकला कि जो लोग अहले ह़दीष़ ह़ज़रात पर त़अ़न करते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं वो सख़्त ख़त़ाकार हैं। जबकि अहले ह़दीष़ ह़ज़रात न सिर्फ़ कलिम-ए-तौह़ीद पढ़ते हैं बल्कि इस्लाम के सच्चे आ़मिल व क़ुर्आन व ह़दीष़ के स़ह़ीह़ ताबेदार हैं।

तश्रीह : इस पर ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम फ़र्माते हैं कि मुझे उस वक़्त वो हिकायत याद आई कि शैख़ मुहीयुद्दीन इब्ने अ़रबी पर आँह़ज़रत (ﷺ) की ख़्वाब में ख़फ़्गी हुई थी। हुआ ये था कि उनके पीर शैख़ अबू मुदय्यन मग़िरबी को एक शख़्स बुरा भला कहा करता था। शैख़ इब्ने अ़रबी उससे दुश्मनी रखते थे। आँह़ज़रत (ﷺ) ने आ़लमे ख़्वाब में उन पर अपनी ख़फ़्गी जाहिर की। उन्होंने वजह पूछी, इर्शाद हुआ कि तू फ़लाँ शख़्स से क्यूँ दुश्मनी रखता है? शैख़ ने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ) वो मेरे पीर को बुरा कहता है। आपने फ़र्माया कि तूने अपने पीर को बुरा कहने की वजह से उससे दुश्मनी रखी और अल्लाह और उसके रसूल से जो वो मुह़ब्बत रखता है उसका ख़्याल करके तूने उससे मुह़ब्बत क्यूँ न रखी। शैख़ ने तौबा की और सुबह़ को मअ़ज़रत के लिये उसके पास गए। मोमिनीन को लाज़िम है कि अहले ह़दीष़ से मुह़ब्बत रखें क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल से मुह़ब्बत रखते हैं और गो मुज्तहिदों की राय और क़यास को नहीं मानते मगर वो भी अल्लाह और उसके रसूल की मुह़ब्बत की वजह से पैग़म्बर स़ाह़ब के ख़िलाफ़ वो किसी की राय और क़यास को क्यूँ मानें सच है

मा आ़शीक़ैम बे दिल दिलदार मा मुह़म्मद (ﷺ)

मा बुलबुलैम नालाँ गुलज़ार मा मुह़म्मद (ﷺ)

ह़ज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) के इंकार की वजह ये भी थी कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेना और अ़मल उसके मुत़ाबिक़ न होना नजात के लिये काफ़ी नहीं है। उसी ख़्याल की बिना पर उन्होंने अपना ख़्याल जाहिर किया कि रसूले करीम (ﷺ) ऐसा क्यूँकर फ़र्मा सकते हैं। मगर वाक़िअ़तन मह़मूद बिन अर्रबीअ़ सच्चे थे और उन्होंने अपनी मज़ीद तक़्वियत के लिये दोबारा इत्बान बिन मालिक (रज़ि.) के यहाँ ह़ाज़िरी दी और दोबारा इस ह़दीष़ की तस्दीक़ की। ह़दीष़े मज़्कूर में आँह़ज़रत (ﷺ) ने मुजमल एक ऐसा लफ़्ज़ भी फ़र्मा दिया था जो उस चीज़ का मज़हर है कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। बल्कि उसके साथ इब्तिग़ा लिवज्हिल्लाह (अल्लाह की रज़ामन्दी व तलाश) भी ज़रूरी है और ज़ाहिर है कि ये चीज़ कलिमा पढ़ने और उसके तक़ाज़ों को पूरा करने ही से ह़ासिल हो सकती है। इस लिहाज़ से यहाँ आप (ﷺ) ने एक इज्माली ज़िक्र फ़र्माया। आपका मक़्स़द न था कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ने से वो शख़्स जन्नती हो सकता है। बल्कि आप (ﷺ) का इर्शाद जामेअ़ था कि कलिमा पढ़ना और उसके मुत़ाबिक़ अ़मल दरआमद करना और ये चीज़ें आपको शख़्स मुतनाज़े के बारे में मा'लूम थीं। इसलिये आप (ﷺ) ने उसके ईमान की तौष़ीक़ फ़र्माई और लोगों को उसके बारे में बदगुमानी से मना फ़र्माया। वल्लाहु आ़लम।

बाब 37 : घर में नफ़्ल नमाज़ पढ़ना

٣٧- بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

1187. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन ह़म्माद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी और उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने घरों में भी कुछ नमाज़ें पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रें न बना लो (कि जहाँ नमाज़ ही न पढ़ी जाती हो) वुहैब के साथ इस ह़दीष़ को अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने भी अय्यूब से रिवायत किया है।

(राजेअ़ : 432)

١١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا)). تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ.

[راجع: ٤٣٢].

तश्रीह : नमाज़ से मुराद यहाँ नफ़्ली नमाज़ है क्योंकि दूसरी ह़दीष़ में है कि आदमी की अफ़ज़ल नमाज़ वो है जो घर में हो। मगर फ़र्ज़ नमाज़ का मस्जिद में पढ़ना अफ़ज़ल है। क़ब्र में मुर्दा नमाज़ नहीं पढ़ता लिहाज़ा जिस घर में नमाज़ न पढ़ी जाए वो भी क़ब्र हुआ। क़ब्रिस्तान में नमाज़ पढ़ना मम्नूअ़ है। इसलिये भी फ़र्माया कि घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ। अ़ब्दुल वह्हाब की रिवायत को इमाम मालिक (रह.) ने अपनी जामेउ़स्स़ह़ीह़ में निकाला है।

20. किताब फ़ज़्लुस्सलात फ़ी मक्का वल मदीना

मक्का और मदीना में नमाज़ की फ़ज़ीलत

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : मक्का और मदीना (ज़ादहुमल्लाह शरफ़न व ता'ज़ीमन) की मसाजिद में नमाज़ की फ़ज़ीलत का बयान

١ - بَابُ فَضْلِ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

1188. हमसे ह़फ़्स़ बिन उ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अ़ब्दुल मलिक ने क़ज़आ से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने अबू सईद (रज़ि.) से चार बातें सुनीं और उन्होंने बतलाया कि मैंने उन्हें नबी करीम (ﷺ) से सुना था, आपने नबी करीम (ﷺ) के साथ बारह जिहाद किये थे। (राजेअ़ : 582)

١١٨٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرْبَعًا قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَي عَشْرَةَ غَزْوَةً. [راجع: ٥٨٦]

1189. (दूसरी सनद) हमसे अ़ली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन मस्जिदों के सिवा किसी के लिये कजावे न बाँधें (या'नी सफ़र न किया जाए) एक मस्जिदे ह़राम, दूसरी रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद (मस्जिदे नबवी) और तीसरी मस्जिदे अक़्सा या'नी बैतुल मक़्दिस। (उन चार बातों का बयान आगे आ रहा है)

١١٨٩ - ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى)).

तश्रीह़ : मस्जिदे अक़्सा की वजहे तस्मिया क़स्तलानी के लफ़्ज़ों में ये है। **व सुम्मिय बिही लिबुअ दिही अन मस्जिदि मक्कत फ़िल मसाफ़ति** या'नी इसलिये उसका नाम मस्जिदे अक़्सा रखा गया कि मस्जिद मक्का से मुसाफ़त में ये दूर वाक़ेअ है। लफ़्ज़े रिह़ाल ये रह़्ल की जमा है ये लफ़्ज़ ऊँट के कजावा पर बोला जाता है। उस ज़माने में सफ़र के लिये ऊँट का इस्ते'माल ही आम था। इसलिये यही लफ़्ज़ इस्ते'माल किया गया।

मत़लब ये हुआ कि ये तीन मसाजिद ही ऐसा मन्सब रखती हैं कि उनमें नमाज़ पढ़ने के लिये, उनकी ज़ियारत करने

के लिये सफ़र किया जाए इन तीन के अलावा कोई भी जगह मुसलमानों के लिये ये दर्जा नहीं रखती कि उनकी ज़ियारत के लिये सफ़र किया जा सके। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत से यही हदीष़ बुख़ारी शरीफ़ में दूसरी जगह मौजूद है। मुस्लिम शरीफ़ में ये इन अल्फ़ाज़ में है **अन क़ज़अत अन अबी सईदिन क़ाल समिअ़तु मिन्हु हदीष़न फ़अअ़जबनी फकुल्तु लहू अन्त समिअ़त हाज़ा मिन रसूलिल्लाहि क़ाल फअक़ूलु अला रसूलिल्लाहि मा लम अस्मअ़ क़ाल समिअ़तुहू यक़ूलु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला तशुदुरिहाल इल्ला इला ष़लाष़ति मसाजिद मस्जिदी हाज़ा वल्मस्जिदिल्हराम वल्मस्जिदिल्अक़्सा अल्हदीष़**

या'नी क़ज़्आ नामी एक बुज़ुर्ग का बयान है कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से हदीष़ सुनी जो मुझको बेहद पसंद आई। मैंने उनसे कहा कि क्या फ़िल वाक़ेअ़ आपने इस हदीष़ को रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है? वो बोले क्या ये मुम्किन है कि मैं रसूले करीम (ﷺ) की ऐसी हदीष़ बयान करूँ जो मैंने आप (ﷺ) से सुनी ही न हो। हर्गिज़ नहीं! बेशक मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना। आपने फ़र्माया कि कजावे न बाँधो मगर सिर्फ़ उन ही तीन मसाजिद के लिये। या'नी ये मेरी मस्जिद और मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्सा। तिर्मिज़ी में भी ये हदीष़ मौजूद है और इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि **हाज़ा हदीषुन हसनुन सहीह** या'नी ये हदीष़ हसन-सहीह है। मुअजम तबरानी सग़ीर में ये हदीष़ हज़रत अली (रज़ि.) की रिवायत से भी इन्हीं लफ़्ज़ों में मौजूद है और इब्ने माजा में अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स की रिवायत से ये हदीष़ इन्हीं लफ़्ज़ों में ज़िक्र हुई है और हज़रत इमाम मालिक (रह.) ने मौता में उसे बसरा बिन अबी बसरा ग़िफ़ारी से रिवायत किया है। वहाँ **व इला मस्जिदि ईलिया औ बैतिल्मक़्दिस** के लफ़्ज़ है।

ख़ुलासा ये है कि हदीष़ सनद के लिहाज़ से बिलकुल सहीह और क़ाबिले ए'तिमाद है और इसी दलील की बिना पर बग़र्ज़े हुसूल तक़र्रुब इलल्लाह सामाने सफ़र तैयार करना और ज़ियारत के लिये घर से निकलना ये सिर्फ़ इन्हीं तीन मस्जिदों के साथ मख़्सूस है। दीगर मसाजिद में नमाज़ अदा करने जाना या क़ब्रिस्तान में अम्वाते मुस्लिमीन की दुआ-ए-मग़्फ़िरत के लिये जाना ये उमूर मम्नूअ़ नहीं। इसलिये कि उनके बारे में दीगर अहादीषे सहीहा मौजूद हैं। नमाज़ बा-जमाअ़त के लिये किसी भी मस्जिद में जाना इस दर्जे का ष़वाब है कि हर क़दम के बदले दस-दस नेकियों का वा'दा दिया गया है। इसी तरह कब्रिस्तान में दुआ-ए-मग़्फ़िरत के लिये जाना ख़ुद हदीषे नबवी के तहत है; जिसमें ज़िक्र है, **फ़इन्नहा तज़क्किरुल आख़िरः** या'नी वहाँ जाने से आख़िरत की याद ताज़ा होती है। बाक़ी बुज़ुर्गों के मज़ारात पर इस निय्यत से जाना कि वहाँ जाने से वो बुज़ुर्ग ख़ुश होकर हमारी हाजत-रवाई के लिये वसीला बन जाएँगे बल्कि वो ख़ुद ऐसी ताक़त के मालिक हैं कि हमारी मुसीबत को दूर कर देंगे ये सारे बातिल वहम हैं और इस हदीष़ के तहत क़तअ़न नाजाइज़ उमूर है। इस सिलसिले में अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं,

व अव्वलु मन वज़अल्अहादीष़ फ़िस्सफ़रि लिज़ियारतिल्मशाहिदिल्लती अलल्क़ुबूरि अहलुल्बिदइर्राफ़िज़ति व नहविहिमिल्लज़ीन युअत्तिलूनल्मसाजिद व युअ़ज़्ज़िमूनल्मशाहिद यदऊन बुयूतल्लाहिल्लती उमिर अंय्युज़्कर फीहस्मुहू व युअबद वहदहू ला शरीक लहू व युअज़्ज़िमूनल्शाहिदल्लती युश्रक फ़ीहा व युक्ज़ब फ़ीहा व युब्तदअ फ़ीहा दीनुन लम युनज़्ज़िलिल्लाहु बिही सुल्ताना फइन्नल्किताब वस्सुन्नत इन्नमा फ़ीहा ज़ुकिरल्मसाजिद दूनल्मशाहिदि व हाज़ा कल्लुहू फ़ी शद्दिर्रिहालि व अम्मज़्ज़ियारतु फमशरूअ़तुन बिदूनिही (नैलुल औतार)

या'नी अहले बिदअ़त और रवाफ़िज़ ही अव्वलीन वो हैं जिन्होंने मशाहिद व मक़ाबिर की ज़ियारत के लिये अहादीष़ वज़अ़ कीं, ये वो लोग हैं जो मसाजिद को मुअ़त्तल करते और मक़ाबिर व मशाहिद व मज़ारात की हद दर्जा ता'ज़ीम बजा लाते हैं। मसाजिद जिनमें अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म है और ख़ालिस़ अल्लाह की इबादत जहाँ मक़्सूद है उनको छोड़कर ये फ़र्ज़ी मज़ारात पर जाते हैं और उनकी इस दर्जा ता'ज़ीम करते हैं कि वो दर्जा शिर्क तक पहुँच जाती है और वहाँ झूठ बोलते और ऐसा नया दीन इजाद करते हैं जिस पर अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। किताब व सुन्नत में कहीं भी ऐसा मशाहिदा व मज़ारात व मक़ाबिर का ज़िक्र नहीं है जिनके लिये इस तौर पर शद्दे रिहाल किया जा सके। हाँ, मसाजिद की हाज़िरी में किताब व सुन्नत में बहुत सी ताकीदात मौजूद हैं। उन मुन्किरात के अलावा शरई तरीक़ पर क़ब्रिस्तान जाना और ज़ियारत करना मशरूअ़ है।

रहा आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ पर हाज़िर होना और वहाँ जाकर आप पर सलात व सलाम पढ़ना ये हर मुसलमान के लिये ऐन सआदत है। मगर गर **फ़र्क़-मरातिब न कुनी ज़िन्दीक़ी** के तहत वहाँ भी फ़र्क़े मरातिब की ज़रूरत है। जिसका मतलब ये है कि ज़ियारत से पहले मस्जिदे नबवी का हक़ है वो मस्जिदे नबवी जिसमें एक रकअत एक हज़ार रकअतों के बराबर दर्जा रखती है और ख़ास तौर पर **रौज़तुम्मिर्रियाज़ुल जन्ना** का दर्जा और भी बढ़कर है। उस मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और वहाँ अदाए नमाज़ की निय्यत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ पर भी हाज़िर होना और आप पर सलात व सलाम पढ़ना। आप (ﷺ) के बाद हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) व उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के ऊपर सलाम पढ़ना फिर बक़ीउल ग़रक़द क़ब्रिस्तान में जाकर वहाँ जुम्ला अम्वात के लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करना। उसी तरह मस्जिद क़ुबा में जाना और वहाँ दो रकअत अदा करना, ये सारे काम मस्नून हैं जो सुन्नत सहीहा से षाबित हैं।

इस तफ़्सील के बाद कुछ अहले बिदअत क़िस्म के लोग ऐसे भी हैं जो अहले हदीष पर और उनके अस्लाफ़ पर ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ पर सलात व सलाम से मना करते हैं। ये सरीह किज़्ब (झूठ) और बोह्तान है। अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने इस सिलसिले में जो फ़र्माया है वो यही है जो ऊपर बयान हुआ है। बाक़ी रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ब्र पर हाज़िर होकर दुरूदो सलाम भेजना, ये अल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) के मसलक में मदीना शरीफ़ जाने वालों और मस्जिद नबवी में हाज़िरी देनेवालों के लिये ज़रूरी है।

चुनाँचे साहब **सियानतुलइन्सानि अन वस्वसतिश्शैख़िद्दहलान** मुहम्मद बशीर साहब सहसवानी मरहूम तहरीर फ़र्माते हैं,

ला नज़ाअ लना फ़ी नफ़्सि मश्रूइय्यति ज़ियारति क़ब्रि नबिय्यिना (ﷺ) व अम्मा मा नुसिब इला शैख़िल्इस्लाम इब्नि तैमिया मिनल्क़ौलि बिअदमि मश्रूइय्यति ज़ियारति क़ब्रि नबिय्यिना (ﷺ) फइफ़्तिराउन बुहतुन क़ालल्इमाम अल्अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल्हादी अल्मुक़द्दिसी अल्हंबली फ़िस्सारिमिल्मुन्की अन्न शैख़ल्इस्लाम लम युहर्रिम ज़ियारतल्क़ुबूरि अलल्वजहिल्मश्रूइ फ़ी शैइम्मिन किताबिही व लम यन्हा अन्हा व लम यकरिहहा बल इस्तहब्बहा व हज़्ज़ अलैहा व मुसन्नफ़ातुहू व मनासिकुहू ताफ़िहतुन बिज़िक्रि इस्तिहबाबि ज़ियारति क़ब्रिन्नबिय्यि (ﷺ) साइरल्क़ुबूरि क़ाल फ़ी बअज़ि मनासिकिही बाबु ज़ियारति क़ब्रिन्नबिय्यि (ﷺ) इज़ा अशरफ़ अला मदीनतिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ब्लल्हज्जि औ बअदहू फल्यक़ुल मा तक़द्दम फइज़ा दख़ल इस्तहब्ब लहू अंय्यग़तसिल नस्सुन अलैहिल्इमामु अमद फइज़ा दख़लल्मस्जिद बदअ बिरहलिही अल्युम्ना व क़ाल बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मग़्फ़िली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक षुम्म शतिर्राजत बैनल्क़ब्रि वल्मिम्बरि फयुसल्ली बिहा व यदऊ बिमा शाअ षुम्म याती क़ब्रन्नबिय्यि (ﷺ) फयस्तक्बिलु जिदारल्क़ब्रि ला यमस्सह व ला युक़ब्बिलुहू व यज्अलुल्क़िन्दीलल्लज़ी फिल्क़िब्लति इन्दल्क़ब्रि अला रासिही लियकून क़ाइमन वज्हन्नबिय्यि (ﷺ) यक़िफ़ु मुतबाइदुन कमा यक़िफ़ु औ ज़हर फ़ी हयातिही बिख़ुशूइन व सुकूनिन व मुन्कसिरूर्रासि ख़ाज़्ज़त्तर्फ़ि मुस्तहज़िरन बिक़ल्बिही जलालत मौक़िफ़िही षुम्म यक़ूलु अस्सलामु अलैक या रसूलल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामुअलैक या नबियल्लाहि वख़ीरतुहू मिन ख़ल्क़िही अस्सलामु अलैक या सय्यदल मुर्सलीन व या ख़ातमन्नबिय्यिन व क़ाइदल्ग़ुर्रल्मुहज्जलीन अश्हदु अंल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु इन्नक क़द बल्लगत रिसालति रब्बिक व नसहत लिउम्मतिक व दओवत इला सबीलि रब्बिक बिल्हिकमति वल्मौइज़तिल्हसनति व अबत्तल्लाह हत्ता अताकल्यक़ीन फजज़ाकल्लाहु अफ़्ज़लु मा आतिहिल्वसीलत वल्फ़ज़ीलत वब्अस्हु मक़ामम्महमूदल्लज़ी वअत्तहू लियग़बितहू बिहिल्अव्वलून वल्आख़रून अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुन मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारक्त अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीद मजीद अल्लाहुम्महशुर्ना फ़ी ज़ुम्रतिही व तवफ़्फ़ना अला सुन्नतिन व औरिदना हौज़हू वस्क़िना बिकासिही शर्बनरूया ला नज़्मन बअदहू अब्दन षुम्म याती अबा बक्र व उमर फ़यक़ूलु अस्सलामु अलैक या अबा बक्रनिस्सिद्दिक़ अस्सलामु अलैक या उमरू अल्फ़ारूक़ अस्सलामु अलैकुमा या साहिबयरसूलिल्लाहि व ज़जीऐहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जज़ाकुमुल्लाहु अन सुहबति नबिय्यिकुमा व अनिल्इस्लामि ख़ैरस्सलामि अलैकुम बिमा सबर्तुम फ़निअम उक्बाद्दार क़ाल यज़ूरू क़ुबूर अहलिल्बक़ीअ व क़ुबूरश्शुहदाइ इन अम्कन हाज़ा कलामुश्शैख़ रहिमुहुल्लाहु बिहुरुफ़िही इन्तिहा मा फिस्सारिम (सियानतुल इन्सान अन वस्वसतिद्दहलान, पेज : 03)

या'नी शरई तरीक़े पर आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र की ज़ियारत करने में क़त्अन कोई नज़ाअ नहीं है और इस बारे में अ़ल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) पर ये सिर्फ़ झूठा बोहतान है कि वे क़ब्रे नबवी (ﷺ) की ज़ियारत को नाजाइज़ कहते थे, ये सिर्फ़ इल्ज़ाम है। अ़ल्लामा अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद ने अपनी मशहूर किताब **अस्सारिमुल मनकी** में लिखा है कि शरई तरीक़े पर ज़ियारते क़ुबूर से अ़ल्लामा इब्ने तैमिया (रह.) ने हर्गिज़ मना नहीं किया और न इसे मकरूह समझा। बल्कि वो इसे मुस्तहब क़रार देते हैं और उसके लिये रग़बत दिलाते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी किताब बाबत ज़िक्र मनासिके हज्ज आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के सिलसिले में बाब मुनअ़क़िद फ़र्माया है और उसमें लिखा है कि जब कोई मुसलमान हज्ज से पहले या बाद में मदीना शरीफ़ जाए तो पहले वो दुआ-ए-मसनून पढ़े जो शहरों में दाख़िले के वक़्त पढ़ी जाती है। फिर ग़ुस्ल करे और बाद में मस्जिदे नबवी में पहले दायाँ पांव रखकर दाख़िल हों और ये दुआ पढ़े। **बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अ़ला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मग़फ़िर्ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक** फिर उस जगह आए जो जन्नत की क्यारी है और वहाँ नमाज़ पढ़े और जो चाहे दुआ मांगे। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्रे मुबारक पर आए और दीवार की तरफ़ मुँह करे न उसे बोसा दे और न हाथ लगाए। आँहज़रत (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक की तरफ़ मुँह करके खड़ा हो और फिर वहाँ सलाम और दरूद पढ़े (जिनके अल्फ़ाज़ पीछे नक़ल किये गये हैं) फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उ़मर (रज़ि.) की क़ब्र के सामने आए और वहाँ भी सलाम पढ़े जैसा कि मज़्कूर हुआ और फिर अगर मुम्किन हो तो बक़ीउ़ल ग़रक़द नामी क़ब्रिस्तान में वहाँ भी क़ुबूरे मुस्लिमीन व शुहदा की ज़ियारते-मस्नूना करे।

साबिक़ उम्मतों में कुछ लोग कोहे तूर और तुर्बत बाबरकत हज़रत यह्या (अ़लैहिस्सलाम) की ज़ियारत के लिये दूर-दराज़ से सफ़र करके आया करते थे। अल्लाह के सच्चे रसूल (ﷺ) ने ऐसे तमाम सफ़रों से मना फ़र्मा कर अपनी उम्मत के लिये सिर्फ़ ये तीन ज़ियारतगाहें मुक़र्रर फ़र्माईं। अब जो अ़वाम अजमेर और पाक पट्टन वग़ैरह मज़ारात के लिये सफ़र करते हैं, वे इरशादे रसूल (ﷺ) की मुख़ालफ़त करने की वजह से आ़सी (नाफ़र्मान) और आप (ﷺ) के बाग़ी ठहरते हैं। हाँ क़ुबूरिल मुस्लिमीन अपने शहर या क़र्या में हों; वो अपनों की हों या बेगानों की वहाँ मस्नून तरीक़े पर ज़ियारत करना मशरूअ़ है कि क़ब्रिस्तान वालों के लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करें और अपनी मौत को याद करके दुनिया से बेरग़बती इख़्तियार करें। सुन्नत तरीक़ा सिर्फ़ यही है।

अ़ल्लामा इब्ने हजर इस हदीष़ की बहष़ के आख़िर में फ़र्माते हैं, **फ़मअ़नल्हदीष़ि ला तुशद्दुर्रिहालु इला मस्जिदिम्मिनल्मसाजिदि औ इला मकानिम्मिनल अम्किनति लिअजल्लि ज़ालिकल्मकान इल्ला इलष़्ष़लातिल्मज़्कूरति व शद्दुर्रिहालि इला ज़ियारतिन और तलबि इल्मिन लैस इलल्मकानि वल इला मन फ़ी ज़ालिकल्मकानि वल्लाहु आलमु** (फ़त्हुल्क़दीर) या'नी हदीष़ का मतलब इसी क़दर है कि किसी भी मस्जिद या मकान के लिये सफ़र न किया जाए इस ग़र्ज़ से कि उन मसाजिद या मकानात की सिर्फ़ ज़ियारत ही मोजिबे रज़ा-ए-इलाही है। हाँ ये मसाजिद ये दर्जा रखती हैं कि जिनकी तरफ़ शद्दे रिहाल किया जाना चाहिये और किसी की मुलाक़ात या तह्सीले इल्म के लिये शद्दे रिहाल करना उस मुमानअ़त में दाख़िल नहीं इसलिये कि ये सफ़र किसी मकान या मदरसे की इमारत के लिये नहीं किया जाता बल्कि मकान के मकीन की मुलाक़ात और मदरसा में तहसीले इल्म के लिये किया जाता है।

1190. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ज़ैद बिन रबाह और उ़बैदुल्लाह बिन अबी अ़ब्दुल्लाह अग़र्र से ख़बर दी, उन्हें अबू अ़ब्दुल्लाह अग़र्र ने और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज़, मस्जिद हराम के अ़लावा तमाम मस्जिदों में नमाज़ से एक हज़ार दर्जे ज़्यादा अफ़ज़ल है।

١١٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)).

मेरी मस्जिद से मस्जिदे नबवी मुराद है। हज़रत इमाम का इशारा यही है मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के लिये शद्दे रिहाल किया जाए और जो वहाँ जाएगा लाज़िमन रसूले करीम (ﷺ) व हज़रात शैख़ेन पर भी दुरूदो सलाम की सआदतें उसको हासिल होंगी।

बाब 2 : मस्जिदे-क़ुबा की फ़ज़ीलत

٢- بَابُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ

1191. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन अ़लिय्या ने बयान किया, उन्होंने कहा हमें अय्यूब सुख़्तियानी ने ख़बर दी और उन्हें नाफ़ेअ़ ने कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) चाश्त की नमाज़ सिर्फ़ दो दिन पढ़ते थे। जब मक्का आते क्योंकि आप मक्का में चाश्त ही के वक़्त आते थे। उस वक़्त आप पहले तवाफ़ करते और फिर मक़ामे-इब्राहीम के पीछे दो रकअ़त पढ़ते। दूसरे जिस दिन आप मस्जिदे-क़ुबा में तशरीफ़ लाते, आपका यहाँ हर हफ़्ते आने का मा'मूल था। जब आप मस्जिद के अन्दर आते तो नमाज़ पढ़े बग़ैर बाहर निकलना बुरा जानते। आप बयान करते थे रसूलुल्लाह (ﷺ) यहाँ सवार और पैदल दोनों तरह आया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1193, 1194, 7326)

١١٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لاَ يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلاَّ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُهَا ضُحًى فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيْهِ. قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا)).

[أطرافه في: ١١٩٣، ١١٩٤، ٧٣٢٦].

1192. नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि मैं उसी तरह करता हूँ, जिसे मैंने अपने साथियों (सहाबा रज़ि.) को करते देखा है। लेकिन तुम्हें रात या दिन के किसी भी हिस्से में नमाज़ पढ़ने से नहीं रोकता। सिर्फ़ इतनी बात है कि क़स्द (इरादा) करके तुम सूरज निकलते या डूबते वक़्त न पढ़ो।

١١٩٢- قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ لَهُ: ((إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلاَ أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ صَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا)).

तश्रीह : क़ुबा शहर मदीना से 3 मील के फ़ासले पर एक मशहूर गांव है। जहाँ हिज्रत के वक़्त आप (ﷺ) ने चंद रोज़ क़याम किया था और यहाँ आपने अव्वलीन मस्जिद की बुनियाद रखी जिसका ज़िक्र क़ुर्आन मजीद में मौजूद है। आप (ﷺ)को अपनी उस अव्वलीन मस्जिद से इस क़दर मुहब्बत थी कि आप हफ़्ते में एक बार यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाते और इस मस्जिद में दो रकअ़त नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ा करते थे। इन दो रकअ़तों का बहुत बड़ा ष़वाब है।

आजकल हरमे नबवी के मुत्तसिल बस अड्डे से क़ुबा को बसें दौड़ती रहती हैं। अलहम्दुलिल्लाह कि पहले 1951 फिर 1962 के दोनों सफ़रों में मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी की सआ़दत पर अनेक बार मस्जिदे क़ुबा भी जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ था। 62 का सफ़रे हज्ज मेरे ख़ासुल ख़ास मेहरबान, क़द्रदान हज़रत अल्हाज़ मुहम्मद पारा ऑफ़ रंगून वारिदे हाल कराची **अदामल्लाहु इक़्बालहुम व बारिक लहुम व बारिक अ़लैहिम** के मुहतरम वालिदे माजिद हज़रत अल्हाज इस्माईल पारा (रह.) के हज्जे बदल के लिये गया था। अल्लाह पाक क़ुबूल फ़र्माकर मरहूम इस्माईल पारा के लिये वसील-ए-आख़िरत

बनाए और गिरामी क़द्र हाजी मुहम्मद पारा और उनके बच्चों और जुम्ला मुअल्लिक़ीन को दारैन की नेअमतों से नवाज़े और तरक़्क़ियात नसीब करे और मेरी आजिज़ाना दुआएँ इन सबके हक़ में क़ुबूल फ़र्माए। आमीन षुम्म आमीन।

बाब 3 : जो शख़्स मस्जिदे क़ुबा में हर हफ़्ते हाज़िर हो

٣-بَابُ مَنْ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ

1193. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर हफ़्ते को मस्जिदे-क़ुबा आते, पैदल भी (बाज़ दफ़ा) और सवारी पर भी और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी ऐसा ही करते। (राजेअ : 1191)

١١٩٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ)).

[راجع: ١١٩١]

मा'लूम हुआ कि मस्जिदे क़ुबा की इन दो रकअतों का अज़ीम ष़वाब है। अल्लाह हर मुसलमान को नसीब फ़र्माए, आमीन! यही वो तारीख़ी मस्जिद है जिसका ज़िक्र क़ुर्आन में इन अल्फ़ाज़ में किया गया है, **लमस्जिदुन उस्सिस अलत्तक़्वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीहि फीहि रिजालनय्युहिब्बुन अंय्यत तह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतह्हिरीन** (अत् तौबा : 108) 'या'नी यक़ीनन इस मस्जिद की बुनियाद अव्व्ल दिन से तक़्वा पर रखी गई है। इसमें तेरा नमाज़ के लिये खड़ा होना असब है क्योंकि इसमें ऐसे नेक दिल लोग हैं जो पाकीज़गी चाहते हैं और अल्लाह पाकी चाहने वालों से मुहब्बत करता है।

बाब 4 : मस्जिदे-क़ुबा आना कभी सवारी पर और कभी पैदल (ये सुन्नते-नबवी है)

٤- بَابُ إِتْيَانِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

1194. हमसे मुसद्दद बिन मुसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया और उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे नाफ़ेअ ने इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) क़ुबा आते, कभी पैदल और कभी सवारी पर। इब्ने नुमैर ने इसमें ये ज़्यादती की है कि हमसे उबैदुल्लाह बिन उमैर ने बयान किया और उनसे नाफ़ेअ ने कि फिर आप उसमें दो रकअत नमाज़ पढ़ते थे। (राजेअ : 1191)

١١٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا)) زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.[راجع: ١١٩١]

आजकल तो सवारियों की इस क़दर बहुतायत हो गई है कि हर घड़ी सवारी मौजूद है। इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने दोनों अमल करके दिखलाए। फिर भी पैदल जाने में ज़्यादा ष़वाब यक़ीनी है। मस्जिदे क़ुबा में हाज़िरी मस्जिदे नबवी ही की ज़ियारत का एक हिस्सा समझना चाहिये। लिहाज़ा उसे हदीष़ **ला तशदुर्रिहाल** के तहत नहीं लाया जा सकता। वल्लाहु आलम।

बाब 5 : आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ और मिम्बरे-मुबारक के दरम्यानी हिस्से की फ़ज़ीलत का बयान

٥- بَابُ فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

1195. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन अबी बुकैर ने, उन्हें इबादा बिन तमीम ने और उन्हें (उनके चचा) अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़नी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर और मेरे इस मिम्बर के दरम्यान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है।

١١٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)).

नीज़ यही मस्जिदे नबवी है जिसमें एक रकअ़त हज़ार रकअ़तों के बराबर दर्जा रखती है। एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ों को इस तरह बाजमाअ़त अदा किया कि तक्बीरे तहरीमा फ़ौत न हो सकी तो उसके लिये मेरी शिफ़ाअ़त वाजिब हो गई।

1196. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उनसे यह्या ने बयान, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया कि मुझसे खुबैब बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे हफ़्स बिन आसिम ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे घर और मेरे मिम्बर के दरम्यान की ज़मीन जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा।

(दीगर मक़ाम : 1888, 6588, 7335)

١١٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي)).

[أطرافه في : ١٨٨٨، ٦٥٨٨، ٧٣٣٥].

तश्रीह : चूँकि आप (ﷺ) अपने घर या'नी हज़रते आइशा (रज़ि.) के हुज्रे में मदफ़ून हैं, इसलिये हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष़ पर 'क़ब्र और मिम्बर के बीच' बाब मुनअ़क़िद फ़र्माया हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) की एक रिवायत में (बैत) घर की बजाए क़ब्र ही का लफ़्ज़ है। गोया आ़लमे तक़दीर में जो कुछ होना था, उसकी आप (ﷺ) ने पहले ही ख़बर दे दी थी। बिला शक व शुब्हा के ये हिस्सा जन्नत ही का है और आ़लमे आख़िरत में ये जन्नत ही का एक हिस्सा बन जाएगा। 'मेरा मिम्बर मेरे हौज़ पर है।' इसका मतलब यही है कि हौज़ यहीं पर होगा। या ये कि जहाँ भी मेरा हौज़े कौष़र होगा वहाँ ये मिम्बर रखा जाएगा। आप उस पर तशरीफ़ फ़र्मा होंगे और अपने हाथ से मुसलमानों को जामे कौष़र पिलाएँगे। मगर अहले बिदअ़त को वहाँ हाज़िरी से रोक दिया जाएगा। जिन्होंने अल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) के दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। हुज़ूर (ﷺ) उनका हाल जानकर कहेंगे। **सुहक़न लिमन बद्दल सुहक़न लिमन गय्यर** दूरी हो उनको जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया।

बाब 6 : बैतुल-मक्दिस की मस्जिद का बयान

٦- بَابُ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

1197. हमसे अबू वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमैर ने बयान किया, उन्होंने ज़ियाद के गुलाम क़ज़्आ़ से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के हवाले से चार हदीष़ें बयान करते हुए सुना जो मुझे बहुत पसन्द आईं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि औरत अपने शौहर या किसी

١١٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: لاَ تُسَافِرِ

ज़ी-रहम मह्रम के बग़ैर दो दिन का भी सफ़र न करे और दूसरे ये कि ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा दोनों दिन रोज़े न रखे जाएँ। तीसरी ह़दीष़ ये कि सुबह की नमाज़ के बाद सूरज के निकलने तक और अ़स्र के बाद सूरज छुपने तक कोई नफ़्ल नमाज़ न पढ़नी चाहिये, चौथी ये कि तीन मस्जिदों के सिवा किसी के लिये कजावे न बाँधे जाएं, मस्जिद-हराम, मस्जिद-अक़्सा और मेरी मस्जिद (या'नी मस्जिद-नबवी)

(राजेअ़ : 586)

الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالأَضْحَى. وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ : بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي)). [راجع: ٥٨٦]

21. किताबुल अ़मल फ़िस्सलात

नमाज़ में काम के बारे में

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : नमाज़ में हाथ से नमाज़ का कोई काम करना

١ - بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ

और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ में आदमी अपने जिस्म के जिस हिस्से से भी चाहे, मदद ले सकता है। अबू इस्ह़ाक़ ने अपनी टोपी नमाज़ पढ़ते हुए रखी और उठाई और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) अपनी हथेली बाएँ पुन्चे पर रखते, अलबत्ता अगर खुजलाना या कपड़ा दुरुस्त करना होता (तो कर लेते थे)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلاَةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ. إِلاَّ أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.

मष़लन नमाज़ी के सामने से कोई गुज़र रहा हो उसको हटा देना या सज्दे के मुक़ाम पर कोई ऐसी चीज़ आन पड़े जिस पर सज्दा न हो सके, तो उसको सरका देना। आगे जाकर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) का जो अष़र नक़ल किया है, उससे ये निकाला कि बदन खुजलाना या कपड़ा संवारना नमाज़ का काम नहीं मगर ये मुस्तष़्ना (अलग) है या'नी नमाज़ मे जाइज़ है। मगर ऐसे कामों की नमाज़ में आदत बना लेना खुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के मनाफ़ी है।

1198. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें मख़रमा बिन

١١٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ

سُلَيْمَانُ ... كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيْمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. [راجع: ١١٧]

सुलैमान ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने अ़ब्बास के ग़ुलाम कुरैब ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से ख़बर दी कि आप एक रात उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) के यहाँ सोए। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) आपकी ख़ाला थीं। आपने बयान किया कि मैं बिस्तर के अ़र्ज़ में लेट गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी बीवी उसके तूल में लेट गये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) सो गये यहाँ तक कि आधी रात हुई या उससे थोड़ी देर पहले या बाद। तो आप (ﷺ) बेदार होकर बैठ गए और चेहरे पर नींद के ख़ुमार को अपने दोनों हाथों से दूर करने लगे। फिर सूरह आले इमरान की आख़िरी दस आयतें पढ़ीं। इसके बाद एक पानी की मश्क के पास गए जो लटक रही थी। उससे आप (ﷺ) ने अच्छी तरह वुज़ू किया। फिर खड़े होकर नमाज़ शुरू की। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि मैं भी उठा और जिस तरह आँहज़रत (ﷺ) ने किया था, मैंने भी किया और फिर जाकर आप (ﷺ) के पहलू में खड़ा हो गया तो आँहज़रत ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरे दाहिने कान को पकड़कर उसे अपने हाथ से मोड़ने लगे। फिर आपने दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी, फिर दो रकअ़त पढ़ी, फिर दो रकअ़त पढ़ी, फिर दो रकअ़त पढ़ी, फिर दो रकअ़त पढ़ी, फिर दो रकअ़त पढ़ी, उसके बाद (एक रकअ़त) वित्र पढ़ा और लेट गये। जब मुअज़्ज़िन आया तो आप (ﷺ) दोबारा उठे और दो हल्की रकअ़तें पढ़कर बाहर नमाज़े (फ़ज्र) के लिये तशरीफ़ ले गये।

(राजेअ़ : 117)

तशरीह : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का कान मरोड़ने से आप (ﷺ) की ग़र्ज़ उनकी इस्लाह करनी थी कि वो बाएँ तरफ़ से दाएँ तरफ़ को फिर जाएँ क्योंकि मुक़्तदी का मुक़ाम इमाम के दाएँ तरफ़ होता है। यहीं से इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का तर्जुमा निकाला क्योंकि जब नमाज़ी को दूसरे की नमाज़ दुरुस्त करन के लिये हाथ से काम लेना पड़े तो अपनी नमाज़ दुरुस्त करने के लिये तो बतरीक़ औला हाथ से काम लेना जाइज़ होगा। (वहीदी) इस हदीष़ से ये भी निकला कि आप कभी तहज्जुद की नमाज़ तेरह रकअ़तें भी पढ़ते थे। नमाज़ में अमदन काम करना बिल इत्तिफ़ाक़ मुफ़सिदे सलात है। भूल चूक के लिये दरगुजर की उम्मीद है। यहाँ आप (ﷺ) का नमाज़ तहज्जुद के आख़िर में एक रकअ़त वित्र पढ़कर सारी नमाज़ का ताक़ कर लेना भी ष़ाबित हुआ। इस क़दर वज़ाहत के बावजूद तअ़ज्जुब है कि बहुत से ज़ी इल्म हज़रात एक रकअ़त वित्र का इंकार करते हैं।

बाब 2 : नमाज़ में बात करना मना है

٢- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

1199. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, हमसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अ़लक़मा ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि (पहले) नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते होते और हम सलाम करते तो आप (ﷺ) उस का जवाब देते थे। जब हम नज्जाशी के यहाँ से वापस हुए तो हमने (पहले की तरह नमाज़ ही में) सलाम किया। लेकिन उस वक़्त आप (ﷺ) ने जवाब नहीं दिया बल्कि नमाज़ से फ़ारिग़ हो कर फ़र्माया कि नमाज़ में आदमी को फ़ुर्सत कहाँ। (दीगर मक़ाम : 1216, 3870)

١١٩٩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: ((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً)).

[طرفاه في: ١٢١٦، ٣٨٧٥].

हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह नुमैर ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उनसे हुरैम बिन सुफ़यान ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अ़लक़मा ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से फिर ऐसी ही रिवायत बयान की।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

तश्रीह : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) भी उन बुज़ुर्गों में से हैं जिन्होंने इस्लाम के शुरूआती दौर में हब्शा में जाकर पनाह ली थी और नज्जाशी शाहे हब्शा ने जिनको बड़ी अ़क़ीदत से अपने यहाँ जगह दी थी। इस्लाम का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, उस वक़्त नमाज़ में बाहमी कलाम जाइज़ था बाद में जब वो हब्शा से लौटे तो नमाज़ में आपस में बातचीत करने की मुमानअ़त हो चुकी थी। आँहज़रत (ﷺ) के आख़िरी जुम्ले का मफ़्हूम ये कि नमाज़ में तो आदमी हक़ तआ़ला की याद में मशग़ूल होता है उधर दिल लगा रहता है इसलिये ये लोगों से बातचीत का मौक़ा नहीं है।

1200. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको ईसा बिन यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने, उन्हें हारिष़ बिन शुबैल ने, उन्हें अबू अ़म्र बिन सअ़द बिन अबी अयास शैबानी ने बताया कि मुझसे ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने बतलाया कि हम नबी करीम (ﷺ) के अ़हद में नमाज़ पढ़ने में बातें कर लिया करते थे। कोई भी अपने क़रीब के नमाज़ी से अपनी ज़रूरत बयान कर देता। फिर आयत हाफ़िज़ू अलस़्स़लवात अल-अ़ख़ उतरी और हमें (नमाज़ में) ख़ामोश रहने का हुक्म हुआ।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: ((إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ الآيَةَ، فَأُمِرْنَا

आयत का तर्जुमा ये है 'नमाज़ों का ख़्याल रखो और बीच वाली नमाज़ का और अल्लाह के सामने अदब से चुपचाप खड़े रहो (सूरह बक़रः) दरम्यानी नमाज़ से अ़स्र की नमाज़ मुराद है। आयत और ह़दीष़ से ज़ाहिर हुआ कि नमाज़ में कोई भी दुनियावी बात करना क़त्अन मना है।

बाब 3 : नमाज़ में मर्दों का सुब्हानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना

٣-بَابُ مَايَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ فِي الصَّلاَةِ لِلرِّجَالِ

1201. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़नबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी ह़ाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके बाप अबी ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार ने और उनसे सह्ल बिन सअ़द (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) बनू अ़म्र बिन औफ़ (क़ुबा) के लोगों में मिलाप करने तशरीफ़ ले गये और जब नमाज़ का वक़्त हो गया तो बिलाल (रज़ि.) ने अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से कहा कि नबी करीम (ﷺ) तो अब तक नहीं तशरीफ़ लाए इसलिये आप नमाज़ पढ़ा दीजिए। उन्होंने फ़र्माया, अच्छा तुम्हारी ख़्वाहिश है तो मैं नमाज़ पढ़ा देता हूँ। ख़ैर बिलाल (रज़ि.) ने तक्बीर कही। अबूबक्र (रज़ि.) आगे बढ़े और नमाज़ शुरू की। इतने में नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ ले लाए और आप (ﷺ) स़फ़ों से गुज़रते हुए पहली स़फ़ तक पहुँच गए। लोगों ने हाथ पर हाथ बजाना शुरू किया। (सह्ल ने) कहा कि जानते हो तस्फ़ीह क्या है और अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में किसी त़रफ़ भी ध्यान नहीं किया करते थे, लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा तालियाँ बजाई तो आप मुतवज्जह हुए। क्या देखते हैं कि नबी करीम (ﷺ) स़फ़ में मौजूद हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने इशारे से उन्हें अपनी जगह रहने के लिये कहा। इस पर अबूबक्र (रज़ि.) ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया और उल्टे पाँव पीछे आ गए और नबी करीम (ﷺ) आगे बढ़ गए। (राजेअ़ : 673)

١٢٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنْ شِئْتُمْ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ - وَ قَالَ سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصْفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ- وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ: مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُوبَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ)). [راجع: ٦٨٤]

तश्रीह : इस रिवायत की मुत़ाबक़त बाब के तर्जुमे से मुश्किल हैं क्योंकि उसमें सुब्हानल्लाह कहने का ज़िक्र नहीं और शायद ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ को दूसरे त़रीक़ की त़रफ़ इशारा किया जो ऊपर गुज़र चुका है और उसमें साफ़ यूँ है कि तुमने तालियाँ बहुत बजाईं नमाज़ में कोई वाक़िआ हो तो सुब्हानल्लाह कहा करो ताली बजाना औरतों के लिये है। अब रहा अल ह़म्दुलिल्लाह कहना तो वो ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के इस फ़ेअ़ल से निकलता है कि उन्होंने नमाज़ में दोनों हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया। कुछ ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने तस्बीह़ को तह़मीद पर क़यास किया तो ये रिवायत भी बाब का तर्जुमा के मुत़ाबिक़ हो गई। (वह़ीदी)

बाब 4 : नमाज़ में नाम लेकर दुआ या बद्दुआ करना या किसी को सलाम करना बग़ैर उसको मुख़ातब किये और नमाज़ी को मा'लूम न हो कि इससे नमाज़ में ख़लल आता है

٤- بَابُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِهِ مُوَاجَهَةً وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

ग़र्ज़ इमाम बुख़ारी (रह.) की ये है कि इस तरह सलाम करने से नमाज़ फ़ासिद न होगी। अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु में आँहज़रत (ﷺ) को सलाम करता है लेकिन नमाज़ी आपको मुख़ातब नहीं करता और न आँहज़रत (ﷺ) को ख़बर होती है। जब तक फ़रिश्ते आपको ख़बर नहीं देते तो उससे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

1202. हमसे अम्र बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अब्दुस्समद अल्अमी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हुसैन बिन अब्दुर्रहमान ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने बयान किया, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि हम पहले नमाज़ में यूँ कहा करते थे फलाँ पर सलाम और नाम लेते थे और आपस में एक शख़्स दूसरे को सलाम कर लेता। नबी करीम (ﷺ) ने सुनकर फ़र्माया, इस तरह कहा करो! (तर्जुमा) या'नी सारी तहिय्यात, बन्दगियाँ और अच्छी बातें ख़ास अल्लाह ही के लिये हैं और ऐ नबी! आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत नाज़िल हो। हम पर सलाम हो और अल्लाह के सब नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो गोया तुमने अल्लाह के उन तमाम सालेहीन बन्दों पर सलाम पहुँचा दिया जो आसमान व ज़मीन में हैं।

(राजेअ : 831)

١٢٠٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نَقُولُ: التَّحِيَّةَ فِي الصَّلاَةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). [راجع: ٨٣١]

तशरीह : बाब और हदीष़ में मुताबक़त है लफ़्ज़ अत्तहिय्यात से मुराद ज़ुबान से की जाने वाली इबादत और लफ़्ज़े सल्वात से मुराद बदन से की जाने वाली इबादत और तय्यिबात से मुराद हलाल माल से की जानेवाली इबादत, ये सब ख़ास अल्लाह ही के लिये हैं। उनमें से जो ज़र्रा बराबर भी किसी ग़ैर के लिये करेगा वो इन्दल्लाह शिर्क ठहरेगा। लफ़्ज़ नबवी क़ूलू अल्ख़ से बाब का तर्जुमा निकलता है क्योंकि उस वक़्त तक अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) को ये मसला मा'लूम नहीं था कि नमाज़ में इस तरह सलाम करने से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है, इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं फ़र्माया।

बाब 5 : ताली बजाना या'नी हाथ पर हाथ मारना सिर्फ़ औरतों के लिये है

٥- بَابُ التَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

1203. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यय्यना ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया (नमाज़ में अगर कोई बात पेश आ जाए तो) मर्दों को सुब्हानल्लाह कहना और औरतों को हाथ पर हाथ मार कर या'नी ताली बजाकर इमाम को इत्तिला देनी चाहिये।

١٢٠٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)).

तश्रीह : कस्तलानी (रह.) ने कहा कि औरत इस त़रह़ ताली बजाए कि दाएँ हाथ की हथेली को बाएँ हाथ की पुश्त पर मारे अगर खेल के तौर पर बाएँ हाथ पर मारे तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी और अगर किसी मर्द को मसला मा'लूम न हो और वो भी ताली बजा दे तो उसकी नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उन स़ह़ाबा को जिन्होंने अनजाने में तालियाँ बजाई थीं नमाज़ के इआदे का हुक्म नहीं दिया। (वह़ीदी)

1204. हमसे यह़्या बल्ख़ी ने बयान किया, कहा कि हमको वकीअ़ ने ख़बर दी, उन्हें सुफ़सान ष़ौरी ने, उन्हें अबू ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार ने और उन्हें सह्ल बिन सअ़द (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सुब्ह़ानल्लाह कहना मर्दों के लिये है और औरतों के लिये ताली बजाना। (राजेअ़ : 673)

١٢٠٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)).
[راجع: ٦٨٤]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि इमाम भूल जाए और उसको होशियार करना हो तो लफ़्ज़े सुब्ह़ानल्लाह बुलन्द आवाज़ से कहें और अगर किसी औ़रत को लुक़्मा देना हो तो ताली बजाए, इससे औ़रतों का बाजमाअ़त नमाज़ पढ़ना भी ष़ाबित हुआ।

बाब 6 : जो शख़्स़ नमाज़ में उल्टे पाँव पीछे सरक जाए या आगे बढ़ जाए किसी ह़ादसे की वजह से तो नमाज़ फ़ासिद न होगी सह्ल बिन सअ़द (रज़ि.) ने ये नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया है

٦- بَابُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَيْ فِي صَلاَتِهِ أَوْ تَقَدَّمَ بِأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1205. हमसे बिश्र बिन मुह़म्मद ने बयान किया, उन्हें इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़ुह्री ने बयान किया कि मुझे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने ख़बर दी कि पीर के रोज़ मुसलमान अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि अचानक नबी करीम (ﷺ) ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) के हुज्रे का पर्दा हटाए हुए दिखाई दिये। आप (ﷺ) ने देखा कि स़ह़ाबा स़फ़ बाँधे खड़े हुए हैं। ये देखकर आप (ﷺ) खुलकर मुस्कुरा दिये। अबूबक्र (रज़ि.) उल्टे पाँव पीछे हटे। उन्होंने समझा कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाएंगे और मुसलमान नबी करीम (ﷺ) को देखकर

١٢٠٥- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: ((أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَمَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ، فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ. فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ

وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ رَأَوْهُ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا. ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ. وَتُوُفِّيَ ذَلِكَ الْيَومَ ﷺ)).

[راجع: ٦٨٠]

इस दर्जा खुश हुए कि नमाज़ ही तोड़ डालने का इरादा कर लिया। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) ने हाथ के इशारे से हिदायत की कि नमाज़ पूरी करो। फिर आप (ﷺ) ने पर्दा डाल दिया और हुज्रे में तशरीफ़ ले गये। फिर उसी दिन आप (ﷺ) ने इन्तिक़ाल फ़र्माया।

(राजेअ: 680)

तश्रीह: हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सद ये है कि अब भी कोई ख़ास मौक़ा अगर इस क़िस्म का आ जाए कि इमाम को पीछे की तरफ़ हटना पड़े या कोई हादषा ही ऐसा दाई हो तो इस तरह से नमाज़ में नुक़्स न आएगा।

٧- بَابُ إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا فِي الصَّلاَةِ

बाब 7 : अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा हो और उसकी माँ उसको बुलाए तो क्या करे?

١٢٠٦- وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نَادَتِ امْرَأَةٌ ابْنَهَا وَهُوَ فِي صَوْمَعَةٍ قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ، قَالَ: اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلاَتِي. قَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرُ فِي وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ، وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ، فَوَلَدَتْ، فَقِيْلَ لَهَا: مِمَّنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ. قَالَ جُرَيْجٌ: أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي؟ قَالَ: يَا بَابُوسُ. مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: رَاعِي الْغَنَمِ)).

[أطرافه في: ٢٤٨٢، ٣٤٣٦، ٣٤٦٦].

1206. और लैष बिन सअद ने कहा कि मुझे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अअरज ने कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि (बनी इस्राईल की) एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा, उस वक़्त वो इबादतखाने में था। माँ ने पुकारा, ऐ जुरैज! जुरैज (पशोपेश में पड़ गया और दिल में) कहने लगा, ऐ अल्लाह! मैं अब माँ को देखूँ या नमाज़ को। फिर माँ ने पुकारा, ऐ जुरैज! (वो अब भी पशोपेश में था) कि ऐ अल्लाह! मेरी माँ और मेरी नमाज़! माँ ने फिर पुकारा ऐ जुरैज! वो (अब भी यही) सोचे जा रहा था। ऐ अल्लाह! मेरी माँ और मेरी नमाज़! (आख़िर) माँ ने तंग होकर बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह! जुरैज को मौत न आए जब तक वो फ़ाहिशा औरत का चेहरा न देख ले। जुरैज की इबादतगाह के क़रीब ही एक चराने वाली आया करती थी, जो बकरियाँ चराती थी। इत्तेफ़ाक़ से उसे बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि ये किसका बच्चा है? उसने कहा जुरैज का है। वो एक मर्तबा अपनी इबादतगाह से निकल कर मेरे पास रहा था। जुरैज ने पूछा कि वो औरत कौन है? जिसने मुझ पर तोहमत लगाई है कि उसका बच्चा मुझसे है। (औरत बच्चे को ले आई तो) उन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे! तुम्हारा बाप कौन? बच्चा बोल पड़ा कि एक बकरी चराने वाला गडरिया मेरा बाप है। (दीगर मक़ाम: 2472, 3436, 3466)

तश्रीह : माँ की इताअ़त फ़र्ज़ है और बाप से ज़्यादा माँ का ह़क़ है। इस मसले में इख़्तिलाफ़ है कुछ ने कहा जवाब न दे, अगर देगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। कुछ ने कहा जवाब दे और नमाज़ फ़ासिद न होगी और इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया कि जब तू नमाज़ में हो और तेरी माँ तुझको बुलाए तो जवाब दे और अगर बाप बुलाए तो जवाब न दे। इमाम बुख़ारी (रह.) जुरैज की ह़दीष़ इस बाब में लाए हैं कि माँ का जवाब न देने से वो (तंगी में) मुब्तला हुए। कुछ ने कहा जुरैज की शरीअ़त में नमाज़ में बात करना मुबाह़ था तो उनको जवाब देना लाज़िम था। उन्होंने न दिया तो माँ की बद्दुआ उनको लग गई।

एक रिवायत में है कि अगर जुरैज को मा'लूम होता तो जवाब देता कि माँ का जवाब देना भी अपने रब की इ़बादत है। बाबूस हर शीर–ख़्वार बच्चे को कहते हैं या उस बच्चे का नाम होगा। अल्लाह ने उसको बोलने की ताक़त दी। उसने अपना बाप बतलाया। जुरैज इस त़रह़ इस इल्ज़ाम से बरी हुए। मा'लूम हुआ कि माँ को हर ह़ाल में ख़ुश रखना औलाद के लिये ज़रूरी है वरना उनकी बद्दुआ औलाद की ज़िन्दगी तबाह कर सकती है।

बाब 8 : नमाज़ में कंकरियाँ उठाना कैसा है?

٨- بَابُ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ

1207. हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यह्या बिन कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने, उन्होंने कहा कि मुझसे मुऐ़क़िब बिन अबी त़ल्हा स़ह़ाबी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स से जो हर मर्तबा सज्दा करते हुए कंकरियाँ बराबर कर देता था, फ़र्माया अगर ऐसा करना है तो स़िर्फ़ एक ही बार कर।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً)).

क्योंकि बार-बार ऐसा करना नमाज़ में ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के ख़िलाफ़ है।

बाब 9 : नमाज़ में सज्दे के लिये कपड़ा बिछाना कैसा है?

٩- بَابُ بَسْطِ الثَّوبِ فِي الصَّلاَةِ لِلسُّجُودِ

1208. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने बयान किया, कहा कि हमसे ग़ालिब बिन क़त्तान ने बयान किया, उनसे बुकैर बिन अ़ब्दुल्लाह मज़नी ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि हम सख़्त गर्मियों में जब नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते और चेहरे को ज़मीन पर पूरी त़रह रखना मुश्किल होता तो अपना कपड़ा बिछा कर उस पर सज्दा करते थे। (राजेअ़ : 380)

١٢٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا غَالِبٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ)).

[راجع: ٣٨٥]

तश्रीह : मस्जिदे नबवी इब्तिदा में एक मा'मूली छप्पर की शक्ल में थी। जिसमें बारिश और धूप का पूरा अष़र हुआ करता था। इसलिये शिद्दते गर्मी में स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ऐसा कर लिया करते थे। अब भी कहीं ऐसा ही मौक़ा हो तो ऐसा कर लेना दुरुस्त है।

बाब 10 : नमाज़ में कौन–कौन से काम दुरुस्त है?

١٠- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

1209. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़नबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे अबुन्नज़र सालिम बिन अबू उमय्या ने, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह्मान ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैं अपना पाँव नबी करीम (ﷺ) के सामने फैला लेती थी और आप नमाज़ पढ़ते होते। जब आप (ﷺ) सज्दा करने लगते तो आप मुझे हाथ लगाते मैं पाँव समेट लेती। फिर जब आप (ﷺ) खड़े हो जाते तो मैं फिर फैला लेती। (राजेअ़ : 382)

١٢٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَي فِي قِبْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَرَفَعْتُهَا، فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا)).

[راجع: ٣٨٢]

1210. हमसे महमूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, कहा कि हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से कि आप (ﷺ) ने एक मर्तबा एक नमाज़ पढ़ी फिर फ़र्माया कि मेरे सामने एक शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज़ तोड़ दे। लेकिन अल्लाह तआ़ला ने उसको मेरे क़ाबू में कर दिया, मैंने उसका गला घोंटा और उसको धकेल दिया। आख़िर में मेरा इरादा हुआ कि उसे मस्जिद के एक सुतून से बाँध दूँ और जब सुबह हो तो तुम भी देखो। लेकिन मुझे सुलैमान अ़लैहिस्सलाम की दुआ़ याद आ गई, ऐ अल्लाह! मुझे ऐसी सल्तनत अ़ता कीजियो, जो मेरे बाद किसी और को न मिले। (इसलिये मैंने उसे छोड़ दिया) और अल्लाह तआ़ला ने उसे ज़िल्लत के साथ भगा दिया। इसके बाद नज़र बिन शुमैल ने कहा कि ज़अ़तुहू ज़ाल से है जिसके मा'नी है कि मैंने उसका गला घोंट दिया और दअ़त अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल से लिया गया है यौम युदअ़ौन जिस के मा'नी हैं क़यामत के दिन वो दोज़ख़ की तरफ़ धकेले जाएंगे। दुरुस्त पहला ही लफ़्ज़ है। अलबत्ता शुअ़बा ने इसी तरह ऐन और ताअ की तश्दीद के साथ बयान किया है। (राजेअ़ : 461)

١٢١٠- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِئًا)) ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ، أَيْ خَنَقْتُهُ. وَفَدَعَتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ﴾ أَيْ يُدْفَعُونَ. وَالصَّوَابُ الأَوَّلُ، إِلاَّ أَنَّهُ كَذَا قَالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ.

[راجع: ٤٦١]

तश्रीह : यहाँ ये ए'तिराज़ न होगा कि दूसरी ह़दीष़ में है कि शैत़ान उ़मर के साये से भी भागता है। जब ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से शैत़ान डरता है तो आँह़ज़रत (ﷺ) के पास क्योंकर आया? आँह़ज़रत (ﷺ) उ़मर (रज़ि.) से कहीं ज़्यादा

अफ़ज़ल हैं। इसका जवाब ये है कि चोर–डाकू-बदमाश, कोतवाल से ज़्यादा डरते हैं बादशाह से उतना नहीं डरते, वो ये समझते हैं कि बादशाह को हम पर रहम आ जाएगा। तो उससे ये नहीं निकलता कि कोतवाल बादशाह से अफ़ज़ल है, इस रिवायत से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि दुश्मन को धकेलना या उसको धक्का देने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने किताबुस्सलात में अहले हदीष़ का मज़हब क़रार दिया कि नमाज़ में खंखारना या कोई घर में न हो तो दरवाज़ा खोल देना, सांप-बिच्छू निकले तो उसका मारना, सलाम का जवाब हाथ के इशारे से देना, किसी ज़रूरत से आगे–पीछे सरक जाना ये सब काम दुरुस्त है। इनसे नमाज़ फ़ासिद नहीं होती। (वहीदी) कुछ नुस्ख़ों में षुम्म क़ालन्नज्रुब्नु शुमैल वाली इबारत नहीं है।

बाब 11 : अगर आदमी नमाज़ में हो और उसका जानवर भाग पड़े और क़तादा ने कहा कि अगर किसी का कपड़ा चोर ले भागे तो उसके पीछे दौड़े और नमाज़ छोड़ दे

١١- بَابُ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ قَتَادَةُ : إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ يَتْبَعُ السَّارِقَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ

1211. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अरज़क़ बिन क़ैस ने बयान किया, कहा कि हम अहवाज़ में (जो कई बस्तियाँ है बस़रा और ईरान के बीच में) ख़ारजियों से जंग कर रहे थे। एक बार मैं नहर के किनारे बैठा था। इतने में एक शख़्स़ (अबू बरज़ा स़हाबी रज़ि.) आया और नमाज़ पढ़ने लगा। क्या देखता हूँ कि उनके घोड़े की लगाम उनके हाथ में है। अचानक घोड़ा उनसे छूटकर भाग गया, तो वो भी उसका पीछा करने लगे। शुअबा ने कहा कि अबू बरज़ा असलमी (रज़ि.) थे। ये देख कर ख़वारिज में से एक शख़्स़ कहने लगा कि ऐ अल्लाह! इस शैख़ का नास कर। जब वो शैख़ वापस लौटे तो फ़र्माया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है और (तुम क्या चीज़ हो?) मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ छह या सात जिहाद में शिरकत की है और मैंने आप (ﷺ) की आसानियों को देखा है। इसलिये मुझे ये अच्छा मा'लूम हुआ कि अपना घोड़ा साथ लेकर लोटूं न कि उसको छोड़ दूं कि जहाँ चाहे चल दे और मैं तकलीफ़ उठाऊँ।
(दीगर मक़ाम : 6127)

١٢١١- حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ ((كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهْرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَيَّ)).
[طرفه في: ٦١٢٧].

1212. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमको यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उनसे उ़र्वा ने बयान किया कि ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने बतलाया कि जब सूरज ग्रहण लगा तो

١٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ

रَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ سُورَةً طَوِيلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُورَةٍ أُخْرَى، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى قَضَاهَا وَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ. لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُهُ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ)).

[راجع: ١٠٤٤]

नबी करीम (ﷺ) (नमाज़ के लिये) खड़े हुए और एक लम्बी सूरत पढ़ी फिर रुकूअ किया और बहुत लम्बा रुकूअ किया। फिर सर उठाया उसके बाद दूसरी सूरत शुरू कर दी, फिर रुकूअ किया और रुकूअ पूरा करके इस रकअत को ख़त्म किया और सज्दे में गये। फिर दूसरी रकअत में भी आप (ﷺ) ने इसी तरह किया। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आपने फ़र्माया कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ है। इसलिये जब तुम इनमें ग्रहन देखो तो नमाज़ शुरू कर दो जब तक कि ये साफ़ हो जाए और देखो मैंने अपनी इसी जगह से उन तमाम चीज़ों को देख लिया है जिनका मुझसे वा'दा है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि मैं जन्नत का एक खोशा लेना चाहता हूँ। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं आगे बढ़ने लगा था और मैंने दोज़ख़ भी देखी (इस हालत में कि) बाज़ आग, आग को खाए जा रही थी। तुम लोगों ने देखा होगा कि जहन्नम के इस हौलनाक मन्ज़र को देख कर मैं पीछे हट गया था। मैंने जहन्नम के अन्दर अम्र बिन लुह्य को देखा। ये वो शख़्स है जिसने साँड की रस्म अरब में जारी की थी।

(राजेअ: 1044)

तश्रीह : सायबा उस ऊँटनी को कहते हैं जो जाहिलियत में बुतों की नज़्र मानकर छोड़ दी जाती थी। न उस पर सवार होते और न उसका दूध पीते। यही अम्र बिन लुह्य अरब में बुतपरस्ती और दूसरी बहुत सी मुन्किरात का बानी (संस्थापक) हुआ है। हदीष़ की मुताबक़त तर्जुमा से ज़ाहिर है इसलिये कि ख़ोशा लेने के लिये आप (ﷺ) का आगे बढ़ना और जहन्नम की हैबत खाकर पीछे हटना हदीष़ से षाबित हो गया और जिसका चौपाया छूट जाता है वो उसके थामने के वास्ते भी कभी आगे बढ़ता है कभी पीछे हटता है। (फ़त्हुलबारी) ख़्वारिज एक गिरोह है जिसने हज़रत अली (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का इंकार किया था। साथ ही हदीष़ का इंकार करके **हसबुनल्लाहु किताबिल्लाहि** का नारा लगाया था। ये गिरोह भी इफ़्रात व तफ़्रीत में मुब्तला होकर गुमराह हुआ।

١٢- بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: نَفَخَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ

बाब 12 : इस बारे में कि नमाज़ में थूकना और फूंक मारना कहाँ तक जाइज़ है? और अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से ग्रहन की हदीष़ में मन्क़ूल है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ग्रहन की नमाज़ में सज्दे में फूंक मारी

तश्रीह : या'नी ऐसे साफ़ तौर पर उफ़ निकाली कि जिससे फ़े पूरी और लम्बी आवाज़ से ज़ाहिर हुई। इब्ने बत्ताल ने कहा कि नमाज़ में थूक डालने के जवाज़ पर उलमा ने इत्तिफ़ाक़ किया है। इससे मा'लूम हुआ कि फूँक मारना भी

जाइज है क्योंकि उन दोनों में फ़र्क़ नहीं है। इब्ने दक़ीक़ ने कहा कि नमाज़ में फूँक मारने को इसलिये मुब्ताले नमाज़ कहते हैं कि वो कलाम के मुशाबेह है और ये बात मर्दूद है क्योंकि सहीह तौर पर षाबित है कि आँहज़रत (ﷺ) ने नमाज़ में फूँक मारी। (फ़त्हुलबारी)

١٢١٣ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ قِبَلَ أَحَدِكُمْ، فَإِذَا كَانَ فِي صَلاَةٍ فَلاَ يَبْزُقَنَّ – أَوْ قَالَ: لاَ يَتَنَخَّمَنَّ)) – ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ)). وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَلَى يَسَارِهِ.

[راجع: ٤٠٦]

1213. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने, उनसे नाफ़ेअ ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने एक दफ़ा मस्जिद में क़िब्ला की तरफ़ रेंट देखी। आप (ﷺ) मस्जिद में मौजूद लोगों पर बहुत नाराज़ हुए और फ़र्माया कि अल्लाह तआला तुम्हारे सामने है इसलिये नमाज़ में थूका न करो, या ये फ़र्माया कि रेंट न निकाला करो। फिर आप उतरे और खुद ही अपने हाथ से उसे खुरच डाला, इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि जब किसी को थूकना ही ज़रूरी हो तो अपनी बाईं तरफ़ थूक ले।
(राजेअ: 406)

तश्रीह : इससे ये मा'लूम हुआ कि बुरे काम को देखकर तमाम जमाअत पर नाराज़ होना जाइज़ है ताकि सबको तम्बीह हो और आइन्दा के लिये उसका लिहाज़ रखें। नमाज़ में क़िब्ले की तरफ़ थूकने से मना किया न कि मुत्लक़ थूक डालने से बल्कि अपने पांव के नीचे थूकने की इजाज़त फ़र्माई जैसा कि अगली हदीष में मज़्कूर है। जब थूक मस्जिद में पुख़्ता फ़र्श होने की वजह से दफ़न हो सके तो रूमाल में थूकना चाहिये। फूंक मारना भी किसी शदीद ज़रूरत के तहत जाइज़ है बिला ज़रूरत फूंक मारना नमाज़ में ख़ुशूअ के ख़िलाफ़ है।

١٢١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)).

[راجع: ٢٤١]

1214. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उन्होंने कहा कि मैंने क़तादा से सुना, वो अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम में से कोई नमाज़ में हो तो वो अपने रबी से सरगोशी (बातें) करता है। इसलिये उसके सामने न थूकना चाहिये और न दायें तरफ़ अलबत्ता बायें तरफ़ अपने क़दम के नीचे थूक ले। (राजेअ: 241)

١٣ – بَابُ مَنْ صَفَّقَ جَاهِلاً مِنَ الرِّجَالِ فِي صَلاَتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ فِيهِ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 13 : अगर कोई मर्द मसला न जानने की वजह से नमाज़ में दस्तक दे तो उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगी

इस बाब में सह्ल बिन सअद (रज़ि.) की एक रिवायत नबी करीम (ﷺ) से सुना

जो ऊपर गुज़र चुकी है और आगे भी आएगी।

बाब 14 : इस बारे में कि अगर नमाज़ी से कोई कहे कि आगे बढ़ जा या ठहर जा और वो आगे बढ़ जाए या ठहर जाए तो कोई क़बाहत नहीं है

١٤- بَابُ إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّي: تَقَدَّمْ أَوِ انْتَظِرْ فَانْتَظَرَ - فَلاَ بَأْسَ

1215. हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफ़यान ष़ौरी ने ख़बर दी, उन्हें अबू हाज़िम ने, उनको सह्ल बिन सअ़द (रज़ि.) ने बतलाया कि लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ त़रह पढ़ते कि तहबन्द छोटे होने की वजह से उन्हें अपनी गर्दनों से बाँधे रखते और औरतों को (जो मर्दों के पीछे जमाअ़त में शरीक रहती थीं) कह दिया जाता कि जब तक मर्द पूरी त़रह सिमट पर न बैठ जाए, तुम अपने सर (सज्दे से) न उठाना। (राजेअ़ : 362)

١٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ، فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا)). [راجع: ٣٦٢]

तश्रीह : इमाम नमाज़ में भूल जाए या किसी दीगर ज़रूरी अम्र पर उसे आगाह करना हो जो मर्द सुब्हानल्लाह कहें और औरते ताली बजाएँ अगर किसी मर्द ने नादानी की वजह से तालियाँ बजाईं तो उसकी नमाज़ नहीं टूटेगी। चुनाँचे सहल (रज़ि.) की ह़दीष़ में जो दो बाबों के बाद आ रही है कि स़ह़ाबा किराम (रज़ि.) ने नादानी की वजह से ऐसा किया और आप (ﷺ) ने उनको नमाज़ लौटाने का हुक्म नहीं दिया। ह़दीष़ और बाब में यूँ मुत़ाबक़त हुई कि ये बात औरतों को ह़ालते नमाज़ में कही गई या नमाज़ से पहले। शक़ अव्वल में मा'लूम हुआ कि नमाज़ी को मुख़ात़िब करना और नमाज़ के लिये किसी का इंतिज़ार करना जाइज़ है और शक़्क़े ष़ानी में मा'लूम हुआ कि नमाज़ में इंतिज़ार करना जाइज़ है। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के कलाम का ह़ासिल ये है कि किसी का इंतिज़ार अगर शरई है तो जाइज़ है वरना नहीं। (फ़त्हुलबारी)

बाब 15 : नमाज़ में सलाम का जवाब (ज़बान से) न दे

١٥- بَابُ لاَ يَرُدُّ السَّلاَمَ فِي الصَّلاَةِ

1216. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने फ़ुज़ैल ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अ़लक़मा ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) ने कहा कि (इब्तिदाए-इस्लाम में) नबी करीम (ﷺ) जब नमाज़ में होते तो मैं आपको सलाम करता तो आप (ﷺ) जवाब देते थे। मगर जब हम (ह़ब्शा से, जहाँ हिजरत की थी) वापस आये तो मैंने (पहले की त़रह नमाज़ में) सलाम किया। मगर आप (ﷺ) ने कोई जवाब नहीं दिया (क्योंकि अब नमाज़ में बातचीत वग़ैरह की मुमानअ़त नाज़िल हो गई थी) और फ़र्माया कि नमाज़ में इससे मशग़ूलियत होती है। (राजेअ़ : 1199)

١٢١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ((كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ: ((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً)). [راجع: ١١٩٩]

तश्रीह : उलमा का इसमें इख़्तिलाफ़ है कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की ये वापसी मक्का शरीफ़ को थी या मदीना मुनव्वरा को। ह़ाफ़िज़ ने फ़त्हुल बारी में उसे तर्जीह़ दी है कि मदीना मुनव्वरा को थी जिस तरह़ पहले गुज़र चुकी है और जब ये वापस हुए तो आप (ﷺ) बद्र की लड़ाई के लिये तैयारी कर रहे थे। अगली ह़दीष़ से भी इसी की ताईद होती है कि नमाज़ के अंदर कलाम करना मदीना में ह़राम हुआ क्योंकि ह़ज़रत जाबिर अंसारी मदीना शरीफ़ के बाशिन्दे थे।

١٢١٧- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الأُولَى. ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَ قَالَ: ((إِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي)). وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ)).

1217. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे कष़ीर बिन शिन्ज़ैर ने बयान किया, उनसे अ़ताअ बिन अबी रबाह ने उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अपनी एक ज़रूरत के लिये (ग़ज़्वा-ए-बनी मुस्तलिक़ में) भेजा मैं जाकर वापस आया, मैंने काम पूरा कर दिया था। फिर मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर होकर आपको सलाम किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में अल्लाह जाने क्या बात आई और मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझ पर इसलिये ख़फ़ा हैं कि मैं देर से आया हूँ। मैंने फिर दोबारा सलाम किया और जब इस मर्तबा भी आपने कोई जवाब नहीं दिया तो अब मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा ख़याल आया। फिर मैंने (तीसरी मर्तबा) सलाम किया और अब आप (ﷺ) ने जवाब दिया और फ़र्माया कि पहले जो दो बार मैंने जवाब नहीं दिया तो वो इस वजह से था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था और आप (ﷺ) उस वक़्त अपनी ऊँटनी पर थे और उसका रुख़ क़िब्ला की त़रफ़ न था, बल्कि दूसरी त़रफ़ था।

तश्रीह : मुस्लिम की रिवायत में हैं ये ग़ज़्व-ए-बनी मुस्तलिक़ में था और मुस्लिम ही की रिवायत में ये भी वज़ाह़त है कि आपने हाथ के इशारे से जवाब दिया। और जाबिर (रज़ि.) का मग़्मूम व मुतफ़क्किर (गमज़दा और फ़िक्रमन्द) होना इसलिये था कि उन्होंने ये न समझा कि ये इशारा सलाम का जवाब है क्योंकि पहले आप (ﷺ) ज़ुबान से सलाम का जवाब देते थे न कि हाथ के इशारे से।

١٦- بَابُ رَفْعِ الأَيْدِي فِي الصَّلاَةِ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ

बाब 16 : नमाज़ में कोई ह़ादष़ा पेश आए तो हाथ उठाकर दुआ़ करना

١٢١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

1317. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी ह़ाज़िम ने बयान किया, उनसे अबू ह़ाज़िम सलमा बिन दीनार ने और उनसे सह्ल बिन सअ़द

(रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह को ये ख़बर पहुँची कि क़ुबा के क़बीला बनू अम्र बिन औफ़ में कोई झगड़ा हो गया है। इसलिये आप (ﷺ) कई अस्हाब को साथ लेकर उनमें मिलाप कराने के लिये तशरीफ़ ले गये। वहाँ आप (ﷺ) सुलह-सफ़ाई के लिये ठहर गए। इधर नमाज़ का वक़्त हो गया तो बिलाल (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नहीं आए और नमाज़ का वक़्त हो गया, तो क्या आप लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे। आपने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम चाहते हो तो पढ़ा दूँगा। चुनाँचे बिलाल (रज़ि.) ने तक्बीर कही और अबूबक्र ने आगे बढ़कर निय्यत बाँध ली। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आए और सफ़ों से गुज़रते हुए आप पहली सफ़ में आ खड़े हुए। लोगों ने हाथ पर हाथ मारने शुरू कर दिये। (सहल रज़ि. ने कहा तस्फ़ीह के मा'नी तस्फ़ीक़ के हैं) आपने बयान किया कि अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ में किसी तरफ़ मुतवज्जह नहीं होते थे। लेकिन जब लोगों ने बहुत दस्तकें दी तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हैं। हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) ने इशारे से अबूबक्र को नमाज़ पढ़ाने के लिये कहा। इस पर अबूबक्र (रज़ि.) ने हाथ उठाकर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और फिर उल्टे पाँव पीछे की तरफ़ चले आये और सफ़ में खड़े हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आप (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया कि लोगों! ये क्या बात है कि जब नमाज़ में कोई बात पेश आती है तो तुम तालियाँ बजाने लगते हो, ये मसला तो औरतों के लिये है। तुम्हें अगर नमाज़ में कोई हादसा पेश आए तो सुब्हानल्लाह कहा करो। इसके बाद आप (ﷺ) अबूबक्र (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़र्माया कि अबूबक्र! मेरे कहने के बावजूद तुमने नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाई? अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि अबू क़ुहाफ़ा के बेटे को ज़ेबा नहीं देता कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में नमाज़

أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ مِنَ الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ - قَالَ سَهْلٌ: التَّصْفِيحُ هُوَ التَّصْفِيقُ- قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ. فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَالَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ. مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ)). ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) قَالَ أَبُوبَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ

पढ़ाए। (राजेअ : 673)

يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)). [راجع: ٦٨٤]

तश्रीह : हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने रब के सामने हाथों को उठाकर अलहम्दुलिल्लाह कहा। सो अगर उसमें कुछ हर्ज होता तो आप (ﷺ) ज़रूर मना कर देते और उससे हदीष़ की मुनासबत बाब से ज़ाहिर हुई।

बाब 17 : नमाज़ में कमर पर हाथ रखना कैसा है?

١٧- بَابُ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ

1219. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नमाज़ में कमर पर हाथ रखने से मना किया गया था। हिशाम और अबू हिलाल मुहम्मद बिन सुलैम ने, इब्ने सीरीन से इस हदीष़ को रिवायत किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने। (दीगर मक़ाम : 1220)

١٢١٩- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ)). وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [طرفه في : ١٢٢٠].

1220. हमसे अम्र बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन हस्सान फ़िरदौसी ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) ने कमर पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया। (राजेअ : 1219)

١٢٢٠- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا)). [راجع: ١٢١٩]

तश्रीह : या'नी कोख पर हाथ रखने से मना किया। हिक्मत उसमें ये है कि इब्लीस उसी हालत में आसमान से उतारा गया और यहूद अकष़र ऐसा किया करते थे या जहन्नमी इसी तरह राहत लेंगे। इसलिये भी मना किया गया कि ये मुतकब्बिरों (घमण्डियों) की भी अलामत है।

बाब 18 : आदमी नमाज़में किसी बात का फ़िक्र करे तो कैसा है?

١٨- بَابُ يُفَكِّرُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ता रहता हूँ और नमाज़ ही में जिहाद के लिये अपनी फौज का सामान किया करता हूँ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ

तश्रीह : बाब का मक़्सद ये है कि नमाज़ में कुछ सोचने से नमाज़ बातिल न होगी क्योंकि इससे बचना दुश्वार है फिर अगर सोचना दीन और आख़िरत के बारे में हो तो ख़फ़ीफ़ बात है और अगर दुनियावी काम हो तो बहुत भारी है। उलमा (रह.) ने उस नमाज़ी को जिसका नमाज़ में दुनियावी उमूर पर ध्यान हो और अल्लाह से ग़ाफ़िल हो ऐसे शख़्स के साथ तश्बीह दी है जो किसी बादशाह के सामने बतौरे तोहफ़ा एक मरी हुई लौण्डी पेश करे। ज़ाहिर है कि बादशाह उस तोहफ़े से इंतिहाई नाख़ुश होगा। इसीलिये कहा गया है कि,

बरज़बाँ तस्बीहो-दिल दर गाव ख़र
ईं चुनी तस्बीह के दारद अष़र

या'नी जब ज़ुबान पर तस्बीह जारी हो और दिल घर के जानवरों में लगा हुआ हो तो ऐसी तस्बीह क्या अषर पैदा कर सकती है। हज़रत उमर (रज़ि.) के अषरे मज़कूर को इब्ने अबी शैबा ने बइस्नादे सहीह रिवायत किया है। हज़रत उमर (रज़ि.) को अल्लाह ने अपने दीन की ख़िदमत व नुसरत के लिये पैदा फ़र्माया था। उनको नमाज़ में भी वही ख़्यालात दामनगीर रहते थे, नमाज़ में जिहाद के लिये फ़ौजकशी और जंगी तदबीरें सोचते थे चूँकि नमाज़ नफ़्स और शैतान के साथ जिहाद है और उन हर्बी तदाबीर को सोचना भी अज़ क़िस्मे जिहाद है लिहाज़ा मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं। (हवाशी सल्फ़िया, पारा नं. 5 पेज नं. 443)

1221. हमसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, कहा कि हमसे रौह बिन उबादा ने, कहा कि हमसे उमर ने जो सईद के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ी, आप (ﷺ) सलाम फेरते ही बड़ी तेज़ी से उठे और अपनी एक बीवी के हुजरे में तशरीफ़ ले गये, फिर बाहर तशरीफ़ लाए। आपने अपनी जल्दी पर इस ता'ज्जुब व हैरत को महसूस किया जो सहाबा के चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था, इसलिये आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नमाज़ में मुझे सोने का एक डला याद आ गया जो हमारे पास तक़्सीम से बाक़ी रह गया था। मुझे बुरा मा'लूम हुआ कि हमारे पास वो शाम तक या रात तक रह जाए। इसलिये मैंने उसे तक़्सीम करने का हुक्म दे दिया।
(राजेअ: 851)

١٢٢١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا وَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ: ((ذَكَرْتُ - وَأَنَا فِي الصَّلاَةِ - تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ - أَوْ يَبِيْتَ - عِنْدَنَا، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ)). [راجع: ٨٥١]

नमाज़ में आँहज़रत (ﷺ) को सोने का बक़ाया डला तक़्सीम के लिये याद आ गया यहीं से बाब का मतलब षाबित होता है।

1222. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने उनसे जा'फ़र बिन रबीआ ने और उनसे अअरज ने और उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती तो शैतान पीठ मोड़ कर हवा ख़ारिज करता हुआ भाग जाता है ताकि अज़ान न सुन सके। जब मुअज़्ज़िन चुप हो जाता है तो मर्दूद फिर आ जाता है और जब जमाअत खड़ी होने लगती है (और तक्बीर कही जाती है) तो फिर भाग जाता है। लेकिन जब मुअज़्ज़िन चुप हो जाता है, फिर आ जाता है और आदमी के दिल में बराबर वस्वसा पैदा करता रहता है। कहता है कि (फलाँ-फलाँ बात) याद कर। कमबख़्त वो बातें याद दिलाता है जो उस नमाज़ी के ज़हन में भी न थी। इस तरह नमाज़ी को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकअतें पढ़ी है। अबू सलमा अब्दुर्रहमान न

١٢٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ، فَلاَ يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ،

وَسَمِعَهُ أَبُو سَلَمَةَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. [راجع: ٦٠٨]

कहा कि जब कोई ये भूल जाए (कि कितनी रकअतें पढ़ी हैं) तो बैठे-बैठे (सह्व के) दो सज्दे कर ले। अबू सलमा ने ये अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना था। (राजेअ : 607)

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि नमाज़ में शैतान वस्वसों के लिये पूरी कोशिश करता है, इसलिये इस बारे में इंसान मजबूर है। पस जब नमाज़ के अंदर शैतानी वस्वसों की वजह से ये न मा'लूम रहे कि कितनी रकअतें पढ़ चुका है तो अपने यक़ीन पर भरोसा रखे, अगर उसके फ़हम में नमाज़ पूरी न हो तो पूरी करके सह्व के दो सज्दे कर ले। (क़स्तलानी रह.)

١٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ. فَلَقِيتُ رَجُلاً فَقُلْتُ: بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. فَقُلْتُ : لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: لَكِنْ أَنَا أَدْرِي، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا)).

1223. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा हमसे उ़ष्मान बिन उ़मर ने कहा कि मुझे इब्ने अबी ज़िब ने ख़बर दी, उन्हें सईद मक़्बरी ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा लोग कहते हैं कि अबू हुरैरह बहुत ज़्यादा ह़दीषें बयान करता है (और हाल ये है कि) मैं एक शख़्स से एक मर्तबा मिला और उससे मैंने (बतौरे इम्तिहान) दरयाफ़्त किया कि गुजिश्ता रात नबी करीम (ﷺ) ने इशा में कौन-कौन सी सूरतें पढ़ी थीं? उसने कहा कि मुझे नहीं मा'लूम। मैंने पूछा कि तुम नमाज़ में शरीक थे? कहा कि हाँ शरीक था। मैंने कहा लेकिन मुझे तो याद है कि आप (ﷺ) ने फलाँ-फलाँ सूरतें पढ़ी थीं।

तश्रीह : इस रिवायत में अबू हुरैरह (रज़ि.) ने उसकी वजह बताई है कि मैं अह़ादीष़ दूसरे बहुत से स़ह़ाबा के मुक़ाबले में ज़्यादा क्यूँ बयान करता हूँ। उनके कहने का मत़लब ये है कि आप (ﷺ) की बातों को और दूसरे अअ़माल को याद रखने की कोशिश दूसरों के मुक़ाबले में ज़्यादा करता था। एक रिवायत में आपने ये भी फ़र्माया था कि मैं हर वक़्त आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ रहता था, मेरे अहलो-अयाल नहीं थे, खाने कमाने की फ़िक्र नहीं थी। 'सुफ़्फ़ा' में रहने वाले ग़रीब स़ह़ाबा के साथ मस्जिदे नबवी में दिन गुज़रता था और आँहुज़ूर (ﷺ) का साथ नहीं छोड़ता था। इसलिये मैंने अह़ादीष़ आपसे ज़्यादा सुनीं और चूँकि मह़फ़ूज़ भी रखीं इसलिये उन्हें बयान करता हूँ। ये ह़दीष़ किताबुल इल्म में पहले भी आ चुकी है। वहीं इसकी बह़ष़ का मौक़ा भी था। इन अह़ादीष़ को इमाम बुख़ारी (रह.) ने एक ख़ास़ उ़नवान के तह़त इसलिये जमा किया है कि वो बताना चाहते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए किसी चीज़ का ख़्याल आने या कुछ सोचने से नमाज़ नहीं टूटती। ख़्यालात और तफ़र्रुकात ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना मुम्किन नहीं होता। लेकिन ह़ालात और ख़्यालात की नोइयत के फ़र्क़ का यहाँ भी लिहाज़ ज़रूर होगा। अगर उमूरे आख़िरत के बारे में ख़्यालात नमाज़ में आएँ तो वो दुनियावी उमूर की बनिस्बत नमाज़ की ख़ूबियों पर कम अष़र अंदाज़ होंगे। (तफ़्हीमुल बुख़ारी) बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त ये है कि वो स़ह़ाबी नमाज़ में और ख़त़रात में मुस्तग़रक़ रहता था। फिर भी वो इआद-ए-स़लात के साथ मामूर नहीं हुआ।

22. किताबुस्सह्व

सह्व का बयान

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बाब 1 : अगर चार रकअत नमाज़ में पहला क़अदा न करे और भूले से उठ खड़ा हो तो सुज्द-ए- कर

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ إِذَا قَامَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ

सह्व भूल–चूक से होने वाली ग़फ़लती को कहते हैं। उसके बारे में उलमा-ए-मज़ाहिब का इख़्तिलाफ़ है। शाफ़िइया के नज़दीक सह्व के सारे सज्दे मसनून हैं और मालिकिया ख़ास नुक़्सान के सुजूदे सह्व को वाजिब कहते हैं और हनाबिला अरकान के सिवा और वाजिबात के तर्क पर वाजिब कहते हैं और सुनन क़ौलिया के तर्क पर ग़ैर वाजिब। नीज़ ऐसे क़ौल या फ़ेअल के ज़्यादा पर वाजिब जानते हैं जिसके अम्दन करने से नमाज़ बातिल हो जाती है और हन्फ़िया के यहाँ सह्व के सब सज्दे वाजिब हैं (फ़त्हुल बारी)। भूल–चूक इंसानी फ़ितरत में दाख़िल है इसलिये नमाज़ में सह्व के मसाइल का बयान करना ज़रूरी हुआ।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं। **व सन्न रसूलुल्लाहि (ﷺ) फीमा इज़ा कसरल्इन्सानु फ़ी सलातिही अंय्यस्जुद सज्दतैनि तदारकन लिमा फ़रत फ़फ़ीहि शिब्हुल्कज़ा व शिब्हुल्कफ़्फ़ारति वल्मवाजिउल्लती ज़हर फीहन्नस्सु अर्बअतुन अल्अव्वलु क़ौलुहू (ﷺ) इज़ा शक्क अहदुकुम फ़ी सलातिही व लम यदरि कम सल्ला सलासन औ अर्बअन फल्यत्तरिहिश्शक्कल्वल्यब्न अला मस्तैक़न सुम्म यस्जुद सज्दतैनि क़ब्ल अंय्युसल्लिम** या'नी नबी (ﷺ) ने इस सूरत में कि इंसान अपनी नमाज़ में कोई क़सूर करे दो सज्दे करने का हुक्म दिया करते थे ताकि उस कोताही की तलाफ़ी हो जाए। पस उसको क़ज़ा के साथ भी मुनासबत है और कफ़्फ़ारा के साथ भी और वो मवाज़ेअ जिनमें नस्से हदीस से सज्दा करना साबित है, चार हैं। अव्वल ये कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया जब तुममें कोई नमाज़ में शक करे और न जाने तीन या चार कितनी रकअतें पढ़ी हैं तो वो शक दूर करके, जिस मिक़्दार पर यक़ीन हो सके उस पर नमाज़ की बिना कर ले। फिर सलाम फेरने से पेशतर दो सज्दे कर ले। पस अगर उसने पाँच रकआत पढ़ी हैं तो वो उन दो सज्दों से उसको शिफ़ा कर लेगा और उसने पढ़कर चार को पूरा किया है तो ये दोनों सज्दे शैतान के लिये सरज़निस होंगे और नेकी में ज़्यादती होगी और रुकूअ व सुजूद में शक करना भी उसी क़िस्म से है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा)

1224. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, हमको इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब

١٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ

ने, उन्हें अब्दुर्रहमान अअरज ने और उनसे अब्दुर्रहमान बिन बुहैना (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी (चार रकअत) नमाज़ की दो रकअत पढ़ाने के बाद (क़अद-ए-तशह्हुद के बग़ैर) खड़े हो गये। जब आप नमाज़ पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इन्तिज़ार करने लगे। लेकिन आप ने सलाम से पहले बैठे-बैठे अल्लाहु-अक्बर कहा और सलाम ही से पहले दो सज्दे बैठे-बैठे किये फिर सलाम फेरा। (राजेअ : 829)

شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ)). [راجع: ٨٢٩]

1225. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन सईद अन्सारी ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुर्रहमान अअरज ने ख़बर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन बुहैना (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की दो रकअत पढ़ने के बाद बैठे बग़ैर खड़े हो गये और क़अदा ऊला नहीं किया। जब नमाज़ पूरी कर चुके तो दो सज्दे किये। फिर उनके बाद सलाम फेरा। (राजेअ : 829)

١٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ)). [راجع: ٨٢٩]

इसमें उन पर रद्द है जो कहते हैं कि सह्व के सब सज्दे सलाम के बाद हैं। (फ़त्हुल बारी)

बाब 2 : अगर किसी ने पाँच रकअत नमाज़ पढ़ ली तो क्या करे?

٢- بَابُ إِذَا صَلَّى خَمْسًا

तश्रीह : शायद मक़्सूद इमाम बुख़ारी (रह.) का ये है कि अगर नमाज़ में कोई बात रह जाए तो सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करे जिस तरह कि पूरा ऊपर गुज़रा और अगर नमाज़ में कुछ ज़्यादती हो जाए जिस तरह कि उस बाब की हदीष में है तो सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व करे। मज़्नी, मालिक, अबू षार इसी के क़ाइल हैं। इब्ने अब्दुल बर ने भी इस क़ौल को औला बतलाया है और हन्फ़िया अगरचे सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करना औला नहीं कहते लेकिन जवाज़ के वो भी क़ाइल हैं। स़ाहिबे हिदाया ने इसकी तस्रीह की है। ख़त्ताबी ने कहा कि ज़्यादती और नुक़्सान का फ़र्क़ करना ये चंदाँ स़हीह नहीं क्योंकि जुलयदन की हदीष में बावजूद नुक़्सान के सज्दे सलाम के बाद किये। कुछ उलमा ने कहा कि इमाम अहमद का तरीक़ा सबसे अक़्वा है क्योंकि वो कहते हैं कि हर एक हदीष को उसके महल में इस्ते'माल करना चाहिये और जिस सूरत में कोई हदीष वारिद नहीं हुई उसमें सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करे और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये हदीषें मरवी न होतीं तो तेरे नज़दीक सब सज्दे सलाम से पहले होते क्योंकि ये भी शान नमाज़ से है। पस इनका बजा लाना सलाम से पहले ठीक है। (फ़त्ह)

1226. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे हकम ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर में पाँच रकअत पढ़ लिये। इसलिये

١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: ((صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ)). [راجع: ٤٠١]

आपसे पूछा गया कि क्या नमाज़ की रकअ़तें ज़्यादा हो गई हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क्या बात है? कहने वाले ने कहा आप (ﷺ) ने पाँच रकअ़तें पढ़ी हैं। इस पर आप (ﷺ) ने सलाम के बाद दो सज्दे किये। (राजेअ : 401)

٣- بَابُ إِذَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ فِي ثَلاَثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطْوَلَ

बाब 3 : दो रकअ़तें या तीन रकअ़तें पढ़कर सलाम फेर दे तो नमाज़ के सज्दों की त़रह या उनसे लम्बे सह्व के दो सज्दे करना

١٢٢٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ- أَوِ الْعَصْرَ - فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ انْقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: ((أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)) قَالَ سَعْدٌ: وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ.

1227. हमसे आदम बिन अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे सअ़द बिन इब्राहीम ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुहर या अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई जब आप (ﷺ) ने सलाम फेरा तो ज़ुल्यदैन कहने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ की रकअ़तें घट गई हैं? (क्योंकि आप (ﷺ) ने भूलकर सिर्फ़ दो रकअ़तों पर सलाम फेर दिया था) नबी करीम (ﷺ) ने अपने अस्ह़ाब से दरयाफ़्त किया कि क्या ये सच कहते हैं ? स़ह़ाबा ने कहा जी हाँ! इसने स़ह़ीह़ कहा है। तब नबी करीम (ﷺ) ने दो रकअ़त और पढ़ाई फिर दो सज्दे किये। सअ़द ने बयान किया कि उ़र्वा बिन ज़ुबैर को मैंने देखा कि आपने मग़्रिब की दो रकअ़तें पढ़ कर सलाम फेर दिया और बातें भी कही। फिर बाक़ी एक रकअ़त पढ़ी और दो सज्दे किये और फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने इसी त़रह किया था।

٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

बाब 4 : सह्व के सज्दों के बाद फिर तशह्हुद न पढ़े

وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: لاَ يَتَشَهَّدُ

और अनस (रज़ि.) और ह़सन बस़री ने सलाम फेरा (या'नी सज्द-ए-सह्व के बाद) और तशह्हुद नहीं पढ़ा और क़तादा ने कहा कि तशह्हुद न पढ़े

١٢٢٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيْمَةَ السَّخْتِيَانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

1228. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें अय्यूब बिन अबी तमीमा सुख़्तियानी ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद

बिन सीरीन ने और उन्हें ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दो रकअ़त पढ़कर उठ खड़े हुए तो ज़ुल्यदैन ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ कम कर दी गई है? या आप भूल गये हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों से पूछा कि क्या ज़ुल्यदैन सच कहते हैं। लोगों ने कहा जी हाँ! ये सुनकर रसूलुल्लाह खड़े हुए और दो रकअ़त जो रह गईं थीं उनको पढ़ा फिर सलाम फेरा, फिर अल्लाहु-अक्बर कहा और अपने सज्दे की त़रह (या'नी नमाज़ के मा'मूली सज्दे की त़रह) सज्दा किया या उससे लम्बा फिर सर उठाया।

(राजेअ़ : 482)

سِيرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ)).

[راجع: ٤٨٢]

तश्रीह : दूसरे मुक़ाम पर ह़ज़रत इमाम बुख़ारी ने दूसरा त़रीक़ा ज़िक्र किया है जिसमें दूसरा सज्दा भी मज़्कूर है लेकिन तशहुद मज़्कूर नहीं तो मा'लूम हुआ कि सज्द-ए-सह्व के बाद तशह्हुद नहीं है। चुनाचे मुह़म्मद बिन सीरीन से महफ़ूज़ है और जिस ह़दीष़ में तशहहुद मज़्कूर है उसको बैहक़ी और इब्ने अ़ब्दुल बर वग़ैरह ने ज़ईफ़ कहा है। (ख़ुलासा फ़त्हुल बारी)

हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अ़लक़मा ने, उन्होंने कहा कि मैंने मुह़म्मद बिन सीरीन से पूछा कि सज्द-ए-सह्व में तशह्हुद है? आपने जवाब दिया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) की ह़दीष़ में तो इसका ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ : ((قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ)).

बाब 5 : सह्व के सज्दों में तक्बीर कहना

٥- بَابُ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

इसमें इख़्तिलाफ़ है कि नमाज़ से सलाम फेरकर जब सह्व के सज्दे को जाएं तो तकबीरे-तहरीमा कहें या सज्दे की तकबीर काफ़ी है. जुम्हूर के नज़दीक यही काफ़ी है और अह़ादीष़ का ज़ाहिर भी यही है। (फ़त्हुल बारी)

1229. हमसे ह़फ़्स़ बिन उ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे मुह़म्मद बिन सीरीन ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने तीसरे पहर की दो नमाज़ों (ज़ुहर और अ़स्र) में से कोई नमाज़ पढ़ी। मेरा ग़ालिब गुमान है कि वो अ़स्र ही की नमाज़ थी। इसमें आप (ﷺ) ने दो रकअ़तों पर सलाम फेर दिया। फिर आप एक पेड़ के तने से जो मस्जिद की अगली स़फ़ में था, टेक लगाकर खड़े हो गए। आप अपना हाथ उस पर रखे हुए थे। ह़ाज़िरीन में अबूबक्र (रज़ि.) और उ़मर (रज़ि.) भी थे, लेकिन उन्हें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई।

١٢٢٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِيْهِمْ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَابَا أَنْ

يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ)).

[راجع: ٤٨٢]

जो लोग (जल्दबाज़ क़िस्म के) लोग नमाज़ पढ़ते ही मस्जिद से निकल जाने के आदी थे, वो बाहर जा चुके थे। लोगों ने कहा, क्या नमाज़ की रकअ़तें कम हो गई? एक शख़्स जिन्हें नबी करीम (ﷺ) ज़ुल्यदैन कहते थे। वो बोले या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप भूल गये या नमाज़ में कमी हो गई? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़रमाया, न मैं भूला हूँ और न नमाज़ की रकअ़तें कम हुई हैं। ज़ुल्यदैन बोले नहीं आप भूल गये हैं। इसके बाद आप (ﷺ) ने दो रकअ़तें और पढ़ीं और सलाम फेरा, फिर तक्बीर कही और मा'मूल के मुताबिक़ या उससे भी तवील सज्दा किया। जब सज्दे से सर उठाया तो फिर तक्बीर कही और फिर तक्बीर कहकर सज्दे में गये। ये सज्दा भी मा'मूल की तरह या उससे तवील था। इसके बाद आप (ﷺ) ने सर उठाया और तक्बीर कही। (राजेअ़ : 482)

١٢٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الأَسَدِيِّ حَلِيْفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ)). تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيْرِ.

1230. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अअ़रज ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन बुहैना असदी ने जो बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब के हलीफ़ थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ में क़अ़दा ऊला किये बग़ैर खड़े हो गये। हालाँकि उस वक़्त आपको बैठना चाहिये था। जब आपने नमाज़ पूरी की तो आपने बैठे-बैठे ही सलाम से पहले दो सज्दे सह्व किये और हर सज्दे में अल्लाहु-अक्बर कहा। मुक़्तदियों ने भी आपके साथ ये दो सज्दे किये। आप बैठना भूल गये थे। इसलिये ये सज्दे उसी के बदले में किये थे। इस रिवायत की मुताबअ़त इब्ने जुरैज ने इब्ने शिहाब से तक्बीर के ज़िक्र में की है।

٦- بَابُ إِذَا لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

बाब 6 : अगर किसी नमाज़ी को ये याद न रहे कि तीन रकअ़तें पढ़ी है या चार तो वो सलाम से पहल बैठे-बैठे ही दो सज्दे कर ले

١٢٣١ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ

1231. हमसे मआ़ज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन अबी अ़ब्दुल्लाह दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

फ़र्माया कि जब नमाज़ के लिये अज़ान होती है तो शैतान हवा ख़ारिज करता हुआ भागता है, ताकि अज़ान न सुने। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो फिर आ जाता है। फिर जब इक़ामत होती है तो फिर भाग पड़ता है। लेकिन इक़ामत ख़त्म होते ही फिर आ जाता है और नमाज़ी के दिल में तरह-तरह के वस्वसे डालता है और कहता है कि फलाँ-फलाँ बात याद कर। इस तरह वो बातें याद दिलाता है जो उसके ज़हन में नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ़ नमाज़ी को ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकअतें उसने पढ़ी हैं। इसलिये अगर किसी को ये याद न रहे कि तीन रकअत पढ़ी या चार तो बैठे ही बैठे सह्व के दो सज्दे कर ले। (राजेअ: 608)

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا - مَالَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى. فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى- ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)).

[راجع: ٦٠٨]

तश्रीह : या'नी जिसको इस क़दर बेअंदाज़ वस्वसे पड़ते हों उसके लिये सिर्फ़ सह्व के दो सज्दे काफ़ी हैं। हसन बसरी और सलफ़ का एक गिरोह उसी तरफ़ गये हैं कि इस हदीष़ से कष़ीरुल वसाविस आदमी मुराद है और इमाम बुख़ारी (रह.) के बाब से भी यही मा'लूम होता है (लिल अल्लामतुल ग़ज़्नवी) और इमाम मालिक (रह.), शाफ़िई (रह.) और अहमद (रह.) इस हदीष़ को मुस्लिम वग़ैरह की हदीष़ पर महमूल करते हैं तो अबू सईद (रज़ि.) से मरवी है कि अगर शक दो या तीन में हैं तो दो समझे और अगर तीन या चार में है तो तीन समझे। बक़िया को पढ़कर सह्व के दो सज्दे सलाम से पहले दे दे। (नसरुल बारी, जिल्द नं. 1, पेज नं. 447)

बाब 7 : सज्द-ए-सह्व फ़र्ज़ और नफ़्ल दोनों नमाज़ों में करना चाहिये और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने वित्र के बाद ये दो सज्दे किये

٧- بَابُ السَّهْوُ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ

1232. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अबू सलमा बिन अब्दुर्रह्मान ने और उन्हें हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम में से जब कोई नमाज़ पढ़ने के लिये खड़ा होता है तो शैतान आकर उसकी नमाज़ में शुब्हा पैदा कर देता है फिर उसे ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकअतें पढ़ीं। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो तो बैठे-बैठे दो सज्दे कर ले। (राजेअ: 608)

١٢٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)). [راجع: ٦٠٨]

तशरीह : या'नी नफ़्ल नमाज़ में भी फ़र्ज़ की तरह सज्द-ए-सह्व करना चाहिये या नहीं। फिर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के फ़ेअ़ल और हदीषे मज़्कूर से षाबित किया कि सज्द-ए-सह्व करना चाहिये। इसमें उन पर रद्द है जो इस बारे में फ़र्ज़ और नफ़्ल नमाज़ों का इम्तियाज़ करते हैं।

बाब 8 : अगर नमाज़ी से कोई बात करे और वो सुनकर हाथ के इशारे से जवाब दे तो नमाज़ फ़ासिद न होगी

٨- بَابُ إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

1233. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझे अ़म्र बिन हारिष ने ख़बर दी, उन्हें बुकैर ने, उन्हें कुरैब ने कि इब्ने अ़ब्बास, मिस्वर बिन मख़रमा और अ़ब्दुर्रहमान बिन अज़हर (रज़ि.) ने उन्हें हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा और कहा हज़रत आइशा (रज़ि.) से हम सबका सलाम कहना और उसके बाद अ़स्र के बाद की दो रकअ़तों के बारे में दरयाफ़्त करना। उन्हें ये भी बता देना कि हमें ख़बर हुई है कि आप ये दो रकअ़तें पढ़ती हैं। हालाँकि हमें आँहज़रत (ﷺ) से ये हदीष पहुँची है कि नबी करीम (ﷺ) ने इन दो रकअ़तों से मना किया है और इब्ने अ़ब्बास ने कहा कि मैंने उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ इन रकअ़तों के पढ़ने पर लोगों को मारा भी था। कुरैब ने बयान किया कि मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पैग़ाम पहुँचाया। इसका जवाब आपने ये दिया कि उम्मे सलमा (रज़ि.) से इसके मुता'ल्लिक़ दरयाफ़्त करूँ। चुनाँचे मैं उन हज़रात की ख़िदमत में वापस हुआ और आइशा (रज़ि.) की गुफ़्तगू नक़ल कर दी। उन्होंने मुझे उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में भेजा, उन्हीं पैग़ामात के साथ जिनके साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास भेजा था। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ये जवाब दिया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है कि आप अ़स्र के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि अ़स्र के बाद आप (ﷺ) खुद ये दो रकअ़तें पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप मेरे घर तशरीफ़ लाए। मेरे पास अन्सार के क़बीला बनू हराम की चन्द औरतें बैठी हुई थीं इसलिये मैंने एक बाँदी को आप (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा। मैंने उससे कह दिया था कि वो आपके बाज़ू में होकर ये पूछे कि उम्मे सलमा कहती है, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप तो इन दो रकअ़तों से मना किया करते थे, हालाँकि मैं देख रही हूँ कि आप खुद उन्हें

١٢٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيْهِمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا. فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ. فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ قُولِي لَهُ : تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ

فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ)).

[طرفه في: ٤٣٧٠].

पढ़ते हैं। अगर आँहज़रत हाथ से इशारा करें तो तुम पीछे हट जाना। बाँदी ने फिर इसी तरह किया और आप (ﷺ) ने हाथ से इशारा किया तो वो पीछे हट गई। फिर जब आप फ़ारिग़ हुए तो (आप ﷺ ने उम्मे सलमा से) फ़र्माया कि ऐ अबू उमय्या की बेटी! तुमने अ़स्र के बाद की दो रकअ़तों के मुता'ल्लिक़ पूछा, बात ये है कि मेरे पास अ़ब्दे क़ैस के कुछ लोग आ गये थे और उनके साथ बात करने में ज़ुहर के बाद की दो रकअ़तें नहीं पढ़ सका था, सो ये वही दो रकअ़तें हैं।

(दीगर मक़ाम : 7380)

नमाज़ी से कोई बात करे और वो सुनकर इशारा से कुछ जवाब दे दे तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। जैसा कि ख़ुद नबी करीम (ﷺ) का जवाबी इशारा इस ह़दीष़ से षाबित है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के फ़ेअ़ल से ह़स्बे मौक़ा किसी ख़िलाफ़े शरीअ़त काम पर मुनासिब त़ौर पर मारना और सख़्ती से मना करना भी षाबित हुआ।

٩- بَابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ قَالَهُ كُرَيْبٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 9 : नमाज़ में इशारा करना, ये कुरैब ने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से नक़ल किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से

١٢٣٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ، وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ بِلاَلٌ، وَتَقَدَّمَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ

1234. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उनहों ने कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन अ़ब्दुर्रह़्मान ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने, उनसे सह्ल बिन सअ़द साएदी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़बर पहुँची कि अ़म्र बिन औ़फ़ के लोगों में बाहम कोई झगड़ा पैदा हो गया है तो आप चन्द स़ह़ाबा (रज़ि.) के साथ मिलाप कराने के लिये वहाँ तशरीफ़ ले गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी मशग़ूल ही थे कि नमाज़ का वक़्त हो गया। इसलिये बिलाल (रज़ि.) ने ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, इधर नमाज़ का वक़्त हो गया है। क्या आप लोगों की इमामत करेंगे? उन्होंने कहा कि हाँ अगर तुम चाहो। चुनाँचे ह़ज़रत बिलाल (रज़ि.) ने तक्बीर कही और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आगे बढ़कर तक्बीरे (तह़्रीमा) कही। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी स़फ़ों से गुज़रते हुए पहली

सफ़ में आकर खड़े हो गये। लोगों ने (हज़रत अबूबक्र रज़ि. को आगाह करने के लिये) हाथ पर हाथ बजाने शुरू कर दिये। लेकिन हज़रत अबूबक्र नमाज़ में किसी तरफ़ ध्यान नहीं दिया करते थे। जब लोगों ने बहुत तालियाँ बजाई तो आप मुतवज्जह हुए और क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने इशारे से उन्हें नमाज़ पढ़ाते रहने के लिये कहा। इस पर अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने हाथ उठाकर अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और उल्टे पाँव पीछे की तरफ़ आकर सफ़ में खड़े हो गये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों ! नमाज़ में एक अम्र पेश आया तो तुम लोग हाथ पर हाथ क्यों मारने लगे थे, ये दस्तक देना तो सिर्फ़ औरतों के लिये है। जिसको नमाज़ में कोई हादषा पेश आए तो सुब्हानल्लाह कहे, क्योंकि जब भी कोई सुब्हानल्लाह सुनेगा वो इधर ख़्याल करेगा और ऐ अबूबक्र! मेरे इशारे के बावजूद तुम लोगों को नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाते रहे? अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि भला अबू क़हाफ़ा के बेटे की क्या मजाल थी कि रसूलुल्लाह के आगे नमाज़ पढ़ाए।

(राजेअ : 673)

لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ، وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلاَّ الْتَفَتَ. يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟)) فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ)).

[راجع: ٦٨٤]

तश्रीह : बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुद इशारा से हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को नमाज़ पढ़ाते रहने का हुक्म फ़र्माया। इससे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की फ़ज़ीलत भी षाबित हुई और ये भी जब आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी हयाते मुक़द्दसा में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को अपना नाइब मुक़र्रर फ़र्माया तो नबी (ﷺ) की वफ़ात के बाद आपकी ख़िलाफ़त बिलकुल हक़ बजानिब थी। बहुत अफ़सोस है उन लोगों पर जो आँखें बन्द करके सिर्फ़ तअस्सुब की बुनियाद पर ख़िलाफ़ते सिद्दीक़ी से बग़ावत करते हैं और जुम्हूर उम्मत का ख़िलाफ़ करके मअसियते रसूल (ﷺ) के मुर्तकिब होते हैं।

1235. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि मुझ से अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ष़ौरी ने, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे फ़ातिमा बिन्ते मुन्ज़िर ने और उसने अस्मा बिन्ते अबूबक्र (रज़ि.) ने बयान किया कि

١٢٣٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ:

मैं ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गई। उस वक़्त वो खड़ी नमाज़ पढ़ रही थी। लोग भी खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई? तो उन्होंने सर से आसमान की त़रफ़ इशारा किया। मैंने पूछा कि क्या कोई निशानी है? उन्होंने अपने सर से इशारा किया कि हाँ। (राजेअ़ : 76)

((دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَقُلْت : آيَةٌ؟ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ)). [راجع: ٨٦]

इस रिवायत से भी बहालते-नमाज़ हाथ से इशारा करना षाबित हुआ।

1236. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके बाप ड़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ौजः मुत़हहरा ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार थे। इसलिये आपने घर ही में नमाज़ पढ़ी, लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। लेकिन आप (ﷺ) ने उन्हें बैठने का इशारा किया और नमाज़ के बाद फ़र्माया कि इमाम इसलिये है कि उसकी पैरवी की जाए। इसलिये जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ। (राजेअ़ : 688)

١٢٣٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ - وَهُوَ شَاكٍ - جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا)). [راجع: ٦٨٨]

तश्रीह : या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने बह़ालते बीमारी बैठकर नमाज़ पढ़ी और मुक़्तदियों की त़रफ़ नमाज़ में इर्शाद फ़र्माया कि बैठ जाओ। उससे मा'लूम होता है कि जब इमाम बैठकर नमाज़ पढ़े तो मुक़्तदी भी बैठकर नमाज़ पढ़ें लेकिन वफ़ात की बीमारी में आपने बैठकर नमाज़ पढ़ाई और स़ह़ाबा ने आपके पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, इससे मा'लूम हुआ कि पहला अम्र मन्सूख़ है। (किरमानी)

23. किताबुल जनाइज़

जनाज़े के अहकामो-मसाइल

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तश्रीह : जनाइज़ जनाज़े की जमा है। जिसके मा'नी मय्यत के हैं। लफ़्ज़ जनाइज़ की वज़ाहत ह़ज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीष़ उ़बैदुल्लाह मुबारकपुरी किताबुल्जनाइज़ि बिफ़तहिल्जीम जम्उ जनाज़तिन बिल्फ़तहि वल्कस्रि

वल्कस्रु अफ़्सहु इस्मुल्लिलमय्यति फ़िन्नअशि औ बिल्फ़तहि इस्मुन लिज़ालिक व बिल्कस्रि इस्मुन्नअशि व अलैहिल्मय्यतु व क़ील अक्सुहू व कील हुमा लुगतानि फीहिमा फइल्लम यकुन अलैहि मय्यतुन फहुव सरीरुन व नअशुन व हिय मिन जनज़हू यज्निज़हू बाबु जरब इजा सतरहू जकरहू इब्नु फ़ारिस व गैरुहू औरद किताबल्जनाइज़ बअदस्सलाति कअक्षरिल्मुसन्निफ़ीन मिनल्मुहद्दिषीन वल्फ़ुक़हाइ लिअन्नल्लज़ी युफ़्अलु बिल्मय्यति मिन गुस्लिन व तक्फ़ीनिन व गैर ज़ालिक लहिमुस्सलातु अलैहि लिमा फ़ीहा मिन फ़ाइदतिद्दआइ लहू बिन्नजाति मिनल्अज़ाबि ला सीमा अज़ाबल्क़ब्रि अल्लज़ी सयुदफ़नु फ़ीहि व क़ील लिअन्न लिल्इन्सानि हालतैनि हालतुल्हयाति व हालतुल्ममाति व यतअल्लकु बिकुल्लिम्मिन्हुमा अहकामल्इबादाति व अहकामुल्मुआमलाति व अहम्मुल्इबादाति अस्सलातु फ़लम्मा फ़रगू मिन अहकामिल्मुतअल्लिकति अहयाइ ज़करू मा यतअल्लक बिल्मौता मिनस्सलाति व गैरहा क़ील शरअत सलातुल्जनाज़ति बिल्मदीनति फ़िस्सनतिल्ऊला मिनल्हिज्रति बिमक्कत कब्लल्हिज्रति लम युसल्ल अलैहि (मिर्आत, जिल्द 02, पेज 402)

ख़ुलासा ये कि लफ़्ज़ जनाइज़ जीम के ज़बर के साथ जनाज़े की जमा है और लफ़्ज़े जनाज़ा जीम के ज़बर और ज़ेर दोनों के साथ जाइज़ है मगर ज़ेर के साथ लफ़्ज़ जनाज़ा ज़्यादा फ़सीह है। मय्यत जब चारपाई या तख़्ता में छुपा दी जाए तो उस वक़्त लफ़्ज़ जनाज़ा मय्यत पर बोला जाता है। या ख़ाली उस तख़्ते पर जिस पर मय्यत को रखा जाए। जब इस पर मय्यत न हो तो वो तख़्ता या चारपाई है। ये बाब ज़रब यज़्रिबु से है जब मय्यत को छुपाले (अल्लामा शौकानी ने भी नैलुल औतार में तक़रीबन ऐसा ही लिखा है) मुहद्दिषीन और फ़ुक़हा की अकषरियत नमाज़ के बाद ही किताबुल जनाइज़ लाते हैं, इसलिये कि मय्यत की तज्हीज़ व तक्फ़ीन व गुस्ल वग़ैरह नमाज़े जनाज़ा ही के पेशेनज़र की जाती है। इसलिये कि इस नमाज़ में उसके लिये नजाते उख़रवी और अज़ाबे क़ब्र से बचने की दुआ की जाती है और ये भी कहा गया है कि इंसान के सामने दो ही हालतें होती हैं एक हालत ज़िन्दगी के बारे में, दूसरी हालत मौत के बारे में और हर हालत के बारे में इबादात और मुआमलात के अहकामात वाबस्ता हैं और इबादात में अहम चीज़ नमाज़ है। पस जब ज़िन्दगी के मुता'ल्लिक़ात से फ़रागत हुई तो अब मौत के बारे में नमाज़ वग़ैरह का बयान ज़रूरी हुआ। कहा गया है कि नमाज़े जनाज़ा हिज्रत के पहले ही साल मदीना शरीफ़ में मशरूअ हुई। जो लोग हिज्रत से पहले मक्का ही में फ़ौत हुए उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी गई। इन्तिहा, वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) वाली हदीष बाब के ज़ेल में मुहतरम शैख़ुल हदीष फ़र्माते हैं, **क़ालल्हाफ़िज़ु लैस फ़ी कौलिही इल्ला दख़लल्जन्नत मिनल्इश्कालि मा तक़द्दम फिस्सियाकिल्माज़ी अय फ़ी हदीषि अनसिन अल्मुतकद्दमु लिअन्नहू अअम्मु मिन अंय्यकून कब्लत्तअज़ीबि औ बअदहू इन्तिहा फफ़ीहि इशारतुन इला अन्नहू मक़्तुउन लहू बिदुख़ूलिलजन्नति लाकिन इंल्लम यकुन साहिब कबीरतिन मात मुसिर्रन अलैहा फ़हुव तहतल्मशीअति फ इन उफिय अन्हु दख़ल अव्वलन व इल्ला उज़्ज़िब बिक़रिहा षुम्म उख़्रिज मिन्नारि व ख़ल्लद फ़िल्जन्नति कजा कर्रुरू फ़ी शर्हिल्हदीषि** (मिर्आत, जिल्द 1, पेज 57)

या'नी हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष में कोई इश्काल नहीं है। उसमें इशारा है कि कलिमा तय्यिबा तौहीद व रिसालत का इक़रार सहीह करने वाला और शिर्के-जली और ख़फ़ी से पूरे तौर पर परहेज़ करने वाला ज़रूर जन्नत में जाएगा ख़्वाह उसने ज़िना और चोरी भी किया हो। उसका ये जन्नत में जाना या तो गुनाहों का अज़ाब भुगतने के बाद होगा या पहले भी हो सकता है। ये अल्लाह की मशिय्यत पर मौक़ूफ़ है। उसका जन्नत में एक न एक दिन दाख़िल होना क़त्ई है और अगर वो गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब नहीं हुआ और कलिमा तय्यिबा ही पर रहा तो वो अव्वल ही में जन्नत में दाख़िल हो जाएगा।

इस बारे में जो मुख़्तलिफ़ अहादीष वारिद हुई हैं। सब में तत्बीक़ यही है कि किसी हदीष में इज्माल है और किसी में तफ़्सील है सबको पेशे-नज़र रखना ज़रूरी है। एक शिर्क ही ऐसा गुनाह है जिसके लिये जहन्नम में हमेशगी की सज़ा मुक़र्रर की गई है। ख़ुद क़ुर्आन मजीद में है **इन्नल्लाह ला यगफ़िरु अंय्युश्रक बिही व यगफ़िरु मा दून ज़ालिक लिमंय्यशा** (अन् निसा : 116) या'नी 'बेशक अल्लाह पाक हर्गिज़ नहीं बख़्शेगा कि उसके साथ किसी को शरीक बनाया जाए और उस गुनाह के अलावा वो जिस भी गुनाह को चाहे बख़्श सकता है। **अआज़नल्लाहु मिनशिर्किल्जली वल्ख़फ़ी आमीन**

बाब 1 : जनाइज़ के बाब में जो हदीषें आई हैं

١ - بَابُ فِي الْجَنَائِزِ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

उनका बयान और जिस शख़्स का आख़िरी कलाम ला इलाह इलल्लाह हो, उसका बयान और वुहैब बिन मुनब्बा (रह.) से कहा गया कि क्या ला इलाह इलल्लाह जन्नत की कुन्जी नहीं है? तो उन्होंने फ़र्माया कि ज़रूर है लेकिन कोई कुन्जी ऐसी नहीं होती जिसमें दाने न हो। इसलिये अगर तुम दाने वाली कुन्जी लाओगे तो ताला (क़ुफ़्ल) खुलेगा वरना नहीं।

وَقِيْلَ لِوَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَلَيْسَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحٌ إِلاَّ لَهُ أَسْنَانٌ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، وَإِلاَّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ.

तश्रीह : बाब मा जाअ हदीषे बाब की शरह और तफ़्सीर है। या'नी हदीषे बाब में जो आया है कि मेरी उम्मत में से जो शख़्स तौहीद पर मरेगा वो बहिश्त में दाख़िल होगा अगरचे उसने ज़िना चोरी वग़ैरह भी की हो। उससे ये मुराद है कि उसका आख़िरी कलाम जिस पर उसका ख़ातिमा हो **ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलल्लाह** नाम है सारे कलिमे का जिस तरह **कुल हुवल्लाहु अहद** नाम है सारी सूरह का। कहते हैं कि मैंने **कुल हुवल्लाह** पढ़ी और मतलब ये होता है कि वो सूरत पढ़ी जिसके अव्वल में **क़ुल हुवल्लाह** के अल्फ़ाज़ हैं । (लिल अ़ल्लामतुल ग़ज़नवी)

इसकी वज़ाहत हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष (रह.) यूँ फ़र्माते हैं **वत्तल्क़ीनु अंय्यज़्कुरहू इन्दहू व यक़ूलुहू बिहज्रतिही व यतलफ़्फ़ज़ु बिही इन्दहू हत्ता यस्मअ लियतफत्तन फयक़ूलुहू ला अंय्यामुरहू बिही व यकूलु ला इलाह इल्लल्लाहु इल्ला अंय्यकून काफ़िरन फयकूलु लहू कुल कमा क़ाल रसूल (ﷺ) लिअम्मिही अबी तालिब व लिलगुलामिल्यहूदी** (मिर्क़ात, जिल्द 2, पेज 447) या'नी तल्क़ीन का मतलब ये कि उसके सामने उस कलिमा का ज़िक्र करे और उसके सामने उसके लफ़्ज़ अदा करे ताकि वो ख़ुद ही समझकर अपनी ज़ुबान से ये कहने लग जाए। उसे हुक्म न करे बल्कि उसके सामने **ला इलाहा इल्लल्लाह** कहता रहे और अगर ये तल्क़ीन किसी काफ़िर को करनी है तो इस तरह तल्क़ीन करे जिस तरह आँहज़रत (ﷺ) ने अपने चचा अबू तालिब और एक यहूदी लड़के को तल्क़ीन की थी या'नी तौहीद व रिसालत दोनों के इक़रार के लिये **ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदर्रसूलल्लाह** के साथ तल्क़ीन करे। मुसलमान के लिये तल्क़ीन में सिर्फ़ कलिमा तय्यिबा **ला इलाहा इल्लल्लाह** ही काफ़ी है। इसलिये कि वो मुसलमान है और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की रिसालत पर उसका ईमान है। लिहाज़ा तल्क़ीन में सिर्फ़ कलिमा तौहीद ही उसके लिये मन्क़ूल है। **व नक़ल जमाअतुम्मिनल्अस्हाबि अन्नहूयुज़ीफ़ इलैहा मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि (ﷺ)** (मिर्क़ात, हवाला मज़्कूर)। या'नी कुछ अस्हाब से ये भी मन्क़ूल है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) का भी इज़ाफ़ा किया जाए मगर जुम्हूर से सिर्फ़ **ला इलाहा इल्लल्लाह** के ऊपर इक्तिसार करना मन्क़ूल है। मगर ये हक़ीक़त पेशे-नज़र रखनी ज़रूरी है कि कलिमा तय्यिबा तौहीद व रिसालत के दोनों अज्ज़ाअ या'नी **ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलल्लाह** ही का नाम है। अगर कोई शख़्स सिर्फ़ पहला जुज़ तस्लीम करे और दूसरे जुज़ से इंकार करे तो वो भी इन्दल्लाह काफ़िरे मुत्लक़ ही है।

1237. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे महदी बिन मैमून ने, कहा कि हमसे वासिल बिन अहदब (कुबड़े) ने, उनसे मअ़रूर बिन सुवैद ने बयान किया और उन से हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया (कि ख़्वाब में) मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला (फ़रिश्ता) आया। उसने मुझे ख़बर दी, या आप (ﷺ) ने ये फ़र्माया कि उसने मुझे ख़ुश ख़बरी दी कि मेरी उम्मत में से जा

١٢٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ : بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ

कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह तआला के साथ उसने कोई शरीक न ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा कि अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे चोरी की हो।

(दीगर मक़ाम : 1408, 2388, 3222, 7528, 6268, 6443, 6444, 7478)

يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ)). قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ)).

[أطرافه في: ١٤٠٨، ٢٣٨٨، ٣٢٢٢، ٥٨٢٧، ٦٢٦٨، ٦٤٤٣، ٦٤٤٤، ٧٤٨٧].

तश्रीह : इब्ने रशीद ने कहा अन्देशा है कि इमाम बुख़ारी (रह.) की ये मुराद हो कि जो शख़्स इख़्लास के साथ ये कलिम-ए-तौहीद मौत के वक़्त पढ़ ले तो उसके गुज़िश्ता गुनाह साक़ित होकर मुआफ़ हो जाएँगे और इख़्लास मुल्तज़िमे तौबा और नदामत है और इस कलिमे का पढ़ना इस के लिये निशानी हो और अबू ज़र की ह़दीष़ इस वास्ते लाए ताकि ज़ाहिर हो कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ना काफ़ी नहीं बल्कि ए'तिक़ाद और अमल ज़रूरी है। इस वास्ते किताबुल्लिबास में अबू ज़र (रज़ि.) की ह़दीष़ के आख़िर में है कि अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) कहते हैं कि ये ह़दीष़ मौत के वक़्त के लिये है या उससे पहले जब तौबा करे और नादिम हो। वुहैब के अष़र को मुअल्लिफ़ ने अपनी तारीख़ मे मौसूलन रिवायत किया है और अबू नुऐम ने ह़ुलिया में। (फ़त्ह़ुलबारी)

1238. हमसे उमर बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ह़फ़्स़ बिन ग़यास ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि हमसे शक़ीक़ बिन सलमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता था तो जहन्नम में जाएगा और मैं ये कहता हूँ कि जो इस ह़ाल में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक न ठहराता हो वो जन्नत में जाएगा। (दीगर मक़ाम : 4497, 6673)

١٢٣٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ دَخَلَ النَّارَ)). وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

[طرفاه في: ٤٤٩٧، ٦٦٨٣].

तश्रीह : उसकी मज़ीद वज़ाह़त ह़दीषे़ अनस (रज़ि.) में मौजूद है कि अल्लाह पाक ने फ़र्माया ऐ इब्ने आदम! तू दुनिया भर के गुनाह लेकर मुझसे मुलाक़ात करे मगर तूने शिर्क न किया हो तो मैं तेरे पास दुनिया भर की मग़्फ़िरत लेकर आऊँगा (रवाहुत्तिर्मिज़ी) ख़ुलासा ये कि शिर्क बदतरीन गुनाह है और तौह़ीद अअ़ज़म तरीन नेकी है। मुअह़्ह़िद गुनाहगार मुश्रिक इ़बादत गुज़ार से बहरहाल हज़ार दर्जे बेहतर है।

बाब 2 : जनाज़े में शरीक होने का हुक्म

٢- بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

1239. हमसे अबू वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे अशअ़ष़ बिन अबी अशअ़शा ने, उन्होंने कहा कि मैंने मुआविया बिन सुवैद बिन मुक़र्रिन से सुना, वो बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से नक़ल करते थे कि हमें नबी करीम (ﷺ) ने सात कामों का हुक्म दिया और सात कामों से रोका। हमें आप (ﷺ) ने हुक्म दिया था जनाज़े के साथ

١٢٣٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا

चलने, मरीज़ की मिज़ाजपुर्सी, दा'वत क़ुबूल करने, मज़लूम की मदद करने का, क़सम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का, छींक पर यरहमुकल्लाह कहने का और आप (ﷺ) ने हमें मना किया था चाँदी का बर्तन (इस्ते'माल में लाने) से, सोने की अंगूठी पहनने से, रेशम और रिबाज (के कपड़ों के पहनने) से, क़सी से, इस्तबरक़ से।

(दीगर मक़ाम : 2445, 5175, 5635, 5650, 5838, 5849, 5863, 6222, 6235, 6654)

بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ. وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ))

[أطرافه في: ٢٤٤٥، ٥١٧٥، ٥٦٣٥، ٥٦٥٠، ٥٨٣٨، ٥٨٤٩، ٥٨٦٣، ٦٢٢٢، ٦٢٣٥، ٦٦٥٤].

तश्रीह़ : दीबाज और क़सी और इस्तबरक़ ये भी रेशमी कपड़ों की क़िस्में हैं। क़सी कपड़े शाम से या मिस्र से बनकर आते और इस्तबरक़ मोटा रेशमी कपड़ा। ये सब छः चीज़ें हुईं। सातवीं चीज़ का बयान इस रिवायत में छूट गया है। वो रेशमी चारजामों पर सवार होना या रेशमी गद्दियों पर जो ज़ीन के ऊपर रखी जाती हैं।

1240. हमसे मुह़म्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़म्र बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने, उन्होंने कहा कि मुझे इब्ने शिहाब ने ख़बर दी, कहा कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि मुसलमान के मुसलमान पर पाँच ह़क़ है, सलाम का जवाब देना, मरीज़ का मिज़ाज मा'लूम करना, जनाज़े के साथ चलना, दा'वत क़ुबूल करना और छींक पर (अलह़म्दुलिल्लाह के जवाब में) यरहमुकल्लाह कहना। इस रिवायत की मुताबअ़त अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने की है। उन्होंने कहा कि मुझे मअ़मर ने ख़बर दी थी। और इसकी रिवायत सलमा ने भी अ़क़ील से की है।

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.

तश्रीह़ : इस ह़दीष़ से मा'लूम हुआ कि मुसलमान के जनाज़े में शिर्कत करना भी हुक़ूक़े मुस्लिमीन में दाख़िल है। ह़ाफ़िज़ ने कहा कि अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ की रिवायत को इमाम मुस्लिम (रह.) ने निकाला है और सलाम की रिवायत को ज़ेहली ने ज़हरियात में।

बाब 3 : मय्यित को जब कफ़न में लिपटाया जा चुका हो तो उसके पास जाना (जाइज़ है)

٣- بَابُ الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

1241.1242. हमसे बिश्र बिन मुह़म्मद ने बयान किया, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मअ़मर बिन राशिद और यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, कहा कि मुझे अबू

١٢٤١، ١٢٤٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي

مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: ((أَقْبَلَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ ﷺ- وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ - فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللهِ، لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ: أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَ اللهُ عَلَيْكَ فَقَد مُتَّهَا)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ أَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى. فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى. فَتَشَهَّدَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، إلى الشَّاكِرِيْنَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ حَتَّى تَلاَهَا أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ، فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَّ يَتْلُوهَا)).

सलमा ने ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) की ज़ौजा मुतह्हरा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ख़बर दी कि (जब आँहज़रत ﷺ की वफ़ात हो गई) अबूबक्र (रज़ि.) अपने घर से जो सुन्ह में था, घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गये। फिर आप किसी से गुफ़्तगू किये बग़ैर आइशा (रज़ि.) के हुज्रे में आए (जहाँ नबी करीम ﷺ की नअश मुबारक रखी हुई थी) और नबी करीम (ﷺ) की त़रफ़ गये। हुज़ूरे अकरम को बुर्दे हिबरा (यमन की बनी हुई धारीदार चादर) से ढाँप दिया गया था। फिर आपने हुज़ूर (ﷺ) का चेहरा मुबारक खोला और झुककर उसका बोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान हो ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआ़ला दो मौतें आप पर जमा नहीं करेगा। सो एक मौत के जो आपके मुक़द्दर में थी सो आप वफ़ात पा चुके। अबू सलमा ने कहा कि मुझे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने ख़बर दी कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत उ़मर (रज़ि.) उस वक़्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। हज़रत सिद्दीक़े-अक्बर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बैठ जाओ। लेकिन हज़रत उ़मर (रज़ि.) नहीं माने। आख़िर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कलिम-ए-शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी त़रफ़ मुतवज्जह हो गया और हज़रत उ़मर को छोड़ दिया। आपने फ़र्माया, अम्मा बाद! अगर कोई शख़्स तुम में से मुहम्मद (ﷺ) की इबादत करता था तो उसे मा'लूम होना चाहिये कि मुहम्मद (ﷺ) की वफ़ात हो चुकी और अगर कोई अल्लाह तआ़ला की इबादत करता है, तो अल्लाह बाक़ी रहने वाला है और वो कभी मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक फ़र्माता है, और मुहम्मद सिर्फ़ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल इस दुनिया से पहले भी गुज़र चुके हैं। (सूरह आले इमरान : 144) (आपने आयत तिलावत की) क़सम अल्लाह की! ऐसा मा'लूम हुआ कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के आयत की तिलावत से पहले जैसे लोगों को मा'लूम ही न था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने क़ुर्आन मजीद में उतारी है। अब तमाम स़हाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख़्स की ज़बान पर यही आयत थी।

(दीगर मक़ाम : 3667, 3669, 4452, 4455, 5710, 3668, 3680, 4453, 4454, 4457, 5711)

[أطرافه في: ٣٦٦٧، ٣٦٦٩، ٤٤٥٢، ٤٤٥٥، ٥٧١٠].

[أطرافه في: ٣٦٦٨، ٣٦٧٠، ٤٤٥٣، ٤٤٥٤، ٤٤٥٧، ٥٧١١].

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) का चेहर-ए-मुबारक खोला और आप को बोसा दिया। यहीं से बाब का तर्जुमा षाबित हुआ। वफ़ाते नबवी पर सहाबा किराम में एक तहलका मच गया था। मगर बरवक़्त हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उम्मत को सम्भाला और हक़ीक़ते हाल का इज़्हार फ़र्माया जिससे मुसलमानों में एकबारगी सुकून हो गया और सबको इस बात पर पूरा इत्मीनान हासिल हो गया कि इस्लाम अल्लाह का सच्चा दीन है वो अल्लाह हमेशा ज़िन्दा रहने वाला है। आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात से इस्लाम की बक़ा पर कोई अषर नहीं पड़ सकता, आप (ﷺ) रसूलों की जमाअत के एक फ़र्दे–फ़रीद हैं और दुनिया में जो भी रसूल आएँ हैं अपने अपने वक़्त पर सब दुनिया से रुख़सत हो गये। ऐसे ही आप भी अपना मिशन पूरा करके मलअे आला से जा मिले। सल्लल लाहु अलैहि व सल्लम, अला हबीबिही व बारिक व सल्लिम। कुछ सहाबा किराम (रज़ि.) का ये ख़्याल भी हो गया था कि आँहज़रत (ﷺ) दोबारा ज़िन्दा होंगे। इसीलिये हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह पाक आप (ﷺ) पर दो मौत तारी नहीं करेगा। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।

1243. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने कहा, उनसे अक़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्होंने फ़र्माया कि मुझे ख़ारजा बिन ज़ैद बिन षाबित ने ख़बर दी कि उम्मे अलअलाअ अन्सार की एक औरत ने, जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) से बैअत की थी, ने उन्हें ख़बर दी कि मुहाजिरीन कुर्आ डालकर अन्सार में बाँट दिये गये तो हज़रत उष्मान बिन मज़ऊन (रज़ि.) हमारे हिस्से में आए। चुनाँचे हमने उन्हें अपने घर में रखा। आख़िर वो बीमार हुए और उसी में वफ़ात पा गये। वफ़ात के बाद ग़ुस्ल दिया गया और कफ़न में लपेट दिया गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अबू साइब! आप पर अल्लाह की रहमतें हों मेरी आपके मुता'ल्लिक़ शहादत ये है कि अल्लाह तआला ने आपकी इज़्ज़त फ़र्माई है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हें कैसे मा'लूम हुआ कि अल्लाह तआला ने इनकी इज़्ज़त फ़र्माई है? मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान हो, फिर किसकी अल्लाह तआला इज़्ज़त-अफ़ज़ाई करेगा? आपने फ़र्माया, इसमें शुब्हा नहीं कि उनकी मौत आ चुकी, क़सम अल्लाह की कि मैं भी इनके लिये ख़ैर की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन वल्लाह! मुझे ख़ुद अपने मुता'ल्लिक़ भी मा'लूम नहीं कि मेरे साथ क्या मामला होगा। हालाँकि मैं

١٢٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ اقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَكْرَمَهُ؟)) فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللهُ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ((أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ. وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَاللهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللهِ - مَا يُفْعَلُ بِي)). قَالَتْ:

अल्लाह का रसूल हूँ। उम्मे अल-अलाअ ने कहा कि ख़ुदा की क़सम! अब मैं कभी किसी के मुता'ल्लिक़ (इस तरह की) गवाही नहीं दूँगी।

فَوَ اللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

तश्रीह : इस रिवायत में कई उमूर का बयान है। एक तो उसका कि जब मुहाजिरीन मदीना में आए तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनकी परेशानी दूर करने के लिये अंसार से उनका भाईचारा क़ायम करा दिया। इस बारे में कुर्आ-अंदाज़ी की गई और जो मुहाजिर जिस अंसारी के ह़िस्से में आया वो उसके ह़वाले कर दिया गया। उन्होंने सगे भाई से ज़्यादा उनकी ख़ातिर तवाजोअ़ की। बाब का तर्जुमा इससे निकला कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ग़ुस्ल व कफ़न के बाद उ़ष्मान बिन मज़्ऊ़न को देखा। ह़दीष़ से ये भी निकला कि किसी भी बन्दे के बारे में ह़क़ीक़त का इ़ल्म अल्लाह ही को ह़ासिल है। हमें अपने ज़न्न के मुताबिक़ उनके ह़क़ में नेक गुमान करना चाहिये। ह़क़ीक़ते ह़ाल को अल्लाह के ह़वाले करना चाहिये।

कई मुआनिदीने इस्लाम ने यहाँ ए'तिराज़ किया है कि जब आँह़ज़रत (ﷺ) को ख़ुद अपनी भी नजात का यक़ीन न था तो आप अपनी उम्मत की क्या सिफ़ारिश करेंगे।

इस ए'तिराज़ के जवाब में पहली बात जो ये है कि आँह़ज़रत (ﷺ) का ये इर्शाद गिरामी इब्तिदा-ए-इस्लाम का है, बाद में अल्लाह ने आपको सूरह फ़तह़ में ये बशारत दी कि आपके अगले और पिछले गुनाह बख़्श दिये गये तो ये ए'तिराज़ ख़ुद दूर हो गया और ष़ाबित हुआ कि उसके बाद आपको अपनी नजात के बारे में यक़ीने कामिल ह़ासिल हो गया था। फिर भी शाने बन्दगी उसको मुस्तलज़िम है कि परवारदिगार की शाने स़मदियत हमेशा मल्ह़ूज़े ख़ातिर रहे। आप (ﷺ) का शफ़ाअ़त करना बरहक़ है बल्कि शफ़ाअ़ते कुबरा का मुक़ामे मह़मूद आप (ﷺ) को ह़ासिल है।

हमसे सईद बिन उ़फ़ैर ने बयान किया और उनसे लैष़ ने साबिक़ा रिवायत की त़रह बयान किया, नाफ़ेअ़ बिन यज़ीद ने अक़ील से (मा युफ़्अलु बी के बजाय) मा युफ़्अलु बिही के अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं और इस रिवायत की मुताबअ़त शुऐब, अ़म्र बिन दीनार और मअ़मर ने की है।

(दीगर मक़ाम : 2678, 3929, 7003, 7004, 7018)

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ.. مِثْلَهُ. وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ عُقَيْلٍ: مَا يُفْعَلُ بِهِ.وَتَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَمَعْمَرٌ.

[أطرافه في : ٢٦٨٧، ٣٩٢٩، ٧٠٠٣، ٧٠٠٤، ٧٠١٨].

इस सूरत में तर्जुमा ये होगा कि क़सम अल्लाह की मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या मुआ़मला किया जाएगा। ह़ालाँकि उसके ह़क़ में मेरा गुमान नेक है।

1244. हमसे मुह़म्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ग़ुन्दर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मुह़म्मद बिन मुन्कदिर से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि जब मेरे वालिद शहीद कर दिये गये तो उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोलता और रोता था। दूसरे लोग तो मुझे इससे रोकते थे लेकिन नबी करीम (ﷺ) कुछ नहीं कह रहे थे। आख़िर मेरी चची फ़ातिमा (रज़ि.) भी रोन

١٢٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي

लगी तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग रोओ या चुप रहो। जब तक तुम लोग मय्यित को उठाते नहीं मलाइका तो बराबर इस पर अपने परों का साया किये हुए हैं। इस रिवायत की मुताबअत शुअबा के साथ इब्ने जुरैज ने की, उन्हें इब्ने मुन्कदिर ने ख़बर दी और उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से सुना।

(दीगर मक़ाम: 1293, 2816, 4080)

فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَبْكِيْنَ أَوْ لاَ تَبْكِيْنَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ)) تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[أطرافه في : ١٢٩٣، ٢٨١٦، ٤٠٨٠].

मना करने की वजह ये थी कि काफ़िरों ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वालिद को क़त्ल करके उनके नाक-कान भी काट डाले थे। ऐसी हालत में सहाबा ने ये मुनासिब जाना कि जाबिर (रज़ि.) उनको न देखें तो बेहतर होगा ताकि उनको मज़ीद सदमा न हो। हदीष़ से निकला कि मुर्दे को देख सकते हैं। इसीलिये आँहज़रत (ﷺ) ने जाबिर को मना नहीं फ़र्माया।

बाब 5 : आदमी अपनी ज़ात से मौत की ख़बर मय्यित के वारिष़ों को सुना सकता है

٥- بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

1240. हमसे इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मालिक ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्जाशी की वफ़ात की ख़बर उसी दिन दे दी जिस दिन उसकी वफ़ात हुई थी। फिर आप नमाज़ पढ़ने की जगह गये और लोगों के साथ सफ़ बाँधखर (जनाज़े की नमाज़ में) चार तक्बीरें कहीं।

(दीगर मक़ाम: 1318, 1327, 1228, 1333, 3880, 3881)

١٢٤٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)).

[أطرافه في : ١٣١٨، ١٣٢٧، ١٢٢٨، ١٣٣٣، ٣٨٨٠، ٣٨٨١].

कुछ ने उसको बुरा समझा है, इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर उनका रद्द किया क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुद नजाशी और ज़ैद और जा'फ़र और अब्दुल्लाह बिन रवाहा की मौत की ख़बरें उनके लोगों को सुनाईं, आप (ﷺ) ने नज्जाशी पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। हालाँकि वो हब्शा के मुल्क में मरा था। आप (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ फ़र्मा थे तो मय्यते ग़ायब पर नमाज़ पढ़ना जाइज़ हुआ। अहले हदीष़ और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ये जाइज़ है और हन्फ़िया ने उसमें ख़िलाफ़ किया है। ये हदीष़ उन पर हुज्जत है। अब ये तावील कि उसका जनाज़ा आँहज़रत के सामने लाया गया था फ़ासिद है क्योंकि उसकी कोई दलील नहीं। दूसरे अगर सामने भी लाया गया हो तो आँहज़रत (ﷺ) के सामने लाया गया होगा न कि सहाबा के, उन्होंने तो ग़ायब पर नमाज़ पढ़ी। (वहीदी)

नज्जाशी के बारे में हदीष़ को मुस्लिम व अहमद व निसाई व तिर्मिज़ी ने भी रिवायत किया है और सबने ही उसकी तस्हीह की है। अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़दिस्तदल्ल बिहाजिहिल्किस्सति अल्काइलून बिमशरूइय्यतिस्सलाति अलल्गाइबि अनिल्बलदि क़ाल फिल्फत्हि व बिज़ालिक कालश्शाफ़िइ व अहमद व जुम्हूरुस्सलफ़ि हत्ता क़ाल इब्नु हज़्म लम याति अन अहदिन मिनस्सहाबति मनअहू क़ालश्शाफ़िइ**

अस्सलातु अलल्मय्यति दुआउन लहू फकैफ़ ला युदआ लहू व हुव गाइबुन औ फिल्क़ब्रि (नैलुल औतार) या'नी जो हज़रात नमाज़े ग़ायबाना के क़ाइल हैं उन्होंने इसी वाक़िओ से दलील पकड़ी है और फ़त्हुलबारी में है कि इमाम शाफ़िई और अहमद और जुम्हूरे सलफ़ का यही मसलक है। बल्कि अल्लामा इब्ने हज़म का क़ौल तो ये है कि किसी भी सहाबी से उसकी मुमानअत नक़ल नहीं हुई। इमाम शाफ़िई कहते हैं कि जनाज़े की नमाज़, मय्यत के लिये दुआ है। पस वो ग़ायब हो या क़ब्र में उतार दिया गया हो, उसके लिये दुआ क्यूँ न की जाएगी।

नज्जाशी के अलावा आँहज़रत (ﷺ) ने मुआविया बिन मुआविया लैषी का जनाज़ा ग़ायबाना अदा किया जिनका इंतिक़ाल मदीना में हुआ था और आँहज़रत (ﷺ) तबूक में थे और मुआविया बिन मुक़र्रिन और मुआविया बिन मुआविया मुज़नी के बारे में ऐसे वाक़िआत नक़ल हुए हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने उसके जनाज़े ग़ायबाना अदा फ़र्माए। अगरचे ये रिवायात सनद के लिहाज़ से ज़ईफ़ है। फिर भी वाक़िआ-ए-नज्जाशी से उनकी तक़्वियत होती है।

जो लोग नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना के क़ाइल नहीं हैं वो उस बारे में मुख़्तलिफ़ ए'तिराज़ करते हैं। अल्लामा शौकानी (रह.) बह्ष के आख़िर में फ़र्माते हैं **वल्हासिल अन्नहू लम यातिल्मानिऊन मिनस्सलाति अलल्गाइबि बिशयइन युअतद्दु बिही** या'नी मानेईन कोई ऐसी दलील न ला सके हैं जिसे गिनती में शुमार किया जाए। पस षाबित हुआ कि नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना बिला कराहत जाइज़ और दुरुस्त है तफ़्सील मज़ीद के लिये नैलुल औतार (जिल्द नं. 3, पेज नं. 55,56) का मुतालआ किया जाए।

١٢٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ - وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ- ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ)).

[أطرافه في: ٢٧٩٨، ٣٠٦٣، ٣٦٣٠، ٣٧٥٧، ٦٢٤٢].

1246. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिष ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे हुमैद बिन बिलाल ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ज़ैद (रज़ि.) ने झण्डा सम्भाला लेकिन वो शहीद हो गये, फिर जा'फ़र (रज़ि.) ने सम्भाला और वो भी शहीद हो गये। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) ने सम्भाला और वो भी शहीद हो गये। उस वक़्त आप (ﷺ) की आँखों से आँसू बह रहे थे। (आप (ﷺ) ने फ़र्माया) और फिर ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने खुद अपने तौर पर झण्डा उठा लिया और उनको फ़तह हासिल हुई।

(दीगर मक़ाम : 2798, 3063, 3630, 3707, 6242)

तश्रीह : ये ग़ज़्व-ए-मौता का वाक़िआ है जो 8 हिज्री में मुल्के शाम के पास बल्क़ान की सरज़मीन पर हुआ था। मुसलमान तीन हज़ार थे और काफ़िर बेशुमार, आपने ज़ैद बिन हारिषा को अमीरे लश्कर बनाया था कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएँ तो उनकी जगह हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) क़यादत करें; अगर वो शहीद हो जाएँ तो फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा, ये तीनों सरदार शहीद हो गए। फिर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने (अज़ख़ुद) कमान सम्भाली और (अल्लाह ने उनके हाथ पर) काफ़िरों को शिकस्त दी। नबी करीम (ﷺ) ने लश्कर के लौटने से पहले ही सब ख़बरें लोगों को सुना दीं। इस हदीष में हुज़ूर (ﷺ) के कई मोअजज़ात भी मज़्कूर हुए हैं।

बाब 5 : जनाज़ा तैयार हो तो लोगों को ख़बर देना

٥- بَابُ الإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

और अबू राफ़ेअ ने अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोगों ने मुझे ख़बर

عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟)).

क्यों न दी।

١٢٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ، فَمَاتَ بِاللَّيْلِ، فَدَفَنُوهُ لَيْلاً. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟)) قَالُوا : كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا - وَكَانَتْ ظُلْمَةٌ - أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[راجع: ٨٥٧]

1247. हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, उन्हें अबू मुआविया ने ख़बर दी, उन्हें अबू इस्हाक़ शैबानी ने, उन्हें शुअबी ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि एक शख़्स की वफ़ात हो गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी इयादत को जाया करते थे। चूँकि उनका इन्तिक़ाल रात में हुआ था, इसलिये रात ही में लोगों ने उन्हें दफ़न कर दिया और जब सुबह हुई तो आँहज़रत (ﷺ) को ख़बर दी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (जनाज़ा तैयार होते वक़्त) मुझे बताने में (क्या) रुकावट थी? लोगों ने कहा रात थी और अंधेरा भी था, इसलिये हमने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आपको तकलीफ़ हो। फिर आँहज़रत (ﷺ) उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ी। (राजेअ: 857)

इस हदीष़ से षाबित हुआ कि मरने वालों के जनाज़े के लिये सबको इत्तिला होनी चाहिये और अब भी ऐसे मौक़े में जनाज़ा क़ब्र पर भी पढ़ा जा सकता है।

٦- بَابُ فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ

बाब 6 : उस शख़्स की फ़ज़ीलत जिसकी कोई औलाद मर जाए और वो अज्र की निय्यत से स़ब्र करे

وَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ﴾ [البقرة: ١٥٥]

और अल्लाह तआला ने (सूरह बक़र में) फ़र्माया है कि स़ब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी सुना।

١٢٤٨- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)).
[طرفه في: ١٣٨١].

1248. हमसे अबू मअमर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिष़ ने, उनसे अब्दुल अज़ीज़ ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी मुसलमान के अगर तीन बच्चे मर जाएँ जो बुलूग़त को न पहुँचे हों तो अल्लाह तआला उस रहमत के नतीजे में जो उन बच्चों से वह रखता है, मुसलमान (बच्चे के बाप और माँ) को भी जन्नत में दाख़िल करेगा। (दीगर मक़ाम : 1381)

١٢٤٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

1249. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, उनसे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह अस्बहानी ने, उनसे ज़क्वान ने और उनसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)

ने कि औरतों ने नबी करीम (ﷺ) से दरख़्वास्त की कि हमें भी नसीहत करने के लिये आप (ﷺ) एक दिन ख़ास फ़र्मा दीजिए। आँहज़रत (ﷺ) ने (उनकी दरख़्वास्त मंज़ूर फ़र्माते हुए एक ख़ास दिन में) उनको वा'ज़ फ़र्माया और बतलाया कि जिस औरत के तीन बच्चे मर जाएँ तो वो उसके लिये जहन्नम से पनाह बन जाते हैं। इस पर एक औरत ने पूछा, हुज़ूर! अगर किसी के दो ही बच्चे मर जाए? आपने फ़र्माया कि दो बच्चों पर भी। (राजेअ : 101)

((أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا. فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)). [راجع: ١٠١]

1250. शरीक ने इब्ने अस्बहानी से बयान किया कि उनसे अबू सालेह ने बयान किया और उनसे अबू सईद और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये भी कहा कि वो बच्चे मुराद है जो अभी बुलूग़त को न पहुँचे हों। (राजेअ : 102)

١٢٥٠ - وَقَالَ شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : ((لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ)). [راجع: ١٠٢]

1251. हमसे अली ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उन्होंने कहा कि मैंने ज़ुह्री से सुना, उन्होंने सईद बिन मुसय्यिब से सुना और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि किसी के अगर तीन बच्चे मर जाएँ तो वो दोज़ख़ में नहीं जाएगा और अगर जाएगा भी तो सिर्फ़ क़सम पूरी करने के लिये। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं। (क़ुर्आन की आयत ये है) तुम में से हर एक को दोज़ख़ के ऊपर से गुज़रना होगा। (दीगर मक़ाम : 6606)

١٢٥١ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا﴾. [طرفه في: ٦٦٥٦].

तश्रीह : नाबालिग़ बच्चों की वफ़ात पर अगर माँ—बाप सब्र करें तो उस पर षवाब मिलता है। क़ुदरती तौर पर औलाद की मौत माँ—बाप के लिये बहुत बड़ा ग़म होता है और इसीलिये अगर कोई इस पर ये समझकर सब्र कर ले कि अल्लाह तआला ही ने ये बच्चा दिया था और अब उसी ने उठा लिया तो इस हादषे की संगीनी के मुताबिक़ इस पर षवाब भी उतना ही मिलेगा। उसके गुनाह मुआफ़ हो जाएँगे और आख़िरत में उसकी जगह जन्नत में होगी। आख़िर में ये बताया गया है कि जहन्नम से यूँ तो हर मुसलमान को गुज़रना होगा लेकिन जो मोमिन बन्दे उसके मुस्तहिक़ नहीं होंगे, उनका गुज़रना बस ऐसा ही होगा जैसे क़सम पूरी की जा रही है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस पर क़ुर्आन की आयत भी लिखी है। कुछ उलमा ने उसकी ये तौजीह बयान की है कि पुल-सिरात चूँकि है ही जहन्नम पर और उससे हर इंसान को गुज़रना होगा। अब जो नेक है वो उससे बा-आसानी गुज़र जाएगा लेकिन बदअमल या काफ़िर उससे गुज़र न सकेगा और जहन्नम में चला जाएगा तो जहन्नम से यही मुराद है।

यहाँ इस बात का भी लिहाज़ रहे कि हदीष में नाबालिग़ औलाद के मरने पर उस अज्रे अज़ीम का वा'दा किया गया है। बालिग़ का ज़िक्र नहीं है हालाँकि बालिग़ और ख़ुसूसन जवान औलाद की मौत का रंज सबसे बड़ा होता है। उसकी वजह ये है कि बच्चे माँ—बाप की अल्लाह तआला से सिफ़ारिश करते हैं। कुछ रिवायतों में है कि एक बच्चे की मौत पर भी यही वा'दा मौजूद है। जहाँ तक सब्र का ता'ल्लुक़ है वो बहरहाल बालिग़ की मौत पर भी मिलेगा।

अल ग़र्ज़ जहन्नम के ऊपर से गुज़रने का मतलब पुल सिरात के ऊपर से गुज़रना मुराद है जो जहन्नम के पुश्त पर नसब है पस मोमिन का जहन्नम में जाना यही पुलसिरात के ऊपर से गुज़रना है। आयते शरीफ़ा में है, **व इम्मिन्कुम इला नारिदुहा** का यही मफ़्हूम है।

बाब 7 : किसी मर्द का किसी औरत से क़ब्र के पास ये कहना कि सब्र कर

٧- باب قول الرَّجلِ للمرأةِ عندَ القبرِ : اصبري

1252. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे साबित ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक औरत के पास से गुज़रे जो एक क़ब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि अल्लाह से डर और सब्र कर।

(दीगर मक़ाम : 1273, 1302, 7154)

(तफ़्सील आगे आ रही है)

١٢٥٢- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ : ((اتَّقِي اللهَ، وَاصْبِرِيْ)).

[أطرافه في: ١٢٨٣، ١٣٠٢، ٧١٥٤].

बाब 8 : मय्यित को पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना और वुज़ू कराना

٨- بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ

और इब्ने उमर (रज़ि.) ने सईद बिन ज़ैद (रज़ि.) के बच्चे (अ़ब्दुर्रहमान) के ख़ुश्बू लगाई फिर उसकी नअ़श उठाकर ले गये और नमाज़ पढ़ी, फिर वुज़ू नहीं किया। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुसलमान नजिस नहीं होता, ज़िन्दा हो या मुर्दा। सअ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अगर (सईद बिन ज़ैद रज़ि.) की नअ़श नजिस होती तो मैं उसे छूता ही नहीं। नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि मोमिन नापाक नहीं होता।

وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ابْنًا لِسَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا. وَقَالَ سَعْدٌ: لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ)).

1253. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने और उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने, उनसे उम्मे अ़तिया अन्सारिया (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह की बेटी (ज़ैनब या उम्मे कुलसुम (रज़ि.)) की वफ़ात हुई, आप वहाँ तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दे दो और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा दे सकती हो। गुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते मिला लो और आख़िर में काफ़ूर या (ये कहा कि) कुछ काफ़ूर का इस्ते'माल कर लेना और गुस्ल से फ़ारिग़ होने पर मुझे ख़बर कर देना।

١٢٥٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ

كَافُور. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، يَعْنِي إِزَارَهُ. [راجع: ١٦٧]

चुनाँचे हमने जब ग़ुस्ल दे लिया तो आप (ﷺ) को ख़बर दे दी। आप (ﷺ) ने हमें अपना इज़ार दिया और फ़र्माया कि इसे उनकी क़मीज़ बना दो। आपकी मुराद अपने इज़ार (तहबंद) से थी। (राजेअ़ : 168)

तश्रीह़ : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मत़लब ये है कि मोमिन मरने से नापाक नहीं हो जाता और ग़ुस्ल सिर्फ़ बदन को पाक–साफ़ करने के लिये दिया जाता है। इसलिये ग़ुस्ल के पानी में बेरी के पत्तों का डालना मसनून हुआ। इब्ने उ़मर (रज़ि.) के अष़र को इमाम मालिक ने मौत़ा में वस्ल किया। अगर मुर्दा नजिस होता तो अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) उसको न छूते न उठाते अगर छूते तो अपने अअ़ज़ा को धोते। इमाम बुख़ारी (रह.) ने उससे इस ह़दीष़ के ज़ुअ़फ़ की त़रफ़ इशारा किया कि जो मय्यत को नहलाए वो ग़ुस्ल करे और जो उठाए वो वुज़ू करे। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के क़ौल को सईद बिन मंसूर ने सनदे स़ह़ीह़ के साथ वस्ल किया और ये कि **'मोमिन नजिस नहीं होता।'** इस रिवायत को मर्फ़ूअ़न ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल ग़ुस्ल में रिवायत किया है और सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ के क़ौल को इब्ने अबी शैबा ने निकाला कि सअ़द (रज़ि.) को सईद बिन ज़ैद के मरने की ख़बर मिली। वो गये और उनको ग़ुस्ल और कफ़न दिया, ख़ुश्बू लगाई और घर में आकर ग़ुस्ल किया और कहने लगे कि मैंने गर्मी की वजह से ग़ुस्ल किया है न कि मुर्दे को ग़ुस्ल देने की वजह से। अगर वो नजिस होता तो मैं उसे हाथ ही क्यूँ लगाता। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी को अपना इज़ार तबर्रुक के त़ौर पर इनायत फ़र्माया। इसलिये इर्शाद हुआ कि उसे क़मीस़ बना दो कि ये उनके बदने मुबारक से मिला रहे। जुम्हूर के नज़दीक मय्यत को ग़ुस्ल दिलाना फ़र्ज़ है।

٩- بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وِتْرًا

बाब 9 : मय्यित को त़ाक़ मर्तबा ग़ुस्ल देना मुस्तह़ब है

١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ : ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [راجع: ١٦٧]

1254. हमसे मुह़म्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे मुह़म्मद ने, उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने कि हम रसूले करीम (ﷺ) की बेटी को ग़ुस्ल दे रही थी कि आप तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तीन या पाँच मर्तब ग़ुस्ल दो या उससे भी ज़्यादा। पानी और बेरी के पत्तों से और आख़िर में काफ़ूर भी इस्ते'माल करना। फिर फ़ारिग़ होकर मुझे ख़बर दे देना। जब हम फ़ारिग़ हुए तो आपको ख़बर कर दी। आपने अपना इज़ार इनायत फ़र्माया और फ़र्माया कि ये अन्दर उसके बदन पर लपेट दो। (राजेअ़ : 168)

فَقَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ، وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ: ((اغْسِلْنَهَا وِتْرًا)) وَكَانَ فِيهِ ((ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا)) وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ : ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا))

अय्यूब ने कहा कि मुझसे ह़फ़्स़ ने भी मुह़म्मद बिन सीरीन की ह़दीष़ की त़रह बयान किया था। ह़फ़्स़ की ह़दीष़ में था कि त़ाक़ मर्तबा ग़ुस्ल देना और उसमें ये तफ़्स़ील थी कि तीन या पाँच या सात मर्तबा (ग़ुस्ल देना) और उसमें ये भी बयान था कि मय्यित के दाईं त़रफ़ से और अअ़ज़ाए-वुज़ू से ग़ुस्ल शुरू किया जाए। ये भी इसी ह़दीष़ में था कि हम अ़तिया (रज़ि.) ने

कहा कि हमने कंघी करके उनके बालों को तीन लटों में तक़्सीम कर दिया था।

وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ.

मा'लूम हुआ कि औरत के सर में कँघी करके उसके बालों को तीन लटें गौंध कर पीछे डाल दें। इमाम शाफ़िई और इमाम अह्मद बिन ह़ंबल (रह.) का यही क़ौल है।

बाब 10 : इस बयान में कि (ग़ुस्ल) मय्यित की दाईं तरफ़ से शुरू किया जाए

١٠- بَابُ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِ الْمَيِّتِ

1255. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद ने बयान किया, उनसे ह़फ़्स़ बिन्त सीरीन ने और उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बेटी के ग़ुस्ल के वक़्त फ़र्माया था कि दाईं तरफ़ से और अअ़ज़ाए-वुज़ू से ग़ुस्ल शुरू करना। (राजेअ़ : 168)

١٢٥٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: ((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)). [راجع: ١٦٧]

हर अच्छा काम दाईं तरफ़ से शुरू करना मशरूअ़ है और इस बारे में कई अह़ादीष़ वारिद हुई हैं।

बाब 11 : इस बारे में कि पहले मय्यित के अअ़ज़ा-ए-वुज़ू को धोया जाए

١١- بَابُ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَيِّتِ

1256. हमसे यह्या बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे रबीअ़ ने बयान किया, उनसे सुफ़यान ने, उनसे ख़ालिद ह़ज़्ज़ाअ ने, उनसे ह़फ़्स़ा बिन्ते सीरीन ने और उनसे उम्मे अ़तिया ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की स़ाह़बज़ादी को हम ग़ुस्ल दे रही थी। जब हमने ग़ुस्ल शुरू कर दिया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ग़ुस्ल दाईं तरफ़ से और अअ़ज़ा-ए-वुज़ू से शुरू करे।
(राजेअ़ : 168)

١٢٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا غَسَّلْنَا ابْنَةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا - وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا -: ((ابْدَأُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)). [راجع: ١٦٧]

इससे मा'लूम हुआ कि पहले इस्तिंजा वग़ैरह कराके वुज़ू कराया जाए और कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी षाबित हुआ फिर ग़ुस्ल दिलाया जाए और ग़ुस्ल दाईं तरफ़ से शुरू किया जाता है।

बाब 12 : इसका बयान कि क्या औरत को मर्द के इज़ार का कफ़न दिया जा सकता है?

١٢- بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ

1257. हमसे अब्दुर्रहमान बिन हम्माद ने बयान किया, कहा कि हमको इब्ने औन ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद ने, उनसे उम्मे अतिया ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की एक साहबज़ादी का इन्तिक़ाल हो गया। इस मौक़े पर आपने हमें फ़र्माया कि तुम उसे तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दो और अगर मुनासिब समझो तो इससे ज़्यादा मर्तबा भी गुस्ल दे सकती हो। फिर फ़ारिग़ होकर मुझे ख़बर कर देना। चुनाँचे जब हम गुस्ल दे चुके तो आपको ख़बर दी और आप ने अपना इज़ार इनायत फ़र्माया और फ़र्माया कि इसे उसके बदन से लपेट दो। (राजेअ़ : 168)

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَونٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ((تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [راجع: ١٦٧]

इब्ने बत्ताल ने कहा कि उसके जवाज़ पर इत्तिफ़ाक़ है और जिसने ये कहा कि आँहज़रत (ﷺ) की बात और थी दूसरों को ऐसा न करना चाहिये। उसका क़ौल बे-दलील है।

बाब 13 : मय्यित के गुस्ल में काफ़ूर का इस्ते'माल आख़िर में एक बार किया जाए

١٣ - بَابُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ فِي آخِرِهِ

1258. हमसे हामिद बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे मुहम्मद ने और उनसे उम्मे अतिया (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की एक बेटी का इन्तिक़ाल हो गया था। इसलिये आप (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि उसे तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दे दो और अगर तुम मुनासिब समझो तो उससे भी ज़्यादा पानी और बेरी के पत्तों से नहलाओ और आख़िर में काफ़ूर या (ये कहा कि) कुछ काफ़ूर का भी इस्ते'माल करना फिर फ़ारिग़ होकर मुझे ख़बर देना। उम्मे अतिया (रज़ि.) ने बयान किया कि जब हम फ़ारिग़ हुए तो हमने कहला भिजवाया। आपने अपना तहबन्द हमें दिया और फ़र्माया कि इसके अन्दर जिस्म पर लपेट दो। अय्यूब ने हफ़्सा बिन्ते सीरीन से रिवायत की, उनसे उम्मे अतिया (रज़ि.) ने इसी तरह हदीष बयान की। (राजेअ़ : 168)

١٢٥٨ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: ((تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي)). قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِنَحْوِهِ. [راجع: ١٦٧]

1259. और उम्मे अतिया ने इस रिवायत में यूँ कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तीन या पाँच या सात मर्तबा या अगर तुम मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा गुस्ल दे सकती हो। हफ़्सा ने बयान किया कि उम्मे अतिया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हमने उनके सर के बाल तीन लटों में तक़्सीम कर दिये थे।

١٢٥٩ - وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ)) قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ((وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ

(राजेअ : 168)

قُرُونٍ)). [راجع: ١٦٧]

बाब 14. मय्यित औरत हो तो गुस्ल के वक़्त उसके बाल खोलना

١٤- بَابُ نَقْضِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ

और इब्ने सीरीन (रह.) ने कहा कि मय्यित (औरत) के सर के बाल खोलने में कोई हर्ज नहीं

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعْرُ الْمَيِّتِ.

1260. हमसे अह्मद बिन स़ालिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उनसे अय्यूब ने बयान किया कि मैंने ह़फ़्स़ा बिन्ते सीरीन से सुना, उन्होंने कहा कि ह़ज़रत उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने हमसे बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की स़ाह़बज़ादी के बालों को तीन लटों में तक़्सीम कर दिया था। पहले बाल खोले गये फिर उन्हें धोकर तीन चोटियाँ कर दी गईं। (राजेअ : 168)

١٢٦٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ)). [راجع: ١٦٧]

बाब 15 : मय्यित पर कपड़ा क्योंकर लपेटा जाए

١٥- بَابُ كَيْفَ الإِشْعَارُ لِلْمَيِّتِ؟

और ह़सन बस़री (रह.) ने फ़र्माया कि औरत के लिये एक पाँचवा कपड़ा चाहिये जिससे क़मीस़ के तले राने और सुरीन बाँधे जाएँ

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ

तशरीह : इसको इब्ने अबी शैबा ने वस़्ल किया। इमाम ह़सन बस़री (रह.) कहते हैं कि औरत के कफ़न में पाँच कपड़े सुन्नत है। अह़मद और अबू दाऊद की रिवायत में लैला बिन्ते क़ानिफ़ से ये है कि मैं भी उन औरतों में थी जिन्होंने ह़ज़रत उम्मे कुल्षुम (रज़ि.) बिन्ते रसूले करीम (ﷺ) को गुस्ल दिया था। पहले आपने कफ़न के लिये तहबन्द दिया फिर कुर्ता और ओढ़नी या'नी सरबन्द फिर चादर फिर लिफ़ाफ़ा में लपेट दी गई। मा'लूम हुआ कि औरत के कफ़न में ये पाँच कपड़े सुन्नत हैं अगर मयस्सर हो तो वरना मजबूरी में एक भी जाइज़ है।

1261. हमसे अह़मद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्हें अय्यूब ने ख़बर दी, कहा कि मैंने इब्ने सीरीन से सुना, उन्होंने कहा कि उम्मे अ़तिया के यहाँ अन्स़ार की उन ख़्वातीन में से, जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) से बैअ़त की थी, एक औरत आई। बस़रा में उन्हें अपने एक बेटे की तलाश थी। लेकिन वो न मिला। फिर उसने हमसे ये ह़दीष़ बयान की कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की स़ाह़बज़ादी को गुस्ल दे रहे थे कि आप तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि तीन या पाँच मर्तबा गुस्ल दे दो और अगर मुनासिब समझो तो इससे भी ज़्यादा दे सकती हो। गुस्ल पानी और बेरी के पत्तों से होना चाहिये और आख़िर में

١٢٦١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: ((جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللاَّتِي بَايَعْنَ - قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ

काफ़ूर का भी इस्ते'माल कर लेना। ग़ुस्ल से फ़ारिग़ होकर मुझे ख़बर कर देना। उन्होंने बयान किया कि जब हम ग़ुस्ल दे चुकीं (तो इत्तिला दी) और आपने इज़ार इनायत किया, आपने फ़र्माया कि इसे अन्दर बदन से लपेट दो। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं फ़र्माया। मुझे ये नहीं मा'लूम कि ये आपकी कौनसी बेटी थी। (ये अय्यूब ने कहा) और उन्होंने बताया कि इश्आर का मतलब ये है कि इसमें नअ़श लपेट दी जाए। इब्ने सीरीन (रह.) भी यही फ़र्माया करते थे कि औरत के बदन में इसे लपेटा जाए, इज़ार के तौर पर बाँधा जाए। (राजेअ़ : 168)

رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي)). قَالَ: فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَلاَ أَدْرِيْ أَيُّ بَنَاتِهِ. وَزَعَمَ أَنَّ الإِشْعَارَ الْفُفْنَهَا فِيْهِ. وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَأْمُرُ بِالْمَرْأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ.

[راجع: ١٦٧]

बाब 16 : इस बयान में कि क्या औरत मय्यित के बाल तीन लटों में तक़्सीम कर दिये जाएँ?

١٦- بَابُ هَلْ يُجْعَلُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ

1262. हमसे क़ुबैसा ने ह़दीष़ बयान की, उनसे सुफ़यान ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उम्मे हुज़ैल ने और उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने, उन्होंने कहा कि हमने आँह़ज़रत (ﷺ) की बेटी के सर के बाल गूँध कर तीन चोटियाँ कर दी और वकीअ़ ने सुफ़यान से यूँ रिवायत किया, एक पेशानी के त़रफ़ के बालों की चोटी और दो इधर-उधर के बालों की। (राजेअ़ : 168)

١٢٦٢- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ))- تَعْنِي ثَلاَثَةَ قُرُونٍ - وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ: ((نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا)).

[راجع: ١٦٧]

बाब 17 : औरत के बालों की तीन लटें बनाकर उसके पीछे डाल दी जाए

١٧- بَابُ يُلْقَى شَعْرُ الْمَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلاثَة قرون

1263. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन ह़स्सान ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़फ़्स़ा ने बयान किया, उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक स़ाह़बज़ादी का इन्तिक़ाल हो गया, तो नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि उनको पानी और बेरी के पत्तों से तीन या पाँच मर्तबा ग़ुस्ल दे लो। अगर तुम मुनासिब समझो तो इससे ज़्यादा भी दे सकती हो और आख़िर में काफ़ूर या (आप ﷺ ने फ़र्माया कि) थोड़ी सी काफ़ूर इस्ते'माल करो, फिर जब ग़ुस्ल दे चुको तो मुझे ख़बर दो। चुनाँचे फ़ारिग़ होकर हमने आपको ख़बर दी

١٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ((تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ

तो आप (ﷺ) ने (उनके कफ़न के लिये) अपना इज़ार इनायत किया। हमने उसके सर के बालों की तीन चोटियाँ करके उन्हें पीछे की तरफ़ डाल दिया था। (राजेअ : 168)

فَآذِنِّي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)). [راجع: ١٦٧]

सहीह इब्ने हिब्बान में है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ऐसा हुक्म दिया था कि बालों की तीन चोटियाँ कर दो। इस हदीष़ से मय्यत के बालों का गूंथना भी ष़ाबित है।

बाब 18 : इस बारे में कि कफ़न के लिये सफ़ेद कपड़े होने मुनासिब है

١٨- بَابُ الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ

1264. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें हिशाम बिन उ़र्वा ने ख़बर दी, उन्हें उनके बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उन्हें (उनकी ख़ाला) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को यमन के तीन सफ़ेद सूती धुले हुए कपड़ों में कफ़न दिया गया, उनमें न क़मीज़ थी न अमामा।

(दीगर मक़ाम : 1271, 1272, 1273, 1374)

١٢٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ)).

[أطرافه في: ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧].

तश्रीह : बल्कि एक इज़ार थी, एक चादर, एक लिफ़ाफ़ा पस सुन्नत यही तीन कपड़े हैं अमामा बाँधना बिदअ़त है। हनाबिला और हमारे इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) ने उसको मकरूह रखा है और शाफ़िइया ने क़मीस़ और अमामा का बढ़ाना भी जाइज़ रखा है। एक हदीष़ में है कि सफ़ेद कपड़ों में कफ़न दिया करो। तिर्मिज़ी ने कहा आँहज़रत (ﷺ) के कफ़न के बारे में जितनी हदीष़ें वारिद हुई हैं उन सब में हज़रत आइशा (रज़ि.) की ये हदीष़ ज़्यादा सहीह है। अफ़सोस है कि हमारे ज़माने के लोग ज़िंदगी भर शादी-ग़मी की रस्मों और बिदआ़त में गिरफ़्तार रहते हैं और मरते वक़्त भी बेचारी मय्यत का पीछा नहीं छोड़ते। कहीं कफ़न ख़िलाफ़े सुन्नत करते हैं लिफ़ाफ़े के ऊपर एक चादर डाल देते हैं। कहीं सन्दल शीरीनी चादर चढ़ाते हैं। कहीं क़ब्र पर मेला और मजमा करते हैं और उसका नाम उ़र्स रखते हैं। कहीं क़ब्र पर चिराग़ जलाते हैं, उस पर इमारत और गुम्बद उठाते हैं। ये सब उमूर बिदअ़त और मम्नूअ़ है। अल्लाह तआ़ला मुसलमानों की आँखें खोले और उनको नेक तौफ़ीक़ दे। आमीन या रब्बल आ़लमीन (वहीदी)

रिवायत में कफ़न नबवी के बारे में लफ़्ज़ **सहूलियः** आया है। जिसकी तशरीह अ़ल्लामा शौकानी (रह.) के लफ़्ज़ों में ये है। **सहूलिय्यतुन बिजम्मिल्मुहमलतैनि व युर्वा बिफत्हिन अव्वलुहू निस्बतुन इला सहूल कर्यतुम्बिल्यमन क़ालन्नववी वल्फत्हु अश्हरू व हुव रिवायतुल्अक्स़रीन काल इब्नुल्आराबी बीजुन नक़िय्यतुन ला तकूनु इल्ला मिनल्कुत्नि व फ़ी रिवायतिन लिलबुख़ारी सुहूल बिदूनि निस्बतिन व हुव जम्उ सहलिन वस्सहलु अष़्ष़ौबुल्अब्यज़ु न्नक़िय्यु वला यकूनु इल्ला मिन कुत्निन कमा तक़द्दम व कालल्अज़्हरी बिल्फ़त्हिल्मदीनति व बिज्जम्मि अष़्ष़ियाबु व कील अन्निस्बतु इलल्क़र्यति बिज्जम्मि व अम्मा बिल्फ़त्हि फनिस्बतुन इलल्क़िसारि लिअन्नहू युस्हलुष़्ष़ियाबु अय युनक़्क़िहा क़ज़ा फिल्फ़त्हि** (नैलुल औतार, जिल्द 3, पेज 40)

ख़ुलास़-ए-कलाम ये है कि लफ़्ज़ **सहूलियः** सीन और हाअ के ज़म्मा के साथ है और सीन का फ़त्ह़ भी रिवायत किया गया है। जो एक गांव की तरफ़ निस्बत है जो यमन में वाक़ेअ था। इब्ने अअराबी वग़ैरह ने कहा कि वो सफ़ेद साफ़-सुथरा कपड़ा है जो सूती होता है। बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत में लफ़्ज़ **सुहूल** आया है जो **सह्ल** की जमा है और वो सफ़ेद धुला हुआ कपड़ा होता है, अज़्हरी कहते हैं कि सह्वल सीन के फ़त्ह़ के साथ शहर मुराद होगा और सीन के ज़म्मा के साथ धोबी मुराद होगा जो कपड़े को धोकर साफ़ शफ़्फ़ाफ़ कर देता है।

बाब 19 : दो कपड़ों में कफ़न देना

1265. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद ने, उन्होंने बयान किया कि एक शख़्स मैदाने-अरफ़ात में (एहराम बाँधे हुए) खड़ा हुआ था कि अपनी सवारी से गिर पड़ा और उसकी सवारी ने उन्हें कुचल दिया। या (वक़्सतहू के बजाय ये लफ़्ज़) औक़स्तहू कहा। नबी करीम (ﷺ) ने उनके लिये फ़र्माया कि पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दे कर दो कपड़ों में इन्हें कफ़न दो और ये भी हिदायत फ़र्माई कि इन्हें ख़ुश्बू न लगाओ और न इनका सर छुपाओ, क्योंकि ये क़यामत के दिन लब्बैक कहता हुआ उठेगा।

(दीगर मक़ाम : 1266, 1267, 1268, 1839, 1849, 1850, 1851)

١٩- بَابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

١٢٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ- أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

[أطرافه في: ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨، ١٨٣٩، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١].

तश्रीह : षाबित हुआ कि मुह़रिम को दो कपड़ों मे दफ़नाया जाए। क्योंकि वो ह़ालते एह़राम में है और मुह़रिम के लिये एह़राम की सिर्फ़ दो ही चादरें हैं, बरख़िलाफ़ उसके दीगर मुसलमानों के लिये मर्द के लिये तीन चादरें और औरत के लिये पाँच कपड़े मसनून हैं।

बाब 20 : मय्यित को ख़ुश्बू लगाना

1266. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब ने, उनसे सईद बिन ज़ुबैर ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के साथ मैदाने-अरफ़ात में वुक़ूफ़ किये हुए था कि वो अपने ऊँट से गिर पड़ा और ऊँट ने उन्हें कुचल दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन्हें पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल देकर दो कपड़ो का कफ़न दो, ख़ुश्बू न लगाना और न सर ढाँपना, क्योंकि अल्लाह तआला क़यामत के दिन इन्हें लब्बैक कहते

٢٠- بَابُ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ

١٢٦٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْصَعَتْهُ- أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ

يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)).

हुए उठाएगा।

तश्रीह : मुह्रिम को ख़ुश्बू न लगाई जाए, इससे षाबित हुआ कि ग़ैर मुह्रिम मय्यत को ख़ुश्बू लगानी चाहिये। बाब का मक़्सद यही है। मुह्रिम को ख़ुश्बू के लिये इस वास्ते मना फ़र्माया कि वो हालते एहराम ही में है और क़यामत के दिन इसी हाल में लब्बैक कहता हुआ उठेगा और ज़ाहिर है कि मुह्रिम को हालते एहराम में ख़ुश्बू लगाना मना है।

٢١- بَابُ كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ؟

बाब 21 : मुह्रिम को क्योंकर कफ़न दिया जाए

١٢٦٧- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوهُ طِيْبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)). وَفِي نُسْخَةٍ مُلَبِّدًا.

1267. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको अबू अवाना ने ख़बर दी, उन्हें अबू बशीर जा'फ़र ने, उन्हें सईद बिन जुबैर ने, उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ एहराम बाँधे हुए थे कि एक शख़्स की गर्दन उसके ऊँट ने तोड़ डाली तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इन्हें पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दे दो और दो कपड़ों का कफ़न दो और ख़ुश्बू न लगाओ और न सर को ढँको। इसलिये कि अल्लाह तआला इन्हें उठाएगा इस हालत में कि वो लब्बैक पुकार रहा होगा।

١٢٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ- وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْصَعَتْهُ - فَمَاتَ، فَقَالَ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَيُّوبُ : يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرٌو: مُلَبِّيًا)).

1268. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे हम्माद बिन ज़ैद ने, उनसे अम्र और अय्यूब ने, उसने सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) के साथ मैदाने-अरफ़ात में खड़ा हुआ था। अचानक वो अपनी सवारी से गिर पड़ा। अय्यूब ने कहा कि ऊँटनी ने उसकी गर्दन तोड़ डाली और अम्र ने ये कहा कि ऊँटनी ने उसको गिरते ही मार डाला और उसका इन्तिक़ाल हो गया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि इसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और दो कपड़ों का कफ़न दो और ख़ुश्बू न लगाओ, न सर ढको क्योंकि क़यामत में ये उठाया जाएगा। अय्यूब ने कहा कि (या'नी) तल्बिया कहते हुए (उठाया जाएगा) और अम्र ने (अपनी रिवायत में युलब्बी के बजाय) मुलब्बियान का लफ़्ज़ नक़ल किया है। (या'नी लब्बैक कहता हुआ उठेगा)

मा'लूम हुआ कि मुह्रिम मर जाए तो उसका एहराम बाक़ी रहेगा। शाफ़िइया और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है।

٢٢- بَابُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيْصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ، وَمَنْ كُفِّنَ

बाब 22 : क़मीस़ में कफ़न देना, उसका हाशिया सिला हुआ हो या बग़ैर सिला हुआ हो

और बग़ैर क़मीस़ के कफ़न देना

بغير قميص

1249. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उनसे ड़बैदुल्लाह ड़मरी ने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) से बयान किया कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबैय (मुनाफ़िक़) की मौत हुई तो उसका बेटा (अ़ब्दुल्लाह सहाबी) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! वालिद के कफ़न के लिये आप अपनी क़मीस़ इनायत फ़र्माइये और उन पर नमाज़ पढ़ें और मग़्फ़िरत की दुआ कीजिए। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने अपनी क़मीस़ (ग़ायत मुरव्वत की वजह से) इनायत की और फ़र्माया कि मुझे बताना मैं नमाज़े जनाज़ा पढूँगा। अ़ब्दुल्लाह ने इत्तिला भिजवाई। जब आप (ﷺ) पढ़ाने के लिये आगे बढ़े तो ड़मर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) को पीछे से पकड़ लिया और अ़र्ज़ किया कि क्या अल्लाह तआ़ला ने आपको मुनाफ़िक़ीन की नमाज़े-जनाज़ा पढ़ने से मना नहीं किया है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे इख़्तियार दिया गया है। जैसा कि इर्शादे-बारी है, तू उनके लिये इस्तग़फ़ार कर या न कर और अगर तू सत्तर मर्तबा भी इस्तग़फ़ार करे तो भी अल्लाह उन्हें हर्गिज़ माफ़ नहीं करेगा। चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद ये आयत उतरी, किसी भी मुनाफ़िक़ की मौत पर उसकी नमाज़े जनाज़ा कभी न पढ़ाना। (दीगर मक़ाम : 4670, 4672, 5796)

١٢٦٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيْصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيْهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ: ((آذِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ)). فَآذَنَهُ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ؟ فَقَالَ: ((أَنَا بَيْنَ خِيْرَتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ﴾ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ﴾)).

[أطرافه في: ٤٦٧٠، ٤٦٧٢، ٥٧٩٦].

1270. हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, उनसे इब्ने ड़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र ने, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबय को दफ़न किया जा रहा था। आप (ﷺ) ने उसे क़ब्र से निकलवाया और अपना लुआबे-दहन उसके मुँह में डाला और उसे अपनी क़मीस़ पहनवाई।

(दीगर मक़ाम : 1350, 3007, 5795)

١٢٧٠ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ)).

[أطرافه في: ١٣٥٠، ٣٠٠٨، ٥٧٩٥].

तश्रीह : अ़ब्दुल्लाह बिन उबय मशहूर मुनाफ़िक़ है जो जंगे उहुद के मौक़े पर रास्ते में से कितने ही सीधे-सादे मुसलमानों को बहकाकर वापस ले आया था और उसी ने एक मौक़े पर ये भी कहा था कि हम मदनी और शरीफ़ लोग हैं और ये मुहाजिर मुसलमान ज़लील परदेसी हैं। हमारा दाँव लगेगा तो हम उनको मदीना से निकाल बाहर करेंगे। उसका बेटा अ़ब्दुल्लाह सच्चा मुसलमान सहाबी-ए-रसूल था। आप (ﷺ) ने उनकी दिल–शिकनी गवारा नहीं की और करम का मुआ़मला करते हुए अपना कुर्ता उसके कफ़न के लिये इनायत फ़र्माया। कुछ ने कहा कि जंगे बद्र में जब हज़रत अ़ब्बास

(रज़ि.) क़ैद होकर आए तो वो नंगे थे। उनका ये हाले ज़ार देखकर अ़ब्दुल्लाह बिन उबय ने अपना कुर्ता उनको पहुँचा दिया था, आँहज़रत (ﷺ) ने उसका बदला अदा कर दिया कि ये एहसान बाक़ी न रहे।

उन मुनाफ़िक़ों के बारे में पहली आयत **इस्तग़फ़िरलहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम इन तस्तग़फ़िर लहुम** (तौबा, 80) नाज़िल हुई थी। इस आयत से हज़रत उ़मर (रज़ि.) समझे कि उन पर नमाज़ पढ़ना मना है। आँहज़रत (ﷺ) ने उनको समझाया कि इस आयत में मुझको इख़्तियार दिया गया है। तब हज़रत उ़मर (रज़ि.) ख़ामोश रहे। बाद में आयत **व ला तुसल्लि अहदिम्मिन्हुम** (तौबा, 84) नाज़िल हुई। जिसमें आप (ﷺ) को अल्लाह ने मुनाफ़िक़ों पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने से क़त्अन रोक दिया। पहली और दूसरी रिवायतों में तत्बीक़ ये है कि पहले आप (ﷺ) ने कुर्ता देने का वा'दा फ़र्मा दिया था फिर अ़ब्दुल्लाह के अ़ज़ीज़ों ने आप (ﷺ) को तकलीफ़ देना मुनासिब न जाना और अ़ब्दुल्लाह का जनाज़ा तैयार करके क़ब्र में उतार दिया कि आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और आप (ﷺ) ने वो किया जो रिवायत में मज़्कूर है।

बाब 23 : बग़ैर क़मीस़ के कफ़न देना

٢٣- بَابُ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قَمِيصٍ

मुस्तम्ली के नुस्ख़े में ये तर्जुम-ए-बाब नहीं है और वही ठीक है क्योंकि ये मज़्मून अगले बाब में बयान हो चुका है।

1271. हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़सान स़ौरी ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने, उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) को तीन सूती धुले हुए कपड़ों में कफ़न दिया गया था। आप (ﷺ) के कफ़न में न क़मीस़ थी न अ़मामा।

(राजेअ़ : 1264)

١٢٧١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كُفِّنَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ)). [راجع: ١٢٦٤]

1272. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यह्या ने, उनसे हिशाम ने, उनसे उनके बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को तीन कपड़ों का कफ़न दिया गया था, जिनमें न क़मीस़ थी और न अ़मामा था। हज़रत इमाम अबू अ़ब्दुल्लाह बुख़ारी (रह.) फ़र्माते हैं अबू नुऐ़म ने लफ़्ज़ स़लास़ा नहीं कहा और अ़ब्दुल्लाह बिन वलीद ने सुफ़यान से लफ़्ज़ स़लास़ा नक़ल किया है। (राजेअ़ : 1264)

١٢٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو نُعَيْمٍ لاَ يَقُولُ ثَلاَثَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ يَقُولُ ثَلاَثَةٌ)). [راجع: ١٢٦٤]

बाब 24 : अ़मामा के बग़ैर कफ़न देने का बयान

٢٤- بَابُ الْكَفَنِ وَلاَ عِمَامَةٍ

1273. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि मुझ से मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके बाप उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने, उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सहूल के तीन सफ़ेद कपड़ों का कफ़न दिया गया था न उनमें क़मीस़ थी और न अ़मामा था।

١٢٧٣- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ)).

मत़लब ये है कि चौथा कपड़ा न था। क़स्तलानी ने कहा इमाम शाफ़िई ने क़मीस़ पहनाना जाइज़ रखा है मगर उसको सुन्नत नहीं समझा और उनकी दलील ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का फ़ेअ़ल है जिसे बैहक़ी ने निकाला कि उन्होंने अपने बेटे को पाँच कपड़ों में कफ़न दिया। तीन लिफ़ाफ़े और एक क़मीस़ और एक अ़मामा लेकिन शरहे मुहज़्ज़ब में हैं कि क़मीस़ और अ़मामा न हो। अगरचे क़मीस़ और अ़मामा मकरूह नहीं मगर औला के ख़िलाफ़ है (वह़ीदी)। बेहतर यही है कि सिर्फ़ तीन चादरों में कफ़न दिया जाए।

बाब 25 : कफ़न की तैयारी मय्यित के सारे माल में से करना चाहिये

٢٥- بَابُ الْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

और अ़ता और ज़ुहरी और अ़म्र बिन दीनार और क़तादा (रज़ि.) का यही क़ौल है और अ़म्र बिन दीनार ने कहा ख़ुश्बूदार का ख़र्च भी सारे माल से किया जाए। और इब्राहीम नख़ई ने कहा पहले माल में से कफ़न की तैयारी करें, फिर क़र्ज़ अदा करें, फिर वस़िय्यत पूरी करें और सुफ़यान स़ौरी ने कहा क़ब्र और ग़ुस्ल देने वाले की उजरत भी कफ़न में दाख़िल है।

وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ بِالدَّيْنِ، ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ. وَقَالَ سُفْيَانُ: أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْغَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَنِ.

1273. हमसे अह़मद बिन मुहम्मद मक्की ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने, उनसे उनके बाप सअ़द ने और उनसे उनके वालिद इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रह़्मान ने बयान किया कि अ़ब्दुर्रह़्मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) के सामने एक दिन खाना रखा गया तो उन्होंने फ़र्माया कि मुस्अ़ब बिन उ़मैर (रज़ि.) (ग़ज़्व-ए-उहद में) शहीद हुए, वो मुझ से अफ़ज़ल थे लेकिन उनके कफ़न के लिये एक चादर के सिवा और कोई चीज़ मुहैया न हो सकी। इसी त़रह ह़म्ज़ा (रज़ि.) शहीद हुए या किसी दूसरे स़हाबी का नाम लिया, वो भी मुझसे अफ़ज़ल थे लेकिन उनके कफ़न के लिये भी सिर्फ़ एक ही चादर मिल सकी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे चैन और आराम के सामान हमको जल्दी से दुनिया ही में दे दिये गये हों फिर वो रोने लगे। (दीगर मक़ाम : 1275, 4045)

١٢٧٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((أُتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمًا بِطَعَامِهِ، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي - فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ. وَقُتِلَ حَمْزَةُ - أَوْ رَجُلٌ آخَرُ - خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ. لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي)).[طرفاه في: ١٢٧٥، ٤٠٤٥].

तश्रीह : इमामे मुह़द्दिस़ीन (रह.) ने इस ह़दीस़ से ये स़ाबित किया है कि ह़ज़रत मुस़अ़ब और ह़ज़रत अमीर ह़म्ज़ा (रज़ि.) का कुल माल इतना ही था। बस एक चादर कफ़न के लिये तो ऐसे मौक़े पर सारा माल ख़र्च करना चाहिये। उसमें इख़्तिलाफ़ है कि मय्यत क़र्ज़दार हो तो सिर्फ़ इतना कफ़न दिया जाए कि सतरपोशी हो जाए या सारा बदन ढाँका जाए। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने उसको तर्जीह़ दी है कि सारा बदन ढाँका जाए, ऐसा कफ़न देना चाहिये। ह़ज़रत मुस़अ़ब बिन उ़मैर

(रज़ि.) क़ुरैशी जलीलुल-क़द्र सहाबी (रज़ि.) हैं। रसूले करीम (ﷺ) ने हिज्रत से पहले ही उनको मदीना शरीफ़ बतौरे मुअल्लिमुल क़ुर्आन व मुबल्लिग़े इस्लाम भेज दिया था। हिज्रत से पहले ही उन्होंने मदीना में जुम्आ क़ायम फ़र्माया जबकि मदीना ख़ुद एक गांव था। इस्लाम से पहले ये क़ुरैश के हसीन नौजवानों में ऐश व आराम में ज़ेबो-ज़ीनत में शोहरत रखते थे मगर इस्लाम लाने के बाद ये कामिल दुर्वेश बन गये। क़ुर्आन पाक की आयत **रिजालुन स़दक़ू मा आहदुल्लाह अ़लैहि** (अल अह़ज़ाब : 23) उन्हीं के ह़क़ में नाज़िल हुई। जंगे उहुद में ये शहीद हो गए थे। (रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु)

बाब 26 : अगर मय्यित के पास एक ही कपड़ा निकले

٢٦- بَابُ إِذَا لَـمْ يُوجَدْ إِلاَّ ثَوبٌ وَاحِدٌ

1275. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमको शुअ़बा ने ख़बर दी, उन्हें सअ़द बिन इब्राहीम ने, उन्हें उनके बाप इब्राहीम बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कि अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के सामने खाना हाज़िर किया गया। वो रोज़े से थे, उस वक़्त उन्होंने फ़र्माया कि हाय! मुस़अब बिन उ़मैर (रज़ि.) शहीद किये गये। वो मुझसे बेहतर थे, लेकिन उनके कफ़न के लिये एक ही चादर मयस्सर आ सकी कि अगर उससे उनका सर ढाँका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव ढाँके जाते तो सर खुल जाता और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये भी फ़र्माया ह़म्ज़ा (रज़ि.) भी (इसी तरह) शहीद हुए, वो भी मुझसे अच्छे थे। फिर उनके बाद दुनिया की कुशादगी खूब हुई या ये फ़र्माया कि दुनिया हमें बहुत दी गई और हमें तो इसका डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी नेकियों का बदला इसी दुनिया में हमको मिल गया हो। फिर आप इस तरह रोने लगे कि खाना भी छोड़ दिया। (राजेअ़ : 1264)

١٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ إِبْرَاهِيْمَ ((أَنَّ عَبْدَ الرَّحْـمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِطَعَامٍ - وَكَانَ صَائِمًا - فَقَالَ : قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي - كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ. وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ - وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي - ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ - أَوْ قَالَ : أُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِيْنَا - وَقَدْ خَشِيْنَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ.

[راجع: ١٢٦٤]

तश्रीह : ह़ज़रत मुस़अब (रज़ि.) के यहाँ सिर्फ़ एक चादर ही उनका कुल मताअ़ (सम्पत्ति) थी, वो भी तंग, वही उनके कफ़न मे दे दी गई। बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

हालाँकि ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान रोज़ेदार थे, दिनभर के भूखे थे फिर भी उन तसव्वुरात (यादों) में खाना छोड़ दिया। ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़मान बिन औफ़ अ़शर-ए-मुबश्शरा में से थे और इस क़दर मालदार थे कि रईसुत्तुज्जार का लक़ब उनको ह़ासिल था। इंतिक़ाल के वक़्त दौलत के अम्बार वारिष़ों को मिले। उन ह़ालात में भी मुसलमानों की हर मुम्किन ख़िदमात के लिये हर वक़्त ह़ाज़िर रहा करते थे। एक बार उनके कई सौ ऊँट अनाज के साथ मुल्के शाम से आए थे। वो सारा अनाज मदीना वालों के लिये मुफ़्त तक़्सीम कर दिया। (रज़ियल्लाहु अ़न्हु व रज़ू अ़न्हु)

बाब 27 : जब कफ़न का कपड़ा छोटा हो कि सर

٢٧- بَابُ إِذَا لَـمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلاَّ مَا

और पाँव दोनों न ढँक सकें तो सर छुपा दें (और पाँव पर घास वग़ैरह डाल दें)

يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى بِهِ رَأْسَهُ

1276. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि हमसे शक़ीक़ ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) ने बयान किया, कि हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ अल्लाह के लिये हिजरत की। अब हमें अल्लाह तआ़ला से अज्र मिलना ही था। हमारे बाज़ साथी तो इन्तिक़ाल कर गये और (इस दुनिया में) उन्होंने अपने किये का कोई फल नहीं देखा। मुस्अ़ब बिन उ़मैर (रज़ि.) भी उन्हीं लोगों में से थे और हमारे बाज़ साथियों का मेवा पक गया और वो चुन-चुन कर खाता है। (मुस्अ़ब बिन उ़मैर रज़ि.) उहुद की लड़ाई में शहीद हुए, हमको उनके कफ़न में एक चादर के सिवा और कोई चीज़ न मिली और वो भी ऐसी कि अगर उससे सर छुपाते हैं तो पाँव खुल जाता है और अगर पाँव छुपाते हैं तो सर खुल जाता। आख़िर ये देख कर नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि सर को छुपा दें और पाँव पर सब्ज़ घास इज़्ख़र नामी डाल दें। (दीगर मक़ाम : 3797, 3913,3914, 4047, 4082, 6432, 6447)

١٢٧٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ: فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ)).

[أطرافه في: ٣٨٩٧، ٣٩١٣، ٣٩١٤، ٤٠٤٧، ٤٠٨٢، ٦٤٣٢، ٦٤٤٨].

बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त ज़ाहिर है क्योंकि ह़ज़रत मुसअ़ब बिन उ़मैर (रज़ि.) का कफ़न जब नाकाफ़ी रहा तो उनके पैरों को इज़्ख़र नामी घास से ढाँक दिया गया।

बाब 28 : उनके बयान में जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में अपना कफ़न ख़ुद ही तैयार रखा और आप (ﷺ) ने इस पर किसी त़रह का ए'तिराज़ नहीं फ़र्माया

٢٨- بَابُ مَنِ اسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

1288. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अ़म्बी ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अबी ह़ाज़िम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे सह्ल (रज़ि.) ने कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक बुनी हुई हाशियेदार चादर आपके लिये तोह़फ़ा लाई। सह्ल बिन सअ़द (रज़ि.) ने (ह़ाज़िरीन से) पूछा कि तुम जानते हो चादर क्या? लोगों ने कहा कि जी हाँ! शमला। सह्ल (रज़ि.) ने कहा, हाँ शमला (तुमने

١٢٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا. أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ. قَالَ:

ठीक बताया) ख़ैर उस औरत ने कहा कि मैंने अपने हाथ से इसे बुना है और आप (ﷺ) को पहनाने के लिये लाई हूँ। नबी करीम (ﷺ) ने वो कपड़ा कुबूल किया। आप (ﷺ) को उस वक़्त उसकी ज़रूरत भी थी। फिर उसे इज़ार के तौर पर बाँध कर बाहर तशरीफ़ लाए तो एक स़ाहब (अब्दुर्रह़्मान बिन औ़फ़ रज़ि.) ने कहा ये तो बड़ी अच्छी चादर है, ये आप मुझे पहना दीजिए। लोगों ने कहा कि आपने (मांग कर) कुछ अच्छा नहीं किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे अपनी ज़रूरत की वजह से पहना था और तुमने ये माँग लिया, हालाँकि तुमको मा'लूम है कि आँह़ज़रत (ﷺ) किसी का सवाल रद्द नहीं करते। अ़ब्दुर्रह़्मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि अल्लाह की क़सम! मैंने अपने पहनने के लिये आपसे ये चादर नहीं मांगी थी, बल्कि मैं इसे अपना कफ़न बनाऊँगा। सह्ल (रज़ि.) ने बयान किया कि वही चादर उनका कफ़न बनी।)
(दीगर मक़ाम : 2093, 5710, 6036)

نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِيْ، فَجِئْتُ لأَكْسُوَكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ: اكْسُنِيْهَا مَا أَحْسَنَهَا. قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي. قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَفَنَهُ)).
[أطرافه في: ٢٠٩٣، ٥٨١٠، ٦٠٣٦].

तश्रीह : गोया ह़ज़रत अ़ब्दुर्रह़्मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) ने अपनी ज़िन्दगी ही में अपना कफ़न मुहय्या कर लिया। यही बाब का मक़्सद है। ये भी ष़ाबित हुआ कि किसी मुख़य्यिर मुअ़दमद बुज़ुर्ग से किसी वाक़िई ज़रूरत के मौक़ों पर जाइज़ सवाल भी किया जा सकता है। ऐसी अह़ादीष़ से नबी अकरम (ﷺ) पर क़यास करके जो आज के पीरों का तबर्रुक ह़ासिल किया जाता है ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये आप (ﷺ) की ख़ुसूस़ियात और मुअ़जिज़ात में से हैं और आप ज़रिये ख़ैरो–बरकत हैं कोई और नहीं।

बाब 29 : औ़रतों का जनाज़े के साथ जाना कैसा है?

٢٩- بَابُ اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

1278. हमसे क़बीस़ा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने, उनसे उम्मे हुज़ैल ह़फ़्स़ा बिन्त सीरीन ने, उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने बयान किया कि हमें (औ़रतों को) जनाज़े के साथ चलने से मना किया गया मगर ताकीद से मना नहीं हुआ।
(राजेअ़ : 313)

١٢٧٨- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)). [راجع: ٣١٣]

बहरह़ाल औ़रतों के लिये जनाज़े के साथ जाना मना है क्योंकि औ़रतें ज़ईफ़ुल क़ल्ब होती हैं। वो ख़िलाफ़े शरअ़ ह़रकतें कर सकती हैं। शारेअ़ की और भी बहुत सी मस्लह़तें हैं।

बाब 30 : औ़रत का अपने ख़ाविन्द के सिवा और किसी पर सोग करना कैसा है?

٣٠- بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

1279. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उन्होंने कहा

١٢٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ

कि हमसे बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सलमा बिन अलक़मा ने और उनसे मुहम्मद बिन सीरीन ने कि उम्मे अतिया (रज़ि.) के एक बेटे का इन्तिक़ाल हो गया। इन्तिक़ाल के तीसरे दिन उन्होंने सुफ़रह ख़लूक़ (एक क़िस्म की ज़र्द ख़ुश्बू) मंगवाई ओर उसे अपने बदन पर लगाया और फ़र्माया कि ख़ाविन्द के सिवा किसी दूसरे पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करने से हमें मना किया गया है। (राजेअ : 313)

بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: ((نُهِيْنَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ)). [راجع: ٣١٣]

1280. हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे हुमैद बिन नाफ़ेअ ने, ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा से ख़बर दी कि अबू सुफ़यान (रज़ि.) की वफ़ात की ख़बर जब शाम से आई तो उम्मे हबीबा (रज़ि.) (अबू सुफ़यान रज़ि. की साहबज़ादी और उम्मुल मोमिनीन) ने तीसरे दिन सुफ़रा (खुश्बू) मंगवाकर अपने दोनों रुख़सार और बाज़ुओं पर मला और फ़र्माया कि अगर मैंने नबी करीम (ﷺ) से ये न सुना होता कि कोई भी औरत जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती हो उसके लिये जाइज़ नहीं है कि वो शौहर के सिवा किसी का सोग तीन दिन से ज़्यादा मनाए और शौहर का सोग चार महीने दस दिन करे। तो मुझे इस वक़्त इस ख़ुश्बू के इस्ते'माल की ज़रूरत नहीं थी। (दीगर मक़ाम : 1281, 5334, 5339, 5345)

١٢٨٠- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : ((لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةٌ لَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).[أطرافه في : ١٢٨١، ٥٣٣٤، ٥٣٣٩، ٥٣٤٥].

तश्रीह : जबकि मैं विधवा और बुढ़िया हूँ, मैंने इस हदीष़ पर अमल करने के ख़याल से ख़ुश्बू का इस्ते'माल कर लिया, **क़ाल इब्नु हजर हुव वहमुन लिअन्नहु मात बिल्मदीनति बिला ख़िलाफ़िन व इन्नमल्लज़ी मात बिश्शामि अख़ूहा यज़ीद बिन अबी सुफ़्यान वल्हदीषु फ़ी मुस्नद इब्नि अबी शैबा वद्दारमी बिलफ़्ज़ि जाअ नई लिअख़ी उम्मि हबीबत औ हमीमुन लहा व लिअहमद नहवुहू फकविय्युन कौनुहू अख़ाहा** या'नी अ़ल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने कहा कि ये वहम है। इसलिये कि अबू सुफ़यान (रज़ि.) का इंतिक़ाल बिला इख़्तिलाफ़ मदीना में हुआ था। शाम में इंतिक़ाल करने वाले उनके भाई यज़ीद बिन अबी सुफ़यान थे। मुस्नद इब्ने अबी शैबा और दारमी और मुस्नद अहमद वग़ैरह में ये वज़ाहत मौजूद है। इस हदीष़ से ज़ाहिर हुआ कि सिर्फ़ बीवी अपने शौहर पर चार माह दस दिन सोग कर सकती है और किसी भी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करना जाइज़ नहीं है। बीवी के शौहर पर इतना सोग करने की सूरत में भी बहुत से इस्लामी मस़ले पेशे-नज़र हैं।

1281. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बुकैर ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन

١٢٨١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ

हज़म ने, उनसे हुमैद बिन नाफ़ेअ ने, उनसे ज़ैनब बिन्त अबी सलमा ने ख़बर दी वो नबी करीम (ﷺ) की ज़ौजा मुत़हहरा ह़ज़रत उम्मे ह़बीबा (रज़ि.) के पास गई तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि कोई भी औरत जो अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखती हो उसके लिये शौहर के सिवा किसी मर्द पर भी तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं है। हाँ! शौहर पर चार महीने दस दिन तक सोग मनाए।

(राजेअ : 1280)

بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)).

[راجع: ١٢٨٠]

1282. फिर मैं ह़ज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के यहाँ गई, जबकि उनके भाई का इन्तिक़ाल हुआ। उन्होंने ख़ुश्बू मंगवाई और उसे लगाया, फिर फ़र्माया कि मुझे ख़ुश्बू की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने नबी करीम (ﷺ) को मिम्बर पर ये कहते हुए सुना है कि किसी भी औरत को जो अल्लाह और यौमे-आख़िरत पर ईमान रखती हो, जाइज़ नहीं है कि किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे। लेकिन शौहर का सोग (इद्दत) चार महीने दस दिन तक करे।

(दीगर मक़ाम : 5335)

١٢٨٢- ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). [طرفه في: ٥٣٣٥].

बाब 31 : क़ब्रों की ज़ियारत करना

٣١- بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

1273. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उनसे ष़ाबित ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रह.) ने कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र एक औरत पर हुआ जो क़ब्र पर बैठी हुई रो रही थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह से डर और स़ब्र कर। वो बोली जाओ जी! दूर हटो! ये मुसीबत तुम पर पड़ी होती तो पता चलता। वो आप (ﷺ) को पहचान न सकी थी। फिर जब लोगों ने उसे बताया कि ये नबी करीम (ﷺ) थे, तो अब वो (घबराकर) आँह़ज़रत (ﷺ) के दरवाज़े पर पहुँची। वहाँ उसे कोई दरबान न मिला। फिर उसने कहा कि मैं आपको पहचान न सकी थी। (मुआफ़ फ़र्माएँ) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि

١٢٨٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: ((اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي)). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

सब्र तो जब सदमा शुरू हो उस वक़्त करना चाहिये। (अब क्या होता है) (राजेअ : 1252)

الأُولَى)). [راجع: ١٢٥٢]

तश्रीह : मुस्लिम की एक हदीष में है कि 'मैंने तुम्हें क़ब्र की ज़ियारत करने से मना किया था लेकिन अब कर सकते हो, इससे मा'लूम हुआ कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में मुमानअत थी और फिर बाद में उसकी इजाज़त मिल गई।' दीगर अहादीष में ये भी है कि क़ब्रों पर जाया करो कि उससे मौत याद आती है या'नी उससे आदमी के दिल में रिक़्क़त पैदा होती है। एक हदीष में है कि 'अल्लाह ने उन औरतों पर लअ़नत की है जो क़ब्रों की बहुत ज़ियारत करती हैं।' उसकी शरह में कुर्तुबी ने कहा कि ये लअ़नत उन औरतों पर है जो रात-दिन क़ब्रों ही में फिरती रहें और शौहरों के कामों का ख़्याल न रखें, न ये कि मुत्लक़ ज़ियारत औरतों को मना है क्योंकि मौत को याद करने में मर्द–औरत दोनों बराबर हैं। लेकिन औरतें अगर क़ब्रिस्तान में जाकर जज़अ़-फ़ज़अ़ करें और ख़िलाफ़े शरअ़ उमूर की मुर्तकिब हों तो फिर उनके लिये क़ब्रों की ज़ियारत जाइज़ नहीं होगी।

अ़ल्लामा ऐनी हनफ़ी फ़र्माते हैं, **इन्न ज़ियारतल्क़ुबूरि मक्रूहुन लिन्निसाइ बल हरामुन फ़ी हाज़ज़्ज़मानि व ला सीमा निसाउ मिस्र** या'नी हालाते मौजूदा में औरतों के लिये ज़ियारते क़ुबूर मकरूह बल्कि हराम है ख़ास तौर पर मिस्री औरतों के लिये। ये अ़ल्लामा ने अपने हालात के मुताबिक़ कहा है वरना आजकल हर जगह औरतों का यही हाल है।

मौलाना वहीदुज़्ज़माँ साहब मरहूम फ़र्माते हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने साफ़ बयान नहीं किया कि क़ब्रों की ज़ियारत जाइज़ है या नाजाइज़ क्योंकि उसमें इख़्तिलाफ़ है और जिन हदीषों में ज़ियारत की इजाज़त आई है वो उनकी शराइत पर न थीं, मुस्लिम ने मर्फ़ूअ़न निकाला, 'मैंने तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था अब ज़ियारत करो क्योंकि उससे आख़िरत की याद पैदा होती है।' (वहीदी)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने जो हदीष यहाँ नक़ल फ़र्माई है उससे क़ब्रों की ज़ियारत यूँ षाबित हुई कि आप (ﷺ) ने उस औरत को वहाँ रोने से मना किया। मुत्लक़ ज़ियारत से आप (ﷺ) ने कोई तअ़ारुज़ नहीं फ़र्माया। उसी से क़ब्रों की ज़ियारत षाबित हुई। मगर आजकल अकषर लोग क़ब्रिस्तान में जाकर मुर्दों का वसीला तलाश करते और बुज़ुर्गों से हाजत तलब करते हैं। उनकी क़ब्रों पर चादर चढ़ाते, फूल डालते, वहाँ झाड़ व बत्ती का इंतिज़ाम करते और फ़र्श व फ़रोश बिछाते हैं। शरीअ़त में ये सारे काम नाजाइज़ हैं बल्कि ऐसी ज़ियारत क़त्अ़न हराम हैं जिनसे अल्लाह की हुदूद को तोड़ा जाए और वहाँ ख़िलाफ़े शरइयत काम किये जाएँ।

बाब 32 : आँहज़रत (ﷺ) का ये फ़र्माना कि मय्यित पर उसके घरवालों के रोने से

अ़ज़ाब होता है। या'नी जब रोना, मातम करना मय्यित के खानदान की रस्म हो क्योंकि अल्लाह पाक ने सूरह तह्रीम में फ़र्माया कि अपने नफ़्स को और अपने घरवालों को दोज़ख़ की आग से बचाओ। या'नी उनको बुरे कामों से मना करो और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर कोई निगहबान है और अपने मातहतों से पूछा जाएगा और अगर ये रोना-पीटना उसके खानदान की रस्म न हो और फिर अचानक कोई उस पर रोने लगे तो हज़रत आइशा (रज़ि.) का दलील लेना इस आयत से सहीह है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे को अपना बोझ उठाने को

٣٢- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ

((يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ)) يَقُولُ تَعَالَى ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

وَهُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ - ذُنُوبًا - إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ﴾ وَمَا

يُرَخِّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا)) وَذَلِكَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

बुलाए तो वो उसका बोझ नहीं उठाएगा। और बग़ैर नोहा, चिल्लाए-पीटे रोना दुरुस्त है। और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि दुनिया में जब कोई नाहक़ ख़ून होता है तो आदम के पहले बेटे क़ाबील पर उस ख़ून का कुछ वबाल पड़ता है, क्योंकि नाहक़ ख़ून की बिना सबसे पहले उसी ने डाली।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنًا لِي قُبِضَ، فَأْتِنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ: ((إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا. فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ - قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَّهَا شَنٌّ - فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: ((هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)).

[أطرافه في : ٥٦٥٥، ٦٦٠٢، ٦٦٥٥، ٧٣٧٧، ٧٤٤٨].

1284. हमसे अ़ब्दान और मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमको आ़सिम बिन सुलैमान ने ख़बर दी, उन्हें अबू उ़ष्मान अ़ब्दुर्रह़्मान नह्दी ने, कहा कि मुझसे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) की एक स़ाह़बज़ादी (ह़ज़रत ज़ैनब रज़ि.) ने आपको इत्तिला करवाई कि मेरा एक लड़का मरने के क़रीब है, इसलिये आप तशरीफ़ लाएँ। आप (ﷺ) ने उन्हें सलाम कहलवाया और (यह भी) कहलवाया कि अल्लाह तआ़ला ही का सारा माल है, जो ले लिया वो उसी का था और जो दिया वो भी उसी का था और हर चीज़ उसकी बारगाह से वक़्ते-मुक़र्ररा पर ही वाक़ेअ़ होती है। इसलिये स़ब्र करो और अल्लाह तआ़ला से ष़वाब की उम्मीद रखो। फिर ह़ज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने क़सम देकर अपने यहाँ बुलवा भेजा। अब रसूलुल्लाह (ﷺ) जाने के लिये उठे, आपके साथ सअ़द बिन उ़बादा, मआ़ज़ बिन जबल, उबय बिन कअ़ब, ज़ैद बिन ष़ाबित और बहुत से दूसरे स़हाबा (रज़ि.) भी थे। बच्चे को रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने किया गया, जिसकी जाँकनी का आ़लम था। अबू उ़ष्मान ने कहा कि मेरा ख़्याल है कि उसामा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जैसे पुराना मश्कीज़ा होता है और पानी के टकराने की अन्दर से आवाज़ होती है, उसी त़रह जाँकनी के वक़्त बच्चे के हलक़ से आवाज़ आ रही थी, ये देखकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखों से आँसू बह निकले। सअ़द (रज़ि.) बोल उठे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये रोना कैसा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तो अल्लाह की रह़मत है कि जिसे अल्लाह तआ़ला ने अपने (नेक) बन्दों के दिलों में रखा है और अल्लाह तआ़ला भी अपने रह़मदिल बन्दों पर रह़म फ़र्माता है, जो दूसरों पर रह़म करते हैं। (दीगर मक़ाम : 5655,

तश्रीह : इस मसले में इब्ने उ़मर और आ़इशा (रज़ि.) का एक मशहूर इख़्तिलाफ़ था कि मय्यत पर उसके घरवालों के नोहा की वजह से अ़ज़ाब होगा या नहीं? इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब में उसी इख़्तिलाफ़ पर ये लम्बी

मुहाकमा किया है। उसके बारे में मुसन्निफ़ (रह.) बहुत सी अहादीष़ ज़िक्र करेंगे और एक लम्बी ह़दीष़ में जो इस बाब में आएगी। दोनों की इस सिलसिले में इख़्तिलाफ़ की तफ़्सील भी मौजूद है। आइशा (रज़ि.) का ख़्याल ये था कि मय्यत पर उसके घर वालों के नोहा से अ़ज़ाब नहीं होता क्योंकि हर शख़्स सिर्फ़ अपने अमल का ज़िम्मेदार है। क़ुर्आन में ख़ुद है कि किसी पर दूसरे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं **ला तज़िरु वाज़िरतुंव विज़्रा उख़्रा** (अल अन्आम : 164) इसलिये नोहा की वजह से जिस गुनाह के मुर्तकिब मुर्दे के घरवाले होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी मुर्दे पर कैसे डाली जा सकती है?

लेकिन इब्ने उ़मर (रज़ि.) के पेशे-नज़र ये ह़दीष़ थी, 'मय्यत पर उसके घरवालों के नोहा से अ़ज़ाब होता है।' ह़दीष़ साफ़ थी और ख़ास मय्यत के लिये लेकिन इसमें एक आम हुक्म बयान हुआ है। आइशा (रज़ि.) का जवाब ये था कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) से ग़लती हुई, आँहुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद एक ख़ास वाक़िऐ के बारे में था। किसी यहूदी औरत का इंतिक़ाल हो गया था। इस पर अस़ल अ़ज़ाब कुफ़्र की वजह से हो रहा था लेकिन मज़ीद इज़ाफ़ा घरवालों के नोहा ने भी कर दिया था कि वो उसके इस्तिह़ाक़ के ख़िलाफ़ उसका मातम कर रहे थे और ख़िलाफ़े वाक़िआ नेकियों को उसकी त़रफ़ मन्सूब कर रहे थे। इसलिये हुज़ूर (ﷺ) ने उस मौक़े पर जो कुछ फ़र्माया वो मुसलमानों के बारे में नहीं था। लेकिन उ़लमा ने ह़ज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) के ख़िलाफ़ ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के इस इस्तिदलाल को तस्लीम नहीं किया है। दूसरी त़रफ़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ को भी हर ह़ाल में नाफ़िज़ नहीं किया बल्कि उसकी नोक पलक दूसरे शरई उसूल व शवाहिद की रोशनी में दुरुस्त किये गये हैं और फिर उसे एक उसूल की ह़ैषियत से तस्लीम किया गया है।

उ़लमा ने इस ह़दीष़ को जो मुख़्तलिफ़ वजहें व तफ़्सीलात बयान की हैं उन्हें ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने तफ़्सील के साथ लिखा है। इस पर इमाम बुख़ारी (रह.) के मुहाकमे का ह़ासिल ये है कि शरीअ़त का एक उसूल है। ह़दीष़ में है **कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइय्यतिही** हर शख़्स निगराँ है और उसके मातह़तों के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। ये ह़दीष़ मुतअद्दिद और मुख़्तलिफ़ रिवायतों से कुतुबे अहादीष़ और ख़ुद बुख़ारी में मौजूद है। ये एक मुफ़स्सल ह़दीष़ है और उसमें तफ़्सील के साथ ये बयान हुआ है कि बादशाह से लेकर एक मा'मूली से मा'मूली ख़ादिम तक राई और निगराँ की ह़ैषियत रखता है और उस सबसे उनकी मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। यहाँ साहिबे तफ़्हीमुल बुख़ारी ने एक फ़ाज़िलाना बयान लिखा है जिसे हम शुक्रिया के साथ (तशरीह़) में नक़ल करते हैं।

क़ुर्आन मजीद में है कि **क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा** (अत् तह़रीम : 6) ख़ुद को और अपने घरवालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस मौक़े पर वाज़ेह किया है कि जिस त़रह़ अपनी इस्लाह़ का हुक्म शरीअ़त ने दिया है उसी त़रह़ अपनी मातहत की इस्लाह़ का भी हुक्म है, इसलिये उनमें से किसी एक की इस्लाह़ से ग़फ़लत तबाहकुन है। अब अगर मुर्दे के घर ग़ैर-शरई नोहा व मातम का रिवाज था लेकिन अपनी ज़िन्दगी में उसने उन्हें उससे नहीं रोका और अपने घर में होने वाले उस मुन्कर पर वाक़िफ़ियत के बावजूद उसने तसाहुल से काम लिया, तो शरीअ़त की नज़र में वो भी मुजरिम है। शरीअ़त ने अम्र बिल मअ़रूफ़ और नही अ़निल मुन्कर का एक उसूल बना दिया था। ज़रूरी था कि इस उसूल के तहत अपनी ज़िन्दगी में अपने घरवालों को उससे दूर रखने की कोशिश करता। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो गोया वो ख़ुद उस अ़मल का सबब बना है। शरीअ़त की नज़र इस सिलसिले में बहुत दूर तक है। इसी मुहाकमे में इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ह़दीष़ नक़ल की है कि 'कोई शख़्स अगर ज़ुल्मन (ज़ालिमाना त़ौर पर) क़त्ल कर दिया गया है तो उस क़त्ल की एक ह़द तक ज़िम्मेदारी आदम अ़लैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे (क़ाबिल) पर आइद होती है।' क़ाबील ने अपने भाई हाबील को क़त्ल कर दिया था। ये रूए ज़मीन पर सबसे पहला ज़ालिमाना क़त्ल था। उससे पहले दुनिया उससे नावाक़िफ़ थी। अब चूँकि इस त़रीक़ा-ए-ज़ुल्म की ईजाद सबसे पहले आदम (अ़लैहिस्सलाम) के बेटे क़ाबील ने की थी, इसलिये क़यामत तक होने वाले ज़ालिमाना क़त्ल के गुनाह का एक ह़िस्सा उसके नाम भी लिखा जाएगा। शरीअ़त के इस उसूल को अगर सामने रखा जाए तो अ़ज़ाब व ष़वाब की बहुत सी बुनियादी गिरहें खुल जाएँ।

ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के बयानकर्दा उसूल पर भी एक नज़र डाल लीजिए। उन्होंने फ़र्माया था कि क़ुर्आन ने ख़ुद फ़ैसला कर दिया है कि 'किसी इंसान पर दूसरे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं।' ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि मरनेवाले

को क्या इख़्तियार है? उसका रिश्ता अब इस आलमे फानी से ख़त्म हो चुका हे। न वो किसी को रोक सकता है और न उस पर क़ुदरत है। फिर उस नाकर्दा गुनाह की ज़िम्मेदारी उस पर आइद करना किस तरह सहीह हो सकता है?

इस मौक़े पर ग़ौर किया जाए तो मा'लूम हो जाएगा कि शरीअत ने हर चीज़ के लिये अगरचे ज़ाब्ते और क़ायदे मुतअय्यन (निर्धारित) किये हैं लेकिन बाज़ औक़ात किसी एक में बहुत से उसूल बयक वक़्त जमा हो जाते हैं और यहीं से इज्तिहाद की हद शुरू हो जाती है। सवाल पैदा होता है कि ये जुज़्ई किस ज़ाब्ते के तहत आ सकती है? और उन मुख़्तलिफ़ उसूल में अपने मुज़्मरात के ए'तिबार से जुज़्ई किस उसूल से ज़्यादा क़रीब है? इस मसले में हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपने इज्तिहाद से ये फ़ैसला किया था कि मय्यत पर नोहा व मातम का मय्यत के बारे क़ुर्आन के बयानकर्दा उस उसूल के बारे में है कि 'किसी इंसान पर दूसरे की ज़िम्मेदारी नहीं।' जैसा कि हमने तफ़्सील से बताया कि आइशा (रज़ि.) के इज्तिहाद को उम्मत ने इस मसले में क़ुबूल नहीं किया है। इस बाब पर हमने ये तवील नोट इसलिये लिखा कि उसमें रोज़मर्रा की ज़िन्दगी के बारे में कुछ बुनियादी उसूल सामने आए थे। जहाँ तक नोहा व मातम का सवाल है उसे इस्लाम उन ग़ैर ज़रूरी और लग़्व हरकतों की वजह से रद्द करता है जो इस सिलसिले में की जाती थीं वर्ना अज़ीज़ व क़रीब या किसी भी मुता'ल्लिक़ (सम्बंधी) की मौत या ग़म क़ुदरती चीज़ है और इस्लाम न सिर्फ़ उसके इज़्हार की इजाज़त देता है बल्कि हदीष़ से मा'लूम होता है कि कुछ अफ़राद को जिनके दिल में अपने अज़ीज़ो-क़रीब की मौत से कोई ठेस नहीं लगी, आँहुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें सख़्त दिल कहा। ख़ुद हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ज़िन्दगी में कई ऐसे वाक़िआत पेश आए जब आप (ﷺ) के किसी अज़ीज़ो-क़रीब की वफ़ात पर आप (ﷺ) का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और आँखों से आंसू छलक पड़े। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

नसूसे शरइया की मौजदूगी में उनके इज्तिहाद क़ाबिले क़ुबूल नहीं है। ख़्वाह इज्तिहाद करने वाला कोई हो। राय और क़यास ही वो बीमारियाँ हैं जिन्होंने उम्मत का बेड़ा ग़र्क़ कर दिया और उम्मत तक़्सीम दर तक़्सीम होकर रह गई। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के क़ौल की मुनासिब तौजीह फ़र्मा दी है, वही ठीक है।

1285. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आमिर अक़्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अली ने और उनसे अनस बिन मालिक (रह.) ने कि हम नबी करीम (ﷺ) की एक बेटी (हज़रत उम्मे कुलषुम रज़ि.) के जनाज़े में हाज़िर थे। (वो हज़रत उ़ष्मान ग़नी रज़ि. की बीवी थीं, जिनका 5 हिजरी में इन्तिक़ाल हुआ) हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) क़ब्र पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आपकी आँखें आँसुओं से भर आई थीं। आँहज़रत (ﷺ) ने पूछा, क्या तुममें से कोई ऐसा शख़्स भी है कि जो आज की रात औरत के पास न गया हो। इस पर अबू तल्हा (रज़ि.) ने कहा कि मैं हूँ। रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया फिर क़ब्र में तुम उतरो। चुनाँचे वो उनकी क़ब्र में उतरे। (दीगर मक़ाम : 1342)

١٢٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ فَقَالَ : ((هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا. قَالَ : ((فَانْزِلْ)). قَالَ : فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

[طرفه في : ١٣٤٢].

तश्रीह : हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) को आप (ﷺ) ने नहीं उतारा। ऐसा करने से उनको तम्बीह करना मंज़ूर थी। कहते हैं कि हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने उस शब में जिसमें हज़रत उम्मे कुल्षुम (रज़ि.) ने इंतिक़ाल फ़र्माया, अपनी एक लौण्डी से सुहबत की थी। आँहज़रत (ﷺ) को उनका ये काम पसंद न आया। (वहीदी)

हज़रत उम्मे कुल्सुम (रज़ि.) से पहले रसूले करीम (ﷺ) की साहबज़ादी हज़रत रुक़य्या (रज़ि.) हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के अ़क़्द में थीं। उनके इंतिक़ाल पर आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत उम्मे कुल्सुम (रज़ि.) से आपका अ़क़्द फ़र्मा दिया जिनके इंतिक़ाल पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अगर मेरे पास तीसरी बेटी होती तो उसे भी उ़स्मान (रज़ि.) ही अ़क़्द में देता। उससे हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) की जो वक़अ़त आँहज़रत (ﷺ) के दिल में थी वो ज़ाहिर है।

١٢٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: ((تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا - أَوْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي- فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ: أَلاَ تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)).

1286. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमको इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बैदुल्लाह बिन अबी मुलैका ने ख़बर दी कि उ़स्मान (रज़ि.) की एक साहबज़ादी (उम्मे उबान) का मक्का में इन्तिक़ाल हो गया था। हम भी जनाज़े में हाज़िर हुए। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रजि.) और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) भी तशरीफ़ लाए। मैंने उन दोनों हज़रात के दरम्यान बैठा हुआ था या ये कहा कि मैं एक बुज़ुर्ग के क़रीब बैठ गया और दूसरे बुज़ुर्ग बाद में आए और मेरे बाज़ू में बैठ गए। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने उ़मर बिन उ़स्मान से कहा (जो उम्मे उबान के भाई थे) रोने से क्यों नहीं रुकते। नबी करीम (ﷺ) ने तो फ़र्माया है कि मय्यित पर घरवालों के रोने से अ़ज़ाब होता है।

١٢٨٧- فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلاَءِ الرَّكْبُ. قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْبٌ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي. فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ.

1287. इस पर अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने भी ताईद की कि उ़मर (रज़ि.) ने भी ऐसा ही फ़र्माया था। फिर आप बयान करने लगे कि मैं उ़मर (रज़ि.) के साथ मक्का से चला, जब हम बैदा तक पहुँचे तो सामने एक बबूल के पेड़ के नीचे चन्द सवार नज़र पड़े। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि जाकर देखो तो सही ये कौन लोग हैं? उनका बयान है कि मैंने देखा तो सुहैब (रज़ि.) थे। फिर जब इसकी इत्तिला दी तो आपने फ़र्माया कि उन्हें बुला लाओ। मैं सुहैब (रज़ि.) के पास दोबारा आया और कहा कि चलिये अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। चुनाँचे वो ख़िदमत में हाज़िर हुए। (ख़ैर ये क़िस्सा तो हो चुका) फिर जब हज़रत उ़मर (रज़ि.) ज़ख़्मी किये गये तो सुहैब (रज़ि.) रोते हुए अन्दर दाख़िल हुए। वो कह रहे थे हाय मेरे भाई! मेरे साहब! इस पर उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया सुहैब! तुम मुझ पर रोते हो, तुम नहीं

فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا صُهَيْبُ! أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟)). [طرفه في: ۱۲۹۰، ۱۲۹۲].

जानते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि मय्यित पर उसके घरवालों के रोने से अ़ज़ाब होता है। (दीगर मक़ाम : 1290, 1292)

۱۲۸۸- قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، وَاللهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، لَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))، وَقَالَتْ: حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللهِ ﴿هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : وَاللهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا.

[طرفاه في : ۱۲۸۹، ۳۹۷۸].

1288. इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब उ़मर (रज़ि.) का इन्तिक़ाल हो गया तो मैंने इस ह़दीष़ का ज़िक्र आ़इशा (रज़ि.) से किया। उन्होंने फ़र्माया रहमत उ़मर पर हो। अल्लाह की क़सम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये नहीं फ़र्माया है कि अल्लाह मोमिनों पर उसके घरवालों के रोने की वजह से अ़ज़ाब करेगा बल्कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला काफ़िर का अ़ज़ाब उसके घरवालों के रोने की वजह से और ज़्यादा कर देता है। इसके बाद कहने लगीं कि क़ुर्आन की ये आयत तुमको बस करती है है कि कोई किसी के गुनाह का ज़िम्मेदार और उसका बोझ उठाने वाला नहीं। इसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने उस वक़्त (या'नी उम्मे उबान के जनाज़े में) सूरह नज्म की ये आयत पढ़ी और अल्लाह ही हँसाता है और वही रुलाता है। इब्ने अबी मुलैका ने कहा कि अल्लाह की क़सम! इब्ने अ़ब्बास की ये तक़रीर सुनकर इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कुछ जवाब नहीं दिया।

(दीगर मक़ाम : 1289, 3978)

तश्रीह : ये आयत सूरह फ़ातिर में है। मतलब इमाम बुख़ारी (रह.) का ये है। कि किसी शख़्स पर ग़ैर के फ़ेअ़ल से सज़ा न होगी मगर हाँ जब उसको भी इस फ़ेअ़ल में एक तरह की शिर्कत हो। जैसे किसी के ख़ानदान की रस्म रोना पीटना, नोहा करना हो और वो उससे मना न कर जाए तो बेशक उसके घरवालों के नोहा करने से उस पर अ़ज़ाब होगा। कुछ ने कहा ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की ह़दीष़ इस पर मह़मूल है कि जब मय्यत नोहा करने की वसिय्यत कर जाए। कुछ ने कहा कि अ़ज़ाब से ये मतलब है कि मय्यत को तकलीफ़ होती है उसके घरवालों के नोहा करने से। इमाम इब्ने तैमिया (रह.) ने इसकी ताईद की है ह़दीष़ **ला तुक़्तलु नफ़्सुन** को ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने दियात वग़ैरह में वस्ल किया है। उससे इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि नाह़क़ ख़ून कोई और भी करता है तो क़ाबील पर उसके गुनाह का एक ह़िस्सा डाला जाता है और उसकी वजह आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये बयान फ़र्माई कि उसने नाह़क़ ख़ून की बिना सबसे पहले क़ायम की तो उसी तरह जिसके ख़ानदान में नोहा करने और रोने पीटने की रस्म है और उसने मना न किया तो क्या अ़जीब है कि नोहा करनेवालों के गुनाह का एक ह़िस्सा इस पर भी डाला जाए और उसको अ़ज़ाब हो। (वह़ीदी)

۱۲۸۹- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ

1289. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया,

उन्हें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन अबी बुकैर ने, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें अ़म्रा बिन्त अ़ब्दुर्रह्मान ने, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की बीवी ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना। आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र एक यहूदी औ़रत पर हुआ जिस के मरने पर उसके घरवाले रो रहे थे। उस वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये लोग रो रहे हैं, हालाँकि इस को क़ब्र में अ़ज़ाब दिया जा रहा है।

(राजेअ़ : 1288)

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: ((إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَقَالَ : ((إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا)).

[راجع: ١٢٨٨]

तश्रीह़ : उसके दोनों मा'नी हो सकते हैं या'नी उसके घरवालों के रोने से या उसके कुफ़्र की वजह से दूसरी सूरत में मत़लब ये होगा कि ये तो इस रंज में हैं कि हमसे जुदाई हो गई और उसकी जान अ़ज़ाब में गिरफ़्तार है। इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की अगली ह़दीष़ की तफ़्सीर की कि आँह़ज़रत (ﷺ) की मुराद वो मय्यत है जो काफ़िर हैं लेकिन ह़ज़रत उ़मर (रज़ि .) ने उसको आ़म समझा और इसी लिये सुहैब (रज़ि.) पर इंकार किया। (वह़ीदी)

1290. हमसे इस्माईल बिन ख़लील ने बयान किया, उनसे अ़ली बिन मुस्हिर ने बयान किया, उनसे अबू इस्हाक़ शैबानी ने, उनसे अबू बुर्दा ने और उनसे उनके वालिद अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) ने कि जब ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को ज़ख़्मी किया गया तो सुहैब (रज़ि.) ये कहते हुए आए, हाय मेरे भाई! इस पर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि क्या तुझ को मा'लूम नहीं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया है कि मुर्दे को उसके घरवालों के रोने से अ़ज़ाब दिया जाता है। (राजेअ़ : 1278)

١٢٩٠ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ : وَا أَخَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ؟)).

[راجع: ١٢٨٧]

तश्रीह़ : शौकानी (रह.) ने कहा रोना और कपड़े फाड़ना और नोह़ा करना ये सब काम ह़राम है। एक जमाअ़त सलफ़, जिनमें ह़ज़रत उ़मर और अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) हैं, का ये क़ौल है कि मय्यत के लोगों के रोने से मय्यत को अ़ज़ाब होता है और जुम्हूर उ़लमा उसकी ये तावील करते हैं कि अ़ज़ाब उसे होता है जो रोने की वसिय्यत कर जाए और हम कहते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) से मुतलक़न ये षाबित हुआ कि मय्यत पर रोन–पीटन से उसको अ़ज़ाब होता है। हमने आप (ﷺ) के इर्शाद को माना और सुन लिया। उस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं करते। इमाम नववी (रह.) ने इस पर इज्माअ़ नक़ल किया कि जिस रोने से मय्यत को अ़ज़ाब होता है वो रोना पुकार कर रोना और नोह़ा करना है न कि सिर्फ़ आंसू बहाना। (वह़ीदी)

बाब 33 : मय्यित पर नोहा करना मकरूह है

٣٣– بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, औरतों को अबू सुलैमान (ख़ालिद बिन वलीद) पर रोने दे जब तक वो ख़ाक न उड़ाए और चिल्लाए नहीं। नक़्अ सर पर मिट्टी डालने को और लक़्लक़ा चिल्लाने को कहते हैं।

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : دَعْهُنَّ يَبْكِيْنَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ، مَالَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ وَالنَّقْعُ: التُّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ، وَاللَّقْلَقَةُ: الصَّوْتُ.

नोहा कहते हैं मय्यत पर चिल्लाकर रोना और उसकी ख़ूबियाँ बयान करना।

1291. हमसे अबू नुऐम ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन उबैद ने, उनसे अली बिन रबीआ ने और उनसे मुग़ीरा बिन शुअबा (रज़ि.) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, आप फ़र्माते थे कि मेरे मुता'ल्लिक़ कोई झूठी बात कहना आम लोगों से मुता'ल्लिक़ झूठ बोलने की तरह नहीं है, जो शख़्स जानबूझ कर मेरे ऊपर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले और मैंने नबी करीम (ﷺ) से ये भी सुना कि किसी मय्यित पर अगर नोहा व मातम किया जाए तो उस नोहा की वजह से भी उस पर अज़ाब होता है।

١٢٩١- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : ((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)).

1292. हमसे अब्दान अब्दुल्लाह बिन उष्मान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे बाप ने ख़बर दी, उन्हें शोअबा ने, उन्हें क़तादा ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अपने बाप हज़रत उमर (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मय्यित को उस पर नोहा किये जाने की वजह से भी क़ब्र में अज़ाब होता है। अब्दान के साथ इस हदीष को अब्दुल अअला ने भी यज़ीद बिन ज़रीअ से रिवायत किया। उन्होंने कहा हमसे सईद बिन अबू अरूबा ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने और आदम बिन अयास ने शोअबा से यूँ रिवायत किया कि मय्यित पर ज़िन्दा के रोने से अज़ाब होता है।
(राजेअ : 1278)

١٢٩٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ: ((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ)).
[راجع: ١٢٨٧]

बाब : 34

٣٤- بَابٌ

1293. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफ़यान बिन उयय्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन मुन्कदिर ने बयान किया, कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मेरे वालिद की लाश उहुद के मैदान से लाई गई। (मुश्रिकों

١٢٩٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((جِيْءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ

ने) आपकी सूरत तक बिगाड़ दी थी। नअ़श रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने रखी गई। ऊपर से एक कपड़ा ढँका हुआ था, मैंने चाहा कि कपड़े को हटाऊँ, लेकिन मेरी क़ौम ने मुझे रोका। फिर दोबारा कपड़ा हटाने की कोशिश की। इस मर्तबा भी मेरी क़ौम ने मुझको रोक दिया। इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से जनाज़ा उठाया गया। उस वक़्त किसी ज़ोर-ज़ोर से रोने वाले की आवाज़ सुनाई दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा कि ये कौन है? लोगों ने कहा कि ये अ़म्र की बेटी या (ये कहा कि) अ़म्र की बहन है। (नाम में सुफ़यान को शक हुआ था) आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि रोती क्यों है? या ये फ़र्माया कि रोओ नहीं कि मलाइका बराबर अपने परों का साया किये रहे हैं जब तक इसका जनाज़ा उठाया गया। (राजेअ़ : 1244)

قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِي، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُفِعَ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقَالُوا: ابْنَةُ عَمْرٍو - أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو - قَالَ: ((فَلِمَ تَبْكِي؟ - أَوْ لاَ تَبْكِي -، فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ)).[راجع: ١٢٤٤]

बाब 35 : आँहज़रत का ये फ़र्माना कि गिरेबान चाक करने वाले हम में से नहीं हैं

٣٥- بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ

1294. हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने, उनसे ज़ुबैन यामी ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह ने फ़र्माया कि जो औ़रतें (किसी की मौत पर) अपने चेहरे को पीटती और गिरेबान को चाक करती है और जाहिलियत की बातें बकती हैं वो हम में से नहीं है। (दीगर मक़ाम : 1297, 1298, 3519)

١٢٩٤- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).
[أطرافه في: ١٢٩٧، ١٢٩٨، ٣٥١٩].

या'नी हमारी उम्मत से ख़ारिज हैं। मा'लूम हुआ कि ये हरकत सख़्त नापसंदीदा है।

बाब 36 : नबी करीम (ﷺ) का सअ़द बिन ख़ौला (रज़ि.) की वफ़ात पर अफ़सोस करना

٣٦- بَابُ رِثَاءِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ

1295. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्हें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें आ़मिर बिन सअ़द बिन अबी वक़्क़ास ने और उन्हें उनके वालिद सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जुल-विदाअ के साल (10 हिजरी) मेरी इयादत के लिये तशरीफ़

١٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي

عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ : إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: ((لاَ)). فَقُلْتُ: بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: ((لاَ)). ثُمَّ قَالَ: ((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ. يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ)).

लाए। मैं सख़्त बीमार था। मैंने कहा मेरा मर्ज़ शिद्दत इख़्तियार कर चुका है, मेरे पास मालो-अस्बाब बहुत है और मेरी सिर्फ़ एक लड़की है जो वारिष़ होगी तो क्या मैं अपने दो तिहाई माल को ख़ैरात कर दूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि नहीं। मैंने कहा आधा। आपने फ़र्माया नहीं। फिर आपने फ़र्माया कि एक तिहाई कर दो और ये भी बहुत बड़ी ख़ैरात है या बहुत ख़ैरात है अगर तू अपने वारिष़ों को अपने पीछे मालदार छोड़ जाए तो ये इससे बेहतर होगा कि मुहताजी में उन्हें इस तरह छोड़ जाए कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरे, ये याद रखो कि जो ख़र्च भी तुम अल्लाह की रज़ा की निय्यत से करोगे तो उस पर भी तुम्हें ष़वाब मिलेगा। यहाँ तक कि उस लुक़मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुँह में रखो। फिर मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे साथी तो मुझे छोड़कर (हज्जतुल-विदाअ करके) मक्का से जा रहे हैं और मैं उनसे पीछे रह रहा हूँ। इस पर आँहज़रत ने फ़र्माया कि यहाँ रह कर भी अगर तुम कोई नेक अमल करोगे तो उससे तुम्हारे दर्जे बुलन्द होंगे और शायद अभी तुम ज़िन्दा रहोगे और बहुत से लोगों को (मुसलमानों को) तुमसे फ़ायदा पहुँचेगा और बहुत से लोगों को (कुफ़्फ़ार व मुर्तदीन को) नुक़्सान। (फिर आप ﷺ ने दुआ फ़र्माई) ऐ अल्लाह! मेरे साथियों को हिजरत पर इस्तिक़लाल अता फ़र्मा और उनके क़दम पीछे की तरफ़ न लौटा। लेकिन मुसीबतज़दा सअद बिन ख़ौला थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके मक्का में वफ़ात पा जाने की वजह से इज़्हारे-ग़म किया था।

तश्रीह : इस मौक़े पर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने इस्लाम का वो ज़रीं (सुनहरा) उसूल बयान किया है जो इज्तिमाई ज़िन्दगी की जान है। अहादीष़ के ज़ख़ीरे में इस तरह की अहादीष़ की कमी नहीं है और उससे हमारी शरीअत के मिज़ाज का पता चलता है कि वो अपनी इत्तिबाअ करने वालों से किस तरह की ज़िन्दगी का मुतालबा करती है। अल्लाह तआला ख़ुद शारेअ हैं और उसने अपनी तमाम दूसरी मख़्लूक़ात के साथ इंसानों को भी पैदा किया है। इसलिये इंसान की तबीयत में फ़ित्री तौर पर जो रुज्हानात और सलाहियतें मौजूद हैं अल्लाह तआला अपने अहकाम व अवामिर में उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं करता। शरीअत में मुआद व मुआश के बारे में जिन अहकाम अमल करने का हमसे मुतालबा किया गया है, उनका मक़सद ये है कि अल्लाह की इबादत उसकी रज़ा के मुताबिक़ हो सके और ज़मीन में शरो-फ़साद न फैले। अहलो–अयाल पर ख़र्च करने की अहमियत और उस पर अज्रो–ष़वाब का इस्तिहक़ाक़ सिलारहमी और ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत के पेशे–नज़र है कि जिन पर मुआशरे की सलाह व बक़ा का मदार है। हदीष़ का ये हिस्सा कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के मुँह में लुक़्मा दे तो उस पर भी अज्रो–ष़वाब मिलेगा इसी बुनियाद पर है। कौन नहीं जानता कि उसमें खित्त-ए-नफ़्स भी है। लेकिन अगर अज़्दवाजी ज़िन्दगी के ज़रिये मुसलमान इस ख़ानदानी निज़ाम को परवान चढ़ाता है जिसकी तर्तीब इस्लाम ने दी और उसके मुक़्तज़ियात पर अमल की कोशिश करता है तो क़ज़ा-ए-शह्वत (इच्छाओं का दमन) भी अज्रो–ष़वाब का बाइष़ है।

शैख़ नववी (रह.) ने लिखा है कि ख़िस्त-ए-नफ़्स अगर हक़ के मुताबिक़ हो तो अज्रो–ष़वाब में उसकी वजह से कोई कमी नहीं होती। मुस्लिम में इस सिलसिले की एक ह़दीष़ बहुत ज़्यादा वाजेह है, आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हारी शर्मगाह में स़दक़ा है। स़ह़ाबा (रिज़.) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम अपनी शह्वत भी पूरी करें और अज्र भी पाएँगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ! क्या तुम इस पर ग़ौर नहीं करते कि अगर ह़राम में मुब्तला हो गए तो फिर क्या होगा? उससे समझा जा सकता है कि शरीअ़त हमें किन हुदूद में रखना चाहती है और उसके लिये उसने क्या-क्या जतन किये हैं और हमारे कुछ फ़ित्री रुज्ह़ानात (प्राकृतिक आकर्षणों और भावनाओं) की वजह से जो बड़ी ख़राबियाँ पैदा हो सकती थीं, उनके स़द्दे-बाब (निराकरण) की किस त़रह़ कोशिश की है।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) ने लिखा है कि इसके बावजूद कि बीवी के मुँह में लुक़्मा देने और दूसरे त़रीक़ों से ख़र्च करने का दाइया नफ़्आनी और शह्वानी भी है। ख़ुद ये लुक़्मा जिस जिस्म का ह़िस्सा बनेगा शौहर उसी से मुन्तफ़अ़ (फ़ायदा) उठाता है लेकिन शरीअ़त की त़रफ़ से फिर भी अज्रो–ष़वाब का वा'दा है। इसलिये अगर दूसरों पर ख़र्च किया जाए जिनसे कोई निस्बत व क़राबत नहीं और जहाँ ख़र्च करने के लिये कुछ ज़्यादा मुजाहदे की भी ज़रूरत होगी तो उस पर अज्रो–ष़वाब किस क़दर मिल सकता है। ताहम ये याद रहे कि हर त़रह़ के ख़र्च अख़्राजात में मुक़द्दम अइज़्ज़ा व अक़रबा (क़रीब लोग) हैं और फिर दूसरे लोग कि अइज़्ज़ा पर ख़र्च करके आदमी शरीअ़त के कई मुत़ालबों को एक साथ पूरा करता है।

सअ़द बिन ख़ौला (रज़ि.) मुहाजिरीन में से थे लेकिन आपकी वफ़ात मक्का में हो गई थी। ये बात पसंद नहीं की जाती थी कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से ता'ल्लुक़ की वजह से और अल्लाह की रज़ा ह़ासिल करने के लिये हिज्रत की थी वो बिला किसी सख़्त ज़रूरत के मक्का में क़याम करें। चुनाँचे सअ़द बिन वक़्क़ास़ (रज़ि.) मक्का में बीमार हुए तो वहाँ से जल्द निकल जाना चाहा कि कहीं वफ़ात न हो जाए और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी सअ़द बिन ख़ौला (रज़ि.) पर इसलिये इज़्हारे ग़म किया था कि मुहाजिर होने के बावजूद उनकी वफ़ात मक्का में हो गई। इसी के साथ आप (ﷺ) इसकी भी दुआ़ की कि अल्लाह तआ़ला स़ह़ाबा को हिज्रत पर इस्तिक़लाल अ़त़ा फ़र्माए। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि ये नुक़्स़ान किस तरह का होगा क्योंकि ये तक्वीनियात के बारे में है। (तफ़्हीमुल बुख़ारी)

बाब का तर्जुमा रष़ाअ से वही इज़्हारे अफ़सोस, रंजो-ग़म मुराद है न कि मर्षिया पढ़ना। मर्षिया उसको कहते हैं कि मय्यत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किये जाएँ और लोगों को बयान करके रुलाया जाए। ख़्वाह वो नज़्म हो या नष्र ये तो हमारी शरीअ़त में मना है। ख़ुसूसन लोगों को जमा करके सुनाना और रुलाना। इसकी मुमानअ़त में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं है। स़ह़ीह़ ह़दीष़ में वारिद है जिसको अह़मद और इब्ने माजा ने निकाला कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने मर्षिया से मना फ़र्माया।

सअ़द (रज़ि.) का मत़लब ये था कि और स़ह़ाबा तो आप (ﷺ) के साथ मदीना तय्यिबा रवाना हो जाएँगे और मैं मक्का ही में पड़े–पड़े मर जाऊँगा। आप (ﷺ) ने पहले गोल-मोल फ़र्माया जिससे सअ़द (रज़ि.) ने मा'लूम कर लिया कि मैं इस बीमारी से मरूँगा नहीं। फिर आगे स़ाफ़ फ़र्माया कि शायद तू ज़िन्दा रहेगा और तेरे हाथ से मुसलमानों को फ़ायदा और काफ़िरों का नुक़्स़ान होगा। इस ह़दीष़ में आप (ﷺ) का एक बड़ा मोअ़जज़ा है। जैसी आपकी पेशनगोई थी वैसा ही हुआ, सअ़द (रज़ि.) आँह़ज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद मुद्दत तक ज़िन्दा रहे। इराक़ और ईरान उन्होंने ही फ़तह़ किया। (वह़ीदी)

बाब 37 : ग़म के वक़्त सर मुण्डाने की मुमानअ़त

٣٧- بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ الْحَلْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

1296. और हकम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन ह़म्ज़ा ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़्मान बिन जाबिर ने कि क़ासिम बिन मुख़ैमिरा ने उनसे बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू बुर्दा बिन अबू मूसा ने बयान किया कि अबू

١٢٩٦- وَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ)).

मूसा अशअ़री (रज़ि.) बीमार पड़े, ऐसे कि उन पर ग़श तारी थी और उनका सर उनकी एक बीवी उम्मे अ़ब्दुल्लाह बिन्त रूमैया की गोद में था (वो एक ज़ोर की हिचकी मार कर रोने लगी) अबू मूसा (रज़ि.) उस वक़्त कुछ बोल न सके। लेकिन जब उनको होश हुआ तो उन्होंने फ़र्माया कि मैं भी उस काम से बेज़ार हूँ, जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बेज़ारी का इज़्हार फ़र्माया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (किसी ग़म के वक़्त) चिल्लाकर रोने वाली, सर मुण्डाने वाली, गिरेबान चाक करने वाली औरतों से अपनी बेज़ारी का इज़्हार फ़र्माया था।

मा'लूम हुआ कि ग़मी में सर मुँडाना गिरेबान चाक करना और चिल्लाकर नोहा करना ये जुम्ला हरकतें हराम हैं।

٣٨- بَابُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ

बाब 38 : रुख़सार पीटने वाली हम में से नहीं है

(या'नी हमारी उम्मत से ख़ारिज है)

١٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). [راجع: ١٢٩٤]

1297. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन महदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुर्रह ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स (किसी मय्यित पर) अपने रुख़सार पीटे, गिरेबान फाड़े और अ़हदे-जाहिलियत की सी बातें करे वो हम में से नहीं है। (राजेअ़: 1294)

जो लोग एक लम्बे अ़र्से पहले शहीद हो चुके बुज़ुर्गों पर सीना-कूबी करते हैं वो ग़ौर करें कि वो किस तरह आँहज़रत (ﷺ) की शरीअ़त से बग़ावत कर रहे हैं।

٣٩- بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

बाब 39 : इस बारे में कि मुसीबत के वक़्त जाहिलियत की बातें और वावेला करने की मुमानअ़त है

١٢٩٨- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ،

1298. हमसे अ़म्र बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया, उनसे उनके बाप ह़फ़्स़ ने और उनसे आ'मश ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुर्रह ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो (किसी की मौत पर) अपने रुख़सार पीटे, गिरेबान चाक करे और जाहिलियत की

बातें करे वो हम में से नहीं है। (राजेअ : 1294)

وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)).

[راجع: ١٢٩٤]

या'नी उसका ये अ़मल उन लोगों जैसा है जो ग़ैर मुस्लिम हैं या ये कि वो हमारी उम्मत से ख़ारिज हैं। बहरहाल इससे भी नोहा की हुर्मत षाबित होती है।

बाब 40 : जो शख़्स़ मुसीबत के वक़्त ऐसा बैठे कि वो ग़मगीन दिखाई दे

٤٠- بَابُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ

1299. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा कि मैंने यह्या से सुना, उन्होंने कहा कि मुझे अ़म्र ने ख़बर दी, कहा कि मैंने आइशा (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि जब नबी करीम (ﷺ) को ज़ैद बिन हारषा, जा'फ़र और अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) की शहादत की ख़बर (ग़ज़्व-ए-मूता में) मिली, तो आप (ﷺ) उस वक़्त इस तरह तशरीफ़ फ़र्मा थे कि ग़म के आषार आपके चेहरे पर ज़ाहिर थे। मैं दरवाज़े के सुराख़ से देख रही थी। इतने में एक स़ाहब आए और जा'फ़र (रज़ि.) के घर की औरतों के रोने का ज़िक्र किया, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन्हें रोने से मना कर दे। वो गये लेकिन वापस आकर कहा कि वो तो नहीं मानती। आपने फिर फ़र्माया कि उन्हें मना कर दे। अब वो तीसरी मर्तबा वापस हुआ और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़सम अल्लाह की, वो हम पर ग़ालिब आ गई हैं। (अ़म्र ने कहा कि) ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) को यक़ीन हुआ कि (उनके इस कहने पर) रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उनके मुँह में मिट्टी झोंक दे। इस पर मैंने कहा तेरा बुरा हो, नबी करीम (ﷺ) अब जिस काम का हुक्म दे रहे हैं वो तो करोगे नहीं, लेकिन आप (ﷺ) को तकलीफ़ में डाल दिया।

(दीगर मक़ाम : 1305, 4262)

١٢٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ شَقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: انْهَهُنَّ، فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ: وَاللهِ غَلَبْنَنَا يَارَسُولَ اللهِ. فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

[طرفه في: ١٣٠٥، ٤٢٦٢].

तश्रीह : आप (ﷺ) ने औरतों का बाज़ न आने पर सख़्त नाराज़गी का इज़्हार फ़र्माया और ग़ुस्से में कहा कि उनके मुँह में मिट्टी झोंक दो। आप (ﷺ) ख़ुद भी बेहद ग़मगीन थे। बाब का यही मक़्सद है।

1300. हमसे अ़म्र बिन अ़ली ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान किया, उनसे आ़सिम अहवल ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि जब क़ारियों की एक जमाअ़त शहीद कर दी गई तो रसूले-करीम (ﷺ) एक महीना तक क़ुनूत पढ़त

١٣٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

((قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ)). [راجع: ١٠٠١]

रहे। मैंने आँह़ज़रत को कभी नहीं देखा कि आप (ﷺ) उन दिनों से ज़्यादा कभी ग़मगीन रहे हों। (राजेअ : 1001)

तश्रीह़ : ये शुहदा-ए-किराम क़ारियों की एक मुअ़ज़्ज़ज़तरीन जमाअ़त थी जिसमें 70 लोग थे। ह़ज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीष़ उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब मुबारकपुरी (रह.) के लफ़्ज़ों में इस जमाअ़त का तआ़रुफ़ ये है, **व कानू मिन औजाइन्नासि यन्ज़िलूनस्सुफ्फत यतफ़क़्क़हूनल्इल्म व यतअल्लमूनल्कुर्आन व कानू रिदाअल्लिल्मुस्लिमीन इज़ा नजलत बिहिम नाजिलतुन व कानू हक्कन अ़म्मारुल्मस्जिदि व लुयूषल्मलाहिमि बअषहुम रसूलुल्लाहि (ﷺ) इला अहलि नज्द मिम्बनी आ़मिर लियदऊहुम इलल्इस्लाम व यक्रऊ अ़लैहिमुल क़ुर्आन फ़लम्मा नज़लू बिअर मऊनत क़सदहुम आ़मिरूब्नु तुफ़ैल फ़ी अहयाइम्मिम बनी सुलैम व हुम रअल व जकवान व इसिय्या फ़क़ातिलुहुम (फ़असीबू) अय फ़कतलूहुम जमीअ़न व कील व लम मिन्हुम इल्ला कअब बिन जैद अल्अन्सारी फइन्नहू तखल्लस व बिही रमकुन व ज़न्नू अन्नहू मात फआश हत्ता उस्तुशहिद यौमल्खन्दक़ि व असर्र अम्र बिन उमिय्या अज़्ज़म्री व कान ज़ालिक फिस्सनतिर्राबिअति मिनल्हिज्रति अय फ़ी सफ़र अ़ला रासि अर्बअ़त अशहुर मिन उहुद फहज़िन रसूलुल्लाहि (ﷺ) हुजन्न शदीदा क़ाल अनस मा राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ) वजद अला अहदिम्मा वजद अ़लैहिम** (मिर्आत, जिल्द 2, पेज 222)

या'नी कुछ अस्ह़ाबे सुफ़्फ़ा में से ये बेहतरीन अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे जो क़ुर्आने पाक और दीनी उ़लूम में महारत ह़ासिल रखते थे और ये वो लोग थे कि मसीबतों के वक़्त उनकी दुआएँ अहले इस्लाम के लिये पुश्तपनाही का काम देती थी। ये लोग मस्जिदे नबवी के ह़क़ीक़ी तौर पर आबाद करने वाले अहले ह़क़ लोग थे जो जंगो–जिहाद के मौक़ों पर बहादुर शेरों की त़रह़ मैदान में काम किया करते थे। उन्हें ह़ुज़ूर (ﷺ) ने अहले नजद के क़बीला बनू आ़मिर में तब्लीग़े इस्लाम और ता'लीमे क़ुर्आन मजीद के लिये रवाना किया था। जब ये बीरे मऊ़ना के पास पहुँचे तो आ़मिर बिन तुफ़ैल नामी एक गद्दार ने रअ़ल और ज़क्वान नामी क़बीलों के बहुत से लोगों को साथ लेकर उन पर ह़मला कर दिया और ये सब वहाँ शहीद हो गए, जिनका रसूले करीम (ﷺ) को इस क़दर स़दमा हुआ कि आप (ﷺ) ने पूरे एक माह तक क़बीले रअ़ल और ज़क्वान के लिये क़ुनूते नाज़िला पढ़ी। ये सन चार हिज्री का वाक़िआ है। कहा गया है कि उनमें से स़िर्फ़ एक बुज़ुर्ग कअ़ब बिन ज़ैद अंस़ारी (रज़ि.) किसी त़रह़ बच निकले जिन्हें ज़ालिमों ने मुर्दा समझकर छोड़ दिया था। ये बाद तक ज़िन्दा रहे यहाँ तक कि जंगे ख़ंदक़ में शहीद हो गए। अल्लाह इनसे राज़ी हो, आमीन।

٤١- بَابُ مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيْبَةِ

बाब 41 : जो शख़्स मुस़ीबत के वक़्त (अपने नफ़्स पर ज़ोर डालकर) अपना रंज ज़ाहिर करे

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ : الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّءُ وَالظَّنُّ السَّيِّءُ وَقَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ﴾

और मुह़म्मद बिन कअ़ब क़रज़ी ने कहा कि जज़अ़ उसको कहते हैं कि बुरी बात मुँह से निकालना और परवरदिगार से बदगुमानी करना, और ह़ज़रत यअ़क़ूब अ़लैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तो इस बेक़रारी और रंज का शिकवा अल्लाह ही से करता हूँ। (सूरह यूसुफ़)

١٣٠١- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ

1301. हमसे बिश्र बिन ह़कम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्ह़ाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी त़लह़ा ने बयान किया, कि उन्होंने अनस

بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((اشْتَكَى ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ، قَالَ فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ. فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ. فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلاَمُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ. وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ. قَالَ فَبَاتَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا)). قَالَ سُفْيَانُ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: فَرَأَيْتُ لَهُمَا تِسْعَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ.

[طرفه في: ٥٤٧٠].

बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आप ने बतलाया कि अबू तल्हा (रज़ि.) का एक बच्चा बीमार हो गया, उन्होंने कहा कि उसका इन्तिक़ाल भी हो गया। उस वक़्त अबू तल्हा घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी (उम्मे सुलैम) ने जब देखा कि बच्चे का इन्तिक़ाल हो गया तो उन्होंने कुछ खाना तैयार किया और बच्चे को घर के एक कोने में लिटा दिया। जब अबू तल्हा (रज़ि.) तशरीफ़ लाए तो उन्होंने पूछा कि बच्चे की तबियत कैसी है? उम्मे सुलैम ने कहा कि उसे आराम मिल गया है और मेरा ख़याल है कि अब वो आराम ही कर रहा होगा। अबू तल्हा (रज़ि.) ने समझा कि वो सहीह कह रही है। (अब बच्चा अच्छा है) फिर अबू तल्हा ने उम्मे सुलैम के पास रात गुज़ारी और जब सुबह हुई तो गुस्ल किया, लेकिन जब बाहर जाने का इरादा किया तो बीवी (उम्मे सुलैम) ने इत्तिला दी कि बच्चे का इन्तिक़ाल हो चुका है। फिर उन्होंने नबी करीम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी और आपसे उम्मे सुलैम का हाल बयान किया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि शायद अल्लाह तआला तुम दोनों को इस रात में बरकत अता फ़र्माएगा। सुफ़यान बिन उययना ने बयान किया कि अन्सार के एक शख़्स ने बताया कि मैंने अबू तल्हा (रज़ि.) की उन्हीं बीवी से नौ बेटे देखे जो सब के सब कुर्आन के आलिम थे। (दीगर मक़ाम : 5470)

तश्रीह : हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) की नेकतरीन, सालिहा, साबिरा बीवी के कहने का मतलब ये था कि बच्चे का इंतिक़ाल हो गया है और अब वो पूरे सुकून के साथ लेटा हुआ है। लेकिन हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने ये समझा कि बच्चे को इफ़ाक़ा हो गया है और अब वो आराम से सो रहा है। इसलिये वो ख़ुद भी आराम से सो गए, ज़रूरत से फ़ारिग़ हुए और बीवी के साथ हमबिस्तर भी हुए और इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने बरकत की बशारत दी। ये कि उनके ग़ैर-मा'मूली सब्र व ज़ब्त और अल्लाह तआला की हिक्मत पर कामिल यक़ीन का षम्रा था। बीवी की इस अदा-शनासी पर क़ुर्बान जाईए कि किस तरह उन्होंने अपने शौहर को एक ज़ेहनी कोफ़्त से बचा लिया।

मुहद्दिष अली बिन मदीनी ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) के उन नौ लड़कों के नाम नक़ल किये हैं जो सब आलिमे कुर्आन हुए और अल्लाह ने उनको बड़ी तरक़्क़ी अता की। इस्हाक़, इस्माईल, यअक़ूब, उमैर, उमर, मुहम्मद, अब्दुल्लाह, अज़ीज़ और क़ासिम। इंतिक़ाल करने वाले बच्चे को अबू उमैर कहते थे। आँहज़रत (ﷺ) उसको प्यार से फ़र्माया करते थे अबू उमैर तुम्हारी **नग़ीर** या'नी चिड़िया कैसी है? ये बच्चा बड़ा ख़ूबसूरत और वजीह था। अबू तलहा (रज़ि.) उससे बड़ी मुहब्बत किया करते थे। बच्चे की माँ उम्मे सुलैम के इस्तिक़्लाल को देखिए कि मुँह पर त्यौरी न आने दी और रंज को ऐसा छुपाया कि अबू तलहा (रज़ि.) समझे कि वाक़िई बच्चा अच्छा हो गया है। फिर ये देखिए कि उम्मे सुलैम ने बात भी ऐसी कही कि झूठ न हो क्योंकि मौत दरहक़ीक़त राहत है। वो मा'सूम जान थी उसके लिये तो मरना आराम ही आराम था। इधर बीमारी की तकलीफ़ गई, उधर दुनिया के फ़िक्रों से जो मुस्तक़्बिल में होते, नजात पाई। बाब का तर्जुमा यहीं से निकलता है कि उम्मे सुलैम ने रंज और सदमे को पी लिया बिलकुल ज़ाहिर न होने दिया।

दूसरी रिवायत में यूँ है कि उम्मे सुलैम ने अपने शौहर से कहा कि अगर कुछ लोग आरियत (उधार) की चीज़ लें फिर

वापस देने से इंकार करें तो कैसा है? इस पर अबू तलहा (रज़ि.) बोले कि हर्गिज़ इंकार न करना चाहिये। बल्कि आरियत की चीज़ वापस कर देना चाहिये, तब उम्मे सुलैम ने कहा कि ये बच्चा भी अल्लाह की अमानत था। आपको आरियतन मिला हुआ था, अल्लाह ने उसे ले लिया तो आपको रंज नहीं होना चाहिये। अल्लाह ने उनको सब्र व इस्तिक़्लाल के बदले नौ लड़के अता किये जो सब आलिमे क़ुर्आन हुए। सच है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।

٤٢- بَابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى

बाब 42 : सब्र वही है जो मुसीबत आते ही किया जाए

وَقَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نِعْمَ الْعِدْلاَنِ وَنِعْمَ الْعِلاَوَةُ: ﴿الَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوا: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ، وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ﴾.

और हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा कि दोनों तरफ़ के बोझ और बीच का बोझ क्या ही अच्छे हैं। या'नी सूरह बक़र की एक आयत में ख़ुशख़बरी सुनो, सब्र करने वालों को जिन को मुसीबत आती है तो कहते हैं हम सब अल्लाह ही की मिल्क हैं और अल्लाह के पास लौट कर जाने वाले हैं। ऐसे लोगों पर उनके मालिक की तरफ़ से शाबाशियाँ हैं और मेहरबानियाँ और यही लोग रास्ता पाने वाले हैं। और अल्लाह ने सूरह बक़र में फ़र्माया सब्र और नमाज़ से मदद माँगो और वो नमाज़ बहुत मुश्किल है मगर अल्लाह से डरने वालों पर मुश्किल नहीं।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى)). [راجع: ١٢٥٢]

1302. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ग़ुन्दर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उनसे ष़ाबित ने, उन्होंने बयान किया कि मैंने अनस (रज़ि.) से सुना, आप नबी करीम (ﷺ) के हवाले से नक़ल करते थे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सब्र तो वही है जो सदमे के शुरू में किया जाए। (राजेअ : 1252)

तश्रीह : बाब के तर्जुमा में हज़रत उमर (रज़ि.) के इर्शाद का मतलब ये है कि आपने मुसीबत के वक़्त सब्र की फ़ज़ीलत बयान की कि उससे साबिर बन्दे पर अल्लाह की रहमतें होती हैं और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ मिलती है। हज़रत उमर (रज़ि.) वाले क़ौल को हाकिम ने मुस्तदरक में वस्ल किया है हज़रत उमर (रज़ि.) ने सल्वात और रहमत को जानवर के दोनों तरफ़ के बोझे क़रार दिया और बीच का बोझ जो पीठ पे रहता है उसे **ऊलाइक हुमुल मुहतदून** से ता'बीर किया है। पीछे बयान हुआ कि एक औरत क़ब्र पर बैठी हुई रो रही थी आपने उसे मना किया तो वो ख़फ़ा हो गई। फिर जब उसको आपके बारे में पता चला तो वो दौड़ी हुई मअज़रत-ख़्वाही के लिये चली आई। उस वक़्त आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब क्या रखा है सब्र तो मुसीबत के शुरू ही में हुआ करता है।

٤٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((إِنَّا بِكَ لَمَحْزُوْنُوْنَ))

बाब 43 : नबी करीम (ﷺ) का फ़र्माना कि ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी जुदाई पर ग़मगीन हैं

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ)).

और इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से नक़ल किया कि (आप ﷺ ने फ़र्माया) आँख आँसू बहाती है और दिल ग़म से निढाल है।

1303. हमसे ह़सन बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह़्या बिन ह़स्सान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे क़ुरैश ने जो ह़य्यान के बेटे हैं, ने बयान किया और उनसे ष़ाबित ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अबू यूसुफ़ लोहार के यहाँ गये। ये इब्राहीम (रसूलुल्लाह ﷺ के स़ाह़बज़ादे) को दूध पिलाने वाली आया के ख़ाविन्द थे। आँह़ज़रत ने इब्राहीम (रज़ि.) को गोद में लिया और प्यार किया और सूंघा। फिर इसके बाद हम उनके यहाँ घर गये। देखा कि उस वक़्त इब्राहीम (रज़ि.) दम तोड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) की आँखें आँसुओं से भर आईं तो अ़ब्दुर्रह़्मान बिन औ़फ़ (रज़ि.) बोल पड़े कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप भी लोगों कि त़रह बेस़ब्री करने लगे? हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने औ़फ़! ये बेस़ब्री नहीं, ये तो रह़मत है। फिर आप (ﷺ) दोबारा रोए और फ़र्माया, आँखों से आँसू जारी है और दिल ग़म से निढाल है, पर ज़बान से हम कहेंगे वही जो हमारे परवरदिगार को पसन्द है और ऐ इब्राहीम! हम तुम्हारी जुदाई से ग़मगीन हैं। इस ह़दीष़ को मूसा बिन इस्माईल ने सुलैमान बिन मुग़ीरा से, उनसे ष़ाबित ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

١٣٠٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ - وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيْمَ - فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ - وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ - فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ)). ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: ((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُونَ)). رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये बतलाना चाहते हैं कि इस त़रह़ आँखों से आंसू निकल आएँ और दिल ग़मगीन हो और ज़ुबान से कोई अल्फ़ाज़ अल्लाह की नाराज़गी का न निकले तो ऐसा रोना बेस़ब्री नहीं ये आंसू रह़मत हैं और ये भी षाबित हुआ कि मरने वाले को मुह़ब्बत आमेज़ लफ़्ज़ों से मुख़ात़ब करके उसके ह़क़ में कलिम-ए-ख़ैर कहना चाहिये। आँह़ज़रत (ﷺ) के ये स़ाह़बज़ादे मारिया क़िब्तिया (रज़ि.) के बत़न से पैदा हुए थे जो मशिय्यते ऐज़दी के तह़त ह़ालते शीर-ख़्वारगी (दूध पीने की उम्र में) ही में इंतिक़ाल कर गए। (रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहा)

बाब 44 : मरीज़ के पास रोना कैसा है?

٤٤- بَابُ الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ

1304. हमसे अस़्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने कहा कि मुझे ख़बर दी अ़म्र बिन ह़ारिष़ ने, उन्हें सईद बिन ह़ारिष़ अन्सारी ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) किसी मर्ज़ में मुब्तला हुए। नबी करीम (ﷺ) इयादत के लिये अ़ब्दुर्रह़्मान बिन औ़फ़, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास और

١٣٠٤- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ

مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ : ((قَدْ قَضَى؟)) قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ. فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا. فَقَالَ: ((أَلاَ تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا)) - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ. وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)). وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا، وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَحْثِي بِالتُّرَابِ.

अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) के साथ उनके यहाँ तशरीफ़ ले गये। जब आप (ﷺ) अन्दर रह गये तो तीमारदारों के हुजूम में उन्हें पाया। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया कि क्या वफ़ात हो गई? लोगों ने कहा नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! नबी करीम (ﷺ) (उनकी मर्ज़ की शिद्दत को देखकर) रो पड़े। लोगों ने जो रसूले-अकरम (ﷺ) को रोते देखा तो वो सब भी रोने लगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि सुनो! अल्लाह तआला आँखों से आँसू निकलने पर अज़ाब नहीं करेगा और न दिल के ग़म पर। हाँ इसका अज़ाब, इस वजह से होता है, आप (ﷺ) ने ज़बान की तरफ़ इशारा किया (और अगर इस ज़बान से अच्छी बात निकले तो) ये इसकी रहमत का भी बाइस बनती है और मय्यित को उसके घरवालों के नोहा व मातम की वजह से भी अज़ाब होता है। हज़रत उमर (रज़ि.) मय्यित पर मातम करने पर डण्डे से मारते, फिर चीखने और रोने वालों के मुँह में मिट्टी झोंक देते।

तश्रीह : फ़वजदहू फ़ी गाशियते अहलिही का तर्जुमा कुछ ने यूँ किया है देखा तो वो बेहोश हैं और उनके चारों ओर लोग जमा हैं। आपने लोगों को इकट्ठा देखकर ये गुमान किया कि शायद सअद (रज़ि.) इंतिक़ाल कर गए। आपने ज़ुबान की तरफ़ इशारा करके ज़ाहिर फ़र्माया कि यही ज़ुबान बाइ़षे रहमत है अगर उससे कलिमाते ख़ैर निकलें और यही बाइ़षे अज़ाब है अगर उससे बुरे अल्फ़ाज़ निकाले जाएँ। इस ह़दीष से हज़रत उमर (रज़ि.) के जलाल का भी इज़्हार हुआ कि आप ख़िलाफ़े शरीअ़त रोने-पीटने वालों पर इंतिहाई सख़्ती फ़र्माते। फ़िल वाक़ेअ़ अल्लाह त़ाक़त दे तो शरई अवामिर व नवाही के लिये पूरी त़ाक़त से काम लेना चाहिये।

हज़रत सअ़द (रज़ि.) बिन उ़बादा अंसारी ख़ज़रजी (रज़ि.) बड़े जलीलुल क़द्र सह़ाबी हैं। उ़क़्ब-ए-ष़ानिया में शर्फ़ुल इस्लाम से मुशर्रफ़ हुए। उनका शुमार बारह नक़्बा मे है। अंसार के सरदारों में से थे और शान व शौकत में सबसे बढ़-चढ़कर थे। बद्र की मुहिम के लिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने जो मुशावराती इज्लास त़लब फ़र्माया था उसमें ह़ज़रत सअ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपका इशारा हमारी त़रफ़ है। अल्लाह की क़सम! अगर आप (ﷺ) हम अंसार को समुन्दर में कूदने का हुक्म फ़र्माएँगे तो हम उसमें भी कूद पड़ेंगे और अगर ख़ुश्की में हुक्म फ़र्माएँगे तो हम वहाँ भी ऊँटों के कलेजे पिघला देंगे। आपकी इस पुरजोश तक़्रीर से नबी करीम (ﷺ) बेहद ख़ुश हुए। अकष़र ग़ज़्वात में अंसार का झण्डा आप ही के हाथों में रहता था। सख़ावत में उनका कोई ष़ानी नहीं था। ख़ास़ त़ौर पर अस्ह़ाबे सुफ़्फ़ा पर आपके जूदो करम की बारिश बकष़रत बरसा करती थी। नबी करीम (ﷺ) को आपसे बेइंतिहा मुहब्बत थी। उसी वजह से आपकी बीमारी में हुज़ूर (ﷺ) आपकी इयादत के लिये तशरीफ़ लाए तो आपकी बीमारी की तकलीफ़देह ह़ालत देखकर हुज़ूर (ﷺ) की आँखों से आंसू जारी हो गए। 15 हिज्री में बज़माना ख़िलाफ़ते फ़ारूक़ी सरज़मीने शाम में बमुक़ाम ह़ौरान आपकी शहादत इस त़रह़ हुई कि किसी दुश्मन ने नअ़श मुबारक को गुस्लख़ाने में डाल दिया। इंतिक़ाल के वक़्त एक बीवी और तीन बेटे आपने छोड़े और ह़ौरान ही में सुपुर्दे ख़ाक किये गये। (रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहा)

٤٥- بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ النَّوحِ

बाब 45 : किस त़रह के नोहा व बोका से मना

करना और उस पर झिड़कना चाहिये

وَالْبُكَاءِ، وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ

١٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: ((لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ - وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ - وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ - فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ، وَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَى فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي - أَوْ غَلَبْنَنَا، الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَوْشَبٍ - فَزَعَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ)). فَقُلْتُ: أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ، فَوَاللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ مِنَ الْعَنَاءِ. [راجع: ١٢٩٩]

1305. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने, उनसे यह्या बिन सईद अन्सारी ने, कहा कि मुझे अ़म्रा बिन्ते अ़ब्दुर्रह्मान अन्सारी ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि मैंने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, आप ने फ़र्माया कि जब ज़ैद बिन ह़ारिष़ा, जा'फ़र बिन अबी त़ालिब और अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) की शहादत की ख़बर आई तो हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) इस त़रह बैठे की ग़म के आष़ार आपके चेहरे पर नुमाँया थे। मैं दरवाज़े के एक सुराख़ से आप (ﷺ) को देख रही थी। इतने में एक स़ाहब आए और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! जा'फ़र (रज़ि.) के घर की औरतें नोहा और मातम कर रही हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने उन्हें न रोने के लिये कहा। वो स़ाहब गये, लेकिन फिर वापस आ गये और कहा कि वो नहीं मानती। आपने दोबारा रोकने के लिये भेजा। वो गये और फिर वापस चले आए। कहा कि अल्लाह की क़सम! वो तो मुझ पर ग़ालिब आ गई हैं या ये कहा कि हम पर ग़ालिब आ गई हैं। शक मुहम्मद बिन हौशब को था। (आइशा रज़ि. ने बयान किया कि) मेरा यक़ीन ये है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उनके मुँह में मिट्टी झोंक दे। इस पर मेरी ज़बान से निकला कि अल्लाह तेरी नाक ख़ाकआलूद करे तू न तो वो काम कर सका जिसका आँह़ज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया था और न आपको तकलीफ़ देना छोड़ता है। (राजेअ़ : 1299)

तश्रीह़ : ज़ैद बिन ह़ारष़ा की वालिदा का नाम सअ़दिया और बाप का नाम ह़ारष़ा और अबू उसामा कुन्नियत थी। बनी कुज़ाआ के चश्मो–चिराग़ थे जो यमन का एक मुअज़्ज़ज़ क़बीला था। बचपन में क़ज़ाक़ आपको उठाकर ले गए। उक़ाज़ के बाज़ार में गुलाम बनकर चार सौ दिरहम में ह़कीम बिन हिज़ाम के हाथ बिककर उनकी फूफी उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की ख़िदमत में पहुँच गए और वहाँ से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आ गए। उनके वालिद को यमन में ख़बर हुई तो वो दौड़े हुए आए और दरबारे नुबुव्वत में उनकी वापसी के लिये दरख़्वास्त की। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ज़ैद बिन ह़ारिष़ा को पूरा इख़्तियार दे दिया कि अगर वो घर जाना चाहें तो ख़ुशी से अपने वालिद के साथ चले जाएँ और अगर चाहें तो मेरे पास रहें। ज़ैद बिन ह़ारष़ा (रज़ि.) ने अपने घरवालों पर आँह़ज़रत (ﷺ) को तर्जीह़ दी और वालिद और चचा के साथ नहीं गए। इसलिये कि आँह़ज़रत (ﷺ) के अह़सानात और अख़्लाक़े फ़ाज़िला उनके दिल में घर कर चुके थे। इस वाक़िये के बाद आँहुज़ूर (ﷺ) उनको मुक़ामे ह़जर में ले गए और ह़ाज़िरीन को ख़िताब करते हुए कहा कि लोगों! गवाह रहो मैंने ज़ैद को अपना बेटा बना लिया। वो मेरे वारिष़ हैं और मैं उसका वारिष़ हूँ। उसके बाद वो ज़ैद बिन मुहम्मद पुकारे जाने लगे। यहाँ तक कि क़ुर्आन मजीद की ये आयत नाज़िल हुई कि मुँहबोले लड़कों को उनके वालिदैन की त़रफ़ मन्सूब करके

पुकारो, यह अल्लाह के यहाँ इंसाफ़ की बात है। फिर वो ज़ैद बिन हारिषा के नाम से पुकारे जाने लगे।

आँहज़रत (ﷺ) ने उनका निकाह अपनी आज़ादकर्दा लौण्डी उम्मे ऐमन से करा दिया था। जिनके बतन से उनका लड़का उसामा पैदा हुआ। उनकी फ़ज़ीलत के लिये यही काफ़ी है कि अल्लाह ने क़ुर्आन मजीद में एक आयत में उनका नाम लेकर उनका वाक़िया बयान किया है जबकि क़ुर्आन मजीद में किसी भी सहाबी का नाम लेकर कोई तज़्किरा नहीं है। ग़ज़्व-ए-मौता 8 हिज्री में ये बहादुराना शहीद हुए। उस वक़्त उनकी उम्र 55 साल की थी।

उनके बाद फ़ौज की कमान हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) ने सम्भाली। ये नबी करीम (ﷺ) के मुहतरम चचा अबू तालिब के लड़के थे। वालिदा का नाम फ़ातिमा था ये शुरू ही में 31 आदमियों के साथ इस्लाम ले आए थे। हज़रत अली (रज़ि.) से दस साल बड़े थे। सूरत और सीरत में रसूलुल्लाह (ﷺ) से बहुत मुशाबेह थे। क़ुरैश के मज़ालिम से तंग आकर हिज्रते हब्शा में ये भी शरीक हो गए और नज्जाशी के दरबार में उन्होंने इस्लाम और पैग़म्बरे इस्लाम के बारे में ऐसी पुरजोश तक़रीर की कि शाहे हब्शा मुसलमान हो गया। 7 हिज्री में ये उस वक़्त मदीना तशरीफ़ लाए जब फ़रज़न्दाने तौहीद ने ख़ैबर को फ़तह किया। आपने उनको अपने गले से लगा लिया और फ़र्माया कि मैं नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारे आने से ज़्यादा ख़ुशी हासिल हुई है या फ़तहे ख़ैबर से हुई है। ग़ज़्व-ए-मौता में ये भी बहादुराना शहीद हुए और इस ख़बर से आँहज़रत (ﷺ) को सख़्ततरीन सदमा हुआ। हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) का घर मातमकदा बन गया। उसी मौक़े पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया जो यहाँ हदीष में मज़्कूर है।

उनके बाद अब्दुल्लाह बिन रवाहा (रज़ि.) ने फ़ौज की कमान सम्भाली। बैअते उक़्बा में ये मौजूद थे। बद्र, उहुद, ख़न्दक़ और उसके बाद के तमाम ग़ज़्वात में सिवाए फ़तहे मक्का और बाद के ग़ज़्वात में ये शरीक रहे। बड़े ही फ़र्मांबरदार इताअतशिआर सहाबी थे। क़बील-ए-ख़ज़रज से उनका रिश्ता था। लैलतुल उक़्बा में इस्लाम लाकर बनू हारिषा के नक़ीब मुक़र्रर हुए और हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद कुन्दी (रज़ि.) से सिलसिले भाईचारा क़ायम हुआ। फ़तहे बद्र की ख़ुशख़बरी मदीना में सबसे पहले लाने वाले आप ही थे। जंगे मौता में बहादुराना शहीद हुए। उनके बाद आँहज़रत (ﷺ) की पेशीनगोई के मुताबिक़ अल्लाह की तलवार हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने क़यादत सम्भाली और उनके हाथ पर मुसलमानों को फ़तहे अज़ीम हासिल हुई।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष से षाबित फ़र्माया कि पुकारकर, बयान कर करके मरनेवालों पर नोहा व मातम करना यहाँ तक नाजाइज़ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत जा'फ़र (रज़ि.) के घरवालों के लिये इस हरकते नाज़ेबा नोहा व मातम की वजह से उनके मुँह में मिट्टी डालने का हुक्म दिया जो आपकी नाराज़गी की दलील है और ये एक मुहावरा है जो इंतिहाई नाराज़गी पर दलालत करता है।

1306. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने, उनसे मुहम्मद ने और उनसे उम्मे अतिया (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैअत लेते वक़्त हम से ये अहद भी लिया था कि हम (मय्यित पर) नोहा नहीं करेंगी। लेकिन इस इक़रार को पाँच औरतों के सिवा किसी ने पूरा नहीं किया। ये औरतें उम्मे सुलैम, उम्मे अताअ, अबू सबरा की साहबज़ादी जो मुआज़ के घर में थीं और इनके अलावा दो औरतें या (ये कहा कि) अबू सबरा की साहबज़ादी, मुआज़ की बीवी और एक दूसरी ख़ातून (रज़ि.)।

(दीगर मक़ाम : 4892, 7210)

١٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ. أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ وَامْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى)).

तशरीह : ह़दीष़ के रावी को ये शक है कि ये अबू सबरा की वही स़ाह़बज़ादी हैं जो मुआ़ज़ (रज़ि.) के घर में थीं या किसी दूसरी स़ाह़बज़ादी का यहाँ ज़िक्र है और मुआ़ज़ की जो बीवी उस अ़हद का ह़क़ अदा करने वालों में थीं वो अबू सबरा की स़ाह़बज़ादी नहीं थीं। मुआ़ज़ की बीवी उम्मे अ़म्र बिन्ते ख़ल्लाद थी।

आँह़ज़रत (ﷺ) वक़्तन फ़वक़्तन मुसलमान मर्दों, औरतों से इस्लाम पर ष़ाबितक़दमी की बैअ़त किया करते थे ऐसे ही एक मौक़े पर आप (ﷺ) ने औरतों से ख़ुसूसियत से नोह़ा करने पर भी बैअ़त ली। बैअ़त के इस्तिलाह़ी मा'नी इक़रार करने के हैं। ये एक त़रह़ का ह़लफ़नामा होता है। बैअ़त की बहुत सी क़िस्में होती हैं। जिनका तफ़्स़ीली बयान अपने मौक़े पर आएगा।

इस ह़दीष़ से ये भी पता चलता है कि इंसान कितना ही बड़ा क्यूँ न हो फिर भी कमज़ोरियों का मुजस्समा है। स़ह़ाबियात की शान मुसल्लम है फिर भी उनमें बहुत से ख़्वातीन से इस अ़हद पर क़ायम न रहा गया जैसा कि मज़्कूर हुआ है।

बाब 46 : जनाज़ा देखकर खड़े होना

1307. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे ज़ुह्‌री ने, उनसे सालिम ने, उनसे उनके बाप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने, उनसे आ़मिर बिन रबीआ़ (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और खड़े रहो यहाँ तक कि जनाज़ा तुम से आगे निकल जाए। सुफ़यान ने बयान किया, उनसे ज़ुह्‌री ने बयान किया कि मुझसे सालिम ने अपने बाप अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से ख़बर दी। आपने फ़र्माया कि हमें आ़मिर बिन रबीआ़ (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के ह़वाले से ख़बर दी थी। ह़ुमैदी ने ये ज़्यादती की है, यहाँ तक कि जनाज़ा आगे निकल जाये या रख दिया जाये। (दीगर मक़ाम : 1308)

٤٦- بَابُ الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ)) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ: ((حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ)).

[طرفه في: ١٣٠٨].

बाब 47 : अगर कोई जनाज़ा देखकर खड़ा हो जाए तो कब बैठना चाहिये?

1308. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने आ़मिर बिन रबीआ़ (रज़ि.) के ह़वाले से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम में से कोई जनाज़ा देखे तो अगर उसके साथ नहीं चल रहा है तो खड़ा ही हो जाए यहाँ तक कि जनाज़ा आगे निकल जाए या आगे जाने की बजाय ख़ुद जनाज़ा रख

٤٧- بَابُ مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ

١٣٠٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْتُخَلِّفَهُ أَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ

दिया जाये। (राजेअ़ : 1307)

أَنْ تُخَلِّفَهُ)). [راجع: ١٣٠٧]

बाब 48 : जो शख़्स जनाज़े के साथ हो वो उस वक़्त तक न बैठे जब तक जनाज़ा लोगों के काँधों से उतारकर ज़मीन पर न रख दिया जाए और अगर पहले बैठ जाए तो उससे खड़ा होने के लिये कहा जाए

٤٨- بَابُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلاَ يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقِيَامِ

1309. हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी ज़िब ने, उनसे सईद मक़्बरी ने और उनसे उनके वालिद ने कि हम एक जनाज़े में शरीक थे कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने मरवान का हाथ पकड़ा और ये दोनों स़ाहब जनाज़े के रखे जाने से पहले बैठ गये। इतने में अबू सईद (रज़ि.) तशरीफ़ लाए और मरवान का हाथ पकड़कर फ़र्माया, उठो! अल्लाह की क़सम! ये (ये अबू हुरैरह रज़ि.) जानते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें इससे मना फ़र्माया है। अबू हुरैरह (रज़ि.) बोले कि अबू सईद (रज़ि.) ने सच कहा है। (दीगर मक़ाम : 1310)

١٣٠٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : ((كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ، فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ صَدَقَ)).

[طرفه في: ١٣١٠].

तश्रीह : ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये ह़दीष़ याद नहीं रही थी। जब ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने याद दिलाई तो आपको याद आ गई और आपने उसकी तस्दीक़ की। अकष़र स़ह़ाबा और ताबेईन उसको मुस्तह़ब जानते हैं और शअ़बी और नख़्ई ने कहा कि जनाज़ा ज़मीन पर रखे जाने से पहले बैठ जाना मकरूह है और कुछ ने खड़े रहने को फ़र्ज़ कहा है। निसाई ने अबू हुरैरह (रज़ि.) और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से निकाला कि हमने आँह़ज़रत (ﷺ) को किसी जनाज़े में बैठते हुए नहीं देखा है जब तक जनाज़ा ज़मीन पर न रख दिया जाता।

1310. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम दस्वाई ने बयान किया, उनसे यह़्या बिन अबी कष़ीर ने, उनसे अबू सलमा और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम लोग जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाओ और जो शख़्स जनाज़े के साथ चल रहा हो वो उस वक़्त तक न बैठे जब तक जनाज़ा रख न दिया जाए। (राजेअ़ : 1309)

١٣١٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)).

[راجع: ١٣٠٩]

तश्रीह : इस बारे में बहुत कुछ बह़ष़ व मुबाहष़ा के बाद शैख़ुल ह़दीष़ ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाहब (रह.) फ़र्माते हैं, वल्क़ौलुर्राजिह इन्दी हुव मा ज़हब इलैहिल्जुम्हूरू मिनअन्नहू यस्तहिब्बु अंल्ला यज्लिसत्ताबिउ वल्माशी लिल्जनाज़ति हत्ता तूज़अ बिल्अर्ज़ि व इन्नन्हय फ़ी क़ौलिही फ़ला यक्उद महमूलुन अलत्तन्जीहि

वल्लाहु तआला आलमु

व यदुल्लु अला इस्तिहबाबिल्क़ियामि इला अन तूजअ मा रवाहुल्बैहक़ी (जिल्द 04, पेज 27) मिन तरीकि अबी हाज़िम क़ाल: मशैतु मअ अबी हुरैरत वब्निज़्ज़ुबैर वल्हसन बिन अली अमामल्जनाजति हत्ता इन्तहैना इलल्मक्बिरति फक़ामू हत्ता वुज़िअत षुम्म जलसू फ़क़ुल्तु लिबअज़िहिम फ़क़ाल इन्नल्काइम मिष्लुल हामिल यअनी फिल्अज्रि (मिर्आत, जिल्द 2, पेज 471)

या'नी मेरे नज़दीक क़ौले राजेह वही है जिधर जुम्हूर गए हैं और वो ये कि जनाज़े के साथ चलने वालों और उसके रुख़्सत करने वालों के लिये मुस्तहब है कि जब तक जनाज़ा ज़मीन पर न रख दिया जाए न बैठें और हदीष में न बैठने की नही तंज़ीही है और उस क़याम के इस्तिहबाब पर बैहक़ी की वो हदीष भी दलालत करती है जिसे उन्होंने अबू हाज़िम की सनद से रिवायत किया है कि हम हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हसन बिन अली (रज़ि.) के साथ एक जनाज़े के साथ गए। पस ये तमाम हज़रात खड़े ही रहे जब तक वो जनाजा ज़मीन पर न रख दिया गया उसके बाद वो सब भी बैठ गए। मैंने उनमें से कुछ से मसला पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि खड़ा रहने वाला भी उसी के मिष्ल (समान) है जो ख़ुद जनाज़े को उठा रहा है या'नी षवाब में ये दोनों बराबर हैं।

बाब 49 : उस शख़्स के बारे में जो यहूदी का जनाज़ा देखकर खड़ा हो गया

٤٩- بَابُ مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِيّ

1311. हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कषीर ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन मिक़्सम ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि हमारे सामने से एक जनाज़ा गुज़रा तो नबी करीम (ﷺ) खड़े हो गये और हम भी खड़े हो गये। फिर हमने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो यहूदी का जनाज़ा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम लोग जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाया करो।

١٣١١- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)).

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) का यहूदी के जनाज़े के लिये भी खड़ा होना ज़ाहिर कर रहा है कि आपके दिल में सिर्फ़ इंसानियत के रिश्ते की बिना पर हर इंसान से किस क़दर मुहब्बत थी। यहूदी के जनाज़े को देखकर खड़े होने की कई वजहें बयान की गई हैं। आइन्दा हदीष में भी कुछ ऐसा ही ज़िक्र है। वहाँ आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुद इस सवाल का जवाब फ़र्माया है, **अलैस्त नफ़्सन** या'नी जान के मुआमले में मुसलमान या ग़ैर–मुसलमान बराबर हैं। ज़िन्दगी और मौत दोनों पर वारिद होती हैं। हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में मज़ीद तफ़्सील मौजूद है। **मर्रत जनाज़तुन फक़ाम लहा रसूलुल्लाहि (ﷺ) व क़ुम्ना मअहू फ़क़ुल्ना या रसूलल्लाहि (ﷺ) इन्नहा यहूदिय्या फक़ाल इन्नल्मौता फ़ज़्उन फइज़ा राइतुमुल जनाज़त फ़क़ुमू (मुत्तफ़क़ अलैहि)** या'नी एक जनाज़ा गुज़रा जिस पर आँहज़रत (ﷺ) और आपकी इक़्तिदा में हम सब सहाबा किराम (रज़ि.) खड़े हो गए। बाद में हमने कहा कि हुज़ूर ये एक यहूदिया का जनाज़ा था। आपने फ़र्माया कि कुछ भी हो बेशक मौत बहुत ही घबराहट में डाल देने वाली चीज़ है। मौत किसी की भी हो उसे देखकर घबराहट होनी चाहिये पस तुम जब भी कोई जनाज़ा देखो तो खड़े हो जाया करो।

निसाई और हाकिम में हज़रत अनस (रज़ि.) की हदीष में है कि **इन्नमा क़ुम्ना लिल्मलाइकति** हम फ़रिश्तों की ता'ज़ीम के लिये खड़े होते हैं और अहमद में भी हदीषे अबू मूसा से ऐसी ही रिवायत मौजूद है।

पस ख़ुलासा-ए-कलाम ये कि जनाज़े को देखकर धर्म-मज़हब का भेद किये बग़ैर इबरत हासिल करने के लिये मौत को याद करने के लिये, फ़रिश्तों की ता'ज़ीम के लिये खड़े हो जाना चाहिये। हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

1312. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्र बिन मुर्रह ने बयान किया कि मैंने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से सुना। उन्होंने कहा कि सह्ल बिन हुनीफ़ और क़ैस बिन सअद (रज़ि.) क़ादसिया में किसी जगह बैठे हुए थे। इतने में कुछ लोग उधर से जनाज़ा लेकर गुज़रे तो ये दोनों बुज़ुर्ग खड़े हो गये। अर्ज़ किया गया कि जनाज़ा तो ज़िम्मियों का है (जो काफ़िर है) इस पर उन्होंने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) के पास से इसी तरह से एक जनाज़ा गुज़रा था, आप (ﷺ) उसके लिये खड़े हुए थे। फिर आप (ﷺ) से कहा गया कि ये तो यहूदी का जनाज़ा था। आपने फ़र्माया कि क्या यहूदी की जान नहीं है?

١٣١٢- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا، فَقِيْلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ - أَيْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ - فَقَالاَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَتْ نَفْسًا؟)).

1313. और अबू हम्ज़ा ने अअमश से बयान किया, उनसे अम्र ने, उनसे इब्ने अबी लैला ने कि मैं क़ैस और सह्ल (रज़ि.) के साथ था। इन दोनों ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे और ज़करिया ने कहा उनसे शुअबी ने और उनसे इब्ने अबी लैला ने कि अबू मस्ऊद और क़ैस (रज़ि.) जनाज़े के लिये खड़े हो जाते थे।

١٣١٣- وَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ قَيْسٍ وَسَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ)). وَقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومَانِ لِلْجَنَازَةِ.

बाब 50 : इस बारे में कि औरतें नहीं बल्कि मर्द ही जनाज़े को उठाएँ

٥٠- بَابُ حَمْلِ الرِّجَالِ الْجَنَازَةَ دُونَ النِّسَاءِ

1316. हमसे अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हम से सईद मक़्बरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप कैसान ने कि उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब मय्यित चारपाई पर रखी जाती है और मर्द उसे काँधों पर उठाते है तो अगर वो नेक हो तो कहता है कि मुझे आगे ले चलो। लेकिन अगर नेक नहीं होता तो कहता है, हाय बर्बादी! मुझे कहाँ लिये जा रहे हो। इस आवाज़ को इन्सान के सिवा अल्लाह की तमाम मख़्लूक़ सुनती है। अगर इन्सान कहीं सुन पाए तो बेहोश

١٣١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا

हो जाए। (दीगर मक़ाम : 1316, 1380)

كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ)). [طرفه في: ١٣١٦، ١٣٨٠].

बाब 51 : जनाज़े को जल्दी ले चलना

और अनस (रज़ि.) ने कहा कि तुम जनाज़े को पहुँचा देने वाले हो, तुम उसके सामने भी चल सकते हो, पीछे भी, दाएँ भी और बाएँ भी सब तरफ़ चल सकते हो और अनस (रज़ि.) के सिवा और लोगों ने कहा जनाज़े के क़रीब चलना चाहिये।

٥١- بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ. فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ : قَرِيبًا مِنْهَا.

1315. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमने ज़ुह्री से सुनकर ये हदीष याद की, उन्होंने सईद बिन मुसय्यिब से और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जनाज़ा लेकर जल्दी चला करो क्योंकि अगर वो नेक है तो तुम उसको भलाई की तरफ़ नज़दीक कर रहे हो और अगर इसके सिवा है तो एक शर है जिसे तुम अपनी गर्दनों से उतार रहे हो।

١٣١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ)).

बाब 52 : नेक मय्यित चारपाई पर कहता है कि मुझे आगे बढ़ाए चलो (जल्दी दफ़नाओ)

٥٢- بَابُ قَوْلِ الْمَيِّتِ وَهُوَ عَلَى الْجَنَازَةِ : قَدِّمُونِي

1316. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद मक़्बरी ने बयान किया, उनसे उनके वालिद (कैसान) ने और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, आप ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि जब मय्यित चारपाई पर रखी जाती है और लोग उसे काँधों पर उठाते हैं उस वक़्त अगर वो मरने वाला नेक होता है तो कहता है कि मुझे जल्दी आगे बढ़ाए चलो लेकिन अगर नेक नहीं होता है तो कहता है, हाय बर्बादी! मुझे कहाँ लिये जा रहो हो। उसकी ये आवाज़ इन्सान के सिवा अल्लाह की हर मख़्लूक़ सुनती है। कहीं अगर इन्सान सुन पाए तो बेहोश हो जाए। (राजेअ : 1314)

١٣١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ)). [راجع: ١٣١٤]

बाब 53 : इमाम के पीछे जनाज़े की नमाज़ के लिये दो या तीन सफ़ें करना

٥٣- بَابُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً عَلَى الْجَنَازَةِ خَلْفَ الإِمَامِ

1317. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अवाना वज़ायश्करी ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे अताअ ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नज्जाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो मैं दूसरी या तीसरी सफ़ मे था।

(दीगर मक़ाम : 1320, 1334, 3788, 3787, 3789)

١٣١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ)).

[أطرافه في: ١٣٢٠، ١٣٣٤، ٣٨٧٧، ٣٨٧٨، ٣٨٧٩].

बहरहाल दो सफ़ हो या तीन सफ़ हर तरह जाइज़ है। मगर तीन सफ़ें बनाना बेहतर है।

बाब 54 : जनाज़े की नमाज़ में सफ़ें बनाना

٥٤- بَابُ الصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَازَةِ

1317. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रीअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मअमर ने, उनसे सईद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने अस्हाब को नज्जाशी की वफ़ात की ख़बर सुनाई, फिर आप आगे बढ़ गये और लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बना ली, फिर आप (ﷺ) ने चार मर्तबा तक्बीर कही। (राजेअ : 1240)

١٣١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَعَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا)). [راجع: ١٢٤٥]

1319. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबानी ने, उनसे शुअबी ने बयान किया कि मुझे नबी करीम (ﷺ) के एक सहाबी ने ख़बर दी कि आँहज़रत (ﷺ) एक क़ब्र पर आए जो और क़ब्रों से अलग थी। सहाबा ने सफ़बन्दी की और आप (ﷺ) ने चार तक्बीरें कहीं। मैने पूछा कि ये हदीष आपसे किसने बयान की है? उन्होंने बयान किया कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने। (राजेअ : 875)

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ٨٥٧]

1320. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमको हिशाम बिन यूसुफ़ ने ख़बर दी कि उन्हें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने ख़बर दी, उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना कि

١٣٢٠- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ

بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ، فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ)). قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي. [راجع: ١٣١٧]

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि आज हब्श के एक सालेह मर्द (हब्शा का बादशाह नज्जाशी) का इन्तिक़ाल हो गया है। आओ उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ो। जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर हमने सफ़बन्दी कर दी और नबी करीम (ﷺ) ने उनकी नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाई। हम सफ़ बान्धे खड़े थे, अबू ज़ुबैर ने जाबिर (रज़ि.) के हवाले से नक़ल किया कि मैं दूसरी सफ़ में था। (राजेअ़ : 1317)

तश्रीह : इन सब हदीषों से मय्यते ग़ायब पर नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना षाबित हुआ। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद (रह.) और अकषर सलफ़ का यही क़ौल है। अ़ल्लामा इब्ने हज़म कहते हैं कि किसी सहाबी से इसकी मुमानअ़त षाबित नहीं और क़यास भी उसी को मुक़्तज़ा है कि जनाज़े की नमाज़ में दुआ़ करना है और दुआ़ करने में ये ज़रूरी नहीं कि जिसके लिये दुआ़ की जा रही है वो मौजूद भी हो।

नबी करीम (ﷺ) ने शाहे हब्शा नज्जाशी का जनाज़ा ग़ायबाना अदा किया। इससे वाजेह होता है कि नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना पढ़ना सही है मगर इस बारे में उ़लम-ए-अह़नाफ़ ने बहुत कुछ तावीलात से काम किया है। कुछ लोगों ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) के लिये ज़मीन का पर्दा हटाकर अल्लाह ने नज्जाशी का जनाज़ा ज़ाहिर कर दिया था। कुछ कहते हैं कि ये ख़ुसूसियाते नबवी से है। कुछ ने कहा कि ये ख़ास नज्जाशी के लिये था। बहरहाल ये तावीलात ग़ैर मुनासिब हैं। नबी करीम (ﷺ) से नज्जाशी के लिये, फिर मुआविया बिन मुआविया मज़नी के लिये नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना षाबित है। हज़रत मौलाना ओबैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, **व उजीब अन ज़ालिक बिअन्नल्अस्ल अदमुल्ख़ुसूसिय्यति व लौ फुतिह बाबु हाज़ल्ख़ुसूसि लन्सद्द कषीरुम्मिन अहकामिश शरइ कालल्ख़त्ताबी ज़ुइम अन्नन्नबिय्य (ﷺ) कान मख़सूसन बिहाजल्फ़िअलि फ़ासिदुन लिअन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) इज़ा फअल शयअन मिन अफ़्आलिश्शरीअति कान अलैना इत्तिबाउहू वल्ईतिसाबुहू वत्तख़्सीसु ला युअलमु इल्ला बिदलीलिन व मिम्मा युबय्यिनु ज़ालिक अन्नहू (ﷺ) ख़रज बिन्नासि इलस्सलाति फसफ़्फ़ बिहिम व सल्लू मअहुम फउलिम अन्न हाज़त्तावील फ़ासिदुन व क़ाल इब्नु कुदामा नक़्तदी बिन्नबिय्यि (ﷺ) मा लम यष्बुत मा यक़्तज़ी इख़्तिसाहुहू.** (मिर्आ़त)

या'नी नज्जाशी के लिये आँहज़रत (ﷺ) की नमाज़े जनाज़ा गायबाना को मख़सूस करने का जवाब ये दिया गया है कि अस़ल में अदमे ख़ुसूसियत है और अगर ख़्वाह—मख़्वाह ऐसे ख़ुसूस का दरवाज़ा खोला जाएगा, तो बहुत से काम शरीअ़त यही कहकर मस्दूद कर दिये जाएँगे कि ये ख़ुसूसियाते नबवी में से है। इमाम ख़त्ताबी ने कहा कि ये गुमान कि नमाज़े जनाज़ा ग़ायबाना आँहज़रत (ﷺ) के साथ मख़सूस थी बिल्कुल फ़ासिद है। इसलिये कि जब रसूले करीम (ﷺ) कोई काम करें तो उसका इत्तिबाअ़ हम पर वाजिब है। तख़्सीस के लिये कोई खुली दलील होनी ज़रूरी है। यहाँ साफ़ बयान किया गया है कि रसूले करीम (ﷺ) लोगों को साथ लेकर नज्जाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिये निकले। सफ़ बन्दी हुई और आपने नमाज़ पढ़ाई। ज़ाहिर हुआ कि ये तावील फ़ासिद है। इब्ने कुदामा ने कहा कि जब तक किसी अम्र में आँहज़रत (ﷺ) की ख़ुसूसियात सह़ीह दलील से षाबित न हो हम उसमें आँहज़रत (ﷺ) की इक़्तिदा करेंगे।

कुछ रिवायात जिनसे कुछ इख़्तिसास पर रोशनी प्रड़ सकती है मरवी हैं मगर वो सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले इस्तिनाद है। अ़ल्लामा इब्ने हजर ने फ़र्माया कि उन पर तवज्जह न दी जा सकती। और वाक़दी की ये रिवायत कि आँहज़रत (ﷺ) के लिये नज्जाशी के जनाज़े और ज़मीन का दरम्यानी पर्दा हटा दिया गया था बग़ैर सनद के है जो हर्गिज़ इस्दिलाल के क़ाबिल नहीं है। शैख़ अ़ब्दुल हक़ मुहद्दिष देहलवी ने शरह सफ़रुस्सआ़दत में ऐसा ही लिखा है।

٥٥- بَابُ صُفُوفِ الصِّبْيَانِ مَعَ

बाब 55 : जनाज़े की नमाज़ में बच्चे भी मर्दों के

बराबर खड़े हों

الرِّجَالَ عَلَى الْجَنَائِزِ

1321. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबानी ने बयान किया, उनसे आ़मिर ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले-करीम (ﷺ) का गुज़र एक क़ब्र पर हुआ मय्यित को अभी रात ही दफ़नाया गया था। आँहज़रत (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया कि दफ़न कब किया गया है? लोगों ने कहा, गुज़िश्ता रात। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे क्यों नहीं इत्तिला करवाई ? लोगों ने अ़र्ज़ किया कि अन्धेरी रात में दफ़न किया गया, इसलिये हमने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। फिर आप (ﷺ) खड़े हो गये और हमने आपके पीछे सफ़ें बना लीं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं भी उन्हीं में था (नाबालिग़ था लेकिन) नमाज़े-जनाज़ा में शिर्कत की।

١٣٢١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ: ((مَتَى دُفِنَ هَذَا؟)) قَالُوا: الْبَارِحَةَ. قَالَ: ((أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟)) قَالُوا : دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ. فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ)).

बाब 56 : जनाज़े पर नमाज़ का मशरूअ होना

٥٦- بَابُ سُنَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स जनाज़े पर नमाज़ पढ़े और आप (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, तुम अपने साथी पर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ लो। और आपने फ़र्माया कि नज्जाशी पर नमाज़ पढ़ो। इसको नमाज़ कहा, इसमें न रुकूअ है न सज्दा और न इसमें बात की जा सकती है और इसमें तक्बीर भी है और सलाम भी। और अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जनाज़े की नमाज़ न पढ़ते जब तक बावुज़ू न होते और सूरज निकलने और डूबने के वक़्त न पढ़ते और जनाज़े की नमाज़ में रफ़यदैन करते और इमाम हसन बस़री (रह.) ने कहा कि मैंने बहुत से सहाबा और ताबेईन को पाया वो जनाज़े की नमाज़ में इमामत का ज़्यादा हक़दार उसी को जानते जिस को फ़र्ज़ नमाज़ में इमामत का ज़्यादा हक़दार समझते और जब ईद के दिन या जनाज़े पर वुज़ू न हो तो पानी तलाशे, तयम्मुम न करे और जब जनाज़े पर उस वक़्त पहुँचे कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो अल्लाहु-अक्बर कह कर शरीक हो जाए। और सईद बिन मुसय्यिब (रह.) ने कहा रात हो या दिन, सफ़र हो या हज़र जनाज़े में चार तक्बीर

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ)) وَقَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)) وَقَالَ ((صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ)) سَمَّاهَا صَلاَةً لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلاَ سُجُودٌ، وَلاَ يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ طَاهِرًا، وَلاَ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيْدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ

कहें। और अनस (रज़ि.) ने कहा पहली तक्बीर जनाज़े की नमाज़ शुरू करने की है और अल्लाह तआला ने (सूरह तौबा में) फ़र्माया इन मुनाफ़िक़ों में जब कोई मर जाए तो उन पर कभी जनाज़ा न पढ़ो। और इसमें सफ़ें हैं और इमाम होता है।

(राजेअ : 875)

الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةِ اسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ. وَقَالَ: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾. وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ. [راجع: ٨٥٧]

तश्रीह : कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाज़े जनाज़ा को सिर्फ़ दुआ की हद तक मानते हैं और उसे बे वुज़ू पढ़ना भी जाइज़ कहते हैं। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी ख़ुदादाद बसीरत की बिना पर ऐसे ही लोगों का यहाँ रद्द फ़र्माया है और बतलाया है कि जनाज़े की नमाज़, नमाज़ है इसे सिर्फ़ दुआ कहना ग़लत है। क़ुर्आन मजीद में, फ़रामीने दरबारे रिसालत में, अक़्वाले सहाबा, ताबेईन और तबअ ताबेईन में उसे लफ़्ज़े नमाज़ ही से ता'बीर किया गया है। उसके लिये बावज़ू होना शर्त है।

क़स्तलानी (रह.) कहते हैं कि इमाम मालिक और औज़ाई और अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक औक़ाते मकरूहा में नमाज़े जनाज़ा जाइज़ नहीं। लेकिन इमाम शाफ़िई (रह.) के नज़दीक जनाज़ा की नमाज़ औक़ाते मकरूहा में भी जाइज़ है।

इस नमाज़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हर तक्बीर के साथ रफ़उलयदैन करते थे। इस रिवायत को हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताब रफ़उलयदैन में निकाला है। उसमें और नमाज़ों की तरह तक्बीरे तहरीमा भी होती हैऔर उसके अलावा चार तक्बीरों से नमाज़ मसनून है। इसकी इमामत के लिये भी वही शख़्स ज़्यादा हक़दार है जो पंजवक़्ता नमाज़ पढ़ाने के लायक़ हो। अल ग़र्ज़ नमाज़े जनाज़ा, नमाज़ है। ये महज़ दुआ नहीं है जो लोग ऐसा कहते हैं उनका क़ौल सही नहीं है।

तक्बीराते जनाज़ा मे हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन करना; इस बारे में इमाम शाफ़िई (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ि.) से भी यही रिवायत किया है कि वो तक्बीराते जनाज़ा में अपने हाथ उठाया करते थे। इमाम नववी (रह.) फ़र्माते हैं, **वख़्तलफ़ू फ़ी रफइल्अयदी फ़ी हाज़िहित्तक्बीराति मज्हबुश्शाफ़िइ व उमरब्नि अब्दिलअज़ीज़ व अता व सालिम बिन अब्दुल्लाह व कैस इब्नि अबी हाज़िम वज़्ज़ुहरी वलऔज़ाई व अहमद व इस्हाक़ वख़्तारहुब्नुलमुन्ज़िर व कालष्षौरी व अबू हनीफ़त व अस्हाबुर्राय ला युर्फ़उ इल्ला फ़ित्तक्बीरिल्ऊला** (मुस्लिम मअ नववी मत्बूआ कराची, जिल्द नं. 1) या'नी तक्बीराते जनाज़ा में हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन करने में उलमा ने इख़्तिलाफ़ किया है। इमाम शाफ़िई (रह.) का मज़हब ये है कि हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन किया जाए। उसको अब्दुल्लाह बिन उमर और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रज़ि.) और अता और सालिम बिन अब्दुल्लाह और क़ैस इब्ने अबी हाज़िम और ज़ुहरी और औज़ाई और अहमद और इस्हाक़ से नक़ल किया है और इब्ने मुंज़िर के नज़दीक मुख़्तार मज़हब यही है और इमाम षौरी और इमाम अबू हनीफ़ा और अस्हाबुर्राय का क़ौल ये है कि सिर्फ़ तक्बीरे ऊला में हाथ उठाए जाएँ हर तक्बीर पर रफ़उलयदैन के बारे में कोई सहीह हदीषे मर्फ़ूअ मौजूद नहीं है। वल्लाहु अअलम।

1322. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने, उनसे शैबानी ने और उनसे शुअबी ने बयान किया कि मुझे उस सहाबी ने ख़बर दी थी जो नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अलग-थलग क़ब्र पर से गुज़रे। वो कहते थे कि

١٣٢٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلَى

आप (ﷺ) ने हमारी इमामत की और हमने आपके पीछे सफ़ें बना लीं। हमने पूछा कि अबू अम्र (ये शुअबी की कुन्नियत है) ये आपसे बयान करने वाले कौन सहाबी हैं? फ़र्माया कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.)

قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)).

तश्रीह : इस बाब का मक़्सद ये है कि नमाज़े जनाज़ा भी नमाज़ है और तमाम नमाज़ों की तरह उसमें वही चीज़ें ज़रूरी हैं जो नमाज़ों के लिये होनी चाहिये। इस मक़्सद के लिये हदीष और अक़्वाले सहाबा और ताबईन के बहुत से टुकड़े ऐसे बयान किये गये हैं जिनमें नमाज़े जनाज़ा के लिये 'नमाज़' का लफ़्ज़ षाबित हुआ और हदीषे वारिदा में भी उस पर नमाज़ ही का लफ़्ज़ बोला गया जबकि आँहज़रत (ﷺ) इमाम हुए और आप (ﷺ) के पीछे सहाबा (रज़ि.) ने सफ़ बाँधी। इस हदीष से ये भी षाबित हुआ कि अगर कोई मुसलमान जिस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़नी ज़रूरी थी और उसको बग़ैर नमाज़ पढ़ाए दफ़न कर दिया गया तो उसकी क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जा सकती है।

बाब 57 : जनाज़े के साथ जाने की फ़ज़ीलत

٥٧- بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

और ज़ैद बिन षाबित (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़ पढ़कर तुमने अपना हक़ अदा कर दिया। हुमैद बिन हिलाल (ताबेई) ने फ़र्माया कि हम नमाज़ पढ़ कर इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझते। जो शख़्स भी नमाज़े-जनाज़ा पढ़े और फिर वापस आए तो उसे एक क़ीरात का षवाब मिलता है।

(राजेअ : 875)

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﷺ: إِذَا صَلَّيْتَ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ: مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.

[راجع: ٨٥٧]

तश्रीह : हाफ़िज़ ने कहा कि ये अषर मुझको मौसूलन नहीं मिला। और इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ उन लोगों का रद्द करना है जो कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ़ नमाज़े जनाज़ा पढ़कर घर को लौट जाना चाहे तो जनाजे के वारिषों से इजाज़त लेकर जाना चाहिये और इस बारे में एक मर्फ़ूअन हदीष वारिद है जो ज़ईफ़ है (वहीदी)

1323. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उनसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, कहा कि मैंने नाफ़ेअ से सुना, आप ने बयान किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि जो दफ़न तक जनाज़े के साथ रहे उसे एक क़िरात का षवाब मिलेगा। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अबू हुरैरह अहादीष बहुत ज़्यादा बयान करते हैं।

(राजेअ : 48)

١٣٢٣- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: حَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَقُولُ : ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُوهُرَيْرَةَ عَلَيْنَا)).

[راجع: ٤٧]

1324. फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) की हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी तस्दीक़ की और फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये इर्शाद ख़ुद सुना है। इस पर इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा कि फिर तो हमने बहुत से क़ीरातों का नुक़्सान उठाया। (सूरह ज़ुमर में जो लफ़्ज़) फ़रत्तत आया है उसके यही मा'नी है, मैंने ज़ाए किया।

١٣٢٤- فَصَدَّقَتْ - يَعْنِي عَائِشَةَ - أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ))

فَرَّطْتُ: ضَيَّعْتُ مِن أَمْرِ اللهِ.

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की आदत है कि क़ुर्आन की आयतों में जो लफ़्ज़ वारिद हुए हैं अगर ह़दीष़ में कोई वही लफ़्ज़ आ जाता है तो आप उसके साथ-साथ क़ुर्आन के लफ़्ज़ की भी तफ़्सीर कर देते हैं। यहाँ अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के कलाम में **फ़रत्तु** का लफ़्ज़ आया और क़ुर्आन में भी **फ़रत्तु फ़ी जम्बिल्लाह** (अज़्ज़ुमर, 56) आया है तो उसकी भी तफ़्सीर कर दी या'नी मैंने अल्लाह का हुक्म, कुछ ज़ाया (नष्ट) किया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की निस्बत कहा, उन्होंने बहुत ह़दीषें बयान कीं। उससे ये मत़लब नहीं था कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) झूठे हैं बल्कि उनको ये शुब्हा रहा कि शायद अबू हुरैरह (रज़ि.) भूल गए हों या ह़दीष़ का मत़लब और कुछ हो वो न समझे हों। जब हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने भी उनकी शहादत दी तो उनको पूरा यक़ीन आया और उन्होंने अफ़सोस से कहा कि हमारे बहुत से क़ीरात़ का षवाब मिलेगा। क़ीरात़ एक बड़ा वज़न उहुद पहाड़ के समान मुराद है और जो शख़्स दफ़न होने तक साथ रहे उसे दो क़ीरात़ बराबर षवाब मिलेगा।

बाब 58 : जो शख़्स दफ़न होने तक ठहरा रहे

٥٨- بَابُ مَنِ انْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ

1325. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने ज़िब के सामने ये ह़दीष़ पढ़ी, उनसे अबू सईद मक़्बरी ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से पूछा तो आप ने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था। (दूसरी सनद) हमसे अह़मद बिन शबीब ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने बयान किया कि इब्ने शिहाब ने कहा कि (मुझे फलाँ ने ये भी ह़दीष़ बयान की) (राजेअ़ : 48)

١٣٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ح. [راجع: ٤٧]

और मुझसे अ़ब्दुर्रह़्मान अअ़रज ने भी कहा कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसने जनाज़े में शिर्कत की फिर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ी तो उसे एक क़ीरात़ का षवाब मिलता है, जो दफ़न तक साथ रहा तो उसे दो क़ीरात का षवाब मिलता है। पूछा गया कि दो क़ीरात़ कितने होंगे? फ़र्माया कि दो अ़ज़ीम पहाड़ों के बराबर।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ)). قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

या'नी दुनिया का क़ीरात़ मत समझो जो दिरहम का बारहवाँ ह़िस्सा होता है। दूसरी रिवायत में है कि आख़िरत के क़ीरात़ उहुद पहाड़ के बराबर हैं।

बाब 59 : बड़ों के साथ बच्चों का भी नमाज़े जनाज़ा में शरीक होना

٥٩- بَابُ صَلاَةِ الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَائِزِ

1326. हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन अबी बुकैर ने, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ाएद ने बयान किया, उन्होंने उनसे अबू इस्हाक़ शैबानी ने, उनसे आमिर ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक क़ब्र पर तशरीफ़ लाए, सहाबा ने अर्ज़ किया कि इस मय्यित को गुज़िश्ता रात में दफ़न किया गया है। (साहिबे क़ब्र मर्द था या औरत थी) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि फिर हमने आपके पीछे सफ़बन्दी की और आप (ﷺ) ने नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाई। (राजेअ : 875)

١٣٢٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوا: هَذَا دُفِنَ - أَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا)). [راجع: ٨٥٧]

बाब और हदीष की मुताबक़त ज़ाहिर है। क्यूँकर इब्ने अब्बास (रज़ि.) इस वाक़िआ के वक़्त बच्चे ही थे। मगर आप (ﷺ) के साथ बराबर सफ़ में शरीक हुए।

बाब 60 : नमाज़े-जनाज़ा ईदगाह में और मस्जिद में (दोनों जगह जाइज़ है)

٦٠ - بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمُصَلَّى وَالْمَسْجِدِ

1327. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा ने बयान किया और उनसे दोनों हज़रात से अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हब्शा के नज्जाशी की वफ़ात की ख़बर दी, उसी दिन जिस दिन उनका इन्तिक़ाल हुआ था। आपने फ़र्माया कि अपने भाई के लिये अल्लाह से मग़फ़िरत चाहो।

(राजेअ : 1240)

١٣٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَعَى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ)).

[راجع: ١٢٤٥]

1328. और इब्ने शिहाब से यूँ भी रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मुझसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदगाह में सफ़बन्दी करवाई फिर (नमाज़े-जनाज़ा की) चार तक्बीरें कहीं।

(राजेअ : 1240)

١٣٢٨ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلَّى، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا)).

[راجع: ١٢٤٥]

तश्रीह : इमाम नववी फ़र्माते हैं, क़ाल इब्नु अब्दिल्बर व इन्अकदल्इज्माउ़ बअद ज़ालिक अला अर्बइन व अजमअल्फ़ुक़हा व अहलुल्फ़त्वा बिलअम्सारि अला अर्बइन अला मा जाअ फ़ी अहादीषिस्सिहाहि व मा सिवा ज़ालिक इन्दहुम शुज़ूज़ुन ला युल्तफतु इलैहि (नववी) या'नी इब्ने अब्दुल बर्र ने

कहा कि तमाम फ़ुक़हा और अहले फ़त्वा का चार तक्बीरों पर इज्माअ हो चुका है जैसा कि अहादीषे सहीहा में आया है और जो उसके ख़िलाफ़ है वो नवादिर में दाख़िल है जिसकी तरफ़ तवज्जह नहीं किया जा सकता।

शैख़ुल हदीष मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी (रह.) फ़र्माते हैं, **वर्राजिह इन्दी अन्नहू ला यम्बग़ी अंय्युज़ाद अला अर्बइन लिअन्न फ़ीहि ख़ुरूजम्मिनल्ख़िलाफ़ि व लि अन्न ज़ालिक हुवल्ग़ालिब मिन फ़िअलिही लाकिन्नल्इमाम इज़ा कब्बर खम्सन ताबअहूल्मामूम लिअन्न षुबूतल्खम्सि ला मरद्द लहू मिन हैषिर्रिवायतिल्अमल** (मिर्आत, जिल्द 2, पेज 477)

या'नी मेरे नज़दीक राजेह यही है कि चार तक्बीरों से ज़्यादा न हों। इख़्तिलाफ़ से बचने के लिये यही रास्ता है नबी करीम (ﷺ) के फ़ेअल से अकषर यही षाबित है। लेकिन अगर इमाम पाँच तक्बीरें कहें तो मुक़्तदियों को उसकी पैरवी करनी चाहिये। इसलिये कि ये रिवायत और अमल के लिहाज़ से पाँच का भी षुबूत मौजूद है जिससे इंकार की गुंजाइश नहीं है।

1329. हमसे इब्राहीम बिन मुन्ज़िद ने बयान किया, उनसे अबू ज़म्रह ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि यहूद नबी करीम (ﷺ) के हुज़ूर में अपने हम मज़हब एक मर्द और औरत का जिन्होंने ज़िना किया था, मुक़द्दमा लेकर आए। आँहज़रत (ﷺ) के हुक्म से मस्जिद के नज़दीक नमाज़े-जनाज़ा पढ़ने की जगह के पास उन्हें संगसार कर दिया गया।

(दीगर मक़ाम: 3635, 4556, 6819, 6841, 7332, 7543)

١٣٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَوضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ)).

[أطرافه في : ٣٦٣٥، ٤٥٥٦، ٦٨١٩، ٦٨٤١، ٧٣٣٢، ٧٥٤٣].

तश्रीह : जनाज़े की नमाज़ मस्जिद में बिला कराहत जाइज़ व दुरुस्त है। जैसा कि नीचे लिखी हदीष से ज़ाहिर है **अन आइशत अन्नहा क़ालत लम्मा तुवफ़्फ़िय सअदुब्नुअबी वक़्क़ास अदख़िलू बिहिल्मस्जिद हत्ता उसल्लिय अलैहि फअन्करू ज़ालिक अलैहा फ़क़ालत वल्लाहि लक़द सल्ला रसूलुल्लाहि (ﷺ) अला इब्ना बैज़ा फिल्मस्जिदि सुहैल व अख़ीहि रवाहु मुस्लिम व फ़ी रिवायतिन मा सल्ला रसूलुल्लाहि (ﷺ) अला सुहैलिब्नि बैज़ा इल्ला फ़ी जौफिल्मस्जिदि रवाहुल्जमाअतु इल्लल्बुख़ारी.**

या'नी हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि सअद बिन अबी वक़्क़ास के जनाज़ा पर उन्होंने फ़र्माया कि उसे मस्जिद में दाख़िल करो यहाँ तक कि मैं भी उस पर नमाज़े जनाज़ा अदा करूँ। लोगों ने उस पर कुछ इंकार किया तो आपने फ़र्माया कि क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैज़ा के दोनों बेटों सुहैल और उसके भाई पर नमाज़े जनाज़ा मस्जिद ही में अदा की थी।

और एक रिवायत में है कि सुहैल बिन बैज़ा की नमाज़े जनाज़ा आँहज़रत (ﷺ) ने मस्जिद के बीचों–बीच पढ़ाई थी। इससे मा'लूम हुआ कि नमाज़े जनाज़ा मस्जिद में पढ़ी जा सकती है।

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) दोनों का जनाज़ा मस्जिद ही में अदा किया गया था।

अल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **वल्हदीषु यदुल्लु अला जवाज़ि इदख़ालिल्मय्यति फिल्मस्जिदि वस्सलातु अलैहि फीहि व बिही क़ालश्शाफ़िइ व अहमद व इस्हाक़ वल्जुम्हूर** या'नी ये हदीष दलालत करती है

कि मय्यत को मस्जिद में दाख़िल करना और वहाँ उसका जनाज़ा पढ़ना सही है। इमाम शाफ़िई और अह़मद और इस्ह़ाक़ और जुम्हूर का भी यही क़ौल है। जो लोग मय्यत के नापाक होने का ख़्याल रखते हैं उनके नज़दीक मस्जिद में न मय्यत का लाना दुरुस्त है और न वहाँ नमाज़े जनाज़ा जाइज़। मगर ये ख़्याल बिलकुल ग़लत़ है। मुसलमान मुर्दा और जिन्दा नजिस नहीं हुआ करता। जैसा कि ह़दीष़ में स़ाफ़ मौजूद है, **इन्नल मूमिन ला युन्जिसु ह़य्यन व ला मय्यितन** बेशक मोमिन मुर्दा और जिन्दा नजिस नहीं होता या'नी नजासते ह़क़ीक़ी से वो दूर होता है।

बनू बैज़ा तीन भाई थे। सहल व सुहैल और स़फ़्वान उनकी वालिदा को बत़ौरे वस्फ़ बैज़ा कहा गया। उसका नाम दअ़द था और उनके वालिद का नाम वहब बिन रबीआ़ क़ुरैशी फ़हरी था।

इस बह़ष़ के आख़िर में ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब (रह.) फ़र्माते हैं, **वल्ह़क़्क़ु अन्नहू यजूज़ुस्सलातु अलल्जनाइज़ि फ़िल्मस्जिदि मिन ग़ैरि कराहतिन वल्अफ़ज़लु अस्सलातु अ़लैहा ख़ारिजल्मस्जिदि लिअन्न अक्ष़र स़लवातिही (ﷺ) अलल्जनाइज़ि कान फ़िल्मुसल्ला** (मिर्आ़त) या'नी ह़क़ यही है कि मस्जिद में नमाज़े जनाज़ा बिला कराहत दुरुस्त है और अफ़ज़ल ये है कि मस्जिद से बाहर पढ़ी जाए क्योंकि अकष़र नबी करीम (ﷺ) ने इसको ईदगाह में पढ़ा है।

इस ह़दीष़ से ये भी ष़ाबित होता है कि इस्लामी अ़दालत में अगर कोई ग़ैर—मुस्लिम का कोई मुक़द्दमा दायर हो तो फ़ैसला बहरह़ाल इस्लामी क़ानून के तह़त किया जाएगा। आप (ﷺ) ने उन यहूदी ज़ानियों के लिये संगसारी का हुक्म इसलिये भी स़ादिर फ़र्माया कि ख़ुद तौरात में भी यही हुक्म था जिसे उ़लम-ए-यहूद ने बदल दिया था। आप (ﷺ) ने गोया उन ही की शरीअ़त के मुत़ाबिक़ फ़ैसला फ़र्माया। (ﷺ)

बाब 61 : क़ब्रों पर मस्जिद बनाना मकरूह है

٦١- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ

और जब ह़सन बिन ह़सन बिन अ़ली (रज़ि.) गुज़र गये तो उनकी बीवी (फ़ातिमा बिन्ते हुसैन) ने एक साल तक क़ब्र पर ख़ैमा लगाए रखा। आख़िर ख़ैमा उठाया गया तो लोगों ने एक आवाज़ सुनी, क्या लोगों ने जिनको खोया था, उनको पा लिया? दूसरे ने जवाब दिया नहीं बल्कि नाउम्मीद होकर लौट गये।

وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا.

तश्रीह : ये ह़सन, ह़ज़रत ह़सन बिन अ़ली (रज़ि.) के बेटे और बड़े ष़िक़ात ताबेईन में से थे। उनकी बीवी फ़ात़िमा ह़ज़रत हुसैन (रज़ि.) की बेटी थीं और उनके एक लड़का था उनका नामे-नामी भी ह़सन था। गोया तीन पुश्त तक यही मुबारक नाम रखा गया। उनकी बीवी ने अपने दिल को तसल्ली देने और ग़म ग़लत़ करने के लिये साल भर तक अपने मह़बूब शौहर की क़ब्र के पास डेरा रखा। इस पर उनको हातिफ़े ग़ैब से मलामत हुई और वो वापस हो गईं।

1330. हमसे उ़बैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे शैबान ने, उनसे हिलाल वज़्ज़ान ने, उनसे उ़र्वा ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने मर्ज़े-वफ़ात में फ़र्माया कि यहूद और नस़ारा पर अल्लाह की लअ़नत हो कि उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया। ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने कहा कि अगर ऐसा डर न होता तो आपकी क़ब्र खुली रहती (और हुज्रे में न होती) क्योंकि मुझ

١٣٣٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ هِلاَلٍ هُوَ الْوَزَّانُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ

مَسْجِدًا)). قَالَتْ : وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

[راجع: ٤٣٥]

डर इसका है कि कहीं आपकी क़ब्र भी मस्जिद न बनाली जाए।

(राजेअ़ : 430)

तश्रीह : या'नी ख़ुद क़ब्रों को पूजने लगे या क़ब्रों पर मस्जिद और गिर्जाघर बनाकर वहाँ अल्लाह की इ़बादत करने लगे तो बाब की मुत़ाबक़त ह़ासिल हो गई। इमाम इब्ने क़य्यिम ने कहा कि जो लोग क़ब्रों पर वक़्त मुअ़य्यन (निर्धारित) करके जमा होते हैं वो भी गोया क़ब्र को मस्जिद बनाते हैं। दूसरी ह़दीष़ में है मेरी क़ब्र को ईद न कर लेना या'नी ईद की त़रह़ वहाँ मेले और मजमा न करना। जो लोग ऐसा करते हैं वो भी उन यहूदियों और नस़रानियों की त़रह़ हैं जिन पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने लअ़नत की।

अफ़सोस! हमारे जमाने में क़ब्रपरस्ती ऐसी शाए हो रही है कि ये नाम के मुसलमान अल्लाह और रसूल से ज़रा भी नहीं शर्माते, क़ब्रों को इस क़दर पुख़्ता शानदार बनाते हैं कि उनकी इमारत को देखकर मसाजिद का शुब्हा होता है। हालाँकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने सख़्ती के साथ क़ब्रों पर ऐसी ता'मीरात के लिये मना किया है। ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने अबू हियाज अस्दी को कहा था **अब्अषुक अ़ला मा बअ़षनी अ़लैहि रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला तदउतिम्षालन इल्ला तमस्तहू वला कब्रन मुश्रफ़न इल्ला सव्वैतहू रवाहुल्जमाअतु इल्लल्बुख़ारी वब्नु माजा** या'नी क्या मैं तुमकों उस ख़िदमत के लिये न भेजूँ जिसके लिये मुझे आँह़ज़रत (ﷺ) ने भेजा था। वो ये कि कोई मूरत ऐसी न छोड़ जिसे तू मिटा न दे और कोई ऊँची क़ब्र न रहे जिसे तू बराबर न कर दे।

इस ह़दीष़ से मा'लूम होता है क़ब्रों का ह़द से ज़्यादा ऊँचा करना भी शारेअ़ (ﷺ) को नापसंद है। अ़ल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **फ़ीहि अन्नस्सुन्नत इन्नल्कब्र ला युर्फ़उ रफ़अन कष़ीरा मिन गैरि फर्क़िन बैन कान फ़ाज़िलन व मन कान गैर फ़ाज़िलिन वज़्ज़ाहिरू अन्न रफ़अल्कुबूरि ज़ियादतुन अलल्कद्रिल्माज़ूबि हरामुन** या'नी सुन्नत यही है कि क़ब्र को ह़द से ज़्यादा बुलन्द न बनाया जाए ख़्वाह वो किसी फ़ाज़िल, आ़लिम या सूफ़ी की हो या किसी ग़ैर फ़ाज़िल की और ज़ाहिर है कि शरई इजाज़त से ज़्यादा क़ब्रों को ऊँचा करना ह़राम है। आगे अ़ल्लामा फ़र्माते हैं,

व मिन रफ़इल्कुबूरि अद्दाखिलु तहतल्हदीषि दुखूलन औलियाउ अल्कुब्बु वल्मशाहिदुल्मअमूरतु अलल्कुबूरि व अयज़न हुव मिन इत्तिख़ाज़िल्कुबूरि मसाजिदु व कद लअनन्नबिय्यु (ﷺ) फ़ाइल ज़ालिक कमा सयाती व कम क़द सराअ़न तशईदि अब्नियतिल्क़ुबूरि व तहसीनिहा मिम्मफ़ासिदिन यब्की लहल्इस्लामु मिन्हा इतिकादुल्जहलति लहा कइतिकादिल्कुफ़्फ़ारि लिल्अस्नामि व अजुम ज़ालिक फज़न्नू अन्नहा क़ादिरतुन अ़ला जलबिल्मनाफ़िइ व दफ़इज़्ज़ररि फजअलूहा मक्सदत्तलबि कज़ाअल्हवाइजि व मल्जअलिनजाहिल्मतालिबि व सालू मिन्हा मा यस्अलुहूल्इबादु मिन रब्बिहिम व शद्दू इलयहर्रिहाल व तम्सहू बिहा वस्तगाषू व बिल्जुम्लति अन्नहुम लम यदऊ शयअम्मिम्मा कानतिल्ज़ाहिलिय्यतु तफ़अलुहू बिल्अस्नामि इल्ला फअलुहू फ़इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व मअ हाजल्मुन्करिश्शनीइ वल्कुफ़्रिल्फ़ज़ीइ ला नजिदु मंय्यगजबु लिल्लाहि व युगारू हमिय्यल लिद्दीनिल्हनीफ़ि ला आलिमन व ला मुतअ़ल्लिमन व ला अमीरन व ला वज़ीरन व ला मलिकन तुवारिदु इलैना मिनल्अख़बारि मा ला यशुक्कु मअहू अन्न कष़ीरम्मिन हाउलाइल्मकबूरीन औ अक्षरूहुम इज़ा तवज्जहत अ़लैहि यमीनुन मिन जिहति खस्मिही हलफ़ बिल्लाहि फ़ाज़िरन व इज़ा कील लहू बअ़द ज़ालिक इलहफ़ बिशैखिफ़ व मुअतकदिकल्वलियल्फुलानी तल्अषिमु व तल्कउ व अ बा वअतरफ बिल्हक़्क़ि व हाज़ा मिन अब्यनिल्अदिल्लतिद्दाल्लति अ़ला अन्न शिर्कहुम क़द बलग़ फौक शिर्किम्मन क़ाल अन्नहू तआला ष़ानियष्नैनि औ ष़ालिषु ष़लाष़तिन फ या उलमाअद्दीनि व या मुलूकल्मुस्लिमीन अय्यु रजदूनलिल्इस्लामि अशद्दु मिनल्कुफ़्रि व अय्यु बलाइन लिहाज़द्दीनि अज़रू अ़लैहि मिन इबादिही गैरल्लाहि व अय्यु मुसीबतिन युसाबु बिहल्मुस्लिमून तअदिलु हाज़िहिल्मुसीबत व अय्यु मन्करिन इन्कारहू इन लम यकुन इन्कार हाज़श्शिर्किल्बय्यिन वाजिबन

लक़द अस्मअत लौ नादैत ह़य्यन — व ला किन ला ह़यात लिमन तुनादी
व लौ नारन नफ़ख़्त बिहा अजाअत — व ला किन अन्त तन्फ़ख़ु फ़िर्रिमादि

(नैलुल औतार, जिल्द नं.4, पेज नं.90)

या'नी बुज़ुर्गों की क़ब्र पर बनाई हुई इमारात, कुब्बे और ज़ियारतगाहें ये सब इस ह़दीष़ के तह़त दाख़िल होने की वजह से क़त्अन नाजाइज़ है। यही क़ब्रों को मसाजिद बनाना है जिस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने लअ़नत की और उन क़ुबूर के पुख़्ता बनाने और उन पर इमारात को मुज़य्यन (सुसज्जित) करने से इस क़दर मफ़ासिद पैदा हो रहे हैं कि आज उन पर इस्लाम रो रहा है। उनमें से मष़लन ये कि ऐसे मज़ारों के बारे में जाहिल लोग वही ए'तिक़ादात रखते हैं जो कुफ़्फ़ार बुतों के बारे में रखते हैं बल्कि उनसे भी बढ़कर। ऐसे जाहिल उन क़ुबूर वालों को नफ़ा देने वाले और नुक़्सान पहुँचाने वाले तसव्वुर करते हैं। इसलिये उनसे ह़ाजतें त़लब करते हैं। अपनी मुरादें उनके सामने रखते हैं और उनसे ऐसे ही दुआएँ करते हैं जैसे अल्लाह के बन्दों को अल्लाह से दुआएँ करनी चाहिये। उन मज़ारात की त़रफ़ कजावे बाँध—बाँधकर सफ़र करते हैं और वहाँ जाकर उन क़ब्रों को मसह़ करते हैं और उनसे फ़रियादरसी चाहते हैं। मुख़्तसर ये कि ज़ाहिलियत में जो कुछ बुतों के साथ किया जाता था वो सब कुछ इन क़ब्रों के साथ हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राज़ेऊन

और उस खुले हुए बदतरीन कुफ़्र होने के बावजूद हम किसी भी अल्लाह के बन्दे को नहीं पाते जो अल्लाह के लिये इस पर ग़ुस्सा करे और दीने ह़नीफ़ की कुछ ग़ैरत उसको आए। आ़लिम हो या मुतअ़ल्लिम, अमीर हो या ग़रीब या बादशाह, इस बारे में सब ख़ामोशी इख़्तियार किये हुए हैं। यहाँ तक कि सुना गया है कि ये क़ब्र—परस्त दुश्मन के सामने अल्लाह की झूठी क़सम खा जाता है। मगर अपने पैरोकार की झूठी क़समों के वक़्त उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लग जाती हैं। इससे ज़ाहिर है कि उनका शिर्क उन लोगों से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है जो दो ख़ुदा या तीन ख़ुदा को मानते हैं। पस ऐ दीन के आ़लिमों! और मुसलमानों के बादशाहों! इस्लाम के लिये ऐसे कुफ़्र से बढ़कर और मुसीबत क्या होगी और ग़ैरूल्लाह की परस्तिश से बढ़कर दीने इस्लाम के लिये और नुक़्सान की चीज़ क्या होगी और मुसलमान उससे भी बढ़कर और किस मुसीबत का शिकार होंगे और अगर इस खुले हुए शिर्क के ख़िलाफ़ ही आवाज़े इंकार बुलन्द न की जा सकी तो और कौनसा गुनाह होगा जिसके लिये ज़ुबानें खुल सकेंगी? किसी शाइर ने सच कहा है,

'अगर तू ज़िन्दों को पुकारता तो सुना सकता था। मगर जिन (मुर्दों) को तू पुकार रहा है वो तो ज़िन्दगी से क़त्अन मह़रूम हैं। अगर तुम आग में फूँक मारते तो वो रोशन होती लेकिन तुम राख में फूँक मार रहे हो जो कभी भी रोशन नहीं हो सकती।'

ख़ुलास़ा ये कि ऐसी क़ुबूर और ऐसे मज़ारात और उन पर ये उ़र्स, क़व्वालियाँ, मेले—ठेले, गाने बजाने क़त्अन ह़राम और शिर्क और कुफ़्र हैं। अल्लाह हर मुसलमान को शिर्के जली और ख़फ़ी से बचाए। आमीन

ह़दीष़े अ़ली (रज़ि.) के ज़ेल में ह़ुज्जतुल हिन्द ह़ज़रत शाह वलीउल्लाह मरह़ूम फ़र्माते हैं, **व नहा अंय्युखस्सिसल्क़ब्र व अंय्यब्निय अ़लैहि व अंय्यक्उद अ़लैहि व क़ाल ला तुसल्लू इलैहा लिअन्न ज़ालिक ज़रीअतुन अंय्यत्तख़िज़हन्नासु मअबूदन व अंय्यफ्रतू फी तअ़ज़ीमिहा बिमा लैस बिहक़्क़िन फयुहरिफ़ु दीनहुम कमा फअल अहलुल्किताबि व हुव क़ौलुहू (ﷺ) लअनल्यहूद वन्नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अम्बियाइहिम मसाजिद** (हुज्जतुल्लाहिल्बालिग़ा, जिल्द 02, पेज 126 करातिशी)

और क़ब्र को पुख़्ता करने और इस पर इमारत बनाने और उस पर बैठने से मना किया और ये भी फ़र्माया कि क़ब्रों की त़रफ़ नमाज़ न पढ़ो क्योंकि ये इस बात का ज़रिया है कि लोग क़ब्रों की परस्तिश करने लगें और लोग उन क़ब्रों की इतनी ज़्यादा ता'ज़ीम करने लगें कि जिसकी मुस्तह़िक़ नहीं हैं। पस लोग अपने दीन में तह़रीफ़ कर डालें जैसा कि अहले किताब ने किया। चुनाँचे आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया यहूद और नस़ारा पर अल्लाह की लअ़नत हो। उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया। पस ह़क़ ये है कि तवस्सुत़ इख़्तियार करे। न तो मुर्दा की इस क़दर ता'ज़ीम करे कि वो शिर्क हो जाए और न उसकी अहानत और उसके साथ अ़दावत करे कि मरने के बाद अब ये सारे मुआमलात ख़त्म करके; मरने वाला अल्लाह के ह़वाले हो चुका है।

बाब 62 : अगर किसी औरत का निफ़ास की हालत में इन्तिक़ाल हो जाए तो उस पर नमाज़े-जनाज़ा पढ़ना

٦٢- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا

1331. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रीअ ने, उनसे हुसैन मुअल्लम ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उनसे समुरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा में एक औरत (उम्मे कअ़ब) की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी जिसका निफ़ास में इन्तिक़ाल हो गया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी कमर के मुक़ाबले खड़े हुए। (राजेअ़ : 332)

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا قَالَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا)). [راجع: ٣٣٢]

बाब 63. : इस बारे में कि औरत और मर्द की नमाज़े जनाज़ा में कहाँ खड़ा हुआ जाए?

٦٣- بَابُ أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ؟

1332. हमसे इमरान बिन मैसरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उनसे हुसैन ने बयान किया और उनसे इब्ने बुरैदा ने कि हमसे समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) के पीछे एक औरत की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी, जिसका जचगी की हालत में इन्तिक़ाल हो गया था। आप उसके बीच में खड़े हुए। (राजेअ़ : 332)

١٣٣٢- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا)). [راجع: ٣٣٢]

तश्रीह : मसनून ये है कि इमाम औरत की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो और मर्द के सर के मुक़ाबिल। सुनन अबू दाऊद में ह़ज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि उन्होंने ऐसा ही किया और बतलाया कि आँह़ज़रत (ﷺ) भी ऐसा ही करते थे। मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने ग़ालिबन अबू दाऊद वाली रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया और तर्जीह उसको दी कि इमाम मर्द और औरत दोनों की कमर के मुक़ाबिल खड़ा हो। अगरचे उस ह़दीष़ में सिर्फ़ औरत के वस्त में खड़ा होने का ज़िक्र है और यही मसनून भी है। मगर ह़ज़रत इमाम (रह.) ने बाब में औरत और मर्द दोनों को एक जैसा क़रार दिया है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़द ज़हब बअ़ज़ु अहलिल्इल्मि इला हाज़ा अय अन्नल्इमाम यक़ूमु ह़ज़ाअ रासिर्रजुलि व ह़ज़ाअ अज़ीज़तिल्मअति व हुव क़ौलु अहमद व इस्हाक़ व हुव क़ौलुश्शाफ़िई व हुवल्हक़्क़ व हुव रिवायतु अन हनीफ़त क़ाल फिल्हिदाया व अन अबी हनीफ़त अन्नहू यक़ूमु मिनर्रजुलि बिहज़ाइ रासिही व मिनल्मर्अति बिहज़ाइ वस्तिहा लिअन्न अनसन फ़अल कज़ालिक व क़ाल हुवस्सुन्नतु** (तुहफ़तुल अहवज़ी)

या'नी कुछ अहले इल्म इसी तरफ़ गए हैं कि नमाज़ में इमाम मर्द मय्यत के सर के पास खड़ा हो और औरत के बदन के वस्त में कमर के पास। अह़मद (रह.) और इस्ह़ाक़ (रह.) और इमाम शाफ़िई का यही क़ौल है और यही ह़क़ है और हिदाया में ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) से एक रिवायत ये भी है कि इमाम मर्द मय्यत के सर के पास और औरत के वस्त में खड़ा हो इसलिये कि ह़ज़रत अनस (रज़ि.) ने ऐसा ही किया था और फ़र्माया था कि सुन्नत यही है।

बाब 64 : नमाज़े जनाज़ा में चार तक्बीरें कहना

٦٤- بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا وَ قَالَ حُمَيْدٌ: صَلَّى بِنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

और हुमैद त़वील ने बयान किया कि हमें ह़ज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने नमाज़ पढ़ाई तो तीन तक्बीरें कहीं फिर सलाम फेर दिया। इस पर उन्हें लोगों ने याददिहानी करवाई तो दोबारा क़िब्ला रुख़ होकर चौथी तक्बीर भी कही फिर सलाम फेरा।

तश्रीह : अकष़र उ़लमा जैसे इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अह़मद (रह.) और इस्ह़ाक़ (रह.) और सुफ़यान ष़ौरी (रह.) और अबू ह़नीफ़ा (रह.) और इमाम मालिक (रह) का यही क़ौल है और सलफ़ का इसमें इख़्तिलाफ़ है। किसी ने पाँच तक्बीरें कहीं, किसी ने तीन, किसी ने सात। इमाम अह़मद (रह.) ने कहा कि चार से कम न हो और सात से ज़्यादा न हो। बैहक़ी ने रिवायत किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) के ज़माने में जनाज़ा पर लोग सात और छ: और पाँच और चार तक्बीरें कहा करते थे। ह़ज़रत उ़मर ने चार पर लोगों का इत्तिफ़ाक़ करा दिया।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)). [راجع: ١٢٤٥]

1333. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सईद बिन मुसय्यिब ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नज्जाशी का जिस दिन इन्तिक़ाल हुआ उसी दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी वफ़ात की ख़बर दी और आप (ﷺ) स़ह़ाबा के साथ ईदगाह गये। फिर आप (ﷺ) ने स़फ़बन्दी करवाई और चार तक्बीरें कहीं। (राजेअ़ : 1240)

١٣٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا)). وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ ((أَصْحَمَةَ)). [راجع: ١٣١٧]

1334. हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलैम बिन ह़य्यान ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन मैनाअ ने बयान किया और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अस़्ह़मा नज्जाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई तो चार तक्बीरें कहीं। यज़ीद बिन हारून वास्ती और अ़ब्दुस्समद ने सुलैम से अस़्ह़मा नाम नक़ल किया है और अ़ब्दुल वारिष़ ने इसकी मुताबअ़त की है।

(राजेअ़ : 1317)

नज्जाशी ह़ब्श के हर बादशाह का लक़ब हुआ करता था। जैसा कि मुल्क में बादशाहों के ख़ास़ लक़ब हुआ करते हैं शाहे ह़ब्श का अस़ल नाम अस़्ह़मा था।

बाब 65 : नमाज़े जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ना (ज़रूरी है)

٦٥- بَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى

और इमाम ह़सन बस़री (रह.) ने फ़र्माया कि बच्चे की नमाज़े जनाज़ा में पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाए, फिर ये दुआ पढ़ी जाए

الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا.

अल्लाहुम्मज्अल्हू लना फ़रतन व सलफ़न व अज्रन; ऐ अल्लाह! इस बच्चे को हमारा अमीरे सामान कर दे और आगे चलने वाला, ष़वाब देने वाला।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوفٍ: قَالَ ((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ : لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ)).

1335. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे गुन्दर (मुहम्मद बिन जा'फ़र) ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे सअ़द बिन इब्राहीम ने और उनसे त़ल्ह़ा ने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़े (जनाज़ा) पढ़ी (दूसरी सनद) हमसे मुहम्मद बिन कष़ीर ने बयान किया, कहा कि हमें सुफ़यान ष़ौरी ने ख़बर दी, उन्हें सअ़द बिन इब्राहीम ने, उन्हें त़ल्ह़ा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन औ़फ़ ने, उन्होंने बतलाया कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो आपने सूरह फ़ातिहा (ज़रा पुकार कर) पढ़ी। फिर फ़र्माया कि तुम्हें मा'लूम होना चाहिये कि यही तरीक़-ए-नबवी है।

तश्रीह: जनाज़े की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा ऐसे ही वाजिब है जैसा कि दूसरी नमाज़ों में क्योंकि ह़दीष़ **ला स़लात लमल्लम यक़्रा बिफ़ातिहतिल किताब** हर नमाज़ को शामिल है। इसकी तफ़्सील ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब (रह.) के लफ़्ज़ों में ये है,

वल्हक़्क़ु वस्सवाबु अन्नकिरातल्फ़ातिहति फ़ी स़लातिल्जनाज़ति वाजिबतुन कमा जहब इलैहिश्शाफ़िई व अहमद व इस्हाक़ व गैरूहुम लिअन्नहुम अज्मऊ़ अला अन्नहा स़लातुन व क़द ष़बत हदीषु ला स़लात इल्ला बिफ़ातिहतिल्किताबि फहिय दाखिलतुन तहतल्उमूमि व इखराजुहा मिन्हु यहताजु इला दलीलिन व लिअन्नहा सलातुन यजिबु फीहल्क़ियामु फवजबत फीहल्किरातु कसाइरिस्स़लवाति व लिअन्नहू वरदल्अम्रू बिकिरातिहा फक़द रवा इब्नु माजा बिइस्नादिन फीहि ज़ुअ़फ़ुन यसीरून अ़न उम्मि शरीकिन कालत अमरना रसूलुल्लाहि (ﷺ) अन नक़्रअ अ़ला मय्यितिना बिफ़ातिहतिल्कितोबि व रवत्तब्रानी फिल्कबीर मिन हदीषि उम्मि अ़फ़ीफ़िन क़ालत अमरना रसूलुल्लाहि (ﷺ) अन नक़्रअ अ़ला मय्यितिना बिफ़ातिहतिल्किताब कालल्हैषमी व फीहि अ़ब्दुल्मुन्इम अ़बू सईद व हुव जईफ़ुन इन्तिहा

वल्अम्रू मिन अदिल्लतिल्वुजूबि व रवत्तब्रानी फिल्कबीर ईज़ाउन मिन हदीषि अस्मा बिन्ति यज़ीद क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) इज़ा सल्लैतुम अ़लल्जनाज़ति फक़्रऊ बिफ़ातिहतिल्किताब क़ालल्हैषमी व फीहि मुअ़ला बिन ह़म्रान व लम अजिद मन जकरहू व बक़िय्यत रिजालिही मूष़कून व फ़ी बअ़ज़िहिम कलामु हाज़ा क़द सन्नफ़ हसन अश्शर्नब्लानी मिम्मुतअखिखरिल्हनफिय्यति फी हाज़िहिल्यस्अलति रिसालतन इस्मुहा अन्नजमुल्मुस्तताब लिहुक्मिल्किराति फ़ी स़लातिल्जनाज़ति उम्मुल्किताब व हक़्क़क़ फ़ीहा अन्नल्किरात औला मिन तर्किल्क़िरात व ला दलील अलल्कराहति व हुवल्लज़ी इख़तारहुश्शैखु अ़ब्दुल्हय अल्लक्नवी फ़ी तस़ानीफ़िही लि उम्दतिरिंआयति वत्तअ़लीक़िल्मुम्जिदि व इमामुल्कलामि षुम्म अन्नहू इस्तदल्ल बिहदीषि इब्नि अ़ब्बास अलल्जहरि बिल्क़िराति फ़िस्स़लाति अलल्जनाज़ति लिअन्नहू यदुल्लु अ़ला अन्हू जहर बिहा हत्ता समिअ़ ज़ालिक मन सल्ला मअ़हू व अ़स्रहु मिन ज़ालिक मा जकर्नाहु मिन रिवायतिन्नसई बिलफ़्ज़ि सल्लैतु खल्फ़ इब्नि अ़ब्बास अ़ला जनाज़तिन फक़रअ बिफ़ातिहतिल्किताब व सूरतन व जहर हत्ता अस्मअन फलम्मा फरग अखज़्तु बियदिही फसअल्तुहू फ़क़ाल सुन्नतुन व हक़्क़ुन व फ़ी रिवायतिन उख़रा लहू अयज़न सल्लैतु ख़ल्फ़ इब्नि अ़ब्बास अ़ला जनाज़ति फ़समिअ़तु यक़्रउ बिफ़ातिहतिल्किताब व यदुल्लु अलल्जहरि बिहुआइ हदीषु औफ़िब्नि मालिक अल्आती फइनज़्ज़ाहिर अन्नहू हफ़िज़हुआअल्मज़्कूर लम्मा जहर बिहिन्नबिय्य (ﷺ) फिस्सलाति अलल्जनाज़ति अस्रहु मिन्हु हदीषु वाष़िला फिल्फस्लिष़्ष़ानी

वख़्तलफल्उलमाउ फ़ी ज़ालिक फज़हब बअ़्ज़ुहुम इला अन्नहु यस्तहिब्बुल्जहरू बिल्क़िराति वहुआई फ़ीहा वस्तदल्लु बिर्रिवायातिल्लज़ी ज़कर्नाहा अन्फ़न व जहबल्जुम्हूरू इला अन्नहू ला यन्दुबुल्जहरू बल यन्दुबुल्इस्रारु क़ाल इब्नु क़ुदामः व युसर्रूल्क़िरातु वहुआउ फ़ी सलातिल्जनाज़ति ला नअलमु बैन अहलिलइल्मि फीहि ख़िलाफ़न इन्तिहा

वस्तदल्लू लिज़ालिक बिमा ज़कर्ना मिन हदीषि अबी उमामत क़ाल अस्सुन्नतु फ़िस्सलाति अलल्जनाज़ति अंय्युक्रअ फित्तक्बीरतिल्उला बिउम्मिल्क़ुर्आनि मख़ाफ़ततन लिहदीषिन अख़रजहुन्नसई व मिन तरीक़िहि इब्नि हज़्म फिल्मुहल्ला (जिल्द 05, पेज 129) क़ालन्नववी फ़ी शर्हिल्मुहज़्ज़ब रवाहुन्नसई बिइस्नादिन अला शर्तिस्सहीहैन व क़ाल अबू उमामा हाज़ा सहाबी इन्तिहा व बिमा रवश्शाफ़िइ फिल्उम्म (जिल्द 01, पेज 239, वल्बैहक़ी : जिल्द 04, पेज 39) मिन तरीक़िही अन मुतरफ़ बिन माज़िन अन मअ़्मर अनिज़्ज़ुहरी क़ाल अख़बरनी अबू उमामा बिन सुहैल अन्नहू अख़्बरहू रजुलुन मिन अस्हाबिन्नबिय्यि (ﷺ) इन्नस्सुन्नत फ़िस्सलाति अलल्जनाज़ति अय्युकब्बिरल्इमामु षुम्म यक़्रउ बिफ़ातिहतिल्किताब बअदत्तक्बीरतिल्ऊला सिर्रन फ़ी नफ़्सिही अल्हदीष व ज़उफ़त हाज़िहिर्रिवायतु बिमुतरफ़ लाकिन क़वाहा अल्बैहक़ी बिमा रवाहु फिल्अरिफ़ति वस्सुननि मिन तरीक़ि अब्दिल्लाहि ब्नि अबी ज़ियाद अर्रस्साफ़ी अनिज़्ज़ुहरी बिमअ़्ना रिवायति मुतरफ़ व बिमा रवल्हाकिम (जिल्द 01, पेज 359, वल्बैहक़ी : जिल्द 04, पेज 421) अन शुरहबील बिन सअ़्द क़ाल हज़रतु अब्दल्लाहि ब्नि मस्ऊद सल्ला अला जनाज़ति बिल्अब्वा फकब्बर षुम्म क़रअ बिउम्मिल्क़ुर्आन राफ़िअन सौतहू बिहा षुम्म सल्ला अलन्नबिय्यि (ﷺ) षुम्म क़ाल अल्लाहुम्म अब्दुक वब्नु अब्दिक अल्हदीष व फ़ीआख़िरिही षुम्मन्सरफ फ़क़ाल या अय्युहन्नासु लम अक्र आलुनन अय जहरन इल्ला लितअलमून अन्नहा सुन्नतुन क़ालल्हाफ़िज़ फ़िल्फ़त्हि व शुरहबील मुख़्तलिफ़ुन फ़ी तौष़ीक़िही इन्तिहा

व अख़रजब्नुल्जारूद फिल्मुन्तक़ा मिन तरीक़ि ज़ैदिब्नि तल्हत अतैमी क़ाल समिअ़्तुब्न अब्बास अला जनाज़तिन फ़ातिहतल्किताब व सूरतन व जहर बिल्क़िराति व क़ाल इन्नमा जहरतु लिउअल्लिमकुम अन्नहा सुन्नतुन

व ज़हब बअ़्ज़ुहुम इला अन्नहू युख़य्यिरू बैनल्जहरि वल्इस्रारि व क़ाल बअ़्ज़ु अस्हाबिश्शाफ़िइ अन्नहू यज्हरू बिल्लैलि कल्लैलति व युसिर्रू बिन्नहारि क़ाल शैख़ुना फ़ी शर्हित्तिर्मिज़ी कौलु इब्नि अब्बास इन्नमा जहर्तु लितअलमू अन्नहा सुन्नतुन यदुल्लु अला अन्न जहरहू कान लित्तअ़्लीमि अय ला लिबयानिन अन्नल्जहर बिल्क़िरात सुन्नतुन क़ाल व अम्मा क़ौलु बअ़्ज़िश्शाफ़िइ यज्हरू बिल्लैलि व हाज़ा यदुल्लु अला अन्नश्शैख़ माल इला क़ौलिल्जुम्हूरि अन्नल्इस्रार बिल्क़िराति मन्दूबुन हाज़ा व रिवायतु इब्नि अब्बासिन इन्दन्नसइ बिलफ़्ज़ि फक़रअ बिफ़ातिहतिल्किताब व सूरतन तदुल्लु अला मश्रूइय्यति क़िराति सूरतिम्अल्फ़ातिहति फिस्सलातिल्जनाज़ति क़ालश्शौकानी ला महीस अनिल्मसीर इला ज़ालिक लिअन्नहा ज़ियादतुन ख़ारिजतुन मिम्मख़्रजिन सहीहिन क़ुल्तु व यदुल्लु अलैहि अयजन मा ज़करहू इब्नु हज्म फिल्मुहल्ला. (जिल्द 05, पेज 129)

हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह साहब (रह.) के इस तवील बयान का ख़ुलासा ये है कि सूरह फ़ातिहा जनाज़ा में पढ़नी वाजिब है जैसा कि इमाम शाफ़िई और अहमद और इस्हाक़ वग़ैरह का मज़हब है। इन सबका इज्माअ है कि सूरह फ़ातिहा ही नमाज़ है और हदीष में मौजूद है कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती। पस नमाज़े जनाज़ा भी उमूम के तहत दाख़िल है और इस उमूम से ख़ारिज करने की कोई दलीले सहीहा नहीं है और ये भी कि जनाज़ा एक नमाज़ है जिसमें क़याम वाजिब है। पस दीगर नमाज़ों की तरह उसमें भी क़िरअत वाजिब है और इसलिये भी कि उसकी क़िरअत का सरीह हुक्म मौजूद है। जैसा कि इब्ने माजा में उम्मे शुरैक से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है। अगरचे इस हदीष की सनद में कुछ ज़ुअफ़ है मगर दीगर दलाईल व शवाहिद की बिना पर उससे इस्तिदलाल दुरुस्त है और तब्रानी में भी उम्मे अफ़ीफ़ से ऐसा ही मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें जनाज़े की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया और अम्र वजूब के लिये होता है। तबरानी में अस्मा बिन्ते यज़ीद से भी ऐसा ही मरवी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम जनाज़े पर नमाज़ पढ़ो तो सूरह फ़ातिहा पढ़ा करो।

मुताख़्ख़िरीने हनफ़िया में एक मौलाना हसन शुरम्बलानी मरहूम ने इस मसले पर एक रिसाला बनाम **अन्नज्मुल मुस्तताबु लिहुक्मिल किराति फ़ी सलातिल जनाज़ति बि उम्मिल किताब** कहा है। जिसमें षाबित किया है कि जनाज़े की नमाज़ में

सूरह फ़ातिहा पढ़ना न पढ़ने से बेहतर है और उसकी कराहियत पर कोई दलील नहीं है। ऐसा ही मौलाना अ़ब्दुल ह़ई लख़नवी (रह) ने अपनी तसानीफ़ उ़म्दतुर् रआ़या और तअ़लीकुल मुम्जिद और इमामुल कलाम वग़ैरह में लिखा है।

फिर ह़दीषे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से नमाज़े जनाज़ा में सूरह फ़ातिह़ा के जहर पर दलील पकड़ी गई है कि वो ह़दीष साफ़ दलील है कि उन्होंने उसे बिलजहर पढ़ा। यहाँ तक कि मुक़्तदियों ने उसे सुना और उससे भी ज़्यादा सरीह़ दलील वो है जिसे निसाई ने रिवायत किया है। रावी का बयान है कि मैंने एक जनाज़ा की नमाज़ ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पीछे पढ़ा। आपने सूरह फ़ातिह़ा और एक सूरह को जहर के साथ हमको सुनाकर पढ़ा। जब आप फ़ारिग़ हुए तो मैंने आपका हाथ पकड़कर ये मसला आपसे पूछा। आपने फ़र्माया कि बेशक यही सुन्नत है और ह़क़ है और जनाज़ा की दुआओं को जहर से पढ़ने पर औ़फ़ बिन मालिक की ह़दीष दलील है। जिन्होंने आँह़ज़रत (ﷺ) के पीछे आपके बुलन्द आवाज़ से पढ़ने पर सुन–सुनकर उन दुआओं को याद कर लिया था और उससे भी ज़्यादा सरीह़ वाषिला की ह़दीष है।

और उ़लमा का इस बारे में इख़्तिलाफ़ है। कुछ ने रिवायाते मज़्कूरा की बिना पर जहर को मुस्तह़ब माना है जैसा कि हमने अभी उसका ज़िक्र किया है। जुम्हूर ने आहिस्ता पढ़ने को मुस्तह़ब समझा है। जुम्हूर की दलील ह़दीषे उमामा है जिसमें आहिस्ता से पढ़ने को सुन्नत बताया गया है अख़रजहुन्नसई। अ़ल्लामा इब्ने ह़ज़र ने मुह़ल्ला में और इमाम शाफ़िई ने किताबुल उम्म में और बैहक़ी वग़ैरह ने भी रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक सह़ाबी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नमाज़े जनाज़ा में सूरह फ़ातिह़ा आहिस्ता पढ़ी जाए।

शुरह़बील बिन सअ़द कहते है कि मैं ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के पीछे एक नमाज़े जनाज़ा में ब-मक़ाम अबवा में शरीक हुआ। आपने सूरह फ़ातिह़ा और दरूद और दुआओं को बुलन्द आवाज़ से पढ़ा फिर फ़र्माया कि मैं जहर से न पढ़ता मगर इसलिये पढ़ा ताकि तुम जान लो कि ये सुन्नत है।

और मुन्तक़ा इब्ने जारूद में है कि ज़ैद बिन त़लह़ा तैमी ने ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के पीछे एक जनाज़ा की नमाज़ पढ़ी जिसमें उन्होंने सूरह फ़ातिह़ा और एक सूरह बुलन्द आवाज़ से पढ़ा और बाद मे फ़र्माया कि मैंने इसलिये जहर पढ़ा ताकि तुम जान लो कि ये सुन्नत है।

कुछ उ़लमा कहते हैं कि जहर और सिर दोनों के लिये इख़्तियार है। कुछ शाफ़िई ह़जरात ने कहा कि रात को जनाज़ा में जहर (बुलन्द किर्अत के साथ) और दिन में सिर (ख़ामोश किर्अत) के साथ पढ़ा जाए। हमारे शैख़ मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान साह़ब (रह) क़ौले जुम्हूर की तरफ़ गए है और फ़र्माते हैं कि क़िरअत आहिस्ता ही मुस्तह़ब है और निसाई वाली रिवायात अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) में दलील है कि जनाज़ा में सूरह फ़ातिह़ा एक सूरह के साथ पढ़ना मशरूअ़ है। मिस्वर बिन मख़रमा ने एक जनाज़ा में पहली तक्बीर में सूरह फ़ातिह़ा और एक मुख़्तसर सी सूरत पढ़ी। फिर फ़र्माया कि मैंने क़िरअते जहर से इसलिये की है कि तुम जान लो कि उस नमाज़ में भी क़िरअत है और ये नमाज़ गूँगी नहीं है।

ख़ुलास़-ए-कलाम ये है कि जनाज़ा में सूरह फ़ातिह़ा साथ एक सूरह के साथ पढ़ना ज़रूरी है। ह़ज़रत क़ाज़ी षनाउल्लाह पानीपती ह़नफ़ी (रह) ने अपनी मशहूर किताब **मा ला बुद्द मिन्हु** में अपना वसिय्यत नामा भी दर्ज किया है। जिसमें आप फ़र्माते हैं कि मेरा ज़नाज़ा वो शख़्स पढ़ाएगा जो उसमें सूरह फ़ातिह़ा पढ़े। पस षाबित हुआ कि तमाम अहले ह़क़ का यही मुख़्तार मस्लक है।

उ़लम-ए-अह़नाफ़ का फ़त्वा : फ़ाज़िल मुह़तरम साह़िबे तफ़्हीमुल बुख़ारी ने इस मौक़े पर फ़र्माया कि ह़न्फ़िया के नज़दीक भी नमाज़े जनाज़ा में सूरह फ़ातिह़ा पढ़नी जाइज़ है। जब दूसरी दुआओं से उसमें जामिइयत भी ज़्यादा है तो इसके पढ़ने में ह़र्ज क्या हो सकता है। अलबत्ता दुआ और षना की निय्यत से इसे पढ़ना चाहिये क़िरअत की निय्यत से नहीं। (तफ़्हीमुल बुखारी, पारा नं. 5, पेज नं. 122)

फ़ाज़िल मौसूफ़ ने आख़िर में जो कुछ इर्शाद फ़र्माया है वो सह़ीह़ नहीं जबकि साबिक़ा रिवायात मज़्कूर में उसे क़िरअत के त़ौर पर पढ़ना षाबित है। पस इस फ़र्क़ की क्या ज़रूरत बाक़ी रह जाती है। बहरह़ाल अल्लाह करे हमारे मुह़तरम ह़नफ़ी भाई जनाज़े में सूरह फ़ातिह़ा पढ़नी शुरू फ़र्मा दें ये भी एक नेक इक़्दाम होगा।

रिवायाते बाला में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) वग़ैरह ने जो ये फ़र्माया कि ये सुन्नत और हक़ है उसकी वज़ाहत हज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीष़ (रह.) ने यूँ फ़र्माई है,

वल्मुरादु बिस्सुन्नतित्तरीक़तिल्मालूफ़ति अन्हु (ﷺ) ला मा युक़ाबिलुल्फ़रीज़त फ़इन्नहू इस्तिलाहुन उर्फ़ियुन हादिषुन फ़क़ाल अल्अशरफ़ुज़्ज़मीरुल्मुअन्नषु लिकिरातिल्फ़ातिहति वलैसल्मुरादु बिसुन्नति इन्नहा लैसत बिवाजिबतिन बल मा युकाबिलुल्बिदअत अय इन्नहा तरीकतुन मर्विय्यतुन व कालल्कस्तलानी अन्नहा अय किरातल्फ़ातिहति फ़िल्जनाजति सुन्नतुन अय तरीक़तुश्शारिइ फला युनाफ़ी कौनुह वाजिबतन व क़द उलिम अन्न कौलस्सहाबी मिनस्सुन्नति कज़ा हदीषुन मर्फ़ूउन इन्दल्अक्षरि क़ालश्शाफ़िइ फिल्उम्मि व अस्हाबुन्नबिय्यि (ﷺ) ला यकूलून अस्सुन्नतु रसूलिल्लाहि (ﷺ) इन्शाअल्लाहु इन्तिहा (मिर्आतुल मफ़ातीह, पेज 477)

या'नी यहाँ लफ़्ज़े सुन्नत से त़रीक़-ए-मालूफ़ा नबी करीम (ﷺ) मुराद है न वो सुन्नत जो फ़र्ज़ के मुक़ाबले पर होती है। ये एक उ़र्फ़ी इस्तिलाह़ इस्ते'माल की गई है ये मुराद नहीं कि ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुराद है जो बिदअ़त के मुक़ाबले पर बोली जाती है। या'नी ये त़रीक़ा मरविया है और क़स्तलानी (रह) ने कहा कि जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा पढ़नी सुन्नत है या'नी शारेअ़ का त़रीक़ा है और ये वाजिब होने की मनाफ़ी नहीं है। इमाम शाफ़िई (रह) ने किताबुल उम्म में फ़र्माया है कि सहाबा किराम (रज़ि.) लफ़्ज़े सुन्नत का इस्ते'माल सुन्नत त़रीक़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) पर करते थे। अक़्वाले स़ह़ाबा में ह़दीषे मर्फ़ूअ़ पर भी सुन्नत का लफ़्ज़ बोला गया। बहरहाल यहाँ सुन्नत से मुराद ये है कि सूरह फ़ातिहा नमाज़ में पढ़ना त़रीक़-ए-नबवी है और ये वाजिब है कि उसके पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती जैसा कि ऊपर वाली तफ़्सील में बयान किया गया है।

बाब 66 : मुर्दे को दफ़न करने के बाद क़ब्र पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना

٦٦- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

1336. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलैमान शैबानी ने बयान किया, कहा कि मैंने शुअ़बी से सुना, उन्होंने बयान किया कि मुझे उस स़ह़ाबी ने ख़बर दी जो नबी करीम (ﷺ) के साथ एक अलग-थलग क़ब्र से गुज़र रहे थे। क़ब्र पर आप (ﷺ) इमाम बने और स़ह़ाबा ने आपके पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। शैबानी ने कहा कि मैंने शुअ़बी से पूछा कि अबू अ़म्र! आप से किस स़ह़ाबी ने बयान किया था, तो उन्होंने बतलाया कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने। (राजेअ़ : 875)

١٣٣٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوا خَلْفَهُ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)). [راجع: ٨٥٧]

1337. हमसे मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ने बयान क़िया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे षाबित ने बयान किया, उनसे अबू राफ़ेअ़ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि काले रंग का एक मर्द या काले रंग की एक औरत मस्जिद में ख़िदमत किया करती थी, उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन नबी करीम (ﷺ) को किसी ने ख़बर नहीं दी। एक दिन आपने ख़ुद याद फ़र्माया कि वो शख़्स दिखाई नहीं देता। स़ह़ाबा ने

١٣٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ أَسْوَدَ - رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً - كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَلَيْهِ

कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनका इन्तिक़ाल हो गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया फिर तुमने मुझे ख़बर क्यों नहीं दी? सहाबा ने अर्ज़ किया कि ये वजह थी (इसलिये आपको तकलीफ़ नहीं दी गई) गोया लोगों ने उनको हक़ीर जानकर क़ाबिले तवज्जह नहीं समझा। लेकिन आपने फ़र्माया कि चलो मुझे उनकी क़ब्र बता दो। चुनाँचे आप उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ लाए और उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। (राजेअ : 458)

السَّلاَمُ وَالسَّلاَمُ: مَا فَعَلَ ذَلِكَ الإِنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟)) فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا - قِصَّتُهُ - قَالَ فَحَقَرُوا شَأْنَهُ. قَالَ: ((فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ)). فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: ٤٥٨]

तशरीह : ये काला मर्द या काली औरत मस्जिदे नबवी की जारूबकश बड़े-बड़े बादशाहाने हफ़्ते अक़्लीम से अल्लाह के नज़दीक मर्तबे और दर्जे में ज़ाइद थी। हबीबुल्लाह (ﷺ) ने ढूँढ़कर उसकी क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी। वाह रे क़िस्मत! आपकी कफ़्श-बरदारी अगर हमको बहिश्त में नसीब हो जाए तो ऐसी दुनिया की लाखों सल्तनतें इस पर तस्दीक़ कर दें। (वहीदी)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) ने उससे षाबित फ़र्माया कि अगर किसी मुसलमान मर्द या औरत का जनाज़ा न पढ़ा गया हो तो क़ब्र पर दफ़न करने के बाद भी पढ़ा जा सकता है। कुछ ने उसे नबी करीम (ﷺ) के साथ ख़ास कर दिया है मगर दा'वा बेदलील है।

बाब 68 : इस बयान में कि मुर्दा लौटकर जाने वालों के जूतों की आवाज़ सुनता है

٦٧- بَابُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ

यहाँ से ये निकला कि क़ब्रिस्तान में जूते पहनकर जाना जाइज़ है। इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह) ने ये बाब इसलिये क़ायम किया कि दफ़न के आदाब का लिहाज़ रखें और शोरो-गुल और ज़मीन पर जोर-ज़ोर से चलने से परहेज़ करें जैसे ज़िन्दा सोते आदमी के साथ करता है।

1338. हमसे अय्याश बिन वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी अरूबा ने बयान किया, (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी ने कहा कि मुझसे ख़लीफ़ा बिन ख़य्यात ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन ज़रिअ ने, उनसे सईद बिन अबी अरूबा ने, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी जब क़ब्र में रखा जाता है और दफ़न करके उसके लोग-बाग पीठ मोड़कर रुख़सत होते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। फिर दो फ़रिश्ते आते हैं, उसे उठाते हैं और पूछते हैं कि उस शख़्स (मुहम्मद रसूलुल्लाह ﷺ) के मुता'ल्लिक़ तुम्हारा क्या एतिक़ाद है? वो जब जवाब देता है कि मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। इस जवाब पर उससे कहा जाता है कि ये देख जहन्नम का अपना एक ठिकाना लेकिन अल्लाह तआला ने जन्नत में तेरे लिये एक मकान इसके बदले में बना दिया है। नबी करीम

١٣٣٨- حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ ح.. وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ: قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وذَهَبَ أَصْحَابُهُ - حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولاَنِ لَهُ : لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ: أنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ)). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَيَرَاهُمَا

(ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर उस बन्दा-ए-मोमिन को जन्नत और जहन्नम दोनों दिखाई जाती है और रहा काफ़िर या मुनाफ़िक़ तो उसका जवाब ये होता है कि मुझे मा'लूम नहीं। मैंने लोगों को एक बात कहते सुना था, वही मैं भी कहता रहा। फिर उससे कहा जाता है कि न तूने समझा और न (अच्छे लोगों की) पैरवी की। इसके बाद उसे एक लोहे के हथौड़े से बड़े ज़ोर से मारा जाता है और वो इतने भयानक तरीक़े से चीखता है कि इन्सान और जिन्न के सिवा इर्द-गिर्द की तमाम मख़्लूक़ सुनती है। (राजेअ : 1374)

جَمِيعًا. وَأَمَّا الْكَافِرُ - أَوِ الْمُنَافِقُ - فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ : لاَ دَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ)).

[طرفه في : ١٣٧٤].

तश्रीह : इस हदीष से ये निकला कि हर शख़्स के लिये दो-दो ठिकाने बने हैं, एक जन्नत में और जहन्नम में, और ये कुर्आन शरीफ़ से भी षाबित है कि काफ़िरों के ठिकाने जो जन्नत में हैं उनके दोज़ख़ में जाने की वजह से उन ठिकानों को ईमानदार ले लेंगे।

क़ब्र में तीन बातों का सवाल होता है, **'मन रब्बुका?' तेरा रब कौन है?** मोमिन जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है फिर सवाल होता है, **तेरा दीन क्या है?** मोमिन जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम था। फिर पूछा जाता है कि **तेरा नबी कौन है?** वो बोलता है मेरे नबी रसूल हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हैं। इन जवाबात पर उसके लिये जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाएँगे और काफ़िर हर सवाल के जवाब में कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता जैसा लोग कहते थे मैं भी कह दिया करता था। मेरा दीन मज़हब कुछ न था। इस पर उसके लिये जहन्नम के दरवाज़े खोल दिये जाएँगे।

लिमा ला दरैत व लिमा ला तलैत के ज़ेल मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम (रह) फ़र्माते हैं। या'नी न मुज्तहिद हुआ न मुक़ल्लिद अगर कोई ए'तिराज़ करता है कि मुक़ल्लिद तो हुआ क्योंकि उसने पहले कहा कि लोग जैसा कहते थे मैंने भी वैसा ही कहा। तो उसका जवाब ये है कि ये तक़्लीद कुछ काम की नहीं कि सुने सुनाए पर हर शख़्स अमल करने लगा। बल्कि तक़्लीद के लिये भी ग़ौर लाज़िम है कि जिस शख़्स की हम तक़्लीद कर रहे हैं आया वो लायक़ और फ़ाज़िल और समझदार था या नहीं और दीन का इल्म उसको था या नहीं। सब बातें बख़ूबी तहक़ीक़ करनी ज़रूरी हैं।

बाब 68 : जो शख़्स अर्ज़े-मुक़द्दस या ऐसी ही किसी बरकत वाली जगह दफ़न होने का आरज़ूमन्द हो

٦٨- بَابُ مَنْ أَحَبَّ الدَّفْنَ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا

1339. हमसे महमूद बिन ग़ीलान ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने बयान किया, कहा कि हमको मअ़मर ने ख़बर दी, उन्हें अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने, उन्हें उनके वालिद ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि मलकुल-मौत (आदमी की शक्ल में) मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजे गये। वो जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने (न पहचान कर) उन्हें एक ज़ोर का तमाचा मार दिया और उनकी आँख फोड़ डाली। वो वापस अपने रब के हुज़ूर में पहुँचे और अर्ज़ किया कि या अल्लाह तूने मुझे ऐसे बन्दे की तरफ़ भेजा जो मरना नहीं चाहता।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقَأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيدُ الْمَوْتَ. فَرَدَّ

अल्लाह तआ़ला ने उनकी आँख पहले की तरह कर दी और फ़र्माया कि दोबारा जा और उनसे कह कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखिये और पीठ पर जितने बाल आपके हाथ के तले आ जाएँ उनके हर बाल के बदले एक साल की जिन्दगी दी जाती है। (मूसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह तआ़ला का ये पैग़ाम पहुँचा तो) आपने कहा कि ऐ अल्लाह! फिर क्या होगा? अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि फिर भी मौत आनी है। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तो अभी क्यों न आ जाए। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक पत्थर की मार पर अर्ज़े मुक़द्दस से क़रीब कर दिया जाए। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें उनकी क़ब्र दिखाता कि लाल टीले के पास रास्ते के क़रीब है।

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوتُ. قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الأَحْمَرِ)).

बैतुल मक़्दिस हो या मक्का-मदीना ऐसे मुबारक मुक़ामात में दफ़न होने की आरज़ू करना जाइज़ है। इमाम बुख़ारी (रह) का मक़्सदे बाब यही है।

बाब 69 : रात में दफ़न करना कैसा है? और अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) रात में दफ़न किये गये

٦٩- بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ وَدُفِنَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلاً

1340. हमसे उ़स्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे शैबानी ने, उसने शुअ़बी ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने एक ऐसे शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जिनका इन्तिक़ाल रात में हो गया था (और उसे रात ही में दफ़न कर दिया गया था) आप (ﷺ) और आपके सहाबा खड़े हुए और आपने उनके मुता'ल्लिक़ पूछा था कि ये किन की क़ब्र है? लोगों ने बताया कि फलाँ की है जिसे कल रात ही दफ़न किया गया है। फिर सब ने (दूसरे रोज़) नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। (राजेअ़ : 875)

١٣٤٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ، قَامَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقَالُوا: فُلاَنٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ. فَصَلَّوا عَلَيْهِ)).

[راجع: ٨٥٧]

मा'लूम हुआ कि रात को दफ़न करने में कोई क़बाहत नहीं है बल्कि बेहतर यही है कि रात हो या दिन मरने वाले का कफ़न-दफ़न में देर न करना चाहिये।

बाब 70 : क़ब्र पर मस्जिद ता'मीर करना कैसा है?

٧٠- بَابُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقَبْرِ

1341. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.)

١٣٤١- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

ने कि जब नबी करीम (ﷺ) बीमार पड़े तो आपकी बाज़ बीवियों (उम्मे सलमा रज़ि और उम्मे हबीबा रज़ि.) ने एक गिरजे का ज़िक्र किया जिसे उन्होंने हब्शा में देखा था, जिसका नाम मारिया था। उम्मे सुलैम और उम्मे हबीबा (रज़ि.) दोनों हब्श के मुल्क में गई थीं। उन्होंने उसकी ख़ूबसूरती और उसमें रखी गई तस्वीरों का ज़िक्र किया। इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने सरे मुबारक उठाकर फ़र्माया कि ये वो लोग है कि जब उनमें कोई सालेह शख़्स मर जाता तो उसकी क़ब्र पर मस्जिद ता'मीर कर देते। फिर उसकी मूरत उसमें रखते। अल्लाह के नज़दीक ये लोग सारी मख़्लूक़ में बुरे हैं।

(राजेअ: 428)

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوْرَةِ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ)). [راجع: ٤٢٧]

तश्रीह : इमाम क़स्तलानी (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ालल्क़ुर्तुबी इन्नमा सव्वरू अवाइलहुम अस्सुवर लियतानसौ बिहा व यतज़क्करू अफ़्आलहुमुस्सालिहत फयज्तहिदून कइज्तिहादिहिम व यअबुदूनल्लाह इन्द क़ुबूरिहिम षुम्म ख़ल्फ़ुहुम क़ौमुन जहलू मुरादुहुम व वस्वस लहुमुश्शैतानु अन्न अस्लाफ़कुम कानू यअबुदून हाजिहिस्सुवर व युअज्जिमूनहा फहज़रन्नबिय्यु (ﷺ) अन मष्लि ज़ालिक सद्दन लिज्ज़रीअतिल्मूदियति इला ज़ालिक बिक़ौलिही उलाइक शिरारुल्खल्क़ि इन्दल्लाहि व मौज़इत्तर्जुमति बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदन व हुव मुल अला मज्जमतिम्मतित्तखज़ल्कब्र मस्जिदन व मुक्तजाहु अत्तहरीमु ला शीमा व कद षबतल्लअनु अलैहि** या'नी कुर्तुबी ने कहा कि बनी इस्राईल ने शुरू मे अपने बुज़ुर्गों के बुत बनाए ताकि उनसे उन्स हासिल करें और उनके नेक कामों को याद करके ख़ुद भी ऐसे ही नेक काम करें और उनकी क़ब्रों के पास बैठकर इबादते इलाही करें। पीछे और भी ज़्यादा जाहिल लोग पैदा हुए। जिन्होंने इस मक़्सद को फ़रामोश कर दिया और उनको शैतान ने वस्वसे में डाल दिया कि तुम्हारे अस्लाफ़ उन ही मूरतों को पूजते थे और उन्हीं की ता'ज़ीम करते थे। पस नबी करीम (ﷺ) ने इसी शिर्क का सद्देबाब (काट) करने के लिये सख़्ती के साथ डराया और फ़र्माया कि अल्लाह के नज़दीक यही लोग बदतरीन मख़्लूक़ हैं और बाब का तर्जुमा लफ़्ज़ हदीष **बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदन** से षाबित होता है कि आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख़्स की मुज़म्मत की जो क़ब्र को मस्जिद बना ले। उससे इस फ़ेअल की हुर्मत भी षाबित होती है और ऐसा करने पर लअनत भी वारिद हुई है।

हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) की क़ौम ने भी शुरू में इसी तरह किया उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के बुत बनाए, बाद में फिर उन बुतों की पूजा होने लगी और उन्हें ख़ुदा का दर्जा दे दिया गया। उमूमन सारी बुतपरस्त क़ौमों का यही हाल है। जबकि वो ख़ुद कहते भी हैं कि **मा नअबुदुहुम इल्ला लियक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा** (अज़्ज़ुमर : 3) या'नी हम उन बुतों को महज़ इसलिये पूजते हैं कि ये हमको अल्लाह से क़रीब कर देंगे। बाक़ी मअबूद नहीं हैं ये तो हमारे लिये वसीला हैं। अल्लाह पाक ने मुश्रिकीन के इस ख़याले बातिल की तर्दीद में क़ुर्आने करीम का बेशतर हिस्सा नाज़िल फ़र्माया।

सद अफ़सोस! कि किसी न किसी शक्ल में बहुत से इस्लाम के दा'वेदारों में भी इस क़िस्म का शिर्क दाख़िल हो गया है। हालाँकि शिर्क अकबर हो या अस्ग़र; उसके मुर्तकिब पर जन्नत हमेशा के लिये हराम है। मगर इस सूरत में कि वो मरने से पहले उससे तौबा करके ख़ालिस अल्लाह वाला बन जाए। अल्लाह पाक हर क़िस्म के शिर्क से बचाए, आमीन!

बाब 71 : औरत की क़ब्र में कौन उतरे?

٧١- بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ الْمَرْأَةِ

1342. हमसे मुहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, उनसे फुलैह

١٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ

बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन अ़ली ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी के जनाज़े में ह़ाज़िर थे। आँह़ज़रत (ﷺ) क़ब्र पर बैठे हुए थे। मैंने देखा कि आप (ﷺ) की आँखों से आँसू जारी थे। आपने पूछा कि क्या ऐसा आदमी भी कोई यहाँ है जो आज रात को औरत के पास न गया हो। इस पर अबू त़ल्ह़ा (रज़ि.) बोले कि मैं ह़ाज़िर हूँ। हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम क़ब्र में उतर जाओ। अनस (रज़ि.) ने कहा कि वो उतर गये और मय्यित को दफ़न किया। अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बयान कि फ़ुलैह ने कहा कि मेरा ख़याल है कि युक़ारिफ़ का मा'नी ये है कि जिसने गुनाह न किया हो। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि सूरह अन्आ़म में जो लियक्तरिफ़ू आया है उसका मा'नी यही है ताकि गुनाह करें। (राजेअ़ : 1285)

حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ - فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: ((هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟)) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: ((فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا)) فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ فُلَيْحٌ : أُرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ. قَالَ أَبُوعَبْدَ اللهِ: ﴿لِيَقْتَرِفُوا﴾ أَيْ لِيَكْتَسِبُوا.

[راجع: ١٢٨٥]

एक बात अ़जीब मशहूर हो गई है कि मौत के बाद शौहर अपनी बीवी के लिये अजनबी और आ़म आदमी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, ये इंतिहाई लग़्व और ग़लत़ तसव्वुर है। इस्लाम में शौहर का रिश्ता बीवी का रिश्ता इतना मा'मूली नहीं कि वो मरने के बाद ख़त्म हो जाए और मर्द औरत के लिये अजनबी बन जाए। पस औरत के जनाज़े को ख़ुद उसका शौहर भी उतार सकता है और ह़स्बे ज़रूरत दूसरे लोग भी जैसा कि इस ह़दीष़ से षाबित है।

बाब 42 : शहीद की नमाज़े जनाज़ा पढ़ें या नहीं?

٧٢- بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ

1343. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़्मान बिन कअ़ब बिन मालिक ने, उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने उहुद के दो-दो शहीदों को मिला कर एक ही कपड़े का कफ़न दिया। आप दरयाफ़्त फ़र्माते कि इनमें क़ुर्आन किसे ज़्यादा याद है? किसी एक की त़रफ़ इशारे से बताया जाता तो आप बग़ली क़ब्र में उसी को आगे करते और फ़र्माते कि मैं क़यामत में इनके ह़क़ में शहादत दूँगा। फिर आप (ﷺ) ने सबको उनके ख़ून समेत दफ़न करने का हुक्म दिया। न उन्हें ग़ुस्ल दिया गया और न उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी गई।

١٣٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا

وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ.

[أطرافه في: ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧

(दीगर मक़ाम : 1345, 1346, 1347, 1348, 1353, 4089)

١٣٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : ((إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَمَا أَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ. وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيْهَا)).

[أطرافه في : ٣٥٩٦، ٤٠٤٢، ٤٠٨٥، ٦٤٢٦، ٦٥٩٠].

1344. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अबी ह़बीब ने बयान किया, उनसे अबुल ख़ैर यज़ीद बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे उ़क़्बा बिन आ़मिर ने कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन बाहर तशरीफ़ लाए और उहुद के शहीदों पर इस त़रह नमाज़ पढ़ी जिस त़रह मय्यित पर नमाज़ पढ़ी जाती है। फिर मिम्बर पर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, देखो मैं तुमसे पहले जाकर तुम्हारे लिये मीरे सामान बनूँगा और मैं तुम पर गवाह रहूँगा और क़सम अल्लाह की मैं इस वक़्त अपने हौज़ को देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुन्जियाँ दी गई है या (ये फ़र्माया कि) मुझे ज़मीन की कुन्जियाँ दी गई है और क़सम अल्लाह की मुझे इसका डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे बल्कि इसका डर है कि तुम लोग दुनिया ह़ासिल करने में रग़बत करोगे। (नतीजा ये कि आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाओगे)

(दीगर मक़ाम : 3596, 4042, 6085, 6426, 6590)

तश्रीह : अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जो मैदाने जंग में मारा जाए इस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ने न पढ़ने के बारे में इख़्तिलाफ़ है। इसी बाब के ज़ेल में दोनों अह़ादीष़ में ये इख़्तिलाफ़ मौजूद है। उनमें तत़्बीक़ ये है कि दूसरी ह़दीष़ जिसमें शुहदा-ए-उहुद पर नमाज़ का ज़िक्र है उससे मुराद सिर्फ़ दुआ़ और इस्तिग़फ़ार है। इमाम शाफ़िई (रह) कहते हैं **कअन्नहू (ﷺ) दआ लहुम वस्तगफ़र लहुम हीनक़रूब अजलुहू बअ़द ष़मानि सिनीन कल्मुवद्दइ लिल्अहयाइ वल्अम्वात** (तुह़्फ़तुल्अहवज़ी) या'नी इस ह़दीष़ में जो ज़िक्र है ये ग़ज़्व-ए-उहुद के आठ साल बाद का है या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) अपने आख़िरी वक़्त में शुहदा-ए-उहुद से भी रुख़्सत होने के लिये वहाँ गए और उनके लिये दुआ़ए मग़फ़िरत फ़र्माई।

लम्बी बह़ष़ के बाद मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान स़ाह़ब (रह) फ़र्माते हैं, **कुल्तु अज़्ज़ाहिर इन्दी अन्नस़्स़लात अलश्शहीदि लैसत बिवाजिबतिन फयजूज़ु अंय्युसल्लिय अलैहा व यजूज़ु तुर्कुहा वल्लाहु आ़लमु** या'नी मेरे नज़दीक शहीद पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और न पढ़ना दोनों उमूर जाइज़ हैं, वल्लाहु आ़लम

٧٣- بَابُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

बाब 73 : दो या तीन आदमियों को एक क़ब्र में दफ़न करना

١٣٤٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ

1345. हमसे सईद बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने

शिहाब ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह्मान बिन कअ़ब ने कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) ने उहुद के दो-दो शहीदों को दफ़न करने में एक साथ जमा फ़र्माया। (राजेअ़ : 1343)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ)). [راجع: ١٣٤٣]

हदीष और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है।

बाब 74 : उस शख़्स की दलील जो शुह्दा का गुस्ल मुनासिब नहीं समझता

٧٤- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ

1346. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे अ़ब्दुर्रह्मान बिन कअ़ब ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि उन्हें ख़ून समेत दफ़न कर दो या'नी उहुद की लड़ाई के मौक़े पर और उन्हें गुस्ल नहीं दिया था। (राजेअ़ : 1343)

١٣٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ادْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ))، يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ. [راجع: ١٣٤٣]

बाब 75 : बग़ली क़ब्र में कौन आगे रखा जाए

٧٥- بَابُ مَنْ يُقَدَّمُ فِي اللَّحْدِ.

इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि बग़ली क़ब्र को लहद इसलिये कहा गया कि ये एक कोने में होती है और हर जाइर (अपनी जगह से हटी हुई चीज़ को लहद कहेंगे। इसी से है (सूरह कहफ़ में) लफ़्ज़ मुल्तहदा या'नी पनाह का कोना और अगर क़ब्र सीधी (सन्दूक़ी) है तो उसे ज़रीह कहते हैं ।

وَسُمِّيَ اللَّحْدِ لأَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ. ﴿مُلْتَحَدًا﴾: مَعْدِلاً. وَلَوْ كَانَ مُسْتَقِيْمًا كَانَ ضَرِيْحًا.

1347. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा हमें लैष बिन सअ़द ने ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह्मान बिन कअ़ब बिन मालिक ने और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उहुद के दो-दो शहीदों को एक ही कपड़े में कफ़न देते और पूछते कि इन में क़ुर्आन किसने ज़्यादा याद किया है। फिर जब किसी एक तरफ़ इशारा कर दिया जाता तो लहद में उसी को आगे बढ़ाते और फ़र्माते जाते कि मैं इन पर गवाह हूँ। आपने ख़ून समेत उन्हें दफ़न करने का हुक्म दिया। न उनकी नमाज़े जनाज़ा

١٣٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ يَقُولُ : ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: ((أَنَا

شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ)). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)). [راجع: ١٣٤٣]

पढ़ी और न उन्हें ग़ुस्ल दिया।

(राजेअ़ : 1343)

١٣٤٨- وَأَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: ((أَيُّ هَؤُلاَءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ - وَقَالَ جَابِرٌ - فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ)). [راجع: ١٣٤٣]

1348. फिर हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने और उनसे ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पूछते जाते कि इनमें क़ुर्आन ज़्यादा किसने हासिल किया है? जिसकी त़रफ़ इशारा कर दिया जाता आप लह़द में उसी को दूसरे से आगे बढ़ाते। ह़ज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे वालिद और चचा को एक ही कम्बल में कफ़न दिया गया था।

(राजेअ़ : 1343)

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ: حَدَّثَنِي قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

और सुलैमान बिन कष़ीर ने बयान किया कि मुझे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे उस शख़्स ने बयान किया जिन्होंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना था।

मसलके राजेह़ यही है जो ह़ज़रत इमाम ने बयान फ़र्माया कि शहीद फ़ी सबीलिल्लाह पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

٧٦- بَابُ الإِذْخِرِ وَالْحَشِيْشِ فِي الْقَبْرِ

बाब 76 : इज़्ख़र और सूखी घास क़ब्र में बिछाना

١٣٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلأَحَدٍ بَعْدِي، أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ : لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ)). فَقَالَ الْعَبَّاسُ

1349. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हौशब ने बयान किया, कहा हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा हमसे ख़ालिद हुज़्ज़ाअ ने, उनसे इकरमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला ने मक्का को ह़रम किया है। न मुझसे पहले किसी के लिये (यहाँ क़त्ल व ख़ून) हलाल था और न मेरे बाद होगा और मेरे लिये भी थोड़ी देर के लिये (फ़त्ह़े मक्का के दिन) ह़लाल हुआ था। पस न इसकी घास उखाड़ी जाए, न इसके पेड़ क़लम किये जाएँ। न यहाँ के जानवरों को (शिकार के लिये) भगाया जाए और सिवा उस शख़्स के जो ऐलान करना चाहता हो (कि ये गिरी हुई चीज़ किसकी है) किसी के लिये वहाँ से कोई गिरी

رضي الله عنه إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: ((إلا الإذخر)). وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ((لقبورنا وبيوتنا)). وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة ((سمعت النبي ﷺ)) مثله. وقال مجاهد عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((لقينهم وبيوتهم)).

[٤٩، ١٥٨٧، ١٨٣٣، ١٨٣٤، ٢٠٩٠، ٢٤٣٣، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩، ٤٣١٣].

हुई चीज़ उठाना जाइज़ नहीं। इस पर ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, लेकिन इससे इज़्ख़र का इस्तष्ना कर दीजिए कि ये हमारे सुनारों के और हमारी क़ब्रों में काम आती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया मगर इज़्ख़र की इजाज़त है। अबू हुरैरह (रज़ि.) की नबी करीम (ﷺ) से रिवायत में है, हमारी क़ब्रों और घरों के लिये। और अबान बिन स़ालेह ने बयान किया, उनसे ह़सन बिन मुस्लिम ने, उनसे स़फ़िया बिन्त शैबा ने कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसी त़रह सुना था। और मुजाहिद ने ताऊस के वास्ते से बयान किया और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये, हमारे क़ैन (लोहारों) और घरों के लिये (ह़रम से इज़्ख़र उखाड़ना) जाइज़ कर दीजिए।

(49, 1578, 1833, 1734, 2090, 2433, 2783, 2825, 3088, 3189, 4313)

पस आपने इज़्ख़र नामी घास उखाड़ने की इजाज़त दे दी।

तश्रीह : इस ह़दीष़ से जहाँ क़ब्र में इज़्ख़र या किसी सूखी घास का डालना ष़ाबित हुआ। वहाँ ह़रम मक्कतुलमुकर्रमा का भी इष्बात हुआ। अल्लाह ने शहर मक्का को अमन का शहर बताया है। क़ुर्आन मजीद में उसे बलद अमीन कहा गया है। या'नी वो शहर जहाँ अमन है, वहाँ न किसी का क़त्ल जाइज़ है न किसी जानवर का मारना जाइज़ है यहाँ तक कि घास तक भी उखाड़ने की इजाज़त नहीं। ये वो अमन वाला शहर है जिसे अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही से बलदे अमीन क़रार दिया है।

٧٧- بَابُ هَلْ يُخْرَجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ.

बाब 77 : कि मय्यित को किस ख़ास वजह से क़ब्र या लहद से बाहर निकाला जा सकता है?

इमाम बुख़ारी (रह) ने इस बाब में उसका जवाज़ ष़ाबित किया अगर किसी पर ज़हर खिलाने या ज़र्ब लगाने से मौत का गुमान हो तो उसकी लाश भी क़ब्र से निकालकर देख सकते हैं। अलबत्ता मुसलमान की लाश को चीरना किसी ह़दीष़ से ष़ाबित नहीं है।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، فَاللهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا

1350. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, अ़म्र ने कहा कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबय (मुनाफ़िक़) को उसकी क़ब्र में डाला जा चुका था। लेकिन आप (ﷺ) के इशारे पर उसे क़ब्र से निकाल लिया गया। फिर आप (ﷺ) ने उसे अपने घुटनों पर रखकर लुआबे-दहन उसके मुँह में डाला और अपना कुर्ता उसे पहनाया। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। (ग़ालिबन मरने के बाद एक मुनाफ़िक़ के साथ इस एहसान की वजह ये थी कि)

عَبَّاسًا قَمِيصًا وَ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ : وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَمِيصَانِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلْبِسْ أَبِي قَمِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَيُرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قَمِيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ)).

उसने हज़रत अब्बास को एक क़मीस पहनाई थी। (ग़ज़्व-ए-बद्र में जब हज़रत अब्बास (रज़ि.) मुसलमानों के क़ैदी बन कर आए थे) सुफ़यान ने बयान किया कि अबू हारून मुसा बिन अबी ईसा कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस्ते'माल में दो कुर्ते थे। अब्दुल्लाह के बेटे (जो मोमिने-मुख़्लिस थे) ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद को आप वो क़मीस पहना दीजिए जो आपके जिस्मे-अत्हर के क़रीब रहती है। सुफ़यान ने कहा कि लोग समझते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपना कुर्ता उसके कुर्ते के बदले पहना दिया जो उसने हज़रत अब्बास (रज़ि.) को पहनाया था।

١٣٥١– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَمَّا حَضَرَ أُحُدٌ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِي أَعَزَّ عَلَيَّ مِنْكَ، غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، فَاقْضِ، وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَاتِكَ خَيْرًا. فَأَصْبَحْنَا، فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ، وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً، غَيْرَ أُذُنِهِ)).

[طرفه في: ١٣٥٢].

1351. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमको बिश्र बिन मुफ़ज़्ज़ल ने ख़बर दी, कहा कि हमसे हुसैन मुअल्लम ने बयान किया, उनसे अताअ बिन अबी रबाह ने, उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि जब जंगे उहुद का वक़्त क़रीब आ गया तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्लाह ने रात को बुलाकर कहा कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि नबी करीम (ﷺ) के अस्हाब में सबसे पहला मक़्तूल मैं ही होऊँगा। और देखो नबी करीम (ﷺ) के सिवा दूसरा कोई भी (अपने अज़ीज़ों और वारिषों में) तुमसे ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है, मैं मक़रूज़ हूँ इसलिये तुम मेरा क़र्ज़ अदा कर देना और अपनी (नौ) बहनों से अच्छा सुलूक करना। चुनाँचे जब सुबह हुई तो सबसे पहले मेरे वालिद शहीद हुए। क़ब्र में आपके साथ मैंने एक दूसरे शख़्स को भी दफ़न किया था। पर मेरा दिल नहीं माना कि उन्हें दूसरे साहब के साथ यूँ ही क़ब्र में रहने दूँ। चुनाँने महीने के बाद मैंने उनकी लाश को क़ब्र से निकाला देखा तो सिर्फ़ कान थोड़ा-सा गलने के सिवा बाक़ी सारा जिस्म उसी तरह था, जैसे दफ़न किया गया था।

(दीगर मक़ाम : 1352)

तश्रीह : जाबिर (रज़ि.) के वालिद अब्दुल्लाह (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के सच्चे जाँनिषार थे और उनके दिल में जंग का जोश भरा हुआ था। उन्होंने ये ठान ली थी कि मैं काफ़िरों को मारूँगा और मरूँगा। कहते हैं कि उन्होंने एक ख़्वाब में भी देखा था कि मुबश्शिर बिन अब्दुल्लाह जो जंगे बद्र में शहीद हो गए थे वो उनको कह रहे थे कि तुम हमारे पास इन्हीं दिनों में आना चाहते हो। उन्होंने ये ख़्वाब आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में बयान किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम्हारी क़िस्मत में शहादत लिखी हुई है। चुनाँचे ये ख़्वाब सच्चा षाबित हुआ। इस हदीष से एक मोमिन की शान भी मा'लूम हो गई कि उसको आँहज़रत (ﷺ) सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हों।

1352. हमसे अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन आमिर ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने, उनसे इब्ने अबी नजीह ने, उनसे अ़ताअ बिन अबी रबाह ने और उनसे जाबिर (रज़ि.) ने बयान किया कि मेरे बाप के साथ एक ही क़ब्र में एक और सहाबी (ह़ज़रत जाबिर रज़ि. के चचा) दफ़न थे। लेकिन मेरा दिल इस पर राज़ी नहीं हो रहा था। इसलिये मैंने उनकी लाश निकालकर दूसरी क़ब्र में दफ़न कर दी। (राजेअ़ : 1351)

١٣٥٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ)). [راجع: ١٣٥١]

बाब 78 : बग़ली या सन्दूक़ी क़ब्र बनाना

٧٨- بَابُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي الْقَبْرِ

1353. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें लैष़ बिन सअ़द ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुर्रह़्मान बिन कअ़ब बिन मालिक ने, और उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी (रज़ि.) ने बयान किया कि उहुद के शहीदों को आँह़ज़रत (ﷺ) एक कफ़न में दो-दो को एक साथ करके पूछते थे कि क़ुर्आन किस को ज़्यादा याद था। फिर जब किसी एक की तरफ़ इशारा कर दिया जाता तो बग़ली क़ब्र में उसे आगे कर दिया जाता। फिर आप फ़र्माते कि मैं क़यामत को इन (के ईमान) पर गवाह बनूँगा। आप (ﷺ) ने उन्हें बग़ैर ग़ुस्ल दिए ख़ून समेत दफ़न करने का हुक्म दिया था।

(राजेअ़ : 1343)

١٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ: ((أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))، فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ)). [راجع: ١٣٤٣]

बाब 79 : एक बच्चा इस्लाम लाया फिर उसका इन्तिक़ाल हो गया, तो क्या उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी? और क्या बच्चे के सामने इस्लाम की दा'वत पेश की जा सकती है?

٧٩- بابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّي عَلَيْهِ، وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلاَمُ؟

हसन, शुरैह, इब्राहीम और क़तादा (रह.) ने कहा कि वालिदैन में से जब कोई इस्लाम लाए तो उनका बच्चा भी मुसलमान समझा जाएगा। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) भी अपने वालिद के साथ (मुसलमान समझे गये थे और मक्का के) कमज़ोर मुसलमानों में से थे। आप अपने वालिद के साथ नहीं थे जो अभी तक अपनी

وقال الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيْ

क़ौम के दीन पर क़ायम थे। हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि इस्लाम ग़ालिब रहता है मग़्लूब नही हो सकता।

عَلَى دِيْنِ قَوْمِهِ، وَقَالَ: الإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى.

1354. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें ज़ुहरी ने, कहा कि मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी कि उन्हें इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने ख़बर दी कि उ़मर (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कुछ दूसरे अस्हाब के साथ इब्ने स़य्याद के पास गये। आपको वो बनू मुग़ाला मकानों के पास बच्चों के साथ खेलता हुआ मिला उन दिनों इब्ने स़य्याद जवानी के क़रीब था। उसे आँहज़रत (ﷺ) के आने की कोई ख़बर ही नहीं हुई थी। लेकिन आप (ﷺ) ने उस पर अपना हाथ रखा तो उसे मा'लूम हुआ। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ इब्ने स़य्याद! क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ! इब्ने स़य्याद रसूलुल्लाह (ﷺ) की त़रफ़ देखकर बोला, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आप अनपढ़ों के रसूल हैं। फिर उसने नबी करीम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया, क्या आप भी इसकी गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? ये बात सुनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे छोड़ दिया और फ़र्माया, मैं अल्लाह और उसके पैग़म्बरों पर ईमान लाया। फिर आप (ﷺ) ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता हूँ? इब्ने स़य्याद बोला कि मेरे पास सच्ची और झूठी दोनों ख़बरें आती है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया फिर तो तेरा सब काम गड्ड-मड्ड हो गया। फिर आप (ﷺ) ने (अल्लाह तआ़ला के लिये) उससे फ़र्माया अच्छा मैंने एक बात दिल में रखी है, वो बतला। (आप ﷺ ने सूरह दुख़ान की आयत का तस़व्वुर किया फ़र्तिकब् यौम तातिस्समाउ बिदुख़ानिम्मुबीन; इब्ने स़य्याद ने कहा वो दुख़ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया चल दूर हो तू अपनी बिसात़ से आगे भी न बढ़ सकेगा। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको छोड़ दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार देता हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर ये दज्जाल है तो तू इस पर ग़ालिब न होगा और अगर दज्जाल नहीं है तो इसका मार डालना तेरे लिये बेहतर न होगा। (दीगर मक़ाम : 3055, 6173, 6618)

١٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ - وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ - فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لاِبْنِ صَيَّادٍ : ((تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: ((آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ)). فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ)). ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا)). فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ. فَقَالَ: ((اخْسَأْ، فَلَمْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)). فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)).

[أطرافه في : ٣٠٥٥، ٦١٧٣، ٦٦١٨].

1355. और सालिम ने कहा कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से सुना वो कहते थे फिर एक दिन आँहज़रत (ﷺ) और

١٣٥٥ - وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((انْطَلَقَ بَعْدَ

ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ - يَعْنِي فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ، أَوْ زَمْرَةٌ - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ - وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ - هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ)). وَقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيْثِهِ: زَمْزَمَةٌ فَرَفَصَهُ. زَمْزَمَةٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ وَ عُقَيْلٌ رَمْرَمَةٌ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: رَمْزَةٌ.[أطرافه في: ٢٦٣٨، ٣٠٣٣، ٣٠٥٦، ٦١٧٤].

उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) दोनों मिलकर उन खजूर के पेड़ों में गये। जहाँ इब्ने स़य्याद था (आप ﷺ चाहते थे कि इब्ने स़य्याद आपको न देखे और) इससे पहले कि वो आपको देखे आप (ﷺ) ग़फ़लत में उससे कुछ बातें सुन लें। आख़िर आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसको देखा। वो एक चादर ओढ़े पड़ा था। कुछ गुन-गुन या फन-फन कर रहा था। लेकिन मुश्किल ये हुई कि इब्ने स़य्याद की माँ ने दूर ही से आँह़ज़रत (ﷺ) को देख पाया। आप (ﷺ) खजूर के तनों में छुप-छुपकर जा रहे थे। उसने पुकार कर इब्ने स़य्याद से कह दिया साफ़! ये इब्ने स़य्याद का नाम था। देखो मुह़म्मद आन पहुँचे। ये सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ। आँह़ज़रत ने फ़र्माया काश! इब्ने स़य्याद की माँ उसको बातें करने देती तो वो अपना हाल खोलता। शुऐ़ब ने अपनी रिवायत में ज़म्ज़मतुन फ़रफ़स़हू अ़क़ील ने रम्रमा नक़ल किया है और मअ़मर ने रम्ज़ा कहा है।

(दीगर मक़ाम: 2638, 3033, 3056, 6174)

तशरीह़ : इब्ने स़य्याद एक यहूदी लड़का था जो मदीना में दज्लो-फ़रेब की बातें कर करके अ़वाम को बहकाया करता था। आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस पर इस्लाम पेश फ़र्माया। उस समय वो नाबालिग़ था। उससे इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्स़दे बाब हुआ। आप (ﷺ) उसकी त़रफ़ से मायूस हो गए कि वो ईमान लाने वाला नहीं या आप (ﷺ) ने जवाब में उसको छोड़ दिया या'नी उसकी निस्बत **ला व नअ़म** कुछ नहीं कहा सिर्फ़ इतना फ़र्मा दिया कि मैं अल्लाह के सब पैग़म्बरों पर ईमान लाया।

कुछ रिवायतों में **फ़रफ़सहू स़ाद मुहमला** से है कि या'नी एक लात उसको जमाई। कुछ ने कहा कि आप (ﷺ) ने उसे दबाकर भींचा आप (ﷺ) ने जो कुछ उससे पूछा उससे आपकी ग़र्ज़ मह़ज़ ये थी कि उसका झूठ खुल जाए और उसका पैग़म्बरी का दा'वा ग़लत़ हो। इब्ने स़य्याद ने जवाब में कहा कि मैं कभी सच्चा कभी झूठा ख़्वाब देखता हूँ, ये शख़्स काहिन था उसकी झूठी सच्ची ख़बरें शैत़ान दिया करते थे। दुख़ान की जगह सिर्फ़ लफ़्ज़ दुख कहा। शैत़ानों की इतनी ही त़ाक़त होती है कि एक आध कलिमा उचक लेते हैं, उसी में झूठ मिलाकर मशहूर करते हैं (ख़ुलास़ा वह़ीदी) मज़ीद तफ़्स़ील दूसरी जगह आएगी।

١٣٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ

1356. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे स़ाबित ने, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि एक यहूद लड़का (अ़ब्दुल क़ुद्दूस) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत किया करता था, एक दिन वो बीमार हो गया। आप (ﷺ) उसका मिज़ाज़ मा'लूम करने के लिये तशरीफ़ लाए और उसके सिरहाने बैठ गये और फ़र्माया मुसलमान हो जा। उसने अपने

لَهُ: ((أَسْلِمْ)). فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. فَأَسْلَمَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)).

[طرفه في: ٥٦٥٦].

बाप की तरफ़ देखा, बाप वहीं मौजूद था। उसने कहा कि (क्या मुज़ायक़ा है) अबुल क़ासिम (ﷺ) जो कुछ कहते हैं मान ले। चुनाँचे वो बच्चा इस्लाम ले आया। जब आँहज़रत (ﷺ) बाहर निकले तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने इस बच्चे को जहन्नम से बचा लिया।

(दीगर मक़ाम : 5656)

١٣٥٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: ((كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ: أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ)).

[أطرافه في: ٤٥٨٧، ٤٥٨٨، ٤٥٩٧].

1357. हमसे अली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि उ़बैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बयान किया कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) को ये कहते सुना था कि मैं और मेरी वालिदा (आँहज़रत ﷺ की हिजरत के बाद में) कमज़ोर मुसलमानों में से थे। मैं बच्चों में और मेरी वालिदा औरतों में।

(दीगर मक़ाम : 4578, 4588, 4597)

जिसका ज़िक्र सूरह निसा की आयतों में है, वल्मुस्तज़अफ़ीन मिनर्रिजालि वन्निसाइ वल्विलदानि और इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर्रिजालि वन्निसाइ वल्विदानि

١٣٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلاَمَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلاَمِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟))

1358. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमको शुऐ़ब ने ख़बर दी, उन्होंने बयान किया कि इब्ने शिहाब, हर उस बच्चे की जो वफ़ात पा गया हो, नमाज़े जनाज़ा पढ़ते थे। अगरचे वो हराम ही का बच्चा क्यों न हो क्योंकि उसकी पैदाइश इस्लाम की फ़ित़रत पर हुई। या'नी उस सूरत में जबकि उसके वालिदैन मुसलमान होने के दावेदार हों। अगर सिर्फ़ बाप मुसलमान हो ओर माँ का मज़हब इस्लाम के सिवा कोई और हो जब भी। बच्चे के रोने की पैदाइश के वक़्त अगर आवाज़ सुनाई देती तो उस पर नमाज़ पढ़ी जाती। लेकिन अगर पैदाइश के वक़्त कोई आवाज़ न आती तो उसकी नमाज़ नहीं पढ़ी जाती थी। बल्कि ऐसे बच्चे को कच्चा ह़मल गिर जाने के दर्जे में समझा जाता था क्योंकि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर बच्चा फ़ित़रत (इस्लाम) पर पैदा होता है। फिर उसके माँ-बाप उसे यहूदी या नस़रानी या मजूसी बना देते हैं, जिस त़रह तुम देखते हो कि जानवर स़हीह़ सालिम बच्चा जनता है। क्या तुमने कोई कान

ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ الآيَةَ.

[أطرافه في: ١٣٥٩، ١٣٨٥، ٤٧٧٥، ٦٥٩٩].

कटा हुआ बच्चा भी देखा है? फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने इस आयत को तिलावत किया, ये अल्लाह की फ़ित्रत है, जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है। (दीगर मक़ाम : 1309, 1380, 4775)

तश्रीह : कस्तलानी ने कहा कि अगर वो चार महीने का बच्चा हो तो उसको गुस्ल और कफ़न देना वाजिब है, इसी तरह दफ़न करना लेकिन नमाज़ वाजिब नहीं क्योंकि उसने आवाज़ नहीं की और अगर चार महीने से कम का हो तो एक कपड़े में लपेटकर दफ़न कर दिया जाए।

١٣٥٩ – حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾.

[راجع: ١٣٥٨]

1359. हमसे अब्दान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमको यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रह्मान ने ख़बर दी और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर बच्चा फ़ित्रत पर पैदा होता है लेकिन उसके माँ-बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे एक जानवर एक सहीह सालिम जानवर जनता है। क्या तुम उसका कोई अ़ज़्व (पैदाइशी तौर) पर कटा हुआ देखते हो? फिर अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये अल्लाह तआ़ला की फ़ित्रत है जिस पर लोगों को उसने पैदा किया है। अल्लाह तआ़ला की ख़िल्क़त में कोई तब्दीली मुम्किन नहीं, यही दीने-क़य्यिम है। (राजेअ : 1307)

बाब का मतलब इस ह़दीष़ से यूँ निकलता है कि जब हर एक आदमी की फ़ित्रत इस्लाम पर हुई तो बच्चे पर भी इस्लाम पेश करना और उसका इस्लाम लाना सही होगा। इब्ने शिहाब ने इस ह़दीष़ से ये निकाला कि हर बच्चे पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए क्योंकि वो इस्लाम की फ़ित्रत पर पैदा हुआ है। उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ़ देखा गोया उससे इजाज़त चाही जब उसने इजाज़त दे दी तो वो शौक़ से मुसलमान हो गया। बाब और ह़दीष़ में मुताबक़त ये है कि आप (ﷺ) ने उस बच्चे से मुसलमान होने के लिये फ़र्माया। इस ह़दीष़ से अख़्लाक़े मुहम्मदी पर भी रोशनी पड़ती है कि आप अज़ राहे हमदर्दी मुसलमान और ग़ैर-मुसलमान सबके साथ मुहब्बत का बर्ताव करते और जब भी कोई बीमार होता तो उसकी मिज़ाजपुर्सी के लिये तशरीफ़ ले जाते थे।

٨٠– بَابُ إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

बाब 80 : जब एक मुश्रिक मौत के वक़्त ला इलाह इल्लल्लाह कह ले

या'नी जब तक मौत का यक़ीन न हुआ हो और मौत की निशानियाँ ज़ाहिर न हुई हों क्योंकि उनके ज़ाहिर होने के बाद फिर ईमान लाना फ़ायदा नहीं करता। अबू तालिब को भी आप (ﷺ) ने नज़अ़ से पहले ईमान लाने को फ़र्माया होगा या अगर नज़अ़ की

हालत शुरू हो गई थी तो ये अबू तालिब की ख़ुसूसियत होगी जैसे आपकी दुआ से उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी।

1360. हमसे इस्हाक़ बिन राहवै ने बयान किया, कहा कि हमसे यअक़ूब बिन इब्राहीम ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मेरे बाप (इब्राहीम बिन सअद) ने सालेह बिन कैसान से ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्होंने बयान किया कि मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने अपने बाप (मुसय्यिब बिन हज़्न रज़ि.) से ख़बर दी, उनके बाप ने उन्हें ख़बर दी कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाए। देखा तो उनके पास उस वक़्त अबू जहल बिन हिशाम और अ़ब्दुल्लाह बिन उमय्या बिन मुग़ीरह मौजूद थे। आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि चचा! आप एक कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह (अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं) कह दीजिए ताकि मैं अल्लाह तआ़ला के यहाँ इस कलिमे की वजह से आपके हक़ में गवाही दे सकूँ। इस पर अबू जहल और अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या वग़ैरह ने कहा अबू तालिब! क्या तुम अपने बाप अ़ब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? रसूलुल्लाह (ﷺ) बार-बार कलिम-ए-इस्लाम उन पर पेश करते रहे। अबू जहल और इब्ने अबी उमय्या भी अपनी बात दोहराते रहे। आख़िर अबू तालिब की आख़िरी बात ये थी कि वो अ़ब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही रहे। उन्होंने ला इलाह इल्लल्लाह कहने से इन्कार कर दिया फिर भी रसूलुल्लाह ने फ़र्माया कि मैं आपके लिये इस्तग़फ़ार करता रहूँगा। यहाँ तक कि मुझे मना न कर दिया जाए। इस पर अल्लाह तआ़ला ने आयत व मा कान लिन्नबिय्यि नाज़िल फ़र्माई। (सूरह तौबा : 113)

(दीगर मक़ाम : 3884, 4670, 4882, 6681)

١٣٦٠- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ((أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَ أَبَاجَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي طَالِبٍ : ((يَا عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ)). فَقَالَ أَبُوجَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا أَبَا طَالِبٍ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُوطَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمَا وَاللهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ)) فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيْهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ الآيَةَ.

[أطرافه في: ٣٨٨٤، ٤٦٧٥، ٤٧٧٢، ٦٦٨١].

तशरीह : जिसमें कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन के लिये इस्तिग़्फ़ार की मुमानअ़त कर दी गई थी। अबू तालिब के आँहज़रत (ﷺ) पर बड़े एहसानात थे। उन्होंने अपने बच्चों से ज़्यादा आँहज़रत (ﷺ) को पाला और परवरिश की और काफ़िरों की ईज़ादेही से आपको बचाते रहे। इसलिये मुहब्बत की वजह से आपने ये फ़र्माया कि ख़ैर में तुम्हारे लिये दुआ करता रहूँगा और आपने उनके लिये दुआ शुरू की। जब सूरह तौबा की आयत **व मा लिन्नबिय्यि** नाज़िल हुई कि पैग़म्बर और ईमानवालों को चाहिये कि मुश्रिकों के लिये दुआ न करें, उस वक़्त आप रुक गए। हदीष़ से ये निकला कि मरते वक़्त भी अगर मुश्रिक शिर्क से तौबा कर ले तो उसका ईमान सही होगा। बाब का यही मतलब है। मगर ये तौबा सकरात से पहले होनी चाहिये। सकरात की तौबा क़ुबूल नहीं जैसा कि क़ुर्आनी आयत **फ़लम यकु यन्फ़उहुम ईमानुहुम लम्मा रऔ बासना** (ग़ाफ़िर : 85) में मज़्कूर है।

बाब 18 : क़ब्र पर खजूर की डाल लगाना

٨١- بَابُ الْجَرِيدِ عَلَى الْقَبْرِ

और बुरैदा अस्लमी सहाबी (रज़ि.) ने वसिय्यत की थी कि उनकी क़ब्र पर दो शाखें लगा दी जाएँ और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) की क़ब्र पर ख़ैमा तना हुआ देखा तो कहने लगे कि ऐ गुलाम! इसे उखाड़ डाल, अब इन पर इनका अमल साया करेगा। और ख़ारिजा बिन ज़ैद ने कहा कि उष्मान (रज़ि.) के ज़माने में मैं जवान था और फलाँग लगाने में सबसे ज़्यादा समझा जाता था जो उष्मान बिन मज़ऊन (रज़ि.) की क़ब्र पर फलाँग लगा कर उस पार को जाता और उष्मान बिन हकीम ने बयान किया कि ख़ारिजा बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़कर एक क़ब्र पर मुझको बिठाया और अपने चचा यज़ीद बिन षाबित से रिवायत किया कि क़ब्र पर बैठना उसको मना है जो पेशाब या पाख़ाना के लिये उस पर बैठे। और नाफ़ेअ ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) क़ब्रों पर बैठा करते थे।

وَأَوصَى بُرَيْدَةُ الأَسْلَمِيُّ أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ جَرِيْدَانِ وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمنِ فَقَالَ: انْزِعْهُ يَا غُلاَمُ، فَإِنَّمَا يُظِلُّهُ عَمَلُهُ. وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ: أَخَذَ بِيَدِي خَارِجَةُ فَأَجْلَسَنِي عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ. وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُورِ.

1361. हमसे यह्या बिन जा'फ़र बैकुन्दी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू मुआविया ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताऊस ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) का गुज़र ऐसी दो क़ब्रों पर हुआ जिन पर अज़ाब हो रहा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि उन पर अज़ाब किसी बहुत बड़ी बात पर नहीं हो रहा है, सिर्फ़ ये कि इनमें एक शख़्स पैशाब से नहीं बचता था और दूसरा शख़्स चुग़लख़ोरी किया करता था। फिर आप (ﷺ) ने खजूर की एक हरी डाली ली और उसके दो टुकड़े करके दोनों क़ब्रों पर एक-एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ने ऐसा क्यों किया? आपने फ़र्माया कि शायद उस वक़्त तक के लिये उन पर अज़ाब कुछ हल्का हो जाए, जब तक ये खुश्क न हो। (राजेअ : 216)

١٣٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ)). ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: ((لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) ने एक क़ब्र पर खजूर की डालियाँ लगा दी थीं। कुछ ने कहा कि ये मसनून है, कुछ कहते हैं कि ये आँहज़रत (ﷺ) का ख़ास्सा था और किसी को डालियाँ लगाने में कोई फ़ायदा नहीं। चुनाँचे इमाम बुख़ारी (रह) इब्ने उमर (रज़ि.) का अषर उसी बात को षाबित करने के लिये लाए। इब्ने उमर और बुरैदा (रज़ि.) के अषर को इब्ने सअद ने वस्ल किया। ख़ारजा बिन ज़ैद के अषर को इमाम बुख़ारी (रह) ने तारीख़े सग़ीर में वस्ल किया। इस अषर और उसके बाद के अषर को बयान करने से इमाम बुख़ारी (रह) की ग़र्ज़ ये है कि क़ब्रवालों को उसके अमल ही फ़ायदा देते हैं। ऊँची चीज़ लगाना जैसे शाख़ें वग़ैरह या क़ब्र की इमारत ऊँची बनाना या क़ब्र पर बैठना ये चीज़ें जाहिर में कोई फ़ायदा या नुक़्सान देने वाली नहीं हैं। ये ख़ारजा बिन ज़ैद अहले मदीना के सात फ़ुक़हा में से हैं। उन्होंने अपने चचा यजीद बिन षाबित से नक़ल किया कि क़ब्र पर बैठना उसको मकरूह है जो उस पर पाख़ाना या पैशाब करे। (वहीदी)

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ाल इब्नु रशीद व यज़्हरु मिन तसर्रुफ़िल्बुख़ारी अन्न ज़ालिक ख़ास्सुन बिहिमा फ़लिज़ालिक अकबहू बि कौलिब्नि उमर इन्नमा यज़िल्लुहू अमलहू** (फ़त्हुल बारी) या'नी इब्ने रशीद ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) के तसर्रुफ़ से यही जाहिर होता है कि शाख़ों के गाड़ने का अमल उन ही दोनों क़ब्रों के साथ ख़ास था। इसलिये इमाम बुख़ारी (रह) इस ज़िक्र के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का क़ौल लाए हैं कि उस मरने वाले का अमल ही उसको साया कर सकेगा। जिनकी क़ब्रों पर ख़ैमा देखा गया था वो अब्दुर्रहमान बिन अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ये ख़ैमा दूर करा दिया था। क़ब्रों पर बैठने के बारे में जुम्हूर का क़ौल यही है कि नाजाइज़ है। इस बारे में कई एक अहादीष भी वारिद हैं चंद हदीष मुलाहिज़ा फ़र्माएँ।

अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) लिअंय्यज्लिस अहदुकुम अला जम्रतिन फ़तुहर्रिक़ु षियाबहू फ़तख़ल्लस इला जिल्दिही ख़ैरुन लहू मिन अंय्यज्लिस अला क़ब्रिन रवाहुल्जमाअतु इल्लल्बुख़ारी व त्तिमिर्ज़ी या'नी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुममें से कोई अगर किसी अंगारे पर बैठे कि वो उसके कपड़े और जिस्म को जला दे तो उससे बेहतर है कि क़ब्र पर बैठे।

दूसरी हदीष अम्र बिन हज़्म से मरवी है, **'रअनी रसूलुल्लाहि (ﷺ) मुत्तकिअन क़ब्रिन फ़क़ाल ला तूज़ि साहिब हाज़ल क़ब्रि औ ला तुज़ूहु रवाहु अहमद'** या'नी मुझे आँहज़रत (ﷺ) ने एक क़ब्र पर तकिया लगाए हुए देखा तो आपने फ़र्माया इस क़ब्र वाले को तकलीफ़ न दे। इन्हीं अहादीष की बिना पर क़ब्रों पर बैठना मना है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का फ़ेअल जो मज़्कूर हुआ कि आप क़ब्रों पर बैठा करते थे, तो शायद उनका ख़्याल ये हो कि बैठना उसके लिये मना है जो उस पर पाख़ाना पेशाब करे। मगर दीगर अहादीष की बिना पर मुतलक़ बैठना भी मना है जैसा कि मज़्कूर हुआ या उनका क़ब्र पर बैठने से मुराद सिर्फ़ टेक गलाना है न कि ऊपर बैठना।

हदीषे मज़्कूर से क़ब्र का अज़ाब भी षाबित हुआ जो बरहक़ है जो कई आयाते क़ुर्आनी व अहादीषे नबवी से षाबित है। जो लोग अज़ाबे क़ब्र का इंकार करते और अपने आपको मुसलमान कहलाते हैं। वो क़ुर्आन व हदीष से बेबहरा (नावाक़िफ़) और गुमराह है। **हदाहुमुल्लाहु आमीन!**

बाब 82 : क़ब्र के पास आलिम का बैठना और लोगों को नसीहत करना और लोगों का उसके इर्दगिर्द बैठना

٨٢- بَابُ مَوعِظَةِ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقُعُودِ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

सूरह क़मर में आयत यख़्रुजून मिनलअज्दाषि में अज्दाष से क़ब्रें मुराद हैं और सूरह इन्फ़ितार में बुअषिरत के मा'नी उठाए जाने के है। अरबों के क़ौल में बअषर्तु हौज़ी का मतलब ये कि हौज़ का

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ﴾: الأَجْدَاثُ الْقُبُورِ. ﴿بُعْثِرَتْ﴾: أُثِيرَتْ:

يَغُوْرُ حَوْضِي: أَيْ جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلاَهُ. الإِيْفَاضُ: الإِسْرَاعُ. وَقَرَأَ الأَعْمَشُ: ﴿إِلَى نَصْبٍ﴾: إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوْبٍ يَسْتَبِقُوْنَ إِلَيْهِ. وَالنُّصْبُ وَاحِدٌ ، وَالنَّصْبُ مَصْدَرٌ. يَوْمَ الْخُرُوجِ مِنْ قُبُوْرِهِمْ: ﴿يَنْسِلُوْنَ﴾ يَخْرُجُوْنَ.

निचला हिस्सा ऊपर कर दिया। ईफ़ाज़ के मा'नी जल्दी करना। और आ'मश की क़िरात में इला नसब बिफ़त्हिनून है या'नी एक शय मन्सूब की तरफ़ तेज़ी से दौड़ी जा रही है ताकि उससे आगे बढ़ जाए। नुस्ब बिज़म्मिनून वाहिद है और नसीब बिफ़त्हिनून मस्दर रहे और सूरह क़ाफ़ में यौमल ख़ुरूज से मुराद मुर्दों का क़ब्रों से निकलना है और सूरह अंबिया में यन्सिलून यख़्रुजुन के मा'नी में है।

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपनी आदत के मुताबिक़ यहाँ भी कई एक कुर्आनी अल्फ़ाज़ की तशरीह फ़र्मा दी। क़ब्रों की मुनासबत से अज्दाष़ के मा'नी और बुअ़्षिरत के मा'नी बयान कर दिये। आयत में है कि क़ब्रों से इस तरह निकलकर भागेंगे जैसे थानों की तरफ़ दौड़ पड़ते हैं। इस मुनासबत से ईफ़ाज़ और नसब के मा'नी बयान किये। ज़ालिक यौमल ख़ुरूज में ख़ुरूज से क़ब्रों से निकलना मुराद है। इसलिये यन्सिलून का मा'नी बयान कर दिया क्योंकि वो भी यख़रूजून के मा'नी में है।

हज़रत मुज्तहिदे मुत्लक़ इमाम बुख़ारी (रह) ने ये ष़ाबित किया कि क़ब्रिस्तान में अगर फ़ुर्सत नज़र आए तो इमाम, आ़लिम, मुहद्दिष़ वहाँ लोगों को आख़िरत याद दिलाने और ष़वाब और अ़ज़ाबे क़ब्र पर मुत्तलअ़ करने के लिये कुर्आन व ह़दीष़ की रोशनी में वा'ज़ सुना सकता है जैसा कि ख़ुद आँहज़रत (ﷺ) ने वा'ज़ सुनाया।

मगर किस क़दर अफ़सोस की बात है कि बेशतर लोग जो क़ब्रिस्तान में जाते हैं वो महज़ तफ़रीहन वहाँ वक़्त गुज़ार देते हैं और बहुत से हुक़्क़ा–सिगरेटनोशी में मसरूफ़ रहते हैं और बहुत से मिट्टी लगने तक इधर–उधर मटरगश्त करते रहते हैं। इसलिये ऐसे लोगों को सोचना चाहिये कि आख़िर उनको भी आना है और क़ब्र में दाख़िल होना है। किसी न किसी दिन तो क़ब्रों को याद कर लिया करें या क़ब्रिस्तान में जाकर तो मौत और आख़िरत की याद से अपने दिलों को पिघलाया करें। अल्लाह तआला सबको नेक समझ अ़ता करे। आमीन।

अहले बिदअ़त ने बजाय मसनून तरीक़ा के क़ब्रिस्तानों में और नित नए तरीक़े ईजाद कर लिये हैं और अब तो नई बिदअ़त ये निकाली गई है कि दफ़न करने के बाद क़ब्र पर अज़ान देते हैं। अल्लाह जाने अहले बिदअ़त को ऐसी नई बिदआ़त कहाँ से सूझती हैं। अल्लाह तआला बिदअ़त से बचाकर सुन्नत पर अमलपैरा होने की तौफ़ीक़ बख़्शे। आमीन!

١٣٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ. فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا

1362. हमसे उ़ष़्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझ से जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर बिन मुअ़तमिर ने बयान किया, उनसे सअ़द बिन उ़बैदा ने, उनसे अबू अ़ब्दुर्रह़मान अ़ब्दुल्लाह बिन ह़बीब ने और उनसे ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने बयान किया कि हम बक़ीअ़ ग़रक़द में एक जनाज़े के साथ थे। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और बैठ गये हम भी आप के इर्दगिर्द बैठ गये। आपके पास एक छड़ी थी जिससे आप ज़मीन कुरेदने लगे। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम में से कोई ऐसा नहीं या कोई जान ऐसी नहीं जिसका ठिकाना जन्नत और दोज़ख़ दोनों जगह न लिखा गया हो और ये

भी कि वो नेक बख़्त होगी या बदबख़्त। इस पर एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर क्यों न हम अपनी तक़दीर पर भरोसा कर लें कि अमल छोड़ दें क्योंकि जिसका नाम नेक दफ़्तर में लिखा गया है वो ज़रूर नेक काम की तरफ़ रुजूअ होगा और जिसका नाम बदबख़्तों में लिखा है वो ज़रूर बदी की तरफ़ जाएगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि बात ये है कि जिनका नाम नेकबख़्तों में है उनको अच्छे काम करने में ही आसानी मा'लूम होती है और बदबख़्तों को बुरे कामों में आसानी नज़र आती है। फिर आप (ﷺ) ने इस आयत की तिलावत फ़र्माई, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा।

(दीगर मक़ाम : 4945, 4946, 4947, 4948,6217, 6605, 7752)

مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ: ((أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ الآيَةَ)).

[أطرافه في: ٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧، ٤٩٤٨، ٦٢١٧، ٦٦٠٥، ٧٧٥٢].

या'नी जिसने अल्लाह तआला की राह में दिया और परहेज़गारी इख़्तियार की और अच्छे दीन को सच्चा माना उसको हम आसानी के घर या'नी जन्नत में पहुँचने की तौफ़ीक़ देंगे। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं कि इस हदीष़ की शरह वल्लैल की तफ़्सीर में आएगी और ये हदीष़ तक़दीर के इष़्बात में एक असले अज़ीम है। आपके फ़र्माने का मतलब ये है कि अमल करना और मेहनत करना ज़रूरी है। जैसे हकीम कहता है कि दवा खाए जाओ हालाँकि शिफ़ा देना अल्लाह का काम है।

बाब 83 : बाब जो शख़्स ख़ुदकशी कर ले उसकी सज़ा का बयान

٨٣- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

तश्रीह : इस बाब के लाने से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह) की ग़र्ज़ ये है कि जो शख़्स ख़ुदकुशी करे जब वो जहन्नमी हुआ तो उस पर जनाज़े की नमाज़ न पढ़ना चाहिये और शायद इमाम बुख़ारी (रह) ने उस हदीष़ की तरफ़ इशारा किया जिसे अस्हाबे सुनन ने जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) के सामने एक जनाज़ा लाया गया। उसने अपने तईं तीरों से मार डाला था तो आँहज़रत (ﷺ) ने उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ाई। मगर निसाई की रिवायत से मा'लूम हुआ कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने पढ़ ली तो मा'लूम हुआ कि और लोगों की इबरत के लिये जो इमाम और मुक़्तदा (अगुवाई करने वाला) हो वो इस पर नमाज़ न पढ़े लेकिन अवाम पढ़ सकती है। और इमाम शाफ़िई (रह) और अबू हनीफ़ा (रह) और जुम्हूर उलमा ये कहते हैं कि फ़ासिक़ पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। ये भी फ़ासिक़ है और उत्रत और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और औज़ाई के नज़दीक फ़ासिक़ पर नमाज़ न पढ़ें, इसी तरह बाग़ी और डाकू पर भी। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) इब्ने मुनीर का क़ौल यूँ नक़ल करते हैं, **आदतुल्बुख़ारी इज़ा तवक़्क़फ़ फ़ी शैइन तरज्जम अलैहि तर्जमतुन मुब्हमतुन कअन्नहू युनब्बिहु अला तरीकिल्इज्तिहादि व क़द नुकिल अन मालिक अन्न कातिलन्नफ़्सि ला तुक़्बलु तौबतुहू व मुक़्तजाहू अंल्ला युसल्लिय अलैहि व हुव नफ़्सु क़ौलिल्बुख़ारी**

या'नी इमाम बुख़ारी (रह) की आदत ये है कि जब उनको किसी अम्र में तवक़्क़ुफ़ होता है तो उस पर मुबहम बाब मुनक़िद फ़र्माते हैं। गोया वो तरीक़े इज्तिहाद पर आगाह करना चाहते हैं और इमाम मालिक (रह) से मन्क़ूल है कि क़ातिले नफ़्स की तौबा क़ुबूल नहीं होती और उसी का मुक़्तज़ा है कि उस पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए। इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मंशा है।

1363. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़ैद बिन ज़ुरीअ ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे षाबित बिन ज़ह्हाक़ (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन पर होने की झूठी क़सम क़स्दन खाए तो वो ऐसा ही हो जाएगा कि जैसा कि उसने अपने लिये कहा है और जो शख़्स अपने को धारदार चीज़ से ज़िब्ह कर ले उसे जहन्नम में ऐसे ही हथियार से अज़ाब होता रहेगा। (दीगर मक़ाम : 4171, 4743, 6047, 6105, 6652)

١٣٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)).[أطرافه في: ٤١٧١، ٤٨٤٣، ٦٠٤٧، ٦١٠٥، ٦٦٥٢].

1364. और हज्जाज बिन मिन्हाल ने कहा कि हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उनसे इमाम हसन बस़री ने कहा कि हमसे जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बज्ली (रज़ि.) ने इसी (बस़रा की) मस्जिद में हदीष बयान की थी न हम उस हदीष को भूले हैं और न ये डर है कि जुन्दुब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बाँधा होगा। आपने फ़र्माया कि एक शख़्स को ज़ख़्म लगा, उसने (ज़ख़्म की तकलीफ़ की वजह से) ख़ुद को मार डाला। इस पर अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मेरे बन्दे ने जान निकालने में मुझ पर जल्दी की। इसकी सज़ा में जन्नत हराम करता हूँ। (दीगर मक़ाम : 3463)

١٣٦٤- وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ ((قَالَ حَدَّثَنَا جُنْدَبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: بَدَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)).

[طرفه في: ٣٤٦٣].

1365. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमको अबुज़्ज़िनाद ने ख़बर दी, उनसे अअरज ने कहा, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स ख़ुद अपना गला घोंट कर जान दे डालता है वो जहन्नम में भी अपना गला घोंटता रहेगा और जो बरछे या तीर से अपने आपको मारे वो दोज़ख़ में भी इसी तरह अपने आपको मारता रहेगा। (दीगर मक़ाम : 5778)

١٣٦٥- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ)).

[طرفه في : ٥٧٧٨].

बाब 74 : मुनाफ़िक़ों पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और मुश्रिकों के लिये तलबे-मग़फ़िरत करना नापसन्दीदा है

٨٤- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَالاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِيْنَ

इसको अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1366. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास ने और उनसे उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन उबई इब्ने सलूल मरा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस पर नमाज़े जनाज़ा के लिये कहा गया। नबी करीम (ﷺ) जब इस इरादे से खड़े हुए तो मैंने आपकी त़रफ़ बढ़कर अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप इब्ने उबई की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते हैं? हालाँकि इसने फलाँ दिन फलाँ बात कही थी और फलाँ दिन फलाँ बात। मैं उसके कुफ़्र की बातें गिनने लगा लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ये सुनकर मुस्कुरा दिये और फ़र्माया या उ़मर! इस वक़्त पीछे हट जाओ। लेकिन जब मैं बार-बार अपनी बात दोहराता रहा तो आपने मुझे फ़र्माया कि मुझे अल्लाह की त़रफ़ से इख़्तियार दिया गया है, मैंने नमाज़ पढ़ानी पसन्द की अगर मुझे मा'लूम हो जाए कि सत्तर मर्तबा से ज़्यादा मर्तबा इसके लिये मग़्फ़िरत माँगने पर इसे मग़्फ़िरत मिल जाए तो इसके लिये इतनी ही ज़्यादा मग़्फ़िरत माँगूगा। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और वापस होने के थोड़ी देर बाद आप पर सूरह बराअ़त की दो आयतें नाज़िल हुईं। किसी भी मुनाफ़िक़ की मौत पर उसकी नमाज़े जनाज़ा आप हर्गिज़ न पढ़ाएँ। आयत व हुम फ़ासिक़ून तक और इसकी क़ब्र पर भी मत खड़ा हो, इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को नहीं माना और मरे भी तो नाफ़र्मान रह कर। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुज़ूर अपनी उस दिन की दिलेरी पर ता'ज्जुब होता है। हालाँकि अल्लाह और उसके रसूल (हर मस्लह़त को) ज़्यादा जानते हैं। (दीगर मक़ाम : 4671)

١٣٦٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا - أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: ((أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ)). فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: ((إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ. لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا)). قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ - إِلَى - ﴿وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [أطرافه في : ٤٦٧١].

तश्रीह़ : अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मदीना का मशहूरतरीन मुनाफ़िक़ था जो उ़म्रभर इस्लाम के ख़िलाफ़ साज़िशें करता रहा और उसने हर नाज़ुक मौक़े पर मुसलमानों को और इस्लाम को धोखा दिया। मगर आँह़ज़रत (ﷺ) रहमतुल लिल आ़लमीन थे। इंतिक़ाल के वक़्त उसके लड़के की दरख़्वास्त पर जो सच्चा मुसलमान था, आप उसकी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने के लिये तैयार हो गए। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने मुख़ालफ़त की और याद दिलाया कि फ़लाँ—फलाँ मौक़ों पर उसने ऐसे-ऐसे गुस्ताख़ाना अल्फ़ाज़ इस्ते'माल किये थे। मगर आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपनी फ़ित़री मुह़ब्बत व शफ़क़त की बिना पर उस पर नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद वज़ाहत के साथ इर्शादे बारी नाज़िल हुआ कि **व ला तुसल्लि अ़ला अहदिम्मिन्हुम मात अबदा** (अत्तौबा: 84) या'नी किसी मुनाफ़िक़ की आप कभी भी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ें। उसके बाद आँह़ज़रत (ﷺ) रुक गए। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि काश! मैं उस दिन आँह़ज़रत (ﷺ) के सामने ऐसी बात न करता। बहरह़ाल

अल्लाह पाक ने हज़रत उमर (रज़ि.) की राय की मुवाफ़क़त फ़र्माई और मुनाफ़िक़ीन और मुश्रिकीन के बारे में खुले लफ़्ज़ों में नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाने से रोक दिया गया।

आजकल निफ़ाक़े ए'तिक़ादी का इल्म नामुम्किन है क्योंकि वह्य व इल्हाम का सिलसिला बन्द है। लिहाज़ा किसी कलिमा-गो मुसलमान को जो बज़ाहिर अरकाने इस्लाम का पाबन्द हो, ए'तिक़ादी मुनाफ़िक़ नहीं कहा जा सकता और अमली मुनाफ़िक़ फ़ासिक़ के दर्जे में है जिस पर नमाज़े जनाज़ा अदा की जा सकती है। वल्लाहु आलम!

बाब 85 : लोगों की ज़बान पर मय्यित की ता'रीफ़ हो तो बेहतर है

٨٥- بَابُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ

1367. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि सहाबा का गुज़र एक जनाज़े पर हुआ, लोग उसकी ता'रीफ़ करने लगे। (कि क्या अच्छा आदमी था) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया कि वाजिब हो गई। फिर दूसरे जनाज़े का ज़िक्र हुआ तो लोग उसकी बुराई करने लगे। आँहज़रत ने फिर फ़र्माया कि वाजिब हो गई। इस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने पूछा कि क्या चीज़ वाजिब हो गई? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस मय्यित की तुम लोगों ने ता'रीफ़ की है उसके लिये तो जन्नत वाजिब हो गई और जिसकी तुमने बुराई की है उसके लिये दोज़ख़ वाजिब हो गई। तुम लोग ज़मीन में अल्लाह तआला के गवाह हो। (दीगर मक़ाम : 2642)

١٣٦٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَجَبَتْ)). ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: ((وَجَبَتْ)). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ)).

[طرفه في : ٢٦٤٢].

1368. हमसे अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम सफ़ार ने बयान किया, कहा कि हमसे दाऊद बिन अबुल फ़रात ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बुरैदा ने, उनसे अबुल अस्वद देइली ने कि मैं मदीना हाज़िर हुआ। उन दिनों वहाँ एक बीमारी फैल रही थी। मैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िदमत में था कि एक जनाज़ा सामने से गुज़रा। लोग उस मय्यित की तअरीफ़ करने लगे तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि वाजिब हो गई। फिर एक और जनाज़ा गुज़रा तो लोग उसकी भी ता'रीफ़ करने लगे। इस मर्तबा भी आपने ऐसा ही फ़र्माया कि वाजिब हो गई। फिर तीसरा जनाज़ा निकला, लोग उसकी बुराई करने लगे, और इस मर्तबा भी आपने यही फ़र्माया कि वाजिब हो गई। अबुल

١٣٦٨- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ - وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ - فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ ﷺ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ

अस्वद दइली ने बयान किया कि मैंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन क्या चीज़ वाजिब हो गई? आप ने फ़र्माया कि मैंने इस वक़्त वही कहा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया था कि जब मुसलमानों की अच्छाई पर चार शख़्स गवाही दे दें अल्लाह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। हमने कहा और अगर तीन गवाही दें? आपने फ़र्माया कि तीन पर भी, फिर हमने पूछा और अगर दो मुसलमान गवाही दें? आपने फ़र्माया कि दो पर भी। फिर हमने ये नहीं पूछा कि अगर एक मुसलमान गवाही दे तो क्या?

(दीगर मक़ाम : 2643)

فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)). فَقُلْنَا: وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: ((وَثَلاَثَةٌ)). فَقُلْنَا : وَاثْنَانِ؟ قَالَ: ((وَاثْنَانِ)). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.

[طرفه في: ٢٦٤٣].

तश्रीह : बाब का मक़्सद ये है कि मरने वालों की नेकियों का ज़िक्र ख़ैर करना और उसे नेक लफ़्ज़ों से याद करना बेहतर है। अल्लामा इब्ने हजर (रह) फ़र्माते हैं, **फ़ी रिवायतिन्नज़्रि ब्नि अनसिन अन अबीहि इन्दल्हाकिम कुन्तु क़ाइदन इन्दन्नबिय्यि (ﷺ) फमर्र बिजनाज़तिन फक़ाल मा हाज़िहिल्जनाज़त क़ालू जनाज़तु फुलानिन अल्फ़ुलानी कान युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व यअ़लमु बिताअतिल्लाहि व यस्आ फ़ीहा तफ़्सीरुन मा अब्हम मिनल्ख़ैरि वश्शर्रि फ़ी रिवायति अब्दिअल्ज़ीजि वल्हाकिमि अयज़न हदीषि जाबिरिन फक़ाल बअजुहुम लिनिअमल्मर्रा लक़द कान अफ़ीफ़न मुस्लिमन व फीहि अयज़न फक़ाल बअ़ज़ुहुम बिअसल्मर्रा कान इन्ना कान लफ़्ज़न गलीजा.** (फत्हुल्बारी)

या'नी मुस्नद हाकिम में नज़्र बिन अनस अ़न अबीह की रिवायत में यूँ है कि मैं हुज़ूर (ﷺ) के पास बैठा हुआ था कि एक जनाज़ा वहाँ से गुज़रा। आप (ﷺ) ने पूछा कि ये किसका जनाज़ा है? लोगों ने कहा कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का है जो अल्लाह और रसूल से मुहब्बत रखता और इताअ़ते इलाही में अ़मल करता और कोशाँ रहता था और जिस पर बुराई की गई उसका ज़िक्र उसके बरअ़क्स किया गया। पस इस रिवायत में इब्हामे ख़ैरो–शर की तफ़्सील मज़्कूर है और हाकिम में हदीषे जाबिर भी यूँ है कि कुछ लोगों ने कहा कि ये शख़्स बहुत अच्छा पाकदामन मुसलमान था और दूसरे के लिये कहा गया कि वो बुरा आदमी और बदअख़्लाक़ सख़्तकलामी करने वाला था।

ख़ुलासा ये कि मरने वाले के बारे में अहले ईमान नेक लोगों की शहादत जिस तौर पर भी हो वो बड़ा वज़न रखती है। लफ़्ज़ **अन्तुम शुहदाउल्लाहि फ़िल्अर्ज़ि** में इसी हक़ीक़त की तरफ़ इशारा है। ख़ुद क़ुर्आन मजीद में भी ये मज़्मून इन लफ़्ज़ों में मज़्कूर है, **व जअ़ल्नाकु उम्मतंव्वसता लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि** (अल बक़र:: 143) मैंने तुमको दरम्यानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। शहादत की एक सूरत य भी है कि जो यहाँ हदीष़ में मज़्कूर है।

बाब 86 : अ़ज़ाबे-क़ब्र का बयान

٨٦- باب مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى

और अल्लाह तआ़ला ने (सूरह अनआ़म में) फ़र्माया

और ऐ पैग़म्बर! काश तो उस वक़्त को देखे, जब ज़ालिम काफ़िर मौत की सख़्तियों में गिरफ़्तार होते हैं और फ़रिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए कहते जाते हैं कि अपनी जानें निकालो आज तुम्हारी सज़ा में तुम को रुस्वाई का अ़ज़ाब (या'नी क़ब्र का अ़ज़ाब) होना है।

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الأنعام: ٩٣]

इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि लफ़्ज़ हून क़ुर्आन में हवान के मा'नी में है। या'नी ज़िल्लत और रुस्वाई और हून का मा'नी नर्मी और मलामत है।

قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْهُوْنُ: هو الْهَوَانُ. والْهَوْنُ الرِّفْقُ.

और अल्लाह ने सूरह तौबा में फ़र्माया कि मैं इनको दो बार अज़ाब दूंगा (या'नी दुनिया में और क़ब्र में) फिर बड़े अज़ाब में लौटाए जाएंगे। और सूरह मोमिन में फ़र्माया फ़िर्औन वालों को बुरे अज़ाब ने घेर लिया, सुबह-शाम आग के सामने लाए जाते हैं और क़यामत के दिन तो फ़िर्औन वालों के लिये कहा जाएगा कि इनको सख़्त अज़ाब में ले जाओ। (ग़ाफ़िर : 45)

وقوله جلَّ ذِكْرُهُ: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾[التوبة:١٠١]. وقوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥].

इमाम बुख़ारी (रह) ने इन आयतों से क़ब्र का अज़ाब ष़ाबित किया है। उसके सिवा और आयतें भी हैं। आयत **युष़ब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू बिल क़ौलिष़्ष़ाबित** (इब्राहीम: 27) आख़िर तक। ये बिल इत्तिफ़ाक़ सवाले क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई है। जैसा कि आगे मज़्कूर है।

1369. हमसे हफ़्स़ बिन ड़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने, उनसे अलक़मा बिन मर्ष़द ने, उनसे सअ़द बिन उ़बैदा ने और उनसे बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मोमिन जब अपनी क़ब्र में बैठाया जाता है तो उसके पास फ़रिश्ते आते हैं। वो शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अल्लाह के फ़र्मान की ताबीर है जो सूरह इब्राहीम में है कि अल्लाह ईमान वालों को दुनिया की ज़िन्दगी और आख़िरत में ठीक बात या'नी तौहीद पर मज़बूत रखता है।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾)).

हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा हमसे गुन्दर ने कहा कि हमसे शुअ़बा ने यही ह़दीष़ बयान की। उनसे रिवायत में ये ज़्यादती भी है कि आयत व युष़ब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू अल्लाह मोमिनों को ष़ाबितक़दमी बख़्शता है। अ़ज़ाबे-क़ब्र के बारे में नाज़िल हुई है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا، وَزَادَ: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ.

[طرفه في: ٤٦٩٩].

1370. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे स़ालेह ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी कि नबी करीम (ﷺ) कुएँ (जिसमें बद्र के मुश्रिक मक़्तूलीन को डाल दिया गया था) वालों के क़रीब आए और फ़र्माया तुम्हारे मालिक ने जो तुमसे सच्चा वा'दा किया था उसे तुम लोगों ने पा लिया। लोगों ने अ़र्ज़ किया कि आप मुर्दों को

١٣٧٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: ((اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ: ((وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا)). فَقِيلَ لَهُ :

ख़िताब करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम कुछ उनसे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो, बल्कि वो जवाब नहीं दे सकते।

(दीगर मक़ाम : 3980, 4026)

أَتَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: ((مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ)).

[طرفه في : ٣٩٨٠، ٤٠٢٦].

1371. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बद्र के काफ़िरों को ये फ़र्माया था कि मैं जो उनसे कहा करता था अब उनको मा'लूम हुआ होगा कि वो सच्चे हैं। और अल्लाह ने सूरह रूम में फ़र्माया, ऐ पैग़म्बर! तू मुर्दों को नहीं सुना सकता।

(दीगर मक़ाम : 3979, 3981)

١٣٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾)).

[طرفاه في : ٣٩٧٩، ٣٩٨١].

1372. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा मुझको मेरे बाप (उ़स्मान) ने ख़बर दी, उन्हें शुअ़बा ने, उन्होंने अश्अ़ष से सुना, उन्होंने अपने वालिद अबू अश्अ़शा से, उन्होंने मस्रूक़ से और उन्होंने आ़इशा (रज़ि.) से कि एक यहूदी औ़रत उनके पास आई। उसने अ़ज़ाबे-क़ब्र का ज़िक्र छेड़ दिया और कहा कि अल्लाह तुझको अ़ज़ाबे-क़ब्र से महफ़ूज़ रखे। इस पर आ़इशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़ज़ाबे-क़ब्र के बारे में दरयाफ़्त किया। आप (ﷺ) ने इसका जवाब ये दिया कि हाँ! अ़ज़ाबे-क़ब्र बरहक़ है। आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि आपने कोई नमाज़ पढ़ी हो और उसमें अ़ज़ाबे-क़ब्र से अल्लाह की पनाह न माँगी हो। ग़ुन्दर ने अ़ज़ाबे क़ब्र बरहक़ के अल्फ़ाज़ ज़्यादा किये।

١٣٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الأَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). زَادَ غُنْدَرٌ: ((عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ)).

1373. हमसे यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे यूनुस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्होंने कहा मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी, उन्होंने अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) से सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए तो आप (ﷺ) ने क़ब्र के इम्तिहान का ज़िक्र किया जहाँ इन्सान जाँचा जाता है। जब हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) उसका ज़िक्र कर रहे थे तो मुसलमाना

١٣٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَقُولُ: ((قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَتِنُ فِيهَا الْمَرْءُ.

की हिचकियाँ बँध गई।

(राजेअ : 86)

فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً)). [راجع: ٨٦]

1374. हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल आला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी जब अपनी क़ब्र में रखा जाता है और जनाज़े में शरीक होने वाले लोग उससे रुख़सत होते हैं तो अभी वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता होता है कि दो फ़रिश्ते (मुन्कर नकीर) उसके पास आते हैं, वो उसे बैठाकर पूछते हैं कि उस शख़्स या'नी मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में तू क्या ए'तिक़ाद रखता था? मोमिन तो ये कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप (ﷺ) अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। उससे कहा जाएगा कि तू ये देख अपना जहन्नम का ठिकाना लेकिन अल्लाह तआला ने इसके बदले में तुम्हारे लिये जन्नत में ठिकाना दे दिया। उस वक़्त उसे जहन्नम और जन्नत दोनों ठिकाने दिखाए जाएँगे। क़तादा ने बयान किया कि उसकी क़ब्र ख़ूब कुशादा कर दी जाएगी (जिससे आराम व राहत मिले)। फ़िर क़तादा ने अनस (रज़ि.) की हदीष़ बयान करनी शुरू की, फ़र्माया और मुनाफ़िक़ व काफ़िर से जब कहा जाएगा कि उस शख़्स के बारे में तू क्या कहता था तो वो जवाब देगा कि मुझे कुछ मा'लूम नहीं, मैं भी वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। फिर उससे कहा जाएगा कि न तूने जानने की कोशिश की और न समझने वालों की राय पर चला। फिर उसे लोहे की गरज़ों से बड़ी ज़ोर से मारा जाएगा कि वो चीख पड़ेगा और उसकी चीख को जिन्न और इन्सानों के सिवा इसके आसपास की तमाम मख़्लूक़ सुनेगी।

(राजेअ : 1338)

١٣٧٤- حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ- وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ - أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: أُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا)) قَالَ قَتَادَةُ: ((وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ فِي قَبْرِهِ)). ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ أَنَسٍ قَالَ: ((وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ. فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيحُ صَيحَةً يَسمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيرَ الثَّقَلَيْنِ)). [راجع: ١٣٣٨]

बाब 87 : क़ब्र के अज़ाब से पनाह माँगना

٨٧- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

1375. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, कहा हमसे शुअबा ने, कहा कि मुझसे औन बिन अबी जुहैफ़ा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद अबू जुहैफ़ा ने, उनसे बराअ बिन आज़िब ने और उनसे

١٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَونُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاءِ

अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गये। सूरज ग़ुरूब हो चुका था, उस वक़्त आपको एक आवाज़ सुनाई दी (यहूदियों पर अ़ज़ाबे-क़ब्र की) फिर आपने फ़र्माया कि यहूदी पर अ़ज़ाबे-क़ब्र हो रहा है। और नज़र बिन शमईल ने बयान किया कि हमें शुअ़बा ने ख़बर दी, उनसे औ़न ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप अबू जुहैफ़ा से सुना, उन्होंने बराअ से सुना, उन्होंने अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से।

بْنِ عَازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَقَالَ: ((يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا)). وَقَالَ النَّضْرُ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1376. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा हमसे वुहैब ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, कहा कि मुझसे ख़ालिद बिन सईद बिन आ़स की स़ाहबज़ादी (उम्मे ख़ालिद) ने बयान किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) को क़ब्र के अ़ज़ाब से पनाह माँगते हुए सुना। (राजेअ़ : 6364)

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي ((أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)).

[طرفه في : ٦٣٦٤].

1377. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम दस्तवाई ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अबी कष़ीर ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस तरह दुआ़ करते थे, ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अ़ज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ और दोज़ख़ के अ़ज़ाब से और ज़िन्दगी और मौत की आज़माइश से और काने दज्जाल की बला से तेरी पनाह चाहता हूँ।

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْعُو: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ)).

तश्रीह : अ़ज़ाबे क़ब्र के बारे में अ़ल्लामा शैख़ सिफ़ारीनी अल अष़री अपनी मशहूर किताब **लवामिअ़ अनवारुल** बहिय्या में फ़र्माते हैं, व मिन्हा अय अल्उमूरुल्लती यजिबुल ईमानु बिहा व इन्नहा हक़्क़ुन ला तुरद्दु अ़ज़ाबुल क़ब्रि क़ालल्हाफ़िज़ जलालुद्दीन सियूती फ़ी किताबिही शरहुस्सुदूर फ़ी अहवालिल मौता क़द ज़करल्लाहु अ़ज़ाबिल क़ब्रि फ़िल क़ुर्आनि फ़ी इद्दति अमाकिन कमा बय्यन्तुहू फ़िल अक्लील फ़ी अस्रारित्तन्ज़ील इन्तिहा. क़ालल्हाफ़िज़ इब्नु रजब फ़ी किताबिही अहवालुल क़ुबूर फ़ी क़ौलिही तआ़ला, फ़लौल इज़ा बलग़तिल हुल्क़ुम इला क़ौलिही तआ़ला इन्ना हाज़ा लहुवल हक़्क़ुल मुबीन. अन अ़ब्दिर्रहमानिब्नि अबी लैला क़ाल, तला रसूलुल्लाहि (ﷺ) हाज़िहिल आयातु क़ाल इज़ा कान इन्दल मौति क़ील लहू हाज़ा फ़इन कान मिन अस्हाबिल यमीनि अहब्बु लिक़ाअल्लाहि व अहब्बुल्लाहि लिक़ाअहू व इन कान मिन अस्हाबिश्शिमालि करिह लिकाअल्लाहि व करिहल्लाहु लिक़ाअहू.

व क़ालल इमामुल मुहक़्क़िक़ु इब्नुल क़य्यिम फ़ी किताबिर्रूह क़ौलुस्साइल मल्हिक्मतु फ़ी अन्न अ़ज़ाबल्क़ब्रि लम युज़्कर फ़िल क़ुर्आनि सरीहन मअ़ शिद्दतिल हाजति इला मअ़रिफ़तिही वल्ईमानु बिही लियहज़रहुन्नासु व यत्तक़ी फ़अ़ज़ाब अन ज़ालिक बिवज्हैनि मुज्मलुन व मुफ़स्सलुन अम्मल मुज्मलु फ़इन्नल्लाह तआ़ला नज़्ज़ल अला रसूलिही वहयैनि फ़औजब अला इबादिहील ईमान बिहिमा वल अ़मलु बिमा फ़ीहिमा व हुमुल किताबु वल्हिक्मतु क़ाल तआ़ल हुवल्लज़ी

बअष़ फ़िलउम्मिय्यिन रसूलम मिन्हुम इला क़ौलिही तआला व युअल्लिमुहुमुल किताब वल्हिक्मत व क़ाल तआला वज्कुर्ना मा युत्ला फ़ी बुयूतिकुन्न अल्आया वल्हिक्मतु हिस्सुन्नतु बिइत्तिफ़ाक़िस्सलफ़ि व मा अख़बर बिहिर्रसूलु अनिल्लाहि फ़हुव फ़ी वुजूबि तस्दीक़िही वल ईमानु बिही कमा अख़बर बिहिर्रब्बु अला लिसानि रसूलिही फ़हाज़ा अस्लुन मुत्तफ़कुन अलैहि बैन अहलिल इस्लामि ला युन्किरुहू इल्ला मन लैस मिन्हुम व क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) इन्नी ऊतीतुल किताब व मिष़्लुहू मअहू क़ालल मुहक़्क़िक़ व अम्मल जवाबुल मुफ़स्सलु फ़हुव इन्न नईमिल बर्ज़ख़ि व अज़ाबहू मज्कूरुन फ़िल क़ुर्आनि मवाज़िअ मिन्हा क़ौलिही तआला व लौ तरा इज़िज़्ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौति अल्आया व हाज़ा ख़िताबुन लहुम इन्दल मौति क़तअन व क़द अख़्बरतिल मलाइकतु व हुमुस्सादिक़ून अन्नहुम हीन इज़िन युज़ौन अज़ाबुल हूनि बिमा कुन्तुम तक़ूलून अलल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तक्बिरून व लौ तअख़्ख़र अन्हुम ज़ालिक इलल क़ज़ाइद्दुनिया लम्मा स़हह अंय्युक़ाल लहुमुल यौम तुज़ौन अज़ाबुल हूनि व क़ौलिही तआला फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआतिन मा मकरू इला क़ौलिही युअरज़ून अलैहा गुदुव्वुन व अशिय्यन अल्आया फ़ ज़कर अज़ाबद्दारैनि सरीहन ला यहतमिलु ग़ैरुहू व मिन्हा क़ौलिही तआला फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्अक़ून यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन व ला हुम युन्सरून इन्तिहा कलामुहू.

व अख़रजल बुख़ारी मिन हदीष़ि अबी हुरैरत रज़ि. क़ाल, कान रसूलुल्लाहि (ﷺ) यदऊ अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अख़रजत्तिर्मिज़ी अन अलिय्यिन रज़ि. अन्नहू क़ाल मा ज़िल्ना फ़ी शक्किम्मिन अज़ाबिल क़ब्रि हत्ता नज़लत अल्हाकुमुत्तकाषुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर व क़ाल इब्नु मस्ऊद इज़ा मातल काफ़िरु उज्लिस फ़ी क़ब्रिही फ़युक़ालु लहू मन रब्बुक व मा दीनुक फ़यक़ूलु ला अदरी फ़यज़ीक़ु अलैहि क़ब्रुहु षुम्म करअ इब्नु मस्ऊद फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का क़ाल अल्मइशतुज़्ज़न्क़ हिय अज़ाबुल क़ब्रि व क़ाल बराअ बिन आज़िब फ़ी क़ौलिही तआला व लनुज़ीकन्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अक्बरि क़ाल अज़ाबुल क़ब्रि व कज़ा क़ाल क़तादा वर्रबीअ बिन अनस फ़ी क़ौलिही तआला सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि अहदुहुमा फ़िद्दुनिया वल्उख़रा अज़ाबुल क़ब्र.

इस त़वील इबारत का ख़ुलास़ा ये है कि अज़ाबे क़ब्र ह़क़ है जिस पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह पाक ने क़ुर्आन की अनेक आयतों में इसका ज़िक्र किया है। तफ़्सीली ज़िक्र ह़ाफ़िज़ जलालुद्दीन सियूति (रह.) की किताब, **'शरहुस्सुदूर'** और **अक्लील फ़ी अस्रातित्तन्ज़ील** में मौजूद है। ह़ाफ़िज़ इब्ने रजब ने अपनी किताब **अहवालुल क़ुबूर** में आयते शरीफ़ा **फ़लौला इज़ा बलग़तिल हुलक़ूम** (अल वाक़िआ: 83) की तफ़्सीर में अब्दुर्रह़मान बिन अबी लैला से रिवायत किया है कि रसूले करीम (ﷺ) ने इन आयात को तिलावत फ़र्माया और फ़र्माया कि जब मौत का वक़्त आता है तो मरने वाले से कहा जाता है। पस अगर वो मरने वाला दाएँ त़रफ़ वालों में से है तो वो अल्लाह से मिलने को महबूब रखता है और अल्लाह तआला उससे मिलने को पसंद करता है और अगर वो मरने वाला बाएँ तरफ़ वालों में से है तो वो अल्लाह की मुलाक़ात को मकरूह जानता है और अल्लाह पाक उसकी मुलाक़ात को मकरूह रखता है।

और अल्लामा मुह़क़्क़िक़ इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने **किताबुर्रूह** में लिखा है कि किसी ने उनसे पूछा कि इस अम्र में क्या ह़िक्मत है कि स़राहत के साथ क़ुर्आन मजीद में अज़ाबे क़ब्र का ज़िक्र नहीं है, हालाँकि ये ज़रूरी था कि उस पर ईमान लाना ज़रूरी है ताकि लोगों को उससे डर पैदा हो। ह़ज़रत अल्लामा ने उसका जवाब मुजमल और मुफ़स्सल दोनों त़ौर पर दिया। मुजमल तो ये दिया कि अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) पर दो क़िस्म की वह्य नाज़िल की है और उन दोनों पर ईमान लाना और उन दोनों पर अमल करना वाजिब क़रार दिया गया है और वो किताब और ह़िक्मत हैं जैसा कि क़ुर्आन मजीद की कई आयात में मौजूद है और सलफ़ स़ालेह़ीन से मुत्तफ़क़ा त़ौर पर हिक्मत से सुन्नत (ह़दीषे नबवी) मुराद है। अब अज़ाबे क़ब्र की ख़बर अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने सहीह अहादीष में दी है। पस वो ख़बर यक़ीनन अल्लाह की त़रफ़ से है जिसकी तस्दीक़ वाजिब है और जिस पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। (जैसा कि रब्बे तआला ने अपने रसूले की ज़ुबानी ह़क़ीक़ते तर्जुमान से सहीह ह़दीष में अज़ाबे क़ब्र के बारे में बयान कराया है) पस ये उसूल अहले इस्लाम में मुत्तफ़क़ा है उसका वही शख़्स इंकार करेगा जो अहले इस्लाम से बाहर है। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ख़बरदार रहो कि मैं क़ुर्आन मजीद दिया गया हूँ और उसके जैसी एक और किताब (ह़दीष) भी दिया गया हूँ।

फिर मुह़क़्क़िक़ अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने तफ़्सील में जवाब फ़र्माया कि बरज़ख़ का अज़ाब क़ुर्आन मजीद की

बहुत सी आयात से षाबित है और बरज़ख़ की बहुत सी नेअ़मतों का भी क़ुर्आन मजीद में ज़िक्र मौजूद है। (यही अ़ज़ाब व ष़वाबे क़ब्र है); उन आयात में से एक आयत **व लौ तरा इज़िज़्ज़ालिमून फ़ी गमरातिल मौत** (अल अन्आ़म : 93) भी है (जिसमें ज़िक्र है कि अगर तू ज़ालिमो को मौत की बेहोशी के आ़लम में देखे) उनके लिये मौत के वक़्त ये ख़िताबे क़त्ई है और इस मौक़े पर फ़रिश्तों ने ख़बर दी जो बिल्कुल सच्चे हैं उन काफ़िरों को उस दिन रुस्वाई का अ़ज़ाब दिया जाता है और कहा जाता है ये अ़ज़ाब तुम्हारे लिये इस वजह से है कि तुम अल्लाह पर नाहक़ झूठी बातें बाँधा करते थे और तुम उसकी आयात से तकब्बुर किया करते थे। यहाँ अगर अ़ज़ाब को दुनिया के ख़ातिमे पर मुअख़्ख़र माना जाए तो ये सही नहीं होगा यहाँ तो 'आज का दिन' इस्ते'माल किया गया है और कहा गया है कि तुमको आज के दिन रुस्वाई का अ़ज़ाब होगा। उस आज के दिन से यक़ीनन क़ब्र का अ़ज़ाब का दिन मुराद है।

और दूसरी आयत में यूँ मज़्कूर है कि **व हाक़ बि आलि फ़िऔन सूउल अ़ज़ाब अन्नारु युअरज़ून अलैहा गुदुवंव्व अशिय्या** (अल मोमिन : 45-46) या'नी फ़िर्औनियों को सख़्ततरीन अ़ज़ाब ने घेर लिया जिस पर वो हर सुबह व शाम पेश किये जाते हैं। इस आयत में अ़ज़ाबे दारैन का स़रीह़ ज़िक्र है उसके सिवा और किसी का अन्देशा ही नहीं (दारैन से क़ब्र का अ़ज़ाब और फिर क़यामत के दिन का अ़ज़ाब मुराद है)।

तीसरी आयते शरीफ़ा में है, **फ़ज़र्हुम हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्अक़ून** (अत् तूर: 45) है। या'नी ऐ रसूल! इन काफ़िरों को छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि वो उस दिन से मुलाक़ात करें जिसमें वो बेहोश कर दिये जाएँगे, जिस दिन उनका कोई मक्र उनके काम नहीं आ सकेगा और न वो मदद किये जाएँगे। (इस आयत में भी उस दिन से मौत और क़ब्र का दिन मुराद है)।

बुख़ारी शरीफ़ में ह़दीषे अबी हुरैरह (रज़ि.) में ज़िक्र है कि रसूले करीम (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते थे। **अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिक मिन अ़ज़ाबिल क़ब्र** ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अ़ज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ और तिर्मिज़ी में ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) से मरवी है कि अ़ज़ाबे क़ब्र के बारे में हम मशकूक रहा करते थे। यहाँ तक कि आयात **अल्हाकुमुत्तकाषुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर** (अत् तकाषुर : 1,2) नाज़िल हुई (गोया इन आयात में भी मुराद क़ब्र का अ़ज़ाब ही है) ह़ज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब काफ़िर मरता है तो उसे क़ब्र में बिठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है? और तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। पस उसकी क़ब्र उस पर तंग कर दी जाती है। पस ह़ज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने आयत **व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मइशतन ज़न्का** (ताहा : 124) को पढ़ा (कि जो कोई मेरी याद से मुँह मोड़ेगा उसका निहायत तंग ज़िन्दगी मिलेगी) यहाँ तंग ज़िन्दगी से क़ब्र का अ़ज़ाब मुराद है। ह़ज़रत बराअ बिन आ़ज़िब ने आयते शरीफ़ा **वल नुज़ीक़न्नहुम मिनल अ़ज़ाबिल अदना दूनल अ़ज़ाबिल अकबर** (अस्सज्दा : 21) की तफ़्सीर में फ़र्माया कि यहाँ भी अ़ज़ाबे क़ब्र ही का ज़िक्र है। या'नी काफ़िरों को बड़े सख़्ततरीन अ़ज़ाब से पहले एक अदना अ़ज़ाब में दाख़िल किया जाएगा (और वो अ़ज़ाबे क़ब्र है)। ऐसा ही क़तादा और रबीआ बिन अनस ने आयते शरीफ़ा **सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि** (अत् तौबा : 101) (मैं उनको दो बार अ़ज़ाब में मुब्तला करूंगा) की तफ़्सीर में फ़र्माया कि एक अ़ज़ाब से मुराद दुनिया का अ़ज़ाब और दूसरे से मुराद क़ब्र का अ़ज़ाब है।

क़ालल हाफ़िज़ु इब्नु रजब व क़द तवारतिल अहादीषु अनिन्नबिय्यि (ﷺ) फ़ी अ़ज़ाबिल क़ब्रि या'नी ह़ाफ़िज़ इब्ने रजब फ़र्माते हैं कि अ़ज़ाबे क़ब्र के बारे में नबी करीम (ﷺ) से मुतवातिर अह़ादीष मरवी हैं जिनसे अ़ज़ाबे क़ब्र बरहक़ होना षाबित है। फिर अ़ल्लामा ने उन अह़ादीष का ज़िक्र फ़र्माया है। जैसा कि यहाँ भी चंद अह़ादीष मज़्कूर हुई हैं।

बाबु इष्बाति अ़ज़ाबिल क़ब्रि पर हाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह) फ़र्माते हैं, **लम यतअर्रज़िल मुसन्निफ़ु फ़ित्तर्जुमति लिक़ौनि अ़ज़ाबिल क़ब्रि यक़उ अलरूहि फ़क़त औ अलैहा व अलल्जसदि व फ़ीहि ख़िलाफ़ुन शहीरून इन्दल मुतकल्लिमीन व कअन्नहू तरकहू लिअन्नल अदिल्लतल्लज़ी यर्ज़ाहा लैसत कातिअतुन फ़ी अहदिल अम्रैनि फ़लम यतक़ल्लदिल्हुक्मु फ़ी ज़ालिक वक्तफ़ा बिइष्बाति वुजूदिही ख़िलाफ़न लिमन नफ़ाहू मुत्लक़न मिनल ख़वारिजि व बअ़्ज़ुल मुअ़तज़िला कज़रार बिन अम्र व बिशर अल्मुरैसी व मन वाफ़क़हुमा व ख़ालफ़हुम फ़ी ज़ालिक अक्षरुल मुअ़तज़िला व जमीउ अहलिस्सुन्नति व ग़ैरहुम व अक्षरु मिनल इहतिजाजि लहू व जहब बअ़्ज़ुल मुअ़तज़िला कल्जयानी इला अन्नहू**

यक़्उल कुफ़्फ़ारु दूनल मूमिनीन व बअ़्ज़ुल अहादीष़िल आतिया तरुदु अलैहिम अयज़न. (फ़त्हुल बारी)

ख़ुलासा ये कि मुसन्निफ़ (इमाम बुख़ारी रह.) ने इस बारे में कुछ तआरुज़ नहीं फ़र्माया कि अ़ज़ाबे क़ब्र फ़क़त रूह़ को होता है या रूह़ और जिस्म दोनों पर होता है। इस बारे में मुतकल्लिमीन का बहुत इख़्तिलाफ़ है। ह़ज़रत इमाम ने क़स्दन इस बह़ष़ को छोड़ दिया है। इसलिये कि उनके ह़स्बे मंशा कुछ क़त़ई दलीलें इस बारे में नहीं हैं। पस आपने उन मबाह़िष़ को छोड़ दिया और सिर्फ़ अ़ज़ाबे क़ब्र के वजूद को ष़ाबित कर दिया। जबकि ख़्वारिज और कुछ मुअ़तज़िला उसका इंकार करते हैं जैसे ज़र्रार बिन अ़म्र, बिश्र मुरैसी वग़ैरह और उन लोगों की जुम्ला अहले सुन्नत बल्कि कुछ मुअ़तज़िला ने भी मुख़ालफ़त की है और कुछ मुअ़तज़िला जियानी वग़ैरह इधर गए हैं कि अ़ज़ाबे क़ब्र सिर्फ़ काफ़िरों को होता है ईमानवालों को नहीं होता। मज़्कूर कुछ ह़दीष़ें उनके इस ग़लत़ अ़क़ीदा की तर्दीद कर रही है।

बहरहाल अ़ज़ाबे क़ब्र बरह़क़ है जो लोग इस बारे में शुकूक व शुब्हात पैदा करें उनकी सुह़बत से हर मुसलमान को बचना चाहिये और दूर रहना वाजिब है और इन खुले हुए दलाइल के बाद भी जिनकी तशफ़्फ़ी न हो उनकी हिदायत के लिये कोशाँ होना बेकार है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़

तफ़्सीले मज़ीद के लिये ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब (रह) फ़र्माते हैं कि ह़ज़रत मौसूफ़ लिखते हैं,

बाबु इष़्बाति अ़ज़ाबिल क़ब्रि क़ाल फ़िल्लम्आत अल्मुरादु बिल्क़ब्रि हाहुना आलमुल बरज़ख़ क़ाल तआ़ला व मिंव्वराइहिम बरज़ख़ुन इला यौमि युब्अ़षून व हुव आलमुन बैनहुनिया वल आख़िरा ललू तअ़ल्लक़ु बिकुल्लिम मिन्हुमा व लैसल मुरादु बिहिल हुफ़्रतुल्लती युदफ़नु फ़ीहिल मय्यितु फ़रूब्ब मय्यितिन ला युदफ़नु कल ग़रीक़ वल हरीक वल्माकूल फ़ी बतनिल हैवानाति युअ़ज़्ज़बु व युन्अमु व युस्अलु व इन्नमा ख़स्सल अ़ज़ाबु बिज़िक्रि लिलइहतिमामि व लिअन्नल अ़ज़ाब अक्ष़रु लिकष़्रतिल कुफ़्फ़ारि वल्उस़ाति इन्तिहा क़ल्तु हासिलुन मा क़ील फ़ी बयानिल मुरादि मिनल बरज़ख़ि अन्नहू इस्मुन लिइन्क़िताइल हयाति फ़ी हाज़ल आलमिल मश्हूदि अय दारुहुनिया व इब्तिदाउ हयातिन उख़्रा फ़यब्दउ़शैउ मिनल अ़ज़ाबि अविन्नइमि बअ़द इन्क़िताइल हयातिहुन्यविय्यति फ़हुव अव्वलु दारिल जज़ा षुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत यौमल क़ियामति इन्द दुख़ूलिहा फ़ी जहन्नम अविल जन्नति व इन्नमा उज़ीफ़ अ़ज़ाबुल बरज़ख़ि व नईमिही इलल्क़ब्रि लिकौनि मुअ़ज़मिही यक़उ फ़ीहि व लिकौनिल ग़ालिब अलल्मौता अंय्यक्बिरु व इल्ला फ़ल्काफ़िरु व मन शाअल्लाहु अ़ज़ाबुहू मिनल उ़साति युअ़ज़्ज़बु बअ़द मौतिही व लौ लम युदफ़न व लाकिन ज़ालिक महजूबुन अनिल ख़ल्कि इल्ला मन शाअल्लाहु व क़ील ला हाजत इलत्तावीलि फ़इन्नल क़ब्र इस्मुन लिल्मकान अल्लज़ीयकूनु फ़ीहिल मय्यितु मिनल अर्ज़ि व ला शक्क अन्न महिल्ल इन्सानि व मस्कनहू बअ़द इन्क़िताइल हयातिहुन्यवियति हियल्अर्ज़ु कमा इन्नहा कानत मस्कनन लहू फ़ी हयातिही क़ब्ल मौतिही क़ाल तआ़ला अलम नज्अलिल अर्ज किफ़ाता अहयाअन व अम्वातन अय ज़ाम्मतुन लिल अहयाइ वल अम्वाति तज्मउहुम वतज़म्मुनुहुम व तहव्वुज़ुहुम फ़ला महिल्लल मय्यिति इल्लल अ़र्ज़ सवाउन कान गरीकन औ हरीकन औ माकूलन फ़ी बत्निल हैवानाति मिनस्सुबाइ अलल अर्ज़ि वत्तुयूरि फ़िल हवाइ वल्हीतानि फ़िल बहरि फ़इन्नल ग़रीक़ यर्सबु फ़िलमाइ फयस्क़ुतु इला अस्फ़लिही मिनल अर्ज़ि अविल जबलि इन कान तहतहू जबलुन व कज़ल हरीक़ बअ़द मा यस़ीरु रमादन ला यस्तक़िर्रू इल्ला अलल्अर्ज़ि सवाअन अज़्रा फिल बर्रि अविल बहरि कज़लमाकूल फ़इन्नल हैवानातिल्लती ताकुलुहू ला तज़्हबु बअ़द मौतिहा इल्ला इलल्अर्ज़ि फ़तस़ीरु तुराबन वल्हासिलु अन्नल अर्ज़ महिल्लु जमीइल अज्सामिस्सलैफ़िय्यति व मुक़िर्रूहा ला मल्जअ लहा इल्ला इलैहा फ़हिय किफ़ातुन लहा व आलमु अन्नहू क़द तज़ाहरतिद्दलाइलु मिनल किताबि वस्सुन्नति अला ष़ुबूति अ़ज़ाबिल क़ब्रि व अज्मअ अलैहि अहलुस्सुन्नति व क़द कष़ुरतिल अहादीष़ु फ़ी अ़ज़ाबिल क़ब्रि हत्ता क़ाल ग़ैर वाहिदिन अन्नहा मुतवातिरतुन ला यस़िह्हु अलैहा अत्तवातिक़ व इल्लम यसिह मिष़्लुहा लम यस़िह शैउन मिन अम्रिहीनि इला आख़िरीही (मिर्आत, जिल्द नं. 1, पेज नं. 130)

मुख़्तसर मतलब ये है कि लम्आत मे हैं कि यहाँ क़ब्रों से मुराद आलमे बरज़ख़ है जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है कि मरनेवालों के लिये क़यामत से पहले एक आ़लम और है जिसका नाम आ़लमे बरज़ख़ है और ये दुनिया और आख़िरत के बीच एक आलम है जिसका रिश्ता दोनों से है और क़ब्र से वो गड्ढा मुराद नही जिसमें मय्यत को दफ़न किया जाता है क्योंकि बहुत सी मय्यत दफ़न नहीं की जाती हैं जैसे डूबनेवाला और जलनेवाला और जानवरों के पेटों में जाने वाला। हालाँकि उन सबको अ़ज़ाब व ष़वाब होता है और उन सबसे सवाल जवाब होते हैं और यहाँ अ़ज़ाब का ख़ास़ त़ौर पर ज़िक्र किया गया

है, इसलिये कि उसका ख़ास एहतिमाम है और इसलिये कि अकषर तौर पर गुनाहगारों और जुम्ला काफ़िरों के लिये अ़ज़ाब ही मुक़द्दर है।

मैं कहता हूँ कि हासिल ये है कि बरज़ख़ उस आ़लम का नाम है जिसमें दुनिया से इंसान ज़िन्दगी मुन्क़तअ़ करके इब्तिदाए दारे आख़िरत में पहुँच जाता है। पस दुनियावी ज़िन्दगी के इन्क़िताअ़ के बाद वो पहला जज़ा और सज़ा का घर है फिर क़यामत के दिन हर नफ़्स को उसका पूरा-पूरा बदला जन्नत या जहन्नम की शक्ल में दिया जाएगा और बरज़ख़ के अ़ज़ाब व षवाब को क़ब्र की तरफ़ इसलिये मन्सूब किया गया है कि इंसान उसी के अंदर दाख़िल होता है और इसलिये भी कि ज़्यादातर मरने वाले क़ब्र ही में दाख़िल किये जाते हैं वरना काफ़िर और गुनाहगार जिनको अल्लाह अ़जाब करना चाहे इस सूरत में भी वो अ़ज़ाब कर सकता है कि वो दफ़न न किये जाएँ। ये अ़ज़ाब मख़्लूक़ से पर्दा में होता है। (इल्ला मनशाअल्लाह)

और ये भी कहा गया है कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि क़ब्र उसी जगह का नाम है जहाँ मय्यत का ज़मीन में मकान बने और इसमें कोई शक नहीं कि मरने के बाद इंसान का आख़िरी मकान ज़मीन ही है। जैसा कि कुर्आन मजीद में है कि हमने तुम्हारे लिये ज़मीन को ज़िन्दगी और मौत हर हाल में ठिकाना बनाया है। वो ज़िन्दा और मुर्दा सबको जमा करती है और सबको शामिल है पस मय्यत डूबने वाले की हो या जलने वाले की या हैवानों के पेट में जाने वाले की ख़्वाह ज़मीन के भेड़ियों के पेट में जाए या हवा में परिन्दों के पेट में या दरिया में मछलियों के पेट में, सबका नतीजा मिट्टी में मिलना है और जान लो कि किताब व सुन्नत के ज़ाहिर दलाइल की बिना पर अ़ज़ाबे क़ब्र बरहक़ है जिस पर तमाम अहले इस्लाम का इज्माअ़ है और इस बारे में इस क़दर तवातुर के साथ अहादीष मरवी हैं कि अगर उनको भी सहीह न तस्लीम करें तो दीन का फिर कोई भी अम्र सहीह नहीं क़रार दिया जा सकता। मज़ीद तफ़्सील के लिये किताबुर्रूह अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम का मुतालआ़ कीजिए।

बाब 88 : ग़ीबत और पेशाब की आलूदगी से क़ब्र का अ़ज़ाब होना

٨٨- بَابُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغِيبَةِ وَالْبَولِ

1378. हमसे कुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे आ'मश ने, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताऊस ने कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का गुज़र दो क़ब्रों पर हुआ। आपने फ़र्माया कि उन दोनों के मुर्दों पर अ़ज़ाब हो रहा है और ये भी नहीं कि किसी बड़ी अहम बात पर हो रहा है। फिर आप ने फ़र्माया कि हाँ! उनमें एक शख़्स तो चुग़लख़ोरी किया करता था और दूसरा पेशाब से बचने के लिये एहतियात नहीं करता था। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर आप (ﷺ) ने एक हरी टहनी ली और उसके दो टुकड़े करके दोनों क़ब्रों पर गाड़ दिया और फ़र्माया कि शायद जब तक ये ख़ुश्क न हों इन पर अ़ज़ाब कम हो जाए। (राजेअ़ : 216)

١٣٧٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَولِهِ)). قَالَ: ((ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا)).

[راجع: ٢١٦]

तश्रीह : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह) फ़र्माते हैं, क़ालज़्ज़ीनुब्नुल्मुनीर अल्मुरादु बितख़सीसि हाज़ैनिल्अम्रैनि बिज़्ज़िक्रि तअ़ज़ीमु अम्रिहिमा ला नफ़्युल्हुक्मि अ़म्मा अ़दाहुमा फ़अ़ला हाज़ा ला यल्ज़िमु मिन ज़िक्रिहिमा हस्रू अ़ज़ाबिक़ब्रि फ़ीहिमा लाकिन्नज़्ज़ाहिर मिनल्इक्तिसारि अ़ला ज़िक्रिहिमा अन्नहुमा अम्कन फ़ी ज़ालिक मिन ग़ैरिहिमा व क़द रवा अस्हाबुस्सुननि मिन हदीषि अबी हुरैरत इस्तन्जहू मिनल्बौलि

फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल्क़ब्रि मिन्हु षुम्म औरदल्मुसन्निफ़ु हदीष इब्न अब्बासिन फी क़िस्सतिल्क़ब्रैनि व लैस फ़ीहि लिल्ग़ैबति ज़करू इन्नमा वरद बिलफ़्ज़िन्नमीमति व क़द तक़द्दमल्कलामु अलैहि मुस्तौफ़ा फ़ित्तहारति (फ़त्हुल बारी)

या'नी ज़ैन बिन मुनीरी ने कहा कि बाब में सिर्फ़ दो चीज़ों का ज़िक्र उनकी अहमियत के पेशे–नज़र किया गया है उसके अलावा दूसरे गुनाहों की नफ़ी मुराद नहीं। पस उनके जिक्र से ये लाज़िम नहीं आता कि अज़ाबे क़ब्र उन ही दो गुनाहों पर मुन्हसिर है। यहाँ उनके ज़िक्र पर किफ़ायत करना इशारा है कि उनके इर्तिकाब करने पर अज़ाब का होना ज़्यादा मुम्किन है। हदीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) के लफ़्ज़ ये हैं कि पैशाब से पाकी हासिल करो क्योंकि आम तौर पर अज़ाबे क़ब्र उस से होता है। बाब के बाद मुसन्निफ़ (रह.) ने यहाँ हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) से दो क़ब्रों का क़िस्सा नक़ल किया। उसमें ग़ीबत का लफ़्ज़ नहीं है बल्कि चुग़लख़ोर का लफ़्ज़ वारिद हुआ है। मज़ीद वज़ाहत किताबुत्तहारत में गुज़र चुकी है।

ग़ीबत और चुग़ली क़रीब क़रीब एक ही क़िस्म की गुनाह हैं इसलिये दोनों अज़ाबे क़ब्र के अस्बाब हैं।

बाब 89 : मुर्दे को दोनों वक़्त सुबह और शाम उसका ठिकाना बतलाया जाता है

٨٩- بَابُ الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

1379. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने ये हदीष बयान की, उन्होंने कहा कि हमसे नाफ़ेअ ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब तुम में से कोई शख़्स मर जाता है तो उसका ठिकाना सुबह व शाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत वालों में और दोज़ख़ी है तो दोज़ख़ वालों में। फिर कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझको उठाएगा। (दीगर मक़ाम : 3240, 6515)

١٣٧٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[طرفاه في : ٣٢٤٠، ٦٥١٥].

तश्रीह : मतलब ये है कि अगर जन्नती है तो सुबह शाम उस पर जन्नत पेश करके उसको तसल्ली दी जाती है कि जब तू इस क़ब्र से उठेगा तो तेरा आख़िरी ठिकाना ये जन्नत होगी और इसी तरह दोज़ख़ी को जहन्नम दिखलाई जाती है कि वो अपने आख़िरी अंजाम को देख ले। मुम्किन है कि ये अर्ज़ करना सिर्फ़ रूह पर हुआ और ये भी मुम्किन है कि रूह और जिस्म दोनों पर हो। सुबह व शाम से उनके औक़ात मुराद हैं जबकि आलमे बरज़ख़ में उनके लिये न सुबह का वजूद है और न शाम का **व यहतमिलु अंय्युक़ाल अन्न फ़ाइदतल्अर्ज़ि फ़ी हक़्क़िहिम तब्शीरन अर्वाहहुम बिइस्तिक्रारिहा फिल्जन्नति मुक़्तरिनतन बिअज्सादिहा** (फ़त्ह) या'नी इस पेश करने का फ़ायदा मोमिन के लिये उनके हक़ में उनकी रूहों को ये बशारत देना कि उनका आख़िरी ठिकाना-ए-क़रार उनके जिस्मों समेत जन्नत है। इसी तरह दोज़ख़ियों को डराना कि उनका आख़िरी ठिकाना उनके जिस्मों समेत दोज़ख़ है। क़ब्र में अज़ाब व षवाब की सूरत ये भी है कि जन्नती के लिये जन्नत की तरफ़ एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे उसको जन्नत की तरोताज़गी हासिल होती रहती है और जहन्नमी के लिये जहन्नम की तरफ़ एक खिड़की खोल दी जाती है जिससे उसको जहन्नम की गर्म–गर्म हवाएँ पहुँचती रहती है। सुबह व शाम उन ही खिड़कियों से उनको जन्नत और जहन्नम के कामिल नज़ारे कराए जाते हैं। या अल्लाह! अपने फ़ज़्लो–करम से नाशिर बुख़ारी शरीफ़ मुतर्जिम उर्दू व हिन्दी को उसके वालिदैन व असातिज़ा व तमाम मुआविनीन किराम व शाएक़ीन इज़ाम को क़ब्र में जन्नत की तरफ़ से

तरोताज़गी नसीब फ़र्मा और क़यामत के दिन जन्नत में दाख़िल फ़र्माइया और दोज़ख़ से हम सबको महफ़ूज़ रखियो। आमीन!

बाब 90 : मय्यित का चारपाई पर बात करना

٩٠- بَابُ كَلاَمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْجَنَازَةِ

1380. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैष बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी सईद ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब जनाज़ा तैयार हो जाता है, फिर मर्द उसको अपनी गर्दनों पर उठा लेते हैं तो अगर वो मुर्दा नेक हो तो कहता है कि हाँ आगे ले चलो, मुझे बढ़ाए चलो और अगर नेक नहीं होता तो कहता है, हाय रे ख़राबी! मेरा जनाज़ा कहाँ ले जा रहे हो। इस आवाज़ को इन्सान के सिवा तमाम मख़्लूक़ सुनती है। अगर कहीं इन्सान सुन पाए तो बेहोश हो जाएँ।

(राजेअ़ : 1314)

١٣٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ)). [راجع: ١٣١٤]

तश्रीह : जनाज़ा उठाए जाते वक़्त अल्लाह पाक बरज़ख़ी ज़ुबान मय्यत को अ़ता कर देता है। जिसमें वो अगर जन्नती है तो जन्नत के शौक़ में कहता है कि मुझको जल्दी-जल्दी ले चलो ताकि जल्द अपनी मुराद को ह़ासिल करूँ और अगर वो जहन्नमी है तो वो घबराकर कहता है कि हाय मुझे कहाँ लिये जा रहे हो। उस वक़्त अल्लाह पाक उनको इस त़ौर पर मख़्फ़ी (पोशीदा, गुप्त) त़रीक़े से बोलने की त़ाक़त देता है और उस आवाज़ को इंसान और जिन्न के अ़लावा तमाम मख़्लूक़ात सुनती है।

इस ह़दीष़ से सिमाअ़े-मौता पर कुछ लोगों ने दलील पकड़ी है जो बिल्कुल ग़लत़ है। क़ुर्आन मजीद में साफ़ सिमाअ़े मौता की नफ़ी मौजूद है। **इन्नक ला तुस्मिउल मौता** (अन् नम्ल : 80) अगर मरनेवाले हमारी आवाज़ें सुन पाते तो उनको मय्यत ही न कहा जाता। इसीलिये तमाम अइम्म-ए-हुदा ने सिमाअ़े मौता का इंकार किया है। जो लोग सिमाअ़े मौता के क़ायल हैं उनके दलाइल बिल्कुल बेवज़न हैं। दूसरे मक़ाम पर उसका तफ़्सीली बयान होगा।

बाब 91 : मुसलमानों की नाबालिग़ औलाद कहाँ रहेगी?

٩١- بَابُ مَا قِيْلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ

और ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया कि जिस के तीन नाबालिग़ बच्चे मर जाएँ तो ये बच्चे उसके लिये दोज़ख़ से रोक बन जाएँगे या ये कहा कि वो जन्नत में दाख़िल होगा।

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

1381. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे इस्माईल बिन उलय्या ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन सुहैब ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस मुसलमान के भी तीन नाबालिग़ बच्चे मर जाएँ तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व रहमत से जो उन बच्चों पर करेगा, उनको बहिश्त में ले जाएगा। (राजेअ : 1238)

١٣٨١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)). [راجع: ١٢٤٨]

तश्रीह : बाब मुनअ़क़िद करने और इस पर ह़दीषे अबू हुरैरह (रज़ि.) लाने से इमाम बुख़ारी (रह) का मक़्सद साफ़ ज़ाहिर है कि मुसलमानों की औलाद जो नाबालिग़ी में मर जाए वो जन्नती है, तब ही तो वो अपने वालिदैन के लिये दोज़ख़ से रोक बन सकेंगे। अकषर उ़लम-ए-किराम का यही क़ौल है और इमाम अहमद (रह.) ने हज़रत अ़ली (रज़ि.) से रिवायत किया है कि मुसलमानों की औलाद जन्नत में होगी।

फिर आपने ये आयत पढ़ी, **वल्लज़ील आमनू वत्तबअ़तुम ज़ुरिय्यतहुम** (अत् तूर: 21) जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी उनकी इत्तिबाअ़ की मैं उनकी औलाद को उनके साथ जन्नत में जमा कर दूंगा। **क़ालन्नववी अज्मअ़ मंय्युअतद्द बिही मिन उलमाइल्मुस्लिमीन अ़ला इन्न मम्मात मिन अत्फ़ालिल्मुस्लिमीन फ़हुव अहलिल्जन्नति व तवक़्क़फ़ बअ़ज़ुहुम अल्हदीषु लिआइशत यअ़नी अल्लज़ी अख़रजहू मुस्लिम बिलफ़्ज़ि तुवफ़्फ़िय सबिय्युन मिनल्अन्सारि फ़क़ुल्तु तूबा लहू लम यअ़लम सूअन व लम युदरिकहु फ़क़ालन्नबिय्यु और गैर ज़ालिक या आइशतु इन्नल्लाह ख़लक़ लिल्जन्नति अहलन अल्हदीष क़ाल वल्जवाब अन्हु अन्नहू लअ़ल्लहू नहाहा अनिल्मुसारअति इलल्क़त्इ मिन गैरि दलीलिन औ क़ाल ज़ालिक क़ब्ल अंय्युअलम अन्न अल्फ़ालल्मुस्लिमीन फ़िल्जन्नति** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इमाम नववी (रह.) ने कहा कि उ़लम-ए-किराम की एक बड़ी ता'दाद का इस पर इज्माअ़ है कि जो मुसलमान बच्चा इंतिक़ाल कर जाए वो जन्नती है और कुछ उ़लमा ने इस पर तवक़्क़ुफ़ भी किया है। जिनकी दलील ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) वाली ह़दीष़ है जिसे मुस्लिम ने रिवायत किया है कि अंसार के एक बच्चे का इंतिक़ाल हो गया था, मैंने कहा कि उसके लिये मुबारक हो उस बच्चे ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया या ये कि किसी बुरे काम ने उसको नहीं पाया। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया कि ऐ आइशा (रज़ि.)! क्या इस ख़्याल के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह ने जन्नत के लिये भी एक मख़्लूक़ को पैदा फ़र्माया है और जहन्नम के लिये भी। इस शुब्हा का जवाब ये दिया गया है कि शायद बग़ैर दलील के आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रते आइशा (रजि) को उसके बारे में कोई क़त्अ़ी इल्म नहीं दिया गया था। बाद में आपको अल्लाह पाक ने बतला दिया कि मुसलमानों की औलाद यक़ीनन जन्नती होगी।

1382. हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे अ़दी बिन ष़ाबित ने बयान किया, उन्होंने बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि जब इब्राहीम (आँह़ज़रत (ﷺ) के स़ाहबज़ादे) का इन्तिक़ाल हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बहिश्त में उनके लिये एक दूध पिलाने वाली है।

(दीगर मक़ाम : 3255, 6190)

١٣٨٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)).

[طرفاه في : ٣٢٥٥، ٦١٩٥].

इस हदीष से भी षाबित हुआ कि मुसलमानों की औलाद जन्नत में दाख़िल होगी। आँहज़रत (ﷺ) के साहबज़ादे के लिये अल्लाह ने मज़ीद फ़ज़्ल फ़र्माया कि चूँकि आपने हालते रज़ाअत में इंतिक़ाल किया था लिहाज़ा अल्लाह पाक ने उनको दूध पिलाने के लिये जन्नत में एक आया को मुक़र्रर फ़र्मा दिया। **अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिव्वं अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम**

ख़ातिमा

अल्हम्दुलिल्लाहि वल मन्नह कि रात और दिन की सफ़र व हज़र की मुतवातिर मेहनत के नतीजे में आज इस पाक व मुक़द्दस किताब के पाँचवें पारे के तर्जुमे व तशरीहात से फ़रागत हासिल हुई। इस ख़िदमत के लिये जिस क़दर मेहनत की गई उसे अल्लाह पाक ही जानता है। ये महज़ उसका करम है कि उसने इस मेहनते शाक़्क़ा (कड़ी मेहनत) की तौफ़ीक़ अता फ़र्माई और इस अज़ीम ख़िदमत को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी जुबान में ताक़त नहीं कि मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्र अदा कर सकूँ। अल्लाह पाक इसे क़ुबूल करे और क़ुबूले आम अता करे और जहाँ कहीं भी मुझसे कोई लग़्ज़िश हुई हो या कलामे रसूल (ﷺ) की असल मंशा के ख़िलाफ़ कहीं कोई लफ़्ज़ दर्ज हो गया हो, तो अल्लाह पाक उसे मुआफ़ कर दे। मैंने अपनी दानिस्त में इस अम्र की पूरी-पूरी सई (कोशिश) की है कि किसी जगह भी अल्लाह और उसके हबीब (ﷺ) की मंशा के ख़िलाफ़ तर्जुमा व तशरीह में कोई लफ़्ज़ न आने पाए फिर भी हक़ीर नाचीज़ जुलूम व जुहूले मुअतरिफ़ हूँ कि अल्लाह जाने कहाँ कहाँ मेरे क़लम को लग़्ज़िश हुई होगी। लिहाज़ा यही कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी क़लमी लग़्ज़िशों को मुआफ़ कर दे और मेरी निय्यत में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुलूस अता फ़र्माए।

मैंने ये भी ख़ास कोशिश की है कि इख़्तिलाफ़ी उमूर में मसालिके मुख़्तलिफ़ा की तफ़्सील में किसी भी आला और अदना बुज़ुर्ग, इमाम, मुहद्दिष, आलिम, फ़ाज़िल की शान में कोई गुस्ताख़ाना जुम्ला क़लम पर न आने पाए। अगर किसी जगह कोई ऐसा फ़िक़रा नज़र आए तो उम्मीद है कि उलमात इत्तिलाअ देकर शुक्रिया का मौक़ा देंगे और हर ग़लती को बनज़रे इस्लाह मुत्तालआ फ़र्माकर नज़रे षानी की तरफ़ रहनुमाई कराएँगे। मेरा मक़्सद सिर्फ़ कलामे रसूल (ﷺ) की ख़िदमत है जिससे कोई ग़र्ज़े फ़ासिद मक़्सूद नहीं है, फिर भी इंसान हूँ, ज़ईफ़ुल बुनियान हूँ, अपनी जुम्ला ग़लतियों का मुझको ए'तिराफ़ है। उन उलम-ए-किराम का बेहद मशकूर हूँगा जो मेरी इस्लाह फ़र्माकर मेरी दुआएँ हासिल करेंगे।

आख़िर में मैं अपने इन जुम्ला शाइक़ीने किराम का भी अज़्ख़ुद मशकूर हूँ जिनकी मसाई जमीला के नतीजे में ये ख़िदमत यहाँ तक पहुँची है। दुआ है कि अल्लाह पाक जुम्ला भाईयों को दारैन की नेअमतों से नवाज़े और इस ख़िदमत की तक्मील कराये। **व बिल्लाहित्तौफ़ीक़ि व हुव ख़ैरुर्रफ़ीक़ि वस्सलामु अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, आमीन!**

मुहम्मद दाऊद राज़ वल्द अब्दुल्लाह
रबी उल अव्वल 1389 हिजरी

नोट : अल्लामा दाऊद राज़ (रह.) ने 43 साल पहले पाँचवें पारे की तकमील पर ये अल्फ़ाज़ लिखे थे। वे आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। तमाम क़ारेईने किराम से गुज़ारिश है कि अपनी दुआओं में अल्लामा दाऊद राज़ (रह.) को याद रखें और उनके लिये दुआ-ए-मग्फ़िरत फ़र्माएं।

सहीह बुख़ारी के इस नुस्खे को उर्दू से हिन्दी में अनुवादित करते समय हमने पूरा एहतिमाम रखा है कि कलामे-रसूल (ﷺ) की ऐन मंशा को ज़र्ब (चोट) न पहुँचे। तमाम क़ारेईने किराम से गुज़ारिश है कि सहीह बुख़ारी के इस हिन्दी नुस्खे में अगर कोई ख़ामी नज़र आए तो इस्लाह की निय्यत से हमें ज़रूर इत्तिला दें, हम आपके मशकूर रहेंगे। आपसे यह भी इल्तिमास है कि अपनी दुआओं में उन तमाम हज़रात को शामिल करें जिनके तआवुन से सहीह बुख़ारी मुकम्मल हिन्दी आप तक पहुँची है। वस्सलाम,

सलीम ख़िलजी
(हिन्दी अनुवादक) शाबान 1432 हिजरी

6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

छठा पारा

बाब 92 : मुश्रिकीन की नाबालिग़ औलाद का बयान

٩٢- بَابُ مَا قِيْلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ

हाफ़िज इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **हाज़िहित्तर्जुमतु तुश्इरू अयज़न बिअन्नहू कान मुतवक्किफ़न फ़ी ज़ालिक व कद जज़मा बअद हाज़ा फ़ी तफ़्सीरि सूरतिरूम बिमा यदुल्लु अला इख़्तियारिल्कौलिस्साइरि इला अन्नहुम फिल्जन्नति कमा सयाती तहरीरूहू व क़द रत्तब अयजन अहादीषु हाजल बाबि तर्तीबन युशीरु इलल्मज़हबिल्मुख़तारि फ़इन्नहू सदरहू बिल्हदीषिद्दाल्लि अलत्तवक्कुफ़ि षुम्म षना बिल्हदीषिल्मुरज्जहि लिकौनिहिम फ़िल्जन्नति बिल्हदीषिल्मुसर्रिहि बिज़ालिक फइन्नहू क़ौलहू फ़ी सियाकिहि अम्मस्सिब्यानु हौलहू फऔलादुन्नासि क़द अख़्रजहू फ़ित्तअबीरि बिलफ़्ज़ि अम्मल्विल्दानुल्लज़ीन हौलहू फकुल्लु मौलूदिन यूलद अलल्फ़ित्रति फ़क़ाल बअ़जुल्मुस्लिमीन व औलादुल्मुश्रिकीन फ़क़ाल औलादुल्मुश्रिकीन व युअय्यिदुहू मा रवाहु अबू यअ़ला मिन हदीषि अनसिन मर्फ़ूअ़न सअलतु रब्बी अल्लाहीन फ़ी ज़ुर्रियतिल्बशरि अंल्ला युअज़्ज़िबहुम फअ़ातानीहिम इस्नादुहू हसनुन** (फ़त्हुल बारी जुज़्उःसादिस, पेज 01)

क़ाल इब्नुल्क़य्यिम लैसल्मुरादु बिक़ौलिही यूलदु अलल्फ़ित्रति अन्नहू खरज मिन बत्नि उम्मिही यअलमुद्दीन लिअन्नल्लाह यक़ूलु अल्लाहु अख़्रजकुम मिम्बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वला किन्नल्मुराद अल्फ़ित्रतु मुक़्तज़ीहि लिमअ़रिफ़ति दीनिल्इस्लामि व महब्बतुहू फनफ़्सुल्फ़ित्रति लिज़ालिक लिअन्नहू ला यतगय्यरु बितहवीदिल्अबवैनि मषलन युख़र्रिजानिल्फ़ित्रत अनिल्कुबूलि व इन्नमल्मुरादु इन्न कुल्ल मौलूदिन यूलदु अला इक्रारिही बिर्रूबूबिय्यति फलौ खला व अदमुल्मुआ़रिज़ि लम यअ़दिल अन ज़ालिक इला गैरिही कमा अन्नहू यूलदु अला महब्बतिन मा युलाइमु बदनुहू मिन इर्तिज़ाल्लबनि हत्ता युसर्रिफ अन्हुस्सारिफ़ु मिन षम्म शुब्बिहतिल्फ़ित्रतु बिल्लबनि बल कानत इय्याहु फ़ी तावीलिर्रूया वल्लाहु आलम (फ़त्हुल बारी, जिल्द 6, पेज 3)

मुख़्तसर मतलब ये है कि ये बाब ही ज़ाहिर कर रहा है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) इस बारे में मुतवक़्क़िफ़ थे। उसके बाद सूरह रूम में आपने इसी ख़्याल पर जज़्म किया है कि वो जन्नती हैं। यहाँ भी आपने अहादीष को उसी तर्ज़ पर मुरत्तब किया है जो मज़हबे मुख़्तार की तरफ़ रहनुमाई कर रही है। पहली हदीष तो तवक़्क़ुफ़ पर दाल है। दूसरी हदीष से ज़ाहिर है कि उनके जन्नती होने की तर्जीह हासिल है। तीसरी हदीष में उसी ख़्याल की मज़ीद सराहत मौजूद है जैसा लफ़्ज़ **'अम्मस्सिबयान फ़औलादुन्नासि'** से ज़ाहिर है। उसी को किताबुत्तअबीर में लफ़्ज़ों में निकाला है लेकिन बच्चे जो उस बुज़ुर्ग के आसपास नज़र आए पस हर बच्चा भी फ़ित्रत पर पैदा होता है। कुछ ने कहा कि वो मुसलमानों की औलादें थीं, उसकी ताईद अबू यअ़ला की रिवायत से भी होती है कि मैंने औलादे आदम में बेख़बरों की बख़्शिश का सवाल किया तो अल्लाह ने मुझे उन सबको अ़ता फ़र्मा दिया।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने फ़र्माया कि हदीष **कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल्फ़ित्रति** से मुराद ये नहीं कि हर बच्चा

दीन का इल्म ह़ासिल करके पैदा होता है। अल्लाह ने ख़ुद क़ुर्आन पाक में फ़र्माया है कि तुमको अल्लाह ने माँओं के पेट से इस ह़ाल में पैदा किया कि तुम कुछ न जानते थे। लेकिन मुराद ये है कि बच्चे की फ़ित़रत इस बात की मुक़्तज़ा है कि वो दीने इस्लाम की मअ़रिफ़त और मुह़ब्बत ह़ासिल कर सके। पस नफ़्से फ़ित़रत इक़रार और मुह़ब्बत को लाज़िम है ख़ाली क़ुबूले फ़ित़रत मुराद नहीं। बईं त़ौर पर कि वो माँ–बाप के डराने–धमकाने से मुतग़य्यर नहीं हो सकती। पस मुराद यही है कि हर बच्चा इक़रारे रुबूबियत पर पैदा होता है पस अगर वो ख़ाली ज़हन ही रहे और कोई मुआरिज़ा उसके सामने न आए तो वो इस ख़्याल से नहीं हट सकेगा। जैसा कि वो अपनी माँ की छातियों से दूध पीने की मुह़ब्बत पर पैदा हुआ है यहाँ तक कि कोई हटानेवाला भी उसे उस मुह़ब्बत से हटा नहीं सकता। इसलिये फ़ित़रत को दूध से तश्बीह दी गई है बल्कि ख़्वाब में भी उसकी ता'बीर यही है।

1383. हमसे ह़िब्बान बिन मूसा मरवज़ी ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें शुअ़बा ने ख़बर दी, उन्हें अबू बिश्र जा'फ़र ने, उन्हें सईद बिन जुबैर ने, उनको इब्ने अ़ब्बास (रज़ि) ने कि नबी करीम (ﷺ) से मुश्रिकों की नाबालिग़ बच्चों के बारे में पूछा गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला ने जब उन्हें पैदा किया था उसी वक़्त वो ख़ूब जानता था कि ये क्या अ़मल करेंगे।

(दीगम मक़ाम : 6097)

١٣٨٣- حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ، فَقَالَ: ((اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ)).

[طرفه في : ٦٥٩٧].

तश्रीह : मत़लब ये है कि अल्लाह तआ़ला उनसे अपने इल्म के मुवाफ़िक़ (अनुरूप) सुलूक करेगा। बज़ाहिर ये ह़दीष़ इस मज़हब की ताईद करती है कि मुश्रिकों की औलाद के बारे में तवक़्क़ुफ़ करना चाहिये। इमाम अह़मद और इस्ह़ाक़ और अकष़र अहले इल्म का यही क़ौल है और बैहक़ी ने इमाम शाफ़िई से भी ऐसा ही नक़ल किया है। उसूलन भी ये कि नाबालिग़ बच्चे शरअ़न ग़ैर मुकल्लफ़ हैं, फिर भी इस बह़ष़ का उ़म्दा अ़मल ये है कि वो अल्लाह के ह़वाले है जो ख़ूब जानता है कि वो जन्नती हैं या जहन्नमी। मोमिनीन की औलाद तो बहिश्ती है लेकिन काफ़िरों की औलाद में जो नाबालिग़ी की ह़ालत में मर जाएँ बहुत इख़्तिलाफ़ है। इमाम बुख़ारी (रह.) का मज़हब ये है कि वो बहिश्ती हैं क्योंकि बग़ैर गुनाह के अ़ज़ाब नहीं हो सकता और वो मा'सूम मरे हैं। कुछ ने कहा अल्लाह को इख़्तियार है और उसकी मशिय्यत पर मौक़ूफ़ (इच्छा पर आधारित) है चाहे बहिश्त में ले जाए, चाहे दोज़ख़ में। कुछ ने कहा अपने माँ–बाप के साथ वो भी दोज़ख़ मे रहेंगे। कुछ ने कहा खाक हो जाएँगे। कुछ ने कहा अअ़राफ़ में रहेंगे। कुछ ने कहा उनका इम्तिह़ान किया जाएगा। वल्लाहु आलम (वह़ीदी)

1384. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ़ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे अ़त़ा बिन यज़ीद लैष़ी ने ख़बर दी, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुश्रिकों के नाबालिग़ बच्चों के बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया कि अल्लाह ख़ूब जानता है जो भी वो अ़मल करने वाले होंगे।

(दीगर मक़ाम : 6597, 6600)

١٣٨٤- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: ((اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ)).[طرفاه في : ٦٥٩٨، ٦٦٠٠].

तश्रीह : अगर उसके इल्म में ये है कि वो बड़े होकर अच्छे काम करने वाले थे तो बहिश्त में जाएँगे वरना दोज़ख़ में। बज़ाहिर ये ह़दीष़ मुश्किल है क्योंकि उसके इल्म में जो होता है वो ज़रूर ज़ाहिर होता है। तो उसके इल्म में तो यही था कि वो बचपन में ही मर जाएँगे। उस इश्काल (अनुमान) का जवाब ये है कि क़त़ई बात तो यही थी कि वो बचपन में ही मर जाएँगे

और परवरदिगार को उसका इल्म बेशक था मगर उसके साथ परवरदिगार ये भी जानता था कि अगर ये जिन्दा रहते तो नेकबख़्त होते या बदबख़्त। वल इल्मु इन्दल्लाह!

1385. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी ज़िब ने, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया हर बच्चे की पैदाइश फ़ित़रत पर होती है फिर उसके माँ-बाप उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जानवर के बच्चे सहीह सालिम होते हैं। क्या तुमने (पैदाइशी तौर पर) कोई उनके जिस्म का हिस्सा कटा हुआ देखा है? (राजेअ़ : 1358)

١٣٨٥- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ ، هَلْ تَرَى فِيْهَا جَدْعَاءَ؟)). [راجع: ١٣٥٨]

तश्रीह : मगर बाद में लोग उनके कान वग़ैरह काटकर उनको ऐबदार कर देते हैं। इस ह़दीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने अपना मज़हब ष़ाबित किया कि जब हर बच्चा इस्लाम की फ़ित़रत पर पैदा होता है तो अगर वो बचपन ही में मर जाए तो इस्लाम पर मरेगा और जब इस्लाम पर मरा तो जन्नती होगा। इस्लाम में सबसे बड़ा जुज़ तौहीद है तो हर बच्चे के दिल में अल्लाह की मअ़रिफ़त और उसकी तौहीद की क़ाबिलियत होती है। अगर बुरी सोहबत में न रहे तो ज़रूर वो मुवह्हिद हो लेकिन मुश्रिक माँ–बाप अ़ज़ीज़ व अक़रबा इस फ़ित़रत से उसका दिल फिराकर शिर्क में फंसा देते हैं। (वहीदी)

बाब : 93

٩٣- بَابٌ

तश्रीह : इस बाब के ज़ेल ह़ज़रत इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं :

कज़ा ष़बत लिजमीइहिम इल्ला लिअब्बीज़र्रिन व हुव कल्फस्लि मिनल्बाबिल्लज़ी क़ब्लहू व तअ़ल्लुकल्हदीषि बिहीज़ाहिरुन मिन क़ौलिही फ़ी हदीषि समुरतिल्मज़्कूर वश्शैखु फ़ी अस्लिश्शजरति इब्राहीम वस्सिब्यानु हौलहू औलादुन्नासि व क़द तक़द्दमत्तम्बीहु अ़ला अन्नहू वरदहू फित्तअबीरि बिज़ियादतिन क़ालू व औलादुल्मुश्रिकीन फ़क़ाल औलादुल्मुश्रिकीन सयाती अल्कलामु अ़ला बक़िय्यतिल्हदीषि मुस्तौफ़न फ़ी किताबित्तअ़बीरि इन्शाअल्लाहु तआ़ला. (फ़त्हुल बारी, जिल्द नं. : 1, पेज नं. 3)

या'नी तमाम नुस्ख़ों में (बजुज़ अबू ज़र के) ये बाब इसी त़रह दर्ज है और गोया पिछले बाब से फ़स्ल के लिये है और ह़दीष़ का ता'ल्लुक़ समुरा मज़्कूर की रिवायत में लफ़्ज़ **वश्शैखु फ़ी अस्लिश्शजरति इब्राहीम वस्सिब्यानु हौलहू औलादुन्नासि** से ज़ाहिर है और पीछे कहा जा चुका है कि ह़ज़रत इमाम ने उसे किताबुत्तअ़बीर में इन लफ़्ज़ों की ज़्यादती के साथ रिवायत किया है कि क्या मुश्रिकों की औलाद के लिये भी यही हुक्म है। फ़र्माया, हाँ! औलादे मुश्रिकीन के लिये भी और पूरी तफ़्सीलात का बयान किताबुत्तअ़बीर में आएगा। (वहीदी)

ये ह़क़ीक़त मुसल्लम है कि अंबिया के ख़्वाब भी वह्य और इल्हाम के दर्जे में होते हैं, इस लिहाज़ से आँह़ज़रत (ﷺ) का अगरचे ये एक ख़्वाब है मगर उसमें जो कुछ आपने देखा वो बिलकुल बरहक़ है जिसका इख़्तिसार (सारांश) ये है कि पहला आपने वो शख़्स देखा जिसके जबड़े दोज़ख़ी आँकड़ों से चीरे जा रहे थे। ये वो शख़्स है जो दुनिया में झूठ बोलता और झूठी बातों को फैलाता रहता है। दूसरा शख़्स आपने वो देखा जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। ये वो है जो दुनिया में क़ुर्आन का आ़लिम था मगर अ़मल से बिलकुल ख़ाली रहा और क़ुर्आन पर न रात को अ़मल किया न दिन को, क़यामत तक उसको यही अ़ज़ाब होता रहेगा। तीसरा आपने तन्नूर की शक्ल में दोज़ख़ का एक गढ़ा देखा जिसमें बदकार मर्द व औरत जल रहे थे। चौथा आपने एक नहर में ग़र्क़ आदमी को देखा जो निकलना चाहता था मगर फ़रिश्ता उसको मार–मारकर वापस उसी नहर में डुबो रहा था। ये वो शख़्स था जो दुनिया में सूद खाता था और पेड़ की जड़ में बैठने वाले बुज़ुर्ग ह़ज़रत सय्यदना ख़लीलुल्लाह

इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और आपके आसपास वो मा'सूम बच्चे जो बचपन ही में इंतिक़ाल कर गए। वो बच्चे मुसलमानों के हों या दीगर क़ौमों के।

ये तमाम चीज़ें आँहज़रत (ﷺ) को आलमें रूया में दिखलाई गईं और आपने अपनी उम्मत की हिदायत व इबरत के लिये उनको बयान कर दिया। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इससे षाबित फ़र्माया कि मुश्रिकीन की औलाद जो बचपन में इंतिक़ाल कर जाए जन्नती है। लेकिन दूसरी रिवायात की बुनियाद पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आख़िरी बात यही है कि अगर वो रहते तो जो कुछ वो करते अल्लाह को ख़ूब मा'लूम है। पस अल्लाह पाक मुख़्तार है वो जो मुआमला चाहे उनके साथ करे। हाँ! मुसलमानों की नाबालिग़ औलाद यक़ीनन सब जन्नती हैं जैसाकि अनेक दलीलों से षाबित है।

1386. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू रजाअ इमरान बिन तमीम ने बयान बयान किया और उनसे समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़े (फ़ज्र) पढ़ने के बाद (उमूमन) हमारी तरफ़ मुँह करके बैठ जाते और पूछते कि आज रात किसी ने कोई ख़्वाब देखा हो तो बयान करो। रावी ने कहा कि अगर किसी ने कोई ख़्वाब देखा होता तो उसे वो बयान कर देता और आप उसकी ता'बीर अल्लाह को जो मंज़ूर होती बयान फ़र्माते। एक दिन आपने मा'मूल के मुताबिक़ हमसे दरयाफ़्त फ़र्माया क्या आज रात किसी ने तुममें कोई ख़्वाब देखा है? हमने अर्ज़ किया कि किसी ने नहीं देखा। आपने फ़र्माया लेकिन मैंने आज रात एक ख़्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए। उन्होंने मेरे हाथ थाम लिये और वो मुझे अर्ज़े-मुक़द्दस की तरफ़ ले गये। (और वहाँ से आलमे-बाला की मुझको सैर करवाई) वहाँ क्या देखता हूँ कि एक शख़्स तो बैठा हुआ है और एक शख़्स खड़ा है और उसके हाथ में (इमाम बुख़ारी ने कहा कि) हमारे बाज़ अस्हाब ने (ग़ालिबन अब्बास बिन फ़ुज़ैल अस्क़ाती ने मूसा बिन इस्माईल से ये रिवायत किया है) लोहे का आँकस था जिसे वो बैठने वाले के जबड़े में डालकर उसके सर के पीछे तक चीर देता फिर दूसरे जबड़े के साथ भी इसी तरह करता था। इस दौरान में उसका पहला जबड़ा सहीह और अपनी असल हालत पर आ जाता और फिर पहले की तरह वो उसे दोबारा चीरता। मैंने पूछा कि ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ के दोनों आदमियों ने कहा कि आगे चलो। चुनाँचे हम आगे बढ़े तो एक ऐसे शख़्स के पास आए जो सर के बल लेटा हुआ

١٣٨٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟)) قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ: ((مَا شَاءَ اللهُ)). فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: ((هَلْ رَأَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رُؤْيَا؟)) قُلْنَا: لاَ. قَالَ: ((لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخَذَا بِيَدِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ - قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ - حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ

था और दूसरा शख़्स एक बड़ा सा पत्थर लिये उसके सर पर खड़ा था। उस पत्थर से वो लेटे हुए शख़्स के सर को कुचल देता था। जब वो उसके सर पर पत्थर मारता तो सर पर लग कर वो पत्थर दूर चला जाता और वो उसे जाकर उठा लाता। अभी पत्थर लेकर वापस भी नहीं आता था कि सर दोबारा दुरुस्त हो जाता। बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। वापस आकर वो फिर उसे मारता। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन दोनों ने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनाँचे हम आगे बढ़े तो एक तन्नूर जैसे गढ्ढे की तरफ़ चले। जिसके ऊपर का हिस्सा तो तंग था लेकिन नीचे से खूब फ़राख़। नीचे आग भड़क रही थी। जब आग के शोले भड़क कर ऊपर उठते तो उसमें जलने वाले लोग भी ऊपर उठ आते और ऐसा मा'लूम होता कि अब वो बाहर निकल जाएँगे, लेकिन जब शोले दब जाते तो वो लोग भी नीचे चले जाते। इस तन्नूर में नंगे मर्द और औरतें थीं। मैंने इस मौक़े पर भी पूछा कि ये क्या है? लेकिन इस मर्तबा भी जवाब यही मिला कि अभी और आगे चलो, हम आगे चले। अब हम ख़ून की एक नहर के ऊपर थे। नहर के अन्दर एक शख़्स खड़ा था और उसके बीच में (यज़ीद बिन हारून और वुहैब बिन जरीर ने हाज़िम के वास्ते से वस्तुन्नहर के बजाय शत्तउन्नहर, नहर के किनारे के अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं) एक शख़्स था। जिसके सामने पत्थर रखा हुआ था। नहर का आदमी जब बाहर निकलना चाहता तो पत्थर वाला शख़्स उसके मुँह पर इतनी ज़ोर से पत्थर मारता कि वो अपनी पहली जगह पर चला जाता और इसी तरह जब भी वो निकलने की कोशिश करता वो शख़्स उसके मुँह पर पत्थर उतनी ही ज़ोर से फिर मारता कि वो अपनी अस्ल जगह पर नहर में चला जाता। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि अभी और आगे चलो। चुनाँचे हम और आगे बढ़े और एक हरे-भरे बाग़ में आए। जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ की जड़ में एक बड़ी उमर वाले बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। पेड़ से क़रीब ही एक शख़्स अपनी आगे आग सुलगा रहा था। वो मेरे दोनों साथी मुझे लेकर उस पेड़ पर चढ़े। इस

الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبٍ مِثْلَ التَّنُّورِ أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ وَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ. فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ، عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ – قَالَ يَزِيدُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ: وَعَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ– فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالاَ: انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ، وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي إِلَى الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ وَ أَفْضَلَ مِنْهَا، فِيهَا رِجَالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ، ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَا بِي إِلَى الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلاَنِي دَارًا

هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ، فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ. فَقُلْتُ: طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالاَ: نَعَمْ. أَمَّا الَّذِيْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ، فَيُصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ. وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُو الرِّبَا. وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ. وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ. وَالدَّارُ الأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ. وَأَنَا جِبْرِيلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ. فَارْفَعْ رَأْسَكَ. فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالاَ : ذَاكَ مَنْزِلُكَ. فَقُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي. قَالاَ: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ)).

[راجع: ٨٤٥]

तरह वो मुझे एक ऐसे घर के अन्दर ले गये कि उससे ज़्यादा हसीन व ख़ूबसूरत और बाबरकत घर मैंने कभी नहीं देखा था। इस घर में बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे (सब ही क़िस्म के लोग) थे। मेरे साथी मुझे इस घर से निकाल कर फिर एक और पेड़ पर चढ़ाकर मुझे एक और दूसरे घर में ले गये जो निहायत ख़ूबसूरत और बेहतर था। उसमें भी बहुत से बूढ़े और जवान थे। मैंने अपने साथियों से कहा तुम लोग मुझे रातभर खूब सैर करवाई। क्या जो कुछ मैंने देखा उसकी तफ़्सील भी कुछ बताओगे? उन्होंने कहा हाँ! वो जो तुमने देखा था उस आदमी का जबड़ा लोहे के आँकस से फाड़ा जा रहा था वो झूठा आदमी था, जो झूठी बातें बयान करता था। उससे वो झूठी बातें दूसरे लोग सुनते। इस तरह एक झूठी बात दूर-दूर तक फैल जाया करती थी। उसे क़यामत तक यही अज़ाब होता रहेगा। जिस शख़्स को तुमने देखा कि उसका सर कुचला जा रहा था तो वो एक ऐसा इन्सान था जिसे अल्लाह तआला ने क़ुर्आन का इल्म दिया था लेकिन वो रात को पड़ा सोता रहता और दिन में उस पर अमल नहीं करता था। उसे भी ये अज़ाब क़यामत तक होता रहेगा और जिन्हें तुमने तन्नूर में देखा वो ज़िनाकार थे। और जिसको तुमने नहर में देखा वो सूद खाया करता था और वो बुज़ुर्ग जो पेड़ की जड़ में बैठे हुए थे, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्दगिर्द वाले बच्चे, लोगों की नाबालिग़ औलादें थी और जो शख़्स आग जला रहा था वो दोज़ख़ का दारोग़ा था और वो घर जिसमें तुम पहले दाख़िल हुए जन्नत में आम मोमिनों का घर था और ये घर जिसमें तुम अब खड़े हो, ये शहीदों का घर है और मैं जिब्रईल हूँ और ये मेरे साथ मीकाईल हैं। अच्छा अब अपना सर उठाओ। मैंने अपना सर उठाया तो क्या देखता हूँ कि मेरे ऊपर बादल की तरह कोई चीज़ है। मेरे साथियों ने कहा कि ये तुम्हारा मकान है। इस पर मैंने कहा कि फिर मुझे अपने मकान में जाने दो। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी उम्र बाक़ी है जो तुमने पूरी नहीं की, अगर आप वो पूरी कर लेते तो अपने मकान में आ जाते।

(राजेअ : 840)

बाब 94 : पीर के दिन मरने की फ़ज़ीलत

٩٤- بَابُ مَوتِ يَومِ الاِثْنَيْنِ

तश्रीह : जुम्आ के दिन की मौत की फ़ज़ीलत इसी तरह जुम्आ की रात में मरनेवाले की फ़ज़ीलत दूसरी अहादीष़ में आई है। पीर के दिन भी मौत के लिये बहुत अफ़ज़ल है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने उसी दिन वफ़ात पाई और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसी दिन की आरज़ू की मगर आपका इंतिक़ाल मंगल की शब में हुआ। (वहीदी)

1387. हमसे मुअल्ला बिन असद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उनके बाप ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि मैंने (वालिदे माजिद हज़रत) अबूबक्र (रज़ि.) की ख़िदमत में (उनकी मर्ज़ुलमौत में) हाज़िर हुई तो आपने पूछा कि नबी करीम (ﷺ) को तुम लोगों ने कितने कपड़ों में कफ़न दिया था? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि तीन सफ़ेद धुले हुए कपड़ों का, आपको कफ़न में क़मीज़ और अमामा नहीं दिया गया था। और अबूबक्र (रज़ि.) ने उनसे ये भी पूछा कि आपकी वफ़ात किस दिन हुई थी। उन्होंने जवाब दिया कि पीर के दिन। फिर पूछा कि आज कौनसा दिन है? उन्होंने कहा आज पीर का दिन है। आपने फ़र्माया कि मुझे भी उम्मीद है कि अब से रात तक में मैं भी रुख़्सत हो जाऊँ। उसके बाद आपने अपना कपड़ा दिखाया जिसे मर्ज़ के दौरान में पहन रहे थे। इस कपड़े पर ज़ा'फ़रान का धब्बा लगा हुआ था। आपने फ़र्माया मेरे इस कपड़े को धो लेना और इसके साथ दो और मिला लेना, फिर मुझे कफ़न उन्हीं का देना। मैंने कहा कि ये तो पुराना है। फ़र्माया कि ज़िन्दा आदमी नये का मुर्दे से ज़्यादा मुस्तहिक़ है, ये तो पीप और ख़ून की नज़र हो जाएगा फिर मंगल की रात का कुछ हिस्सा गुज़रने पर आपका इन्तक़ाल हुआ और सुबह होने से पहले आपको दफ़न किया गया।

١٣٨٧- حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا : فِي أَيِّ يَومٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ : يَومَ الإِثْنَيْنِ. قَالَ : فَأَيُّ يَومٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَومُ الإِثْنَيْنِ. قَالَ : أَرْجُو فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَى ثَوبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوبِي هَذَا وَزِيْدُوا عَلَيْهِ ثَوبَيْنِ فَكَفِّنُونِي فِيْهِمَا. قُلْتُ إِنَّ هَذَا خَلَقٌ. قَالَ: إِنَّ الْحَيَّ أَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ)).

तश्रीह : सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने पीर (सोमवार) के दिन मौत की आरज़ू की, उससे बाब का मतलब षाबित हुआ। हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) ने अपने कफ़न के लिये अपने रोज़मर्रा के कपड़ों को ही ज़्यादा पसंद फ़र्माया जिनमें आप रोज़ाना इबादते इलाही किया करते थे। आपकी साहबज़ादी हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जब आपका ये हाल देखा तो वो हाय-हाय करने लगीं मगर आपने फ़र्माया कि ऐसा न करो बल्कि इस आयत को पढ़ो **व जाअत सक्रतुल मौत बिलहक़्क़ि** या'नी आज सकरात मौत का वक़्त आ गया। हज़रत सिद्दीक़ (रज़ि.) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के लिये दफ़्तर भी नाकाफ़ी है।

अल्लामा इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **व रवा अबू दाऊद मिन हदीषि अलिय्यिन मर्फ़ूअन ला तग़ालू फ़िल्कफ़्नि फइन्नहू युस्लबू सरीअन व ला युआरिज़ुहू हदीषु जाबिरिन फ़िल्अम्रि बितहसीनिल्कफ़्नि अख़रजहू मुस्लिम फ़इन्नहू यज्मउ बैनहुमा बिहमलित्तहसीनि अलस्सिफ़ति व हमलिल्ग़ालाति अलष्षमनि व क़ील अत्तहसीनु फ़ी हक़्क़िल्मय्यति फइज़ा औसा बितर्किही उत्तुबिअ कमा फ़अलस्सिद्दीक़ु व यहतमिलु अंय्यकून इख़तार**

ज़ालिकष़्ष़ौब बिअयनिही लिमअना फ़ीहि मिनत्तबर्रुकि बिही लिकौनिही ग़ार इलैहि मिनन्नबिय्यि (ﷺ) औ लिकौनिही जाहद फीहि औ तअब्बद फीहि व युअय्यिदुहू मा रवाहु इब्नु सअदिन मिन तरीक़िल्क़ासिम इब्नु मुहम्मद इब्नु अबी बक्रिन क़ाल क़ाल अबू बक्र कफ्फ़िनूनी फ़ी ष़ौबयिल्लज़ैनि कुन्तु उस़ल्ली फ़ीहा. (फ़त्हुल बारी जिल्द 6, पेज 5) और अबू दाऊद ने ह़दीष़ अ़ली (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न रिवायत किया है कि **क़ीमती कपड़ा कफ़न में न दो, वो तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है।** ह़दीष़े जाबिर (रज़ि.) में उम्दा कफ़न देने का भी हुक्म आया है। उ़म्दा से मुराद स़ाफ़–सुथरा कपड़ा और क़ीमती से ज़्यादा क़ीमत का कपड़ा मुराद है। दोनों ह़दीष़ में यही तत़्बीक़ है और ये भी कहा गया है कि तह़सीन मय्यत के ह़क़ में है अगर वो छोड़ने की वस़िय्यत कर जाए तो उसकी इत्तिबा की जाएगी। जैसा कि ह़ज़रत स़िद्दीक़ (रज़ि.) ने किया। ये भी अंदाज़ा है कि ह़ज़रत स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने अपने उन कपड़ों को बत़ौरे तबर्रुक पसंद किया हो क्योंकि वो आपको नबी करीम (ﷺ) से ह़ासिल हुए थे या ये कि उनमें आपने बड़े–बड़े मुजाहदे किये थे या उनमें इ़बादते इलाही की थी। उसकी ताईद में एक रिवायत में आपके ये लफ़्ज़ भी मन्क़ूल हैं कि मुझे मेरे उन ही दो कपड़ों में कफ़न देना जिनमें मैंने नमाज़ें पढ़ी हैं।

व फ़ी हाज़ल्हदीष़ि इस्तिहबाबुत्तक्फ़ीनि फ़िष़्ष़ियाबिल्बीज़ि व तष़्लीष़िल्कफ़्नि व तलबिल्मुवाफ़क़ति फ़ीमा वक़अ लिल्अकाबिरि तबर्रुकन बिज़ालिक व फीहि जवाज़ुत्तक्फ़ीनि फ़िष़्ष़ियाबिल्मग़सूलति व ईष़ारिल्हय्यि बिल्दजदीदि वद्दफ़्नि बिल्लैलि व फ़ज़्लि अबी बक्र व सिह्हति फ़रासतिही व ष़िबातिही इन्द वफ़ातिही व फ़ीहि उख़्ज़ुल्मरइ अल्इल्म अम्मन दूनहू व क़ाल अबू उ़मर फ़ीहि अन्नत्तक्फ़ीन फ़िष़्ष़ौबिल्जदीदि वल्ख़ल्क़ि सवाउन.

या'नी इस ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ कि सफ़ेद कपड़ों का कफ़न देना और तीन कपड़ों का इस्ते'माल करना मुस्तह़ब है और अकाबिर से नबी अकरम (ﷺ) की बत़ौरे तबर्रुक मुवाफ़क़त (समानता की) त़लब करना भी मुस्तह़ब है। जैसे स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने आँह़ज़रत (ﷺ) के यौमे वफ़ात पीर के दिन की मुवाफ़क़त की ख़्वाहिश ज़ाहिर की थी और इस ह़दीष़ से धुले हुए कपड़े का कफ़न देना भी जाइज़ ष़ाबित हुआ और ये भी कि उ़म्दा नये कपड़ों के लिये ज़िन्दों पर ईष़ार (त्याग) करना मुस्तह़ब है जैसा कि स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने फ़र्माया और रात में दफ़न करने का जवाज़ भी ष़ाबित हुआ और ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत व फ़िरासत भी ष़ाबित हुई और ये भी ष़ाबित हुआ कि इ़ल्म ह़ासिल करने में बड़ों के लिये छोटों से भी फ़ायदा उठाना जाइज़ है। जैसाकि स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने अपनी स़ाह़बज़ादी से इस्तिफ़ादा फ़र्माया। अबू उ़मर ने कहा कि इससे ये भी ष़ाबित होता है नए और पुराने कपड़ों का कफ़न देना बराबर है।

बाब 95 : नागहानी मौत का बयान

٩٥– بَابُ مَوتِ الْفُجْأَةِ الْبَغْتَةِ

1388. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा मुझे हिशाम बिन उ़र्वा ने ख़बर दी, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि मेरी माँ का अचानक इन्तक़ाल हो गया और मेरा ख़याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौक़ा मिलता तो वो कुछ न कुछ ख़ैरात करती। अगर मैं उनकी त़रफ़ से कुछ ख़ैरात करूँ तो क्या उन्हें इसका ष़वाब मिलेगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मिलेगा।

(दीगर मक़ाम : 2860)

١٣٨٨– حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : ((نَعَمْ)).

[طرفه في : ٢٧٦٠].

तश्रीह : बाब की हदीष लाकर इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये षाबित किया है कि मोमिन के लिये मौत से कोई ज़रर नहीं। गो आँहज़रत (ﷺ) ने उससे पनाह मांगी है क्योंकि उसमें वसिय्यत करने की मुहलत नहीं मिलती। इब्ने अबी शैबा ने रिवायत की है कि नागहानी मौत मोमिन के लिये राहत है और बदकार के लिये गुस्से की पकड़ है। (वहीदी)

बाब 96 : नबी करीम (ﷺ) और अबूबक्र (रज़ि) और उमर (रज़ि.) की क़ब्र का बयान

٩٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَأَقْبَرَهُ ﴾. أَقْبَرْتُ الرَّجُلَ : إِذَا جَعَلْتَ لَهُ قَبْرًا. وَقَبَرْتُهُ : دَفَنْتُهُ ﴿كِفَاتًا﴾ يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً، وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا

और सूरह अबस में जो आया है, फ़अक्बरहू तो अरब लोग कहते हैं अक्बर्तुर्रुजुल या'नी मैंने उसके लिये क़ुर्बानी और फ़अक्बरहु के मा'नी मैंने उसे दफ़न किया और सूरह मुर्सिलात में जो किफ़ाता का लफ़्ज़ है ज़िन्दगी भी ज़मीन ही पर गुज़ारेंगे और मरने के बाद भी इसी में दफ़न होंगे।

١٣٨٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: ((إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ : ((أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ، أَيْنَ أَنَا غَدًا؟)) اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ فِي بَيْتِي)).

[راجع: ٨٩٠]

1389. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे सुलैमान बिन बिलाल ने बयान किया और उनसे हिशाम बिन उर्वा ने (दूसरी सनद-इमाम बुख़ारी ने कहा) और मुझसे मुहम्मद बिन हर्ब ने बयान किया, कहा हमसे अबू मरवान यह्या बिन अबी ज़करिया ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उर्वा ने, उनसे उर्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने मर्ज़ुल वफ़ात में गोया इजाज़त लेना चाहते थे (दरयाफ़्त फ़र्माते) आज मेरी बारी किनके यहाँ है। कल किन के यहाँ होगी? आइशा (रज़ि.) की बारी के दिन के मुता'ल्लिक़ ख़्याल फ़र्माते थे कि बहुत दिन बाद आएगी। चुनाँचे जब मेरी बारी आई तो अल्लाह तआला ने आपकी रूह इस हाल में क़ब्ज़ की कि आप मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे और मेरे ही घर में आप दफ़न किये गये। (राजेअ : 890)

तश्रीह : 29 सफ़र 11 हिज्री का दिन था रसूले पाक (ﷺ) को तकलीफ़ शुरू हुई और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि जो रूमाल हुज़ूर (ﷺ) के सरे मुबारक पर था वो बुख़ार की वजह से ऐसा गर्म था कि मेरे हाथ को बर्दाश्त न हो सका। आप 13 दिन या 14 दिन बीमार रहे। आख़िरी हफ़्ता आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर पर ही पूरा किया। उन अय्याम में ज़्यादातर आप मस्जिद में जाकर नमाज़ भी पढ़ाते रहे मगर चार रोज़ पहले हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आख़िर 12 रबीउल अव्वल 11 हिज्री यौमे इस्नैन (सोमवार के दिन) चाश्त के वक़्त आप दुनिय-ए-फ़ानी से मुँह मोड़कर मल-ए-आला से जा मिले। उम्रे मुबारक 63 साल क़मरी पर चार दिन ऊपर थी। **अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद।** पर सहाब-ए-किराम (रिज़.) ने आपके दफ़न के बारे में तो आख़िरी राय यही क़रार पाई कि हुज्र-ए-मुबारक में आपको दफ़न किया जाए क्योंकि अंबिया जहाँ इंतिक़ाल करते हैं उसी जगह दफ़न किये जाते हैं। यही हुज्र-ए-मुबारक है जो आज गुम्बदे ख़ज़्राअ के नाम से दुनिया के करोड़ों इंसानों का अक़ीदत का केन्द्र है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हुज़ूर (ﷺ) की क़ब्र शरीफ़ की निशानदेही करते ये षाबित फ़र्माया कि मरने वाले को अगर उसके घर में ही दफ़न कर दिया जाए तो शरअन

उसमें कोई क़बाहत नहीं है।

आपके अख़्लाक़े ह़स्ना में से है कि आप बीमारी के दिनों में दूसरी बीवियों से ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के घर में जाने के लिये मअ़ज़रत फ़र्माते रहे। यहाँ तक कि तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात ने आपको हुज्र-ए-आइशा (रज़ि.) के लिये इजाज़त दे दी और आख़िरी वक़्त में आपने वहीं बसर किये। इससे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की भी कमाले फ़ज़ीलत षाबित होती है। तुफ़ (अफ़सोस) है उन नामो–निहाद मुसलमानों पर जो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) जैसी माय-ए-नाज़ इस्लामी ख़ातून की फ़ज़ीलत का इंकार करते हैं। अल्लाह तआ़ला उनको हिदायत अ़ता करे।

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ : ((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)). لَوْ لاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ - أَوْ خُشِيَ - أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا)). وَعَنْ هِلاَلٍ قَالَ: كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُولَدْ لِي. [راجع: ٤٣٥]

1390. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू अ़वाना ने बयान किया, उनसे हिलाल बिन हुमैद ने, उनसे उ़र्वा और उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने उस मर्ज़ के मौक़े पर फ़र्माया था, जिससे आप जाँबर (तंदुरुस्त) न हो सके थे कि अल्लाह तआ़ला की यहूदो-नस़ारा पर ला'नत हो, उन्होंने अपने अंबिया की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया। अगर ये डर न होता तो आपकी क़ब्र खुली रहने दी जाती। लेकिन डर इसका है कि कहीं उसे भी लोग सज्दागाह न बना लें। और हिलाल से रिवायत है कि उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने मेरी कुन्नियत (अबू अ़वाना या अ़वाना के वालिद) रख दी थी, वर्ना मेरी कोई औलाद न थी। (राजेअ़ : 435)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا.

हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबूबक्र बिन अयास ने ख़बर दी, उनसे सुफ़यान तम्मार ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) की क़ब्रे-मुबारक देखी जो कोहान-नुमा थी

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَزِعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ : لاَ وَاللهِ، مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، مَا هِيَ إِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

हमसे फ़र्वा बिन अबी मुग़ीरा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ली बिन मिस्हर ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके वालिद ने कि वलीद बिन अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान के अ़हदे हुकूमत में (जब नबी करीम ﷺ के हुज्रे मुबारक की) दीवार गिरी और लोग उसे (ज़्यादा ऊँची) उठाने लगे तो वहाँ एक क़दम ज़ाहिर हुआ। लोग ये समझकर घबरा गये कि ये नबी करीम (ﷺ) का क़दम मुबारक है। कोई शख़्स ऐसा नहीं था जो क़दम को पहचान सकता। आख़िर उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने बताया कि नहीं अल्लाह गवाह है ये रसूलुल्लाह का क़दम नहीं बल्कि ये तो उ़मर (रज़ि.) का क़दम है।

1391. हिशाम अपने वालिद से और वो आइशा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि आपने अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) को वसिय्यत की थी कि मुझे हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) और आपके साथियों के साथ दफ़न न करना। बल्कि मेरी दूसरी सौकन के साथ बक़ीअ़ ग़रक़द में मुझे दफ़न करना। मैं ये नहीं चाहती कि उनके साथ मेरी भी ता'रीफ़ हुआ करे। (दीगर मक़ाम : 7428)

١٣٩١ - وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، لاَ تَدْفِنِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، لاَ أُزَكَّى بِهِ أَبَدًا. [طرفه في : ٧٤٢٧].

तश्रीह : हुआ ये कि वलीद की ख़िलाफ़त के ज़माने में उसने उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ को जो उसकी तरफ़ से मदीना शरीफ़ के आ़मिल थे, ये लिखा कि अज़्वाजे मुतह्हरात के हुज्रे गिराकर मस्जिदे नबवी को वसीअ़ कर दो और आँहज़रत (ﷺ) की क़ब्र मुबारक की जानिब दीवार बुलन्द कर दो कि नमाज़ में इधर मुँह न हो उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने ये हुज्रे गिराने शुरू किये तो एक पांव ज़मीन से नमूदार हुआ जिसे हज़रत उ़र्वा ने शिनाख़्त किया और बतलाया कि ये हज़रत उ़मर (रज़ि.) का पांव है जिसे यूँ ही एहतिराम से दफ़न किया गया।

हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपनी कसरे नफ़्सी के तौर पर फ़र्माया था कि मैं आँहज़रत (ﷺ) के साथ हुज्र-ए-मुबारक में दफ़न होऊंगी तो लोग आपके साथ मेरा भी ज़िक्र करेंगे और दूसरी बीवियों में मुझको तर्जीह देंगे जिसे मैं पसंद नहीं करती। लिहाज़ा मुझे बक़ीअ़ में दफ़न होना पसंद है जहाँ मेरी बहनें अज़्वाजे मुतह्हरात मदफ़ून हैं और मैं अपनी ये जगह जो ख़ाली है हज़रत उ़मर (रज़ि.) के लिये दे देती हूँ। सुब्हानल्लाह कितना बड़ा ईसार (त्याग) है। सलामुल्लाह तआ़ला अलैहिम अज्मईन।

हुज्र-ए-मुबारक की दीवारें बुलन्द करने के बारे में हज़रत हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **अय हाइतु हुज्रतिन्नबिय्यि (ﷺ) व फ़ी रिवायतिल्हम्वी अन्हुम वस्सबबु फ़ी ज़ालिक मा रवाहु अबू बक्र अल्अज्री मिन तब्री शुऐब इस्हाक़ अनहिशाम अन उर्वत क़ाल अख़्बरनी अबी क़ाल कानन्नासु युसल्लून इलल्क़ब्रि फअमर बिही उमरुब्नु अब्दिल अ़ज़ीज़ फरूफ़िअ हत्ता ला युसल्ली इलैहि अहदुन फलम्मा हुदिय बदत कदम बिसाक़िन व रुक्बतिन फफ़ज़िअ उमरुब्नु अब्दिल फअताहु उ़र्वतु फक़ाल हाज़ा साकु उमर व रुक्बतुहू फसुरिय अन उमरब्नि अब्दिलअ़ज़ीज़ व रवल्अजरी मिन तरीकि मालिक बिन मगलूल अन रजाअ बिन हयात क़ाल कतबल्वलीदु ब्नु अब्दिल मालिक इला उमरब्नि अब्दिलअ़ज़ीज़ व कान क्द इश्तरा हुज्र अज्वाजिन्नबिय्यि (ﷺ) इन अहदमहा व वस्सअ बिहल्मस्जिद फक़अद उमरु फ़ी नाहियतिन षुम्म अमर बिहदमिहा फमा राइतुहू बाक़ियन अक्षर मिन यौमइज़िन षुम्म बनाहु कमा अराद फलम्मा इन बुनियल्बैतु अलल्क़ब्रि व हुदिमल्बैतुल्अव्वलु जहरतिल्कुबूरुष्षलाषतु व कानर्रम्लुल्लज़ी अलयहा क़द अन्हारून फफ़ज़िअ उमरुब्नु अब्दिल्अ़ज़ीज़ व अराद अंय्यकूम फयस्वीहा बिनफ़्सिही फ़क़ुल्तु लहू अस्लहकल्लाहु इन्नक इन कुम्त क़ामन्नासु मअ़अ फ लौ अमरतु रजुनल अंय्युस्लिहहा व रजौतु अन्नहू यामुरूनी बिज़ालिक फ़क़ाल मा मज़ाहिम यअ़नी मौलाहू कुम फअस्लिहहा क़ाल फअस्लहहा क़ाल रजाअु व कान कब्रु अबी बक्र इन्द वसतिन्नबिय्यि (ﷺ) व उमरु ख़ल्फ़ अबी बक्र रासुहू इन्द वस्तिही.** (फ़त्हुल बारी, जिल्द नं. 6, पेज नं. 6)

1392. हमसे क़ुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अ़ब्दुल हमीद ने बयान किया, कहा कि हमसे हुसैन बिन अ़ब्दुर्रह्मान ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन मैमून ऊदी ने बयान किया कि मेरी मौजूदगी में हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से फ़र्माया कि ऐ अ़ब्दुल्लाह! उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में जा और कहना कि उ़मर बिन ख़त्ताब ने आपको सलाम कहा है और फिर उनसे मा'लूम

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا فَقُلْ: يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ، ثُمَّ سَلْهَا أَنْ أُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ. قَالَتْ: كُنْتُ أُرِيْدُهُ لِنَفْسِي، فَلأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ: مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ: أَذِنَتْ لَكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ، فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَادْفِنُونِي، وَإِلاَّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنِ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيْعُوا. فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوفٍ وَسَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَبْشِرْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ: كَانَ لَكَ مِنَ الْقِدَمِ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ. فَقَالَ: لَيْتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وذلك كَفَافًا لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِي. أُوْصِي الْخَلِيْفَةَ حُرْمَتَهُمْ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِيْنَ الأَوَّلِيْنَ خَيْرًا، أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيْهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيْمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ

करना कि क्या मुझे मेरे दोनों साथियों के साथ दफ़न होने की आप की तरफ़ से इजाज़त मिल सकती है? हज़रत आइशा ने कहा कि मैंने उस जगह को अपने लिये पसन्द कर रखा था लेकिन आज मैं अपने ऊपर उमर (रज़ि.) को तरजीह देती हूँ। जब इब्ने उमर (रज़ि.) वापस आये तो उमर (रज़ि.) ने दरयाफ़्त किया कि क्या पैग़ाम लाए हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है। उमर (रज़ि.) ये सुनकर बोले कि इस जगह दफ़न होने से ज़्यादा मुझे और कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं थी। लेकि जब मेरी रूह क़ब्ज़हो जाए तो मुझे उठाकर ले जाना और फिर दोबारा आइशा (रज़ि.) को मेरा सलाम पहुँचाकर उनसे कहना कि उमर ने आपसे इजाज़त चाही है। अगर उस वक़्त भी वो इजाज़त दे दे तो मुझे वहीं दफ़न कर देना वरना मुसलमानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न कर देना। मैं इस अम्रे-ख़िलाफ़त का उन चन्द सहाबा से ज़्यादा और किसीको मुस्तहिक़ नहीं समझता, जिनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वफ़ात के वक़्त तक खुश और राज़ी रहे। वो हज़रात मेरे बाद जिसे भी ख़लीफ़ा बनाए, ख़लीफ़ा वही होगा और तुम्हारे लिये ज़रूरी है कि तुम अपने ख़लीफ़ा की बातें तवज्जह से सुनो और उसकी इताअत करो। आप ने इस मौक़े पर हज़रत उष्मान, अली, तल्हा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के नाम लिये। इतने में एक अन्सारी नौजवान दाख़िल हुआ और कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! आपको बशारत हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ से, आपका इस्लाम में पहले दाख़िला होने की वजह से जो मर्तबा था वो आपको मा'लूम है। फिर जब आप ख़लीफ़ा हुए तो आपने इन्साफ़ किया, फ़िर आपने शहादत पाई। हज़रत उमर (रज़ि.) बोले, ऐ मेरे भाई के बेटे! काश मैं इनकी वजह से मैं बराबर में छूट जाऊँ। मुझे न कोई अज़ाब हो और न कोई ष़वाब। हाँ! मैं अपने बाद आने वाले ख़लीफ़ा को वसिय्यत करता हूँ कि वो मुहाजिरीने अव्वलीन के साथ अच्छा बर्ताव रखे, उनके हुक़ूक़ पहचाने और उनकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे और मैं उसे अन्सार के बारे में भी अच्छा बर्ताव रखने की वसिय्यत करता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईमान वालों को अपने घरों में जगह दी (मेरी वसिय्यत है कि) उनके अच्छे

وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ﷺ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوقَ طَاقَتِهِمْ)).

[أطرافه في : ٣٠٥٢، ٣١٦٢، ٣٧٠٠، ٤٨٨٨، ٧٢٠٧].

लोगों के साथ भलाई की जाए और उनमें जो बुरे हो उनसे दरगुज़र किया जाए और मैं होने वाले ख़लीफ़ा को वसिय्यत करता हूँ उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की जो अल्लाह और रसूल (ﷺ) की ज़िम्मेदारियाँ है। (या'नी ग़ैर मुस्लिमों की जो इस्लामी हुकूमत के तहत ज़िन्दगी गुज़ारते हैं) कि उनके साथ किये हुए वादों को पूरा किया जाए। उन्हें बचाकर लड़ा जाए और ताक़त से ज़्यादा उन पर कोई भार न डाला जाए। (दीगर मकाम : 3052, 3162, 3700, 4888, 7207)

तशरीह : सय्यिदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की कुन्नियत अबू हफ़्सा है। अदवी कुरैशी हैं। नबुव्वत के छठे साल इस्लाम में दाख़िल हुए कुछ ने कहा कि पाँचवें साल में उनसे पहले चालीस मर्द और ग्यारह औरतें इस्लाम ला चुकी थीं और कहा जाता है कि चालीसवें मर्द हज़रत उमर (रज़ि.) ही थे। उनके इस्लाम कुबूल करने के दिन ही से इस्लाम नुमायाँ होना शुरू हो गया। उसी वजह से उनका लक़ब **फ़ारूक़** (हक़ और बातिल में फ़र्क़ करने वाला) हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से पूछा था कि आपका लक़ब फ़ारूक़ कैसे हुआ? फ़र्माया कि हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) मेरे इस्लाम लाने से तीन दिन पहले मुसलमान हुए थे। उसके बाद अल्लाह तआला ने इस्लाम के लिये मेरा सीना भी खोल दिया तो मैं ने कहा **अल्लाहु ला इलाहा लहुल अस्माउल हुस्ना** अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं उसी के लिये सब अच्छे नाम हैं। उसके बाद कोई जान मुझको रसूलुल्लाह (ﷺ) की जान से प्यारी न थी। उसके बाद मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कहाँ तशरीफ़ फ़र्मा हैं? तो मेरी बहन ने कहा कि वो अरक़म बिन अबी अरक़म में जो कोहे सफ़ा के पास है, वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं अबू अरक़म के मकान पर हाज़िर हुआ जबकि हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) भी आपके सहाबा के साथ मकान में मौजूद थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी घर में तशरीफ़ फ़र्मा थे। मैंने दरवाज़े को पीटा तो लोगों ने बाहर निकलना चाहा। हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम लोगों को क्या हो गया? सबने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) आए हैं फिर आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ लाए और मुझे कपड़ों से पकड़ लिया। फिर ख़ूब ज़ोर से मुझको अपनी तरफ़ खींचा कि मैं रुक न सका और घुटने के बल गिर गया। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि उमर इस कुफ़्र से कब तक बाज़ नहीं आओगे? तो बेसाख़्ता मेरी ज़ुबान से निकला, **अश्हुद अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीकलहू वअश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू वरसूलुहू** इस पर दारे अरक़म ने नअराए तक्बीर बुलन्द किया कि जिसकी आवाज़ हरम शरीफ़ में सुनी गई उसके बाद मैंने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम मौत और हयात में दीने हक़ पर नहीं हैं।? आपने फ़र्माया क्यूँ नहीं क़सम है उस ज़ात पाक की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम सब हक़ पर हो, अपनी मौत में भी और हयात में भी। इस पर मैंने कहा कि फिर उस हक़ को छुपाने का क्या मतलब। क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है हम ज़रूर हक़ को लेकर बाहर निकलेंगे।

चुनाँचे हमने हुज़ूर (ﷺ) को दो सफ़ों के बीच निकाला। एक सफ़ में हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) और दूसरी सफ़ में मैं था और मेरे अंदर जोशे ईमान की वजह से एक चक्की जैसी गड़गड़ाहट थी। यहाँ तक कि हम मस्जिदे हराम में पहुँच गए तो मुझको और हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) को कुरैश ने देखा और उनको इस क़दर सदमा हुआ कि ऐसा सदमा उन्हें उससे पहले नहीं पहुँचा था। उसी दिन आँहज़रत (ﷺ) ने मेरा नाम फ़ारूक़ रख दिया कि अल्लाह ने मेरी वजह से हक़ और बातिल में फ़र्क़ कर दिया। रिवायतों में है कि आपके इस्लाम लाने पर हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) तशरीफ़ लाए और फ़र्माया कि ऐ अल्लाह के रसूल! आज उमर (रज़ि.) के इस्लाम लाने से तमाम आसमान वाले बेहद ख़ुश हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि क़सम अल्लाह की मैं यक़ीन रखता हूँ कि हज़रत उमर (रज़ि.) के इल्म को तराज़ू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी में तमाम ज़िन्दा इंसानों का इल्म तो यक़ीनन हज़रत उमर (रज़ि.) के इल्म वाला पलड़ा झुक जाएगा।

आप हज़रत नबी करीम (ﷺ) के साथ तमाम ग़ज़्वात में शरीक हुए और ये पहले ख़लीफ़ा है जो अमीरुल मोमिनीन लक़ब से पुकारे गए। हज़रत उमर (रज़ि.) रंग में गोरे लम्बे क़द वाले थे। सर के बाल अकषर गिर गए थे। आँखों में सुर्ख़ झलक रहा करती थी। अपनी ख़िलाफ़त में हुकूमत के तमाम कामों को अहसन (भले) तरीक़ पर अंजाम दिया।

आख़िर मदीना में बुध के दिन 26 ज़िल्हिज्ज 23 हिज्री में मुग़ीरह बिन शुअबा के ग़ुलाम अबू लूलूअ ने आपको ख़ंजर से ज़ख़्मी किया और पहली मुहर्रमुल हराम को आपने जामे-शहादत नोश फ़र्माया। 63 साल की उमर पाई। मुद्दते ख़िलाफ़त दस साल छः माह है। आपके जनाज़े की नमाज़ हज़रत सुहैब रूमी ने पढ़ाई। वफ़ात से पहले हुज्र-ए-नबवी में दफ़न होने के लिये हज़रत आइशा (रज़ि.) से बाज़ाब्ता इजाज़त हासिल कर ली।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **व फीहि अल्हिर्सु अला मुजावरतिस्सालिहीन फिल्क़ुबूरि तम्अन फ़ी इसाबतिर्रहमति इज़ा नजलत अलैहिम व फ़ी दुआइहिम मंय्यज़ूरुहूम मिन अहलिल्ख़ैरि.** या'नी आपके इस वाक़िआ में ये पहलू भी है कि सालेहीन बन्दों के पड़ौस में दफ़न होने की हिर्स करना दुरुस्त है। इस तमअ में कि उन सालेहीन बन्दों पर रहमते इलाही होगा तो उसमें उनको भी शिरकत का मौक़ा मिलेगा और जो अहले ख़ैर उनके लिये दुआ-ए-ख़ैर करने आएँगे वो उनकी क़ब्र पर भी दुआ करके जाएँगे। इस तरह दुआओं में भी कषरत रहेगी।

सुब्हानल्लाह क्या मुक़ाम है! हर साल लाखों मुसलमान मदीना शरीफ़ पहुँचकर आँहज़रत (ﷺ) पर दरूदो—सलाम पढ़ते हैं। साथ ही आपके जाँनिषारों हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) और फ़ारूक़े आजम (रज़ि.) पर भी सलाम भेजने का मौक़ा मिल जाता है। सच हैं

निगाहे नाज़ जिसे आशना-ए-राज़ करे वो अपनी ख़ूबी-ए-क़िस्मत पे क्यूँ न नाज़ करे

अशरा-ए-मुबश्शरा में से यही लोग मौजूद थे जिनका हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़लीफ़ा बनाने वाली कमेटी के लिये नाम लिया। अबू उबैदा बिन जर्राह का इंतिक़ाल हो चुका था और सईद बिन ज़ैद गो ज़िन्दा थे मगर वो हज़रत उमर (रज़ि.) के रिश्तेदार या'नी चचाज़ाद भाई होते थे, इसलिये उनका नाम भी नहीं लिया। दूसरी रिवायत में है कि आपने ताकीद के साथ फ़र्माया कि देखो मेरे बेटे अब्दुल्लाह का ख़िलाफ़त में कोई हक़ नहीं है। ये आपका वो कारनामा है जिस पर आज की नामो—निहाद जुम्हूरियतें हज़ारों बार क़ुर्बान की जा सकती हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) की कसरे नफ़्सी का ये आलम है कि सारी उम्र ख़िलाफ़त कमाले अदल के साथ चलाई फिर भी अब आख़िर वक़्त में उसी को ग़नीमत तसव्वुर फ़र्मा रहे हैं कि ख़िलाफ़त का भले ही षवाब न मिले पर अज़ाब न हो बल्कि मामला बराबर-बराबर में उतर जाए तो यही ग़नीमत है। अख़ीर में आपने मुहाजिरीन व अंसार के लिये बेहतरीन वसिय्यतें फ़र्माई **और सबसे बड़ा कारनामा ये कि उन ग़ैर मुस्लिमों के लिये जो ख़िलाफ़ते इस्लामी के ज़ेरे नगीं अम्न व अमान की ज़िन्दगी गुज़ारते हैं, ख़ुसूसी वसिय्यत फ़र्माई कि हर्गिज़-हर्गिज़ उनसे बदअहदी न की जाए और ताक़त से ज़्यादा उन पर कोई भार न डाला जाए।**

बाब 97 : इस बारे में कि मुर्दों को बुरा कहने की मुमानअत है

٩٧- بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الأَمْوَاتِ

1393. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया उनसे आ'मश ने बयान किया, उनसे मुजाहिद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुर्दों को बुरा न कहो क्योंकि उन्होंने जैसा अमल किया उसका बदला पा लिया। इस रिवायत की मुताबअत अली बिन जअद, मुहम्मद बिन अरअरा और इब्ने अबी अदी ने शुअबा से की है। और इसकी

١٣٩٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوا إِلَى مَا قَدَّمُوا)). تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ وَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

रिवायत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल कुद्दूस ने आ'मश और मुहम्मद बिन अनस ने भी आ'मश से की है।

(दीगर मक़ाम : 5616)

شُعْبَةَ وَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِالْقُدُّوْسِ عَنِ الأَعْمَشِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الأَعْمَشِ. [طرفه في: ٥٦١٦].

या'नी मुसलमान जो मर जाएँ उनका मरने के बाद ऐब न बयान करना चाहिये। अब उनको बुरा कहना उनके अ़ज़ीज़ों को ईज़ा (तकलीफ़) देना है।

बाब 98 : बुरे मुर्दों की बुराई बयान करना दुरुस्त है

٩٨- بَابُ ذِكْرِ شِرَارِ الْمَوْتَى

1394. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया आ'मश से, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़म्र बिन मुर्रह ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने, और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू लहब ने नबी करीम (ﷺ) से कहा कि सारे दिन तुझ पर बर्बादी हो। इस पर ये आयत उतरी (तब्बत यदा अबी लहबिंव व तब्ब) या'नी टूट गये हाथ अबू लहब के और वो खुद ही बर्बाद हो गया।

(दीगर मक़ाम : 3525, 3526, 4770, 4801, 4971, 4972, 4973)

١٣٩٤- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ أَبُولَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾.

[أطرافه في: ٣٥٢٥، ٣٥٢٦، ٤٧٧٠، ٤٨٠١، ٤٩٧١، ٤٩٧٢، ٤٩٧٣].

तश्रीह : जब ये आयत उतरी **वन्ज़िर अशीरतकबल अकरबीन** (अश्शुअ़रा : 214) या'नी अपने क़रीबी रिश्तेदारों को डराओ तो आप कोहे सफ़ा पर चढ़े और कुरैश के लोगों को पुकारा, वो सब इकट्ठे हुए। फिर आपने उनको अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया तब अबू लहब मर्दूद कहने लगा तेरी ख़राबी हो सारे दिन क्या तूने हमको उसी बात के लिये इकट्ठा किया था? उस वक़्त ये सूरत उतरी **तब्बत यदा अबी लहबिंव् व तब्ब** या'नी अबू लहब ही के दोनों हाथ टूटे और वो हलाक हुआ। मा'लूम हुआ कि बुरे लोगों काफ़िरों, मुल्हिदों को उनके बुरे कामों के साथ याद करना दुरुस्त है। ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं :

अय वसलू इला मा अमिलु मिन खैरिन व शर्रिन वशतद बिही अ़ला मनइ सबबिल्अम्वाति मुतलक़न व क़द तक़द्दम अन्न उमूमहू मख़सूसुन व असह्हु मा क़ील फ़ी ज़ालिक अन्न अम्वातल्कुफ़्फ़ारि वल्फ़ुस्साक़ियजूज़ु ज़िक्रू मसावीहिम लित्तहज़ीरि मिन्हुम वत्तन्फ़ीरि अ़न्हुम व क़द अज्मअ़ल उलमाउ अ़ला जवाज़ि जर्हिल्मज्रूहीन मिनर्रूवाति अहयाअन व अम्वातन. या'नी उन्होंने जो कुछ बुराई भलाई की वो सब कुछ उनके सामने आ गया। अब उनकी बुराई करना बेकार है और उससे दलील पकड़ी गई है कि मर चुके लोगों को बुराइयों से याद करना मुत्लक़न मना है और पीछे गुज़र चुका है कि उसका उ़मूमन मख़्सूस है और इस बारे में सहीहतरीन ख़्याल ये है कि मरे हुए काफ़िरों और फ़ासिक़ों की बुराइयों का ज़िक्र करना जाइज़ है। ताकि उनके जैसे बुरे कामों से नफ़रत पैदा हो और उ़लमा ने इज्माअ़ किया है कि राावियाने ह़दीष़ ज़िन्दों मुर्दों पर जरह़ करना जाइज़ है।

١ - بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ)).

बाब 1 : ज़कात देना फ़र्ज़ है

और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने फ़र्माया कि नमाज़ क़ायम करो और ज़कात दो। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अबू सुफ़यान (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से मुता'ल्लिक़ (क़ैसरे-रूम से अपनी) गुफ़्तगू नक़ल की कि उन्होंने कहा था कि हमें वो नमाज़, ज़कात, सिलारहमी, नाता जोड़ने और हरामकारी से बचने का हुक्म देते हैं।

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) अपनी रविश के मुताबिक़ पहले क़ुर्आन मजीद की आयत लाए और फ़र्ज़ियते ज़कात को क़ुर्आन मजीद से षाबित किया। क़ुर्आन मजीद में ज़कात की बाबत बयासी आयात में अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है और ये इस्लाम का एक अ़ज़ीम रुक्न है। जो इसका इंकार करता है वो बिल इत्तिफ़ाक़ काफ़िर और इस्लाम से ख़ारिज है। ज़कात न देने वालों पर हज़रत सय्यिदना अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने जिहाद का ऐलान किया था।

ज़कात दो हिज्री में मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई। ये दरहक़ीक़त उस सिफ़ते हमदर्दी व रहम के बक़ाइदा इस्ते'माल का नाम है जो इंसान के दिल में अपने हम-जिन्स लोगों के साथ क़ुदरतन फ़ित्री तौर पर मौजूद है। ये अम्वाले नामिया या'नी तरक़्क़ी करने वालों में मुक़र्रर की गई है, जिनमें से अदा करना नागवार भी नहीं गुज़र सकता। **अम्वाले नामिया में तिजारत से हासिल होने वाली दौलत, ज़राअ़त (खेती) और मवेशी (भेड़—बकरी, गाय वग़ैरह) और नक़द रुपया और मअ़दन्यात और दफ़ाइन (ज़मीन में दफ़न ख़ज़ाने) शुमार होते हैं।** जिनके मुख़्तलिफ़ निसाब हैं। उनके तहत एक हिस्सा अदा करना फ़र्ज़ है। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह पाक ने ज़कात की तक़्सीम इन लफ़्ज़ों में फ़र्माई, **इन्नमस्सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीनि वल आ़मिलीन अ़लैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर्रिक़ाबि वल ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निससबीलि** (अत् तौबा : 60) या'नी ज़कात का माल फ़क़ीरों और मिस्कीनों के लिये है और तहसीलदाराने ज़कात के लिये (जो इस्लामी स्टेट की तरफ़ से ज़कात की वसूली के लिये मुक़र्रर होंगे उनकी तन्ख़्वाह उसमें से अदा की जाएगी) और उन लोगों के लिये जिनकी दिल अफ़्ज़ाई इस्लाम में मंज़ूर हो या'नी नौ मुस्लिम और ग़ुलामों को आज़ादी दिलाने के लिये और ऐसे क़र्ज़दारों का कर्ज़ चुकाने के लिये जो क़र्ज़ न उतार सकें और अल्लाह के रास्ते में (इस्लाम की इशाअ़त व तरक़्क़ी व

सरबुलन्दी के लिये) और मुसाफ़िरों के लिये।

लफ्ज़े ज़कात की लुग़वी और शरई तशरीह़ के लिये अल्लामा ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) अपनी मायानाज़ किताब फ़त्हुलबारी शरहे स़ह़ीह़ बुख़ारी शरीफ़ में लिखते हैं,

वज़्ज़कातु फिल्लुग़ति अन्निमाउ युकालु जकज्जर्उ इजानमा व यरिदु अयज़न फिल्मालि व तरिदु अयज़न बिमअनत्ततहीरि व शर्अन बिइअतिबारैनि मअन अम्मा बिल्अव्वलि फ़ुलानन अख़्रजहा सबबुल्लिन्नुमाइ फिल्माति औ बिमअना अन्नल्अज्र बिसबबिहा यक्षुरू अन्न बिमअन अन्न मुतअ़ल्लिकहा अल्अम्वालु ज़ातन्नुमाइ कत्तिजारति वज़्ज़राअ़ति व दलीलुअव्वलि मा नक़स मालुन मिन सदक़तिन व लिअन्नहा युज़ाइफ़ु ष़वाबुहा कमा जाअ अन्नल्लाह युर्बिस्सदक़त व अम्मा बिष़्ष़ानी फलिअन्नहा तुहरतुन लिन्नफ़्सि मिन रज़ीलतिल्बुख़्लि व तत्हीरुन मिनज़्ज़ुनूबि व हियर्रुक्नुष़्ष़ालिषु मिनल्अर्कानिल्लती बुनियल्इस्लामु अ़लैहा कमा तक़द्दम फ़ी किताबिल्ईमानि व क़ाल इब्नुल्अ़रबी तुत्लकुज़्ज़कातु अ़लस्सदक़तिल्वाजिबति वल्मन्दूबति वन्नफक़ति वल्हक़्क़ि वल्अफ़्वि व तअ़रीफ़ुहा फिश्शरइ इअ़ताउ जुज़्इम्मिनन्निसाबिल्हौलि इलल्फ़क़ीरि व नहवुहू गैर हाशिमी वला मुत्तलिबी षुम्म लहा रुक्नुन व हुवल्इख़्लासु व शर्तुन हुवस्सबबु व हुव मिल्कुन्निसाबिल्हौलि व शर्तनु मन तजिबु अ़लैहि व हुवल अक़्लुल्बुलूग व ल्हुर्रियतु फिल्उ़ख़्रा व हिक्मतुन व हिय तत्हीरूम्मिल्अदनासि व रफ़इद्दर्जाति व इस्तिरक़ाक़िल्अहरारि इन्तिहा व हुव जय्यिदुन लाकिन्न फ़ी शर्तिम्मन तजिबु अ़लैहि इख़्तिलाफ़ुन वज़्ज़कातु अम्रुन मक़्तूउन बिही फिश्शरइ यस्तग़नी अन तकल्लुफ़िन लिइहतिजाजिन लहू व इन्नमा वक़अल्इख़्तिलाफ़ु फ़ी बअ़जि फरूइही व अम्मा अस्लु फर्ज़िय्यतिज़्ज़काति फमन जहदहा कफ़र व इन्नमा तरज्जुमुल्मुसन्निफि बिज़ालिक अ़ला आदतिही फ़ी ईरादिल्अदिल्लतिश्शरइय्यति वल्मुत्तफक़ि अलैहा वल्मुख्तलफ़ि फ़ीहा. (फ़त्हुल बारी, जिल्द 3, पेज 308)

इख़्तलफ़ल्उल्माउ फ़ी अव्वलि वक़्ति फ़र्ज़िज़्ज़काति फजहबल अक्षरु इला अन्नहू वक़अ बअदल्हिज्रति फक़ील कान फिस्सनतिष़्ष़ानियति क़ब्ल फ़र्ज़ि रमज़ान अशार इलैहिन्नववी.

ख़ुलासा ये कि लफ़्ज़ ज़कात नशोनुमा पर बोला जाता है। कहते हैं कि **जकज़्ज़र्उ** या'नी ज़राअ़त खेती ने नशोनुमा पाई जब वो बढ़ने लगे तो ऐसा बोला जाता है। इसी त़रह़ माल की बढ़ोतरी पर भी ये लफ़्ज़ बोला जाता है। और पाक करने के लिये भी आया है और शरअ़न दोनों ए'तिबार से उसका इस्ते'माल हुआ है। अव्वल तो ये कि उसकी अदायगी से माल में बढ़ोतरी होती है और ये भी कि सबब अज्रो-ष़वाब की नशोनुमा ह़ासिल होती है या ये भी कि ये ज़कात उन अम्वाल से अदा की जाती है जो बढ़नेवाले हैं जैसे तिजारत, ज़राअ़त वग़ैरह। अव्वल की दलील ह़दीष़ है जिसमें वारिद है कि सदक़ा निकालने से माल कम नहीं होता बल्कि वो बढ़ता ही जाता है और यह भी कि इसका ष़वाब दोगुना तक बढ़ता है। जैसा कि आया है कि अल्लाह पाक स़दक़ा (देने वाले) के माल को बढ़ाता है। और दूसरे ए'तिबार से नफ़्स को कंजूसी के रोग से पाक करने वाली चीज़ है और गुनाहों से भी पाक करती है और इस्लाम का ये तीसरा अ़ज़ीम रुक्न है। इब्नुल अ़रबी ने कहा कि लफ़्ज़ ज़कात, स़दक़-ए-फ़र्ज़ और सदक़-ए-नफ़्ल और दीगर अ़तिया पर भी बोला जाता है।

इसकी शरई ता'रीफ़ ये कि मुक़र्रर निस़ाब पर साल गुज़रने के बाद फ़ुक़राअ व दीगर मुस्तह़िक़्क़ीन को उसे अदा करना फ़ुक़रा हाशमी और मुत्तलिबी न हो कि उनके लिये अम्वाले ज़कात का इस्ते'माल नाजाइज़ है। ज़कात के लिये भी कुछ और शराइत हैं। अव्वल इसकी अदायगी के वक़्त इख़्लास होना ज़रूरी है। रिया व नमूद के लिये ज़कात अदा करे तो वो इन्दल्लाह ज़कात नहीं होगी। ये भी ज़रूरी है कि एक ह़द्दे मुक़र्ररह के अंदर वो माल हो और उस पर साल गुज़र जाए और ज़कात आक़िल बालिग़, आज़ाद पर वाजिब है। इससे दुनिया में वजूब की अदायगी और आख़िरत में ष़वाब ह़ासिल करना मक़्सूद है और इसमें हिक्मत ये है कि ये इंसानों को गुनाहों के साथ ख़साइल व रज़ालत से भी पाक करती है और दर्जात बुलन्द करती है।

और ये इस्लाम में एक बेहरीतन अ़मल है मगर जिस पर ये वाजिब है उसकी तफ़्सील में कुछ इख़्तिलाफ़ है और ये इस्लाम में एक ऐसा क़तई फ़रीज़ा है कि जिसके लिये किसी और ज़्यादा दलील की ज़रूरत ही नहीं और दरअसल ये क़तई फ़र्ज़ है। जो इसकी फ़र्ज़ियत का इंकार करे वो काफ़िर है। यहाँ भी मुसन्निफ़ ने अपने आदत के मुताबिक़ शरई दलीलों से इसकी फ़र्ज़ियत

षाबित की है। वो दलीलें जो मुत्तफ़क़ अलैह हैं जिनमें पहले आयते शरीफ़ा फिर छ: अहादीष हैं।

1395. हमसे अबुल आसिम ज़हाक़ ने बयान किया, उनसे ज़करिया बिन इस्हाक़ ने बयान किया, उनसे यह्या बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने बयान किया, उनसे अबू मअबद ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जब मआज़ (रज़ि.) को यमन (का हाकिम बनकर) भेजा तो फ़र्माया तुम उन्हें इस कलिमे की गवाही की दा'वत देना कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अगर वो लोग ये बात मान लें तो फिर उन्हें बतलाना कि अल्लाह तआला ने उन पर रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो लोग ये बात भी मान लें तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उनके माल पर कुछ सदक़ा फ़र्ज़ किया है जो उनके मालदार लोगों से लेकर उन्हीं के मुहताजों में लौटा दिया जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 1458, 1496, 2448, 4347, 7371, 7372)

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ((ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)).

[أطرافه في : ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٧٣٧٢].

1396. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने मुहम्मद बिन उष्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहब से बयान किया है, उनसे मूसा बिन तल्हा ने और उनसे अबू अय्यूब (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएँ जो मुझे जन्नत में ले जाए। इस पर लोगों ने कहा कि आख़िर ये क्या चाहता है? लेकिन नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया ये तो बहुत अहम ज़रूरत है। (सुनो) अल्लाह की इबादत करो और उसका कोई शरीक न ठहराओ। नमाज़ क़ायम करो, ज़कात अदा करो और सिलारहमी करो और बहज़ ने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया कि हमसे मुहम्मद बिन उष्मान और उनके बाप उष्मान बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि उन दोनों साहिबान ने मूसा बिन तल्हा से सुना और उन्होंने अबू अय्यूब से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इसी हदीष की तरह (सुना) अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी)

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ)) وَقَالَ بَهْزٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ

ने कहा कि मुझे डर है कि मुहम्मद से रिवायत ग़ैर महफ़ूज़ है और रिवायत अम्र बिन उष्मान से (महफ़ूज़ है)

(दीगर मक़ाम : 5982, 5983)

اللهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.

[طرفه في ٥٩٨٢، ٥٩٨٣].

1397. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़फ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने बयान किया, हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद बिन हय्यान ने, उनसे अबू ज़रआ ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि एक देहाती नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और अ़र्ज़ किया कि आप मुझे कोई ऐसा काम बताएँ, जिस पर मैं हमेशगी करूँ तो जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह की इबादत कर, उसका किसी को शरीक न ठहरा, फ़र्ज़ नमाज़ क़ायम कर, फ़र्ज़ ज़कात दे और रमज़ान के रोज़े रख। देहाती ने कहा उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, इन अ़मलों पर कोई ज़्यादती नहीं करूँगा। जब वो पीठ मोड़कर जाने लगा तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर कोई ऐसे शख़्स को देखना चाहे जो जन्नत वालों में से हो तो वो उस शख़्स को देख ले।

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: ((تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ)). قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا)).

हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उनसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने, उनसे अबू हय्यान ने, उन्होंने कहा कि मुझसे अबू ज़रआ ने नबी करीम (ﷺ) से यही हदीष रिवायत की।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا.

तश्रीह : मगर यह्या बिन सईद क़त्तान की ये रिवायत मुर्सल है क्योंकि अबू ज़रआ ताबेई है। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से नहीं सुना। वुहैब की रिवायत जो ऊपर गुज़री वो मौसूल है और वुहैब षिक़ा हैं। उनकी ज़ियारत मक़्बूल हैं। इसलिये हदीष में कोई इल्लत नहीं। (वहीदी)

इस हदीष के जेल में हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **क़ालल्कुर्तुबी फ़ी हाज़ल्हदीषि व क़जा हदीषु तल्हत फ़ी क़िस्सतिल्आराबी व ग़ैरहुमा दलालतुन अ़ला जवाज़ि तर्किल्तत्व्वआति लाकिन मन दावम अ़ला तर्किस्सुननि काम नक़्सन फ़ी दीनिही फइन कान तरकहा तहावुनन बिहा व रग़बतन अन्नहा कान ज़ालिक फिस्क़न लिवुरूदिल्वईदि अ़लैहि हैषु कालन्नबिय्यु (ﷺ) मन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी व क़द कान सदरुस्सहाबति व मन तबिअहुम युवाज़िबून अलस्सुननि मुवाजबतुहुम अ़लल्फ़राइज़ि व ला युफ़र्रिकून बैनहुमा फ़ी इगतिनामि षवाबिहिमा.** (फ़त्हुल बारी)

या'नी कुर्तुबी ने कहा कि इस हदीष में और नीज़ हदीषे तलहा में जिसमें एक देहाती का ज़िक्र है उस पर दलील है कि नफ़्लियात का छोड़ देना भी जाइज़ है। मगर जो शख़्स सुन्नतों के छोड़ने पर हमेशगी करेगा वो उसके दीन में नक़्स होगा और बेरग़्बती और सुस्ती से तर्क कर रहा हो तो ये फ़िस्क़ (नाफ़र्मानी) होगा इसलिये तर्के सुनन के बारे में वईद आई है जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो मेरी सुन्नतों से बेरग़्बती करे वो मुझसे नहीं। और सद्रे अव्वल में सहाबा किराम और ताबेईने

इज़ाम सुन्नतों पर फ़र्ज़ों ही की तरह हमेशगी किया करते थे और ष़वाब ह़ासिल करने के ख़्याल में वो लोग फ़र्ज़ और सुन्नतों में फ़र्क़ नहीं करते थे।

ऊपर की ह़दीष़ में ह़ज्ज का ज़िक्र नहीं है इस पर ह़ाफ़िज़ फ़र्माते हैं **लम यज़्कुरिल्हज्ज लिअन्नहू कान हीनइज़िन हाज्जन व लअल्लहू ज़करहू लहू फख़्तसरहू.** या'नी ह़ज्ज का जिक्र नहीं। फ़र्माया इसलिये कि वो उस वक़्त हाजी था। या आपने ज़िक्र किया मगर रावी ने बतौरे इख़्तिसार उसका ज़िक्र छोड़ दिया।

कुछ मुहतरम ह़नफ़ी ह़ज़रात ने अहले ह़दीष़ पर इल्ज़ाम लगाया है कि ये लोग सुन्नतों का एहतिमाम नहीं करते। ये इल्ज़ाम सरासर ग़लत है। अल्ह़म्दुलिल्लाह अहले ह़दीष का बुनियादी उ़सूल तौहीद और सुन्नत पर कारबन्द होना है। सुन्नत की मुह़ब्बत अहले हदीष़ का शैवा है। लिहाज़ा ये इल्ज़ाम बिलकुल बेहक़ीक़त है। हाँ! मुआनिदीने अहले ह़दीष़ के बारे में अगर कहा जाए कि उनके यहाँ अक़्वाले अइम्मा अकष़र सुन्नतों पर मुक़द्दम समझे जाते हैं तो ये एक हद तक दुरुस्त है। जिसकी तफ़्सील के लिये **ईलामुल मूक़िईन** अज़ अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम का मुतालआ़ (अध्ययन) मुफ़ीद होगा।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ((قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ : ((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. الإِيْمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ)).
وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ : ((الإِيْمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)). [راجع: ٥٣]

1397. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने ह़दीष़ बयान की, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हम्ज़ा नस्र बिन इमरान ज़बई ने बयान किया, कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना, आपने बतलाया कि क़बीला अ़ब्दे क़ैस का वफ़्द नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ और अ़र्ज़ की कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम रबीआ़ क़बीला की एक शाख़ हैं और क़बीला मुज़र के काफ़िर हमारे और आपके दरम्यान पड़ते हैं। इसलिये हम आपकी ख़िदमत में सिर्फ़ हुर्मत के महीनों ही में ह़ाज़िर हो सकते हैं (क्योंकि इन महीनों में लड़ाइयाँ बन्द हो जाती है और रास्ते पुरअम्न हो जाते हैं) आप हमें कुछ ऐसी बातें बतला दीजिए जिस पर हम ख़ुद भी अ़मल करें और अपने क़बीले वालों से भी उन पर अ़मल करने के लिये कहें, जो हमारे साथ नहीं आ सके हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हें चार बातों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ। अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाने और उसकी वहदानियत की शहादत देने का (ये कहते हुए) आपने अपनी अंगुली की त़रफ़ इशारा किया। नमाज़ क़याम करना, फिर ज़कात अदा करना और माले-ग़नीमत से पाँचवां ह़िस्सा अदा करने (का हुक्म देता हूँ) और मैं तुम्हें कद्दू के तुम्बे से और हन्तुम (सब्ज़ रंग का छोटा सा मर्तबान जैसा घड़ा) नक़ीर (खजूर की जड़ से खोदा हुआ एक बर्तन) के इस्ते'माल से मना करता हूँ। सुलैमान और अबू नोअ़मान ने हम्माद के वास्ते से यही रिवायत इस त़रह बयान की है, अल ईमानु बिल्लाहि शहादतन अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु या'नी अल्लाह पर ईमान लाने का मत़लब ला इलाह इल्लल्लाह की गवाही देना। (राजेअ़ : 53)

तश्रीह : ये ह़दीष़ पहले कई बार गुज़र चुकी है। सुलैमान और अबन नोअ़मान की रिवायत में ईमान बिल्लाह के बाद वाव अ़त्फ़ नहीं है और हज्जाज की रिवायत में वो अ़त्फ़ थी, जैसे ऊपर गुज़री। ईमान बिल्लाह और शहादत **अल्ला इलाहा इल्लल्लाह** दोनों एक ही हैं। अब ये ए'तिराज़ न होगा कि ये पाँच बातें हो गईं और ह़ज्ज का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि उन लोगों पर शायद ह़ज्ज फ़र्ज़ न होगा। इस ह़दीष़ से भी ज़कात की फ़र्ज़ियत निकलती है क्योंकि आपने इसका अम्र किया और अम्र वजूब के लिये हुआ करता है। मगर जब कोई दूसरा क़रीना हो जिसमे अ़दमे वजूब ष़ाबित हो। हाफ़िज़ ने कहा कि सुलैमान की रिवायत को ख़ुद मुअ़ल्लिफ़ ने मग़ाज़ी में और अबन नोअ़मान की रिवायत को भी ख़ुद मुअ़ल्लिफ़ ने ख़मीस़ में वस़्ल किया। (वह़ीदी)

चार क़िस्म के बर्तन जिनके इस्ते'माल से आपने उनको मना किया, वो ये थे जिनमें अ़रब लोग शराब बतौरे ज़ख़ीरा (स्टॉक के तौर पर) रखा करते थे और अकष़र उन्हीं से सुराही और जाम का काम लिया करते थे। इन बर्तनों में रखने से शराब और ज़्यादा नशाआवर हो जाया करती थी। इसलिये आपने उसके इस्ते'माल से मना किया था। ज़ाहिर है कि ये मुमानअ़त वक़्ती मुमानअ़त थी। इससे ये भी मा'लूम हुआ कि न सिर्फ़ गुनाहो से बचना बल्कि उनके अस्बाब और दवाई से भी परहेज़ करना चाहिये। जिनसे उन गुनाहों के लिये आमादगी पैदा हो सकती हो। इसी आधार पर क़ुर्आन मजीद में कहा गया कि **ला तक़रबुज़िना** या'नी इन कामों के भी क़रीब न जाओ जिनसे ज़िना के लिये आमदगी का इम्कान हो।

1399. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ़ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब बिन अबी हम्ज़ा ने ख़बर दी, उनसे ज़ुहरी ने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन मस्ऊ़द ने बयान किया कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ौत हो गये और अबूबक्र (रज़ि.) ख़लीफ़ा हुए तो अ़रब के कुछ क़बीले काफिर हो गये। (और कुछ ने ज़कात से इन्कार कर दिया और ह़ज़रत अबूबक्र रज़ि. ने उनसे लड़ना चाहा) तो उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस फ़र्मान की मौजूदगी में क्योंकर जंग कर सकते हैं, मुझे हुक्म है लोगों से उस वक़्त तक जंग करूँ जब तक कि वो ला इलाह इलल्लाह की शहादत न दे दें और जो शख़्स़ इसकी शहादत दे दे तो मेरी त़रफ़ से उसका माल व जान मह़फ़ूज़ हो जाएगा। सिवा किसी के हक़ के) (या'नी क़िस़ास़ वग़ैरह की स़ूरतों के) और उसका हिसाब अल्लाह तआ़ला के ज़िम्मे होगा।

(दीगर मक़ाम : 1457, 6924, 7284)

١٣٩٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((لَـمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ)).

[أطرافه في : ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤].

1400. इस पर ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि क़सम अल्लाह की, मैं हर उस शख़्स़ से जंग करूँगा जो ज़कात और नमाज़ में तफ़रीक़ करेगा। (या'नी नमाज़ तो पढ़े मगर ज़कात के लिये इन्कार कर दे) क्योंकि ज़कात माल का हक़ है। अल्लाह की क़सम! अगर उन्होंने ज़कात में चार महीने की (बकरी के) बच्चे को देने से भी इन्कार किया जिसे वो रसूलुल्लाह (ﷺ) को देते थे तो

١٤٠٠- فَقَالَ: ((وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَ اللهِ

مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)).

[أطرافه في : ١٤٥٦، ٦٩٢٥، ٧٢٨٥].

मैं उनसे लड़ूँगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम ये बात इसका नतीजा थी कि अल्लाह तआला ने अबूबक्र (रज़ि.) का सीना इस्लाम के लिये खोल दिया था और बाद में मैं भी इस नतीजे पर पहुँचा कि अबूबक्र (रज़ि.) हक़ पर थे। (दीगर मक़ाम : 1406, 6925, 7285)

तश्रीह : वफ़ाते नबी के बाद मदीने के अतराफ़ में मुख़्तलिफ़ क़बीले जो पहले इस्लाम ला चुके थे। अब उन्होंनें समझा कि इस्लाम ख़त्म हो गया लिहाज़ा उनमें कुछ बुतपरस्त बन गये। कुछ मुसैलमा कज़्ज़ाब के ताबेअ़ हो गए। जैसे यमामा वाले और कुछ मुसलमान रहे। मगर ज़कात की फ़र्ज़ियत का इंकार करने लगे और क़ुर्आन की यूँ तावील करने लगे कि ज़कात लेना आँहज़रत (ﷺ) से ख़ास था क्योंकि अल्लाह ने फ़र्माया, **ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तुन तुतह्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम अत्तौबा** और पैग़म्बर के सिवा और किसी की दुआ से उनको तसल्ली नहीं हो सकती। **व हिसाबुहू अलल्लाह** का मतलब ये है कि दिल मे उसके ईमान है या नहीं उससे हमको ग़र्ज़ नहीं। उसकी पूछ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने होगी और दुनिया में जो कोई ज़ुबान से **ला इलाहा इल्लल्लाह** कहेगा उसको मोमिन समझेंगे और उसके माल और जान पर हमला न करेंगे। सिद्दीक़ी अल्फ़ाज़ में **फ़र्रक़ बैनस्सलात वज़्ज़कात** का मतलब ये है कि जो शख़्स नमाज़ को फ़र्ज़ कहेगा मगर ज़कात की फ़र्ज़ियत का इंकार करेगा हम ज़रूर ज़रूर उससे जिहाद करेंगे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी बाद में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की राय से इत्तिफ़ाक़ किया और सब सहाबा मुत्तफ़िक़ हो गए और ज़कात न देने वालों से जिहाद किया। ये हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि) की फ़हमो–फ़रासत थी। अगर वो इस अ़ज़्म से काम न लेते तो उसी वक़्त इस्लामी निज़ाम दरहम–बरहम हो जाता मगर हज़रत सिद्दिक़े अकबर (रज़ि.) ने अपने अ़ज़्मे मुसम्मम से इस्लाम को एक बड़े फ़ित्ने से बचा लिया। आज भी इस्लामी क़ानून यही है कि कोई शख़्स सिर्फ़ कलिमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता जब तक कि वो नमाज़, रोज़ा, हज्ज, ज़कात की फ़र्जियत का इक़रारी न हो और वक़्त आने पर उनको अदा न करे। जो कोई किसी भी इस्लाम के रुक्न की फ़र्ज़ियत का इंकार करे वो मुत्तफ़क़ तौर पर इस्लाम से ख़ारिज और काफ़िर हैं। नमाज़ के लिये तो साफ़ मौजूद है **मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र.** जिसने जान–बूझकर बिला किसी बहाने के एक वक़्त की नमाज़ भी छोड़ दी तो उसने कुफ़्र का इर्तिकाब किया।

अ़दमे ज़कात के लिये हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) का फ़त्व-ए-जिहाद मौजूद है और हज्ज के बारे में फ़ारूक़े आज़म का वो फ़र्मान क़ाबिले ग़ौर है जिसमें आपने मम्लिकते इस्लामिया से ऐसे लोगों की फ़ेहरिस्त तलब की थी जो मुसलमान हैं और जिन पर हज्ज फ़र्ज़ है मगर वो फ़र्ज़ नहीं अदा करते हैं तो आपने फ़र्माया था कि उन पर जिज़्या क़ायम कर दो वो मुसलमानों की जमाअत से ख़ारिज हैं।

बाब 2 : ज़कात देने पर बैअ़त करना और अल्लाह पाक ने (सूरह बराअत में) फ़र्माया कि अगर वो (कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन) तौबा कर लें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात देने लगें तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई है

٢– بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ
﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾ [التوبة : ١١].

1401. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे क़ैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया कि जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ क़ायम करने, ज़कात देने और हर मुसलमान के साथ ख़ैरख़्वाही करने पर बैअ़त की थी।

١٤٠١– حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: ((قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)).

(राजेअ : 57)

[راجع: ٥٧]

मा'लूम हुआ कि दीनी भाई बनने के लिये कुबूलियते ईमान व इस्लाम के साथ साथ नमाज़ क़ायम करना और साहिबे निसाब होने पर ज़कात अदा करना भी ज़रूरी है।

बाब 3 : ज़कात न अदा करने वाले का गुनाह

٣- بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى

और अल्लाह तआला ने (सूरह बराअत में) फ़र्माया,

कि जो लोग सोना और चाँदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते आख़िर आयत फ़ज़ूक़ू मा कुन्तु तक्निज़ून तक। या'नी अपने माल को गाड़ने का मज़ा चखो। (अत् तौबा : 34-35)

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إلى قوله فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

आयत में कन्ज़ का लफ़्ज़ है। कन्ज़ उसी माल को कहेंगे जिसकी ज़कात न दी जाए। अक्षर सहाबा और ताबेईन का यही क़ौल है कि आयत अहले किताब और मुश्रिकीन और मोमिनीन सबको शामिल है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इसी तरफ़ इशारा किया है और कुछ सहाबा ने इस आयत को काफ़िरों के साथ ख़ास किया है। (वहीदी)

1402. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब बिन अबी हम्ज़ा ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया कि अब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ अल अअरज ने उनसे बयान किया, कहा कि उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, आप ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऊँट (क़यामत के दिन) अपने मालिकों के पास जिन्होंने उनका हक़ (ज़कात) न अदा किया कि उससे ज़्यादा मोटे-ताज़े होकर आएँगे (जैसे दुनिया में थे) और उन्हें अपने खुरों से रौंदेंगे। बकरियाँ भी अपने उन मालिकों के पास जिन्होंने उनके हक़ नहीं दिये थे, पहले से ज़्यादा मोटी-ताज़ी होकर आएँगी और उन्हें अपने खुरों से रौंदेंगी और अपने सींगों से मारेंगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसका हक़ ये भी है कि उसे पानी ही पर (या'नी जहाँ वो चारागाह में चर रही हो) दुहा जाए। आपने फ़र्माया कि कोई शख़्स क़यामत के दिन इस तरह न आएगा कि वो अपनी गर्दन पर एक ऐसी बकरी उठाए हुए हो जो चिल्ला रही हो और वो मुझसे कहे कि ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मुझे अज़ाब से बचाइये। मैं उसे ये जवाब दूँ कि तेरे लिये मैं कुछ नहीं कर सकता (मेरा काम पहुँचाना था) सो मैने पहुँचा दिया। इसी तरह कोई शख़्स अपनी गर्दन पर ऊँट ले हुए

١٤٠٢- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا. وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا)). قَالَ : ((وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)) قَالَ: ((وَلاَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ : لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ)).

क़यामत के दिन न आए कि ऊँट चिल्ला रहा हो और वो ख़ुद मुझसे फ़रियाद करे, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! मुझे बचाइये और मैं ये जवाब दे दूँ कि तेरे लिये मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुझको (अल्लाह का हुक्म ज़कात) पहुँचा दिया।

(दीगर मक़ाम : 2378, 3073, 9685)

[أطرافه في : ٢٣٧٨، ٣٠٧٣، ٩٦٥٨].

तश्रीह : (मुस्लिम की रिवायत में इतना ज़्यादा है कि मुँह से काटेंगे। पचास हजार बरस का जो दिन होगा उस दिन यही करते रहेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह बन्दों का फ़ैसला करे और वो अपना ठिकाना देख लें। बहिश्त में या जहन्नम में। इस हदीष़ में आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत को चेतावनी फ़र्माई है कि जो लोग अपने अम्वाले ऊँट या बकरी वग़ैरह में से मुक़र्ररा निसाब के तहत ज़कात नहीं अदा करेंगे। क़यामत के दिन उनका ये हाल होगा जो यहाँ मज़्कूर हुआ फिल वाक़ेअ वो जानवर इन हालात में आएँगे और उस शख़्स की गर्दन पर ज़बरदस्ती सवार हो जाएँगे। वो शख़्स हुज़ूर (ﷺ) को मदद के लिये पुकारेगा मगर आपका ये जवाब होगा जो मज़्कूर हुआ। बकरी को पानी पर दुहने से ग़र्ज़ ये है कि अरब में पानी पर अकष़र ग़रीब मुह्ताज लोग जमा रहते हैं। वहाँ वो दूध निकालकर मिस्कीन—फ़ुक़रा को पिलाया जाए। कुछ ने कहा कि ये हुक्म ज़कात की फ़र्ज़ियत से था। जब ज़कात फ़र्ज़ हो गई तो अब तो ये सदक़ा या हक़ वाजिब नहीं रहा। एक हदीष़ में है कि ज़कात के सिवा माल में दूसरा हक़ भी है। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। एक हदीष़ में है कि ऊँट का भी यही हक़ है कि उनका दूध पानी के किनारे पर दुहा जाए।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़र्माते हैं, **व इन्नमा ख़स्सल हल्ब बिमौज़इल माइ लियकून अस्हलु अलल्मुहताजि मिन क़सदिल मनाज़िलि व अर्फ़क़ु बिल माशियति** या'नी पानी पर दूध दुहने की ख़ुसूसियत का ज़िक्र इसलिये किया कि वहाँ मुहताज और मुसाफ़िर लोग आराम के लिये क़याम पज़ीर रहते हैं।

इस हदीष़ से ये भी ष़ाबित होता है कि क़यामत के दिन गुनाह मिष़ाली जिस्म इख़्तियार कर लेंगे वो जिस्मानी शक्लों में सामने आएँगे। इसी तरह नेकियाँ भी मिष़ाली शक्लें इख़्तियार करके सामने लाई जाएँगी। दोनों क़िस्म की तफ़्सीलात बहुत सी अहादीष़ में मौजूद है। आइन्दा अहादीष़ में भी एक ऐसा ही ज़िक्र मौजूद है।

1403. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हाशिम बिन क़ासिम ने बयान किया कि हमसे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू स़ालेह समान ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसने उसकी ज़कात नहीं अदा की तो क़यामत के दिन उसका माल निहायत ज़हरीले गंजे साँप की शक्ल इख़्तियार कर लेगा। उसकी आँखों के पास दो स्याह नुक़ते होंगे। जैसे साँप के होते हैं, फिर वो साँप उसके दोनों जबड़ों से उसे पकड़ लेगा ओर कहेगा कि मैं तेरा माल और ख़ज़ाना हूँ। इसके बाद आपने ये आयत पढ़ी और वो लोग ये गुमान न करे कि अल्लाह तआला ने उन्हें जो कुछ अपने फ़ज़्ल से दिया है वो उस पर बुख़्ल से काम लेते हैं कि उनका माल उनके लिये बेहतर है। बल्कि वो बुरा है जिस

١٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ: ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ الآية)). [آل عمران: ١٨٠]

[أطرافه في : ٤٥٦٥، ٤٦٥٩، ٤٩٥٧].

माल के मामले में उन्होंने बुख़्ल किया है। क़यामत में उसका तौक़ बना कर उनकी गर्दन में डाला जाएगा।

(दीगर मक़ाम : 4565, 4689, 4957)

तश्रीह : निसाई में ये अल्फ़ाज़ और हैं, **व यकूनु कन्ज़ु अहदिकुम यौमल्क़ियामति शुआअन अक्रअ यफ़िर्रु मिन्हु स़ाहिबुहू व यत्लुबुहू अना कन्ज़ुक फला यज़ालु हत्ता युल्क़िमुहू इस्बअहू.** या'नी वो गंजा सांप उसकी तरफ़ लपकेगा और वो शख़्स उससे भागेगा। वो सांप कहेगा कि मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। पस वो उसकी उँगलियों का लुक्मा बना लेगा। ये आयते करीमा उन मालदारों के ह़क़ में नाज़िल हुई जो साहिबे निस़ाब होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते बल्कि दौलत को ज़मीन में बतौरे ख़ज़ाना गाड़ देते थे। आज भी उसका हुक्म यही है जो मालदार मुसलमान ज़कात हज़म कर जाएँ उनका भी यही हश्र होगा। आज सोना—चाँदी की जगह करंसी ने ले ली है जो चाँदी और सोने ही के हुक्म में दाख़िल है। अब ये कहा जाएगा कि जो लोग उन नोटों की गड्डियाँ बना-बनाकर रखते हैं और ज़कात नहीं अदा करते उनके वही नोट उनके लिये जहन्नम का सांप बनकर उनके गलों का हार बनाए जाएँगे।

बाब 4 : जिस माल की ज़कात दे दी जाए वो कंज़ (ख़ज़ाना) नहीं है क्योंकि नबी (ﷺ) करीम ने फ़र्माया कि पाँच औक़िया से कम चाँदी में ज़कात नहीं है

٤- بَابُ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ))

١٤٠٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي قَوْلَ اللهِ: ﴿وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ﴾. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ)). [طرفه في : ٤٦٦١].

1404. हमसे अहमद बिन शबीब ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे मेरे वालिद शबीब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे शिहाब ने, उनसे ख़ालिद बिन असलम ने, उन्होंने बयान किया कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के साथ कहीं जा रहे थे। एक अअराबी ने आपसे पूछा कि मुझे अल्लाह तआला के इस फ़र्मान की तफ़्सीर बतलाइये, जो लोग सोने और चाँदी का ख़ज़ाना बनाकर रखते हैं। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसका जवाब दिया कि अगर किसी ने सोना चाँदी जमा किया और उसकी ज़कात न दी तो उसके लिये वैल (ख़राबी) है। ये हुक्म ज़कात के अहकाम नाज़िल होने से पहले था, लेकिन जब अल्लाह तआला ने ज़कात का हुक्म नाज़िल कर दिया तो अब वही ज़कात माल-दौलत को पाक करने वाली है।

(दीगर मक़ाम : 4661)

तश्रीह : या'नी इस माल के बारे में ये आयत नहीं है, **वल्लज़ीन यक्निज़ूनज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़त** (अत् तौबा:34) मा'लूम हुआ कि अगर कोई माल जमा करे तो गुनाहगार नहीं बशर्ते कि ज़कात दिया करे। गो तक़्वा और फ़ज़ीलत के ख़िलाफ़ है। ये बाब का तर्जुमा ख़ुद एक ह़दीष़ है। जिसे इमाम मालिक ने इब्ने उमर (रज़ि.) से मौक़ूफ़न निकाला है और अबू दाऊद ने एक मर्फ़ूअ ह़दीष़ निकाली जिसका मतलब यही है। ह़दीष़ **लैस फ़ीमा दून ख़म्सि अवाक़ सदक़ह** ये ह़दीष़ इसी बाब में आती है।

इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ से दलील ली कि जिस माल की ज़कात अदा की जाए वो कन्ज़ नहीं है। उसका दबाना और रख छोड़ना दुरुस्त है क्योंकि पाँच औक़िया से कम चाँदी में ह़दीष़ की दलील की बुनियाद पर ज़कात नहीं है। पस इतनी चाँदी का रख छोड़ना और दबाना कन्ज़ न होगा और आयत में से उसको ख़ास़ करना होगा और ख़ास़ करने की वजह यही हुई कि ज़कात उस पर नहीं है तो जिस माल की ज़कात अदा कर दी गई वो भी कन्ज़ न होगा क्योंकि इस पर भी ज़कात (बाक़ी) नहीं रही। एक औक़िया चालीस दिरहम का होता है पाँच औक़ियों के दो सौ दिरहम हुए या'नी साढ़े बावन तौला चाँदी। यही चाँदी का निस़ाब है उससे कम में ज़कात नहीं है।

कन्ज़ के बारे में बैहक़ी में अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) की रिवायत में है **कुल्लु मा अद्दैत ज़कातहू व इन कान तहत सब्इ अर्ज़ीन फलैस बिकन्ज़िन व कल्लु मा ला तुअद्दी ज़कातहू फहुव कन्ज़ुन व कान ज़ाहिरन अ़ला वज्हिल अर्ज़ि.** (फ़त्हुल बारी)

या'नी हर वो माल जिसकी तूने ज़कात अदा कर दी है वो कन्ज़ नहीं है अगरचे वो सातवीं ज़मीन के नीचे दफ़न हो और हर वो माल जिसकी ज़कात नहीं अदा की वो कन्ज़ है अगरचे वो ज़मीन की पीठ पर रखा हुआ हो। आपका ये क़ौल भी मरवी है **मा उबाली लौ कान ली मिष़्लु उहुदिन ज़हबन आ़लमु अ़ददहू उज़क्कीहि व आ़मलु फीहि बिताअ़तिल्लाहि तआ़ला.** (फ़त्हुल कदीर) या'नी मुझको कुछ परवाह नहीं जबकि मेरे पास उहुद पहाड़ जितना सोना हो और मैं ज़कात अदा करके उसे पाक करूँ और उसमें अल्लाह की इत़ाअ़त के काम करूँ या'नी इस ह़ालत में इतना ख़ज़ाना भी मेरे लिये मुज़िर (नुक़्स़ानदायक) नहीं है।

1405. हमसे इस्ह़ाक़ बिन यज़ीद ने ह़दीष़ बयान की, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब बिन इस्ह़ाक़ ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें इमाम औज़ाई ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे यह्या बिन अबी कष़ीर ने ख़बर दी कि अ़म्र बिन यह्या बिन उ़मारह ने उन्हें ख़बर दी अपने वालिद उ़मारह बिन अबुल ह़सन से और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से उन्होंने बयान किया कि रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया पाँच औक़िया से कम चाँदी में ज़कात नहीं है और पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है और पाँच वस्क़ से कम (अनाज) में ज़कात नहीं है।

(दीगर मक़ाम : 1447, 1459, 1474)

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيْهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).

[أطرافه في : ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤].

तश्रीह : एक औक़िया चालीस दिरहम का होता है। पाँच औक़िया के दो सौ दिरहम हम या'नी साढ़े बावन तौला चाँदी होती है, ये चाँदी का निस़ाब है। वस्क़ साठ स़ाअ़ का होता है साअ़ चार मुद का। मुद एक रत़ल और तिहाई रत़ल का। हिन्दुस्तान के वज़न (इसी तौला सेर के हिसाब से) एक वस्क़ साढ़े चार मन या पाँच मन के क़रीब होता है। पाँच वस्क़ बाईस मन या 25 मन हुआ। उससे कम में ज़कात (उ़श्र) नहीं है।

1406. हमसे अली बिन अबी हाशिम ने बयान किया, उन्होंने हुशैम से सुना, कहा कि हमें हुस़ैन ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन वुहैब ने कहा कि मैं मक़ामे-रबज़ह से गुज़र रहा था कि अबू ज़र (रज़ि.) दिखाई दिये। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आ गए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं शाम में था तो मुआविया (रज़ि.) से मेरा

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ هُشَيْمًا قَالَ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: ((مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ

هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: ﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ﴾. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنِ اقْدَمِ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيبًا. فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا الْمَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ)).

[طرفه في : ٤٦٦٠].

इख़्तिलाफ़ (क़ुर्आन की आयत) जो लोग सोना-चाँदी जमा करते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते; के मुता'ल्लिक़ हो गया। मुआविया का कहना था कि ये आयत अहले किताब के बारे में नाज़िल हुई है और मैं ये कहता था कि अहले किताब के साथ हमारे मुता'ल्लिक़ भी नाज़िल हुई है। इस इख़्तिलाफ़ के नतीजे में मेरे और उनके दरम्यान कुछ तल्ख़ी पैदा हो गई। चुनाँचे उन्होंने उ़ष्मान (रज़ि.) (जो उन दिनों ख़लीफ़तुल-मुस्लिमीन थे) के यहाँ मेरी शिकायत लिखी। उ़ष्मान (रज़ि.) ने मुझे लिखा कि मैं मदीना चला आऊँ। चुनाँचे मैं चला आया। (वहाँ जब पहुँचा) तो लोगों का मेरे यहाँ इस तरह हुजूम होने लगा, जैसे उन्होंने मुझे पहले देखा ही न हो। फिर जब मैंने लोगों के इस तरह अपनी तरफ़ आने के मुता'ल्लिक़ उ़ष्मान (रज़ि.) से कहा तो उन्होंने फ़र्माया कि अगर मुनासिब समझो तो यहाँ का क़याम छोड़कर मदीना के क़रीब ही कहीं अलग क़याम इख़्तियार कर लो। यही बात है जो मुझे यहाँ (रबज़ह) तक ले आई है। अगर वो मेरे ऊपर एक हब्शी को भी अमीर मुक़र्रर कर दें तो मैं उसकी भी सुनूँगा और इताअ़त करूँगा। (दीगर मक़ाम : 4660)

तश्रीह : हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) बड़े आलीशान सहाबी और ज़ुहद व दरवेशी में अपनी नज़ीर नहीं रखते थे, ऐसी बुज़ुर्ग शख़्सियत के पास ख़्वाह-मख़्वाह लोग बहुत जमा होते हैं। हज़रत मुआविया ने उनसे ये अंदेशा किया कि कहीं कोई फ़साद न उठ खड़ा हो। हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ने उनको वहाँ बुला भेजा तो फ़ौरन चले आए। ख़लीफ़ा और हाकिमे इस्लाम की इताअ़त फ़र्ज़ है। अबू ज़र ने ऐसा ही किया। मदीना आए तो शाम से भी ज़्यादा उनके पास मज्मअ़ होने लगा। हज़रत उ़ष्मान (रज़ि) को भी वही अंदेशा हुआ जो मुआविया (रज़ि) को हुआ था। उन्होंने साफ़ तो नहीं कहा कि तुम मदीना से निकल जाओ मगर इस्लाह के तौर पर बयान किया। अबू ज़र (रज़ि.) ने उनकी मर्ज़ी पाकर मदीना को भी छोड़ा और रब्ज़ा नामी एक मक़ाम पर जाकर रह गए और तादमे वफ़ात (मरते दम तक) वहीं मुक़ीम रहे। आपकी क़ब्र भी वहीं है।

इमाम अहमद और अबू यअ़ला ने मर्फ़ूअ़न निकाला है कि आँहज़रत (रज़ि.) ने अबू ज़र से फ़र्माया था जब तू मदीना से निकाला जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा शाम के मुल्क में। आपने फ़र्माया कि जब तू वहाँ से भी निकाला जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं फिर मदीना शरीफ़ में आ जाऊँगा। आपने फ़र्माया जब फिर वहाँ से निकाला जाएगा तो क्या करेगा? अबू ज़र ने कहा मैं अपनी तलवार सम्भाल लूँगा और लड़ूंगा। आपने फ़र्माया बेहतर बात ये है कि इमामे वक़्त की बात सुन लेना और मान लेना। वो तुमको जहाँ भेजें चले जाना। चुनाँचे हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने उसी इर्शाद पर अमल किया और दम न मारा और आख़िर दम तक रब्ज़ा ही में रहे।

जब आपके इंतिक़ाल का वक़्त क़रीब आया तो आपकी बीवी जो साथ थीं उस मौते ग़ुर्बत का तसव्वुर करके रोने लगीं। कफ़न के लिये भी कुछ न था। आख़िर अबू ज़र (रज़ि.) को एक पेशीनगोई याद आई और बीवी से फ़र्माया कि मेरी वफ़ात के बाद इस टीले पर जा बैठना कोई क़ाफ़िला आएगा वही मेरे कफ़न का इंतिज़ाम करेगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) अचानक एक क़ाफ़िला के साथ इधर से गुज़रे और सूरतेहाल मा'लूम करके रोने लगे, फिर कफ़न-दफ़न का इंतिज़ाम किया। कफ़न में अपना अमामा उनको दे दिया। (रज़ि.)

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं,

व फ़ी हाजल्हदीषि मिनल्फ़वाइदि गैरमा तक़द्दम अन्नल्कुफ़्फ़ार मुख़ातबून बिफ़ुरूइश्शरीअति लिइत्तिफ़ाक़ि अबी ज़र्रिन व मुआवियत अन्नल्आयत नज़लत फ़ी अहलिल्किताबि व फ़ीहि मुलातफतुल्अइम्मति लिल्उलमाइ फ़इन्न मुआवियत लम यज्सुर अलल्इन्कारि अलैहि हत्ता कातब मन हुव आला मिन्हु फ़ी अम्रिही व उष्मानु लम यहनुक़ अला अबी ज़र्रिन मिनश्शिक़ाक़ि वल्ख़ुरूजि अलल्अइम्मति वत्तर्ग़ीबि फित्ताअति लिउलिल्अम्रि व अम्रुल्अफ़्ज़लि बिताअतिल्मफ़्ज़ूलि ख़श्यतल्मफ़्सति व जवाज़ल्इख़्तिलाफ़ि फ़िल्इज्तिहादि वल्अख़्ज़ि बिशिद्दति फ़िल्अम्रि बिल्मअरूफ़ि व इन अद्दा ज़ालिक इला फ़ि राक़िल्वतनि व तक़्दीमि दफइल्मुफ़्सदति अला जल्बिलमन्फ़अति लिअन्न फ़ी बक़ाइ अबी ज़र्रिन बिल्मदीनति मस्लहतुहू कबीरतुन मम्बष्ष अमलहू फ़ी तालिबिल्इल्मि व मअ ज़ालिक फरजअ इन्द उष्मान दफ़अ मा यतवक्कउ इन्दलमफ़्सदति मिनल्अख़्ज़ि बिमज़्हबिश्शदीद फ़ी हाज़िहिल्मस्अलति व लम यअमुर्हु बअद ज़ालिक बिर्रूजुइ अन्हु लिअन्न कुल्लम्मिन्हुमा मुज्तहिदन.

या'नी इस हदीष से बहुत से फ़ायदे निकलते हैं। हज़रत अबू ज़र और हज़रत मुआविया यहाँ तक मुत्तफ़िक़ थे कि ये आयत अहले किताब के हक़ में नाज़िल हुई है पस मा'लूम हुआ कि शरीअत के फ़ुरूई अह्कामात के कुफ़्फ़ार भी मुख़ातब हैं और इससे ये भी निकला कि हुक्कामे इस्लाम को उलमा के साथ मेहरबानी से पेश आना चाहिये। हज़रत मुआविया ने ये जसारत नहीं की कि खुल्लम खुल्ला हज़रत अबू ज़र की मुख़ालफ़त करें बल्कि ये मुआमला हज़रत उष्मान तक पहुँचा दिया जो उस वक़्त मुसलमानों के ख़लीफ़-ए-बरहक़ थे और वाक़िआत मा'लूम होने पर हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने भी हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के साथ कोई सख़्ती नहीं की हालाँकि वो उनकी तावील के ख़िलाफ़ थे। उससे ये भी निकला कि अहले इस्लाम को बाहमी निफ़ाक़ व शिक़ाक़ से डरना ही चाहिये और अइम्म-ए-बरहक़ पर ख़ुरूज नहीं करना चाहिये बल्कि उलुल-अम्र की इताअत करनी चाहिये और इज्तिहादी उमूर में उससे इख़्तिलाफ़ का जवाज़ भी षाबित हुआ और ये भी कि अम्र बिल मअरूफ़ करना ही चाहिये ख़्वाह उसके लिये वतन छोड़ना पड़े और फ़साद की चीज़ को दफ़ा ही करना चाहिये अगरचे वो नफ़ा के ख़िलाफ़ भी हो। हज़रत उष्मान (रज़ि.) जो हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) को हुक्म दिया उसमें बड़ी मस्लिहत थी कि ये यहाँ मदीने में रहेंगे तो लोग उनके पास बकषरत इल्म हासिल करने आएँगे और इस मसल-ए-तनाज़आ में उनसे इसी शिद्दत का अषर लेंगे। हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने हज़रत अबू ज़र को उस शिद्दत से रुजूअ करने का भी हुक्म नहीं दिया इसलिये कि ये सब मुज्तहिद थे और हर मुज्तहिद अपने-अपने इज्तिहाद का ख़ुद ज़िम्मेदार है।

ख़ुलासा-ए-कलाम ये है कि हज़रत अबू ज़र अपने ज़ुहद व तक़्वा की बुनियाद पर माल के मुता'ल्लिक़ बहुत शिद्दत बरतते थे और वो अपने ख़्याल पर अटल थे। मगर दीगर अकाबिर सहाबा ने उनसे इत्तिफ़ाक़ नहीं किया और न उनसे ज़्यादा तअरीज़ किया। हज़रत उष्मान (रज़ि.) ने ख़ुद उनकी मर्ज़ी देखकर उनको रब्ज़ा में आबाद फ़र्माया था। बाहमी नाराज़गी न थी। जैसा कि बाज़ ख़्वारिज ने समझा। तफ़्सील के लिये फ़त्हुलबारी का मुतालआ किया जाए।

1407. हमसे अयाश बिन वलीद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अअला ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद जरीरी ने अबू अलाअ यज़ीद से बयान किया, उनसे अहनफ़ बिन क़ैस ने, उन्होंने कहा कि मैं बैठा हुआ था

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ((جَلَسْتُ)). ح.

(दूसरी सनद) और इमाम बुख़ारी ने फ़र्माया कि मुझसे इस्हाक़ बिन मन्सूर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे सईद जरीरी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अलाअ बिन शख़्ख़ीर ने बयान किया,

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ

قَالَ: ((جَلَسْتُ إِلَى مَلإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ. وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ : لاَ أُرَى الْقَوْمَ إِلاَّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قَالَ : إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا)).

उनसे अहनफ़ बिन क़ैस ने बयान किया कि मैं क़ुरैश की एक मजलिस में बैठा हुआ था। इतने में सख़्त बाल, मोटे कपड़े और मोटी-झोटी हालत में एक शख़्स आया और खड़े होकर सलाम किया और कहा कि ख़ज़ाना जमा करने वालों को उस पत्थर की बशारत हो जो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा और उसकी छाती पर रख दिया जाएगा जो मूँढे की तरफ़ से पार हो जाएगा और मूँढ़े की पतली हड्डी पर रख दिया जाएगा तो सीने की तरफ़ से पार हो जाएगा। इस तरह वो पत्थर बराबर ढलकता रहेगा। ये कह कर वो साहब चले गये और एक सुतून (खम्भे) के पास टेक लगाकर बैठ गये। मैं भी उनके साथ चला और उनके क़रीब बैठ गया। अब तक मुझे ये मा'लूम न था कि ये कौन साहब हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरा ख़्याल है कि आपकी बात क़ौम ने पसन्द नहीं की। उन्होंने कहा ये सब तो बेवक़ूफ़ हैं।

١٤٠٨ - قَالَ لِيْ خَلِيْلِي - قَالَ قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ : النَّبِيُّ ﷺ -: ((يَا أَبَا ذَرٍّ أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟)) قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : ((مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ. وَإِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لاَ وَاللهِ، لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلاَ أَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ)). [راجع: ١٢٣٧]

1408. (उन्होंने कहा) मुझसे मेरे ख़लील ने कहा था। मैंने पूछा कि आपके ख़लील कौन हैं? जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, ऐ अबूज़र क्या उहुद पहाड़ तू देखता है? अबू ज़र (रज़ि.) का बयान था कि उस वक़्त मैंने सूरज की तरफ़ नज़र उठाकर देखा कि कितना दिन अभी बाक़ी है? क्योंकि मुझे (आपकी बात से) ये ख़्याल गुज़रा कि आप अपने किसी काम के लिये मुझे भेजेंगे। मैंने जवाब दिया जी हाँ! (उहुद पहाड़ मैंने देखा है)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो, मैं इसके सिवा दोस्त नहीं रखता कि सिर्फ़ तीन दीनार बचाकर बाक़ी का तमाम (अल्लाह के रास्ते में) दे डालूँ। (अबूज़र रज़ि. ने फिर फ़र्माया कि) उन लोगों को कुछ मा'लूम नहीं, ये दुनिया जमा करने की फ़िक्र करते हैं, हर्गिज़ नहीं अल्लाह की क़सम न मैं उनकी दुनिया उनसे माँगता हूँ और न दीन का कोई मसला उनसे पूछता हूँ यहाँ तक कि मैं अल्लाह से जा मिलूँ। (राजेअ : 1237)

तश्रीह : शायद तीन अशरफ़ियाँ उस वक़्त आप पर क़र्ज़ होंगी या ये आपका रोज़ाना का ख़र्च होगा। हाफ़िज़ ने कहा कि इस हदीष से ये निकलता है कि माल जमा न करे। मगर ये उलुवियत पर महमूल है क्योंकि जमा करने वाला गो ज़कात दे तब भी उसको क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। इसलिये बेहतर यही है कि जो आए ख़र्च कर डाले मगर इतना भी नहीं कि क़ुर्आन पाक की आयात के ख़िलाफ़ हो जिसमें फ़र्माया, **व ला तब्सुत्हा कुल्लल बसति फ़तक़्अुद मलूमम महसूरा** (बनी इस्राईल: 29) या'नी इतने भी हाथ कुशादा न करो कि तुम खाली होकर शर्मिन्दा और आजिज़ बन जाओ। ख़ुद

आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि एक मुसलमान के लिये उसके ईमान को बचाने के लिये उसके हाथ में माल का होना मुफ़ीद होगा। इसीलिये कहा गया है कि कुछ दफ़ा मुहताजगी काफ़िर बना देती है। ख़ुलासा ये है कि दरम्यानी रास्ता बेहतर है।

बाब 5 : अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने की फ़ज़ीलत का बयान

٥- بَابُ إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ((لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)). [راجع: ٧٣]

1409. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से बयान किया, कहा कि मुझसे क़ैस बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, और उनसे इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने बयान किया कि हसद (रश्क) करना सिर्फ़ दो ही आदमियों के साथ जाइज़ हो सकता है। एक तो उस शख़्स के साथ जिसे अल्लाह ने माल दिया और उसे हक़ और मुनासिब जगहों में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ दी। दूसरे उस शख़्स के साथ जिसे अल्लाह तआला ने हिकमत (अक़्ल, क़ुर्आन-हदीष का इल्म और मामला फ़हमी) दी और वो अपनी हिकमत के मुताबिक़ हक़ फ़ैसला करता है और लोगों को इसकी ता'लीम देता है। (राजेअ : 73)

तश्रीह : अमीर और आलिम दोनों अल्लाह के यहाँ मक़्बूल भी हैं और मदद भी। मक़्बूल वो जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में ख़र्च करें, ज़कात और सदक़ात से मुस्तहिक़्क़ीन (हक़दारों) की ख़बरगिरी करें और इस बारे में रिया नमूद से भी बचें, ये मालदार इस क़ाबिल हैं कि हर मुसलमान को उन जैसा मालदार बनने की तमन्ना करनी जाइज़ है। इसी तरह आलिम जो अपने इल्म पर अमल करें और लोगों को इल्मी फ़ैज़ पहुँचाएँ और रिया नमूद से दूर रहे, ख़शिय्यत व मुहब्बत इलाही बहरहाल मुक़द्दम रखें, ये आलिम भी क़ाबिले रश्क हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़सद ये कि अल्लाह के लिये ख़र्च करने वालों का बड़ा दर्जा है ऐसा कि उन पर रश्क करना जाइज़ है जबकि आम तौर पर हसद करना जाइज नहीं मगर नेक निय्यती के साथ उन पर हसद करना जाइज़ है।

बाब 6 : सदक़े में रियाकारी करना, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि

٦- بَابُ الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ- إِلَى قَوْلِهِ - وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ﴾ [البقرة : ٢٦٤، ٢٦٥].

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿صَلْدًا﴾: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ

ऐ लोगों! जो ईमान ला चुके हो अपने सदक़ात को एहसान जताकर और (जिस ने तुम्हारा सदक़ा ले लिया है उसे) ईज़ा देकर बर्बाद मत करो, जैसे वो शख़्स (अपने सदक़े बर्बाद करता है) जो लोगों को दिखाने के लिये माल ख़र्च करता है और अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाता। (से) अल्लाह तआला के इर्शाद और अल्लाह अपने मुन्किरों को हिदायत नहीं करता (तक)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि (क़ुर्आन मजीद) में लफ़्ज़ सल्दन से मुराद साफ़ और चिकनी चीज़ है। इक्रमा (रज़ि.) ने कहा (क़ुर्आन मजीद) में लफ़्ज़ वाबिल से मुराद ज़ोर की बारिश

عِكْرِمَةُ: ﴿وَابِلٌ﴾: مَطَرٌ شَدِيدٌ. وَ﴿الطَّلُّ﴾: النَّدَى.

है और लफ़्ज़ तुल से मुराद शबनम (ओस) है।

तश्रीह : यहाँ फ़र्ज़ सदक़ा या'नी ज़कात और नफ़्ल सदक़ा या'नी ख़ैरात दोनों शामिल है। रियाकारी के दख़ल से दोनों बजाय ष़वाब के अ़ज़ाब के बाइ़ष़ (कारक) होंगे। जैसा कि दूसरी ह़दीष़ में आया है कि क़यामत के दिन रियाकार को दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि तूने नामवरी के लिये ख़र्च किया था सो तेरा नाम दुनिया में जव्वाद सख़ी मशहूर हो गया अब यहाँ आख़िर तेरे लिये क्या रखा है। रियाक़ार से बदतर वो लोग हैं जो ग़रीबों व मिस्कीनों पर एह़सान जतलाते हैं और उनको रूह़ानी ईज़ा पहुँचाते हैं। इस तरह़ के ज़कात व सदक़ात इन्दल्लाह बात़िल हैं।

ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ बाब में उन आयात ही पर इक्तिफ़ा किया और आयात में एह़सान जतलाने और ईज़ा देने वाले रियाकार काफ़िरों के सदक़ा के साथ तश्बीह देकर उनकी इंतिहाई क़बाह़त पर दलील ली है। स़ल्दन व़ो साफ़ पत्थर जिस पर कुछ भी न हो **हाज़ा मष़लुन ज़रबहुल्लाहु लिआमालिल्कुफ़्फ़ारि यौमल्क़ियामति बिक़ौलि ला यक़्दिरून अ़ला शयइम्मिमा कसबू यौमइज़िन कमा तरक हाजल्मतरूस्सल्द नक़िय्यन लैस अ़लैहि शैउन.** या'नी ये मिष़ाल अल्लाह ने उन काफ़िरों के लिये बयान की कि क़यामत के दिन उनके आमाल कलअ़दम (निरस्त) हो जाएँगे और वो वहाँ कुछ भी न पा सकेंगे जैसा कि बारिश ने उस पत्थर को साफ़ कर दिया।

٧- بَابُ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ

لِقَوْلِهِ : ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى، وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦٣].

बाब 7 : अल्लाह पाक चोरी के माल में से ख़ैरात नहीं क़ुबूल करता और वो सिर्फ़ पाक कमाई से क़ुबूल करता है

क्योंकि अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है , भली बात करना और फ़क़ीर की सख़्त बातों को माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके नतीजे में (उस शख़्स को जिसे सदक़ा दिया गया है) अज़िय्यत (तकलीफ़) दी जाए कि अल्लाह बड़ा बेनियाज़, निहायत बुर्दबार है।

इस आयत से इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब का मत़लब यूँ निकाला कि जब कोई चोर, चोरी के माल में से ख़ैरात करेगा तो जिन लोगों पर ख़ैरात करेगा उनको जब उसकी ख़बर होगी तो वो रंजीदा होंगे, उनको ईज़ा होगी।

٨- بَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ،

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: [البقرة : ٢٧٦-٢٧٧] ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

बाब 8 : हलाल कमाई में से ख़ैरात क़ुबूल होती है

क्योंकि अल्लाह तआ़ला का इर्शाद है कि

अल्लाह तआ़ला सूद को घटाता है और सदक़े को बढ़ाता है और अल्लाह तआ़ला किसी नाशुक्रे गुनाहगार को पसन्द नहीं करता। वो लोग जो ईमान लाए और नेक अ़मल किये, नमाज़ क़ायम की और ज़कात दी, उन्हें इन आमाल का उनके परवरदिगार के यहाँ ष़वाब मिलेगा और न उन्हें कोई ख़ौफ़ होगा और न वो ग़मगीन होंगे।

1410. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने अबू नज़र सालिम बिन अबी उमय्या से सुना, उन्होंने बयान किया कि मुझसे अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू सालेह ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदक़ा करे और अल्लाह तआला सिर्फ़ हलाल कमाई के सदक़े को क़ुबूल करता है तो अल्लाह तआला उसे अपने दाहिने हाथ से क़ुबूल करता है। फिर सदक़ा करने वाले के फ़ायदे के लिये उसमें ज़्यादती करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई अपने जानवर के बच्चे को खिला-पिलाकर बढ़ाता है, यहाँ तक कि उसका सदक़ा पहाड़ के बराबर हो जाता है। अब्दुर्रहमान के साथ इस रिवायत की मुताबअ़त सुलैमान ने अब्दुल्लाह बिन दीनार की रिवायत से की है। और वरक़ाअ ने इब्ने दीनार से कहा, उनसे सईद बिन यसार ने कहा, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने और इसकी रिवायत मुस्लिम बिन अबी मरयम, ज़ैद बिन अस्लम और सुहैल ने अबू सालेह से की, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने।

(दीगर मक़ाम : 7430)

١٤١٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي، أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)). تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ. وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في : ٧٤٣٠].

तश्रीह : हदीष़ में है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं या'नी ऐसा नहीं कि उसका एक हाथ दूसरे हाथ से कुव्वत में कम हो जैसे मख़्लूक़ात में हुआ करता है। अहले हदीष़ इस क़िस्म की आयतों और हदीष़ों की तावील नहीं करते और उनको उनके ज़ाहिर मा'नी पर महमूल रखते हैं। सुलैमान की रिवायते मज़्कूर को ख़ुद मुअल्लिफ़ ने और अबू अवाना ने वस्ल किया है। और वरक़ाअ की रिवायत को इमाम बैहक़ी और अबूबक्र शाफ़िई ने अपने फ़वाइद में और मुस्लिम की रिवायत को क़ाज़ी यूसुफ़ बिन यअ़क़ूब ने किताबुज़्ज़कात में और ज़ैद बिन असलम और सुहैल की रिवायतों को इमाम मुस्लिम ने वस्ल किया। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ाल अहलुल इल्मि मिन अहलुस्सुन्नति वल जमाअ़ति नूमिनु बिहाज़िहिल अहादीष़ि व ला नतवह्हमु फ़ीहा तश्बीहन व ला नक़ूलु कैफ़** या'नी अहले–सुन्नत वल जमाअ़त के तमाम अहले–इल्म का क़ौल है कि हम बिला चूँ व चरा अहादीष़ पर ईमान लाते हैं और इसमें तश्बीह का वहम नहीं करते और न हम कैफ़ियत की बहष़ में जाते हैं।

बाब 9 : सदक़ा उस ज़माने से पहले कि लेने वाले कोई बाक़ी न रह जाए

٩- بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

1411. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने

١٤١١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सईद बिन ख़ालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने हारिष़ बिन वुहैब (रज़ि.) से सुना, उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना था कि स़दक़ा करो, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब एक शख़्स अपने माल का स़दक़ा लेकर निकलेगा और कोई उसे क़ुबूल करने वाला नहीं पाएगा।

(दीगर मक़ाम : 1424, 7120)

قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا)). [طرفاه في: ١٤٢٤، ٧١٢٠].

तश्रीह : जिसके पास स़दक़ा लेकर जाएगा वो ये जवाब देगा कि अगर तुम कल उसे लाए होते तो मैं ले लेता। आज तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। क़यामत के क़रीब ज़मीन की सारी दौलत बाहर निकल आएगी और लोग बहुत कम रह जाएँगे। ऐसी ह़ालत में किसी को माल की ह़ाजत न होगी। ह़दीष़ का मत़लब ये है कि इस वक़्त को ग़नीमत जानो जब तुममें मुह़ताज हैं और जितनी हो सके ख़ैरात दो। इस ह़दीष़ से ये भी निकला कि क़यामत के क़रीब ऐसे जल्दी-जल्दी इंक़िलाब होंगे कि आज आदमी मुह़ताज है कल मालदार होगा। आज इस दौर में ऐसा ही हो रहा है। सारी रूए ज़मीन पर एक तूफ़ान बरपा है मगर वो ज़माना अभी दूर है कि लोग ज़कात व स़दक़ात लेने वाले बाक़ी न रहेंगे।

1412. हमसे अबुल यमान हकम बिन नाफ़ेअ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे अब्दुर्रह्मान बिन हुर्मुज़ अल अअरज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया क़यामत आने से पहले माल-दौलत की इस क़दर कष़रत हो जाएगी और लोग इस क़दर मालदार हो जाएँगे कि उस वक़्त स़ाह़िबे-माल को इसकी फ़िक्र होगी कि उसकी ज़कात कौन क़ुबूल करे और अगर किसी को देना भी चाहेगा तो उसको ये जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी ह़ाजत नहीं है।

(राजेअ : 80)

١٤١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ : لاَ أَرَبَ لِي)). [راجع: ٨٥]

क़यामत के क़रीब जब ज़मीन अपने ख़ज़ाने उगल देगी, तब ये ह़ालत पेश आएगी।

1413. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आस़िम नबील ने बयान किया, कहा कि हमें सअदान बिन बिश्र ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबू मुजाहिद सअद त़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहिल बिन ख़लीफ़ा त़ाई ने बयान किया, कहा कि मैंने अदी बिन हातिम त़ाई (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद था कि दो शख़्स आए, एक फ़क्रो-फ़ाक़ा की शिकायत लिये हुए था और दूसरे को रास्तों के ग़ैर-मह़फ़ूज़ होने की शिकायत थी। इस

١٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ

पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि जहाँ तक रास्तों के ग़ैर-महफ़ूज़ होने का ता'ल्लुक़ है तो बहुत जल्द ऐसा ज़माना आने वाला है कि जब एक क़ाफ़िला मक्का से किसी मुहाफ़िज़ के बग़ैर निकलेगा (और उसे रास्ते में कोई ख़तरा न होगा) और रहा फ़क़्रो-फ़ाक़ा तो क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक (माल-दौलत की कष़रत की वजह से ये हाल न हो जाए कि) एक शख़्स अपना सदक़ा लेकर तलाश करे लेकिन कोई उसे लेने वाला न मिले। फिर अल्लाह तआला के सामने एक शख़्स इस तरह खड़ा होगा कि उसके और अल्लाह तआला के दरम्यान कोई पर्दा न होगा और न तर्जुमानी के लिये कोई तर्जुमान होगा। फिर अल्लाह तआला उससे पूछेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में माल नहीं दिया था? वो कहेगा कि हाँ दिया था। फिर अल्लाह तआला पूछेगा कि क्या मैंने तेरे पास पैग़म्बर नहीं भेजा था? वो कहेगा कि हाँ भेजा था। फिर वो शख़्स अपनी दाईं तरफ़ देखेगा तो आग के सिवा और कुछ नज़र नहीं आएगा फिर बाईं तरफ़ देखेगा, उधर भी आग ही आग होगी। पस तुम्हें जहन्नम से डरना चाहिये, ख़्वाह एक खजूर के टुकड़े ही (का सदक़ा करके उससे अपना बचाव कर सको) अगर ये भी मयस्सर न आ सके तो अच्छी बात ही मुँह से निकाले।

(दीगर मक़ाम : 1417, 3595, 6032, 6539, 6540, 6563, 7443, 7512)

رَجُلاَن : أَحَدُهُمَا يَشْكُوا الْعَيْلَةَ، وَالآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيْلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْعِيْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ. وَأَمَّا الْعَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ. ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُوتِكَ مَالاً؟ فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ : أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً؟ فَلَيَقُولَنَّ : بَلَى. فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرى إِلاَّ النَّارَ. فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)).

[أطرافه في : ١٤١٧، ٣٥٩٥، ٦٠٢٣، ٦٥٣٩، ٦٥٤٠، ٦٥٦٣، ٧٤٤٣، ٧٥١٢].

तशरीह : ये भी एक बड़ा सदक़ा है या'नी अगर ख़ैरात न दे तो उसको नरमी से ही जवाब दे कि इस वक़्त मैं मजबूर हूँ, मुआफ़ कर दो, लड़ना–झगड़ना मना है। तर्जुमान वो है जो तर्जुमा करके बन्दे का कलाम अल्लाह से अर्ज़ करे और अल्लाह का इर्शाद बन्दे को सुनाए बल्कि ख़ुद अल्लाह पाक कलाम फ़र्माएगा। इस ह़दीष़ से उन लोगों का रद्द हुआ जो कहते हैं कि अल्लाह क कलाम में आवाज़ और हुरूफ़ नहीं, अगर आवाज़ और हुरूफ़ न हों तो बन्दा सुनेगा कैसे और समझेगा कैसे? (वहीदी)

इस ह़दीष़ में ये पेशगोई भी है कि एक दिन अरब में अमनो–अमान आम होगा, चोर–डाकू आम तौर पर ख़त्म हो जाएँगे, यहाँ तक कि क़ाफ़िले मक्का शरीफ़ से (ख़फ़ीर) के बग़ैर निकला करेंगे। ख़फ़ीर उस शख़्स को कहा जाता था जो अरब में हर हर क़बीले से क़ाफ़िला के साथ सफ़र करके अपने क़बीले की सरहद अमन व आफ़ियत के साथ पार करा देता था वो रास्ता भी बतलाता और लूटमार करने वालों से भी बचाता था।

आज इस चौदहवीं सदी में हुकूमते अरबिया सऊदिया ने ह़रमैन-शरीफ़ेन को अमन का इस क़दर गहवारा बना दिया है कि मजाल नहीं कि कोई किसी पर दस्तअंदाज़ी कर सके। अल्लाह पाक इस हुकूमत को क़ायम रखे और ह़ासिदीन (ईर्ष्या करने वालों) व मुआनिदीन (बुराई करने वालों) के ऊपर इसको हमेशा ग़लबा अ़ता करे। आमीन!

1414. हमसे मुहम्मद बिन अलाअ ने बयान किया, उन्होंने कहा

١٤١٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ

कि हमसे अबू उसामा (हम्माद बिन उसामा) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे बुर्दा बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे अबूबुर्दा ने और उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि लोगों पर ज़रूर एक ज़माना ऐसा आएगा कि एक शख़्स सोने का सदक़ा लेकर निकलेगा लेकिन कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा और ये भी होगा कि एक मर्द की पनाह में चालीस-चालीस औरतें हो जाएंगी क्योंकि मर्दों की कमी हो जाएगी और औरतों की ज़्यादती होगी।

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ)).

क़यामत के क़रीब या तो औरतों की पैदाइश बढ़ जाएगी, मर्द कम हो जाएँगे या लड़ाइयों की कष़रत से मर्दों की क़िल्लत हो जाएगी। ऐसा कई दफ़ा हो चुका है।

बाब 10 : इस बारे में कि जहन्नम की आग से बचो ख़्वाह खजूर के एक टुकड़े या किसी मा'मूली सदक़े के ज़रिये हो

١٠- بَابُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

और (क़ुर्आन मजीद में है) व मष़लुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम उन लोगों की मिष़ाल जो अपना माल ख़र्च करते हैं, से फ़र्माने बारी व मिन कुल्लिष़्ष़मराति तक

﴿وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ ﴾- وَإِلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾.

ये आयत सूरह बक़रः के रुकूअ 35 में है। इस आयत और हृदीष़ से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि सदक़ा थोड़ा हो या बहुत हर तरह उस पर ष़वाब मिलेगा क्योंकि आयत में मुत्लक़ अम्वालहुम का ज़िक्र है जो क़लील और कष़ीर सबको शामिल है।

1415. हमसे अबू क़ुदामा उ़बैदुल्लाह बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे अबुन नोअ़मान हकम बिन अ़ब्दुल्लाह बस़री ने बयान किया, कहा हमसे शुअ़बा बिन हज्जाज ने बयान किया, उनसे सुलैमान आ'मश ने, उनसे अबू वाइल ने औरउनसे अबू मस्ऊ़द अन्सारी (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब आयते सदक़ा नाज़िल हुई तो हम बोझ ढोने का काम किया करते थे। (ताकि इस तरह जो मज़दूरी मिले उसे सदक़ा कर दिया जाए) इसी ज़माने में एक शख़्स (अ़ब्दुर्रह्मान बिन औ़फ़) आया और उसने सदक़े के तौर पर काफ़ी चीज़ें पेश कीं। इस पर लोगों ने कहना शुरू किया कि ये आदमी रियाकार है। फिर एक और शख़्स (अबू अक़ील नामी) आया और उसने सिर्फ़ एक साअ़ का सदक़ा किया। उसके बारे में लोगों ने ये कह दिया कि अल्लाह तआ़ला को एक साअ़ सदक़ा की क्या हाजत है? इस पर ये आयत नाज़िल हुई, वो लोग जो उन

١٤١٥- حَدَّثَنَا أَبُوقُدَامَةَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ، فَقَالُوا : مُرَاءٍ. وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، فَقَالُوا : إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا. فَنَزَلَتْ: ﴿الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ، وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ﴾ الآيَةَ)).

मोमिनों पर ऐब लगाते हैं जो सदक़ा ज़्यादा देते हैं और उन पर भी जो मेहनत से कमाकर लाते हैं। (और कम सदक़ा करते हैं) आख़िर तक। (दीगर मक़ाम : 1416, 2272, 6468, 4669)

[أطرافه في : ١٤١٦، ٢٢٧٢، ٤٦٦٨، ٤٦٦٩].

तश्रीह : ये ता'ना मारनेवाले कमबख़्त मुनाफ़िक़ीन थे, उनको किसी तरह चैन न था। हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ ने अपना आधा माल आठ हज़ार दिरहम सदक़ा कर दिया तो उनको रियाकार कहने लगे। अबू अक़ील (रज़ि.) बेचारे ग़रीब ने मेहनत मजदूरी से कमाई करके एक साअ़ खजूर अल्लाह की राह में दी तो इस पर ठठ्ठा मारने लगे कि अल्लाह को उसकी ज़रूरत न थी।

अरे मर्दूदों! अल्लाह को तो किसी चीज़ की एहतियाज (ज़रूरत) नहीं। आठ हज़ार क्या आठ करोड़ हो तो उसके आगे बेहक़ीक़त है। वो दिल की निय्यत को देखता है। एक साअ़ खजूर भी बहुत है। एक खजूर भी कोई ख़ुलूस के साथ हलाल माल से दे तो वो अल्लाह के नज़दीक मक़्बूल है। इंजील शरीफ़ में है कि एक बुढ़िया ने ख़ैरात में एक दमड़ी दी, लोग उस पर हँसे। हज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) ने फ़र्माया कि इस बुढ़िया की ख़ैरात तुम सबसे बढ़कर है। (वहीदी)

1416. हमसे सईद बिन यह्या ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे शक़ीक़ ने औरउनसे अबू मस्ऊद अन्सारी (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया तो हम में से बहुत से बाज़ार जाकर बोझ उठाने की मज़दूरी करते और इस तरह एक मुद (अनाज या खजूर वग़ैरह) हासिल करते। (जिसे सदक़ा कर देते) लेकिन आज हम में से बहुत सों के पास लाख-लाख (दिरहमो-दीनार) मौजूद है। (राजेअ़ : 1415)

١٤١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ)). [راجع: ١٤١٥]

1417. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया और उनसे अबू इस्हाक़ अम्र बिन अ़ब्दुल्लाह सबीई ने कहा कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़क़िल से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने अ़दी बिन हातिम (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये कहते सुना कि जहन्नम से बचो अगरचे खजूर का एक टुकड़ा दे कर ही सही। (मगर ज़रूर सदक़ा करके दोज़ख़ की आग से बचने की कोशिश करो)

١٤١٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)). [راجع: ١٤١٣]

तश्रीह : इन दोनों अहादीष़ से सदक़े की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है और ये भी कि दौरे अव्वल में सहाबा किराम (रिज) जबकि वो ख़ुद निहायत तंगी की हालत में थे, उस पर भी उनको सदक़ा ख़ैरात का किस दर्जा शौक़ था कि ख़ुद मज़दूरी करते, बाज़ार में क़ुली बनते, खेतों में काम करते, फिर जो हासिल होता उसमें ग़रीबों व मिस्कीन मुसलमानों की इमदाद करते। अहले इस्लाम में ये जज़्बा उस चीज़ का यक़ीनी षुबूत है कि इस्लाम ने अपने पैरोकारों में बनी नोअ़े इंसान के लिये हमदर्दी व सुलूक का जज़्बा कूट–कूटकर भर दिया है। क़ुर्आन मजीद की आयत **हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून** (आले इमरान : 92) में अल्लाह पाक ने रग़बत दिलाई है कि सदक़ा व ख़ैरात में घटिया चीज़ न दो बल्कि प्यारी से प्यारी चीज़ों का सदक़ा करो। बरख़िलाफ़ उसके बख़ील की हददर्जा मुज़म्मत की गई और फ़र्माया कि बख़ील जन्नत की बू तक न पा सकेंगे। यही सहाबा किराम (रिज) थे जिनका हाल आपने सुना फिर अल्लाह ने इस्लाम की बरकत से उनको इस क़दर बढ़ाया कि लाखों के मालिक बन गए।

हृदीष़ **लौ बिशिक्कि तम्रतिन** में मुख़्तलिफ़ त़रीक़ों से वारिद हुई है। त़बरानी में है, **इज्अलू बैनकुम व बैनन्नारि हिजाबन व लौ बिशिक्कि तम्रतिन** (और जहन्नम के दरम्यान स़दक़ा करके हिजाब पैदा करो अगरचे स़दक़ा एक खजूर की फाँक ही क्यूँ न हो। नीज़ मुस्नद अह़मद में यूँ है कि **लियत्तक़ि अह़दुकुम वज्हहू व लौ बिशिक्कि तम्रतिन** या'नी तुमको अपना चेहरा आग से बचाना चाहिये जिसका वाहिद ज़रिया स़दक़ा है अगरचे वो आधी खजूर ही क्यूँ न हो और मुस्नद अह़मद ही में हृदीष़े आइशा (रज़ि) से यूँ है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) को ख़िताब फ़र्माया **या आइशतु इस्ततिरी व लौ बिशिक्कि तम्रतिन अल्हृदीष़** या'नी ऐ आइशा! जहन्नम से पर्दा करो चाहे वो खजूर की एक फांक ही के साथ क्यूँ न हो।

आख़िर में अल्लामा ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं, **व फ़िल हृदीष़ि अल्ह़ष़्षु अलस़्स़दक़ति बिमा क़ल्ल व मा जल्ल व अल्ला यहतक़िर मा यतस़द्दक़ु बिही व अन्नल यसीर मिनस़्स़दक़ति यस्तिरुल मुतस़द्दिक़ मिनन्नारि** (फ़त्हुल बारी) या'नी हृदीष़ में तर्ग़ीब है कि थोड़ा हो या ज़्यादा स़दक़ा बहरहाल करना चाहिये और थोड़े स़दक़े का ह़क़ीर न जानना चाहिये कि थोड़े से थोड़ा सदक़ा मुतसद्दिक़ (स़दक़ा करने वाले) के लिये दोज़ख़ से हिजाब बन सकता है।

١٤١٨ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ. فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ)).

[طرفه في : ٥٩٩٥].

1418. हमसे बिश्र बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें मअ़मर ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबीबक्र बिन ह़ज़्म ने बयान किया, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि एक औ़रत अपनी दो बच्चियों को लिये माँगती हुई आई। मेरे पास एक खजूर के सिवा उस वक़्त कुछ भी नहीं था, मैंने वही दे दी। वो एक खजूर उसने अपने दोनों बच्चों में तक़्सीम कर दी और ख़ुद नहीं खाई। फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद नबी करीम (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो मैंने आपसे उसका हाल बयान किया। आपने फ़र्माया कि जिसने बच्चों की वजह से ख़ुद को मा'मूली सी भी तकलीफ़ में डाला तो बच्चियाँ उसके लिये दोज़ख़ से बचाव के लिये आड़ बन जाएँगी।

(दीगर मक़ाम : 5995)

तश्रीह : इस हृदीष की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यूँ है कि औ़रत ने एक खजूर के दो टुकड़े करके अपनी दोनों बेटियों को दे दिये जो निहायत क़लील (छोटा) सदक़ा था और बावजूद उसके आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसको दोज़ख़ से बचाव की बशारत दी। मैं कहता हूँ इस तकल्लुफ़ की ह़ाजत नहीं। बाब में दो मज़्मून थे एक तो खजूर का टुकड़ा देकर दोज़ख़ से बचना, दूसरे क़लील स़दक़ा देना। तो अ़दी की हृदीष़ से पहला मत़लब ष़ाबित हो गया और ह़ज़रत आइशा (रज़ि) की हृदीष़ से दूसरा मत़लब। उन्होंने बहुत क़लील स़दक़ा दिया या'नी एक खजूर। (वह़ीदी)

इससे ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की स़दक़ा ख़ैरात के लिये ह़िर्स़ भी ष़ाबित हुई और ये इसलिये कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था कि **ला यर्जिअ मिन इन्दिकि साइलुन व लौ बिशिक्कि तम्रतिन रवाहुल बज़्ज़ार मिन हृदीष़ि अबी हुरैरत** (फ़तह) या'नी तुम्हारे पास से किसी साइल को ख़ाली हाथ न जाना चाहिये, अगरचे खजूर की आधी फांक ही क्यों न हो।

١١ - بَابُ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ

बाब 11 : तन्दुरुस्ती और माल की ख़्वाहिश के

ज़माने में सदक़ा देने की फ़ज़ीलत

وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ

और अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जो रिज़्क़ मैंने तुम्हें दिया है उसमें से ख़र्च करो इससे पहले कि तुमको मौत आ जाए

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ إلى آخرها [المنافقون : ١٠] الآية.

और अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ऐ ईमान वालों! मैंने तुम्हें जो रिज़्क़ दिया है उसमें से ख़र्च करो, इससे से पहले की वो दिन (क़यामत) आ जाए जब न ख़रीद-फ़रोख़्त होगी और न दोस्ती और न शफ़ाअत .... आख़िर तक।

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ [البقرة : ٢٥٤] الآية.

इन दोनों आयतों से हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि सदक़ा करने में जल्दी करनी चाहिये ऐसा न हो कि मौत आ दबोचे। उस वक़्त अफ़सोस से हाथ मलता रहे कि अगर मैं और ज़िन्दा रहता तो सदक़ा देता, ये करता वो करता। बाब का मतलब भी क़रीब-क़रीब यही है। (वहीदी)

1419. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे अम्मारा बिन क़अकाअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़रआ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! किस तरह के सदक़े में ज़्यादा षवाब है? आपने फ़र्माया कि उस सदक़े में जिसे तुम सेहत के साथ बुख़्ल के बावजूद करो। तुम्हें एक तरफ़ तो फ़क़ीरी का डर हो और दूसरी तरफ़ मालदार बनने की तमन्ना और उम्मीद हो और (उस सदक़ा-ख़ैरात में) ढील न होनी चाहिये कि जब जान हलक़ तक आ जाए तो उस वक़्त तू कहने लगे कि फलाँ के लिये इतना और फलाँ के लिये इतना, हालाँकि वो तो अब फलाँ का हो चुका। (दीगर मक़ाम : 2748)

١٤١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ : ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ : لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ)).

[طرفه في : ٢٧٤٨].

तश्रीह : हदीष़ में तर्ग़ीब है कि तंदरुस्ती की हालत में जबकि माल की मुहब्बत भी दिल में मौजूद हो, सदक़ा ख़ैरात की तरफ़ हाथ बढ़ाना चाहिये, न कि जब मौत क़रीब आ जाए और जान हलक़ में पहुँच जाए। मगर ये शरीअत की मेहरबानी है कि आख़िर वक़्त तक भी जबकि होश व हवास क़ायम हों, मरने वालों को तिहाई माल की वसिय्यत करना जाइज़ क़रार दिया है, वरना अब वो माल तो मरने वाले की बजाय वारिषों का हो चुका है। पस अक़्लमन्दी का तक़ाज़ा यही है कि तन्दरुस्ती में हस्बे तौफ़ीक़ सदक़ा व ख़ैरात में जल्दी करनी चाहिये और याद रखना चाहिये कि गया वक़्त फिर वापस हाथ नहीं आता।

बाब 12 :

- بَابٌ -

1420. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे

١٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بنإِسْمَاعِيلَ

अबू अवाना वज़ाहस्करी ने बयान किया, उनसे फ़रास बिन यह्या ने, उनसे शुअबी ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) की बाज़ बीवियों ने आपसे पूछा कि सबसे पहले हममें से आख़िरत में आपसे कौन जाकर मिलेगी तो आपने फ़र्माया, जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लम्बा होगा। अब हमने लकड़ी से नापना शुरू कर दिया तो सौदा (रज़ि.) सबसे लम्बे हाथ वाली निकली। हमने बाद में समझा कि लम्बे हाथ वाली होने से आपकी मुराद सदक़ा ज़्यादा करने वाली से थी। और सौदा (रज़ि.) ही सबसे पहले नबी करीम (ﷺ) से जाकर मिलीं, सदक़ा करना आपको बहुत महबूब था।

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ((أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟)) قَالَ: ((أَطْوَلُكُنَّ يَدًا)). فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا. فَعَلِمْنَا بَعْدُ إِنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ ﷺ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ)).

तश्रीह : अकषर उलमा ने कहा कि **तूले यदहा** और **कानत** की ज़मीरों में से हज़रत ज़ैनब मुराद हैं मगर उनका ज़िक्र इस रिवायत में नहीं है क्योंकि इस अम्र से इत्तिफ़ाक़ है कि आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद बीवियों में से सबसे पहले हज़रत जैनब का ही इंतिक़ाल हुआ था। लेकिन इमाम बुख़ारी (रह.) ने तारीख़ में जो रिवायत की है उसमें उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा (रज़ि.) की सराहत है और यहाँ भी इस रिवायत में हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम आया है और ये मुश्किल है और मुम्किन है यूँ जवाब देना कि जिस जल्से में ये सवाल आँहज़रत (ﷺ) से हुआ था वहाँ हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) मौजूद न हों और जितनी बीवियाँ वहाँ मौजूद थीं, उन सबसे पहले हज़रत सौदा (रज़ि.) का इंतिक़ाल हुआ। मगर इब्ने हिब्बान की रिवायत में यूँ है कि उस वक़्त आपकी सब बीवियाँ मौजूद थीं, कोई बाक़ी न रही थी, उस हालत में ये अन्देशा भी नहीं चल सकता। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं,

क़ाल लना मुहम्मदुब्नु उमर यअनी अल्वाक़िदी हाज़ल्हदीषु व हल फ़ी सौदत इन्नमा हुव फ़ी जैनब बिन्ति जहश फहिय अव्वलु निसाइही बिही लुहूक़न व तुवफ़्फ़ियत फी ख़िलाफ़ति उमर व बक़ियत सौदतु इला अन तुवफ़्फ़िय फ़ी ख़िलाफ़ति मुआवियत फ़ी शव्वाल सनत अर्बइंव्व खम्सीन क़ाल इब्नु बत्ताल हाज़ल्हदीषु सुक़ित मिन्हु ज़िक्रु जैनब लिइत्तिफ़ाक़ि अहलिस्सियरि अला अन्न जैनब अव्वलु मम्मात मिन अज़्वाजिन्नबिय्यि (ﷺ) यअनी अन्नस्वाब व कानत जैनबु अस्रउना (अल्ख) व लाकिन युन्करु अला हाज़त्तावीलि तिल्क रिवायातुल्मुतक़द्दमतु ल्मुस्सरिंहु फ़ीहा बिअन्नज़्ज़मीर लिसौदत व किरातु बिख़त्तिल्हाफ़िज़ि अबी अली अस्सदफ़ी ज़ाहिरु हाज़ल्लफ़्ज़ि अन्न सौदत कानत अस्रअ व हुव ख़िलाफ़ुल्मअरूफ़ि इन्द अहलिल्इल्मि अन्न ज़ैनब अव्वलु मम्मात मिन्अज़्वाति षुम्म नक़लहू अन मालिक मिन रिवायतिही अनिल्वाक़िदी क़ाल युक़व्वीहि रिवायतु आइशत बिन्ति तल्हत व क़ाल इब्नुल्जौजी हाज़ल्हदीषु गलतुन मिम्बअज़िर्रूवातिल्अजबि मिनल्बुख़ारी कैफ़ लम युनब्बिह अलैहि व इल्ला अस्हाबुहू अत्तआलीकु व ला उलिम बिफसादिन ज़ालिकल्ख़त्ताबी फइन्नहू फस्सरहू व क़ाल लुहूक़ु सौदत बिही इल्मुन मिन आलामिन्नुबुव्वति व कुल्लु ज़ालिक वहमुन इन्नमा कमा रवाहु मुस्लिम मिन्न तरीक़ि आइशत बिलफ़्ज़ि कान अत़वलुनायदन जैनबु लिन्नहा कानत तअमलु व ततसद्दक़ व फ़ी रिवायति कानत जैनबु इम्सतन सन्नाअतन बिल्यदि व कानत तदबगु व तख़रज़ु व तसद्दक़ फ़ी सबीलिल्लाहि.

या'नी हमसे वाक़िदी ने कहा कि इस हदीष में रावी से भूल हो गई है। दरहक़ीक़त सबसे पहले इंतिक़ाल करने वाली ज़ैनब ही हैं जिनका इंतिक़ाल हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त में हुआ और हज़रत सौदा (रज़ि.) का इंतिक़ाल ख़िलाफ़ते मुआविया (रज़ि.) 54 में हुआ। इब्ने बत्ताल ने कहा कि इस हदीष में हज़रत ज़ैनब का ज़िक्र साक़ित हो गया है क्योंकि अहले सीरत का इत्तिफ़ाक़ है कि उम्महातुल मोमिनीन में सबसे पहले इंतिक़ाल करनेवाली ख़ातून हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश ही हैं और

जिन रिवायतों में हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम आया है उनमें रावी से भूल हो गई है। इब्ने जौज़ी ने कहा है कि उसमें कुछ रावियों ने ग़लती से हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम ले लिया है और तअज्जुब है कि हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) को इस पर इत्तिला न हो सकी और न उन अस्हाबे तआलीक़ को जिन्होंने यहाँ हज़रत सौदा (रज़ि.) का नाम लिया है और वो हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ही है जैसा कि **मुस्लिम शरीफ़ में हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हममें सबसे ज़्यादा दराज़ हाथ वाली (या'नी सदक़ा–ख़ैरात करने वाली) हज़रत ज़ैनब थीं। वो सूत काता करती थीं और दीगर मेहनत और मशक़्क़त दबाग़त वग़ैरह करके पैसा हासिल करतीं और फ़ी सबीलिल्लाह सदक़ा–ख़ैरात किया करती थीं।** कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि नाप के लिहाज़ से हज़रत सौदा (रज़ि.) के हाथ लम्बे थे, नबी (ﷺ) की बीवियों ने शुरू में यही समझा कि दराज़ हाथ वाली बीवी का इंतिक़ाल पहले होना चाहिये। मगर जब हज़रत ज़ैनब का इंतिक़ाल हो गया तो ज़ाहिर हुआ कि आँहज़रत (ﷺ) की मुराद हाथों का दराज़ होना न था बल्कि सदक़ा–ख़ैरात करने वाले हाथ मुराद थे और ये सबक़त हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) को हासिल थी, पहले उन्हीं का इंतिक़ाल हुआ, मगर कुछ रावियों ने अपनी लाइल्मी की वजह से सौदा (रज़ि.) का नाम ले लिया। कुछ उलमा ने ये तत्बीक़ भी दी है कि आँहज़रत (ﷺ) ने जिस वक़्त ये इर्शाद फ़र्माया था इस मज्मओ़ में हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) न थीं, आपने उस वक़्त की हाज़िर होने वाली बीवियों के बारे में फ़र्माया और उनमें से पहले हज़रत सौदा (रज़ि.) का इंतिक़ाल हुआ मगर इस तत्बीक़ पर भी कलाम किया गया है।

हुज्जतुल हिन्द हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिष देहलवी फ़र्माते हैं। **वल्हदीषु यूहिमु ज़ाहिरुहू अन्न अव्वल मम्मातत मिन उम्महातिल्मुमिनीन बअद वफ़ातिही (ﷺ) सौदत व लैस कज़ालिक फतअम्मल व ला तअज्जल फ़ी हाजल्मक़ाम फइन्नहू मिम्मज़ालिक़िल्अक़्दाम.** (शरह तराजुम अब्वाबे बुख़ारी)

बाब 12 : सबके सामने सदक़ा करना जाइज़ है और अल्लाह तआ़ला ने (सूरह बक़रः में) फ़र्माया कि जो लोग अपने माल ख़र्च करते हैं रात में और दिन में, पोशीदा तौर पर और ज़ाहिर, उन सबका उनके रब के पास षवाब मिलेगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा और न उन्हें किसी क़िस्म का ग़म होगा

١٢ - بَابُ صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة : ٢٧٤].

इस आयत से ऐलानिया ख़ैरात करने का जवाज़ निकला। गो पोशीदा (छुपाकर) ख़ैरात करना बेहतर है क्योंकि उसमें रिया का अंदेशा नहीं। कहते हैं कि ये आयत हज़रत अली (रज़ि.) की शान में उतरी। उनके पास चार अशरफ़ियाँ थीं। एक दिन को दी, एक रात को दी, एक ऐलानिया, एक छुपकर (वहीदी)

यहाँ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने बाब के मज़्मून को मुदल्लल करने के लिये सिर्फ़ आयते क़ुर्आनी का नक़ल करना काफ़ी समझा। जिनमें ज़ाहिर लफ़्ज़ों में बाब का मज़्मून मौजूद है।

बाब 13 : छुपकर ख़ैरात करना अफ़ज़ल है

और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है कि, एक शख़्स ने सदक़ा किया और उसे इस तरह छुपाया कि उसके बाएँ हाथ को ख़बर नहीं हुई कि दाहिने हाथ ने क्या ख़र्च किया है। और अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया, अगर तुम सदक़े को ज़ाहिर कर दो तो ये भी अच्छा है और अगर पोशीदा तौर पर दो और दो फ़ुक़रा को तो ये भी तुम्हारे लिये बेहतर है और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह

١٣ - بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ)). وَقَوْلُهُ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا

ख़बरदार है। (अल बक़रः : 271)

تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾ [البقرة : ٢٧١] الآية.

तश्रीह : यहाँ हज़रत इमाम ने बाब के मज़्मून को षाबित करने के लिये हदीषे नबवी और आयते क़ुर्आनी दोनों से इस्तिदलाल फ़र्माया, मक़्सद रियाकारी से बचना है। अगर उससे दूर रहकर सदक़ा दिया जाए तो ज़ाहिर हो या पोशीदा हर तरह से दुरुस्त है और अगर रिया का एक शाइबा भी नज़र आए तो फिर इतना पोशीदा दिया जाए कि बाएँ हाथ को भी ख़बर न हो। अगर सदक़ा ख़ैरात ज़कात में रिया नमूद का कुछ दख़ल हुआ तो वो सदक़ा व ख़ैरात व ज़कात मालदार के लिये उलटा वबाले जान हो जाएगा।

बाब 14 : अगर लाइल्मी में किसी ने मालदार को सदक़ा दे दिया (तो उस को षवाब मिल जाएगा)

١٤- بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

1421. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने बयान किया, उनसे अअ़रज ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक शख़्स ने (बनी इस्राईल में से) कहा कि मुझे ज़रूर सदक़ा (आज रात) देना है। चुनाँचे वो अपना सदक़ा लेकर निकला और (नावाक़िफ़ी से) एक चोर के हाथ में रख दिया। सुबह हुई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आज रात किसी ने चोर को सदक़ा दे दिया। उस शख़्स ने कहा कि ऐ अल्लाह! तमाम ता'रीफ़ तेरे ही लिये है। (आज रात) मैं फिर ज़रूर सदक़ा करूँगा। चुनाँचे वो दोबारा सदक़ा लेकर निकला और इस मर्तबा एक फ़ाहिशा (बदकार औरत) के हाथ में दे आया। जब सुबह हुई तो फिर लोगों में चर्चा हुआ कि आज रात किसी ने फ़ाहिशा औरत को सदका दे दिया। उस शख़्स ने कहा ऐ अल्लाह! तमाम ता'रीफ़ तेरे ही लिये है, मैं ज़ानिया को अपना सदक़ा दे आया। अच्छा आज रात फिर ज़रूर सदक़ा निकालूँगा। चुनाँचे अपना सदक़ा लिये हुए वो फिर निकला और इस मर्तबा एक मालदार के हाथ पर रख दिया। सुबह हुई तो लोगों की ज़बान पर ज़िक्र था कि एक मालदार को किसी ने सदक़ा दे दिया है। उस शख़्स ने कहा कि ऐ अल्लाह! हम्द तेरे ही लिये है। मैंने अपना सदक़ा (लाइल्मी से) चोर, फ़ाहिशा और मालदार को दे आया। (अल्लाह तआला की तरफ़ से) बतलाया गया कि जहाँ तक चोर के हाथ में सदक़ा चले जाने का सवाल है तो उसमें इसका इम्कान है कि वो चोरी से रुक जाए, इसी तरह फ़ाहिशा को सदक़े का माल मिल जाने पर इसका इम्कान है कि वो ज़िना से रुक जाए और मालदार के हाथ में पड़

١٤٢١- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ. فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ)).

जाने का ये फ़ायदा है कि उसे इबरत हो और फिर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे दिया है, वो ख़र्च करे।

तश्रीह : इस ह़दीष़ बनी इस्राईल के एक सख़ी का ज़िक्र है जो स़दक़ा ख़ैरात तक़्सीम करने की निय्यत से रात को निकला मगर उसने लाइल्मी में पहली रात में अपना स़दक़ा एक चोर के हाथ पर रख दिया और दूसरी रात में एक फ़ाह़िशा औरत को दे दिया और तीसरी रात में एक मालदार को दे दिया, जो मुस्तह़िक़ न था। ये सब कुछ लाइल्मी में हुआ। बाद में जब ये वाक़िआत उसको मा'लूम हुए तो उसने अपनी लाइल्मी का इक़रार करते हुए अल्लाह की ह़म्द बयान की गोया ये कहा **अल्लाहुम्म लकल्हम्दु अय ला ली इन्न सदक़ती वक़अत बियदि मंल्ला यस्तहिक़्क़ुहा फलकल्हम्दु हैषु कान ज़ालिक बिइरादतिक अय ला बिइरादती फइन्न इरादतल्लाहि कुल्लहा जमीलतुन.** या'नी या अल्लाह! ह़म्द तेरे लिये ही है न कि मेरे लिये। मेरा स़दक़ा ग़ैर मुस्तह़िक़ के हाथ में पहुँच गया पस ह़म्द तेरे ही लिये है। इसलिये कि ये तेरे ही इरादे से हुआ न कि मेरे इरादे से और अल्लाह पाक जो भी चाहे और वो जो इरादा करे वो सब बेहतर ही है।

इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्स़दे बाब ये है कि उन ह़ालात में अगरचे ग़ैर मुस्तह़िक़ को मिल गया मगर इन्दल्लाह वो क़ुबूल हो गया। ह़दीष़ से भी यही ज़ाहिर हुआ कि नावाक़िफ़ी से अगर किसी ग़ैर मुस्तह़िक़ को स़दक़ा दे दिया जाए तो उसे अल्लाह क़ुबूल कर लेता है और देने वाले को ष़वाब मिल जाता है।

लफ़्ज़े स़दक़ा में नफ़्ली स़दक़ा और फ़र्ज़ी स़दक़ा या'नी ज़कात दोनों दाख़िल है।

इस्राईली सख़ी को ख़्वाब में बतलाया गया या हातिफ़े ग़ैब ने ख़बर दी या उस ज़माने के पैग़म्बर ने उससे कहा कि जिन ग़ैर मुस्तह़िक़्क़ीन को तूने ग़लती से स़दक़ा दे दिया, शायद वो इस स़दक़े से इबरत ह़ास़िल करके अपनी ग़लतियों से बाज़ आ जाएँ। चोर, चोरी से और ज़ानिया, ज़िना से रुक जाए और मालदार को ख़ुद उसी त़रह़ ख़र्च करने की रग़बत हो। इन सूरतों में तेरा स़दक़ा तेरे लिये बहुत कुछ मोजिबे अज्रो ष़वाब हो सकता है। हाज़ा हुवल मुराद।

बाब 15 : अगर बाप नावाक़िफ़ी से अपने बेटे को ख़ैरात दे दे कि उसे मा'लूम न हो?

١٥- بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

1422. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्राईल बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू जुवैरिया (ह़त्तान बिन ख़फ़्फ़ाफ़) ने बयान किया कि मअन बिन यज़ीद ने उनसे बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे वालिद और दादा (अख़्फ़श बिन ह़बीब) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ पर बैअ़त की थी। आपने मेरी मंगनी भी करवाई और आप ही ने मेरा निकाह भी पढ़ाया था और मैं आपकी ख़िदमत में एक मुक़द्दमा लेकर ह़ाज़िर हुआ था। वो ये कि मेरे वालिद यज़ीद ने कुछ दीनार ख़ैरात की निय्यत से निकले और उनको उन्होंने मस्जिद में एक शख़्स के पास रख दिया। मैं गया और मैंने उनको उससे ले लिया, फिर जब मैं उन्हें लेकर वालिद स़ाह़ब के पास आया तो उन्होंने फ़र्माया कि क़सम अल्लाह की! मेरा इरादा तुझे देने का नहीं था।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ. وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ : وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَكَ مَا نَوَيْتَ

يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ))

यही मुक़द्दमा मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर हाज़िर हुआ और आपने ये फ़ैसला दिया कि देखो यज़ीद जो तुमने निय्यत की थी उसका ष़वाब तुमको मिल गया और मअ़न! जो तूने ले लिया वो अब तेरा हो गया।

तश्रीह : इमाम अबू ह़नीफ़ा और इमाम मुह़म्मद का यही क़ौल है कि अगर नावाक़िफ़ी में बाप बेटे को फ़र्ज़ ज़कात भी दे दे तो ज़कात अदा हो जाती है और दूसरे उ़लमा कहते है कि इआ़दा (दुहराना) वाजिब है और अहले ह़दीष़ के नज़दीक बहरह़ाल अदा हो जाती है बल्कि अ़ज़ीज़ और क़रीब लोगों को जो मुह़ताज हो ज़कात देना और ज़्यादा ष़वाब है। सय्यद अ़ल्लामा नवाब सिद्दीक़ ह़सन ख़ान स़ाह़ब मरहूम ने कहा कि अनेक दलाइल इस पर क़ायम हैं कि अ़ज़ीज़ों को ख़ैरात देना ज़्यादा अफ़ज़ल है, ख़ैरात फ़र्ज़ हो या नफ़्ल और अ़ज़ीज़ों में शौहर, औलाद की स़राह़त अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि) की ह़दीष़ में मौजूद है। (मौलाना वह़ीदी)

मज़्मूने ह़दीष़ पर ग़ौर करने से मा'लूम होता है कि नबी करीम (ﷺ) किस क़दर शफ़ीक़ और मेहरबान थे और किस वुस्अ़ते क़ल्बी के साथ आपने दीन का तस़व्वुर पेश फ़र्माया था। बाप और बेटे दोनों को ऐसे त़ौर पर समझा दिया कि दोनों का मक़्स़द ह़ास़िल हो गया और कोई झगड़ा बाक़ी न रहा। आपका इर्शाद उस बुनियादी उस़ूल पर मब्नी था। जो ह़दीष़ **इन्नमल्आमालु बिन्निय्यात** में बतलाया गया है कि अ़मलों का दरोमदार निय्यतों पर है।

आज भी ज़रूरत है कि उ़लमा व फ़ुक़हा ऐसी वसीउ़ज़्ज़र्फ़ी (अत्यधिक गम्भीरता) से काम लेकर उम्मत के लिये बजाय मुश्किलात पैदा करने के शरई हुदूद में आसानियाँ बहम पहुँचाएँ और दीने फ़ित़रत का ज़्यादा से ज़्यादा फ़राख़ क़लबी (बड़े दिल) के साथ मुतालआ़ करें कि ह़ालाते ह़ाज़रा में उसकी शदीद ज़रूरत है। फ़ुक़हा का वो दौर गुज़र चुका जब एक-एक जुज़ पर मैदाने मुनाज़रा क़ायम कर दिया जाता था। जिनसे तंग आकर ह़ज़रत शैख़ सअ़दी को कहना पड़ा,

फकीहाँ तरीकि जदल साखतन्द   लम ला नुसल्लिम दर अन्दाखतन्द

बाब 16 : ख़ैरात दाहिने हाथ से देना बेहतर है

١٦ - بَابُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

١٤٢٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ

1423. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह़्या बिन सईद क़त़्त़ान ने बयान किया उ़बैदुल्लाह उ़मरी से, उन्होंने कहा कि मुझसे ख़ुबैब बिन अ़ब्दुर्रह़्मान ने ह़फ़्स़ बिन आ़स़िम से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया सात क़िस्म के आदमियों को अल्लाह तआ़ला अपने (अ़र्श के) साये में रखेगा, जिस दिन उसके सिवा और कोई साया न होगा। इन्स़ाफ़ करने वाला ह़ाकिम, वो नौजवान जो अल्लाह तआ़ला की इबादत में जवान हुआ हो, वो शख़्स़ जिसका दिल हर वक़्त मस्जिद में लगा रहे, दो ऐसे शख़्स़ जो अल्लाह के लिये मुह़ब्बत रखते हैं, उसी पर जमा हुए और उसी पर जुदा हुए, ऐसा शख़्स़ जिसे किसी ख़ूबसूरत और इ़ज़्ज़तदार औ़रत ने बुलाया लेकिन उसने ये जवाब दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वो इन्सान जो स़दक़ा करे

اللهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

[راجع: ٦٦٠]

और उसे इस दर्जा छुपाए कि बाएँ हाथ को भी ख़बर न हो कि दाएँ हाथ ने क्या ख़र्च किया और वो शख़्स जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे और उसकी आँखें आँसुओं से बहने लगे।

(राजेअ़ : 660)

तशरीह : क़यामत के दिन अ़र्शे अ़ज़ीम का साया पाने वाले ये सात ख़ुश क़िस्मत इंसान मर्द हा या औ़रत इन पर ह़स्र नहीं है। कुछ अह़ादीष़ में और भी ऐसे नेक आमाल का ज़िक्र आया है जिनकी वजह से अ़र्श अ़ज़ीम का साया मिल सकेगा। कुछ उ़लमा ने इस मौज़ूअ़ पर मुस्तक़िल रिसाले तह़रीर फ़र्माए हैं और उन सारे आमाल स़ालिह़ा का ज़िक्र किया है जो क़यामत के दिन अ़र्शे इलाही के नीचे साया मिलने का ज़रिया बन सकेंगे। कुछ ने इस फ़हरिस्त को चालीस तक भी पहुँचा दिया है।

यहाँ बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त उस मुतस़द्दिक़ से है जो अल्लाह की राह में इस क़दर पोशीदा ख़र्च करता है कि दाएँ हाथ से ख़र्च करता है और बाएँ हाथ को भी ख़बर नहीं होती। उससे ग़ायते ख़ुलूस़ मुराद है।

इंस़ाफ़ करने वाला ह़ाकिम, चौधरी, पंच, अल्लाह की इ़बादत में मशग़ूल रहने वाला जवान और मस्जिद से दिल लगाने वाला नमाज़ी और दो बाहमे-इलाही मुह़ब्बत रखने वाले मुसलमान और स़ाह़िबे इ़स्मत व इ़फ़्फ़त मर्द या औ़रत मुसलमान और अल्लाह के डर से आंसू बहाने वाली आँखें ये तमाम आ़माले ह़सना ऐसे हैं कि उन पर कारबन्द होनेवालों को अ़र्शे इलाही का साया मिलना ही चाहिये। इस ह़दीष़ से अल्लाह के अ़र्श और उसके साये का भी इष़्बात हुआ जो कि बिना कैफ़ व कमो तावील तस्लीम करना ज़रूरी है। क़ुर्आन पाक की बहुत सी आयात में अ़र्शे अ़ज़ीम का ज़िक्र आया है। बिला शक व शुब्हा अल्लाह पाक स़ाह़बे अ़र्शे अ़ज़ीम है। उसके लिये अ़र्श का इस्तिवा और जिहते फ़ौक़ ष़ाबित और बरह़क़ है जिसकी तावील नहीं की जा सकती और न उसकी कैफ़ियत मा'लूम करने के हम मुकल्लफ़ है।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ : لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا)). [راجع: ١٤١١]

1424. हमसे अ़ली बिन जअ़द ने बयान किया, कहा कि हमें शुअ़बा ने ख़बर दी, कहा कि मुझे मअ़बद बिन ख़ालिद ने ख़बर दी, कहा कि मैंने ह़ारिष़ बिन वुहैब ख़ुज़ाई (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़र्माया कि स़दक़ा किया करो पस अनक़रीब एक ऐसा ज़माना आने वाला है जब आदमी अपना स़दक़ा लेकर निकलेगा (कोई उसे क़ुबूल करले, मगर जब वो किसी को देगा तो वो) आदमी कहेगा कि अगर उसे तुम कल लाए होते तो मैं ले लेता लेकिन आज मुझे इसकी ह़ाजत नहीं रही। (राजेअ़ : 1411)

ष़ाबित हुआ कि मर्दे मुख़्लिस़ अगर स़दक़ा ज़कात ऐ़लानिया लेकर तक़्सीम के लिये निकले बशर्ते कि ख़ुलूस़ व लिल्लाहियत मद्देनज़र हो तो ये भी मज़्मूम (निन्दनीय) नहीं है। यूँ बेहतर है कि जहाँ तक हो सके रिया व नमूद से बचने के लिये पोशिदा तौर पर स़दक़ा ज़कात ख़ैरात दी जाए।

١٧- بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

बाब 17 : इस बारे में कि जिसने अपने ख़िदमतगार को स़दक़ा देने का हुक्म दिया और ख़ुद अपने हाथ से नहीं दिया

और अबू मूसा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से यूँ बयान किया कि ख़ादिम भी सदक़ा देने वालों में समझा जाएगा।

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ))

1425. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मन्सूर ने, उनसे शक़ीक़ ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ ख़र्च करे और उसकी निय्यत शौहर की पूँजी बर्बाद करने की न हो तो उसे ख़र्च करने का ष़वाब मिलेगा और शौहर को भी उसका ष़वाब मिलेगा कि उसने कमाया है और ख़ज़ान्ची का भी यही हुक्म है। एक का ष़वाब दूसरे के ष़वाब में कोई कमी नहीं करता।

(दीगर मक़ाम : 1437, 1439, 1440, 1441, 2065)

١٤٢٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا)).

[أطرافه في : ١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ٢٠٦٥].

तश्रीह : मतलब ज़ाहिर है कि मालिक के माल की हिफ़ाज़त करने वाले और उसके हुक्म के मुताबिक़ उसी में से सदक़ा ख़ैरात निकालने वाले मुलाज़िम, ख़ादिम, ख़जान्ची सब ही अपनी अपनी हैषियत के मुताबिक़ ष़वाब के मुस्तहिक़ होंगे। यहाँ तक कि बीवी भी जो शौहर की इजाज़त से उसके माल में से सदक़ा ख़ैरात करे वो भी ष़वाब की मुस्तहिक़ होगी। इसमें एक तरह से खर्च करने की तर्ग़ीब है और दयानत व अमानत की ता'लीम व तल्क़ीन है। आयते शरीफ़ा में **लन तनालुल बिर्र** का एक मफ़्हूम ये भी है।

बाब 18 : सदक़ा वही बेहतर है जिसके बाद भी आदमी मालदार रह जाए
(बिल्कुल खाली हाथ न हो बैठे)

١٨ – بَابُ لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

और जो शख़्स ख़ैरात करे कि ख़ुद मुह्ताज हो जाए या उसके बाल-बच्चे मुह्ताज हो (तो ऐसी ख़ैरात दुरुस्त नहीं) इसी तरह अगर क़र्ज़दार हो तो सदक़ा और आज़ादी और हिबा पर क़र्ज़ अदा करना मुक़द्दम होगा और उसका सदक़ा उस पर फेर दिया जाएगा और उसको ये दुरुस्त नहीं कि (क़र्ज़ न अदा करे और ख़ैरात देकर) लोगों (क़र्ज़ देने वालों) की रक़म तबाह कर दे और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स लोगों का माल (बतौरे क़र्ज़) तल्फ़ करने (या'नी न देने) की निय्यत से ले तो अल्लाह उसको बर्बाद कर देगा। अलबत्ता अगर सब्र व तकलीफ़ उठाने में मशहूर हो तो अपनी ख़ास हाजत पर (क़र्ज़ की हाजत को) मुक़द्दम कर सकता है। जैसे अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने अपना सारा माल ख़ैरात में दे

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ)). إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِيْنَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ

الْمُهَاجِرِيْنَ.
وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ. ((وَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ ﷺ. قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ : فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرِ.

दिया और इसी तरह अन्सार ने अपनी ज़रूरत पर मुहाजिरीन की ज़रूरियात को मुक़द्दम किया और आँहज़रत (ﷺ) ने माल को तबाह करने से मना फ़र्माया है, तो जब अपना माल तबाह करना मना हुआ तो पराये लोगों का माल तबाह करना किस तरह जाइज़ होगा। और कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) ने (जो जंगे तबूख से पीछे रह गये थे) अ़र्ज़ की, या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं अपनी तौबा को इस तरह पूरा करता हूँ कि अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल पर तसद्दुक़ (सदक़ा) कर दूँ। आपने फ़र्माया कि नहीं कुछ थोड़ा माल रहने भी दे, वो तेरे हक़ में बेहतर है। कअ़ब ने कहा, बहुत ख़ूब मैं अपने ख़ैर का हिस्सा रहने देता हूँ।

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस बाब में अहादीषे नबवी और आषारे सहाबा की रोशनी में बहुत से अहम उमूर मुता'ल्लिक़े सदक़ा –ख़ैरात पर रोशनी डाली है। जिनका ख़ुलासा ये है कि इंसान के लिये सदक़ा ख़ैरात करना उसी वक़्त बेहतर है जबकि वो शरई हुदूद को मद्देनज़र रखे। अगर एक शख़्स के अहल व अयाल ख़ुद ही मुहताज हैं या वो ख़ुद दूसरों का क़र्ज़दार है फिर इन हालात में भी सदक़ा करे और न ये अहलो अयाल का ख़्याल रखे न दूसरों का क़र्ज़ अदा करे तो वो ख़ैरात उसके लिये बाइ़षे अज्र न होगी बल्कि वो एक तरह से दूसरों की हक़तलफ़ी करना और जिनको देना ज़रूरी था उनकी रक़म को तल्फ़ करना होगा। इर्शादे नबवी (ﷺ) **मन अख़ज़ अम्वालन्नासि युरीदु अत्लाफहा** का यही मंशा है। हाँ सब्र और ईषार अलग चीज़ है। अगर कोई हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) जैसा साबिर व शाकिर मुसलमान हो और अंसार जैसा ईषार पेशा हो तो उसके लिये ज़्यादा से ज़्यादा ईषार पेश करना जाइज़ होगा। मगर आजकल ऐसी मिषालें तलाश करना बेकार है। जबकि आजकल ऐसे लोग नापैद (दुर्लभ) हो चुके हैं।

हज़रत कअ़ब बिन मालिक (रज़ि.) वो बुज़ुर्गतरीन जलीलुल क़द्र सहाबी थे जो जंगे तबूक़ में पीछे रह गए थे। बाद में उनको जब अपनी ग़लती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी तौबा की क़ुबूलियत के लिये अपना सारा माल फ़ी सबीलिल्लाह दे देने का ख़्याल ज़ाहिर किया। आँहज़रत (ﷺ) ने सारे माल को फ़ी सबीलिल्लाह देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी जायदादे ख़ैबर को बचा लिया, बाक़ी ख़ैरात कर दिया। उससे भी अंदाज़ा लगाना चाहिये कि क़ुर्आन व हदीष की ये ग़र्ज़ हर्गिज़ नहीं कि कोई मुसलमान अपने अहलो–अयाल से बेनियाज़ होकर अपनी जायदाद फ़ी सबीलिल्लाह बख़्श दे और वारिषीन को मुहताज मुफ़लिस करके दुनिया से जाए। ऐसा हर्गिज़ न होना चाहिये कि ये वारिषीन की हक़तल्फ़ी होगी। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष सय्यिदना हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का यही मंशा-ए-बाब है।

١٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)).

1426. हमसे अ़ब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्होंने कहा मुझे सईद बिन मुसय्यिब ने ख़बर दी, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतरीन ख़ैरात वो है जिसके देने के बाद आदमी मालदार रहे। फिर सदक़ा पहले उन्हें दो जो तुम्हारे ज़ेरे परवरिश हैं।

(दीगर मकाम : 1428, 5355, 5356)

इस ह़दीष़ से स़ाफ़ ज़ाहिर होता है कि अपने अ़ज़ीज़ों अक़रबा जुम्ला मुता'ल्लिक़ीन अगर वो मुस्तह़िक़ हैं तो स़दक़ा—ख़ैरात ज़कात में सबसे पहले उन्हीं का ह़क़ है। इसलिये ऐसे स़दक़े करने वालों को दोगुने ष़वाब की बशारत दी गई है।

1427. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन उ़र्वा ने अपने बाप से बयान किया, उनसे हकीम बिन ह़िज़ाम (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है और पहले उन्हें दो जो तुम्हारे बाल-बच्चे और अ़ज़ीज़ हैं और बेहतरीन स़दक़ा वो है जिसे देकर आदमी मालदार रहे और जो कोई सवाल से बचना चाहेगा उसे अल्लाह तआ़ला भी मह़फ़ूज़ रखता है और जो दूसरों (के माल) से बेनियाज़ रहता है, उसे अल्लाह तआ़ला बेनियाज़ ही बना देता है।

١٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ)).

1428. और वुहैब ने बयान किया कि हमसे हिशाम ने अपने वालिद से बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने ऐसा ही बयान फ़र्माया। (राजेअ़ : 1426)

١٤٢٨ - وَعَنْ وُهَيْبٍ: قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهَذَا. [راجع: ١٤٢٦]

1429. हमसे अबुन नोअ़मान ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, (दूसरी सनद) और हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जबकि आप मिम्बर पर तशरीफ़ रखे थे। आपने स़दक़ा और किसी के सामने हाथ न फैलाने का और दूसरों से माँगने का ज़िक्र फ़र्माया और फ़र्माया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर का हाथ ख़र्च करने वाले का है और नीचे का हाथ माँगने वाले का।

١٤٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ ((الْيَدُ الْعُلْيَاءِ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ)).

तशरीह़ : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने मुनअ़क़िद किये हुए बाब के तह़त इन अह़ादीष़ को लाकर ष़ाबित फ़र्माया कि हर एक मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वो स़ाह़िबे दौलत बनकर और दौलत में से अल्लाह का ह़क़ ज़कात अदा करके ऐसा रहने की कोशिश करे कि उसका हाथ हमेशा ऊपर का हाथ रहे और ताज़ीसत नीचे वाला न बने या'नी देने वाला बनकर

रहे न कि लेने वाला और लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला। ह़दीष़ में इसकी भी तर्ग़ीब है कि एह़तियाज के बावजूद भी लोगों के सामने हाथ न फैलाना चाहिये बल्कि स़ब्र व इस्तिक़लाल से काम लेकर अपने तवक्कल अ़लल्लाह और ख़ुद्दारी को क़ायम रखते हुए अपनी क़ुव्वते बाज़ू की मेह़नत पर गुज़ारा करना चाहिये।

बाब 19 : जो देकर एह़सान जताए उसकी मज़म्मत क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया कि जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और जो कुछ उन्होंने ख़र्च किया है उसकी वजह से न एह़सान जताते हैं और न तकलीफ़ देते हैं

١٩- بَابُ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى، لِقَوْلِهِ : [البقرة : ٢٦٢]:

﴿الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أَذًى﴾ الآيَةَ

बाब 20 : ख़ैरात करने में जल्दी करना चाहिये

٢٠- باب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيْلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

1430. हमसे अबू आ़स़िम नबील ने उ़मर बिन सईद से बयान किया, उनसे इब्ने अबी मुलैका ने कि उ़क़्बा बिन ह़ारिष़ (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अ़स्र की नमाज़ अदा की फिर जल्दी से आप घर में तशरीफ़ ले गये। थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ़ ले आए। इस पर मैंने पूछा या किसी और ने पूछा तो आपने फ़र्माया कि मैं घर के अन्दर स़दक़े के सोने का एक टुकड़ा छोड़ आया था, मुझे ये बात पसन्द नहीं आई कि उसे तक़्सीम के बग़ैर रात गुज़ारूँ, पस मैंने उसको बाँट दिया।

(राजेअ़ : 851)

١٤٣٠- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ - أَوْ قِيْلَ - لَهُ فَقَالَ : ((كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ)). [راجع: ٨٥١]

(ह़दीष़ से ष़ाबित हुआ कि ख़ैरात और सदक़ा करने में जल्दी करना बेहतर है। ऐसा न हो कि मौत आ जाए या माल बाक़ी न रहे और ष़वाब से मह़रूम रह जाए। बाब का एक मफ़्हूम ये भी हो सकता है कि स़ाह़िबे निस़ाब साल में तमाम होने से पहले ही अपने माल की ज़कात अदा कर दे। इस बारे में मज़ीद वज़ाहत इस ह़दीष़ में है, **अ़न अ़लिय्यिन अन्नल्अ़ब्बास सअल रसूलल्लाहि (ﷺ) फ़ी तअ़जीलि सदक़तिन क़ब्ल अन तह़िल्ल फ़रख़्ख़स लहू फ़ी ज़ालिक रवाहु अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी वब्नु माजा वद्दारमी** या'नी ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने रसूले करीम से पूछा कि क्या वो अपनी ज़कात साल गुज़रने से पहले भी अदा कर सकते हैं? इस पर आपने उनको इजाज़त दे दी। **क़ाल इब्नु मालिक हाज़ा यदुल्लु अ़ला जवाज़ि तअ़जीलिज़्ज़काति बअ़द ह़ुसूलिन्निसाबि क़ब्ल तमामिल्ह़ौलि** (मिर्आ़त) या'नी इब्ने मालिक ने कहा कि ये ह़दीष़ दलालत करती है कि निस़ाबे मुक़र्ररा ह़ास़िल होने के बाद साल पूरा होने से पहले भी ज़कात अदा की जा सकती है।

बाब 21 : लोगों को स़दक़ा की तरग़ीब दिलाना और इसके लिये सिफ़ारिश करना

٢١- بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالشَّفَاعَةِ فِيْهَا

1471. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अदी बिन षाबित ने बयान किया, उनसे सईद बिन जुबैर ने, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ईद के दिन निकले। पस आपने (ईदगाह में) दो रकअ़त नमाज़ पढ़ाई। न आपने उससे पहले कोई नमाज़ पढ़ी और न उसके बाद। फिर आप औरतों की तरफ़ आए, बिलाल (रज़ि.) आपके साथ थे। उन्हें आपने वा'ज़ व नसीहत की और उनको सदक़ा करने के लिये हुक्म फ़र्माया। चुनाँचे औरतें कंगन और बालियाँ (बिलाल रज़ि. के कपड़े में) डालने लगीं। (राजेअ़ : 98)

١٤٣١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ. ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ - وَ بِلاَلٌ مَعَهُ - فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ)). [راجع: ٩٨]

बाब की मुताबक़त ज़ाहिर है क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने औरतों को ख़ैरात करने के लिये रग़बत दिलाई। उससे सदक़ा और ख़ैरात की अहमियत पर भी इशारा है। हदीष़ में आया है कि सदक़ा अल्लाह पाक के ग़ज़ब और गुस्से को बुझा देता है। क़ुर्आन पाक में जगह जगह **इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह** के लिये तर्ग़ीबात मौजूद हैं। फ़ी सबीलिल्लाह का मफ़्हूम बहुत आम है।

1432. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबुर्दा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबुर्दा बिन अबी मूसा ने बयान किया, और उनसे उनके बाप अबू मूसा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास अगर कोई माँगने वाला आता या आपके सामने कोई हाजत पेश की जाती तो आप सहाबा किराम से फ़र्माते कि तुम सिफ़ारिश करो कि इसका षवाब पाओगे और अल्लाह पाक अपने नबी की ज़बान से जो फ़ैसला चाहेगा वो देगा।
(दीगर मक़ाम : 6027, 6028, 7472)

١٤٣٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوبُرَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: ((اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ)).
[أطرافه في : ٦٠٢٧، ٦٠٢٨، ٧٤٧٦].

मा'लूम हुआ कि हाजतमन्दों की हाजत और ग़र्ज़ पूरी कर देना या उनके लिये सई और सिफ़ारिश कर देना बड़ा षवाब है। इसीलिये आँहज़रत (ﷺ) सहाबा किराम (रज़ि.) को सिफ़ारिश करने की रग़बत दिलाते और फ़र्माते कि अगरचे ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी सिफ़ारिश ज़रूर क़ुबूल हो जाए। होगा वही जो अल्लाह को मंज़ूर है। मगर तुमको सिफ़ारिश का षवाब ज़रूर मिल जाएगा।

1433. हमसे सिद्दीक़ बिन फ़ज़्ल ने बयान किया, कहा कि हमें अ़ब्दह ने हिशाम से ख़बर दी, उन्हें उनकी बीवी फ़ातिमा बिन्त मुन्ज़िर ने और उनसे अस्मा (रज़ि.) ने बयान किया कि मुझसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि ख़ैरात को मत रोक वरना तेरा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा।

١٤٣٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ)).

हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, और उनसे अ़ब्दह

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ

ने यही हदीष़ रिवायत की कि गिनने न लग जाना वरना फिर अल्लाह भी तुझे गिन गिन कर ही देगा।

(दीगर मक़ाम : 1438, 2590, 2591)

وقَالَ: ((لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ)).

[أطرافه في : ١٤٣٤، ٢٥٩٠، ٢٥٩١].

मक़्सद स़दक़ा के लिये रग़बत दिलाना और बुख़्ल से नफ़रत दिलाना है। ये मक़्सद भी नहीं है कि सारा घर लुटाके कंगाल बन जाओ। यहाँ तक फ़र्माया कि तुम अपने वरष़ा को ग़नी छोड़कर जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ न फैलाते फिरें। लेकिन कुछ लोगों के लिये कुछ इस्तिस्ना भी होता है जैसे सय्यिदना ह़ज़रत अबूबक्र स़िद्दीक़ (रज़ि.) जिन्होंने अपना तमाम ही अष़ाषा (सम्पत्ति) फ़ी सबीलिल्लाह पेश कर दिया था और कहा था कि घर में सिर्फ़ अल्लाह और रसूल (ﷺ) का नाम बाक़ी छोड़कर आया हूँ बाक़ी सब कुछ ले आया हूँ। ये स़िद्दीक़े अकबर (रज़ि.) जैसे मुतवक्किले आ'ज़म ही की शान हो सकती है हर किसी का ये मक़ाम नहीं। बहरहाल अपनी त़ाक़त के अंदर-अंदर सदक़ा-ख़ैरात करना बहुत ही मोजिबे बरकात है। दूसरा बाब इस मज़्मून की मज़ीद वज़ाहत कर रहा है।

बाब 22 : जहाँ तक हो सके ख़ैरात करना

٢٢- بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

1434. हमसे अबू आ़स़िम (ज़िहाक) ने बयान किया और उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया (दूसरी सनद) और मुझसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम ने बयान किया, उनसे हज्जाज बिन मुहम्मद ने किया कि मुझे इब्ने अबी मुलैका ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्बाद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) से ख़बर दी के वो नबी करीम (ﷺ) के यहाँ आईं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि (माल को) थैली में बन्द करके न रखना वरना अल्लाह पाक भी तुम्हारे लिये अपने ख़ज़ाने बन्द कर देगा। जहाँ तक हो सके लोगों में ख़ैरात तक़्सीम करती रहो।

(राजेअ़ : 1433)

١٤٣٤- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: ((لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ. ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ)). [راجع: ١٤٣٣]

बाब 23 : स़दक़ा ख़ैरात से गुनाह माफ़ हो जाते हैं

٢٣- بَابُ الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيْئَةَ

1435. हमसे कुतैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने आ'मश से बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, उन्होंने हुज़ैफ़ा बिन यमान (रज़ि.) से कि उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फ़ित्ने से मुता'ल्लिक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष़ आप लोगों में से किसको याद है? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने कहा कि मैं इस त़रह याद रखता हूँ, जिस त़रह नबी करीम (ﷺ) ने उसको बयान फ़र्माया था। इस पर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम्हें उसके बयान पर जुर्अत है। अच्छा तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़ित्नों के बारे में क्या फ़र्माया था? मैंने कहा कि (आपने फ़र्माया था)

١٤٣٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِتْنَةِ؟ قَالَ : قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ، فَكَيْفَ قَالَ؟ قُلْتُ: ((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ

وَالْمَعْرُوفُ))- قَالَ سُلَيْمَانُ : قَدْ كَانَ يَقُولُ: ((الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ))- قَالَ : لَيْسَ هَذِهِ أُرِيْدُ، وَلَكِنِّي أُرِيْدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ : قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأْسٌ، بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ. قَالَ : فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ قُلْتُ: لاَ، بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ : فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قَالَ قُلْتُ : أَجَلْ. قَالَ : فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ. فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ. قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قَالَ : قُلْنَا : أَفَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي؟ قَالَ : نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً. وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيْطِ)). [راجع: ٥٢٥]

इन्सान की आज़माइश (फ़ित्ना) उसके ख़ानदान, औलाद और पड़ौसियों में होती है और नमाज़, स़दक़ा और अच्छी बातों के लिये लोगों को हुक्म देना, बुरी बात से रोकना, ये उस फ़ित्ने को मिटा देने वाले नेक काम हैं। फिर उस फ़ित्ने के बारे में पूछना चाहता हूँ जो समन्दर की तरह ठाठे मारता हुआ फैलेगा। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया, मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप उस फ़ित्ने की फ़िक्र न कीजिए आपके और उस फ़ित्ने के दरम्यान एक बन्द दरवाज़ा है। उ़मर (रज़ि.) ने पूछा कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या स़िर्फ़ खोला जाएगा। उन्होंने बतलाया नहीं बल्कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा तो फिर कभी भी बन्द हो सकेगा। अबू वाइल ने कहा कि हाँ! फिर हम रौब की वजह से हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से ये न पूछ सके कि वो दरवाज़ा कौन है? इसलिये हमने मस्रूक़ से कहा कि तुम पूछो। उन्होंने कहा कि मस्रूक़ (रह.) ने पूछा तो उ़मर (रज़ि.) जानते थे कि आपकी मुराद कौन थी? उन्होंने कहा, हाँ जैसे दिन के बाद रात के आने को जानते हैं और ये इसलिये कि मैंने जो ह़दीष़ बयान की वो ग़लत़ नहीं थी।

(राजेअ़ : 525)

तश्रीह : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ह़ज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के बयान की ता'रीफ़ की क्योंकि वो अकष़र आँह़ज़रत (ﷺ) से फ़ित्नों और फ़साद के बारे में जो आपके बाद होने वाले थे, पूछते रहा करते थे। जबकि दूसरे लोगों को इतनी जुर्अत न होती थी। इसलिये ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने उनसे फ़र्माया कि बेशक तू दिल खोलकर उनको बयान करेगा क्योंकि तू उनको ख़ूब जानता है। इस ह़दीष़ को ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) यहाँ ये ष़ाबित करने के लिये लाए कि स़दक़ा गुनाहों का कफ़्फ़ारा है।

٢٤- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

बाब 24 : इस बारे में कि जिसने शिर्क की ह़ालत में स़दक़ा दिया और फिर इस्लाम ले आया

١٤٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

1436. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमें मअ़मर ने ज़ुह्री से ख़बर दी, उन्हें उ़र्वा ने और उनसे हकीम बिन हिज़ाम

(रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! उन नेक कामों से मुता'ल्लिक़ आप क्या फ़र्माते हैं, जिनमें जहालत के ज़माने में स़दक़ा, गुलाम आज़ाद करने और स़िलारहमी की सूरत में किया करता था। क्या उनका मुझे ष़वाब मिलेगा? नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम अपनी उन तमाम नेकियों के साथ इस्लाम लाए हो जो पहले गुज़र चुकी है।

(दीगर मक़ाम : 2220, 2538, 5992)

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)).

[أطرافه في : ٢٢٢٠، ٢٥٣٨، ٥٩٩٢].

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ से ये ष़ाबित किया है कि अगर काफ़िर मुसलमान हो जाए तो कुफ़्र के ज़माने की नेकियों का भी ष़वाब मिलेगा। ये अल्लाह पाक की इनायत है। उसमें किसी का क्या इजारा है। बादशाह ह़क़ीक़ी के पैग़म्बर ने जो कुछ फ़र्मा दिया वही क़ानून है। इससे ज़्यादा स़राह़त दारे क़ुत्नी की रिवायत में है कि जब काफ़िर इस्लाम लाता है और अच्छी तरह मुसलमान हो जाता है तो उसकी हर नेकी जो उसने इस्लाम लाने से पहले की थी, लिख ली जाती है और हर बुराई जो इस्लाम से पहले की थी मिटा दी जाती है। उसके बाद हर नेकी का ष़वाब दस गुनाह से सात सौ गुनाह तक मिलता रहता है और हर बुराई के बदले एक बुराई लिखी जाती है। बल्कि मुम्किन है अल्लाह पाक उसे भी मुआफ़ कर दे।

बाब 25 : ख़ादिम-नौकर का ष़वाब, जब वो मालिक के हुक्म के मुताबिक़ ख़ैरात देने और कोई बिगाड़ की निय्यत न हो

٢٥- بَابُ أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

1437. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जरीर ने आ'मश से बयान किया, उनसे अबूवाइल ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि रसूले-करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब बीवी अपने ख़ाविन्द के खाने में से कुछ स़दक़ा करे और उसकी निय्यत उसे बर्बाद करने की नहीं होती तो उसे भी उसका ष़वाब मिलता है और उसके ख़ाविन्द को कमाने का ष़वाब मिलता है। इस तरह ख़ज़ान्ची को भी इस का ष़वाब मिलता है।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)).

तश्रीह : या'नी बीवी की शौहर के माल को बेकार तबाह करने की निय्यत न हो तो उसको भी षवाब मिलेगा। ख़ादिम के लिये भी यही हुक्म है। मगर बीवी और ख़िदमतगार में फ़र्क़ है। बीवी बग़ैर शौहर की इजाज़त के उसके माल में से ख़ैरात कर सकती है लेकिन ख़िदमतगार ऐसा नहीं कर सकता। अकष़र उलमा के नज़दीक बीवी को भी उस वक़्त तक शौहर के माल से ख़ैरात दुरुस्त नहीं जब तक कि इज्मालन या तफ़्सीलन उसने इजाज़त न दी हो और इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक भी यही मुख़्तार है। कुछ ने कहा ये उ़र्फ़ और दस्तूर पर मौक़ूफ़ है या'नी बीवी पका हुआ खाना वग़ैरह ऐसी थोड़ी चीज़ें जिनके देने से कोई नाराज़ नहीं होता, ख़ैरात कर सकती है गो शौहर की इजाज़त न मिले।

1438. हमसे मुहम्मद बिन अ़ताअ ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे बुरैद बिन अ़ब्दुल्लाह ने, उनसे अबू बुरैदा ने और उनसे अबू मूसा (रज़ि.) ने कि नबी करीम

١٤٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِيْنُ الَّذِي يُنفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ : يُعْطِي - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبٌ بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ)).

[طرفاه في : ٢٢٦٠، ٢٣١٩].

(ﷺ) ने फ़र्माया। ख़ाज़िन मुसलमान अमानतदार जो कुछ भी ख़र्च करता है और बाज़ दफ़ा फ़र्माया वो चीज़ पूरी तरह देता है, जिसका उसे सरमाये के मालिक की तरफ़ से हुक्म दिया गया और उसका दिल भी उससे खुश है और इसी को दिया है जिसे देने के लिये मालिक ने कहा था तो वो देने वाला भी सदक़ा देने वालों में से एक है। (दीगर मक़ाम : 2260,2319)

٢٦- بَابُ أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

बाब 26 : औरत का ष़वाब जब वो अपने शौहर की चीज़ में से सदक़ा दे या किसी को खिलाए और इरादा घर बिगाड़ने का न हो

١٤٣٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ح.

1439. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमें शुअ़बा ने ख़बर दी, कहा कि हमें मन्सूर बिन मअ़मर और आ'मश दोनों ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से कि जब कोई औरत अपने शौहर के घर (के माल) से सदक़ा करे।

١٤٤٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ)).

1440. (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी ने कहा और मुझसे उमर बिन ह़फ़्स ने बयान किया, कहा कि मुझ से मेरे बाप ह़फ़्स बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे अबू वाइल शक़ीक़ ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जब बीवी अपने शौहर के माल में से किसी को खिलाए और उसका इरादा घर को बिगाड़ने का भी न हो तो उसे उसका ष़वाब मिलता है और शौहर को भी वैसा ही ष़वाब मिलता है और ख़ज़ान्ची को भी वैसा ही ष़वाब मिलता है। शौहर को कमाने की वजह से ष़वाब मिलता है और औरत को ख़र्च करने की वजह से।

तश्रीह : ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ को तीन तरीक़ों से बयान किया और ये तकरार नहीं है क्योंकि हर एक बाब के अल्फ़ाज़ जुदा हैं। किसी में **इज़ा तसद्दक़तिल मर्अतु** है किसी में **इज़ा अत़्अमतिल मर्अतु** है किसी में **मिम बैति ज़ौजिहा** है और ज़ाहिर ह़दीष़ से ये निकलता है कि तीनों को बराबर-बराबर मिलेगा। दूसरी रिवायत में है कि औरत को मर्द का आधा ष़वाब मिलेगा। क़स्तलानी ने कहा कि दारोग़ा को भी ष़वाब मिलेगा। मगर मालिक की तरह उसको दोगुना ष़वाब न होगा। (वह़ीदी)

1441. हमसे यह्या बिन यह्या ने बयान किया , कहा कि हमसे जरीर बिन अ़ब्दुल हमीद ने मन्सूर से बयान किया, उनसे अबू वाइल शक़ीक़ ने, उनसे मस्रूक़ ने और उनसे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब औरत अपने घर के खाने की चीज़ से अल्लाह की राह में ख़र्च करे और उसका इरादा घर को बिगाड़ने का न हो तो उसे उसका षवाब मिलेगा और शौहर को कमाने का षवाब मिलेगा, इसी तरह ख़ज़ान्ची को भी ऐसा ही षवाब मिलेगा।

١٤٤١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ)).

तश्रीह : औरत का ख़र्च करना इस शर्त के साथ है कि उसकी निय्यत घर बर्बाद करने की न हो। कुछ दफ़ा ये भी ज़रूरी है कि वो शौहर की इजाज़त हासिल करे। मगर मा'मूली खाने–पीने की चीज़ों में हर वक़्त इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ ख़ाज़िन या ख़ादिम के लिये बग़ैर इजाज़त कोई पैसा इस तरह ख़र्च कर देना जाइज़ नहीं है। जब बीवी और ख़ादिम इसी तौर पर ख़र्च करेंगे तो असल मालिक या'नी शौहर के साथ वो भी षवाब में शरीक होंगे। अगरचे उनके षवाब की हैषियत अलग अलग होगी। हदीष का मक़्सद भी सबके षवाब को बराबर क़रार देना नहीं है।

बाब 28 : (सूरह वल्लैल में) अल्लाह तआ़ला ने फ़र्माया

٢٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ:

जिसने (अल्लाह के रास्ते में) दिया और उसका ख़ौफ़ इख़्तियार किया और अच्छाइयों की (या'नी इस्लाम की) तस्दीक़ की तो मैं उसके लिये आसानी की जगह या'नी जन्नत आसान कर दूंगा। लेकिन जिसने बुख़्ल किया और बेपरवाही बरती और अच्छाइयों (या'नी इस्लाम को) झुठलाया तो उसे मैं दुश्वारियों में (या'नी दोज़ख़ में) फंसा दूंगा और फ़रिश्तों की इस दुआ का बयान कि ऐ अल्लाह! माल ख़र्च करने वाले को उसका अच्छा बदला अ़ता फ़र्मा।

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ الآيَةَ [الليل:٥] اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا.

1442. हमसे इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे भाई अबूबक्र बिन अबी उवैस ने बयान किया, उनसे सुलैमान बिन बिलाल ने, उनसे मुआ़विया बिन अबी मुज़रद ने, उनसे अबुल हुबाब सईद बिन यसार ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बन्दे सुबह को उठते हैं तो दो फ़रिश्ते आसमान से न उतरते हों। एक फ़रिश्ता तो ये कहता है कि ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को उसका बदला दे और दूसरा कहता है कि ऐ अल्लाह! मुम्सिक और बख़ील के माल को तलफ़ कर दे।

١٤٤٢- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا)).

इब्ने अबी हातिम की रिवायत मे इतना ज़्यादा है। तब अल्लाह पाक ने ये आयत उतारी **फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा** आख़िर तक और इस रिवायत को बाब में उस आयत के तहत ज़िक्र करने की वजह भी मा'लूम हो गई।

बाब 28 : सदक़ा देने वाले की और बख़ील की मिष़ाल का बयान

٢٨- بَابُ مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

1443. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ताऊस ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि बख़ील और सदक़ा देने वाले की मिष़ाल ऐसे दो शख़्सों की तरह है जिनके बदन पर लोहे के दो कुर्ते हैं। (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी ने कहा और हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमें अबुज़्ज़िनाद ने ख़बर दी कि अ़ब्दुल्लाह बिन हुमुर्ज़ अल अअ़रज़ ने उनसे बयान किया और उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना और अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि बख़ील और ख़र्च करने वाले की मिष़ाल ऐसे दो शख़्सों की सी है जिनके बदन पर लोहे के दो कुर्ते हों, छातियों से हंसली तक, जब ख़र्च करने का आदी (सख़ी) ख़र्च करता है तो उसके तमाम जिस्म को (वो कुर्ता) छुपा लेता है या (रावी ने ये कहा कि) तमाम जिस्म पर फैल जाता है और उसकी अंगुलियाँ उसमें छुप जाती है और चलने में उसके पाँव के निशान मिटता जाता है। लेकिन बख़ील जब भी ख़र्च करने का इरादा करता है तो उस कुर्ते का हर हल्क़ा अपनी जगह से चिमट जाता है। बख़ील उसे कुशादा करने की कोशिश करता है लेकिन वो कुशादा नही हो पाता। अ़ब्दुल्लाह बिन ताऊस के साथ इस हदीष़ को हसन बिन मुस्लिम ने भी ताऊस से रिवायत किया, उसमें दो कुर्ते हैं।

(दीगर मक़ाम : 1444, 2917, 5299, 5797)

١٤٤٣- حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ)). ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا. فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ - أَوْ وَفَرَتْ - عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ)). تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ.

[أطرافه في : ١٤٤٤، ٢٩١٧، ٥٢٩٩، ٥٧٩٧].

1444. और हन्ज़ला ने ताऊस से दो ज़िरहें नक़ल किया है और लैष़ बिन सअ़द ने कहा मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन हुर्मुज़ से सुना कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से फिर यही हदीष़ बयान की उसमें दो ज़िरहें हैं। (राजेअ़ : 1443)

١٤٤٤- وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ ((جُنَّتَانِ)). وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((جُنَّتَانِ)).

[راجع: ١٤٤٣]

तश्रीह : इस हदीष़ में बख़ील और मुतसद्दिक़ की हदीष़ें बयान की गई हैं। सख़ी की ज़िरह इतनी नीची हो जाती है जैसे बहुत नीचा कपड़ा आदमी जब चले तो वो ज़मीन पर घिसटता रहता है और पांव के निशान मिटा देता है। मतलब ये है कि सख़ी आदमी का दिल रुपया खर्च करने से ख़ुश होता है और कुशादा हो जाता है। बख़ील की ज़िरह पहले ही मरहले पर उसके सीने से चिमटकर रह जाती है और उसको सख़ावत की तौफ़ीक़ ही नहीं होती। उसके साथ ज़िरह के अंदर मुक़य्यिद होकर रह जाते हैं।

हसन बिन मुस्लिम की रिवायत को इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल्लिबास में और हंज़ला की रिवायत को इस्माई ल ने वस्ल किया और लैष़ बिन सअ़द की रिवायत इस सनद से नहीं मिली। लेकिन इब्ने हिब्बान ने उसको दूसरी सनद से लैष़ से निकाला। जिस तरह कि हाफ़िज़ इब्ने हजर ने बयान किया है।

٢٩- بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾. [البقرة: ٢٦٧].

बाब 29 : मेहनत और सौदागरी के माल में से ख़ैरात करना ष़वाब है

क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने (सूरह बक़रः में) फ़र्माया कि ऐ ईमान वालों! अपनी कमाई की उम्दा पाक चीज़ों में से (अल्लाह की राह में) ख़र्च करो और उनमें से भी जो तुमने तुम्हारे लिये ज़मीन से पैदा की है। आखिर आयत ग़निय्युन हमीद तक।

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इशारा किया उस रिवायत की तरफ़ जो मुजाहिद से मन्क़ूल है कि कस्ब और कमाई से इस आयत में तिजारत और सौदागरी मुराद है और ज़मीन से जो चीज़ उगाई उनसे अनाज और खजूर वग़ैरह मुराद है।

अल्लामा इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **हाकज़ा औरदहू हाज़त्तर्जुमत मुक्तसिरन अलल्आयति बिगैरि हदीष़िन व कअन्नहू अशार इला मा रवाहु शुअबतु अनिल्हकमि अन मुजाहिद फी हाजल्आयति याअय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम (अल्आयह) क़ाल मिनत्तिजारतिल्हलालि अखरजहुत्तबरी वब्नु अबी हातिम मिन तरीक़ि आदम अन्हू व अखरजहुत्तबरी मिन तरीक़ि हुशैम अन शुअबत व लफ़्ज़ुहू मिनत्तय्यिबाति मा कसब्तुम क़ाल मिनत्तिजारति व मिम्मा अख्रज्ना लकुम मिनल्अर्ज़ि क़ाल मिनष़्षिमारि व मिन तरीक़ि अबी बक्र अल्हज़्ली अन मुहम्मदिब्नि सीरीन अन उबैदब्नि अम्रिन अन अलिय्यिन क़ाल फ़ी क़ौलिही व मिम्मा अख्रज्ना लकुम मिनल्अर्ज़ि क़ाल यअनी मिनल्हुब्बि वत्तम्रि व कुल्लु शैइन अलैहि ज़कातुन व क़ालज़्ज़ीनुब्नुल्मुनीरु लम युक़य्यिदिल्कसब फ़ित्तर्जुमति बित्तय्यिबि कमा फिल्आयति इस्तिगनाउन अन ज़ालिक बिमा तक़द्दम फ़ी तर्जुमतिन बाबुस्सदक़ति मिन कस्बिन तय्यिबिन.** (फ़त्हुल बारी)

या'नी यहाँ इस बाब में हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने सिर्फ़ इस आयत के नक़ल कर देने को काफ़ी समझा और कोई हदीष़ यहाँ नहीं लाए। गोया आपने उस रिवायत की तरफ़ इशारा किया जिसे शुअ़बा ने हकम से और हकम ने मुजाहिद से इस आयत की तफ़्सीर में नक़ल किया है कि **मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम** से मुराद हलाल तिजारत है। उसे तबरानी ने रिवायत किया है और इब्ने अबी हातिम ने तरीक़ आदम से और तबरानी ने तरीक़े हशीम से भी शुअ़बा से उसे रिवायत किया है। और उनके अल्फ़ाज़ ये कि **तय्यिबाति मा कसब्तुम** मुराद तिजारत है और **मिम्मा अख़रज्ना लकुम** से मुराद फल वग़ैरह हैं जो ज़मीन से पैदा होते हैं। और तरीक़ अबूबक्र हुज़्ली में मुहम्मद बिन सीरीन से, उन्होंने उ़बैदा बिन अ़म्र से, उन्होंने हज़रत अ़ली से कि **मिम्मा अख़रज्ना लकुम** से मुराद दाने और खजूर हैं और हर वो चीज़ें जिस पर ज़कात वाजिब है, मुराद है। ज़ैन इब्ने मुनीर ने कहा कि यहाँ बाब में इमाम बुख़ारी ने कसब को तय्यब के साथ मुक़य्यद नहीं किया। जैसा कि आयत मज़्कूर में है, ये इसलिये कि हज़रत इमाम पहले एक बाब में कस्ब के साथ तय्यब की क़ैद लगा चुके हैं।

बाब 30 : हर मुसलमान पर सदक़ा करना ज़रूरी है अगर (कोई चीज़ देने के लिये) न हो तो उसके लिये अच्छी बात पर अमल करना या अच्छी बात दूसरे को बतला देना भी ख़ैरात है

٣٠- بَابُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

1445. हमसे मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सईद बिन अबी बुर्दा ने बयान किया, उनसे उनके बाप अबूबुर्दा ने उनके दादा अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि हर मुसलमान पर सदक़ा करना ज़रूरी है। लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! अगर किसी के पास कुछ न हो? आपने फ़र्माया कि फिर अपने हाथ से कुछ कमाकर जो ख़ुद भी नफ़ा पहुँचाए और सदक़ा भी करे। लोगों ने कहा अगर इसकी ताक़त न हो? फ़र्माया कि फिर किसी हाजतमन्द फ़रियादी की मदद करे। लोगों ने कहा कि अगर इसकी भी सकत न हो। फ़र्माया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज़ रहे उसका यही सदक़ा है।

(दीगर मक़ाम : 6022)

١٤٤٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)). فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ : ((يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)). قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ)). قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: ((فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ)).

[طرفه في : ٦٠٢٢].

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) ने अदब में जो किताब निकाली है उसमें यूँ है कि अच्छी या नेक बात का हुक्म करे। अबू दाऊद तियालिसी ने इतना और ज़्यादा किया और बुरी बात से मना कर। मा'लूम हुआ जो शख़्स नादार हो उसके लिये वा'ज़ और नसीहत में सदक़े का षवाब मिलता है। (वहीदी)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं,

क़ालश्शैख़ु अबू मुहम्मद बिन अबी जम्रत नफअल्लाहुबिही तर्तीब हाज़ल्हदीषि अन्नहू नुदुबुन इलस्सदक़ति व इन्दल्इज़्ज़ि अन्हा नुदुबुन इला मा यक़्रबु मिन्हा औ यक़ूमु मक़ामहा व हुवल्अमलु वल्इन्तिफाउ व इन्दल्इज़्ज़ि अन ज़ालिक नुदुबुन इला मा यक़ूमु मक़ामहू व हुवल्इगाषतु व इन्द अदमि ज़ालिक नुदुबुन इला फिअलिल् मअरूफ़ि अय मिन सिवा मा तकद्दम कइमाततिल्अज़ा इन्द अदमि ज़ालिक आखिरुल्मरातिबि क़ाल व मअनश्शर्रि हाहुना मा मजउश्शरउ फफीहि तसल्लियतुन लिल्आज़िज़ि अन फिअलिल्मन्दूबाति इज़ा कान अजज़हु अन ज़ालिक अन ग़ैरि इख़्तियारिन. (फ़त्हुल बारी)

मुख़्तसर ये कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस हदीष को लाकर यहाँ दर्जा-ब-दर्जा सदक़ा करने की तर्ग़ीब दिलाई है। जब माली सदक़ा की तौफ़ीक़ न हो तो जो भी काम उसके क़ायम मुक़ाम हो सके वही सदक़ा है। मषलन अच्छे काम करना और दूसरों को अपनी ज़ात से नफ़ा पहुँचाना, जब उसकी भी तौफ़ीक़ न हो तो किसी मुसीबतज़दा की फ़रियाद-रसी करना और ये भी न हो सके तो कोई और नेक काम कर देना मषलन ये कि रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना। फिर नमाज़ की तरफ़ रग़बत दिलाई कि ये भी बेहतरीन काम है। आख़िरी बार ये कि बुराई को तर्क करना जिसे शरीअत ने मना किया है। ये भी षवाब के काम हैं और उसमें उस शख़्स के लिये तसल्ली दिलाना है जो नेक कामों से बिलकुल आजिज़ है। इर्शादे बारी तआला है, **व मा यफ़्अलू मिन ख़ैरिन फ़लय्युक्फ़ुरूहु** (आले इमरान : 115) लोग जो कुछ भी नेक काम करते हैं वो बर्बाद नहीं

होते। बल्कि उसका बदला किसी न किसी शक्ल में मिल ही जाता है। क़ुदरत का यही क़ानून है, **फ़मंय्यअमल मिष्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरय्यरह व मंय्यअमल मिष्क़ाल ज़र्रतिन शर्रय्यरह** (अल ज़िलज़ाल : 99) जो एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा वो उसे भी देख लेगा और एक ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा वो उसे भी देख लेगा।

बाब 31 : ज़कात या सदक़े में कितना माल देना दुरुस्त है और अगर किसी ने एक पूरी बकरी दे दी?

٣١- بَابُ قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

1446. हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू शिहाब ने बयान किया, उनसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने, उनसे हफ़्सा बिन्ते सीरीन ने और उनसे उम्मे अ़तिया (रज़ि.) ने नुसैबा नामी एक अन्सारी औरत के यहाँ किसी ने एक बकरी भेजी (ये नुसैबा नामी अन्सारी ख़ुद उम्मे अ़तिया ही का नाम है) उस बकरी का गोश्त उन्होंने हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ भी भेज दिया। फिर नबी करीम (ﷺ) ने उनसे दरयाफ़्त किया कि तुम्हारे पास खाने को कोई चीज़ है? आइशा (रज़ि.) ने कहा कि और तो कोई चीज़ नहीं अलबत्ता उस बकरी का गोश्त जो नुसैबा ने भेजा था, वो मौजूद है। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि वही लाओ अब उसका खाना दुरुस्त हो गया।

(दीगर मक़ाम : 1494, 2579)

١٤٤٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: ((هَاتِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)).

[طرفاه في : ١٤٩٤، ٢٥٧٩].

तश्रीह : बाब का मतलब यूँ षाबित हुआ कि पूरी बकरी बतौरे सदक़ा नुसैबा को भेजी गई। अब उम्मे अ़तिया ने जो थोड़ा गोश्त उस बकरी में से हज़रत आइशा (रज़ि.) को तोहफ़ा के तौर पर भेजा। उससे ये निकला कि थोड़ा गोश्त भी सदक़ा दे सकते हैं क्योंकि उम्मे अ़तिया का हज़रत आइशा (रज़ि.) को भेजना गो सदक़ा न था मगर हदिया था। पस सदक़ा को उस पर क़यास किया। इब्ने मुनीर ने कहा कि इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर उन लोगों का रद्द किया है जो ज़कात में एक फ़क़ीर को इतना दे देना मकरूह समझते हैं कि वो साहिबे निसाब हो जाए। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) से ऐसा ही मन्क़ूल है लेकिन इमाम मुहम्मद ने कहा उसमें कोई क़बाहत नहीं। (वहीदी)

आँहज़रत (ﷺ) ने उस बकरी के गोश्त को इसलिये खाना हलाल क़रार दिया कि जब फ़क़ीर ऐसे माल से तोहफ़ा के तौर पर कुछ भेज दे तो वो दुरुस्त है क्योंकि मिल्क के बदल जाने से हुक्म भी बदल जाता है। यही मज़्मून बरीरा की हदीष में भी वारिद है। जब बरीरा ने सदक़ा का गोश्त हज़रत आइशा (रज़ि.) को तोहफ़ा भेजा था तो आपने फ़र्माया था। **हुव लहा सदक़तुन व लना हदयतुन** (वहीदी) वो उसके लिये सदक़ा है और हमारे लिये उसकी तरफ़ से तोहफ़ा है।

बाब 23 : चाँदी की ज़कात का बयान

٣٢- بَابُ زَكَاةِ الْوَرِقِ

1447. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अ़म्र बिन माज़िनी ने, उन्हें उनके बाप यह्या ने, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ)

١٤٤٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)).

ने फ़र्माया कि पाँच ऊँट से कम में ज़कात और पाँच औक़िया से कम (चाँदी) में ज़कात नहीं। इसी तरह पाँच वस्क़ से कम (अनाज) में ज़कात नहीं।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.[راجع: ١٤٠٥]

हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ष़क़फ़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे अ़म्र बिन यह्या ने ख़बर दी, उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से इस ह़दीष़ को सुना। (राजेअ़ : 1405)

तश्रीह : ये ह़दीष़ अभी ऊपर बाब मा उद्दिय ज़कातुहू फ़लैस बिकन्ज़िन में गुज़र चुकी है और वस्क़ और औक़िया की मिक़्दार भी वहीं मज़्कूर हो चुकी है। पाँच औक़िया दो सौ दिरहम के होते हैं। हर दिरहम छः दाँक़ का। हर दाँक़ 8 जौ और 2/5 जौ का। तो दरम 50 जौ या 2/5 जौ का हुआ। कुछ ने कहा कि दिरहम चार हज़ार और दो सौ राई के दानों का होता है। और एक दीनार एक दरम और 3/7 दरम का या छः हज़ार राई के दानों का। एक क़ीरात़ 3/8 दाँक़ का होता है।

मौलाना क़ाज़ी ष़नाउल्लाह पानीपती मरहूम फ़र्माते हैं कि सोने का निसाब बीस मिष्क़ाल है जिसका वज़न साढ़े सात तौला होता है और चाँदी का निस़ाब दो सौ दिरहम है जिनके सिक्के राइजुल वक़्त देहली से 56 रुपये का बनते हैं।

व क़ाल शैख़ु मशाइख़िना अलल्अ़ल्लामतुश्शैख़ु अ़ब्दुल्लाह अल्गाज़ीपूरी फ़ी रिसालतिही मा मुअ़र्रिबुहू निसाबुल्फ़िज़्ज़काति मिअता दिरहमिन अय खम्सून व इष्नतानि तौलजतन व निस्फ़ु तौलजतु व हिय तसावी सित्तीन रूबिय्यतन मिनर्रूबिय्यतिल्इन्कलैजियह अल्मुनाफ़ज़तु फिल्हिन्दि फ़ी जमनिल्इन्कलैजिल्लती तकूनु बिकदरि अशर माहिजह व निस्फ़ुन माहिजह व क़ालश्शैख़ बहरुल्उलूम अल्लक्नवी अल्हनफ़ी फी रसाइलिल्अर्कानिल्अर्बइ सफ़ा 178 वज़नु मिअतय दिरहमिन वज़नु खम्सुंव्व खम्सून रूबिय्यतन व कुल्लु रूबिय्यतिन अहद अशर माशिज. (मिर्आत जिल्द 3, पेज 41)

हमारे शैख़ुल मशाइख़ अ़ल्लामा ह़ाफ़िज़ अ़ब्दुल्लाह ग़ाज़ीपुरी फ़र्माते हैं कि चाँदी का निस़ाब दो सौ दिरहम हैं या'नी साढ़े बावन तौला और ये अंग्रेज़ी दौर के मुरव्वजा चाँदी के रुपये से साठ रुपयों के बराबर होती है। जो रुपया तक़रीबन साढ़े ग्यारह माशा का मुरव्वज था। मौलाना बह़रुल उ़लूम लखनवी फ़र्माते हैं कि दो सौ दिरहम वज़न चाँदी 55 रुपये के बराबर है और हर रुपया ग्यारह माशा का होता है। हमारे ज़माने में चाँदी का निस़ाब औज़ाने हिन्दया की मुनासबत से साढ़े बावन तौला चाँदी है।

ख़ुलास़ा ये कि अनाज में पाँच वस्क़ से कम पर उ़श्र नहीं है और पाँच वस्क़ इक्कीस मन साढ़े सैंतीस सेर वज़न 80 तौला के सेर के ह़िसाब से होता है क्योंकि एक वस्क़ साठ स़ाअ़ का होता है और स़ाअ़ 234 तौले (6 तौला कम 3 सेर) का होता है। पस एक वस्क़ चार मन साढ़े पन्द्रह सेर का होगा।

औक़िया चालीस दिरहम का होता है इस ह़िसाब से साढ़े सात तौला सोना पर चालीसवाँ ह़िस्सा ज़कात फ़र्ज़ है और चाँदी का निस़ाब साढ़े बावन तौला है। वल्लाहु आ़लम!

٣٣- بَابُ الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

बाब 33 : ज़कात में (चाँदी-सोने के सिवा और) अस्बाब का बयान

जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक ज़कात में चाँदी-सोने के सिवा दूसरे अस्बाब का लेना दुरुस्त नहीं लेकिन ह़न्फ़िया ने इसको जाइज़ कहा है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इसको इख़्तियार किया है।

وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ)). وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا. فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.

और ताऊस ने बयान किया कि मुआ़ज (रज़ि.) ने यमन वालों से कहा था कि मुझे तुम स़दक़े में जौ और ज्वार की जगह सामान और असबाब या'नी ख़मीस़ा (धारीदार चादरें) या दूसरे लिबास दे सकते हो, जिसमें तुम्हारे लिये भी आसानी होगी और मदीने में नबी करीम (ﷺ) के अस़्ह़ाब के लिये भी बेहतर होगी और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ख़ालिद ने तो अपनी ज़िरहें और हथियार और घोड़े सब अल्लाह की रास्ते में वक़्फ़ कर दिये हैं। (इसलिये उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर ज़कात वाजिब होती। ये ह़दीष़ का टुकड़ा है वो आइन्दा तफ़्स़ील से आएगी) और नबी करीम (ﷺ) ने (ईद के दिन औरतों से) फ़र्माया कि स़दक़ा करो, ख़्वाह तुम्हें अपने ज़ेवर ही क्यों न देने पड़ जाए तो आपने ये नहीं फ़र्माया था कि अस्बाब का स़दक़ा दुरुस्त नहीं। चुनाँचे (आपके इस फ़र्मान पर) औरतें अपनी बालिया और हार डालने लगीं आँह़ज़रत (ﷺ) ने (ज़कात के लिये) सोने-चाँदी की भी कोई तख़्स़ीस़ नहीं फ़र्माई।

तश्रीह : ह़ज़रत मुआ़ज़ (रज़ि.) ने यमनवालों को इसलिये ये फ़र्माया कि अव्वल तो जौ और ज्वार का यमन से मदीना तक लाने में ख़र्च बहुत पड़ता। फिर उस वक़्त मदीना में स़ह़ाबा को ग़ल्ले से भी ज़्यादा कपड़ों की ह़ाजत थी तो मुआ़ज़ (रज़ि.) ने ज़कात में कपड़ों वग़ैरह अस्बाब ही का लेना मुनास़िब जाना। ख़्वाह ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के अस्बाब को वक़्फ़ करने से ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि ज़कात में अस्बाब देना दुरुस्त है। अगर ख़ालिद (रज़ि.) ने इन चीज़ों को वक़्फ़ नहीं किया होता तो ज़रूर उनमें से कुछ ज़कात में देते। कुछ ने तो यूँ तौज़ीह़ की है कि जब ख़ालिद (रज़ि.) ने मुजाहिदीन की सरबराही सामान से ही की और ये भी ज़कात का एक मसरफ़ है तो गोया ज़कात में सामान दिया। व हुवल मत़्लूब। ईद में औरतों के ज़ेवर स़दक़ा में देने से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि ज़कात में अस्बाब का देना दुरुस्त है क्योंकि उन औरतों के सब ज़ेवर चाँदी-सोने के न थे। जैसे कि हार व मश्क और लौंग से बनाकर गलों में डालतीं।

मुख़ालिफ़ीन ये जवाब देते हैं कि ये नफ़्ल स़दक़ा था न कि फ़र्ज़ ज़कात क्योंकि ज़ेवर में अकष़र उ़लमा के नज़दीक ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। (वह़ीदी)

ज़ेवर की ज़कात के बारे में ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह शैख़ुल ह़दीष़ स़ाह़ब ने ह़ज़रत शैख़ुल मुह़द्दिष़ुल कबीर मौलाना अ़ब्दुर्रह़मान स़ाह़ब मुबारकपुरी (रह.) के क़ौल पर फ़त्वा दिया कि ज़ेवर में ज़कात वाजिब है। मौलाना फ़र्माते हैं (वहुवल ह़क़) (मिर्आ़त)

वाक़िया ह़ज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के बारे में ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब (रह.) फ़र्माते हैं,

क़िस्सतु ख़ालिदिन तूविल अ़ला वुजूहिन अह़दुहा अन्नहुम तालबू खालिदन बिज़्ज़काति अन उष़्मानिल्आतादि अल्अदरइ बिज़न्निन अन्नहा लित्तिजारति व इन्नज़्ज़कात फ़ीहा वाजिबतुन फ़क़ाल लहुम ला ज़कात फ़ीहा अलय्य फ़क़ालू लिन्नबिय्यि (ﷺ) अन्न खालिदन मनअ़ज़्ज़कात फ़क़ाल इन्नकुम तज़्लिमूनहू लिअन्नहू हबसहा व वक़्क़फ़हा फ़ी सबीलिल्लाहि क़ब्लल्हौलि फला ज़कात फ़ीहा. (मिर्आ़त)

या'नी वाक़िय-ए-ख़ालिद (रज़ि.) की कई तरह से तावील की जा सकती है। एक तो ये कि मुख़्लिसीने ज़कात ने ख़ालिद (रज़ि.) से उनके हथियारों और ज़िरह वग़ैरह की इस गुमान से ज़कात तलब की कि ये सब अम्वाले तिजारत है। और उनमें ज़कात अदा करना वाजिब है। उन्होंने कहा कि मुझ पर ज़कात वाजिब नहीं। ये मुक़द्दमा आँहज़रत (ﷺ) तक पहुँचा तो आपने फ़र्माया कि तुम लोग ख़ालिद पर ज़ुल्म कर रहे हो। उसने तो साल के पूरा होने से पहले ही अपने तमाम सामान को फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ कर दिया है। पस उस पर इस माल में ज़कात वाजिब नहीं है।

अअ़तुदहू के बारे में मौलाना फ़र्माते हैं, **बिजम्मिल्मुषन्नाति जम्उ अतदिन बिफ़त्हतैनि व फ़ी मुस्लिमिन अतादुहू बिजियादतिल्अलिफ़ बअ़दत्ताइ व हुव अयज़न जम्उहू व क़ालन्नववी वाहिदुहू अतादुन बिफत्हिल्ऐनि व कालजज़्री अल्आतद अल्आतादु जम्उ अतादिन व हुव मा उइद्दुहू मिस्सलाहि वद्दवाब्बि वल्आलातिल्हर्बि व यज्मउ अला आतिदहू बिकस्त्तिाइ अयज़न व क़ील हुवल्खैलु ख़ास्सतन युक़ालु फर्सुन अतीद सुल्बुन औ मुइद्दुन लिरूकूबि व सरीउल्वुषूबि.**

ख़ुलासा ये है कि **अअतिदुन अ़तिदुन** की जमा है और मुस्लिम में इसकी जमा (बहुवचन) अलिफ़ के साथ अअ़तिदा भी आई है। नववी ने कहा कि इसका वाहिद इताद है। जज़्री ने कहा कि इअतिदा और इताद इतादुन की जमा है। हर वो चीज़ हथियार से और जानवरों से उन आलाते जंग से जो कोई जंग के लिये उनको तैयार करे और उसकी जमा इअ़तदहू भी है। और कहा गया है कि इससे ख़ास घोड़ा ही मुराद है। फ़रसुन अ़तीदुन उस घोड़े पर बोला जाता है जो बहुत ही तेज़ मज़बूत सवारी के क़ाबिल हो। नीज़ क़दम जल्द कुदाने और दौड़ने वाला हो।

١٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ((وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ)).

[أطرافه في : ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ١٤٥٥، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥].

1448. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद अ़ब्दुल्लाह बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि मुझसे षुमामा बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे अनस (रज़ि.) ने कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उन्हें (अपने दौरे-ख़िलाफ़त में फ़र्ज़ ज़कात से मुता'ल्लिक़ हिदायत देते हुए) अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक़ ये फ़र्मान लिखा कि जिसका सदक़ा बिन्त मजाज़ तक पहुँच गया हो और उसके पास बिन्ते मजाज़ नहीं बल्कि बिन्ते लबून है। तो उससे वही ले लिया जाएगा और उसके बदले में सदक़ा वसूल करने वाला बीस दिरहम या दीनार या दो बकरियाँ ज़ाइद दे देगा और अगर उसके पास बिन्ते मजाज़ नहीं है बल्कि इब्ने लबून है तो ये इब्ने लबून ही ले जाएगा और उस सूरत में कुछ नहीं दिया जाएगा। वो मादा या नर ऊँट जो तीसरे साल में लगा हो।

(दीगर मक़ाम : 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 2478,

١٤٤٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

1449. हमसे मुअम्मिल बिन हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल ने अय्यूब से बयान किया और उनसे अ़ताअ बिन अबी रबाह ने कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने बतलाया। उस वक़्त मैं मौजूद था जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ (ईद) पढ़ी। फिर आपने देखा कि औरतों तक आपकी आवाज़ नहीं

لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي)). وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ. [راجع: ٩٨]

पहुँची, इसलिये आप उनके पास भी आए। आपके साथ बिलाल (रज़ि.) थे जो अपना कपड़ा फैलाए हुए थे। आप ने औरतों को वा'ज़ सुनाया और उनसे सदक़ा करने के लिये फ़र्माया और औरतें (अपना सदक़ा बिलाल (रज़ि.) के कपड़े में) डालने लगीं। ये कहते वक़्त अय्यूब ने कान और गले की तरफ़ इशारा किया। (राजेअ़ : 97)

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने मक़्सदे बाब के लिये इससे ये भी इस्तिदलाल किया कि औरतों ने सदक़ा में अपने ज़ेवरात पेश किये जिनमें बाज़ ज़ेवर चाँदी-सोने के न थे।

٣٤- بَابُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ

बाब 34 : ज़कात लेते वक़्त जो माल जुदा-जुदा हो वो इकट्ठे न किये जाएँ और जो इकट्ठे हों वो जुदा-जुदा न किये जाएँ और सालिम ने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से ऐसा ही रिवायत किया है

١٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)).

1450. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि मुझसे षुमामा ने बयान किया, और उनसे अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उन्हें वही चीज़ लिखी थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़रूरी क़रार दिया था। ये कि ज़कात (की ज़्यादती) के ख़ौफ़ से जुदा—जुदा माल को यकजा और यकजा माल को जुदा—जुदा न किया जाए।

तश्रीह : सालिम की रिवायत को इमाम अह़मद और अबू यअ़ला और तिर्मिज़ी वग़ैरह ने वस्ल किया है। इमाम मालिक ने मौता में इसकी तफ़्सीर यूँ बयान की है मषलन तीन आदमियों की अलग अलग 40—40 बकरियाँ हों तो हर एक पर एक बकरी ज़कात की वाजिब है। ज़कात लेने वाला जब आया तो तीनों ने अपनी बकरियाँ एक जगह कर दी। उस सूरत में एक ही बकरी देनी पड़ेगी। इसी तरह दो आदमियों की शिर्कत के माल में मषलन दो सौ बकरियाँ हों तो तीन बकरियाँ ज़कात की लाज़िम होगी और अगर वो ज़कात लेने वाला जब आए उसको अलग अलग कर दें तो दो ही बकरियाँ देनी होगीं। इससे मना किया गया है क्योंकि ये ह़क़ तआ़ला के साथ फ़रेब करना है, मआज़ अल्लाह वो तो सब जानता है। (वह़ीदी)

٣٥- بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

बाब 35 : अगर दो आदमी साझी हो तो ज़कात का ख़र्चा हिसाब से बराबर-बराबर एक दूसरे से मजरा कर लें

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا وَقَالَ سُفْيَانُ:

और ताऊस और अ़ताअ (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब दो शरीकों के जानवर अलग-अलग हों, अपने-अपने जानवर को पहचानते हों

तो उनको इकट्ठा न करें और सुफ़यान ष़ौरी ने फ़र्माया कि ज़कात उस वक़्त तक वाजिब नहीं हो सकती कि दोनों शरीकों के पास चालीस–चालीस बकरियाँ न हो जाएँ। (राजेअ : 1448)

لاَ تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً [راجع: ١٤٤٨]

1451. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि मुझसे ष़ुमामा ने बयान किया और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उन्हें फ़र्ज़ ज़कात में वही बात लिखी थी जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुक़र्रर फ़र्माई थी, इसमें ये भी लिखवाया गया कि जब दो शरीक हो तो वो अपना हिसाब बराबर कर लें। (राजेअ : 1448)

١٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ)). [راجع: ١٤٤٨]

तश्रीह : अ़ता के क़ौल को अबू उ़बैद ने किताबुल अम्वाल में वस्ल किया। उनके क़ौल का मत़लब ये है कि जुदा-जुदा रहने देंगे और अगर हर एक का माल बक़द्रे निस़ाब होगा तो उसमें से ज़कात लेंगे वरना न लेंगे। मष़लन दो शरीकों की 40 बकरियाँ हैं मगर हर शरीक को अपनी अपनी बीस बकरियाँ अलग और मुअ़य्यिन त़ौर से मा'लूम है तो किसी पर ज़कात न होगी और ज़कात लेने वाले को ये नहीं पहुँचता कि दोनों के जानवर एक जगह करके चालीस बकरियाँ समझकर एक बकरी ज़कात की ले और सुफ़यान ने जो कहा इमाम अबू ह़नीफ़ा का भी यही क़ौल है लेकिन इमाम अह़मद, इमाम शाफ़िई और अहले ह़दीष़ का ये क़ौल है कि जब दोनों शरीक़ों के जानवर मिलकर ह़द्दे निस़ाब को पहुँच जाए तो ज़कात ली जाएगी। (वह़ीदी)

बाब 36 : ऊँटों की ज़कात का बयान

٣٦- بَابُ زَكَاةِ الإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

इस बाब में ह़ज़रत अबूबक्र, अबूज़र और अबूहुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से रिवायत की है

1452. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि मुझसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे अ़ताअ बिन यज़ीद ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हिजरत के मुता'ल्लिक़ पूछा (या'नी ये कि आप इजाज़त दें तो मैं मदीना में हिजरत कर आऊँ) आपने फ़र्माया, अफ़सोस! इसकी तो शान बड़ी है। क्या तेरे पास ज़कात देने के लिये कुछ ऊँट हैं जिनकी तू ज़कात दिया करता है? उसने कहा हाँ! इस पर आपने फ़र्माया कि फिर क्या है समन्दरों के पार (जिस मुल्क में तू रहे वहाँ) अ़मल करता रह अल्लाह तेरे किसी अ़मल का ष़वाब कम नहीं करेगा।

١٤٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيْدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا)).

(दीगर मक़ाम : 2633, 3923, 6165)

तश्रीह : मतलब आपका ये था कि जब तुम अपने मुल्क में अरकाने इस्लाम आज़ादी के साथ अदा कर रहे हो यहाँ तक कि ऊँट की ज़कात तक भी बाक़ायदा निकालते रहते हो तो ख़्वाह–मख़्वाह हिजरत का ख़्याल करना ठीक नहीं, हिजरत कोई मा'मूली काम नहीं है। घर–दर छोड़ने के बाद जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है उनको हिजरत करने वाले ही जानते हैं। मुसलमानाने हिन्द को इस ह़दीष़ से सबक़ लेना चाहिये। अल्लाह नेक समझ अ़ता करे, आमीन!

बाब 37 : जिसके पास इतने ऊँट हो कि ज़कात में एक बरस की ऊँटनी देना हो और वो उसके पास न हो

٣٧- بَابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

1453. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह अन्सारी ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस (रज़ि.) ने कि अबूबक्र (रज़ि.) ने उनके पास फ़र्ज़ ज़कात के उन फ़र्ज़ों के मुता'ल्लिक़ लिखा था जिनका अल्लाह ने अपने रसूल (ﷺ) को हुक्म दिया है। ये कि जिसने ऊँटों की ज़कात जज़आ तक पहुँच जाए और वो जज़आ उसके पास न हो बल्कि हिक़्क़ा हो तो उससे ज़कात में हिक़्क़ा ही लिया जाएगा लेकिन उसके साथ दो बकरियाँ भी ली जाएगी, अगर उनके देने में उसे आसानी हो, वरना बीस दिरहम लिये जाएंगे (ताकि हिक़्क़ा की कमी पूरी हो जाए) और अगर किसी पर ज़कात में हिक़्क़ा वाजिब हो जाए और हिक़्क़ा उसके पास न हो बल्कि जज़आ हो तो उससे जज़आ ही ले लिया जाएगा और ज़कात वसूल करने वाला ज़कात देने वाले को बीस दिरहम या दो बकरियाँ दे देगा और अगर किसी पर ज़कात हिक़्क़ा के बराबर वाजिब हो गई और उसके पास स़िर्फ बिन्त लबून है तो उससे बिन्त लबून ले ली जाएगी और ज़कात देने वाले को दो बकरियाँ या बीस दिरहम साथ में और देने पड़ेंगे और अगर किसी पर ज़कात बिन्त लबून वाजिब हो और उसके पास हिक़्क़ा हो तो हिक़्क़ा ही उससे ले लिया जाएगा और इस स़ूरत में ज़कात वसूल करने वाला बीस दिरहम या दो बकरियाँ ज़कात देने वाले को देगा और किसी के पास ज़कात में बिन्त लबून वाजिब हो और बिन्त लबून उसके पास नहीं बल्कि बिन्त मख़ाज़ है तो उससे बिन्त मख़ाज़ ही ले लिया जाएगा। लेकिन ज़कात देने वाला उसके साथ बीस दिरहम या दो बकरियाँ देगा।

(राजेअ़ : 1448)

١٤٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ((مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ)). [راجع: ١٤٤٨]

तश्रीह : ऊँट की ज़कात पाँच रास से शुरू होती है, इससे कम पर ज़कात नहीं। पस इस सूरत में चौबीस ऊँट तक एक बिन्त मख़ाज़ वाजिब होगी या'नी वो ऊँटनी जो एक साल पूरा करके दूसरे में लग रही हो वो ऊँटनी हो या ऊँट 36 पर बिन्ते लबून या'नी वो ऊँट जो दो साल का हो। तीसरे में चल रहा हो। फिर चालीस पर एक ह़िक़्क़ा या'नी वो ऊँट जो तीन साल का होकर चौथे में चल रहा हो। फिर 61 पर जिज़्आ या'नी वो ऊँट जो चार साल का होकर पाँचवें में चल रहा हो। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये बतलाना चाहते हैं कि ऊँट की ज़कात मुख़्तलिफ़ उम्र के ऊँट जो वाजिब हुए हैं अगर किसी के पास इस उम्र का ऊँट न हो जिसका देना सदक़ा के तौर पर वाजिब हुआ था तो उससे कम या ज़्यादा उम्र वाला ऊँट भी लिया जा सकेगा। मगर कम देने की सूरत में ख़ुद अपनी तरफ़ से और ज़्यादा देने की सूरत में सदक़ा वसूल करने वालों की तरफ़ से रुपया या कोई और चीज़ इतनी मालियत की दी जाएगी जिससे इस कमी या ज़्यादती का ह़क़ अदा हो जाए। जैसा कि तफ़्सीलात ह़दीषे मज़्कूरा में दी गई है और मज़ीद तफ़्सीलात ह़दीषे ज़ेल में आ रही है।

बाब 38 : बकरियों की ज़कात का बयान

1454. हमसे मुह़म्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मुषन्ना अन्सारी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे षुमामा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि अबूबक्र (रज़ि.) ने जब उन्हें बहरीन (का ह़ाकिम बनाकर) भेजा तो उनको ये परवाना लिखा।

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये ज़कात का वो फ़रीज़ा है, जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों के लिये फ़र्ज़ क़रार दिया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) को अल्लाह तआ़ला ने इसका हुक्म दिया। इसलिये जो शख़्स मुसलमानों से इस परवाने के मुताबिक़ ज़कात माँगे तो मुसलमानों को उसे दे देना चाहिये और अगर कोई इससे ज़्यादा माँगे तो हर्गिज़ न दे। चौबीस या इससे कम ऊँटों में हर पाँच ऊँट पर एक बकरी दी जाएगी। (पाँच से कम में कुछ नहीं) लेकिन जब ऊँटों की ता'दाद पच्चीस तक पहुँच जाए तो पच्चीस से पैंतीस तक एक-एक बरस की ऊँटनी वाजिब होगी जो मादा होती है। जब ऊँट की ता'दाद छत्तीस तक पहुँच जाए (तो छत्तीस से) पैंतालीस तक दो बरस की मादा वाजिब होगी। जब ता'दाद छियालीस तक पहुँच जाए (तो छियालीस से) साठ तक में तीन बरस की ऊँटनी वाजिब होगी जो ज़ुफ़्ती के क़ाबिल होती है। जब ता'दाद इकसठ तक पहुँच जाए (तो इकसठ से) पचहत्तर तक चार बरस की मादा वाजिब होगी। जब ता'दाद छिहत्तर तक पहुँच जाए (तो पचहत्तर से) नब्बे तक दो

٣٨- بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ

١٤٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَابَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ((بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ - هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوقَهَا فَلاَ يُعْطِ : فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِيْنَ إِلَى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّيْنَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ

बरस की दो ऊँटनियाँ वाजिब होगी। जब ता'दाद इक्यानवे तक पहुँच जाए तो (इक्यानवे से) एक सौ बीस तक तीन तीन बरस की दो ऊँटनियाँ वाजिब होगी। जो ज़ुफ़्ती के क़ाबिल हो। फिर एक सौ बीस से भी ता'दाद आगे बढ़ जाए तो हर चालीस पर दो बरस की ऊँटनी वाजिब होगी और हर पचास पर एक तीन बरस की। और अगर किसी के पास चार ऊँट से ज़्यादा नहीं तो उस पर ज़कात वाजिब न होगी। मगर उनका मालिक अपनी ख़ुशी से कुछ दे और उन बकरियों की ज़कात (साल के अक्सर हिस्से जंगल या मैदान वग़ैरह में) चर कर गुज़ारती है, अगर उनकी ता'दाद चालीस तक पहुँच गई हो तो (चालीस से) एक सौ बीस तक एक बकरी वाजिब होगी और जब एक सौ बीस से ता'दाद बढ़ जाए (तो एक सौ बीस से)से दो सौ तक दो बकरियाँ वाजिब होगी। अगर दौ सौ से भी ता'दाद बढ़ जाए तो (दो सौ से) तीन सौ तक तीन बकरियाँ वाजिब होगी और जब तीन सौ से भी ता'दाद आगे निकल जाए तो अब हर एक सौ पर एक बकरी वाजिब होगी। अगर किसी शख़्स की चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम हो तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मगर अपनी ख़ुशी से मालिक कुछ देना चाहे तो दे सकता है। और चाँदी में ज़कात चालीसवाँ हिस्सा वाजिब होगी लेकिन अगर किसी के पास एक सौ नौ (दिरहम) से ज़्यादा नहीं है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी मगर ख़ुशी से कुछ अगर मालिक देना चाहे तो और बात है। (राजेअ : 6448)

- يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِيْنَ - إِلَى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا)).[راجع: ٦٤٤٨]

तश्रीह : ज़कात उन्हीं गाय, बैल या ऊँटों या बकरियों में वाजिब है जो आधे साल से ज़्यादा जंगल में चर लेती हों और अगर आधे साल से ज़्यादा उनको घर से निकालना पड़ता है तो उन पर ज़कात नहीं है। अहले हदीष के नज़दीक सिवाए इन तीन जानवरों या'नी ऊँट, गाय, बकरी के सिवा और किसी जानवर में ज़कात नहीं है। मष़लन घोड़ों या ख़च्चरों या गधों मों। (वहीदी)

बाब 39 : ज़कात में बूढ़ा या ऐ़बदार जानवर न लिया जाएगा मगर जब ज़कात वसूल करने वाला मुनासिब समझे तो ले सकता है

٣٩- بَابٌ لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

1455. हमसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने

١٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ ((وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ)).

कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ष़ुमामा ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) के बयानकर्दा अह़काम ज़कात के मुत़ाबिक़ लिखा कि ज़कात में बूढ़े, ऐबी और नर न लिये जाएँ, अलबत्ता अगर स़दक़ा वसूल करने वाला मुनासिब समझे तो ले सकता है।

मष़लन ज़कात के जानवर सब मादाएं ही मादाएं हो। नर की ज़रूरत हो तो नर ले सकता है। या किसी उम्दा नस्ल के ऊँट या गाय या बकरी की ज़रूरत हो और गो इसमें ऐब हो उसकी नस्ल लेने में आइन्दा फ़ायदा हो तो ले सकता है।

٤٠- بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

बाब 40 : बकरी का बच्चा ज़कात में लेना

١٤٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. ح. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا)). [راجع: ١٤٠٠]

1456. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐ़ब ने ख़बर दी और उन्हें ज़ुहरी ने (दूसरी सनद) और लैष़ बिन सअ़द ने बयान किया कहा कि मुझसे अ़ब्दुर्रह़्मान बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़त्बा बिन मस्ऊ़द ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बतलाया कि अबूबक्र (रज़ि.) ने (आँह़ज़रत (ﷺ) की वफ़ात के फौरन बाद ज़कात देने से इन्कार करने वालों के मुता'ल्लिक़ फ़र्माया था) क़सम अल्लाह की! अगर ये मुझे बकरी के एक बच्चे को भी देने से इन्कार करेंगे जिसे ये रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करते थे तो मैं उनके इस इन्कार पर उनसे जिहाद करूँगा। (राजेअ : 1400)

١٤٥٧- قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ)). [راجع: ١٣٩٩]

1457. उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया इसके सिवा और कोई बात नहीं थी जैसा कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह तआ़ला ने अबूबक्र (रज़ि.) को जिहाद के लिये शरहे-स़द्र अ़ता फ़र्माया था और फिर मैंने भी यही समझा कि फ़ैस़ला उन्हीं का ह़क़ था।

(राजेअ़ : 1399)

तश्रीह : बकरी का बच्चा उस वक़्त ज़कात में लिया जाएगा कि तहसीलदार मुनासिब समझे या किसी शख़्स के पास सिर्फ़ बच्चे ही बच्चे रह जाए। ह़ज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने ह़दीष़ के उ़न्वान में ये इशारा ह़ज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) के उन लफ़्ज़ों से निकाला कि अगर ये लोग बकरी का एक बच्चा जिसे आँह़ज़रत (ﷺ) के ज़माने में दिया करते थे। इससे भी इंकार करेंगे तो मैं उन पर जिहाद करूँगा। पहले पहल ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) को उन लोगों से जो ज़कात न देते थे लड़ने में तअ़म्मुल हुआ क्योंकि वो कलिमा-गो थे। लेकिन ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को उनसे ज़्यादा इल्म था। आख़िर में ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) भी इनसे मुत्तफ़िक़ हो गए। इस ह़दीष़ से ये स़ाफ़ निकलता है कि सिर्फ़ कलिमा पढ़ लेने से आदमी का इस्लाम पूरा नहीं होता

जब तक कि इस्लाम के तमाम उसूल और क़तई फ़राइज़ को न मानें। अगर इस्लाम के एक क़तई फ़राइज़ का कोई इंकार करे जैसे नमाज़ या रोज़ा या ज़कात या जिहाद या हज्ज तो काफ़िर हो जाता है और उस पर जिहाद करना दुरुस्त है। (वहीदी)

बाब 41 : ज़कात में लोगों से उम्दा और छंटे हुए माल न लिये जाएंगे

٤١- بَابُ لاَ تُوخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

1458. हमसे उमय्या बिन बिस्ताम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ैद बिन ज़रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे रौह बिन क़ासिम ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन उमय्या ने, उनसे यह्या बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने, उनसे अबू मअ़बद ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुआज (रज़ि.) को यमन भेजा तो उनसे फ़र्माया कि देखो! तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब (ईसाई-यहूदी) हैं। इसलिये सबसे पहले उन्हें अल्लाह की इबादत की दा'वत देना। जब वो अल्लाह तआ़ला को पहचान लें (या'नी इस्लाम क़ुबूल कर लें) तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआ़ला ने उनके लिये दिन और रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो इसे भी अदा करें तो उन्हें बतलाना कि अल्लाह तआ़ला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ क़रार दी है जो उनके सरमाएदारों से ली जाएगी (जो स़ाहिबे निसाब होंगे) और उन्हीं के फ़क़ीरों में तक़्सीम कर दी जाएगी। जब वो इसे भी मान लें तो उनसे ज़कात वसूल कर। अलबत्ता उनकी उम्दा चीज़ें (ज़कात के तौर पर लेने से) परहेज़ करना। (राजेअ़ : 1390)

١٤٥٨- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: ((إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا الصَّلاَةَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)). [راجع: ١٣٩٥]

तश्रीह : उनके फ़क़ीरों में बांटने का मतलब ये है कि उन्हीं के मुल्क के फ़क़ीरों को इस मा'नी के तहत एक मुल्क की ज़कात दूसरे मुल्क के फ़क़ीरों को भेजना नाजाइज़ क़रार दिया गया है। मगर जुम्हूर उलमा कहते हैं कि मुराद मुसलमान फ़ुक़रा हैं। ख़्वाह वो कहीं हों और किसी भी मुल्क के हों, इस मा'नी के तहत ज़कात का दूसरे मुल्क में भेजना दुरुस्त रखा गया है। ह़दीष़ और बाब की मुताबक़त ज़ाहिर है। ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह साहब (रह.) फ़र्माते हैं, **व क़ाल शैखुन फ़ी शर्हित्तिर्मिज़ी वज्जाहिरू इन्दी अदमुन्नक़्लि इल्ला इज़ा फ़कदल्मुस्तहिक़्क़ून लहा औ तकूनु फ़िन्नक़्लि मस्लहतुन अन्फ़उ व अहम्मु मिन अ़दमिही वल्लाहु तआ़ला आलमु.** (मिर्आ़त)

या'नी हमारे शैख़ मौलाना अ़ब्दुर्रहमान साहब शरह तिर्मिज़ी में फ़र्माते हैं कि मेरे नज़दीक ज़ाहिर यही है कि सिर्फ़ इसी सूरत में वहाँ से ज़कात दूसरी जगह दी जाए जब वहाँ मुस्तह़िक़ लोग न हों या वहाँ से नक़्ल करने में कोई मस्लिहत हो या बहुत ही अहम हो और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा–बख़्श हो कि वो न भेजने की सूरत में ह़ासिल न हो तो ऐसी हालत में दूसरी जगह में ज़कात भेजी जा सकती है।

बाब 46 : पाँच ऊँटों से कम में

٤٢- بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ

ज़कात नहीं

ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

1459. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी स़अ़स़आ माज़नी ने, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि पाँच वस्क़ से कम खजूरों में ज़कात नहीं और पाँच औक़िया चाँदी से कम चाँदी में ज़कात नहीं। इसी तरह पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं।

(राजेअ़ : 1405)

١٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ)). [راجع: ١٤٠٥]

इस ह़दीष़ के ज़ेल हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं , **अन अबी सईदिन खम्स अवाक़ मिनल्वरक़ि सदक़तुन व हुव मुताबिकुन लिलफ़्ज़ित्तर्जुमति व कान लिल्मुसन्निफ़ि अराद अंय्युबय्यिन बित्तर्जुमति मा अब्हम फ़ी लफ़्ज़िल्हदीषि इतिमादन अ़ला तरीक़िल्उख़रा व अवाकुन बित्तनवीनि व बिइष्बातित्तहतानिय्यति मुशद्ददन व मुखफ़्फ़फ़न जम्उ ऊक़िय्यतिन बिज़म्मिल्हम्ज़ति व तश्दीदित्तहतानिय्यति व हकल्जयानी व फ़ीहि बिहज़्फ़िल्अलिफ़ि व फत्हिल्वावि व मिक्दारुल्ऊक़िय्यति फ़ी हाज़ल्हदीषि अर्बऊन दिर्हमन बिल्इत्तिफ़ाक़ि वल्मुरादु बिद्दिर्हमिल्खास्सि मिनल्फ़िज़्ज़ति सवाअन कान मज़्रूबन औ गैर मज़्रूबिन.**

औसक जम्उ वसकिन बिफत्हिल्वावि व यजूज़ु कस्रूहा कमा हकाहू साहिबुल्मुहकम व जम्उहू हीनइज़िन औसाक़ कहम्लिन व अहमाल व क़द वकअ कज़ालिक फ़ी रिवायतिल्मुस्लिम व हुव सित्तून साअन बिल्इत्तिफ़ाक़ि व वकअ फ़ी रिवायतिब्नि माजा मिन तरीक़ि अबिल्बख़्तरी अन अबी सइदिन नहव हाजल्हदीषि व फ़ीहि वल्वसकु सित्तून साअन व कद उज्मउ अ़ला ज़ालिक फ़ी खम्सति औसक़िन फ़मा ज़ाद अज्मअल्उलमाउ अ़ला इशतिरातिल्हौलि फिल्माशिय्यति वन्नक़्दु दूनल्मअशराति वल्लाहु आलमु. (फ़त्हुल बारी)

इबारत का ख़ुलासा ये है कि पाँच औक़िया चाँदी में ज़कात है। यही लफ़्ज़ बाब के बारे में ह और दूसरी रिवायत पर ए'तिमाद करते हुए लफ़्ज़े ह़दीष़ में जो इब्हाम था, उसे तर्जुमा के ज़रिये बयान कर दिया। और लफ़्ज़ अवाक़ औक़िया का बहुवचन है। जिसकी मिक़्दार मुत्तफ़क़ा त़ौर पर चालीस दिरहम है। दिरहम से ख़ालिस़ चाँदी का सिक्का मुराद है जो मज़्रूब हो या ग़ैर मज़्रूब।

लफ़्ज़ औसक़ वस्क़ की जमा है और वो मुत्तफ़क़ा त़ौर पर साठ साअ़ पर बोला गया है। इस पर इज्माअ़ है कि उ़श्र के लिये पाँच वस्क़ का होना ज़रूरी है और जानवरों के लिये नक़दी के लिये एक साल का गुज़र जाना भी शर्त है। इस पर उ़लमा का इज्माअ़ है। अज्नास जिनसे उ़श्र निकाला जाता है उनके लिये साल गुज़रने की शर्त नहीं है। ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह स़ाह़ब फ़र्माते हैं, **कुल्तु हाज़ल्हदीषु स़रीहुन फ़ी अन्ननिसाब शर्तुन लिवुजूबिल्अशरि औ निस्फुल्अशरि फला तजिबुज़्ज़कातु फ़ी शैइन मिनज़्ज़ुरूइ वष्षिमारि हत्ता तब्लुग़ खम्सत औसक व हाज़ा मज़्हबु अक्षरि अहलिल्इल्मि वस़्साइ अर्बअत अम्दाद वल्मुदु रत्लुन औ षुलुषु रत्लिन फस़्साउ खम्सत अर्तालिन व षुलुष रत्लिन ज़ालिक बिर्रतलिल्लज़ी मिअत दिरहम व षमानियत इशरून दिरहमन बिद्दराहिमुल्लती कुल्लु उशरतिम्मिन्हा वज़्नु सब्अति मषाकील.** (मिर्आत)

या'नी मैं कहता हूँ कि ये ह़दीष़ स़राह़त के साथ बतला रही है कि उ़श्र या निस़्फ़े उ़श्र के लिये निस़ाब शर्त है पस खेती और फलों में कोई ज़कात फ़र्ज़ न होगी जब तक वो पाँच वस्क़ को न पहुँच जाए और अकष़र अहले इल्म का यही मज़हब है

और एक वस्क़ साठ साअ़ का होता है और साअ़ चार मुद्द का होता है और मुद एक रत्ल और तिहाई रत्ल का। पस साअ़ के पाँच और तिहाई रत्ल हुए और ये हिसाब रत्ल से है जिसका वज़न एक सौ अट्ठाईस दिरहम के बराबर हों और दिरहम से मुराद वो जिसके लिये दस दिरहम का वज़न सात मिष्क़ाल के बराबर हो।

कुछ उलम-ए-अह्नाफ़ हिन्द ने यहाँ की ज़मीनियों से उ़श्र को साक़ित क़रार देने की कोशिश की है जो यहाँ कि अराज़ी को ख़िराज़ी क़रार देते हैं। इस बारे में ह़ज़रत मौलाना शैख़ुल ह़दीष़ उ़बैदुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं, **इख़्तलफ़ अस्हाबुल्फत्वा मिनल्हनफिय्यति फी अराजिल्मुस्लिमीन फी बिलादिल्हिन्दि फ़ी ज़मनिल्इन्कलैज़ि व तख़ब्बतू फ़ी ज़ालिक फ़क़ाल बअ़ज़ुहुम अन्न अराज़िल्हिन्दि लैसत बिउशरिय्यतिन व ला खराजिय्यतिन बल अराज़िल्हौज़ि अय अराजी बैतिल्मालि व अराज़िल्मम्लिकति वल्हक़्क़ु इन्दन वुजूबुल्उशरि फ़ी अराज़िल्हिन्दि मुत्लक़न अय अ़ला सिफ़तिन कानत फयजिबुल्उश्रू अराज़िल्हिन्दि मुत्लक़न अय अ़ला सिफ़तिन कानत फयजिबुल्उश्रू औ निस्फ़ुहू अलल्मुस्लिमि फ़ीमा यहसुलु लहू मिनल्अर्ज़ि इज़ा बलगन्निसाब सवाअन कानतिल्अर्जु मिल्कन लहू औ लिग़ैरिही ज़र्अन फीहा अ़ला सबीलिल्इजारति अविल्आरिय्यति अविल्मुजारअ़ति लिअन्नल्उश्र फिल्हब्बि वज़्ज़रइ वल्इबरति लिमय्यम्लिकुहू फयजिबुज़्ज़कातु फीहि अ़ला मालिकिहिल्मुस्लिम व लैस मिम्मूनतिल्अर्ज़ि फला युब्हषु अन सिफतिहा वल्फरबिय्यतुल्लती ताखुजुहल्मम्लिकतु मिन अस्हाबिल्मज़ारिइ फिल्हिन्दि लैसत खराजन शरइय्यन व ला मिम्मा यस्कुतु फ़रीज़तुल्उशरि कमा ला यख़्फ़ा वर्जिअ इलल्मुगनी.** (पेज 728, जिल्द 2, मिर्आ़त : जिल्द 3, पेज 38)

या'नी अंग्रेज़ी, उर्दू में हिन्दी मुसलमानों की अराज़ियात के बारे में उ़लम-ए-अह्नाफ़ ने जो साह़िबाने फ़त्वा थे कुछ ने ये ख़ब्त इख़्तियार किया कि इन ज़मीनियों की पैदावार में उ़श्र नहीं है। इसलिये कि ये आराज़ी दारुल ह़रब हैं। कुछ ने कहा कि ये ज़मीनें न तो उ़श्री हैं और न ख़िराज़ी बल्कि ये हुकूमत की ज़मीनें हैं और हमारे नज़दीक अम्रे ह़क़ ये है कि आराज़िये हिन्द में मुत्लक़न पैदावार निसाब पर मुसलमानों के लिये उश्र वाजिब है और इस बारे में ज़मीन पर अख़ाजात और सरकारी मालियाना वग़ैरह का कोई ए'तिबार नहीं किया जाएगा क्योंकि हिन्दुस्तान में सरकार जो टैक्स लेती है, वो ख़िराजे शरई नहीं है और न उससे उ़श्र साक़ित हो सकता है।

बाब 43 : गाय-बैल की ज़कात का बयान

٤٣- بَابُ زَكَاةِ الْبَقَرِ

और अबू हुमैद साएदी ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मैं तुम्हें (क़यामत के दिन इस ह़ाल में) वो शख़्स दिखाऊँगा जो अल्लाह की बारगाह में गाय के साथ इस त़रह आएगा कि वो गाय बोलती हुई होगी। (सूरह मोमिनून में लफ़्ज़) ज्वार (ख़ुवार के हम मा'नी) यजारून (उस वक़्त कहते हैं जब) इस त़रह लोग अपनी आवाज़ बुलन्द करें जैसे गाय बोलती है।

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ)) وَيُقَالُ: ((جُؤَارٌ)). تَجْأَرُونَ: أَيْ تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ

1460. हमसे उ़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने मअ़रूर बिन सुवैद से बयान किया, उनसे अबूज़र (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं नबी करीम (ﷺ) के क़रीब पहुँच गया था और आप फ़र्मा रहे थे। उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है या (आप ने क़सम इस त़रह खाई) उस ज़ात की क़सम, जिसके

١٤٦٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ

غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ)). رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في : ٦٦٣٨].

सिवा कोई मा'बूद नहीं। या जिन अल्फ़ाज़ के साथ भी आपने क़सम खाई हो (इस ताकीद के बाद फ़र्माया) कोई भी ऐसा शख़्स जिसके पास ऊँट, गाय या बकरी हो और वो उसका हक़ अदा न करता हो तो क़यामत के दिन उसे लाया जाएगा, दुनिया से बड़ी और मोटी-ताज़ी करके। फिर वो अपने मालिक को अपने खुरों से रौंदेगी और सींग मारेगी। जब आख़िरी जानवर उस पर से गुज़र जाएगा तो पहला जानवर फिर लौट कर आएगा (और उसे अपने सींग मारेगा और खुरों से रौंदेगा) उस वक़्त तक (ये सिलसिला बराबर क़ायम रहेगा) जब तक लोगों का फ़ैसला नहीं हो जाता। इस हदीष को बुकैर बिन अ़ब्दुल्लाह ने अबू स़ालेह से रिवायत किया है, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से। (दीगर मक़ाम : 6638)

इस हदीष़ से बाब का मतलब या'नी गाय–बैल की ज़कात देने का वुजूब षाबित हुआ क्योंकि अ़ज़ाब इस अम्र के तर्क पर होगा जो वाजिब है। मुस्लिम की रिवायत में इस हदीष़ के ये लफ़्ज़ भी हैं और वो इसकी ज़कात न अदा करता हो। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) की शराइत के मुताबिक़ उन्हें गाय की ज़कात के बारे में कोई हदीष़ नहीं मिली। इसलिये इस बाब के तहत आपने इस हदीष़ को ज़िक्र करके गाय की ज़कात की फ़र्ज़ियत पर दलील पकड़ी।

बाब 44 : अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना

٤٤- بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ))

और नबी करीम (ﷺ) ने (ज़ैनब के ह़क़ में फ़र्माया जो अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द की बीवी थी) उसको दोगुना ष़वाब मिलेगा, नाता जोड़ने और स़दक़े का।

अहले हदीष़ के नज़दीक ये मुत्लक़न जाइज़ है। जब अपने रिश्तेदार मुहताज हों तो बाप बेटे को या बेटा बाप को, या शौहर बीवी को या बीवी शौहर को दे। कुछ ने कहा अपने छोटे बच्चे को फ़र्ज़ ज़कात देना बिल इज्माअ़ दुरुस्त नहीं और इमाम अबू ह़नीफ़ा और इमाम मालिक (रह.) ने अपने शौहर को भी देना दुरुस्त नहीं रखा और इमामे शाफ़िई, इमाम अह़मद ने हदीष़ के मुवाफ़िक़ इसको जाइज़ रखा है। मुतर्जिम (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ मरहूम) कहते हैं कि रिश्तेदारों को अगर वो मुहताज हों ज़कात देने में दुहरा ष़वाब मिलेगा। नाजाइज़ होना कैसा? (वह़ीदी)

रायह़ का मा'नी बेखटके आमदनी का माल या बेमेह़नत और मशक़्क़त की आमदनी का ज़रिया रूह़ की रिवायत ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल बुयूअ में और यह़्या बिन यह़्या की किताब किताबुल वस़ाया में और इस्माईल की किताबुत्तफ़्सीर में वस्ल की। (वह़ीदी)

١٤٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: ((كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ

1461. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इस्ह़ाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी त़ल्हा ने, कि उन्होंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि अबू त़ल्हा (रज़ि.) मदीना में अन्स़ार में सबसे ज़्यादा मालदार थे। अपने खजूर के बाग़ात की वजह से। और अपने बाग़ात में सबसे ज़्यादा पसन्द उन्हें बीरेहा का बाग़ था।

ये बाग़ मस्जिदे-नबवी के बिल्कुल सामने था और रसूलुल्लाह (ﷺ) इसमें तशरीफ़ ले जाया करते थे और इसका मीठा पानी पिया करते थे। अनस (रज़ि.) ने बयान किया कि जब ये आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फ़िक़ू मा तुहिब्बून या'नी तुम नेकी को उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ न ख़र्च कर दो। ये सुनकर अबू तल्हा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अल्लाह तबारक व तआला फ़र्माता है कि तुम उस वक़्त तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ न ख़र्च कर दो। और मुझे बीरेहा का बाग़ सबसे ज़्यादा प्यारा है। इसलिये मैं उसे अल्लाह तआला के लिये ख़ैरात करता हूँ इसकी नेकी और इसके ज़ख़ीर–ए–आख़िरत होने का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह के हुक्म से जहाँ आप मुनासिब समझें इसे इस्ते'माल कीजिए। रावी ने बयान किया कि ये सुनकर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ूब! ये तो बड़ा ही आमदनी का माल है। ये तो बहुत ही नफ़ाबख़्श है। और जो बात तुमने कही है मैंने वो सुन ली। और मैं मुनासिब समझता हूँ कि तुम इसे अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को दे डालो। अबू तल्हा ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ऐसा ही करूँगा। चुनाँचे उन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों और चचा के लड़कों को दे दिया। यह्या बिन यह्या और इस्माईल ने मालिक के वास्ते से (राबेह के बजाय) रायेह नक़ल किया है। (दीगर मक़ाम : 2318, 2852, 2858, 2869, 4554, 4555, 5611)

أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((بَخٍ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ)). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ)).
تَابَعَهُ رَوْحٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَايِحٌ بِالْيَاءِ)).
[أطرافه في :٢٣١٨، ٢٧٥٢، ٢٧٥٨، ٢٧٦٩، ٤٥٥٤، ٤٥٥٥، ٥٦١١].

तश्रीह : इस हदीष़ से साफ़ निकला कि अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करना दुरुस्त है। यहाँ तक कि बीवी भी अपने मुफ़्लिस शौहर और मुफ़्लिस बेटे पर ख़ैरात कर सकती है और गोया ये सदक़ा फ़र्ज़ ज़कात न था मगर फ़र्ज़ ज़कात को भी इस पर क़यास किया है। कुछ ने कहा जिसका नफ़्क़ा आदमी पर वाजिब हो जैसे बीवी का या छोटे लड़के का तो उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं और चूँकि अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ज़िन्दा थे इसलिये उनके होते हुए बच्चे का ख़र्च माँ पर वाजिब न था। लिहाज़ा माँ को उस पर ख़ैरात ख़र्च करना जाइज़ हुआ। वल्लाहु आलम (वहीदी)

1462. हमसे सईद बिन अबू मरयम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मुहम्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें अयाज़ बिन अब्दुल्लाह

١٤٦٢- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي

زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا)). فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ)). ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ. فَقَالَ: ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟)) فَقِيْلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ ((نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا))، فَأُذِنَ لَهَا. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ)).

[راجع: ٣٠٤]

ने, और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया, कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल अज़्हा या ईदुल फ़ित्र में ईदगाह तशरीफ़ ले गये। फिर (नमाज़ के बाद) लोगों को वा'ज़ फ़र्माया और सदक़ा का हुक्म दिया। फ़र्माया, लोगों! सदक़ा दो। फिर आप (ﷺ) औरतों की तरफ़ गये और उनसे भी यही फ़र्माया कि औरतों! सदक़ा दो कि मैंने जहन्नम में बकषरत तुम्ही को देखा है। औरतों ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऐसा क्यों है? आपने फ़र्माया, इसलिये कि तुम लअ़न व तअ़न ज़्यादा करती हो और अपने शौहर की नाशुक्री करती हो। मैंने तुमसे ज़्यादा अक़्ल और दीन के ऐतबार से नाक़िस ऐसी कोई मख़लूक़ नहीं देखा जो कारआज़मूदा मर्द की अक़्ल को भी अपनी मुट्ठी में ले लेती हो। हाँ ऐ औरतों! फिर आप वापस घर पहुँचे तो इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) आईं और इजाज़त चाही। आप (ﷺ) से कहा गया कि ये ज़ैनब आई हैं। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया कौनसी ज़ैनब? (क्योंकि ज़ैनब नाम की बहुत सी औरतें थी) कहा गया कि इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की बीवी। आपने फ़र्माया, अच्छा उन्हें इजाज़त दे दो। चुनाँचे इजाज़त दी गई, उन्हाने आकर अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज आपने सदक़ा का हुक्म दिया था। और मेरे पास भी कुछ ज़ेवर है जिसे मैं सदक़ा करना चाहती हूँ। लेकिन (मेरे ख़ाविन्द) इब्ने मस्ऊद ये ख़याल करते हैं कि वो और उनके लड़के उन (मिस्कीनों) से ज़्यादा मुस्तहिक़ है जिन पर मैं सदक़ा करूँगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर फ़र्माया कि इब्ने मस्ऊद ने सहीह कहा। तुम्हारे शौहर और तुम्हारे लड़के इस सदक़े के उनसे ज़्यादा मुस्तहिक है, जिन्हें तुम सदक़े के तौर पर दोगी। (मा'लूम हुआ कि अक़ारिब अगर मुह्ताज हो तो सदक़ा के अव्वलीन मुस्तहिक़ वही है।)

(राजेअ़ : 304)

٤٥- بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

बाब 45 : मुसलमान पर उसके घोड़ों की ज़कात देना ज़रूरी नहीं

1463. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सुलैमान बिन यसार से सुना, उनसे ईराक बिन मालिक ने और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुसलमान पर उसके घोड़े और गुलाम की ज़कात वाजिब नहीं।

١٤٦٣- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ)).

बाब 46 : मुसलमान को अपने गुलाम (लौण्डी) की ज़कात देनी ज़रूरी नहीं है

٤٦- بَابُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

1464. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद ने बयान किया, उनसे ख़ुशैम बिन इराक बिन मालिक ने, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से (दूसरी सनद) और हमसे सुलैमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे से वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ुशैम बिन इराक बिन मालिक ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया मुसलमान पर न उसके गुलाम में ज़कात फ़र्ज़ है और न घोड़े में।

(राजेअ : 1463)

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح. وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ)).

[راجع: ١٤٦٣]

अहले हदीष़ का मुहक़्क़क़ मज़हब यही है कि गुलामों और घोड़ों में मुत्लक़न ज़कात नहीं है भले ही वे तिजारत के लिये हों। मगर इब्ने मुंज़िर ने इस पर इज्माअ नक़ल किया है कि अगर तिजारत के लिये हो तो उनमें ज़कात है। अस़ल ये है कि उन्हीं जिन्सों पर लाज़िम है जिनका बयान आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्मा दिया। या'नी चौपायों में से ऊँट, गाय और बैल–बकरियों में और नक़दी माल से सोने–चाँदी में और अनाजों में से गेहूँ और जौ और ज्वार और मेवों में से खजूर और सूखी अंगूर में। बस इनके सिवा और किसी माल में ज़कात नहीं। भले तिजारत और सौदागरी ही के लिये हो और इब्ने मुंज़िर ने जो इज्माअ इसके ख़िलाफ़ पर नक़ल किया है वो सही नहीं है। जब ज़ाहिरिया और अहले हदीष़ इस मसले में मुख़्तलिफ़ हैं तो इज्माअ क्यूँकर हो सकता है और अबू दाऊद की हदीष़ और दारे कुत्नी की हदीष़ की जिस माल को हम बेचने के लिये रखें उसमें आपने ज़कात का हुक्म दिया या कपड़ों में ज़कात है, ज़ईफ़ है। हुज्जत के लिये लायक़ नहीं।

और आयते क़ुर्आन **ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम स़दक़** में अम्वाल से वही माल मुराद हैं जिनकी ज़कात की तस़रीह़ हदीष़ में आई है ये इमाम शौकानी (रह.) की तहक़ीक़ है और सय्यिद अल्लामा ने इसकी ताईद की है इस आधार पर जवाहरात, मोती, मूंगा, याक़ूत, अलमास और दूसरी सैंकड़ों तिजारती चीज़ों में जैसे घोड़े, गाड़ियाँ, किताबें, काग़ज़ में ज़कात वाजिब न होगी। मगर चूँकि अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उ़लमा अम्वाले तिजारती में वुजूबे ज़कात की त़रफ़ गए हैं लिहाज़ा

एहतियात और तक़्वा यही है कि इनमें से ज़कात निकाले। (वहीदी)

बाब 47 : यतीमों पर सदक़ा करना

٤٧ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

1465. हमसे मुआज बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि मुझसे हिशाम दस्तवाई ने यह्या से बयान किया, उनसे हिलाल बिन अबू मैमूना ने बयान किया, कहा कि हमसे अताअ बिन यसार ने बयान किया, और उन्होंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि नबी करीम (ﷺ) एक दिन मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए हम भी आपके इर्दगिर्द बैठ गये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं तुम्हारे मुता'ल्लिक़ इस बात से डरता हूँ कि तुम पर दुनिया की खुशहाली और उसकी ज़ेबाइश व आराइश के दरवाज़े खोल दिये जाएँगे। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या अच्छाई बुराई पैदा करेगी? इस पर नबी करीम (ﷺ) ख़ामोश हो गये। इसलिये उस शख़्स से कहा जाने लगा कि क्या बात थी? तुमने नबी करीम (ﷺ) से एक बात पूछी लेकिन आँहज़रत (ﷺ) तुमसे बात नहीं करते। फिर हमने महसूस किया कि आप (ﷺ) को वह्य नाज़िल हो रही है। बयान किया गया कि फिर आँहज़रत (ﷺ) ने पसीना साफ़ किया (जो वह्य के नाज़िल होते वक़्त आपको आता था) फिर पूछा कि सवाल करने वाले साहब कहाँ है। हमने महसूस किया कि आप (ﷺ) ने उसके (सवाल की) ता'रीफ़ की फिर आपने फ़र्माया कि अच्छाई बुराई पैदा नहीं करती (मगर बेमौक़ा इस्ते'माल से बुराई पैदा होती है) क्योंकि मौसमे-बहार में बाज़ ऐसी घास भी उगती है जो जानलेवा या तकलीफ़देह ष़ाबित होती है। अलबत्ता हरियाली चरने वाला वो जानवर बच जाता है कि खूब चरता है और जब उसकी दोनों कोखें भर जाती हैं तो सूरज की तरफ़ रुख़ करके पाखाना-पेशाब कर देता है और फिर चरता है। इसी तरह ये माल—दौलत भी एक खुशगवार सब्ज़ाज़ार है। और मुसलमान का वो माल कितना उम्दा है जो मिस्कीन, यतीम और मुसाफ़िर को दिया जाए। या जिस तरह नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया। हाँ अगर कोई शख़्स ज़कात हक़दार होने के बग़ैर लेता है तो उसकी मिष़ाल ऐसे शख़्स की सी है जो खाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। और क़यामत के दिन ये माल

١٤٦٥ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ : ((إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ. فَقِيْلَ لَهُ : مَا شَأْنُكَ؟ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ : ((أَيْنَ السَّائِلُ؟)) - وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ - فَقَالَ : ((إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ)) - أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيْداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

[راجع: ٩٢١]

उसके ख़िलाफ़ गवाह होगा। (राजेअ : 921)

तश्रीह : इस लम्बी हदीष में आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी उम्मत के मुस्तक़्बिल की बाबत कई एक इशारे फ़र्माए जिनमें ज़्यादातर बातें वजूद में आ चुकी है। इस सिलसिले में आपने मुसलमानों के उरूजो इक़्बाल के दौर पर भी इशारा किया और ये भी बतलाया कि दुनिया की तरक़्क़ी माल व दौलत की फ़रावानी यहाँ का ऐशो–आराम ये चीज़ें बज़ाहिर ख़ैर हैं मगर कुछ मर्तबा इनका नतीजा शर से भी तब्दील हो सकता है। इस पर कुछ ने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) क्या ख़ैर कभी शर का सबब बन जाएगी। इस सवाल के जवाब के लिये आँहज़रत (ﷺ) वह्य के इंतिज़ार में खामोश हो गए। जिससे कुछ लोगों को ख़्याल हुआ कि आप इस सवाल से नाराज़ हो गए हैं। काफ़ी देर बाद जब अल्लाह ने आपको बज़रिये वह्य जवाब से आगाह कर दिया तो आप (ﷺ) ने ये मिषाल देकर जो हदीष में मज़्कूर है समझाया और बतलाया कि भले ही दौलत हक़ तआला की नेअ़मत और अच्छी चीज़ है लेकिन जब बेमौक़ा और गुनाहों में सर्फ़ की जाए तो यही दौलत अ़ज़ाब बन जाती है। जैसे फ़सल की हरी घास वो जानवरों के लिये बड़ी उ़म्दा नेअ़मत हैं मगर जो जानवर एक ही मर्तबा गिरकर उसको हद से ज़्यादा खा जाए तो उसके लिये यही घास ज़हर का काम देती है। जानवर पर क्या मुन्हसिर है। यही रोटी जो आदमी के लिये ज़िन्दगी का सबब है अगर इसमें बे-ए'तिदाली की जाए तो मौत का सबब बन जाती है। तुमने देखा होगा कि क़हत से मुता'ष्षिर (अकालग्रस्त) भूखे लोग जब एक ही बार खाना पा लेते हैं और हद से ज़्यादा खा जाए तो कुछ दफ़ा ऐसे लोग पानी पीते ही दम तोड़ देते हैं और हलाक हो जाते हैं। ये खाना उनके लिये ज़हर का काम देता है।

पस जो जानवर एक ही मर्तबा रबीअ़ की पैदावार पर नहीं गिरता बल्कि सूखी घास पर जो बारिश से ज़रा ज़रा हरी निकलती है उसके खाने पर क़नाअ़त करता है और फिर खाने के बाद सूरज की तरफ़ मुँह करके खड़े होकर उसके हज़म होने का इंतिज़ार करता है। पाख़ाना–पेशाब करता है तो वो हलाक नहीं होता।

उसी तरह दुनिया का माल भी है जो ए'तिदाल से हराम व हलाल की पाबन्दी के साथ उसको कमाता है उससे फ़ायदा उठाता है आप खाता है। मिस्कीन, यतीम, मुसाफ़िरों की मदद करता है तो वो बचा रहता है। मगर जो हरीस़ कुत्ते की तरह दुनिया के माल व अस्बाब पर गिर पड़ता है और हलाल व हराम की क़ैद उठा देता है। आख़िर वो माल उसको हज़म नहीं होता। और इस्तिफ़राग़ की ज़रूरत पड़ती है। कभी बदहज़्मी होकर उसी को माल की धुन में अपनी जान भी गंवा देता है। पस माल दुनिया की ज़ाहिरी ख़ूबसूरती पर फ़रेब मत खाओ, होशियार रहो, हलवे के अंदर ज़हर लिपटा हुआ है।

हदीष के आख़िरी अल्फ़ाज़ **फनिअम साहिबुल्मुस्लिमि मा आता मिन्हुल्मिस्कीन वल्यतीम वब्नस्सबील** में ऐसे लालची तिमाअ़ लोगों पर इशारा है जिनको जूउल बक़र की बीमारी हो जाती है और किसी तरह उनकी हिर्स नहीं जाती।

बाब 48 : औरत का ख़ुद अपने शौहर को या अपनी ज़ेरे तर्बियत यतीम बच्चों को ज़कात देना

٤٨- بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ

इसको अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने भी नबी करीम (ﷺ) से रिवायत किया है।

قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

1466. हमसे उ़मर बिन हफ़्स़ बिन ग़याष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, उनसे शक़ीक़ ने, उनसे अ़म्र बिन अल हारिष ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब ने (आ'मश ने)

١٤٦٦- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ

الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيْمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ: ((كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ)). وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا. فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ: سَلْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَيَجْزِيْ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامِي فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ. فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي. فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ أَيَجْزِيْهِ عَنِّي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي. وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا. فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: ((مَنْ هُمَا؟)) فَقَالَ زَيْنَبُ. قَالَ: ((أَيُّ الزَّيَانِبِ؟)) قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: ((نَعَمْ، وَلَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ)).

कहा कि मैंने इस ह़दीष़ का ज़िक्र इब्राहीम नख़ई से किया। तो उन्होंने भी मुझसे अबू उ़बैदा से बयान किया। उनसे अ़म्र बिन हारिष़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस़ऊद (रज़ि.) की बीवी ज़ैनब ने, बिल्कुल इसी त़रह ह़दीष़ बयान की (जिस त़रह शक़ीक़ ने की कि) ज़ैनब ने बयान किया कि मैं मस्जिदे नबवी में थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने देखा। आप ये फ़र्मा रहे थे, स़दक़ा करो, ख़्वाह अपने ज़ेवर ही में से दो। और ज़ैनब अपन स़दक़ा अपने शौहर ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊ़द और चन्द यतीमों पर भी जो उनकी परवरिश में थे ख़र्च किया करती थी। इसलिये उन्होंने अपने ख़ाविन्द से कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछिये कि क्या वो स़दक़ा भी किफ़ायत करेगा जो मैं आप पर और उन चन्द यतीमों पर ख़र्च करूँ जो मेरी सुपुर्दगी में हैं। लेकिन अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द ने कहा कि तुम ख़ुद जाकर रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछ लो। आख़िर मैं ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। उस वक़्त मैंने आपके दरवाज़े पर एक अन्स़ारी ख़ातून को पाया। जो मेरी ही जैसी ज़रूरत लेकर मौजूद थीं। (जो ज़ैनब अबू मस्ऊ़द अन्स़ारी की बीवी थी) फिर हमारे सामने से बिलाल गुज़रे। तो हमने उनसे कहा कि आप रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये मसला दरयाफ़्त कीजिए कि क्या वो स़दक़ा मुझसे किफ़ायत करेगा जिसे मैं अपने शौहर और अपनी ज़ेरे तह़वील चन्द यतीमों पर ख़र्च करदूँ। हमने बिलाल से ये भी कहा कि हमारा नाम न लिया जाए। वो अन्दर गये और आपसे अ़र्ज़ किया कि दो औ़रतें मसला दरयाफ़्त करती है। तो ह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये दोनों कौन हैं? बिलाल (रज़ि.) ने कह दिया कि ज़ैनब नाम की है। आपने फ़र्माया कि कौन सी ज़ैनब? बिलाल ने कहा कि अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द की बीवी। आपने फ़र्माया कि हाँ! बेशक दुरुस्त है और उन्हें दोगुना ष़वाब मिलेगा। एक क़राबतदारी का और दूसरा ख़ैरात का।

तश्रीह : इस ह़दीष़ में स़दक़ा या'नी ख़ैरात का लफ़्ज़ है जो फ़र्ज़ स़दक़ा या'नी ज़कात और नफ़्ल ख़ैरात दोनों को शामिल है। इमाम शाफ़ई (रह.) और ष़ौरी (रह.) और साहेबैन और इमाम मालिक (रह.) और इमाम अह़मद (रह.) से एक रिवायत ऐसी ही है अपने शौहर को और बेटों को (बशर्ते कि वो ग़रीब–मिस्कीन हों) देना दुरुस्त है। कुछ कहते हैं कि माँ–बाप और बेटे को देना दुरुस्त नहीं। और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के नज़दीक शौहर को भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। वो कहते हैं कि उन ह़दीष़ों में स़दक़ा से नफ़्ल स़दक़ा मुराद है। (वह़ीदी)

लेकिन ख़ुद हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने यहाँ ज़काते फ़र्ज़ को मुराद लिया है। जिससे उनका मसलक ज़ाहिर है हदीष के जाहिर अल्फ़ाज़ से भी हज़रत इमाम के ख़्याल ही की ताईद होती है।

1467. हमसे उ़ष्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्द ने, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने, उनसे ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा ने, उनसे उम्मे सलमा ने, उन्होंने कहा कि मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं अबू सलमा (अपने पहले ख़ाविन्द) के बेटों पर ख़र्च करूँ तो दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि वो मेरी भी औलाद हैं। आपने फ़र्माया कि हाँ उन पर ख़र्च कर। तू जो कुछ भी उन पर ख़र्च करेगी, उसका ष़वाब तुझको मिलेगा। (दीगर मक़ाम : 5369)

١٤٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَالَ : ((أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ)).

[طرفه في : ٥٣٦٩].

मुह़ताज औलाद पर स़दक़ा ख़ैरात यहाँ तक कि ज़कात का माल देने का जवाज़ ष़ाबित हुआ।

बाब 49 : अल्लाह तआ़ला के फ़र्मान

(ज़कात के मस़ारिफ़ बयान करते हुए कि ज़कात) गुलाम आज़ाद कराने में, मक़रूज़ के क़र्ज़ अदा करने में और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की जाए।

٤٩ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ﴾ [التوبة : ٦٠].

वफ़िर्रिक़ाब से यही मुराद है। कुछ ने कहा मुकातब की मदद करना मुराद है और अल्लाह की राह से मुराद ग़ाज़ी और मुजाहिद लोग हैं। और इमाम अह़मद (रह.) और इस्ह़ाक़ ने कहा कि ह़ाजियों को देना भी फ़ी सबीलिल्लाह में दाख़िल है। मुकातब वो गुलाम जो अपनी आज़ादी का मामला अपने मालिक से तै कर ले और मामले की तफ़्सीलात लिख जाएँ।

और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि अपनी ज़कात में से गुलाम आज़ाद कर सकता है और हज्ज के लिये दे सकता है। और इमाम ह़सन बस़री (रह.) ने कहा कि अगर कोई ज़कात के माल से अपने आप को जो गुलाम हो ख़रीद कर आज़ाद करदे तो जाइज़ है। और मुजाहिदीन के अख़राजात के लिये भी ज़कात दी जाए। इसी त़रह उस शख़्स़ को भी ज़कात दी जा सकती है जिसने हज्ज न किया हो। (ताकि उसकी इमदाद से ह़ज्ज कर सके) फिर उन्होंने सूरह तौबा इन्नमस़्स़दक़ातु लिल फ़ुक़राए आख़िर तक की तिलावत की और कहा कि (आयत में बयानशुदा तमाम मस़ारिफ़े-ज़कात में से) ज़िसको भी ज़कात दी जाए काफ़ी है। और नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ख़ालिद (रज़ि.) ने तो

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ. وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِيْنَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ تَلاَ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ الآيَةَ. فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ)). وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ: (حَمَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

अपनी ज़िरहें अल्लाह तआला के रास्ते में वक़्फ़ कर दी हैं। अबुल आस (ज़ियादा ख़ुज़ाई सहाबी रज़ि.) से मन्क़ूल है कि नबी करीम (ﷺ) ने हमें ज़कात के ऊँटों पर सवार करके हज्ज कराया।

لِلْحَجِّ)).

तश्रीह : क़ुर्आन शरीफ़ में ज़कात के आठ मसारिफ़ मज़्कूर हैं। फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीने ज़कात, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, रिक़ाब, ग़ारेमीन फ़ी सबीलिल्लाह, इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर। इमाम हसन बसरी (रह.) के क़ौल का मतलब ये है कि ज़कात वाला उनमें से किसी में भी ज़कात का माल ख़र्च करे तो काफ़ी होगा। अगर हो सके तो आठों क़िस्मों में दे मगर ये ज़रूरी नही है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और जुम्हूर उलमा और अहले हदीष़ का यही क़ौल है और शाफ़िइआ से मन्क़ूल है कि आठों मस्रफ़ में ज़कात ख़र्च करना वाजिब है भले ही किसी मस्रफ़ का एक ही आदमी मिले। मगर हमारे ज़माने में इस पर अमल मुश्किल है। अकष़र मुल्कों में मुजाहिदीन और मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब और रिक़ाब नहीं मिलते। इसी तरह आमिलीने ज़कात। (वहीदी) आयत मसारिफ़े ज़कात के तहत इमामुल हिन्द हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (रह.) फ़र्माते हैं, 'ये आठ मसारिफ़ जिस तर्तीब से बयान किये गये हैं हक़ीक़त में मामला की क़ुदरती तर्तीब भी यही है-सबसे पहले फ़ुक़रा और मसाकीन का ज़िक्र किया जो इस्तिहक़ाक़ में सबसे मुक़द्दम हैं फिर आमिलीन का ज़िक्र आया जिनकी मौजूदगी के बग़ैर ज़कात का निज़ाम क़ायम नहीं रह सकता। फिर उनका ज़िक्र आया जिनका दिल हाथ में लेना ईमान की तक़्वियत और हक़ की इशाअत के लिये ज़रूरी था। फिर गुलामों को आज़ाद कराने और क़र्ज़दारों को क़र्ज़ के भार से सुबुकदोश कराने के मक़ासिद नुमायाँ हुए फिर फ़ी सबीलिल्लाह का मक़्सद रखा गया जिसका ज़्यादा इत्लाक़ दिफ़ाअ़ पर हुआ। फिर दीन के और उम्मत के आम मसालेह उसमें शामिल हैं। मष़लन क़ुर्आन और उलूमे दीनी की तर्वीज व इशाअत, मदारिस का इज्रा व क़याम, दअवात व मुबल्लिग़ीन के ज़रूरी मसारिफ़, हिदायत व इर्शादात के तमाम मुफ़ीद व साईल।

फ़ुक़हा व मुफ़स्सिरीन का एक गिरोह उस तरफ़ गया है। कुछ ने मस्जिद, कुँआ, पुल जैसी ता'मीराते ख़ैरिया को भी उसमें दाख़िल कर दिया। (नैलुल औतार) फ़ुक़हा-ए-हन्फ़िया में से साहिबे फ़तावा ज़हीरया ये लिखते हैं, **अल्मुरादु तलबुल इल्म** और साहिबे बदाए के नज़दीक वो तमाम काम जो नेकी और ख़ैरात के लिये हों उसमें दाख़िल हैं। सबके आख़िर में इब्नुस्सबील या'नी मुसाफ़िर को जगह दी।

जुम्हूर के मज़हब का मतलब ये है कि तमाम मसारिफ़ में एक ही वक़्त में तक़्सीम करना ज़रूरी नहीं है। जिस वक़्त जैसी हालत और जैसी ज़रूरत हो उसी के मुताबिक़ ख़र्च करना चाहिये और यही मज़हब क़ुआनो—सुन्नत की तसरीहात और रूह के मुताबिक़ भी है। अइम्म-ए-अरबअ में सिर्फ़ इमाम शाफ़िई (रह.) उसके ख़िलाफ़ गए हैं। (इक़्तिबास अज़ तफ़्सीर तर्जुमानुल क़ुर्आन आज़ाद जिल्द 2 पेज नं. 130)

फ़ी सबीलिल्लाह की तफ़्सीर में नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ मरहूम लिखते हैं: **व अम्मा सबीलुल्लाहि फल्मुरादु हाहुनत्तरीक़ु इलैहि अज़्ज़ व जल्ल वल्जिहादु व इन कान आजमुत्तरीकि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल लाकिन ला दलील अला इख़्तिसासि हाज़स्सहमि बिही बल यसिह्हु सर्फ़ु ज़ालिक फ़ी कुल्लि मा कान तरीक़न इलल्लाहि हाज़ा मअनल्आयति लुग़तन वल्वाजिबु अल्वुक़ूफ़ु अलल्मअनल्लु गविय्यति हैषु लम यसिह्हुन्नक़्लु हुन शर्अन व मिन जुम्लति सबीलिल्लाहिस्सर्फ फ़िल्उलमाइल्लज़ीन यक़ूमून बिमसालिहिल् मुस्लिमीनद्दीनिय्यति फइन्न लहुम फ़ी मालिल्लाहि नसीबन बिलिस्सर्फ़ु फी हाज़िहिल्जिहति मिन अहम्मिल्उमूरि लिअन्नल्माउ वरष़तुल्अम्बिया व हम्लतुद्दीनि व बिहिम तहफ़ज़ु बैज़तुल्इस्लामि व शरीअ़तु सय्यिदिल्आनाम व क़द कान उलमाउस्सहाबति याख़ुज़ून मिनल्अताइ मा यक़ूमु बिमा यहताजून इलैहि**

और अल्लामा शौकानी अपनी किताब **वब्लुल ग़माम** में लिखते हैं, **व मिन जुम्लति फी सबीलिल्लाहि अस्सर्फ़ु फ़िल्उलमाइ फइन्न लहुम फ़ी मालिल्लाहि नसीबन सवाअन कानू अग़नियाउ औ फ़ुक़राउ बलिस्सर्फ़ु फ़ी हाज़िहिल्जिहति मिन अहम्मिल्उमूरि व क़द कान उलमाउस्सहाबति याख़ुज़ून मिन जुम्लति हाज़िहिल्अम्वालिल्लती कानत तुफर्रक़ु बैनल्मुस्लिमीन अला हाजिहिस्सिफ़ति मिनज़्ज़काति.** (मुलख़्ख़स अज़ किताबु दलीलित्तालिब, पेज 432) ख़ुलासा ये कि यहाँ सबीलिल्लाह से मुराद जिहाद है जो वसूल इलल्लाह का बहुत ही बड़ा

रास्ता है। मगर उस हिस्से के साथ सबीलिल्लाह की तख़्सीस करने पर कोई दलील नहीं है। बल्कि हर वो नेक जगह मुराद है जो तरीक़ इलल्लाह के बारे में हो। आयत के लुग़वी मआनी यही हैं। जिन पर वाक़िफ़ियत ज़रूरी है और सबीलिल्लाह में उन उलमा पर ख़र्च करना भी जाइज़ है जो ख़िदमाते मुस्लिमीन में दीनी हैषियत से लगे हुए हैं। उनके लिये अल्लाह के माल में यक़ीनन हिस्सा है बल्कि ये अहम्मुल उमूर है। इसलिये कि उलमा अंबिया किराम के वारिष हैं। उन ही की नेक कोशिशों से इस्लाम और शरीअते सय्यिदुल अनाम महफ़ूज़ है। उलम-ए-सहाबा भी अपनी हाजात के मुताबिक़ उससे अतिया लिया करते थे।

अल्लामा शौकानी (रह.) कहते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह में उलम-ए-दीन के मसारिफ़ में ख़र्च करना भी दाख़िल है। उनका अल्लाह के माल में हिस्सा है अगरचे वो ग़नी भी क्यूँ न हों। इस मस्रफ़ में ख़र्च करना बहुत ही अहम है और उलम-ए-सहाबा भी अपनी हाजात के लिये इस सिफ़त पर ज़कात के माल में से अतिये लिया करते थे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

1468. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमें शुऐब ने ख़बर दी, कहा कि हमसे अबुज़्ज़िनाद ने अअरज से ख़बर दी और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया। फिर आप से कहा गया कि इब्ने जमील और ख़ालिद बिन वलीद और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ज़कात देने से इन्कार कर दिया है। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि इब्ने जमील ये शुक्र नहीं करता कि कल तक तो वो फ़क़ीर था। फिर अल्लाह तआला ने अपने रसूल की दुआ की बरकत से उसे मालदार बना दिया। बाक़ी रहे ख़ालिद, तो उन पर तुम लोग ज़ुल्म करते हो। उन्होंने तो अपनी ज़िरहें अल्लाह तआला की राह में वक़्फ़ कर रखी हैं और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, तो वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचा हैं। और उनकी ज़कात उन्हीं पर सदक़ा हैं और उतना ही और उन्हें मेरी तरफ़ से देना है। इस रिवायत की मुताबिअत अबुज़्ज़िनाद ने अपने वालिद से की और इब्ने इस्हाक़ ने अबुज़्ज़िनाद से ये अल्फ़ाज़ बयान किये हिय अलैहा व मिष्लुहा मअहा (सदक़ा के लफ़्ज़ के बग़ैर) और इब्ने जुरैज ने कहा कि मुझसे अअराज से इसी तरह ये हदीष बयान की गई।

١٤٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيْلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)). تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: ((هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا)). وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ.

तश्रीह : इस हदीष में तीन अस्हाब का वाक़िया है। पहला इब्ने जमील है जो इस्लाम लाने से पहले महज़ क़ल्लाश और मुफ़्लिस (ग़रीब) था। इस्लाम की बरकत से मालदार बन गया तो उसका बदला ये है कि अब वो ज़कात देने में कराहता है और ख़फ़ा होता है और हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के बारे में आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुद फ़र्मा दिया जब उन्होंने अपना सारा माल व अस्बाब हथियार वग़ैरह फ़ी सबीलिल्लाह वक़्फ़ कर दिया है जो अब वक़्फ़ी माल की ज़कात क्यूँ देने लगा? अल्लाह की राह में मुजाहिदीन को देना ये ख़ुद ज़कात है। कुछ ने कहा कि मतलब ये है कि ख़ालिद तो ऐसा सख़ी है कि उसने हथियार घोड़े वग़ैरह सब अल्लाह की राह में दे डाले हैं। वो भला फ़र्ज़ ज़कात कैसे न देगा तुम ग़लत कहते हो कि वो ज़कात नहीं देता? हज़रत अब्बास (रज़ि.) के बारे में आप (ﷺ) ने फ़र्माया न सिर्फ़ ज़कात बल्कि उससे दोगुना मैं उन पर ख़र्च करूँगा। मुस्लिम

की रिवायत में यूँ है कि अ़ब्बास (रज़ि.) की ज़कात बल्कि उसका दोगुना रुपया मैं दूँगा। ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) दो बरस की ज़कात पेशगी आँहज़रत (ﷺ) को दे चुके थे। इसलिये उन्होंने उन तह़सील करने वालों को ज़कात न दी। कुछ ने कहा मत़लब ये है कि बिल फ़ेअ़ल उनको मुह्लत दो। अगले साल उनसे दोहरी या'नी दो बरस की ज़कात वसूल करना। (मुख़्तसर अज़्वहीदी)

बाब 50 : सवाल से बचने का बयान

٥٠- بَابُ الاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

1469. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन युसूफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने, इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें अ़त़ाअ बिन यज़ीद लैष़ी ने और उन्हें अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने कि अन्सार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया तो आपने उन्हें दिया। फिर उन्होंने सवाल किया और आपने फिर दिया। यहाँ तक कि जो माल आप के पास था अब वो ख़त्म हो गया। फिर आपने फ़र्माया कि अगर मेरे पास जो माल-दौलत हो तो मैं उसे बचाकर नहीं रखूँगा मगर जो शख़्स सवाल करने से बचता है तो अल्लाह तआ़ला उसे बेनियाज़ बना देता है और जो शख़्स अपने ऊपर ज़ोर डालकर भी स़ब्र करता है तो अल्लाह तआ़ला भी उसे स़ब्र व इस्तिक़लाल दे देता है। और किसी को भी स़ब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा पायेदार चीज़ नहीं मिली। (स़ब्र तमाम नेअ़मतों से बढ़कर है) (दीगर मक़ाम : 6470)

١٤٦٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ : ((مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)).

[طرفه في : ٦٤٧٠].

तश्रीह : शरीअ़ते इस्लामिया के बेशुमार ख़ूबियों में से एक ये ख़ूबी भी किस क़दर अहम है कि लोगों के सामने हाथ फैलाने, सवाल करने से मुख़्तलिफ़ त़रीक़ों के साथ मुमानअ़त की है और साथ ही अपने दो बाज़ुओं से कमाने और रिज़्क़ ह़ासिल करने की तर्ग़ीबात दिलाई है। मगर फिर भी कितने ही ऐसे मअ़ज़ूर मर्द–औरत होते हैं जिनको बग़ैर सवाल किये चारा नहीं। उनके लिये फ़र्माया **व अम्मस्साइल फ़ला तन्हर** या'नी सवाल करने वालों को न डाँटो बल्कि नर्मी से उनको जवाब दे दो।

इस ह़दीष़ के रावी ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) हैं जिनका नाम सअ़द बिन मालिक है और ये अंस़ारी हैं। जो कुन्नियत ही से ज़्यादा मशहूर हैं। ह़ाफ़िज़े ह़दीष़ और स़ाहब फ़ज़्ल व अ़क़्ल उ़लमा-ए-किबार स़ह़ाबा किराम (रिज़.) में उनका शुमार होता है। 84 साल की उ़म्र पाई और 74 हिज्री में इंतिक़ाल कर गए और जन्नतुल बक़ीअ़ में सुपुर्दे ख़ाक किये गये। (रज़ियल्लाहु अ़न्हु व अर्ज़ाह)

1470. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबुज़्ज़िनाद ने, उन्हें अअ़रज ने, उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख़्स रस्सी से लकड़ियों का बोझ बाँधकर कर अपनी पीठ पर जंगल से उठा लाए (फिर उन्हें बाज़ार में बेचकर अपना रिज़्क़ ह़ासिल करे) ता

١٤٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ

वो उस शख़्स से बेहतर है जो किसी के पास आकर सवाल करे। फिर जिससे सवाल किया गया है वो दे या न दे।

(दीगर मक़ाम : 1480, 2074, 2374)

خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ)).

[أطرافه في : ١٤٨٠، ٢٠٧٤، ٢٣٧٤].

तश्रीह : इस हदीष़ से ये निकलता है कि हाथ से मेहनत करके खाना कमाना निहायत अफ़ज़ल है। उलमा ने कहा है कि कमाई के तीन उसूल होते हैं। एक ज़राअत, दूसरी तिजारत, तीसरी सनअत व हिर्फ़त। कुछ ने कहा इन तीनों में तिजारत अफ़ज़ल है। कुछ ने कहा ज़राअत अफ़ज़ल है क्योंकि उसमें हाथ से मेहनत की जाती है और हदीष़ में है कि कोई खाना उससे बेहतर नहीं है जो हाथ से मेहनत करके पैदा किया जाए, ज़राअत के बाद फिर सनअत अफ़ज़ल है। उसमें भी हाथ से काम किया जाता है और नौकरी तो बदतरीन कस्ब है। इन अहादीष़ से ये भी ज़ाहिर होता है कि रसूले करीम (ﷺ) ने मेहनत करके कमाने वाले मुसलमान पर किस क़दर मुहब्बत का इज़्हार किया कि उसकी ख़ूबी पर आपने अल्लाह पाक की क़सम खाई। पस जो लोग महज़ निकम्मे बनकर बैठे रहते हैं और दूसरों के दस्तेनिगराँ रहते हैं। फिर क़िस्मत का शिकवा करने लगते हैं। ये लोग इन्दल्लाह व इन्दर्रसूल अच्छे नहीं है।

1481. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे ज़ुबैर बिन अवाम (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया तुम में से कोई भी अगर (ज़रूरतमन्द हो तो) अपनी रस्सी लेकर आए और लकड़ियों का गट्ठर बाँध कर अपनी पीठ पर रख कर लाए और उसे बेचे। इस तरह अल्लाह तआला उसकी इज़्ज़त को महफ़ूज़ रख ले तो ये उससे अच्छा है कि वो लोगों से सवाल करता फिरे, उसे वो दे या न दे।

(दीगर मक़ाम : 2075, 3373)

١٤٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)).

[طرفاه في : ٢٠٧٥، ٣٣٧٣].

इस हदीष़ के रावी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हैं जिनकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह क़ुरैशी है। उनकी वालिदा हज़रत स़फ़िया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी और आँहज़रत (ﷺ) की फूफी हैं। ये और इनकी वालिदा शुरू में ही इस्लाम ले आए थे जबकि उनकी उम्र सोलह साल की थी। इस पर उनके चचा ने धुंए से उनका दम घोटकर उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई ताकि ये इस्लाम छोड़ दें मगर उन्होंने इस्लाम को न छोड़ा। ये तमाम ग़ज़्वात में आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ रहे और ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में तलवार के जौहर दिखलाए और आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ जंगे उहुद में डटे रहे और अशर-ए-मुबश्शरा में इनका भी नाम शुमार है। 64 साल की उम्र में बस़रा में शहीद कर दिये गये। ये हादष़ा 36 हिज्री में पेश आया। अव्वल वादी सबाअ में दफ़न हुए। फिर बस़रा में मुंतक़िल कर दिये गये। (रज़ि.)

1472. हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, कहा कि हमें यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्हें उर्वा बिन ज़ुबैर और सईद बिन मुसय्यिब ने कि हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कुछ माँगा। आपने अ़ता फ़र्माया। मैंने फिर माँगा तो आपने फिर

١٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

((سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: ((يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ. ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ)).

[أطرافه في : ٢٧٥٠، ٣١٤٣، ٦٤٤١].

अता फ़र्माया। मैंने फिर माँगा आपने फिर भी अता फ़र्माया। इसके बाद आपने इर्शाद फ़र्माया, ऐ हकीम! ये दौलत बड़ी सरसब्ज़ और शीरीं है। लेकिन जो शख़्स इसे अपने दिल को सख़ी रखकर ले तो उसकी दौलत में बरकत होती है और जो लालच के साथ लेता है तो उसकी दौलत में कुछ भी बरकत नहीं होगी। उसका हाल उस शख़्स जैसा होगा जो खाता है लेकिन आसूदा नहीं होता (याद रखो) ऊपर वाला हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने कहा कि मैंने अ़र्ज़ की उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको सच्चाई के साथ मब्ऊ़ष किया है, अब मैं इसके बाद किसी से कोई चीज़ नहीं लूँगा यहाँ तक कि दुनिया ही से मैं जुदा हो जाऊँ। चुनाँचे ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ह़कीम (रज़ि.) को उनका मा'मूल देने को बुलाते तो वो लेने से इन्कार कर देते। फिर जब ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने भी उन्हें उनका हिस़्सा देना चाहा तो उन्होंने उसके लेने से इन्कार कर दिया। इस पर ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुसलमानों! मैं तुम्हें ह़कीम बिन हिज़ाम के मामले में गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनका ह़क़ उन्हें देना चाहा लेकिन उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। ग़र्ज़ ह़कीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसी त़रह किसी से भी कोई चीज़ लेने से हमेशा इन्कार ही करते रहे। यहाँ तक कि वफ़ात पा गये। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) माले-फ़ै या'नी मुल्की आमदनी से उनका ह़िस़्सा उनको देना चाहते थे मगर उन्होंने वो भी नहीं लिया।

(दीगर मक़ाम : 2750, 3243, 6441)

तश्रीह : हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) की कुन्नियत अबू ख़ालिद कुरैशी असदी है। ये ह़ज़रत उम्मुल मोमिनीन ख़दीजा (रज़ि.) के भतीजे हैं। वाक़िया फ़ील से तेरह साल पहले का'बा में पैदा हुए। ये कुरैश के मुअ़ज़्ज़ज़तरीन लोगों में से हैं। जाहिलियत और इस्लाम दोनों ज़मानों में बड़ी इ़ज़्ज़त व मंज़िलत के मालिक रहे। फ़तहे मक्का के दिन इस्लाम लाए। 64 हिज्री में अपने मकान के अंदर मदीना में वफ़ात पाई। उनकी उ़म्र 120 साल की हुई थी। साठ साल अ़हदे जाहिलियत में गुज़ारे और साठ साल ज़मान-ए-इस्लाम में ज़िन्दगी पाई। बड़े ज़ेरक और फ़ाज़िल मुत्तक़ी स़ह़ाबा में से थे ज़मान-ए-ज़हिलियत में सौ गुलामों को आज़ाद किया और सौ ऊँट सवारी के लिये बख़्शे। वफ़ाते नबवी के बाद ये मुद्दत तक ज़िन्दा रहे यहाँ तक कि मुआविया (रज़ि.) के अहद में भी दस साल की ज़िन्दगी पाई। मगर कभी एक पैसा भी उन्होंने किसी से नहीं लिया। जो बहुत बड़े दर्जे की बात है।

इस ह़दीष़ में ह़कीमे इंसानियत रसूले करीम (ﷺ) ने क़ानेअ़ (स़ब्र करने वाले) और ह़रीस़ (लालची) की मिष़ाल बयान फ़र्माई कि जो भी कोई दुनियावी दौलत के सिलसिले में क़नाअ़त से काम लेगा और ह़िर्स़ और लालच की बीमारी से बचेगा उसके लिये बरकतों के दरवाज़े खुलेंगे और थोड़ा माल भी उसके लिये काफ़ी होगा। उसकी ज़िन्दगी बड़े ही इत्मीनान

और सुकून की ज़िन्दगी होगी। और जो शख़्स हिर्स की बीमारी और लालच के बुख़ार में मुब्तला होगा उसका पेट भर ही नहीं सकता ख़्वाह उसको सारी दुनिया की दौलत ही क्यूँ न मिल जाए वो फिर भी उसी चक्कर में रहेगा कि किसी न किसी तरह से और ज़्यादा माल हासिल कर लूँ। ऐसे लालची लोग न अल्लाह के नाम पर ख़र्च करना जानते हैं न मख़्लूक़ को फ़ायदा पहुँचाने का जज़्बा रखते हैं। न कुशादगी के साथ अपने और अपने अहलो—अयाल ही पर ख़र्च करते हैं । अगर सरमायादारों की ज़िन्दगी का मुतालआ किया जाए तो एक बहुत ही भयानक तस्वीर नज़र आती है। फ़ख़्रे मौजूदात (ﷺ) ने उन्हीं हक़ाइक़ को इस हदीषे मुक़द्दस में बयान किया है।

बाब 51 : अगर अल्लाह पाक किसी को बिन माँगे और बिन दिल लगाये और उम्मीदवार रहे कोई चीज़ दिला दे (तो उसको ले ले) अल्लाह तआला ने फ़र्माया, इनके मालों में माँगने वाले और ख़ामोश रहने वाले दोनों का हिस्सा है।

٥١- بَابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ

﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات : ١٩]

इस आयत से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि बिन माँगे जो अल्लाह दे दे उसका लेना दुरुस्त है। वरना महरूम ख़ामोश फ़क़ीर का हिस्सा कुछ न रहेगा। क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि बग़ैर सवाल जो आए उसका ले लेना दुरुस्त है बशर्ते कि हलाल का माल हो अगर मशकूक माल हो तो वापस कर देना ही परहेज़गारी है।

1473. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से सुना, वो कहते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे कोई चीज़ अता फ़र्माते तो मैं अर्ज़ करता कि आप मुझसे ज़्यादा मुहताज को दे दीजिए। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते कि ले लो, अगर तुम्हें कोई ऐसा माल मिले जिस पर तुम्हारा ख़याल न लगा हुआ हो और न तुमने उसे माँगा हो तो उसे क़ुबूल कर लिया करो और जो न मिले तो उसकी परवाह न करो और उसके पीछे न पड़ो।

(दीगर मक़ाम : 7163, 716)

١٤٧٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: ((خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)).

[طرفاه في : ٧١٦٣، ٧١٦٤].

बाब 52 : अगर कोई शख़्स अपनी दौलत बढ़ाने के लिये लोगों से सवाल करे?

٥٢- بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

1474. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जा'फ़र ने कहा, कि मैंने हम्ज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से सुना, उन्होंने कहा

١٤٧٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ)).

कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाता रहता है यहाँ तक कि वो क़यामत के दिन इस तरह उठेगा कि उसके चेहरे पर ज़रा भी गोश्त न होगा।

١٤٧٥ - وَقَالَ: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ. فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ)). وَزَادَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: ((فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ. فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ)). وَقَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْأَلَةِ.

[طرفه في : ٤٧١٨].

1475. और आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़यामत के दिन सूरज इतना क़रीब हो जाएगा कि पसीना आधे बदन तक पहुँच जाएगा। लोग इसी हाल में अपनी मुख़्लिसी के लिये हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से फ़रियाद करेंगे। फिर मूसा अ़लैहिस्सलाम से। फिर मुहम्मद (ﷺ) से। अ़ब्दुल्लाह ने अपनी रिवायत में ये ज़्यादती की है कि मुझसे लैष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी जा'फ़र ने बयान किया, फिर आँहज़रत (ﷺ) शफ़ाअ़त करेंगे कि मख़्लूक़ का फ़ैसला किया जाए। फिर आप बढ़ेंगे और जन्नत के दरवाज़े का हल्क़ा थाम लेंगे। और इसी दिन अल्लाह तआ़ला आपको मक़ामे-महमूद अ़ता फ़र्माएगा। जिसकी तमाम अहले-महशर ता'रीफ़ करेंगे। और मुअ़ल्ला बिन असद ने कहा कि हमसे वुहैब ने नोअ़मान बिन राशिद से बयान किया, उनसे ज़ुहरी के भाई अ़ब्दुल्लाह बिन मुस्लिम ने, उनसे हम्ज़ा बिन अ़ब्दुल्लाह ने और उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से फिर इतनी ही हदीष़ बयान की जो सवाल के बाब में है।

(दीगर मक़ाम : 4817)

तश्रीह : हदीष़ के बाब में भी सवाल करने की मज़म्मत की गई है और बतलाया गया है कि ग़ैर–मुस्तहिक़्क़ीन सवाल करने वालों का हश्र में ये हाल होगा कि उनके चहरे पर गोश्त न होगा और इस ज़िल्लत व ख़्वारी के साथ मैदाने हश्र में महशूर होंगे।

सवाल करने की तफ़्सील में अ़ल्लामा ऐ़नी (रह.) फ़र्माते हैं, **व हिय अ़ला ष़लाष़ति औजहिन हरामुन व मक्रूहुन व मुबाहुन फल्हरामु लिमन सअल वहुव गनिय्युन मिन ज़कातिन औ अज़्हर मिनल्फक़्रि फौक़ मा हुव बिही वल्मक्रूहु लिमन सअल मा इन्दहू मा यम्नउहू अन ज़ालिक वलम यज़्हर मिनल्फ़क़्रि फौक़ मा हुव बिही वल्मुबाहु लिमन सअल बिल्मअरूफ़ि करीबन औ सदीक़न व अम्मस्सुवालु इन्दज़्ज़रूरति वाजिबुन लिइहयाइन्नफ़्सि व अदखलहुद्दावुदी फिल्मुबाहि व अम्मल्अख़्ज़ु मिन गैरि मस्अलतिन व ला अशरफ़ि नफ़्सिन फला बास बिही. (ऐ़नी)**

या'नी सवाल की तीन क़िस्में हैं। हराम, मकरूह और मुबाह। हराम तो उसके लिये जो मालदार होने के बावजूद ज़कात में से माँगे और ख़्वाह-मख़्वाह अपने को मुहताज ज़ाहिर करे। मकरूह उसके लिये जिसके पास वो चीज़ मौजूद है जिसे वो माँग रहा है, वो ये नहीं सोचता कि ये चीज़ तो मेरे पास मौजूद है। साथ ही ये भी कि अपने आपको मुहताज भी ज़ाहिर नहीं करता फिर भी सवाल कर रहा है और मुबाह उसके लिये है जो हक़ीक़ी हाजत के वक़्त अपने किसी ख़ास दोस्त या रिश्तेदार से सवाल करे। कुछ मर्तबा सख़्ततरीन ज़रूरत के तहत जहाँ मौत व ज़िन्दगी का सवाल आ जाए सवाल करना भी ज़रूरी हो जाता है और

बग़ैर सवाल किये और ताँके–झाँके कोई चीज़ अज़्ख़ुद मिल जाए तो उसके लेने में कोई हर्ज नहीं है।

ग़ैर– मुस्तहिक़्क़ीन सवाल करने वाले की सज़ा के बयान के साथ इस हदीष़ में आँहज़रत की शफ़ाअते कुबरा का भी बयान किया गया है जो क़यामत के दिन आपको हासिल होगी। जहाँ किसी भी नबी व रसूल को कलाम करने की मजाल न होगी वहाँ आप (ﷺ) नोओ़ इंसान के लिये शाफ़ेअ और मुश्फ़ेअ़ बनकर तशरीफ़ लाएँगे। **अल्लाहुम्मर्ज़ुक्ना शफ़ाअत हबीबिक (ﷺ) यौमल्क़ियामति आमीन**

बाब 53 : (सूरह बक़रः में) अल्लाह तआ़ला का इर्शाद

٥٣– بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] وَكَمْ الْغِنَى، ؟ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((وَلاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ)) ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ – إِلَى قَوْلِهِ – ﴿فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ﴾ [البقرة : ٢٧٣].

कि जो लोगों से चिमटकर नहीं मांगते और कितने माल से आदमी मालदार कहलाता है। इसका बयान और नबी (ﷺ) का ये फ़र्माना कि वो शख़्स जो बक़द्रे- किफ़ायत नहीं पाता (गोया उसको ग़नी नहीं कह सकते) और (अल्लाह तआ़ला ने इसी सूरह में फ़र्माया है कि) सदक़ा–ख़ैरात तो उन फ़ुक़रा के लिये हैं जो अल्लाह के रास्ते में घिर गये हैं। किसी मुल्क में जा नहीं सकते कि वो तिजारत ही कर लें। नावाक़िफ़ लोग उन्हें सवाल न करने की वजह से ग़नी समझते हैं। आख़िर आयत फ़इन्नल्लाह बिही अ़लीम **तक (या'नी वो हद क्या है जिससे सवाल नाजाइज़ हो) (अल बक़र : 273)**

बाब की हदीष़ में उसकी तसरीह नहीं है। शायद इमाम बुख़ारी (रह.) को इसके बारे में कोई हदीष़ ऐसी नहीं मिली जो उनकी शर्त पर हो।

1476. हमसे हज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मिस्कीन वो नहीं जिसे दो लुक़्मे दर-दर फिराये। मिस्कीन तो वो है जिसके पास माल नहीं। लेकिन उसे सवाल से शम आती है और वो लोगों से चिमट कर नहीं माँगता (मिस्कीन वो जो कमाए मगर बक़द्रे-ज़रूरत न पा सके)

(दीगर मक़ाम : 1479, 4539)

١٤٧٦– حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ((لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي وَ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا)).

[طرفاه في : ١٤٧٩، ٤٥٣٩].

तशरीह : अबू दाऊद ने सहल बिन हन्ज़ला से निकाला कि सहाबा ने पूछा तवंगरी क्या है (जिसमें सवाल करना मना हो)? आप (ﷺ) ने फ़र्माया जब सुबह शाम का खाना उसके पास मौजूद हो। इब्ने ख़ुज़ैमा की रिवायत में यूँ है जब दिन-रात का पेटभर खाना उसके पास हो। कुछ ने कहा ये हदीष़ मन्सूख़ है दूसरी हदीष़ों से जिसमें मालदार उसको फ़र्माया है जिसके पास पचास दिरहम हों या इतनी मालियत की चीज़ें। (वहीदी)

1477. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन उलय्या ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे इब्ने अश्वाअ ने, उनसे

١٤٧٧– حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ((كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)). [راجع: ٨٤٤]

आमिर शुअबी ने, कहा कि मुझसे मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) के मुन्शी वर्राद ने बयान किया, कि मुआविया (रज़ि.) ने मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) को लिखा कि उन्हें कोई ऐसी हदीष़ लिखिये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी हो। मुग़ीरह (रज़ि.) ने लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आपने फ़र्माया कि अल्लाह तआला तुम्हारे लिये तीन बातें पसन्द नहीं करता, बिला वजह की गपशप, फ़िज़ूलख़र्ची, लोगों से बहुत माँगना।

(राजेअ : 844)

तशरीह : फ़िज़ूल कलामी भी ऐसी बीमारी है जिससे इंसान का वक़ार ख़ाक में मिल जाता है। इसलिये कम बोलना और सोच–समझकर बोलना अक़्लमन्दों की अलामत है। इसी तरह फ़िज़ूलख़र्ची करना भी इंसान की बड़ी भारी ह़िमाक़त है जिसका एहसास उस वक़्त होता है जब दौलत हाथ से निकल जाती है। इसलिये क़ुर्आनी ता'लीम ये है कि न बख़ील बनो और न इतने हाथ कुशादा कर लो कि परेशान ह़ाली में मुब्तला हो जाओ। दरम्यानी चाल बहरह़ाल बेहतर है। तीसरा ऐब कष़रत के साथ दस्ते–सवाल दराज़ करना (माँगने के लिये हाथ फैलाना) ये भी इतना ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिसको लग जाए उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो बुरी तरह से उसमें गिरफ़्तार हो जाता है और दुनिया व आख़िरत में ज़लील व ख़्वार हो जाता है। ह़ज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने ये ह़दीष़ लिखकर ह़ज़रत अमीर मुआविया (रज़ि.) को पेश की। इशारा था कि आपकी कामयाबी का राज़ इस ह़दीष़ में मुज़मर है जिसे मैं आपको लिख रहा हूँ। आँह़ज़रत (ﷺ) के जवामिउ़ल कलिम में इस ह़दीष़ शरीफ़ को भी बड़ा मक़ाम ह़ासिल है। अल्लाह पाक हमको ये ह़दीष़ समझने और अ़मल करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन!

١٤٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ((أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ - وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ - فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ : مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)). قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِنِّي لأُرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)). قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلاً،

1478. हमसे मुहम्मद बिन ग़ुरैर ज़ुहरी ने बयान किया, कहा कि हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने अपने बाप से बयान किया, उनसे स़ालेह बिन कैसान ने उनसे इब्ने शिहाब ने, उन्हों ने कहा कि मुझे आ़मिर बिन सअ़द बिन अबी वक़्क़ास ने अपने बाप सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से ख़बरी दी, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चन्द अश्ख़ास को कुछ माल दिया। उस जगह मैं भी बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके साथ ही बैठे हुए शख़्स को छोड़ दिया और उन्हें कुछ नहीं दिया। हालाँकि उन लोगों में वही मुझे ज़्यादा पसन्द था। आख़िर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़रीब जाकर चुपके से अ़र्ज़ किया, फलाँ शख़्स को आपने कुछ भी नहीं दिया? वल्लाह मैं उसे मोमिन ख़्याल करता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, या मुसलमान? उन्होंने बयान किया कि इस पर मैं थोड़ी देर तक ख़ामोश रहा। लेकिन मैं उनके मुता'ल्लिक़ जो कुछ जानता था उसने मुझे मजबूर किया और मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप फलाँ

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلاَنٍ، وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا. قَالَ: ((أَوْ مُسْلِمًا)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ: ((إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ)). وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: ((فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ: ((أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : (فَكُبْكِبُوا): قُلِبُوا. ﴿مُكِبًّا﴾: أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ، فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ : كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ، وَكَبَبْتُهُ أَنَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ. [راجع: ٢٧]

शख़्स से क्यों ख़फ़ा हैं, वल्लाह! मैं उसे मोमिन समझता हूँ। आपने फ़र्माया, या मुसलमान? तीन मर्तबा ऐसा ही हुआ। आपने फ़र्माया कि एक शख़्स को देता हूँ (और दूसरे को नज़रअंदाज कर जाता हूँ) हालाँकि वो दूसरा मेरी नज़र में पहले से ज़्यादा प्यारा होता है। क्योंकि (जिसको मैं देता हूँ न देने की सूरत में) मुझे डर इस बात का रहता है कि कहीं इसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में न डाल दिया जाए। और (यअ़क़ूब बिन इब्राहीम) अपने वालिद से, वो स़ालेह से, वो इस्माईल बिन मुहम्मद से, उन्होंने बयान किया कि मैंने अपने वालिद से सुना कि वो यही ह़दीष़ बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिर आँह़ज़रत (ﷺ) ने अपना हाथ मेरी गर्दन और मूँढों के बीच में मारा। और फ़र्माया, सअ़द! इधर सुनो, मैं एक शख़्स को (क़ुर्आन मजीद में लफ़्ज़) कुब्किबू औंधे लिटा देने के मा'ने में है। और सूरह मुल्क में जो मुकिब्बन का लफ़्ज़ है वो अकब्ब से निकला है। अकब्ब लाज़िम है या'नी औंधा गिरा। और उसका मुतअ़दी कब्बा है। कहते हैं कि कब्बहुल्लाहु लिवजहिही या'नी अल्लाह ने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। और कबब्तुहू या'नी मैंने उसको औंधे मुंह गिराया। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि स़ालेह बिन कैसान उमर ज़ुहरी से बड़े थे वो अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से मिले हैं।

(राजेअ़ : 27)

तश्रीह : ये ह़दीष़ किताबुल ईमान में गुज़र चुकी है। इब्ने इस्ह़ाक़ ने मग़ाज़ी में निकाला, आँह़ज़रत (ﷺ) से कहा गया कि आपने उ़ययना बिन ह़सन और अक़्रअ़ बिन हाबिस को सौ-सौ रुपये दे दिये। और जईल सुराक़ा को कुछ नहीं दिया। आपने फ़र्माया, क़सम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है जईल बिन सुराक़ा उ़ययना और अक़्रअ़ ऐसे सारी ज़मीन भर लोगों से बेहतर है। लेकिन मैं उ़ययना और अक़्रअ़ को रुपया देकर दिल मिलाता हूँ और जईल के ईमान पर तो मुझको भरोसा है। (वह़ीदी)

١٤٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ

1479. हमसे इस्माईल बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने अबुज़्ज़िनाद से बयान किया, उनसे अअ़रज ने, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मिस्कीन वो नहीं है जो लोगों का चक्कर काटता फिरता है ताकि उसे दो-एक लुक़्मे या दो-एक खजूर मिल जाए बल्कि अस़ली मिस्कीन वो है जिसके पास इतना माल नहीं कि वो उसके ज़रिये से बेपरवाह हो जाए। इस हाल में भी किसी को

الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧٦]

मा'लूम नहीं कि कोई उसे स़दक़ा ही दे दे और न वो खुद हाथ फैलाने के लिये उठाता है। (राजेअ़ : 1476)

١٤٨٠- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُو - أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ - فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ)). [راجع: ١٤٧٠]

1480. हमसे ड़मर बिन ह़फ़्स़ बिन ग़ियाष़ ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया, कहा कि हमसे आ'मश ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू स़ालेह ज़कवान ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (ﷺ) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम में से कोई शख़्स अपनी रस्सी लेकर (मेरा ख़याल है कि आपने यूँ फ़र्माया) पहाड़ में चला जाए फिर लकड़ियाँ जमा करके उन्हें फ़रोख़्त करे। उससे खाए भी और स़दक़ा भी करे। ये उसके लिये इससे बेहतर है कि लोगों के सामने हाथ फैलाए।

(राजेअ़ : 1470)

٥٤- بَابُ خَرْصِ التَّمْرِ

बाब 54 : खजूर का पेड़ पर अंदाज़ा कर लेना दुरुस्त है

तश्रीह : जब खजूर या अंगूर या और कोई मेवा पेड़ पर पक जाए तो एक जानने वाले को बादशाह भेजता है वो जाकर अंदाज़ा लगाता है कि उसमें इतना मेवा उतरेगा। फिर उसी का दसवाँ हिस़्सा ज़कात के त़ौर पर लिया जाता है उसको ख़रस़ कहते हैं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने हमेशा ये जारी रखा और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने भी। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद और अहले ह़दीष़ सब इसको जाइज़ कहते हैं। लेकिन ह़न्फ़िया ने बरख़िलाफ़ अह़ादीषे स़ह़ीह़ा के सिर्फ़ अपनी राय से उसको नाजाइज़ क़रार दिया है। उनका क़ौल दीवार पर फेंक देने के लायक़ है। (अज़ मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम)

अंदाज़ा लगाने के लिये खजूर का ज़िक्र इसलिये आ गया कि मदीना शरीफ़ में बकष़रत खजूर ही हुआ करती हैं वरना अंगूर वग़ैरह का अंदाज़ा भी किया जा सकता है जैसा कि ह़दीषे ज़ेल से ज़ाहिर है।

अन इताबिब्नि उसैदिन अन्नन्नबिय्य (ﷺ) कान यब्अषु अलन्नासि अलैहिम कुरूमहुम व षिमारहुम रवाहुत्तिर्मिज़ी वब्नु माजा रवाहू अबू दाऊद व तिर्मिज़ी) या'नी नबी करीम (ﷺ) लोगों के पास अन्दाज़ा करने वालों को भेजा करते थे, जो उनके अंगूरों और फलों का अन्दाज़ा लगाते। **व अन्हु अयज़न क़ाल अमर रसूलुल्लाहि (ﷺ) अंय्यख़रसल्इनब अल्हदीष़ रवाहु अबू दाऊद वत्तिर्मिज़ी** या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने हुक्म दिया कि खजूरों की त़रह अंगूरों का भी अंदाज़ा लगा लिया जाए फिर उनके खुश्क होने पर उनमें से उसी अंदाज़े के मुत़ाबिक़ उ़श्र में मुनक़्क़ा लिया जाएगा।

ह़ज़रत इमाम शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं, **वल्अहादीषुल्मज़्कूरतु तदुल्लु अ़ला मश्रूइय्यतिल्ख़र्सि फिल्एनबि वन्नखलि व क़द कालश्शाफ़िइ फ़ी अहदि क़ौलिही बिवुजूबिही मुस्तदिल्लन बिमा फ़ी हदीष़ि इताबिन मिन अन्नन्नबिय्य (ﷺ) अमर बिज़ालिक वजहबतिल्अतरतु व मालिक व रवश्शाफिइ अन्नहू जाइज़ुन फ़क़त व जहबतिल्हादविय्यतु व रूविय अनिश्शाफिइ अयज़न इला अन्नहू मन्दूबुन व क़ाल अबू हनीफ़त ला यजूज़ु लिअन्नहु रम्जुम्बिल्गैबि वल्अहादीषुल्मज्कूरत तरुद्दु अ़लैहि.** (नेलुल औतार)

या'नी बयान की गई अह़ादीष़ खजूर और अंगूरों में अंदाज़े करने की मशरूईयत पर दलालत करती हैं और इ़ताब की ह़दीषे मज़्कूर से दलील पकड़ते हुए इमाम शाफ़िई (रह.) ने अपने एक क़ौल में उसे वाजिब क़रार दिया है और अ़त्रत और इमाम

मालिक और एक क़ौल में इमाम शाफ़िई (रह.) ने भी उसे सिर्फ़ जवाज़ के दर्जे में रखा है और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) उसे नाजाइज़ कहते हैं इसलिये कि ये अंदाज़ा एक ग़रीबी अंदाजा है और अहादीषे मज़्कूरा उनके इस क़ौल की तर्दीद करती हैं।

इस हदीष के ज़ेल में हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **हकत्तिर्मिज़ी अन बअ़ज़ि अहलिल्इल्मि अन्न तफ़्सीरहू अन्नष़्ष़िमार इज़ा अदरकत मिनर्रूतबि वल्इनबि मिम्मा तजिबु फ़ीहिज़्ज़कातु बअ़षस्सुल्तानु ख़ारिसन यन्ज़ुरू फयकुलू यख़रूजु मिन हाज़ा कज़ा व कजा तमरन फयुहसीहि व यन्ज़ुरु मब्लगल्उशरि फयुस्बितुहू अलैहिम व यख़ला बैनहुम व बैनष़्ष़िमारि फ़इज़ा जाअ वक़्तुल्जज़ाज़ि उख़िज़ मिन्हुमुल्उशरू इला आख़िरिही.** (फ़त्हुल बारी)

या'नी ख़रस की तफ़्सीर कुछ अहले इल्म से यूँ मन्क़ूल है कि जब अंगूर और खजूर इस हाल में हों कि उन पर ज़कात लागू हो तो बादशाह एक अंदाजा लगाने वाला भेजेगा। जो उन बाग़ों में जाकर उनका अंदाजा करके बतलाएगा कि उसमें इतना अंगूर और इतनी इतनी खजूर निकलेगी। इसका सही अंदाज़ा करके देखेगा कि उ़श्र के निस़ाब को ये पहुँचता है या नहीं। अगर उ़श्र का निस़ाब मौजूद है तो फिर वो उन पर उ़श्र ष़ाबित कर देगा और मालिकों को फलों के लिये इख़्तियार दे देगा कि वो जो चाहें करें। जब कटाई का वक़्त आएगा तो उसी अंदाज़े के मुताबिक़ उससे ज़कात वसूल की जाएगी। अगरचे उ़लमा का अब इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है मगर सहीह बात यही है कि ख़रस अब भी जाइज़ है और इस बारे में अस्हाबुर्राय का फ़त्वा दुरुस्त नहीं है। हदीषे ज़ेल में जंगे तबूक़ 9 हिज्री का ज़िक्र है। उसी मौक़े पर ऐला के ईसाई हाकिम ने आँहज़रत (ﷺ) से सुलह कर ली थी जो इन लफ़्ज़ों में लिखी गई थी, **बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़िही अमनतुम्मिनल्लाहि व मुहम्मदिन्नबिय्यि रसूलिल्लाहि लयोहन्ना बिन रूबा व अहलु ईला सुफुनुहुम व सय्यारतुहुम फिल्बर्रि वल्बहरि लहुम जिम्मतुल्लाहि व मुहम्मदुन्नबिय्यु (ﷺ)**

या'नी अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से ये यूहन्ना बिन रूबा और अहले ऐला के लिये अमन का परवाना है। ख़ुश्की और तरी में हर जगह उनके सफ़ीने और उनकी गाड़ियाँ सब के लिये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से अमन व अमान की गारण्टी है।

1481. हमसे सहल बिन बक्कार ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने, उनसे अ़म्र बिन यह्या ने, उनसे अब्बास बिन सहल साअ़दी ने, उनसे अबू हुमैद साएदी ने बयान किया कि हम ग़ज़्व-ए-तबूक़ के लिये नबी करीम (ﷺ) के साथ जा रहे थे। जब आप वादी-ए-क़ुर्आ (मदीना मुनव्वरा और शाम के दरम्यान एक क़दीम आबादी) से गुज़रे तो हमारी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने बाग़ में खड़ी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा-किराम से फ़र्माया कि इसके फलों का अंदाज़ा लगाओ (कि इसमें कितनी खजूरें निकलेंगी) हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) ने दस वस्क़ का अंदाज़ा लगाया। फिर उस औरत से फ़र्माया कि याद रखना इसमें से जितनी खजूरें निकले। जब हम तबूक़ पहुँचे तो आपने फ़र्माया कि याद रखना इसमें से जितनी खजूर निकले। जब हम तबूक़ पहुँचे तो आपने फ़र्माया कि आज रात बड़े ज़ोर की आँधी चलेगी इसलिये कोई शख़्स खड़ा न रहे और जिसके पास ऊँट हो तो वो उसे बाँध दे। चुनाँचे हमने ऊँट बाँध लिये और आँधी बड़े ज़ोर की आई। एक शख़्स खड़ा हुआ था, तो हवा ने जबले-तै पर जा फेंका। और

١٤٨١- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: ((اخْرُصُوا))، وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: ((أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ، فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ)). وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ

لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: ((كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُكِ؟)) قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ)) فَلَمَّا - قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: ((هَذِهِ طَابَةُ)) فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: ((هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الأَنْصَارِ)) قَالُوا : بَلَى. قَالَ : ((دُوْرُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دُوْرُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُوْرُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُوْرِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطًا لاَيُقَالُ حَدِيقَةٌ)).

[أطرافه في : ١٨٧٢، ٣١٦١، ٣٧٩١، ٤٤٢٢].

ऐलिया के हाकिम (यूहन्ना बिन रूबा) ने नबी करीम (ﷺ) को सफ़ेद खच्चर और एक चादर का तोहफ़ा भेजा। आँहुज़ूर (ﷺ) ने तहरीरी तौर पर उसे उसकी हुकूमत पर बरक़रार रखा फिर जब वादी-ए-क़ुर्आ (वापसी में) पहुँचे तो आपने उसी औरत से पूछा कि तुम्हारे बाग़ में कितना फल आया था। उसने कहा कि आपके अंदाज़े के मुताबिक़ दस वस्क़ आया था। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं मदीना जल्दी जाना चाहता हूँ। इसलिये जो कोई मेरे साथ जल्दी चलना चाहे वो मेरे साथ जल्दी रवाना हो फिर जब (इब्ने बक्कार इमाम बुख़ारी रह. के शैख़ ने एक ऐसा जुम्ला कहा जिसके मा'ने ये थे) कि मदीना दिखाई देने लगा तो आपने फ़र्माया कि ये है तूबा! फिर आपने उहुद पहाड़ दिखा तो फ़र्माया कि ये पहाड़ हमसे मुहब्बत रखता है और हम भी उससे मुहब्बत रखते हैं। फिर आपने फ़र्माया क्या मैं अन्सार के सबसे अच्छे ख़ानदान की निशानदही न करूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया कि ज़रूर कीजिए। आपने फ़र्माया कि बनू नज्जार का खानदान। फिर अबू अब्दे अशहल का खानदान, फिर अबू सअ़द का या (ये फ़र्माया कि) बनी हारिष़ बिन खज़रज का ख़ानदान। और फ़र्माया कि अन्सार के तमाम ही ख़ानदानों में ख़ैर है, अबू अब्दुल्लाह (क़ासिम बिन सलाम) ने कहा कि जिस बाग़ की चारदीवारी हो उसे हदीक़ा कहेंगे और जिस की चारदीवारी न हो उसे हदीक़ा नहीं कहेंगे।

(दीगर मक़ाम : 1782, 3161, 3791, 4422)

١٤٨٢- وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو ((ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ)). وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)).

1482. और सुलैमान बिन बिलाल ने कहा कि मुझसे अम्र ने इस तरह बयान किया कि फिर बनी हारिष़ बिन खज़रज का ख़ानदान और फिर बनू सअ़दा का ख़ानदान। और सुलैमान ने सअ़द बिन सईद से बयान किया, उनसे अम्मारा ग़ज़निय्या ने, उनसे अब्बास ने, उनसे उनके बाप (सहल) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया उहुद वो पहाड़ है जो हमसे मुहब्बत रखता है और हम उससे मुहब्बत रखते हैं।

तश्रीह : इस लम्बी हदीष में जहाँ खजूरों का अंदाज़ा कर लेने का ज़िक्र है वहाँ और भी बहुत से हक़ाइक़ का बयान है। ग़ज़्व-ए-तबूक 9 हिज्री में ऐसे वक़्त में पेश आया कि मौसम गर्मी का था और अपने पूरे शबाब पर था और मदीना में खजूर की फ़सल बिल्कुल तैयार थी। फिर भी सहाबा किराम (रज़ि.) ने बड़ी जाँ–निष़ारी का ष़ुबूत दिया और हर परेशानी

का मुक़ाबला करते हुए वो इस तवील (लम्बे) सफ़र में शरीक हुए। सरहद का मुआमला था, आप दुश्मन के इंतिज़ार में वहाँ काफ़ी देर ठहरे रहे मगर दुश्मन मुक़ाबले को न आए बल्कि क़रीब ही ऐला शहर के ईसाई हाकिम यूहन्ना बिन रूबा ने आपको सुलह का पैग़ाम भेजा। आपने उसकी हुकूमत उसके लिये बरक़रार रखी क्योंकि आपका मंशा मुल्कगीरी (साम्राज्यवाद) हर्गिज़ न था। वापसी में आपको मदीना की मुहब्बत ने सफ़र में उज्लत (जल्दी) पर आमादा कर दिया तो आपने मदीना जल्द से जल्द पहुँचने का ऐलान फ़र्मा दिया। जब ये पाक शहर नज़र आने लगा तो आप इस क़द्र ख़ुश हुए कि आपने इस मुक़द्दस शहर को लफ़्ज़े तैबा से मौसूम किया। जिसका मतलब पाकीज़ा और उम्दा के हैं। उहुद पहाड़ के हक़ में भी अपनी इंतिहाई मुहब्बत का इज़्हार किया फिर आप (ﷺ) ने क़बाईले अंसार की दर्जा-ब-दर्जा फ़ज़ीलत बयान की जिनमें अव्वलीन दर्जा बनू नज्जार को दिया गया। उन्हीं लोगों में आपकी ननिहाल थी और सबसे पहले जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे ये लोग हथियार बाँधकर आपके इस्तिक़बाल के लिये हाज़िर थे। फिर तमाम क़बाइले अंसार ता'रीफ़ के क़ाबिल हैं जिन्होंने दिलो-जान से इस्लाम की ऐसी मदद की कि तारीख़ में हमेशा के लिये याद रह गए। (रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्ह)

बाब 55 : उस ज़मीन की पैदावार से दसवाँ हिस्सा लेना होगा जिसकी सैराबी बारिश या जारी (नहर, दरया वग़ैरह) पानी से हुई हो और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने शहद में ज़कात को ज़रूरी नहीं जाना

٥٥- بَابُ الْعُشْرِ فِيْمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا

1483. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस बिन यज़ीद ने ख़बर दी, उन्हें शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने, उन्हें उनके वालिद ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया। वो ज़मीन जिसे आसमान (बारिश का पानी) या चश्मा सैराब करता हो। या वो ख़ुद ब ख़ुद नमी से सैराब हो जाती हो तो उसकी पैदावार से दसवाँ हिस्सा लिया जाएगा और वो ज़मीन जिसे कुओं से पानी खींचकर सैराब किया जाता हो तो उसकी पैदावार से बीसवाँ हिस्सा लिया जाए। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी) ने कहा कि ये हदीष या'नी अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीष या'नी अबू सईद की हदीष की तफ़्सीर है। इसमें ज़कात की कोई मिक़्दार मज़्कूर नहीं है और इसमें मज़्कूर है। और ज़्यादती क़ुबूल की जाती है और गोलमोल हदीष का हुक्म साफ़-साफ़ हदीष के मुवाफ़िक़ लिया जाता है। जब उसका रावी षिक़ा हो। जैसे फ़ुज़ैल बिन अब्बास (रज़ि.) ने रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने का'बा में नमाज़ नहीं पढ़ी। लेकिन बिलाल

١٤٨٣- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيْرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ، يَعْنِي حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ ((فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ)) وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ. وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبْتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ)) وَقَالَ بِلاَلٌ : ((قَدْ صَلَّى))

فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ.

(रज़ि.) ने बतलाया कि आपने नमाज़ (का'बा में) पढ़ी थी। इस मौक़े पर बिलाल (रज़ि.) की बात क़ुबूल की गई और फ़ुज़ैल (रज़ि.) का क़ौल छोड़ दिया गया।

तश्रीह : उसूले ह़दीष़ में ये ष़ाबित हो चुका है कि ष़िक़ा और ज़ाबित शख़्स की ज़्यादती मक़्बूल है। इसी बिना पर अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ह़दीष़ है जिसमें ये मज़्कूर है कि ज़कात में माल का कौनसा हिस्सा लिया जाएगा या'नी दसवाँ हिस्सा या बीसवाँ हिस्सा इस ह़दीष़ या'नी इब्ने उमर की ह़दीष़ में ज़्यादती है तो ये ज़्यादती वाजिबुल मक़्बूल होगी। कुछ ने यूँ तर्जुमा किया है ये ह़दीष़ या'नी अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ह़दीष़ पहली ह़दीष़ या'नी इब्ने उमर (रज़ि.) की ह़दीष़ की तफ़्सीर करती है क्योंकि इब्ने उमर (रज़ि.) की ह़दीष़ में निसाब की मिक़्दार मौजूद नहीं है। बल्कि हर एक पैदावार से दसवाँ हिस्सा या बीसवां हिस्सा लिये जाने का ज़िक्र है। चाहे पाँच वस्क़ हो या कम हो। अबू सईद (रज़ि.) की ह़दीष़ में तफ़्सील है कि पाँच वस्क़ से कम में ज़कात नहीं है। तो ये ज़्यादती है और ज़्यादती ष़िक़ा और मो'तबर रावी की मक़्बूल है। (वह़ीदी)

٥٦- بَابُ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

बाब 56 : पाँच वस्क़ से कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ فِيْمَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ)). [راجع: ١٤٠٥]

1474. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रह्मान बिन अबी सअ़सअ़ा ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच वस्क़ से कम में ज़कात नहीं है और पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है और चाँदी के पाँच औक़िया से कम में ज़कात नहीं है।

(राजेअ : 1405)

तश्रीह : अहले ह़दीष़ का मज़हब ये है कि गेहूँ और जौ और जवार और खजूर और अंगूर में जब उनकी मिक़्दार पाँच वस्क़ या ज़्यादा हो तो ज़कात वाजिब है। और उनके सिवा दूसरी चीज़ों में जैसे तरकारियाँ और मेवे वग़ैरह में मुत्लक़न ज़कात नहीं ख़्वाह वो कितने ही हों। क़स्तलानी (रह.) ने कहा मेवों में से सिर्फ़ खजूर और अंगूर में और अनाजों में से हर एक अनाज में जो ज़ख़ीरा रखे जाते हैं जैसे गेहूँ, जौ, जवार, मसूर, माश, या बाजरा, चना, लोबिया वग़ैरह उन सब में ज़कात है और ह़न्फ़िया के नज़दीक पाँच वस्क़ की क़ैद भी नहीं है, क़लील हो या कष़ीर सब में ज़कात वाजिब है। और इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये ह़दीष़ लाकर उनका रद्द किया। (वह़ीदी)

٥٧- بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ

وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟

बाब 57 : खजूर के फल तोड़ने के वक़्त ज़कात ली जाए

और ज़कात की खजूर को बच्चे का हाथ लगाना और उसमें से कुछ खा लेना

1485. हमसे उमर बिन हसन असदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मेरे बाप ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन तह्मान ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास तोड़ने के वक़्त ज़कात की खजूर लाई जाती, हर शख़्स अपनी ज़कात लाता और नौबत यहाँ तक पहुँचती कि खजूर का एक ढेर लग जाता। (एक मर्तबा) हसन और हुसैन (रज़ि.) ऐसी ही खजूरों से खेल रहे थे कि एक ने एक खजूर उठाकर अपने मुँह में रख ली। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज्यों ही देखा तो उनके मुँह से खजूर निकाल ली। और फ़र्माया कि क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि मुहम्मद (ﷺ) की औलाद ज़कात का माल नहीं खा सकती।

(दीगर मक़ाम : 1491, 3082)

١٤٨٥- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيْرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِي فِيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ)).

[طرفاه في : ١٤٩١، ٣٠٧٢].

मा'लूम हुआ कि ये फ़र्ज़ ज़कात थी क्योंकि वही आँहज़रत (ﷺ) की आल पर हराम है। हदीष़ से ये निकला कि छोटे बच्चों को दीन की बातें सिखाना और उनको तम्बीह करना ज़रूरी है।

बाब 57 : जो शख़्स अपना मेवा या खजूर का पेड़ या खेत बेच डाले

٥٨- بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ

हालाँकि उसमें दसवाँ हिस्सा या ज़कात वाजिब हो चुकी हो अब वो अपने दूसरे माल से ये ज़कात करे तो ये दुरुस्त है या वो मेवा बेचे जिसमें सदक़ा वाजिब ही न हुआ हो और आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मेवा उस वक़्त तक न बेचो जब तक उसकी पुख़्तगी न मा'लूम हो जाए और पुख़्तगी मा'लूम हो जाने के बाद किसी को बेचने से आपने मना नहीं फ़र्माया। और यूँ नहीं फ़र्माया कि ज़कात वाजिब हो गई हो तो न बेचे और वाजिब न हुई हो तो बेचे।

وَقَدْ وَجَبَ فِيْهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيْهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا)) فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ.

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) का मतलब ये है कि हर हाल में मालिक को अपना माल बेचना दुरुस्त है ख़्वाह उसमें ज़कात और उ़श्र वाजिब हो गया हो या न हुआ हो। इस हदीष़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने इमाम शाफ़िई (रह.) के क़ौल को रद्द किया जिन्होंने ऐसे माल का बेचना जाइज़ नहीं रखा जिसमें ज़कात वाजिब हो गई हो, जब तक ज़कात अदा न करे। इमाम बुख़ारी (रह.) ने फ़र्माने नबवी (ﷺ) ला तबीउ़ष्षम्रत अल्ख़ के उ़मूम से दलील ली कि मेवे की पुख़्तगी के जब आष़ार मा'लूम हो जाएँ तो उसका बेचना आँहज़रत (ﷺ) ने मुतलक़न दुरुस्त रखा है और ज़कात के वुजूब या अदमे वुजूब की आपने कोई

क़ैद नहीं निकाली। (वहीदी)

1486. हमसे हज्जाज मिन्हाल ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने खजूर को (पेड़ पर) उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया है जब तक उसकी पुख़्तगी ज़ाहिर न हो और इब्ने उमर (रज़ि.) से जब पूछते कि उसकी पुख़्तगी क्या है, वो कहते कि जब ये मा'लूम हो जाए कि अब ये फल आफ़त से बच रहेगा।

(दीगर मक़ाम : 2183, 2194, 2199, 2247, 2249)

١٤٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا)). وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ: ((حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ)).

[أطرافه في : ٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩،

1487. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन युसूफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे लैष ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ख़ालिद बिन यज़ीद ने बयान किया, उनसे अ़ताअ बिन रबाह ने बयान किया कि उनसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल को उस वक़्त तक बेचने से मना फ़र्माया जब तक कि उनकी पुख़्तगी खुल न जाए।

(दीगर मक़ाम : 2189, 2196, 2381)

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا)).

[أطرافه في : ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١].

1488. हमसे क़ुतैबा ने इमाम मालिक से बयान किया, उनसे हुमैद ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब तक फल पर सुर्ख़ी न आए, उन्हें बेचने से मना फ़र्माया है। उन्होंने बयान किया कि मुराद ये है कि जब तक वो पक कर सुर्ख़ न हो जाएँ।

(दीगर मक़ाम : 2190, 2197, 2198, 2208)

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالَ: ((حَتَّى تَحْمَارَّ)).

[أطرافه في : ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨].

या'नी ये यक़ीन न हो जाए कि अब मेवा ज़रूर उतरेगा और किसी आफ़त का डर न रहे। पुख़्ता होने का मतलब ये कि उसके रंग से उसकी पुख़्तगी ज़ाहिर हो जाए। उससे पहले बेचना इसलिये मना हुआ कि कभी कोई आफ़त आती है तो सारा मेवा ख़राब हो जाता है या गिर जाता है। अब गोया मुश्तरी का माल मुफ़्त खा लेना ठहरा।

बाब 59 : क्या आदमी अपनी चीज़ जो सदक़ा में दी हो फिर ख़रीद सकता है? और दूसरे का दिया हुआ सदक़ा ख़रीदे तो कोई हर्ज

٥٩- بَابُ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ

नहीं, क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ास सदक़ा देने वाले को फिर उसके

لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً

ख़रीदने से मना फ़र्माया। लेकिन दूसरे शख़्स को मना नहीं फ़र्माया।

عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

1489. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष ने बयान किया, उनसे अक़ील ने, उनसे शिहाब ने, उनसे सालिम ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते थे कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदक़ा किया, फिर उसे आपने देखा कि वो बाज़ार में फ़रोख़्त हो रहा है, इसलिये उनकी ख़्वाहिश हुई कि उसे वो खुद ही ख़रीद ले। और इजाज़त लेने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपना सदक़ा वापस न लो। इस वजह से अगर इब्ने उमर (रज़ि.) अपना दिया हुआ कोई सदक़ा ख़रीद लेते, तो फिर उसे सदक़ा कर देते थे। (अपने इस्ते'माल में न रखते थे) बाब और हदीष में मुताबक़त ज़ाहिर है।

(दीगर मक़ाम : 2775, 2971, 3002)

١٤٨٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ : ((لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)). فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً)).

[أطرافه في: ٢٧٧٥، ٢٩٧١، ٣٠٠٢].

1490. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक बिन अनस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया, कि मैंने उमर (रज़ि.) को ये कहते सुना कि उन्होंने एक घोड़ा अल्लाह तआला के रास्ते में एक शख़्स को सवारी के लिये दे दिया। लेकिन उस शख़्स ने घोड़े को ख़राब कर दिया। इसलिये मैंने चाहा कि उसे ख़रीद लूँ। मेरा भी ये ख़्याल था कि वो उसे सस्ते दामों में बेच डालेगा। चुनाँचे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसके मुता'ल्लिक़ पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपना सदक़ा वापस न लो। ख़्वाह वो तुम्हें एक दिरहम में क्यों न दे क्योंकि दिया हुआ सदक़ा वापस लेने वाले की मिषाल कै करने के चाटने वाले की सी है।

(दीगर मक़ाम : 2623, 2636, 2970, 3003)

١٤٩٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ - وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ - فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لاَ تَشْتَرِ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ)).

[أطرافه في : ٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣].

बाब की हदीषों से बज़ाहिर ये निकलता है कि अपना दिया हुआ सदक़ा तो ख़रीदना हराम है लेकिन दूसरे का दिया हुआ सदक़ा फ़क़ीर से फ़राग़त के साथ ख़रीद सकता है।

बाब 60 : नबी करीम (ﷺ) और आपकी आल

٦٠- بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ

لِلنَّبِيِّ ﷺ

पर सदक़ा का हराम होना

١٤٩١ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((كِخْ، كِخْ)) لِيَطْرَحَهَا. ثُمَّ قَالَ: ((أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟)). [راجع: ١٤٧٥]

1491. हमसे आदम इब्ने अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि हसन बिन अली (रज़ि.) ने ज़कात की खजूरों के ढेर से एक खजूर उठाकर अपने मुँह में डाल ली तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, छी-छी! निकालो इसे! फिर आपने फ़र्माया कि क्या तुम्हें मा'लूम नहीं कि हम लोग सदक़े का माल नहीं खाते। (राजेअ: 1475)

क़स्तलानी (रह.) ने कहा कि हमारे अस्हाब के नज़दीक सहीह ये है कि फ़र्ज़ ज़कात आप (ﷺ) की आल के लिये हराम है। इमाम अहमद बिन हंबल (रह.) का भी यही क़ौल है। इमाम जा'फ़र सादिक़ से शाफ़िई (रह.) और बैहक़ी (रह.) ने निकाला कि वो सबीलों में से पानी पिया करते। लोगों ने कहा कि ये तो सदक़े का पानी है, उन्होंने कहा हम पर फ़र्ज़ ज़कात हराम है।

٦١ - بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 61 : नबी करीम (ﷺ) की लौण्डी-गुलामों को सदक़ा देना दुरुस्त है

١٤٩٢ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟)) قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا)).

[أطرافه في: ٣٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢].

1492. हमसे सईद बिन उफ़ैर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वुहैब ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, कहा मुझसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मैमूना (रज़ि.) की बान्दी को जो बकरी सदक़ा में किसी ने दी थी वो मरी हुई देखी। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोग इसके चमड़े को क्यों नहीं काम में लाए। लोगों ने कहा कि ये तो मरी हुई है। आपने फ़र्माया कि हराम तो सिर्फ़ इसका खाना है।

(दीगर मक़ाम : 3221, 5531, 5532)

١٤٩٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرَادَ

1493. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे हकम बिन उतैबा ने बयान किया, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि उनका इरादा हुआ कि बरीरा (रज़ि.) जो बान्दी थीं) आज़ाद कर देने के लिये ख़रीद लें। लेकिन उसके

مَوَالِيَهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ، فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [راجع: ٤٥٦]

अस़ल मालिक ये चाहते थे कि वलाअ उन्हीं के लिये रहे। इसका ज़िक्र आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से किया। तो आपने फ़र्माया कि तुम ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वलाअ उसी की होती है जो आज़ाद करे। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में गोश्त पेश किया गया। मैंने कहा कि ये बरीरा (रज़ि.) को किसी ने स़दक़ा के त़ौर पर दिया है तो आपने फ़र्माया कि ये उनके लिये स़दक़ा था, लेकिन अब हमारे लिये ये हदिया है। (राजेअ : 456)

गुलाम के आज़ाद कर देने के बाद मालिक और आज़ादशुदा गुलाम में भाईचारे के रिश्ते को वलाअ कहा जाता है। गोया गुलाम आज़ाद होने के बाद भी अस़ल मालिक से कुछ न कुछ रिश्ता रहता है। इस पर आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तो उस शख़्स का ह़क़ है जो उसे ख़रीदकर आज़ाद कर रहा है अब भाईचारे का रिश्ता अस़ल मालिक की बजाय इस ख़रीदकर आज़ाद करने वाले से होगा। बाब और ह़दीष़ में मुत़ाबक़त ज़ाहिर है।

٦٢- بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

बाब 62 : जब स़दक़ा मुहताज की मिल्क हो जाए

١٤٩٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ: ((هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟)) فَقَالَتْ: لاَ، إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)). [راجع: ١٤٤٦]

1494. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़रीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे ह़फ़्स़ा बिन्ते सीरीन ने और उनसे उम्मे अ़तिया अन्स़ारिया (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ लाए और दरयाफ़्त फ़र्माया कि क्या तुम्हारे पास कुछ है? आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि नहीं कोई चीज़ नहीं। हाँ नुसैबा (रज़ि.) का भेजा हुआ उस बकरी का गोश्त है जो उन्हें स़दक़े के त़ौर पर मिली है। तो आपने फ़र्माया लाओ ख़ैरात तो अपने ठिकाने पहुँच गई। (राजेअ : 1446)

मा'लूम हुआ कि स़दक़ा का माल यक़ीनी त़ौर पर मालदारों की तह़वील में भी आ सकता है क्योंकि वो मुह़ताज आदमी की मिल्कियत में होकर अब किसी को भी मिस्कीन की त़रफ़ से दिया जा सकता है।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ)). وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

1495. हमसे यह़्या बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वकीअ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, क़तादा से और वो अनस (रज़ि.) से कि नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में वो गोश्त पेश किया गया जो बरीरा (रज़ि.) को स़दक़ा के त़ौर पर मिला था। आपने फ़र्माया कि ये गोश्त उन पर स़दक़ा था। लेकिन हमारे लिये ये हदिया है। अबू दाऊद ने कहा कि हमें शुअ़बा ने ख़बर दी। उन्हें क़तादा ने कि उन्होंने अनस (रज़ि.)

سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[طرفه في : ٢٥٧٧].

से सुना, वो नबी करीम (ﷺ) से बयान करते थे।

(दीगर मक़ाम : 2577)

मक़्सद ये है कि सदक़ा मिस्कीन की मिल्कियत में आकर अगर किसी को बतौरे तोहफ़ा पेश कर दिया जाए तो जाइज़ है अगरचे वो तोहफ़ा पाने वाला ग़नी ही क्यों न हो।

٦٣- بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

बाब 63 : मालदारों से ज़कात वसूल की जाए और फ़ुक़रा पर ख़र्च कर दी जाए ख़्वाह वो कहीं भी हो

١٤٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ)) [راجع: ١٣٩٥].

1496. हमसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें ज़करिया इब्ने इस्हाक़ ने ख़बर दी, उन्हें यह्या बिन अब्दुल्लाह बिन सैफ़ी ने, उन्हें इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम अबू मअ़बद ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मआ़ज़ (रज़ि.) को जब यमन भेजा, तो उनसे फ़र्माया कि तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। इसलिये जब तुम वहाँ पहुँच जाओ तो पहले उन्हें दा'वत दो कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो इस बात में जब तुम्हारी बात मान लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह तआ़ला ने उन पर रोज़ाना दिन रात में पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो उन्हें बताओ कि उनके लिये अल्लाह तआ़ला ने ज़कात देना ज़रूरी क़रार दिया है, ये उनके मालदारों से ली जाएगी और उनके ग़रीबों पर ख़र्च की जाएगी। फिर जब वो उसमें भी तुम्हारी बात मान लें तो उनके अच्छे माल लेने से बचो और मज़्लूम की आह से डरो कि उसके और अल्लाह तआ़ला के बीच कोई रुकावट नहीं होती। (राजेअ़ : 1395)

तश्रीह : इस हदीष़ के ज़ेल मौलाना उ़बैदुल्लाह साह़ब (रह.) फ़र्माते हैं क़ालल्हाफ़िज़ु उस्तुदिल्ल बिही अला अन्नल्इमाम हुवल्लज़ी यतवल्ला क़ब्ज़ज़्ज़काति व सर्फ़िहा अम्मा बिनफ़्सिही व अम्मा बिनाइबिही फ़मन इम्तनअ मिन्हा उख़िज़त मिन्हु क़हरन या'नी हाफ़िज़ इब्ने हजर ने कहा कि इस हदीष़ के जुम्ले तूख़ज़ु मिन अगनियाइहिम से दलील ली गई है कि ज़कात इमामे वक़्त वसूल करेगा और वही उसे उसके मसारिफ़ में ख़र्च करेगा। वो

ख़ुद करे या अपने नायब से कराए। अगर कोई ज़कात उसे न दे तो वो ज़बरदस्ती उससे वसूल करेगा। कुछ लोगों ने यहाँ जानवरों की ज़कात मुराद ली है और सोने–चाँदी की ज़कात में मुख़्तार क़रार दिया है। **फ़इन उद्दिय जकातुहुमा बुफ़्रयतन यज्ज़उल्लाहु** लेकिन हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं, **वज़्ज़ाहिरू इन्दी अन्न विलायत अख़्ज़िल्इमामि ज़ाहिरतुन बातिनतुन फइल्लम यकुन इमामुन फर्रकहल्मालिकु फ़ी मसारिफ़िहा व क़द हक़्क़क़ ज़ालिकश्शौकानी फिस्सैलिल जरारि बिमा ला मज़ीद अलैहि फल्यर्ज़िअ इलैहि.** या'नी मेरे नज़दीक तो ज़ाहिर व बातिन हर क़िस्म के अम्वाल के लिये इमामे वक़्त की तौलियत ज़रूरी है। और अगर इमाम न हो (जैसे कि दौरे हाज़रा में कोई इमाम ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन नहीं) तो मालिक को इख़्तियार है कि उसके मसारिफ़ में ख़ुद उस माले ज़कात को ख़र्च कर दे इस मसले को इमाम शौकानी (रह.) ने सैलुल जरार में बड़ी ही तफ़्सील के साथ लिखा है जिससे ज़्यादा मुम्किन नहीं। जो चाहे उधर रुजूअ कर सकता है।

ये मसला कि अम्वाले ज़कात को दूसरे शहरों में भेजना जाइज़ है या नहीं, इस बारे में भी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मसलक इस बाब से ज़ाहिर है कि मुसलमान फ़ुक़रा जहाँ भी हों उन पर वो ख़र्च किया जा सकता है। हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) के नज़दीक **तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम** की ज़मीर अहले इस्लाम की तरफ़ लौटती है, **क़ाल इब्नुल्मुनीर इख़तारल्बुख़ारी जवाज़ नक़्लिज़्ज़काति मिम्बलदिल्मालि लिउमूमि कौलिही फतुरद्दु फ़ी फुकराइहिम लिअन्नज़्ज़मीर यऊदु लिल्मुस्लिमीन फअय्यु फकीरिन मिन्हुम रूद्दत फीहिस्सदक़तु फी अय्यि जिहातिन कान फक़द वाफ़क़ उमूमुल्हदीषि इन्तिहा.**

अल मुहद्दिषुल कबीर अब्दुर्रहमान साहब (रह.) फ़र्माते है, **वज़्ज़ाहिरू इन्दी अदमुन्नक़्लि इल्ला इज़ा फक़दल्मुस्तहिक़्क़ुन लहा औ तकूनु फिन्नक़्लि मस्लहतुन अन्फ़उ व अहम्मु मिन अदमिही वल्लाहु तआला आलमु.** (मिर्आत, जिल्द 3, पेज 4) या'नी ज़कात नक़ल न होनी चाहिये मगर जब मुस्तहिक़्क़ीन मफ़्क़ूद हों या नक़ल करने में ज़्यादा फ़ायदा हो।

बाब 64 : इमाम (हाकिम) की तरफ़ से ज़कात देने वाले के हक़ में दुआ-ए-ख़ैरो–बरकत करना

٦٤- بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

अल्लाह तआला का (सूरह तौबा में) इर्शाद है कि आप उनके माल से ख़ैरात लीजिए जिसके ज़रिये आप उन्हें पाक करें और उनका तज़्किया करें और उनके हक़ में ख़ैरो–बरकत की दुआ आख़िर आयत तक.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ الآيَةَ [التوبة : ١٠٣].

1497. हमसे हफ़्स बिन उमर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने अम्र बिन मुर्रह से बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन औफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि जब कोई क़ौम अपनी ज़कात लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होती तो आप उनके लिये दुआ फ़र्माते। ऐ अल्लाह! आले फ़लाँ को ख़ैरो–बरकत अता फ़र्मा, मेरे वालिद भी अपनी ज़कात लेकर हाज़िर हुए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा को ख़ैरो-बरकत अता फ़र्मा। (दीगर मक़ाम : 4166, 6232, 6359)

١٤٩٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ)). فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى)).

[أطرافه في : ٤١٦٦، ٦٢٣٢، ٦٣٥٩].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने षाबित किया है कि रसूले करीम (ﷺ) के बाद भी ख़ुलफ़-ए-इस्लाम के लिये मुनासिब है कि वो ज़कात अदा करने वालों के हक़ में ख़ैरो–बरकत की दुआएँ करें। लफ़्ज़ इमाम से ऐसे ही ख़लीफ़-ए-इस्लाम मुराद हैं जो फ़िल वाक़ेअ मुसलमानों के लिये **इन्नमल इमामु जुन्नतुन युक़ातिलु मिंव्वराइही** (इमाम लोगों के लिये ढाल है जिसके पीछे होकर लड़ाई की जाती है) के मिस्दाक़ हों।

ज़कात इस्लामी स्टेट के लिये और उसके बैतुलमाल के लिये एक अहम ज़रिय-ए-आमदनी है जिसके वजूद पज़ीर होने से मिल्लत के कितने ही मसाइल हल होते हैं । अहदे रिसालत और फिर अहदे ख़िलाफ़ते राशिदा के तजुर्बात इस पर शाहिदे आदिल हैं। मगर सद अफ़सोस कि अब न तो कहीं वो सहीह इस्लामी निज़ाम और न वो हक़ीक़ी बैतुलमाल है। इसलिये ख़ुद मालदारों के लिये ज़रूरी है कि वो अपनी दयानत के पेशे–नज़र ज़कात निकालें और जो मसारिफ़ हैं उनमें दयानत के साथ ख़र्च करें। दौरे हाज़िर में किसी मौलवी या मस्जिद के पेश इमाम या किसी मदरसे के मुदर्रिस को इमामे वक़्त ख़लीफ़ा-ए-इस्लाम तसव्वुर करके और ये समझकर के उनको दिये बग़ैर ज़कात अदा न होगी, ज़कात उनके हवाले करना बड़ी नादानी बल्कि अपनी ज़कात को ग़ैर मस्रफ़ में ख़र्च करना है।

बाब 65 : जो माल समुन्दर से निकाला जाए

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि अम्बर को रिकाज़ नहीं कह सकते अम्बर तो एक चीज़ है जिसे समुन्दर किनारे पर फेंक देता है.

और इमाम हसन बसरी (रह) ने कहा अम्बर और मोती मे पाँचवाँ हिस्सा लाज़िम है। हालाँकि आँहज़रत (ﷺ) ने रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा मुक़र्रर फ़र्माया है तो रिकाज़ उसको नहीं कहते जो पानी में मिले।

1498. और लैष ने कहा कि मुझसे जा'फ़र बिन रबीआ ने बयान किया, उन्होंने अब्दुर रहमान बिन हुर्मुज़ से, उन्होंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से, उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से कि बनी इस्राईल में एक शख़्स था जिसने दूसरे बनी इस्राईल के शख़्स से हज़ार अशरफ़ियाँ क़र्ज़ माँगीं। उसने अल्लाह के भरोसे पर उसको दे दीं। अब जिसने क़र्ज़ लिया था वो समुन्दर पर गया कि सवार हो जाए और क़र्ज़ ख़्वाह का क़र्ज़ अदा करे लेकिन सवारी न मिली। आख़िर उसने क़र्ज़ ख़्वाह तक पहुँचने से नाउम्मीद होकर एक लकड़ी ली उसको कुरैदा और हज़ार अशरफ़ियाँ उसमें भरकर वो लकड़ी समुन्दर में फेंक दी। इत्तिफ़ाक़ से क़र्ज़ख़्वाह काम काज को बाहर निकला, समुन्दर पर पहुँचा तो एक लकड़ी देखी और उसको घर में जलाने के ख़्याल से ले आया। फिर पूरी हदीष बयान की। जब लकड़ी को चीरा तो उसमें अशरफ़ियाँ पाईं।

(दीगर मक़ाम : 2063, 2291, 2430, 2734, 6261)

٦٥- بَابُ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ: فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.

١٤٩٨- وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ)).

[أطرافه في : ٢٠٦٣، ٢٢٩١، ٢٤٣٠، ٢٧٣٤، ٦٢٦١].

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ये षाबित फ़र्माना चाहते हैं कि दरिया मे से जो चीज़ें मिलें अम्बर, मोती वग़ैरह उनमें ज़कात नहीं है और जिन हज़रात ने ऐसी चीज़ों को रिकाज़ में शामिल किया है उनका क़ौल सहीह नहीं। हज़रत

इमाम इस दलील में ये इस्राईली वाक़िया लाए हैं जिसके बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं,

कालल्इस्माईली लैस फ़ी हाजल्हदीषि शैउन युनासिबुत्तर्जुमत रजुलुन इक्तरज़ कर्ज़न फर्तजअ कर्ज़हू व कज़ा कालद्दावुदी हदीषुल्ख़श्बति लैस मिन हाज़ल्बाबि फ़ी शैइन व अजाब अब्दुल्मलिक बिअन्नहू अशार बिही इला अन्न कुल्ल माअल्क़ाहूल्बहरू जाज़ अख़्ज़ुहू व ला खुम्स फ़ीहि... (फ़त्हुल बारी)

या'नी इस्माईली ने कहा कि इस हदीष में बाब से कोई वजहे मुनासबत नहीं है ऐसा ही दाऊदी ने भी कहा कि हदीष ख़श्बा को (लकड़ी जिसमें रुपया मिला) उससे कोई मुनासबत नहीं। अब्दुल मलिक ने उन हज़रात को ये जवाब दिया है कि उसके ज़रिये से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये इशारा किया है कि हर वो चीज़ जिसे दरिया बाहर फेंक दे उसका लेना जाइज़ है और उसमें ख़ुम्स नहीं है इस लिहाज़ से हदीष और बाब में मुनासबत मौजूद है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **व जहबल्जुम्हूरु इला अन्नहू ला यजिबु फ़ीहि शैउन** या'नी जुम्हूर इस तरफ़ गए हैं कि दरिया से जो चीज़ें निकाली जाएँ उनमें ज़कात नहीं है।

इस्राईली हज़रात का ये वाक़िया क़ाबिले इबरत है कि देने वाले ने महज़ अल्लाह की ज़मानत पर उसको एक हज़ार अशरफ़ियाँ दे डालीं और उसकी अमानत व दयानत को अल्लाह ने इस तरह षाबित रखा कि लकड़ी को अशरफ़ियों के साथ क़र्ज़ देने वाले तक पहुँचा दिया और उसने इसी तरह अपनी अशरफ़ियों को वसूल कर लिया। फ़िल वाक़ेअ अगर क़र्ज़ लेने वाला वक़्त पर अदा करने की सही निय्यत दिल में रखता हो तो अल्लाह पाक ज़रूर ज़रूर किसी न किसी ज़रिये से ऐसे सामान मुहय्या करा देता है कि वो अपने इरादे में कामयाब हो जाता है। ये मज़्मून एक हदीष में भी आया है। मगर आजकल ऐसे दयानतदार ओनक़ा हैं। इल्ला माशा अल्लाह वबिल्लाहित्तौफ़ीक़।

बाब 66 : रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा वाजिब है

٦٦- بَابُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

और इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) ने कहा रिकाज़ जाहिलियत के ज़माने का ख़ज़ाना है। उसमें थोड़ा माल निकले या बहुत पाँचवाँ हिस्सा लिया जाएगा और खान रिकाज़ नहीं है। और आँहज़रत (ﷺ) ने खान के बारे में फ़र्माया उसमें अगर कोई गिर कर या काम करता हुआ मर जाए तो उसकी जान मुफ़्त गई। और रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा है। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़लीफ़ा खानों में से चालीसवाँ हिस्सा लिया करते थे। दो सौ रुपयों में से पाँच रुपया। और इमाम हसन बसरी (रह.) ने कहा जो रिकाज़ दारुल हरब मे पाए तो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा लिया जाए और जो अमन और सुलह के मुल्क मे मिले तो उसमें से ज़कात चालीसवाँ हिस्सा ली जाए। और अगर दुश्मन के मुल्क में पड़ी हुई चीज़ मिले तो उसको पहुँचवा दे (शायद मुसलमान का माल हो) अगर दुश्मन का माल हो तो उसमें से पाँचवाँ हिस्सा अदा करे। और कुछ लोगों ने कहा मअदिन भी रिकाज़ है जाहिलियत के दफ़ीने की तरह क्योंकि अरब लोग कहते हैं अरकज़ल मअदिन जब उसमें से कोई चीज़ निकले। उनका जवाब ये है अगर किसी

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيْهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيْهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيْهَا الْخُمُسُ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ

إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ وَ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ. ثُمَّ نَاقَضَهُ وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.

शख़्स को कोई चीज़ हिबा की जाए या वो नफ़ा कमाए या उसके बाग़ में मेवा बहुत निकले। तो कहते हैं अरकज़्त (हालाँकि ये चीज़ें बिल इत्तिफ़ाक़ रिकाज़ नहीं हैं) फिर उन लोगों ने अपने क़ौल के आप ख़िलाफ़ किया। कहते हैं रिकाज़ का छुपा लेना कुछ बुरा नहीं पाँचवाँ हिस्सा न दे।

तश्रीह : ये पहला मौक़ा है कि इमामुल मुहद्दिषीन अमीरुल मुज्तहिदीन हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने लफ़्ज़े 'बअ़ज़ुन्नास' का इस्ते'माल किया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ाल इब्नुत्तीनु अल्मुरादु बिबअजिन्नासि अबू हनीफ़त कुल्तु व हाज़ा अव्वलु मौज़इन जकरहू फीहिल्बुख़ारी बिहाजिहिस्सीगति व यहतमिलु अंय्युरीद बिही अबा हनीफ़त व गैरिही मिनल्कूफ़ीयीन म्मिन क़ाल बिज़ालिक काल अबू हनीफ़त वष्षौरी व गैरुहुमा इला अन्नल्मअदिन कर्रिकाज़ि वहतज्ज लहुम बिकौलिल्अरबि रकज़लिरजुलिन इज़ा असाब रकाज़न व हिय कित्उम्मिनज़्ज़हबि तख़रजु मिनल्मअदिनि व हुज्जतुल्लिल्जुम्हूरि व तफ्रंकंतुन्नबिय्यि (ﷺ) बैनल्मअदिनि वर्रकाज़ि बिवाबिल्अत्फ़ि फ़सह्ह अन्नहू गैरूहू ....** (फ़त्हुल बारी)

या'नी इब्ने तीन ने कहा कि मुराद यहाँ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) कहते हैं कि ये पहला मौक़ा है कि इनको इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस सेग़े के साथ बयान किया है और ये भी अन्देशा है कि उससे मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और उनके अ़लावा दूसरे कूफ़ी भी हों जो ऐसा कहते हैं। इब्ने बत्ताल ने कहा कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और षौरी वग़ैरह हमने कहा कि मअ़दिन या'नी खान भी रिकाज़ (दफ़ीना, भूमिगत ख़ज़ाना) में दाख़िल है क्योंकि जब कोई शख़्स खान से कोई सोने का डला पा ले तो अ़रब लोग बोलते हैं, **रकज़र्रजुलु** फलां को रिकाज़ मिल गया और वो सोने का टुकड़ा होता है जो खान से निकलता है। और जुम्हूर की दलील इस बारे में ये है कि नबी करीम (ﷺ) ने मअ़दिन और रिकाज़ का वाव अ़तफ़ के साथ अलग अलग ज़िक्र किया गया है। पस सहीह ये हुआ कि मअ़दिन और रिकाज़ दो अलग अलग हैं।

रिकाज़ वो पुराना दफ़ीना जो किसी को मिल जाए उसमें से बैतुलमाल में पाँचवाँ हिस्सा दिया जाएगा और मअ़दिन खान को कहते हैं। दोनों में फ़र्क़ ज़ाहिर है। पस उनका हुक्म भी अलग अलग है। ख़ुद रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्मा दिया कि जानवर से जो नुक़्सान पहुँचे उसका कुछ बदला नहीं और कुँए का भी मुआफ़ है और खान के हादषे में कोई मर जाए तो उसका भी यही हुक्म है और रिकाज़ में पाँचवाँ हिस्सा है। इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर है कि मअ़दिन और रिकाज़ दो अलग अलग हैं।

हज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह साहब शैख़ुल हदीष (रह.) फ़र्माते हैं,

वहतज्जल्जुम्हूरू अयजन बिअन्नर्रिकाज़ फी अहलि लुगतिल्हिजाज़ि हुव दफ़ीनुल्जाहिलिय्यति व ला शक्क फी अन्नन्नबिय्यल्हिजाज़ी (ﷺ) तकल्लम बिलुगतिल्हिजाज़ि व अराद बिही मा युरीदून मिन्हु काल इब्नुअषीरुल्जौज़ी फिन्निहायति अर्रिकाज़ु इन्द अहलिल्हिजाज़ि कुनूज़ुल्जाहिलिय्यतिल्मदफ़ूना फिल्अर्ज़ि व इन्द अहलिल्इराक़ि अल्मआदिनु वल्कौलानि तहतमिलुहुमल्लगतु लिअन्न कुल्लम्मिन्हुमा मर्कूज़ुन फिल्अर्ज़ि अय षाबितुन युक़ालु रकज़हू युर्कुज़ुहू रकज़न इज़ा दफ़नहू व अर्कज़र्रजुलु इज़ा वजदर्रिकाज़ वल्हदीषु इन्नमा जाअ फित्तफ़्सीरिल्अव्वलि व हुवल्कन्ज़ुल्जाहिलिय्यु व इन्नमा कान फ़ीहि अल्खुम्सु लिकष्रति नफ्इही व सुहूलति अख़्ज़िही. (मिर्आत, जिल्द 3, पेज 63)

या'नी जुम्हूर ने इससे भी हुज्जत पकड़ी है कि हिजाज़ियों की लुग़त में रिकाज़ जाहिलियत के दफ़ीने पर बोला जाता है। और कोई शक नहीं कि रसूले करीम (ﷺ) भी हिजाज़ी हैं और आप अहले हिजाज़ ही की लुग़त में कलाम फ़र्माते थे। इब्ने अषीर जज़री ने कहा कि अहले हिजाज़ के नज़दीक रिकाज़ जाहिलियत के गड़े हुए ख़ज़ानों पर बोला जाता है और अहले इराक़ के यहाँ खानों पर भी और लुग़्वी ए'तिबार से दोनों का एहतिमाल है इसलिये कि दोनों ही ज़मीन में गड़े हुए होते हैं और हदीषे

मज़्कूर तफ़्सीरे अव्वल (या'नी अहदे जाहिलियत के दफ़ीनों) ही के बारे में है और वो कन्ज़े जाहिली है और उसमें ख़ुम्स है इसलिये उसका नफ़ा कष़ीर है और वो आसानी से ह़ासिल हो जाता है।

इस सिलसिले में अह़नाफ़ के भी कुछ दलाइल हैं जिनकी बिना पर वो मअ़दिन को भी रिकाज़ में दाख़िल करते हैं क्योंकि लुग़त में **अरकज़ल मअ़दिनु** इस्तेमाल हुआ है जब खान से कोई चीज़ निकले तो कहते हैं, **अरकज़ल मअ़दिनु** हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने उसका इल्ज़ामी जवाब दिया है कि लफ़्ज़े अरकज़ तो मिजाज़न कुछ बार बड़े नफ़े पर भी बोला जाता है। वो बड़ा नफ़ा किसी को किसी की बख़्शिश से ह़ासिल हो या तिजारती मुनाफ़े से हो या कष़रते पैदावार से ऐसे मौक़ों पर भी लफ़्ज़ **अर्कज़्त** बोल देते हैं या'नी मुझे ख़ज़ाना मिल गया। तो क्या इस त़रह बोल देने से उसे भी रिकाज़ में दाख़िल नहीं है। उसका मज़ीद षुबूत ख़ुद ह़नफ़ी ह़ज़रात का ये फ़त्वा है कि खान कहीं पोशीदा जगह में मिल जाए तो पाने वाला उसे छुपा भी सकता है और उनके फ़त्वे के मुत़ाबिक़ जो पाँचवाँ ह़िस्सा उसे अदा करना ज़रूरी था, उसे वो अपने ही ऊपर ख़र्च कर सकता है। ये फ़त्वा भी दलालत कर रहा है कि रिकाज़ और मअ़दिन दोनों अलग अलग हैं। चंद रिवायात भी हैं जो मसलके ह़न्फ़िया की ताईद में पेश की जाती हैं। लेकिन सनद के ए'तिबार से वो बुख़ारी शरीफ़ की रिवायाते मज़्कूरा के बराबर नहीं हैं। लिहाज़ा उनसे इस्तिदलाल ज़ईफ़ है।

सारे तूले–त़वील मबाह़िष़ (लम्बी-चौड़ी बहष़) के बाद ह़ज़रत शैख़ुल ह़दीष़ मौसूफ़ फ़र्माते हैं,

वल्कौलुर्राजिहु इन्दना हुव मा ज़हब इलैहिल्जुम्हूरू मिन अन्नर्रिकाज़ हुव कन्ज़ुल्जाहिलिय्यति अल्मौज़ूउ फिल्अर्जि व अन्नहू ला यउम्मुल्मअदिनु बल हुव ग़ैरूहू वल्लाहु तआला आलम या'नी हमारे नज़दीक रिकाज़ के बारे में जुम्हूर ही का क़ौल राजेह़ है कि वो दौरे जाहिलियत के दफ़ीने हैं जो पहले लोगों ने ज़मीन में दफ़न कर दिये हैं। और लफ़्ज़ रिकाज़ में मअ़दिन दाख़िल नहीं है बल्कि दोनों अलग अलग हैं और रिकाज़ में ख़ुम्स है।

रिकाज़ के बारे में और भी बहुत सी तफ़्सीलात है कि उसका निस़ाब क्या है? क़लील या कष़ीर में कुछ फ़र्क़ है या नहीं? और उस पर साल गुज़रने की क़ैद है या नहीं? और वो सोने-चाँदी के अलावा लोहा, तांबा, सीसा, पीतल वग़ैरह को भी शामिल है या नहीं? और रिकाज़ का मस्रफ़ क्या है? और क्या हर पाने वाले पर इसमें ख़ुम्स वाजिब है? पाने वाला गुलाम हो या आज़ाद हो, मुस्लिम हो या ज़िम्मी हो? रिकाज़ की पहचान क्या है? क्या ये ज़रूरी है कि उसको सिक्कों पर पहले किसी बादशाह का नाम या उसकी तस्वीर या कोई और अलामत होनी ज़रूरी है वग़ैरह वग़ैरह इन सारी बहष़ों के लिये अहले इल्म ह़ज़रात मिर्आत जिल्द नं. 3 पेज 64,65 का मुत़ालआ करें जहाँ ह़ज़रत मौलाना उ़बैदुल्लाह (रह.) ने तफ़्सील के साथ रोशनी डाली है जज़ाहुल्लाह ख़ैरुल जज़ा फ़िद्दारेन। मैं अपने मुख़्तस़र स़फ़्ह़ात में तफ़्सीले मज़ीद से क़ास़िर हूँ और अवाम के लिये मैंने जो लिख दिया है वो काफ़ी समझता हूँ।

1499. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया, और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जानवर से जो नुक़्स़ान पहुँचे उसका कुछ बदला नहीं और कुँए का भी यही ह़ाल है और कान का भी यही हुक्म है और रिकाज़ से पाँचवाँ ह़िस्सा लिया जाए।

١٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)).

[أطرافه في : ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣].

बाब 67 : अल्लाह तआ़ला ने सूरह तौबा में

٦٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

फ़र्माया ज़कात के तहसीलदारों को भी ज़कात से दिया जाएगा।

١٥٠٠- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ)). [راجع: ٩٢٥]

1500. हमसे यूसुफ़ बिन मूसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया, उनसे उनके बाप उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उनसे हज़रत अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बनी असद के एक शख़्स अब्दुल्लाह बिन लुत्बिया को बनी सुलैम की ज़कात वसूल करने पर मुक़र्रर किया। जब वो आए तो आपने उनसे हिसाब लिया। (राजेअ : 925)

तश्रीह : ज़कात वसूल करने वालों से हाकिमे इस्लाम हिसाब लेगा ताकि मामला साफ़ रहे, किसी को बदगुमानी का मौक़ा न मिले। इब्ने मुनीर ने कहा कि अन्देशा है कि आमिले मज़्कूर ने ज़कात में से कुछ अपने मसारिफ़ में ख़र्च कर दिया हो, लिहाज़ा उससे हिसाब लिया गया। कुछ रिवायात से ये भी जाहिर है कि कुछ माल के बारे में उसने कहा था कि ये मुझे बतौर तोहफ़ा मिला है, लिहाज़ा उस पर हिसाब लिया गया और तोहफ़े के बारे में फ़र्माया गया कि ये सब बैतुलमाल ही का है जिसकी तरफ़ से तुमको भेजा गया था। तोहफ़े में तुम्हारा कोई हक़ नहीं।

٦٨- بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

बाब 68 : ज़कात के ऊँटों से मुसाफ़िर लोग काम ले सकते हैं और उनका दूध पी सकते हैं

١٥٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوا الْمَدِينَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ. فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ)). تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ.

1501. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे शुअबा ने कहा कि हमसे क़तादा ने बयान किया, और उनसे अनस (रज़ि.) ने कि उरैना के कुछ लोगों को मदीना की आबो हवा मुवाफ़िक़ नहीं आई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें उसकी इजाज़त दे दी कि वो ज़कात के ऊँटों में जाकर उनका दूध और पेशाब इस्ते'माल करें (क्योंकि वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला थे जिसकी दवा यही थी) लेकिन उन्होंने (उन ऊँटों के) चरवाहे को मार डाला और ऊँटों को लेकर भाग निकले। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए आख़िर वो लोग पकड़ लिये गये। आँहुज़ूर (ﷺ) ने उनके हाथ और पाँव कटवा दिये और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फिरवा दीं फिर उन्हें धूप में डलवा दिया (जिसकी शिद्दत की वजह से) वो पत्थर चबाने लगे थे। इस

रिवायत की मुताबअ़त अबू क़लाबा ष़ाबित और हुमैद ने अनस (रज़ि.) के वास्ते से की है। (राजेअ़ : 233)

तश्रीह : आँहज़रत (ﷺ) ने उनको मुसाफ़िर और बीमार जानकर ज़कात के ऊँटों की चरागाह में भेज दिया क्योंकि वो मर्ज़े इस्तिस्क़ा के मरीज़ थे। मगर वहाँ उन ज़ालिमों ने न सिर्फ़ ऊँटों के मुहाफ़िज़ को क़त्ल किया बल्कि उसका मुष़्ला कर डाला और ऊँटों को लेकर भाग गए। बाद में पकड़े गए और क़िसास़ में उनको ऐसी ही सज़ा दी गई।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने इससे ष़ाबित फ़र्माया कि मुसाफ़िरों के लिये ज़कात के ऊँटों का दूध वग़ैरह दिया जा सकता है और उनकी सवारी भी उन पर हो सकती है। **गरज़ुल्मुस़न्निफ़ि फ़ी हाज़ल्बाबि इष़्बातु वज़्इस्सदक़ति फ़ी सिन्फ़िन वाहिदिन लिमन क़ाल यजिबु इस्तीआबुल्अस्नाफ़िष़्ष़मानियह** (फ़त्हुल बारी) या'नी मुसन्निफ़ का मक़्सद इस बाब से ये निकलता है कि अम्वाले ज़कात को सिर्फ़ एक ही मस्रफ़ पर भी ख़र्च किया जा सकता है बरख़िलाफ़ उनके जो आठों मस़ारिफ़ का इस्तीआब ज़रूरी जानते हैं। उन लोगों की ये संगीन सज़ा क़िसास़ ही में थी और बस।

बाब 69 : ज़कात के ऊँटों पर हाकिम का अपने हाथ से दाग़ देना

٦٩– بَابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

1502. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अम्र औज़ाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं अ़ब्दुल्लाह बिन अबी त़लहा को लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ कि आप उनकी तह्नीक कर दें। (या'नी अपने मुँह से कोई चीज़ चबाकर उनके मुँह में डाल दें) मैंने उस वक़्त देखा कि आपके हाथ में दाग़ लगाने का आला था और आप ज़कात के ऊँटों पर दाग़ लगा रहे थे।

(दीगर मक़ाम : 5542, 5824)

١٥٠٢– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((غَدَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ)).

[طرفاه في : ٥٥٤٢، ٥٨٢٤].

मा'लूम हुआ कि जानवर को ज़रूरत से दाग़ देना दुरुस्त है और इससे हन्फ़िया का रद्द हुआ जिन्होंने दाग़ देने को मकरूह और उसको मुष़्ला समझा है। (वहीदी) और बच्चों के लिये तह्नीक भी सुन्नत है कि खजूर वग़ैरह कोई चीज़ किसी नेक आदमी के मुँह से कुचलवाकर बच्चे के मुँह में डाली जाए ताकि उसको भी नेक फ़ित़रत हासिल हो।

बाब 70 : स़दक़-ए-फ़ित्र का फ़र्ज़ होना

٧٠– بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

अबुल आ़लिया, अ़ता और इब्ने सीरीन (रह.) ने भी स़दक़-ए-फ़ित्र को फ़र्ज़ समझा है।

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيْرِيْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيْضَةً

तश्रीह : हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुज़्ज़कात को ख़त्म फ़र्माते हुए स़दक़-ए-फ़ित्र के मसाइल भी पेश कर दिये, **मन तज़क्का व जकरस्म रब्बिही फ़सल्ला रूविय अन इब्नि उमर व अम्रिब्नि औफ़िन काला नज़लत फ़ि जकातिल्फ़ित्रि व रूविय अन अबिल्आलियह व इब्निल्मुसय्यिब व इब्नि सीरीन व ग़ैरिहिम क़ालू युअता**

सदक़तुल्फ़ितरि षुम्म युसल्ली रवाहुल्बैहक़ी व ग़ैरूहू (मिर्आत) या'नी कुर्आनी आयत, **फ़लाह पाई उस शख़्स ने जिसने तज़्किया हासिल किया और अपने रब का नाम याद किया और नमाज़ पढ़ी।** हज़रात अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) और अम्र बिन औफ़ (रज़ि.) कहते हैं कि ये आयात सदक़-ए-फ़ित्र के बारे में नाज़िल हुई हैं। ये हज़रात ये भी कहते हैं कि पहले सदक़-ए-फ़ित्र अदा किया जाए और फिर नमाज़ पढ़ी जाए। लफ़्ज़ **तज़क्का** के तज़्किया से रोज़ों को पाक साफ़ करना मुराद है जिसके लिये सदक़-ए-फ़ित्र अदा किया जाता है।

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं **फ़रज़ रसूलुल्लाहि (ﷺ) ज़कातल्फ़ितरि तुहरतुल्लिस्साइमि मिनल्लगवि वर्रफ़षि वल्हदीष रवाहु अबू दाऊद वब्नु माजा** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़काते फ़ित्र को फ़र्ज़ क़रार दिया जो रोज़ेदार को लग्व और गुनाहों से (जो उससे हालते रोज़ा में सादिर होते हैं) पाक-साफ़ कर देती है। पस आपका लफ़्ज़ तज़क्का से मुराद सदक़-ए-फ़ित्र अदा करना हुआ। इस हदीष के तहतअल्लामा शौकानी (रह.) फ़र्माते हैं: **फ़ीहि दलीलुन अला अन्न सदक़तल्फ़ितरि मिनल्फ़राइज़ि व क़द नक़लब्नुल्मुन्ज़िर व ग़ैरहू अल्इज्माअ ज़ालिक व लाकिन्नल्हनफ़िय्यत यक़ूलून बिल्वुजूबि दूनल्फ़र्ज़िय्यति अला क़ाइदतिहिम फ़ित्तफ़रक़ति बैनल्फ़र्ज़ि वल्वुजूबि** (नैलुल औतार)

या'नी इस हदीष में दलील है कि सदक़-ए-फ़ित्र फ़राइज़े इस्लामिया मे से है। इब्ने मुंज़िर वग़ैरह ने इस पर इज्माअ किया है मगर हन्फ़िया उसे वाजिब क़रार देते हैं क्योंकि उनके यहाँ उनके क़ायदे के तहत फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क़ है इसलिये वो उसको फ़र्ज़ नहीं बल्कि वाजिब के दर्जे में रखते हैं। अल्लामा ऐनी हनफ़ी (रह.) फ़र्माते हैं कि ये सिर्फ़ लफ़्ज़ी निज़ाअ है।

कुछ कुतुबे फ़िक़्हा हन्फ़िया में इसे सदक़तुल फ़ित्र या'नी ता की ज़्यादती के साथ लिखा गया है और उससे मुराद वो फ़ित्रत ली गई है जो आयते शरीफ़ा **फ़ितरतुल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा** में है। मगर हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह (रह.) फ़र्माते हैं,

व अम्मा लफ़्जुल्फ़ितरि बिदूनि ताइन फला कलाम फी अन्नहू मअन लुगवियुन मुस्तअमलुन कब्लश्शरइ लिअन्नहू ज़िद्दस्सौमि व युक़ालु लहा अयज़न ज़कातुल्फ़ितरि व ज़कातु रमज़ान व ज़कातुस्सौमि व सदकतु रमज़ान व सदक़तुस्सौमि (मिर्आत)

लेकिन लफ़्ज़ फ़ित्र बग़ैर ताअ के कोई शक नहीं कि ये लग़्वी मा'नी मे मुश्तमिल है, शरीअत के नुज़ूल से पहले भी ये रोज़ा की ज़िद पर बोला जाता रहा है। उसे ज़कातुल फ़ित्र, ज़कातुर्रमज़ान, ज़काते सोम व सदक़ा, रमज़ान व सदक़-ए-सौम के नामों से भी पुकारा गया है।

1503. हमसे यह्या बिन मुहम्मद बिन सकन ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जह्ज़म ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इस्माईल बिन जा'फ़र ने बयान किया, उनसे उमर बिन नाफ़ेअ ने उनसे उनके बाप ने और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ित्र की ज़कात (सदक़-ए-फ़ित्र) एक साअ खजूर या एक साअ जौ फ़र्ज़ क़रार दी थी। गुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर। आपका हुक्म ये था कि नमाज़े (ईद) के लिये जाने से पहले ये सदक़ा अदा कर दिया जाए।

(दीगर मक़ाम : 1504, 1507, 1509, 1511, 1512)

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ)).

[أطرافه في : ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩،

बाब 71 : स़दक़-ए-फ़ित्र का मुसलमानों पर यहाँ तक कि गुलाम लौण्डी पर भी फ़र्ज़ होना

٧١- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

1504. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने, और उन्हें ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ित्र की ज़कात आज़ाद या गुलाम, मर्द या औ़रत तमाम मुसलमानों पर एक स़ाअ़ खजूर या जौ फ़र्ज़ की थी। (राजेअ़ : 1504)

١٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)). [راجع: ١٥٠٤]

तश्रीह : गुलाम और लौण्डी पर स़दक़-ए-फ़ित्र फ़र्ज़ होने से ये मुराद है कि उनका मालिक उनकी त़रफ़ से स़दक़ा दे। कुछ ने कहा ये स़दक़ा पहले गुलाम लौण्डी पर फ़र्ज़ होता है फिर मालिक उनकी त़रफ़ से अपने ऊपर उठा लेता है। (वह़ीदी)

स़दक़-ए-फ़ित्र की फ़र्ज़ियत यहाँ तक है कि ये उस पर भी फ़र्ज़ है जिसके पास एक दिन की ख़ुराक से ज़ाइद अनाज या खाने की कोई चीज़ मौजूद हो क्योंकि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **साउम्मिन बुर्रिन औ कुम्हिन अ़न कुल्लि इष्नैनि सगीरुन औ कबीरुन हुर्रून औ अ़ब्दुन ज़करुन औ उन्षा अम्मा ग़निय्युकुम फ़युज़क्कीहुल्लाहु व अम्मा फ़क़ीरुकुम फ़युरद्दु अ़लैहि अक्षर मिम्मा आ़ताहू** (अबू दाऊद) या'नी एक स़ाअ़ गेहूँ छोटे–ब ड़े दोनों आदमियों आज़ाद–गुलाम, मर्द–औ़रत की तरफ़ से निकाला जाए इस स़दक़े की वजह से अल्लाह पाक मालदार को गुनाहों से पाक कर देगा (उसका रोज़ा पाक हो जाएगा) और ग़रीब को उससे भी ज़्यादा देगा जितना कि उसने दिया है।

स़ाअ़ से मुराद स़ाअ़े हिजाज़ी है जो रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में मदीना मुनव्वरा में मुरव्वज (प्रचलित) था, न कि स़ाअ़े इ़राक़ी मुराद है। स़ाअ़े हिजाज़ी का वज़न उसी तौले के सेर के ह़िसाब से पौने तीन सेर के क़रीब होता है, ह़ज़रत उ़बैदुल्लाह (रह.) शैख़ुल ह़दीष़ फ़र्माते हैं कि,

व हुव खम्सतु अर्तालिन व षुलुषु रत्लिन बग़दादी व युक़ालु लहुस्साउल्हिजाज़ी कान मुस्तअमलन फ़ी ज़मनिन्नबिय्यि (ﷺ) व बिही कानू युखर्रिजून सदक़तल्फ़ित्रि व ज़कातल्मुअशराति व गैरहुमा मिनल्हुक़ूक़िल् वाजिबतिल्मुक़द्दरति फ़ी अहदिन्नबिय्यि (ﷺ) व बिही क़ाल मालिक वश्शाफिइ व अहमद व अबू यूसुफ़ व उलमाउल्हिजाज़ि व क़ाल अबू हनीफ़त व मुहम्मद बिस्साइल्इराक़ी व हुव ष़मानियत अर्ताल बिर्रत्लिलमज्कूरि व इन्नमा क़ील लहुल्इराक़ी लिअन्नहू कान मुस्तअमलन फ़ी बिलादिल्इराक़ि व हुवल्लज़ी युक़ालु लहुस्स़ाउल्हिजाज़ी लिअन्नहुल्हज्जाजुल्वाली व कान अबू यूसुफ़ यकूलु ककौलि अबी हनीफ़त षुम्म रजअ इला कौलिल्जुम्हूरि लम्मा तनाज़र मअ मालिक बिल्मदीनति फ़अराहुल्मीआनल्लती तवारष़हा अहलुल्मदीनति अन अस्लाफ़िहिम फ़ी जमनिन्नबिय्यि (ﷺ) (मिर्आ़त जिल्द 3, पेज 93)

स़ाअ़ का वज़न पाँच रत़्ल और तीन रत्ल बग़दादी है, इसी को स़ाअ़े हिजाज़ी (अ़रब का पैमाना) कहते हैं जो रसूले करीम (ﷺ) के ज़माने में हिजाज़ में मुरव्वज था और अ़ह्दे रिसालत में स़दक़-ए-फ़ित्र और उ़श्र का अनाज और दीगर हुक़ूक़े वाजिबा बसूरत अज्नास उसी स़ाअ़ से वज़न करके अदा किये जाते थे। इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अह़मद (रह.) और इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) और उ़लम-ए-ह़िजाज़ का यही क़ौल है। और इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) और इमाम मुह़म्मद (रह.) स़ाअ़े इ़राक़ी मुराद लेते हैं जो इ़राक़ के इलाक़ों में मुरव्वज था जिसे स़ाअ़े हिजाजी भी कहा जाता है। उसका वज़न आठ रत़ल मज़्कूर के बराबर होता है इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) भी अपने उस्तादे गिरामी अबू ह़नीफ़ा (रह.) के

क़ौल पर फ़त्वा देते थे मगर जब आप मदीना तशरीफ़ लाए और इस बारे में इमामुल मदीना इमाम मालिक (रह.) से तबादला-ए-ख़्याल (विचार-विमर्श) फ़र्माया तो इमाम मालिक (रह.) ने मदीना के बहुत से पुराने स़ाअ़ (पैमाने) जमा कराए। जो अहले मदीना को ज़मान-ए-रिसालते मआब (ﷺ) से बतौर विराष़त मिले थे और जिनका अ़हदे नबवी में रिवाज था, उनका वज़न किया गया तो 5 रत़ल और तीन रत़ल बग़दादी था। चुनाँचे ह़ज़रत इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) ने इस बारे में क़ौले जुम्हूर की त़रफ़ रुजूअ़ किया। स़ाअ़े हिजाजी इसलिये कहा गया कि उसे हिजाज वालों ने जारी किया था।

ऊपर बताए गये ह़िसाब की रू से हिजाज़ी का वज़न 234 तौला होता है जिसके तौले कम तीन सेर होते हैं जो अस्सी (80) तौला वाले सेर के मुत़ाबिक़ होते हैं।

बाब 72 : स़दक़-ए-फ़ित्र में अगर जौ दे तो एक स़ाअ़ अदा करे

٧٢- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ

1505. हमसे क़बीस़ा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़याज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हम एक स़ाअ़ जौ का स़दक़ा दिया करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1506, 1508, 1510)

١٥٠٥- حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ)).

[أطرافه في : ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠].

तफ़्सील से बतलाया जा चुका है कि स़ाअ़ से मुराद स़ाअ़े हिजाज़ी है जो अ़हदे रिसालत (ﷺ) में मुरव्वज था, जिसका वज़न तीन सेर से कुछ कम होता है।

बाब 73 : गेहूँ या दूसरा अनाज भी स़दक़-ए-फ़ित्र में एक स़ाअ़ होना चाहिये

٧٣- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

1506. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अ़याज़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबी सिरह़ आमरी ने बयान किया, कि उन्होंने ह़ज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना। आप फ़र्माते थे कि हम फ़ित्रा की ज़कात एक स़ाअ़ अनाज या गेहूँ या एक स़ाअ़ जौ या एक स़ाअ़ खजूर या एक स़ाअ़ पनीर या एक स़ाअ़ ज़बीब (ख़ुश्क अंगूर या अंजीर) निकाला करते थे। (राजेअ़ : 1505)

١٥٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : ((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ)). [راجع: ١٥٠٥]

तश्रीह : तआ़म से अकष़र लोगों के नज़दीक गेहूँ ही मुराद है। कुछ ने कहा जौ के सिवा दूसरे अनाज और अहले ह़दीष़ और शाफ़िइया और जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है कि अगर स़दक़-ए-फ़ित्र में गेहूँ दे तो भी एक स़ाअ़ देना काफ़ी समझा। इब्ने ख़ुज़ैमा और ह़ाकिम ने अबू सईद (रज़ि.) से निकाला। मैं तो वही स़दक़ा दूँगा जो नबी करीम (ﷺ) के ज़माने

में दिया करता था। या'नी एक स़ाअ़ खजूर या गेहूँ या पनीर या जौ। एक शख़्स ने कहा या दो मुद्द निस़्फ़ स़ाअ़ गेहूँ, उन्होंने कहा नहीं ये मुआ़विया (रज़ि.) की ठहराई हुई बात है। (वह़ीदी)

बाब 74 : स़दक़-ए-फ़ित्र में खजूर भी एक स़ाअ़ निकाली जाए

٧٤- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

1507. हमसे अह़मद बिन यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने नाफ़ेअ़ के वास्ते से बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक स़ाअ़ खजूर या एक स़ाअ़ जौ की ज़काते फ़ित्रा देने का हुक्म फ़र्माया था। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि फिर लोगों ने उसी के बराबर दो मुद (आधा स़ाअ़) गेहूँ कर लिया था। (राजेअ़ : 1506)

١٥٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ)). [راجع: ١٥٠٣]

बाब 75 : स़दक़-ए-फ़ित्र में मुनक़्क़ा भी एक स़ाअ़ देना चाहिये

٧٥- بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

1508. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने यज़ीद बिन अबी ह़कीम अ़दनी से सुना, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़याज़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सअ़द बिन अबी सरह़ ने बयान किया और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में स़दक़-ए-फ़ित्र एक स़ाअ़ गेहूँ या एक स़ाअ़ खजूर या एक स़ाअ़ जौ या एक स़ाअ़ ज़बीब (ख़ुश्क अंगूर या ख़ुश्क अंजीर) निकालते थे। फिर जब मुआ़विया (रज़ि.) मदीना में आए और गेहूँ की आमदनी हुई तो कहने लगे मैं समझता हूँ उसका एक मुद दूसरे अनाज के दो मुद के बराबर है। (राजेअ़ : 1505)

١٥٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ أَبِيْ حَكِيْمٍ الْعَدَنِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نُعْطِيْهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: ((أَرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ)). [راجع: ١٥٠٥]

बाब 76 : स़दक़-ए-फ़ित्र नमाज़ ईद से पहले अदा करना

٧٦- بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيْدِ

1509. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ह़फ़्स़ बिन मैसरा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से स़दक़-ए-फ़ित्र नमाज़े (ईद) के लिये जाने से पहले पहले निकालने का हुक्म दिया था। (राजेअ़ : 1503)

١٥٠٩- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ)). [راجع: ١٥٠٣]

1510. हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उमर हफ़्स बिन मैसरा ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन असलम ने बयान किया, उनसे अयाज़ बिन अब्दुल्लाह बिन सअद ने, उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि हम नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में ईदुल फ़ित्र के दिन (खाने के अनाज से) एक साअ निकालते थे। अबू सईद (रज़ि.) ने बयान किया कि हमारा खाना (उन दिनों) जौ, ज़बीब, पनीर और खजूर था।

(राजेअ : 1505)

١٥١٠- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ - وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ - وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ)).

[راجع: ١٥٠٥]

तश्रीह : सदक़-ए-फ़ित्र ईद से एक दो दिन पहले भी निकाला जा सकता है मगर नमाज़ से पहले तो उसे अदा कर देना चाहिये। जैसा कि दूसरी रिवायात में साफ़ मौजूद है, **फ़मन अद्दाहा क़ब्लस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक्बूलतुन व मन अद्दाहा बअदस्सलाति फ़हिय सदक़तुम्मिनस्सदक़ाति** (अबू दाऊद व इब्ने माजा) या'नी जो उसे नमाज़ से पहले अदा कर देगा उसकी ये ज़कातुल फ़ित्र मक़्बूल होगी और जो नमाज़ के बाद निकालेगा उस सूरत में ये ऐसा ही मा'मूली सदक़ा होगा जैसे आम सदक़ात होते हैं।

बाब 77 : सदक़-ए-फ़ित्र, आज़ाद और ग़ुलाम पर वाजिब होना

٧٧- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

और ज़ुह्री ने कहा जो ग़ुलाम-लौण्डी, सौदागरी का माल हों तो उनकी सालाना ज़कात भी दी जाएगी और उनकी तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र भी अदा किया जाए.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِيْنَ لِلتِّجَارَةِ : يُزَكَّي فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّي فِي الْفِطْرِ

तश्रीह : पहले एक बाब इस मज़्मून का गुज़र चुका है कि ग़ुलाम वग़ैरह पर जो मुसलमान हों सदक़-ए-फ़ित्र वाजिब है फिर इस बाब के दोबारा लाने से क्या ग़र्ज़ है? इब्ने मुनीर ने कहा कि पहले ये बाब से इमाम बुख़ारी (रह.) का मतलब ये था कि काफ़िर की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र न निकालें। इसलिये इसमें **मिनल मुस्लिमीन** की क़ैद है। और इस बाब का मतलब ये है कि मुसलमान होने पर सदक़-ए-फ़ित्र किस-किस पर और किस-किस तरफ़ से वाजिब होता है। (वहीदी)

1511. हमसे अबुन नोअमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि) ने कि नबी करीम (ﷺ) से सदक़-ए-फ़ित्र या ये कहा कि सदक़-ए-रमज़ान मर्द, औरत, आज़ाद और ग़ुलाम (सब पर) एक साअ खजूर या एक साअ जौ फ़र्ज़ क़रार दिया था। फिर लोगों ने आधा साअ गेहूँ उसके बराबर क़रार दे लिया। लेकिन इब्ने उमर (रज़ि.) खजूर दिया करते थे।

١٥١١- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ

بُنٌ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيْرًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا. وَكَانُوا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بَنِيَّ يَعْنِيْ بَنِيْ نَافِعٍ قَالَ كَانُوا يُعْطُوْنَ لِيُجْمَعَ لاَ لِلْفُقَرَاءِ.

[راجع: ١٥٠٣]

एक बार मदीना में खजूर का क़हत पड़ा तो आपने जौ सदक़ा में निकाला। इब्ने उमर (रज़ि.) छोटे बड़े सबकी तरफ़ से यहाँ तक कि मेरे बेटों की तरफ़ से भी सदक़-ए-फ़ित्र निकालते थे। इब्ने उमर (रज़ि.) सदक़-ए-फ़ित्र हर फ़क़ीर को जो उसे क़ुबूल करता, दे दिया करते थे। और लोग सदक़-ए-फ़ित्र एक या दो दिन पहले ही दे दिया करते थे। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा मेरे बेटों से नाफ़ेअ के बेटे मुराद हैं। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा वो ईद से पहले जो सदक़ा दे देते थे तो इकट्ठा होने के लिये न कि फ़क़ीरों के लिये (फिर वो जमा करके फ़क़ीर में तक़सीम कर दिया जाता)

(राजेअ : 1503)

٧٨- بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ قَالَ أَبُو عَمْرٍو وَرَءَا عُمَرُ وَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ

बाब 78 : सदक़-ए-फ़ित्र बड़ों और छोटों पर वाजिब है

وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ وَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَنْ يُزَكَّى مَالُ الْيَتِيْمِ وَ قَالَ الزُّهْرِيُّ يُزَكَّى مَالُ الْمَجْنُوْنِ.

और अबू अम्र ने बयान किया, कि उमर, अली, इब्ने उमर, जाबिर, आइशा, ताऊस, अता और इब्ने सीरीन (रज़ि.) का ख़्याल ये था कि यतीम के माल से भी ज़कात दी जाएगी। और ज़ुहरी दीवाने के माल से ज़कात निकालने के क़ाइल थे।

١٥١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ)).

[راجع: ١٥٠٣]

1512. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यह्या क़त्तान ने उबैदुल्लाह के वास्ते से बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे नाफ़ेअ ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक साअ जौ या एक साअ खजूर का सदक़-ए-फ़ित्र, छोटे, बड़े, आज़ाद और गुलाम सब पर फ़र्ज़ क़रार दिया।

(राजेअ 1503)

बाब 1 : हज्ज की फ़र्ज़ियत और उसकी फ़ज़ीलत का बयान

١- بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ.
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[آل عمرَ ان٩٧]

और अल्लाह पाक ने (सूरह आले इमरान में) फ़र्माया, लोगों पर फ़र्ज़ है कि अल्लाह के लिये ख़ान-ए-का'बा का हज्ज करें जिसको वहाँ तक राह मिल सके और जो न माने (और बावजूद कुदरत के हज्ज को न जाए) तो अल्लाह सारे जहाँ से बेनियाज़ है।

तशरीह : अपने मा'मूल के मुताबिक़ अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीष़ हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने हज्ज की फ़र्ज़ियत षाबित करने के लिये कुर्आन पाक की आयते मज़्कूरा को नक़ल किया। ये सूरह आले इमरान की आयत है जिसमें अल्लाह ने इस्तिताअत (सामर्थ्य) वालों के लिये हज्ज को फ़र्ज क़रार दिया है। हज्ज के लफ़्ज़ी मा'नी क़स्द (इरादा) करने के है, **व अस्लुल्हज्जि फिल्लुगति अल्कस्दु व फिश्शरइ अल्कस्दु इलल्बैतिल्हरामि बिआमालिन मख्सूसतिन** मा'नी हज्ज के क़स्द (इरादे) के हैं और शरई मा'नी ये है कि बैतुल्लाह शरीफ़ का कुछ मख़्सूस आमाल के साथ क़स्द करना। इस्तिताअत का लफ़्ज़ इतना जामेअ है कि उसमें माली, जिस्मानी, मिल्की हर क़िस्म की ताक़त होनी चाहिये। हज्ज इस्लाम का पाँचवां रुक्न है और वो सारी उम्र में एक बार फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्ज़ियत 9 हिजरी में हुई। कुछ का ख़्याल है कि 5 हिजरी या 6 हिजरी में हज्ज फ़र्ज़ हुआ। हज्ज की फ़र्ज़ियत का इन्कार करने वाला काफ़िर है और बावजूद कुदरत के हज्ज न करने वालों के हक़ में कहा गया है कि कुछ ता'ज्जुब नहीं अगर वो यहूदी या नसरानी होकर मरे। हज्ज का फ़रीज़ा हर मुसलमान पर उसी वक़्त आइद होता है जबकि उसको जिस्मानी और माली और मुल्की तौर पर ताक़त हासिल हो। जैसा कि आयते शरीफ़ा **मनिस्तताअ इलैहि सबीला** से ज़ाहिर है।

हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) कुर्आन की आयत लाने के बाद वो हदीष़ लाए जिसमें साफ़-साफ़ **इन्न फरीज़तल्लाहि अला इबादिही फिल्हज्जि अदकरत अबी** के अल्फ़ाज़ मौजूद हैं। अगरचे ये एक क़बीला खष्अम की मुसलमान औरत के अल्फ़ाज़ हैं मगर आँहज़रत (ﷺ) ने उनको सुना और आपने उन पर कोई ए'तिराज़ नहीं किया। इस लिहाज़ से ये हदीष़ तक़रीरी हो गई और इससे फ़र्ज़ियत हज्ज का वाज़ेह लफ़्ज़ों में षुबूत हो गया।

तिर्मिज़ी शरीफ़ बाब **मा जाअ मिनत्तग़लीजि तर्किल हज्जि** में हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है, **क़ाल क़ाल**

रसूलुल्लाहि (ﷺ) मम्मलक जादन व राहिलतन तुबल्लिगुहू इला बैतिल्लाहि व लम यहुज फला अलैहि अंय्यमूत यहूदिय्यन औ नस्रानिय्यन. या'नी आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जिस शख़्स को ख़र्च अख़राजात, सवारी वग़ैरह बैतुल्लाह के सफ़र के लिये रुपया मयस्सर हो (और वो तन्दरुस्त हो) फिर उसने हज्ज न किया तो उसको इख़्तियार है यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। ये बड़ी से बड़ी वईद (चेतावनी) है जो एक सच्चे मर्दे मुसलमान के लिये हो सकती है। पस जो लोग बावजूद ताक़त रखने के मक्का शरीफ़ का रुख नहीं करते है बल्कि यूरोप और दूसरे मुल्कों की सैर सपाटे में हज़ारों रुपये बर्बाद कर देते हैं मगर हज्ज के नाम से उनकी रूह सूख जाती है, ऐसे लोगों को अपने ईमान व इस्लाम की ख़ैर मनानी चाहिये। इसी तरह जो लोग दिन-रात दुनियावी धंधों में खोए रहते हैं और इस पाक सफ़र के लिये उनको फ़ुर्सत नहीं होती। उनका भी दीनो-ईमान सख़्त ख़तरे में है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस शख़्स पर हज्ज फ़र्ज हो जाए उसको उसकी अदायगी में हत्तल इम्कान जल्दी करनी चाहिये और काश और शायद में वक़्त नहीं टालना चाहिये।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में ममालिके महरूसा में मन्दर्जाज़ेल पैग़ाम शाया कराया था, **लक़द हमम्तु अन अब्अष रिजालन इला हाज़िहिल अम्सारि फ़यन्ज़ुरु कुल्ल मन कान लहू जिद्दतन व ला यहुज्ज फ़यज़्रिबू अलैहिमुल्जिज्यत मा हुम बि मुस्लिमीन मा हुम बिमुस्लिमीन** (नैलुल औतार जिल्द 4 पेज 865) मेरी दिली ख़्वाहिश है कि मैं कुछ आदमियों को शहरों और देहातों में तफ़्तीश के लिये रवाना करूँ जो उन लोगों की लिस्ट तैयार करें तो ताक़त रखने के बावजूद इज्तिमाए हज्ज में शिर्कत नहीं करते। उन पर कुफ़्फ़ार की तरह टैक्स मुक़र्रर कर दें क्योंकि उनका दा'वा-ए-इस्लाम फ़िज़ूल और बेकार है वो मुसलमान नहीं है।

वो मुसलमान नहीं है। इससे ज़्यादा बदनसीबी और क्या होगी कि बैतुल्लाह शरीफ़ जैसी बुज़ुर्ग और मुक़द्दस जगह इस दुनिया में मौजूद हो। वहाँ तक जाने की हर तरह से आदमी ताक़त भी रखता हो और फिर कोई मुसलमान उसकी ज़ियारत को न जाए जिसकी ज़ियारत के लिये बाबा आदम (अलैहिस्सलाम) सैंकड़ों बार पैदल सफ़र करके गए। **अख़रजब्नु ख़ुज़ैमत व अबुश्शैख़ फ़िल्अज़्मति वद्दैलमी अनिब्नि अब्बासिन अनिन्नबिय्यि (ﷺ) क़ाल इन्न आदम अता हाज़ल्बैत अल्फ़ आतियतिन लम यर्कब क़त्तु फ़ीहिन्न मिनल हिन्दि अला रिहलतिही** या'नी इब्ने अब्बास (रज़ि.) मर्फ़ूअन रिवायत करते हैं कि आदम (अलैहिस्सलाम) ने बैतुल्लाह शरीफ़ का मुल्के हिन्द से एक हज़ार बार पैदल चलकर हज्ज किया। इन हज्जों में आप कभी सवारी पर सवार नहीं होकर गए।

आँहज़रत (ﷺ) ने जब काफ़िरों के ज़ुल्मों से तंग आकर मक्का मुअज्ज़मा से हिजरत की तो रुख़्सती के वक़्त आपने हज्रे अस्वद को चूमा और आप मस्जिद के बीच में खड़े होकर बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ मुतवज्जह हुए। आबदीद-ए-नम होकर (भीगी आँखों से) आपने फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम तू अल्लाह के नज़दीक तमाम जहाँ से प्यारा और बेहतर घर है और ये शहर भी अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा शहर है। अगर कुफ़्फ़ारे क़ुरैश मुझको हिजरत पर मजबूर न करते तो मैं तेरी जुदाई हर्गिज़ इख़्तियार नहीं करता। (तिर्मिज़ी)

जब आप मक्का शरीफ़ से बाहर निकले तो फिर आपने अपनी सवारी का मुँह मक्का की तरफ़ करके कहा, **वल्लाहि इन्नकि लख़ैरु अर्ज़िल्लाहि व अहब्बु अर्ज़िल्लाहि इलल्लाहि व लौ ला उख़्रिज्तु मिन्कि मा ख़रज्तु** (अहमद, तिर्मिज़ी व इब्ने माजा) अल्लाह की क़सम! ऐ शहरे मक्का! तू अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शहर है, तेरी ज़मीन अल्लाह को तमाम रूए ज़मीन से प्यारी है। अगर मैं यहाँ से निकलने पर मजबूर न किया जाता तो कभी यहाँ से न निकलता।

फ़ज़ीलते हज्ज के बारे में आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं **मन हज्ज हाज़लल्बैत फ़लम यर्फ़ुस व लम यफ़्सुक़ रजअ कमा वलदत्हु उम्मुहू** (इब्ने माजा पेज 213) या'नी जिसने पूरे अदबो-शराइत के साथ बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज किया, न जिमाअ के क़रीब गया और न कोई बेहूदा हरकत की, वो शख़्स गुनाहों से ऐसे पाक-साफ़ होकर लौटता है जैसे माँ के पेट से पैदा होने के दिन पाक-साफ़ था।

अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत में ये भी आया कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जो कोई हज्जे बैतुल्लाह के इरादे से रवाना होता है उस शख़्स की सवारी जितने क़दम चलती है हर क़दम के बदले अल्लाह उसके एक गुनाह को मिटाता है। उसके

लिये एक नेकी लिखता है और एक दर्जा जन्नत में उसके लिये बुलन्द करता है। जब वो शख़्स बैतुल्लाह शरीफ़ में पहुँच जाता है और वहाँ पर तवाफ़े बैतुल्लाह और सफ़ा व मरवह की सई करता है फिर बाल मुँडवाता या कतरवाता है तो गुनाहों से इस तरह पाक–साफ़ हो जाता जैसे माँ के पेट से पैदा होने के दिन था। (तर्ग़ीब व तरहीब पेज 224)

इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न इब्ने ख़ुज़ैमा की रिवायत है कि जो शख़्स मक्का मुअ़ज्जमा से ह़ज्ज के लिये निकला और पैदल अ़रफ़ात गया फिर वापस भी वहाँ से पैदल ही आया तो उसको हर क़दम के बदले करोड़ों नेकियाँ मिलती हैं।

बैहक़ी ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से रिवायत की है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया ह़ज्ज, उ़म्रह साथ–साथ अदा करो। इस पाक अ़मल से फ़क़्र (ग़रीबी) को अल्लाह तआ़ला दूर कर देता है और गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे भट्टी लोहे को मैल से पाक कर देती है।

मुस्नद अह़मद में इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि आपने फ़र्माया कि जिस मुसलमान पर ह़ज्ज फ़र्ज़ हो जाए उसको अदायगी में जल्दी करनी चाहिये और फ़ुर्सत को ग़नीमत जानना चाहिये। नामा'लूम कल क्या पेश आए। मैदाने अ़रफ़ात में जब हाजी साह़िबान अपने रब के सामने हाथ फैलाकर दीन–दुनिया की भलाई के लिये दुआ़ करते हैं तो अल्लाह तआ़ला आसमानों पर फ़रिश्तों में उनकी ता'रीफ़ करता है।।

अबू यअ़ला की रिवायत में ये अल्फ़ाज़ है कि जो हाजी रास्ते में इंतिक़ाल कर जाएँ उसके लिये क़यामत तक हर साल ह़ज्ज का ष़वाब लिखा जाता है।

अल ग़र्ज़ फ़र्ज़ियते ह़ज्ज के बारे में और फ़ज़ाइल के बारे में और भी बहुत सी मरवियात हैं। मोमिन मुसलमान के लिये इसी क़दर काफ़ी वाफ़ी है। अल्लाह तआ़ला जिस मुसलमान को इतनी ताक़त दे कि वो ह़ज्ज को जा सके उसको ज़रूर बिल ज़रूर वक़्त को ग़नीमत जानना चाहिये और तौह़ीद की इस अ़ज़ीमुश्शान सालाना कॉन्फ्रेंस में बिला ह़ीलो–हु़ज्जत शिर्कत करनी चाहिये। वो कॉन्फ्रेंस जिसकी बुनियाद आज से चार हज़ार साल पहले ख़लीलुल्लाह ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने हाथों से रखी थी उस दिन से आज तक हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती चली आ रही है। पस उसकी शिर्कत के लिये हर मुसलमान हर इब्राहीमी और मुह़म्मदी को मुतमन्नी (आरज़ूमंद) रहना चाहिये।

ह़ज्ज की फ़र्ज़ियत के शराइत़ क्या हैं ? ह़ज्ज फ़र्ज़ होने के लिये नीचे लिखी शर्तें हैं, उनमें से अगर एक चीज़ भी फ़ौत हो जाए तो ह़ज्ज के लिये जाना फ़र्ज़ नहीं है। क़ायदा कुल्लिया है **इज़ा फातश्शर्तु फातल्मश्रूतु** शर्त़ के फ़ौत हो जाने से मशरूत़ भी साथ ही फ़ौत हो जाता है। शराइत़ ये हैं (1) मुसलमान होना (2) आ़क़िल होना (3) रास्ते में अमन व अमान का पाया जाना (4) अख़राजाते सफ़र के लिये पूरी रक़म का मौजूद होना (5) तन्दुरुस्त होना (6) औ़रतों के लिये उनके साथ किसी मह़रम का होना, मह़रम उसको कहते हैं जिससे औ़रत के लिये निकाह़ करना हमेशा के लिये क़त़्अ़न ह़राम हो जैसे बेटा या सगा भाई या बाप या दामाद वग़ैरह। मह़रम के अ़लावा मुनासिब तो यही है कि औ़रत के साथ उसका शौहर हो। अगर शौहर न हो तो किसी मह़रम का होना ज़रूरी है। **अ़न अबी हुरैरत क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला तुसाफिरू इम्रातुन मसीरत यौमिन व लैलतिन व मअहा ज़ूमहरमिन** (मुत्तफ़क़ अ़लैहि) अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, औ़रत एक रात–दिन की मुसाफ़त का सफ़र भी न करे जब तक उसके साथ कोई मह़रम न हो।

अ़निब्नि अ़ब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) ला यख़लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन व ला तुसाफिरन्न इम्रातुन इला व मअ़हा महरमुन अल्ह़दीष़ (मुत्तफ़क़ अ़लैहि) इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्मा दिया। मर्द किसी ग़ैर औ़रत के साथ हर्गिज़ तंहाई में न हो और न हर्गिज़-हर्गिज़ कोई औ़रत बग़ैर शौहर या किसी ज़िम्मी मह़रम को साथ लिये सफ़र करे। एक शख़्स ने कहा, हुज़ूर! मेरा नाम मुजाहिदीन की फ़ेहरिस्त में आ गया और मेरी औ़रत ह़ज्ज के लिये जा रही है। आपने फ़र्माया, जाओ तुम अपनी औ़रत के साथ ह़ज्ज करो।

हज्ज के महीनों और अय्याम (दिनों) का बयान : चूँकि हज्ज के लिये उमूमन माहे शव्वाल से तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिये शव्वाल व ज़ीक़अदा व अशरा ज़िल्हिज्ज को अशहरुल हज्ज या'नी हज्ज के महीने कहा जाता है। अरकाने हज्ज की अदायगी के लिये ख़ास दिन मुक़र्रर हैं जो आठ ज़िल्हिज्ज से शुरू होते हैं और तेरह ज़िल्हिज्ज पर ख़त्म होते हैं। जाहिलियत के दिनों में कुफ़्फ़ारे अरब अपने अग़राज़ (कामों) के हिसाब से हज्ज के महीनों का उलट–फेर कर लिया करते थे। क़ुर्आन पाक ने उनके इस काम को कुफ़्र में ज़्यादती से ता'बीर किया है और सख़्ती के साथ उस हरकत से रोका है। उम्रह मुत्लक़न ज़ियारत को कहते हैं। इसलिये ये साल भर में हर महीने में हो सकता है। इसके लिये दिनों की ख़ास क़ैद नहीं है। आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी पूरी उम्र में चार बार उम्रह किया। जिसमें तीन उम्रह आपने ज़ीक़अद के महीने में किये और एक उम्रह आप (ﷺ) का हज्जतुल विदाअ के साथ हुआ। (मुत्तफ़क़ अलैह)

1513. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सुलैमान बिन यसार ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि फ़ज़ल बिन अब्बास (हज्जतुल विदाअ में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सवारी के पीछे बैठे हुए थे कि क़बीला खष्अम की एक ख़ूबसूरत औरत आई। फ़ज़ल उसको देखने लगे वो भी उन्हें देख रही थी। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज़ल (रज़ि.) का चेहरा बार बार दूसरी तरफ़ मोड़ देना चाहते थे। उस औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह का फ़रीज़ा हज्ज मेरे वालिद के लिये अदा करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं ऊँटनी पर बैठ नहीं सकते। क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्ज (बदल) कर सकती हूँ? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ। ये हज्जतुल विदाअ का वाक़िया था।

(1854, 1855, 4399, 6228)

١٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ((كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)).

[أطرافه في : ١٨٥٤، ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٦٢٢٨].

तश्रीह : इस हदीष़ से ये निकला कि दूसरे की तरफ़ से हज्ज किया जा सकता है। मगर वही शख़्स दूसरे की तरफ़ से हज्ज कर सकता है जो अपना फ़र्ज़ हज्ज अदा कर चुका हो और हन्फ़िया के नज़दीक मुतलक़न दुरुस्त है और उनके मज़हब को वो हदीष़ रद्द कर देती है जिसको इब्ने ख़ुज़ैमा और अस्हाबे सुनन ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने एक शख़्स को शिब्रमा की तरफ़ से लब्बैक पुकारते हुए सुना, फ़र्माया क्या तू अपनी तरफ़ से हज्ज कर चुका है? उसने कहा नहीं। आपने फ़र्माया तो पहले अपनी तरफ़ से हज्ज कर फिर शिब्रमा की तरफ़ से कर लेना। इसी तरह किसी शख़्स के मर जाने के बाद भी उसकी तरफ़ से हज्ज दुरुस्त है। बशर्ते कि वो वसिय्यत कर गया हो और कुछ ने माँ–बाप की तरफ़ से बिला वसिय्यत भी हज्ज दुरुस्त रखा है। (वहीदी)

हज्ज की एक क़िस्म हज्जे बदल है। जो किसी मअ़ज़ूर या मुतवफ़्फ़ा (मय्यित) की तरफ़ से नियाबतन किया जाता है। उसकी निय्यत करते वक़्त लब्बैक के साथ जिसकी तरफ़ से हज्ज के लिये आया है उसका नाम लेना चाहिये। मष़लन एक शख़्स ज़ैद की तरफ़ से हज्ज के लिये गया तो वो यूँ पुकारेगा, **'लब्बैक अन ज़ैदि नियाबह'** की तरफ़ से हज्ज करना

जाइज़ है। इसी तरह किसी मरे हुए की तरफ़ से भी हज्जे बदल कराया जा सकता है। एक सहाबी ने नबी करीम (ﷺ) से कहा था कि मेरा बाप बहुत ही बूढ़ा हो गया है वो सवारी पर भी चलने की ताक़त नहीं रखता। आप इजाज़त दें तो मैं उनकी तरफ़ से हज्ज अदा कर लूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! कर लो (इब्ने माजा) मगर उसके लिये ये ज़रूरी है कि जिस शख़्स से हज्जे बदल कराया जाए वो ख़ुद पहले अपना हज्ज अदा कर चुका हो। जैसा कि नीचे लिखी हदीष से ज़ाहिर है।

अनिब्नि अब्बासिन अन्न रसूलल्लाहि (ﷺ) समिअ रजुलन यकूलु लब्बैक अन शिब्रमत फ़क़ाल रसूलुल्लाहि (ﷺ) मन शिब्रमः क़ाल क़रीबुन ली क़ाल हल हजज्त कत्तु क़ाल ला क़ाल फज्अल हाज़िही अन नफ़्सिक षुम्म हुज्ज अन शिब्रमा (रवाहु इब्ने माजा) या'नी इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को सुना वो लब्बैक पुकारते वक़्त किसी शख़्स शिब्रमा नामी की तरफ़ से लब्बैक पुकार रहा है। आपने उससे पूछा कि भाई ये शिब्रमा कौन है? उसने कहा कि शिब्रमा मेरा एक क़रीबी है। आपने पूछा तूने कभी हज्ज अदा किया है? उसने कहा नहीं। आपने फ़र्माया, पहले अपने नफ़्स की तरफ़ से अदा कर, फिर शिब्रमा की तरफ़ से अदा करना।

इस हदीष से साफ़ ज़ाहिर होता है कि हज्जे बदल वही शख़्स कर सकता है जो पहले अपना हज्ज कर चुका हो। बहुत से अइम्मा और इमाम शाफ़िई (रह.) और इमाम अहमद (रह.) का यही मज़हब है। लम्आत मे मुल्ला अली क़ारी मरहूम लिखते हैं, **अल्अम्रू यदुल्लु बिज़ाहिरिही अला अन्ननियाबत इन्नमा यजूज़ु बअद अदाइ फर्ज़िल्हज्जि व इलैहि ज़हब जमाअतुम्मिनल्अइम्मित वशशाफिइ व अहमद** या'नी अम्रे नबवी बज़ाहिर इस बात पर दलालत करता है कि नियाबत उसी के लिये जाइज़ है जो अपना फ़र्ज़ हज्ज अदा कर चुका हो। अल्लामा शौकानी (रह.) ने अपनी मायानाज़ किताब नैलुल औतार में ये बाब नक़ल किया है, **बाबुन मन हज्ज अन गैरिही व लम यकुन हज्ज अन नफ़्सिही** या'नी जिस शख़्स ने अपना हज्ज नहीं किया वो ग़ैर का हज्जे बदल कर सकता है या नहीं? इस पर आप हदीषे बाला शिब्रमा वाली लाए हैं और उस पर फ़ैसला दिया है कि **व लैस फि हाज़ल्बाबि असह्हु मिन्हु** या'नी हदीष शिब्रमा से ज़्यादा इस बाब में और कोई सहीह हदीष वारिद नहीं हुई है। फिर फ़र्माते हैं, **व ज़ाहिरुल्हदीषि अन्नहू ला यजूज़ु लिमन लम यहुज्ज अन नफ़्सिही अंय्यहुज्ज अन गैरिही सवाअन कान यस्तफसिल हाज़ा लिरजुल्लिज़ी समिअहू युलब्बी अन शिब्रमा व हुव यन्ज़ि लु मन्ज़िलतल्उमूमि व इला ज़ालिक जहबश्शाफ़िइ वन्नासिर** (जिल्द 4, नैलुल औतार पेज 173) या'नी इस हदीष से ज़ाहिर है कि जिस शख़्स ने नफ़्स की तरफ़ से पहले हज्ज न किया हो वो हज्जे बदल किसी दूसरे की तरफ़ से नहीं कर सकता। ख़्वाह वो अपना हज्ज करने की ताक़त रखने वाला हो या ताक़त न रखने वाला हो। इसलिये कि नबी करीम (ﷺ) ने जिस शख़्स को शिब्रमा की तरफ़ से लब्बैक पुकारते हुए सुना था उससे आपने ये तफ़्सील नहीं पूछी थी। पस ये बमंज़िला उमूम है और इमाम शाफ़िई और नासिर (रह.) का यही मज़हब है।

पस हज्जे बदल करने और कराने वालों को सोच–समझ लेना चाहिये। अम्र ज़रूरी यही है कि हज्जे बदल करने के लिये ऐसे आदमी को तलाश करना चाहिये जो अपना हज्ज अदा कर चुका हो ताकि बिला शक व शुब्हा हज्ज के फ़रीज़े की अदायगी हो सके। अगर किसी बग़ैर हज्ज किये हुए को भेज दिया तो ऊपर बयान हुई हदीष के ख़िलाफ़ होगा। नीज़ हज्ज की क़ुबूलियत और अदायगी में पूरा–पूरा तरदुद भी बाक़ी रहेगा। कोई अक़्लमन्द आदमी ऐसा काम क्यूँ करेगा जिसमें काफ़ी रुपया ख़र्च हो और क़ुबूलियत में तरदुद शक व शुब्हा हाथ आए।

बाब 2 : अल्लाह पाक का सूरह हज्ज में ये इर्शाद

कि लोग पैदल चलकर तेरे पास आएं और दुबले ऊँटों पर दूर दराज़ रास्तों से इसलिये कि दीन और दुनिया के फ़ायदे हासिल करें. इमाम बुख़ारी ने कहा सूरह नूह में जो फ़िजाजा का लफ़्ज़ आया है उसके मा'नी खुले और कुशादा रास्ते के हैं.

٢– بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :
﴿يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾
فِجَاجًا: الطُّرُقِ الْوَاسِعَةَ. [الحج: ٢٧].

अगली आयत सूरह हज्ज की इस बाब के बारे में थी और चूँकि उसमें फ़ज्ज का लफ़्ज़ है और फ़िजाजा उसी की जमा (बहुवचन) है जो सूरह नूह में वारिद है इसलिये उसकी भी तफ़्सीर बयान कर दी।

तश्रीह : इस आयते करीमा के ज़ैल मुफ़स्सिरीन लिखते हैं, **फ़नादा अला जबलि अबू कैस याअय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम बना बैतन व औजब अलैकुमल्हज्ज इलैहि फअजीबू रब्बकुम वल्तफत बिवज्हिही यमीन व शिमालन व शर्क़न व गर्बन फ़ज़ाबहू कुल्लू मन कतब लहू अंय्यहुज्ज मिन अस्लाबिर्रिजालि व अर्हामिल्उम्महाति लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक** (जलालैन) या'नी हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जबले अबू क़ुबैस पर चढ़कर पुकारा, ऐ लोगों! तुम्हारे रब ने अपनी इबादत के लिये एक घर बनवाया है और तुम पर हज्ज फ़र्ज़ किया है। आप ये ऐलान करते हुए शिमाल व जुनूब (उत्तर-दक्षिण), मश्रिक़ व मग़िब (पूरब-पश्चिम) की तरफ़ मुँह करते जाते और आवाज़ बुलन्द करते जाते थे। पस जिन इंसानों की क़िस्मत में हज्जे बैतुल्लाह की सआदते अज़्ली लिखी जा चुकी है। उन्होंने अपने बापों की पुश्त से और अपने माँओं के अरहाम (कोखों) से इस मुबारक निदा को सुनकर जवाब दिया, **लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक** या अल्लाह! हम हाज़िर हैं। या अल्लाह हम तेरे पाक घर की ज़ियारत के लिये हाज़िर है।

क़ुर्आन मजीद की मज़्कूरा पेशगोई की झलक तौरात में आज भी मौजूद है। जैसा कि नीचे लिखी आयात से ज़ाहिर है,

ऊँटनियाँ कष़रत से तुझे आकर छुपा लेगी मदयान और ऐफ़ा की जो ऊँटनियाँ हैं और वो सब जो सबा की हैं आएँगी। (सअयाह : 6/60)

'क़ैदार की सारी भेड़ें (क़ैदार इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है) तेरे पास जमा होंगी। नबीत (इस्माईल के बेटे) के मेंढ़े तेरी ख़िदमत में हाज़िर होंगे। वो मेरी मंज़ूरी के वास्ते मेरे मज़्बह पर चढ़ाए जाएँगे। अपने शौकत के घर को बुज़ुर्गी दूँगा। ये कौन हैं जो बदली की तरह उड़ते हैं और कबूतर की तरह अपने काबुक की तरफ़ जाते हैं। यक़ीनन बह्री मुमालिक तेरी राह तकेंगे और नरसीस के जहाज पहले आएँगे। (सअयाह 13/60)

इन सारी पेशीनगोइयों से अज़्मते का'बा ज़ाहिर है। **वलित्तफ़्सील मुक़ामे आख़र**

1514. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें बिन शिहाब ने कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने उन्हें ख़बर दी, उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने फ़र्माया, कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़ुल हुलैफ़ह में देखा कि अपनी सवारी पर चढ़ रहे हैं। फिर जब वो सीधी खड़ी हुई तो आप (ﷺ) ने लब्बैक कहा।

(राजेअ : 166)

١٥١٤- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً)).

[راجع: ١٦٦]

1515. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमें वलीद बिन मुस्लिम ने ख़बर दी, कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने अता बिन अबी रिबाह से सुना, वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) से बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुल हुलैफ़ह से एहराम बाँधा। जब सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई। इब्राहीम बिन मूसा की ये

١٥١٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ)).

हदीष़ इब्ने अ़ब्बास और अनस (रज़ि.) से भी मरवी है।

رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَعْنِيْ حَدِيْثَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُوْسَى

इमाम बुख़ारी (रह.) की ग़र्ज़ इन ह़दीष़ों के लाने से ये हैं कि ह़ज्ज पैदल हो या सवार होकर दोनों तरह दुरुस्त है। कुछ ने कहा उन लोगों पर रद्द है जो कहते हैं कि ह़ज्ज पैदल अफ़ज़ल है, अगर ऐसा होता तो आप भी पैदल ह़ज्ज करते मगर आपने ऊँटनी पर सवार होकर ह़ज्ज किया और आँह़ज़रत (ﷺ) की पैरवी सबसे अफ़ज़ल है। (वह़ीदी) ऊँट की जगह आजकल मोटर–कारों ने ले ली है और अब ह़ज्ज बेह़द आरामदेह हो गया है।

बाब 3 : पालान पर सवार होकर ह़ज्ज करना

٣- بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

1516. और अबान ने कहा हमसे मालिक बिन दीनार ने बयान किया, उनसे क़ासिम बिन मुह़म्मद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने उनके साथ उनके भाई अ़ब्दुर्रहमान को भेजा और उन्होंने आइशा (रज़ि.) को तनईम से उ़म्रह कराया और पालान की पिछली लकड़ी पर उनको बिठा लिया। ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ह़ज्ज के लिये पालानें बाँधो क्योंकि ये भी एक जिहाद है। (राजेअ़ : 294)

١٥١٦- حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ)). وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ. [راجع: ٢٩٤]

1517. मुह़म्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया कि हमसे ज़ैद बिन ज़ुरैअ़ ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ज़्रा बिन ष़ाबित ने बयान किया, उनसे षुमामा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अनस ने बयान किया कि ह़ज़रत अनस (रज़ि.) एक पालान पर ह़ज्ज के लिये तशरीफ़ ले गये और आप बख़ील नहीं थे। आपने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) भी पालान पर ह़ज्ज के लिये तशरीफ़ ले गये थे, उसी पर आपका अस्बाब भी लदा हुआ था।

١٥١٧- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: ((حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيْحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ)).

तशरीह़ : मत़लब ये है कि ह़ज्ज में तकल्लुफ़ करना और आराम की सवारी ढूँढ़ना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सादे पालान पर चढ़ना काफ़ी है। शुग़्ज़फ़ और मह़मल और उ़म्दा कज़ावे और गद्दे और तकिये इन चीजों की ज़रूरत नहीं। इबादत में जिस क़दर मशक़्क़त हो उतना ही ज़्यादा ष़वाब है। (वह़ीदी) ये बातें आज के सफ़र में ख़्वाब व ख़याल बनकर रह गई हैं। अब हर जगह मोटर–कार, हवाई जहाज दौड़ते फिर रहे हैं। ह़ज्ज का मुबारक सफ़र भी रेल, पानी के जहाज़, मोटर–कार और हवाई जहाज़ से हो रहा है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आराम हर हर क़दम पर मौजूद है। इन तकल्लुफ़ात के साथ ह़ज्ज उस ह़दीष़ की तस्दीक़ करता है जिसमें कहा गया है आख़िर ज़माने में सफ़रे ह़ज्ज भी एक तफ़रीह़ का ज़रिया बन जाएगा। लेकिन सुन्नत के शैदाई उन ह़ालात में भी चाहें तो सादगी के साथ ये मुबारक सफ़र करते हुए क़दम–क़दम पर अल्लाह की रज़ा और सुन्नत शिआ़री का षुबूत दे सकते हैं। मक्का शरीफ़ से पैदल चलने की इजाज़त है। हुकूमत मजबूर नहीं करती कि हर शख़्स मोटर–कार ही का सफ़र करें मगर आराम त़लबी की दुनिया में ये सब बातें दक़ियानूसी समझी जाती है। बहरह़ाल ह़क़ीक़त है कि सफ़रे ह़ज्ज जिहाद से कम नहीं है बशर्ते कि ह़क़ीक़ी ह़ज्ज नसीब हो।

लफ़्ज़े ज़ामिला ऐसे ऊँट पर बोला जाता है जो ह़ालते सफ़र में अलग से सामान अस्बाब और खाने–पीने की चीज़ों को उठाने के लिये इस्ते'माल में आता हो, यहाँ रावी का मक़्सद ये है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ये सफ़रे मुबारक इस क़दर सादगी से किया कि एक ही ऊँट से सवारी और सामान उठाना दोनों काम ले लिये गए।

١٥١٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ)) فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ، فَاعْتَمَرَتْ)).

[راجع: ٢٩٤]

1518. हमसे अ़म्र बिन अ़ली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, कहा कि हमसे ऐमन बिन नाबिल ने बयान किया। कहा कि हमसे क़ासिम बिन मुह़म्मद ने बयान किया और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि उन्होंने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप लोगों ने तो उ़म्रह कर लिया लेकिन मैं न कर सकी। इसलिये आँह़ुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया अ़ब्दुर्रह़मान अपनी बहन को ले जा और उन्हें तन्ईम से उ़म्रह करा ला। चुनाँचे उन्होंने आ़इशा (रज़ि.) को अपने ऊँट के पीछे बिठा लिया और आ़यशा (रज़ि.) ने उ़म्रह अदा किया। (राजेअ़ : 294)

तश्रीह : आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) को उ़म्रह का एह़राम बाँधने के लिये तन्ईम भेजा। इस बारे में ह़ज़रत अ़ल्लामा नवाब स़िद्दीक़ ह़सन ख़ान (रह.) फ़र्माते हैं,

"میقاتش حل است از برا ئے مکی بحدیث صحیحین وغیرھما کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمٰن بن ابی بکر را امر فرمود با عائشہ بسو ئے تنعیم بر آید ووے ازانجا عمرہ برآرد وھرکہ آنرا از مسکن ومکہ صحیح گوید جواب دادہ کہ این امر بنابر تطییب خاطر عائشہ بود تا از حل بکہ درآید چنانکہ دیگر ازواج کردند واین واجب خلاف ظاہر است - حاصل آنکہ ازوے صلی اللہ علیہ وسلم تعین میقات عمرہ واقع نشدہ وتعیین میقات حج از برا ئے اہل ہر جہت ثابت گشتہ پس اگر عمرہ دریں مواقیت ہمچو حج باشد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحدیث صحیح گفتہ فمن کان دونھم فمھلہ من اھلہ وکذالک اھل مکۃ یھلون منھا واین در صحیحین است بلکہ درحقیقت ابن عباس بعد ذکر مواقیت اہل ہرمحل تصریح آمدہ باآنکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود حدیث فھن لاھلھن ولمن اتی علیھن من غیر اھلھن لمن کان یرید الحج والعمرۃ واین حدیث درصحیحین است ودراں تصریح بعمرہ ہاست (بدور الاہلہ ' ص: ۱۵۲)

(बुदूरुल अह्ला, पेज 152)

अहले मक्का के लिये उ़म्रह का मीक़ात ह़ल है। जैसा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने अ़ब्दुर्रह़मान बिन अबीबक्र (रज़ि.) को फ़र्माया कि वो अपनी बहन आ़इशा (रज़ि.) को तन्ईम ले जाएँ और वहाँ से उ़म्रह का एह़राम बाँधकर आएँ और जिन उ़लमा ने ये कहा कि उ़म्रह का मीक़ात अपना घर और मक्का ही है, उन्होंने उस ह़दीष़ के बारे में जवाब दिया कि ये आँह़ज़रत (ﷺ) ने सिर्फ़ ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की दिलजोई के लिये फ़र्माया था ताकि वो ह़ल से कर आएँ जैसा कि दीगर अज़्वाजे मुतह्हरात ने किया था और ये जवाब ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। ह़ासिल ये कि आँह़ज़रत (ﷺ) से उ़म्रह के लिये मीक़ात का तअ़य्युन वाक़ेअ़ नहीं हुआ और मीक़ाते ह़ज्ज का तअ़य्युन हर जिहत वालों के लिये ष़ाबित हुआ है। पस अगर उ़म्रह उन मवाक़ीत में ह़ज्ज की तरह़ हो तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने स़ह़ीह़ ह़दीष़ में फ़र्माया है कि जो लोग मीक़ात के अंदर हों उनका मीक़ात उनका घर है वो अपने घरों से एह़राम बाँधें, इसी तरह़ मक्कावाले भी मक्का ही से एह़राम बाँधें और ह़दीष़ स़ह़ीह़ैन में है। बल्कि ह़दीष़े इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) में हर जगह की मीक़ात का ज़िक्र करने के बाद स़राह़तन आया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया पस ये मीक़ात उन लोगों के लिये हैं जो उनके अहल हैं और जो भी उधर से गुज़रें हालाँकि वो यहाँ के बाशिन्दे न हों। फिर उनके लिये मीक़ात यही मुक़ामात हैं जो भी ह़ज्ज और उ़म्रह का इरादा करके आएँ। पस इस ह़दीष़ में स़राह़तन उ़म्रह लफ़्ज़ मौजूद है।

नवाब मरहूम का इशारा यही मा'लूम होता है कि जब हज्ज का एहराम मक्का वाले मक्का ही से बाँधेंगे और उनके घर ही उनके मीक़ात होंगे तो उम्रह के लिये भी यही हुक्म है क्योंकि हदीषे हाज़ा में रसूले करीम (ﷺ) ने हज्ज और उम्रह का एक ही जगह ज़िक्र किया है। मीक़ात के सिलसिले में जिस क़दर अहकामात हज्ज के लिये हैं वही सब उम्रह के लिये हैं। उनकी बिना पर सिर्फ़ मक्का शरीफ़ से उम्रह का एहराम बाँधनेवालों के लिये तन्ईम जाना ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

बाब 4 : हज्जे मबरूर की फ़ज़ीलत का बयान

٤- بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

1519. हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुह्री ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) से किसी ने पूछा कि कौन्सा काम बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। पूछा गया कि फिर उसके बाद? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर पूछा गया कि फिर उसके बाद? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हज्जे मबरूर। (राजेअ़ : 26)

١٥١٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ)). قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((جِهَادٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ)). قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)). [راجع: ٢٦]

तश्रीह : मबरूर लफ़्ज़े बिर्र से बना है जिसके मा'नी नेकी के हैं। क़ुर्आन मजीद में **लैसल बिर्रा** में या'नी लफ़्ज़ है। यही वो हज्ज है जिसमें शुरू से आख़िर तक सिर्फ़ नेकियाँ ही नेकियाँ की गई हों, उसमें गुनाह का शायबा भी न हो। ऐसा हज्ज क़िस्मत वालों को ही नसीब होता है। इन्दल्लाह यही हज्ज मक़्बूल है फिर ऐसा हाजी उम्रभर के लिये मिषाली मुसलमान बन जाता है और उसकी ज़िन्दगी सरापा इस्लाम और ईमान के रंग में रंग जाती है। अगर ऐसा हज्ज नसीब नहीं तो वही मिषाल होगी, **खरे ईसा गर बमक्का खद चूँ बयाद हनूज़ खर बाशद.**

हज्जे मबरूर की ता'रीफ़ में हाफ़िज़ फ़र्माते हैं, **अल्लज़ी ला युख़ालितुहू शैउन मिनल इष्मि** या'नी हज्जे मबरूर वो है जिसमें गुनाह का मुत्लक़न दख़ल न हो। हदीषे जाबिर में है खाना खिलाना और सलाम फैलाना जो हाजी अपना शिआ़र बना ले उसका हज्ज, हज्जे मबरूर है। यही हज्ज वो है जिससे गुज़िश्ता सग़ीरा व कबीरा गुनाह मुआ़फ़ हो जाते हैं और ऐसा हाजी उस हालत में लौटता है गोया वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। अल्लाह पाक हर हाजी को ऐसा हज्ज करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन!

मगर अफ़सोस है कि आज की माद्दी (भौतिक) तरक़्क़ियों ने नई नई ईजादात ने रूहानी आ़लम को बिलकुल मस्ख़ करके रख दिया है। बेशतर हाजी मक्का शरीफ़ के बाज़ारों में जब मग़रिबी साज़ो–सामान देखते हैं, उनकी आँखें चकाचौंध हो जाती है। वो जाइज़ और नाजाइज़ से उठकर ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं कि वापस अपने वतन आकर हाजियों की बदनामी का कारक बनते हैं। हुकूमत की नज़रों में ज़लील होते हैं।

1520. हमसे अ़ब्दुर्रहमान बिन मुबारक ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अबी अ़म्र ने ख़बर दी, उन्हें आइशा बिन्ते तलहा ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कहा कि उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)!

١٥٢٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ((عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ

हम देखते हैं कि जिहाद सब नेक कामों से बढ़कर है। फिर हम भी क्यूँ न जिहाद करें? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि नहीं बल्कि सबसे अफ़ज़ल जिहाद हज्ज है जो मबरूर हो।
(दीगर मक़ाम : 1861, 2784, 2875)

اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: ((لاَ، لَكِنْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ)).
[أطرافه في: ١٨٦١، ٢٧٨٤، ٢٨٧٥،

1521. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, कहा कि हमसे सय्यार बिन अबुल हकम ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू हाज़म से सुना, उन्होंने बयान किया कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुना और उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सुना कि आपने फ़र्माया जिस शख़्स ने अल्लाह के लिये उस शान के साथ हज्ज किया कि न कोई फ़हश बात हुई और न कोई गुनाह तो वो उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जना था। (दीगर मक़ाम : 1819, 1820)

١٥٢١- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ((مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).
[طرفاه في: ١٨١٩، ١٨٢٠].

हदीषे बाला में लफ़्ज़े मबरूर से मुराद वो हज्ज है जिसमें रियाकारी का दख़ल न हो, ख़ालिस अल्लाह की रज़ामन्दी के लिये हो जिसमें शुरू से आख़िर तक कोई गुनाह न किया जाए और जिसके बाद हाजी की पहले वाली हालत बदलकर अब वो सरापा नेकियों का मुजस्समा बन जाए। बिला शक उसका हज्ज, हज्जे मबरूर है हदीषे मज़्कूर में हज्जे मबरूर के कुछ औसाफ़ ख़ुद ज़िक्र में आ गए हैं, उसी तफ़्सील के लिये हज़रत इमाम इस हदीष को यहाँ लाए।

बाब 5 : हज्ज और उम्रह की मीक़ातों का बयान

٥- بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

1522. हमसे मालिक बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुहैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ज़ैद बिन जुबैर ने बयान किया कि वो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की क़यामगाह पर हाज़िर हुए। वहाँ क़नात के साथ शामियाना लगा हुआ था (ज़ैद बिन जुबैर ने कहा कि) मैंने पूछा कि किस जगह से उम्रह का एहराम बाँधना चाहिये। अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्द वालों के लिये क़र्न, मदीना वालनों के लिये ज़ुल हुलैफ़ह और शाम वालों के लिये जोहफ़ा मुक़र्रर किया है। (राजेअ : 133)

١٥٢٢- حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ - فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ)). [راجع: ١٣٣]

मीक़ात उस जगह को कहते हैं जहाँ हज्ज और उम्रह के लिये एहराम बाँधे जाते हैं और वहाँ से बग़ैर एहराम बाँधे आगे बढ़ना नाजाइज़ है और इधर हिन्दुस्तान की तरफ़ से जानेवालों के लिये यलमलम पहाड़ के मुहाज़ से एहराम बाँध लेना चाहिये। जब

जहाज़ यहाँ से गुज़रता है तो कप्तान ख़ुद सारे ह़ाजियों को ख़बर कर देता है कि ये जगह अदन के क़रीब पड़ती है। क़र्ने–मनाज़िल मक्का से दो मंज़िल पर ताईफ़ के क़रीब है और ज़ुल हुलैफ़ा मदीना से छ: मील पर है और जुह़्फ़ा मक्का से पाँच–छ: मंज़िल पर है। क़स्तलानी (रह.) ने कहा अब लोग जुह़्फ़ा के बदले राबेअ़ से एह़राम बाँध लेते हैं जो जह़्फ़ा के बराबर है और अब जुह़्फ़ा वीरान है वहाँ की आबो–हवा ख़राब है न वहाँ कोई जाता है और न उतरता है। (वह़ीदी) **वक़्तस्सतिल्जुह़्फ़तु बिल्हुमा फला यन्ज़िलुहा अहदुन इल्ला हम्म** (फ़त्ह) या'नी जुह़्फ़ा बुख़ार के लिये मशहूर है। ये वो जगह है जहाँ अ़मालिक़ा ने क़याम किया था जबकि उनको यष्रिब से बनू अबील ने निकाल दिया था मगर यहाँ ऐसा सैलाब आया कि उसने उनको बर्बाद कर दिया। इसीलिये इसका नाम जुह़्फ़ा पड़ा। ये भी मा'लूम हुआ कि उ़म्रह के मीक़ात भी वही हैं जो ह़ज्ज के हैं।

बाब 6 : फ़र्माने बारी तआ़ला

٦– بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

कि तौशा साथ में ले लो और सबसे बेहतर तौशा तक़्वा है.

﴿وَتَزَوَّدُوا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة : ١٩٧]

1523. हमसे यह़्या बिन बिश्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शबाबा बिन सवार ने बयान किया, उनसे वरक़ा बिन अ़म्र ने, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने, उनसे इक्रिमा ने बयान किया और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि यमन के लोग रास्ते का ख़र्च साथ लाए बग़ैर ह़ज्ज के लिये आ जाते थे। कहते तो ये थे कि हम तवक्कल करते हैं लेकिन जब मक्का आते तो लोगों से मांगने लगते। इस पर अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल की, और तौशा ले लिया करो सबसे बेहतर तौशा तो तक़्वा ही है। इसको इब्ने उ़ययना ने अ़म्र से बवास्ता इक्रिमा मुरसलन नक़ल किया है।

١٥٢٣– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ:نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ

तश्रीह : मुर्सल उस ह़दीष़ को कहते हैं कि ताबेई आँह़ज़रत (ﷺ) की ह़दीष़ बयान करे और जिस स़ह़ाबी से वो नक़ल कर रहा है उसका नाम न ले। स़ह़ाबी का नाम लेने से यही ह़दीष़ फिर मर्फ़ूअ़ कहलाती है जो क़ुबूलियत के दर्जे में ख़ास़ मुक़ाम रखती है। या'नी स़ह़ीह़ मर्फ़ूअ़ ह़दीष़े नबवी (ﷺ)

आयते शरीफ़ा में तक़्वा से मुराद माँगने से बचना और अपने मस़ारिफ़े सफ़र का ख़ुद इंतिज़ाम करना मुराद है और ये भी कि उस सफ़र से भी ज़्यादा अहम सफ़रे आख़िरत दरपेश है। उसका तौशा भी तक़्वा परहेज़गारी, गुनाहों से बचना और पाक ज़िन्दगी गुज़ारना है। ब-सिलसिला-ए-ह़ज्ज तक़्वा की तल्क़ीन यही ह़ज्ज का मा ह़स़ल है। आज भी लोग जो ह़ज्ज में माँगने के लिये हाथ फैलाते हैं, उन्होंने ह़ज्ज का मक़्स़द ही नहीं समझा। **क़ालल्मुहल्लब फ़ी हाज़ल्हदीष़ि मिनल्फ़िक़्हि अन्न तर्कस्सुवालि मिनत्तक़्वा व युअय्यिदुहू अन्नल्लाह मदह लम यस्अलिन्नास इल्हाफ़न फ़इन्न क़ौल्लहू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि अत्तक़्वा अय तज़व्वदू वत्तक़ू अज़न्नासि बिसुवालिकुम इय्याहुम वल्इष़्म फ़ी ज़ालिक** (फ़त्ह) या'नी मेह्लब ने कहा कि इस ह़दीष़ से ये समझा गया कि सवाल न करना तक़्वा से है और उसकी ताईद उससे होती है कि अल्लाह पाक ने उस शख़्स की ता'रीफ़ की है जो लोगों से चिमटकर सवाल नहीं करता। **ख़ैरु ज़ादित्तक़्वा** का मत़लब ये कि साथ में तौशा लो और सवाल कर करके लोगों को तकलीफ़ न पहुँचाओ और सवाल करने के गुनाह से बचो।

मांगने वाला मुतवक्किल नहीं हो सकता। हक़ीक़ी तवक्कुल यही है कि किसी से भी किसी चीज़ में मदद न मांगी जाए और अस्बाब मुहय्या करने के बावजूद भी अस्बाब से क़त्ए-नज़र करना ये तवक्कल से है जैसा कि आँहज़रत (ﷺ) ने ऊँट वाले से फ़र्माया था कि उसे मज़्बूत बाँध फिर अल्लाह पर भरोसा रख।

बाब 7 : मक्का वाले हज्ज और उम्रह का एहराम कहाँ से बाँधें

٧- بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

1524. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन ताऊस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के एहराम के लिये ज़ुल हुलैफ़ह, शाम वालों के जुह्फ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल, यमन वालों के लिये यलमलम मुतअय्यन किया। यहाँ से इन मक़ामात वाले भी एहराम बाँधें और उनके अलावा वो लोग भी जो इन रास्तों से आएँ और हज्ज या उम्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जिनकी क़याम मीक़ात और मक्का के बीच है तो वो एहराम उसी जगह से बाँधें जहाँ से उन्हें सफ़र शुरू करना है। यहाँ तक कि मक्का के लोग मक्का ही से एहराम बाँधें।

(दीगर मक़ाम : 1526, 1529, 1530)

١٥٢٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)).

[اطرافه في : ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠]

मा'लूम हुआ कि हज्ज और उम्रह की मीक़ात में कोई फ़र्क़ नहीं है। यही हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) का मक़्सदे बाब है।

बाब 8 : मदीना वालों का मीक़ात और उन्हें ज़ुल हुलैफ़ह से पहले एहराम न बाँधना चाहिये

٨- بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَلاَ يُهِلُّونَ قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

1526. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया मदीना के लोग ज़ुल हुलैफ़ा से एहराम बाँधें, शाम के लोग जुह्फ़ा से और नज्द के लोग क़र्नुल मनाज़िल से। अब्दुल्लाह ने कहा कि मुझे मा'लूम हुआ है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया और यमन के लोग यलमलम से एहराम बाँधें।

(राजेअ : 133)

١٥٢٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ ((وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَيُهَلُّ

أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)). [راجع: ١٣٣]

तश्रीह : शायद हज़रत इमाम बुख़ारी का मज़हब ये है कि मीक़ात से पहले एहराम बाँधना दुरुस्त नहीं है, इस्हाक़ और दाऊद का भी यही क़ौल है। जुम्हूर के नज़दीक दुरुस्त है। ये मीक़ात मकानी में इख़्तिलाफ़ है लेकिन मीक़ात ज़मानी या'नी हज्ज के महीनों से पहले हज्ज का एहराम बाँधना बिल इत्तिफ़ाक़ दुरुस्त नहीं है। नज्द वो मुल्क है जो अ़रब का बालाई हिस्सा तहामा से इराक़ तक वाक़ेअ़ है। कुछ ने कहा कि जरश से लेकर कूफ़ा के नवाह तक उसकी मग़्रिबी हद हिजाज़ है। (वहीदी)

बाब 9 : शाम के लोगों के एहराम बाँधने की जगह कहाँ है?

٩- بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

1526. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया, उनसे त़ाऊस ने बयान किया, और उनसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा को मीक़ात मुक़र्रर किया। शाम वालों के लिये जुह़्फ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल और यमन वालों के लिये यलमलम। ये मीक़ात उन मुल्क वालों के हैं और उन लोगों के लिये भी जो इन मुल्कों से गुज़र कर हरम में दाख़िल हों और हज्ज या उ़म्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हों उनके लिये एहराम बाँधने की जगह उनके घर हैं। यहाँ तक कि मक्का के लोग एहराम मक्का ही से बाँधें। (राजेअ़ : 1524)

١٥٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)). [راجع: ١٥٢٤]

जो हज़रात उ़म्रह के लिये तन्ईम जाना ज़रूरी जानते हैं ये ह़दीष़ उन पर हुज्जत है बशर्ते कि बनज़रे तह़क़ीक़ मुत़ालआ़ फ़र्माएँ।

बाब 10 : नज्द वालों के लिये एहराम बाँधने की जगह कौनसी है?

١٠- بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

1527. हमसे अ़ली बिन मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, कहा हमने ज़ुह्री से ये ह़दीष़ याद रखी, उनसे सालिम ने कहा और उनसे उनके वालिद ने बयान किया था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मीक़ात मुतअ़य्यन कर दिये थे। (राजेअ़ : 133)

١٥٢٧- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ((وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ)) ح. [راجع: ١٣٣]

1528. (दूसरी सनद) और इमाम बुख़ारी (रह़.) ने कहा कि मुझसे अह़मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना,

١٥٢٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مُهَلُّ

أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ – وَلَمْ أَسْمَعْهُ – : ((وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ)).

[راجع: ١٣٣]

आपने फ़र्माया था कि मदीना वालों के लिये एहराम बाँधने की जगह ज़ुल हुलैफ़ा और शाम वालों के लिये मह्यअ़ा या'नी जुह़फ़ा और नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल। अब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि लोग कहते थे कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि यमन वाले एह़राम यलमलम से बाँधें लेकिन मैंने इसे आपसे नहीं सुना। (राजेअ़ : 133)

١١ – بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ

बाब 11 : जो लोग मीक़ात के इधर रहते हों उनके एह़राम बाँधने की जगह

١٥٢٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا)).

[راجع: ١٥٢٤]

1529. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़म्र बिन दीनार ने, उनसे त़ाऊस ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये ज़ुल हुलैफ़ा मीक़ात ठहराया और शाम वालों के लिये जुह़फ़ा, यमन वालों के लिये यलमलम और नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल। ये उन मुल्कों के लोगों के लिये हैं और दूसरे उन तमाम लोगों के लिये भी जो उन मुल्कों से गुज़रें। और ह़ज्ज और उ़म्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हों। तो वो अपने शहरों से एह़राम बाँधें, यहाँ तक कि मक्का के लोग मक्का से एह़राम बाँधें।

(राजेअ़ 1524)

١٢ – بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

बाब 12 : नज्द वालों के लिये एह़राम बाँधने की जगह कौनसी है?

١٥٣٠ – حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ

1530. हमसे मुअ़ल्ला बिन असद ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन त़ाउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना वालों के लिये ज़ुलहुलैफ़ा को मीक़ात मुक़र्रर किया, शाम वालों के लिये जुह़फ़ा, नज्द वालों के लिये क़र्नुल मनाज़िल और यमन वालों के लिये यलमलम। ये उन मुल्कों के बाशिन्दों के मीक़ात हैं और तमाम उन दूसरे मुसलमानों के भी जो उन मुल्कों से

गुज़रकर आएँ और हज्ज और उम्रह का इरादा रखते हों। लेकिन जो लोग मीक़ात के अंदर रहते हैं तो (वो एहराम वहीं से बाँधें) जहाँ से सफ़र शुरू करें यहाँ तक कि मक्का के लोग एहराम मक्का ही से बाँधें। (राजेअ 1524)

مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ)). [راجع: ١٥٢٤]

बाब 13 : इराक़ वालों के एहराम बाँधने की जगह ज़ाते इर्क़ है

١٣ - بَابُ ذَاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

1531. हमसे अली बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन नुमैर ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह ने नाफ़ेअ से बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि जब ये दो शहर (बसरा और कूफ़ा) फ़तह हुए तो लोग हज़रत उमर (रज़ि.) के पास आए और कहा कि या अमीरल मोमिनीन! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नज्द के लोगों के लिये एहराम बाँधने की जगह क़र्नुल मनाज़िल क़रार दी है और हमारा रास्ता उधर से नहीं है, अगर हम क़र्न की तरफ़ जाएँ तो हमारे लिये बड़ी दुश्वारी होगी। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि फिर तुम लोग अपने रास्ते में इसके बराबर कोई जगह तजवीज़ कर लो। चुनाँचे उनके लिये ज़ाते इर्क़ की तअय्यन कर दी।

١٥٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ)).

तश्रीह : ये जगह मक्का शरीफ़ से 42 मील पर है। बज़ाहिर ये मा'लूम होता है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये जगह अपनी राय और इज्तिहाद से मुक़र्रर किया। मगर जाबिर (रज़ि.) की रिवायत में आँहज़रत (ﷺ) से इराक़ वालों का मीक़ात ज़ाते इर्क़ मरवी है गो उसके मर्फ़ूअ होने में शक है। इस रिवायत से ये भी निकला कि अगर कोई मक्का में हज्ज या उम्रह की निय्यत से और किसी रास्ते से आए जिसमें कोई मीक़ात राह में न पड़े तो जिस मीक़ात के मुक़ाबिल पहुँचे वहाँ से एहराम बाँध ले। कुछ ने कहा कि अगर कोई मीक़ात की बराबरी मा'लूम न हो सके तो जो मीक़ात सबसे दूर है इतनी दूर से एहराम बाँध ले। मैं कहता हूँ कि अबू दाऊद और निसाई ने सहीह सनदों से हज़रत आइशा (रज़ि.) से निकाला कि आँहज़रत (ﷺ) ने इराक़ वालों के लिये ज़ाते इर्क़ मुक़र्रर कर दिया और अहमद और दारे क़ुत्नी ने अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस से भी ऐसा ही निकाला है। पस हज़रत उमर (रज़ि.) का इज्तिहाद हदीष के मुताबिक़ पड़ा। (मौलाना वहीदुज़्ज़माँ)

इस बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर ने बड़ी तफ़्सील से लिखा है। आख़िर में आप फ़र्माते हैं, **लाकिन्न लम्मा सन्न उमरू ज़ात इर्क़ व तबिअहू अलैहिस्सहाबतु वस्तमर्र अलैहिल्अमल कान औला बिल्इत्तिबाइ** या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसे मुक़र्रर फ़र्मा दिया और सहाबा-ए-किराम ने इस पर अमल किया तो अब उसकी इत्तिबाअ ही बेहतर है

बाब 14 : ज़ुल हुलैफ़ा में एहराम बाँधते वक़्त नमाज़ पढ़ना

١٤ - بَابُ الصَّلاَةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

1532. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़ामे ज़ुल हुलैफ़ा के पथरीले मैदान में अपनी सवारी रोकी और फिर

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ

वहीं आप (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) भी ऐसा ही किया करते थे। (राजेअ़ 484)

فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [راجع: ٤٨٤]

बाब 15 : नबी करीम (ﷺ) का शजरह पर से गुज़रकर जाना

١٥- بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

1533. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अ़याज़ ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने बयान किया और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) शजरह के रास्ते से गुज़रते हुए, मुअ़र्रिस के रास्ते से मदीना आते। नबी करीम (ﷺ) जब मक्का जाते तो शजरह की मस्जिद में नमाज़ पढ़ते लेकिन वापसी में ज़ुलहुलैफ़ा के नशीब में नमाज़ पढ़ते। आप रात वहीं गुज़ारते यहाँ तक कि सुबह हो जाती।

١٥٣٣- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ)).

शजरह एक पेड़ था ज़ुल हुलैफ़ा के पास। आँहज़रत (ﷺ) उसी रास्ते से आते और जाते। अब वहाँ एक मस्जिद बन गई है। आजकल उस जगह का नाम बीरे अ़ली है, ये अ़ली हज़रत अ़ली बिन अबी ता़लिब नहीं हैं बल्कि कोई और अ़ली हैं जिनकी त़रफ़ से जगह और यहाँ का कुँआ मन्सूब है। मुअ़र्रिस अ़रबी में उस जगह को कहते हैं जहाँ मुसाफ़िर रात को उतरे और वहाँ डेरा लगाएँ। ये मज़्कूरा मुअ़र्रिस ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद तले वाक़ेअ़ है और यहाँ से मदीना बहुत ही क़रीब है। अल्लाह हर मुसलमान को बार-बार इन जगहों की ज़ियारत नसीब फ़र्माए, आमीन! आप दिन की रोशनी में मदीना में दाख़िल हुआ करते थे। पस सुन्नत यही है।

बाब 16 : नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद कि वादी अ़क़ीक़ मुबारक वादी है

١٦- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ((الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ))

1534. हमसे अबूबक्र अ़ब्दुल्लाह हुमैदी ने बयान किया, कहा कि हमसे वलीद और बिश्र बिन बक्र तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन अबी कषीर ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने उ़मर (रज़ि.) से सुना, उनका बयान था कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से वादी अ़क़ीक़ में सुना। आपने फ़र्माया था कि रात मेरे पास रब का एक फ़रिश्ता आया और कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ और ऐलान कर

١٥٣٤- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي

الْعَقِيْقِ يَقُولُ: ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).

कि उम्रह हज्ज में शरीक हो गया।

हज्ज के दिनों में उम्रह अहदे जाहिलियत में सख़्त ऐब समझा जाता था। इस्लाम ने इस ग़लत ख़याल की भी इस्लाह की और ऐलान कराया कि अब अय्यामे हज्ज में उम्रह भी दाख़िल हो गया। या'नी जाहिलियत का ख़याल ग़लत और झूठा था।

अय्यामे हज्ज में उम्रह किया जा सकता है। इसीलिये तमत्तोअ को अफ़ज़ल क़रार दिया गया कि उसमें पहले उम्रह करके जाहिलियत की रस्म की रद्द करता है। फिर उसमें जो आसानियाँ हैं कि यौमे तर्विया तक एहराम खोलकर आज़ादी मिल जाती है। ये आसानी भी इस्लाम को मतलूब है। इसीलिये तमत्तोअ हज्ज की बेहतरीन सूरत है।

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ مُعَرِّسٌ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ)).

[راجع: ٤٨٣]

1535. हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुज़ैल बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, कहा कि हमसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया और उनसे उनके वालिद ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से कि मुअर्रिस के क़रीब ज़ुल हुलैफ़ा की बत़ने वादी (वादी–ए–अक़ीक़) में आप (ﷺ) को ख़्वाब दिखाया गया। (जिसमें) आपसे कहा गया था कि आप उस वक़्त बत़्हा मुबारका में हैं। मूसा बिन उक़्बा ने कहा कि सालिम ने हमको भी वहाँ ठहराया वो उस मुक़ाम को ढूँढ़ रहे थे जहाँ अब्दुल्लाह ऊँट बिठाया करते थे या'नी जहाँ आँहज़रत (ﷺ) रात को उतरा करते थे। वो मक़ाम उस मस्जिद के नीचे की तरफ़ में है जो नाले के नशीब में है। उतरने वालों और रास्ते के बीचों बीच (वादी अक़ीक़ मदीना से चार मील बक़ीअ की जानिब है।

(राजेअ : 483)

हदीष से वादी की फ़ज़ीलत ज़ाहिर है। उसमें क़याम करना और यहाँ नमाज़ें अदा करना बाइषे अज्रो–षवाब और इत्तिबाअ़े सुन्नत है। तिबअ जब मदीना से वापस हुआ तो उसने यहाँ क़याम किया था और उस ज़मीन की ख़ूबी देखकर कहा था कि ये तो अक़ीक़ की तरह है। उसी वक़्त से उसका नाम अक़ीक़ हो गया (फ़त्हुल बारी)

١٧ - بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

बाब 17 : अगर कपड़ों पर ख़लूक़ (एक क़िस्म की ख़ुश्बू) लगी हो तो उसको तीन बार धोना

١٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي

1536. हमसे मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ज़िहाक बिन मुख़लद ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अता बिन अबी रिबाह ने ख़बर

عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ((أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ : فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ – وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ – جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى – وَعَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَوبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ – فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟)) فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: ((اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ)). فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِيْنَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؟ فَقَالَ : ((نَعَم)).

[أطرافه في: ١٧٨٩، ١٨٤٧، ٤٣٢٩، ٤٩٨٥].

दी, उन्हें सफ़वान बिन यअ़ला ने, कहा कि उनके बाप यअ़ला बिन उमय्या ने ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से कहा कि कभी आप मुझे नबी करीम (ﷺ) को इस ह़ाल में दिखाइये जब आप पर वह्य नाज़िल हो रही हो। उन्होंने बयान किया कि एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) जिअ़राना में अपने अस्ह़ाब की एक जमाअ़त के साथ ठहरे हुए थे कि एक शख़्स ने आकर पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस शख़्स के बारे में आपका क्या हुक्म है जिसने उ़म्रह का एहराम इस त़रह बाँधा कि उसके कपड़े ख़ुश्बू में बसे हुए हों। नबी करीम (ﷺ) उस पर थोड़ी देर के लिये चुप हो गये। फिर आप पर वह्य नाज़िल हुई तो ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ने यअ़ला (रज़ि.) को इशारा किया। यअ़ला आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) पर एक कपड़ा था जिसके अंदर आप तशरीफ़ रखते थे। उन्होंने कपड़े के अंदर अपना सर बाहर किया तो क्या देखते हैं कि रूए मुबारक सुर्ख़ है और आप ख़र्राटे ले रहे हैं। फिर ये हालत ख़त्म हुई तो आपने फ़र्माया कि वो शख़्स कहाँ है जिसने उ़म्रह के बारे में पूछा था। शख़्से मज़्कूर ह़ाज़िर किया गया तो आपने फ़र्माया कि जो ख़ुश्बू लगा रखी है उसे तीन बार धो ले और अपना जुब्बा उतार दे। उ़म्रह में भी इसी त़रह कर जिस त़रह ह़ज्ज में करते हो। मैंने अ़त़ा से पूछा कि क्या आँहुज़ूर (ﷺ) के तीन बार धोने के हुक्म से पूरी त़रह सफ़ाई मुराद थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ।

(दीगर मक़ाम: 1789, 1847, 4329, 4985)

तश्रीह: इस ह़दीष़ से उन लोगों ने दलील ली है जो एह़राम के समय ख़ुश्बू लगाना जाइज़ नहीं जानते क्योंकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस ख़ुश्बू के अष़र को तीन बार धोने का हुक्म फ़र्माया। इमाम मालिक और इमाम मुह़म्मद का यही क़ौल है और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक एह़राम बाँधते वक़्त ख़ुश्बू लगाना दुरुस्त है भले ही उसका अष़र एह़राम के बाद बाक़ी रहे। वो कहते हैं कि यअ़ला की ह़दीष़ 8 हिजरी की है और 10 हिजरी में या'नी ह़ज्जतुल विदा में ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने एह़राम बाँधते वक़्त आप (ﷺ) के ख़ुश्बू लगाई और ये आख़िरी काम पहले का नासिख़ है। (वह़ीदी)

हाफ़िज़ इब्ने ह़जर फ़र्माते हैं **व अजाबल्जुम्हूरू बिअन्न क़िस्सत यअला कानत बिल्जिअराना कमा ष़बत फ़ी हाज़ल्हदीषि व हिय फ़ी सनत ष़मानिन बिला ख़िलाफ़िन व क़द ष़बत अ़न आइशत अन्नहा तय्यिबतु रसूलिल्लाहि (ﷺ) बियादिहा इन्द इहरामिहा कमा सयाती फ़िल्लज़ी बअ़दहू व कान ज़ालिक फ़ी हज्जतिल्वदाइ सनत अशर बिला खिलाफ़िन व इन्नमा बिल्आख़िरी फ़ल्आख़िरू मिनल्अम्रि** (फ़त्हुल्बारी) ख़ुलासा इस इ़बारत का वही है जो ऊपर मज़्कूर हुआ।

बाब 18 : एहराम बाँधने के वक़्त ख़ुश्बू लगाना

और एहराम के इरादे के वक़्त क्या पहनना चाहिये और कंघा करे और तैल लगाए और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुह़रिम ख़ुश्बूदार फूल सूँघ सकता है। इसी त़रह़ आईना देख सकता है और उन चीज़ों को जो खाई जाती हैं बत़ौर दवा भी इस्ते'माल कर सकते हैं। मष़लन ज़ैतून का तैल और घी वग़ैरह। और अ़त़ा ने फ़र्माया कि मुह़रिम अंगूठी पहन सकता है और हमयानी बाँध सकता है। इब्ने उ़मर ने त़वाफ़ किया उस वक़्त आप मुह़रिम थे लेकिन पेट पर एक कपड़ा बाँध रखा था। आ़इशा (रज़ि.) ने जाँगिये में कोई मुज़ायक़ा नहीं समझा था। अबू अ़ब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह) ने कहा कि ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) की मुराद इस हुक्म से उन लोगों के लिये थी जो कि होदज को ऊँट पर कसा करते थे।

١٨- بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ تَعْنِيْ لِلَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ هَوْدَجَهَا.

इसको सईद बिन मंसूर ने वस्ल किया। दारे क़ुत्नी की रिवायत में यूँ है और हम्माम मे जा सकता है और दाढ़ में दर्द हो तो उखाड़ सकता है; फोड़ा फोड़ सकता है, अगर नाख़ून टूट गया हो तो उतना टुकड़ा निकाल सकता है। जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक एहराम में जांगिया पहनना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये पायजामा ही के हुक्म में है।

1537. हमसे मुह़म्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने बयान किया कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) सादा तैल इस्ते'माल करते थे (एह़राम के बावजूद) मैं ने उसका ज़िक्र इब्राहीम नख़ई से किया तो उन्होंने फ़र्माया कि तुम इब्ने उ़मर (रज़ि.) की बात नक़ल करते हो।

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ، فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ :

1538. मुझसे तो अस्वद ने बयान किया और उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुह़रिम हैं और गोया मैं आपकी मांग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ।

١٥٣٨- حَدَّثَنِيْ الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ)).

तश्रीह : इब्राहीम नख़ई का मत़लब ये है कि इब्ने उ़मर ने जो एहराम लगाते वक़्त ख़ुश्बू से परहेज़ किया और सादा बग़ैर ख़ुश्बू का तैल डाला तो हमें उस फ़ेअ़ल से कोई ग़र्ज़ नहीं जब आँह़ज़रत (ﷺ) की ह़दीष़ मौजूद है। जिससे ये ष़ाबित होता है कि एह़राम बाँधते वक़्त आपने ख़ुश्बू लगाई। यहाँ तक कि एह़राम के बाद भी उसका अष़र आपकी मांग में रहा। इस रिवायत से ह़नफ़िया को सबक़ लेना चाहिये। इब्राहीम नख़ई ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा के उस्ताज़ुल उस्ताज़ हैं उन्होंने ह़दीष़ के ख़िलाफ़ इब्ने उ़मर (रज़ि.) का क़ौल व फ़ेल रद्द कर दिया तो और किसी मुज्तहिद और फ़क़ीह का क़ौल ह़दीष़ के ख़िलाफ़ कब क़ाबिले क़ुबूल हो गया। (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ)

इस मुक़ाम पर ह़दीषे नबवी **लौ कान मूसा ह़य्यन वत्तबअतुमूहु** भी याद रखनी ज़रूरी है। या'नी आपने फ़र्माया कि अगर आज मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ज़िन्दा हों और तुम मेरे ख़िलाफ़ उनकी इत्तिबाअ़ करने लगो तो तुम गुमराह हो जाओगे मगर मुक़ल्लिदीन का ह़ाल इस क़दर अ़जीब है कि वो अपने इमामों की मुह़ब्बत में न क़ुर्आन को क़ाबिले ग़ौर समझते हैं न अह़ादीष़ को। उनका आख़िरी जवाब यही होता है कि हमको बस क़ौले इमाम काफ़ी है। ऐसे मुक़ल्लिदीन जामेदीन के लिये ह़ज़रत इमाम मह्दी (अ़लैहिस्सलाम) ही शायद रहनुमा बन सकें वरना सरासर नाउम्मीदी है।

1539. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुर्रह़मान बिन क़ासिम ने, उन्हें उनके वालिद ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) एह़राम बाँधते तो मैं आपके एह़राम के लिये और इसी त़रह़ बैतुल्लाह के त़वाफ़े ज़ियारत से पहले हलाल होने के लिये ख़ुश्बू लगाया करती थी।

(दीगर मक़ाम : 1754, 5922, 5928, 5930)

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)).

[أطرافه في: ١٧٥٤، ٥٩٢٢، ٥٩٢٨، ٥٩٣٠].

बाब 19 : बालों को जमाकर एह़राम बाँधना

١٩ - بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

एह़राम बाँधते वक़्त इस ख़्याल से कि बाल परेशान न हों, उनमें गर्दो–गुबार न समाए, बालों को गूंद या ख़त्मी या किसी और लुआ़ब से जमा लेते हैं। अरबी ज़ुबान में उसे तल्बीद कहते हैं।

1540. हमसे अस्बग़ बिन फ़र्ज ने बयान किया। कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से तल्बीद की ह़ालत में लब्बैक कहते सुना।

(दीगर मक़ाम : 1549, 5914, 5915)

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا)).

[أطرافه في: ١٥٤٩، ٥٩١٤، ٥٩١٥].

या'नी किसी लैसदार चीज़ गूंद वग़ैरह से आपने बालों को इस तरह़ जमा लिया था कि एह़राम की ह़ालत में वो परागन्दा न होने पाएँ (या'नी उलझें नहीं)। उसी ह़ालत में आपने एह़राम बाँधा था।

बाब 20 : ज़ुल ह़ुलैफ़ा की मस्जिद के पास एह़राम बाँधना

٢٠ - بَابُ الإِهْلاَلِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

1541. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़यैना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह से सुना, उन्होंने कहा कि

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: ((مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ)) يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा क़अम्बी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे मूसा बिन उक़्बा ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उन्होंने अपने बाप से सुना, वो कह रहे थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा के क़रीब ही पहुँचकर एहराम बाँधा था।

इसमें इख़्तिलाफ़ है कि आँहज़रत (ﷺ) ने किस जगह से एहराम बाँधा था। कुछ लोग ज़ुल हुलैफ़ा की मस्जिद से बताते हैं जहाँ आपने एहराम का दोगाना अदा किया। कुछ कहते हैं जब मस्जिद से निकलकर ऊँटनी पर सवार हुए। कुछ कहते हैं जब आप बैदाअ की बुलन्दी पर पहुँचे। ये इख़्तिलाफ़ दर हक़ीक़त इख़्तिलाफ़ नहीं है क्योंकि इन तीनों मुक़ामों में आपने लब्बैक पुकारी होंगी। कुछ ने अव्वल और दूसरे मुक़ाम की न सुनी होगी कुछ ने अव्वल की न सुनी होगी दूसरे की सुनी होगी तो उनको यही गुमान हुआ कि यहीं से एहराम बाँधा। (वहीदी)

٢١– بَابُ مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

बाब 21 : मुहरिम को कौनसे कपड़े पहनना दुरुस्त नहीं

١٥٤٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَلاَ يَتَرَجَّلُ وَلاَ يَحُكُّ جَسَدَهُ وَيُلْقِي الْقَمْلَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ فِي الأَرْضِ. [راجع: ١٣٤]

1542. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उन्हें अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि एक शख़्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह! मुहरिम को किस तरह के कपड़े पहनना चाहिये? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया न कुर्ता पहने न अमामा बाँधे न पाजामा पहने न बारान कोट न मोज़े। लेकिन अगर उसके पास जूती न हो तो वो मोज़े उस वक़्त पहन सकता है जब टख़नों के नीचे से उनको काट लिया हो। (और एहराम में) कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसमें ज़ा'फ़रान या विर्स लगा हुआ हो। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुहरिम अपना सर धो सकता है लेकिन कँघा न करे। बदन भी न खुजलाना चाहिये और जूँ सर और बदन से निकालकर डाली जा सकती है। (राजेअ : 134)

विर्स एक पीली घास होती है ख़ुश्बूदार और उस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि मुहरिम को ये कपड़े पहनने नाजाइज़ हैं। हर सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्द को एहराम में नाजाइज़ है लेकिन औरतों को दुरुस्त है। ख़ुलासा ये कि एक लुन्गी और एक चादर,

मर्द का यही एहराम है। ये एक फ़क़ीरी लिबास है, अब ये हाजी अल्लाह का फ़क़ीर बन गया, उसको उस लिबासे फ़क़्र का ताज़िन्दगी लिहाज़ रखना ज़रूरी है। इस मौक़े पर कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यूँ न हो सबको यही लिबास ज़ैबतन करके मसावाते इंसानी (बराबरी) का एक बेहतरीन नमूना पेश करना है और हर अमीर व ग़रीब को एक ही सतह पर आ जाना है ताकि वहदते इंसानी का ज़ाहिरन और बातिनन बेहतर मुज़ाहिरा हो सके और उमरा के दिमाग़ों से नख़्वते अमीरी निकल सके और ग़ुरबा को तसल्ली व इत्मीनान हो सके। अलग़र्ज़ लिबासे एहराम के अंदर बहुत से रूहानी व माद्दी व समाजी फ़वाइद मुज़्मर हैं मगर उनका मुतालआ करने के लिये बसीरत वाली आँखों की ज़रूरत है और ये चीज़ हर किसी को नहीं मिलती। **इन्नमा यतज़क्करू उलुल्अल्बाब**

बाब 22 : हज्ज के लिये सवार होना या सवारी पर किसी के पीछे बैठना दुरुस्त है

٢٢- بَابُ الرُّكُوبِ وَالارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

1543,44. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, उनसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया। उनसे यूनुस बिन ज़ैद ने, उनसे ज़ुहरी ने, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा तक उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। फिर मुज़दलिफ़ा से मिना तक हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (रज़ि.) पीछे बैठ गये थे, दोनों हज़रात ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जमरह उक़्बा की रमी तक बराबर तल्बिया कहते रहे।

(दीगर मक़ाम : 1686, 1670, 1685, 1687)

١٥٤٣، ١٥٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)). [طرفه في : ١٦٨٦].

[أطرافه في : ١٦٧٠، ١٦٨٥، ١٦٨٧].

बाब 23 : मुहरिम चादरें और तह्बन्द और कौन कौनसे कपड़े पहने

٢٣- بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

और हज़रत आइशा (रज़ि.) मुहरिम थीं लेकिन कस्म (कैसू के फूल) में रंगे हुए कपड़े पहने हुए थी। आपने फ़र्माया कि औरतें एहराम की हालत में अपने होंठ न छुपाएँ न चेहरे पर नक़ाब डालें और न विर्स या ज़ा'फ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनें और जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने औरतों के लिये ज़ेवर स्याह या गुलाबी कपड़े और मोज़ों के पहनने में कोई मुज़ायक़ा नहीं समझा और इब्राहीम नख़ई ने कहा कि औरतों को एहराम की हालत में कपड़े बदल लेने में कोई हर्ज नहीं।

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ - وَهِيَ مُحْرِمَةٌ - وَقَالَتْ : لاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَبَرْقَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ

ثِيَابَهُ.

١٥٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا. ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ)).

[طرفاه في : ١٦٢٥، ١٧٣١].

1545. हमसे मुहम्मद बिन अबीबक्र मुक़द्दमी ने बयान किया, कहा कि हमसे फ़ुज़ैल बिन सुलैमान ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उ़क़्बा ने बयान किया, कहा कि मुझे कुरैब ने ख़बर दी और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि हज्जतुल विदाअ़ में ज़ुहर और अ़स्र के बीच हफ़्ता के दिन) नबी करीम (ﷺ) कँघा करने और तैल लगाने और इज़ार और रिदा (चादर) पहनने के बाद अपने स़हाबा के साथ मदीना से निकले। आपने उस वक़्त ज़ा'फ़रान में रंगे हुए ऐसे कपड़े के सिवा जिसका रंग बदन पर पर लगता हो किसी क़िस्म की चादर या तहबन्द पहनने से मना नहीं किया। दिन में आप ज़ुल हुलैफ़ा पहुँच गये (और रात वहीं गुज़ारी) फिर आप सवार हुए और बैदा से आपके और आपके साथियों ने लब्बैक कहा और एहराम बाँधा और अपने ऊँटों को हार पहनाया। ज़ीक़अदा के महीने में अब पाँच दिन रह गये थे। फिर आप जब मक्का पहुँचे तो ज़िल्हिज्ज के चार दिन गुज़र चुके थे। आपने बैतुल्लाह का त़वाफ़ किया और स़फ़ा व मरवा की सई की, आप अभी हलाल नहीं हुए क्योंकि क़ुर्बानी के जानवर आपके साथ थे और आपने उनकी गर्दन में हार डाल दिया था। आप हिजून पहाड़ के नज़दीक मक्का के बालाई ह़िस्से में उतरे। हज्ज का एहराम अब भी बाक़ी था। बैतुल्लाह के त़वाफ़ के बाद फिर आप वहाँ उस वक़्त तक तशरीफ़ नहीं ले गये जब तक मैदाने अ़रफ़ात से वापस न हो लिये। आपने अपने साथियों को हुक्म दिया था कि वो बैतुल्लह का त़वाफ़ करें और स़फ़ा व मरवा के बीच सई करें, फिर अपने सरों के बाल तरश्वा कर हलाल हो जाएँ। ये फ़र्मान उन लोगों के लिये था जिनके साथ क़ुर्बानी के जानवर न थे। अगर किसी के साथ उसकी बीवी थी तो वो उससे हम बिस्तर हो सकता था। इसी त़रह़ खुश्बूदार और (सिले हुए) कपड़े का इस्ते'माल भी उसके लिये जाइज़ था।

(दीगर मक़ाम : 1625, 1731)

तश्रीह : नबी करीम (ﷺ) हफ़्ते के दिन मदीना मुनव्वरा से बतारीख़ 25 ज़ीक़अदा को निकले थे। अगर महीना तीस दिन का होता तो पाँच दिन बाक़ी रहे थे। लेकिन इत्तिफ़ाक़ से महीना 29 दिन का हो गया और ज़िल्हिज्ज की

पहली तारीख़ जुमेरात को वाक़ेअ हुई। क्योंकि दूसरी रिवायतों से षाबित है कि आप अरफ़ात में जुम्आ के दिन ठहरे थे। इब्ने हज़्म ने जो कहा कि आप जुम्अ़ेरात के दिन मदीना से निकले थे ये ज़हन में नहीं आता। अल्बत्ता आप जुम्अ़े को मदीना से निकले हों। मगर सहीहैन की रिवायतों में है कि आपने उस दिन ज़ुहर की नमाज़ मदीना में चार रकअ़तें पढ़ीं और अ़स्र की ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअ़तें। इन रिवायतों से साफ़ मा'लूम होता है कि वो जुम्आ का दिन था। हजून पहाड़ मुहस्सब के क़रीब मस्जिद उ़क़्बा के बराबर है।

बाब 24 : (मदीना से चलकर) ज़ुल हुलैफ़ा में सुबह तक ठहरना

٢٤- بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ये अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से नक़ल करते हैं

1546. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हिशाम बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन मुंकदिर ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने मदीना में चार रकअ़तें पढ़ीं लेकिन ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअ़त अदा फ़र्माईं फिर आपने रात वहीं गुज़ारी। सुबह के वक़्त जब आप अपनी सवपारी पर सवार हुए तो आपने लब्बैक पुकारी। (राजेअ़ : 1089)

١٥٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ)). [راجع: ١٠٨٩]

1547. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़ितयानी ने बयान किया, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में ज़ुहर चार रकअ़त पढ़ी लेकिन ज़ुल हुलैफ़ा में अ़स्र दो रकअ़त। उन्होंने कहा कि मेरा ख़याल है कि रात सुबह तक आपने ज़ुल हुलैफ़ा में ही गुज़ार दी। (राजेअ़ : 1089)

١٥٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ)). [راجع: ١٠٨٩]

ज़ुल हुलैफ़ा वही जगह है जो आजकल बीरे अ़ली के नाम से मशहूर है आज भी ह़ाजी स़ाह़िबान का यहाँ पड़ाव होता है।

बाब 25 : लब्बैक बुलन्द आवाज़ से कहना

٢٥- بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ

1548. हमसे सुलैमान बिन ह़र्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अबू अय्यूब ने, उनसे अबू क़िलाबा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े ज़ुहर मदीना मुनव्वरा में चार रकअ़त

١٥٤٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

((صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا)).

पढ़ी। लेकिन नमाज़े अस्र ज़ुल हुलैफ़ा में दो रकअत पढ़ी। मैंने ख़ुद सुना कि लोग आवाज़ से हज्ज और उ़म्रह दोनों के लिये लब्बैक कह रहे थे।

तश्रीह : जुम्हूर उ़लमा का यही क़ौल है कि लब्बैक पुकार कर कहना मुस्तहब है। मगर ये मर्दों के लिये है, औरतें आहिस्ता कहें। इमाम अहमद (रह.) ने मर्फ़ूअन ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से नक़ल किया है कि अल्लाह तआला ने मुझको लब्बैक पुकारकर कहने का हुक्म दिया है। अब लब्बैक कहना इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद के नज़दीक सुन्नत है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक बग़ैर लब्बैक कहे एह़राम पूरा न होगा। आख़िरी जुम्ला का मतलब ये है कि हज्जे क़िरान की निय्यत करने वाले **लब्बैक बिहज्जतिन व उ़म्रतिन** पुकार रहे थे। पस क़िरान वालों को जो हज्ज व उ़म्रह दोनों मिलाकर करना चाहते हों वो ऐसे ही लब्बैक पेश करें और ख़ाली हज्ज करने वाले **लब्बैक बिहज्जतिन** कहें। और ख़ाली उ़म्रह करनेवाले **लब्बैक बि उ़म्रतिन** के अल्फ़ाज़ कहें। हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं **फ़ीहि हुज्जतुन लिल्जुम्हूरि फ़ी इस्तिहबाबि रफ़इल्अस्वाति बित्तल्बिय्यति व क़द रवा मालिक फ़िल्मुअता व अस्हाबुस्सुननि व सह्हहुत्तिर्मिज़ी व इब्नु ख़ुज़ैमा वल्हाकिम मिन तरीक़ि ख़ल्लाद बिन अस्साइब अन अबीहि मर्फ़ूअन जाअनी जिब्रीलु फअमरनी अन आमुर अस्हाबी यर्फ़ुऊन अस्वातहुम बिल्इहलालि**या'नी लब्बैक के साथ आवाज़ बुलन्द करना मुस्तहब है। मौता वग़ैरह में मर्फ़ूअन मरवी है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे पास जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आए और फ़र्माया कि अपने अस्हाब से कह दीजिए कि लब्बैक के साथ आवाज़ बुलन्द करें। पस अस्हाबे किराम (रज़ि.) इस क़दर बुलन्द आवाज़ से लब्बैक कहा करते थे कि पहाड़ गूँजने लग जाते। **लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक** के मा'नी या अल्लाह! मैं तेरी इबादत पर क़ायम हूँ और तेरे बुलाने पर हाज़िर हुआ हूँ या मेरा इख़्लास तेरे ही लिये है। मैं तेरी तरफ़ मुतवज्जह हूँ, तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ। लब्बैक उस दा'वत की क़ुबूलियत है जो तक्मीले इमारते क़ाबा के बाद ह़ज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने **व अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल्हज्जि** की ता'मील में पुकारी थी कि लोगों! आओ अल्लाह का घर बन गया है पस इस आवाज़ पर हर हाजी लब्बैक पुकारता है कि मैं हाज़िर हो गया हूँ या ये कि गुलाम हाज़िर है।

बाब 26 : तल्बिया का बयान

٢٦- بَابُ التَّلْبِيَةِ

١٥٤٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ)).

[راجع: ١٥٤٠]

हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का तल्बिया ये था, हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह! हाज़िर हूँ मैं, तेरा कोई शरीक नहीं। हाज़िर हूँ, तमाम ह़म्द तेरे ही लिये है और तमाम नेअ़मतें तेरी ही तरफ़ से हैं, मुल्क तेरा ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। (राजेअ़ 1540)

١٥٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((إِنِّي لأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

1550. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान सौरी ने आ'मश से बयान किया, उनसे अ़म्मारा ने, उनसे अ़तिया ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि मैं जानती हूँ कि किस तरह नबी करीम (ﷺ) तल्बिया कहते थे। आप तल्बिया यूँ कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक

ला शरीक लका लब्बैक इन्नल ह़म्द वन्निअ़मत लक (तर्जुमा गुज़र चुका है) इसकी मुताबअ़त सुफ़यान ष़ौरी की त़रह़ अबू मुआविया ने आ'मश से भी की है और शुअ़बा ने कहा कि मुझको सुलैमान आ'मश ने ख़बर दी कि मैंने ख़ैष़मा से सुना और उन्होंने अबू अ़तिया से, उन्होंने ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) से सुना। फिर यही ह़दीष़ बयान की।

بلَبّي : لَبَّيكَ اللّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَ، إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ)). تَابَعَهُ أبو مُعاوِيَةَ عَنِ الأعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ قَالَ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

बाब 27 : एह़राम बाँधते वक़्त जब जानवर पर सवार होने लगे तो लब्बैक से पहले अल्ह़म्दुलिल्लाह, सुब्ह़ानल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना

٢٧- بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلاَلِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

1551. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब सुख़्तियानी ने बयान किया, उनसे अबू क़लाबा ने और उनसे अनस ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में... हम भी आपके साथ थे... ज़ुहर की नमाज़ चार रकअ़त पढ़ी और ज़ुल हुलैफ़ा में अ़स्र की नमाज़ दो रकअ़त। आप रात को वहीं रहे। सुबह़ हुई तो मक़ामे बैदा से सवारी पर बैठते हुए अल्लाह तआ़ला की ह़म्द, उसकी तस्बीह़ और तक्बीर कही। फिर ह़ज्ज और उ़म्रह के लिये एक साथ एह़राम बाँधा और लोगों ने भी आपके साथ दोनों का एक साथ एह़राम बाँधा (या'नी क़िरान किया) जब हम मक्का आए तो आपके हुक्म से (जिन लोगों ने ह़ज्जे तमत्तोअ़ का एह़राम बाँधा था उन) सबने एह़राम खोल दिया। फिर आठवीं तारीख़ में सबने ह़ज्ज का एह़राम बाँधा। उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथ से खड़े होकर बहुत से ऊँट नहर किये। हुज़ूर अकरम ने (ईदुल अज़्हा के दिन) मदीना में भी दो चितकबरे सींगों वाले मेंढ़े ज़िब्ह़ किये थे। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि कुछ लोग इस ह़दीष़ को यूँ रिवायत करते हैं अय्यूब से, उन्होंने एक शख़्स से, उन्होंने अनस से। (राजेअ़ : 1089)

١٥٥١- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ - الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ. قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ. [راجع: ١٠٨٩]

बाब 28 : जब सवारी सीधी लेकर खड़ी हो उस वक़्त लब्बैक पुकारना

٢٨- بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

1552. हमसे अबू आसिम ने बयान किया, कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे सालेह बिन कैसान ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को लेकर आपकी सवारी पूरी तरह खड़ी हो गई थी, तो आपने उस वक़्त लब्बैक पुकारा। (राजेअ : 166)

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً)). [راجع: ١٦٦]

बाब 29 : क़िब्ला रुख़ होकर एहराम बाँधते हुए लब्बैक पुकारना

٢٩- بَابُ الإِهْلاَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

1553. और अबू मअमर ने कहा कि हमसे अब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अय्यूब सुख़ियानी ने नाफ़ेअ से बयान किया, उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब ज़ुल हुलैफ़ा में सुबह की नमाज़ पढ़ चुके तो अपनी ऊँटनी पर पालान लगाने का हुक्म फ़र्माया, सवारी लाई गई तो आप उस पर सवार हुए और जब वो आपको लेकर खड़ी हो गई तो आप खड़े होकर क़िब्ला रू हो गये और फिर लब्बैक कहना शुरू किया यहाँ तक कि हरम में दाख़िल हो गये। वहाँ पहुँचकर आपने लब्बैक कहना बंद कर दिया। फिर ज़ी तुवा में तशरीफ़ लाकर रात वहीं गुज़ारते सुबह होती तो नमाज़ पढ़ते और ग़ुस्ल करते (फिर मक्का में दाख़िल होते) आप यक़ीन के साथ ये जानते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसी तरह किया था। अब्दुल वारिष़ की तरह इस हदीष़ को इस्माईल ने भी अय्यूब से रिवायत किया। उसमें ग़ुस्ल का ज़िक्र है।

(दीगर मक़ाम : 1554, 1573, 1574)

١٥٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ)).

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ : فِي الْغَسْلِ.

[أطرافه في : ١٥٥٤، ١٥٧٣، ١٥٧٤].

1554. हमसे अबू रबीअ सुलैमान बिन दाऊद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे फुलैह बिन सुलैमान ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब मक्का जाने का इरादा करते थे पहले ख़ुश्बू के बग़ैर तैल इस्ते'माल करते। उसके बाद मस्जिदे ज़ुल हुलैफ़ा में तशरीफ़ लाते यहाँ सुबह की नमाज़ पढ़ते, फिर सवार होते, जब ऊँटनी आप (ﷺ) को लेकर पूरी तरह खड़ी हो जाती तो एहराम बाँधते। फिर फ़र्माते कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसी तरह करते देखा था। (राजेअ : 1553)

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ. وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ)). [راجع: ١٥٥٣]

बाब 30 : नाले में उतरते वक़्त लब्बैक कहे

٣٠- بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

1555. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्ने अ़दी ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन औ़न ने, उनसे मुजाहिद ने बयान किया, कहा कि हम अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में ह़ाज़िर थे। लोगों ने दज्जाल का ज़िक्र किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि उसकी दोनों आँखों के बीच काफ़िर लिखा हुआ होगा। तो इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने तो ये नहीं सुना। हाँ! आपने ये फ़र्माया था कि गोया मैं मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को देख रहा हूँ कि जब आप नाले में उतरे तो लब्बैक कह रहे थे। (दीगर मक़ाम : 3355, 5913)

١٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي)). [طرفاه في : ٣٣٥٥، ٥٩١٣].

तशरीह : मा'लूम हुआ कि आ़लमे मिष़ाल में आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को ह़ज्ज के लिये लब्बैक पुकारते हुए देखा। एक रिवायत में ऐसे ही ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) का भी ज़िक्र है। इस ह़दीष़ में ह़ज़रत ईसा बिन मरयम (अ़लैहिस्सलाम) का **फ़ज्जुर्रोहा** से एह़राम बाँधने का ज़िक्र है। ये भी अन्देशा है कि ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को आपने इस ह़ालत में ख़्वाब में देखा हो। ह़ाफ़िज़ ने इसी पर ए'तिमाद किया है। मुस्लिम शरीफ़ में ये वाक़िया ह़ज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से यूँ मरवी है कि **कअन्नी अन्ज़ुरु इला मूसा हाबितन मिनष़्ष़नियति वाज़िअन इस्बैहि फ़ी उज़्नैहि मा रआ बिहाज़ल्वादी व लहू जवारुन इलल्लाहि बित्तल्बियति** या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया गोया कि मैं ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को देख रहा हूँ। आप घाटी से उतरते हुए कानों में उँगलियाँ डाले हुए लब्बैक बुलन्द आवाज़ से पुकारते हुए इस वादी से गुज़र रहे हैं। उसके ज़ेल में ह़ाफ़िज़ साह़ब की पूरी तक़रीर ये है, **वख़्तलफ़ अहलुत्तह़क़ीक़ि फ़ी मअ़ना क़ौलिही कअन्नी अन्ज़ुरू अ़ला औजहिन अल्अव्वलु हुव अ़लल्ह़क़ीक़ति वल्अम्बियाउ अह़याउन इन्द रब्बिहिम युर्ज़क़ून फ़ला मानिअ अय्यहुज्जू फ़ी हाज़ल्हालि कमा ष़बत फ़ी सह़ीहि मुस्लिम मिन ह़दीष़ि अनसिन अन्नहू (ﷺ) राअ मूसा क़ाइमन फ़ी क़ब्रिही युसल्ली कालल्क़ुर्तुबी हुब्बिबत इलैहिमुल्इबादतु फ़हुम यतअब्बदून बिमा यजिदूनहू मिन दवाई अन्फ़ुसिहिम बिमा ला यल्ज़िमून बिही कमा युल्हमु अहलुल्जन्नति अज़्ज़िक्र व युअय्यिदुहू अन्न अ़मलल्आख़िरति ज़िक्रन व दुआउन लिक़ौलिही तआ़ला दअ़वाहुम फ़ीहा सुब्ह़ानक अल्लाहुम्म अल्आया लियकुन तमाम हाजत्तौजीहि अय्युक़ाल अन्नल्मन्ज़ूर इलैहि हिय अर्वाहुहुम फलअ़ल्लहा मुष़ल्लतुन लहू (ﷺ) फ़िद्दुनिया कमा मुष़ल्लतुन लहू लैलतल्अस्रा व अम्मा अज्सादुहुम फहिय फ़िल्क़ुबूरि क़ाल इब्नुल्मुनीर व ग़ैरुहु यज्अ़लुल्लाहु लिरूहिही मिष़ालन फ़यरा फ़िल्यक़्ज़ति कमा यरा फ़िन्नौमि ष़ानीहा कअन्नहु मुष़ल्लतुन लहू अह़वालुहुमल्लती कानत फ़िल्ह़यातिद्दुनिया कैफ़ तअब्बदू व कैफ़ ह़ज्जू व कैफ़ लब्बू व लिहाज़ा क़ाल कअन्नी अन्ज़ुरू ष़ालिषुहा कअन्नहू उख़्बिर बिल्वह़यि अन ज़ालिक फ़लिशिद्दति क़त्इही बिही क़ाल कअन्नी अन्ज़ुरू इलैहि राबिउहा कअन्नहा रूयतु मनामिन तक़द्दमत लहू तुक़ुद्दिमत लहू फ़उख़्बिर अन्हा लिमा ह़ज्ज इन्द मातज़क्कर ज़ालिक व रूयल्अम्बियाइ वह़युन व हाज़ा हुवल्मुअ़तमदु इन्दी कमा सयाती फ़ी अह़ादीष़िल्अम्बियाइ मिनत्तस्रीहि बिनह़वि ज़ालिक फ़ी अह़ादीष़िन आख़र व कौनु ज़ालिक फ़िल्मनामि वल्लज़ी क़ब्लहू लैस बिबइदिन वल्लाहु आ'लमु** (फ़त्हुल बारी)

या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) के फ़र्मान **कअन्नी अन्ज़ुरु इलैहि** (गोया कि मैं उनको देख रहा हूँ) अहले तह़क़ीक़ ने मुख़्तलिफ़ तौजीहात की है। अव्वल तो ये है कि ये ह़क़ीक़त पर मब्नी है कि क्योंकि अंबिया किराम अपने रब के यहाँ से रिज़्क़

दिये जाते हैं और अपने क़ुबूर में ज़िन्दा हैं पस कुछ मुश्किल नहीं कि वो इस ह़ालत में ह़ज्ज भी करते हों जैसा कि स़ह़ीह़ मुस्लिम में ह़दीषे अनस (रज़ि.) से ष़ाबित है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को देखा कि वो अपनी क़ब्र में नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े हुए थे। क़ुर्तुबी (रह.) ने कहा कि इ़बादत उनके लिये मह़बूबतरीन चीज़ थी पस वो आ़लमे आख़िरत में भी इसी ह़ालत में बत़य्यिबे ख़ात़िर मशग़ूल हैं हालाँकि ये उनके लिये वहाँ लाज़िम नहीं। ये ऐसा ही है जैसे कि अहले जन्नत को ज़िक्रे इलाही का इल्हाम होता रहेगा और उसकी ताईद इससे भी होती है कि अमल आख़िरे ज़िक्र और दुआ है। जैसा कि आयते शरीफ़ा **दअ़वा हुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्म** (यूनुस : 10) में मज़्कूर है। लेकिन इस तौजीह़ की तक्मील इस पर है कि आपको उनकी रूहें नज़र आईं और आ़लमे मिष़ाल में उनको दुनिया में आपको दिखलाया गया जैसा कि मेअ़राज में आपकी तम्ष़ीली शक्लों में उनको दिखलाया गया था। हालाँकि उनके जिस्म उनकी क़ब्रों में थे। इब्ने मुनीर ने कहा कि अल्लाह पाक उनकी पाक रूहों को आ़लमे मिष़ाल में दिखला देता है। ये आ़लमे बेदारी में भी ऐसे ही दिखाई दिये जाते हैं जैसे आ़लमे ख़्वाब में। दूसरी तौजीह़ ये है कि इनकी तम्ष़ीली ह़ालात दिखलाए गए। जैसा कि वो दुनिया में इ़बादत और ह़ज्ज और लब्बैक वग़ैरह किया करते थे। तीसरी ये कि वह्य से ये ह़ाल मा'लूम कराया गया जो इतना क़त़ई था कि आपने **कअन्नी अन्ज़ुरु इलैहि** से उसे ता'बीर फ़र्माया। चौथी तौजीह़ ये कि ये आ़लमे ख़्वाब का मुआमला जो आपको दिखलाया गया और अंबिया के ख़्वाब भी वह्य के दर्जे में होते हैं और मेरे नज़दीक इसी तौजीह़ को तर्जीह़ है जैसा कि अह़ादीषुल अंबिया में स़राह़त आएगी और उसका ह़ालाते ख़्वाब में नज़र आना कोई बईद चीज़ नहीं है।

ख़ुलास़तुल मराम ये है कि आ़लमे ख़्वाब में या आ़लमे मिष़ाल में आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत मूसा (अ़लैहिस्सलाम) को सफ़रे ह़ज्ज में लब्बैक पुकारते हुए और मज़्कूरा वादी में से गुज़रते हुए देखा। (ﷺ)

बाब 31 : ह़ैज़ वाली और निफ़ास वाली औ़रतें किस त़रह़ एह़राम बाँधें

٣١- بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟

अ़रब लोग कहते हैं अहल्ल या'नी बात मुँह से निकाल दी व अस्तह्लल्ना व अहलल्नल हिलाल इन सब लफ़्ज़ों का मा'नी ज़ाहिर होना है और अस्तहल्लल मत़र का मा'नी पानी अब्र में से निकला। और क़ुर्आन शरीफ़ (सूरह माइदह) में जो वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह बिही) है इसके मा'नी जिस जानवर पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा जाए और बच्चा के इस्तिह्लाल से निकला है। या'नी पैदा होते वक़्त उसका आवाज़ करना।

أَهَلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ. وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلاَلَ: كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ. وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ: خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ. ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ وَهُوَ مِنَ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ

1556. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने, उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा ह़ज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम ह़ज्जतुल विदाअ़ में नबी करीम (ﷺ) के साथ रवाना हुए। पहले हमने उ़म्रह का एह़राम बाँधा लेकिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके साथ क़ुर्बानी हो तो उसे उ़म्रह के साथ ह़ज्ज का भी एह़राम बाँध लेना चाहिये। ऐसा शख़्स़ दरम्यान में ह़लाल नहीं हो सकता बल्कि ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों से एक साथ ह़लाल होगा। मैं भी

١٥٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى

يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا)). فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ : هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ. قَالَتْ : فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٩٤]

मक्का आई थी उस वक़्त मैं हाइज़ा हो गई, इसलिये न बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकी और न सफ़ा व मरवा की सई। मैंने उसके बारे में नबी करीम (ﷺ) से शिकवा किया तो आपने फ़र्माया कि अपना सर खोल डाल, कँघा कर और उम्रह छोड़कर हज्ज का एहराम बाँध ले। चुनाँचे मैंने ऐसा ही किया। फिर जब हम हज्ज से फ़ारिग़ हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र के साथ तन्ईम भेजा। मैंने वहाँ से उम्रह का एहराम बाँधा (और उम्रह अदा किया) आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये तुम्हारे उस उमरे के बदले में है। (जिसे तुमने छोड़ दिया था) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि जिन लोगों ने (हज्जतुल विदाअ में) सिर्फ़ उम्रह का एहराम बाँधा था, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ सफ़ा और मरवा की सई करके हलाल हो गये। फिर मिना से वापस होने पर दूसरा तवाफ़ (या'नी तवाफ़े ज़ियारा) किया लेकिन जिन लोगों ने हज्ज और उम्रह का एक साथ एहराम बाँधा था, उन्होंने सिर्फ़ एक ही तवाफ़ किया या'नी तवाफ़ुज़्ज़ियारा किया (राजेअ 294)

तश्रीह : हज़रत नबी करीम (ﷺ) ने इस मौक़े पर हज़रत आइशा (रज़ि.) को उम्रह छोड़ने के लिये फ़र्माया। यहीं से बाब का तर्जुमा निकला कि हैज़वाली औरत को सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधना दुरुस्त है, वो एहराम का दोगाना न पढ़े। सिर्फ़ लब्बैक कह कर हज्ज की निय्यत कर ले। इस रिवायत ये साफ़ निकला कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रह छोड़ दिया और हज्जे मुफ़रद का एहराम बाँधा। हनफ़िया का यही क़ौल है और शाफ़िई कहते हैं कि मतलब ये है कि उम्रह को बिल फ़ेअल रहने दे। हज्ज के अरकान अदा करना शुरू कर दे, तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने क़िरान किया, और सर खोलने और कँघी करने में एहराम की हालत में क़बाहत नहीं। अगर बाल न गिरें मगर ये तावील ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। (वहीदी)

व अम्मल्लज़ीन जमउल्हज्ज वल्उम्रत से मा'लूम हुआ कि क़िरान को एक ही तवाफ़ और एक ही सई काफ़ी है और उम्रे के अफ़्आल हज्ज में शरीक हो जाते हैं। इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक और इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा का यही क़ौल है। उसके ख़िलाफ़ कोई पुख़्ता दलील नहीं।

٣٢- بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 32 : जिसने आँहज़रत (ﷺ) के सामने एहराम में ये निय्यत की जो निय्यत आँहज़रत (ﷺ) ने की है

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

ये अब्दुल्लाह बिन उमर(रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) से नक़ल किया है।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ

1557. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे अता बिन रिबाह ने बयान किया कि जाबिर (रज़ि.) ने फ़र्माया नबी करीम (ﷺ) ने अली (रज़ि.) को हुक्म

दिया था कि वो अपने एहराम पर क़ायम रहें। उन्होंने सुराक़ा का क़ौल भी ज़िक्र किया था। और मुहम्मद बिन अबीबक्र ने इब्ने जुरैज से यूँ रिवायत किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पूछा अ़ली! तुमने किस चीज़ का एहराम बाँधा है? उन्होंने अ़र्ज़ किया कि नबी करीम (ﷺ) ने जिसका एहराम बाँधा हो (उसी का मैंने भी बाँधा है) आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि फिर कुर्बानी कर और अपनी इसी हालत पर एहराम जारी रख।
(1568, 1570, 1785,2506, 4352,7230, 7367)

عَنْهُ أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ)) وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ.
[أطرافه في: ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٧٨٥، ٢٥٠٦، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧].

1558. हमसे हसन बिन अ़ली ख़ल्लाल हुज़ली ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुस्समद बिन अ़ब्दुल वारिष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुलैम बिन हय्यान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने मरवान असफ़र से सुना और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया था कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) यमन से नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने पूछा कि किस तरह का एहराम बाँधा है? उन्होनें कहा कि जिस तरह का आँहुज़ूर (ﷺ) ने बाँधा हो। इस पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मेरे साथ क़ुर्बानी न होती तो मैं हलाल हो जाता।

١٥٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ)).

1559. हमसे मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रयाबी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, उनसे क़ैस बिन मुस्लिम ने, उनसे त़ारिक़ बिन शिहाब ने और उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने कि मुझे नबी करीम (ﷺ) ने मेरी क़ौम के पास यमन भेजा था। जब (हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर) मैं आया तो आपसे बत़हा में मुलाक़ात हुई। आपने पूछा कि किसका एहराम बाँधा है? मैंने अ़र्ज़ किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने जिसका बाँधा हो आपने पूछा क्या तुम्हारे साथ क़ुर्बानी है? मैंने अ़र्ज़ किया नहीं, इसलिये आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं बैतुल्लाह का त़वाफ़ और स़फ़ा व मरवा की सई करूँ। उसके बाद आपने एहराम खोल देने का हुक्म फ़र्माया। चुनाँचे मैं अपनी क़ौम की एक ख़ातून के पास आया। उन्होंने मेरे सर का कँघा किया या मेरा सर धोया। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) का

١٥٥٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ. فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟)) قُلْتُ: لاَ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي. فَقَدِمَ عُمَرُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾. وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ)).

[أطرافه في : ١٥٦٥، ١٧٢٤، ١٧٩٥، ٤٣٤٦، ٤٣٩٧].

ज़माना आया तो आपने फ़र्माया कि अगर हम अल्लाह की किताब पर अ़मल करें तो वो ये हुक्म देती है कि हज्ज और उ़म्रह पूरा करो। अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, और हज्ज और उ़म्रह पूरा करो अल्लाह की रज़ा के लिये। और अगर हम आँह़ज़रत (ﷺ) की सुन्नत को लें तो आँह़ज़रत (ﷺ) ने उस वक़्त तक एह़राम नहीं खोला जब तक आपने क़ुर्बानी से फ़राग़त नहीं ह़ासिल कर ली।

(1565, 1724, 1795, 4346, 4397)

तश्रीह : ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) की राय इस बाब में दुरुस्त नहीं। आँह़ज़रत (ﷺ) ने एह़राम नहीं खोला इसकी वजह भी आपने ख़ुद बयान की थी कि आपके साथ हदी थी। जिनके साथ हदी नहीं थी उनका एह़राम ख़ुद आँह़ज़रत (ﷺ) ने खुलवाया। पस जहाँ साफ़ सरीह़ ह़दीष़ नबवी मौजूद हो वहाँ किसी की भी राय क़ुबूल नहीं की जा सकती ख़्वाह ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) ही क्यूँ न हों। ह़ज़राते मुक़ल्लिदीन को ग़ौर करना चाहिये कि जब ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) जैसे ख़लीफ़ा-ए-राशिद जिनकी पैरवी करने का ख़ास़ हुक्मे नबवी (ﷺ) है, **इक़्तदू बिल्लज़ीन मिम्बअ़दी अबी बक्र व उ़मर** ह़दीष़ के ख़िलाफ़ क़ाबिले इक़्तिदा न ठहरे तो और किसी इमाम या मुज्तहिद की क्या बिसात है। (वह़ीदी)

٣٣- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى :

बाब 33 : अल्लाह पाक का सूरह बक़रः में ये फ़र्माना कि

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾. (١٧٩: البقرة)، ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)). وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.

हज्ज के महीने मुक़र्रर हैं जो कोई इनमें हज्ज की ठान ले तो शह्वत की बातें न करे न गुनाह और झगड़े के क़रीब जाए क्योंकि हज्ज में ख़ास़ तौर पर ये गुनाह और झगड़े बहुत ही बुरे हैं। ऐ रसूल (ﷺ)! लोग आपसे चाँद के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि चाँद से लोगों के कामों के और हज्ज के औक़ात मा'लूम होते हैं। और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि हज्ज के महीने शव्वाल, ज़ीक़अ़दा और ज़िल्हिज्ज के दस दिन हैं ।

और ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा सुन्नत ये है कि हज्ज का एह़राम सिर्फ़ हज्ज के महीनों ही में बाँधें और ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) ने कहा कि कोई ख़ुरासान या करमान से एह़राम बाँधकर चले तो ये मकरूह है।

तश्रीह : ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के अष़र को इब्ने जरीर और त़बरी ने वस्ल किया। उसका मत़लब ये है कि हज्ज का एह़राम पहले से पहले ग़ुर्रा शव्वाल से बाँध सकते हैं । लेकिन उससे पहले दुरुस्त नहीं। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) के अष़र को इब्ने ख़ुज़ैमा और दारे क़ुत़्नी ने वस्ल किया है। ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) के क़ौल का मत़लब ये है कि मीक़ात या मीक़ात के क़रीब से एह़राम बाँधना सुन्नत और बेहतर है चाहे मीक़ात से पहले भी बाँध लेना दुरुस्त

है। उसको सईद बिन मंसूर ने बयान किया और अबू अहमद बिन सय्यार ने तारीख़े मर्व में निकाला कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन आमिर ने ख़ुरासान फ़तह किया तो उसके शुक्रिया में उन्होंने मन्नत मा'नी कि मैं यहीं से एहराम बाँधकर निकलूँगा। हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) के पास आए तो उन्होंने उनको मलामत की। कहते हैं उसी साल हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) शहीद हो गए। हदीष में आया हुआ मुक़ाम सर्फ़ मक्का से दस मील की दूरी पर है। उसे आजकल वादी–ए–फ़ातिमा कहते हैं ।

एहराम में क्या हिक्मत है :

शाही दरबारों के आदाब में से एक ख़ास लिबास भी है जिसको ज़ेबतन किये बग़ैर जाना सूअे अदबी समझा जाता है। आज इस रोशन तहज़ीब के ज़माने में भी हर हुकूमत अपने निशानात मुक़र्रर किये हुए है और अपने दरबारों, ऐवानों के लिये ख़ास–ख़ास लिबास मुक़र्रर किये हुए है। चुनाँचे उन ऐवानों में शरीक होने वाले मेम्बरों को एक ख़ास लिबास तैयार कराना पड़ता है। जिसको ज़ेबतन करके वो शरीके इज्लास होते हैं। हज्ज अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन का सालाना जश्न है। उसके दरबार की हाज़िरी है। पस उसके लिये तैयारी न करना और ऐसे ही गुस्ताख़ाना चले आना क्यूँकर मुनासिब हो सकता है? इसलिये हुक्म है कि मीक़ात से इस दरबार की हुज़ूर की तैयारी शुरू कर दो और अपनी वो हालत बना लो जो पसंदीदा बारगाहे इलाही है, या'नी आजिज़ी, मिस्कीनी, तर्के ज़ीनत, **तबत्तुल इलल्लाह** इसलिये एहराम का लिबास भी ऐसा ही सादा रखा जो सबसे आसान और सहलुल हुसूल है और जिसमें मुसावात इस्लाम का बख़ूबी ज़हूर होता है। उसमें कफ़न की भी मुशाबिहत होती है जिससे इंसान को ये भी याद आ जाता है कि दुनिया से रुख़्सत होते वक़्त उसको इतना ही कपड़ा नसीब होगा। नीज़ उससे इंसान को इतनी इब्तिदाई हालत भी याद आती है जबकि वो इब्तिदाई दौर में था और हजरो–शजर के लिबास से निकलकर उसने अपने लिये कपड़े का लिबास ईजाद किया था। एहराम के इस सादे लिबास में एक तरफ़ फ़क़ीरी की तल्क़ीन है तो दूसरी तरफ़ एक फ़क़ीरी फ़ौज में डिसीप्लेन भी क़ायम करना मक़सूद है।

लब्बैक पुकारने में क्या हिक्मत है :

लब्बैक का नारा अल्लाह की फ़ौज का क़ौमी नारा है। जो जश्ने ख़ुदावन्दी की शिर्कत के लिये अक़्साए आलम से खींची चली आ रही है। एहराम बाँधने से खोलने तक हर हाजी को निहायत ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ के साथ बार-बार लब्बैक का नारा पुकारना ज़रूरी है। जिसके मुक़द्दस अल्फ़ाज़ ये हैं, '**लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल्हम्द वन्निअ़मत लक वल्मुल्क ला शरीक लक** हाज़िर हूँ। इलाही! फ़क़ीराना व ग़ुलामाना जज़्बात में तेरे जश्न की शिर्कत के लिये हाज़िर हूँ। हाज़िर हूँ तूझे वाहिद बेमिषाल समझकर हाज़िर हूँ। तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं हाज़िर हूँ। तमाम तअरीफ़ें तेरे ही लिये ज़ैबा हैं और सब नेअमतें तेरी ही अ़ता की हुई हैं। राज–पाठ सबका मालिक हक़ीक़ी तू ही है। उसमें कोई तेरा शरीक नहीं। इन अल्फ़ाजों की गहराई पर अगर ग़ौर किया जाए तो बेशुमार हिक्मतें उनमें नज़र आएँगी। इन अल्फ़ाज में एक तरफ़ सच्चे बादशाह की ख़ुदाई का ए'तिराफ़ है तो दूसरी तरफ़ अपनी ख़ुदी को भी एक दर्ज-ए-ख़ास में रखकर उसके सामने पेश किया गया है।

ख़ुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक़्दीर से पहले ख़ुदा बन्दे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है

(01) बार बार लब्बैक कहना ये इक़रार करना है कि ऐ अल्लाह! मैं पूरे तौर पर तस्लीम व रज़ा का बन्दा बनकर तेरे सारे अहकाम को मानने के लिये तैयार होकर तेरे दरबार में हाज़िर हूँ।

(02) ला शरीक लका में अल्लाह की तौहीद का इक़रार है जो असले उसूल ईमान व इस्लाम है और जो दुनिया मे क़यामे अमन का सिर्फ़ एक ही रास्ता है। दुनिया में जिस क़द्र तबाही व बरबादी, फ़साद, बदअम्नी फैली हुई है वो सब तर्के तौहीद की वजह से है।

(03) फिर ये ए'तिराफ़ है कि सब नेअमतें तेरी ही दी हुई है। लेना–देना सिर्फ़ तेरे ही हाथ में है। लिहाज़ा हम तेरी ही हम्दो–षना करते हैं और तेरी ही ता'रीफ़ों के गीत गाते हैं।

(04) फिर इस बात का इक़रार है कि मुल्क व हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह ही की है। हक़ीक़ी बादशाह सच्चा हाकिम असल

मालिक वही है। हम सब उसके आजिज़ बन्दे हैं। लिहाज़ा दुनिया में उसी का क़ानून नाफ़िज़ होना चाहिये और किसी को अपनी तरफ़ से नया क़ानून बनाने का इख़्तियार नहीं है। जो कोई क़ानूने इलाही से हटकर क़ानून-साज़ी करेगा वो अल्लाह का हरीफ़ ठहरेगा। दुनियावी हुक्काम सिर्फ़ अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं । अगर वो समझे तो उन पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है, उनको अल्लाह ने इसलिये बइख़्तियार बनाया है कि वो अल्लाह तआला के क़वानीन का निफ़ाज़ करें। इसलिये उनकी इताअत बन्दों पर उसी वक़्त तक फ़र्ज़ है जब तक वो हुदूदे इलाही क़वानीने फ़ितरत से आगे न बढ़ें और ख़ुद अल्लाह न बन बैठें उसके बरअक्स उनकी इताअत हराम हो जाती है। ग़ौर करो जो शख़्स बार-बार उन सब बातों का इक़रार करेगा तो हज्ज के बाद किस क़िस्म का इंसान बन जाएगा। बशर्ते कि उसने ये तमाम इक़रार सच्चे दिल से किये हों और समझ—बूझ कर ये अल्फ़ाज़ मुँह से निकाले हों।

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ)). قَالَتْ : فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. قَالَتْ : فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟)) قُلْتُ : سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ : ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي. قَالَ : ((فَلاَ يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا)).

1560. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबक्र हनफ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे अफ़लह बिन हुमैद ने बयान किया, कहा कि मैंने क़ासिम बिन मुहम्मद से सुना, उनसे आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्ज के महीनों में हज्ज की रातों में और हज्ज के दिनों में निकले। फिर सरिफ़ में जाकर उतरे। आपने बयान किया कि फिर नबी करीम (ﷺ) ने सहाबा को ख़िताब किया जिसके साथ हदी न हो और वो चाहता हो कि अपने एहराम को सिर्फ़ उम्रह का बना ले तो उसे ऐसा कर लेना चाहिये लेकिन जिसके साथ क़ुर्बानी है वो ऐसा न करे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहुज़ूर (ﷺ) के कुछ अस्हाब ने इस फ़र्मान पर अमल किया और कुछ ने नहीं किया। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके कुछ अस्हाब जो इस्तिताअत व हौसला वाले थे (कि वो एहराम के मम्नूआत से बच सकते थे) उनके साथ हदी भी थी, इसलिये वो तंहा उम्रह नहीं कर सकते थे (पस उन्होंने एहराम नहीं खोला) आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आपने पूछा कि (ऐ भोली भाली औरत! तू) क्यूँ रो रही है? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने आपके अपने सहाबा से इर्शाद को सुन लिया अब तो मैं उम्रह न कर सकूँगी। आपने पूछा क्या बात है? मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ने के क़ाबिल न रही (या'नी हाइज़ा हो गई) आपने फ़र्माया कोई हर्ज नहीं। आख़िर तुम भी तो आदम की बेटियों की तरह एक औरत हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिये भी वो मुक़द्दर किया है जो तमाम औरतों के लिये किया है। इसलिये (उम्रह छोड़कर) हज्ज करती

रह अल्लाह तआला तुम्हें जल्द ही उम्रह की तौफ़ीक़ दे देगा। आइशा (रज़ि.) ने ये बयान किया कि हम हज्ज के लिये निकले। जब हम (अरफ़ात से) मिना पहुँचे तो मैं पाक हो गई। फिर मिना से जब मैं निकली तो बैतुल्लाह का तवाफ़े ज़ियारत किया। आपने बयान किया कि आख़िर में आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ जब वापस होने लगी तो आप वादी मुहस्सब में आकर उतरे। हम भी आपके साथ ठहरे। आपने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को बुलाकर कहा कि अपनी बहन को लेकर हरम से बाहर जा और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँध फिर उम्रह से फ़ारिग़ होकर तुम लोग यहीं वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतिज़ार करता रहूँगा। आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम (आँहुज़ूर ﷺ की हिदायत के मुताबिक़) चले और जब मैं और मेरे भाई तवाफ़ से फ़ारिग़ हो लिये तो मैं सेहरी के वक़्त आपकी ख़िदमत में पहुँची। आपने पूछा कि फ़ारिग़ हो लीं? मैंने कहा हाँ, तब आपने अपने साथियों से सफ़र शुरू कर देने के लिये कहा। सफ़र शुरू हो गया और आप मदीना मुनव्वरा वापस हो रहे थे। अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुख़ारी रह.) ने कहा कि जो ला यज़ीरुका है वो ज़ारा यज़ीरु ज़यरन से मुश्तक़ है ज़ारा यज़ूरू ज़वरन भी इस्ते'माल होता है और जिस रिवायत में ला यज़ुर्रुका है वो ज़र्रा यज़ुर्रू ज़र्रन से निकला है। (राजेअ : 294)

قَالَتْ:فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: ((أَخْرِجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُ كَمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي)). قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرٍ فَقَالَ: ((هَلْ فَرَغْتُمْ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.
قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ضَيْرَ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا. وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا. [راجع: ٢٩٤]

बाब 34 : हज्ज में तमत्तोअ, क़िरान और इफ़राद का बयान और जिसके साथ हदी न हो, उसे हज्ज फ़स्ख़ करके उम्रह बना देने की इजाज़त है

٣٤- بَابُ التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

1561. हमसे उ़स्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने, उनसे इब्राहीम नख़ई ने, उनसे अस्वद ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि हम हज्ज के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले। हमारी निय्यत हज्ज के सिवा और कुछ न थी। जब हम मक्का पहुँचे तो (और लोगों ने) बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। आँहुज़ूर (ﷺ) का हुक्म था कि जो क़ुर्बानी अपने साथ न लाया हो वो हलाल हो जाए। चुनाँचे जिनके पास हदी न थी वो हलाल हो गये। (अफ़आले उम्रह के बाद) आँहुज़ूर (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात हदी नहीं

١٥٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ

ले गई थीं, इसलिये उन्होंने भी एहराम खोल डाले, आइशा (रज़ि.) ने कहा कि मैं हाइज़ा हो गई थी इसलिये मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी (या'नी उम्रह छूट गया और हज्ज करती चली गई) जब मुहस्सब की रात आई, मैंने कहा या रसूलल्लाह! और लोग तो हज्ज और उम्रह दोनों करके वापस हो रहे हैं लेकिन मैं सिर्फ़ हज्ज कर सकी हूँ। इस पर आपने फ़र्माया क्या जब हम मक्का आए थे तो तुम तवाफ़ न कर सकी थी? मैंने कहा कि नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने भाई के साथ तन्ईम तक चली जा और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँध (फिर उम्रह अदा कर) हम लोग तुम्हारा फ़लाँ जगह इंतिज़ार करेंगे और सफ़िया (रज़ि.) ने कहा कि मा'लूम होता है मैं भी आप (लोगों) को रोकने का सबब बन जाऊँगी। आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया मुरदार सर मुँडी क्या तूने यौमुन्नहर का तवाफ़ नहीं किया था? उन्होंने कहा क्यूँ नहीं मैं तो तवाफ़ कर चुकी हूँ। आपने फ़र्माया फिर कोई हर्ज नहीं चल कूचकर। आइशा (रज़ि.) ने कहा कि फिर मेरी मुलाक़ात नबी करीम (ﷺ) से हुई तो आप मक्का से जाते हुए ऊपर के हिस्से पर चढ़ रहे थे और मैं नशीब में उतर रही थी या ये कहा कि मैं ऊपर चढ़ रही थी और आँहुज़ूर (ﷺ) इस चढ़ाव के बाद उतर रहे थे। (राजेअ : 294)

فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ، فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَالَ : ((وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟)) قُلْتُ : لاَ. قَالَ : ((فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ مَوعِدُكِ كَذَا وَكَذَا)). قَالَتْ صَفِيَّةُ : مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ : ((عَقْرَى حَلْقَى، أَوْ مَا طُفْتِ يَومَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ : قُلْتُ : بَلَى. قَالَ : ((لاَ بَأْسَ، انْفِرِي)). قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. [راجع: ٢٩٤]

तश्रीह : हज्ज की तीन क़िस्में हैं। एक तमत्तोअ वो ये है कि मीक़ात से उम्रह का एहराम बाँधे और मक्का में जाकर तवाफ़ और सई करके एहराम को खोल डाले। फिर आठवीं तारीख़ को हरम ही से हज्ज का एहराम बाँधे। दूसरा क़िरान वो ये है कि मीक़ात से हज्ज और उम्रह दोनों का साथ एहराम बाँध ले या पहले सिर्फ़ उम्रह का बाँधे फिर हज्ज को भी उसमें शरीक कर ले। इस सूरत में उम्रे के अफ़आल, हज्ज में शरीक हो जाते हैं और उम्रह के अफ़आल अलग से नहीं करने पड़ते। तीसरा हज्जे इफ़राद या'नी मीक़ात से सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधे और जिसके साथ हदी न हो उसका हज्ज फ़स्ख़ करके उम्रह बना देना। ये हमारे इमाम अहमद बिन हंबल और जुम्ला अहले हदीष के नज़दीक जाइज़ है और इमाम मालिक और शाफ़िई और अबू हनीफ़ा और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ये अम्र ख़ास था उन सहाबा से जिनको आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी इजाज़त दी थी और दलील लेते हैं हिलाल बिन हारिष की हदीष से जिसमें ये है कि ये तुम्हारे लिये ख़ास है और ये रिवायत ज़ईफ़ है ए'तिमाद के लायक़ नहीं। इमाम इब्ने क़य्यिम और शौकानी और मुहक़्क़िक़ीने अहले हदीष ने कहा है कि फ़स्ख़े हज्ज को चौबीस सहाबा ने ज़िक्र किया है। हिलाल बिन हारिष की एक ज़ईफ़ रिवायत इनका मुक़ाबला नहीं कर सकती। आपने उन सहाबा को, जो क़ुर्बानी नहीं लाए थे, उम्रह करके एहराम खोल डालने का हुक्म दिया। उससे तमत्तोअ और हज्ज फ़स्ख़ करके उम्रह कर डालने का जवाज़ षाबित हुआ और हज़रत आइशा (रज़ि.) को जो हज्ज की निय्यत कर लेने का हुक्म दिया उससे क़िरान का जवाज़ निकला। भले ही इस रिवायत में उसकी सराहत नहीं है मगर जब उन्होंने हैज़ की वजह से उम्रह अदा नहीं किया था और हज्ज करने लगीं तो ये मतलब निकल आया। ऊपर वाली रिवायतों में उसकी सराहत मौजूद है। (वहीदुज्जमाँ मरहूम)

1562. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें अबुल अस्वद मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने, उन्हें उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया कि हम हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चले। कुछ लोगों ने उ़म्रह का एहराम बाँधा था, कुछ ने हज्ज और उ़म्रह दोनों का और कुछ ने सिर्फ़ हज्ज का। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (पहले) सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधा था, फिर आपने उ़म्रह भी शरीक कर लिया, फिर जिन लोगों ने हज्ज का एहराम बाँधा था या हज्ज या उ़म्रह दोनों का, उनका एहराम दसवीं तारीख़ तक न खुल सका।

(राजेअ़ 294)

١٥٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ: وَمِنَّا مِنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَو جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ)). [راجع: ٢٩٤]

1563. हमसे मुहम्मद बिन बश्शार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे गुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे हकम ने, उनसे अ़ली बिन हुसैन (हज़रत ज़ैनुल आ़बेदीन) ने और उनसे मरवान बिन हकम ने बयान किया कि हज़रत उ़ष्मान और अ़ली (रज़ि.) को मैंने देखा है। उ़ष्मान (रज़ि.) हज्ज और उ़म्रह को एक साथ करने से रोकते थे लेकिन हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने उसके बावजूद दोनों का एक साथ एहराम बाँधा और कहा लब्बैक बिउ़म्रतिन व हज्जतिन आपने फ़र्माया था कि मैं किसी एक शख़्स की बात पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीष को नहीं छोड़ सकता।

١٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: ((شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ)). [طرفه في : ١٥٦٩].

तश्रीह : हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) शायद हज़रत उ़मर (रज़ि.) की तक़्लीद से तमत्तोअ़ को बुरा समझते थे उनको भी यही ख़्याल हुआ आँहज़रत (ﷺ) ने हज्ज को फ़स्ख़ कराकर जो हुक्म उ़म्रह का दिया था वो ख़ास था सहाबा (रज़ि.) से। कुछ ने कहा मकरूहे तंज़ीही समझा और चूँकि हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) का ये ख़्याल हदीष के ख़िलाफ़ था। इसलिये हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने इस पर अमल नहीं किया और फ़र्माया कि मैं आँहज़रत (ﷺ) की हदीष को किसी के क़ौल से नहीं छोड़ सकता।

मुसलमान भाइयों! ज़रा हज़रत अ़ली (रज़ि.) के इस क़ौल को ग़ौर से देखो, हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) ख़लीफ़-ए-वक़्त और ख़लीफ़ा भी कैसे? ख़लीफ़ा-ए-राशिद और अमीरुल मोमिनीन। लेकिन हदीष के ख़िलाफ़ उनका क़ौल भी फैंक दिया गया और ख़ुद उनके सामने उनका ख़िलाफ़ किया गया। फिर तुमको क्या हो गया है जो तुम इमाम अबू हनीफ़ा या शाफ़िई के क़ौल को लिये रहते हो और सहीह हदीष के ख़िलाफ़ उनके क़ौल पर अमल करते हो, ये सरीह गुमराही है। अल्लाह के लिये

इससे बाज़ आ जाओ और हमारा कहना मानो हमने जो ह़क़ बात थी वो तुमको बता दी आइन्दा तुमको इख़्तियार है। तुम क़यामत के दिन जब आँह़ज़रत (ﷺ) के सामने खड़े होंगे अपना उ़ज्र बयान कर लेना वस्सलाम (मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम)

1564. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन त़ाउस ने बयान किया, उनसे उनके बाप ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि अहले अ़रब समझते थे कि ह़ज्ज के दिनों मे उ़म्रह करना रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह है। ये लोग मुह़र्रम को स़फ़र बना लेते और कहते कि जब ऊँट की पीठ सुस्ता ले और उस पर ख़ूब बाल उग जाएँ और स़फ़र का महीना ख़त्म हो जाए (या'नी ह़ज्ज के अय्याम गुज़र जाएँ) तो उ़म्रह ह़लाल होता है। फिर जब नबी करीम (ﷺ) अपने स़ह़ाबा के साथ चौथी की सुबह़ को ह़ज्ज का एह़राम बाँधे हुए आए तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि अपने ह़ज्ज को उ़म्रह बना लें, ये हुक्म (अरब के पुराने रिवाज के आधार पर) आ़म स़ह़ाबा पर बड़ा भारी गुज़रा। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह! उ़म्रह करके हमारे लिये क्या चीज़ ह़लाल हो गई? आपने फ़र्माया कि तमाम चीज़ें ह़लाल हो जाएँगी। (राजेअ़ : 1085)

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهَلِّلِينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: ((حِلٌّ كُلُّهُ)). [راجع: ١٠٨٥]

तश्रीह : हर आदमी के दिल में क़दीमी रस्मो-रिवाज का बड़ा अष़र रहता है। जाहिलियत के ज़माने से उनका ये ए'तिक़ाद चला आता था कि ह़ज्ज के दिनों में उ़म्रह करना बड़ा गुनाह है, उसी वजह से आपका ये हुक्म उन पर गिराँ गुज़रा।

ईमान अफ़रोज़ तक़रीर : इस ह़दीष़ के तहत ह़ज़रत मौलाना वह़ीदुज़्ज़माँ मरहूम ने एक ईमान अफ़रोज़ तक़रीर ह़वाला-ए-क़िरत़ास फ़र्माई है (या'नी काग़ज़ पर लिखा है) जो अहले बस़ीरत के मुत़ालआ के क़ाबिल है।

स़ह़ाबा-ए-किराम ने जब कहा **या रसूलल्लाहि अय्युल्हल्लि क़ाल हल्ल कुल्लुहू** या'नी या रसूलल्लाह! उ़म्रह करके हमको क्या चीज़ ह़लाल होगी। आपने फ़र्माया सब चीज़ें या'नी जितनी चीज़ें एह़राम में मना थीं वो सब दुरुस्त हो जाएँगी। उन्होंने ये ख़्याल किया कि शायद औरतों से जिमाअ़ दुरुस्त न हो। जैसे रमी और ह़लक़ और क़ुर्बानी के बाद सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं लेकिन जिमाअ़ दुरुस्त नहीं होता जब तक त़वाफ़ुज़्ज़ियारत न करे तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि नहीं! बल्कि औरतें भी दुरुस्त हो जाएँगी।

दूसरी रिवायत में है कि कुछ स़ह़ाबा को उसमें तअम्मुल (भ्रम, असमंजस) हुआ और उनमें से कुछ ने ये भी कहा कि क्या हम ह़ज्ज को इस ह़ाल में जाएँ कि हमारे ज़कर से मनी टपक रही हो। आँह़ज़रत (ﷺ) को उनका ये ह़ाल देखकर सख़्त मलाल हुआ कि मैं हुक्म देता हूँ और ये उसकी ता'मील में तअम्मुल करते हैं और किन्तु-परन्तु करते हैं। लेकिन जो स़ह़ाबा क़विय्युल ईमान (ठोस ईमानवाले) थे उन्होंने फ़ौरन आँह़ज़रत (ﷺ) के इर्शाद पर अ़मल कर लिया और उ़म्रह करके एह़राम खोल दिया। पैग़म्बर (ﷺ) जो कुछ हुक्म दें वही अल्लाह का हुक्म है और ये सारी मेहनत और मशक़्क़त उठाने से ग़र्ज़ क्या है? अल्लाह और रसूल की ख़ुशनुदी। उ़म्रह करके एह़राम खोल डालना तो क्या चीज़ है? आप (ﷺ) जो भी हुक्म दे उसकी ता'मील करना हमारे लिये ऐन सआ़दत (सौभाग्य) है। जो हुक्म आप दें उसी में अल्लाह की मर्ज़ी है, भले ही सारा ज़माना उसके ख़िलाफ़ बकता रहे। उनका क़ौल और ख़्याल उनको मुबारक रहे। हमको मरते ही अपने पैग़म्बर (ﷺ) के साथ रहना है। अगर बिल फ़र्ज़ दूसरे मुज्तहिद या इमाम या पीर व मुर्शिद, दुर्वेश, कुतुब, अब्दाल अगर पैग़म्बर की पैरवी करने में हमसे

ख़फ़ा हो जाएँ तो हमको उनकी नाराज़गी की ज़रा भी परवाह नहीं है। हमको क़यामत में हमारे पैग़म्बर का साया-ए-आतिफ़त बस करता है। सारे वली और दुर्वेश और गौष़ और क़ुतुब और मुज्तहिद और इमाम उस बारगाह के एक अदना कफ़्श बरदार (क़ैदी) हैं। कफ़्श बरदारों को राज़ी रखें या अपने सरदार को **अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद व अ़ला अस्हाबिही वर्ज़ुक्ना शफ़ाअ़तहू यौमल्क़ियामति वहशुर्ना फ़ी ज़ुम्रति इत्तिबाइही व ष़ब्बितना अ़ला मुताबअतिही वल्अ़मलु बिसुन्नतिही आमीन.**

1565. हमसे मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे मुहम्मद बिन जा'फ़र ग़ुन्दर ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, उनसे क़ैस बिन मुस्लिम ने, उनसे त़ारिक़ बिन शिहाब ने और उनसे अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) ने कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में (हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर यमन से) हाज़िर हुआ तो आपने (मुझको उ़म्रह के बाद) एहराम खोल देने का हुक्म दिया। (राजेअ़ 155)

١٥٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ)).
[راجع: ١٥٥]

1566. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया (दूसरी सनद) और इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ़ ने और उन्हें इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि हुज़ूर (ﷺ) की ज़ोजा मुतह्हरा हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा या रसूलल्लाह! क्या बात है और लोग तो उ़म्रह करके हलाल हो गये लेकिन आप हलाल नहीं हुए? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने अपने सर की तल्बीद (बालों को जमाने के लिये एक लैसदार चीज़ का इस्ते'माल) की है और अपने साथ हदी (क़ुर्बानी का जानवर) लाया हूँ इसलिये मैं क़ुर्बानी करने से पहले एहराम नहीं खोल सकता। (दीगर मक़ाम : 1697, 1725, 4398, 5916)

١٥٦٦- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: ((يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)).
[أطرافه في : ١٦٩٧، ١٧٢٥، ٤٣٩٨، ٥٩١٦].

1567. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू जमरा नस़र बिन इमरान ज़ब्ई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने हज्ज और उ़म्रह का एक साथ एहराम बाँधा तो कुछ लोगों ने मुझे मना किया। इसलिये मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से इसके बारे में पूछा। आपने तमत्तोअ़ करने के लिये कहा। फिर मैंने एक शख़्स को देखा कि मुझसे कह रहा है, हज्ज भी मबरूर हुआ और उ़म्रह भी क़ुबूल हुआ मैंने ये ख़्वाब इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को सुनाया, तो आपने फ़र्माया कि ये नबी करीम (ﷺ) की

١٥٦٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: ((تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ

فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ)).[طرفه في : ١٦٨٨].

सुन्नत है। फिर आपने फ़र्माया कि मेरे यहाँ क़याम कर, मैं अपने पास से तुम्हारे लिये कुछ मुक़र्रर करके दिया करूँगा। शुअबा ने बयान किया कि मैंने (अबू जमरह से) पूछा कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने ये क्यूँ किया था? (या'नी माल किस बात पर देने के लिये कहा) उन्होंने बयान किया कि उसी ख़्वाब की वजह से जो मैंने देखा था। (दीगर मक़ाम : 1688)

तश्रीह : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को अबू जम्रह का ये ख़्वाब बहुत भला लगा क्योंकि उन्होंने जो फ़त्वा दिया था उसकी सेहत उससे निकली। ख़्वाब कोई शरई हुज्जत नहीं है, मगर नेक लोगों के ख़्वाब जब शरई उमूर की ताईद में हो तो उनके सहीह होने का गुमान ग़ालिब होता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने हज्जे तमत्तोअ़ को रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत बतलाया और सुन्नत के मुताबिक़ जो कोई काम करे वो ज़रूर अल्लाह की बारगाह में मक़्बूल होगा। सुन्नत के मुवाफ़िक़ थोड़ी सी इबादत भी ख़िलाफ़े सुन्नत की बड़ी इबादत से ज़्यादा ष़वाब रखती है। उलमा-ए-दीन से मन्क़ूल है कि अदना सुन्नत की पैरवी जैसे फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेट जाना दर्जे में बड़े ष़वाब की चीज़ है। ये सारी नेअ़मत आँहज़रत (ﷺ) की कफ़श बरदारी की वजह से मिलती है। परवरदिगार को किसी की इबादत की हाजत नहीं। उसको यही पसंद है कि उसके हबीब (ﷺ) की चाल-ढाल इख़्तियार की जाए। हाफ़िज़ (रह.) फ़र्माते हैं,

व यूखज़ु मिन्हु इक्रामुम्मन अख्बरल्मर्अ बिमा यसुर्रूहू व फरिहल्आलिमु बिमुवाफ़क़तिही वल्इस्तिस्नासु बिर्रूया लिमुवाफ़क़तिद्दलीलिश्शरई व अज़्रिरूया अलल्आलमि वत्तकबीरि इन्दल्मसर्रति वल्अमलु बिल्अदिल्लतिज़्ज़ाहिरति अला इख़्तिलाफ़ि अहलिल्इल्मि लियअमल बिर्राजिहि मिन्दुल्मुवाफ़िक़ लिद्दलीलि (फ़त्ह) या'नी उससे ये निकला कि अगर कोई भाई किसी के पास कोई ख़ुश करने वाली ख़बर लाए तो वो उसका इकराम करे और ये भी कि किसी आ़लिम की कोई बात हक़ के मुवाफ़िक़ पड़ जाए तो वो ख़ुशी का इज़्हार कर सकता है और ये भी कि शरई दलील के मुवाफ़िक़ कोई ख़्वाब नज़र आ जाए तो उससे दिली मुसर्रत (ख़ुशी) हासिल करना जाइज़ है और ये भी कि ख़्वाब किसी आ़लिम के सामने पेश करना चाहिये और ये भी कि ख़ुशी के वक़्त नारा-ए-तक्बीर बुलन्द करना दुरुस्त है और ये भी कि ज़ाहिर दलीलों पर अ़मल करना जाइज़ है और ये भी कि इख़्तिलाफ़ के वक़्त अहले इल्म को तम्बीह की जा सकती है कि वो उस पर अ़मल करें जो दलील से राजेह ष़ाबित हो।

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ : قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ : تَصِيْرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ : ((حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ: ((أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ

1568. हमसे अबू नुऐ़म ने बयान किया, उनसे अबू शिहाब ने कहा कि मैं तमत्तोअ़ की निय्यत से उ़म्रह का एहराम बाँध के यौमे तरविया से तीन दिन पहले मक्का पहुँचा। उस पर मक्का के कुछ लोगों ने कहा अब तुम्हारा हज्ज मक्की होगा। मैं अ़ता बिन अबी रिबाह की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। यही पूछने के लिये। उन्होने फ़र्माया कि मुझसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ वो हज्ज किया था जिसमें आप (ﷺ) अपने साथ क़ुर्बानी के ऊँट लाए थे (या'नी हज्जतुल विदाअ़) सहाबा ने सिर्फ़ मुफ़्रद हज्ज का एहराम बाँधा था। लेकिन आँहुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि (उ़म्रह का एहराम बाँध लो और) बैतुल्लाह के तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई के बाद अपने एहराम खोल डालो और बाल तरशवा लो। यौमे तरविया तक बराबर इसी तरह हलाल रहो।

أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً))، فَقَالُوا : كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: ((افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْ لاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)). فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُوشِهَابٍ لَيْسَ لَهُ حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ إِلاَّ هَذَا. [راجع: ١٥٥٦]

फिर यौमे तरविया में मक्का ही से हज्ज का एहराम बाँधो और इस तरह अपने हज्जे मुफ़रद को जिसकी तुमने पहले निय्यत की थी, अब उसे तमत्तोअ बना लो। सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम उसे तमत्तोअ कैसे बना सकते हैं ? हम तो हज्ज का एहराम बाँध चुके हैं। इस पर आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। अगर मेरे साथ हदी न होती तो ख़ुद मैं भी इसी तरह करता जिस तरह तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ अब मेरे लिये कोई चीज़ उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक मेरे क़ुर्बानी के जानवरों की क़ुर्बानी न हो जाए। चुनाँचे सहाबा ने आपके हुक्म की ता'मील की। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि अबू शिहाब की इस हदीष़ के सिवा और कोई मर्फ़ूअ हदीष़ मरवी नहीं है। (राजेअ 1556)

मक्की हज्ज से ये मुराद है कि मक्का वाले जो मक्का ही से हज्ज करते हैं उनको चूँकि तकलीफ़ और मेहनत कम होती है लिहाज़ा ष़वाब भी ज़्यादा नहीं मिलता। उन लोगों की ग़र्ज़ ये थी कि जब तमत्तोअ किया और हज्ज का एहराम मक्का से बाँधा, तो अब हज्ज का षवाब इतना न मिलेगा जितना हज्जे मुफ़रद में मिलता जिसका एहराम बाहर से बाँधा होता। जाबिर (रज़ि.) ने ये हदीष़ बयान करके मक्का वालों का रद्द किया और अबू शिहाब का शुब्हा दूर कर दिया कि तमत्तोअ में ष़वाब कम मिलेगा। तमत्तोअ तो सब क़िस्मों में अफ़ज़ल है और उसमें इफ़राद और क़िरान दोनों से ज़्यादा ष़वाब है।

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: ((اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيْدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا)). [راجع: ١٥٦٣]

1569. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे हज्जाज बिन मुहम्मद आ'वर ने बयान किया, उनसे शुअबा ने, उनसे अम्र बिन मुर्रह ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने कि जब हज़रत उ़ष्मान और हज़रत अली (रज़ि.) इस्फ़ान आए तो उनमें बाहम तमत्तोअ के सिलसिले में इख़्तिलाफ़ हुआ तो हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जिसको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है इससे आप क्यूँ रोक रहे हैं ? इस पर उ़ष्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुझे अपने हाल पर रहने दो। ये देखकर अली (रज़ि.) ने हज्ज और उ़म्रह दोनों का एहराम एक साथ बाँधा।

(राजेअ 1563)

तश्रीह : इस्फ़ान एक जगह है मक्का से 36 मील पर यहाँ के तरबूज़ मशहूर हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने गो ख़ुद तमत्तोअ नहीं किया था मगर दूसरे लोगों को उसका हुक्म दिया तो गोया ख़ुद किया। यहाँ ये ए'तिराज़ होता है कि बहष़ तो तमत्तोअ में थी फिर हज़रत अली (रज़ि.) ने क़िरान किया, उसका मतलब क्या है। जवाब ये है कि क़िरान और तमत्तोअ दोनों का एक ही हुक्म है। हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) दोनों को नाजाइज़ समझते थे। अजीब बात है क़ुर्आन शरीफ़ में साफ़ ये मौजूद है। **फ़मन तमत्तअ बिल्उम्रति इलल्हज्जि** और अहादीष़े सहीहा मुतअद्दिद सहाबा की मौजूद हैं। जिनसे ये बात ष़ाबित होती है कि आँहज़रत (ﷺ) ने तमत्तोअ का हुक्म दिया। फिर उन साहिबों का उससे मना करना समझ में नहीं आता। कुछ ने कहा कि हज़रत उमर और उ़ष्मान (रज़ि.) इस तमत्तोअ से मना करते थे कि हज्ज की निय्यत करके हज्ज का फ़स्ख़ कर देना

उसको उ़म्रह बना देना। मगर ये भी स़राहतन अहादीष़ से ष़ाबित है। कुछ ने कहा कि ये मुमानअ़त बतौरे तंज़ीह के थी, या'नी तमत्तोअ़ को फ़ज़ीलत के ख़िलाफ़ जानते थे। ये भी स़ह़ीह़ नहीं है, इसलिये कि ह़दीष़ से साफ़ ये ष़ाबित होता है कि तमत्तोअ़ सबसे अफ़ज़ल है। ह़ासिले कलाम ये कि ये मुक़ाम मुश्किल है और यही वजह है कि ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) को ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के मुक़ाबिल कुछ जवाब न बन पड़ा। इस सिलसिले में ह़ाफ़िज़ स़ाह़ब फ़र्माते हैं,

व फ़ी क़िस्सति उ़ष़्मान व अ़ली मिनल्फ़वाइदि इशाअतुल्इल्मि मा इन्दहू मिनल्इल्मि व इज़्हारिही व मुनाज़रति वुलातिल्उमूरि व गैरिहिम फ़ी तह़क़ीक़िही लिमन क़विय्युन अ़ला ज़ालिक लिक़सदिम्मिन्ना सिह़्ह़तुल्मुस्लिमीन वल्बयानि बिल्फ़ेअलि मअल्क़ौलि व जवाज़ि इस्तिम्बातिम्मिन्नस्सि लिअन्न उ़ष़्मान लम यख़फ़ अ़लैहि अन्नतमत्तुअ वल्क़िरान जाइज़ानि व इन्नमा नहा अन्हुमा लियअ़मला बिल्अफ़्ज़लि कमा वक़अ लिउ़मर व लाकिन ख़शिय अ़ला अंय्यहमिल गैरहू अन्नहयु अलत्तहरीमि फअशाअ जवाज़ ज़ालिक व कुल्लम्मिन्हुमा मुज्तहिदुन माजूज़ुन (फ़त्हुल बारी)

या'नी ह़ज़रत उ़ष़्मान और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) के बयान किये गये वाक़िये में बहुत से फ़वाइद हैं। मष़लन जो कुछ किसी के पास इल्म हो उसकी इशाअ़त करना और अहले इस्लाम की ख़ैर–ख़्वाही के लिये अम्रे ह़क़ का इज़्हार करना यहाँ तक कि अगर मुसलमान ह़ाकिमों से मुनाज़रा तक की नौबत आ जाए तो ये भी कर डालना और किसी अम्रे ह़क़ का सिर्फ़ बयान ही न करना बल्कि उस पर अ़मल भी करके दिखलाना और नस़्स़ से किसी मसले का इस्तिम्बात करना। क्योंकि ह़ज़रत उ़ष़्मान (रज़ि.) से ये चीज़ छुपी हुई न थी ह़ज्जे तमत्तोअ़ और क़िरान भी जाइज़ हैं मगर उन्होंने अफ़ज़ल पर अ़मल करने के ख़्याल से तमत्तोअ़ को मना फ़र्माया। जैसा कि ह़ज़रत उ़मर (रज़ि.) से भी वाक़िया हुआ और ह़ज़रत अ़ली (रज़ि.) ने उसे इस पर मह़मूल कर लिया कि अवामुन्नास कहीं इस नहीं को तह़रीम पर मह़मूल न कर ले। इसलिये उन्होंने उसके जवाज़ का इज़्हार किया बल्कि अ़मल भी करके दिखला दिया। पस उनमें दोनों ही मुज्तहिद हैं और दोनों को अज्रो–ष़वाब मिलेगा।

इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि नेक निय्यती के साथ कोई फ़ुरूई इख़्तिलाफ़ वाक़ेअ़ हो तो उस पर एक-दूसरे को बुरा-भला नहीं कहना चाहिये। बल्कि सिर्फ़ अपनी तह़क़ीक़ पर अ़मल करते हुए दूसरे का मुआमला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिये। ऐसे फ़ुरूई उमूर में इख़्तिलाफ़े फ़हम (समझ का फेर) का होना क़ुदरती चीज़ है। जिसके लिये सैंकड़ों मिष़ालें सलफ़े–स़ालेह़ीन में मौजूद हैं। मगर स़द अफ़सोस कि आज के दौर के कम-फ़हम उ़लमा ने ऐसे ही इख़्तिलाफ़ात को राई का पहाड़ बनाकर उम्मत को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। **अल्लाहुम्मर्ह़म अ़ला उम्मति ह़बीबिक**

बाब 35 : अगर कोई लब्बैक में ह़ज्ज का नाम ले

٣٥- بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

या'नी लब्बैक ह़ज्ज की पुकारे और ह़ज्ज का एह़राम बाँधे तब भी मक्का में पहुँचकर ह़ज्ज को फ़स्ख़ कर सकता है और उ़म्रह करके एह़राम खोल सकता है।

1570. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ह़म्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़्तियानी ने, कहा कि मैंने मुजाहिद से सुना, उन्होंने कहा कि हमसे जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आए तो हमने ह़ज्ज की लब्बैक पुकारी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया तो हमने उसे उ़म्रह बना लिया।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً)).
[راجع: ١٥٥٩]

बाब 36 : नबी करीम (ﷺ) के ज़माने में

٣٦- بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ

तमत्तोअ़ का जारी होना

1571. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माम बिन यह्या ने क़तादा से बयान किया, कहा कि मुझसे मुत़र्रिफ़ ने इमरान बिन हुसैन से बयान किया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में हमने तमत्तोअ़ किया था और ख़ुद क़ुर्आन में तमत्तोअ़ का हुक्म नाज़िल हुआ था। अब एक शख़्स ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

(दीगर मक़ाम : 4518)

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عن عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ)).

[طرفه في : ٤٥١٨].

बाब 37 : अल्लाह का सूरह बक़र: में ये फ़र्माना

तमत्तोअ़ या क़ुर्बानी का हुक्म उन लोगों के लिये है जिनके घर वाले मस्जिदे ह़राम के पास न रहते हों

٣٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦]

तश्रीह : इख़्तिलाफ़ है कि ह़ाज़िरिल मस्जिदिल ह़राम कौन लोग हैं। इमाम मालिक के नज़दीक अहले मक्का मुराद हैं। कुछ के नज़दीक अहले ह़रम। हमारे इमाम अह़मद बिन ह़ंबल और शाफ़िई का क़ौल है कि वो लोग मुराद हैं जो मक्का से मसाफ़ते क़स्र के अंदर रहते हों। ह़न्फ़िया के नज़दीक मक्का वालों को तमत्तोअ़ दुरुस्त नहीं और शाफ़िई वग़ैरह का क़ौल है कि मक्का वाले तमत्तोअ़ कर सकते हैं लेकिन उन पर क़ुर्बानी या रोज़े वाजिब नहीं और ज़ालिक का इशारा उसी तरफ़ है या'नी ये क़ुर्बानी और रोज़ा का हुक्म। ह़न्फ़िया कहते हैं कि ज़ालिक का इशारा तमत्तोअ़ की तरफ़ है या'नी तमत्तोअ़ उसी को जाइज़ है जो मस्जिदे ह़राम के पास न रहता हो या'नी आफ़ाक़ी हो। (वह़ीदी)

1572. और अबू कामिल फ़ुज़ैल बिन हुसैन बस़री ने कहा कि हमसे अबू मअ़शर यूसुफ़ बिन यज़ीद बरा ने बयान किया, कहा कि हमसे उ़ष्मान बिन ग़याष़ ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने, इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से ह़ज्ज में तमत्तोअ़ के बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया कि ह़ज्जतुल वदाअ़ के मौक़े पर मुहाजिरीन अंस़ार नबी करीम (ﷺ) की अज़्वाज और हम सबने एह़राम बाँधा था। जब हम मक्का आए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपने एह़राम को ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों के लिये कर लो लेकिन जो लोग क़ुर्बानी का जानवर अपने साथ लाए हैं (वो उ़म्रह करने के बाद ह़लाल नहीं होंगे) चुनाँचे हमने बैतुल्लाह का त़वाफ़ और स़फ़ा मरवा की सई कर ली तो अपना एह़राम खोल डाला और हम अपनी बीवियों के पास गये और सिले हुए कपड़े पहने। आपने फ़र्माया था कि जिसके साथ क़ुर्बानी का जानवर है उस वक़्त तक ह़लाल नहीं हो सकता जब तक हदी अपनी जगह न पहुँच ले (या'नी

١٥٧٢ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُومَعْشَرٍ الْبَرَاءُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ: فَقَالَ ((أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ))، وَقَالَ: ((مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ

कुर्बानी न हो ले) हमें (जिन्होंने हदी साथ नहीं ली थी) आप (ﷺ) ने आठवीं तारीख़ की शाम को हुक्म दिया कि हम हज्ज का एहराम बाँध लें। फिर जब हम मनासिके हज्ज से फ़ारिग़ हो गये तो हमने आकर बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई की, फिर हमारा हज्ज पूरा हो गया और अब कुर्बानी हम पर लाज़िम हुई। जैसा कि अल्लाह तआला का इर्शाद है, जिसे कुर्बानी का जानवर मयस्सर हो (तो वो कुर्बानी करे) और अगर किसी को कुर्बानी की ताक़त न हो तो तीन रोजे हज्ज में और सात दिन घर वापस होने पर रखे (कुर्बानी में) बकरी भी काफ़ी है। तो लोगों ने हज्ज और उम्रह दोनों इबादतें एक ही साल में एक साथ अदा कीं। क्योंकि अल्लाह तआला ने ख़ुद अपनी किताब में ये हुक्म नाज़िल किया था और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस पर ख़ुद अमल करके तमाम लोगों के लिये जाइज़ क़रार दिया था। अल्बत्ता मक्का के बाशिन्दों का इससे इस्तिस्ना है। क्योंकि अल्लाह तआला का फ़र्मान है, ये हुक्म उन लोगों के लिये है जिनके घर वाले मस्जिदुल हराम के पास रहने वाले न हों और हज्ज के जिन महीनों का कुर्आन में ज़िक्र है वो शव्वाल, ज़ीक़अद और ज़िल्हिज्ज हैं। इन महीनों में जो कोई भी तमत्तोअ करे वो या कुर्बानी दे या अगर मक़्दूर (सामर्थ्य) न हो तो रोज़े रखे और रफ़षुन का मा'नी जिमाअ (या फ़हश बातें) और फ़ुसूक़ गुनाह और जिदाल लोगों से झगड़ना।

مَحِلَّهُ)). ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي. فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى: شَوَّالٌ وَذُوا الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ)). وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

बाब 38 : मक्का में दाख़िल होते वक़्त ग़ुस्ल करना

٣٨- بَابُ الاِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

1573. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उन्हें अय्यूब सुख़ितयानी ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने, उन्होंने बयान किया कि जब अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हरम की सरहद के पास पहुँचते तो तल्बिया कहना बन्द कर देते। रात ज़ी तवा में गुज़ारते, सुबह की नमाज़ वहीं पढ़ते और ग़ुस्ल करते (फिर मक्का में दाख़िल होते) आप बयान करते थे कि नबी करीम (ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे। (राजेअ : 1553)

١٥٧٣- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ((كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ. ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)). [راجع: ١٥٥٣]

ये ग़ुस्ल हर एक के लिये मुस्तहब है गोया वो हाइज़ा हो या निफ़ास वाली औरत हो। अगर कोई तन्ईम से उ़म्रे का एहराम बाँधकर आए तो मक्का में घुसते वक़्त फिर ग़ुस्ल करना मुस्तहब नहीं क्योंकि तन्ईम मक्का से बहुत क़रीब है। अल्बत्ता अगर दूर से एहराम बाँधकर आया हो जैसे जिअ़राना या हुदैबिया से तो फिर ग़ुस्ल कर लेना मुस्तहब है। (क़स्तलानी रह)

बाब 39 : मक्का में रात और दिन में दाख़िल होना

٣٩- بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً

नुस्ख़ा मत्बूआ मिस्र में उसके बाद इतनी इबारत ज़्यादा है, **बातन्नबिय्यु (ﷺ) बिज़ीतवा हत्ता अस्बह षुम्म दखल मक्कत** या'नी आप रात को ज़ी तुवा में रह गए सुबह तक फिर मक्का में दाख़िल हुए। बाब के तर्जुमा में रात को भी दाख़िल होना मज़्कूर है। लेकिन कोई हदीष इस मज़्मून की हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) नहीं लाए। अस्हाबे सुनन ने रिवायत किया कि आप जिअ़राना के उ़म्रह में मक्का में रात को दाख़िल हुए और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस तरफ़ इशारा किया। कुछ ने यूँ जवाब दिया कि ज़ी तुवा ख़ुद मक्का में है और आप शाम को वहाँ पहुँचे थे तो उससे रात में दाख़िल होने का जवाज़ निकल आया। बहरहाल रात हो या दिन दोनों हाल में दाख़िल होना जाइज़ है।

हाफ़िज़ साहब फ़र्माते हैं, **व अम्मदुख़ूलु लैलन फ़लम यक़अ मिन्हु (ﷺ) इल्ला फ़ी उमरतिल्जिअरानति फइन्नहू (ﷺ) अहरम मिनल्जिअरानति व दखल मक्कत लैलन फ़कज़ा अम्रल्उम्रति षुम्म रजअ लैलन फअस्बह बिल्जिअरानति कबाइतिन कमा रवाहुस्सुननिष्षलाषति मन हदीषि मिअरशिल्कअबी व तरज्जम अलैहिन्नसई दुख़ूल मक्कत लैलन व रवा सअदुब्नु मन्सूरिन अन इब्राहीम अन्नखइ क़ाल कानू यस्तहिब्बून अंय्यदखुलू मक्कत नहारन व यख़रूजु मिन्हा लैलन व अख़्रज अन अताइन इन शिअतुम फदखुलू लैलन इन्नकुम लस्तुम करसूलिल्लाहि (ﷺ) अन्नहू कान इमामुन फअहब्बु अंय्यदखुलुहा नहारन लियराहुन्नास इन्तिहा व कज़िय्यतु हाज़ा इन्न मन कान इमामन युक़्तदा बिही अस्तहिब्बु लहू अंय्यदखुलुहा नहारन**

या'नी आँहज़रत (ﷺ) का मक्का शरीफ़ में रात को दाख़िल होना ये सिर्फ़ उ़म्रह-ए-जजअ़राना में षाबित है जबकि आपने जजअ़राना से एहराम बाँधा और रात को आप मक्का शरीफ़ में दाख़िल हुए और उसी वक़्त उ़म्रह करके रात ही को वापस हो गए और सुबह आपने जजअ़राना ही में की। गोया आपने सारी रात यहीं गुज़ारी है जैसा कि अस्हाबे सुनने षलाषह ने रिवायत किया है। बल्कि निसाई ने इस पर बाब बाँधा कि मक्का में रात को दाख़िल होना और इब्राहीम नख़ई से मरवी है कि वो मक्का शरीफ़ में दिन को दाख़िल होना मुस्तहब जानते थे और रात को वापस होना और अ़ता ने कहा कि अगर तुम चाहो रात को दाख़िल हो जाओ तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) जैसे नहीं हो, आप (ﷺ) इमाम और मुक़्तदा थे, आपने इसी को पसंद किया कि दिन में आप दाख़िल हों और लोग आपको देखकर मुत्मईन हों। ख़ुलासा ये कि जो कोई भी इमाम हो उसके लिये यही मुनासिब है कि दिन में मक्का शरीफ़ में दाख़िल हो।

1574. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से बयान किया, आप (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ी तुवा में रात गुज़ारी। फिर जब सुबह हुई तो आप मक्का में दाख़िल हुए। इब्ने उ़मर (रज़ि.) भी इसी तरह किया करते थे।

(राजेअ़ : 1553)

١٥٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ)). [راجع: ١٥٥٣]

बाब 40 : मक्का में किधर से दाख़िल हों

٤٠- بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

1575. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उनसे

١٥٧٥- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ:

حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى)).

[طرفه في : ١٥٧٦].

मअ़न बिन ईसा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में बुलंद घाटी (या'नी जन्नतुल मुअ़ल्ला) की त़रफ़ से दाख़िल होते और निकलते ष़निय्या सुफ़्ला की त़रफ़ से या'नी नीचे की घाटी (बाबे शबीकत) की त़रफ़ से। (दीगर मक़ाम 1576)

٤١- بَابُ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِن مَكَّةَ

बाब 41 : मक्का से जाते वक़्त कौनसी राह से जाए

١٥٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى)). [راجع: ١٥٧٥]

1576. हमसे मुसद्दद बिन मुस्रहद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ष़निय्या उ़लिया या'नी मुक़ामे कदाअ की त़रफ़ से दाख़िल होते जो बत़्हा में है। और ष़निय्या सुफ़्ला की त़रफ़ से निकलते थे या'नी नीचे वाली घाटी की त़रफ़ से।

(राजेअ़ 1575)

तश्रीह : इन ह़दीष़ों से मा'लूम हुआ कि मक्का में एक राह से आना और दूसरी राह से जाना मुस्तह़ब है। नुस्ख़ा मत्बूआ मिस्र में यहाँ इतनी इ़बारत ज़्यादा है, **क़ाल अबू अ़ब्दिल्लाहि कान युक़ालु हुव मुसद्दद कइस्मिही क़ाल अबू अ़ब्दिल्लाहि समिअ़तु यह्या बिन मईन यक़ूलु समिअ़तु यह्या बिन सईद अल्क़त्तान यक़ूलु लौ अन्न मुसद्दद अतैतुहू फ़ी बैतिही फहद्दष्तुहू लिइस्हाक़ ज़ालिक व मा उबाली कुतुबी कानत इन्दी औ इन्द मुसद्दद** या'नी इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा मुसद्दद इस्मे बामुस्मा थे या'नी मुसद्दद के मा'नी अ़रबी ज़ुबान में मज़्बूत़ और दुरुस्त के हैं तो वो ह़दीष़ की रिवायत में मज़्बूत़ और दुरुस्त थे और मैंने यह्या बिन मुईन से सुना, वो कहते हैं मैंने यह्या क़त्तान से सुना, वो कहते थे अगर मैं मुसद्दद के घर जाकर उनको ह़दीष़ सुनाया करता तो वो इसके लायक़ थे और मेरी किताबें ह़दीष़ की मेरे पास रहीं या मुसद्दद के पास मुझे कुछ परवाह नहीं। गोया यह्या क़त्तान ने मुसद्दद की बेह़द ता'रीफ़ की।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا)).

[أطرافه في : ١٥٧٨، ١٥٧٩، ١٥٨٠، ١٥٨١، ٤٢٩٠، ٤٢٩١].

1577. हमसे हुमैदी और मुहम्मद बिन मुष़न्ना ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे हिशाम बिन उ़र्वा ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में तशरीफ़ लाए तो ऊपर की बुलन्द जानिब से शहर के अंदर दाख़िल हुए और (मक्का से) वापस जब गये तो नीचे की त़रफ़ से निकल गये।

(दीगर मक़ाम 1578, 1579, 1580, 1581, 4290, 4291)

1578. हमसे महमूद बिन ग़ीलान मरवज़ी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हिशाम बिन उर्वा ने बयान किया। उनसे उनके वालिद उर्वा बिन ज़ुबैर ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर शहर में कदाअ की तरफ़ से दाख़िल हुए और कुदा की तरफ़ से निकले जो मक्का के बुलन्द जानिब है। (राजेअ 1577)

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ)). [راجع: ١٥٧٧]

कदाअ बिल मद एक पहाड़ है मक्का के नज़दीक और कुदाअ बिज़्ज़म काफ़ भी एक दूसरा पहाड़ है जो यमन के रास्ते है। ये रिवायत बज़ाहिर अगली रिवायतों के ख़िलाफ़ है। लेकिन किरमानी ने कहा कि ये फ़तहे मक्का का ज़िक्र है और अगली रिवायतों में हज्जतुल विदाअ का। हाफ़िज़ ने कहा ये रावी की ग़लती है और ठीक ये है कि आप कदाअ या'नी बुलन्द जानिब से दाख़िल हुए थे ये इबारत **मिअ़ाला कदा मक्कत** के बारे में है न कदाअ बिल क़सर से। (वहीदी)

1579. हमसे अहमद बिन ईसा ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह इब्ने वहब ने बयान किया, कहा कि हमें अम्र बिन हारिष़ ने ख़बर दी, उन्हें हिशाम बिन उर्वा ने, उन्हें उनके वालिद उर्वा बिन ज़ुबैर ने और उन्हें आइशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर दाख़िल होते वक़्त मक्का के बालाई इलाक़े कदाअ से दाख़िल हुए। हिशाम ने बयान किया कि उर्वा अगरचे कदाअ और कुदा दोनों तरफ़ से दाख़िल होते थे लेकिन अकष़र कदाअ से दाख़िल होते क्योंकि ये रास्ता उनके घर से क़रीब था। (राजेअ : 1577)

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ)). قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا - مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا - وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. [راجع: ١٥٧٧]

1580. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे हातिम बिन इस्माईल ने हिशाम से बयान किया, उनसे उर्वा ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर मक्का के बालाई इलाक़े कदाअ की तरफ़ से दाख़िल हुए थे। लेकिन उर्वा अकष़र कदाअ की तरफ़ से दाख़िल होते थे क्योंकि ये रास्ता उनके घर से क़रीब था। (राजेअ : 1577)

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ)). [راجع: ١٥٧٧]

1581. हमसे मूसा बिन इस्माईल ने बयान किया, कहा कि हमसे वुहैब बिन ख़ालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने अपने बाप से बयान किया, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) फ़तहे मक्का के मौक़े पर कदाअ से दाख़िल

١٥٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ ((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ

يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : كَدَاءٌ وَكُدًا مَوضِعَانِ.

[راجع: ١٥٧٧]

हुए थे। उर्वा ख़ुद अगरचे दोनों तरफ़ से (कदाअ और कुदा) दाख़िल होते लेकिन अकष़र कदाअ की तरफ़ से दाख़िल होते थे क्योंकि ये रास्ता उनके घर से क़रीब था। अबू अ़ब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि कदाअ और कुदा दो मक़ामात के नाम हैं।

٤٢- بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

बाब 42 : फ़ज़ाइले मक्का और का'बा की बिना का बयान

وَقَوْلِهِ تَعَالَى:﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾ [البقرة: ١٢٥-١٢٨]

और अल्लाह तआला का इर्शाद, और जबकि मैंने ख़ान-ए-का'बा को लोगों के लिये बार बार लौटने की जगह बना दिया और उसको अमन की जगह कर दिया और (मैंने हुक्म दिया) कि मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बनाओ और मैंने इब्राहीम और इस्माईल से अ़हद लिया कि वो दोनों मेरे मकान को तवाफ़ करने वालों और ए'तिकाफ़ करने वालों और रुकूअ सज्दा करने वालों के लिये पाक कर दें। ऐ अल्लाह! इस शहर को अमन की जगह कर दे और यहाँ के इन रहने वालों को फलों से रोज़ी दे जो अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान लाएँ सिर्फ़ उनको, उसके जवाब में अल्लाह तआला ने फ़र्माया और जिसने कुफ़्र किया उसको मैं दुनिया में चंद रोज़ मज़े करने दूँगा फिर उसे दोज़ख़ के अ़ज़ाब में खींच लाऊँगा और वो बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहीम व इस्माईल (अलैहिमस्सलाम) ख़ान-ए-का'बा की बुनियाद उठा रहे थे (तो वो यूँ दुआ कर रहे थे) ऐ हमारे रब! हमारी इस कोशिश को क़ुबूल फ़र्मा। तू ही हमारी (दुआओं को) सुनने वाला और (हमारी निय्यतों को) जानने वाला है। ऐ हमारे रब! हमें अपना फ़र्मांबरदार बना और हमारी नस्ल से एक जमाअ़त बना जो तेरी फ़र्मांबरदार हो। हमको अह्काम्रे हज्ज सिखा और हमारे हाल पर तवज्जह फ़र्मा कि तू बहुत ही तवज्जह फ़र्माने वाला है और बड़ा रहीम है। (अल बक़र : 125-128)

١٥٨٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : ((لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ

1582. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आ़सिम नबील ने बयान किया, कहा कि मुझे इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, कहा कि मुझे अ़म्र बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बयान किया कि (ज़मान-ए-जाहिलियत में) जब का'बा की ता'मीर हुई तो नबी करीम (ﷺ) और अ़ब्बास (रज़ि.) भी पत्थर उठाकर ला रहे थे। अ़ब्बास (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ)

स कहा कि अपना तहबन्द उतारकर काँधे पर डाल लो (ताकि पत्थर उठाने में तकलीफ़ न हो) आँहुज़ूर (ﷺ) ने ऐसा किया तो नंगे होते ही बेहोश होकर आप ज़मीन पर गिर पड़े और आपकी आँखें आसमान की तरफ़ लग गईं। आप कहने लगे मुझे मेरा तहबन्द दे दो। फिर आप (ﷺ) ने उसे मज़बूत बाँध लिया। (राजेअ: 126)

النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَرِنِي إِزَارِي، فَشَدَّهُ عَلَيْهِ)). [راجع: ١٢٦]

तशरीह : उस ज़माने में मेहनत—मज़दूरी के समय नंगे होने में बुराई नहीं समझी जाती थी। लेकिन चूँकि ये काम मुरुव्वत और ग़ैरत के ख़िलाफ़ था, अल्लाह ने अपने हबीब के लिये उस वक़्त भी ये गवारा न किया हालांकि उस वक़्त तक आपको पैग़म्बरी नहीं मिली थी।

1583. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह ने कि अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबीबक्र ने उन्हें ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की पाक बीवी हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि आँहुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया क्या तुझे मा'लूम है जब तेरी क़ौम ने का'बा की ता'मीर की तो बुनियादे इब्राहीम को छोड़ दिया था। मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर आप बुनियादे इब्राहीम पर उसको क्यूँ नहीं बना देते? आपने फ़र्माया कि अगर तुम्हारी क़ौम का ज़माना कुफ़्र से बिलकुल नज़दीक न होता तो मैं बेशक ऐसा कर देता।

अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने कहा कि अगर आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है (और यक़ीनन हज़रत आइशा रज़ि. सच्ची हैं) तो मैं समझता हूँ यही वजह थी जो आँहज़रत (ﷺ) हतीम से मुत्तसिल (लगी हुई) दीवारों के जो कोने हैं उनको नहीं चूमते थे क्योंकि ख़ान—ए—का'बा इब्राहीमी बुनियादों पर पूरा न हुआ था। (राजेअ: 126)

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ؟ قَالَ: ((لَوْ لاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ)).
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ. [راجع: ١٢٦]

तशरीह : क्योंकि हतीम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बिना में का'बा में दाख़िल था। क़ुरैश ने पैसा कम होने की वजह से का'बा को छोटा कर दिया और हतीम की ज़मीन का'बा के बाहर छूटी हुई रहने दी। इसलिये तवाफ़ में हतीम को शामिल कर लेते हैं। (वहीदी)

1584. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबुल अहवस सलाम बिन सुलैम ने बयान किया, उनसे

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسْوَدِ

अश्अष़ ने बयान किया, उनसे अस्वद बिन यज़ीद ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या ह़तीम भी बैतुल्लाह में दाख़िल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि हाँ, फिर मैंने पूछा कि फिर लोगो ने उसे का'बा में क्यूँ नहीं शामिल किया? आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि तुम्हारी क़ौम के पास ख़र्च की कमी पड़ गई थी। फिर मैंने पूछा कि ये दरवाज़ा क्यूँ ऊँचा बनाया? आपने फ़र्माया कि ये भी तुम्हारी क़ौम ही ने किया ताकि जिसे चाहें अंदर आने दें और जिसे चाहें रोक दें। अगर तुम्हारी क़ौम की जाहिलियत का ज़माना ताज़ा-ताज़ा न होता और मुझे इसका डर न होता कि उनके दिल बिगड़ जाएँगे तो इस ह़तीम को भी मैं ख़ान-ए-का'बा में शामिल कर देता और का'बा का दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता। (राजेअ़ 126)

عَنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)).
قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ)). [راجع: ١٢٦]

1585. हमसे उ़बैद बिन इस्माईल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू उसामा ने बयान किया, उनसे हिशाम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, अगर तुम्हारी क़ौम का ज़माना कुफ्र से अभी ताज़ा न होता तो मैं ख़ान-ए-का'बा को तोड़कर उसे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियाद पर बनाता क्योंकि कुरैश ने उसमें कमी कर दी है। उसमें एक दरवाज़ा और उस दरवाज़े के मुक़ाबिल रखता। अबू मुआविया ने कहा हमसे हिशाम ने बयान किया। ह़दीष़ में ख़ल्फ़ से दरवाज़ा मुराद है। (राजेअ़ 126)

١٥٨٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ لاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا)). قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ : خَلْفًا يَعْنِي بَابًا. [راجع: ١٢٦]

तश्रीह : अब का'बा में एक ही दरवाज़ा है वो भी आदमी के क़द से ज़्यादा ऊँचा है। दाख़िले के वक़्त लोग बड़ी मुश्किल से सीढ़ी पर चढ़कर का'बा के अंदर जाते हैं और एक ही दरवाज़ा होने से उसके अंदर ताज़ी हवा मुश्किल से आती है। दाख़िले के लिये का'बा शरीफ़ को ह़ज्ज के दिनों में बहुत थोड़ी मुद्दत के लिये खोला जाता है। अल्ह़म्दुलिल्लाह कि 1351 हिजरी के ह़ज्ज में का'बा शरीफ़ में मुतर्जिम को दाख़िला नसीब हुआ था। वल्ह़म्दुलिल्लाह अ़ला ज़ालिक

1586. हमसे बयान बिन अ़म्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जरीर बिन हाज़िम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यज़ीद बिन रूमान ने बयान किया, उनसे उ़र्वा ने और उनसे

١٥٨٦- حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ)). فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيْدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ. قَالَ جَرِيْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيْكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: هَا هُنَا؟. قَالَ جَرِيْرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

[راجع: ١٢٦]

उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा (रज़ि.)! अगर तेरी क़ौम का ज़माना जाहिलियत अभी ताज़ा न होता, तो मैं बैतुल्लाह को गिराने का हुक्म दे देता ताकि (नई ता'मीर में) इस हिस्से को भी दाख़िल कर दूँ जो उससे बाहर रह गया है और उसकी कुर्सी ज़मीन के बराबर कर दूँ और उसके दो दरवाज़े बना दूँ, एक मश्रिक़ में और एक मग़रिब में। इस तरह इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की बुनियाद पर उसकी ता'मीर हो जाती। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का का'बा को गिराने से यही मक़सद था। यज़ीद ने बयान किया कि मैं उस वक़्त मौजूद था जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने उसे गिराया था और उसकी नई ता'मीर करके ह़तीम को उसके अंदर कर दिया था। मैंने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की ता'मीर के पाए भी देखे जो ऊँट की कोहान की तरह थे। जरीर बिन हाज़िम ने कहा कि मैंने उनसे पूछा, उनकी जगह कहाँ है? उन्होंने फ़र्माया कि मैं अभी दिखाता हूँ। चुनाँचे मैं उनके साथ ह़तीम में गया और आपने एक जगह की तरफ़ इशारा करके कहा कि ये वो जगह है। जरीर ने कहा कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो जगह ह़तीम में से छः हाथ होगी या ऐसी ही कुछ।

(राजेअ 126)

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि कुल ह़तीम की ज़मीन का'बा में शरीक न थी क्योंकि परनाले से लेकर ह़तीम की दीवार तक सत्रह हाथ जगह है और एक तिहाई हाथ दीवार का अर्ज़ दो हाथ और तिहाई है। बाक़ी 5 हाथ ह़तीम के अंदर है। कुछ कहते हैं कुल ह़तीम की ज़मीन का'बा में शरीक थी और ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त में इम्तियाज़ (फ़र्क़) के लिये ह़तीम के गिर्द एक छोटी सी दीवार उठा दी। (वह़ीदी)

जिस मुक़द्दस जगह पर आज खान-ए-का'बा की इमारत है ये वो जगह है जहाँ फ़रिश्तों ने पहले-पहल इबादते इलाही के लिये मस्जिद ता'मीर की थी। क़ुर्आन मजीद में है, **इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकंव्व हुदन लिल आलमीन** (आले इमरान : 96) या'नी अल्लाह की इबादत के लिये और लोगों की हिदायत के लिये बरकत वाला घर जो सबसे पहले दुनिया के अंदर ता'मीर हुआ वो मक्का शरीफ़ वाला घर है।

इब्ने अबी शैबा, इस्ह़ाक़ बिन राहवै, अब्द बिन हुमैद, ह़र्ष बिन अबी उसामा, इब्ने जरीर, इब्ने अबी ह़ातिम और बैहक़ी ने ह़ज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत किया है, **इन्न रजुलन क़ाल लहू अ ला तुख़्बिरनी अनिल्बैति वुज़िअ फ़िल्अर्ज़ि क़ाल ला व लाकिन्नहू अव्वलु बैतिन वुज़िअ लिन्नासि फ़ीहिल्बर्कतु वल्हुदा व मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहू कान अम्नन**एक शख़्स ने ह़ज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से पूछा कि आया वो सबसे पहला मकान है जो रूए ज़मीन पर बनाया गया तो आपने इर्शाद फ़र्माया कि ये बात नहीं है बल्कि ये मुतबर्रक मुक़ामात में सबसे पहला मुक़ाम है जो लोगों के लिये ता'मीर किया गया इसमें बरकत और हिदायत है और मुक़ामे इब्राहीम है जो शख़्स वहाँ दाख़िल हो जाए उसको अमन मिल जाता है।

हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) का बैतुल्लाह को ता'मीर करना :

अब्दुर्रज़्ज़ाक़, इब्ने जरीर, इब्ने मुंज़िर, हज़रत अता से रिवायत करते हैं कि आपने फ़र्माया, **क़ाल आदमु अय रब्बि मा ली ला अस्मउ अस्वातल्मलाइकति क़ाल लिख़तीअतिक व लाकिन इहबित इलल्अर्ज़ि फब्नि ली बैतन षुम्म अहफिफ बिही कमा राइतल्मलाइकत तहुफ्फु बैतियल्लज़ी फिस्समाइ फज़अमन्नासु अन्नहू खम्सत अज्बुलिन मिन हरा व लबनान व तूरि ज़ीता व तूरि सीना वल्जूदी फकान हाज़ा बना आदमु हत्ता बनाहु इब्राहीमु बअद** (तर्जुमा) हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया कि परवरदिगार क्या बात है कि मुझे फ़रिश्तों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। इर्शादे इलाही हुआ ये तुम्हारी उस लग़्ज़िश का सबब है जो शजरे मम्नूआ के इस्ते'माल के बाअिष तुमसे हो गई। लेकिन एक सूरत अभी बाक़ी है कि तुम ज़मीन पर उतरो और हमारे लिये एक मकान तैयार करो और उसको घेरे रहो जिस तरह तुमने फ़रिश्तों को देखा है कि वो हमारे मकान को जो आसमान पर है घेरे हुए हैं। लोगों का ख़्याल है कि इस हुक्म की बिना पर हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) ने कोहे हिरा, तूरे ज़ेता, तूरे सीना और जूदी ऐसे पाँच पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह शरीफ़ की ता'मीर की, यहाँ तक कि उसके आषार मिट गए तो हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने उसके बाद नये सिरे से उसकी ता'मीर की। इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और तब्रानी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया **लम्मा अहबतल्लाहु आदम मिनल्जन्नति क़ाल इन्नी मुहबितन मअक बैतन युताफु हौलहू कमा युताफु हौल अर्शी व युसल्ली इन्दहू कमा युसल्ली इन्द अर्शी फलम्मा कान जमनत्तूफ़ानि रफअहुल्लाहु इलैहि फकानतिल्अम्बिया यहुज्जूनहू व ला यअलमून मकानहू हत्ता तवल्लाहुल्लाहु बअद लिइब्राहीम व आलमहू महानहू फबनाहु मिन खम्सति अज्बुलिन हरा व लबनान व षबीर व जबलुत्तूर व जबलुल्हमर व हुव जबलु बैतिल्मक्दिस**

(तर्जुमा) अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम (अलैहिस्सलाम) को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो इर्शाद फ़र्माया कि मैं तुम्हारे साथ एक घर भी उतारूँगा। जिसका तवाफ़ उसी तरह किया जाता है जैसा कि मेरे अर्श का तवाफ़ होता है और उसके पास नमाज़ उसी तरह अदा की जाएगी जिस तरह की मेरे अर्श के पास अदा की जाती है। फिर जब तूफ़ाने नूह का ज़माना आया तो अल्लाह तआला ने उसको उठा लिया। उसके बाद अंबिया (अलैहिस्सलाम) बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज तो किया करते थे मगर उसका मुक़ाम किसी को मा'लूम न था। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उसका पता हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को दिया और उसकी जगह दिखा दी तो आपने उसको पाँच पहाड़ों से बनाया। कोहे हिरा, लिब्नान षबीर, जबलुल ह्म्र, जबलुत्तूर (जबलुल ह्म्र को जबले बैतुल मक़्दिस भी कहते हैं)।

अज़्रक़ी और इब्ने मुंज़िर ने हज़रत वहब बिन मुनब्बह से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया अल्लाह सुब्हनहू व तआला ने जब आदम (अलैहिस्सलाम) की तौबा कुबूल की तो उनको मक्का मुकर्रमा जाने का इर्शाद हुआ। जब वो चलने लगे तो ज़मीन और बड़े–बड़े मैदान लपेटकर मुख़्तसर कर दी गई। यहाँ तक कि एक एक मैदान जहाँ से वो गुज़रते थे एक क़दम के बराबर हो गया और ज़मीन में जहाँ कहीं समुन्दर या तालाब थे उनके दहाने में इतने छोटे कर दिए गये कि एक क़दम में उस तरफ़ पार हों। लेकिन दूसरा ये लुत्फ़ था कि आपका क़दम ज़मीन पर जिस जगह पड़ता वहाँ एक एक बस्ती हो जाती और उसमें अजीब बरकत नज़र आती। चलते-चलते आप मक्का मुकर्रमा पहुँच गये। मक्का आने से पहले आदम (अलैहिस्सलाम) की आह व ज़ारी और आपका रंज व ग़म जन्नत से चले आने की वजह से बहुत था, यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी आपके गिर्या की वजह से गिर्या करते और आपके रंज में शरीक होते थे। इसलिये अल्लाह तआला ने आपका ग़म दूर करने के लिये जन्नत का एक ख़ैमा इनायत फ़र्माया था जो मक्का में का'बा शरीफ़ के मुक़ाम पर नसब किया गया था। ये वक़्त वो था कि अभी का'बतुल्लाह को का'बा का लक़ब नहीं दिया गया था। उसी दिन का'बतुल्लाह के साथ रुक्न भी नाज़िल हुआ। उस दिन वो सफ़ेद याक़ूत और जन्नत का एक टुकड़ा था। जब हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) मक्का शरीफ़ आए तो अल्लाह तआला ने उनकी हिफ़ाज़त अपने ज़िम्मे ले ली और उस ख़ैमे की हिफ़ाज़त फ़रिश्तों के ज़रिये कराई। ये ख़ैमा आपके आख़िरी वक़्त तक वहीं लगा रहा। जब अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ फ़र्माई तो उस ख़ैमे को अपनी तरफ़ उठा लिया और आदम (अलैहिस्सलाम) के साहबज़ादों ने उसके बाद उस ख़ैमे की जगह मिट्टी और पत्थर का एक मकान बनाया। जो हमेशा आबाद रहा। आदम (अलैहिस्सलाम) के साहबज़ादे और उनके बाद वाली नस्लें एक के बाद एक उसकी आबादी का

इंतिज़ाम करती रहीं जब नूह (अलैहिस्सलाम) का ज़माना आया तो वो इमारत ग़र्क़ हो गई और उसका निशान छुप गया।

हज़रत हूद और सालेह (अलैहिमस्सलाम) के सिवा तमाम अंबिया–ए–किराम ने बैतुल्लाह की ज़ियारत की है : इब्ने इस्हाक़ और बैहक़ी ने हज़रत उर्वह (रज़ि.) से रिवायत की है कि आपने फ़र्माया, **मामिन नबिय्यिन इल्ला व क़द हज्जल्बैत इल्ला मा कान मिन हूदिन व सालिहिन व लक़ हज्जहू नूहुन फलम्मा कान फ़िल्अर्ज़ि मा कान मिनल्ग़र्कि अ साबल्बैत मा असाबल्अर्ज़ रब्वतन हम्राअ फबअषल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हूदन फतगाशल बिम्रि कौमिही हत्ता क़ब्बजहुल्लाहु इलैहि फलम यहुज्जहू हत्ता मात फलम्मा बव्वाहुल्लाहु लिइब्राहीम अलैहिस्सलाम हज्जहू षुम्म लम यब्क़ नबिय्युन बअ़दहू इल्ला हज्जहू** (तर्जुमा) जिस क़दर अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) मब्ऊष हुए सबने बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज किया, मगर हज़रत हूद और हज़रत सालेह (अलैहिमस्सलाम) को इसका मौक़ा न मिला। हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) ने भी हज्ज अदा किया है लेकिन जब आपके ज़माने में ज़मीन पर तूफ़ान आया और सारी ज़मीन पानी में डूब गई तो बैतुल्लाह को भी उससे हिस्सा मिला। बैतुल्लाह शरीफ़ एक लाल रंग का टीला रह गया था। फिर अल्लाह तआ़ला ने हज़रत हूद (अलैहिस्सलाम) को मब्ऊष फ़र्माया तो आपने हुक्मे इलाही के मुताबिक़ फ़रीज़ा-ए-तब्लीग़ की अदाएगी में मशग़ूल रहे और आपकी मश्ग़ूलियत इस दर्जा रही कि आपको आख़िर दम तक हज्ज करने का मौक़ा न मिला। फिर जब हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को बैतुल्लाह शरीफ़ बनाने का मौक़ा मिला तो उन्होंने हज्ज अदा किया और आपके बाद जिस क़दर अंबिया (अलैहिमुस्सलाम) तशरीफ़ लाए सबने हज्ज अदा किया।

हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का बैतुल्लाह को ता'मीर करना :

तब्क़ात इब्ने सअ़द में हज़रत अबू जहम बिन हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि जनाब नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया **औहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इला इब्राहीम यामुरूहू बिल्मसीरि इला बलदिहिल्हरामि फरकिब इब्राहीमुल्बुर्राक व जअ़ल इस्माइलु अमामहू व हुव इब्नु सनतनि व हाजिर खल्फ़हू व मअहू जिब्रइल यदुल्लुहू अला मौज़इल्बैति हत्ता क़दिम बिही मक्कत फअन्ज़ल इस्माईल व उम्महू इला जानिबल्बैति षुम्म इन्सरफ़ इब्राहीमु इलश्शामि षुम्म औहल्लाहु इला इब्राहीम अन तब्नियल्बैत व हुव यौमइज़िन इब्नु मिअति सनतिन व इस्माईलु यौमइज़िन इब्नु षलाषीन सनतन फबनाहू मअहू व तुवफ़्फ़िय इस्माइलु बअद अबीहि फदुफिन दाखिलल्हुज्रि मिम्मा यली** या'नी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को बज़रिये वह्य हुक्म भेजा कि बलदुल हराम मक्का की तरफ़ चलें। चुनाँचे आप हुक्मे इलाही की ता'मील में बुर्राक़ पर सवार हो गए। अपने प्यारे नूरे नज़र हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) को जिनकी उम्र शरीफ़ दो साल की थी, को अपने सामने और बीबी हाजरा को अपने पीछे ले लिया। हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) बैतुल्लाह शरीफ़ की जगह बतलाने की ग़र्ज़ से आपके साथ थे। जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) और आपकी वालिदा माजिदा को बैतुल्लाह के एक जानिब उतारा और हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) शाम को वापस हुए। फिर अल्लाह तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को जबकि आपकी उम्र शरीफ़ पूरे एक सौ साल थी, बज़रिये वह्य बैतुल्लाह शरीफ़ बनाने का हुक्म फ़र्माया। उस वक़्त हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की उम्रे मुबारक तीस बरस थी। चुनाँचे अपने साहबज़ादे को साथ लेकर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने का'बा की बुनियाद डाली। फिर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की वफ़ात हो गई और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) ने भी आपके बाद वफ़ात पाई जो हज्रे अस्वद और का'बा शरीफ़ के बीच अपनी वालिदा माजिदा हज़रत हाजरा के साथ दफ़न हुए और आपके साहबज़ादे हज़रत षाबित बिन इस्माईल (अलैहिस्सलाम) अपने वालिदे मुहतरम के बाद अपने मामुंओं के साथ मिलकर जो बनी जुरहम से थे का'बा शरीफ़ के मुतवल्ली क़रार पाए।

इब्ने अबी शैबा, इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और बैहक़ी की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को का'बतुल्लाह बनाने का हुक्म हुआ तो आपको मा'लूम न हो सका कि उसको किस तरह बनाएँ। इस नौबत पर अल्लाह पाक ने सकीना या'नी एक हवा भेजी जिसके दो किनारे थे। उसने बैतुल्लाह शरीफ़ के मुक़ाम पर तौक़ की तरह एक हलक़ा बाँध दिया। इधर आपको हुक्म हो चुका था कि सकीना जहाँ ठहरे पस वहीं ता'मीर होनी चाहिये। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने उस मुक़ाम पर बैतुल्लाह शरीफ़ को ता'मीर किया।

देलमी ने हज़रत अली (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न रिवायत की है। ज़ेरे तफ़्सीर आयत **व इज़ यर्फ़उ इब्राहीमुल क़वाइद**

(अल बक़रः : 127) कि बैतुल्लाह शरीफ़ जिस तरह मुरब्बअ़ (चौकोर) है उसी तरह एक चौकोनी अब्र (चार कोने वाला बादल) नमूदार हुआ उसमें से आवाज़ आती थी कि बैतुल्लाह का इर्तिफ़ाअ़ ऐसा ही चौकूना होना चाहिये जैसा कि मैं या'नी अब्र हूँ। चुनाँचे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने बैतुल्लाह को उसी तरह मुरब्बअ़ फ़र्माया।

सईद बिन मंसूर ने अ़ब्दुल्लाह बिन हुमैद, इब्ने अबी हातिम वग़ैरह ने सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत किया है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने हवा के डाले हुए निशान के नीचे खोदना शुरू किया पस बैतुल्लाह शरीफ़ के सुतून बरामद हो गए। जिसको तीस-तीस आदमी भी हिला नहीं सकते थे।

आयते बाला की तफ़्सीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, **अल्क़वाइदुल्लती कानत क़वाइदुल्बैति क़ब्ल ज़ालिक** सुतून जिनको हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने बनाया, ये वही सुतून हैं जो बैतुल्लाह शरीफ़ में पहले के बने हुए थें। उन्हीं को हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने बुलन्द किया।

इस रिवायत से मा'लूम होता है कि बैतुल्लाह शरीफ़ अगरचे हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) और हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का ता'मीर किया हुआ है लेकिन उसकी संगे बुनियाद उन हज़रात ने नहीं रखी है बल्कि उसकी बुनियाद क़दीम है आपने सिर्फ़ उसकी तजदीद फ़र्माई (पुनर्निर्माण किया)। जब हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ता'मीरे का'बा फ़र्मा रहे थे तो ये दुआएँ आपकी ज़ुबान पर थीं, **रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अन्तस्समीउ़ल्अलीम** ऐ रब! हमारी इस ख़िदमते तौहीद को क़ुबूल फ़र्मा, तू जाननेवाला सुननेवाला है।

रब्बना वज्अ़ल्ना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियातिना उम्मतम्मुस्लिमतल्लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नक अन्तत्तव्वाबुर्रहीम (अल बक़रः: 128) ऐ रब! हमें अपना फ़रमाँबरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमाअ़त हमेशा इस मिशन को ज़िन्दा रखने वाली बना दे और मनासिके हज्ज से हमें आगाह कर दे और हमारे ऊपर अपनी इनायात की नज़र कर दे तू निहायत ही तव्वाब और रहीम है।

व इज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बिज्अ़ल हाज़ल्बलद आमिनंव्वज्नुब्नी व बनिय्य अन नअ़बुदल अस्नाम (सूरह इब्राहीम: 35) ऐ रब! इस शहर को अमन व अमान वाला मकान बना दे और मुझे और मेरी औलाद को हमेशा बुतपरस्ती की हिमाक़त से बचाते रहना।

रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरिन ज़ी ज़र्अ़िन इन्द बैतिकल मुहर्रमि रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़ज्अ़ल अफ़्इदतम मिनन्नासि तह्वी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनष्षमराति लअ़ल्लहुम यश्कुरून (सूरह इब्राहीम : 37) ऐ रब! मैं अपनी औलाद को एक बंजर नाक़ाबिले काश्त बयाबान में तेरे पाक घर के क़रीब आबाद करता हूँ। ऐ रब! मेरी ग़र्ज़ उनको यहाँ बसाने से सिर्फ़ यही है कि ये तेरी इबादत करें। नमाज़ क़ायम करें। मेरे मौला! लोगों के दिल उनकी तरफ़ फेर दे और उनको मेवों से रोज़ी अ़ता कर ताकि ये तेरी शुक्रगुज़ारी करें।

क़ाल इब्नु अ़ब्बास बना इब्राहीमुल्बैत मिन खम्सति अज्बुलिम्मिन तूरि सीना व तूरि ज़ैता व लब्ननान जबलुन बिश्शामि वल्जूदी जबनुल बिल्जज़ीरति बना क़वाइदहू मिन हरा जबलुन बिमक्कत फ़लम्मा इन्तहा इब्राहीमु इला मौज़ल्इल्हज्रिल्अस्वदि क़ाल लिइस्माइल इतीनी बिहजरिन हसनिन यकूनु लिन्नासि अ़लमन फअताहू बिहजरिन फ़क़ाल इतीनी बिअहसनिम्मिन्हु फमज़ा इस्माइलु लियतलुब हजरन अहसनु मिन्हु फसाह अबू क़ुबैस या इब्राहीमु इन्न लका इन्दी वदीअतुन फ़ख़ुज़्हा फ़कज़फ़ बिल्हज्रिल्अस्वदि फअख़ज़हू इब्राहीमु फवज़अहू मकानहू (ख़ाज़िन जिल्द 1 पेज 94) या'नी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने तूरे सीना और तूरे ज़ैता व जबलुल लिबान जो शाम में है और जबले जूदी जो जज़ीरह में हैं उन चारों पहाड़ों के पत्थरों का इस्ते'माल किया। जब आप हज्रे अस्वद के मुक़ाम पर पहुँच गए तो आपने हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) से फ़र्माया कि एक ख़ूबसूरत सा पत्थर लाओ जिसको निशानी के तौर पर (तवाफ़ों की गिनती के लिये) मैं क़ायम कर दूँ। हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) एक पत्थर लाए, उसको आपने वापस कर दिया और फ़र्माया कि और मुनासिब पत्थर लाओ। हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) पत्थर तलाश कर ही रहे थे कि जबले अबू क़ुबैस से एक ग़ैबी आवाज़ बुलन्द हुई कि ऐ इब्राहीम! मेरे पास आपको देने की एक अमानत है, उसे ले जाइये। चुनाँचे उस पहाड़ ने हज्रे अस्वद को

इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के ह़वाल कर दिया और आपने पत्थर को उसके मुक़ाम पर रख दिया। कुछ रिवायात में यूँ भी है कि ह़ज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने हज्रे अस्वद को लाकर आपके ह़वाले कर दिया। (इब्ने कषीर) और शर्क़ी गोशा (पूर्वी हिस्से) में बाहर की तरफ़ ज़मीन से डेढ़ गज़ की बुलन्दी पर एक त़ाक़ में उसको नस़ब किया गया। ता'मीरे इब्राहीमी बिलकुल सादा थी न उस पर छत थी, न दरवाज़ा, न चूना। मिट्टी से काम लिया गया था। सिर्फ़ पत्थर की चार दीवारी थी।

अल्लामा अज़्रक़ी ने ता'मीरे इब्राहीमी की लम्बाई चौड़ाई ह़स्बे ज़ैल लिखा है, बुलन्दी ज़मीन से छत तक नौ गज़, लम्बाई हज्रे अस्वद से रुक्ने शामी तक 32 गज़। अ़र्ज़ रुक्ने शामी से ग़र्बी तक 22 गज़।

घर बन चुका। ह़ज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) ने मनासिके ह़ज्ज से आगाह कर दिया। अब इर्शादे बारी तआ़ला हुआ, **व तह्हिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल्क़ाइमीन वर्रुक्कइस्सुजूद व अज़्जिन फ़िन्नासि बिल्हज्जि यातूक रिजालन व अ़ला कुल्लि ज़ामिरिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अ़मीक़** (अल ह़ज्ज : 27) या'नी मेरा घर त़वाफ़ करनेवालों, नमाज़ में क़याम करने वालों, रुकूअ़ करने वालों और सज्दा करने वालों के लिये पाक कर दे और तमाम लोगों को पुकार दे कि ह़ज्ज को आएँ पैदल भी और दुबली ऊँटनियों पर भी हर दूर दराज़ गोशा से आएँगे। उस ज़माने में ऐलान व इश्तिहार के वसाइल (साधन) नहीं थे। वीरान जगह थी, आदमज़ाद का कोसों तक पता न था। इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की आवाज़ ह़ुदूदे ह़रम से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन इस मा'मूली आवाज़ को क़ुदरते ह़क़ तआ़ला ने मश्रिक़ से मग़्रिब (पूरब से पश्चिम) तक और शिमाल से जुनूब (उत्तर से दक्षिण) तक और ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया।

मुफ़स्सिरीन आयते बाला के ज़ैल में लिखते हैं, **फ़नादा अ़ला जबलिन अबू कैस याअय्युहन्नासु इन्न रब्बकुम बना बैतन व औजब अ़लैकुमुल्हज्ज इलैहि फअजीबू रब्बकुम वल्तफ़त बिवज्हिही यमीनन व शिमालन व शर्कन व गर्बन फअजाबहू कुल्लु मन कतब लहू अंय्यहुज्ज मिन अस्लाबिर्रिजालि व अर्हामिल्उम्महाति लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक** (जलालैन)

या'नी ह़ज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने जबले अबू क़ुबैस पर चढ़कर पुकारा ऐ लोगों! तुम्हारे रब ने अपनी इबादत के लिये एक मकान बनवाया और तुम पर उसका ह़ज्ज फ़र्ज़ किया है। आप ये ऐलान करते हुए शिमाल व जुनूब और मश्रिक़ व मग़्रिब की तरफ़ मुँह करते जाते और आवाज़ बुलन्द करते जाते थे। पस जिन इंसानों की क़िस्मत में ह़ज्ज बैतुल्लाह की सआ़दते अज़ली लिखी जा चुकी है। उन्होंने अपने बापों की पुश्त से और अपनी माँओं के अरह़ाम से इस मुबारक निदा को सुनकर जवाब दिया, **लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक** या अल्लाह! हम ह़ाज़िर हैं, या अल्लाह! हम तेरे पाक घर की ज़ियारत के लिये ह़ाज़िर है।

बिनाए इब्राहीमी के बाद : इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की ये ता'मीर एक मुद्दत तक क़ायम रही और उसकी तौलियत व निगरानी सय्यिदना इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की औलाद में मुंतक़िल होती चली आई, यहाँ तक कि उसकी मरम्मत की ज़रूरत पेश आई। तब बनू जुरहुम ने उसी इब्राहीमी नक़्शे व हियत पर मरम्मत का काम अंजाम दिया न कोई छत बनवाई और न कोई तग़य्युर किया। बनू जुरहुम के बाद अ़मालिक़ा ने तजदीद की मगर ता'मीर में कोई इज़ाफ़ा नहीं किया ।

ता'मीर क़ुस़ई बिन किलाब : इब्राहीमी ता'मीर के बाद चौथी बार ख़ाना का'बा को क़ुस़ई बिन किलाब क़ुरैशी ने ता'मीर किया। क़ुस़ई क़ुरैश के मुम्ताज़ अफ़राद में से थे ता'मीर का'बा के साथ साथ क़ौमी ता'मीर के लिये भी उसने बड़े बड़े अहम काम अंजाम दिये। तमाम क़ुरैश को जमा करके तक़रीरों के ज़रिये उनमें इत्तिह़ाद की रूह़ फूँकी। दारुन्नदवा का बानी भी यही शख़्स है जिसमें क़ुरैश अपने क़ौमी इज्तिमाआ़त को अंजाम देते थे व मज़हबी तक़रीबात वग़ैरह के लिये वहाँ जमा होते थे। सिक़ाया (ह़ाजियों को आबे ज़मज़म पिलाना) और रिफ़ादा (या'नी ह़ाजियों के खाने–पीने का इंतिज़ाम करना) ये मह़कमे उसी ने क़ायम किये क़ुरैश के क़ौमी फण्ड से एक सालाना रक़म मिना और मक्का मुअ़ज़्ज़मा में लंगरख़ानों के लिये मुक़र्रर की। उसके साथ चिरमी ह़ौज़ बनवाए जिनमें हुज्जाज के लिये ह़ज्ज के दिनों में पानी भरवा दिया जाता था। क़ुस़ई ने अपने सारे ख़ानदान क़ुरैश को मुज्तमअ़ करके का'बा शरीफ़ के पास बसाया। ख़िदमते का'बा के बारे में पेड़ों की बाड़ लगा दी और उस पर स्याह ग़िलाफ़ डाला। ये ता'मीर ह़ज़रत रसूल पाक (ﷺ) के ज़मान-ए-तिफ़्लियत (बाल्यकाल) तक बाक़ी रही थी आपने अपने बचपन मे इसको मुलाह़ज़ा फ़र्माया।

ता'मीरे क़ुरैश : ये ता'मीर नुबुव्वते मुहम्मदी (ﷺ) से पाँच साल पहले जब आँह़ज़रत (ﷺ) की उम्र 35 साल की थी,

हुई उस ता'मीर में और बिनाए इब्राहीमी में 1675 साल का ज़माना बयान किया जाता है। उसकी वजह ये हुई कि एक औरत का'बा के पास बख़ूर जला रही थी, जिससे पर्दा शरीफ़ में आग लग गई और फैल गई, यहाँ तक कि का'बा शरीफ़ की छत भी जल गई और पत्थर भी चटक गए, जगह-जगह से दीवारें फट गईं। कुछ ही दिनों बाद सैलाब आया। जिसने उसकी बुनियादों को हिला दिया कि गिर जाने का बड़ा ख़तरा हुआ। क़ुरैश ने उस ता'मीर के लिये चन्दा जमा किया। मगर शर्त ये रखी कि सूद, उजरते ज़िना, ग़ारतगिरी और चोरी का पैसा न लगाया जाए इसलिये खर्च में कमी हो गई। जिसका तदारुक ये किया गया कि शिमाली रुख़ से छः सात ज़िराअ ज़मीन बाहर छोड़कर इमारत बना दी। इस छोड़े गये हिस्से का नाम हतीम है।

आयते शरीफ़ा **व इज़ यर्फ़उ इब्राहीमुल कवाइद** (अल बक़रः : 127) की तफ़्सीर में इब्ने कषीर में यूँ तफ़्सीलात आई हैं, **क़ाल मुहम्मदुब्नु इस्हाक़ इब्नि यसारिन फ़िस्सीरत व लम्मा बलग़ रसूलुल्लाहि (ﷺ) खम्सवंषलाषीन सनतन इज्मअत क़ुरैश लिबुन्यानिल्कअबति व कानू यहम्मून बिज़ालिक यस्क़फ़ूहा व यहाबून हदमहा व इन्नमा कानत रज़मन फ़ौक़ल्क़ामति फ़अराद व अर्फ़अहा व तस्क़ीफ़हा व ज़ालिक अन्न नफ़रन सरक़ू कन्ज़ल्कअबति व इन्नमा व इन्नमा कानल्कन्ज़ु जौफ़ल्कअबति व कानल्लज़ी वुजिद इन्दहूल्कन्ज़ दवैक मौला बनी मुलैहि ब्नि अम्रिन मिन खुज़ाअत फ़कतअत क़ुरैश यहदू व यज़अमुन्नासु अन्नल्लज़ीन सरक़ूहु वज़अहु इन्द दवैक व कानल्बहरू क़द रमा बिसफ़ीनिही इला जद्दा लिरजुलिन मिन तुज्जारिर्रूम फ़तहत्तत फ़अख़ज़ू ख़शबहा कि ब्तियुन नज्जारुन फ़हयालहुम फ़ी अन्फ़ुसिहिम बअज़ु मा युस्लिहुहा व कानत हय्यतुन तख़्रजु मिम्बिरिल्कअबितिल्लती कानत तत्रहु फ़ीहा मा यहदी लहा कल्ल यौमिन फ़तशर्रफ़ अला जिदारिल्कअबति व कानत मिम्मा यहाबून व ज़ालिक अन्नहू कान ला यदनू मिन्हा अहदुन इल्ला रज़्ज़ुन अलत व कशत व फ़तहत फ़ाहा फ़कानू यहाबूनहा फ़बनयाहा यौमन तशर्रफ़ अला जिदारिल्कअबति कमा कानत तस्नउ बअषल्लाहु इलैहा ताइरन फ़खतफ़हा फ़ज़हब बिहा फ़क़ालत क़ुरैश इन्ना नर्जू अंय्यकूनल्लाहु क़द रज़िय मा अर्दना इन्दना आमिलुन रफ़ीक़ुन व इन्दना खश्बुन व क़द फ़कानल्लाहुल्हय्यत फ़लम्मा उज्मऊ अम्रहुम फ़ी हदमिहा व बुनयानिहा क़ाम इब्नु वहबु ब्नु अम्रिन फ़तनावल मिनल्कअबति हजरन फ़वषब मिन यदिही हत्ता रजअ इला मौज़िइही फ़क़ाल या मअशर क़ुरैशिन ला तदखुलूहा फ़ी बुनयानिहा मिन कस्बिकु इल्ला तय्यिबन ला युदखलु फ़ीहा महरुन बशिय्युन वला बैउन रिबा व ला मुज़्लमतु अहदिम्मिनन्नासि इला आख़िरिही**

ख़ुलासा इबारत का ये है कि नबी करीम (ﷺ) की उम्र शरीफ़ 35 साल की थी कि क़ुरैश ने का'बा की अज़्सर नौ ता'मीर का फ़ैसला किया और उसकी दीवारों को बुलन्द करके छत डालने की तज्वीज़ पास की। कुछ दिनों के बाद और हादषात के साथ-साथ का'बा शरीफ़ में चोरी का भी हादषा हो चुका था। इत्तिफ़ाक़ से चोर पकड़ा गया, उसका हाथ काट दिया गया और ता'मीरी प्रोग्राम में मज़ीद पुख़्तगी हो गई। हुस्ने इत्तिफ़ाक़ से बाक़ूम नामी एक रूमी ताजिर की कश्ती तूफ़ानी मौजों से टकराती हुई जद्दा के किनारे आ पड़ी और लकड़ी का सामान अरज़ाँ मिल जाने की अहले मक्का को तवक़्क़ुअ हुई। वलीद बिन मुग़ीरा लकड़ी खरीदने के ख़्याल से जद्दा आया और सामाने ता'मीर के साथ ही बाक़ूम को जो फ़न्ने मिअमारी में उस्ताद था अपने साथ ले गया। उन्हीं दिनों का'बा शरीफ़ की दीवारों में एक ख़तरनाक अज़्दहा (अजगर साँप) पाया गया जिसको मारने की किसी को हिम्मत न होती थी। इत्तिफ़ाक़ वो एक दिन दीवारे का'बा पर बैठा हुआ था कि अल्लाह तआला ने एक ऐसा परिन्दा भेजा जो उसको देखते ही देखते उसे उचककर ले गया। अब क़ुरैश ने समझा कि अल्लाह तआला की मर्ज़ी व मशिय्यत हमारे साथ है इसलिये ता'मीर का काम फ़ौरन शुरू कर दिया जाए मगर किसी की हिम्मत न होती थी कि छत पर चढ़े और बैतुल्लाह को मुन्हदिम करे। आख़िर जुरअत करके इब्ने वहब आगे बढ़ा और एक पत्थर जुदा किया तो वो पत्थर हाथ से छूटकर फिर अपनी जगह पर जा ठहरा। उस वक़्त इब्ने वहब ने ऐलान किया कि नाजाइज़ कमाई का पैसा हर्गिज़-हर्गिज़ ता'मीर में न लगाया जाए। फिर वलीद बिन मुग़ीरा ने कुदाल लेकर ये कहते हुए कि ऐ अल्लाह! तू जानता है हमारी निय्यत बख़ैर है उसका हदम शुरू कर दिया। बुनियाद निकल आई तो उसके मुख़्तलिफ़ हिस्सों की ता'मीर मुख़्तलिफ़ कबीलों में बांट दी गई और काम शुरू हो गया।

आँहज़रत (ﷺ) भी अपने चचा हज़रत अब्बास (रज़ि.) के साथ शरीकेकार थे और कन्धों पर पत्थर रखकर लाते थे। जब हज्रे अस्वद रखने का वक़्त आया तो कबीलों में इख़्तिलाफ़ पड़ गया। हर ख़ानदान इस शर्फ़ के हुसूल करने का

दावेदार था। आख़िर मरने–मारने तक नौबत पहुँच गई, मगर वलीद बिन मुग़ीरह ने ये तज्वीज़ पेश की कि कल सुबह को जो शख़्स भी सबसे पहले हरम में क़दम रखे, उसके फ़ैसले को वाजिबुल अमल समझो। चुनाँचे सुबह को सबसे पहले हरम शरीफ़ में आने वाले सय्यिदना मुहम्मद (ﷺ) थे। सबने एक ज़ुबान होकर आपके फ़ैसले को बख़ुशी मानने का ए'तिराफ़ किया आपने हज्रे अस्वद को अपनी चादर मुबारक के बीच में रखा और हर क़बीले के एक-एक सरदार को उस चादर के उठाने में शरीक कर लिया जब वो चादर गोश-ए-का'बा तक पहुँच गई तो आपने अपने दस्ते मुबारक से हज्रे अस्वद को उठाकर दीवार में नसब फ़र्मा दिया। दीवारें 18 हाथ ऊँची कर दी गईं। अंदरूनी फ़र्श भी पत्थर का बनाया। अपनी इम्तियाज़ी शान क़ायम रखने के लिये दरवाज़ा इन्सानी क़द से ऊँचा रखा। बैतुल्लाह के अन्दर उत्तरी दक्षिणी ओर तीन-तीन सुतून क़ायम किये। जिन पर शहतीर डालकर छत पाट दी और रुक्ने इराक़ी की तरफ़ अंदर ही अंदर ज़ीना चढ़ाया कि छत पर पहुँच सकें और शिमाली सिम्त (उत्तरी छोर) पर परनाला लगाया ताकि छत का बारिशी पानी हजर में आकर पड़े।

बाब हरम की ज़मीन की फ़ज़ीलत और अल्लाह ने सूरह नमल में फ़र्माया

٤٣- بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى :

मुझको तो यही हुक्म है कि इबादत करूँ इस शहर के रब की जिसने इसको हुर्मत वाला बनाया और हर चीज़ उसी के क़ब्ज़े व क़ुदरत में है और मुझको हुक्म है ताबेदार बनकर रहने का।

और अल्लाह तआला ने सूरह क़सस में फ़र्माया, क्या हमने उनको जगह नहीं दी हरम में जहाँ अमन है उनके लिये और खींचे चले आते हैं उसकी तरफ़, मेवे हर क़िस्म के जो रोज़ी है हमारी तरफ़ से लेकिन बहुत से उनमें नहीं जानते। (अल क़सस : 57)

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. [النمل : ٩١]. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : ((أَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [القصص: ٥٧].

1587. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह बिन जा'फ़र ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने मंसूर से बयान किया, उनसे मुजाहिद ने, उनसे ताउस ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का पर फ़र्माया था कि अल्लाह तआला ने इस शहर (मक्का) को हुर्मत वाला बनाया है (या'नी इज़्ज़त दी है) पस उसके (पेड़ों के) काँटे तक भी नहीं काटे जा सकते यहाँ के शिकार भी नहीं हाँके जा सकते और उनके अलावा जो ऐलान करके (मालिक तक पहुँचाने का इरादा रखते हों) कोई शख़्स यहाँ की गिरी पड़ी चीज़ भी नहीं उठा सकता है। (राजेअ 1349)

١٥٨٧- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا)).
[راجع: ١٣٤٩]

तश्रीह : मुस्नद अहमद (रह.) वग़ैरह में अयाश बिन अबी रबीआ से मरवी है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **हाज़िहिल्उम्मतु ला तज़ालु बिख़ैरिम्मा अज़्ज़मुहू हाज़िहिल्हुर्मत यअनी अल्कअबत हक़्क़ तअज़ीमिहा फइज़ा जय्यअू ज़ालिक हलकू** या'नी ये उम्मत हमेशा ख़ैर–भलाई के साथ रहेगी जब तक कि पूरे तौर पर का'बा की ता'ज़ीम करती रहेगी और जब इसको ज़ाया कर देंगे, हलाक हो जाएँगे। मा'लूम हुआ कि का'बा शरीफ़ और उसके अत्राफ़ की सारी ज़मीने हरम हैं बल्कि सारा शहर उम्मते मुस्लिमा के लिये इंतिहाई मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र मुक़ाम है। उनके बारे

में जो भी ता'ज़ीम व तक्रीम के बारे में हिदायात किताबो-सुन्नत में दी गई हैं, उनको हर वक्त मल्हूज़ रखना बेहद ज़रूरी है बल्कि हक़ीक़त ये है कि हुर्मते का'बा के साथ मिल्लते इस्लामिया की हयात वाबस्ता है। बाब के तहत जो आयाते क़ुर्आनी हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) लाए हैं उनमें बहुत से हक़ाइक़ का बयान है ख़ास तौर पर उसका कि अल्लाह पाक ने शहरे मक्का में ये बरकत रखी है यहाँ चारों ओर से हर क़िस्म के मेवे, फल, अनाज ख़िंचे चले आते हैं। दुनिया का हर एक फल यहाँ के बाज़ारों में दस्तयाब हो जाता है। ख़ास तौर पर आज के ज़माने में हुकूमते सऊदिया ख़ल्लदल्लाहु तआला ने उस मुक़द्दस शहर को जो तरक़्क़ी दी है और उसकी ता'मीरे जदीद जिन-जिन ख़ुतूत पर की है और कर रही है वो पूरी मिल्लते इस्लामिया के लिये हद दर्जा क़ाबिले तशक्कुर हैं । अय्यदहुमुल्लाहु बिनस्रिल अज़ीज़

बाब 44 : मक्का शरीफ़ के घर मकान मीराष़ हो सकते हैं उनका बेचना और ख़रीदना नाजाइज़ है

٤٤- بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا

मस्जिद हराम में सब लोग बराबर हैं या'नी ख़ास मस्जिद में क्योंकि अल्लाह तआला ने (सूरह हज्ज) में फ़र्माया, जिन लोगों ने कुफ़्र किया और जो लोग अल्लाह की राह और मस्जिद हराम से लोगों को रोकते हैं कि जिसको मैंने तमाम लोगों के लिये यक्साँ मुक़र्रर किया है। ख़्वाह वो वहीं के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले और जो शख़्स वहाँ शरारत के साथ हद से तजावुज़ करे, मैं उसे दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाऊँगा। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि लफ़्ज़े बादी बाहर से आने वाले के मा'नी में है और मअकूफ़ा का लफ़्ज़ रुके हुए के मा'नी में है।

وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ، وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ﴾ [الحج: ٢٥]. البادي: الطَّارِىءِ. مَعْكُوفًا: مَحْبُوسًا.

158. हमसे अस्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अली बिन हुसैन ने, उन्हें अमर बिन उष़्मान ने और उन्हें हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने कि उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मक्का में क्या अपने घर में क़याम फ़र्माएँगे। इस पर आपने फ़र्माया कि अक़ील ने हमारे लिये मुहल्ला या मकान छोड़ा ही कब है। (सब बेचकर बराबर कर दिये) अक़ील और तालिब, अबू तालिब के वारिष़ हुए थे। जा'फ़र और अली (रज़ि.) को विराष़त में कुछ नहीं मिला था, क्योंकि ये दोनों मुसलमान हो गये थे और अक़ील रज़ि. (इब्तिदा में) और तालिब (अंत तक) इस्लाम नहीं लाए थे। उसी बुनियाद पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि मुसलमान काफ़िर का वारिष़ नहीं होता। इब्ने शिहाब ने कहा कि लोग अल्लाह तआला के उस इर्शाद से

١٥٨٨- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ، فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ؟)) وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا، لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ

दलील लेते हैं कि, जो लोग ईमान लाए, हिजरत की और अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया और वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही एक–दूसरे के वारिष होंगे।

(दीगर मक़ाम : 3058, 4282, 6764)

شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ الآية. [الأنفال : ٧٢].

[أطرافه في : ٣٠٥٨، ٤٢٨٢، ٦٧٦٤].

तश्रीह : मुजाहिद से मन्क़ूल है कि तमाम मक्का मुबाह है न वहाँ के घर को बेचना दुरुस्त है और न किराया पर देना और इब्ने उ़मर (रज़ि.) से भी ऐसा ही मन्क़ूल है और इमाम अबू ह़नीफ़ा और इमाम षौरी (रह.) का यही मज़हब है और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक मक्का के घर मकान मिल्क हैं और मालिक के मर जाने के बाद वो वारिषों की मिल्कियत हो जाते हैं। इमाम अबू यूसुफ़ (रह.) (शागिद इमाम अबू ह़नीफ़ा रह.) का भी ये क़ौल है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी इसी को इख़्तियार किया है। हाँ ख़ास़ मस्जिदे ह़राम में मुसलमानों का ह़क़ बराबर है जो जहाँ बैठ गया उसको वहाँ से कोई उठा नहीं सकता। ऊपर की आयत में चूँकि आ़किफ़ और मअ़कूफ़ का माद्दा एक ही है। इसलिये मअ़कूफ़ की भी तफ़्सीर बयान कर दी।

ह़दीषे बाब में अ़क़ील का ज़िक्र है। अबू त़ालिब के चार बेटे थे, अ़क़ील, त़ालिब, जा'फ़र और अ़ली। अ़ली और जा'फ़र ने तो आँह़ज़रत (ﷺ) का साथ दिया और आपके साथ मदीना आ गये, मगर अ़क़ील मुसलमान नहीं हुए थे। इसलिये अबू त़ालिब की सारी जायदाद के वारिष वो हुए, उन्होंने उसे बेच डाला। आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसी का ज़िक्र फ़र्माया था जो यहाँ मज़्कूर है। कहते हैं कि बाद में अ़क़ील मुसलमान हो गए थे। दाऊदी ने कहा जो कोई हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चला जाता उसका अ़ज़ीज़ जो मक्का मे रहता वो सारी जायदाद दबा लेता। आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के बाद इन मुआ़मलात को क़ायम रखा ताकि किसी की दिल–शिकनी न हो। कहते हैं कि अबू त़ालिब के ये मकानात लम्बे अ़रसे बाद मुह़म्मद बिन यूसुफ़, हज्जाज ज़ालिम के भाई ने एक लाख दीनार में ख़रीद लिये थे। अस़ल में ये जायदाद हाशिम की थी, उनसे अ़ब्दुल मुत्तलिब को मिली। उन्होंने सब बेटों को बांट दी, उसी में आँह़ज़रत (ﷺ) का ह़िस़्सा भी था।

आयते मज़्कूर-ए-बाब शुरू इस्लाम में मदीना मुनव्वरा में उतरी थी। अल्लाह पाक ने मुहाजिरीन और अंस़ार को एक–दूसरे का वारिष बना दिया था। बाद में ये आयत उतरी **व उलुल्अर्हामि बअ़्ज़ुहुम औला बिबअ़्ज़िन** (अन्फ़ाल: 75) या'नी ग़ैर आदमियों की निस्बत रिश्तेदार ज़्यादा ह़क़दार हैं। ख़ैर इस आयत से मोमिनों का एक दूसरे का वारिष होना निकलता है। उसमें ये ज़िक्र नहीं है कि मोमिन काफ़िर का वारिष न होगा और शायद इमाम बुख़ारी (रह.) ने उस मज़्मून की त़रफ़ इशारा किया जो उसके बाद है। **वल्लज़ीन आमनू व लम युहाजिरु** (अन्फ़ाल : 72) या'नी जो लोग ईमान ले आए मगर काफ़िरों के मुल्क से हिजरत नहीं कि तो तुम उनके वारिष नहीं हो सकते। जब उनके वारिष न हुए तो काफ़िरों के बत़रीक़े औला वारिष न होंगे। (वह़ीदी)

बाब 45 : नबी करीम (ﷺ) मक्का में कहाँ उतरे थे?

٤٥ – بَابُ نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ

1589. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा कि हमसे शुऐब ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने कहा कि मुझसे अबू सलमा ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जब (मिना से लौटते हुए ह़ज्जतुल वदाअ़ के मौक़े पर) मक्का आने का इरादा किया तो फ़र्माया कि कल

١٥٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ:

इंशाअल्लाह हमारा क़याम उसी ख़ैफ़े बनी किनाना (या'नी मुहस्सब) में होगा जहाँ (क़ुरैश ने) कुफ़्र पर अड़े रहने की क़सम खाई थी।

((مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ)).

(दीगर मक़ाम : 1590, 3882, 4284, 4285, 4289)

[أطرافه في: ١٥٩٠، ٣٨٨٢، ٤٢٨٤، ٤٢٨٥، ٧٤٨٩].

1590. हमसे हुमैदी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम औज़ाई ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे अबू सलमा ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि ग्यारहवीं की सुबह को जब आँहुज़ूर (ﷺ) मिना में थे तो ये फ़र्माया था कि कल हम ख़ैफ़े बनी किनाना में क़याम करेंगे जहाँ क़ुरैश ने कुफ़्र की हिमायत की क़सम खाई थी। आपकी मुराद मुहस्सब से थी क्योंकि यहीं क़ुरैश और किनाना ने बनू हाशिम और बनू अब्दुल मुत्तलिब या (रावी ने) बनू अल मुत्तलिब (कहा) के ख़िलाफ़ हल्फ़ उठाया था कि जब तक वो नबी करीम (ﷺ) को उनके हवाले न कर दें, उनके यहाँ ब्याह शादी न करेंगे और न उनसे ख़रीद व फ़रोख़्त करेंगे और सलामा बिन रौह ने अक़ील और यह्या बिन ज़िह्हाक से रिवायत किया, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया कि मुझे इब्ने शिहाब ने ख़बर दी, उन्होंने (अपनी रिवायत में) बनू हाशिम और बनू अल मुत्तलिब कहा। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि बनू अल मुत्तलिब ज़्यादा सहीह है।

(राजेअ : 1589)

١٥٩٠- حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ - وَهُوَ بِمِنًى - نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ)). وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ، وَيَحْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ.
وَقَالاَ: بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

तश्रीह : कहते हैं कि इस मज़्मून की एक तहरीरी दस्तावेज़ मुरत्तब की गई थी। उसको मंसूर बिन इकरमा ने लिखा था। अल्लाह तआला ने उसका हाथ शल (सुन्न, लकवाग्रस्त) कर दिया। जब ये मुआहिदा बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब ने सुना तो वो घबराए मगर अल्लाह की क़ुदरत कि उस मुआहिदे के काग़ज़ को दीमक ने खा लिया। जो का'बा शरीफ़ में लटका हुआ था। काग़ज़ में फ़क़त वो मुक़ाम रह गया जहाँ अल्लाह का नाम था। आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी ख़बर अबू तालिब को दी। अबू तालिब ने उन काफ़िरों को कहा कि मेरा भतीजा ये कहता है कि जाकर उस काग़ज़ को देखो अगर उसका बयान सही निकले तो उसकी ईज़ादेही से बाज़ आ जाओ, अगर झूठ निकले तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूँगा फिर तुमको इख़्तियार है। क़ुरैश ने जाकर देखा तो जैसा आँहज़रत (ﷺ) ने कहा था वैसा ही हुआ था कि सारी तहरीर को दीमक ने खा लिया था, सिर्फ़ अल्लाह का नाम रह गया था। तब वो बहुत शर्मिन्दा हुए। आँहज़रत (ﷺ) जो उस मुक़ाम पर जाकर उतरे तो आपने अल्लाह का शुक्र किया और याद किया कि एक दिन तो वो था। आज मक्का पर इस्लाम की हुकूमत है।

बाब 46 : अल्लाह तआला ने सूरह इब्राहीम में फ़र्माया

٤٦- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ الآيَةَ. [إبراهيم : ٣٥].

और जब इब्राहीम ने कहा मेरे रब! इस शहर को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को उससे महफ़ूज़ रखियो कि हम बुतों की इबादत करें। मेरे रब! इन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया है अल्लाह तआला के फ़र्मान (लअल्लहुम यश्कुरून) तक. (अल बक़र : 35)

तश्रीह : इस बाब में इमाम बुख़ारी (रह.) ने सिर्फ़ आयते क़ुर्आनी पर इक्तिफ़ा किया और इर्शाद फ़र्माया कि क़ुर्आन मजीद की रू से मक्का शहर अमन का शहर है। यहाँ बदअम्नी क़त्अन हराम है और इस शहर को बुतपरस्ती जैसे जुर्म से पाक रहना है और यहाँ के इस्माईली ख़ानदान वालों को बुतपरस्ती से दूर ही रहना है। अल्लाह पाक ने एक लम्बे अर्से के बाद अपने ख़लील की दुआ क़ुबूल की कि सय्यिदना मुहम्मद (ﷺ) तशरीफ़ लाए और आपने हज़रत ख़लीलुल्लाह की दुआ के मुताबिक़ इस शहर को अमन वाला शहर बना दिया।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **लम यज़्कुर फ़ी हाज़िहित्तर्जुमति हदीष़न व कअन्नहू अशार इला हदीषि इब्नि अब्बासिन फ़ी क़िस्सति इस्कानि इब्राहीम लिहाजिर व बनाहा फी मक्कत** हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने गोया इस आयत को लाकर हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के हज़रत हाजरा और उनके बेटे को यहाँ लाकर आबाद करने की तरफ़ इशारा फ़र्माया। आगे ख़ुद मौजूद है, **रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरिन ज़ी ज़र्अिन इन्द बैतिकल मुहर्रमि रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़ज्अल अफ़्इदतम मिनन्नासि तह्वी इलैहिम वर्ज़ुक़हुम मिनष़्षमराति लअल्लहुम यश्कुरून** (इब्राहीम : 37) या'नी या अल्लाह! मैंने इस बंजर बयाबान में अपनी औलाद को लाकर सिर्फ़ इसलिये आबाद किया है ताकि यहाँ ये तेरे घर का'बा की ख़िदमत करें। यहाँ नमाज़ क़ायम करें। पस तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ़ फेर दे (कि वो सालाना हज्ज के लिये बड़ी ता'दाद में यहाँ आया करें, जिनकी आमद इनका ज़रिया-ए-मुआश बन जाए) और इनको फलों से रोज़ी अता कर ताकि ये शुक्र करें। हज़ारों साल गुज़र जाने के बाद भी ये इब्राहीमी दुआ आज भी फ़िज़ाए मक्का की लहरों में गूँजती नज़र आ रही है। इसकी क़ुबूलियत के पूरे-पूरे अष़रात दिन-ब-दिन मुस्तहकम ही होते जा रहे हैं।

बाब 47 : अल्लाह तआला ने सूरह माइदह में फ़र्माया

٤٧- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. [المائدة : ٩٧].

अल्लाह ने का'बा को इज़्ज़त वाला घर और लोगों के क़याम की जगह बनाया है और इस तरह हुर्मत वाले महीने को बनाया। अल्लाह तआला के फ़र्मान, व इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम तक (साथ ही ये भी है जो हदीषे ज़ेल में मज़्कूर है)

١٥٩١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)). [طرفه في : ١٥٩٦].

हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे ज़ियाद बिन सअद ने बयान किया, उनसे ज़ुहरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने बयान किया और उनसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि का'बा को दो पतली पिण्डलियों वाला एक हक़ीर हब्शी तबाह कर देगा। (दीगर मक़ाम : 1596)

मगर ये क़यामत के क़रीब उस वक़्त होगा जब ज़मीन पर एक भी मुसलमान बाक़ी न रहेगा। उसका दूसरा मत़लब ये है कि जब तक दुनिया में एक भी मुसलमान कलिमा-गो बाक़ी है का'बा शरीफ़ की त़रफ़ कोई दुश्मन आँख उठाकर नहीं देख सकता। ये भी ज़ाहिर है कि अहले इस्लाम ता'दाद के लिहाज़ से हर ज़माने में बढ़ते ही रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज भी साठ सत्तर करोड़ मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं। (सन् 2011 में इस किताब का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हो जाने तक दुनिया में मुस्लिमों की ता'दाद बढ़कर 175 करोड़ हो गई है।)

1592. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उनसे अ़क़ील ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे उ़र्वा ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने बयान किया (दूसरी सनद इमाम बुख़ारी रह. ने कहा) और मुझसे मुहम्मद बिन मुक़ातिल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें मुहम्मद बिन अबी ह़फ़्स़ा ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें उ़र्वा ने और उनसे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आ़इशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) ने बयान किया कि रमज़ान (के रोज़े) फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान आ़शूरा का रोज़ा रखते थे। आ़शूरा ही के दिन (जाहिलियत में) का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। फिर जब अल्लाह तआ़ला ने रमज़ान फ़र्ज़ कर दिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया कि अब जिसका जी चाहे आ़शूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे छोड़ दे।

(राजेअ़ 1893, 2001, 2002, 3831, 4502, 4504)

١٥٩٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ح. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِي الْكَعْبَةِ. فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ)).

[أطرافه في : ١٨٩٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٣٨٣١، ٤٥٠٢، ٤٥٠٤].

इस ह़दीष़ की मुनासबत बाब के तर्जुमे से यूँ है कि इसमें आ़शूरा के दिन का'बा पर पर्दा डालने का ज़िक्र है जिससे का'बा शरीफ़ की अ़ज़्मत षाबित हुई जो कि बाब का मक़्सूद है ।

1593. हमसे अह़मद बिन ह़फ़्स ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे वालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहीम बिन त़ह्मान ने बयान किया, उनसे ह़ज्जाज बिन ह़ज्जाज असलमी ने, उनसे क़तादा ने, उनसे अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उ़त्बा ने और उनसे अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया बैतुल्लाह का ह़ज्ज और उ़म्रह याजूज और माजूज के निकलने के बाद भी होता रहेगा। अ़ब्दुल्लाह बिन अबी उ़त्बा के साथ इस ह़दीष़ को अबान और इमरान ने क़तादा से रिवायत किया और अ़ब्दुर्रहमान ने शुअ़बा के वास्ते से यूँ बयान किया

١٥٩٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)). تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ ((لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ)) وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيْدٍ.

कि क़यामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी जब तक बैतुल्लाह का हज्ज बन्द न हो जाए। इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि पहली रिवायत को ज़्यादा रावियों ने रिवायत की है और क़तादा ने अब्दुल्लाह बिन उत्बा से सुना और अब्दुल्लाह ने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से सुना।

तश्रीह : याजूज-माजूज दो काफ़िर क़ौमें याफ़ष़ बिन नूह की औलाद में से हैं जिनकी औलाद में रूसी और तुर्क भी हैं क़यामत के क़रीब वो सारी दुनिया पर क़ाबिज़ होकर बड़ा कोहराम मचाएगी। पूरा ज़िक्र अलामाते क़यामत में आएगा। इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष़ को यहाँ इसलिये लाए कि दूसरी रिवायत में बज़ाहिर तआरुज़ है और फ़िल ह़क़ीक़त तआरुज़ नहीं, इसलिये कि क़यामत तो याजूज-माजूज के निकलने और हलाक होने के बहुत दिनों बाद क़ायम होगी तो याजूज और माजूज के वक़्त में लोग ह़ज्ज और उम्रह करते रहेंगे। उसके बाद फिर क़यामत के क़रीब लोगों में कुफ़्र फैल जाएगा और ह़ज्ज और उम्रह मौक़ूफ़ (स्थगित) हो जाएगा। अबान की रिवायत को इमाम अह़मद (रह.) और इमरान की रिवायत को अबू यअ़ला और इब्ने ख़ुज़ैमा ने वस्ल किया है। ह़ज़रत ह़सन बसरी (रह.) ने कहा **ला यज़ालुन्नासु अला दीनिम्मा हज्जुल्बैत वस्तक्बलुल्क़िब्लत** (फ़तह़) या'नी मुसलमान अपने दीन पर उस वक़्त तक क़ायम रहेंगे जब तक कि वो का'बा का ह़ज्ज और उसकी तरफ़ मुँह करके नमाज़ें पढ़ते रहेंगे।

٤٨ - بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

बाब 48 : का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना

इमाम बुख़ारी (रह.) का मतलब ये है कि का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाना जाइज़ है या उसके ग़िलाफ़ का तक़्सीम करना। कहते हैं सबसे पहले तबअ ह़मीरी ने उस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया, इस्लाम से नौ सौ बरस पहले। कुछ ने कहा अ़दनान ने और रेशमी ग़िलाफ़ अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने चढ़ाया और आँह़ज़रत (ﷺ) के अ़हद में उसका ग़िलाफ़ इन्ताअ और कम्बल का था। फिर आपने यमनी कपड़े का ग़िलाफ़ चढ़ाया।

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : ((جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ : لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ. قَالَ : هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا)). [طرفه في : ٧٢٧٥].

1594. हमसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वह्हाब ने बयान किया; कहा कि हमसे ख़ालिद बिन ह़ारिष़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने बयान किया, कहा कि हमसे वासिल अह़दब ने बयान किया और उनसे अबू वाइल ने बयान किया कि मैं शैबा की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ (दूसरी सनद) और हमसे क़ुबैसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ने वासिल से बयान किया और उनसे अबू वाइल ने बयान किया कि मैं शैबा के साथ का'बा में कुर्सी पर बैठा हुआ था तो शैबा ने फ़र्माया कि उसी जगह बैठकर उमर (रज़ि.) ने (एक मर्तबा) फ़र्माया कि मेरा इरादा ये होता है कि का'बा के अंदर जितना सोना चाँदी है उसे न छोड़ूँ (जिसे ज़मान-ए-जाहिलियत में कुफ़्फ़ार ने जमा किया था) बल्कि सबको निकालकर (मुसलमानों में) तक़्सीम कर दूँ। मैंने अ़र्ज़ किया कि आपके साथियों (आँह़ज़रत ﷺ और अबूबक्र रज़ि.) ने तो ऐसा नहीं किया। उन्होंने फ़र्माया कि मैं भी उन्हीं की पैरवी कर रहा हूँ (इसीलिये मैं उसके हाथ नहीं लगाता) (दीगर मक़ाम : 7275)

तशरीह : **क़ालल्इस्माईली लैस फ़ी हदीषिल्बाबि लिकिस्वतिल्कअबति ज़िक्रुन यअनी फ़ला युताबिक़ुत्तर्जुमत व क़ाल इब्नु बत्ताल मअनत्तर्जुमति सहीहुन व वज्हुहा अन्नहू मअलूमुन अन्नल्मुलूक फ़ी कुल्लि ज़मानिन कानू यतफ़ाख़रून बिकिस्वतिल्कअबति बिरफ़ीइष्षियाबिल्मन्सूजति बिज़्ज़हबि व ग़ैरिही कमा यतफ़ाख़रून बितस्बीलिल्अम्वालि लहा फअरादल्बुख़ारी अन्न उमर लम्मा राअ क़िस्मतज़्ज़हबि वल्फ़िज़्ज़ति सवाबन कान हुक्मुल्किस्वति तजूज़ु किस्मतुहा बल मा फ़ज़्ज़ल मिन किस्वतिहा औला व क़ाल इब्नुल्मुनीर फ़िल्हाशिय्यति यहतमिलु अन्न मक़्सूदहू अत्तम्बीहु अला अन्न किस्वतिल्कअबति मश्रूउन वल्हुज्जतु फ़ीहि अन्नहा लम तज़ल तक़्सुदु बिल्मालि यूज़द फ़ीहा अला मअनज़्ज़ीनति इअज़ामन लहा फल्किस्वतु मिन हाज़ल्क़बीलि** (फ़त्हुल्बारी)

बैतुल्लाह शरीफ़ पर ग़िलाफ़ डालने का रिवाज क़दीम ज़माने से है। मुअर्रिख़ीन (इतिहासकार) लिखते हैं कि जिस शख़्स ने सबसे पहले ग़िलाफ़ का'बा मुक़द्दस को पहनाया वो ह्मियर का बादशाह अस्अद अबू कुर्ब था। ये शख़्स जब मक्का शरीफ़ आया तो निहायत बुर्द यमानी से ग़िलाफ़ तैयार कराकर अपने साथ लाया और भी मुख़्तलिफ़ क़िस्म की सूती और रेशमी चादरों के पर्दे साथ थे।

कुरैश जब ख़ान-ए-का'बा के मुतवल्ली हुए तो आम चन्दा से उनका नया ग़िलाफ़ सालाना तैयार कराकर का'बा शरीफ़ को पहनाने का दस्तूर हो गया। यहाँ तक कि अबू रबीआ बिन मुग़ीरह मख़्ज़ूमी का ज़माना आया जो कुरैश में बहुत ही सख़ी और साहिबे षरवत था। उसने ऐलान करवाया कि एक साल चन्दे से ग़िलाफ़ तैयार किया जाए और एक साल में अकेला उसके सारे अख़राजात बर्दाश्त किया करूँगा। इसी बिना पर उसका नाम अदले कुरैश पड़ गया।

हज़रत अब्बास (रज़ि.) की वालिदा माजिदा नबीला बिन्ते हराम ने क़ब्ल अज़ इस्लाम एक ग़िलाफ़ चढ़ाया था जिसकी सूरत ये हुई कि नौ उम्र बच्चा या'नी हज़रत अब्बास (रज़ि.) का भाई ख़्वार नामी गुम हो गया था और उन्होंने मन्नत मा'नी थी कि मेरा बच्चा मिल गया तो का'बा पर ग़िलाफ़ चढ़ाऊँगी चुनाँचे मिलने पर उन्होंने अपनी मन्नत पूरी की।

8 हिजरी में मक्का दारुल इस्लाम बन गया और आँहज़रत (ﷺ) ने यमनी चादर का ग़िलाफ़ डाला। आपकी वफ़ात के बाद अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने आपकी पैरवी की। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के अहदे ख़िलाफ़त में जब मिस्र फ़तह हो गया तो आपने क़बाती मिस्री का जो कि बेशक़ीमती कपड़ा है, बैतुल्लाह पर ग़िलाफ़ चढ़ाया और सालाना उसका एहतिमाम फ़र्माया। आप पिछले साल का ग़िलाफ़ हाजियों पर तक़्सीम कर देते और नया ग़िलाफ़ चढ़ा दिया करते थे। शुरू में हज़रत उष्मान ग़नी (रज़ि.) के ज़माने में भी यही अमल रहा। एक बार आपने ग़िलाफ़े का'बा का कपड़ा किसी हाइज़ा औरत को पहने हुए देखा तो बांटने की आदत बदल दी और क़दीम ग़िलाफ़ दफ़न किया जाने लगा। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने मश्वरा दिया कि ये माल की बर्बादी है, इसलिये बेहतर है कि पुराना पर्दा बेच दिया जाए। चुनाँचे उसकी क़ीमत ग़रीबों में तक़्सीम होने लगी। धीरे-धीरे बनू शैबा बिला शिर्कते ग़ैर उसके मालिक बन गए।

अकषर सलातीने इस्लाम का'बा पर ग़िलाफ़ डालने को अपना फ़ख़्र समझते रहे और क़िस्म-क़िस्म के क़ीमती ग़िलाफ़ का'बा पर सालाना चढ़ाते रहे हैं। हज़रत मुआविया (रज़ि.) की तरफ़ से एक ग़िलाफ़ दीबा का 10 मुहर्रम को और दूसरा क़बाती का 29 रमज़ान को चढ़ा दिया गया था। ख़लीफ़ा मामून रशीद ने अपने अहदे ख़िलाफ़त में बजाय एक के तीन ग़िलाफ़ भेजे। जिनमें एक मिस्री पारचा का था और दूसरा सफ़ेद दीबा का और तीसरा सुर्ख़ दीबा का था ताकि पहला यकुम रजब को और दूसरा 27 रमज़ान को और तीसरा आठवीं जिल्हिज्ज को बैतुल्लाह पर चढ़ाया जाए। ख़ुलफ़ा-ए-अब्बासिया को इसका बहुत ज़्यादा एहतिमाम था और स्याह कपड़ा उनका शिआर था। इसलिये अकषर स्याह रेशम ही का ग़िलाफ़ का'बा के लिये तैयार होता था। सलातीन के अलावा दीगर उम्रा व अहले षरवत भी इस ख़िदमत में हिस्सा लेते थे और हर शख़्स चाहता था कि मेरा ग़िलाफ़ देर तक लिपटा रहे। इसलिये ऊपर-नीचे बहुत से ग़िलाफ़ बैतुल्लाह पर जमा हो गए।

160 हिजरी में सुल्तान महदी अब्बासी जब हज्ज के लिये आए तो ख़ुद्दामे का'बा ने कहा कि बैतुल्लाह पर इतने ग़िलाफ़ जमा हो गए हैं कि बुनियादों को उनके बोझ का तहम्मुल दुश्वार है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि तमाम ग़िलाफ़ उतार दिये जाएँ और आइन्दा एक से ज़्यादा ग़िलाफ़ न चढ़ाया जाए।

अब्बासी हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो 659 हिजरी में शाहे यमन मलिक मुज़फ़्फ़र ने इस ख़िदमत को अंजाम दिया। उसके बाद मुद्दत तक ख़ालिस यमन से ग़िलाफ़ आता रहा और कभी शाहाने मिस्र की शिर्कत में मुश्तरका। ख़िलाफ़त

अब्बासिया के बाद शाहाने मिस्र में सबसे पहले इस ख़िदमत का फ़ख़्र मलिक ज़ाहिर बैरिस को नसीब हुआ। फिर शाहाने मिस्र ने मुस्तक़िल तौर पर उसके औक़ाफ़ कर दिये और ग़िलाफ़े का'बा सालाना मिस्र से आने लगा। 751 हिजरी में मलिक मुजाहिद ने चाहा कि मिस्री ग़िलाफ़ उतार दिया जाए और मेरे नाम का ग़िलाफ़ चढ़ाया जाए मगर शरीफ़ मक्का के ज़रिये जब ये ख़बर शाहे मिस्र को पहुँची तो मलिक मुजाहिद गिरफ़्तार कर लिया गया।

का'बा शरीफ़ को बैरूनी ग़िलाफ़ पहनाने का दस्तूर तो ज़मान-ए-क़दीम से चला आ रहा है मगर अंदरूनी ग़िलाफ़ के बारे में तक़ीउद्दीन फ़ारसी के बयान से मा'लूम होता है कि सबसे पहले मलिक नासिर हसन चरकसी ने 761 हिजरी में का'बा का अंदरूनी ग़िलाफ़ रवाना किया था जो तक़रीबन 817 हिजरी तक का'बा के अंदर की दीवारों पर लटका रहा। उसके बाद मलिक अशरफ़ अबू नस्र सैफ़ुद्दीन सुल्ताने मिस्र ने 825 हिजरी में सुर्ख़ रंग का अंदरूनी ग़िलाफ़ का'बा के लिये रवाना किया। आजकल ये ग़िलाफ़ ख़ुद हुकूमते सऊदिया अरबिया ख़ल्लदल्लाह तआला के ज़ेरे एहतिमाम तैयार कराया जाता है।

बाब 49 : का'बा के गिराने का बयान

٤٩- بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ

और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया एक फ़ौज बैतुल्लाह पर चढ़ाई करेगी और वो ज़मीन में धंसा दी जाएगी।

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ)).

1595. हमसे अम्र बिन अली फ़लास ने बयान किया, कहा कि हमसे यह्या बिन सईद क़त्तान ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदुल्लाह बिन अख़नस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मुलैका ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, गोया मेरी नज़रों के सामने वो पतली टांगों वाला स्याह आदमी है जो ख़ान-ए-का'बा के एक एक पत्थर को उखाड़ फेंकेगा।

١٥٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا)).

1596. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्हों ने कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सईद बिन मुसय्यिब ने कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया का'बा को दो पतली पिण्डलियों वाला हब्शी ख़राब करेगा।

(राजेअ : 1591)

١٥٩٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)). [راجع: ١٥٩١]

तश्रीह : ऊपर वाली हदीष में अफ़्हज का लफ़्ज़ है। अफ़्हज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलते में दोनों पंजे तो नज़दीक रहें और दोनों ऐड़ियों में फ़ासला रहे। वो हब्शी मर्दूद जो क़यामत के क़रीब का'बा ढहाएगा वो उसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आँखें नीली, नाक फैली हुई होगी, पेट बड़ा होगा। उसके साथ और लोग होंगे, वो का'बा का एक-एक पत्थर उखाड़ डालेगा और समुन्दर में ले जाकर फैंक देगा। ये क़यामत के बिलकुल नज़दीक होगा। अल्लाह हर फ़ित्ने से बचाए आमीन!

व वक़अ हाज़ल्हदीषु इन्द अहमद मिन तरीकि सईद बिन समआन अन अबी हुरैरत बिअतम्मि मिन हाज़स्सियाक़ि व लफ़्ज़िही युबायिउ लिर्रजुलि बैनर्रूक्नि वल्मक़ामि व लन यस्तहिल्ल हाज़ल्बैतु इल्ला अहलुहू फ़इज़ा इस्तहल्लुहु फ़ला

तुस्अलु अन हलकतिल्अरबि थुम्म तजीउल्हब्शतु फयुखरिंबूनहू खराबन ला युअम्मरू बअदहू अबदन व हुमुल्लज़ीन यस्तख़िरजून कन्ज़हू व लिअबी कुर्रत फिस्सुफुनि मिन वज्हिन आखर मिन अन अबी हुरैरत मर्फूअन ला यस्तख़िरजु कन्ज़ल्कअबति इल्ला ज़वस्सवीक़तैनि मिनल्हबशति व नहवुहू लिअबी दाऊद मिन हदीथि अब्दिल्लाहिब्नि अमिब्निल्आसि व ज़ाद अहमद व त़ब्रानी मिन तरीक़ि मुजाहिद अन्हु फयस्लिबुहा हियल्तहा व युजर्रिदुहा मिन किस्वतिहा कअन्नी अन्ज़ुरू इलैहि उसैलउ उफैदअ यक्रूबु अलैहा बिमस्हातिही औ बिमुअव्वलिही क़ील हाज़ल्हदीथु युख़ालिफु कौलहू तआला अव लम यरौ अन्ना जअल्ना हरामन आमिनन व लिअन्नल्लाह हबस अन मक्कत अल्फ़ील व लम युमक्किन अस्हाबुहू मिन तख़रीबिल्कअबति व लम तकुन इज़ ज़ाक कब्लतन फकैफ़ युसल्लतु अलैहल्हबशतु बअद इन सारत किब्लतल्मुस्लिमीन व उजीब बिअन्न ज़ालिक महमूलुन अला अन्नहू यक़उ फ़ी आख़िरिज़्ज़मानि क़ुर्ब क़ियामिस्साअति ला यब्क़ फ़िल्अर्ज़ि अहदुन यकूलु अल्लाह अल्लाह कमा थ़बत फ़ी सहीहि मुस्लिम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल्अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह वअतरज़ बअज़ुल्मुल्हिदीन अलल्हदीथिल्माज़ी फक़ाल कैफ़ सवद्दतहु ख़तायल्मुश्रिकीन व लम तबयज्जत ताआतु अहलित्तौहीद व उजीब बिमा क़ाल इब्नु क़ुतैबत लौ शाअल्लाहु लकान ज़ालिक व इन्नमा अजरल्लाहुल्आदत बिअन्नस्सवाद यस्बिग़ु व ला यन्सबिग़ु अलल्अक्सि मिनल्बयाज़ि (फ़त्हुल्बारी)

बाब 50 : हज्रे अस्वद का बयान

٥٠- بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

1597. हमसे मुहम्मद बिन कथीर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें सुफ़यान थ़ौरी ने ख़बर दी, उन्हें आ'मश ने, उन्हें इब्राहीम ने, उन्हें आबिस ने, उन्हें रबीआ ने कि हज़रत उमर (रज़ि.) हज्रे अस्वद के पास आए और उसे बोसा दिया और फ़र्माया मैं ख़ूब जानता हूँ कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है, न किसी को नुक़्सान पहुँचा सकता है न नफ़ा। अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए मैं न देखता तो मैं भी कभी तुझे बोसा न देता। (दीगर मक़ाम : 1605, 1610)

١٥٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ((أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)).

[طرفه في : ١٦٠٥، ١٦١٠].

तश्रीह : हज्रे अस्वद वो काला पत्थर है जो का'बा के मश्रिक़ी (पूर्वी) कोने में लगा हुआ है। सह़ीह़ ह़दीथ़ में है कि हज्रे अस्वद जन्नत का पत्थर है। पहले वो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था फिर लोगों के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। हाकिम की रिवायत में है कि ह़ज़रत उमर (रज़ि.) की ये बात सुनकर अली (रज़ि.) ने फ़र्माया था ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये पत्थर बिगाड़ और फ़ायदा कर सकता है, क़यामत के दिन उसकी आँखें होंगी और ज़ुबान और होंठ और वो गवाही देगा। ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने ये सुनकर फ़र्माया, अबुल ह़सन! जहाँ तुम न हो वहाँ अल्लाह मुझको न रखे। ज़हबी ने कहा कि हाकिम की रिवायत साक़ित है। ख़ुद मर्फ़ूअन ह़दीथ़ में आँह़ज़रत (ﷺ) से थ़ाबित है कि आप (ﷺ) ने भी हज्रे अस्वद को बोसा देते वक़्त ये कहा था और ह़ज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने भी ऐसा ही कहा। अख़रजहू इब्नु अबी शैबा उसका मतलब ये है कि तेरा चूमना सिर्फ़ आँह़ज़रत (ﷺ) की इत्तिबाअ की निय्यत से है।

इस रिवायत से साफ़ ये निकला कि क़ब्रों की चौखट चूमना या क़ब्रों की ज़मीन चूमना या ख़ुद क़ब्र को चूमना ये सब नाजाइज़ काम हैं। बल्कि बिदआते सइय्या हैं क्योंकि ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद को सिर्फ़ इसलिये चूमा कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने उसे चूमा था और आँह़ज़रत (ﷺ) से या सह़ाबा से कहीं मन्क़ूल नहीं है कि उन्होंने क़ब्रों का बोसा लिया हो। ये सब काम जाहिलों ने निकाले हैं और शिर्क हैं क्योंकि जिनकी क़ब्रों को चूमते हैं उनको अपने नफ़ा—नुक़्सान का मालिक जानते हैं और उनकी दुहाई देते हैं और उनसे मुरादें मांगते हैं, लिहाज़ा इसके शिर्क होने में क्या कलाम है? कोई ख़ालिस मुह़ब्बत से चूमे तो ये भी ग़लत़ और बिदअत होगा इसलिये कि आँह़ज़रत (ﷺ) और आपके सह़ाबा से कहीं किसी क़ब्र को चूमने का थ़ुबूत नहीं है।

अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़र्माते हैं, **क़ालत्तबरी इन्नमा क़ाल ज़ालिक उमरू लिअन्नन्नास कानू हदीषि अहदिम्बिइबादत्अस्नामि फखशिय उमरू अंय्यजुन्नल्जुह्हालु अन्न इस्तिलामल्हज्रि मिम्बाबि तअ़ज़ीमि बअ़जिल्अहजारि कमा कानतिल्अ़रबू तफ़अलु फिल्जाहिलिय्यति फअराद उमरू अय्युअल्लिमन्नास अन्न इस्तिलामहू इत्तिबाअ़ लिफिअ़लि रसूलिल्लाहि (ﷺ) ला लिअन्नल्हज्र यन्फउ और यज़ुर्रू बिज़ातिही कमा कानतिल्जाहिलिय्यतु तअतक़िदुहू फिल्औषानि.** (फ़त्हुल्बारी)

ये वो तारीख़ी पत्थर है जिसे हज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) और आपके बेटे हज़रत इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) के मुबारक जिस्मों से छुए होने का शर्फ़ हासिल है। जिस वक़्त ख़ाना का'बा की इमारत बन चुकी तो हज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने हज़रत इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) से कहा कि एक पत्थर उठा लाओ ताकि उसको उस जगह लगा दूँ जहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाए। तारीख़े मक्का में है **फक़ाल इब्राहीमु लिइस्माईल अलैहिस्सलाम या इस्माईलु इतीनी बिहज्रिन अज़अहू हत्ता यकून अलमल्लिन्नासि यब्तदून मिन्हुत्तवाफ़** या'नी हज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने हज़रत इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) से कहा कि एक पत्थर लाओ ताकि उसे उस जगह रख दूँ जहाँ से लोग तवाफ़ शुरू करें।

कुछ लोगों की रिवायात के आधार पर इस पत्थर की तारीख़ हज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) के जन्नत से निकलने के साथ साथ शुरू होती है। चुनाँचे तूफ़ाने नूह के वक़्त ये पत्थर बहकर कोहे अबू क़बीस पर चला गया। इस मौक़े पर कोहे अबू क़बीस से सदा बुलन्द हुई कि ऐ इब्राहीम! ये अमानत एक मुद्दत से मेरे सुपुर्द है। आपने वहाँ से उस पत्थर को हासिल करके का'बा के एक कोने में नसब कर दिया और का'बा का तवाफ़ करने के लिये उसको शुरू करने और ख़त्म करने की जगह ठहराया।

हाजियों के लिये हज्रे अस्वद को बोसा देना हाथ लगाना ये काम मस्नून और कारे षवाब हैं। क़यामत के दिन ये पत्थर उन लोगों की गवाही देगा जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिये आते हैं और उसको हाथ लगाकर हज्ज या उम्रह की शहादत षब्त (दर्ज) कराते हैं।

कुछ रिवायात की बिना पर ज़माना-ए-इब्राहीमी में पैमान लेने का ये आम दस्तूर था कि एक पत्थर रख दिया जाता जिस पर लोग आकर हाथ मारते। इसका मतलब ये होता कि जिस ज़माने के लिये वो पत्थर गाढ़ा गया है उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया बल्कि अपने दिलों मे उस पत्थर की तरह मज़बूत गाड़ लिया। इसी दस्तूर के मुवाफ़िक़ हज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) ने मुक़्तदा क़ौम के लिये ये पत्थर नसब किया ताकि जो शख़्स बैतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल हो उस पत्थर पर हाथ रखे। जिसका मतलब ये है कि उसने तौहीदे इलाही के बयान को कुबूल कर लिया। अगर जान भी देनी पड़ेगी तो उससे मुन्हरिफ़ न होगा। गोया हज्रे अस्वद का इस्तिलाम अल्लाह तआ़ला से बैअ़त करना है। इस तम्षील की तशरीह एक हदीष में यूँ आई है, **अनिब्नि अ़ब्बासिन मर्फ़ूअ़न अल्हज्रल्अस्वदु यमीनुल्लाहि फ़ी अर्ज़िही युसाफ़िहु बिही ख़ल्क़हू** (तबरानी) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) मर्फ़ूअ़न रिवायत करते हैं कि हज्रे अस्वद ज़मीन में गोया अल्लाह का दायाँ हाथ है जिसे अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों से मुसाफ़ा फ़र्माता है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की दूसरी रिवायत में ये अल्फ़ाज़ आए हैं, **नज़लल्हजरल्अस्वदु मिनल्जन्नति व हुव अशद्दु बयाज़न मिनल्लबनि फसवदत्हु ख़ताया बनी आदम** (रवाहुत्तिर्मिज़ी वअहमद) या'नी हज्रे अस्वद जन्नत से नाज़िल हुआ तो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था मगर इंसानों की ख़ताकारियों ने उसको स्याह कर दिया। इससे हज्रे अस्वद की शराफ़त व बुज़ुर्गी मुराद है।

एक रिवायत में यूँ आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला इस तारीख़ी पत्थर को नुत्क़ और बसारत से सरफ़राज़ फ़र्माएगा। जिन लोगों ने हक़्क़ानिय्यत के साथ तौहीदे इलाही का अहद करते हुए उसको चूमा है उन पर ये गवाही देगा। इन फ़ज़ाइल के बावजूद किसी मुसलमान का ये अक़ीदा नहीं है कि ये पत्थर मा'बूद है उसके इख़्तियार नफ़ा और ज़रर है।

एक बार हज़रत फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद को बोसा देते हुए साफ़ ऐलान किया था **इन्नी आलमु इन्नक हजरुन ला तज़ुर्रू व ला तन्फ़उ व लौला इन्नी राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ) युकब्बिलुक मा कब्बलतुक** (रवाहुस्सित्ततु व अहमद) या'नी मैं ख़ूब जानता हूँ कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है, तेरे क़ब्ज़े में न किसी का नफ़ा है और नुक़सान

और अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) को मैंने तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी भी बोसा न देता।

अल्लामा तबरी मरहूम लिखते हैं, **इन्नमा क़ाल ज़ालिक उमरू लिअन्नन्नास कानू हदीषि अहदि बिइबादतिल्अस्नामि फखशियं उमरू अंय्यज़ुन्नल्हुह्हालु अन्न इस्तिलामल्हज्रि मिम्बाबि तअज़ीमि बअज़िल्अहजारि कमा कानतिल्अरबु तफ़्अलु फिल्जाहिलिय्यति फ़अराद इमरू अय्यअल्लिमन्नास अन्न इस्तिलामहू इत्तिबाउ लिफिअलि रसूलिल्लाहि (ﷺ) कानल्हज्रू यन्फ़उ व यज़ुर्रू बिज़ातिही कमा कानतिल्जाहिलिय्यतु तअतक़िदुहू फिल्औषानि** या'नी हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये ऐलान इसलिये किया कि अकषर लोग बुतपरस्ती से निकलकर क़रीबी ज़माने में इस्लाम के अंदर दाख़िल हुए थे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस ख़तरे को महसूस कर लिया कि जाहिल लोग ये न समझ बैठे कि ज़मान-ए-जाहिलियत के दस्तूर के मुताबिक़ पत्थरों की ता'ज़ीम है। इसलिये आपने लोगों को आगाह किया है कि हज्रे अस्वद का इस्तिलाम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल (ﷺ) की इत्तिबाअ में किया जाता है। वरना हज्रे अस्वद अपनी ज़ात में नफ़ा या नुक़्सान पहुँचाने की ताक़त नहीं रखता। जैसा कि अहदे जाहिलियत के लोग बुतों के बारे में ए'तिक़ाद रखते थे।

इब्ने अबी शैबा और दारे क़ुत्नी ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के भी यही अल्फ़ाज़ नक़ल किये हैं कि आपने भी हज्रे अस्वद के इस्तिलाम करने के समय यूँ फ़र्माया, मैं जानता हूँ कि तेरी हक़ीक़त एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं। नफ़ा या नुक़्सान की कोई ताक़त तेरे अंदर नहीं। अगर मैंने आँहज़रत (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं भी तुझको बोसा न देता।

कुछ मुहद्दिषीन ने ख़ुद नबी करीम (ﷺ) के अल्फ़ाज़ भी नक़ल करते हैं कि आप (ﷺ) ने हज्रे अस्वद को बोसा देते हुए फ़र्माया, मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है जिसमें नफ़ा व नुक़्सान की तार्षीर नहीं है। अगर मुझे मेरे रब का हुक्म न होता तो मैं तुझे बोसा न देता।

इस्लामी रिवायत की रोशनी में हज्रे अस्वद की हैषियत एक तारीख़ी पत्थर की है जिसको अल्लाह के ख़लील इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने ख़ान-ए-का'बा की ता'मीर के वक़्त एक बुनियादी पत्थर की हैषियत से नसब किया। इस लिहाज़ से दीने हनीफ़ की हज़ारों साल का इतिहास इस पत्थर के साथ जुड़ जाता है। अहले इस्लाम इसकी जो भी ता'ज़ीम इस्तिलाम वग़ैरह की शक्ल में करते हैं वो सब कुछ सिर्फ़ इसी बिना पर है मिल्लते इब्राहीमी का अल्लाह के यहाँ मक़्बूल होना और मज़हबे इस्लाम की हक़्क़ानियत पर भी ये पत्थर एक तारीख़ी शाहिदे आदिल की हैषियत से बड़ी अहमियत रखता है जिसको हज़ारों साल के बेशुमार इंक़लाब फ़ना न कर सके। वो जिस तरह हज़ारों साल पहले नसब किया गया था आज भी उसी शक्ल में उसी जगह तमाम दुनिया के हादिषात, इंक़लाबों का मुक़ाबला करते हुए मौजूद है। उसको देखने से, उसको चूमने से एक सच्चे मुसलमान मुवह्हिद की नज़रों के सामने दीने हनीफ़ के चार हज़ार साला तारीख़ी औराक़ एक के बाद एक उलटने लग जाते हैं। हज़रत ख़लीलुल्लाह और हज़रत ज़बीहुल्लाह अलैहिमस्सलाम की पाक ज़िन्दगियाँ सामने आकर मअरिफ़ते हक़ की नई-नई राहें दिमाग़ों के सामने खोल देती हैं। रूहानियत वज्द में आ जाती है। तौहीद परस्ती का जज़्बा जोश मारने लगता है। हज्रे अस्वद बिनाए तौहीद का एक बुनियादी पत्थर है। दुआए ख़लील व नवीदे मसीहा हज़रत सय्यिदुल अंबिया (ﷺ) की सदाक़त के इज़्हार के लिये एक ग़ैर फ़ानी यादगार है। इस मुख़्तसर से तब्सरा के बाद किताबुल्लाह सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) की रोशनी में इस हक़ीक़त को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिये कि मस्नूआते इलाहिया में जो चीज़ भी मुहतरम है वो बिज़्ज़ात मुहतरम नहीं है बल्कि पैग़म्बरे इस्लाम की ता'लीमे इर्शाद की वजह से मुहतरम है। इसी कुल्लिया के ख़ातिर ख़ान-ए-का'बा, हज्रे अस्वद, सफ़ा–मरवा वग़ैरह वग़ैरह मुहतरम क़रार पाए। इसीलिये इस्लाम का कोई फ़ेअल भी जिसको वो इबादत या लायक़े अज़्मत क़रार देता हो ऐसा नहीं है जिसकी सनद सय्यिदना मुहम्मदुर्रसूलल्लाह (ﷺ) के वास्ते से हक़ तआला तक न पहुँचती हो। अगर कोई मुसलमान ऐसा फ़ेअल ईजाद करे जिसकी सनद पैग़म्बर (अलैहिस्सलाम) तक न पहुँचती हो तो वो फ़ेअल नज़रों में कैसा भी अच्छा और अक़्ल के नज़दीक कितना ही मुस्तहसन क्यूँ न हो, इस्लाम फ़ौरन इस पर बिदअत होने का हुक्म लगा देता है और सिर्फ़ इसलिये उसको नज़रों से गिरा देता है कि उसकी सनद हज़रत रसूलुल्लाह (ﷺ) तक नहीं पहुँचती बल्कि वो एक ग़ैर मुल्हम इंसान का ईजाद किया हुआ फ़ेअल है।

उसी पाक ता'लीम का अषर है कि सारा का'बा बावजूद ये कि एक घर है मगर हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी व

मुल्तज़िम पर पैग़म्बरे इस्लाम (अलैहिस्सलाम) ने जो तरीक़-ए-इस्तिलाम या चिमटने का बतलाया है मुसलमान उससे इंच भर आगे नहीं बढ़ते न दूसरी दीवारों के पत्थरों को चूमते हैं क्योंकि मुसलमान मख़्लूक़ाते इलाहिया के साथ रिश्ता क़ायम करने में पैग़म्बर (ﷺ) के इर्शाद व अमल के ताबेअ हैं।

बाब 51 : का'बा का दरवाज़ा अंदर से बन्द कर लेना और उसके हर कोने में नमाज़ पढ़ना जिधर चाहे

٥١- بَابُ إِغْلاَقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

1598. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सालिम ने और उनसे उनके बाप ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद और बिलाल व उष्मान बिन अबी तलहा चारों ख़ान-ए-का'बा के अंदर गये और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर जब दरवाज़ा खोला तो मैं पहला शख़्स था जो अंदर गया। मेरी मुलाक़ात बिलाल से हुई। मैंने पूछा कि क्या नबी करीम (ﷺ) ने (अंदर) नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने बतलाया कि हाँ! दोनों यमनी सतूनों के दरम्यान आपने नमाज़ पढ़ी है। (राजेअ 397)

١٥٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ((دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ : نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)).

[راجع: ٣٩٧]

हदीष़ और बाब में मुताबक़त ज़ाहिर है। हज़रत इमाम ये बतलाना चाहते हैं कि का'बा शरीफ़ में दाख़िल होकर और दरवाज़ा बन्द करके जिधर चाहे नमाज़ पढ़ी जा सकती है। दरवाज़ा बन्द करना इसलिये ज़रूरी है कि अगर वो खुला रहे तो उधर मुँह करके नमाज़ी के सामने का'बा को कोई हिस्सा नहीं रह सकता जिसकी तरफ़ रुख़ करना ज़रूरी है। आँहज़रत (ﷺ) ने दोनों यमनी सुतून के बीच नमाज़ पढ़ी जो इत्तिफ़ाक़ी चीज़ थी।

बाब 52 : का'बा के अंदर नमाज़ पढ़ना

٥٢- بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ

1599. हमसे अहमद बिन मुहम्मद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें मूसा बिन उ़क़्बा ने ख़बर दी, उन्हें नाफ़ेअ ने कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) जब का'बा के अंदर दाख़िल होते तो सामने की तरफ़ चलते और दरवाज़ा पीठ की तरफ़ छोड़ देते। आप उसी तरह चलते रहते और जब सामने की दीवार तक़रीबन तीन हाथ रह जाती तो नमाज़ पढ़ते थे। इस तरह आप उस जगह नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम करते थे जिसके बारे में बिलाल (रज़ि.) से मा'लूम हुआ था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वहीं नमाज़ पढ़ी थी। लेकिन उसमें कोई हर्ज नहीं का'बा में जिस जगह भी कोई चाहे नमाज़ पढ़ ले।

(राजेअ 397)

١٥٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ

نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ)). [راجع: ٣٩٧]

बाब 53 : जो का'बा में दाख़िल न हुआ

٥٣- بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) अकषर हज्ज करते मगर का'बा के अंदर नहीं जाते थे.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيْرًا وَلاَ يَدْخُلُ

1600. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, उन्हें इस्माईल बिन अबी ख़ालिद ने ख़बर दी, उन्हें अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उ़म्रह किया तो आपने का'बा का तवाफ़ करके मक़ाम इब्राहीम के पीछे दो रकअ़तें पढ़ीं। आपके साथ कुछ लोग थे जो आपके और लोगों के दरम्यान आड़ बने हुए थे। उनमें से एक साहब ने इब्ने अबी औफ़ा से पूछा क्या रसूलल्लाह (ﷺ) का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गये थे तो उन्होंने बताया कि नहीं।

(दीगर मक़ाम : 1791, 4188, 4255)

١٦٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لاَ)).

[أطرافه في : ١٧٩١، ٤١٨٨، ٤٢٥٥].

या'नी का'बा के अंदर दाख़िल होना कोई लाज़िमी रुक्न नहीं। न हज्ज की कोई इबादत है। अगर कोई का'बा के अंदर न जाए तो कुछ क़बाहत नहीं। आँहुज़ूर (ﷺ) ख़ुद हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर अंदर नहीं गए न उ़म्रतुल क़ज़ाअ में आप अंदर गए और न उ़म्र-ए-जिअ़राना के मौक़े पर। ग़ालिबन इसलिये भी नहीं कि उन दिनों का'बा में बुत रखे हुए थे। फिर फ़तहे मक्का के वक़्त आपने का'बा शरीफ़ की तत्हीर की और बुतों को निकाला। तब आप (ﷺ) अंदर तशरीफ़ ले गए। हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर आप (ﷺ) अंदर नहीं गए हालाँकि उस समय का'बा के अंदर बुत भी नहीं थे। ग़ालिबन इसलिये भी कि लोग उसे लाज़िम न समझ लें।

बाब 54 : जिसने का'बा के चारों कोनों में तक्बीर कही

٥٤- بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

1601. हमसे अबू मअ़मर ने बयान किया, कहा कि हमसे अ़ब्दुल वारिष ने बयान किया, कहा कि हमसे अय्यूब ने बयान किया, कहा कि हमसे इक्रिमा ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से बयान किया, आपने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (फ़तहे मक्का के दिन) तशरीफ़ लाए तो आप (ﷺ) ने का'बा के अंदर जाने से इसलिये इंकार फ़र्माया कि उसमें बुत रखे हुए थे। फिर आप (ﷺ) ने हुक्म दिया और वो निकाले गये, लोगों ने इब्राहीम और इस्माईल (अलैहिमस्सलाम) के बुत भी निकाले उनके हाथों में फ़ाल निकालने के तीर दे रखे थे। रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया अल्लाह उन मुश्रिकों को ग़ारत करे, अल्लाह की

١٦٠١- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِي أَيْدِيْهِمَا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((قَاتَلَهُمُ

क़सम! उन्हें अच्छी तरह मा'लूम था कि उन बुज़ुर्गों ने तीर से फ़ाल कभी नहीं निकाली। उसके बाद आप का'बा के अंदर तशरीफ़ ले गये और चारों तरफ़ तक्बीर कही। आपने अंदर नमाज़ नहीं पढ़ी। (राजेअ : 398)

الله، أَمَا وَاللهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ)). فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ)).

[راجع: ٣٩٨]

मुश्रिकीने मक्का ने खान-ए-का'बा में हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) व हज़रत इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के बुतों के हाथों में तीर दे रखे थे और उनसे फ़ाल निकाला करते। अगर इफ़्अल (उस काम को कर) वाला तीर निकलता तो करते अगर लातफ़्अल (न कर) वाला होता तो वो काम न करते। ये सब कुछ हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) पर उनका इफ़्तिरा था। क़ुर्आन ने उनको **रिज्सुम्मिन अमलिश्शैतान** कहा कि ये गन्दे शैतानी काम है। मुसलमानों को हर्गिज-हर्गिज़ ऐसे काम में न पड़ना चाहिये। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़तहे मक्का में का'बा को बुतों से पाक किया। फिर आप अंदर दाख़िल हुए और ख़ुशी में का'बा के चारों कोनों में आपने नारा-ए-तक्बीर बुलन्द फ़र्माया। **जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल** (बनी इस्राईल: 81)

बाब 55 : रमल की इब्तिदा कैसे हुई?

٥٥- بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟

1602. हमसे सुलैमान बिन हर्ब ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, उनसे सईद बिन जुबैर ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि (उम्रतुल क़ज़ा 7 हिजरी में) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (मक्का) तशरीफ़ लाए तो मुश्रिकों ने कहा कि मुहम्मद (ﷺ) आए हैं, उनके साथ ऐसे लोग आए हैं जिन्हें यस्रिब (मदीना मुनव्वरा) के बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है। इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में रमल (तेज़ चलना जिससे इज़्हारे क़ुव्वत हो) करें और दोनों यमानी रुक्नों के दरम्यान हस्बे मा'मूल चलें और आपने ये हुक्म नहीं दिया कि सब्अ फेरों में रमल करें इसलिये कि उन पर आसानी हो। (दीगर मक़ाम : 4252)

١٦٠٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ)). [طرفه في : ٤٢٥٦].

तश्रीह : रमल का सबब हदीषे बाला में ख़ुद ज़िक्र है। मुश्रिकीन ने समझा था कि मुसलमान मदीने की मरतूब आबो हवा से बिलकुल कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिये आँहज़रत (ﷺ) ने सहाबा-ए-किराम (रिज़.) को हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में ज़रा अकड़कर तेज़ चाल चलें, मूँढ़े को हिलाते हुए ताकि कुफ़्फ़ारे मक्का देखें और अपने ग़लत ख़्याल को वापस ले लें। बाद में ये अमल बतौर सुन्नते रसूल (ﷺ) जारी रहा और अब भी जारी है। अब यादगार के तौर पर रमल करना चाहिये ताकि इस्लाम के उरूज की तारीख़ याद रहे। उस वक़्त कुफ़्फ़ारे मक्का दोनों शामी रुक्नों की तरफ़ जमा हुआ करते थे, इसलिये इसी हिस्से में रमल सुन्नत क़रार पाया।

बाब 56 : जब कोई मक्का में आए तो पहले हज्रे अस्वद को चूमे तवाफ़ शुरू करते वक़्त और

٥٦- بَابُ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ،

तीन फेरों में रमल करे

وَيَرْمُلُ ثَلاثًا

1603. हमसे अस्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, कहा कि मुझे अब्दुल्लाह बिन वहब ने ख़बर दी, उन्हें यूनुस ने, उन्हें ज़ुहरी ने, उन्हें सालिम ने और उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा। जब आप मक्का तशरीफ़ लाते तो पहले तवाफ़ शुरू करते वक़्त हज्रे अस्वद को बोसा देते और सात चक्करों में से पहले तीन चक्करों में रमल करते थे।

(दीगर मक़ाम : 1604, 1616, 1617, 1644)

١٦٠٣- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ)).

[أطرافه في : ١٦٠٤، ١٦١٦، ١٦١٧، ١٦٤٤].

बाब 57 : हज्ज और उम्रह में रमल करने का बयान

٥٧- بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

1604. हमसे मुहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमसे सुरैज बिन नोअमान ने बयान किया, कहा कि हमसे फुलैह ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने पहले तीन चक्करों में रमल किया और बक़िया चार चक्करों में हस्बे मा'मूल चले, हज्ज और उम्रह दोनों में। सुरैज के साथ इस हदीष को लैष ने रिवायत किया है। कहा कि मुझसे कषीर बिन फ़र्क़द ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के हवाले से। (राजेअ : 1603)

١٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)). تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[راجع: ١٦٠٣]

मुराद हज्जतुल विदाअ और उम्रतुल क़ज़ाअ है। हुदैबिया में आप का'बा तक पहुँच ही न सके थे और जिअराना में इब्ने उमर (रज़ि.) आपके साथ न थे।

1605. हमसे सईद बिन अबी मरयम ने बयान किया, कहा कि हमें मुहम्मद बिन जा'फ़र ने ख़बर दी, कहा कि मुझे ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उन्हें उनके वालिद ने कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद को ख़िताब करके फ़र्माया। अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूब मा'लूम है कि तू सिर्फ़ एक पत्थर है जो न कोई नफ़ा पहुँचा सकता है न नुक़्सान और अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते न देखा होता तो मैं कभी बोसा न देता

١٦٠٥- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْ

لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: مَالَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ)).

[راجع: ١٥٩٧]

उसके बाद आपने बोसा दिया। फिर फ़र्माया और अब हमें रमल की भी क्या ज़रूरत है? हमने उसके ज़रिये मुश्रिकों को अपनी क़ुव्वत दिखाई थी तो अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया, फिर फ़र्माया जो अमल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है उसे अब छोड़ना भी हम पसंद नहीं करते। (राजेअ : 1597)

हज़रत उमर (रज़ि.) ने पहले रमल की इल्लत और सबब पर ख़्याल करके उसको छोड़ देना चाहा। फिर उनको ख़्याल आया कि आँहज़रत (ﷺ) ने ये फ़ेअल किया था। शायद इसमें और कोई हिक्मत हो और आपकी पैरवी ज़रूरी है। इसलिये इसको जारी रखा। (वहीदी)

١٦٠٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا، فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاسْتِلاَمِهِ)). [طرفه في : ١٦١١].

1606. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यह्या क़त्तान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया। जबसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उन दोनों रुक्ने यमानी को चूमते हुए देखा मैंने भी उसके चूमने को ख़्वाह सख़्त हालात हों या नरम नहीं छोड़ा। मैंने नाफ़ेअ से पूछा क्या इब्ने उमर (रज़ि.) उन दोनों यम्नी रुक्नों के दरम्यान मा'मूल के मुताबिक़ चलते थे? तो उन्होंने बताया कि आप मा'मूल के मुताबिक़ इसलिये चलते थे ताकि हज्रे अस्वद को छूने में आसानी रहे। (दीगर मक़ाम : 1611)

٥٨- بَابُ اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

बाब 58 : हज्रे अस्वद को छड़ी से छूना और चूमना

١٦٠٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ)) تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ.

[أطرافه في : ١٦١٢، ١٦١٣، ١٦٣٢،

1607. हमसे अहमद बिन स़ॉलेह और यह्या बिन सुलैमान ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि हमसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि हमें यूनुस ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर अपनी ऊँटनी पर तवाफ़ किया था और आप हज्रे अस्वद का इस्तिलाम एक छड़ी के ज़रिये कर रहे थे और उस छड़ी को चूमते थे। और यूनुस के साथ इस हदीष़ को दरावर्दी ने ज़ुह्री के भतीजे से रिवायत किया और उन्होंने अपने चचा (ज़ुहरी) से।

(दीगर मक़ाम : 1612, 1613, 1632, 5293)

जुम्हूर उलमा का ये क़ौल है कि हज्रे अस्वद को मुँह लगाकर चूमना चाहिये। अगर ये न हो सके तो हाथ लगाकर हाथ को चूम ले, अगर ये भी न हो सके तो लकड़ी लगाकर उसको चूम ले। अगर ये भी न हो सके तो जब हज्रे अस्वद के सामने पहुँचे हाथ से उसकी तरफ़ इशारा करके उसको चूम ले।

जब हाथ या लकड़ी से दूर से इशारा किया जाए जो हज्रे अस्वद को लग न सके तो उसे चूमना नहीं चाहिये।

बाब 59 : उस शख़्स के बारे में जिसने सिर्फ़ दोनों अरकाने यमानी का इस्तिलाम किया

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

1608. और मुहम्मद बिन बक्र ने कहा कि हमें इब्ने जुरैज ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मुझको अम्र बिन दीनार ने ख़बर दी कि अबुश्शअ़षा ने कहा बैतुल्लाह के किसी भी हिस्से से भला कौन परहेज़ कर सकता है और मुआविया (रज़ि.) चारों रुक्नों का इस्तिलाम करते थे, इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उनसे कहा कि हम इन दो अरकाने शामी और इराक़ी का इस्तिलाम नहीं करते तो मुआविया (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बैतुल्लाह का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसे छोड़ दिया जाए और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) भी तमाम अरकान का इस्तिलाम करते थे।

١٦٠٨- وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ((وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ. فَقَالَ لَهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ)).

1609. हमसे अबुल वलीद तयालिसी ने बयान किया, उनसे लैष बिन सअद ने बयान किया, उनसे इब्ने शिहाब ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे उनके वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को सिर्फ़ दोनों यमानी अरकान का इस्तिलाम करते देखा। (राजेअ : 166)

١٦٠٩- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ((لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)). [راجع: ١٦٦]

का'बा के चार कोने हैं हज्रे–अस्वद, रुक्ने यमानी, रुक्ने शामी, रुक्ने इराक़ी। हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी को रुक्नैन यमानीयैन और शामी और इराक़ी को शामैन कहते हैं। हज्रे अस्वद के अलावा रुक्ने यमानी को छूना यही रसूले करीम (ﷺ) और आपके सहाबा-ए-किराम का तरीक़ा रहा है। उसी पर अमल-दरामद है। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने जो कुछ फ़र्माया वो उनकी राय थी मगर फ़ेअ़ले नबवी (ﷺ) मुक़द्दम है।

बाब 60 : हज्रे अस्वद को बोसा देना

٦٠- بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

1610. हमसे अहमद बिन सिनान ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन हारून ने बयान किया, उन्हें वरक़ा ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैद बिन असलम ने ख़बर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि मैंने देखा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज्रे

١٦١٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

अस्वद को बोसा दिया और फिर फ़र्माया कि अगर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते न देखता तो मैं कभी तुझे बोसा न देता।

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: ((لَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ)).

(राजेअ: 1597)

[راجع: ١٥٩٧]

1611. हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे ज़ुबैर बिन अरबी ने बयान किया कि एक शख़्स ने इब्ने उमर (रज़ि.) से हज्रे अस्वद के बोसा देने के बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उसको बोसा देते देखा है। उस पर उस शख़्स ने कहा अगर हुजूम हो जाए और मैं आजिज़ हो जाऊँ तो क्या करूँ? इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इस अगर-वगर को यमन में जाकर रखो मैंने तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप उसको बोसा देते थे।

١٦١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.
قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ ((أَرَأَيْتَ)) بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ)).

बाब 61 : हज्रे अस्वद के सामने पहुँचकर उसकी तरफ़ इशारा करना (जब चूमना न हो सके)

٦١- بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

1612. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वह्हाब ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने इक्रिमा से बयान किया, उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) एक ऊँटनी पर (सवार होकर का'बा का) तवाफ़ कर रहे थे और जब भी आप हज्रे अस्वद के सामने पहुँचते तो किसी चीज़ से उसकी तरफ़ इशारा करते थे।

(राजेअ: 1607)

١٦١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ)).

[راجع: ١٦٠٧]

बाब 62 : हज्रे अस्वद के सामने आकर तक्बीर कहना

٦٢- بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद हज़्ज़ाअ ने बयान किया, उनसे इक्रिमा ने और उनसे इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया नबी करीम (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ एक ऊँटनी पर सवार रहकर किया। जब भी आप हज्रे अस्वद के सामने पहुँचते तो किसी चीज़ से उसकी तरफ़ इशारा करते और तक्बीर कहते। ख़ालिद तहान के साथ इस हदीष को

١٦١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ

عِنْدَهُ وَكَبَّرَ)). تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. [راجع: ١٦٠٧]

इब्राहीम बिन तहमान ने भी ख़ालिद हज़्ज़ाअ से रिवायत किया है। (राजेअ़ : 1607)

तश्रीह : या'नी छड़ी से इशारा करते। इमाम शाफ़िई (रह.) और हमारे इमाम अहमद बिन हंबल ने यही कहा कि तवाफ़ शुरू करते वक़्त जब हज्रे अस्वद चूमे तो ये कहे **बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बर अल्लाहुम्म ईमानन बिक व तस्दीक़न बिकिताबिक व वफ़ाअन बिअहदिक व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिक मुहम्मदिन (ﷺ)** इमामे शाफ़िई (रह.) ने अबू नजीह से निकाला कि सहाबा ने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा कि हज्रे अस्वद को चूमते वक़्त हम क्या कहें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया यूँ कहो, **बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अक्बरु ईमानन बिल्लाहि व तस्दीक़न लिइजाबति मुहम्मदन** ﷺ (वहीदी)

٦٣- بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

बाब 63 : जो शख़्स (हज्ज या उम्रह की निय्यत से) मक्का में आए तो अपने घर लौट जाने से पहले तवाफ़ करे, फिर दोबारा तवाफ़ अदा करे फिर सफ़ा पहाड़ पर जाए.

١٦١٥،١٦١٤- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ)).((ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

[طرفه في: ١٦٤١].

[طرفاه في : ١٦٤٢، ١٧٩٦].

1614, 1615. हमसे अस्बग़ बिन फ़रज ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया कि मुझे अम्र बिन हारिष़ ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अबुल अस्वद से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने उर्वा से (हज्ज का मसला) पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि आइशा (रज़ि.) ने मुझे ख़बर दी थी कि नबी करीम (ﷺ) जब (मक्का) तशरीफ़ लाए तो सबसे पहला काम आपने ये किया वुज़ू किया फिर तवाफ़ किया और तवाफ़ करने से उम्रह नहीं हुआ। उसके बाद अबूबक्र और उमर (रज़ि.) ने भी इसी तरह हज्ज किया। फिर उर्वा ने कहा कि मैंने अपने वालिद ज़ुबैर के साथ हज्ज किया, उन्होंने भी सबसे पहले तवाफ़ किया। मुहाजिरीन और अंसार को भी मैंने इसी तरह करते देखा था। मेरी वालिदा (अस्मा बिन्ते अबीबक्र रज़ि.) ने भी मुझे बताया कि उन्होंने अपनी बहन (आइशा रज़ि.) और ज़ुबैर और फ़लाँ फ़लाँ के साथ उम्रह का एहराम बाँधा था। जब उन लोगों ने हज्रे अस्वद को बोसा दे लिया तो एहराम खोल डाला था। (दीगर मक़ाम : 1641, 1642, 1796)

तश्रीह : इमाम बुख़ारी (रह.) का ये मतलब है कि उम्रह में सिर्फ़ तवाफ़ कर लेने से आदमी का उम्रह पूरा नहीं होता जब तक सफ़ा व मरवा की सई न करे। भले ही इब्ने अब्बास (रज़ि.) से उसके ख़िलाफ़ मन्क़ूल है, लेकिन ये क़ौल जुम्हूर उलमा के ख़िलाफ़ है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी उसका रद्द किया है। कुछ कहते हैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मज़हब यही है कि जो कोई हज्जे मुफ़र्रद की निय्यत करे वो जब बैतुल्लाह में दाख़िल हो तो तवाफ़ न करे जब तक कि वो

अरफ़ात से लौटकर न आए। अगर तवाफ़ कर लेगा तो हलाल हो जाएगा। ये क़ौल (और सफ़ा व मरवा दौड़े और सर मुँडाया) भी जुम्हूर उलमा के ख़िलाफ़ है और इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये बाब लाकर इस क़ौल का रद्द किया। (वहीदी)

1616. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़म्रह अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उन्होंने नाफ़ेअ से बयान किया और उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मक्का) आने के बाद सबसे पहले हज्ज और उम्रह का तवाफ़ किया था। उसके तीन चक्करों में आपने सई (रमल) की और बाक़ी चार में हस्बे मा'मूल चले। फिर तवाफ़ की दो रकअत नमाज़ पढ़ी और सफ़ा मरवा की सई की।

(राजेअ: 1603)

١٦١٦- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)).

[راجع: ١٦٠٣]

1617. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज़ ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफ़ेअ ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) जब बैतुल्लाह का पहला तवाफ़ (या'नी तवाफ़े क़ुदूम) करते तो उसके तीन चक्करों में आप दौड़कर चलते और चार में मा'मूल के मुवाफ़िक़ चलते फिर जब सफ़ा और मरवा की सई करते तो बत्ने मसील (वादी) में दौड़कर चलते।

(राजेअ: 1603)

١٦١٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ))

[راجع: ١٦٠٣]

बाब 64 : औरतें भी मर्दों के साथ तवाफ़ करें

٦٤- بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

1618. इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा कि मुझसे अम्र बिन अली ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू आसिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया और उन्हें अता ने ख़बर दी कि जब इब्ने हिशाम (जब वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक की तरफ़ से मक्का का हाकिम था) ने औरतों को मर्दों के साथ तवाफ़ करने से मना कर दिया तो उससे उन्होंने कहा कि तुम किस दलील पर औरतों को इससे मना कर रहे हो? जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की पाक बीवियों ने मर्दों के साथ तवाफ़ किया था। इब्ने जुरैज ने पूछा ये पर्दा (की आयत नाज़िल होने)

١٦١٨- وَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ - إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ - قَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ : أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ

الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ. فَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حِيْنَ يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيْرٍ، قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا)).

के बाद का वाक़िया है या उससे पहले का? उन्होंने कहा मेरी उम्र की क़सम! मैंने उन्हें पर्दा (की आयत नाज़िल होने) के बाद देखा। इस पर इब्ने जुरैज ने पूछा कि फिर मर्द औरत मिल–जुल जाते थे। उन्होंने फ़र्माया कि इख़्तिलात़ नहीं होता था, आइशा (रज़ि.) मर्दों से अलग रहकर एक अलग कोने में त़वाफ़ करती थीं, उनके साथ मिलकर नहीं करती थीं। एक औरत (वक़रह नामी) ने उनसे कहा उम्मुल मोमिनीन! चलिये (ह़ज्रे अस्वद को) बोसा दें। तो आपने इंकार कर दिया और कहा तू जा चूम, मैं नहीं चूमती और अज़्वाजे मुत़ह्हरात रात में पर्दा करके निकलती थीं कि पहचानी न जातीं और मर्दों के साथ त़वाफ़ करती थीं। अल्बत्ता औरतें जब का'बा के अंदर जाना चाहतीं तो अंदर जाने से पहले बाहर खड़ी हो जातीं और मर्द बाहर आ जाते (तो वो अंदर जातीं) मैं और उ़बैद बिन उ़मैर आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में उस वक़्त ह़ाज़िर हुए जब आप ष़बीर (पहाड़) पर ठहरी हुई थीं, (जो मुज़दलिफ़ा में है) इब्ने जुरैज ने कहा कि मैंने अ़त़ा से पूछा कि उस वक़्त पर्दा किस चीज़ से था? अ़त़ा ने बताया कि एक तुर्की कुब्बा में ठहरी हुई थीं। उस पर पर्दा पड़ा हुआ था। हमारे और उनके दरम्यान उसके सिवा और कोई चीज़ ह़ाइल न थी। उस वक़्त मैंने देखा कि उनके बदन पर एक गुलाबी रंग का कुर्ता था।

١٦١٩– حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ – قَالَتْ ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ))، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ

1619. हमसे इस्माईल बिन अबी उवैस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने बयान किया, उनसे उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया, उनसे ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा ने, उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने बीमार होने की शिकायत की (कि मैं पैदल त़वाफ़ नहीं कर सकती) तो आपने फ़र्माया कि सवारी पर चढ़कर और लोगों से अलग रहकर त़वाफ़ कर ले। चुनाँचे मैंने आ़म लोगों से अलग रहकर त़वाफ़ किया। उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) का'बा के बाज़ू में नमाज़ पढ़ रहे थे और आप

सूरह (वत्तूर व किताबिम् मस्तूर) क़िरअत कर रहे थे। (राजेअ : 464)

مَسْطُورٍ﴾. [راجع: ٤٦٤]

मताफ़ का दायरा वसीअ है। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) एक तरफ़ अलग रहकर त़वाफ़ करतीं और मर्द भी त़वाफ़ करते रहते। कुछ नुस्ख़ों में **हजिज़हू** के साथ है या'नी आड़ में रहकर त़वाफ़ करतीं। आजकल तो हुकूमते सऊदिया ने मत़ाफ़ ही नहीं बल्कि सारे हिस्से को इस क़दर वसीअ और शानदार बनाया कि देखकर हैरत होती है।

बाब 65 : त़वाफ़ में बातें करना

٦٥– بَابُ الْكَلاَمِ فِي الطَّوافِ

1620. हमसे इब्राहीम बिन मूसा ने बयान किया, कहा कि हमसे हिशाम ने बयान किया कि इब्ने जुरैज ने उन्हें ख़बर दी, कहा कि मुझे सुलैमान अहवल ने ख़बर दी, उन्हें त़ाउस ने ख़बर दी और उन्हें इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) का'बा का त़वाफ़ करते हुए एक ऐसे शख़्स़ के पास से गुज़रे जिसने अपना हाथ एक–दूसरे शख़्स़ के हाथ से तस्मा या रस्सी या किसी और चीज़ से बाँध रखा था। नबी करीम (ﷺ) ने अपने हाथ से उसे काट दिया और फिर फ़र्माया कि अगर साथ ही चलना है तो हाथ पकड़ के चलो।

(दीगर मक़ाम : 1621, 6702, 6703)

١٦٢٠– حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ – أَو بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ – فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ : ((قُدْهُ بِيَدِهِ)).

[أطرافه في : ١٦٢١، ٦٧٠٢، ٦٧٠٣].

शायद वो अँधा होगा मगर त़बरानी की रिवायत से मा'लूम होता है कि वो बाप–बेटे थे। या'नी त़ल्क़ बिन शब्र और एक रस्सी से दोनों बँधे हुए थे। आपने ह़ाल पूछा तो शब्र कहने लगा कि अगर अल्लाह तआला मेरा माल और मेरी औलाद दिला देगा तो मैं बँधा हुआ ह़ज्ज करूँगा। आँह़ज़रत (ﷺ) ने रस्सी काट दी और फ़र्माया दोनों ह़ज्ज करो मगर ये बाँधना शैत़ानी काम है। ह़दीष़ से ये निकला कि त़वाफ़ में कलाम करना दुरुस्त है क्योंकि आपने ऐन त़वाफ़ में फ़र्माया कि हाथ पकड़कर ले चल। (वह़ीदी)

बाब 66 : जब त़वाफ़ में किसी को बाँधा देखे या कोई और मकरूह चीज़ तो उसको काट सकता है

٦٦– بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَو شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

1621. हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया, उनसे सुलैमान अहवल ने, उनसे त़ाउस ने और उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा कि एक शख़्स़ का'बा का त़वाफ़ रस्सी या किसी और चीज़ के ज़रिये कर रहा है तो आपने उसे काट दिया। (राजेअ : 1620)

١٦٢١– حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ)). [راجع: ١٦٢٠]

बाब 67 : बैतुल्लाह का त़वाफ़ कोई नंगा आदमी नहीं कर सकता और न कोई मुश्रिक ह़ज्ज कर सकता है

٦٧– بَابُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ

1622. हमसे यह्या बिन बुकैर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्ने शिहाब ने बयान किया कि मुझसे हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने बयान किया और उन्हें अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ख़बर दी कि अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने उस हज्ज के मौक़े पर जिसका अमीर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें बनाया था। उन्हें दसवीं तारीख़ को एक मजमे के सामने ये ऐलान करने के लिये भेजा था कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज्जे बैतुल्लाह नहीं कर सकता और न कोई शख़्स नंगा रहकर तवाफ़ कर सकता है। (राजेअ़ 369)

١٦٢٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: ((أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)). [راجع: ٣٦٩]

अ़हदे जाहिलियत में आ़म अहले अ़रब ये कहकर कि हमने इन कपड़ो में गुनाह किए हैं उनको उतार देते और फिर या तो कुरैश से कपड़े मांग कर तवाफ करते या फिर नंगे ही तवाफ करते । इस पर आँहज़रत (ﷺ) ने ये ऐलान कराया ।

बाब 68 : अगर तवाफ़ करते करते बीच में ठहर जाए

٦٨- بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

तो क्या हुक्म है? एक ऐसे शख़्स के बारे में जो तवाफ़ कर रहा था कि नमाज़ खड़ी हो गई या उसे उसकी जगह से हटा दिया गया, अ़ता ये फ़र्माया करते थे कि जहाँ से उसने तवाफ़ छोड़ा वहीं से बिनाअ (या'नी दोबारा वहीं से शुरू कर दे) इब्ने उ़मर और अ़ब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) से भी इस तरह मन्क़ूल है।

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ : إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

तश्रीह : इमाम हसन बसरी (रह.) से मन्क़ूल है कि अगर कोई तवाफ़ कर रहा हो और नमाज़ की तक्बीर हो तो तवाफ़ छोड़ दे नमाज़ में शरीक हो जाए और बाद में नये सिरे से तवाफ़ करे। इमाम बुख़ारी (रह.) ने अ़ता का क़ौल लाकर उन पर रद्द किया। इमाम मालिक (रह.) और शाफ़िई (रह.) ने कहा कि फ़र्ज़ नमाज़ के लिये अगर तवाफ़ छोड़ दे तो बिनाअ कर सकता है या'नी पहले चक्करों की गिनती से मिला ले। लेकिन नफ़्ल नमाज़ के वास्ते छोड़े तो नये सिरे से शुरू करना औला है। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक बिनाअ हर हाल में दुरुस्त है। हनाबिला कहते हैं तवाफ़ में मवालात वाजिब है अगर अ़म्दन (जान-बूझकर) या सह्वन (भूलकर) मवालात छोड़ दे तो तवाफ़ सहीह न होगा। मगर नमाज़ फ़र्ज़ या जनाज़े के लिये क़त्अन करना दुरुस्त जानते हैं। (वहीदी)

या'नी जितने फेरे कर चुका उनको क़ायम रखकर सात फेरे पूरे करे। अ़ता के क़ौल को अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने और इब्ने उ़मर (रज़ि.) के क़ौल को सईद बिन मंसूर (रज़ि.) ने और अ़ब्दुर्रहमान के क़ौल को भी अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने वस्ल किया है।

बाब 69 : नबी करीम (ﷺ) का तवाफ़ के सात चक्करों के बाद दो रकअ़तें पढ़ना

٦٩- بَابُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

और नाफ़ेअ़ ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.)

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ : قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَي الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

हर सात चक्करों पर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ते थे। इस्माईल बिन उ़मय्या ने कहा कि मैंने ज़ुह्री से पूछा कि अ़ता कहते थे कि त़वाफ़ की नमाज़ दो रकअ़त फ़र्ज़ नमाज़ से भी अदा हो जाती है तो उन्होंने फ़र्माया कि सुन्नत पर अ़मल ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सात चक्कर पूरे किये हों और दो रकअ़त नमाज़ न पढ़ी हो।

ये दोहरा त़वाफ़ कहलाता है जो जुम्हूर के नज़दीक सुन्नत है।

١٦٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ ((قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)) [الأحزاب ٢١]. [راجع: ٢٩٥]

1623. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से पूछा कि क्या कोई उ़म्रह में स़फ़ा मरवा की सई से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तर हो सकता है? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाए और का'बा का त़वाफ़ सात चक्करों से पूरा किया। फिर मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी और स़फ़ा मरवा की सई की। फिर अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) के त़रीक़े में बेहतरीन नमूना है।

(राजेअ़ : 295)

١٦٢٤- قَالَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ((لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)). [راجع: ٣٩٦]

अ़म्र ने कहा कि फिर मैंने जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से इसके बारे में मा'लूम किया तो उन्होंने बताया कि स़फ़ा मरवा की सई से पहले अपनी बीवी के क़रीब भी न जाए।

(राजेअ़ : 396)

٧٠- بَابُ مَنْ لَمْ يَقْرُبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعُ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

बाब 70 : जो शख़्स पहले त़वाफ़ या'नी त़वाफ़े क़ुदूम के बाद फिर का'बा के नज़दीक न जाए और अ़रफ़ात में हज्ज करने के लिये जाए

या'नी इसमें कोई क़बाहत नहीं अगर कोई नफ़्ल त़वाफ़ हज्ज से पहले न करे और का'बा के पास भी न जाए फिर हज्ज से फ़ारिग़ होकर त़वाफ़ुज़्ज़ियारह करे जो फ़र्ज़ है।

١٦٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

1625. हमसे मुह़म्मद बिन अबीबक्र ने बयान किया, उन्होंने

حَدَّثَنَا فُضَيلٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ)).
[راجع: ١٥٤٥]

कहा कि हमसे फ़ुज़ैल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, कहा कि मुझे कुरैब ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से ख़बर दी, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाए और सात (चक्करों के साथ) त़वाफ़ किया। फिर स़फ़ा मरवा की सई की। उस सई के बाद आप का'बा उस वक़्त तक नहीं गये जब तक अ़रफ़ात से वापस न लौटे। (राजेअ़ : 1545)

इससे कोई ये न समझे कि ह़ाजी को त़वाफ़े क़ुदूम के बाद फिर नफ़्ल त़वाफ़ करना मना है, नहीं बल्कि आँह़ज़रत (ﷺ) दूसरे कामों में मशग़ूल होंगे और आप का'बा से दूर ठहरे थे या'नी मुह़स्सब में। इसलिये ह़ज्ज से फ़ारिग़ होने तक आपको का'बा में आने की और नफ़्ल त़वाफ़ करने की फ़ुर्सत न थी ।

٧١- بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

बाब 71: उस शख़्स के बारे में जिसने त़वाफ़ की दो रकअ़तें मस्जिदुल ह़राम से बाहर पढ़ीं

उ़मर (रज़ि.) ने भी ह़रम से बाहर पढ़ी थीं

١٦٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ح. قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ - وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ

1626. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह़.) ने ख़बर दी, उन्हें मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने, उन्हें उ़र्वा ने, उन्हें ज़ैनब ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की। (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह़.) ने कहा कि मुझसे मुह़म्मद बिन ह़र्ब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू मरवान यह़्या बिन अबी ज़करिया ग़स्सानी ने बयान किया, उनसे हिशाम ने, उनसे उ़र्वा ने और उनसे नबी करीम (ﷺ) की ज़ौजा मुत़ह्हरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का में थे और वहाँ से चलने का इरादा हुआ तो... उम्मे सलमा (रज़ि.) ने का'बा का त़वाफ़ नहीं किया और वो भी रवानगी का इरादा रखती थीं... आपने उनसे फ़र्माया कि जब सुबह की नमाज़ खड़ी हो और लोग नमाज़ पढ़ने में मशग़ूल हो जाएँ तो तुम अपनी ऊँटनी पर त़वाफ़ कर लेना। चुनाँचे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ऐसा ही किया

और उन्होंने बाहर निकलने तक तवाफ़ की नमाज़ नहीं पढ़ी। (राजेअ : 464)

وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ)). فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ)). [راجع: ٤٦٤]

बाब 72 : उसके बारे में जिसने तवाफ़ की दो रकअतें मक़ामे इब्राहीम के पीछे पढ़ीं

٧٢- بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

1627. हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शुअबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अम्र बिन दीनार ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) (मक्का में) तशरीफ़ लाए तो आपने ख़ान-ए-का'बा का सात चक्करों से तवाफ़ किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी फिर सफ़ा की तरफ़ (सई करने) गये और अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है। (राजेअ : 395)

١٦٢٧- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾)). [راجع: ٣٩٥]

बाब 73 : सुबह और अस्र के बाद तवाफ़ करना

٧٣- بَابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ

सूरज निकलने से पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) तवाफ़ की दो रकअत पढ़ लेते थे। और हज़रत उमर (रज़ि.) ने सुबह की नमाज़ के बाद तवाफ़ किया फिर सवार हुए और (तवाफ़ की) दो रकअतें ज़ी तुवा में पढ़ीं।

وكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَي الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوَىً

1628. हमसे हसन बिन उमर बसरी ने बयान किया, कहा कि हमसे यज़ीद बिन ज़ुरैअ ने बयान किया, उनसे हबीब ने, उनसे अता ने, उनसे उर्वा ने, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने कि कुछ लोगों ने सुबह की नमाज़ के बाद का'बा का तवाफ़ किया। फिर एक वा'ज़ करने वाले के पास बैठ गये और जब सूरज निकलने लगा तो वो लोग नमाज़ (तवाफ़ की दो रकअत) पढ़ने के लिये खड़े हो गये। इस पर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने (नागवारी के साथ) फ़र्माया जबसे तो ये लोग बैठे थे और जब वो वक़्त आया कि जिसमें नमाज़ मकरूह है तो नमाज़ के लिये खड़े हो गये।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ((أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: قَعَدُوا، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ)).

1629. हमसे इब्राहीम बिन मुंज़िर ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू ज़म्रह ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़्बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ ने कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुना है। आप (ﷺ) सूरज तुलूअ होते और गुरूब होते वक़्त नमाज़ पढ़ने से रोकते थे।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا))

1630. हमसे हसन बिन मुहम्मद ज़ा'फ़रानी ने बयान किया, कहा कि हमसे उबैदह बिन हुमैद ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ेअ ने बयान किया, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) को देखा कि आप फ़ज्र की नमाज़ के बाद तवाफ़ कर रहे थे और फिर आपने दो रकअत (तवाफ़ की) नमाज़ पढ़ी।

١٦٣٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ)).

1631. अब्दुल अज़ीज़ ने बयान किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) को अस्र के बाद भी दो रकअत नमाज़ पढ़ते देखा था। वो बताते थे कि आइशा (रज़ि.) ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी उनके घर आते (अस्र के बाद) तो ये दो रकअत ज़रूर पढ़ते थे। (राजेअ : 590)

١٦٣١- قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ((وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا)) [راجع: ٥٩٠]

बाब 74 : मरीज़ आदमी सवार होकर तवाफ़ कर सकता है

٧٤- بَابُ الْمَرِيْضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

1632. हमसे इस्हाक़ वास्ती ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद तिहान ने ख़ालिद हज़्ज़ाअ से बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, उनसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ ऊँट पर सवार होकर किया। आप जब भी (तवाफ़ करते हुए) हज्रे अस्वद के नज़दीक आते तो अपने हाथ को एक चीज़ (छड़ी) से इशारा करते और तक्बीर कहते। (राजेअ : 1607)

١٦٣٢- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ)).[راجع: ١٦٠٧]

इस हदीष़ में चाहे ये ज़िक्र नहीं है कि आप बीमार थे और बज़ाहिर बाब के तर्जुमा से मुताबिक़ नहीं है मगर इमाम बुख़ारी (रह.) ने अबू दाऊद की रिवायत की तरफ़ इशारा किया जिसमें साफ़ ये है कि आप बीमार थे। कुछ ने कहा जब बग़ैर बीमारी या उज़्र के सवारी पर तवाफ़ दुरुस्त हुआ तो बीमारी में बतरीक़े औला दुरस्त होगा। इस तरह बाब का मतलब निकल आया।

1633. हमसे अब्दुल्लाह बिन मस्लमा कअम्बी ने बयान

١٦٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ

किया, उन्होंने कहा कि हमसे इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया, उनसे मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने, उनसे उ़र्वा ने बयान किया, उनसे ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा ने, उनसे उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की कि मैं बीमार हो गई हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया फिर लोगों के पीछे सवार होकर त़वाफ़ कर ले। चुनाँचे मैंने जब त़वाफ़ किया तो उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के बाज़ू में (नमाज़ के अंदर) (वत्तूर व किताबिम्मस्तूर) की क़िरअत कर रहे थे।

(राजेअ़: 464)

قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((شَكَوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)). [راجع: ٤٦٤]

बाब 75 : ह़ाजियों को पानी पिलाना

٧٥- بَابُ سِقَايَةِ الْحَاجِّ

1634. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबुल अस्वद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू ज़म्रह ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उ़बैदुल्लाह उ़मरी ने बयान किया, उनसे नाफ़ेअ़ ने, उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपने पानी (ज़मज़म का ह़ाजियों को) पिलाने के लिये मिना के दिनों में मक्का ठहरने की इजाज़त चाही तो आप (ﷺ) ने उनको इजाज़त दे दी।

(दीगर मक़ाम : 1743, 1744, 1745)

١٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ)).

[أطرافه في: ١٧٤٣، ١٧٤٤، ١٧٤٥].

मा'लूम हुआ कि अगर कोई उ़ज़्र न हो तो 11वीं 12वीं शब को मिना ही में रहना ज़रूरी है। ह़ज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) का उ़ज़्र मा'क़ूल था। ह़ाजियों को ज़मज़म से पानी निकालकर पिलाना उनका क़दीमी ओ़हदा था। इसलिये आँह़ज़रत (ﷺ) ने उनको इजाज़त दे दी।

1635. हमसे इस्ह़ाक़ बिन शाहीन ने बयान किया, कहा कि हमसे ख़ालिद त़िहान ने ख़ालिद ह़ज़्ज़ाअ से बयान किया, उनसे इक्रिमा ने, उनसे इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी पिलाने की जगह (ज़मज़म के पास) तशरीफ़ लाए और पानी मांगा (ह़ज्ज के मौक़े पर) अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा कि फ़ज़्ल! अपनी माँ के यहाँ जा और उनके यहाँ से खजूर का शरबत ला। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझे (यही) पानी पिलाओ। अ़ब्बास (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! हर शख़्स अपना हाथ इसमें डाल देता है। इसके बावजूद रसूलुल्लाह (ﷺ) यही कहते रहे कि मुझे (यही)

١٦٣٥- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِيْنَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: ((اسْقِنِي)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيْهِ.

قَالَ: ((اسْقِنِي)). فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيْهَا فَقَالَ: ((اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ)). ثُمَّ قَالَ : ((لَوْ لاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ)). يَعْنِي عَاتِقَهُ. وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

पानी पिलाओ। चुनाँचे आपने पानी पिया फिर ज़मज़म के क़रीब आए। लोग कुएँ से पानी खींच रहे थे और काम कर रहे थे। आपने (उन्हें देखकर) फ़र्माया काम करते जाओ कि एक अच्छे काम पर लगे हुए हो। फिर फ़र्माया (अगर ये ख़्याल न होता कि आइन्दा लोग) तुम्हें परेशान कर देंगे तो मैं भी उतरता और रस्सी अपने इस पर रख लेता। मुराद आपकी शाना से थी, आपने उसकी तरफ़ इशारा करके कहा था।

मतलब ये है कि अगर मैं उतरकर ख़ुद पानी खीचूँगा तो सैंकड़ों आदमी मुझको देखकर पानी खींचने के लिये दौड़ पड़ेंगे और तुमको तकलीफ़ होगी।

बाब 76 : ज़मज़म का बयान

٧٦- بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

तशरीह : ज़मज़म वो मशहूर कुँआ है जो का'बा के सामने मस्जिदे हराम में हज़रत जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) के पर मारने से फूट निकला था। कहते हैं ज़मज़म उसको इसलिये कहते हैं कि हज़रत जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने वहाँ बात की थी। कुछ ने कहा कि उसमें पानी बहुत होने से उसका नाम ज़मज़म हुआ। ज़मज़म अरब की ज़ुबान में बहुत पानी को कहते हैं। एक हदीष में है कि ज़मज़म जिस मक़्सद के लिये पिया जाए वो हासिल होता है।

ज़मज़म का कुँआ दुनिया का वो क़दीम तारीख़ी कुँआ है जिसकी इब्तिदा सय्यिदना इस्माईल (अलैहिस्सलाम) की शीर–ख़्वारी से शुरू होती है। ये मुबारक चश्मा प्यास की बेताबी में आपकी ऐड़ियाँ रगड़ने से फ़व्वारे की तरह उस पथरीली ज़मीन में उबला था। आपकी वालिदा हज़रत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा के सात चक्कर लगाकर आईं तो बच्चे के ज़ेरे क़दम ये नेअमते ग़ैर मुतरक़्बा देखकर बाग़ बाग़ हो गईं। तौरात में इस मुबारक कुँए का ज़िक्र इन लफ़्ज़ों में है,

'अल्लाह के फ़रिश्ते ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा कि ऐ हाजरा! तुझको क्या हुआ मत डर कि उस लड़के की आवाज़ जहाँ वो पड़ा है अल्लाह ने सुनी, उठ और लड़के को उठा और उसे अपने हाथ से सम्भाल कि मैं उसको बड़ी क़ौम बनाऊँगा। फिर अल्लाह ने उसकी आँखें खोलीं और उसने पानी का एक कुँआ देखा और जाकर अपनी मश्क को पानी से भर लिया और लड़के को पिला लिया।' (तौरात सफ़रे पैदाइश बाब 21)

कहते हैं कि सय्यिदना इस्माईल (अलैहिस्सलाम) के बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ज़मज़म का चश्मा ख़ुश्क हो गया, ज्यों–ज्यों ये ख़ुश्क होता गया लोग इसे और गहरा करते गए यहाँ तक कि वो एक गहरा कुँआ बन गया।

मुद्दतों तक ख़ान-ए-का'बा की तौलियत बनू जुरहुम के हाथों में रही। जब बनू ख़ुज़ाआ को इक़्तिदार मिला तो बनू जुरहुम ने हज्रे अस्वद और ग़िलाफ़े का'बा को ज़मज़म में डाल दिया और उसका मुँह बन्द करके भाग गये। बाद में मुद्दतों तक ये मुबारक चश्मा ग़ायब रहा। यहाँ तक कि अ़ब्दुल मुत्तलिब ने बहुक्मे इलाही ख़्वाब में इसके सही मुक़ाम को देखकर इसको निकाला। उसके बारे में अ़ब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि मैं सोया हुआ था कि ख़्वाब में मुझे एक शख़्स ने कहा तय्यिबा को खोदो। मैंने कहा कि तय्यिबा क्या चीज़ है? वो शख़्स बग़ैर जवाब दिये चला गया और मैं बेदार हो गया। दूसरे दिन सोया तो ख़्वाब में फिर वही शख़्स आया और कहा कि मज़्नूना को खोदो। मैंने कहा कि मज़्नूना क्या चीज़ है? इतने में मेरी आँख खुल गई और वो शख़्स ग़ायब हो गया। तीसरी रात फिर वही वाक़िया पेश आया और अबकी दफ़ा उस शख़्स ने कहा कि ज़मज़म को खोदो। मैंने कहा कि ज़मज़म क्या है? उसने कहा तुम्हारे दादा इस्माईल (अलैहिस्सलाम) का चश्मा है। उसमें बहुत पानी निकलेगा और खोदने में तुमको ज़्यादा परेशानी भी न होगी। वो उस जगह है जहाँ लोग क़ुर्बानियाँ करते

हैं। (अहदे जाहिलियत में यहाँ बुतों के नाम पर क़ुर्बानियाँ होती थीं) वहाँ चींटियों का बिल है। तुम सुबह को एक कौआ वहाँ चोंच से ज़मीन कुरेदता हुआ देखोगे।

सुबह होने पर अब्दुल मुत्तलिब ख़ुद कुदाल लेकर खड़े हो गए और खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में पानी नमूदार हो गया। जिसे देखकर उन्होंने ज़ोर से तक्बीर कही। कहा जाता है कि ज़मज़म के कुँए में से दो सोने के हिरण और बहुत सी तलवारें और ज़िरहें भी निकलीं। अब्दुल मुत्तलिब ने हिरणों का सोना तो ख़ाना का'बा के दरवाज़ों पर लगा दिया। तलवारें ख़ुद रख लीं। अल्लामा इब्ने ख़ल्दून लिखते हैं कि ये हिरण ईरानी ज़ायरीनों ने का'बा पर चढ़ाए थे।

ज़मज़म का कुँआ पानी की कमी की वजह से कई बार खोदा गया। 223 हिजरी में उसकी अकष़र दीवारें मुन्हदिम हो गईं (गिर गईं) और अंदर बहुत सा मलबा जमा हो गया था। उस वक़्त ताईफ़ के एक शख़्स मुहम्मद बिन बशीर नामी ने उसकी मिट्टी निकाली और ज़रूरत के अनुसार उसकी मरम्मत की कि पानी भरपूर आने लगा।

मशहूर मुअर्रिख़ अज़्रक़ी कहते हैं कि उस वक़्त में भी कुँए के अंदर उतरा था। मैंने देखा कि उसमें तीन तरफ़ से चश्में जारी हैं। एक हज्रे अस्वद की जानिब से दूसरा जबले क़बीस की तरफ़ से और तीसरा मरवह की तरफ़ से, तीनों मिलकर कुँए की गहराई में जमा होते हैं और रात दिन कितना ही खींचो मगर पानी नहीं टूटता।

इसी मुअर्रिख़ का क़ौल है कि मैंने कअरे आब की भी पैमाइश की तो 40 हाथ कुँए की ता'मीर में और 29 हाथ पहाड़ी ग़ार में, कुल 69 हाथ पानी था। मुम्किन है आजकल ज़्यादा हो गया हो।

145 हिजरी में अबू जा'फ़र मंसूर ने इस पर क़ब्ज़ा बनाया और अंदर संगे-मरमर का फ़र्श लगाया। फिर मामून रशीद ने चाहे ज़मज़म की मिट्टी निकलवाकर उसको गहरा किया।

एक बार कोई दीवाना कुँए के अंदर कूद पड़ा था। उसके निकालने के लिये साहिले जिद्दा (जद्दा के समुद्र तट) से ग़व्वास (गोताख़ोर) बुलाए गए। बमुश्किल उसकी नअ़श मिली और कुँए को पाक-साफ़ करने के लिये बहुत सा पानी निकाला गया। इसलिये 1020 हिजरी में सुल्तान अहमद ख़ाँ के हुक्म से चाहे ज़मज़म के अंदर पानी की सतह से सवा तीन फीट नीचे लोहे का जाल डाल दिया गया। 1039 हिजरी मुराद ख़ाँ मरहूम ने जब का'बा शरीफ़ को नये सिरे से ता'मीर किया तो चाहे ज़मज़म की भी नई बेहतरीन ता'मीर की गई। पानी की तह से ऊपर तक संगमरमर से मुज़य्यन कर दिया और ज़मीन से एक गज़ ऊँची 2 गज़ चौड़ी मुँडेर बनवा दी। आसपास चारों तरफ़ दो-दो गज़ तक संगमरमर का फ़र्श बनाकर दीवारें उठा दीं और उन पर छत पाटकर एक कमरा बनवा दिया जिसमें सब्ज़ (हरी) जालियाँ लगा दीं।

1636. और अब्दान ने कहा कि मुझको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें यूनुस ने ख़बर दी, उन्हें ज़ुह्री ने, उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने बयान किया कि अबू ज़र (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जब मैं मक्का में था तो मेरी (घर की) छत खुली और जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) नाज़िल हुए। उन्होंने मेरा सीना चाक किया और उसे ज़मज़म के पानी से धोया। उसके बाद एक सोने का तश्त लाए जो हिक्मत और ईमान से भरा हुआ था। उसे उन्होंने मेरे सीने में डाल दिया और

١٦٣٦ - وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ أَبُوذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا. فَأَفْرَغَهَا

فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا : افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ : جِبْرِيلُ)). [راجع: ٣٤٩]

फिर सीना बन्द कर दिया। अब वो मुझे हाथ से पकड़कर आसमाने दुनिया की त़रफ़ ले चले। आसमाने दुनिया के दारोग़ा से जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने कहा दरवाज़ा खोलो। उन्होंने पूछा कौन है? कहा जिब्राईल (अ.)! (राजेअ : 349)

١٦٣٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ: ((سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ)). [طرفه في : ٥٦١٧].

1637. हमसे मुहम्मद बिन सलाम बैकुन्दी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें मरवान बिन मुआविया फ़ज़ारी ने ख़बर दी, उन्हें आ़सिम ने और उन्हें शअबी ने कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) ने उनसे बयान किया, कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़मज़म का पानी पिलाया था। आपने पानी खड़े होकर पिया था। आ़सिम ने बयान किया कि इक्रिमा ने क़सम खाकर कहा कि आँहुज़ूर (ﷺ) उस दिन ऊँट पर सवार थे। (दीगर मक़ाम : 5617)

तश्रीह : ये मेअ़राज की ह़दीष़ का एक टुकड़ा है। यहाँ इमाम बुख़ारी (रह.) उसको इसलिये लाए कि इसमें ज़मज़म के पानी की फ़ज़ीलत निकलती है। इसलिये कि आपका सीना उसी पानी से धोया गया था। उसके अ़लावा और भी कई अह़ादीष़ ज़मज़म के पानी की फ़ज़ीलत में वारिद हैं मगर ह़ज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़िल ह़दीष़ की शर्त पर यही ह़दीष़ थी। सह़ीह़ मुस्लिम में आबे ज़मज़म को पानी के साथ ख़ुराक भी क़रार दिया गया है और बीमारों के लिये दवा भी फ़र्माया गया है। ह़दीष़े इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) में मर्फ़ूअन ये भी है कि **माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू** कि ज़मज़म का पानी जिस लिये पिया जाता है, अल्लाह वो देता है।

ह़ाफ़िज़ इब्ने ह़जर (रह.) फ़र्माते हैं **व सुम्मियत ज़मज़म लिकष़्रतिहा युक़ालु माउ ज़मज़म अय कष़ीरुन व क़ील लिइज्तिमाइहा** या'नी उसका नाम ज़मज़म इसलिये रखा गया कि ये बहुत है और ऐसे ही मुक़ाम पर बोला जाता है। **माऊ ज़मज़मअय कष़ीर** या'नी ये पानी बहुत बड़ी मिक़्दार में है और उसके जमा होने की वजह से भी उसे ज़मज़म कहा गया है।

मुजाहिद ने कहा कि ये लफ़्ज़ **ह़ज़म:** से मुश्तक़ है। लफ़्ज़ ह़ज़्मा के मा'नी हैं ऐड़ियों से ज़मीन में इशारे करना। चूँकि मशहूर है कि ह़ज़रत इस्माईल (अ़लैहिस्सलाम) के ज़मीन में ऐड़ी रगड़ने से ये चश्मा निकला लिहाज़ा उसे ज़मज़म कहा गया, वल्लाहु आ़लम

बाब 77 : क़िरान करने वाला एक तवाफ़ करे या दो करे

٧٧- بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

١٦٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى

1638. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने इब्ने शिहाब से ख़बर दी, उन्हें उ़र्वा ने और उनसे आइशा (रज़ि.) ने कहा कि हज्जतुल विदाअ़ में हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (मदीना से) निकले और हमने उ़म्रह का एह़राम बाँधा। फिर आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिसके साथ क़ुर्बानी का जानवर हो वो ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों का एक साथ एह़राम बाँधे। ऐसे लोग दोनों के एह़राम से एक साथ

يَحِلُّ مِنْهُمَا)). فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ ﷺ: ((هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ)). فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)).

[راجع: ٢٩٤]

हलाल होंगे। मैं भी मक्का आई थी लेकिन मुझे हैज़ आ गया था इसलिये जब हमने हज्ज के काम पूरे कर लिये तो आँहुज़ूर (ﷺ) ने मुझे अ़ब्दुर्रहमान के साथ तन्ईम की त़रफ़ भेजा। मैंने वहाँ से उ़म्रह का एह़राम बाँधा। आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया ये तुम्हारे उस उ़म्रह के बदले में है (जिसे तुमने हैज़ की वजह से छोड़ दिया था) जिन लोगों ने उ़म्रह का एह़राम बाँधा था उन्होंने सई के बाद एह़राम खोल दिया और दूसरा त़वाफ़ मिना से वापसी पर किया लेकिन जिन लोगों ने हज्ज और उ़म्रह का एह़राम एक साथ बाँधा था उन्होंने सिर्फ़ एक त़वाफ़ किया।

(राजेअ़ : 294)

तश्रीह : तन्ईम एक मशहूर मुक़ाम है जो मक्का से तीन मील दूर है। आँह़ज़रत (ﷺ) ने ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) की तत्बीब के लिये वहाँ भेजकर उ़म्रह का एह़राम बाँधने के लिये फ़र्माया था। आख़िर ह़दीष़ में ज़िक्र है कि जिन लोगों ने हज्ज और उ़म्रह का एक ही एह़राम बाँधा था। उन्होंने भी एक ही त़वाफ़ किया और एक ही सई की। जुम्हूर उ़लमा और अहले ह़दीष़ का यही क़ौल है कि क़ारिन के लिये एक ही त़वाफ़ और एक ही सई हज्ज और उ़म्रह दोनों की त़रफ़ से काफ़ी है और ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) ने दो त़वाफ़ और दो सई लाज़िम रखा है और जिन रिवायतों से दलील ली है, वो सब ज़ईफ़ हैं। (वह़ीदी)

١٦٣٩ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ. فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا. قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا)).

1639. हमसे यअ़क़ूब बिन इब्राहीम ने बयान किया, कह कि हमसे इस्माईल बिन उ़लय्या ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने, उनसे नाफ़ेअ़ ने कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) के लड़के अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह उनके यहाँ गये। हज्ज के लिये सवारी घर में खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे ख़त़रा है कि इस साल मुसलमानों में आपस में लड़ाई हो जाएगी और आपको वो बैतुल्लाह से रोक देंगे। इसलिये अगर आप न जाते तो बेहतर होता। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ ले गये थे (उ़म्रह करने सुलह हुदेबिया के मौक़े पर) और कुफ़्फ़ारे क़ुरैश ने आपको बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया था। इसलिये अगर मुझे भी रोक दिया गया तो मैं भी वही काम करूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था और तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। फिर आपने फ़र्माया कि मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उ़म्रह के साथ हज्ज (अपने ऊपर) वाजिब कर लिया है। उन्होंन बयान

[أطرافه في : ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٧٠٨، ١٧٢٩، ١٨٠٦، ١٨٠٧، ١٨٠٨، ١٨١٠، ١٨١٢، ١٨١٣، ٤١٨٣، ٤١٨٤، ٤١٨٥].

किया कि फिर आप मक्का आए और दोनों उ़म्रह और ह़ज्ज के लिये एक ही त़वाफ़ किया। (दीगर मक़ाम : 1640, 1693, 1708, 1729, 1806, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 4183, 4184, 4185)

١٦٤٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيْلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَومُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)). [راجع: ١٦٣٩]

1640. हमसे क़ुतैबा बिन सईद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे लैष़ बिन सअ़द ने नाफ़ेअ़ से बयान किया कि जिस साल ह़ज्जाज, अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) के मुक़ाबले में लड़ने आया था। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने जब उस साल ह़ज्ज का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि मुसलमानों में बाहम जंग होने वाली है और ये भी ख़तरा है कि आपको ह़ज्ज से रोक दिया जाए। आपने फ़र्माया तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। ऐसे वक़्त मैं भी वही काम करूँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने ऊपर उ़म्रह वाजिब कर लिया है। फिर आप चले और जब बैदा के मैदान में पहुँचे तो आपने फ़र्माया कि ह़ज्ज और उ़म्रह तो एक ही त़रह के हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने उ़म्रह के साथ ह़ज्ज भी वाजिब कर लिया है। आपने एक क़ुर्बानी भी साथ ले ली जो मक़ामे क़ुदैद से ख़रीदी थी। उसके सिवा और कुछ नहीं किया। दसवीं तारीख़ से पहले न आपने क़ुर्बानी की न किसी ऐसी चीज़ को अपने लिये जाइज़ किया जिससे (एह़राम की वजह से) आप रुक गये थे। न सर मुँडवाया न बाल तरशवाए। दसवीं तारीख़ में आपने क़ुर्बानी की और बाल मुँडवाए। आपका यही ख़्याल था कि आपने एक त़वाफ़ से ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों का त़वाफ़ अदा कर लिया है। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसी त़रह किया था। (राजेअ़ : 1639)

पहले अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने सिर्फ़ उ़म्रह का एह़राम बाँधा था। फिर उन्होंने ख़्याल किया कि सिर्फ़ उ़म्रह करने से ह़ज्ज और उ़म्रह दोनों या'नी क़िरान करना बेहतर है तो ह़ज्ज की भी निय्यत कर ली और पुकारकर लोगों को इसलिये कह दिया ताकि लोग भी उनकी पैरवी करें। बैदाअ मक्का और मदीना के बीच ज़ुल हुलैफ़ा से आगे एक मुक़ाम है। क़ुदैद भी जुह़्फ़ा के नज़दीक एक जगह का नाम है।

बाब 78 : (का'बा का) त़वाफ़ वुज़ू करके करना

٧٨- بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

1641. हमसे अह़मद बिन ईसा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अ़म्र बिन हारिष़ ने ख़बर दी, उन्हें मुह़म्मद बिन अ़ब्दुर्रह़मान बिन नौफ़िल क़ुरशी ने, उन्होंने इ़र्वा बिन ज़ुबैर से पूछा था, इ़र्वा ने कहा कि नबी करीम (ﷺ) ने जैसा कि मा'लूम है हज्ज किया था। मुझे उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसके बारे में ख़बर दी कि जब आप मक्का मुअ़ज़्ज़मा आए तो सबसे पहला काम ये किया कि आपने वुज़ू किया, फिर का'बा का त़वाफ़ किया। ये आपका इ़म्रह नहीं था। उसके बाद अबूबक्र (रज़ि.) ने हज्ज किया और आपने भी सबसे पहले का'बा का त़वाफ़ किया जबकि ये आपका भी इ़म्रह नहीं था। इ़मर (रज़ि.) ने भी इसी त़रह किया। फिर इ़ष़्मान (रज़ि.) ने ह़ज्ज किया मैंने देखा कि सबसे पहले आपने भी का'बा का त़वाफ़ किया। आपका भी ये इ़म्रह नहीं था। फिर मुआ़विया और अ़ब्दुल्लाह बिन इ़मर (रज़ि.) का ज़माना आया। फिर मैंने अपने वालिद अज़् ज़ुबैर बिन अ़वाम (रज़ि.).. के साथ भी ह़ज्ज किया। ये (सारे अकाबिर) पहले का'बा ही के त़वाफ़ से शुरू करते थे जबकि ये इ़म्रह नहीं होता था। उसके बाद मुहाजिरीन व अंसार को भी मैंने देखा कि वो भी इसी त़रह करते रहे और उनका भी ये इ़म्रह नहीं होता था। आख़िरी ज़ात, जिसे मैंने इस त़रह करते देखा, वो ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन इ़मर (रज़ि.) की थी, उन्होंने भी इ़म्रह नहीं किया था। इब्ने इ़मर (रज़ि.) अभी मौजूद हैं लेकिन उनसे लोग इसके बारे में पूछते नहीं। इसी त़रह जो ह़ज़रात गुज़र गये, उनका भी मक्का में दाख़िल होते ही सबसे पहला क़दम त़वाफ़ के लिये उठता था। फिर ये भी एहराम नहीं खोलते थे। मैंने अपनी वालिदा (अस्मा बिन्ते अबीबक्र रज़ि.) और ख़ाला (आइशा सिद्दीक़ा रज़ि.) को भी देखा कि जब वो आतीं तो सबसे पहले त़वाफ़ करतीं और ये उसके बाद एह़राम नहीं खोलती थीं।

(राजेअ़: 1614)

١٦٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ ((قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي - الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِيْنَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَّنِ)). [راجع: ١٦١٤]

1642. और मुझे मेरी वालिदा ने ख़बर दी कि उन्होंने अपनी

١٦٤٢- وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي: ((أَنَّهَا

أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرِ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا)).

[راجع: ١٦١٥]

बहन और ज़ुबैर और फ़लाँ फ़लाँ (रज़ि.) के साथ उम्रह किया है ये सब लोग हज्रे अस्वद का बोसा ले लेते तो उम्रह का एहराम खोल देते।

(राजेअ़ : 1615)

तश्रीह : जुम्हूर उलमा के नज़दीक तवाफ़ में तहारत या'नी बावज़ू होना शर्त है। मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन नौफ़िल ने उ़र्वह से क्या पूछा इस रिवायत में ये मज़्कूर नहीं है। लेकिन इमाम मुस्लिम की रिवायत में उसका बयान है कि एक इराक़ी ने मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान से कहा कि तुम उ़र्वह से पूछो अगर एक शख़्स हज्ज का एहराम बाँधे तो तवाफ़ करके वो हलाल हो सकता है? अगर वो कहें नहीं हो सकता तो कहना कि एक शख़्स तो कहते हैं हलाल हो जाता है। मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कहा मैंने उ़र्वह से पूछा, उन्होंने कहा तो कोई हज्ज का एहराम बाँधे वो जब तक हज्ज से फ़ारिग़ न हो हलाल नहीं हो सकता। मैंने कहा एक शख़्स तो कहते हैं कि वो हलाल हो जाता है। उन्होंने कहा उसने बुरी बात कही। आख़िर हदीष़ तक.

٧٩- بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

बाब 79 : स़फ़ा और मरवा की सई वाजिब है कि ये अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से हैं

١٦٤٣- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَوَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا بِالْمُشَلَّلِ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ

1643. हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें शुऐ़ब ने ज़ुह्री से ख़बर दी कि उ़र्वा ने बयान किया कि मैंने उम्मुल मोमिनीन ह़ज़रत आइशा स़िद्दीक़ा (रज़ि.) से पूछा कि अल्लाह तआ़ला के इस फ़र्मान के बारे में आपका क्या ख़्याल है (जो सूरह बक़रः में है कि) स़फ़ा और मरवा अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से हैं। इसलिये जो बैतुल्लाह का हज्ज या उम्रह करे उसके लिये उनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं। क़सम अल्लाह की फिर तो कोई हर्ज न होना चाहिये अगर कोई स़फ़ा और मरवा की सई न करनी चाहे। ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, भतीजे! तुमने ये बुरी बात कही। अल्लाह का मतलब ये होता तो क़ुर्आन में यूँ उतरता, उनके तवाफ़ न करने में कोई गुनाह नहीं। बात ये है कि ये आयत तो अंस़ार के लिये उतरी थी जो इस्लाम से पहले मनात बुत के नाम पर जो मुशल्लल में रखा हुआ था, और जिसकी ये पूजा किया करते थे, एहराम बाँधते थे। ये लोग जब (ज़मान-ए-जाहिलियत में) एहराम बाँधते तो स़फ़ा मरवा की सई को अच्छा नहीं ख़्याल करते थे। अब जब इस्लाम लाए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसके बारे में पूछा और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम स़फ़ा और मरवा

نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَابَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ الآيَةَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ)).

की सई अच्छी नहीं समझते थे। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई कि सफ़ा और मरवा दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं आख़िर आयत तक। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दो पहाड़ों के बीच सई की सुन्नत जारी की है। इसलिये किसी के लिये मुनासिब नहीं है कि उसे तर्क कर दे। उन्होंने कहा कि फिर मैंने उसका ज़िक्र अबूबक्र बिन अब्दुर्रहमान से किया। तो उन्होंने फ़र्माया कि मैंने तो ये इल्मी बात अब तक नहीं सुनी थी, बल्कि मैंने बहुत से अस्हाबे इल्म से तो ये सुना है वो यूँ कहते थे कि अरब के लोग उन लोगों के सिवा जिनका हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ज़िक्र किया जो मनात के लिये एहराम बाँधते थे सब सफ़ा मरवा का फेरा करते थे। जब अल्लाह पाक ने क़ुर्आन शरीफ़ में बैतुल्लाह के तवाफ़ का ज़िक्र किया और सफ़ा मरवा का ज़िक्र नहीं किया तो वो कहने लगे या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम तो जाहिलियत के ज़माने में सफ़ा मरवा का फेरा करते थे और अब अल्लाह ने बैतुल्लाह के तवाफ़ का ज़िक्र तो किया लेकिन सफ़ा और मरवा का ज़िक्र नहीं किया तो क्या सफ़ा और मरवा की सई करने में हम पर कुछ गुनाह होगा? तब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई। सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं आख़िर आयत तक। अबूबक्र ने कहा मैं सुनता हूँ कि ये आयत दोनों फ़िर्क़ों के बाब में उतरी है या'नी उस फ़िर्क़े के बाब में जो जाहिलियत के ज़माने में सफ़ा और मरवा का तवाफ़ बुरा जानता था और उसके बाब में जो जाहिलियत के ज़माने में सफ़ा मरवा का तवाफ़ किया करते थे। फिर मुसलमान होने के बाद उसका करना इस वजह से कि अल्लाह ने बैतुल्लाह के तवाफ़ का ज़िक्र किया और सफ़ा मरवा का नहीं किया, बुरा समझे। यहाँ तक कि अल्लाह ने बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद उनके तवाफ़ का भी ज़िक्र फ़र्मा दिया।

(दीगर मक़ाम : 1790, 4495, 4861)

[أطرافه في : ١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٨٦١].

बाब 80 : स़फ़ा और मरवा के बीच किस त़रह दौड़े

٨٠- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

और इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि बनी अ़ब्बाद के घरों से लेकर बनी अबी हुसैन की गली तक दौड़कर चले (बाक़ी राह में मा'मूली चाल से)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ

1644. हमसे मुहम्मद बिन उ़बैद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ईसा बिन यूनुस ने बयान किया, उनसे उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर ने,, उनसे नाफ़ेअ़ ने और उनसे ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पहला त़वाफ़ करते तो उसके तीन चक्करों मे रमल करते और बक़िया चार में मा'मूल के मुत़ाबिक़ चलते और जब स़फ़ा और मरवा की सई करते तो आप नाले के नशीब में दौड़ा करते थे। उ़बैदुल्लाह ने कहा मैंने नाफ़ेअ़ से पूछा, इब्ने उ़मर (रज़ि.) जब रुक्ने यमानी के पास पहुँचते तो क्या ह़स्बे मा'मूल चलने लगते थे? उन्होने फ़र्माया कि नहीं। अल्बत्ता अगर रुक्ने यमानी पर हुजूम होता तो ह़ज्रे अस्वद के पास आकर आप आहिस्ता चलने लगते क्योंकि वो बग़ैर चूमे उसको नहीं छोड़ते थे। (राजेअ़ : 1603)

١٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِي؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ)). [راجع: ١٦٠٣]

बनी अ़ब्बाद का घर और बनी अबी अल हुसैन का कूचा उस ज़माने में मशहूर होगा। अब ह़ाजियों की शिनाख़्त के लिये दौड़ने के मुक़ाम में दो सब्ज़ मिनारे बना दिये गये हैं।

1645. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने अ़म्र बिन दीनार से बयान किया कि हमने इब्ने उ़मर (रज़ि.) से एक ऐसे शख़्स के बारे में पूछा जो उ़म्रह में बैतुल्लाह का त़वाफ़ तो कर ले लेकिन स़फ़ा और मरवा की सई नहीं करता, क्या वो अपनी बीवी से सुह़बत कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया नबी करीम (ﷺ) (मक्का) तशरीफ़ लाए तो आपने बैतुल्लाह का सात चक्करों के साथ त़वाफ़ किया और मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी। फिर स़फ़ा और मरवा की सात मर्तबा सई की और तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: ((سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾)).

(राजेअ : 395)

[راجع: ٣٩٥]

1646. हमने इसके बारे में जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से भी पूछा तो आपने फ़र्माया कि सफ़ा और मरवा की सई से पहले बीवी के क़रीब भी न जाए।

١٦٤٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: ((لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)).

(राजेअ : 396)

[راجع: ٣٩٦]

1647. हमसे मक्की बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने बयान किया कि मुझे अम्र बिन दीनार ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से सुना, आपने कहा कि नबी करीम (ﷺ) जब मक्का तशरीफ़ लाए तो आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और दो रकअत नमाज़ पढ़ी, फिर सफ़ा और मरवा की सई की। उसके बाद अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ये आयत तिलावत की, तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी बेहतरीन नमूना है।

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ تَلاَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١])). [راجع: ٣٩٥]

(राजेअ : 395)

1648. हमसे अह्मद बिन मुहम्मद मरवज़ी ने बयान किया; उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि हमें आसिम अहवल ने ख़बर दी, उन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा क्या आप लोग सफ़ा और मरवा की सई को बुरा समझते थे? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! क्योंकि ये अहदे जाहिलियत का शिआर था। यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्मा दी, सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। पस जो कोई बैतुल्लाह का हज्ज या उम्रह करे उस पर उनकी सई करने में कोई गुनाह नहीं।

١٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ: ((قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾)).[طرفه في : ٤٤٩٦].

(दीगर मक़ाम : 4496)

मज़्मून इस रिवायत के मुवाफ़िक़ है जो ह़ज़रत आइशा (रज़ि.) से ऊपर गुज़री कि अंसार सफ़ा और मरवा की सई बुरी समझते थे।

1649. हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान बिन उयैना ने बयान किया, उनसे अम्र बिन दीनार ने, उनसे अता बिन अबी रिबाह ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई इस तरह की कि

١٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ

وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ)). زَادَ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

मुश्रिकीन को आप अपनी कुव्वत दिखला सकें। हुमैदी ने ये इज़ाफ़ा किया है कि हमसे सुफ़यान बिन उ़ययना ने बयान किया, उनसे अ़म्र बिन दीनार ने बयान किया, कहा कि मैंने अ़ता से सुना और उन्होंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से यही ह़दीष़ सुनी।

तश्रीह़ : ह़ज्रे अस्वद को चूमने या छूने के बाद त़वाफ़ करना चाहिये। त़वाफ़ क्या है? अपने आपको मह़बूब पर फ़िदा करना, कुर्बान करना और परवाने की तरह घूमकर अपने इश्को–मुह़ब्बत का षुबूत पेश करना। त़वाफ़ की फ़ज़ीलत में ह़ज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि **अन्नन्नबिय्य (ﷺ) क़ाल मन त़ाफ़ बिल्बैति सब्अन व ला यतकल्लमु इल्ला बिसुब्हानिल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरू व ला हौल व ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहि मुहियत अन्हु अशर सय्यआतिन व कुतिब लहू अशर हसनातिन व रूफ़िअ लहू अशर दरजातिन व मन ताफ़ फतकल्लम व हुव फ़ी तिल्कल्हालि खाज़ फिर्रहमति बिरिज्लयहि कखाइज़िल्माइ बिरिज्लैहि** (रवाहु इब्नु माजा) या'नी आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया जिसने बैतुल्लाह शरीफ़ का सात बार त़वाफ किया और सिवाए तस्बीह़ व तह़मीद के कोई फ़िजूल कलाम अपनी ज़ुबान से न निकाला। उसके दस गुनाह मुआफ़ होते हैं और दस नेकियाँ उसके नामा-ए-आमाल में लिखी जाती है और उसके दस दर्जे बुलन्द होते हैं और अगर किसी ने ह़ालते त़वाफ़ में तस्बीह़ व तह़मीद के साथ लोगों से कुछ कलाम भी किया तो वो रह़मते इलाही में अपने दोनों पैरों तक दाख़िल हो जाता है जैसे कोई शख़्स अपने पैरों तक पानी में दाख़िल हो जाए।

मुल्ला अ़ली क़ारी फ़र्माते हैं कि मक़्सद ये है कि सिवाय तस्बीह़ व तम्ह़ीद के और कुछ कलाम न करने वाला अल्लाह की रह़मत में अपने क़दमों से सर तक दाख़िल हो जाता है और कलाम करने वाला सिर्फ़ पैरों तक।

त़वाफ़ की तर्कीब ये है कि ह़ज्रे अस्वद को चूमने के बाद बैतुल्लाह शरीफ़ को अपने बाएँ हाथ करके रुक्ने यमानी तक ज़रा तेज़ तेज़ इस तरह़ चलें कि क़दम क़रीब–क़रीब पड़ें और कँधे हिलें। इसी अष्ना में **सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरू व ला हौल व ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहि** इन मुबारक कलिमात को पढ़ता रहे और अल्लाह तआ़ला की अ़ज़्मत, उसकी शान का कामिल ध्यान रखे। उसकी तौह़ीद को पूरे त़ौर पर दिल में जगह दे। उस पर पूरे पूरे तवक्कल का इज़्हार करे। साथ ही ये दुआ भी पढ़े।**अल्लाहुम्म कनअनी बिमा रज़क़्तनी व बारिक ली फ़ीहि वख़्लिफ़ अला कुल्लि गाइबतिन ली बिख़ैरिन** (नैलुल्औतार) इलाही मुझको जो कुछ तूने नसीब किया उस पर क़नाअ़त करने की तौफ़ीक़ अ़ता कर और उसमें बरकत भी दे और मेरे अहलो–अयाल व माल और मेरी हर पोशिदा चीज़ की तू ख़ैरियत के साथ हिफ़ाज़त फ़र्मा। **अल्लाहुम्म इन्नी अऊ़ज़ुबिक मिनश्शक्कि वशिशर्कि वन्निफ़ाक़ि वशिक़ाक़ि व सइल अख़्लाक़ि** (नैल) इलाही! मैं शिर्क से, दीन में शक करने से और निफ़ाक़ व दोग़लेपन और नाफ़र्मानी और तमाम बुरी आ़दतों से तेरी पनाह चाहता हूँ।

तस्बीह़ व तह़मीद पढ़ता हुआ और इन दुआओं को बार बार दोह्राता हुआ रुक्ने यमानी पर दुलकी चाल से चले रुक्ने यमानी ख़ाना का'बा के जुनूबी (दक्षिणी) कोने का नाम है जिसको सिर्फ़ छूना चाहिये, बोसा नहीं देना चाहिये। ह़दीष़ शरीफ़ में आया है कि इस कोने पर सत्तर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। जब त़वाफ़ करने वाला ह़ज्रे अस्वद से मुल्तज़िम, रुक्ने इ़राक़ी और मीज़ाबे रह़मत पर से होता हुआ यहाँ पहुँचकर दीन व दुनिया की भलाई के लिये बारगाहे इलाही में ख़ुलूसे दिल के साथ दुआएँ करता है तो ये फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। रुक्ने यमानी पर ज़्यादातर ये दुआएँ पढ़नी चाहिये, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुकल्अफ़्व वल्आफ़ियत फिद्दुनिया वल्आख़िरति. रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल्आखिरति हसनतन व किना अ़ज़ाबन्नार** (मिश्कात शरीफ़) या'नी या अल्लाह! मैं तुझसे दुनिया और आख़िरत में सलामती चाहता हूँ, ऐ मा'बूदे बरह़क़! तू मुझको दुनिया व आख़िरत की तमाम नेअ़मतें अ़ता कर और दोज़ख़ की आग

से हमको बचा ले। रमल फ़क़त तीन चक्करों में करना चाहिये। रमल ये मतलब है कि तीन पहले चक्करों में ज़रा अकड़कर शाना हिलाते हुए चला जाए। ये रमल हज्रे अस्वद से तवाफ़ शुरू करते हुए रुक्ने यमानी तक होता है। रुक्ने यमानी पर रमल को मौक़ूफ़ किया जाए और हज्रे अस्वद तक बाक़ी हिस्से में नीज़ बाक़ी चार फेरों में मा'मूली चाल चला जाए। इस तवाफ़ में इज़्तिबाअ भी किया जाता है जिसका मतलब ये है कि एहराम की चादर को दाहिनी बग़ल के नीचे से निकालकर बाएँ शाने पर डाल लिया जाए। एक चक्कर पूरा करके जब वापस हज्रे अस्वद पर आओ तो हज्रे अस्वद की दुआ पढ़कर उसको चूमा या हाथ लगाया जाए और एक चक्कर पूरा हुआ। इसी तरह दूसरा और तीसरा चक्कर करें। इन तीनों फेरों मे रमल करें। उसके बाद चार फेरे बग़ैर रमल के करें। एक तवाफ़ के लिये ये सात फेरे होते हैं। जिनके बाद बैतुल्लाह का एक तवाफ़ पूरा हो गया।

आँहज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ़ नमाज़ की तरह है। उसमें बातें करना मना है। अल्लाह का ज़िक्र जितना चाहे करे। एक तवाफ़ पूरा कर चुकने के बाद मुक़ामे इब्राहीम पर तवाफ़ की दो रकअत नमाज़ पढ़े। इस पहले तवाफ़ का नाम तवाफ़े कुदूम है। रमल और इज़्तिबाअ उसके सिवा और किसी तवाफ़ में न करना चाहिये। मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ पढ़ने के लिये आते हुए मुक़ामे इब्राहीम को अपने और का'बा शरीफ़ के दरम्यान करके ये आयत पढ़ें, **वत्तख़िज़ू मिम्मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला** फिर दो रकअत नमाज़ पढ़े। पहली रकअत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इख़्लास पढ़े। अगर इज़्तिबाअ किया हुआ है उसको खोल दे। सलाम फेरकर नीचे लिखी दुआ निहायत आजिज़ी व इंकिसारी से पढ़े और ख़ुलूसे दिल से अपने और दूसरों के लिये दुआ करें। दुआ ये है,

अल्लाहुम्म इन्नक तअलमु सिर्री व अलानिय्यती फक़्बल मअजरती व तअलमु हाजती फअतिनी सुवाली व तअलमु मा फी नफ़्सी फगफिर्ली ज़ुनूबी अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक ईमानन युबाशिरू क़लबी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता आलमु अन्नहू ला युसीबुनी इल्ला मा कुतिब वरिज़न बिमा कस्सम्त ली या अर्हमर्राहिमीन (तबरानी)

या अल्लाह! तू मेरी ज़ाहिर और पोशीदा हालत से वाक़िफ़ है। पस मेरे उज़्रों को क़ुबूल कर ले। तू मेरी हाजतों से भी वाक़िफ़ है, पस मेरे सवाल को पूरा कर दे। तू मेरे नफ़्स की हालत को जानता है, पस मेरे गुनाहों को बख़्श दे। ऐ मौला! मैं ऐसा ईमान चाहता हूँ जो मेरे दिल में रच जाए और यक़ीने सादिक़ का तलबगार हूँ यहाँ तक कि मेरे दिल में जम जाए कि मुझे वही दुख पहुँच सकता है जो तू लिख चुका है और मैं क़िस्मत के लिखे पर हर वक़्त राज़ी ब-रिज़ा हूँ। ऐ सबसे बड़े मेहरबान! तू मेरी दुआ क़ुबूल कर ले, आमीन!

तवाफ़ की फ़ज़ीलत में अम्र बिन शुऐब अपने बाप से वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि जनाबे नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्मरउ युरीदुत्तवाफ़ बिल्बैति अक़्बल यख़ूज़ुर्रहमत फइज़ा दखलहू गमरत्हु सुम्म यर्फ़उ क़दमन व ला यज़उ क़दमन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन खम्स मिअत हसनतन व हत्त अन्हु खम्सत मिअत सय्यअतन व रूफ़िअत लहु खम्स मिअत दरजतन (अल्हदीष)** (दुर्रे मन्सूर जिल्द 1, पेज 120)

या'नी इंसान जब बैतुल्लाह शरीफ़ के तवाफ़ का इरादा करता है जो रहमते इलाही में दाख़िल हो जाता है फिर तवाफ़ शुरू करते वक़्त रहमते इलाही उसको ढांप लेती है फिर वो तवाफ़ में जो भी क़दम उठाता है और जमीन पर रखता है; हर क़दम के बदले उसको पांच सौ नेकियाँ मिलती है और पांच सौ गुनाह मुआफ़ होते हैं और पाँच सौ दर्जे बुलन्द किए जाते हैं।

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, **मन ताफ़ बिल्बैति सब्अन व सल्ला खल्फ़ल्मक़ामि रक्अतैनि व शरिब मिम्माइ ज़मज़म गुफ़िरत ज़ुनूबहू कुल्लुहा बालिग़तुन मा बलगत** या'नी जिसने बैतुल्लाह का सात बार तवाफ़ किया फिर मक़ामे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के पीछे दो रकअत नमाज़ पढ़ी और ज़मज़म का पानी पीया उसके जितने भी गुनाह हों सब मुआफ़ कर दिये जाते हैं। (दुर्रे मंसूर)

मसला : तवाफ़ शुरू करते वक़्त हाजी अगर मुफ़रद या'नी सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधकर आया है तो दिल में तवाफ़े कुदूम की निय्यत करे और अगर क़ारिन या तमत्तोअ है तो तवाफ़े उम्रह की निय्यत करके तवाफ़ शुरू करे। याद रहे कि निय्यत दिल

का फ़ेअल है ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं। बहुत से नावाक़िफ़ हाजी जब शुरू में हज्रे अस्वद को आकर बोसा देते हैं और तवाफ़ शुरू करते हैं तो तक्बीरे तहरीमा की तरह तक्बीर कहकर रफ़उलयदैन करके ज़ुबान से निय्यत करते हैं। ये बेषुबूत है, लिहाज़ा इससे बचना चाहिये। (ज़ादुल मआद)

बैहक़ी की रिवायत में इस क़दर ज़रूर आया है कि हज्रे अस्वद को बोसा देकर दोनों हाथ को उस पर रखकर फिर उन हाथों को मुँह पर फेर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है।

तवाफ़ करने में मर्द व औरत का एक सा हुक्म है। इतना फ़र्क़ ज़रूर है कि औरत किसी तवाफ़ में रमल और इज़्तिबाअ न करे। (जलीलुल मनासिक)

हैज़ और निफ़ास वाली औरतें सिर्फ़ तवाफ़ न करे बाक़ी हज्ज के तमाम काम कर ले। हज़रत आइशा (रज़ि.) को हाइज़ा होने की हालत में आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया था, **फफ़्अली मा यफ़्अलुल्हाज्जु गैर अंल्ला ततूफ़ी बिल्बैति हत्ता तत्हुरी** (मुत्तफ़क़ अलैहि) या'नी तवाफ़े बैतुल्लाह के सिवा और सब काम कर जो हाजी करते हैं यहाँ तक कि तू पाक हो। अगर हालते हैज़ व निफ़ास में तवाफ़ कर लिया तो तवाफ़ हो गया मगर फ़िदया में एक बकरी या एक ऊँट ज़िब्ह करना लाज़िम है। (फ़त्हुल बारी) मुस्तहाज़ा औरत और सलसले बोल वाले को तवाफ़ करना दुरुस्त है। (मिश्कात)

बैतुल्लाह शरीफ़ मे पहुँचकर सिवाय उज़्रे हैज़ व निफ़ास के बाक़ी किसी तरह और कैसा ही उज़्र क्यूँ न हो जब तक होश व हवास सही तौर पर क़ायम हैं और रास्ता साफ़ है तो मुहरिम को तवाफ़े क़ुदूम और सई करना ज़रूरी है।

तवाफ़ की क़िस्में : तवाफ़ चार तरह का होता है,

(01) तवाफ़े क़ुदूम : जो बैतुल्लाह शरीफ़ में पहली दफ़ा आते ही हज्रे अस्वद को चूमने के बाद किया जाता है।

(02) तवाफ़े उम्रह : जो उम्रह का एहराम बाँधकर किया जाता है।

(03) तवाफ़े इफ़ाज़ा : जो दसवीं ज़िल्हिज्ज को यौमे नहर में क़ुर्बानी वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर और एहराम खोलकर किया जाता है उसको **तवाफ़े ज़ियारत** भी कहते हैं।

(04) तवाफ़े वदाअ : जो बैतुल्लाह शरीफ़ से रुख़सत होते आख़िरी तवाफ़ किया जाता है।

मसला : बेहतर तो यही है कि हर सात फेरों का जो एक तवाफ़ कहलाता है, उसके बाद मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ पढ़ी जाए। लेकिन अगर चन्द तवाफ़ मिलाकर आख़िर में सिर्फ़ दो रकअत पढ़ ली जाएँ तो भी काफ़ी हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने कभी ऐसा भी किया है। (ईज़ाहुल हज्ज)

मसला : तवाफ़े क़ुदूम, तवाफ़े उम्रह, तवाफ़े वदाअ में उन दो रकअतों के बाद भी हज्रे अस्वद को बोसा देना चाहिये।

तम्बीह : अइम्म-ए-अरबअ और तमाम उलमा-ए-सलफ़ व ख़लफ़ का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि चूमना चाटना छूना सिर्फ़ हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी के लिये है। जैसा कि इस रिवायत से ज़ाहिर है, **अनिब्नि उमर क़ाल लम अरन्नबिय्य (ﷺ) यस्तलिमु मिनल्बैति इल्लर्रुक्नैनिल्यमानिय्यैनि** (मुत्तफ़क़ अलैहि) या'नी इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि मैंने सिवाय हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी के बैतुल्लाह की किसी और चीज़ को छूते हुए कभी भी नबी करीम (ﷺ) को नहीं देखा। पस इस्तिलाम सिर्फ़ उन दो ही के लिये है। उनके अलावा मसाजिद हों या मक़ाबिरे औलिया व सुलहा हों या हुज्रात व मग़ाराते रुसुल हों या और तारीख़ी यादगारें हों किसी को चूमना चाटना छूना हर्गिज़-हर्गिज़ जाइज़ नहीं बल्कि ऐसा करना बिदअत है। जमाअते सलफ़े उम्मत (रह.) मुक़ामे इब्राहीम और अह्जारे मक्का को बोसा देने से क़त्अन मना किया करते हैं। पस हाजी साहबान को चाहिये कि हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी के सिवा और किसी जगह के साथ ये मुआमलात बिलकुल न करें वरना **नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम** की मिषाल सादिक़ आएगी।

बहुत से नावाक़िफ़ भाई मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत पढ़ने के बाद मुक़ामे इब्राहीम के दरवाज़े की जालियों को

पकड़कर और कड़ों में हाथ डालकर दुआएँ करते हैं। ये भी अवाम की ईजाद है जिसका सलफ़ से कोई षुबूत नहीं। पस ऐसी बिदआत से बचना ज़रूरी है। बिदअत एक ज़हर है जो तमाम नेकियों को बर्बाद कर देती है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) रिवायत करती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, **मन अहदष फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैस मिन्हु फ़हुव रद्दुन** (मुत्तफ़क़ अलैहि) या'नी जिसने हमारे इस दीन में अपनी तरफ़ से कोई नया काम ईजाद किया जिसका पता इस दीन में न हो वो मर्दूद है।

मुक़ामे इब्राहीम पर दो रकअत नमाज़ अदा करके मुक़ामे मुल्तज़िम पर आना चाहिये। ये जगह हज्रे अस्वद और ख़ान-ए-का'बा के दरवाज़े के बीच में है। यहाँ पर सात फेरों के बाद दो रकअत नमाज़ के बाद आना चाहिये। ये दुआ की क़ुबूलियत का मुक़ाम है यहाँ का पर्दा पकड़कर खाना का'बा से लिपटकर दीवार पर गाल रखकर हाथ फैलाकर दिल खोलकर ख़ूब रो-रो कर दीन व दुनिया की भलाई के लिये दुआएँ करें। उस मुक़ाम पर ये दुआ भी मुनासिब है,

अल्लाहुम्म लकल्हम्दु हम्दन युवाफ़ी निअमक व युकाफ़ी मज़ीदक अहमदुक बिजमीइ महामदिक मा अलिम्तु व मा लम आलम अला जमीइ निअमिक मा अलिम्तु मिन्हा व मा लम आलम व अला कुल्लि हालिन अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्लाहुम्म अइज़्नी मिन कुल्लि सूइन व कनअनी बिमा रज़क़्तनी व बारिक ली फ़ीहि अल्लाहुम्मज्अल्नी मिन अक्रमि वफ़दिक इन्दक व अल्ज़िम्नी सबीलल्इस्तिकामति हत्ता अल्क़ाक़ या रब्बल्आलमीन (अज़्कार नववी)

(तर्जुमा) या अल्लाह! कुल ता'रीफ़ों का मुस्तह़िक़ तू ही है मैं तेरी वो ता'रीफ़ें करता हूँ जो तेरी दी हुई नेअमतों का शुक्रिया हो सकें और उस शुक्रिया पर जो नेअमतें तेरी जानिब से ज़्यादा मिली उनका बदला हो सकें। फिर मैं तेरी उन नेअमतों को जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, सब ही का उन ख़ूबियों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ जिनका मुझको इल्म है और जिनका नहीं। ग़र्ज़ हर हाल में तेरी ही ता'रीफ़ करता हूँ। ऐ अल्लाह! तू अपने हबीब मुहम्मद (ﷺ) और आपकी आल पर दरूदो सलाम भेज। या अल्लाह! तू मुझको शैतान मर्दूद से और हर बुराई से पनाह में रख और जो कुछ तूने मुझको दिया है उस पर क़नाअत की तौफ़ीक़ अता कर और उसमें बरकत दे। या अल्लाह! तू मुझको बेहतरीन मेहमानों में शामिल कर और मरते दम तक मुझको तू सीधे रास्ते पर षाबित क़दम रख यहाँ तक कि मेरी तुझसे मुलाक़ात हो।

ये तवाफ़ जो किया गया तवाफ़े क़ुदूम कहलाता है। जो मक्का शरीफ़ या मीक़ात के अंदर रहते हैं, उनके लिये ये सुन्नत नहीं है और जो उम्रह की निय्यत से मक्का में आएँ उन पर भी तवाफ़े क़ुदूम नहीं है। इस तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर फिर हज्रे अस्वद का इस्तिलाम किया जाए कि ये इफ़्तिताहे सई का इस्तिलाम है। फिर कमानीदार दरवाज़े से निकलकर सीधे बाबे सफ़ा की तरफ़ जाएँ और बाबे सफ़ा से निकलते वक़्त ये दुआ पढ़ें, **बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बिग फ़िर्ली ज़ुनूबी वफ़्तहली अब्वाब फ़ज़्लिक** (तिर्मिज़ी)

(तर्जुमा) 'अल्लाह के मुक़द्दस नाम की बरकत से और अल्लाह के प्यारे रसूल पर दरूदो—सलाम भेजता हुआ बाहर निकलता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे लिये अपने फ़ज़्लो—करम के दरवाज़े खोल दे। इस दुआ को करते हुए पहले बायाँ क़दम मस्जिदे हराम से बाहर किया जाए फिर दायाँ।

कोहे सफ़ा पर चढ़ाई : बाबे सफ़ा से निकलकर सीधे कोहे सफ़ा पर जाएँ। क़रीब होने पर आयते शरीफ़ा **इन्नस्सफ़ा वल्मर्वत शआइरिल्लाहि** तिलावत करें फिर कहें **अब्दउ बिमा बदअल्लाहु** (चूँकि अल्लाह तआला ने ज़िक्र में पहले सफ़ा का नाम लिया है इसलिये मैं भी पहले सफ़ा ही से सई शुरू करता हूँ) ये कहकर सीढ़ियों से पहाड़ी के ऊपर इतना चढ़ जाएँ कि बैतुल्लाह शरीफ़ का पर्दा दिखाई देने लगे। नबी करीम (ﷺ) ने ऐसा ही किया था। जैसा कि इस रिवायत से जाहिर है,

अन अबी हुरैरत क़ाल अक़्बल रसूलुल्लाहि (ﷺ) फदख़ल मक्कत फअक़्बल इलल्हज्रि फस्तलमहू षुम्म ताफ़ बिल्बैति षुम्म ताफ़ बिल्बैति षुम्म अतस्सफ़ा फअलाहू हत्ता यन्ज़ुर इलल्बैति अल्हदीष (रवाहु अबू दाऊद) या'नी अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब मक्का शरीफ़ में दाख़िल हुए तो आपने हज्रे अस्वद का इस्तिलाम किया फिर तवाफ़

किया, फिर आप स़फ़ा के ऊपर चढ़ गये यहाँ तक कि बैतुल्लाह आपको नज़र आने लगा।

पस अब क़िब्ला रू होकर दोनों हाथ उठाकर पहले तीन बार खड़े खड़े अल्लाहु अकबर कहें। फिर ये दुआ पढ़ें,

ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दुहू अल्लाहु अक्बरु ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दुहू ला शरीक लहू लहुल्मुल्कु व लहुल्हम्दु व हुव अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दुहु अन्जिज़ वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मल्अहज़ाब वहदहू (मुस्लिम)

या'नी अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क का अस़ली मालिक वही है, उसी के लिये तमाम ता'रीफ़ें हैं। वो जो चाहे सो हो सकता है, उसके सिवा कोई मा'बूद नहीं, वो अकेला है जिसने इस्लाम के ग़लबे की बाबत अपना वादा पूरा किया और अपने बन्दे की इम्दाद की और उस अकेले ने तमाम कुफ़्फ़ार व मुश्रिकीन के लश्करों को भगा दिया।

इस दुआ को पढ़कर फिर दरूद शरीफ़ पढ़ें फिर ख़ूब दिल लगाकर जो चाहें दुआ मांगें, तीन दफ़ा उसी तरह़ नारा तक्बीर तीन-तीन बार बुलन्द करके मज़्कूरा बाला दुआ पढ़कर दरूद शरीफ़ के बाद दुआएँ करें, ये दुआ की कुबूलियत की जगह है। फिर वापसी से पहले नीचे लिखी दुआ पढ़कर हाथों को मुँह पर फेर लें।

अल्लाहुम्म इन्नक कुल्त उदऊनी अस्तजिब लकुम व इन्नक ला तुख़्लिफुल्मीआद इन्नी अस्अलुक कमा हदैतनी लिल्इस्लाम अंल्ला तन्जिअ़हू मिन्नी हत्ता तवफ़्फ़नी व अना मुस्लिम (मुअता) या अल्लाह! तूने दुआ कुबूल करने का वादा किया है तू कभी वादा ख़िलाफ़ी नहीं करता। पस तू ने जिस तरह़ मुझे इस्लामी ज़िन्दगी नस़ीब की है उसी तरह़ मौत भी मुझको इस्लाम की ह़ालत में नस़ीब फ़र्मा, आमीन!

स़फ़ा और मरवा के दरम्यान सई : सफ़ा और मरवा के दरम्यान दौड़ने को सई कहते हैं(ﷺ), ये फ़राइज़े ह़ज्ज में दाख़िल है जैसा कि मन्दर्जा ज़ेल ह़दीष़ से जाहिर है।

अन स़फ़यत बिन्ति शैबत क़ालत अख़्बर्तनी बिन्तु अबी तुजारत क़ालत दख़ल्तु मअ़ निस्वति मिन क़ुरैश दार आलि अबी हुसैन नन्ज़ुरू इला रसूलिल्लाहि (ﷺ) व हुव यस्आ बैनस्सफ़ा वल्मर्वा फरायतुह यस्आ व इन्न मीज़रहू लियदूर मिन शिद्दतिस्सअयि व समिअ़्तुहू यक़ूलु इस्औ फइन्नल्लाह कतब अलैकुमस्सअय (रवाहु फ़ी शर्हिस्सुन्नति) या'नी स़फ़िया बिन्ते शैबा रिवायत करती हैं कि मुझे बिन्ते अबी तज्राह ने ख़बर दी कि मैं क़ुरैश की चन्द औरतों के साथ आले अबू हुसैन के घर दाख़िल हुई। हम नबी करीम (ﷺ) को स़फ़ा व मरवा के दरम्यान सई करते हुए देख रही थीं। मैंने देखा कि आप सई कर रहे थे और शिद्दते सई की वजह से आपकी इज़ारे मुबारक हिल रही थी। आप फ़र्माते जाते थे लोगों! सई करो, अल्लाह ने इस सई को तुम पर फ़र्ज़ किया है।

पस अब स़फ़ा से उतरकर **रब्बिग़फ़िर वर्हम इन्नक अन्तल्अइज़्ज़ुल्अक्रम** (त़ब्रानी) पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलें। जब सब्ज़ मील के पास पहुँच जाएँ (जो बाएँ तरफ़ मस्जिदे ह़राम की दीवार से मिली हुई मन्सूब है) तो यहाँ से रमल करें या'नी तेज़ रफ़्तार दौड़ते हुए दूसरे सब्ज़ मील तक जाएँ (जो कि ह़ज़रत अ़ब्बास रज़ि. के घर के मुक़ाबिल है) फिर यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता अपनी चाल पर चलते हुए मरवा पहुँचें। रास्ते में ऊपर ज़िक्र की गई दुआ पढ़ते रहें। जब मरवा पहुँचें तो पहले दूसरी सीढ़ी पर चढ़कर बैतुल्लाह की जानिब रुख़ करके खड़े हों और थोड़ा सा दाहिनी तरफ़ माइल हो जाएँ ताकि का'बा का इस्तिक़बाल अच्छी तरह हो जाए अगरचे यहाँ से बैतुल्लाह बवजहे इमारत के नज़र नहीं आता। फिर स़फ़ा की दुआएँ यहाँ भी उसी तरह़ पढ़ें जिस तरह़ स़फ़ा पर पढ़ी थीं। और काफ़ी देर तक ज़िक्रो-दुआ में मशग़ूल रहें कि ये भी दुआ की कुबूलियत की जगह है। फिर वापस स़फ़ा को **रब्बिग़फ़िर वर्हम** पूरी दुआ पढ़ते हुए मा'मूली चाल से सब्ज़ मील तक चलें। फिर यहाँ से दूसरे मील तक तेज़ चलें। इस मील पर पहुँचकर मा'मूली चाल से स़फ़ा पर पहुँचे। सफ़ा से मरवा तक आना सई का एक चक्कर कहलाता है। स़फ़ा पर वापस पहुँचने से सई का दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। इसी तरह़ सात चक्कर पूरे करने होंगे। सातवां चक्कर मरवा पर ख़त्म होगा। हर चक्कर में ऊपर ज़िक्र की गई दुआओं के अ़लावा **सुब्हानल्लाहि**

वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाहु ख़ूब दिल लगाकर पढ़ना चाहिये। चूँकि ज़मीन ऊँची होती चली गई इसलिये सफ़ा मरवा की सीढ़ियाँ ज़मीन मे दब गई हैं और अब पहली ही सीढ़ी पर ख़ड़े होने से बैतुल्लाह का नज़र आना मुम्किन है। लिहाज़ा अब कई दर्जों पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। सई में किसी क़िस्म की तख़्सीस औरत के लिये नहीं आई। मर्द–औरत एक ही हुक्म में हैं।

ज़रूरी मसाईल : तवाफ़ या सई की हालत में नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाए तो तवाफ़ या सई को छोड़कर जमाअत में शामिल हो जाना चाहिये। नीज़ पेशाब या पायख़ाना या और कोई ज़रूरी हाजत दरपेश हो तो उससे फ़ारिग़ होकर बावुज़ू जहाँ तवाफ़ या सई को छोड़ा था वहीं से बाक़ी को पूरा करे। बीमार को पकड़कर या चारपाई या सवारी पर बिठाकर तवाफ़ व सई करानी जाइज़ है। क़ुदामा बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्मार रिवायत करते हैं, **राइतु रसूलल्लाहि (ﷺ) यस्अ़ा बैनस्सफ़ा वल्मर्वा अ़ला बईरिन** (मिश्कात) मैंने नबी करीम (ﷺ) को देखा। आप ऊँट पर सवार होकर सफ़ा मरवा के दरम्यान सई कर रहे थे। इस पर हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़त्हुल बारी में लिखते हैं कि उ़ज़्र की वजह से आपने तवाफ़ व सई में सवारी का इस्ते'माल किया था।

क़ारिन हज्ज और उ़म्रह का तवाफ़ और सई एक ही करे। हज्ज व उ़म्रह के लिये अलग अलग दोबार तवाफ़ व सई करने की ज़रूरत नहीं है। (मुत्तफ़क़ अ़लैहि)) औरतें तवाफ़ व सई में मर्दों में ख़लत़-मलत़ होकर न चलें। (सह़ीहैन)

सई के बाद : सफ़ा और मरवा की सई से फ़ारिग़ होने के बाद अगर हज्जे तमत्तोअ़ का इरादा से एह़राम बाँधा गया था तो अब ह़जामत कराकर ह़लाल हो जाना चाहिये और एह़रामे हज्ज क़िरान या हज्जे इफ़राद का था तो न तो ह़जामत करानी चाहिये न एह़राम खोलना चाहिये। हज्जे तमत्तोअ़ करने वाले के लिये मुनासिब है कि मरवा पर बाल कतरवा दे और दसवीं ज़िल्हिज्ज को मिना में बाल मुँडवाए। औरत को बाल मुँडवाने मना हैं। हाँ चुटिया की थोड़ी सी नोक कतर देनी चाहिये। जैसा कि ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से मर्फ़ूअ़न मरवी है, **लैस अ़लन्निसाइ अल्हल्कु इन्नमा अ़लन्निसाइ अत्तक़्सीर** (अबू दाऊद) या'नी औरतों के लिये सर मुँडवाना नहीं है बल्कि सिर्फ़ चुटिया में से चन्द बाल काट डालना काफ़ी है। इन सब कामों से फ़ारिग़ होकर ज़मज़म के कुँए पर आकर ज़मज़म का पानी पीना चाहिये। इस क़दर कि पेट और पसलियाँ ख़ूब तन जाएँ। आँह़ज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं कि मुनाफ़िक़ इतना नहीं पीता कि उसकी पसलियाँ तन जाए। आबे ज़मज़म जिस इरादे से पीया जाए वो पूरा होता है। शिफ़ा के इरादे से पिया जाए तो शिफ़ा मिलती है। भूख–प्यास की दूरी के लिये पीया जाए तो भूख-प्यास दूर होती है और अगर दुश्मन के डर से, किसी आफ़त के डर से, रोज़े मह़शर की घबराहट से मह़फ़ूज़ रहने की निय्यत से पिया जाए तो उससे अल्लाह तआ़ला अमन देता है। (ह़ाकिम, दारे क़ुत़्नी वग़ैरह)

आबे ज़मज़म पीने के आदाब : ज़मज़म शरीफ़ का पानी क़िब्ला रुख़ होकर खड़े होकर पीना चाहिये। दरम्यान में तीन सांस लें। हर दफ़ा में शुरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर में अल्ह़म्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिये और पीते वक़्त ये दुआ़ पढ़नी चाहिये।

अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक इल्मन नाफ़िअ़न व रिज़्क़न वासिअ़न व शिफ़ाअ़न मिन कुल्लि दाइन (हाकिम, दारक़ुत्नी) या अल्लाह! मैं तुझसे नफ़ा देने वाला इल्म और फ़राख़ रोज़ी और हर बीमारी से शफ़ा चाहता हूँ।

बाब 81 : ह़ैज़ वाली औरत बैतुल्लाह के तवाफ़ के सिवा तमाम अरकान बजा लाए

और अगर किसी ने सफ़ा और मरवा की सई बग़ैर वुज़ू कर ली तो क्या हुक्म है?

٨١- بَابُ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

तश्रीह : बाब की ह़दीषों से पहला हुक्म षाबित होता है लेकिन दूसरे हुक्म का उनमें ज़िक्र नहीं है और शायद ये इमाम बुख़ारी (रह.) ने इस ह़दीष के दूसरे तरीक़ की तरफ़ इशारा किया है जिस में इमाम मालिक (रह.) से इतना ज़्यादा मन्क़ूल है कि सफ़ा व मरवा का तवाफ़ भी न करे। इब्ने अ़ब्दुल बर्र ने कहा इस ज़्यादत को सिर्फ़ यह्या बिन यह्या

नीसापूरी ने नक़ल किया है और इब्ने अबी शैबा ने ब-इस्नादे सहीह इब्ने उमर (रज़ि.) से नक़ल किया कि हैज़ वाली औरत सब काम करे मगर बैतुल्लाह और सफ़ा मरवा का तवाफ़ न करे। इब्ने बत्ताल ने कहा इमाम बुख़ारी (रह.) ने दूसरा मतलब बाब की हदीष से यूँ निकाला कि उसमें यूँ है सब काम करे जैसे हाजी करते हैं सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे, तो मा'लूम हुआ कि सफ़ा-मरवा का तवाफ़ बेवज़ू और बेतहारत दुरुस्त है और इब्ने अबी शैबा ने इब्ने उमर (रज़ि.) से निकाला कि अगर तवाफ़ के बाद औरत को हैज़ आ जाए सफ़ा मरवा की सई से पहले तो सफ़ा मरवा की सई करे (वहीदी)

١٦٥٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ((افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي)). [راجع: ٢٩٤]

1650. हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक (रह.) ने ख़बर दी, उन्ह अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम ने, उन्हें उनके बाप ने और उन्हें उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने उन्होंने फ़र्माया कि मैं मक्का आई तो उस वक़्त में हाइज़ा थी। इसलिये बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी और न सफ़ा मरवा की सई। उन्होंने बयान किया कि मैंने उसकी शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की तो आपने फ़र्माया कि जिस तरह दूसरे हाजी करते हैं तुम भी उसी तरह (अरकाने हज्ज) अदा कर लो। हाँ! बैतुल्लाह का तवाफ़ पाक होने से पहले न करना। (राजेअ : 294)

١٦٥١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ح وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ – وَمَعَهُ هَدْيٌ – فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا

1651. हमसे मुहम्मद बिन मुषन्ना ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वहाब षक़फ़ी ने बयान किया। (दूसरी सनद) और मुझसे ख़लीफ़ा बिन ख़याज़ ने बयान किया कि हमसे अब्दुल वह्हाब षक़फ़ी ने बयान किया, कहा कि हमसे हबीब मुअल्लम ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रिबाह ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) और आपके अस्हाब ने हज्ज का एहराम बाँधा। आँहुज़ूर (ﷺ) और तलहा के सिवा और किसी के साथ क़ुर्बानी नहीं थी, हज़रत अली (रज़ि.) यमन से आए थे और उनके साथ भी क़ुर्बानी थी। इसलिये नबी करीम (ﷺ) ने हुक्म दिया कि (सब लोग अपने हज्ज के एहराम को) उम्रह का कर लें। फिर तवाफ़ और सई के बाद बाल तरशवा लें और एहराम खोल डालें लेकिन वो लोग इस हुक्म से मुस्तष्ना (अलग) हैं जिनके साथ क़ुर्बानी हो। इस पर सहाबा ने कहा कि क्या हम मिना में इस तरह जाएँगे कि हमारे ज़कर से मनी टपक रही हो। ये बात जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को मा'लूम हुई तो आपने फ़र्माया, अगर मुझे पहले से मा'लूम होता तो मैं क़ुर्बानी का जानवर साथ न लाता और जब क़ुर्बानी का जानवर साथ न होता तो मैं भी (उम्रह

और हज्ज के दरम्यान) एहराम खोल डालता और आइशा (रज़ि.) (उस हज्ज में) हाइज़ा हो गई थीं। इसलिये उन्होंने बैतुल्लाह के तवाफ़ के सिवा और दूसरे अरकाने हज्ज अदा किये, फिर जब पाक हो लीं तो तवाफ़ भी किया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की कि आप सब लोग तो हज्ज और उम्रह दोनों करके जा रहे हैं लेकिन मैंने सिर्फ़ हज्ज ही किया है। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र को हुक्म दिया कि उन्हें तन्ईम ले जाएँ (और वहाँ से उम्रह का एहराम बाँधें) इस तरह आइशा (रज़ि.) ने हज्ज के बाद उम्रह किया।

(राजेअ: 1557)

اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ)). وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ)). [راجع: ١٥٥٧]

हमसे मुअम्मल बिन हिशाम ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माईल बिन अलिया ने बयान किया, उनसे अय्यूब सुख़ितयानी ने और उनसे हफ़्सा बिन्ते सीरीन ने बयान किया कि हम अपनी कुँवारी लड़कियों को बाहर निकलने से रोकते थे। फिर एक ख़ातून आईं और बनी ख़ल्फ़ के महल में (जो बसरे में था) ठहरी। उन्होंने बयान किया कि उनकी बहन (उम्मे अतिया रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) के एक सहाबी के घर में थीं। उनके शौहर ने आँहुज़ूर (ﷺ) के साथ बारह जिहाद किये थे और मेरी बहन छः जिहादों में उनके साथ रही थीं। वो बयान करती थीं कि हम (मैदाने जंग में) ज़ख़्मियों की मरहम पट्टी करती थीं और मरीज़ों की तीमारदारी करती थीं। मेरी बहन ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि अगर हमारे पास चादर न हो तो क्या कोई हरज है, अगर हम ईदगाह जाने के लिये बाहर न निकलें? आँहुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी सहेली को अपनी चादर उसे ओढ़ा देनी चाहिये और फिर मुसलमानों की दुआ और नेक कामों में शिर्कत करनी चाहिये। फिर जब उम्मे अतिया (रज़ि.) ख़ुद बसरा आईं तो मैंने उनसे भी यही पूछा या ये कहा कि हमने उनसे पूछा उन्होंने बयान किया कि उम्मे अतिया (रज़ि.) जब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र करतीं तो कहतीं मेरे बाप आप पर फ़िदा हों। हाँ तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस तरह सुना है? उन्होंने फ़र्माया कि हाँ मेरे बाप आप पर फ़िदा हों। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि कुँवारी लड़कियाँ और पर्दा वालियाँ भी बाहर

١٦٥٢- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : ((كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ : كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: ((لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ)). فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا - فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي - فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ

بِأَبِي فَقَالَ: ((لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ - وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى)). فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟)).

[راجع: ٣٢٤]

निकलें या ये फ़र्माया कि पर्दा वाली दोशीज़ाएँ और हाइज़ा औरतें सब बाहर निकले और मुसलमानों की दुआ और ख़ैर के कामों में शिर्कत करें। लेकिन हाइज़ा औरतें नमाज़ की जगह से अलग रहें। मैंने कहा और हाइज़ा भी निकलें ? उन्होंने फ़र्माया कि हाइज़ा औरत अरफ़ात और फ़लाँ फ़लाँ जगह नहीं जाती हैं? (फिर ईदगाह ही जाने में क्या हर्ज है)

(राजेअ: 324)

तश्रीह : इस हदीस़ से इमाम बुख़ारी (रह.) ने ये निकाला कि हैज़ वाली त़वाफ़ न करे जो तर्जुमा बाब का एक मत़लब था क्यों कि हैज़ वाली औरत को जब नमाज़ के मुक़ाम से अलग रहने का हुक्म हुआ तो का'बा के पास जाना भी उसको जाइज़ नहीं होगा। कुछ ने कहा बाब का दूसरा मत़लब भी उससे निकलता है। या'नी सफ़ा मरवा की सई हाइज़ा कर सकती है क्योंकि हाइज़ा अरफ़ात में ठहर सकती है और सफ़ा मरवा अरफ़ात की तरह है। (वहीदी)

तर्जुमा में खुली हुई तहरीफ़ : किसी भी मुसलमान का किसी भी मसले के बारे में मसलक कुछ भी हो। मगर जहाँ क़ुर्आन मजीद व अहादीस़े नबवी का खुला हुआ मतन सामने आ जाए दयानतदारी का तक़ाज़ा ये है कि उसका तर्जुमा बिला कम व कैफ़ बिल्कुल सहीह किया जाए। ख़्वाह इससे हमारे मज़्ऊमा मसलक पर कैसी ही चोट क्यूँ न लगती हो। इसलिये कि अल्लाह और उसके हबीब (ﷺ) का कलाम बड़ी अहमियत रखता है और ज़र्रा बराबर भी तर्जुमा व तशरीह के नाम पर बेशी करना वो बदतरीन जुर्म है जिसकी वजह से यहूदी तबाह व बर्बाद हो गए। अल्लाह पाक ने साफ़ लफ़्ज़ों में उनकी हरकत का नोटिस लिया है। जैसा कि इर्शाद है **युहर्रिफ़ूनल्कलिम अम्मवाज़िइही** (अल माइद : 13) या'नी अपनी मक़ाम से आयाते इलाही की तहरीफ़ करना उलमा-ए-यहूद का बदतरीन शैवा था। मगर सद अफ़सोस कि यही शैवा हमें कुछ उलमा-ए-इस्लाम की तहरीरों में नज़र आता है। जिससे इस कलामे नबवी (ﷺ) की तस्दीक़ होती है जो आपने फ़र्माया कि तुम पहले लोगों यहूद व नसारा के क़दम ब क़दम चलोगे और गुमराह हो जाओगे।

असल मसला : औरतों का ईदगाह में जाना यहाँ तक कि कुँवारी लड़कियाँ और हैज़वाली औरतों का निकलना और ईद की दुआओं में शरीक होना ऐसा मसला है जो मुतअद्दिद अहादीसे़ नबवी से स़ाबित है और ये मुसल्लम अम्र है कि अहदे रिसालत में सख़्ती के साथ इस पर अमल दरामद था और तमाम ख़्वातीने इस्लाम ईदगाह जाया करती थीं। बाद में मुख़्तलिफ़ फ़िक़्ही ख़्यालात वजूद में आए और मुहतरम उलमा-ए-अहनाफ़ ने औरतों का मैदाने ईदगाह जाना मुत़्लक़न नाजाइज़ क़रार दिया है। बहरहाल अपने ख़्यालात के वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं मगर जिन अहादीस़ में अहदे नबवी में औरतों का ईदगाह में जाना मज़्कूर है उनके तर्जुमा में रद्दोबदल करना इंतिहाई ग़ैर ज़िम्मेदारी है।

और सद अफ़सोस कि हम मौजूदा तराजिमे बुख़ारी शरीफ़ में जो उलमा-ए-देवबन्दी के क़लम से निकल रहे हैं ऐसी ग़ैर ज़िम्मेदारियों की बकस़रत मिस़ालें देखते हैं। तफ़्हीमुल बुख़ारी हमारे सामने है। जिसका तर्जुमा व तशरीहात बहुत मुहतात़ अंदाज़े पर लिखा गया है। मगर मसलकी तअस्सुब ने कुछ जगह हमारे मुहतरम फ़ाज़िल मुतर्जिम तफ़्हीमुल बुख़ारी को भी जादा ए'तिदाल (संतुलन के केन्द्र बिन्दु) से दूर कर दिया है।

यहाँ हदीस़े हफ़्सा के सियाक़ व सबाक़ से साफ़ जाहिर है कि रसूले करीम (ﷺ) से ऐसी औरत के ईदगाह जाने न जाने के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसके पास ओढ़ने के लिये चादर नहीं है। आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि उसकी सहेली को चाहिये कि अपनी चादर में उसको आरियतन ओढ़ा दे ताकि वो उस ख़ैर और दुआए मुस्लिमीन के मौक़े पर (ईदगाह में) मुसलमानों के साथ शरीक हो सके। उसका तर्जुमा मुतर्जिम मौसूफ़ ने यूँ किया है, 'अगर हमारे पास चादर (बुर्क़ा) न हो तो

क्या कोई हर्ज है अगर हम (मुसलमानों के दीनी इज्तिमाआत में शरीक होने के लिये) बाहर न निकलें ? एक बदीउन्नज़र से बुख़ारी शरीफ़ का मुतालआ करनेवाला इस तर्जुमा को पढ़कर ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ ईदगाह जाने न जाने के बारे में पूछा जा रहा है। दीनी इज्तिमाआत से वा'ज़ व नसीहत की मजालिस मुराद हो सकती हैं और उन सब में औरतों का शरीक होना बिला इख़्तिलाफ़ जाइज़ है और अहदे नबवी में भी औरतें ऐसे इज्तिमाआत में बराबर शिर्कत करती थीं। फिर भला इस सवाल का मतलब क्या हो सकता है?

बहरहाल ये तर्जुमा बिलकुल ग़लत है। अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि उलमा-ए-किराम अपने मज्ऊमा मसालिक से बुलन्द होकर एहतियात से क़ुर्आन व हदीष़ का तर्जुमा किया करें। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़.

बाब 82 : जो शख़्स मक्का में रहता हो वो मिना को जाते वक़्त बत्हा वग़ैरह मुक़ामों से एहराम बाँधे

٨٢- بَابُ الإِهْلاَلِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى

और इसी तरह हर मुल्क वाला हाजी जो उम्रह करके मक्का रह गया हो और अता बिन अबी रिबाह से पूछा गया जो शख़्स मक्का ही में रहता हो वो हज्ज के लिये लब्बैक कहे तो उन्होंने कहा कि इब्ने उमर (रज़ि.) आठवीं ज़िल्हिज्ज में नमाज़ ज़ुहर पढ़ने के बाद जब सवारी पर अच्छी तरह बैठ जाते तो लब्बैक कहते। अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान ने अता से, उन्होंने जाबिर (रज़ि.) से बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) के साथ हम हज्जतुल वदाअ में मक्का आए। फिर आठवीं ज़िल्हिज्ज तक के लिये हम हलाल हो गये और (उस दिन मक्का से निकलते हुए) जब हमने मक्का को अपनी पुश्त पर छोड़ा तो हज्ज का तल्बिया कह रहे थे। अबुज़्ज़ुबैर ने जाबिर (रज़ि.) से यूँ बयान किया कि हमने बत्हा से एहराम बाँधा था और उबैद बिन जुरैज ने इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा कि जब आप मक्का में थे तो मैंने देखा और तमाम लोगों ने एहराम चाँद देखते ही बाँध लिया था लेकिन आप (ﷺ) ने आठवीं ज़िल्हिज्ज से पहले एहराम नहीं बाँधा। आपने फ़र्माया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा जब तक आप मिना जाने को ऊँटनी पर सवार न हो जाते एहराम न बाँधते।

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ. وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ : لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

तश्रीह : यहाँ ये इश्काल पैदा होता है कि आँहज़रत (ﷺ) तो ज़ुलहुलैफ़ा ही से एहराम बाँधकर आए थे और मक्का में हज्ज से फ़ारिग़ होकर आपने एहराम खोला ही नहीं था तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कैसे दलील ली? उसका जवाब ये है कि इब्ने उमर (रज़ि.) का मतलब ये है कि आपने एहराम बाँधते ही हज या उमरे के आमाल शुरू कर दिये और एहराम में और हज़ के कामों में फ़ासला नहीं किया। पस उससे ये निकल आया कि मक्का का रहने वाला या मुतमत्तेअ आठवीं तारीख़ से एहराम बाँधे क्योंकि उसी तारीख़ को लोग मिना रवाना होते हैं और हज्ज के काम शुरू होते हैं। इब्ने उमर (रज़ि.) के अष़र को

सईद बिन मंसूर ने वस्ल किया है। मतलब ये है कि मक्का का रहनेवाला तमत्तोअ करने वाला हज्ज का एहराम मक्का ही से बाँधे और कोई ख़ास जगह की तअय्युन नहीं है कि बस हर मुक़ाम से एहराम बाँध सकता है और अफ़ज़ल ये है कि अपने घर के दरवाज़े से एहराम बाँधे।

बाब 83 : आठवीं ज़िल्हिज्ज को नमाज़े ज़ुहर कहाँ पढ़ी जाए

٨٣- بَابُ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟

1653. हमसे अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्हाक़ अज़रक़ ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़यान ष़ौरी ने अब्दुल अज़ीज़ बिन रुफ़ैअ के वास्ते से बयान किया, कहा कि मैंने अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ आठवीं ज़िल्हिज्ज में कहाँ पढ़ी थी? अगर आपको आँहज़रत (ﷺ) से याद है तो मुझे बताइए। उन्होंने जवाब दिया कि मिना में। मैंने पूछा कि बारहवीं तारीख़ को अ़स्र कहाँ पढ़ी थी? फ़र्माया कि मुहस्सब में। फिर उन्होंने फ़र्माया कि जिस तरह तुम्हारे हुक्काम करते हैं उसी तरह तुम भी करो। (दीगर मक़ाम : 1654, 1763)

١٦٥٣- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ : بِمِنًى. قُلْتُ : فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ)). [طرفاه في : ١٦٥٤، ١٧٦٣].

1654. हमसे अ़ली बिन अ़ब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, उन्होंने अबूबक्र बिन अ़याश से सुना कि हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रुफ़ैअ ने बयान किया, कहा कि मैं अनस (रज़ि.) से मिला (दूसरी सनद) इमाम बुख़ारी (रह.) ने कहा और मुझसे इस्माईल बिन अबान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूबक्र बिन अ़याश ने बयान किया, उनसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने कहा कि मैं आठवीं तारीख़ को मिना गया तो वहाँ अनस (रज़ि.) से मिला। वो गधी पर सवार होकर जा रहे थे। मैंने पूछा नबी करीम (ﷺ) ने उस दिन ज़ुहर की नमाज़ कहाँ पढ़ी थी? उन्होंने फ़र्माया देखो जहाँ तुम्हारे हाकिम लोग नमाज़ पढ़ें वहीं तुम भी पढ़ो। (राजेअ : 1653)

١٦٥٤- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ لَقِيْتُ أَنَسًا ح. وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ : ((خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ، فَقُلْتُ : ((أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ : انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ)).

[راجع: ١٦٥٣]

तश्रीह : मा'लूम हुआ कि हाकिम और शाहे इस्लाम की इत़ाअत वाजिब है। जब उसका हुक्म ख़िलाफ़े शरअ न हो और जमाअ़त के साथ रहना ज़रूरी है। इसमें शक नहीं कि मुस्तहब वही है जो आँहज़रत (ﷺ) ने किया मगर मुस्तहब अम्र के लिये हाकिम या जमाअ़त की मुख़ालफ़त करना बेहतर नहीं। इब्ने मुंज़िर ने कहा कि सुन्नत ये है कि इमाम ज़ुहर और अ़सर और मग़िब और इ़शा और सुबह फ़ज्र की नमाज़ें मिना ही में पढ़े और मिना की तरफ़ हर वक़्त निकलना दुरुस्त है लेकिन सुन्नत यही है कि आठवीं तारीख़ को निकले और ज़ुहर की नमाज़ मिना में जाकर अदा करे। (वहीदी)

छठा पारा पूरा हुआ और इसके बाद सातवाँ पारा शुरू होगा, इंशाअल्लाह तआला।

मुनाजात (दुआएं)

हकीम मुहम्मद सिद्दीक़ ग़ौरी

रब्बे-आज़म अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।

हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।

लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हरगिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्श पर होकर भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा।

अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-कुदरत से क़रीब
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।

अर्श पर है तू यक़ीनन और वह 'मकतूब' भी
'तेरी रहमत है फ़ज़ूं तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।

अरबों खरबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो है मुहम्मद मुस्तफ़ा।

क़ाबिले-तारीफ़ तू है मेरे रब्बुल आलमीन
तू है रहमानो-रहीमो-मालिके-यौमे-जज़ा।।

हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है
हम मदद चाहते नहीं, हरगिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू
फ़क़्र भी तू दूर कर दे क़र्ज़ भी या रब मेरा।

मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र
कोई भी पाता नहीं हूं मैं 'ख़ुदा' तेरे सिवा।

चाँद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर
तेरी कुदरत से अयां है बिलयक़ीन होना तेरा।

मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ़ भी
तू क़यामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूं ज़ाकिर तेरा
हो ज़मीं पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।

क़ल्बे-मुज़्तर को सुकूं मिल जाए तेरी याद से
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मइन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चौंसठ घड़ी
तू ही तू दिल में रहे कोई न हो तेरे सिवा।

मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस में सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रब न हो
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर
माही-ए-बेआब हो बेज़िक्र ये बन्दा तेरा।

मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे क़दमों में पड़ा।

हालते सद-यास में भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम
जी न हारूं और मैं करता रहूं तुझसे दुआ।

बह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी
नाक रगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं मांगू दुआ।

तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगूं
मैं रहूं या रब खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो जिस से टल जाएं पहाड़
ग़ार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा।

हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक़सीम हो
तेरे बन्दों पर तो बख़्शे जाएं लाखों बे-सज़ा।

नेकियों में तू बदल दे और उनको बख़्श दे
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को ख़ुदा।

हज मेरे मबरूर हों सब कोशिशें मशकूर हों
दे तिजारत तू भी वह जिसमें न हो घाटा ज़रा।

तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी
खाना पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।

जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद
मअ फ़लाहे दोजहां के साथ पूरी हो ख़ुदा।